

१. मक्षिप्त आत्मकथा
२. रोटी का मवाल
३. बापू
४. डायरी के पन्ने
५. गांधी-विचार-दोहन
६. सन्तवाण
७. बुद्धवाणी
८. दुर्मी दुनिया
९. मेरी मुक्ति की कहानी
१०. पूर्वी और पश्चिमी दर्शन
११. हमारे गांवों की कहानी
१२. सहमदाती दुनिया
१३. विनोबा के विचार... भाग १
१४. विनोबा के विचार—भाग २
१५. स्त्री और पुरुष
१६. प्रेम में भगवान
१७. जमानतगारी
१८. विजयनगर साम्राज्य की इतिहास
१९. काश्मिर का इतिहास
२०. मेरी कहानी
२१. गांधी-अभियान-संघ
२२. हिन्द-नवराज्य
२३. पुरवार्ष
२४. समस्यम
२५. हिन्दुत्व की कहानी
२६. गारी-भीमांग
२७. हनुमान की कहानी
२८. गांधी का सुधार और संगठन
२९. विश्व इतिहास की मसूदा
३०. आत्मकथा

(एप रही है)

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

१. मलिनप्त आत्मकथा
 २. रोटी का मवाल
 ३. बापू
 ४. दायरी के पन्ने
 ५. गांधी-विचार-दोहन
 ६. सन्तवाण
 ७. बुद्धवाणी
 ८. दुखी दुनिया
 ९. मेरी मुक्ति की कहानी
 १०. पूर्वी और पश्चिमी दर्शन
 ११. हमारे गांवों की कहानी
 १२. तड़सडाती दुनिया
 १३. विनोबा के विचार....भाग १
 १४. विनोबा के विचार—भाग २
 १५. स्त्री और पुरुष
 १६. प्रेम में भगवान्
 १७. जमनालालजी
 १८. विजयनगर साम्राज्य का इतिहास
 १९. काँग्रेस का इतिहास
 २०. मेरी कहानी (दप रही है)
 २१. गांधी-अभिनन्दन-संघ "
 २२. हिन्द-नवराज्य "
 २३. पुरुषार्थ "
 २४. समन्वय "
 २५. हिन्दुधर्म की कहानी "
 २६. गांधी-मीमांसा "
 २७. हमसे की कहानी "
 २८. गांधी का मुखार और संगठन "
 २९. विजय इतिहास की भलक "
 ३०. आत्मकथा "
-



1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

12. ...

13. ...

14. ...

15. ...

16. ...

17. ...

18. ...

19. ...

20. ...

21. ...

22. ...

23. ...

24. ...

25. ...

26. ...

27. ...

28. ...

...

कांग्रेस का इतिहास

१८८५—१९३५

सन् १९३५ में मनाई गई कांग्रेस-सर्षण-जयन्ती पर कांग्रेस द्वारा प्रकाशित
पट्टाभि सीतारामय्या की लिखी History of the Congress का अनुवाद

राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद की प्रस्तावना सहित

एन
सीताराम

४

हिन्दी सम्पादक

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

लेखक की ओर से

कोई उद्देश्य निश्चित करके इस पुस्तक की तैयारी का भार मैंने नहीं उठाया था। गीष्म-श्रुत में बेकारी की घड़ियों में कलम-पिसाई करते-करते यह ग्रन्थ अपने-आप तैयार हो गया था। यद्यपि यह पुस्तक कि महासमिति के मंत्रीजी ने किसी दूसरे मामले में मुझसे थोड़ी ही एक बात पूर्णतः अनिश्चितता में मंत्रीजी के द्वारा राष्ट्रपति को इस छोटी-सी कृति की सूचना मिल गई। राष्ट्रपति ने महासमिति में पेश कर दिया, और कार्य-समिति ने कृपा-पूर्वक कांग्रेस की स्वरूप-समिति पर इस पुस्तक के प्रकाशन का भार उठा लिया। इसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभार व्यक्त करता हूँ। प्रथम तीन वर्षों के इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जैसा नहीं था। इस काल की घटनाओं का वर्णन विषय-वार और व्यक्तिवार किया गया है। हाँ, पिछले बीस वर्षों का विवरण साल-ब-साल दिया गया है।

भिन्न-भिन्न अधिवेशनों के निश्चय क्रमशः उद्धृत नहीं किये गये हैं। क्योंकि ऐसा पुस्तक का आधा आकार तो थोड़ा ही पूरा हो जाता। लेकिन इसके बिना भी पुस्तक आशापूर्वक बड़ी हो गई है। पुस्तक में दाँप भी बहुत रह गये हैं। मैं उनसे अनभिज्ञ नहीं हूँ। ये लेखन की ये त्रुटियाँ ऐसी हैं कि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इनमें कुछ कमियाँ तो जरूर की जा सकती थीं। परन्तु काम बहुत ही छोटे समय में करना पड़ा। जल्दी में कोई काम अच्छा भी नहीं होता। फिर भी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस पुस्तक को दो बार पढ़ गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनरावृत्ति और सरोधन कार्य में जो परिश्रम करना पड़ा, उसके लिए मेरे साथ ही जनता को भी उनका कृतज्ञ होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधान-मंत्री कृष्णदास को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पड़ा और मंत्री श्री कृष्णदास को छाप सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पड़ा है। अतः वे भी देश के धन्यवाद के पात्र हैं।

सम्पादक की श्रोर से

हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रबाबू ने मुझे पत्र-द्वारा सूचित किया था कि मीतारामम्या-लिखित कांग्रेस के इतिहास (History of the Congress) का हिन्दी-माहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित किया जाय, इधर भार्द श्री देवदासजी माघी ने प्रेम-पूर्वक कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी मैं खुद लूं। मेरा कांग्रेस-भक्त हृदय इस उ कैसे टाल सकता था ! जिम्मेदारी ले तो ली, किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया और आन्तरिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों से घिरता गया और यदि वे मित्र, जिनका आगे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए न दौड़ पड़ते, तो दो महीने में इतनी बड़ी पु वाद और प्रकाशन असम्भव होता। ईश्वर को घन्यवाद है कि अनुवाद समय पर तैयार

अनुवाद को सरल, सुवोध और प्रामाणिक बनाने को भरसक चेष्टा की गई है मूल और अनुवाद अनुवाद ही होता है। मैं नहीं समझता कि यह अनुवाद इसमें अपवाद

मूल अथेजी प्रति थोड़ी-थोड़ी करके मिलती रही है—इसलिए सारी पुस्तक पढ़ जाने पर अनुवाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली। यहा तब का कितना ही अंश छुप चुकने पर महासमिति के दफतर से कुछ संशोधन मिले और चले गये, जिनमें से कुछको तो चिथियां लगा-लगाकर भी जोड़ना पड़ा है। समय कारण मूल की यत्र-तत्र पुनरुक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका। मैं मान समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अच्छी बन सकती थी और यह अनु बढ़कर हो सकता था। इन तमाम कठिनाइयों और असुविधाओं के रहते हुए भी, पु रग और बाहिरग सुन्दर बनाने का यत्न किया गया है।

'दिगुस्तान टाइटम' प्रेम के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर ही धन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस पुस्तक को मुन्दरगा के गांव थोड़े समय में छापने की श्रुतिभा मण्डल को कर दी। वे सब राजन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को गीतार करने में सहायता पहुंचवाई।

मुझे विश्वास है कि यह इतिहास, कामेस का यह पुण्य-स्मरण, कामेस माता का यह दूध पाठकों के जीवन को पवित्र, रोजगारी तथा बलिष्ठ बनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की बलिदेरी पर अपने आपको नदाने की शक्ति देगा।

धन्वे-मातरम् !

गांधी-ध्याम
इटुयही (अजमेर),
१५ दिसम्बर १९३५

हरिभाऊ उपाध्याय

दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कामेस के इतिहास का पहला संस्करण बिन जल्दी और परिष्कृति में निकाला गया था यह पहले संस्करण के वक्तव्य में दिया जा चुका है। मित्रों की सहायता और ईश्वरकी कृपा से हम उसे समय पर सर्व-साधारण के सामने रख सके, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कामेस तो इतनी बड़ी सरथा है कि हमने उसकी जो दार्दृ हजार प्रतियां छपवाई थीं वे बहुत कम साबित हुईं, और छपते के साथ ही न केवल वे सब ही समाप्त हो गईं बल्कि और मांग बनी ही रही। पाठकों के तक्राले और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे। लखनऊ-कामेस के इस शुभावसर पर हम उसका दूसरा संस्करण उल्लुक पाठकों के सामने पेश करते हैं।

श्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने एकबार फिर सारी किताब को मूल से मिलाकर दोहरा लिया है और प्रक मे भी सावधानी रखी गई है। इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायेंगे। फिर भी त्रुटियों का रह जाना असंभव नहीं है। पाठकों के ध्यान में कोई आँवें तो हमें सूचित करने की कृपा करें।

—मत्री

प्रस्तावना

हमारी राष्ट्रीय महासभा (काम्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ थोड़े-से उपस्थिति में, बम्बई में हुई थी। जो लोग वहाँ उपस्थित थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो जा सकें, परन्तु ये सच्चे जन-सेवक। बस, तभी से यह भारतीय जनता के लिए प्रयत्न कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य अनिश्चित था, लेकिन शासन के ऐसे प्रजातन्त्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार हम विशाल देश में रहनेवाली सब जातियों एवं श्रेणियों का प्रतिनिधित्व हो। इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञता और ब्रिटिश-सरकार उठेंगे और ऐसी समस्याओं की स्थापना करेंगे जो सन्तुष्ट प्रतिनिधिक हों और जिनसे जो भारत के हित की दृष्टि से भारत का शासन बनने का अधिकार मिले। काम्रेस का हाथ इस भ्रष्टा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्ताव और भाषणों से ही भग हुआ है। मार्ग हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप में हैं, जिनमें यह सुझाया गया है कि क्या चाहिए और कौनसी आपत्तिजनक कार्यवाहियाँ रद्द होनी चाहिए; और उन सबका अर्थ ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-पार्लियामेंट को भारत की इस स्थिति का तथा भारतीयों की मलीभाँति पता लग जाय तो वे गलतियों को दुरुस्त करके अन्त में हिन्दुस्तान को बेशकीमत बलशरीर दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड में ब्रिटिश-सरकार ने की उनसे यह आशा और विश्वास धीरे-धीरे पर संपूर्ण रूप में नष्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीय आशुति बढ़ती गई र्यों-र्यों ब्रिटिश-सरकार का रुख भी कठोर-से-कठोर होता शासन की सद्विच्छाओं पर प्रारम्भ में हमारा जो विश्वास था उसमें लॉर्ड कर्जन के, को विभक्त कर दिया था, शासन काल में धक्का लगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के आन्दोलन हुआ वह सर्व-साधारण में उठती हुई राष्ट्रीय-जागृति की लहर का ही दो बीसवीं सदी के आरम्भ में रूस पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओं से कु नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों पर से हमारा विश्वास बिलकुल उठ नहीं सका था, इसी समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि बंग-भंग रद्द हो जाने से फिर स और कुछ सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह न समझ सकने की वजह से, ब्रिटिश-स के समय उसे सहायता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ इस संकट-काल में जो बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतियों ने भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो मुद्द प्रत्यक्षतः राष्ट्रों के सिद्धान्त तथा प्रजातन्त्री-शासन को सुरक्षित करने के उद्देश से लड़ा जा रहा है।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की ओर से घन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक को सुन्दरता के साथ थोड़े समय में छापने की सुविधा मण्डल को कर दी। वे सब सज्जन भी घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को तैयार करने में सहायता पहुँचाई।

मुझे विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुण्य-स्मरण, कांग्रेस-माता का यह दूध पाठकों के जीवन को पवित्र, रोजस्वी तथा बलिष्ठ बनायेगा और उन्हें स्वाधीनता की बलिवेदी पर अपने आपको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा।

घन्दे-मात्रम् !

गांधी-आश्रम
हट्टण्डी (अजमेर),
१५ दिसम्बर १९३५

हरिभाऊ उपाध्याय

दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कांग्रेस के इतिहास का पहला संस्करण जिस जल्दी और परिस्थिति में निकाला गया था यह पहले संस्करण के वक्तव्य में दिया जा चुका है। मित्रों की सहायता और ईश्वरकी कृपा से हम उसे समय पर सर्व-साधारण के सामने रख सके, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी संस्था है कि हमने उसकी जो दार्द हज़ार प्रतिभा छुववाई थीं वे बहुत कम साबित हुईं, और छुपते के साथ ही न केवल वे सब ही समाप्त हो गईं बल्कि और मांग बनी ही रही। पाठकों के तकाजे और उलहने आते रहे, पर हम मजबूर थे। लखनऊ-कांग्रेस के इस शुभावसर पर हम उसका दूसरा संस्करण उल्लूक पाठकों के सामने पेश करते हैं।

श्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने एकवार फिर सारी किताब को मूल से मिलाकर दोहरा लिया है और प्रूफ में भी सावधानी रखी गई है। इस प्रकार पाठक इसे पहले संस्करण से कुछ अच्छा ही पायेंगे। फिर भी धुटियों का रद्द जाना असम्भव नहीं है। पाठकों के ध्यान में कोई आवें तो हमें सूचित करने की कृपा करें।

—मंत्रो

प्रस्तावना

हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ योद्धे-से उपस्थिति में, बम्बई में हुई थी। जो लोग वहाँ उपस्थित थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो जा सकें, परन्तु वे सच्चे जन-सेवक। वर, तभी से यह भारतीय जनता के लिए प्रयत्न कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य अनिश्चित था, लेकिन शासन के ऐसे प्रजातन्त्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियों एवं भेदों का प्रतिनिधित्व हो। इस आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनीतिकता और ब्रिटिश-सरकार उठेंगे और ऐसी सलाहों की स्वीकार करेंगे जो सनसुन प्रतिनिधिक हों और जिनमें जो भारत के हित की दृष्टि से भारत का शासन बनाने का अधिकार मिले। कांग्रेस का हास इस अज्ञान-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रस्तावों और मांगों से ही भरा हुआ है। मर्तों हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप में हैं, जिनमें यह सुझाया गया है कि कवाहिएं और कौनसी आपत्तिजनक कार्रवाइयाँ रद्द होनी चाहिए; और उन सबका ही ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-पार्लियमेंट को भारत की इस शिर्षत का तथा भारतीय मलीभक्ति पता लग जाय तो वे गलतियों को दुरुस्त करके अन्त में हिन्दुस्तान बेशकीमत्त बन्वशीश दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और इंग्लैण्ड में ब्रिटिश-सरकार ने की उनमें यह आशा और विश्वास धारे धीरे पर संपूर्ण रूप में नष्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीय जागरूक बढ़ती गई स्पों-रंगे ब्रिटिश-सरकार का इतल भी कटोर-से-कटोर होता शासन की मदिरुद्धाओं पर प्रारम्भ में हमारा जो विश्वास था उसमें लोहं बर्जन के, को विभक्त कर दिया था, शासन काल में घबका लगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण शिर्षत के आन्दोलन हुआ वह सर्वे साधारण में उठती हुई राष्ट्रीय-जागरूक की लहर का ही। बीसवीं सदी के आरम्भ में क्ल पर जागान की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओं से नहीं थी। फिर भी अंग्रेजों पर से हमारा विश्वास बिलकुल उठ नहीं चुका था, इस समय कुछ तो इन विश्वास के ही कारण, जो कि बग-भग रद्द हो जाने में फिर ल और कुछ तारी परिस्थिति को अन्तर्ही तरह न समझ सकने की वजह से, ब्रिटिश-के समय उसे सरादता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देख ने उनका साथ इस भकट-काल में जो बहुमूल्य सहायता को उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतिकों ने भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जो कुछ प्रत्यक्षतः राष्ट्रीय के निदान्त तथा प्रकृतन्वा-शासन को सुर्दित करने के उद्देश्य से लहा-क-रदा है

पर हिन्दुस्तानियों में मतभेद उत्पन्न हुआ; और अंग्रेजों-अंग्रेजों भारत-मंत्री ग. गान्ध्याय-द्वारा की गई इस सम्बन्धी जानी का परिणाम और उस पिता का स्वरूप, जो कि आगिर १९२० में भारतीय-राज्य-विधान (गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट) बन गया, प्रकट होते गये वेते-पीते यह मतभेद भी उतने पर घीम होता चला गया । विल अभी यम ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, और उसमें ब्रिटिश सरकार की जीत रही । तब हिन्दुस्तान को यह महत्त्व होने लगा कि युद्ध के कारण यूरोप में ब्रिटिश सरकार को जो कठिनाई उभारने हो गई थी, युद्ध में उनके जीत जाने से, चूँकि अब यह दूर हो गई है, हिन्दुस्तान के प्रति उसका दाय बदल गया है और पहले में कहीं गंवाय हो गया है । खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलमानों के प्रति विश्वासघात कहा गया, और (देशभवापी सर्वसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विषयों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जो कि गैलट-विलों के नाम से मशहूर हैं और उनके द्वारा जन साधारण को स्वतंत्र नागरिकता के मौलिक अधिकारों से वंचित करने वाली भारत-रक्षा-विधान की उन कठोर धाराओं को फिर से अमल में लाने की व्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय टीला छोड़ दिया गया था, इस भावना को और भी पुष्टि और दृढ़ता मिली । इन बातों से स्वभावतः देशभर में जोरदार हलचल मच गई और दक्षिण-अफ्रीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के लेफ्ट या चम्पारन जिलों में जित सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चुका था, उसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन तथा अन्य शिकायतों से देश के मुक्ति पाने के उपाय के तौर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्यवश इस सिलसिले में पञ्जाब और अहमदाबाद में जनता की और रो कुछ उत्साह हो गये, जिससे लोगों के जान-भाल का नुकसान हुआ और जलियाँवाला-बाग हत्याकाण्ड व पञ्जाब में फौजी शासन के मीपण दृश्य सामने आये । स्वभावतः देश भर में इससे हलचल मच गई और रोप छा गया । इन दुर्घटनाओं की जांच के लिए एचटर-कमिटो नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस हलचल और रोप को शान्त न कर सकी; उल्टे पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर जो बहस हुई उससे वह और भी प्रबल हो गया । तब असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ । इसमें एक और तो सरकारी उपाधियों के त्याग और सरकारी कौंसिलों, सरकार-द्वारा स्वीकृत शिक्षणालयों, अदालतों तथा विदेशी कपड़े के बहिष्कार का कार्यक्रम रक्ला गया, और दूसरी ओर जगह-जगह कांग्रेस-कमिटियों की स्थापना, कांग्रेस सदस्यों की भरती, विलक-स्वयंसेवा-कोष के लिए रुपया इकट्ठा करना, राष्ट्रीय शिक्षणालयों की स्थापना, ग्रामवासियों के भगाड़े निगटाने के लिए पचायतों की स्थापना तथा हाथ की कटाई-खुनाई को पुनर्जीवित करते हुए क्रमशः सविनय-अवज्ञा और लगानवन्दी तक पहुँच जाने का कार्यक्रम रक्ला गया । कांग्रेस-विधान में परिवर्तन करके कांग्रेस का लक्ष्य 'शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति' रक्ला गया । इससे देश भर में 'अपठित की लहर' छा गई और सरकार ने भी अपना दमन-चक्र जारी कर दिया । देखने देखने १९२१ के अन्त तक हजारों स्त्री पुरुष, जिनमें देश के कुछ अत्यन्त प्रथिष्ठित नेता भी थे, जेलखानों में जा पहुँचे । सरकार के साथ समझौते की बातचीत भी चली, पर वह सफल न हुई । मगर इसी दमियान युक्तप्रान्त के चौरीचौध स्थान में भयंकर उरगत हो जाने के कारण, भारबोली में करबन्दी के आन्दोलन का जो कार्यक्रम तब हुआ था, उसे स्थगित कर देना पड़ा । इसके बाद एक-एक करके असहयोग-कार्यक्रम की दूसरी बातें भी स्थगित

की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया। तब दिसम्बर १९२६ में, लाहौर में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनैतिक कानूनों की सविनय-असहकार आन्दोलन संगठित किया। इंग्लैण्ड की सरकार ने एक और तो लन्दन आभोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में कुछ हिन्दुस्तानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-असहकार के लिए अनेक अत्यन्त भीषण आर्द्धिनेस्सों-सहित दमनकारी उपाय का मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉर्ड आर्बिन और कांग्रेस की ओर से मोक्ष एक समझौता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-असहकार स्थगित कर दी के आखिरी दिना में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शामिल हुए जैसा कि खयाल था, इस परिषद् से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा स्थगित कर दिया गया। १९३० और १९३२ इन दोनों बार के आन्दोलनों और बन्धे तक जेलों में गये, लाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कष्टों को उन्होंने सभ्यता का नुकसान भी बर्दाश्त किया। बहुत-से, सरकारी सेनाद्वारा भीड़ पर के कारण, मारे गये। सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और शक्ति का परिचय दिया और भावी-से भारी उत्तेजनाओं के बीच भी, कुल अद्वैतक ही रहे। कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के बावजूद काय दिया कि वह निर्जीव नहीं है और अपने को समयानुकूल बनाने की उसमें परीक्षा है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण-स्वयंज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, पर कि देश इस अभिनय-पराका में प्रशस्तनाय रूप से पार उतार है।

कराची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवर्षीय मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एकाग्र प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शो के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में भूखों मरनेवाले लोगों के आर्थिक स्वतन्त्रता का भी समावेश हो; और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए परिस्थिति, काम के मर्यादित घंटे, आपसी झगड़ों के फैसले के लिए उपयुक्त बीमारी व बेकारी के आर्थिक संकटों से सरक्षण तथा मजदूर-संघ बनाने के उनके

की स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति रखे। सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया। तब दिसम्बर १९२६ में, लाहौर के कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनैतिक कानूनों की सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन संगठित किया। इंग्लैण्ड की सरकार ने एक और तो लन्दन में आयोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परामर्श कुछ हिन्दुस्थानियों को नामजद किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवज्ञा कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीषण आहिंसे-सहित दमनकारी उपाय अस्तित्व में आये। मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉर्ड आर्विन और कांग्रेस की ओर से एक बीच एक समझौता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थगित कर दी गई। ६ अप्रैल के आखिरी दिना में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शामिल हुए। जैसा कि खयाल था, इस परिषद् से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ की कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा। १९३१ में स्थगित कर दिया गया। १९३० और १९३२ इन दोनों बार के आन्दोलनों में कांग्रेस और बन्धे तक जेलों में गये, लाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहन किया। सभ्यता का नुकसान भी बर्दाश्त किया। बहुत-से, सरकारी सेनाद्वारा मीड पर चलाने के कारण, मारे भी गये। अत्याचारियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और कष्ट-शक्ति का परिचय दिया और भारी-से भारी उत्तेजनाओं के बीच भी, कुल मिलाकर अहिंसक ही रहे। कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के बावजूद कायम रखा कि वह निर्जीव नहीं है और अपने को समयानुकूल बनाने की उसमें पर्याप्त शक्ति है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण-स्वराज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु कि देश इस अभि-परिष्कार में प्रशंसनीय रूप से पार उतरा है !

कराची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवासियों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवम् सामाजिक प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शोषण के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में भूलों मरनेवाले लोगों को आर्थिक स्वतन्त्रता का भी समावेश हो, और भाषण, सम्मिलन, जान-माल, धर्म के आदेरा आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई। निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए एक परिस्थिति, काम के मर्यादित घंटे, आपसी झगड़ों के फैसले के लिए उपयुक्त सौचीनारी व बेकारी के आर्थिक संकटों से संरक्षण तथा मजदूर-संघ बनाने के उनके आश्वासन के रूप में उनके हितों का खयाल रखना आवश्यक है। किसानों को हमने आश्वासन

को स्वीकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति (डोमिनियन स्टेटस) की प्राप्ति रक्खा सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया। तब दिसम्बर १९२६ में, लाहौर के सम्मेलन में, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतन्त्रता) की प्राप्ति कर दिया और १९३० के आरम्भ में अनैतिक कानूनों की सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन संगठित किया। इंग्लैण्ड की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में आयोगन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परामर्श कुछ हिन्दुस्तानियों को आमंत्रित किया गया, और दूसरी ओर भारत में सविनय-अवज्ञा कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीषण आर्डिनेन्सों-सहित दमनकारी उग्रय अख्तियार मार्च १९३१ में सरकार की ओर से वाइसरॉय लॉर्ड आर्विन और कांग्रेस की ओर से क बोच एक समझौता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवज्ञा स्थगित कर दी गई के आखिरी दिनों में महात्मा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शामिल जैसा कि खयाल था, इस परिषद् से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १९३२ की कांग्रेस को फिर से आन्दोलन शुरू कर देना पड़ा, जो १९३४ तक चलता रहा। १९ स्थगित कर दिया गया। १९३० और १९३२ इन दोनों बार के आन्दोलनों में और बन्ने तक जेलों में गये, लाठी-प्रहार तथा अन्य प्रकार के कष्टों को उन्होंने सहा सम्पत्ति का नुकसान भी बर्दाश्त किया। बहुत-से, सरकारी सेनाद्वारा भीड़ पर चलाए के कारण, मारे भी गये। सत्याग्रहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और कष्ट-सहा शक्ति का परिचय दिया और भारी-से भारी उत्तेजनाओं के बीच भी, कुल मिला अहिंसक ही रहे। कांग्रेस-संगठन ने सरकार के भारी आक्रमण के बावजूद कायम रा दिया कि वह निर्जीव नहीं है और अपने को समथानुकूल बनाने की उसमें पर्याप्त ठीक है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण-स्वराज अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु है कि देश इस अभिनय-तंत्र में प्रशस्तोप रूप से पार उतरा है।

करांची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब भारतवासियों मौलिक अधिकारों का आश्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवं साम प्रस्तुत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शोषण के लिए यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में भूखों मरनेवाले करोड़ों लोगों आर्थिक स्वतन्त्रता का भी समावेश हो; और माधुण, सम्मिलन, जान-माल, धर्म के आदेश आदि सम्बन्धी स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के लिए काम परिस्थित, काम के मर्यादित घंटे, आरसी भगइं के फैसले के लिए उपयुक्त समा भीमारी व बेकारी के आर्थिक सक्तों से संरक्षण तथा मजदूर-सच बनाने के उनके अधि

दिखाव से उचित और न्याय्य छूट की सहायता देकर यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को हलका करेगी। खेती-बाड़ी से होनेवाली आमदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने क्रमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है। साथ ही एक निश्चित रकम से अधिक आमदनीवाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फौजी व मुल्की शासन के खर्च में भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ५.००) महीने से ज्यादा न रखने के लिए बड़ा है। इसके अलावा एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार, देशी उद्योग-धन्धों का संरक्षण, शराब तथा अन्य नशीली चीजों का निषेध, बड़े-बड़े उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, कारखानों का कर्मचारी से उदार, मुद्रा और विनिमय की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन और राष्ट्र-रक्षा के लिए नागरिकों को सैनिक शिक्षण देने का निर्देश है।

कांग्रेस के अन्तिम अधिवेशन में, जोकि अक्टूबर १९३४ में बम्बई में हुआ था, कौंसिल-प्रवेश की नीति को स्वोकार कर लिया गया है और देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हाथ की कटाई-बुनाई को प्रोत्साहन एवं पुनर्जीवन देने, उपयोगी प्रामाण्य तथा अन्य छोटी दस्तकारियों (यह उद्योगों) की उन्नति करने, आर्थिक, शिक्षणात्मक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से प्रामाण्य-जीवन का पुनर्निर्माण करने, अस्पृश्यता का नाश करने, अन्तर्जातीय एकता को वृद्धि करने, सम्पूर्ण मध्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्षा, वयस्क स्त्री-पुरुषों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेवाले किसानों का संगठन करने और कांग्रेस-संगठन को मजबूत बनाने की बातें भी हैं। कांग्रेस-विधान का संशोधन करके, नये विधान में, प्रतिनिधियों की संख्या घटाकर कांग्रेस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हों उनके अनुपातानुसार कर दी गई है, साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि कांग्रेस-कर्मियों के सब निर्वाचित-सदस्य शारीरिक श्रम करने और आदतन खादी पहननेवाले हों।

इस प्रकार कांग्रेस कदम-ब-कदम आगे बढ़ती गई है और राष्ट्रीय हलचल क हरेक क्षेत्र में उसने श्रमना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनात्मक कार्य में लगी हुई है जिससे न केवल जन-साधारण की माली हालत ही ठाक होगी, बल्कि उसको पूरा करने से उनमें वह आत्म-विश्वास भी जाग्रत होगा जिससे वे पूर्ण-स्वतंत्र्य प्राप्त कर सकेंगे। एक छोटी सी संस्था के रूप में आरम्भ हाकर अब यह इतना प्रगल्भ हो गई है कि सारे देश में इसकी शाखायें हैं और देश के सर्व-साधारण का विश्वास इसको प्राप्त है। इसके आदेश पर देश के सब भेद्यियों के लोगों ने स्वतंत्र्य-प्राप्ति के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बलिदान किया है; और इसके कार्यों व इसको सकलताओं का राष्ट्र के उत्साह में महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसा संगठन है जो हमारे राष्ट्र का एक महान् धारा है, जिसकी रक्षा और वृद्धि करना हरेक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए। स्वतंत्रता की उस लड़ाई में, जो अभी भी हमें लड़ना बाकी है, निश्चय ही यह अधिक-से-अधिक भाग लेनी रहेगी। यह समय सुझाने या विभ्रम करने का नहीं है। अभी तो बहुत-सा काम करने को बाकी पड़ा है, जिसके लिए बहुत धन के उपयुक्तता करने, लगातार बलिदान करने और अटूट हृद-निश्चय की-आप-संयत्ता है। पूर्ण-स्वतंत्र्य से कुछ कम पर हम हमिन्न सन्तोष न करेंगे। आरप, वेजने तथा-पुष्टि का सारे के आगे हम श्रमना विर मुझसे, जिस लिए है। जुरसान का दी है, लड़कर के सड़त धार अत्याचार सरे हैं। करने के कारण अब मो छड़ रहे हैं।

साथ ही, कृतज्ञता और सम्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवाओं का भी चाहिए, जिन्होंने कि हम शक्तिशाली संस्था का बीजारोपण किया और अपने निष्पक्ष एवं अपनी कुरबानियों से इसका पोषण किया। पचास साल पहले जो छोटा-सा बीजा था वह अब बड़कर एक मजबूत वटवृक्ष बन गया है, जिसकी शाखा-प्रशाखायें इस विश्व में फैल गई हैं और अब अगणित नर-नारियों की कुरबानियों के रूप में उसमें कलियां जो लोग बाकी बचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरबानियों से इसका ताकि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया है वह पूर्ण हो, इसमें फल लें और स्वतंत्र एवं समृद्ध देश बन जाय।

आगे के पृष्ठों में कांग्रेस की प्रगति का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी मामलों और बारे में लेखक का ज्ञान और अनुभव बहुत विस्तृत है। स्वयं उन्होंने भी, उसकी प्रगति हिस्से में, कुछ कम भाग नहीं लिया है। लेकिन वह एक दूर बैठे हुए इतिहासकार जैसी घटनाओं का व्यो-का-स्यो उल्लेख करके निजी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालते तो यह अपनी आंखों देखा है और इसके लिए खुद काम भी किया है। खाल ही उन्होंने काम नहीं किया बल्कि अपने भद्रा का भी उपयोग किया है। अतएव निष्कर्ष निकाले हैं और जो मत व्यक्त किये हैं, वे उनके अपने हैं, उन्हें हर बात में कसमिती के, जो कि इस पुस्तक को प्रकाशित करके दुनिया के सामने पेश कर रही है, मत न समझ लेना चाहिए। फिर भी, आशा है, इसमें घटनाओं और तथ्यों का विश्लेषण है और वर्तमानकालीन इतिहास के विचारियों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी।

१२ दिसम्बर, १९३५

राजेन्द्र प्रसाद

विषय-सूची

भाग पहला : १८८५ — १९१५

१—कांग्रेस का जन्म
२—कांग्रेस के प्रस्तावों पर एक सरसरी निगाह
३—कांग्रेस के विवास की प्रारम्भिक भूमिका
४—ब्रिटेन की दमन-नीति व देश में नई जागृति
५—हमारे आशय द्वैतीय
६—हमारे हिन्दुस्तानी युवुगं

भाग दूसरा : १९१५—१९१९

१—फिर मेल की छोर—१९१५
२—संयुक्त कांग्रेस—१९१६
३—उत्तरदायी शासन की छोर १९१७
४—मापटेगु चेम्सफोर्ड-योजना—१९१८
५—अहिंसा मूल-रूप में—१९१९

भाग तीसरा : १९२०—१९२८

१—असहयोग का जन्म—१९२०
२—असहयोग पूरे जोर में—१९२१
३—गांधीजी जेल में—१९२२
४—कौमिलों के भीतर असहयोग—१९२३
५—कांग्रेस की छोर पर—१९२४
६—दिसा या लामरा ?—१९२५
७—कौमिल का मोर्चा—१९२६
८—कांग्रेस का 'कौमिल-मोर्चा'—१९२७
९—भावी सपन के बीच—१९२८

भाग चौथा : १९२९—१९३०

१—दिल्ली—१९२९
२—मद्रास की दली—१९३०

भाग पांचवां : १९३१

१—गांधी-अविन समझौता—१९३१	१५
२—समझौते का भंग	१७


भाग छठा : १९३२—१९३५

१—बयाबान की ओर	४१
२—सत्याग्रह फिर स्थगित	४३
३—अवसर की खोज में	४५
४—उपसंहार	४८

परिशिष्ट

१—'१६' का आवेदन-पत्र	५००
२—कांग्रेस-लीग-योजना	.	.	.	५०१
३—फरीदपुर के प्रस्ताव	५०६
४—मुलशीपेठा-सत्याग्रह	५११
५—गुजरात की बाढ़	५१३
६—कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र				५१५
७—हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा पत्रक	.	.	.	५१८
८—जुलार्ड-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव	५२२
९—साम्प्रदायिक 'निर्णय'	५४६
१०—गांधीजीके आमरण अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट	.	.	.	५५६
११—बिहार का भूकम्प	५७२
१२—१९३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि	५७४
				५७७

कांग्रेस का इतिहास



कांग्रेस का जन्म

कांग्रेस का इतिहास सच पूछो तो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई का इतिहास है। अदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का गुलाम बना हुआ है। इस समय वह जिस गुलाम हुआ है उसका आरम्भ भारतवर्ष में एक व्यापारी-कम्पनी के पदार्पण करने के साथ हुआ है। गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० सालों से कांग्रेस प्रयत्न करती चली आ

१. पूर्व परिस्थिति

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौर भारत में कोई सौ रहा। इसी बीज उगने भारत में बड़े बड़े हिस्सों पर छत्रपा कब्जा कर लिया और अन्त में अन्त एक राजव्यक्ति बन गई। १७७२ के बाद ब्रिटिश-पार्लियामेंट समय-समय पर उसकी जांच-पड़ताल करने लगी और जब-जब उसको नया चार्टर (सनद) दिया जाता तब ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामों की जांच कर ली जाती थी। चूंकि उसका व्यापार पीछे पड़ता जा रहा था, यह जांच-पड़ताल और भी बारीकी के साथ होने लगी। परन्तु स्वपाल करना सो ठीक न होगा कि उसके काम पर कोई गहरी देख-रेख की जाती रही ऐसे ब्रिटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्रश्नों का गहराई के साथ अध्ययन करते थे। वे कार्य और कामकाज को और से और छानि-छानि कर देना करते थे और उन्हे पार्लियामेंट की गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे। १८ वीं सदी के चौथे चरण में एडमण्ड बर्क और पॉक्सटन नामक सभ्यताओं ने इस विषय में बड़ी दिलचस्पी ली। उससे कम्पनी के कारनामों की और लोगों का ध्यान खिंच गया। हालांकि वारन हेस्टिग्स पर चलाने गये उदरेश पूरा न हुआ, फिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-अत्याचार को लोगों की निगाह में नया चार्टर देने के पहले जब-जब जांच-पड़ताल की गई, तब-तब उसके बल-स्वरूप दुरगम होने वाले कुछ-न-कुछ मिथ्याओं का निष्पत्त हो जरूर किया गया, परन्तु ये तिर्र-कागज के रह गये थे। कई बार बार नीति निश्चित की गई कि कम्पनी के एजेंट अपने-अपने सीमा बढ़ाने की कोशिश न करें, परन्तु हर बार बौर-न-बौर ऐसा मौका था जहां या या हिंसा हुआ था कि जिसने इस आदेश का पालन न होता था और उनके हलके की ही चली गई। वहां उस इतिहास में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, जो ईस्ट इण्डिया सरकार से भारत को हण्डले सभ्य की गई दगा-दुखियों और काली बरतुओं से भरा हुआ एड और लोभी मन-मन-मन ने कब्जा रय गुरु दिग्दर्श है और जिसने सभ्यता की

में दगाबाजियां और नमकदारामियां की हैं उनका वर्णन किया जाय; न कम्पनी के एजेंटों के काम में लाये गये उन साधनों और तदवीरों पर विचार करने की जरूरत है, जिनके बल उन्होंने न सिर्फ कम्पनी और उसके डाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी भी भर ली। सिर्फ इतना ही कह देना काफी होगा कि उन्होंने ब्रिटिश धन-सम्पत्ति प्राप्त कर जिसने आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी पूंजी का काम दिया और जिसके बल पर इन्डोएड, स्टी एजिन चलाने में तथा १९ वीं सदी में दुनिया में अपने औद्योगिक प्रभुत्व को स्थापित करने में सफल हो सका।

१७७४ में रेग्युलेटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स (संचालक सभा) के ऊपर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिल-सहित एक गवर्नर-जनरल नियुक्ति हुई। तब गोया ब्रिटिश-पार्लियामेंट ने पहले-पहल हिन्दुस्तानी इलाकों के शासन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। धीरे-धीरे यह नियन्त्रण बढ़ता गया और १७८५ में एक दूसरा कानून पास हुआ। १७९३, १८१३, १८३३ और १८५३ में तद्वकीकृत करने के बाद नये चार्टर मिल गये। १८३३ में एक कानून बनाया गया कि "पूर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह कोई प्रजाजन, जो वहां रहते हों, महज अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश या वर्ण के कारण कम्पनी किसी स्थान, पद या नौकरी से वंचित न रखे जायेंगे" और कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने इसके माद को इस प्रकार समझाया :—

"इस धारा का आशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन करने जात जाति न रहेगी। उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसौटियां रखी जाय, जाति या धर्म का कोई भेद-भाव नहीं रखा जायगा। बादशाह के प्रजाजन में से किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटिश या मिश्र जाति के हों, बेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रखा जायगा और न वे सनदी नौकरियों से ही वंचित रखे जायेंगे, यदि दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों।"

उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार उड़ा दिया गया और इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने आ गई।

इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उत्पन्न हुई। हिन्दुस्तानियों में राजा राममोहन राय और अंग्रेजों में मेकाले अंग्रेजी शिक्षा देने के जबरदस्त समर्थक थे। अन्त में भारतीय भाषाओं और साहित्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नींव पड़ी जो कि भारत में आज तक प्रचलित है।

उन दिनों अंग्रेजों के द्वारा चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अखबार न थे। इनमें से राज-राज अखबारवालों को देश-निकाला तक भुगतना पड़ा था। गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन्क का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण ही प्रसिद्ध हुआ था। उनकी नीति अखबारों के लिए भी गरम थी। उनके उन्नायिकाओं सर चार्ल्स मैट्यूकोफ ने अखबारों पर से पाबन्धियां उठा लीं। फिर, लॉर्ड लिटन के वाइसराय होने तक अखबार इन्हीं आजादी में रहे—सिर्फ १८५७ के गदर के जमाने को छोड़ कर।

१८३३ और ५३ के दरम्यान पंजाब और सिंध जीत लिये गये और लॉर्ड डलहौजी की नीति ने कम्पनी का इलाका बहुत बढ़ा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आज तक चला आ रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने कई शासक राजाओं की रियासतें जन्म कर लीं तथा अल्पकी रियासत भी है। लॉर्ड डलहौजी ने कई शासक राजाओं की रियासतें जन्म कर लीं तथा अल्पकी रियासत भी है।

जारी था, जिससे लोग दिन-दिन कङ्काल होते गये। इधर रियासतें छिन गईं और उ
विदेशी हुकूमत कायम हो गई। यह बात लोगों को चुभ रही थी और वे मन-ही-मन कु
न्तीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को फेंक देने का आधि
प्रयत्न किया। हां, इस बर्गभाव में कुछ धार्मिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूंकि एक
के नामधारी सम्राट्, जो कि अकबर और औरङ्गजेब के वंशज थे, और दूसरी ओर पूना
के धराज, इन दोनों के भएड़े के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना
इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सौ वर्षों तक भा
कुछ घटनायें घटती रहीं उनके परिणाम का द्योतक था। यही नहीं, बल्कि यह प्रत्येक
जाति के मानव-हृदय की इस प्राकृतिक अभिलाषा को भी सूचित करता था कि हम अपने
के द्वारा शासित हों, दूसरों के द्वारा हर्गिज नहीं। हालांकि गदर बेकार गया, परन्तु
ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी तिरोंहित हो गई और भारत-सरकार का शासन-सूत्र सीधे
ताज अथवा ब्रिटिश-पार्लियमेंट के हाथों में आया। इस अवसर पर महापनी विक्टोरिया
घोषणा प्रकाशित की, जिससे शांति और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। जो-कु
बच गयी, अब उसका कोई सहाय बाकी नहीं रह गया था। राजा और खास व
विलकुल तहस-नहस हो चुके थे। कोई नामधारी व्यक्ति भी ऐसा नहीं रह गया था
घास-पास लोग जमा ही जाते और आगे १८५७ की तरह कोई उठाव लड़ा कर
लोग यह समझने लग गये कि भारत में अंग्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन है और
उदासीन और अलिप्त-भाव से अपने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय जी
स्थापित है।

ब्रिटिश-पार्लियमेंट के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने के बाद भी भारत-सरकार
विधि पहले की ही तरह जारी रही; हां, एक बात जरूर हुई कि उसका शासन र
बिला खरखरा जारी रहा। इस बीच कोई युद्ध बगैर नहीं हुआ।

परन्तु इसके यह मानी नहीं कि कोई रगड़ा-भगड़ा और कोई अस्थान्ति यों
ब्रिटिश-शासन में बड़ी-बड़ी खराबियां थीं, जिन्हें मि० ड्राम जैसे हमदर्द अंग्रेज अफस
भी करते थे और कोशिश भी किया करते थे कि वे दूर हों।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, १८३३ के कानून के अनुगार, भारतवासी उन ता
पर लेने के काबिल करार दिये गये जिनके लिए वे मुल्तहक समझे जाते थे। १८५३ में
पार्टर रिचार्जधिन था, पार्लियमेंट में यह बात खुले आम कही जाती थी कि १८३३ के
हालांकि भारतवासियों को नौकरियां देने का रस्ता खुला कर दिया है फिर भी उनको
वे कोई जगह नहीं दी गई है जो कि इन कानून के परने उन्हें नहीं दी जा सकती थी
१८५३ में सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ जारी की गईं तब इस बात की
दिलवाया गया था कि हमारे हिन्दुस्थानियों के एसी में बड़ी इकावट पैदा आयेगी, क्योंकि
एंग्लो में आकर अंग्रेज लड़कों के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की परीक्षाओं में
ले बन्द असम्भव होगा। और दर भी उन नौकरियों के लिए जो सामन्तों पर बहुत
परन्तु इन बातों के परे हुए भी अन्धिर बुद्धि हिन्दुस्थानी समुद्र पर गये ही और उन्हें
भी प्राप्त की। इतने में ही लहरों से लार्ड सेल्सबरी ने परीक्षा में बैठने की उम्र ब
नये विचारों को लेने के लिये अंग्रेजों को भारत भेजने का फैसला किया।

और इन्फेण्ट में साथ-साथ परीपार भी करने की पुनः कथा रहे में, इपर लॉर्ड लिटन में के अराबांस का मुद्द बन्द कर दिया, जो कि मेरिडीय के समय में मेरिडीय अराबांस के साथ साथ आजादी का मुद्द अनुभव कर रहे में । उन्होंने एक शस्त्र कानून भी पार कि अनुसार न बंगल भारतभूमियों के इन्फेण्ट रान्से के अधिधार को रद्दीन लिख बन्द कि और अमेजों के बीच एक और अर्दीला भेद-भाव पैदा कर दिया ।

दिए अकाशों का भी दौर-दौर होता रहा । अन्ततः की कमी उछली नदी की उसे खरीदने के साथन कम थे । इन अकालों से देश में हजारों हजारों छाटदी बाल के गये । इसके अलावा अजमान-मुद्द भूया, जिनमें बका सर्व उद्योग पया । इपरतों एक छो और मोत का दौर दौर होता था, उपर दिल्ली में एक दरबार करने की समीप सम्पत्ती गई, जिनमें महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासकों की उपार्थ धारण की । “यह अलावा आर्थिक कठिनाइयाँ जोर के साथ सारे देश में बढ़ रही थीं । भोड़े लोगों के अलावा स्वयं उद्योग के कारण बहूतों की आर्थिक पाठनामें बढ़ रही थी और इच्छे लोगों की अशांति शत्रु की सीमा तक बढ़ी तेजी से जा रही थी ।”

किमान भी परिचित थे । उनके कुछ कर्मों का वर्णन मि० ह्यू ने सर आर्चबिशप को लिखे अपने प्रतिपत्र में किया है । उनकी गहरी शिकायतों में थी—(अ) दीवानी अनुविधाननरु और खर्चीली हैं । (आ) पुलिस भूतगोर है और बड़ी ब्यादतियाँ प (इ) तरीका लगान सख्त है । (ई) शस्त्र और जंगल कानून का अमल चुभने वाला है । लोगों ने प्रार्थनायें कीं कि (क) न्याय सस्ता, निश्चित और जल्दी मिला करे, (ख) पुलिस हो कि जिसे वे अपना दोस्त और रक्षक समझ सकें, (ग) तरीका लगान ब्यादा लचीला किमानों के साथ सहानुभूति रखकर बनाया गया हो, (घ) शस्त्र और जंगल के कानूनों का कम सख्ती से किया जाय । परन्तु ये मन्तु नहीं हुए । सन् १८८० की शुरुआत के लगभग असल ऐसी हालत थी । यह कि सर विलियम वेडरबर्न कहते हैं कि नौकरशाही ने नई अनुविधानों के रोकने में ही अपनी तरफ से कोर-कसर नहीं रखी, बल्कि जब जब मौक मिले विरोधाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेस की स्वाधीनता, समायें करने का अनुविधिपल-स्वराज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वतंत्रता । सर विलियम लिखते हैं—“एक अशुभ और प्रतिगामी कानून, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे लॉर्ड लिटन के भारत में कोई कर्तव्यकारी विरोध होने ही वाला था कि मि० ह्यू को ठीक मौके पर सूझें उन्होंने इस काम में हाथ डाला ।” इतना ही नहीं, बल्कि राजनैतिक अशांति अन्दर-ही-अन्दर रही है, इसका अकाल्य प्रमाण मि० ह्यू के पास था । उनके हाथ ऐसी रिपोर्टों की प लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के अन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन था । भिन्न-भिन्न के कुछ शिष्टों का धर्माचारों और महन्तों से जो पत्र-व्यवहार हुआ उसके आधार पर वे ती गई थी । यह हाल है लॉर्ड लिटन के शासन के अन्त समय का, अर्थात् विद्युली सदी के लेकर ८० साल के बीच का । ये रिपोर्ट जिला, उद्दीन, सब-डिवीजन के अनुसार वैचार : र्था और शहर, कस्बे और गाव भी उनमें शामिल थे । इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सुर विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोगों में निराशा छाई हुई थी, वे कुछ-न-कुछ कर चाहते थे, जिसे सिर्फ इतना ही अभिप्राय है कि संभव है “लोग जगद-जगद इन्फेण्ट लेन पड़ें और जिनसे वे नफत करते थे, उनकी खून-खराबी करने लगें, सेठ-साहूकारों के यहाँ

और डाके शलने लगे और बाजारों में लूट-मार करने लगे ।” यों तो ये कार्य सिर्फ खिलाफतवादी करनेवाले हैं, परन्तु यदि आवश्यक बल और संगठन का सहाय मि ऐसे होते हैं जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगावत के रूप में परिणत हो जायें । बम्बे दक्षिण प्रान्त में ऐसे किसानों के दंगे हो भी चुके थे । यह देखकर ह्यूम साहब ने इस को प्रकट करने का एक सरल उपाय दूढ़। निकाला, जो कि हमारी यह वर्तमान कामे समय उनके दिमाग में यह खयाल आया कि हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सभा का और उन्होंने १ मार्च १८८३ ईस्वी को कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के प्रेजुएण्टों के ना खिला, जो कि दिल का हिला देनेवाला था । उसमें उन्होंने ५० ऐसे आदमियों की जो मने, सच्चे, निःस्वार्थ, आत्म-सयमी, व नैतिक साहस रखनेवाले और दूसरों का हि तीव्र भावना रखनेवाले हों । “यदि सिर्फ ५० मले. और सच्चे आदमी संस्थापक के जाय तो सभा स्थापित हो सकती है और आगे का काम आसान हो सकता है ।” श्री के सामने आदर्श क्या पेश किया गया ? यह कि—“सभा का विधान प्रजासत्तात्मक लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से परे हो, और उनका यह विद्वान्त-चचन हो, कि जो बड़ा है उसीको तुम्हारा सेवक होने दो ।’ पत्र में उन्होंने मोल-मोल बातें नहीं कीं; शब्दों में कह दिया, कि “यदि आप अपना मुख-चैन नहीं छोड़ सकते तो कम-से-क हमारी प्रगति की सारी आशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान सच सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है ।”

इस स्मरणीय पत्र का अन्तिम भाग इस प्रकार है:—

“और यदि देश के विचारशील नेता भी या तो सब-के-सब ऐसे निर्वल जीव हैं, स्वार्थ-साधना में ही इतने निमग्न हैं कि अपने देश के लिए कोई साहसपूर्ण कार्य नहीं तब कहना होगा कि वे सही और वाजिब तौर पर ही दशाकर रखे और पद-दलित कि क्योंकि वे इससे ज्यादा अच्छे व्यवहार के योग्य ही नहीं थे । प्रत्येक राष्ट्र ठीक-ठ सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य वह होता है । यदि आप, जो देश के चुनीद जो बहुत ही उच्च-शिक्षा प्राप्त हैं, अपने मुख-चैन और स्वार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड़ अधिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे देशवासियों को अधिक निष्पक्ष शासन का लाभ हो, वे अपने धर का प्रबन्ध करने में हिम्मा तब लें, मानना होगा कि हम, जो कि आपके मित्र हैं, गलती पर हैं, और विरोधी हैं उनका कहना ही सही है; तब मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके दिल में जो उच्च आकांक्षाएँ हैं, वे निष्फल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी; तब कहना होगा की तमाम आशाएँ अब नष्ट समझना चाहिए और हिन्दुस्तान सचमुच उसकी मौजूद बेहतर शासन प्राप्त करना न तो चाहता है और न उसके योग्य ही है । और यदि यह है तो फिर न तो आपको इस बात पर मुंह ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी हम जंजीरों में जकड़ दिए गये हैं और हमारे साथ बच्चे-कासा व्यवहार किया जाता आपको इसके विरोध में कोई दल ही खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप अपने को साबित करेंगे । जो मनुष्य होने हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए उन बात की शिकायत न कीजिएगा कि बड़े-बड़े ओहदों पर आपकी बनिस्वत अग्रेजों को क्या

इसी समय लार्ड लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुआत होती है। उनका (१८७८) बर्नार्डुलर प्रेस एक्ट बना, अफगान युद्ध हुआ, बड़ा खर्चोला दरवार किया १८७७ में ही कागस-आयात-कर उठा दिया गया। लार्ड लिटन के बाद लार्ड रिपन हुआ, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर के साथ मुल्द करके, बर्नार्डुलर प्रेस करके, स्थानिक स्वराज्य का आरम्भ करके और इलवर्ट विल को उपस्थित करके एक भीगवेष किया। यह आखरी विल भारत-सरकार के तत्कालीन लॉ मेम्बर मि १८८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश यह था कि हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेटों का कट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के मुक नहीं कर सकते थे। इस पर गौरे लोग इतने विगड़े कि कुछ लोगोंने तो गवर्नमें सन्त्रियों को मिलाकर बाइसराय को जहाज पर बिठाकर इंग्लैण्ड भेजने की एक कर डाली। इस साजिश में कलकत्ते के कई लोगों का हाथ था; जिन्होंने यह सकल था कि यदि सरकार ने इस विल को आगे बढ़ाया तो वे इस साजिश को कामया लेंगे। नतीजा यह हुआ कि असली विल उसी साल करीब-करीब हटा लिया उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट और दौरा ऐसा अधिकार रहेगा। जब लार्ड रिपन भारत से विदा हुए तो देश के एक छोर से छोर तक के लोगों ने उन्हें हार्दिक विदाई दी। अमेरिका के लिए वह एक ईर्ष्या का विष थी। किन्तु उससे बहुतेरे लोगों की आँखें भी खुल गई थी।

इस विल के सम्बन्ध में गौरे लोगों को जो सफलता मिल गई उससे हिन्दुस्तान और उन्होंने बहुत जल्दी इस विल के विरोध का आन्तरिक हेतु पहचान लिया। गौरे चाहते थे कि हिन्दुस्तान पर गौरी जातियों का प्रभुत्व है और वह सदा रहेगा। इस तत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्व का पाठ पढाया और उन्होंने तुरन्त ही कलकत्ता के अलवर्ट-हाल में एक राजनैतिक परिषद् की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्र और आनन्दमोहन बसु दोनों उपास्य थे। इस सभा में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने भाषण में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह दिल्ली-दरवार ने एक राजनैतिक सस्था, जो कि भारत के हित-साधन में तत्पर रहे, बनाने का नमूना था। इस विषय में बाबू अम्बिकाचरण मुजुमदार ने अपनी 'दी इण्डियन नेशनल नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है—“परिषद् का दृश्य अद्वितीय था। मेरी आँखें उस समय के तीनों दिन के उत्साह और लगन का हूबहू चित्र आज भी खड़ा है। खतम होने लगी तो मानों हरेक आदमी को, जो उसमें मौजूद था, एक नई रोशनी अद्भुत सृष्टि प्राप्त हो रही थी।” इसके दूसरे ही वर्ष कलकत्ते में अन्तर्राष्ट्रीय जिससे कि, पादरी जान मुडॉक साहब का मत है, अखिल-भारतीय कांग्रेस स्थापित करने मिली। १८८२ में मदरास-महाजन-सभा की स्थापना हुई और मदरास में प्रान्तीय अधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी १८८५ को महता, वेलग और मशहूर मरडली ने मिलकर बाभे प्रेसीडेन्सी एगोसिपेरान कायम किया।

पूर्वोक्त वर्णन से यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारतवर्ष मन-ही-मन कि भारतीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव करता था। यह तो अतीत एक रहस्य अखिल-भारतीय कांग्रेस की कल्पना वास्तव में किसके मस्तिष्क में निकली। १८७७ के

कलकत्ते की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अलावा पियोसोफिकल कन्वेंशन का भी नाम इस विषय लिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८८४ में मदरास में हुआ था। वहाँ १७ आदमियों की एक खानगी सभा हुई, जिसमें यह कल्पना सोची गई। मि० एलेन आर्कटेवियन ह्यूम ने सिविल सर्विस से अवसर प्राप्त करने के बाद जो इण्डियन यूनिनयन कामस की थी, वह भी काम्रेस के जन्म का एक निर्मित बतलाई जाती है। सैर, कोई भी इस कल्पना का मूल-उत्पादक हो और कहीं से यह पैदा हुई हो हम इन नवीजों पर जरूर पहुंचते हैं कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य रही थी और ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० ए० थ्रो० ह्यूम ने इसमें सबसे पहले कदम बढ़ाया और २३ मार्च १८८५ में इसके सन्बन्ध में पहला नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना में इण्डियन नेशनल यूनिनयन का पहला अधिवेशन किया जायगा। इस तरह अबतक जो एक अस्थाय कल्पना वातावरण में पंख फटफटा रही थी और जो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, सभी जगह के विचारशील भारतवासियों के विचारों को गति दे रही थी उसने अब एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया और एक व्यावहारिक कार्यक्रम के रूप में देश के सामने आ गई।

२. राष्ट्रीय स्वरूप

काम्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनैतिक शक्तियाँ और राजनैतिक गुलामी का भाव ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि काम्रेस का एक राजनैतिक उद्देश था, परन्तु साथ ही वह राष्ट्रीय पुनरुत्थान के आन्दोलन का प्रतिपादन करने वाली संस्था भी थी।

काम्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज्यादा वर्ष से, भारत में राष्ट्रीय नवयौवन का खमीर उठ रहा था। सच पूछिए तो राष्ट्रीय जीवन में ठंड राजा राममोहन राय के काल से लेकर विविध रूपों में परिलक्ष्य हो रहा था। राजा राममोहन राय को हम एक तरह से भारत की राष्ट्रियता के पैगम्बर और आधुनिक भारत के पिता कह सकते हैं। उनका दर्शन बड़ा विस्तृत और दृष्टि-बिन्दु व्यापक था। यह सच है कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक और धार्मिक अवस्था थी, वही उनके सुधार-कार्यों का मुख्य विषय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर जो भारी राजनैतिक अत्याय हो रहे थे और जिसे देश दुःखी हो रहा था उनका भी उन्हें पूरा भान था और उन्होंने उनको शीघ्र मिटाने के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया था। राममोहन राय का जन्म १७७६ में हुआ और मृत्यु ब्रिस्टल में १८३३ में। भारत के दो बड़े सुधारों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है—एक तो सती या सहागमन-प्रथा का मिटाना जाना और दूसरा भारत में पश्चिमी-शिक्षा का प्रचार। लार्ड विलियम बेंटिक ने, १८३५ में, पश्चिमी शिक्षा-प्रचार के पक्ष में जो निर्णय कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की सिफारिश के खिलाफ दिया उसका बहुत बड़ा कारण यह था कि राजा राममोहनराय खुद पश्चिमी शिक्षा दीक्षा के अनुगामी और पढ़ावाती थे एवं तत्कालीन लोकमत पर उनका बड़ा प्रभाव था। अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इन्ही पर गये थे। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना प्रबल था कि जब वह 'केप ऑफ गुडहोप' पहुंचे तो उन्होंने फ्रांसीसी जहाज पर जाने का आग्रह किया जिस पर कि स्वाधीनता का भ्रष्टाचार रहा था। वह चाहते थे कि उस भ्रष्टे का आभिषेदन करें और क्यों ही उन्हें उस भ्रष्टे के दर्शन हुए उनके मुँह से भरते ही जप-मन्त्र निकल पड़ी। हालांकि यह इन्ही पर ही मुख्यतः मुगल-सम्राट के राज दूर बनकर लन्दन में उनका काम करने गये थे, तो भी उन्होंने कामन-समा की समिती के सामने भारतीयों के हक ऊपर ऊपर भी पैरु किये। उन्होंने बर्तमान विषय उपरिपत

किये थे—पहला भारत की राजस्व-वृद्धि पर, दूसरा न्याय-शासन पर, और तीसरा भौतिक अवस्था के सम्बन्ध में। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पार्लमेंट में पेश था, उन्होंने यह था कि यदि यह बिल पास न हुआ तो मैं ब्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूंगा और अम बस जाऊंगा। अपने समय में ही उन्होंने अखबारों पर और छापखानों पर हुआ दमन देख लिया था। “लॉर्ड हेस्टिग्स ने भारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले सम सत्तावटों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल स सदस्य के थोड़े समय के लिए गवर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिर और बादलों से ढकने फल यह हुआ कि मि० बकिंघम नामक कलकत्ते के एक अखबार के सप्ताहक दो महीने देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये और उनका सहायक भी गिरफ्तार करके इंग्लैण्ड जहाज पर बिठा दिया गया। यह सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रचलित शासन की कृचना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक प्रेस आर्डिनेन्स पास किया गया, जिस हिन्दुस्तानी और गोरे-दोनों अखबारों पर जबरदस्त सेंसर बिठा दिया गया और पत्र के प्र मालिकों के लिए गवर्नर-जनरल से लाइसेन्स लेना सान्निमी कर दिया गया। आर्डिनेन्स, कानून के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास कर लिया

राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होंने अपनी तरफ से उसमें खड़े किये थे और जब वहा कामयाबी न हुई तो इंग्लैण्ड के बाद एक सार्वजनिक दरखास्त भेजी। परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निकला। लेकिन इ भीज बंध को चुके थे उसका फल १८३५ में निकला, जबकि सर चार्ल्स मैट्कोफ ने हि स्तानी पत्रों को आजाद करा दिया। जिन दिनों वह इंग्लैण्ड में थे उन्हीं दिनों सती-प्र जाने के खिलाफ की गई अपील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए देखने का मिल गया था।

अब गदर को लीजिए। यह लार्ड डलहौजी की नीति का परिणाम था। उ राजा की विधवाओं को गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत जन्त कर यह तो सबको पता ही है कि गदर दबा दिया गया। उसके बाद १८५८ में, वि कायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कौंसिलें भारत में बनाई गईं। पहले ही विधवा-विवाह-कानून बना था, जोकि समाज-सुधार की दिशा में एक कदम बाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का सम्पर्क बढ़ता गया। परि सथायें और पार्लमेंटरी तरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और कौंसिलों के क्षेत्र में का जन्म हुआ। इधर पश्चिमी सभ्यता का संसर्ग भारत के लोगों के विश्वासों और गह्य अक्षर डाले बिना, नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जमाने में धार्मिक भीज बोये गये थे वे थोड़े ही समय में अपनी शास्ता प्रशासनायें फैलाने लगे। राममो बाद केशवचन्द्र सेन पर उनके धाम की जिम्मेदारी आ पड़ी। उन्होंने दूर-दूर तक मिद्वान्तों का प्रचार किया और उनके मतों पर नवीन प्रकाश डाला। उन्होंने मध्य आन्दोलन को हाथ में लिया और इंग्लैण्ड के मध्यम-निरोधकों के साथ मिलकर काम १८७२ के ‘ब्रह्म मेरेज एक्ट—१’ को पास कराने में उनका बहुत हाथ था, जिसके लोगों को, जो ईसाई नहीं थे, अन्तर्जातीय विचार करने की सुविधा हो जाती थी। पर

वर्ष अपना सम्मेलन किया करें और सरकार को बताया करें कि शासन में क्या-क्या नुस्खियाँ हैं और उन्हींमें क्या-क्या सुधार किये जाय। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे सम्मेलन का सम्भावित स्थानीय गवर्नर न होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने, सम्भव है, लोग अपने सही मसालात खरिद न करें। मि० ड्यूम को लाहौर स्परिन की यह दलील जंची और जब उन्होंने बलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दूसरी जगहों के राजनीतिज्ञों के सामने उठी रक्खा तो उन्होंने भी लाहौर स्परिन की सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। लाहौर स्परिन ने मि० ड्यूम से यह शर्त कर ली थी कि जबतक मैं इस देश में हूँ तबतक इस सलाह के बारे में मेरा नाम कहीं न लिया जाय। मि० ड्यूम ने इसका पूरी तरह पालन भी किया।”

मार्च १८८५ में यह तय हुआ कि बड़े दिनों की लुप्तियों में देश के सब भागों के प्रतिनिधियों की एक सभा की जाय। पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह समझी गई। इस बैठक के लिए एक गश्ती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अंश नीचे दिया जाता है:—

“२५ से ३१ दिसम्बर १८८५ तक पूना में इण्डियन नेशनल यूनियन की एक परिषद् की जायगी। इसमें बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रदेशों के अंगरेजीदा प्रतिनिधि, अर्थात् राजनीतिज्ञ, सम्मिलित होंगे।

“इस परिषद् के प्रत्यक्ष उद्देश्य ये होंगे—(१) राष्ट्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष में कौन-कौन से राजनीतिक कार्य अर्थात्कार किये जाय इसकी चर्चा करके निर्णय करना।

“अप्रत्यक्ष-रूप से यह परिषद् एक देशी पार्लियमेंट का एक बीज-रूप बनेगी और यदि इसका कार्य सुचारु-रूप से चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में इस आन्दोलन का मुंहतोड़ जवाब होगी कि हिन्दुस्तान प्रातिनिधिक शासन संस्थाओं के बिल्कुल अयोग्य है। पहली परिषद् में यह तय होगा कि दूसरी परिषद् पूना में ही की जाय या ब्रिटिश-एसोसिएशन की तरह हर साल देश के प्रधान-प्रधान भागों में की जाय। यह अन्दाज है कि पूना के मित्रों के अलावा बम्बई, मद्रास और बङ्गाल से कोई बीस-बीस प्रतिनिधि आयेगे और इनसे आगे सुकप्रान्त और पंजाब से।”

इस तरह अपने को वादसपत्त के आशीर्वाद से सुरक्षित करके ड्यूम साहब इंग्लैण्ड पहुँचे और वहाँ लार्ड रिपन, लार्ड डलहौजी, सर जेम्स कैम्बर्ट, जॉन ब्राइट, मि० रीड, मि० स्लेग और दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से मशविरा किया। उनकी सलाह से उन्होंने वहाँ एक सङ्गठन किया जो आगे चलकर इंग्लैण्ड में इण्डियन पार्लियमेंटरी कमेटी के रूप में परिणत होगया और जिसका उद्देश्य था पार्लियमेंट के उम्मीदवारों से यह प्रतीक्षा करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिलचस्पी लेंगे। उन्होंने वहाँ एक इण्डियन टेलीग्राफ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश्य था इंग्लैण्ड के प्रधान-प्रधान प्रांतीय पत्रों को महत्वपूर्ण विषयों पर तार भेजने के लिए भन संग्रह करना।

इस पहले अधिवेशन का बड़ा रोचक वर्णन अपनी ‘हाऊ इण्डिया रॉट फॉर फ्रीडम’ नामक पुस्तक में श्रीमती बेसेण्ट ने किया है, जिससे नीचे लिखा अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है:—

“लेकिन पहला अधिवेशन पूना में नहीं हुआ, क्योंकि बड़े दिन के पहले ही वहाँ हेजा शुरू हो गया और यह ठीक समझ गया कि परिषद्, जिसे अब कॉंग्रेस कहते हैं, बम्बई में की जाय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज और छात्रालय के व्यवस्थापकों ने अपने विद्यालय भवन कॉंग्रेस के हवाले कर दिये और २७ दिसम्बर की सुबह तक भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों का स्वागत

निगाह डालते हैं तो उनमें से कितने ही आगे चल कर भारत की स्वाधीनता का मुहूर्त बहुरूप प्रसिद्ध हो गये थे। जो सञ्जन प्रतिनिधि नहीं बन सकते थे उनमें से सुधा-बहादुर आर० खुनापरव, डिप्टी क्लेक्टर, मदरास; माननीय महादेव गोविन्द रानडे, सदस्य और जज रमाल कोंज कोर्ट पूना, जो आगे चल कर बम्बई हाईकोर्ट के जज हो गये; जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता थे; लाला बैजनाथ, आगरा, जो बाद को विद्वान् और लेखक प्रसिद्ध हुए; और अध्यापक के० मुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल प्रतिनिधियों में नामी-नामी पक्षों के सम्पादक थे जैसे—'ज्ञान-प्रकाश' जो कि पूना-सभा का त्रैमासिक पत्र था, 'मराठा केशरी', 'नव विभाकर', 'इण्डियन-मिरर', 'नव-स्तानी', 'ट्रिब्यून', 'इण्डियन-यूनियन', 'स्पोर्ट्स', 'इन्दु-प्रकाश', 'हिन्दू', 'क्रेसेंट'। इन्हीं नीचे लिखे माननीय और परिचित सञ्जनों के नाम भी चमक रहे थे—डॉ० साहू उमेशचन्द्र बनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन, कलकत्ता; वामन सदाशिव आपटे और गोपाल गणेश पूना; गंगाप्रसाद वर्मा, लखनऊ; दादाभाई नौरोजी, कारीनाथ ब्यम्बक तैलंग, किरोजी बम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलजी वाचा, बहराम जी मलाबारी, नारायण गणेशकर, बम्बई; पी० शैया नायडू, प्रेसिडेन्ट महाजन-सभा, एस० मुबद्दण्य ऐयर, पी० चार्ल्स, जी० मुबद्दण्य ऐयर, एम० वीर राघवाचार्य, मदरास; पी० केशव बिल्ले, अनन्तपुर लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए खूब जुके, और वे भी थे जो अब भी का उसके लिए यत्नशील हैं।

“२८ दिसम्बर १८८५ को दिन के १२ बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कार्य में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। पहली आवाज मुनार्ई पड़ी डॉ० साहव की, मा मुबद्दण्य ऐयर की और माननीय कारीनाथ ब्यम्बक तैलंग की। डॉ० साहव ने भी कांग्रेस के समापित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था और शेष दोनों सञ्जनों ने उनका स अनुमोदन। वह एक बड़ा गम्भीर और ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें मातृभूमि के द्वारा अपने-दोनों व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासभा के अल्पव्यवस्थापन प्रणालि का उद्देश इस तरह बतलाया—

“कांग्रेस की गुरुता की ओर प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाते हुए अल्पव्यवस्थापन प्रणालि का उद्देश इस तरह बतलाया—

(क) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश-हितके लिए लगन से काम करने वालों में घनिष्ठता और मित्रता बढ़ाना।

(ख) समस्त देश-प्रेमियों के अन्दर प्रत्यक्ष मैत्री-व्यवहार के द्वारा वरा, धर्म-सम्बन्धी तमाम पूर्व-दूषित संस्कारों को मिटाना और राष्ट्रीय ऐक्य की उन तमाम म-ओ लार्ड रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-काल में उद्भूत हुई, पोषण और परिवर्धन करने

(ग) महत्वपूर्ण और धातुर्यक सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित लोगों में चर्चा होने के बाद जो परिष्क सम्मति प्राप्त हों उनका प्रामाणिक संग्रह करना।

(घ) उन तरीकों और दिशाओं का नियंत्रण करना जिनके द्वारा भारत के राजनीतिक कार्य करें।”

इस प्रथम अधिवेशन में जो प्रस्ताव पार हुए, जिनके द्वारा भारत की मांगी-शुरूआत होती है। पहले प्रस्ताव के द्वारा भारत के शासन-कार्य की बाँच के लिए

तीसरे प्रस्ताव के द्वारा धारा-सभा की वृद्धियां दिखाई गईं, जिनमें अन्वयक नामजद सदस्य थे और उनके अन्वय्य खुले हुए रखने की, प्रश्न पूछने का अधिकार देने की, युक्तप्राप्त और पंजाब में कौंसिल कायम की जाने की और कामन सभा में स्थायी समिति कायम करने की मांग की गई—इस आशय से कि कौंसिलों में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमें विचार किया जाय। चौथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई० सी० एस० की परीक्षा इंग्लैण्ड और भारत में एक-साय हो और परीक्षार्थियों की उम्र बढ़ा दी जाय। पांचवां और छठा फौजी खर्च से सम्बन्ध रखता था और सातवें में अन्वयक वर्गों को मिला लेने तथा भारत में उसे सम्मिलित कर लेने की वज्जीव का विरोध किया गया था। आठवें के द्वारा यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव राजनैतिक सभाओं को भेज दिये जाय। तदनुसार सारे देश में तमाम राजनैतिक मण्डलों और सार्वजनिक सभाओं द्वारा उनपर चर्चा की गई और कुछ मामूली संशोधन के बाद वे बड़े उत्साह से पास किये गये। अंतिम प्रस्ताव में अगले अधिवेशन का स्थान कलकत्ता और ता० २८ दिसम्बर नियत हुई।

४. कांग्रेस का दावा .

जिस प्रकार एक बड़ी नदी का मूल एक छोटे-से स्रोत में होता है उसी प्रकार महान् सभ्यताओं का आरम्भ भी बहुत मूलमूली होता है। जीवन की शुरुआत में वे बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं, त्यों त्यों उनकी गति मन्द किन्तु स्थिर होती जाती है। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ती हैं, त्यों-त्यों उनमें सहायक नदियां मिलती जाती हैं और वे उससे अधिकाधिक सम्पन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी लागू होता है। उसे अपना रास्ता बड़ी-बड़ी बाधाओं में से तय करना था, इसलिए आरम्भ में उसने अपने सामने छोटे-छोटे आदर्श रखे, परन्तु ज्यों ही उसे समस्त भारतवासियों के हार्दिक प्रेम का सहाय मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृत कर दिया और अपने उदर में देश की अनेक सामाजिक-नैतिक हलचलों का भी समावेश कर लिया। आरम्भिक अवस्थाओं में उसके पायों में एक विरम की द्विचक्रिचाट और शंका-कुशंकायें दिखायी देती थीं, परन्तु जैसे-जैसे वह बालिग होती गई, तैसे-तैसे उसे अपने बल और क्षमता का ज्ञान होता गया और उससे दृष्टि व्यापक बनती गई। अनुभव विनय की नीति को छोड़कर उसने आत्मनेज और आत्मावलम्बन की नीति प्रदण्य की। इधर लोक-मव को सिद्धित करने के लिए जोर-शोर से प्रचार-कार्य होने लगे, जिनसे देशव्यापी संगठन बन गया—यहां तक कि सीधे हमने तक का कार्य-क्रम बनाना पड़ा। शिकायतों और अपने दुःख-दरों को दूर करने के उद्देश से शुरुआत करके कांग्रेस देश की एक तेजी मान्य सभ्यता के रूप में परिणत हो गई जो बड़े स्वाभिमान के साथ अपनी मांग भी पेश करने लगी। हालांकि शुरुआत के दम-भाव कर्णों में शासन सम्बन्धी मामलों में उसकी दृष्टि की एक सीमा बनी हुई थी, फिर भी शीघ्र ही वह भाग्यवासियों की समस्त राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की एक ज्वरदग्ध और सत्तापूर्ण प्रतिवादक बन गई। उसका दरवाजा मव दर्जे और सब जातियों के लोगों के लिए खोल दिया गया। यद्यपि शुरुआत में यह उन प्रश्नों को हाथ में लेती हुई संकोच करती थी जो सामाजिक बंधे जाने थे, परन्तु उचित समय आने ही उसने इस बात को मानने में इत्कार कर दिया कि जीवन अस्व-अस्वय टुकड़ों में बंट चुका है। और इस प्राचीन परम्परागत विचार के खाने खरक, जो जीवन के प्रश्नों को सामाजिक और राजनैतिक सीमाओं में बंध देता है, उसने एक ऐसा सर्वव्यापी आदर्श अपने सामने प्रस्तुत किया, जिनमें कि मातृ जीवन, यहाँ से

हां तक, एक और अविभाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक सङ्गठन है जो ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों का भेद है, न एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त का। उसका उद्देश्य न शहर और गांव का; और न गरीब-अमीर का भेद है, न मजदूर का, जात-पात और मजहबों का भेद-भाव भी उसमें नहीं है। गांधीजी ने दूर भेज परिषद् के समय फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी के सामने जो जवर्दस्त बक्तव्य दी जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक अंश उचित होगा:—

“मैं तो कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) का एक गरीब और नम्र प्रतिनिधि-मात्र हूँ। मैंने इसलिए यह बताना उचित है कि कांग्रेस वास्तव में क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। मेरे साथ सहानुभूति करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी का जो बोझ बहुत भारी है।

“यदि मैं गलती नहीं करता हूँ, तो कांग्रेस भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है। इसकी अवस्था लगभग ५० वर्ष की है, और इस अर्थ में वह बिना किसी ब्रेकअप के बनी-बनी वार्षिक अधिवेशन करती रही है। सच्चे अर्थों में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जाति, किसी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय हितों और सब वर्गों के हितों को ध्यान में रखने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस आरम्भ में एक अंग्रेज मस्तिष्क में हुई। एलेन ओक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस के पिता मान सकते हैं। दो महान पारसियों ने—फिरोजशाह मेहता और दादा भाई नौरोजी—सारा भारत ‘वृद्ध पितामह’ कहने में प्रमत्तता अनुभव करता है, इसका पोषण किया। इसी कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे आदि शामिल थे; बल्कि मुझे यों कहना चाहिए कि सब धर्म, सम्प्रदाय और हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता था। अबदुल्हीन वीयबजी ने अपने-आपको कांग्रेस के साथ मिला दिया था। मुसलमान और कांग्रेस के सभापति रहे हैं। मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री उमेश का नाम भी ले सकता हूँ। विशुद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनर्जी ने, जिनके परिचय सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने को कांग्रेस के साथ एक कर दिया था। मैं, और निस्संदेह भी, अपने बीच श्री के० टी० पाल का अभाव अनुभव कर रहे होंगे। यद्यपि मैं टीक न लेता हूँ, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, वह अधिकारी-रूप से कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। वह पूरे राष्ट्र-वादी थे।

“जैसा कि आप जानते हैं, स्व० मौलाना मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का भी अभाव है, कांग्रेस के सभापति थे, और इस समय कांग्रेस की कार्य-समिति के १५ सदस्य मुसलमान हैं। स्त्रियां भी हमारी कांग्रेस की अर्धसदस्य हैं—पहली श्रीमती रीटा और दूसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कार्य-समिति की सदस्या भी हैं, और इस प्रकार यहां जाति और मजहब का भेद-भाव नहीं है, वहां किसी प्रकार का लिंग-भेद भी नहीं है।

“कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अल्लूत कहलानेवालों के काम को अपने हाथ में ले लिया। एक समय था जब कि कांग्रेस अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के समय अपनी सदस्योगी सामाजिक परिषद् का भी अधिवेशन किया करती थी जिसे स्थायी समिति ने अपने अनेक

में सामाजिक परिष्कार के कार्य-क्रम में अशुद्धों के सुधार के कार्य को एक स्वयं स्थापन दिया गया था। किन्तु सन् १९२० में कॉम्रेस ने एक बड़ा कदम आगे उठाया और अग्रदूरगमन निष्ठान्त के प्रश्न को राजनीतिक मंच वा एक आधार-स्वयं बनाकर राजनीतिक कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण अंग बना दिया। जिस प्रकार कॉम्रेस हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और इस प्रकार सब जातियों में परस्पर ऐक्य, को अग्रगण्य प्रश्नों के लिए अनिवार्य समझनी भी उगी वरिद स्वराज-प्राप्ति के लिए अग्रदूरगमन के पाप को दूर करना भी अनिवार्य समझने लगी। सन् १९२० में कॉम्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की थी, वह आज भी बनी हुई है और इस प्रकार कॉम्रेस ने अपने आरम्भ से ही अपने ही अपने धर्मों में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यदि महावाक्य मुझे आशा देंगे तो मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि आरम्भ में ही कॉम्रेस ने उनकी भी सेवा की है। मैं इस समिति को याद दिलाना चाहता हूँ कि वह ध्येय 'भारत का एक पितामह' ही था, जिसने राश्मीर और मैसूर के प्रश्न को हाथ में लेकर सफलता को पहुंचाया था और मैं अत्यन्त नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे दोनों बड़े धराने भी दादभाई नीरोजी के प्रयत्नों के लिए कम श्रेणी नहीं हैं। अबतक भी उनके धरालू और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करके कॉम्रेस उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है। मैं आशा करता हूँ कि इस सद्यः परिचय से, जिनका दिया जाना मैंने आवश्यक समझा, समिति और जो कॉम्रेस के दावे में दिलचस्पी रखने हैं, वे यह जान सकेंगे कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उचित है। मैं जानता हूँ कि कभी-कभी यह अपने इस दावे को वायम रखने में असफल भी हुई है; किन्तु मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि आप कॉम्रेस का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि असफल होने की अपेक्षा वह सफल ही अधिक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक कॉम्रेस मूलरूप में, अपने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ७,००,००० गांवों में बिखरे हुए करोड़ों मूक, अर्ध-जन्म और भूखे प्राणियों की प्रतिनिधि है; यह बात गौण है कि वे लोग त्रिदिशि भारत के नाम से पुकारे जानेवाले प्रदेश के हैं अथवा भारतीय भारत अर्थात् देशी राज्यों के। इसलिए कॉम्रेस के मत से प्रत्येक हित, जो रक्षा के योग्य है, इन लाखों मूक-प्राणियों के हित का साधन होना चाहिए। हां, आप समय-समय पर इन विभिन्न हितों में पल्लव विरोध देखते हैं। परन्तु यदि वस्तुतः कोई वास्तविक विरोध हो तो मैं कॉम्रेस की ओर से बिना किसी सकोच के यह बताना चाहता हूँ कि इन लाखों मूक-प्राणियों के हित के लिए कॉम्रेस प्रत्येक हित का बलिदान कर देगी। इसलिए यह आवश्यक-रूप से किसानों की सहायता है और वह अधिकधिक उनकी बननी जा रही है। आपको, और कदाचित् इस समिति के भारतीय सदस्यों को भी, यह जानकर आश्चर्य होगा कि कॉम्रेस ने आज 'अखिल भारतीय चरखा सभ' नामक अपनी सन्धा द्वारा करीब दो हजार गांवों की लगभग ५० हजार कियों को (अब यह संख्या

रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का है, फिर भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो आप कॉम्रेस को इन सब गांवों में फैली हुई और उन्हें चरखे का संदेश सुनाती हुई देखेंगे।"

कॉम्रेस कैसी महान् राष्ट्रीय संस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन संक्षेप में गांधीजी ने किया है। यदि कॉम्रेस ने और कुछ नहीं किया तो कम से-कम इतना जरूर किया है कि उसने अपना मन्तव्य स्थान स्पष्ट किया है और राष्ट्र के विचारों और प्रवृत्तियों को एक ही बिन्दु पर लाकर ठहरा दिया है। उसने भारत के करोड़ों निरीद और बेचस लोगों के दिलों में एक जागृति पैदा कर दी है;

उनके अन्दर एकता, आशा और आत्म-विश्वास की संजीवनी झाल दी है। कांग्रेस ने म
 विचारों और आकांक्षाओं को एक राष्ट्र-राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने अ
 राष्ट्रीय और राष्ट्रीय-साहित्य को, अपने सर्व-सामान्य धर्मों, कारीगरियों और कलाओं को, य
 अपनी सर्व-सामान्य आकांक्षाओं और आदर्शों तक को खोज निकाला है। परन्तु यहां क
 के उसके जीवन के ये पिल्ले ५० वर्ष अबाध और आसानी से नहीं बीते हैं। उसमें कई उ
 प्राये हैं। उसमें लोगों की आशा-निराशाएँ, उनके आन्दोलनों और प्रयासों में मिली सफल
 तता, सबका इतिहास छिपा हुआ है। इन पन्नों में हम इस तेजस्विनी, बलवती और
 रस्था के जीवन की अर्द्धशताब्दी की घटनाओं का इतिहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम
 पुनावेंगे, उसके जन्म-दशाओं और आरम्भ-काल के सरपरस्तों और पालकों की सेवाओं क
 करेंगे; उसका जीवन-दिग्दर्शन करने समय जिन-जिन देश-भक्तों ने उसका लालन-पालन क
 काहीं या दिग्दर्शन करावेंगे, अपनी किशोरावस्था में यह जिन उदार-चदाओं में से गुजरी
 चित्र लीचेंगे; जैसे-जैसे वह जवानी की ओर कदम बढ़ाती गई जैसे-तैसे उसे मिले परा की
 गौरव का एवं उसे जिन सन्ताप-परितापों और शर्मिन्दगियों का भी सामना करना पड़ा उस
 करावेंगे, और उन सब अयस्थाओं का सिद्धावलोचन करेंगे जिनमें से उसके सिद्धान्त और
 विश्वास एवं मान्यताएँ गुजर चुकी हैं और अन्त में जाकर उमने (कांग्रेस ने) वमाम शान्ति
 उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लेने का भी प्रयत्न कर लिया है।



कांग्रेस के प्रस्तावों पर एक सरसरी निगाह

इसके बाद कांग्रेस-अधिवेशन पर अलग-अलग विचार करने का समागण हुआ नहीं है। एक-के-बाद एक होने वाले अधिवेशनों में अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार होकर प्रस्ताव पास हुए उन्हें लेकर एक नजर यह देखा ही जाती होगी कि लगभग १९१५ तक कांग्रेस की नीति और कार्य-क्रम का क्या क्या रहा। क्योंकि इसके बाद तो एकदम नई नीति और बड़े-बड़े भिन्न-भिन्न जगह काम में लाये जाने लगे हैं। इसके लिए प्रस्ताव और विचार के महत्त्वपूर्ण विषयों को भिन्न-भिन्न दिनों में बांट कर हमें क्रमशः विचार करना होगा।

१. इण्डिया कौंसिल

कांग्रेस ने अपने सबसे पहले अधिवेशन में ही इस बात पर जोर दिया था कि भारत-मंत्री की कौंसिल (इण्डिया कौंसिल), जैसी कि वह उस समय थी, छोड़ दी जाय। बाद के दो अधिवेशनों में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया। दसवें अधिवेशन में उसकी जगह भारत-मंत्री की परामर्श देने के लिए कामना-सभा की स्थायी-समिति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। और १९१३ में करांची कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें ही उसने उन संशोधनों का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें वह चाहती थी। वह प्रस्ताव यह है:—

“इस कांग्रेस की राय है कि भारत-मंत्री की कौंसिल; इस समय जिस तरह सङ्गठित है, तोड़ दी जाय, और निम्न प्रकार उसका पुनर्सङ्गठन किया जाय—

(क) भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश-कोष से दिया जाय।

(ख) कौंसिल की कार्यक्षमता और स्वतन्त्रता पर ध्यान रखते हुए यह अच्छा हो कि उसके कुछ सदस्य नामजद हों और कुछ चुने हुए।

(ग) कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या ६ से कम न हो।

(घ) कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कुल संख्या के कम-से-कम ३ हों, जो गैर-सरकारी भारतीय हों और बड़ी (इम्पीरियल) तथा प्रांतीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये हों।

(ङ) कौंसिल के नामजद सदस्यों में कम-से-कम आधे ऐसे योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हों जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेष नामजद-सदस्य वे अफसर हों जिन्होंने कम-से-कम दस वर्ष तक भारतवर्षमें काम किया हो और जिन्हें भारतवर्ष छोड़े दो वर्षों से अधिक न हुए हों।

(च) कौंसिल सलाहकार हो, शासक नहीं।

(छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पाँच वर्षों का हो।”

इसके बाद के कुछ अधिवेशनों में जो संशोधित प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं है कि अब कौंसिल को ... बल्कि यह भावना कि जबकि इसके

अल्दी तोड़े जाने की कोई संभावना नहीं है तब इसका कुछ संशोधन ही मले हो जाय। निरूपयोगी है, यह विश्वास तो अब भी कायम था, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि १९१७ मुधारों की जो योजना बनाई गई उसमें इसे छोड़ने के लिए कहा गया है।

२. वैधानिक परिवर्तन

शुरू से लेकर बहुत समय तक कांग्रेस का खैया ऐसा रहा है; कि उस पर शासक 'गरम' या 'अविनयी' होने का आरोप लगा सके। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो गया वह वही कि "बड़ी और मौजूदा प्रान्तीय कौंसिलों का सुधार और उनके आकार में चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अनुपात जाय और संयुक्तप्रान्त तथा पञ्जाब के लिए भी ऐसी कौंसिलों की स्थापना हो। बजट इन विचारार्थ पेश किये जाने चाहिए और इन सदस्यों को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग में प्रभु पृष्ठने का अधिकार होना चाहिए। सरकार को इन कौंसिलों के बहुमत को रद्द इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कभी इन बहुमत को रद्द करे तो, उनके (कौंसिलों के) द्वारा सरकार के इन कार्यों के राजान्ता विरोध और उन पर विचार करने के लिए कामन-सभा की एक स्थायी समिति नियत की जानी इसका मतलब यह है कि—बाद में जैसे असेम्बली में बहुतायत से देखा गया है—सरकार स्वीकार की गईं गैर सरकारी मामों को अपने 'विरोधाधिकारों' से अस्वीकृत और बहुमत की गईं सरकारी मामों को 'सर्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने लगती है। नौकरशाही के खिलाफ १८८५ में कांग्रेस ने पार्लियामेण्टरी संरक्षण चाहा था। दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की। इसमें कौंसिलों के आधे सदस्य निर्वाचित र कहा गया, पर अत्यल्प कुत्तव का मिद्वान मान लिया गया था। कहा गया कि प्रांतीय कौंसिल का चुनाव तो म्युनिंसिपल और लोकल बोर्डों, व्यापार-सभों तथा विरयविद्यालयों के द्वारा कौंसिल का चुनाव प्रान्तीय कौंसिलों के द्वारा हो। यही नहीं; बल्कि सरकार को कौंसिल अस्वीकृत करने का अधिकार देने की बात भी इसमें मान ली गई, बशर्ते कि प्रांतीय अपील भारत-सरकार से और बड़ी कौंसिल की अपील कामन सभा की स्थायी समिति अधिकार रहे। अस्वीकृत करने के १ मास के अन्दर ही कार्यकारिणी समितियों को अ का अन्तर् अपील-संस्था को भेज देना चाहिए। १८८७, १८८८ और १८८९ में भी दोहराया गया। १८९० में कांग्रेस ने 'इंडिया कौंसिल एक्ट' में संशोधन करने के भी के उस बिल का समर्थन किया जो उन्होंने पार्लियामेण्ट में पेश किया था और कांग्रेस की रा कांग्रेस मात्रा में भारत के चाहे हुए सुधार मिलते थे। लेकिन यह बिल बाद में छोड़ १८९१ में कांग्रेस ने अपने इस निश्चय की फिर से तार्किक की, कि "अब तक हमारे देश में हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी और हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित न होंगे तबत शासन सुचारु रूप से और न्यायपूर्वक चलाय नहीं चल सकता।" १८९२ में कौंसिल सम्बन्धी लार्ड ब्रॉस का 'इंडियन कौंसिल एक्ट' पास होगया। तब और बातों को छोड़ सरकार के निरमों और प्रांतीय सरकारों द्वारा अन्वयर्त हुर्र प्रयासों पर, जिनमें बहुत सुष थी, कांग्रेस ने अन्वय हमला शुरू किया।

परिषद् की योजना किस प्रकार श्वेत-यत्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फिर शासन सुधारों का बिल भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप में कानून बना वह तो उस बिल से भी गया-गुजरा निकला, यह हम सब जानते ही हैं।

यहां यह भी जान लेना आवश्यक है कि मॉर्ले मिण्टो के नाम पर दस साल तक सुधारों का दौर-दौरा रहा, वे थे क्या ? इन सुधारों के अनुसार बनने वाली बड़ी (सुप्रीम) ६० अतिरिक्त सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे। शेष ३३ सदस्यों में से—व्यादा २८ सरकारी अफसर थे, और बाकी ५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न जातियों की ओर से गवर्नर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी उसीके होते थे जो प्रदेश-विशेष के बजाय स्वयं-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित स बहुत कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते थे—जैसे सात प्रान्तों में जमींदार, पांच प्रान्त लमान, एक प्रान्त में (पर सिर्फ बारी-बारी से) मुसलमान जमींदार और दो व्यापार-सभ के इनके बाद जो स्थान बचते उनका चुनाव नौ प्रान्तीय कांसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा और लार्ड मॉर्ले ने इस बात को बिलकुल छिपाया भी नहीं कि “गवर्नर-जनरलकी कांसिल इसी तरह की रहनी चाहिए कि कानून बनाने और शासन-व्यवस्था में वह सदा और नि अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जोकि वैधानिक रूप में सम्राट् की सरकार के प्रति उसका है तथा सदा बना रहना चाहिए।” स्वयं शासन-सुधारों के बारे में लार्ड मॉर्ले ने कहा था—“यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पार्लियामेण्टरी (प्रातिनिधिक) शासन-व्यवस्था की ओर ले जाते हैं, तो कम-से-कम मैं तो वास्ता नहीं रखूंगा।” लेकिन लार्ड चेम्सफोर्ड और मि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो लार्ड फोर्ड रिपोर्ट में दर्ज है, इससे भी अधिक अग्रगन्थ और अधिक अधिकारपूर्ण है—“मिण्टो-सुधार से) भारतीय जनता का सन्तोष नहीं हो रहा है। इनको और जारी रखने सरकार और भारतीयों (कांसिल के सदस्यों) के बीच खाई और बढ़ेगी और गैर-जिम्मेदार टिप्पणियों में वृद्धि होगी।”

इसके पहले कि हम इस विषय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इस समय को पहले से अपनी निगाह में ले आना उचित होगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाय। मॉर्ले-मिण्टो शासन-सुधारों से इस विषय का दूसरा दरवाजा खुल गया था। इस दो भारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैं) १९०७ में इण्डिया-कांसिल के सदस्य गये, एक को १९०६ में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी सभा में स्थान मिला, और एक वासी १९१० में मद्रास व बम्बई के गवर्नरों की कार्यकारिणियों में नियुक्त किया गया। बङ्गाल में भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रखा गया—जाकर वह प्रांत प्रेसीडेन्सी (अहाते) के दर्जे पर चढ़ा दिया गया और स-कांसिल गवर्नर के गया। बिहार-उड़ीसा को मिलाकर, १९१२ में स-कांसिल लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के मातहत प्रान्त बना दिया गया और एक भारतवासी वह। की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया

१९०६ में कांग्रेस ने शासन-सुधारों के सम्बन्ध में चार प्रस्ताव पास किये। पहले

उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच अन्वयपूर्ण, ईष्यांशु और अपमान-प्रद भेद-भाव रखने, (ग) कौंसिलों के लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विस्तृत, मनमानी और अनुचित अयोग्यताएं रखने, (घ) नियम-पत्रों, (रेगुलेशन्स) के ग्राम तौर पर शिक्षितों के प्रति अविश्वास के भावों से भरे होने, (ङ) प्रान्तीय कौंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, इस प्रकार असन्तोषजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमतका कोई असर ही न हो और वे कोरी कागजी रह जाय, असन्तोष प्रकट किया गया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयुक्तप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बङ्गाल, आसाम और ब्रह्मदेश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायतार्थ कार्यकारिणियां बनाने की प्रार्थना की गई। तीसरे प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये जाने वाले शासन-सुधारों को असन्तोषप्रद बताते हुए कहा गया कि (क) कौंसिल के सदस्यों की जो संख्या रखी गई है वह काफी नहीं है, (ख) निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम और विलकुल नाकाफी है, (ग) अन्य प्रान्तों में मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा का जो सिद्धान्त रखा गया है वह पंजाब के गैर-मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए लागू नहीं किया गया है, और (घ) नियम-पत्र जिस तरह बनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि ग्रामली तौर पर पञ्जाब के गैर-मुसलमान बड़ी कौंसिल में न पहुँच सकें, और चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त और बरार में कौंसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रान्त के जमींदारों और जिला व म्युनिसिपाल बोर्डों की ओर से बड़ी कौंसिल के लिए चुने जाने वाले दो सदस्यों के निर्वाचन से बरार को महरूम रखने पर असन्तोष प्रकट किया गया।

१९१० और १९११ में ग्रामली तौर पर कांग्रेस ने शासन सुधारों-सम्बन्धी अपनी १६०६ की अपार्षितियों एवं सूचनाओं की ही तारेंद की और पृथक् निर्वाचन के सिद्धान्त को म्युनिसिपाल व जिला-बोर्डों पर भी लागू कर देने का विरोध किया।

१९१२ में कांग्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित कमियां दूर न की जाने पर निगरा प्रकट की और अन्य सुधारों के साथ यह भी प्रार्थना की कि बड़ी तथा समस्त प्रान्तीय कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे, प्रतिनिधियों द्वारा मत लेने की प्रथा उठा दी जाय, उन अरग्यों (गवर्नेटिक) के लिए सजा पानेवालों को जिनमें नैतिक दोष न हो, चुने जाने के अयोग्य ठहराने की बाधा हटा दी जाय, और अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार कौंसिलों के सभी सदस्यों को दे दिया जाय। पंजाब में कार्यकारिणियों की स्थापना और स्थानीय संस्थाओं के लिए भी पृथक् निर्वाचन लागू कर देने के प्रस्तावों की तारेंद की गई। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के शासन-सुधारों-सम्बन्धी प्रस्ताव में एक टुकड़ा यह भी है कि "जो व्यक्ति अंग्रेजी न जानता हो उसे सदस्यता के अयोग्य समझा जाय।" इस बात पर सन्तोष प्रकट किया गया कि भारत-सरकार ने प्रान्तीय स्वराज्यकी आरंभिक स्वीकार करनी है, पन्तु भारत-सरकार के उन स्वार्थी के शब्दों और भावों के खिलाफ उसका जो धर्म लगाए गए उनका कांग्रेस ने विरोध किया। १९१३ में भी प्रायः यही प्रस्ताव दोहराया गया।

१९१४ में कांग्रेस ने कांग्रेस का अधिरोपन हुआ। सर लनेडरमनन मिद उनके समार्षित थे, जो भारत-सरकार के सर्वोच्च मार्ग व आदेश थे। इसमें एक प्रस्ताव द्वारा मद्रासमिड को आदेश दिया गया कि शासन-सुधारों के सम्बन्ध में सर आरन हिरिसा मुसलिम लीग की कमिटी से सलाह-मसलाह को, जिसके अध्यक्ष सर मुकुट प्रसाद को आदेशियों की शीतक एक सम्मिलित योजना बन्द की गई। १९१४ के सम्बन्ध कांग्रेस ने उन पर सहायता की सुरक्षा दी। इसके अनुसार कांग्रेस ने सरकार की ओर एक पत्र भेजा कि सरकार का धर्म बंधने का अर्थ है कि सरकार का धर्म

द्वाकर उसे "पराधीन देश के बजाय साम्राज्य के स्व-शासित उपनिवेशों का समान भागी
 दिया जाय ।" आश्चर्य की बात यह है कि इस योजना में प्रान्तीय कौंसिलों में ५ निर्वाचि
 आमजद सदस्य रखने के लिए कहा गया है । निर्वाचन प्रत्यक्ष रखने और मताधिकार को
 ध्वस्त करने पर जोर दिया गया है, पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन से
 न्यून अनुपात में प्रतिनिधित्व रखा गया है—निर्वाचित सदस्यों के ५० प्रतिशत पंजाब में,
 ५० प्रतिशत यमुनाप्रान्त में, ४० प्रतिशत बंगाल में, २५ प्रतिशत बिहार में, १५ प्रतिशत मध्यप्रान्तों
 में, और एक-तिहाई बम्बई में । शर्त यह थी कि बड़ी या प्रान्तीय कौंसिलों के ति
 विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा और किसी निर्वाचन-क्षेत्र से वे उम्मीदवार न होंगे । साम
 की शर्त रखी गई कि "किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल या
 किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई
 भी जायगी, यदि उस कौंसिल (बड़ी या प्रांतीय) के उस जाति के तीन-चौथाई सदस्य उस
 धारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों ।" बड़ी कौंसिल के लिए कहा गया
 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए और निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से ३ मुसलमान हों,
 निर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रांतों में पृथक् मुसलमान निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा हो और सत्या का अनु
 मत्व रही हो जो प्रांतीय कौंसिलों में पृथक् मुसलमान निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा रखा गया
 हिंदू-मुसलमानों की वह सम्मिलित योजना है जो लखनऊ में पास हुई थी और बाद में म
 शासन-मुधारों में भी ज्यों-की-त्यों जोड़ दी गई थी ।

उक्त योजना में तफसील की कई ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख यहां करना ठीक
 आगे परिशिष्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई है । इस योजना को प्रस्ताव द्वारा स्वीकार
 कांग्रेस सन्तुष्ट नहीं हो गई, बल्कि सर्व-साधारण को इसे समझने एवं इसका प्रचार करने के लिये
 अपनी एक कार्य-समिति भी बनाई । प्रधान मंत्रियों ने श्री एस० बरदाचार्य जैसे प्रसिद्ध वकील
 जो हाल में मद्रास-हाइकोर्ट के जज हो गये हैं, इसे भेजा और इसपर से भारतीय शासन
 एक ऐसा संशोधक-बिल तैयार करने के लिए कहा जिससे 'गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट' में
 लीग-योजना के अनुसार संशोधन हो जाय । श्रीमती बेसेण्ट के नेतृत्व में होने वाले होमरूल-अ
 श्रीमती बेसेण्ट की मजरवन्दी, कांग्रेस और मुसलिम-लीग द्वारा संयुक्त रूप से सोची गई निर्ध
 रोध (सत्याग्रह) की योजना, मेसोपोटामिया-प्रकरण पर मि० माण्टेगु का महत्वपूर्ण भाषण,
 भारत-मन्त्री मि० आस्टिन चैम्बर्लेन का पद-त्याग और उनकी जगह मि० माण्टेगु की म
 के पद पर नियुक्ति, भारत-सम्बन्धी भावी नीति की शोचक २० अगस्त १९१७ की मुप्रसिद्ध
 मि० माण्टेगु का भारत-आगमन, श्रीमती बेसेण्ट का रिहा होकर कांग्रेस के सम्पाति-पद
 जाना—ये सब बातें ऐसी हैं कि यहां उनका उल्लेख-भाष किया जा सकता है, विस्तार के सा
 आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा, क्योंकि वे सब १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की पूर्व

१९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस में इस घोषणा पर कृतशतापूर्वक सन्तोष प्रकट किया
 भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्देश्य है, पर साथ ही इस बात पर
 गया कि स्वयं विधान में इसके लिए समय की कमी अर्थात् नियत कर दी जाय, जिसके अन
 सम्पूर्ण रूप से यह प्राप्त हो जाय, और शासन-मुधारों की पहली क्रिच के रूप में मुधारों
 कांग्रेस-लीग-योजना को अमली रूप दे दिया जाय । मुधारों की कैसी लचीली और अपने-आ

मि० माण्टेगु नवम्बर १९१७ में भारत आये और माण्ट-कोर्ड (शासन-सुधारों की) रिपोर्ट जून १९१८ में प्रकाशित हो गई। गितम्बर १९१८ के बम्बई के विशेष अधिवेशन में उत्तर विचार हुआ, जिसके सभापति श्री इसन इमाम थे। माण्ट कोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावित शासन सुधारों की योजना के आगे, जिसका मुख्य भाग द्वैध-शासन था, कामित-लीग-योजना दब गई। नई (माण्ट-कोर्ड) योजनाके अन्तर्गत केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल में राज्यपरिषद् (कौन्सिल ऑफ स्टेट) के नाम से एक परिषद् का आयोजन किया गया, गवर्नर जनरल के सहायताार्थ प्रांतों में बड़ी-बड़ी कमिटियां बनाई गईं और कौंसिलों द्वारा समर्थन न पाने वाली बातों के लिए गवर्नरोंको काफी और कारगर अधिकार दिये गये। बम्बई के (विशेष) अधिवेशन ने निश्चय किया, कि "राज्य-परिषद् न रक्की जाय, किन्तु यदि राज्य परिषद् बनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए भी प्रांतों की तरह रक्षित और हस्तान्तरित विभागों की सज्जीज की जाय, उसक कम-से-कम आधे सदस्य निर्वाचित हों और सर्टिफिकेट देने का नियम केवल रक्षित विभागों के लिए हो।" साथ ही द्वैध-शासन स्वीकार किया गया और केन्द्र में द्वितीय परिषद् की भी इस शर्त पर स्वीकृति दी गई कि केन्द्र में भी द्वैध-शासन जारी करदिया जाय, हालांकि माण्ट-कोर्ड योजना में यह बात नहीं थी। वस्तुतः तो कांग्रेस-लीग-योजना द्विपरिषद्-योजना की अपेक्षा होमरूल की कल्पना के कहीं ज्यादा नजदीक थी। द्विपरिषद्-योजना में तो लोअर हाउस की लोकप्रिय आवाज को गवर्नर-जनरल या गवर्नरों द्वारा, 'वीटो' का सहाय लिये बगैर ही, आसानी से दबाया जा सकता था।

इस प्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, अर्थात् राज्य-परिषद् को, बेकार कर दिया, क्योंकि केन्द्र में द्वैध-शासन की जो माग की गई थी उसे मजूर नहीं किया। बम्बई के विशेष अधिवेशन ने माण्ट-कोर्ड (शासन-सुधारों के) प्रस्तावों को कुल मिलाकर निराशाजनक और असन्तोषपद बतलाया, और पहले के दो अधिवेशनों की मागों की तारीफ करते हुए उसने कानून के सामने सब प्रजा की समानता, स्वतन्त्रता, जानमाल की सुरक्षा और लिखने-बोलने व सभाओं में सम्मिलित होने की आजादी, शस्त्र रखने का अधिकार तथा शारीरिक सजा सब प्रजाजनों पर एक-समान लागू करने के मौलिक अधिकारों-सम्बन्धी एक धारा जोड़ी; फिर भी सच पूछिये तो उसमें मि० माण्टेगु की ही पूरी जीत हुई। १९१८ का दिल्ली-अधिवेशन पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ और उसने भी इन्हीं बातों की तारीफ की, परन्तु उसने सब प्रांतों के लिए द्वैध-शासन की नहीं बल्कि पूर्ण उत्तरदायी शासन की माग की। दिल्ली अधिवेशन में तो केन्द्रीय शासन में द्वैध-शासन प्रणाली जारी करने के लिए कहा गया, हालांकि परराष्ट्र-विभाग और जल-थल-सेना के विषय रक्षित मानकर उससे वृथक् रक्षित गये। द्वितीय परिषद् के बारे में बम्बई के विशेष अधिवेशन का प्रस्ताव ही दोहराया गया और उसके आधे सदस्य निर्वाचित रखने के लिए कहा गया। ११ नवम्बर १९१८ को मुल्हा की घोषणा के साथ यूरोपीय महायुद्ध का सात्मा हुआ। इस सम्बन्ध में हुई राष्ट्रपति विलसन, प्रधान मन्त्री लायड जार्ज तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिकों की घोषणाओं को उद्धृत करके, आत्म-निर्याय के सिद्धांत को समस्त प्रगतिशील-राष्ट्रों पर लागू करने की बात पर जोर देते हुए, कांग्रेस ने निश्चय किया कि भारत पर भी इसे लागू किया जाय और समस्त दमनकारी कानून रद्द कर दिये जायें। लेकिन कांग्रेस के भाव्य में तो कठिन प्रसंग छाने बदे थे। अमृतसर में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होने से पहले ही

राष्ट्र का ध्यान ही अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया बल्कि उसमें बड़ी भारी हलचल मचा दी

३. सरकारी नौकरियाँ

सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के नाम से मशहूर थीयों की निपुक्त के प्रश्न को कांग्रेस ने हमेशा बहुत महत्व दिया है। यह याद रखने की बात है कि १८३३ में कानून-द्वारा भारतीयों को सब पदों पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की गई। १८५३ में जब प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का आरम्भ हुआ तो कहा गया था कि उसमें हिन्दुओं के लिए बड़ी रुकावट है। लार्ड मेल्सबरी के शासनकाल में सिविल-सर्विस की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की उम्र में कमी की गई। इसे कांग्रेस ने उन कठिनाइयों में और भी वृद्धि की जो कि इसके लिए पहले के भारतीयों के सामने उपस्थित थीं। भारतवासियों ने हमेशा कहा है कि ये परीक्षाएँ इंग्लैण्ड और भारतवर्ष दोनों जगह साथ-साथ होनी चाहिए, जिससे कि कुछ तो कठिनाई दूर होजाय। अपने पहले ही अधिवेशन में कांग्रेस ने दोनों देशों में परीक्षा होने की आवाज उठाई थी।

अब जरा विस्तार से हम इस विषय पर विचार करें। यहाँ यह बताना ठीक है कि १८८५ में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तभी से उसने प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में साथ-साथ होने की मांग रखी है, हालांकि यों यह आवाज तो अठारह वर्ष पहले से उठी थी, यही नहीं, बल्कि १८६१ में इण्डिया-काँग्रेस की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश की थी। भारत के साथ न्याय करना ही और पार्लियामेंट द्वारा किये गये वादों को पूरा करना ही आवश्यक है। जून १८६३ में कामन-सभा ने दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षाएँ होने का प्रस्ताव पास किया, जिसका कांग्रेस तथा देश भर ने स्वागत किया, परन्तु दूसरे ही सत्र में इसे खारिज कर दी कि उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया जायगा जिससे साथ उत्साह न हो सके निराशा छा गई। भारत की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में नियुक्त शाही कमीशन की रिपोर्टों की जो गवाहियाँ हुईं उनसे यह बात निःसंदिग्ध हो गई कि जबतक यह सुधार न आये तब भारतीय मार्गों के साथ हार्मिज न्याय नहीं हो सकता। इस कमीशन की बहुमत रिपोर्टों में विरोध हुआ उसका भी मुख्य कारण यही था कि इसने इस प्रस्ताव को मान्य नहीं माना।

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समाप्त के द्वारा विस्तृत और तैयार किया और मतालवा किया कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथ ही और सम्राट के सब प्रजाजन बिना किसी भेदभाव के उसमें भाग ले सकें, या अन्य निपुक्तियों की क्रमागत सूची तैयार की जाय। प्रथम नियुक्तियों के लिए 'स्टेच्युटरी सिविल सर्विस' कर दी जाय, परन्तु वे-सनदी नौकरियों तथा उपयुक्त पात्रों के लिए वह खुली रहे और रिक्त जितनी नियुक्तियाँ हो वे सब प्रान्तों में प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ लेकर की जाय। उस प्रयास में यह भी, कि कुछ नवयुवकों को चुनकर सब सीधा डिप्टी-कलक्टर बना दिया जाय। अधिवेशन तक जाकर कहाँ इस सम्बन्धी आन्दोलन में थोड़ी सफलता मिली। सरकारी नौकरियों के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिफारिश की कांग्रेस ने तारीफ की, परन्तु उन्हें अग्रसारित बताया। इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेसके इच्छा के अनुसार सिविल-सर्विस की परीक्षा के लिए वय मर्यादा १६ से २३ कर दी गई, लेकिन

मातहत वे उस समय वे उसी में बने रहें, या प्रान्तीय सर्विस में सम्मिलित हो जायें, जिनके सरनों के लिए शासन के सब उच्च पदों पर ताला बाल दिया गया था। इस सम्बन्ध में भी मोलने ने, कांग्रेस के पाँचवें अधिवेशन में, बहुत विमर्श कर एक भाषण दिया था। उन्होंने कहा—“१८३३ के कानून की भाषा और १८५८ की घोषणा इतनी स्पष्ट है कि जो लोग उस समय दिये गये आश्वासनों के अनुसार सुविधायें नहीं देना चाहते उन्हें दोषों में से एक बात, और यह भी बड़े दुःख के साथ स्वीकार करनी पड़ेगी, कि या तो वे मक्कार हैं या दगाबाज, उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा कि इंग्लैण्ड ने जब वे आश्वासन दिये थे तब उसने ईमानदारी से काम नहीं लिया था, या यह कि अब यह हमारे साथ बचन-भंग करने पर आमादा हो गया है।” स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम तो सर्व-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ होती थीं, दूसरे टेन्चुटी सनदी सर्विस थीं, जिनकी २ नौकरिया १८६१ के कानून के अनुसार भारतीयों के लिए रक्षित थीं, तीसरे सनदी नौकरियाँ थीं, जिनमें भारतीय हो भारतीयों थे। १८६२ में कांग्रेस ने पब्लिक सर्विस कमोशन की रिपोर्ट पर किये गये भारत सरकार के प्रस्ताव पर असंतोष प्रकट किया और उसके बारे में कामन्स-सभा को एक प्रार्थना पत्र भेजा। बात यह थी कि दूसरी श्रेणी की ६५१ नौकरियों में २ पद १५८ भारतीयों के लिए रखे गये थे, परन्तु पब्लिक सर्विस कमोशन ने कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें देने चाहिए और भारत-प्रन्धी ने उन ‘चाहिए’ शब्द को भा बदल कर ‘दिये जा सकते हैं’ कर दिया। और असलीत तो यह है कि १५८ में से, जो कि भारतीयों का पूर्णतः उचित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रहे उनमें से सिर्फ ६३ ही १८६२ में भारतीयों को दिये गये।

इसके बाद तो स्थिति और भी खराब होगई। भारत सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की भारत-मन्त्री ने अपने खरीते द्वारा पुष्टि कर दी। फलतः १८६४ में जाति-भेद के आधार पर भारतीयों के खिलाफ अयोग्यता की निश्चित मुहर लग गई, क्योंकि उस खरीते में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों) में कम से कम इतने अप्रैज अप्रफर तो रहने ही चाहिए। २ जून १८६३ को कामन्स सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीक्षाएँ होने का क्रम शीघ्र अमल में ले आना चाहिए उसका इससे खाल्सा हो गया। इस प्रकार जब कि भारतवर्ष ‘इण्डियन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इंजि नियरिंग, टेलीग्राफ, फारिस्ट और अकाउण्ट्स सर्विसेज’ (नौकरियों) में प्रवेश करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाएँ होने की सुविधा माग रहा था, सरकार ने १८६५ में उससे उलटा रुख अख्तियार किया। शिक्षा विभाग की नौकरियों के लिए जिसमें कि किसी भी आँहदे पर भारत-वासी बिलकुल अर्थों के समान वेतन के साथ काम कर सकते थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित किया कि “भविष्य में वे सब भारतवासी, जो कि शिक्षा विभाग में प्रवेश करना चाहेंगे, ग्राम वीर पर भारतवर्ष में ही और प्रान्तीय सर्विस में नौकर रखे जायेंगे।” इस प्रकार शिक्षा के पुनः समतनकी योजना में शिक्षा विभाग की नौकरियों के सिलसिले में, भारतवासियों के साथ एक और अन्याय किया गया। भारतवासियों को इस विभाग की ऊँची नौकरियों से महरूम कर दिया गया। शिक्षा विभाग की ऊँची नौकरियों को दो भागों में बाँट दिया गया—बड़ी अर्थात् आर्य-ई० एम० (सर्वभारतीय) और छोटी अर्थात् पी० ई० एम० (प्रान्तीय)। बड़ी नौकरियों की नियुक्ति इंग्लैण्ड में और छोटी नौकरियों की नियुक्ति भारतवर्ष में होने का नियम रक्खा गया। १८८० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय दोनों ही देशों में नौकरियों के लिए परीक्षाएँ होती थीं। दोनों का प्रारम्भिक

१८८६ में २५० रु० ही रह गया, हालांकि भारतवासी ये इंग्लैण्डके विश्वविद्यालयोंके ही प्रेसु वासियोंके लिए अधिक-से अधिक वेतन १८८६में ७००६० या, चाहे कितने ही समय की उ क्यो न होजाय, परन्तु अंग्रेजोंको अपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,००० रु० मिल नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे कुछ कालेजों के प्रिन्सिपल होने से भी महम्म क अंग्रेजों की पढ़ाई के लिए रक्षित थे। श्री आनन्दमोहन घसु के कथनानुसार, यह और भी बात है कि १८६७ के ही साल में ये सब परिवर्तन हुए जो कि महारानी की हीरक-जयन्त था। इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेस का आन्दोलन अधिक ठोस और वास्तविक होता गया, से नौररशाही का विरोध भी अधिकाधिक निर्लज्ज और नम्र होता गया है।

१८८६ और १८८७ में कांग्रेस ने बम्बई और मदरास की कार्यकारिणियों में को भी स्थान देने की मांग की। सिविल मेडिकल सर्विस (डाक्टरी नौकरियों) पर भी इन बाद के वर्षों में ही कुछ ध्यान दिया जाने लगा। १६०० में कांग्रेस ने पी० टन्लु० अफयून, चुंगी (कर्टम) और तार-विभाग की ऊंची नौकरियों पर भारतवासियों के न रक- कूपर के इंजीनियरिंग (हिल) कालेज से पास-शुदा सिफं दो ही भारतवासियों को नौ- शुमार करने के प्रतिबन्ध की निन्दा की। इसके अतिरिक्त एक सुरा भेद-भाव दफ्ती-का होने वालों की गैरटीड नौकरियों के बारे में भी रक्वा गया था। इण्डियन सिविल-मेडिक मिजिलरी-मेडिकल-सर्विस से अलग हो जाना भी आन्दोलन का विषय रहा और बाद के भी वही पुपनी शिकायतें दोहराई जाती रहीं।

४. सैनिक समस्या

इस समय तक, इन तीस वर्षों में, कांग्रेस ने कोई दो सौ विषयों पर विचार किया में एक ऐसा है जिसके प्रति लगातार इतनी दिलचस्पी ली जाती रही कि वर्षों तक वह स बना रहा, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध और प्रार्थनायें होती रहने उत्सन्वन्धी शिकायतें दूर हुईं और न उनमें कोई कमी ही हुई। अपने पहले अधिवेशन ने सैनिक स्वयं की प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया और कहा, "यदि यह रहे ही तो इस- तो फिर से तट कर लगाकर की जाय, दूसरे उन सरकारी और गैर-सरकारी लोगों पर स लगाया जाय जो इस समय इस से बरी हैं, किन्तु इस बात का ध्यान रखना जाय कि करने की निम्नतम सीमा काफी ऊंची हो।" अपने कां इस विचार पर भारतीयों को सै- बन्दने की प्रथा जारी करने पर और दिया गया, कि यूरोप की इस समय जो अस्त- उसमें यदि कोई स्वतन्त्रक बन्त आ जाय तो वे (ब्रिटेन की) सरकार के लिए बड़े सहायक तीसरे साल भारत की राजभक्ति और १८५८ की घोषणा में महारानी विकटोरिया द्वारा के आधार पर, सेना-विभाग की ऊंची नौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी मतालवा किया गया। इसके लिए कांग्रेस ने देशमें सैनिक-कालेज की स्थापना करने के चौथे और पांचवें अधिवेशनों में पहले के प्रस्तावों की पुष्टि की गई। छठे में कोई विचा पर सातवें में इसर चर्चा हुई और सरकार से यह आग्रह करते हुए कि वह "भारतीय सम्मान करके भारतवासियों को प्रोत्साहन देकर इन योग्य बन्दे कि वे अपने देश की रक्षा कर सकें" मतालवा किया गया कि वह शस्त्र-विधान के नियमों में ऐसा संशोधन क- क्वति या वर्षों के भेद-भाव बगैर सकार एक-सम्मान लागू हो, सम्मान के विष-विष-

पुनर्संगठन करने की लाई किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक अतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक व्यय बढ़ने-बढ़ने असहनीय होता जा रहा है। के कार्य-काल के बढाये हुए समय के आखिरी दिनों में (१९०५) लाई किचनर और बात पर तीव्र मतभेद हो गया कि सेना पर गैर फौजी अधिकारियों का नियंत्रण रहे या कर्जन चाहते थे कि नियंत्रण रहे और लाई किचनर इसके सख्त खिलाफ थे।

बनारस के अपने इक्कीसवें अधिवेशन में (१९०५) कांग्रेस ने इस बात का नि प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फौजी अधिकारियों पर गैर फौजी अर्थात् मुल्की नियन्त्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्तन किया जाय और एक बार फिर इस बात का आकर्षित किया कि यहां का सैनिक व्यय पूर्व में ब्रिटिश-साम्राज्य की रचना बनाये रख नीति को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है। साथ ही इस बात पर भी जो सेना पर मुल्की अधिकारियों का नियंत्रण अभी पूरी तरह हो सकता है जब कि कर-व नियन्त्रण पर असर डालने की स्थिति में रक्खा जाय। १९०६ के राष्ट्रीय नव-वैतन्यके दर-साल सामने आने वाले इस दुस्साध्य विषय को भुलाया नहीं गया। उसमें इस ध्यान आकर्षित किया गया कि पिछले बीस वर्षों में भारत का सैनिक-व्यय १७ करोड़ करोड़ सालाना, अर्थात् करीब-करीब दुगुना, हो गया है—और यह वह समय है कि भारत में ऐसे सत्यानाशी दुर्भिक्ष पड़े कि जैसे पहले शायद ही कभी हुए हों और कम-२२ लाख व्यक्ति भोजन के अभाव में काल के प्राण हुए।

१९०८ में कांग्रेस ने जों के साथ १,००,००० पौण्ड के उत्तम नये भार का रोमर-वमिटी की सिफारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय कोष पर लाद दिया पर सरकार से प्रार्थना की कि "इतने दिनों के अनुभव की सहायता से १९५९ की सेना नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इस बात की आवश्यकता है कि इस उचित और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोष पर से इ उचित भार उठ जाय।" १९०९ और १९१० में साल-दर-साल बढ़ते जाने वाले ब्यालोचना की गई। १९१२ और १९१३ के अधिवेशनों में सेना-विभाग के उच्च न देने के अन्याय की ओर पूर्ण ध्यान आकर्षित किया गया।

१९१४ में कांग्रेस ने अपनी इस मांग को फिर से दोहराया कि सेना-विभाग रियां भारतवासियों को भी मिलनी चाहियें, सैनिक स्कूल-कालेज खोले जायें और भारत स्वयसेवक बनाया जाय। ह्यूक आफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्थन किया करते हैं, भारतीयों को भेजकर एक के पद देने को तैयार थे, और यह भी व्यर्थ ही था। १९११ में सम्राट् इसकी घोषणा कर देंगे। जैसे सैनिक-स्वयसेवक बनने की उन दि के लिए कोई मुमानियत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में जब पहले-पहल भी एल० बी० राकरम ने बताया था कि वह सैनिक स्वयसेवक हैं। स्वयं भी बी० एन १९२० में वाइसराय की कार्य-कारिणी के सदस्य बनने गये, सैनिक स्वयसेवक थे। भारतीय स्वयसेवकों के नाम स्थागिज कर दिये गये और १९१४ में केवल ईसाई बनाने का नियम रह गया। इस तरह भारतवासियों के साथ बड़ा भारी अन्याय कि

कक्षा में होने वाली १९१७ की कांग्रेस ने इस विषय में अपना सन्तोष प्रकट किया और १६ से १८ वर्ष तक की उम्र के युवकों की 'कैडेट कोर' प्रत्येक प्रान्त में संगठित करने पर जोर दिया।

५. कानून और न्याय

कांग्रेस में शुरुआत से ही ऊँचे दर्जे के कानूनदात्रों का प्राधान्य रहा है। इसलिए सर्व-साधारण के कानूनी अधिकारों की और स्वभावतः उसका विशेष ध्यान रहा है। लेकिन न तो सार्वजनिक अनुभव और न नौकरशाही दमन, किसी ने भी हमें इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचाया है कि हमारे देश में जो कानून और अदालतें हैं, वे ऐसे हैं कि जैसे किसी देश की साधारण दशा में हुआ करते हैं और जिनका आदर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता हो। जब लोगों में जागृत होकर उन्हें इन्ते प्राप्त होने वाले अधिकारों का भान होता है, अर्थात् जब देश या जाति की मित्रा समाप्त होकर उसमें राष्ट्रीय चेतन्य का प्रारम्भ होता है, तब उनके बाहरी रूपों और कार्य विधियों का खोललापन तुरन्त प्रयत्न हो जाता है। यही बात उस समय हुई, जब कि मुकदमे में जूरी-द्वारा विचार होने की प्रथा सम्पूर्ण रूप से प्रचलित करने के बाद १८७२ में सरकार ने उसमें यह बन्दिश लगा दी कि जूरी का मत अन्तिम निर्णय न समझ जायगा और दौरा जज तथा हाईकोर्ट उनके बरी करने के फैसलों को रद्द कर सकेंगे। दूसरी ही कांग्रेस में (कलकत्ता, १८८६) इस बन्दिश को हानिकारक बताकर तुरन्त उठा देने के लिए कहा गया। साथ ही न्याय-प्रथा में प्रस्तावित अन्य उन्नति-विरोधी फैसलों का भी विरोध किया गया। इसके बाद समय-समय पर कांग्रेस अपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही, लेकिन नतीजा आज तक भी कुछ नहीं निकला।

जूरी के अधिकारों का प्रश्न तो आवश्यक था ही, परन्तु इससे भी अधिक आवश्यकता शासन और न्याय-कार्यों के पृथक्करण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों कार्य रहने से बड़ी तो शासक होता है और बड़ी निर्णायक—बड़ी मुकदमा चलाता है और बड़ी जूरी व जज का काम करता है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति सर्वाधिकार-सम्पन्न बन जाता है।

ब्रिटिश-भारत में इस सुधार के लिए आन्दोलन राजा राममोहन राय के समय शुरु हुआ, जिन्होंने अन्य विषयों के साथ इस विषय में भी एक आवेदन-पत्र पार्लियामेंट में पेश किया था और एक पार्लियामेंटरी कमिटी में गवाही देने के बाद अस्सी वर्ष पृथं इंग्लैण्ड में ही जिन्हीं मृत्यु हुई। यह ध्यान देने लायक बात है कि उन्होंने जिन सुधारों का प्रतिपादन किया उनमें एक यह भी था कि शासन और न्याय-कार्यों को एक दूसरे से सर्वथा पृथक् किया जाय, और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग भी इसके लिए बगबर जोर देती रही है, लेकिन नतीजा आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम सम्झनी हंगराम से यह स्पष्ट ऊर्ध्व होता है कि मौजूदा परिस्थित इतनी प्रतिकूल है कि ऐसे आवश्यक सुधार भी हम नहीं कर सकते। और तो और पर गार्नर ऊनल लॉर्ड टर्नर, भारत मंत्री लॉर्ड हॉल तथा लॉर्ड क्लाइव्स, और भारत-संसार के होम डेप्युटी सर हार्पे एडमन्सन ने भी मुस्लिम समर्थों में कांग्रेस के इस प्रस्ताव (अर्थात् न्याय और शासन कार्यों को एक दूसरे से पृथक् करने) का औचित्य स्वीकार किया है; और सर हार्पे एडमन्सन ने तो सरकार की ओर से १९०८ में यह वादा भी किया था कि ब्रिटीश के डोर पर वह आश्वासन ऊचका। लेकिन अब तक भी न्याय और शासन कार्य सम्मिलित करके एक ही व्यक्ति के हाथ में हैं। राजा राममोहन राय के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के एक दल ने, जिन्होंने १९०८ में लॉर्ड क्लाइव्स के समर्थन को हाथ में लिया; और इसके लिए बगल,

के साथ साथ इस आन्दोलन का प्रसार और जोर-शोर बढ़ा, और १८८५ में कांग्रेस अपने हाथ में ले लिया।

दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी यह राय जाहिर की, कि शासन और न्याय एक-दूसरे से पृथक् होना आवश्यक है। तीसरे अधिवेशन में इसका प्रतिपादन करते करते वे सर्वे बढ़ाना पड़ता हो तो भी इसमें देरी न की जाय। अगले साल यह विचार का प्रश्न, दोनों एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत होने लगा कि सर्वांगी प्रस्ताव में भी प्रवेश होजायगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल-दर-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव को और १८८३ में तो यहां तक कह दिया कि न्याय और शासन-कार्यों का सम्मिश्रण ब्रिटिश-शासन के लिए एक बड़ा कलंक है, जिससे देश भर के समस्त जाति और सभ्यता को बेहद तकलीफ उठानी पड़ती है।" यही नहीं, "किसी दूसरे जरिये की आशा न पूर्वक भारत मन्त्री से प्रार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उचित योजना बनाने के लिए वे एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें।" भला कांग्रेस कितनी अथवा कहना चाहिए कि आपसे बाहर हो गई थी, कि जो सरकार सुधार करने को उससे भी यह आशा की कि वह उस सुधार-सम्बन्धी विस्तृत योजना को तैयार करने बनायेगी। इससे इस बात का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी शून्यता अनुभव कर रहे थे और उनकी आंखों के सामने कैसा अधेश छा गया था। क्योंकि इसके एक साल बाद कांग्रेस ने दो भूतपूर्व भारत-मन्त्रियों (लॉर्ड किम्बरली तथा लॉर्ड क्रॉस) के जो मत भी उसके समर्थक ही थे। और यह वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वे मत जिम्मेदारों के थे, किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति के नहीं। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और आन्दोलन का स्वर्गीय मनमोहन घोष ने इसमें खासतौर पर दिलचस्पी ली और इसे अपने अध्ययन का विषय बनाया। १८८६ में उनकी मृत्यु होजाने पर, बारहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने उनका मनाते हुए इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि 'न्यायालयों को शासन-कार्य से विचार का हंगलैण्ड और भारतवर्ष में जनता ने समर्थन किया है।' १८८६ में इस सुधार को कार्यान्वित करने के लिए कई प्रसिद्ध अंग्रेज न्यायाधीश और सार्वजनिक कार्यकर्ता भारत-मन्त्री को प्रार्थना-पत्र भेजा। इससे कांग्रेस को और समर्थन मिला। १८०१ देखा कि मामला आगे बढ़ गया है और भारत-सरकार इस पर गौर कर रही है। पर कोई श्रमली तरक्की नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस बात पर सन्तोष कि बंगाल प्रान्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया। बारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कांग्रेस को अपनी निराशा का पता लग गया, कारंवाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई। इसके बाद लगातार दो अधिवेशनों का राग अलापा गया।

जरी के अधिकार कम करने और न्याय व शासन-कार्य सम्मिलित रखने के लिये ही थे और उनमें सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, कि १८८७ में और कर दिया गया। १८१८ का तीसरा रेग्युलेशन (बंगाल), १८१९ का दूसरा रेग्युलेशन (बंगाल) और १८२० का तीसरा रेग्युलेशन (बंगाल) के द्वारा जरी के अधिकार को और भी कम कर दिया गया।

समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देखाकर दम रद्द गई, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले उनको वैसा नोटिस भी नहीं दिया गया था जोकि इन रेग्युलेशनों के मातहत भी देना ज़रूरी था।

१८६७ का साल हर तरह प्रतिक्रिया का साल था। लोकमान्य विलक को राजद्रोह के अग्रगण्य में घेरो लेना प्रकाशित करने पर राज दी गई जो खुद उनके लिये हुए नहीं थे। पूना में राजीव पुलिस वैनाव की गई और फागून की राजद्रोह (दफा १२४ ए) तथा खतरे की झूठी अफवाह फैलाने सम्बन्धी (दफा ५०५) धाराओं में ऐग संशोधन किया गया जिससे वे और भी कठोर होगें। कांग्रेस ने सर्वसाधारण के अधिकारों पर किये जाने वाले इस आक्रमण का विधिवत् विरोध किया। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपनी विरोध शैली से इसका जोरदार विरोध करते हुए कहा था:—

“अंग्रेजों ने अपने लिए मैग्नाचार्टा और हैबियस कॉर्पस प्राप्त किये हैं। इनके द्वारा उन्हें जो सुविधायें प्राप्त हैं वे सिद्धांत-रूप से उनके गौरवपूर्ण विधान में सम्मिलित हैं। पर, मुझे यह कहते में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि, वह शासन-विधान हमारा पैदाशरीर है। हम ब्रिटिश प्रजा हैं, इसलिए ब्रिटिश-प्रजाजनों को जो विरोधाधिकार मिले हैं उनके हम भी हकदार हैं। इन अधिकारों को हमसे कौन छीन सकता है? हमने निश्चय कर लिया है और कांग्रेस इस बात का प्रण करेगी, आप और हम सब मिलकर इसके लिए एक गम्भीर निश्चय करेंगे। इस सभा-भवन से निकलकर उसकी ध्वनि भारत-भर की जनता में फैलेगी कि हम इस बात के लिए तुल गये हैं, इस बात पर जोर देने में हम किसी भी वैध उपाय को बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छत्र-छाया में ब्रिटिश प्रजाजन की हैसियत से हमारे भी यही अधिकार हैं जो अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं हैं।”

६. दायमी बन्दोबस्त, आविधाना, गरीबी और अकाल

भारतवर्ष वृष्णिप्रधान देश है, इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि कांग्रेस ने सबसे पहले नहीं तो भी अपनी शुरुआत में ही बोझे-बोझे समय के लिए होने वाले जमीन के बन्दोबस्त पर ध्यान दिया जिसमें सदा लगान-बृद्धि होती रहने से रैयत को बड़ी कठिनाई होती है। इलाहाबाद में (१८८८) होनेवाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी श्यामी (स्टैटिस्ट) समिति को यह काम सौंपा कि वह इस सम्बन्ध में विचार करके १८८६ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। १८८६ में वावू वैकुण्ठनाथ सेन ने इसका उल्लेख करते हुए बताया कि १८६० में दुर्भिक्ष के कारणों की जाच के लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने दायमी बन्दोबस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत-मन्त्री ने भी १८६२ के अपने खरीते में मजूर कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कमी-कमी तो लगान में बढ़ाई हुई रकम गांव में पैदा होनेवाली फसल से भी बढ जाती है, जैसा कि मि० (बाद में सर) आर्कलेण्ड कॉल्विन के सामने आये एक मामले से मालूम पड़ता है। डा० बेसेण्ट ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्धी यह मनोरंजक उदाहरण दिया है:—

“बर्तन में पानी तो उतना ही है जितना पहले था, परन्तु अब उसमें पानी निकालने के एक की जगह दू: छेद हो गये हैं।

“हमारे पास पशुओं की कमी नहीं है, चरागाहों की और उनकी तन्दुष्टि के लिए आवश्यक नमक की भी बहुतायत है, परन्तु अब जङ्गलात के महकमे ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, यदि भूखीं मरते पशु चारे की जगह अनाज के खेत में मटक बन्द करके हम पर धुमना किया जाता है।

६ के खेती के सभी कामों के लिए हमारे पास लकड़ी की

बहुतायत है, लेकिन अब उस सब पर जंगल-विभाग का ताला पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ इजाजत हुआ नहीं कि हम सरकारी शिकंजे में आये नहीं। अब तो हमें एक भी लकड़ा उसके लिए हफ्ते भर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जगह पर काम करना होगा, तब कहीं जाकर वह मिलेगी।

“पहले हमारे पास हथियार थे, जिनमें खेती को नुकसान पहुचानेवाले जंगल हम मार या भगा सकने थे, पर अब हमारे सामने ऐसा शस्त्र विधान है, जो विदेशों से एक हथियार को तो हर तरह के हथियार रखने की इजाजत देता है, पर जिन गरीब किसान गुजारे के एकमात्र सहारे खेती की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए उनकी कठम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता।”

१८६२ में कांग्रेस ने लगान को निश्चित और स्थायी करने के लिए कहा, “कृषि को उन्नत करने के लिए पूँजीपति और मजदूर मिलकर काम कर सकें,” और बैंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की। अगले साल भारतमन्त्री द्वारा दिये गये उन्नत करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने अपने १८६२ और १८६५ के खरीते में दायरे के लिए दिये थे। १८६६ में कांग्रेस ने अपने स्व को और भी नरम किया और प्रार्थना की कि वाद दूसरा बन्दोबस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फसला तो रक्ता ही जाय—बन्दोबस्त ही हो तो वह भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ही करे। २२ दिनों में भारत सरकार ने, अपने रेवेन्यू और कृषि विभाग के द्वारा, इस सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव किया, जिसके चौथे पैराग्राफ पर प्रकट किये गये प्रान्तीय सरकारों के विचार प्रकाशित। कांग्रेस ने कहा। १८७३ में कांग्रेस इससे भी आगे बढ़ी और लगान अधिक न लगाने के लिए कानूनी व अदालती रुकावटें लगाने के लिए कहा। १८७६ में कांग्रेस ने लार्ड रिचमंड की नीति से, जो उन्होंने क्रमशः १८६२ और १८८२ में लगान पर नियन्त्रण में प्रतिबद्धि की थी, १८७२ में एक प्रस्ताव-द्वारा प्रोव्विस्ट लार्ड कर्जन की नीतिकी तुलना परस्पर-विरोधी बताया और इस विचार का विरोध किया कि माखनपि में जमीन नहीं बल्कि ‘कियाया’ है। १८७८ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ। इससे होकर अपने आप कांग्रेस ने इस विषय को छोड़ दिया।

इसके साथ ही इससे सम्बन्धित आबियाते (आबकारी का कर), दुर्भिक्ष और उपायों पर भी हम विचार कर लें तो अच्छा होगा। आबियाते के प्रश्न पर कांग्रेस ने विचार किया और वह १८६५ में हुए मद्रास के अधिवेशन में, जिस साल कि एक आबकारी का कर ५) से बढ़ाकर ५) प्रति एकड़ कर दिया गया था। इन दिनों लगान हुए उनका आर्थिक कारण इन करों और महसूलों की लगातार वृद्धि होते जाना ही दुर्भिक्ष की परिस्थिति के कारण कांग्रेस को सरकार की आर्थिक नीति का सिंहावलोकन उसने सरकार पर अन्धाधुन्ध सैनिक-व्यय करने का दोष लगाया और दुर्भिक्षों को, उनके लिए, लोगों पर लगाये जाने वाले अत्यधिक कर और भारी लगान का बाह्य कारण सरकार की उपेक्षा से देशी और स्थानीय कला-कौशल एवं उद्योग-धन्धों का प्र

इसी बीच अकास-नीकियों की सहायता के लिए मिट्टेन और अमरीका ने धारं हुई उदात्तार्थों रम्भों के लिए धन्यवाद प्रकट करके हुए कांग्रेस ने १,००० पीएच की रफ्त लन्दन के लाइंस मेयर के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि लन्दन के डिग्री प्रमुख स्थान में यह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों की वृत्तगाता का ध्वज एक स्मारक बना दे। यह १८८८ की बात है। मेडिन टेका करते हुए, कांग्रेस ने उन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका यह प्रतिपादन करती आ रही थी; और १८८६ में एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि गवर्नरी गवर्न में कर्मी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धों की उन्नति की जाय, और जमीन का लगान तथा धुआँ करों में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रश्न पर और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की मांग पैदा की गई कि भारत-वासियों की आर्थिक श्रवस्था की जाँच कराई जाय। इसके बाद के आधे-शताब्दी में इस विषय पर और मुद्द नहीं पाते हैं, जिनका कारण शायद यह है कि बाद के वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल गया था।

७. कानून जंगलात

जंगलात के कानूनों से हुए नुकसान को अभी हमने अन्दूरी तरह नहीं समझा है। उनका मुकाबला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने लोगों पर अतृप्त बोझ डाल दिया। जैसा कि १८८१ के नागपुर-अधिवेशन में मि० पाल पीटर पिस्ले ने बताया था, कलम की एक ही रगड़ में सरकार ने रैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके सामाजिक-व्यवस्था में उलट पलट कर दी। जैसा कि डा० वेसेयट ने कहा, इस बात में सन्देह की बहुत कम गुंजाइश है कि देहातियों को ब्रिटिश-शासन के बर्खिलाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने नहीं। एक उत्तरी आर्कांट के ही जिले में, १८६१ में, जो महीने के अंदर ३,००,००० पशु मर गये। रैयत को प्रकृति के द्वारा मिलने वाली सर्वोत्तम सौगातें इनके द्वारा उनसे छिन गईं। "आपकी जमीन है तो पहाड़ी पर, पर आप वहाँ के भाङ-भट्टकों जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते—यहाँ तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पतिया तक आपकी नहीं हैं।"

१८६२-६३ में बड़ी नम्रता के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जंगलात के कानूनों से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं—खासकर दक्षिण-भारत और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, उनकी जांच कराई जाय। पंजाब-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये थे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नर्वे अधिवेशन में पं० मेघनधम ने उन्हें 'अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य-सरकार के लिए फलक-रूप' बतलाया। इनके अनुसार अगर कहीं आग लग जाती, फिर वह चाहे आकस्मिक हो या किसी दुश्मे ने लगाई हो, तो उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उस पर काबिज होता, और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, मानो उसने जान-बूझकर कानून की परवाह न की हो। जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों पर पैदा होने वाली घास और लकड़ी ही संव-कुल्ल थी, उसी पर उनकी और उनके पशुओं की जिन्दगी का दायेदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी गई। यदा तक कि जंगल में तापने के लिए वे आग भी नहीं जला सकते थे। इसके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्टूबर १८६४ को भारत-सरकार ने न० २२ एक का एक मशवरी प्रस्ताव प्रकाशित किया, जिसमें जङ्गलों के प्रबन्ध में रैयतों की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक प्रश्नों को कम महत्व देने का निश्चय स्वीकार किया था।

३ में, आम्द किया कि "तीसरे और चौथे वर्ग के

जंगलों में जलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की चीजें, मछलियों के शौचार बनाने के लिए सामान और खाने की जङ्गली चीजें आदि—उचित प्रतिबंधों के अभाव में मुफ्त दी जायें; और जङ्गलों की सीमायें इस तरह निश्चित की जायें कि जिससे जो इस महकमे के कर्मचारियों से तग हुए बिना अपनी जातीय (सामूहिक) अधिकारों को इस महकमे के कर्मचारियों से तग हुए बिना अपनी जातीय (सामूहिक) अधिकारों करने की छूट रहे ।” ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया कि कानूनों का उद्देश जङ्गलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं बल्कि किसानों और उद्योगियों के लिए उन्हें रक्षित रखना है । साथ ही इस बात की शिकायत भी की गई कि “भिन्न-भिन्न सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार महकमे जङ्गलात के कामोंसे देहाती लोगों पर पड़ता है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दबाव और, तकलीफ में पड़ जाते हैं । १८६६ के बाद के अधिवेशनों में, जंगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ । सिर्फ प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था ।

बात असल में यह हुई कि पुगनी शिकायतों के दो लोग आदी ही हो चुके थे, जो जो नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, फिर भी शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले से बिल्कुल भिन्न प्रकार की थी । इनके, बोअर-युद्ध और रुस-जापान की लड़ाई ने भी अचर्य ही कांग्रेस वालों के मन बदला और जङ्गलात व आविषाने, नमक व आवकारी के छोटे प्रश्नों से हटाकर उनका ध्यान अब स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर आकर्षित कर दिया ।

८. व्यापार और उद्योग

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्यायें हैं, उनके स्वस-स्वास मुद्दों में प्रारम्भिक राजनीतियों ने मली-भाति समझ तो लिया था, परन्तु वे समस्यायें ऐसी थीं जिनका हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था । यह बात वे जान गये थे कि मुकाबले में भारतीय-हित छोटे और गौण समझ जाते थे, साथ ही यह बात भी उन्हें मालूम थी कि ग्रामीण दस्तकारियों और कला-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाय, मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है । श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और साथ लोकमान्य तिलक के एक पक्के अनुयायी थे, बम्बई में हुए कांग्रेस के बीसवें अधिवेशन में इस विषय पर मि० आर्थर बालफोर के आयलैण्ड पर दिये एक भाषण का नीचे उद्धृत किया था :—

“एक-के-बाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोट दिया गया, उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, अथवा इन्लैण्ड वालों के हित में उसे खो दिया गया, और जब तक कि सभ्यता के तमाम स्रोतों को सीमेण्ट लगाकर बन्द नहीं कर दिया और मारा राष्ट्र खेती के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, तब तक यही क्रम जारी रहेगा ।

इससे अधिक दिलचस्प और विचारपूर्ण यह जगह है जो मुसलमानी-राज से ब्रिटिश तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था—“रक्षा, शिक्षा और रेलों के लिहाज से मुसलमान राज्य अच्छा है; मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसलमानी राज्य उससे अच्छा नहीं है । मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी बन गये थे । जिससे हिन्दुस्तान की दीर्घत हिन्दुस्तानी बन गये ।”

इसी बीच अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए ब्रिटेन और अमरीका से आई हुई उदारतापूर्ण रकमों के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए कांग्रेस ने १,००० पीएड की रकम लन्दन के लाइफ मेयर के पास भेजने का निश्चय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्त-सहायता के लिए भारतीयों की कृतज्ञता का सूचक एक स्मारक बना दें। यह १८६८ की बात है। लेकिन ऐसा करते हुए, कांग्रेस ने उन असली उपायों की उपेक्षा नहीं की जिनका वह प्रतिपादन करती आ रही थी; और १८६६ में एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सरकारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय और देशी उद्योग-धन्धों को उन्नति की जाय, और जमीन का लगान तथा दूसरे करों में कमी की जाय। अगले साल सारे प्रश्न पर और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की मांग पेश की गई कि भारत-वासियों की आर्थिक अवस्था की जांच कराई जाय। इसके बाद के अधिवेशनों में हम इस विषय पर और कुछ नहीं पाते हैं, जिसका कारण शायद यह है कि बाद के वर्षों में कांग्रेस का दृष्टिकोण पहले से काफी बदल गया था।

७. कानून जंगलात

जंगलात के कानूनों से हुए मुकसान को अभी हमने अच्छी तरह नहीं समझा है। उनका मुकाबला तो लगान और नमक के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने लोगों पर अशुभ बोझ डाल दिया। जैसा कि १८६१ के नागपुर-अधिवेशन में मि० पाल पीटर पिल्ले ने बताया था, कलम की एक ही रकम में सरकार ने रैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके प्रामाण्य समाज-व्यवस्था में उलट पलट कर दी। जैसा कि डा० बेसेण्ट ने कहा, इस बात में सन्देह की बहुत कम गुंजाइश है कि देहातियों को ब्रिटिश-शासन के बखिलाफ जितना इन कानूनों ने किया उतना और किसी चीज ने नहीं। एक उत्तरी आर्कॉट के ही जिले में, १८६१ में, नौ महीने के अंदर ३,००,००० पशु मर गये। रैयत को प्रकृति के द्वारा मिलने वाली सर्वोत्तम सौगातें इनके द्वारा उनसे छिन गईं। "आपकी जमीन डे सो पहाड़ी पर, पर आप वडा के भइ-भइकों जैसी जंगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते—यदा तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तिया तक आपकी नहीं हैं।"

१८६२-६३ में बड़ी नज़रों के साथ भारत-सरकार से प्रार्थना की गई कि जंगलात के कानूनों से जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं—तासखर दक्षिण-भारत और पंजाब के पहाड़ी इलाकों में, उनकी जांच कराई जाय। पंजाब-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये वे इतने कठोर और अन्यायपूर्ण थे कि नए अधिवेशन में ए० मेथनगम ने उन्हें 'अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य-सरकार के लिए फल-फूल' बतलाया। इनके अनुसार अगले वर्षी आग लग जाती, फिर वह चाहे आइजिक हो या किसी दूसरे के लगाई हो, तो उसके लिए घड़ी ब्याक्व जिम्मेदार माना जाता जो उस जमीन का मालिक होता या उस समय उस पर कानिब होता, और उसके साथ उसी तरह का ब्यारदार होना, मन्त्रों उनमें जिन कानून की परमाद न की हो। जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों पर पैदा होने वाली घास और लकड़ी ही सब कुछ थी, उसी पर उनका और उनके पशुओं की जिन्दगी का दायिमदार था, उनके लिए उसे लेने की मनाही कर दी गई। यदा तक कि जंगल में तापने के लिए वे आग भी नहीं जला सकते थे। इनके विरुद्ध हुए आन्दोलन के फलस्वरूप २० अक्टूबर १८६४ को भारत-सरकार ने न० २० एड का एक कानून प्रकाशित किया, जिसमें जंगलों के प्रयोग में रैयतों का अधिकारपूर्ण आन्दोलन के समाने आर्थिक मन्त्रों को कम-मरत देने का निर्देशन भी करा गया था।

इस का कांग्रेस ने, अपने समस्त अधिवेशन में, आग्रह किया कि "तीवरे और चौदे वर्ष के

जंगलों में अलाने की लकड़ी, पशु चराने के अधिकार, पशुओं के खाने की चीजें, मछानों के औजार बनाने के लिए सामान और खाने की जंगली चीजें आदि—उचित प्रतिशतों पर हर हालत में मुफ्त दी जायें; और जंगलों की सीमायें इस तरह निश्चित की जायें कि जिससे हर एक को इस महकमे के कर्मचारियों से तंग हुए बिना अपने जातीय (सामूहिक) अधिकारों का उपयोग करने की छूट रहे ।" ग्यारहवें और चौदहवें अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया कि कानूनों का उद्देश्य जंगलों की आमदनी का जर्जिया बनाना नहीं बल्कि किसानों और उद्योगियों के लिए उन्हें रक्षित रखना है । साथ ही इस बात की शिकायत भी की गई कि "भिन्न-भिन्न सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके अनुसार महकमे जंगलालत के कामोंसे देशी लोगों पर पड़ता है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दबाव और, तकलीफ में पड़ जाते हैं । १८६६ के बाद के अधिवेशनों में, जंगल-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ । सिर्फ प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक अंश के रूप में इसका उल्लेख रहता था ।

बात असल में यह हुई कि पुण्याई शिकायतों के तो लोग आदी ही हो चुके थे, उनको नई शिकायत उनके सामने आई उसने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, फिर भी शुरुआत के साथ जो समस्या सामने आई वह पहले से बिल्कुल भिन्न प्रकार की थी । इसके, बोझ-युद्ध और रूस-जापान की लड़ाई ने भी अवश्य ही कांग्रेस वालों के दृष्टिकोण बदला और जंगलालत व आबियाते, नमक व आबकारी के छोटे प्रश्नों से हटाकर उनका ध्यान एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्नों की ओर आकर्षित कर दिया ।

८. व्यापार और उद्योग

ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्यायें हैं, उनके खस-खस मुद्दों के प्राथमिक राजनीतियों ने भली-भाँति समझ तो लिया था, परन्तु वे समस्यायें ऐसी थीं जिनका हल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था । यह बात वे जान गये थे कि लालच और मुकाबले में भारतीय-हित छोटे और मौखिक समझ जाते थे, साथ ही यह बात भी उन्होंने समझ ली थी कि ग्रामीण दस्तकारियों और कला-कौशल को चाहे निश्चित रूप से नष्ट न किया जाय, मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है । श्री करन्दीकर ने, जो कि श्री केलकर और श्री साय लोकमान्य तिलक के एक पक्के अनुयायी थे, बम्बई में हुए कांग्रेस के तीसवें अधिवेशन में इस विषय पर मि० आर्थर बालफोर के आयलैंड पर दिये एक भाषण का नीचे विवरण उद्धृत किया था :—

"एक-के-बाद-एक उसके हरेक उद्योग का या तो शुरुआत में ही गला घोट दिया गया, उसे दूसरों (विदेशियों) के हाथ में सौंप दिया गया, अथवा इंग्लैंड वालों के हित में उसे निरस्त दिया गया; और जब तक कि सभ्यता के तमाम स्रोतों को सीमेण्ट लगाकर बन्द नहीं कर दिया और सारा राष्ट्र खेती के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, तब तक यही क्रम जारी रहेगा ।"

इससे अधिक दिलचस्प और विचारपूर्ण वह जगह है जो मुसलमानी-राज से ब्रिटिश राज की तुलना करते हुए एक राजनीतिज्ञ ने दिया था—“रक्षा, शिक्षा और रेलों के लिहाज से मुसलमान राज्य अच्छा है; मगर हिन्दुस्तान की समृद्धि के लिहाज से मुसलमानी राज्य उससे अच्छा है । मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी बन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दीलत हिन्दुस्तानी ही है ।”

तो हिन्दुस्तान को मीज-मजा करने का अपना शिफारस ग्राह्य बना रक्ता है।”

१८६४ में कांग्रेस ने ब्रिटिश-भारत में तैयार होने वाले सूती माल पर कर लगाने जाने का विरोध किया और अपना यह निश्चित विश्वास प्रकट किया कि “यह कर का निश्चय करते वक्त लार्ड शायर के हितों के सामने भारतीय-हितों का बलिदान दिया गया है।” इसमें सन्देह नहीं कि अन्वय का नून के आगे सिर मुकाबर उसकी सर्वस्वों को कम करने का प्रयत्न करने की मनोवृत्ति देश में सदा रही है। अतः इस विषय में भी कांग्रेस ने कहा :—

“यदि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था करने वाला बिल कानून बन जाय तो, उस हालत में, कांग्रेस यह प्रार्थना करती है कि भारत-सरकार बिना विलम्ब के बिल के अनुसार मिते हुए अपने उन अधिकारों से काम लेने की भारत-मन्त्री से अनुमति ले जिसके द्वारा २० से २४ नम्बर तक का सूती माल इस कानून के क्षेत्र से बाहर हो जाता है।”

ग्यारहवें अधिवेशन में घोषणा की गई कि २० नम्बर से नीचे के भारतीय सूती माल को कर से मुक्त रखने पर लकाशायर वालों ने जो आपत्ति की है यह बे-जुनियाद है। १६०६ में, दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो प्रतिद्ध अधिवेशन हुआ उसमें ५० मदनमोहन मालवीय ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि हमारे उद्योग-धन्धों के बारे में हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। उन्होंने कहा, कि “हमारे देश का कच्चा माल देश से बाहर चला जाता है और विदेशों से तैयार होकर उसका माल हमारे पास आता है। अगर हम स्वतन्त्र होते तो ऐसा न होने देते। उस हालत में हम भी उसी प्रकार अपने उद्योगों का धरक्षण करते, जिस प्रकार कि सब देश अपने उद्योगों की शोषणवासी में करते हैं।”

लो० विल्क ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि विदेशी माल की सबसे ज्यादा खपत मध्य-श्रेणी वालों में ही है। उन्होंने कहा, “हमारे अन्दर स्वावलम्बन, दृढ़ निश्चय और त्याग की भावना होनी चाहिए।” स्वदेशी की भावना उत्पन्न होने पर, और १६०६ तथा उसके बाद के वर्षों में बहिष्कार-आन्दोलन से उसको प्रोत्साहन मिलने के फलस्वरूप, भारतवर्ष का ध्यान भारतीय उद्योग-धन्धों के पुनर्जीवन की ओर खिंचा। १६१० में श्री सी० वार्ड० चिन्तामण्य ने स्वदेशी का प्रस्ताव पेश करते हुए श्री रानडे का नीचे लिखा उद्घरण दिया :—

“भारतवर्षु इंग्लैण्ड का ऐसा बगीचा समझा जाने लगा है, जो कच्चा माल पैदा करके ब्रिटिश एजेण्टों के मार्फत ब्रिटिश जहाजों में इसलिए बाहर भेज दे कि ब्रिटिश मजदूरों और ब्रिटिश पूँजी से उसका पक्का माल तैयार हो और ब्रिटिश एजेण्टों द्वारा भारत के ब्रिटिश व्यापारियों के पास उसे भेज दिया जाय।”

श्री रानडे बम्बई-हार्दिकोट के जन थे और बड़े भारी अर्थ-शास्त्री एवं प्रमुख समाज सुधारक थे। कई साल तक यह कांग्रेस की असली शक्ति रहे हैं, और खास कर आर्थिक एवं औद्योगिक मामलों में तो कांग्रेस वालों के लिए वही एक सूत्र के स्रोत थे।

गाय और उनके उद्योग-धन्धों एवं सेठी की बरबादी की ओर भी भारतीय राजनीतिकों का ध्यान गया। १८६८ में ही पंडित मदनमोहन मालवीय ने यह प्रस्ताव रक्खा था, कि “सरकार को देशी उद्योग-धन्धों एवं कला-कौशल की उन्नति करनी चाहिए।” और यह बात तो इतने भी पहले (१८६१ में ही) स्वीकार कर ली गई थी कि जंगलात के कानूनों ने गांव वालों को बड़ी कठिनाइयों में डाल दिया है। सारे मामूली समाज में उपल-पुपल हो गई है, गांव की कारीगरी नष्ट हो गई है और पशु मर रहे हैं—१ लाख तो सितम्बर १८६१ में ही मर चुके थे। १८६१ की नागपुर कांग्रेस में, उर्दू

में भाग्य करते हुए, सा० मुरलीधर ने इस सम्बन्ध में श्रोताओं से बड़ी जोरदार अपील की।
 कांग्रेस के नवें अधिवेशन में (१८६१) पण्डित मदनमोहन मालवीय ने शरीली में कहा था :—

“आपके बुलाहे कहां हैं ? वे लोग कहां हैं जिनका निराह भिन्न-भिन्न उद्योग-गिरियों से होता था ? और जो कारीगर साल-दर-साल बड़ी-बड़ी तादाद में इंग्लैण्ड के देशों की भेजे जाते थे, वे कहां चले गये ? ये सब भूतकाल की बातें होगईं । आज तो लगभग प्रत्येक ध्याक्ति मिटेन के बने कपड़ों से ढंका हुआ है और जहां भी कहीं आप जायें, यती-ही-बिलायती माल आपको दिखाई देगा । लोगों के पास छिवा इसके कोई न्चार खेती-बाड़ी के द्वारा बराबनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-भाष का व्यापार या टका-धेला पैदा कर लें । सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो अब उसका सीवा हिस्सा भी हमारे देशवासियों को नसीब नहीं होता । ऐसी हालत मुली हो सकता है ?”

यह विषय कितना महत्वपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट है कि सर एस० हार्डबोर्ट की जजी से अवकाश ग्रहण करने के बाद १६१४ में ‘गावों के पुनर्जीवन और की कावश्यकता’ पर बहुत जोर दिया था । १८६६ में सा० लाजातगय की प्रेरणा पर दिन सिद्धा एवं उद्योग-धन्धों के विचार में लगाया और इसके लिए एक की । इस सब कार्रवाई के फलस्वरूप औद्योगिक प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जो सब कांग्रेस के साथ १६०१ में हुई । इसके बाद क्रमशः इसमें उन्नति होती गई और स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह सन्दीप्त हो गई है । इसमें सन्देह नहीं कि उद्योग कांग्रेस का ध्यान १८६४ में भारतीय सूती माल पर कर लगाये जाने के कारण ही जिमका उसी समय उसने विरोध किया, लेकिन हम देखते हैं कि स्वयं गवर्नर-जन विरोध किये जाने पर भी वह उठाना नहीं गया । उसे उठाना तो दूर, उल्टे हार्ड निर्देश किया बताते हैं कि “भारतीय माल की प्रतिस्पर्धा से ब्रिटिश-माल को बचा किये जायें ।” गावों की गरीबी का जिक्र करते हुए बार-बार जो यह कहा जाता रहा व्यक्तियों को रोज एक वक्त खाना नसीब होता है, यह सिर्फ ध्वाली बात नहीं है । मुधोलकर ने बड़ी चिन्ता के साथ गोरे शासकों के उद्धरणों से इस बात को सिद्ध क चार्ल्स ईलियट के कथनानुसार, “आधे किमानों को साल की शुरुआत से अन्त तक होता कि पेट भर कर खाना किसे कहते हैं ।” लगान का यह हाल था कि एक छोट्टे रे में ६६ फी सदी बढ़ा, दूसरे में ६६ फी सदी, और तीसरे में ११६ फी सदी हो गया में तो ३०० से १५०० फी सदी तक बढ़ा, जब कि इसके साथ साथ फौजी बढ़ता रहा है ।

जर्मनी में फी सैनिक १४५ ६० सालाना खर्च पड़ता है, फ्रांस में १८५ ६० २८५ ६०, परन्तु हिन्दुस्तान में प्रत्येक अंग्रेज सैनिक पर ७७५ ६० सालाना खर्च कि यह उस हालत में जब कि फी आदमी फी औसत-आमदनी इंग्लैण्ड में ४२ पौण्ड, और जर्मनी में १८ पौंड है और हिन्दुस्तान में सिर्फ १ ही पौंड है । ये सब १८६१

६. स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य

१९०६ के बाद जो नवीन जागृति और नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फैल गया था उसका मूल-कारण वंग-भंग था, हालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वह जागृति इस वंग-भंग की घटना के पहले से भी भीतर-ही-भीतर गर्भ में बढ़ रही थी। पुण्य-नगरी काशी में जब कांग्रेस का २१ वां अधिवेशन १९०५ ईसवी में हुआ तब उसमें वंग-भंग पर विधिवत् विरोध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वह रद्द कर दिया जाय। कम-से-कम उसमें ऐसा संशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा वंगाली-समाज एक शासन में रह सके। परन्तु वंग-भंग-आन्दोलन को दबाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विरय में इस कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास किया गया वह कुछ गोल मोल था; क्योंकि एक ओर जाहा, उसके द्वारा बंगाल में जाही किये गये दमनकारी उपायों का जोरदार और तत्परता-पूर्ण विरोध किया गया, वहां साथ ही उसमें एक टुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब बंगाल के लोगों को मजबूर होकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना पड़ा और बंगाल के लोगों की प्रार्थना और विरोध का खयाल न करके भागव-सरकार बंगाल का विच्छेद करने पर जिम तरह तुली थी, उसे ब्रिटिश लोगों के ध्यान में लाने का, जब एक मात्र यही वैध उपाय रह गया था.....” इसमें यह साफ नहीं मालूम होता, और शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कांग्रेस विदेशी माल के बहिष्कार को पसन्द करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकलते थे कि लोगों के पास शायद दूसरा उचित उपाय बाकी नहीं रह गया था। यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय दल के लोगों को बड़ी आपत्ति होती, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो इससे भी कम स्पष्ट होता। परन्तु जैसा-कुछ प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजपतराय ने एक बुलन्द आवाज उठाई, “हमने अब गिरगिटाने की नीति छोड़ दी है। हम उस साम्राज्य की प्रजा हैं जहां लोग उस पद को प्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है, लड़-भगड़ रहे हैं।” १९०५ में जिस साहस का अभ्यास था वह १९०६ में आ गया। वंग-भंग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कांग्रेस ने बहिष्कार-आन्दोलन का भी समर्थन किया। “यह देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है और वे सरकार से जो प्रार्थनायें करते हैं उन पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय है कि वंग-विच्छेद के विरोध में उस प्रान्त में जो बहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया वह न्याय संगत था और है।” इसके बाद कांग्रेस ने कुछ नुकसान सहकर भी देशी उद्योग-धर्मों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव पास किया। वस, गाड़ी यहीं रुक गई। स्व-शासन की कल्पना कुछ शासन-सुधार-विषयक सूचनाओं से आगे नहीं बढ़ी; जैसे—परीक्षाओंका भारत और इंग्लैण्ड में साथ-साथ होना, कॉमिलों का विस्तार करना और उनमें लोक-प्रतिनिधियों की संख्या का बढ़ाया जाना, भारत-मन्त्री की तथा भारत की कार्यकारिणी कॉमिलों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति की जाना। वस, १९०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का स्वात्मा इसीमें हो जाता था। दूसरे साल सत्र में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और नरम-दल-वाली कांग्रेस ने वो आगे के सालों में बहिष्कार को कर्तव्य छोड़ दिया, सिर्फ स्वदेशी को कायम रखा; और स्व-शासन सम्बन्धी प्रस्ताव उठरते-उठरते सिर्फ मिस्टो-मोलें सुधार-योजना के परीक्षण तक मर्यादित रह गया। १९१० में नये वाइसराय लॉर्ड हार्डिङ्ग आये। उसी वर्ष कांग्रेस ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने की अंगील उठते की। दूसरे साल फिर ऐसी अंगील की गई। परन्तु १९१४ में जब मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसने साहस करके सरकार से यह मतलब किया, कि “वर्गीय २५ अगस्त सन् १९११ के स्वरिते में प्रान्तीय पूर्वाधिकार के

बन्ध में जो बचन दिया गया है उसे पूरा करे, और भारतवर्ष को संघ-साम्राज्य का
और उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हों वे सब किने

१०. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्र
खड़ा हो गया है। नहीं, सर ऑक्लैण्ड कॉलविन (१८८८) जब संयुक्तप्रांत के लैफ्टि
सब से इसकी बुनियाद पढ़ चुकी है। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई थी
कांग्रेस के विरोधी हैं। यहां तक कि ह्यूम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा और इस
लम्बा जवाब उन्होंने सर ऑक्लैण्ड को भेजा। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के
अधिवेशनों की सफलता ने नौकरशाही के मन में हलचल मचा दी थी, जिसके कि
लेफ्टिनेण्ट गवर्नर महोदय ने कर दिया। मुसलमानों पर भी इस विचार का असर तुरन्
न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियों का बजुर्गाना रबैया जरूर अस्तर होगा, जैसा कि
ज्याहिर होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का विरो
हुआ। उनमें शेख रंजाहुसेनखान ने मि० यूल के सभापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन क
के हक में एक पत्रवा पेश किया, [जो कि लखनऊ के मुन्शियों के शम्सुलउल्मा से प्र
या। उन्होंने धड़ल्ले के साथ कहा, कि "मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक—सर
हैं, जो कांग्रेस के मुखालिफ हैं।"

फिर भी वास्तव में लॉर्ड मिण्टो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के ख
धारण किया। हां, इससे पहले लॉर्ड कर्जन ने जरूर जान-बूझकर बंग-भंग के द्वारा अ
और आसाम को अलग प्रान्त बनाकर, जिसमें कि मुसलमानों का बहुमत हो, यह का
मावना आप्रत की। यद्यपि लॉर्ड मिण्टो उस घोड़े को आराम पहुंचाने के लिए भेजे
लॉर्ड कर्जन ७ साल तक सवारी कसकर उसका दम करीब-करीब निकाल चुके थे; पि
भेद और अलगाव की वह काठी, जिस पर कर्जन सवार रहते थे, घोड़े की पीठ पर ज्य
रही। मिण्टो की शासन-सुधार-योजना में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-संघ की
थी, परन्तु साथ ही संयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का उनका हक ज्यों-का-त्यों का
या। संकीर्ण बुद्धि के राजनीतिज्ञों ने उस समय यह बताया कि बंगाल, आसाम और
हिन्दू जातियों को ऐसा विशेषाधिकार नहीं दिया गया। परन्तु यह तो असल में सई
मटक जाना था। जो बड़ी अजीब बात थी वह तो यह कि भिन्न-भिन्न जातियों के ति
मताधिकार रक्खा गया था। एक मुसलमान तीन हजार रुपये साल की आयमदनी वाल
हो सकता था वहां एक गैर-मुस्लिम तीन लाख सालाना आयमदनी वाला हो सकता थ
प्रेसिडेंट को मतदाता बनने के लिए यह काफी था कि उसे प्रेसिडेंट हुए तीन साल हो
मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी था। अब गौर तो कीजिए, एक तरफ
और दूसरी तरफ तीन लाख रुपये! एक तरफ तीन साल और दूसरी तरफ तीस साल
सांख्यिक बालिग मताधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम अस्तर ऐसे मतावलम्
मुना करते हैं। मुसलमान दोनों जातियों के लिए मताधिकार के भिन्न-भिन्न स्टैण्डर्ड
कि मतदाताओं में ठीक-ठीक अनुपात कायम रहे।

प्रश्न पर मेल हो जाय। उस समय म्युनिसिपैलिटियों और लोकल-बोर्डों में पृथक् निर्वाचन का तरीका जारी होने की बात चल रही थी। मुक्तप्रांत में, जहाँ कि पृथक् निर्वाचन नहीं था, यह पाया गया कि संयुक्त निर्वाचन में मुसलमानों की संख्या कुल आबादी की ३/५ होते हुए भी जिला-बोर्डों में मुसलमान १८६ और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्युनिसिपैलिटियों में मुसलमान ३१० और हिन्दू ५६२। यहाँ तक कि सर जॉन ह्यूवेट जैसा प्रतिगामी संयुक्तप्रांत का लेफ्टिनेण्ट गवर्नर भी उस प्रान्त में दोनों जातियों के मेल-मिलाप में खलल डालने के हक में नहीं था। हाँ, श्रीयुक्त जिन्ना ने जरूर स्थानिक संस्थाओं में पृथक् निर्वाचन प्रचलित करने की निन्दा की थी। एक 'बर्न' सरस्यूलर निकला था जोकि स्थानिक संस्थाओं में आविगत प्रतिनिधित्व के पक्ष में था। उसमें यह प्रतिपादन किया गया था कि मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन के अलावा संयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे ताल्लुकवात कायम रखने में मदद मिलेगी। इस पर पं० विरान-नायडय दूर ने, जो कि १९११ में कलकत्ता-कांग्रेस के सभापति थे, कहा था कि "मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी एकता बढ़ाने की यह उन्कण्ठा, हमारे भोलेपन से, बहुत भारी हुईगी लिखना लेना है।" उन्होंने यह भी बताया, कि "जब सर डब्ल्यू० एम० वेदरबर्न और सर आंगाराना की सलाह के मुताबिक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहबाद में मिलने वाले थे, इस उद्देश से कि आपस के मतभेद मिटा दिये जायें, तब एक गोरे अखवार ने, जो कि सिविल सर्विस वालों का पक्ष समर्थ करता है, लिखा था कि 'ये लोग क्यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते हैं, सिवा इसके कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुलाजिमती की जाय।' उसका यह वाक्य भारत की राज-नीतिक स्थिति पर एक भयानक प्रकाश डालता है।"

परन्तु इनके थोड़े ही दिनों के बाद दुनिया की शक्तों में एक भारी परिवर्तन हो गया। बाल-यन राज्य जो एक या दो सदी से यूरोप के मुगों के लड़ने का अलाका बना हुआ था, फिर एक बार नई लड़ाइयों का मैदान बन गया। तब १९१३ में नवाब सय्यद मुहम्मदबहादुर ने, जो फ्रांसीसी-कांग्रेस (१९१३) के सभापति थे, "यूरोप में तुर्क-साम्राज्य की नींव उखाड़ने और, ईरान के दम घोटने के प्रयत्नों" की ओर ध्यान दिलाया था। तुर्की साम्राज्य भी लगे उस धके को जिस दुःख के साथ मुस-लमानों ने महसूस किया उगीही उन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया। अन्तमें उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों को अपने भाग्यभूमि के लिए कल्पे से-कल्पा लड़ाकर वाम करने पर बहुत जोर दिया। यह हमें १९२१ के गिरफ्तार-आन्दोलन और हिन्दू मुसलमान सम्बन्धों पर हुए उसके असर की याद दिलाता है। यूरोप के गेगी (१९ वीं सदी तक के इतिहास की यही कहा जाता था) ने अब तक हिन्दुस्तान की राजकीय की नींव बिना बरतने में बड़ा भ्रम किया है। ये स्थितियाँ थीं जिनमें १९१३ की फ्रांसीसी-कांग्रेस में हिन्दू और मुसलमानों ने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुस्लिम-लीग के इस विचार की, कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तमें भाग्यभूमियों को स्व-शासन दिया जाय, पसन्द किया और हिन्दू-मुसलमानों के बीच एक एक-दूसरे का भाव बढ़ाने के मुस्लिम लीग के कथन की पसन्द किया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का पक्ष दर्शित इन आशा का भी स्वागत किया कि मित्र-मित्र जातियों के बीच एक-दूसरे का सम्बन्ध समझी पर मिलकर एक साथ काम करने का समझा निहालने की हर तरह की कोशिश की और अपने दिम से इस जाति व तरक के लोगों से आशय की कि वे इन उद्देश की पूर्ति में हर तरह का सहक करें।

इस समय कांग्रेस कल्पे के सम्बन्ध में गेगी उठ रहे थे, इसका फल उन लड़ाइयों के अन्तमें ही बनी बनी भाव से कल्प है जो फ्रांसीसी (१९१३) इन दिनों के सम्बन्ध पर कीये थे।

११. प्रवासी भारतवासी

जहाँ भारत में भारतीयों की स्थिति काफी खराब थी, वहाँ दक्षिण-अफ्रीका-स्थित भारतीयों की हालत बद से बदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यह कानून बना कि नैटाल, दक्षिण-अफ्रीका, के शर्ववन्द प्रवासी अपने इकरारनामे की अवधि के समाप्त होने पर या तो अपनी गुलामी को फिर नो सिरे से शुरू करवें—कुली बनने का इकरारनामा फिर से भरें, या अपनी वार्षिक आय के आधे भाग के बराबर मनुष्य-कर (पॉल टैक्स) दें। इस प्रसंग पर डा० मुजे के शब्द दोहराना असंगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १९०३ में बोअर-युद्ध के सिलसिले में एम्बुलेंसकोर के साथ की गई अफ्रीका-यात्रा के बाद वहा से आकर कहे थे—“हमारे शासक हमें मनुष्य नहीं समझते।” इसी प्रसंग में श्री वी० एन० शर्मा ने इंग्लैण्ड को यह चेतावनी दी थी कि साम्राज्य में एक जाति की उन्नति या प्रभुत्व स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी की २१ वीं कांग्रेस (१९०५) में कहा था—“यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बड़े-बड़े दार्शनिकों, महान् राजनीतियों और वीरवर योद्धाओं को उत्पन्न करनेवाली जाति छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरी जाति के पांव नहीं पड़ सकती।”

अखिल भारतीय कांग्रेस के सामने पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नहीं कि और भी अनेक ऐसे भारतीय मित्र थे, जो समय-समय पर अफ्रीका जाते थे और वहा के पूरे समाचार वहा की जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रतिशर् इसी उद्देश से आते थे। अपने नारगी कपड़ों, ठिगने कद तथा लम्बी साठी के कारण वह कांग्रेस में कभी छिपे न रह सकते थे। हाल ही में बुढ़ापे में हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय समा से एक परिचित व्यक्ति को उठा दिया है। दक्षिण अफ्रीका-सम्बन्धी अयोग्यताओं का वस्तुतः पहला विरोध १८६४ में हुआ, जब कि अध्वत् ने इस आशय का प्रस्ताव पेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह विला रद कर दिया जाय, जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर कांग्रेस में दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न अधिकाधिक महत्व ग्रहण करता गया और हर साल ही यह आवाज उठाई जाती कि “हमें किस तरह विना पास के यात्रा करने की और ६ बजे रात के बाद घूमने तक की आजादी नहीं है, किस तरह हमें ट्रांसवाल में उन वस्तियों में भेजा जाता है जहाँ कूड़ा-करकट जलाया जाता है, किस तरह हमें रेलों के पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने की इजाजत नहीं है, ट्रामकारों से बाहर निकाल दिया जाता है, फुटपाथ से धक्के दे दिये जाते हैं, होटलों से बाहर रक्खा जाता है, सार्वजनिक बाग-बगीचों का लाभ हमें नहीं उठाने दिया जाता, और किस तरह हमपर धुका जाता है, हमें धिक्कारा जाता है, गालियां दी जाती हैं और उन अमानुष तरीकों से अपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य पीता-पूर्वक सहन नहीं कर सकता।”

१८६८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये जा चुके थे और उसी समय गांधीजी ने अपना प्रतिद्वन्द्व आन्दोलन शुरू किया। इसमें भी सबसे अधिक अफ्रीका की बात यह थी कि वर्तमान वाइसराय लार्ड एलगिन ने इस कानून के पास होने पर सहमति दी थी और उस समय के भारत मन्त्री लार्ड जॉर्ज हेमिल्टन हमें ‘जंगलियों की जाति’ कहकर संतुष्ट हुए थे। १९०० में मृतपूर बोअर-अन्वय मिटिंग-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें अधिवेशन (१९००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र बोअरों पर नियंत्रण करने में सरकार को जो कठिनाई होती थी वह दूर हो गई है और इसलिए अब नैटाल में प्रवेश-सम्बन्धी पाबन्दियां और सीलर्स लाइसेन्स-कानून उठा देने चाहिए। १९०१ की १७ वीं कांग्रेस (कलकत्ता) में गांधीजी ने दक्षिण-अफ्रीका प्रवृत्ति।

इस प्रवृत्ति के रूप में दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव

अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह

पेश किया था। १९०२ में भारत-मन्त्री से इस प्रश्न पर एक शिष्ट-मडल भी मिला, नतीजा न निकला। कांग्रेस ने १९०३ और १९०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराया। विधान के जिम्मेदार हलकों में बोज़र युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से एक यह था कि “ब्रिटिश सम्राट् की भारतीय प्रजा के साथ जनतन्त्र में दुर्व्यवहार किया जाता है” और यह भी कि “भारतीय प्रजासिधियों के साथ भी ग्याय और समान व्यवहार किया जाय।” जनतन्त्र की ओर भी सब का ध्यान स्वीचा। लेकिन १९०५ में हालत और भी खराब हो गई। शासन में जिन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन ब्रिटिश-शासन सख्ती से होने लगा। कांग्रेस ने इसका भी तीव्र विरोध किया और शर्तबन्दी कुली-प्रतिबन्धक कानूनों को हटाने की मांग की। सरकार ने ट्रान्स्वाल में इस आर्डीनेन्स को चालू करने की आज्ञा नहीं दी। इससे भारतीयों को संतोष हुआ। लेकिन १९०६ में देश के लिए जो शासन-विधान स्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पुनः संभावना थी। १९०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनों दक्षिण-अफ्रीका के विधान की पूर्ति हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि इसको बनाते हुए ही भी पूरी रक्षा की जाय। १९०८ की २३ वीं कांग्रेस (मद्रास) में श्री मुखीरहसेन ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपनिवेशों में उच्चकुलीन और प्रतिष्ठित भारतीयों तक के कटोर, अपमानजनक और क्रूर व्यवहार पर रोष प्रकट किया गया था और यह चेतावनी कि इसके फल-स्वरूप ब्रिटिश-साम्राज्य के दिनों को भारी हानि पहुँचेगी।

१९०६ में कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय और परिणाम नहीं निकला। इस वर्ष की कांग्रेस में भी गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए “के विश्वास-घात और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त संग्राम” का अर्थ प्रभावकारी आन्दोलन का समय आ चुका था और निष्क्रिय प्रतिरोध (सत्याग्रह) संग्राम शुरू हुआ। “यह निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है?” यह प्रश्न उठाकर भी गोखले ने जवाब दिया, कि “यह अपने-आप में विलकुल रत्न्यात्मक है और नैतिक व आध्यात्मिक है। इसमें युद्ध किया जाता है। एक सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहन कर अत्याचारका मुकाबला पशुबल के सामने आत्मबल का प्रयोग करता है; वह मनुष्य के पशुत्व के विरुद्ध प्रेरित करता है; वह अत्याचार के विरुद्ध कष्ट-सहिष्णुता दिखाता है; वह शक्ति का विरोध से, अन्याय का विरोध विश्वास और भद्रा से तथा अनुचित का विरोध उचित से करता है।” १९०७ का सन्देश भी इकट्ठा हो गया। इसके अलावा सर जमरोद जी का पुत्र भी रतन दाता ने पचासी भारतीयों के कष्ट-निवारण के लिए २५,००० रुपये का अर्पण (लाहौर १९०६) में इस उदारता के लिए भी रतन जी का नाम कांग्रेस के आगामी अधिवेशन (इलाहाबाद १९१०) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का संग्राम कोमा पर पहुँच चुका था। कांग्रेस ने ट्रान्स्वाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देश-प्रेम का त्याग भी प्रशंसा की, जो अपने देश के लिए वीरता-पूर्वक कैद भोगते हुए, अपने देश को रक्षते हुए भी, अपने प्रारम्भिक नागरिक अधिकारों के लिए शान्तिपूर्ण और स

वीर समाज और गांधी जी को हार्दिक भयवाद दिया जा सका था। लेकिन कांग्रेस ने "हाल ही में हुए प्रान्तीय संसदों-सम्बन्धी गांधी कानून की संभावना में" यह प्रस्ताव पास किया था। अगले साल (१९१३) में भी गिरमिट-कानून की अनेक भाग्यशंका का विरोध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की यूनिन ने अपने पत्रों को तोड़ दिया था। ब्रिटिश-सम्राट् ने कांग्रेस ने इस कानून को रद्द कर देने का अनुरोध भी किया। उन दिनों लॉर्ड हार्डिङ्ग पारसपाय थे। उन्होंने इस मामले में कड़ाई का रुत लिया और उन्हें और अधिक यशस्वी बनाने के लिए कराची-कांग्रेस ने १९१३ में शर्वरन्दी जुली-प्रथा को नष्ट करने का अग्रणी प्रस्ताव दोरघटा। इसके बाद शीघ्र ही यह प्रथा तोड़ दी गई और कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक सम्बन्धों के लिए लॉर्ड हार्डिङ्ग के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यद्यपि १९१६ और १९१७ में इस प्रश्न पर फिर से विचार करना पड़ा। कराची-अधिवेशन में गांधी जी तथा उनके अनुयायियों के वीरता पूर्ण प्रयत्नों और भारत के आत्म-सम्मान की रक्षा और भारतीयों के कष्ट-निवारण की लड़ाई में किये गये अपूर्व आत्मत्याग की प्रशंसा में एक प्रस्ताव पास किया गया।

सन्ततः यह भारत को गांधी जी का वास्तविक परिचय था, क्योंकि गत महासमर के छिड़ने के बाद बहुत जल्दी ही गांधी जी अग्रणी छुड़कर भारत चले आये और १९१५ में आज़तक वह अपने सत्य के प्रयोग कर रहे हैं और चम्पारन, ऐजा, बोखर, बारडोली एव सारे भारत में सत्याग्रह का नेतृत्व करते रहे हैं। इनका परिणाम विश्व-विदित है और इन पर हम दूसरे अध्यायों में यथा-स्थान विचार करेंगे।

कनाडा की प्रिवी कांसिल ने 'लगातार यात्रा-धारा' के नाम से प्रसिद्ध आशा देकर भी भारत के लिए एक मनोरंजक समस्या उत्पन्न कर दी थी। कराची-कांग्रेस ने १९१३ के २८ वें अधिवेशन में इस आचार पर इसका विरोध किया।

"कनाडा की प्रिवी कांसिल के हुकम (न० ६२०) के अनुसार, जो आम तौर पर 'लगातार यात्रा-धारा' कहलाता है, वहां जाने की जो मनाही है उसका यह कांग्रेस विरोध करती है; क्योंकि उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मनाही हो जाती है जो वहां रहने न लग गया हो। क्योंकि दोनों महाद्वीपों के बीच कोई सीधा जहाज नहीं आता-जाता और जहाज वाले सीधा टिकट देने से इनकार करते हैं, जिससे वहां रहने वाले भारतीय अपने बाल-बच्चों को नहीं ला पाते हैं, इसलिए यह कांग्रेस साम्राज्य-सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्युक्त 'लगातार यात्रा-धारा' रद्द कर दी जाय।"

गत महासमर छिड़ने के बाद जल्दी ही भारत के इतिहास में एक मजेदार, नवीन और अद्भुत घटना हुई। आने वाली संतति को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए। कनाडा की इस धारा को तोड़ने के लिए बाबा गुरुदत्तसिंह नामक एक सिक्ख सज्जन ने 'कौमागाटामारू' जहाज किये पर लिया और हांगकांग या टोकियो बिना उतराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्खों को कनाडा ले गये।

कौमागाटामारू जहाज के यात्रियों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया और जहाज को भारत में लौटना पड़ा। वापसी पर यात्रियों की बन्वज से, जहां वे उतरे थे, सीधा पंजाब जाने की आशा दी गई और दूसरी किसी जगह जाने की मनाही कर दी गई। यात्रियों ने सीधे पंजाब जाना पसन्द नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले सरकार हमारी बात तो सुन ले; हमारे साम इस हुकम से अन्याय होता है और इसमें हमें आर्थिक हानि भी बहुत होगी। सीधे पंजाब जाने के बजाय, उन्होंने

अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव—एक सरसरी निगाह

गिरफ्तार हो जाना अधिक अच्छा समझा । कोमागाटामारू के आदिमियों की, जिन मनमुँहानी (श्व स्वामी गोविन्दानन्द) भी थे, शेष कहानी—दंगा कैसे हुआ, कि गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदत्तसिंह ७-८ साल तक कैसे गुप्त रहे और उड़ीसा, ब्यालियर, राजपूताना, काठियावाड़ और सिन्ध में किस तरह १९१८ तक घूमते रहे, बम्बई जाकर महाल बन्दर में वल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर ह अपने निर्वासन-काल (नवम्बर १९२१) में गांधी जी से मिले जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार सलाह दी, कैसे उन्होंने इस परामर्श को कार्यान्वित किया, २८ फरवरी १९२२ को से उस आर्डिनेन्स की श्रवण समाप्त होने पर छोड़े गये जिसके अनुसार वह गिरफ्तार आदि—इस पुस्तक के क्षेत्र के बाहर की चीज है ।

१२. नमक

१९३० के नमक-सत्याग्रह के कारण, नमक-कर का प्रश्न भारतीय राजनीति पर महत्वपूर्ण हो गया है । जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के नमक-सिद्धारियों जानते हैं, उन्हें यह जान कर बहुत आश्चर्य होगा कि १८८८ में कांग्रेस के विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर अन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश्य व्यवसाय और निर्यात व्यापार को बढ़ाना था; बल्कि इस आधार पर किया, कि हाल ही में की गई वृद्धि से गरीब लोगों पर भार और मी बढ़ गया है; और इसके शान्ति और सुख के समय में ही ऐसे कोष में से खर्च करना शुरू कर दिया है, जो लिए साम्राज्य की एक मास निधि है ।” १८९० में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई छेने की—न कि नमक-कर को हटाने की—मांग की । आठ दूसरे मौकों पर कांग्रेस प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ के दर को और एक दफा १८८८ के रखने की मांग की । १९०२ में इस प्रश्न पर अन्तिम बार विचार करते हुए कांग्रेस कि “इस समय जो बहुत-सी भीमारियाँ फैल रही हैं उनका एक खास कारण (नमक-कर का कम इस्तेमाल किया जाना भी है ।” इसके बाद ‘नमक’ कांग्रेस से उठकर गया और वहाँ भी गोखले खास तौर पर इसमें दिलबस्ती लेते रहे ।

१३. शराब और बेरियागुल्ल

नैतिक पवित्रता इतनी आवश्यक वस्तु है कि कांग्रेस उस पर ध्यान दिये बिना शराब की बढ़ती हुई खात को देखकर संयम और मद्य-निवारण की मांग की गई । समय ने कामन-सभा में इस प्रश्न को उपस्थित किया और १८८९ में इस सम्बन्ध में पास हुआ । कांग्रेस ने भी कामन-सभा वाले प्रस्ताव को ‘कार्य-रूप में परिलक्षित किया । १८९० में कांग्रेस ने शराब पर आयात-दर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराब बजाल-सरकार के टोके पर शराब बनाने की पद्धति को दूर करने के निश्चय तथा (१८८९-९०) ७,००० शराब की दुकानों बन्द करने पर हर्ष प्रकट किया; लेकिन इस प्रकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के करों की इन हिदायतों पर अमल “स्थानीय जनता के भाव को जानने का प्रयत्न किया जाय और मालूम होने पर उन

विलफ्रीड लॉसन के 'परमिसिव बिल' या 'लोकल थाप्पान एक्ट' के समान कोई बिल पेश करे और दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए आने वाली नशीली वस्तुओं पर अधिक कर लगावे।" इस प्रसंग में यह याद करना बचिकर होगा कि कुमार एन० एम० चौधरी ने कांग्रेस में श्री केशवचन्द्र सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि ब्रिटिश सरकार जहां हमारे लिए शैक्सपीयर और मिल्टन लाई है वहां शराब की बोतलें भी लाई है।

१८८२ के 'एक्ससाइज कमीशन' के अनुसार मजदूरी पेशे वालों में शराब का अधिक प्रचार हो रहा था। अतः कांग्रेस ने कहा कि नशीली चीजों ने मजदूरों पर अपना असर डाल दिया है, इसलिए भारतीय कला-कौशल और उद्योग-धनों की उन्नति में सहायता करने का सरकार का उदार-विचार असफल हो जायगा।

राज्य-नियंत्रित वेर्या-वृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विषय था। यह सब जानने हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छावणियों में युद्ध-यात्राओं में स्त्रियों को एकत्र करती थी। जब ये चीजें पहले-पहल अमल में लाई गईं तो बहुत भीषण मालूम हुईं, लेकिन ज्यों-ज्यों उनका सहवास बढ़ने लगा त्यों-त्यों झोम कम होता गया। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (१८८८) ने सि० मूल की अप्रयत्नता में उन भारत-हितैषियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य की ओर से बनने वाले कानूनों और नियमों को पूर्णतया रद्द कराने के लिए इस्लैण्ड में कोशिश कर रहे थे। कैप्टेन वैन ने अपने एक श्रोतस्वी भाषण में कहा था कि २,००० से अधिक भारतीय स्त्रियों को सरकार ने वेर्यावृत्ति के कुत्सित उद्देश से इकट्ठा किया था। इससे युवक सिपाही असतत जीवन बिताने को प्रोत्साहित हुए। इलाहाबाद में हुए आठवें अधिवेशन (१८८२) में कामन-सभा को "भारत-सरकार द्वारा बनाये गये पवित्रता-सम्बन्धी कानून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए" धन्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत में सरकार द्वारा नियमित अनैतिक कार्यों का विरोध किया गया।

इससे अगले साल इण्डिया-आफिस-कमिटी के पार्लामेंट के सदस्यों ने छावणियों की वेर्यावृत्ति तथा छूत रोगों-सम्बन्धी नियमों, आशु-आँसु और प्रयाशों के विषय में एक रिपोर्ट तैयार की। कांग्रेस ने घोषणा की कि रिपोर्ट में वर्णित कारनामों और आशयों कामन-सभा के ५ जून १८८८ के प्रस्ताव के अर्थ और उद्देश के विरुद्ध थीं और इन तरीकों और बुरी प्रथाओं को बन्द करने के एक मात्र उपाय सशस्त्र कानून बनाने की मांग की।

१४. स्त्रियाँ और दलित जातियाँ

सि० मापेटेयु की भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियों का दाय भी देश के सामने पेश हुआ—और, वस्तुतः यह बहुत आश्चर्यजनक है कि भारत में कितनी जल्दी पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकार मान लिए गये। कलकत्ता-कांग्रेस ने १६१७ में यह सम्मति प्रकट की थी, कि "शिवा तथा ग्यानीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली निर्भरित संस्थाओं में मत देने तथा उम्मीदवार बनने होने की, स्त्रियों के लिए भी, पूरी रातों रक्ती जायें जो पुरुषों के लिए हैं।" इसीसे मिलने-जुलने दलित जातियों के मरुत पर भी, इसी कांग्रेस ने एक उदार प्रस्ताव स्वीकार किया:—

"यह कांग्रेस भारतवासियों से आभार पूर्वक कर्ती है कि वेर्यर से दलित जातियों पर जो कदापि चली आयी है बहुत दूर करने वाली और धोमकारक है, जिनसे दलित जातियों को बहुत कठिनायें, मुकामों और असुविधाओं का सामना करना पड़ा है; इसलिए न्याय और मरुत की यह वरकाम है कि वे दलित जातियों उदा की जायें।"

१५. विविध

इस अवधि में कांग्रेस ने समय-समय पर और भी अनेक विषयों की ओर ध्यान दिया। विविध पहलुओं—प्राथमिक, विद्यापीठी, पुरातत्व और कला-कौशल-सम्बन्धी शिक्षा में बहुत दिलचस्पी ली। प्रान्तीय और केन्द्रीय राजत्व, चादी-कर, आयकर और विनिमय-दर वजे आदि आर्थिक विषयों पर भी कांग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थानीय स्वराज्य सह विशेषतः मद्रास और कलकत्ता के कांग्रेसियों के सम्बन्ध में प्रतिगामी कानूनों से कांग्रेस हुए। स्वास्थ्य और विशेषतः प्लेग और बवारपेट्रीन-सम्बन्धी, बेगार वगैरा पर भी कभी-कभी होजाता था। राजभक्ति की शपथ भी कई बार ली गई। १९०१ में महारानी विक्टोरिया और १९१० में सम्राट् एडवर्ड की मृत्यु पर कांग्रेस को अपनी राजभक्ति फिर प्रकट करने में मिला। एडवर्ड और जार्ज पंचम के (१९०५ में युवराज और १९१० में सम्राट् की स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किये गये।

ब्रह्मदेश

आज हम देखते हैं कि बर्मा के पृथक्करण को लेकर एक बड़ा संपर्क-सा चल पा रहा है। उद्योग के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि कांग्रेस का जन्म हुआ था। पहली कांग्रेस ने बर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था—“यह कांग्रेस उत्तरी बर्मा के मिलाये जाने का विरोध करती है और उसकी राय में—यदि सरकार दुर्भाग्यवश उसे ही निश्चय कर ले तो—पूरा ब्रह्म देश हिन्दुस्तानी वाइसराय के कार्य-क्षेत्र से अलग रक्ता जाय। एक शाही उपनिवेश बना दिया जाय तथा प्रत्येक कार्य में सीलोन के अनुसार वह इस देश से अलग रक्ता जाय।”

१६. कांग्रेस का विधान

कांग्रेस के इन ५० सालों के जीवन में विधान-सम्बन्धी इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन विधान का इतिहास भी बहुत रोचक हो गया है। यह सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्वर्ण-जॉइंट स्टॉक कम्पनी की तरह ‘आर्टिकल्स’ या ‘मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन’ बनाकर के २१ वें कानून के अनुसार ‘रजिस्टर्ड सोसाइटी’ की तरह पहले से ही नियमादि बना-है। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद्ध पुरुषों के सम्मेलनों से हुई। यह अपने ऊंचे उच्च नैतिक बल से ही कर सकती थी। इसने धीरे-धीरे अपने नैतिक बल से अपने आकार-शक्ति में वृद्धि प्राप्त की है। और इसी नैतिक बल पर इसने अपने महान् उद्देश की पूर्ण-मदद-रक्ता है। शुरू में १८८६ में कांग्रेस के संचालन के लिए एक विधान तथा नियम-गम्भीरता से विचार हुआ। एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए कमिटी तो बना दी-विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जब तक कांग्रेस को कुछ अधिक अनु-तथा वह अन्य प्रान्तों में भी धूम आये। फिर भी सारे साल भर कांग्रेस के काम को आवश्यकता साफ-साफ अनुभव होने लगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दो अधिवेशनों-काम बहुत कम हुआ करता था। १८८९ में कांग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संख्या-कांग्रेस को प्रति दस लाख जन-संख्या के पीछे पांच प्रतिनिधियों की संख्या सीमित-का-भारत में कांग्रेस का एक सहायक-मंत्री नियुक्त हुआ और इंग्लैण्ड की कमिटी को भी

उन दिनों कांग्रेस भारत और इंग्लैण्ड में अपने कार्य के लिए खर्च करने में कोताही न बम्बई के २० वें अधिवेशन (१९०४) में यह निश्चय किया गया कि पार्लमेण्ट के चुन-इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मण्डल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठे किये गये (१९०५) कांग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तावों के अनुसार कार्य करने के लिए १५ सदस्यों की एक स्थायी कमिटी बनाई गई। १९०६ में दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के शब्द में स्व-शासन का अर्थ दिया—“हमारा सारा आशय केवल एक शब्द स्व-शासन या स्व-शासन (इंग्लैण्ड या उपनिवेशों में है) में आ जाता है।” तथापि जब इसे प्रस्ताव के रूप में प्रश्न उठा, तो इसे नरम कर दिया गया। कांग्रेस का प्रस्ताव यह था—“स्वराज्य-प्राप्त करने के लिए जो शासन-प्रणाली है, वही भारत में भी जारी की जाय” और इसके लिए अपने ही मांग की गई।

कलकत्ता-कांग्रेस का वातावरण राष्ट्रीयता की भावना से लबालब था, इसमें स्व-शासन के लिए राष्ट्र को संगठित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया और निश्चय किया कि—“प्रत्येक प्रान्त अपनी राजधानी में उस तरह से प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी का संगठन करे कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय। कांग्रेस के तमाम विषयों में प्रान्तीय कांग्रेस प्रान्त की ओर से कार्य करेगी और उसे प्रान्त में कांग्रेस का काम बराबर चलाते रहने के लिए सहाय्य सगठित करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए।” कांग्रेस के समापति की निर्वाचन-समिति बदल दी गई। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वारा मनोनीत व्यक्तियों में से स्वागत-समिति चुनाई गयी जो किसीको समापति चुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए इतना ही प्रान्तीय सहाय्य समिति (४६ सदस्यों की बनाई गई नई समिति) इस प्रश्न का अन्तिम

विषय-निर्वाचनी-समिति के निर्णय का भी नया तरीका जारी किया गया। सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे और उस प्रान्त के १० और प्रतिनिधि लिये जायेंगे जिसमें उस वर्ष के समापति, स्वागत समिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनों के समापति और अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधान मन्त्रीगण और कांग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी अधिकार से विषय-निर्वाचनी समिति के सदस्य माने गये।

कांग्रेस-विधान में जो नया परिवर्तन हुआ वह वस्तुतः युग-प्रवर्तक था। स्व-शासन का कारण जिन नेताओं ने इलाहाबाद में ‘कन्वेंशन’ सजा किया उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में सबसे पहले यह घोषणा की गई कि चाकायदा निर्वाचित समापति बदला नहीं जा सकता। स्व-शासन में डा० रासबिहारी घोष के चुनाव पर ही बड़ा भगड़ा हुआ था। इसके बाद लोक-शासन का वास्तविक विषय था—कांग्रेस का ‘कीड’ यानी ध्येय। स्व-शासन कांग्रेस के भङ्ग के एक दिग्दर्शक (१९०७) को जैसे ही विचार रखने वाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया कि—“हमारा उद्देश है ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली भारत में भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों के दायरों में सम्मिलित होना।”

१९०८ के विधान के अनुसार महासमिति (आल इण्डिया कांग्रेस कमिटी) का अर्थ यह होने लगे था—

लीग की छत्रछाया में आरम्भ किया। इसी समय लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में २३ अप्रैल १९१६ को एक पृथक् होमरूल लीग स्थापित की थी। इसके बाद १९२० में जाकर कांग्रेस के विधान में परिवर्तन हुआ। कलकत्ता-कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीकार कर चुकी थी। नागपुर के अधिवेशन ने कांग्रेस के विधान में अनेक संशोधन किये। कांग्रेस का १९०८ वाला ध्येय 'समस्त शान्तिमय और उचित उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' में बदल दिया गया। सम्पूर्ण कांग्रेस-कार्य नये सिरे से संगठित किया गया। भाषा-कर्म के आधार पर प्रान्तों का पुनर्विभाजन किया गया। आन्ध्र को पृथक् बनाने का प्रश्न १९१५ और १९१६ में उठाया गया था और १९१७ में समापति डॉ० एनी बेसेण्ट तथा मदरास के अनेक प्रतिनिधियों के तीव्र विरोध करने पर भी स्वीकार कर लिया गया। १९१७ में हो गांधी जी की भी यही सम्मति थी कि यह प्रश्न सुधारों तक स्पष्ट कर दिया जाय, परन्तु यह लोकमान्य तिलक की दूरदर्शिता थी कि जिससे आन्ध्र को पृथक् प्रान्त का रूप दे दिया गया। इसीके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर विचार और संशोधन करके अपनी रिपोर्ट महा-समिति में पेश करने के लिए एक और उपसमिति बनाई गई। इसके बाद ही सिंध ने भी अपने पृथक् प्रान्त बनाये जाने की माग की। वह स्वीकृत भी हो गई, लेकिन कर्नाटक और फेरल की मांगों का तब फैसला हुआ, जब १९२० के नागपुर-अधिवेशन के बाद प्रान्तों का पुनर्विभाजन हुआ।

१७. १९१८ तक सरकार द्वारा अस्वीकृत मांगें

भारत ही राष्ट्रीय माग केवल भावनात्मक नहीं है, उसके पक्ष में प्रबल और व्यावहारिक युक्तियाँ हैं, और वर्तमान अनस्थायी में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए यदि उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेख मात्र कर देना काफी होगा, जो कांग्रेस ने बार-बार पेश किये मगर जिन पर ३२ साल से भारत सरकार ने व प्रान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया और १९१८ तक भी वे हमारी मांगें बनी रहीं :-

- (१) इण्डिया काँग्रेस लोड दी जाय (१८८५)
- (२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैण्ड और भारत दोनों जगह परीक्षाएँ लीजायं (१८८५)
- (३) भारत और इंग्लैण्ड में सेना-व्यय का अनुपात न्यायपूर्ण हो (१८८५)
- (४) जूरी-द्वारा मुकदमों की सुनाई अधिकधिक हो (१८८६)
- (५) जूरी के फैसले अन्तिम समझे जाय (१८८६)
- (६) बारण्डवाले मामलों में अभियुक्तों को यह अधिकार देना कि उनका मुकदमा गजि-स्ट्रेट के सामने पेश न होकर दौरा जज की अदालत में पेश हो (१८८६)
- (७) न्याय और शासन-विभाग अलहद्द किये जाय (१८८६)
- (८) भारतीय सैनिक-स्वयंसेवकों में भर्ती किये जाय (१८८७)
- (९) सैनिक-अफसर-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजों की स्थापना की जाय (१८८७)
- (१०) राज कानून व नियमों में संशोधन किया जाय (१८८७)
- (११) औद्योगिक उन्नति और कला-बौरण की शिक्षा के सम्बन्ध में असली नीति काम में लाई जाय (१८८८)
- (१२) लगान-नीति में सुधार किया जाय (१८८९)
- (१३) मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८९२)

- (१४) स्वतन्त्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८६३)
- (१५) विनिमय-दर-मुआवजे का बन्द करना (१८६३)
- (१६) बेगार और जयदस्ती रसद की प्रथा बन्द करना (१८६३)
- (१७) 'होम-चांजेंज' में कमी करना ।
- (१८) सूती कपड़े पर से उदरति-कर हटा लिया जाय (१८६३)
- (१९) बकीलों में से ऊँचे न्याय-विभाग के अफसर नियुक्त किये जायं (१८६४)
- (२०) उपनिवेशों में भारतीयों की स्थिति (१८६४)
- (२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिफिकेर (१८६१) वापिस लिया जाय ((१८६४)
- (२२) किसानों की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जायं (१८६५)
- (२३) वीसरे दजे की रेल-यात्रा की स्थिति में सुधार किया जाय (१८६५)
- (२४) ग्रान्तों को आर्थिक स्वतन्त्रता दी जाय (१८६६)
- (२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरह पुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के लान्याय हो सके (१८६६)
- (२६) १८१८, १८१९ और १८२७ के क्रमशः बंगाल, मद्रास और बम्बई के रेगुलेशन वापस लिए जायं (१८६७)
- (२७) १८६८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कानून के विषय में (१८६७)
- (२८) १८६८ के ताजीरातहिन्द व जान्वा फौजदारी के विषय में (१८६७)
- (२९) १८६९ के कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट के विषय में (१८६८)
- (३०) १९०० के 'पंजाब लैण्ड एलीनेशन' एक्ट को रद्द करना (१८६८)
- (३१) भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति की जांच की जाय (१९००)
- (३२) छोटी-सरकारी नौकरियों में भारतीयों की अधिक भरती की जाय (१९००)
- (३३) 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट' में ऊँचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति सम्बन्धी पारन्दिया उठा दी जायं (१९००)
- (३४) इंग्लैंड में होने वाली पुलिस-प्रविक्षण-परीक्षाओं में भारतीयों को भी लिया जाय व पुलिस के ऊँचे ओहदों पर उनकी नियुक्ति की जाय (१९०१)
- (३५) भारत स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० पौण्ड प्रतिवर्ष का जो खर्च लादा गया, उसके विषय में (१९०२)
- (३६) इण्डियन यूनीवर्सिटी कमीशन की रिपोर्टों के सम्बन्ध में (१९०२)
- (३७) इण्डियन यूनीवर्सिटी एक्ट १९०४ के विषय में (१९०३)
- (३८) आर्मी-रिजल सीट्रेट्स एक्ट १९०४ के बारे में (१९०३)
- (३९) इण्डिया आर्माय के खर्च तथा भारत-मन्त्री के वेतन के विषय में (१९०४)
- (४०) भारत के राजद्रोह की एलेमेंट द्वारा समय-समय पर जांच (१९०४)
- (४१) इण्डियन स्वराज्य की प्रगति के सम्बन्ध में (१९०५)
- (४२) १९०८ के डिमिशन ऑफ इन्टेन्ड एक्ट के बारे में (१९०८)

- (४५) लेजिस्लेटिव कौंसिल रेगुलेशन में सुधार किया जाय (१९०९)
- (४६) युक्त-प्रान्त के शासन-प्रबन्ध की जांच की जाय (१९०९)
- (४७) लॉ-मेम्बरका पद एडवोकेटों, वकीलों और एटर्नियोंके लिए खोल दिया जाय (१९०९)
- (४८) राजद्रोही सभावन्दी कानून के विषय में (१९१०)
- (४९) इण्डियन प्रेस एक्ट के बारे में (१९१०)
- (५०) बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय की जांच कीजाय (१९१०)
- (५१) राजनैतिक कैदियों की आराम रिहाई की जाय (१९१०)
- (५२) श्री गोखले के प्राथमिक शिक्षा-बिल के विषय में (१९१०)
- (५३) संयुक्त-प्रान्त के लिए सपरिपद गवर्नर मिलने के विषय में (१९११)
- (५४) पंजाब में कार्यकारिणी कौंसिल रखने के सम्बन्ध में (१९११)
- (५५) इण्डिया कौंसिल में सुधार किया जाय (१९१३)
- (५६) इम्प्लौड में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१९१५)

कांग्रेस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

कांग्रेस को स्थापित हुए अथ तब ५० वर्ष होगये। इस लम्बे अरसे में भारत के राष्ट्रीय विकास की कई भूमिकाओं से यह गुजर चुकी है। हाँ, आगे जाकर उसके अन्दर कुछ मतभेद जन्म पैदा हो गये थे। परन्तु विद्वत्ता जमाना तो १८८५ से १९१५ बल्कि १९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न-भिन्न रायों और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम तजरीज किया था। इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही नहीं हुए थे, बल्कि यह कि वे गिनती में आने लायक न थे।

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है युद्ध-क्षेत्र का चुनाव और ब्यूट-रचना। दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, युद्ध रोक कर शत्रु को सन्धि-सर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छुपा मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधेड़-डुन में लगे रहते हैं। युद्ध-क्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाग पोशाक रहते हैं। इसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहाँ नेताओं को यह तय करना पड़ता है कि आन्दोलन महज लफ्जी और कागजी हो या कुछ करके बताया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें यह निश्चय करना पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। यों तो ये प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी आँखों के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चकर काटते हैं, परन्तु राजनैतिक लड़ाइयों में बीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है और जो काम पचास वर्षों की जबरदस्त लड़ाई के बाद आज बड़ा आसान और मामूली दिखाई देता है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुआत की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होता। जरा खयाल कीजिये कि विदेशी माल के या कौंसिलों के, अदालतों या कालेजों के बहिष्कार या कुछ शान्ति के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता या प० अयोध्यानाथ, लालमोहन घोष या मनमोहन घोष, मुजिबुल्लाह ऐयर या आनन्दा चार्ल्स, ह्यूम साहब और वेदरबर्न साहब के सामने रक्खा गया है। अब यह सोचने में जरा भी देर नहीं लग सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने मड़क उठे होते और न ऐसे उम कार्य-क्रम, बग-भङ्ग के, कर्जन और मियटो की प्रतिगामी नीतियों के, या गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी अनुभवों के या जलियावालाबाग के हत्याकाण्ड के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली सदी के अन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लड़ाई-भंगों में जो कांग्रेस-नेता रहे वे ज्यादातर वकील-वैरिटर और कुछ व्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि अंग्रेजों और पार्लियमट के सामने उसका पक्ष बहुत सुन्दर और नयी-तुली माया में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसने द्वारा वे राष्ट्र के दुःखों और उच्च आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने रहे। जब इन बातों को याद करते हैं कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति को बनाया और उसे प्रभावित किया, इनके विश्वास क्या थे, तब वे सच भिन्न-भिन्न युग हमारे सामने आजाते हैं जिनमें कि भारतीय राजनैतिक आन्दोलन इन पचास वर्षों में बँट गया है। किन परिस्थितियों में लोगों ने उच्च आकांक्षाओं को, और उससे भी पहले उनके कष्टों को, प्रदर्शित करने के लिए एक जोरदार आघन की उन्हें जरूरत थी, यह पहले बताया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस की पूर्व-पीठिका भी कुछ बनार के साथ बता दी गई है। उन्हें देखकर कहना ही पड़ता है कि वह जमाना और हालतें भी ऐसी थीं कि अपने दुःख-दर्द दूर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दलील और प्रार्थना करने के और ईश्वर-विश्रामों और विशेषाधिकारों के लिए मामूली माँग करने के और कुछ नहीं हो सकता था। फिर यह मनोदशा आगे जाकर शीघ्र ही एक कला के रूप में परिणत हो गई। एक ओर कानून-प्रवीण-वृद्धि और दूसरी ओर स्व-कल्पनाशील और भावना-प्रधान घकतृत्वकला, दोनों ने उस काम को अपने ऊपर ले लिया जो भारतीय राजनीतिज्ञों के सामने था। कांग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्याख्यान होते थे और कांग्रेस के अध्यक्ष जो भाषण दिया करते थे उनमें दो बातें हुआ करती थीं—एक तो प्रभावकारी तथ्य और आँकड़े, दूसरे अकाट्य दलीलें। उनके उद्गारों में जिन बातों पर अक्सर जोर दिया जाता था वे ये हैं—अपेक्ष लोग बड़े न्यायी हैं और अगर उन्हें ठीक तौर पर वाकफ रक्खा जाय तो वे सत्य और इक के पथ से जुदा न होंगे, हमारे सामने असली मसला अंग्रेजों का नहीं बल्कि अंधगोरों का है; बुराई पदाति में है, न कि व्यक्ति में, कांग्रेस बड़ी राजभक्त है, ब्रिटिश राज से नहीं बल्कि हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका भगाड़ा है, ब्रिटिश विधान ऐसा है जो लोगों की स्वाधीनता का सब जगह रक्षण करता है और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट प्रजातन्त्र पदाति की माता है; ब्रिटिश विधान संसार के सब विधानों से अशुद्ध है; कांग्रेस राजद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, भारतीय राजनीतिज्ञ सरकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरकार तक, पहुँचाने के स्वाभाविक साधन हैं, हिन्दुस्तानियों को सरकारी नौकरियाँ अधिकधिक दी जानी चाहिए, ऊँचे पदों के योग्य बनाने के लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए; विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थाएँ और सरकारी नौकरियाँ ये हिन्दुस्तान के लिए तालीम गाह होनी चाहिए; घाय सभाओं में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए और उन्हें पढ़ने तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार भी देना चाहिए; प्रेस और जगल-कानून की कड़ाई कम होनी चाहिए, पुलिस लोगों की मित्र बन के रहे; कर कम होने चाहिए; फौजी खर्च घटया जाय, कम-से-कम इंग्लैंड उसमें कुछ हिस्सा ले; न्याय और शासन-विभाग अलहदा-अलहदा हों, प्रांत और केन्द्र की कार्य-कारिणियों और भारत-मन्त्री की कौंसिल में हिन्दुस्तानियों को जगह दी जाय; भारतवर्ष को ब्रिटिश-पार्लमेण्ट में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्येक प्रांत से दो प्रतिनिधि लिये जाय, नॉन-रेग्युलेटेड प्रांत रेग्युलेटेड प्रांतों की पक्ति में लाये जाय, सिविल सर्विस वालों के भजाय इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन के नामी-नामी अध्येक्ष गवर्नर बनाकर भेजे जाय; नौकरियों के लिए भारत और इंग्लैंड में एक-साथ परीक्षाएँ ली जाय, इंग्लैंड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत से जाता है वह रोक जाय और देशी उपयोग-घन्धों को तरफ़ी दी जाय, लगान कम किया जाय और बन्दोबस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस यहाँ तक आगे बढ़ी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्ण बतलाया, सती माल पर लगे उत्पात्ति-कर को अनुचित बतलाया और सिविलियन लोगों को दिये जाने वाले विनिमय दर-मुद्रावत्रों को गैर-कानूनी बतलाया, तथा ठेठ १८८३ में मालवीय जी महाराज की दृष्टि यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्होंने ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया था।

कॉमिंस के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

कॉमिंस की स्थापित हुए अब तक ५० वर्ष हो गये। इस लम्बे छरसे में भारत के राष्ट्रीय वि की कई भूमिकाओं से यह गुजर चुकी है। हाँ, चाहे जाकर उसके अन्दर कुछ मतभेद जरूर पै गये थे। परन्तु पिछला अमाना तो १८८५ से १९१५ बल्कि १९२१ तक ऐसा रहा, जिसमें भिन्न- रायों और विचारों के लोगों ने मिलकर अपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम तजरीज किया इसका यह अर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-भेद और विचार-भेद पैदा ही नहीं थे, बल्कि यह कि वे गिनती में आने लायक न थे।

मुद्र का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है मुद्र-क्षेत्र का और अग्र-रचना। दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, मुद्र रोक राष्ट्र को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम हठात् मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधेक में लगे रहते हैं। मुद्र-क्षेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाग घोरान रहते हैं। इसी राजनैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहाँ नेताओं को यह तय करना पड़ता है कि आन्दो मद्रज लफजी और कागजी हो या कुछ करके बढाया जाय। यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें निभय करना पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। यों तो ये प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी आँ के सामने दौड़ आते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चकर काटते हैं, पर राजनैतिक लड़ाइयों में भीसों बरों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है और काम पचास बरों की अवदस्त लड़ाई के बाद आज बड़ा आसान और मामूली दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कॉमिंस की शुरुआत की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ जय खयाल कीजिये कि विदेशी माल के या कौंसिलों के, अदालतों या कालेजों के कुछ कानूनों के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाथ भेदता या पं० अयोध्यानाथ, लालमोहन घोष या मनमोहन घोष, मुद्राक्षेत्र ऐयर या हनुम साहब और चन्द्रधर साहब के सामने रक्खा गया है। अब यह सोचने में जय सक्ती कि इन विचारों के कारण वे कितने भद्रक उठे होते और न ऐसे उग्र कर्जन और मिएटो की प्रतिगामी नीतियों के, या गोधीजी के दक्षिण अग्नीष्वा या जलियाँवालाबाग के हत्याकाण्ड के पहले बन ही सक्ते थे। बात यह कि पिछली प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लड़ाई-भंगकों में जो कॉमिंस-नेता रहे थे, ध्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान विर्ष है कि अंग्रेजों और पार्लमेण्ट के सामने उसका यह बहुत सुन्दर और गनी-मुली जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और

भाव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे देखकर नौजवानों के दिल हिल उठते हैं और अनुप्राणित होते रहते हैं।" कांग्रेस के विश्वास में जो पटला जवरदस्त आन्दोलन हुआ वह पाँच वर्षों (१९०६ से १९११) तक रहा। उसे उस समय ऐसे दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा जो उस समय जंगली समझे गये। हालांकि उसमें इधर-उधर मारकाट भी हो गई, मगर अन्त में उसमें पूरी सफलता मिली। आखिर १९११ में शाही घोषणा कर दी गई कि वग-भग रद्द कर दिया गया। किन्तु यह ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का विषय बन गया। इससे ब्रिटिश-न्याय के प्रति लोगों के मन में नया विश्वास पैदा हो गया और पुश्ताधार वक्तव्यों द्वारा वृत्तगता-प्रकाश होने लगा। श्री अम्बिका-चरण मुजुमदार ने कहा— "ब्रिटिश राज के प्रति अद्धा-भक्ति के भावों-से भग प्रत्येक हृदय आज एक तान से धड़क रहा है; वह ब्रिटिश राजनीतिगता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। हममें से कुछ लोगों ने तो कभी—अपनी मुसीबतों के अन्धकारमय दिनों में भी—ब्रिटिश-न्याय के अन्तिम विजय की आशा नहीं छोड़ी थी, उस पर से अपना विश्वास नहीं उठने दिया था।" परन्तु इसी के साथ कांग्रेसियों ने उन दुःखदायी कानूनों की तरफ से भी अपना ध्यान नहीं हटाया था, जो कि १९११ और उससे भी आगे तक जारी ही थे। कांग्रेस के बड़े-बूढ़ों ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि, अपनी सारी शक्ति शासन-विपक्षक सुधारों में और दमनकारी कानूनों को हटवाने में लगाई थी; परन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ भारतीय-प्रश्न के अर्थों का ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं। १८८६ के कलकत्ता-अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा था— "स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि का विधान है। प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वयं अपने हाथों से यह सर्वोपरि व्यवस्था लिख रखी है—प्रत्येक राष्ट्र अपने भाग्य का आप ही निर्माता होता चाहिए।" २० वें अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी काटन ने 'भारत के संयुक्त राज्य' अथवा 'भारत के स्वतंत्र और पृथक राज्यों के संघ' की वज्जना की थी। दादाभाई ने यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिक्र किया था।

कांग्रेस के पहले पन्नीम सालों में जिनके ऊपर कांग्रेस की राजनीति का दारोमदार रहा, वे सरकार के दुश्मन नहीं थे। यह बात न केवल उन घोषणाओं से ही सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही हैं, बल्कि स्वयं सरकार भी उनके साथ रिश्तायतों-करके और जब-जब हिन्दुस्तानियों को ऊंचे पद व स्थान देने का मौका आया तब-तब उन्हीं को उसके लिए चुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्च पदों के लिए न्याय-विभाग का क्षेत्र ही स्वभावतः सबसे उपयुक्त था। मदरास के सर एस० मुबद्दय्य ऐयर तो कांग्रेस के पहले ही अधिवेशन में सामने आये और श्री बी० कृष्णस्वामी ऐयर १९०८ में हुई मदरास की पहली कन्वेंशन-कांग्रेस के एक मात्र कर्ता-पट्टा थे, जो बहुत बड़े विधान के मातहत हुई थी और जिनके लिए तत्कालीन मदरास-गवर्नर ने अपना धन्य देने की कृपा की थी। राष्ट्रवादियों और कांग्रेस का उल्लेख करते हुए यह कहने वाले श्री कृष्णस्वामी ऐयर

१ पुराने जमाने में कांग्रेसी लोगों को अपनी राजमर्ति की परेड दिवाने का शौक था। १९१४ में जब सार्ज वेवलेज्ड (गवर्नर) मदरास में कांग्रेस के पण्डित में आये तो सब लोग उठ खड़े हुए और तानियों-द्वारा उनका स्वागत किया। वहाँ तक कि श्री ए० पी० वेदो, जो कि उस समय पर एक प्रभाव पर धोर रहे थे, एकाएक रोड दिवे गये और उनकी जगह सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को राजमर्ति का प्रभाव उपस्थित करने के लिए कहा गया जिनके कि उन्होंने अपनी समूह-भाषा में देश किया।

ऐसी ही घटना अन्व-कांग्रेस (१९१९) के समय भी हुई थी, जब कि सर जैम्स मेरटन कांग्रेस में आये थे और उपस्थित लोगों ने उन्हें होकर उनका स्वागत किया था।

भारतीय राजनीतिज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयों की ओर गया था उनका एक-निगाह में सिद्धावलोकन करने से यह आसानी से मालूम हो जाता है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार हुई थी। उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पथ-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रुख अख्त-याग किया था उसके लिए हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में छुः फीट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हुए हैं वया उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है। क्योंकि वही तो हैं जिनके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के दब्र का स्व-शासन, फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल, उसके बाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूर्ण स्वाधीनता की मजिलें एक-बे-बाद-एक बन सकी हैं। उन्हें अपनी स्पष्ट बात के भी समर्थन में अंग्रेजों के प्रमाण देने पड़ते थे। अपनी समझ और अपनी क्षमता के अनुसार, उन्होंने बहुत परिश्रम और भारी कुर्बानियाँ की थीं। आज अगर हमारा रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह सब हमारे उन्हीं पुरुलाभों की बदौलत है कि जिन्होंने जंगल-भाङ्गियों को साफ करने का कठिन काम किया है। अतएव इस अवसर पर हम उन तमाम महापुरुषों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि हमारे सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक मजिलों में प्रगति की गाड़ी को आगे बढ़ाया था।

कांग्रेसियों के दिलों में कभी-कभी कुछ उत्तेजना और रोष के भाव आ गये हों, पर हमें कोई शक नहीं कि डेढ़ १८८५ से १९०५ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद भी वैध-आन्दोलन के प्रति उनका दृढ़ और अंग्रेजों की न्याय-प्रियता पर अटल विश्वास ही। इस भाव को लेकर १८९३ में स्वागतवाच्यत सरदार दयालसिंह मजीठिया ने कांग्रेस के नियम में कहा था कि "भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है।" आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि "हम उस विधान के मातहत हुए हैं जो यह है जिसका विषय है आजादी, और जिसका दावा है सविभूता।" कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद १८८८) के प्रतिनिधि ने लार्ड रिपन का यह विचार उद्धृत किया था—"महारानी का घोषणा-पत्र कोई कुलह-नामा नहीं है, न वह कोई राजनैतिक लेख ही है; बल्कि वह तो सरकार के सिद्धान्तों का घोषणा-पत्र है।" लार्ड सेल्सबी के इस वचन पर कि "प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रथा पूर्वी लोगों की परभवा के मुन्नारिक नहीं हैं," जोर के साथ नाराजगी प्रकट की गई थी और १८९० में सर फिरोजशाह मेदवा ने तो यहां तक कह दिया था कि "मुझे इस बात का कोई अन्देश नहीं है कि ब्रिटिश-राजनीति अन्त में जाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे।" बावजूद अधिवेशन (१८९६) के अध्यक्ष-पद से नुद्दमद रहीमजुल्ला सयानी ने तो और भी अशुभ-दृष्टि में कहा कि "अंग्रेजों से बढ़कर क्यादा ईमानदार और मजबूत कौम इस धरा के कौ नहीं है।" और जब कि उस कौम ने हिन्दुस्तानियों के अनुमान-विषय और विरोध का अवश्य उल्लय दमन से दिया, तब भी मद्रास-द्वितीय (१८९८) के अध्यक्ष आनन्दमोहन बन ने जोर देकर कहा था, कि "शिथिल वर्ग ईंग्लैण्ड के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। इंग्लैण्ड के लामने जो महान् कार्य हैं उनमें से उनके स्वाभाविक तथा आवश्यक विषय और सहायक हैं।" हमारे इन पूर्व-पुरुषों ने अंग्रेजों और इंग्लैण्ड के प्रति जो विरक्तता रखता वह कभी कभी दण्ड-काण्ड और देव-मालूम होना है, वस्तु हमारा कार्य ही यही है कि हम उनकी मूर्खताओं को समझें। १० वां मद्रास-द्वितीय के अधिवेशन (१९०५) में (२३ वीं अधिवेशन, मद्रास, १९०८) "आगे की मजबूत विचार उन तक नें कि अंग्रेजों के अन्तर्गत हमारे कार्य का समर्थन करना है, फिर आगे वह अन्तर्गत ही अंग्रेजों और अंग्रेज-राज्य को न तो, उन्हें को तो अर्थ-बुद्धि समझ भी देने न ही। हो सकता है कि उनका उद्देश्य कुछ दण्ड हो, वस्तु में विरक्तता के बहिष्कार कि वह उपाय मन्वा और सुद-

कलकत्ता में भी ए० चौधरी, जिन्होंने वंग-मग के विद्रोह होनेवाले आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था, लगभग उसी समय वहाँ की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये। १९०८ में जब लॉर्ड मिण्टो भारत-सरकार की लॉ-मेम्बरी के लिए व्यक्तियों का चुनाव किया तो, लॉर्ड मिण्टो ने अपने पति लॉर्ड मिण्टो का जो जीवन-चरित्र लिखा है उससे मालूम पड़ता है कि दो नाम उनके सामने थे—एक था श्री आशुतोष मुखर्जी का, “जो भारत के एक प्रमुख कानूनदा थे, पर ये सन्ने दिल से पुरणपन्थी, और सावधानी के साथ उनका पद उपस्थित किया गया था,” और दूसरा श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह का, उनके बारे में लॉर्ड मिण्टो ने कहा बताते हैं कि “उनके विचार तो मौम्य हैं परन्तु हैं वह कांग्रेसी।” सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह १८६६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी-नरेश को बिना मुकदमा चलाये निर्वासित करने के प्रश्न पर बोले थे। और, यह हम सब जानते हैं कि, अन्त में (लॉ-मेम्बरी के लिए) सरजीह प्रसेमैन को ही दी गई। इसी प्रकार १९२० में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में जब जगह हुई तो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड (१९२०) ने तो महाराज बर्दवान को रखना चाहा पर मि० माण्टेगु ने बड़ी कौंसिल के किसी चुने हुए सदस्य को ही रखना ज्यादा पसन्द किया। मि० माण्टेगु ने श्री भीनिवास शास्त्री का नाम इसके लिए सुझाया, लेकिन चूंकि ऐत मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया था इसलिए चेम्सफोर्ड ने उन्हें रखना पसन्द नहीं किया और श्री वी०एन०शर्मा को रक्खा—जो कि, जैसा हम प्राये देखेंगे, अग्रवसर-अग्रवद के वक्त भी सरकार के पृष्ठ-पोषक बने रहे।

बंगाल में कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य जिन व्यक्तियों को ऊंचे सरकारी आह्वे मिले उनमें श्री एम०के० दास और सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य हैं। इनमें श्री दास, जो १९०५ की कांग्रेस में, कार्यकारिणी में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के प्रश्न पर बोले थे, बाद में भारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और मित्र महोदय बंगाल की कार्यकारिणी के सदस्य।

युक्तमान्त में सर तेजबहादुर सप्रू जैसे जवरदस्त व्यक्ति को भारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया गया। बिहार के सभ्यद इसन्द्राम १९१२ की कांग्रेस को पटना में आमन्त्रित करने के बाद हाईकोर्ट के जज बन गये और श्री सच्चिदानन्दसिंह को बिहार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यहाँ यह भी बतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप सदा बड़े सरकारी आह्वे का देना ही नहीं रहा है। फिरोजशाह मेहता को १९०५ में ‘सर’ की उपाधि दी गई—और वह भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बड़े प्रतिगामी वाहसराय थे। गोपालकृष्ण गोखले ने तो ‘सर’की उपाधि मंजूर नहीं की और न ही वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनते—यदि उनसे इसके लिए कहा भी जाता। उन्होंने तो खाली, सीधे-सादे, भारत-सेवक ही रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच वह थे, और अग्रवरी १० आर्द० ई० की उपाधि भी न दी गई होती तो वह ज्यादा खुश होते।

श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूरोपीय महायुद्ध के समय, लॉर्ड पेपटलेण्ड ने मद्रास-कौंसिल का सदस्य नामजद किया था। माण्टे-फोर्ड शासन-सुधारों का अमल शुरू होने पर उन्हें असेम्बली में नामजद किया गया, १९२१ में महाराज कच्छु के साथ उन्हें साम्राज्य-परिवर्द्ध के लिए ‘भारत का प्रतिनिधि’ नियुक्त किया गया। और उनके बाद ही वह प्रिन्सी-कौंसिलर बना दिये गये। इसके बाद वह अमरीका में भारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने गये। साम्राज्यान्तर्गत सभी उपनिवेशों ने उन्हें व्याख्यानों के लिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। इस यात्रा के लिए सरकार ने ६०,०००) ४० का खर्च मंजूर किया था। १९२७ में शास्त्रीजी को ही दक्षिण अफ्रीका का सर्वप्रथम एग्जेट-जनरल बनाकर सरकार ने मानी उस कमी की पूर्ति की, जो दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान के लिए न बुलाने से हुई थी। इस प्रकार जिस पत्थर को नारसन्द

ही थे कि जो अंग सड़-गलकर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डलना चाहिए। सर शंकरन् नायर अमरावती में हुए अधिवेशन (१८९७) के सभापति हुए थे। और तो और पर भी रमेशन् (सर वेणु सिन्हे) १८९८ से कांग्रेसवादी ही थे, जिस साल कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसके बाद जिनका नम्बर आता है वे हैं (१) श्री टी० बी० शोपगिरि ऐयर, जो १९१० की कांग्रेस में सामने आये, और (२) श्री पी० आर० सुन्दरम् ऐयर, जो १९०८ में श्री कृष्णस्वामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छहों मदरास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य भी हो गये—एक मदरास में और दूसरा दिल्ली में। इनमें से पहले (सर सुब्रह्मण्य) १८९९ में कांग्रेस के सभापति होने वाले थे परन्तु हाईकोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे। धीमती बेसेण्ट द्वारा चलाये होमरूल-आन्दोलन के समय, १९१४ में, यह फिर कांग्रेस के क्षेत्र में आ गये। यही नहीं, बल्कि अपनी नाइटहुड (सर की उपधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगु और लॉर्ड चैम्बेफोर्ड दोनों ही इन पर नाराज हो गये। कहते हैं कि भूतपुत्र जज की हैसियत से जो पेशान इन्हें मिलती थी उसे बन्द कर देने की भी बात उस समय उठी थी, परन्तु बाद में कुछ सोच कर फिर ऐसा किया नहीं गया। और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी कांग्रेसी थे। इनमें से पहले तो १८९५ की कांग्रेस में सामने आये थे और दूसरे थे तो बाद के नये रजिस्ट्रार लेकिन रहे सदा पहले से भी ज्यादा उत्साही, क्योंकि डा० बेसेण्ट और उनके साथियों की नजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिपादन पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे। सच तो यह है कि १९१७ और १९१९ के बीच कांग्रेसी क्षेत्र में सर सी० पी० रामस्वामी एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जिन्होंने अपने प्रकाश से भारत के राजनैतिक क्षितिज में चक्का-चौघ कर रखी थी। ये दोनों ही बाद में कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गये। यही हाल सर मुहम्मद हबीबुल्ला का हुआ, जिन्होंने पहले-पहल १८९८ में कांग्रेस के मंच पर प्रकट होकर अपने बुद्धि-कौशल एवं वक्तुत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यकारिणी के सदस्य बनाये गये। मदरास-सरकार के लॉ-मेम्बर होने वाले सर एन० कृष्ण नैयर १९०४ की कांग्रेस में बोले थे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० वी० रेड्डी तो १९१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म होने तक भी एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी थे। सर एम० रामचन्द्रराव बहुत समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं। और असलियत यह है कि १९२१ में मदरास की कार्यकारिणी में उनकी नियुक्ति भी हो चुकी थी, परन्तु फिर ऐन पक्ष पर विचार बदल दिया गया। इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यकारिणी के सदस्य तो अबले मदरास के कांग्रेसमैन ही हो चुके थे। और हाल में टेरिफ-बोर्ड में श्री नेरेसन की जो नियुक्ति हुई है उससे तो गैरमामूली खेती में भी कांग्रेसियों के पगन्द किये जाने के उदाहरण की वृद्धि हुई है, यही नहीं बल्कि सर पण्डित वेंटी को भी न्याय या शासन के रिभागों में ही कोई पद देने के बजाय कोचीन का दीवान बनाना भी इसी बात का पोषक है। जो कांग्रेसमैन इस तरह दुर-वृत्त हुए उनमें सबसे पहले सम्भवतः श्री सी० जम्बुलिंगम् मुदालियार थे जो मदरास-कौंसिल के एक चुने हुए सदस्य थे और १८९३ में कर्ना के लिटी मिनिस्टर बोट के जज बनये, परे ये १९०५ में भीतरबन्दीन तैयबजी और मद्रासपत्र चन्द्रावरकर दोनों, जो मद्रासः १८८७ की मदरास-कांग्रेस और १९०० की साहोर-कांग्रेस के सभापति हुए थे, तथा श्री बारीन-पण्डित मद्रास तैयंग कर्नल हाईकोर्ट के जज बनाये गये। श्री समय और भूनेन्द्रराव वतु भारत-सन्धी की (इण्डिया) कौंसिल के सदस्य बनाये गये और सर मद्रास बना दिया गया।

ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति

भारत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक लम्बी कहानी है। जब-जब कुल्ल सुधार हुआ, उससे पहले दमन भी जरूर हुआ। जब-जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ, तब-तब जोरों का दमन किया गया और उसमें यह नीति रखी गई कि जबतक लोग आन्दोलन करते-करते विलकुल थक न जाय तबतक उनकी मागों पर कोई ध्यान न दिया जाय। लॉर्ड लिटन का १८७० का प्रेस-ऐक्ट जो जल्द ही वापस ले लिया गया, सरकार की इस नीति की पूर्व-सूचना थी। राष्ट्र के बढ़ते हुए आत्मचेतन्य का दूसरा जवाब शस्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राष्ट्र के दुःख-रूपी फोड़े को और भी पका दिया। १८८६ में इन्कमटैक्स ऐक्ट बना। उसका भी तीव्र विरोध उठी समय किया गया। जैसे-जैसे कांग्रेस हर साल बढ़ती गई, सरकारी अधिकारी भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम साहब को यह सलाह दी थी कि वह कांग्रेस का क्षेत्र केवल सामाजिक न रखकर राजनैतिक भी बनावे। किन्तु यही लॉर्ड डफरिन फिर कांग्रेस के खुले दुश्मन हो गये और उसे राजद्रोही कहने लगे। युक्तप्रान्त के तत्कालीन लैफ्टिनेण्ट गवर्नर सर आर्कलैण्ड कॉलविन के साथ इस विषय पर ह्यूम साहब की जो बातचीतवाच हुई थी, वह ध्यान देने लायक है।

यद्यपि ह्यूम साहब के लिए यह आनन्द की बात है कि १८८६ में वाइसरय लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता में और १८८७ में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस का स्वागत किया, लेकिन बाद के सालों में युक्तप्रान्त के सर आर्कलैण्ड जैसे प्रान्तीय शासक इसे शत्रु-भाव से देखने लग गये। इन महाराय ने कांग्रेस को समाज-सुधार तक ही मर्यादित रहने की सलाह दी। शायद उन्हें यह पता न था कि ह्यूम साहब ने भी शुरू में यही सोचा था, परन्तु लॉर्ड डफरिन के कहने से ही इसे राजनैतिक संगठन का रूप दिया गया। सर आर्कलैण्ड की सम्मति में यह आन्दोलन समय से पूर्व, और मद्रास के अधिवेशन से उप-रूप धारण करने के कारण खतरनाक भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सरकार की निन्दा करने का रवैया सर्व-साधारण में सरकार के प्रति पृथक् पैदा करेगा और देश में राजभक्त और देशभक्त ऐसे दो भेद खड़े हो जायगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि बनने का जो दावा करती है, वह ठीक नहीं है। ह्यूम साहब ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

इलाहाबाद के चौथे अधिवेशन में कांग्रेस को अकथनीय कठिनाइयाँ हुईं। उसे पण्डाल तक के लिए जमीन नहीं मिली। भीमती धनी बेसेण्ट ने अपनी कांग्रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सम्जन का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-अफसर की इच्छा के खिलाफ मद्रास (१८८७) के अधिवेशन में शामिल हुआ था और उससे शान्ति-रक्षा के नाम पर २०,००० की जमानत मांगी गई थी। हास्त तेजी से खराब होती गई और १८९० में सरकार का विरोध बहुत बढ़ गया। बंगाल-सरकार ने सब मन्त्रियों और सब विभागों के प्रमुख अफसरों के पास एक गर्दी-यत्र भेजा, जिसमें उन्हें यह

किया गया था यही आगे चलकर माझराज का आधार-स्तम्भ बन गया ।

यहां हमने कुछ ऐसे प्रमुख कॉमेसियों का उल्लेख किया है जो सरकार द्वारा पुम्भूत हुए हैं। लेकिन इस पर तो किसी को यह ग्याल नहीं बना लेना चाहिए कि जो उच्च-उच्च उच्च दिये गये उनके लायक शिक्षा, संस्कृति और उच्च-चारित्र्य का निर्मा भी प्रचार उनमें अभ्यास था। ये उदाहरण तो सिर्फ यह बतलाने की ही गरज से दिय गये हैं कि सरकार को भी अगर योग्य हिन्दुस्तानियों की बख्शत हुई तो इसके लिए उसे भी कॉमेसियों पर ही निगाह डालनी पड़ी है; और उनके राजनीतिक विचारों को उसने ऐसा नहीं समझा है जो यह उन्हें सरकारी विरहास एव बड़ी-से-बड़ी जिम्मेदारी के ओहदों के लिए नाकाबिल मान लेती ।

प्रसार करता था। सम्पूर्ण भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल बना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़ कर आन्दोलन को व्यादा राह दे दिया। 'कैनल कालोनाइजेशन बिल' ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, जिसके तिलसिले में लाला लाजपत राय और सरदार अजितसिंह को देश-निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकत्ता कांग्रेस ने ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी को अपना सभापति चुना। दादाभाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की रोष-ज्वाला को और भी प्रचंड कर दिया।

राजनैतिक सभाओं व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ। बंगल पूर्वी-बंगाल में २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूलपूर्व जस्टिस सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'बंग जातीय विद्या-परिषद्' की स्थापना की गई। बाबू विपिनचन्द्रगाल सम्पूर्ण देश में घूम-घूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे। १९०७ में आन्ध्र-देश में उनका दौर बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमदेन्दी के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की बेरोक दमन नीति ने देशभक्तों और धीर सिपाहियों को पैदा किया।

१९०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस क्रियात्मक प्रस्तावों पर जोर से अग्रसर भी किया। जहाँ कि बंगाल, मद्रास, मध्यप्रान्त, पंजाब व आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, वहाँ स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। इस बार कपड़े में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए बिदेसी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार का दमन भी बढ़ता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अग्रगण्य उलटा बहने लगा।

इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रत्नमंच पर आकर बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। उनमें से एक विपिन बाबू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे अरविन्द बाबू भारत के राजनैतिक आकाश में बरसों तक उज्ज्वल सितारे की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा आन्दोलन उनका शुरू में ही सश्रोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इंग्लैण्ड में उत्पन्न हुए थे, अमेजी नातावरण में ही पले और अमेजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। पुस्तकालय की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सर्विस में वह कोई जगह न पा सके थे। वह बड़ीदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में बने ही आये, जैसे यहाँ प्रायः यूरो-पियन आते हैं। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके प्रकाश की प्रभा एक बाद की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई।

बंगाल से नौ नेता निर्वाचित किये गये—कृष्णकुमार मिश्र, पुलिनचन्द्राणी दास, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्वनीकुमार दत्त, मनोरजन गुह, मुषोषचन्द्र मल्लिक, शचीन्द्रप्रसाद वसु, सर्वोदाचन्द्र चटर्जी और भूषेणचन्द्र नाग। ये नेता बंगाल की और विरोधकर युवक बंगाल को संगठित कर रहे

असर करता था। सम्पूर्ण भारत ने बंगाल के सवाल को अपना सवाल बना लिया। प्रत्येक प्रान्त ने बंगाल के प्ररन के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़ कर आन्दोलन को ज्यादा गहरा रंग दे दिया। 'बैनल कालोनाइजेशन विल' ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजपत राय और सरदार अजितसिंह को देश-निकाले की सजा मिली। ऐसे समय कलकत्ता कांग्रेस ने ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी को अपना सभा-पति चुना। दादाभाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की रोप-बगाला को और भी प्रचंड कर दिया।

राजनैतिक सभाओं व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ। केवल पूर्वी-बंगाल में २४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'वंग जातीय विद्या-परिषद्' की स्थापना की गई। बाबू विपिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश में धूम-धूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-वैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे। १९०७ में आन्ध्र-देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार और सफल रहा। राजमहेंद्री के निवासियों ने उनके आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया। ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें मान-पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की बेरोक दमन नीति ने देशभक्तों और वीर सिपाहियों को पैदा किया।

१९०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के ठोस क्रियारमक प्रस्तावों पर जोरों से अमल भी किया। जहां कि बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पंजाब व आन्ध्र में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रहा था, वहां स्वदेशी का आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया। हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया। इस कार करणों में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया। इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन भी किया गया था। सम्पूर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरकार का दमन भी बढ़ता गया। दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अग्रगुत्थान उलझा बढ़ने लगा।

इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रंगमंच पर आकर बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया। उनमें से एक विपिन बाबू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे अरविन्द बाबू भारत के राजनैतिक आकाश में बसों तक उज्वल सितारों की तरह चमकते रहे। राष्ट्रीय-शिक्षा आन्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इन्स्टीट में उत्पन्न हुए थे, अंग्रेजी वातावरण में ही पले और अंग्रेजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। सुइसवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन मिजिल सर्विस में वह कोई जगह न पा सकें थे। वह बड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, जैसे यहा प्रायः यूरो-पियन आते हैं। उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके प्रकाश की प्रभा एक बाद की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई।

बंगाल से नौ नेता निर्वासित किये गये—कृष्णकुमार मिश्र, पुलिनबिहागी दास, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, अश्वनीकुमार दत्त, मनोहरजन गुह, मुषोषचन्द्र मल्लिक, रवीन्द्रप्रसाद वसु, सतीशचन्द्र चटर्जी और भूपेशचन्द्र नाग। ये नेता बंगाल को और विशेषकर सुबक बंगाल को संगठित कर रहे

थे। पणकम और शौर्य उस समय आदर्श थे। दूसरी तरफ सर वैमकीलज कुलर का आदर्श 'गुरखा सेना' व 'यदि आवश्यक हो तो खून-पगथी' थे। १९०८ में स्थिति चरम-सीमा को पहुंच गई थी। आखबारों पर मुकदमे चलाना एक आम बात हो गई। 'युगान्तर', 'संध्या' व 'वन्देमातरम्' नई जाग्रति के प्रचारक पत्र थे, वे सब बन्द कर दिये गये। 'संध्या' के सम्पाक देशभक्त ब्रह्मबाघव उपाध्याय अस्वताल में मर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमों से गुजरने के बाद भी अरविन्द त्रिदिश-भारत ही छोड़कर पाकिचरी चले गये और वहां आश्रम स्थापित करके रहने लगे।

३० अप्रैल १९०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्त्रियों—श्रीमती और कुमारी कैनाडी—पर दो बम गिरे। ये बम स्थानीय जिला जज किम्बोर्डे को मारने के लिए बनाये गये थे। इस अपराध के लिए १८ वर्षीय युवक श्री खुदीराम वसु को फामी की सजा मिली। उसकी तसवीरें सारे देश में घर-घर फैल गईं। स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाथ दत्त के सम्पादकत्व में निकलनेवाले 'युगान्तर' के कालमें मे हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस युवक को लम्बी सजा मिली, तो उसकी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हर्ष प्रकट किया और 'बंगाल' की ५०० स्त्रियां-उसे बर्पाई देने उसके घर पर गईं। उस युवक ने भी अदालत में यह घोषणा की कि मेरे पीछे आखबार का काम सभालने के लिए ३० करोड़ आदमी मौजूद हैं। इसी विस्वास के कारण यह आन्दोलन इतना फूला फला। राजद्रोह या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया। लोग राजद्रोह का यथार्थिक प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी साधन अपनी बरीपत या छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते। 'वन्देमातरम्' में राजविद्रोहात्मक लीखों के लिए भी अरविन्द पर जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस सग्राम में अर्पणाद न था। महाराष्ट्र में १३ जुलाई १९०८ को लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये और उसी दिन आन्ध्र में भी हरि सर्वोत्तमराव तथा दो-अन्य सज्जन पकड़े गये। पांच दिनों की मुनवाई के बाद लोकमान्य तिलक को छः साल देश-निकाले की सजा मिली। १८९७ में छूटी हुई छः माम की कैद भी इनके साथ जोड़ दी गई। आन्ध्र के भी हरि-सर्वोत्तमराव को नौ महीने की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ अरील की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी। राजद्रोह के लिए पांच साल सजा देना तो उन दिनों मामूली बात थी। इसके बाद जल्दी ही राजद्रोह देश से गायब होगया। वास्तवमें यदु अन्दर ही-अन्दर अपना काम करने लगा और उसकी जगह बम व पिस्तौल ने ले ली। १९०८ में राजद्रोही सम्भावन्दी-कानून व 'प्रेस एक्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने पास कर दिये और दो साल बाद किमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट भी बन गया। सम्भावन्दी वित्तर यहस करते हुए भी गोलले ने सरकार को चेतावनी दी कि "युवक हाथ से निकले जा रहे हैं और यदि हम उन्हें धरा में न रख सकें तो हमें दौघ मत देना।"

कभी-कभी इसके-दुक्के राजनैतिक स्थान भी होने लगे जिनमें सबसे साहसपूर्ण सून १९०७ में लन्दन की एक सभा में सर कर्जन वाहसी का हुआ था। यदु-सून मदनमाल धिंगरा ने किया था, जिने बाद में पाली दी गई। अभियुक्त को बचाने की कोशिश करने वाले डॉ॰सालकाका नामक था, जिने बाद में पाली दी गई। साक्षर (१९०६) में होने वाले कांग्रेस के २४ वें एक पारसी सज्जन को भी फामी की सजा दी गई।

तब तक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रौब जाता था। यदि वह आन्दोलन के आगे एक बार भी मुक्त जाय, तो उसकी शान किरकिरी होती थी। उसे डर था कि यदि एक बार हमारी शान गई, तो फिर हम हकूमत भी न कर सकेंगे। तब बंग-भंग के कारण जो सार्प-कुकुंदर की-सी हालत हो गई थी, उनमें से छूटने के लिए एक रास्ता ढूँढ़ा गया। जब लॉर्ड मिण्टो ने अपनी जगह लॉर्ड हार्डिन्ग को दी और लॉर्ड मिडलटन की जगह लॉर्ड क्यू भारत-मन्त्री पने तो भारत में ब्रिटिश नेश जार्ज पंचम के राज्याभिषेक-महोत्सव का लाभ उठाकर बंग-भंग रद्द कर दिया गया और भारत की राक्षसानी कलकत्ते से उठाकर दिल्ली ले आये।

जब यह कहा जाता है कि बंग-भंग रद्द कर दिया गया, तो यह नहीं समझना चाहिए कि स्थिति घणापूर्वक कर दी गई। पहले पश्चिमी बंगाल और आसाम-सहित पूर्वी बंगाल के रूप में बंग-भंग किया गया था। अब उसका रूप बदल दिया गया। पहले बिहार को पश्चिमी बंगाल में मिला लिया था, लेकिन अब उसे छोड़ नागपुर और उड़ीसा के साथ मिला कर एक प्रान्त बना दिया, अर्थात् आसाम के साथ पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के दो प्रान्तों के बजाय अब तीन प्रान्त हो गये— बंगाल एक प्रान्त, बिहार छोड़ा नागपुर और उड़ीसा, दूसरा प्रान्त; और आसाम तीसरा प्रान्त। राज्याभिषेक के उत्सव में जिन एक राज्याय को दूर नहीं किया गया था, वह अब उड़ीसा को पृथक् प्रान्त स्वीकार करके दूर किया गया है। वरते हैं कि लॉर्ड हार्डिन्ग ने दक्षिण अफ्रीका में शर्वरन्दी कुली-प्रथा को नष्ट कर तथा बंग-भंग को रद्द करके अपना शासन-काल स्मरणीय बना दिया, लेकिन नष्टतः जिस घटना ने उनका शासन विरामरणीय बनाया वह २५ अगस्त १९११ का खरीदा था। यह खरीदा ही भाषी-मुधारों का आधार रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को बिना किसी अनुन्वय के स्वीकार कर लिया था।

इन सब उपलब्धियों के बाद, जिनका भेद 'कथिम' को था, यह सामाजिक था कि कांग्रेस का कार्यक्रम अधिवेशन (कलकत्ता, १९११) बहुत खुरी के साथ मन्वया जाता। भी मुनेन्द्रनाथ बनर्जी ने, बंगाल को ओ सारे हिन्दुस्तान में मदद दी थी उसके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए, यह उच्च धारा प्रकट की थी कि "भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्रों के स्वतन्त्र संघ साम्राज्य का एक अभिन्न अंग होगा।" लेकिन इन सब आशाओं और खुशियों में भी लोग राजदोही समारंबदी कानून १९०८, प्रैस एक्ट १९०८ और विमिनल लॉ एमेन्डमेण्ट एक्ट (१९१०) को भूले नहीं थे। इनके द्वारा तो जनता की आकांक्षी की जकार कुलहाका चल गया था। इन सबसे बढ़कर १८१८ का रेगुलेशन ३ तथा अन्य प्रान्तों के रेगुलेशन अब तक मौजूद थे, जिनकी रूस १९०६-८ के देश-निधामे जार-जगह दिने गये थे। भारत में बनने वाले कड़े पर 'उत्पत्ति-कर' भी अब तक मौजूद था। इनके बरीलत जन-माल की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उदोग धर्मों के हित लगे में थे। इन सबसे भी बढ़ कर अब तक राजनैतिक कैदी जेलों में बन्द थे। लोकमान्य तिलक म्युनेद योग में प्रसन्न होकर आये और बिना किसी मित के लेफ्टन एट्टा और भेरे के साथ संदले के किने में कैद थे। इस समय भू गोष्पने के प्राथमिक शिक्षा बिल की बहुत खचां थी, जिनके पास होने की उम्मीद बहुत कम थी। एरिग अफ्रीका में भ्रतर्वतो की बुगी हालत थी जिसके लिए देशभन्दी आन्दोलन की प्रकृत थी।

१९११ में यह हालत थी। १९१२ में राजनैतिक मिन्वाय कुपु-कुपु कम हो गया था। लेकिन एसी कपे में एक भारी दुर्घटना हो गई। लॉर्ड हार्डिन्ग अब कुपु के साथ हादी पर नई राजदोही दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, किसी ने उन पर बम फेंका, और वह जलते-जलते बचे। इस पर बॉम्बे में कांग्रेस ने, समारंभ के भाष्य के बाद, बरलस होने के दिवाज को टोड़कर, इस घटना पर कु-

अध्यार में एक राष्ट्रीय हार्स्कूल खोल दिया । सिन्ध तथा अन्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल
ले और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० अरएडेल के सभापतित्व में एक शिक्षा-समिति संग-
की । श्री० बी० पी० वाडिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से
टन किया । दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे । 'न्यू-इण्डिया' (दैनिक) के कालमें
होमरूल-लीग का खूब प्रचार व कार्य होता था । विद्यार्थी भी इस आन्दोलन में बड़ी शक्ति बन
थे पर, लॉर्ड पेपटलैण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म निकाल दिया । मामूल की तरह
न्दोलन के बाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और भीमती बेसेण्ट तथा मि० अरएडेल व वाडिया
जून १९१७ को उटकमण्ड में नजरबन्द कर दिये गये ।

तथा आक्रमण पर रोय-प्रकाश का तार लार्ड हार्डिंज के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के बाद प्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे प्रेस एक्ट को रद्द करने की लगा-तार आवाज ने भी १९१३ में जोर पकड़ लिया। कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध करती रही। १९०८ का प्रेस-एक्ट सबसे अधिक खराब था, जिसे १९१० में स्थायी कानून बना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भारत-सरकार के लॉ मन्त्र थे।

माण्टेरोसे-सुधारों के बाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर बाकी सब दमनकारी कानून रद्द कर दिये गये। वंग-भंग के रद्द किये जाने और हिंसावाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेस-एक्ट से लोगों को सख्त तकलीफें भेलनी पड़ती थीं। इधर राजनैतिक वातावरण में जो एक स्वन्धता और शान्ति आ गई थी, उसकी जगह १९१४-१८ के महासमर की हलचल ने ले ली और इस भीषण विश्व-क्रान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोषजनक घटना हो गई। वंग भंग के दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय आदर्शों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रक्खा था। १९१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम-लीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "दिश का राजनैतिक भविष्य दो महान् जातियों (हिन्दु और मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर है।" कांग्रेस ने १९१३ में मुस्लिम-लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की।

जुलाई १९१४ में महासमर छड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का दरवाजा खटखटा रहा था, लार्ड हार्डिंज ने बड़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज बाहर भेज दी। इंग्लैण्ड बड़ी आशय में था। हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रक्ती गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की हिंस्रत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैण्ड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्या। लार्ड हार्डिंज ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया। मार्सेल में एक दिन भी आग्रह किये बगैर हिन्दुस्तानी फौज फ्लाइंग एण्डोर्न में, जहाँ अग्नि-बर्फों हो रही थी, भेज दी गई। उस फौज ने मि-राष्ट्रों को उम भारी विनाश से बचा दिया, जो उसके न पहुंचने पर १९१४ के परवरी-मार्च में उगार आ जाती। १९१४ की कांग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया—“वर्तमान आन्ति के एक हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजमक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजमक्ति को और भी गहरी व स्थिर बनावे और उसे साम्राज्य की एक कीमती संपत्ति बना ले। ऐसा करने के लिए यहां और बाहर सम्राट की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेषजनक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ अगस्त १९११ के स्पीच में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को सप साम्राज्य का एक अंग बनाने और उस राष्ट्रिय के पूरे अधिभार देने के लिए जो काम जरूरी हैं वह सब करे।” हमने यह सन्धा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत किया है कि जिनसे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं को क्या किन्ती ऊंची थी। भीमती वेमेरेट ने भारतीय गमरका को पुस्तकार के आधार पर देर नहीं किया, बल्कि जन्मदिन अधिभार के रूप में रक्खा। उन्होंने १९१४ के महासम-अधिवेशन में बड़ी दिने के साथ 'त्रे के लय नैका' के विद्वान के वादार्थ पर अमल होने की यह मांग देर की, कि जिन देरों से भारतीय विद्यार्थे को ही उनका माल हिन्दुस्तान में न मगरा करे। भीमती वेमेरेट ने लॉ एमेण्डमेण्ट के समय में होमरक का मतान् आदीशन उठाया। बड़ी पुण्य काव-कम—स्वरेटी, बरिष्ठा और राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरक—पुनर्जी वा किया मल। उन्होंने दमन-पल्ली-रिषय आनी दिनेमेण्डमेण्ट विद्यार्थे-कारणों का सकाराई विर-विद्यार्थे से सम्बन्ध हो। दिया

र अख्यार में एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोल दिया। मिन्ध तथा अन्य प्रा-तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल
 ले और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० अरएडेल के सभापतित्व में एक शिक्षा-समिति सग
 की। श्री० बी० पी० वाडिया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से
 टन किया। दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे। 'न्यू-इण्डिया' (दैनिक) के कालमें
 होमरूल-लीग का मूव प्रचार व कार्य होता था। विद्यार्थी भी इस आन्दोलन में बड़ी शक्ति बन
 थे पर, लॉर्ड पेपटलेण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म निकाल दिया। मामूल की तरफ
 न्दोलन के बाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और भीमती बेसेण्ट तथा मि० अरएडेल व वाडिया
 जून १९१७ को उडकमण्ड में नजरबन्द कर दिये गये।

तथा आक्रमण पर रोष-प्रकाश का तार लार्ड हार्डिन्ग के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के बाद प्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे प्रेस एक्ट को रद्द करने की लगा-तार आवाज ने भी १९१३ में जोर पकड़ लिया। कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध बरती रही। १९०८ का प्रेस एक्ट सबसे अधिक खराब था, जिसे १९१० में स्थायी कानून बना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा भारत-सरकार के लॉ मेम्बर थे।

मार्च १९१३ में लॉ एम्प्लोयमेंट एक्ट को छोड़कर बाकी सब दमनकारी कानून रद्द कर दिये गये। बंग-भंग के रद्द किये जाने और हिंसावाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेस एक्ट से लोगों को सख्त तकलीफें भेलनी पड़ती थीं। इधर राजनैतिक वातावरण में जो एक स्वतन्त्रता और शान्ति आ गई थी, उसकी जगह १९१४-१८ के महासमर की हलचल ने ले ली और इस भीषण विश्व-क्रान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोषजनक घटना हो गई। बंग भंग के दिनों से ही मुसलमान राष्ट्रीय आदर्शों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रक्खा था। १९१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम-लीग ने अपने गत अधिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक भविष्य दो महान् जातियों (हिन्दू और मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्भर है।" कांग्रेस ने १९१३ में मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की।

जुलाई १९१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रांस का दरवाजा खटखटा रहा था, लॉर्ड हार्डिन्ग ने बड़े साहस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज बाहर भेज दी। इंग्लैण्ड बड़ी आपत्त में था। हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रक्खी गई थी कि वह इंग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैण्ड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्या? लॉर्ड हार्डिन्ग ने भारतीय सेना को यूरोप भेज दिया। मार्च १९१५ में एक दिन भी आराम किये बगैर हिन्दुस्तानी फौज फलाहर्ष रणक्षेत्र में, जहाँ अग्नि-धर्या हो रही थी, भेज दी गई। उस फौज ने मित्र-राष्ट्रों को उस भारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुँचने पर १९१५ के फरवरी-मार्च में उभार आ जाती। १९१४ की कांग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया—“वर्तमान आपत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजभक्ति को और भी गहरी व स्थिर बनावे और उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले। ऐसा करने के लिए यहाँ और बाहर सम्राट की भारतीय और अन्य प्रजा के बीच जो द्वेषजनक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ अगस्त १९११ के स्वरिते में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को एक साम्राज्य का एक अंश बनाने और उस हेतियत के पूरे अधिकार देने के लिए जो काम जरूरी हो वह सब करे।” हमने यह लम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक आकांक्षाओं की कच्चा कितनी ऊँची थी। श्रीमती बेसेण्ट ने भारतीय समस्या को पुरस्कार के आधार पर पेश नहीं किया, बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में रक्खा। उन्होंने १९१४ के मद्रास अधिवेशन में बड़ी दिलीरी के साथ 'जैसे के साथ तैना' के सिद्धान्त के व्यवहार पर अमल होने की यह मांग पेश की, कि जिन देशों से भारतीय निकाले जाते हैं उनका माल हिन्दुस्तान में न मगाया जाय। श्रीमती बेसेण्ट ने लॉर्ड वेल्श्लेण्ड के समय में होमरूल का महान् आन्दोलन उठाया। वही पुराना कार्यक्रम—स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा होमरूल—पुनर्जीवित किया गया। उन्होंने मदन-पहली-स्थित अपनी धियोयोगिकल शिक्षण-सरथाओं का सरकारी विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध दोड़ दिया

और अरब्यार में एक राष्ट्रीय हार्सकुल खोल दिया । सिन्ध तथा अन्य प्रांतों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल खोले और राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० अरएडेल के समापविल में एक शिक्षा-समिति खगवत की । भी० बी० पी० वाडिया और भी सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से गठन किया । दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये थे । 'न्यू-इण्डिया' (दैनिक) के कालमें य होमरूल-लीग का खूब प्रचार व कार्य होता था । विद्यार्थी भी इस आन्दोलन में बड़ी शक्ति बन गये थे पर, लॉर्ड पेपटलेयड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म निकाल दिया । मामूल की तरह आन्दोलन के बाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और भीमवी बेसेयट तथा मि० अरएडेल व वाडिया ६ जून १९१७ को उटकमण्ड में नजरबन्द कर दिये गये ।

हमारे अंग्रेज हितैषी

भारत के राजनैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों और बड़े बड़े अंग्रेजों ने अत्यन्त भाग लिया है। ह्यूम साहब ने कांग्रेस का संगठन तो बहुत बाद में किया था। इससे पहले पार्लियामेंट के कई सदस्य भारतीय प्रश्नों में दिलचस्पी लेने लग गये थे। भारतके विषय में पार्लियामेंट में चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भावना निःस्वार्थ भी रहती थी। विद्वली शताब्दी के पचास सत्र वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहब ने भारत का ग्लोबल-मार्गमर्न किया। उन्होंने १८४७ में पार्लियामेंट में प्रवेश किया। उस समय से १८८० तक इस देश के भाग्य में बहुत उतार-चढ़ाव आये, पर न। साहब का भारत-प्रेम बराबर बना रहा। इनके बाद फॉसेट साहब की बारी आई। यह १८६५ पार्लियामेंट के सदस्य हुए और १८६८ में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत की बड़ी-बड़ी नौकरियाँ परीक्षाओं के बेल बिलायव में न होकर भारत और इंग्लैण्ड दोनों में साथ-साथ हों। १८७५ में इंग्लैण्ड भारतवर्ष के स्वर्च से तुर्की के मुलतान के लिए लॉर्ड सेल्सवरी ने जो नाव करवाया था इसकी फॉ साहब ने निन्दा की। उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह हृदय से भारत के हितैषी बने रहे इन्होंने विरोध से अरबीसीनिया की लड़ाई का साथ स्वर्च भारत के मध्ये न मद्दा जाकर आधा इंग्लैण्ड पर पड़ा। ह्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कीप दिये जाने का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश-युवराज की भारत-यात्रा के स्वर्च ४, ५०,०००) के भार से भी इन्होंने हमारे देश को बचाया। लॉर्ड लिटन ने कपड़े का आयातक बन्द कर दिया, दिल्ली में दरबार किया और अफगान-युद्ध मोल ले लिया था। इन करतूतों का फॉ साहब ने विरोध किया। कृतश भारत ने भी इन उपकारों का बदला तुरन्त दिया। १८७२ में कलकत्ता की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसेट साहब पार्लियामेंट के चुनाव में हार गये तं आगामी चुनाव के लिए सहायकार्य उन्हें १०,००० रु० से अधिक की पैलों मेंट की गई।

ह्यूम साहब ने पार्लियामेंट की भारत-समिति और कांग्रेस के संगठन में जो भाग लिया उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परन्तु इस स्थावमैमने साठ वर्ष से भी अधिक सरकारी और गैर सरकारी हैसियत से भारत की भलाई के लिए जो परिश्रम किया उसका हाल जय विस्तार से जानना हमारा कर्तव्य है। वह भारत की सिविल सर्विस में अनेक पदों पर रहे। जब वह जिला-मजिस्ट्रेट रहे, इन्होंने साधारण जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-सुधार, मंदिर-निषेध, देशी-भाषाओं के समाचार-पत्रों की उन्नति, काल-अपराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिश्रम किया। इन्होंने किसी बात में रत था तो गांव और खेती में। इन्होंने किसी बात की विन्दा भी तो ————— और स्थापित तो इसी में है कि प्रजा के ज्ञान की

वृद्धि की जाय और उसमें सरकार की अस्थाइयों की कटार करने की नैतिक और बौद्धिक योग्यता पैदा की जाय ।” ह्यूम साहब के इस हल का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन् १८५६ के अपने एक गश्ती पत्र में दिया । इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भागतीयों से काम न लिया जाय और कलक्टर साहब लोगों को पाठशालाओं में अपने बालकों को भेजने की या पाठशालाओं की सहायता करने की प्रेरणा न करें । ह्यूम साहब ने इसका जिस प्रकार विरोध किया वह भी मार्के की चीज है । ह्यूम साहब का दूसरा मिय विषय या पुलिस का सुधार । उनकी योजना यह थी कि पुलिस और न्याय-विभाग को बिलकुल अलग-अलग कर दिया जाय । आबकारी के बारे में वह लिखते हैं:—

“जहां एक ओर हम अपनी प्रजा का आचरण भ्रष्ट करते हैं, वहां दूसरी ओर हमें उसकी बर्बादी से कोई आर्थिक लाभ भी नहीं होता । यह सारी आय पापकी कमाई है और इस पुरानी कदावत को सिद्ध करती है कि पाप की कमाई यों ही जाती है । आबकारी से हमें एक रुपया मिलता है तो उसके बदले में एक रुपया प्रजा का अपराधों के रूप में खर्च हो जाता है और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में लगा देना पड़ता है । अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कोई आशा नहीं दीखती, किन्तु मुझे जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन आंखों से हमारे भारतीय शासन के इस बड़े भारी कलङ्क को सन्ने ईसाई तरीके पर धुला हुआ देव सकूंगा ।”

१८५६ के अन्त में ह्यूम साहब की सहायता से “पीपल्स-फ्रैण्ड” (लोक मित्र) नामक हिन्दुस्तानी पत्र निकाला गया । इसकी छुः सौ प्रतियां संयुक्तप्रान्त की सरकार स्वरीदती थी । साइराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया और इसका अनुवाद होकर भारतमन्त्री के मार्फत महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जाता था । १८६३ में ही ह्यूम साहब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों के सुधार-गृह बनाये जाय । जुझी की अपराधी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि जुझी की सम्बन्धी-नौड़ी कदावतों को धीरे-धीरे दूर करवा दिया । इसने पहले सरकार ने अपने नमक बेचने के एकाधिकार की रक्षा के लिए अर्द्धाई हजार मील तक ऐसी हदबन्दी कर रखी थी कि राजपूताने की रियासतों से सहा नमक अग्रेजी इलाके में आ ही नहीं सकता था । कहा जाता है कि यह मनहूस किलेबन्दी पश्चिम से पूर्व तक भारत के द्वार-द्वार, अटक से कटक तक, सिन्धु नदी से बजाल की खाड़ी तक, पैली हुई थी । ह्यूम साहब की इस सफलता पर भारत-मन्त्री ने भी उनकी प्रशंसा की थी ।

१८७६ ई० में ह्यूम साहब ने कृषि-सुधार की एक योजना तैयार की । लॉटं मेयो की उसके साथ सहानुभूति भी थी । परन्तु यह योजना यों ही गई । मुकदमेवाजी के बारे में उनकी राय यह थी कि देहाती इलाकों में किसानों को मराजनों की गुलामी में जकड़ने की सीधी जिम्मेदारी दीवानी अदालतों पर है । उन्होंने सिफारिश की कि ग्रामवासियों के कर्जे के मुकदमे जल्दी-से-जल्दी और जहां-कै-तहां निपटाने चाहिए उनका अन्तिम निर्णय जुने हुए ईमानदार और समझदार भागतीयों द्वारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गांव-गांव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के सेनसेन के मुकदमे गांव के बड़े-बूढ़ों की सहायता से तय कर दिया करें । इन न्यायाधीशों पर कोई ज्ञाने या कानून-कायदे की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए । ह्यूम साहब करने थे कि जो लोग देहात की जानने हैं उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं होती कि जो आदमी अदालत में पैर रखने ही भूट कोलने में कुछ भी सञ्चोच नहीं करता उसीसे जब ग्रामवासी पक्षियों के बीच में पंचायती चबूतरे पर बैठे हुए स्थितिगत प्रश्न किये जाते हैं तब असत्य बात कहने का उठे साहस ही नहीं होता । वहां तो सबको एक-दूसरे की बातें माहूम रहती हैं । १८७६ ई० में हसी टंग की एक योजना दक्षिण की कष्ट-पीडित प्राय की

१८७० ई० से १८७६ तक ह्यूम साहब भारत-सरकार के मन्त्री रहे; परन्तु उन्हें वहा से इसी अपराध पर निकाल दिया गया कि बहुत ज्यादा ईमानदार और स्वतन्त्र प्रकृति के थे। इसकी भारतीय समाचार-पत्रों ने एक स्वर से निन्दा की, परन्तु कुछ मुनाई नहीं हुई। लॉर्ड लिटन ने ह्यूम साहब की लैफ्टिनेन्ट गवर्नर बनाने का प्रस्ताव किया। ह्यूम साहब को यह स्वीकार न हुआ। वह यह समझते थे कि इसमें खान-पान और राग-रग की जितनी भ्रंश है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूधप प्रस्ताव यह था कि उन्हें होम-मेम्बर (शह-सचिव) बना दिया जाय। यह बात इन्स्टीट के प्रधान मन्त्री लॉर्ड सेलसवरी को पसन्द नहीं आया, क्योंकि ह्यूम साहब वाइसराय नॉर्थवुड को इस बात के लिए पक्का कर रहे थे कि कपड़े पर से आयात-कर न उठाया जाय। ह्यूम साहब ने १८८२ ई० में नौकरी से अवसर प्राप्त किया। उन्होंने लगभग तीन लाख रुपया पक्षियों के अजायबघर पर और लगभग ६० हजार रुपया 'भारत के शिकारी पक्षी' नामक ग्रन्थ की तैयारी में खर्च किया था।

सर विलियम वेडरबर्न की सेवायें तो इतनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश कांग्रेस-कमिटी को चलाने में वर्षों तक उन्होंने मुख्य हाथ रखा। कांग्रेस इसके लिए दस हजार से पचास हजार तक वार्षिक खर्च करती थी। वेडरबर्न साहब बम्बई में १८७६ ई० में, और इलाहाबाद में १८९० ई० में, इस प्रकार राष्ट्रीय महासभा के दो अधिवेशनों के सभापति हुए। जार्ज यूल साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के सभापति हुए। इसके बाद तो हर साल पार्लियामेंट के सदस्य भारत-यात्रा करने और कांग्रेस के अधिवेशनों पर उपस्थित रहने लगे। इन प्रसिद्ध लोगों में से नशा-निषेध के महान् प्रचारक डब्ल्यू. एल. केडन साहब, जिसका फौर्द दिमाग्यती न हो उसके हिमायती चार्ल्स ब्रैडला साहब, सेम्युअल रिमथ साहब, और डाक्टर रदरफोर्ड और जार्ज साहब के नाम उल्लेखनीय हैं।

रैमन्टे मैक्डॉनल्ड साहब तो १८९१ में कांग्रेस अधिवेशन का सभापति-पद भी मुशोभित करते, परन्तु उनकी पत्नी का देहान्त होजाने से उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। वेअर हार्डी, होलफोर्ड, नाइट, मैकस्टन, कर्नल चैकवुड, वेनस्पूर, चार्ल्स रॉबर्टसन और पैथिक लॉरेन्स आदि कामन-सभा के कुछ अन्य सदस्य भी भारतवर्ष में आकर और कांग्रेस-अधिवेशनों में उपस्थित रहकर भारत की समस्याओं का अध्ययन कर गये। परन्तु १८८६ ई० में चार्ल्स ब्रैडला साहब का जो स्वागत किया गया वह शान शौकत में तो राजद्वारों से कम नहीं था। उनमें उन्होंने राजभक्ति की जो व्याख्या की वह बड़ी मार्के की थी। उन्होंने कहा, "जहा आत्मा मृन्दकर आत्मा-पालन करने की वृत्ति होती है वहाँ सच्ची राजभक्ति का अर्थ तो यह है कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार के लिए कुछ करने को बाकी न रहे।" परन्तु नीकरशाही की व्याख्या राजभक्ति की दूसरी ही है। उसके ब्यापार से प्रजा को खुद कुछ न करना चाहिए, जो कुछ हो सरकार को ही करने देना चाहिए।

ब्रैडला साहब ने १८८६ में कौन्सिलों के मुद्दों के लिए एक कानून का मसविदा (बिल) बनाया और उसे स्टेजमन्ट-सदर के लिए प्रचारित किया। इस मसविदे में कांग्रेस के क्लब-सदस्यों के विचारों का समावेश था और कांग्रेस ने भी ब्रैडला साहब के इच्छानुसार कुछ सूचनायें देना की जिम्मे भारतीय जनता का सम्भार मत प्रदर्शित होता था। आगे चलकर यह मसविदा वापस ले लिया गया। परन्तु पार्लियामेंट में ब्रैडला साहब की विधि इतनी मजबूत थी कि लॉर्ड ब्रॉक्स ब्रैडला मसविदा भी ब्रैडला साहब के विशेष के कारण वापस लेना पड़ा। उनका दूसरा मसविदा भी तब मंगल हुआ जब उनमें प्रख्यात मुद्दों की परकी विचार के साथ में, अद्यतन ही लरी, कौन्सिलों में निर्वाचन का विधान स्वीकार कर लिए गया।

विलियम राबर्ट ग्लेडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता। भारत में ग्लेडस्टन साहब बड़े लोकप्रिय हो गये थे। इसका अठली कारण था उनकी कांग्रेस-आन्दोलन के साथ प्रत्यक्ष सहप्रति। उन्होंने १८८८ में कहा था, "इस महान् राष्ट्र की उठती हुई आकांक्षाओं के प्रति विस्कार या उपेक्षा का भी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा।" लगातार कई वर्ष तक ग्लेडस्टन साहब की वरगाट पर कांग्रेस की ओर से बधाई के प्रस्ताव होते रहे। उनकी ८२ वीं जयंती २६-१२-१८६१ के दिन भी और कांग्रेस ने उसे विधिपूर्वक मनाया। इतने दूर देश के राजनीतिज्ञ के प्रति इतनी असाधारण भ्रष्टा का कारण यही था कि उन्होंने आयर्लैण्ड की भाँति भारत के अधिकारों का भी पक्ष-समर्थन किया था। ग्लेडस्टन साहब भारत के एक हितैषी समझे जाते थे और अर्बलिन नॉर्टन साहब ने १८६४ की दसवीं कांग्रेस के अवसर पर उनके इस मन्तव्य को दोहराया भी था— "मेरा विश्वास है कि पार्लियेण्ट की अज्ञान में, देश को बताये बिना ही, कौंसिल के एकान्त कमरों में, अचरभान् एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता सर्वथा नष्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि ऐसा कानून ब्रिटिश-साम्राज्य के लिए कलंक है।" जब १८६८ में ग्लेडस्टन साहब का देहान्त हुआ तो कांग्रेस ने सन्ने दिल से शोक मनाया।

लॉर्ड नॉर्थब्रुक के प्रति भी कांग्रेस ने १८६३ के अपने नवें अधिवेशन में कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने पार्लियेण्ट में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के स्वजाने से 'होम चार्जेज' के नाम पर जो विशाल धन-गशि खींची जाती है उसकी मात्रा कम की जाय। यह धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोल्डने ने कांग्रेस के सम्मुख ह्यूक ऑफ़ आर्जाइल के ये वाक्य उद्धृत किये थे कि "भारत में आम लोगों को यह मालूम होने में कि उन्हें कोई कष्ट है, पहले ही बह कष्ट दूर कर दिया जाना चाहिए।" सार्वजनिक प्रश्न पर ह्यूक साहब बड़े प्रमाण-स्वरूप समझे जाते थे। वाचा महोदय ने कांग्रेस के १७ वें अधिवेशन में उनके इस कथन को दोहराया था कि "आभीष्ट भारत की विशाल जन-संख्या में जितना चिर-दायिद्रय पैला हुआ है और उनके जीवन साधनों का माप जितना नीचा और स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाहरण पाश्चात्य जगत् में कहीं नहीं मिलता।" इन्हीं ह्यूक महोदय ने १८८८ में कहा था कि "अंग्रेजों ने अपने दिये हुए बचनों और किये हुए कारनामों का पालन नहीं किया।"

इन हितैषियों में एक थे एल्ले के लॉर्ड स्टैनेले। उन्होंने अपने जीवन का उत्तम भाग भारत में ही व्यतीत किया और भारत के अग्रमुत्थान के लिए परिभ्रम किया। १८६४ में उन्होंने भारत-मंत्री की कौंसिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "यदि भारत मन्त्री पर कौंसिल का नियन्त्रण रहे तो भारत मन्त्री का पद उठा दो। यदि कौंसिल पर भारत-मन्त्री का नियन्त्रण रहे तो कौंसिल को मिटा दो। यह द्विविध शासन व्यर्थ है, भयावह है, अपव्यय है और बाधक है।" उन्होंने भारत-मन्त्री और उसकी कौंसिल की व्यापारिक अयोग्यता के प्रमाण भी दिये।

एक महान् व्यक्ति का उल्लेख करना और बाकी है। यह थे अनरल मूथ। इन्होंने १८६१ की नागपुर-कांग्रेस में एक योजना भेजी कि हजारों निर्धन और अग्रंग लोगों को देश की बंजर भूमि पर किस प्रकार बसाया जा सकता है। इन्हें तार-द्वारा उचित उत्तर दिया गया।

इस सङ्क्षिप्त विवरणमें सर हेनरी कॉटन और उनकी अमर सेवाओंका उल्लेख किये बिना भी नहीं रहा जा सकता। कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पुटना सम्बन्ध रहा था। व्यों ही आठम के इन चीफ कमिश्नर साहब ने पेशान ली ल्योन्दी कांग्रेस ने अपने १६०४ वाले सम्मेलन के अधिवेशन का सभापति-पद

हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग

श्री नीति और उसके कार्य-क्रम की आगे की प्रगति पर विचार करने से पहले हमें उन वि अपनी भद्राङ्गलियां अर्पित करनी चाहियं, जिन्होंने राष्ट्रोद्धार के इस आन्दोलन का प्रारम्भिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोहर तैयार किया। और कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोहर तैयार किया।

महानुभावों के प्राणों का जैसा विस्तृत संगठन और महान् राष्ट्रीय कार्य-क्रम दिलवाई पड़ता है, हम की शुरुआत थी। कि यह सब हमारे ही वक्त में और हमारे ही प्रयत्नों के फलस्वरूप हुआ है। कांग्रेस के आज हमें कांग्रेस का जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था वह आज के कांग्रेसियों को शायद पसन्द भी न शायद यह समझें भी सम्भव है कि पुराने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और दृष्टिकोण पूर्ववर्ती नेताओं का ही। लेकिन हमें यह इंगित न भूलना चाहिये कि आज हम जो कुछ भी कर सके हैं हो; इसी तरह यह किन्ता रखते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों और महान् बलि-पसन्द न हुआ ही। इसलिए उन बुजुर्गों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं और जो ईश्वर-रुपा से और करने की श्रावण मौजूद हैं उनकी महान् सेवाओं और कुरबानियों का यहाँ उल्लेख किये बिना हम दानों के फलस्वरूप नहीं।

दादाभाई नौरोजी

आगे नहीं चल सके-बूढ़ों की सूची में सबसे पहला नाम दादाभाई नौरोजी का आता है, जो कांग्रेस अपने जीवन-पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस को सर्वसाधारण की कायतों दूर करने का प्रयत्न करनेवाली जन-सभा से बढ़ाते-बढ़ाते स्वराज्य-प्राप्ति की शुरुआत से लेकर के निश्चित उद्देश से काम करनेवाली राष्ट्र-परिषद् पर पहुंचा दिया। १८८६, शासन-सम्बन्धी शि. में—तीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए; और बराबर कांग्रेस के साथ रहते हुए (कलकत्ता १९०६) में दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के भंगड़े को ऊंचा रक्खा। दूसरी बार उन्हें जो १८९३ और १९०६ में जा गया, वह सेण्ट्रल फिन्सवरी से उनके 'कामनसभा का 'सदस्य चुने जाने की इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख-कांग्रेस का सभापति लन्दन में आन्दोलन जारी किया जाय'। १८९१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर खुरी में था; क्योंकि जब तक लन्दन में अधिवेशन न हो ले तब तक कांग्रेस को स्थगित रक्खा जाय, दूर दूर कराने के लिए। ठीक इसी समय ह्यूम साहब इंग्लैण्ड जाने वाले थे, और इसी समय के के साथ पेश हुआ, कि भारत से चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाने की मांग भी की गई थी। ऐसी परिस्थि-लेकिन वह अस्वीकृत दूसरी बार कांग्रेस के सभापति चुने गये, जिन्होंने इस अवसर से लाभ उठा सारभग कामन-सभा बात की प्रेरणा की, कि वे "इस शक्ति (शिक्षित भारतीयों) को अपनी और तियों में से दूर न करें—अपना विरोधी न बनावें।" ब्रिटिश-राज्य की न्यायव्यवस्था

दादाभाई का बहुत विश्वास था और यह अन्त तक कायम रहा। १९०६ में दादाभाई कलकत्ते के अधिवेशन के समापति हुए। उस समय हिन्दुस्तान मारों एक खौलते हुए कढ़ाव में था; १६ अक्टूबर १९०५ को जो वग-भंग किया गया था, उससे देश-भर में एक नई लहर पैदा हो गई थी। पूर्वी बंगाल सन्तोष से उबल रहा था। हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ उभाड़ा जा रहा था। विशेष जनों (आदिनेसों) का शासन जारी किया गया। कानून और व्यवस्था के लिए फौज और ताजीरी सेव की तैयारी का नया क्रम चला, और बरीसाल में होनेवाली प्रान्तिक परिषद् पुलिस द्वारा भंग गई—दो० रासबिहारी घोष के शब्दों में कहें तो, “शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने अन्धान्धी के साथ शान्ति का ही खून कर माला था।” दादा भाई ने बताया कि १८९३-९४ के बाद जनसंख्या तो १४ प्रतिशत ही बढ़ी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिशत बढ़ गया है; और १८८४-८५ में लें तब तो जहा जनसंख्या १६ प्रतिशत बढ़ी है वहाँ यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा। १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो अकेला सैनिक व्यय ही बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंग्लैंड किया जाता था। कांग्रेस के सारे वायु-मण्डल में उस समय बहिष्कार की भावना छार्ई हुई थी। वू विपिनचन्द्रपाल ने बहिष्कार शब्द को और भी व्यापक-रूप दिया और सरकार से सब तरहका सम्बन्ध-च्छेद करने के लिए कहा। प्रस्ताव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका अर्थ भिन्न-भिन्न व्यक्तियों जुदा-जुदा किया। मालवीयजी ने इसका अर्थ देशी उद्योग-पधों का संरक्षण किया। लोकमान्य बलक ने मध्य-भेरी के व्यक्तियों द्वारा इस्लामाल किये जाने वाले विदेशी कपड़े के दुःखद दृश्य का अन्त करने के लिए राष्ट्रीय की ओर से किये जाने वाले दृढ निश्चय, बलिदान और स्वावलम्बन को स्वदेशी कहा। लालाजी ने इसका अर्थ देश की पूजा को बचाना और सुरक्षित रखना बतलाया और वयं दादाभाई के लिए, यह आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी सुधार तथा शिक्षा-प्रचार की पुकार थी; योंकि शिक्षा-प्रचार के ही कारण लोगों में स्वराज्य की भूल पैदा हुई थी। इस अस्ती बरस के बूढ़े ६,००० मील दूर (इंग्लैण्ड) से यहाँ आकर स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के साथ स्वराज्य की एक नई पुकार और पैदा करदी, यह देखकर ‘इंग्लिशमैन’ इन पर उबल पड़ा था। लेकिन भारतीय लोगों के लिए यस्ता इस तरह अपने-आप साफ होरहा था। १९०५ में गोखले ने स्व-शासन की ओर प्रगति करने के लिए चार उपाय बताये थे, जो १९०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल करलिये गये। इस प्रकार दादाभाई के समापतित्व में होनेवाले कलकत्ता-अधिवेशन में चार मुख्य प्रस्ताव पास हुए, जिनमें स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है:—

“इस कांग्रेस की राय है कि स्वराज्य-प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है वही भारतवर्ष में भी चलाई जाय और उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जाय—

(क) जो परीक्षामें केवल इंग्लैण्ड में होती हैं वे भारतवर्ष और इंग्लैण्ड में साथ-साथ हों और भारतवर्ष में ऊँची नौकरियों पर जितनी निपुक्तियाँ होती हैं वे सब केवल प्रतिस्पर्धी-परीक्षा द्वारा हों।

(ख) भारत-मन्त्री की कौंसिल तथा वाइसरय और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की कार्य-कारिणियों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में हों।

(ग) भारतीय और प्रान्तीय कौंसिलें बढ़ाई जायं, उनमें जनता के अधिक और वास्तविक प्रतिनिधि रहें और उन्हें देश के आर्थिक और शासन-सम्बन्धी कार्यों में अधिक अधिकार रहे।

(घ) स्थानीय और स्थानियुक्त बोर्डों के अधिकार बढ़ाये जायं और उन पर सारकारी निय-

इसके अलावा इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय-शिक्षा सम्बन्धी पाठ हुए थे।

जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में अपनी सारी जिन्दगी लगा दी, भारत की अविभक्त परिभ्रम किया, अपनी कलम को कभी छुड़ी नहीं दी, और जिसे विधाता ने अधिक समय तक हमारे बीच बनाये रखा, उसकी सेवाओं का उल्लेख कुछ पृष्ठों के बीच में नहीं किया जा सकता। दादाभाई तो हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी में दे दी, पर अपने पीछे भी न केवल अपने आत्मबलिदान-पूर्ण जीवन का भेद्य उदाहरण पौतियों के रूप में उसका सजीव रूप वह हमारे सामने खोद गये हैं—क्योंकि, उनकी दे द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी मली-भावि कायम रखे हुए हैं।

आनन्द चालू

कांग्रेस के पहले अधिवेशन में, जो १८८५ में बम्बई में हुआ था, सम्पादक ऐयर और श्री आनन्द चालू कारीनाथ वैलंग और दादाभाई नौरोजी, नरेन्द्रनाथ सेन बनर्जी, एस० सुब्रह्मण्य ऐयर और रमैया नायडू, फिरोजशाह मेहता और डॉ० एस० हा प्रमुख व्यक्तियों ने, जोकि कांग्रेस के जनक और बड़े-बूढ़े थे, अपने भाषणों में उन शर्त चयन दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में जोर पकड़ रही थी। कालान्तर में, इन्हीं नाम-दल बना। आनन्द चालू ने, जो बाद में १८८१ की नागपुर-कांग्रेस के सभापति विशेष वक्तव्य शक्ति के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया। नागपुर में हुए ७ वे अधिवेशन इन्होंने सभापतिवत् किया, जिसमें सभापति-पद से बड़ा जोरदार भाषण किया।

दक्षिण भारत के राजनैतिक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक चमकती हुई हालांकि न तो इनके अनुयायियों का कोई दल था और न यह किसी राजनैतिक मठ के फिर भी अपनी विशिष्ट हीन्दी वक्तव्यशक्ति के साथ इनका एक विशेष व्यक्तित्व रहा है।

दीनशा एदुलगी घाघा

हमारे इन आदरणीय बुजुर्ग का म्यास विषय कौनसा था, जिस पर इन्हें विशेष अधिकार था, यह बहना कठिन है; क्योंकि प्रायः सभी विषयों में इनका एक समान अर्थ इनके उज्ज्वल मुण्ड तो पहले ही अधिवेशन में झलकने लगे थे, जबकि इन्होंने अपने में का पहला भाषण करने हुए सैनिक परिषद का योग्यपूर्ण विस्तृत विदावलीकन अधिवेशन में इन्होंने भाषणमियों की गरीबी को लिया, और हिन्दुस्तान में हर साल करने उस अज्ञान की और सर्व साधारण का ध्यान स्वीकार करने से निरत हो गया इनके बलास बनना चला जा रहा था।

“भारत की विद्यालय अन्तर्गत में अगस्त बड़ी कठने वाली गरीबी” का इन्होंने बहना कि “१८८८ में बहना इमी प्रचार देवत की हालत सिगकती गई है— ५ बड़ी श्रेणी को दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन नलीक होता है, और वह भी इतना मुश्किल बन गया, इन्होंने बहना या देवत की समस्या का अनेक मामलों में दिखाने में बम्बई में हुए बहना के ३ वे अधिवेशन में इन्होंने आकाशी नीति को सिद्ध कि बहना-मध्य में वह अज्ञान द्वारा सर्व साधारण की इच्छा-सुख-आवकारी नीति में मु कटोरत अज्ञान-साधारण को सिद्ध था, लेकिन उनके जी मरने बाद भी साधारण ने इच्छा है। बड़ी बहना में इन्होंने सिद्ध इन और अज्ञान सिद्ध, और इनके साथ ही अज्ञान

उठाया। इलाहाबाद में होने वाली कांग्रेस के ६ वें अधिवेशन में चांदी के सिक्के दालना बन्द करने के विषय प्रस्ताव पेश किया था।

वाचा इतने चतुर थे कि अब से बहुत पहले, १८८५ में ही, इन्होंने लङ्कारायर का प्रश्न उठा लिया था। इन्होंने कहा था, कि "अगर सैनिक-व्यय कम न किया जाय, तो इसके लिए बाहर से आने वाले माल पर फिर से छट-कर लगा देना चाहिए, जिसको उठाकर मानों दक्षिण-प्रख भारत मुजुग जा रहा है—और वह भी इसलिए कि मालदार लंकारायर और समृद्ध बनाया जाय।"

१८६४ में फिर वाचा ने "लंकारायर के लिए भारतीय हितों का बलिदान करने के अभिप्राय से, भारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग को कुचलने के लिए भारतीय मिलों के (एटी) माल पर उतर्गत-कर लगाने के अन्याय" पर नजर डाली। उतर्गत-कर के (एक्साइज) बिल का विरोध करने के लिए इन्होंने भारत-सरकार की प्रशंसा की और भारत-मन्त्री को इस अन्याय पूर्ण कार्य के लिए दोषी ठहराया। सैनिक-व्यय की जांच के लिए नियुक्त राणी कमीशन के सामने, जो कि ग्राम तोर पर वेल्थी-कमीशन के नाम से मराहूर है, दी गई अपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से इनकी प्रसिद्धि बढ़ी जिसके लिए कांग्रेस और गोखले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की। १८६७ में वाचा ने, उसी वर्ष अमरावती में होने वाले अधिवेशन में, सरकार की सरहदी नीति का विरोध किया। कांग्रेस के १५ वें अधिवेशन (सन् १८६६) में भी इन्होंने मुद्रा-नीति पर अपना हमला जारी रक्ता और भारत में मुवर्ण-मान जारी करने की निन्दा की। "हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल-कारण तो," इन्होंने कहा, "यहां के धन का हर साल यहां से बाहर चला जाना है। प्रत्येक मन्दि तो सिर्फ यहाँ की देशी दौलत ही है। रुपये में चांदी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका मूल्य वही रहने दिया गया है। जहाँ पहले १) सोला चांदी विकती थी वहा अब सिर्फ ॥२५ या ॥३७) तोला विकने लगी है।" १६०१ में हुए अधिवेशन (कलकत्ता) में राष्ट्र ने वाचा को कांग्रेस का समापति बनने के लिए आमन्त्रित किया।

१८६६ से लेकर १६१३ तक वाचा कांग्रेस के संयुक्त प्रधान-मन्त्री रहे हैं। इसके बाद उसके काम-काज में गौणरूप से योग देते रहे। १६१५ की बम्बई-कांग्रेस के बाद तो, जिसके कि यह स्वा-गताप्यक्ष थे, वस्तुतः यह फिर उसमें दिखाई भी न दिये। मगर चौथाई सदी से ज्यादा समय तक यह कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा, घटनाओं का जबरदस्त ज्ञान, और सैनिक-सम-स्या जैसे दुरूह विषयों एव सर्व-साधारण की गरीबी जैसी अस्पष्ट और विस्तृत समस्याओं की मली-माति जानकारी में इनसे बढ़कर तो कोई या ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोड़े ही आदमी थे।

गोपालकृष्ण गोखले

गोखले पहले-पहल १८८६ में कांग्रेस में विलक के साथ आये। नमक-कर पर हमला करते हुए उन्होंने बरुतरे तथ्य और आकड़े पेश किये थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे की नमक की टोकरी की कीमत पांच आने हो जाती है। फिर भी उनमें कड़ी-से-कड़ी बात को बहुत ही मधुर-भाषा में कहने का बड़ा गुण था। अपनी आलोचना में गोखले यद्यपि मधुर और मंजुल होते थे तथापि वह कहते थे बात खरी, गोलमाल बातें करना उन्हें पसन्द न था। "नगे, भूखे; मुर्तियों पड़े हुए, ठिठुरते और सिक्कते हुए, सुबह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मिहनत करनेवाले, चुपचाप धीरज के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने शासकों के पास जिनकी आवाज जरा भी नहीं पहु-चती और ईश्वर तथा मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी शोभ उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे बिना ची-चपड़ किये सहने के लिए सदा तैयार किसानों के लिए" गोखले के हृदय में प्रेम का स्थान

था और इन्हींके हित में वह हमेशा कर और खर्चके सगलों को उठाया करते आ जाते थे, जब गोखले की उयव और लोक-प्रचलित विनम्रता भी सार्ड कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पड़ा था वह दरअसल फलकत्ता-कारपोरेशन के अधिकारों में कमी करना, विश्वविद्यालय-मुधारिस्ता के नाम पर सरकारी अफसरों का नियन्त्रण कर देना और शिक्षा को देना, आफिशियल सिकेट्स एक्ट—इन सबने मिलकर सार्ड कर्जन के अकाल-सम्बन्धी नीति; शिकार के लिए सिपाहियों को पास देने-सम्बन्धी निरकानून, रंगून और श्रीगार-प्रकरण में सजायें देना, घर दवाया गोखले को यह था "तो अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लोक-हित के लिए नीकरशाहीसे तमाम आशाओं को नमस्कार !" १९०५ में बनारस-कांग्रेस के समापति करानैतिक शस्त्र के रूप में बहिष्कार का समर्पन किया था और कहा था करना चाहिए जब कोई चारा न रह गया हो और जबकि प्रबल लोक गोखले सामने चाले के साथ बड़ी शिष्टता दिखाया करते थे, परन्तु इससे उनका उनके आक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था ।

१९०५ और १९०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर हां, १८९७ में भी वह इंग्लैण्ड जा चुके थे । जनता और सरकार दोनों के बीच विषम रहती थी । इधर लोग उनकी गरमी की निन्दा करते थे, उधर सरकार बतानी थी । इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनों में मध्यस्थ बनकर रहते आकांक्षार्थे वाहसराय तक पहुंचाते थे और सरकार की कठिनाइयां कांग्रेस तक ।

पर यह भी मानना पड़ेगा कि ज्यों-ज्यों गोखले की उम्र बढ़ती गई लोगों कि "नीकरशाही स्थित" स्वार्थसाधु और खुल्लमखुल्ला राष्ट्रीय है । पहले उसका रवैया ऐसा नहीं था । उन्हें पश्चिम का पूजावाद उतना जातिगत प्रभुत्व, चरित्रनाश, द्रव्य-शोषण और भारत की बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति । यह ऐं कर्षाओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाम-मात्र के वेतन पर मातृभूमि की लिया है । उनके बाद भीमवी एनी वेसेण्ट ने 'भारत के पुत्र' (Sons of India) की और उसके बाद गांधी जी के आभमचारियों और आभमों का नम्वर आता है जी ने आहमदाबाद में सत्याग्रहआभम खोला और उसके बाद १९२० से उसी नमूने खोले गये । ये सब आभम जीवन की कठोरता और साधना में 'भारत-सेवक-समि पुत्र' से कहीं बढ़े-बढ़े हैं ।

सुरत के भगड़े के बाद गोखले ने कांग्रेस के कार्य में प्रमुख भाग लिया । भी गये और बड़ा गांधीजी के सत्याग्रह संग्राम में अपूर्व सहायता की । १९०६की सत्याग्रह-धर्म को बड़ी प्रशंसाकी थी और उसके उत्प को बड़ी स्तुति के साथ समभर-उत्तरी प्रशंसिता मुख्यतः बड़ी कौशिलों के अन्वाड़े में ही होती रही है । १९१४ में दलों को मिलाने की कोशिश की गई तब परले वो उन्होंने उसे पसन्द किया था, प विचार बदल दिया था । इस तरह उत्कट देश-मन्त्रि,देशके लिए कठोर परिश्रम,महा देश-सेवामय जीवनको व्यतीत करते हुए गोखले ने १९५२तरी १९१५को इस लोकसे

जी० मुन्नहाएय ऐयर

कांग्रेस के सर्व-प्रथम अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने पेश किया, यह जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है। 'हिन्दू' के सम्पादक मद्रास के श्री जी० मुन्नहाएय ऐयर, जो सर्वसाधारण में सम्पादक मुन्नहाएय ऐयर के नाम से मशहूर थे, वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया; और प्रस्ताव यह था, कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जांच एक ऐसे शाही कर्मिष्ठान द्वारा होनी चाहिए जिसमें हिन्दुस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे। परचात् मद्रास में होने वाली १० वीं कांग्रेस (१८६४) तक हम मुन्नहाएय ऐयर के बारे में कुछ नहीं सुनते। पर मद्रास-कांग्रेस में भारतीय राजस्व के प्रश्न पर यह बोले और इस सम्बन्धी जांच करने की आवश्यकता बतलाई। इस अधिवेशन में दिलचस्पी का दूसरा विषय था देशी-उद्योगों में अस्वकारों की स्वतन्त्रता का अपहरण, जिसका भी मुन्नहाएय ने कम कर विरोध किया। १२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १८६६) में इन्होंने पतिवर्षी-परीक्षाएँ इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान में एक-साथ ली जाने की आवाज उठाई, और साथ ही लगान के मियादी बन्दोबस्त का प्रश्न भी हाथ में लिया। अगले साल, अमरावती-कांग्रेस में, सरकार की सरहदी नीति का विरोध किया। १८६८ में जब तीसरी बार मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो भी मुन्नहाएय ऐयर ने सरहदी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्दा की और युद्ध-नीति का भी घोर विरोध किया। परन्तु भीमुन्नहाएय का प्रिय विषय तो था भारत की आर्थिक स्थिति। लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१६००) में इन्होंने बार-बार पढ़नेवाले अकालों को रोकने के उपाय मालूम करके उन पर अमल करने के अभिप्राय से भारतीयों की आर्थिक अवस्था की पूरी और स्वतन्त्र जांच कराने के लिए कहा। साथ ही सरकारी नीतियों के प्रश्न पर भी विचार किया, जिसमें हिन्दुस्तानियों को उनसे महत्त्व रखने की शिक्षा देनी थी। १७ वें अधिवेशन में (कलकत्ता, १६०१) रैयत की दुर्दशा और गरीबी पर ध्यान दिया। इन्होंने कहा—“क्या हिन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी जानवरों की तरह जिन्दा रहने और भर जाने के लिए है? और मनुष्यों की तरह क्या उनमें बुद्धि, भावना और क्षिरी हुई शक्तियाँ नहीं हैं? लगभग २० करोड़ व्यक्ति आज लगातार भुखमरी और घोर अज्ञान का दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न तो वे कुछ बोल सकते हैं न उनकी जिन्दगी में कोई उत्साह है; न उन्हें किसी तरह की सुविधा है न मनोरञ्जन; न उनकी कोई आशा है न महत्वाकांक्षा; वे तो दुनिया में पैदा हो गये इसलिए किसी तरह जी रहे हैं, और जब मरते हैं तो इसलिए कि उनका शरीर और अधिक देर तक उनके प्राणों को धारण नहीं कर सकता।” अकालों के प्रश्न पर भी इस कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया और औद्योगिक स्वावलम्बन पर जोर दिया। इसके लिए कला-शौशल की संस्थाएँ कायम करने, छात्र-वृत्तियाँ देकर भारतीयों को इस सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-धन्धों की मजदी-माति जांच करने के व्यावहारिक उपाय इन्होंने सुझाये।

मुन्नहाएय ऐयर का ज्ञान जितना गम्भीर था उतना ही विराल उनका दृष्टिकोण था। अहमदाबाद में हुए १८ वें अधिवेशन (१६०२) में एक बार इन्होंने 'सर्व-साधारण' की गरीबी पर प्रकाश डाला। इन्होंने कहा, “एक समय ऐसा भी था, जब यहाँ के लोग इतने समृद्ध थे कि विदेशों से आनेवाले लोग उनका इंसान करते थे और यहाँ के कला-शौशल एवं उद्योग-धन्धे न्यू चल-मूल रहे थे। इंग्लैण्ड की सुविधा के लिए ईस्ट-इण्डिया-कम्पनी में जून रूमकर भारत के हिंदों का बलिदान किया है, और यहाँ के उद्योग-धन्धों को हतोन्मत्त करके सेतों को प्रोत्साहन दिया गया है जिसमें इंग्लैण्ड के कारखानों के लिए हिन्दुस्तान कच्चा माल पैदा करता रहे। इंग्लैण्ड ने भारतीय उद्योग-धन्धों

हम, इस देश के निवासी, किसी विषय पर कोई आन्दोलन करते, और उसमें गैर सरकारी यूरोपियनों से सहायता नहीं ली जाती तो सरकार की दुहाई देनेवाले बड़े तपाक से कहते—यह आन्दोलन तो भारतीयों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ असंतुष्ट यूरोपियनों का खड़ा किया हुआ है, इसलिए इनकी बात मत सुनो। यह भारतवासियों की सच्ची आवाज नहीं है, इन यूरोपियनों की है। पर अब हमसे कहा जाता है—इनकी बात मत सुनो, क्योंकि यह तो हिंदुस्तानियों की आवाज है, यूरोपियनों की नहीं।”

अपने देश की बहुत प्रयासनीय सेवा करने के बाद १९०६ में इनका स्वर्गवास हुआ।

लोकमान्य तिलक

लोकमान्य तिलक महापट्ट के बिना ताज के बादशाह थे और बाद में, होमरूल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और तपस्वियों के द्वारा ही वह इस दर्जे को पहुँचे थे।

शिवाजी महाराज की स्मृति को फिर से ताजा करने का भेद्य लोकमान्य तिलक की ही है। सारे महापट्ट में शिव-जयन्तिया मनाई जाने लगी, जिनमें उत्सव के साथ सभायें भी होती थीं। पहली ही सभा में दक्षिण के बड़े-बड़े मराठा राजा और मुख्य-मुख्य आगीरदार और इनामदार आये थे। इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८९७ को कुछ पय तपा अपना भाषण छापने के अपराध में उन्हें १८ महीनों की कड़ी कैद की सजा दी गई थी। पर वह ६ सितम्बर १८९८ को छोड़ दिये गये, अर्थात् एक मैक्समूलर, सर विलियम ह्यटर, सर रिचार्ड गार्थ, मि० विलियम केंन और दादाभाई नौरोजी ने एक दरखास्त दी थी, जिसके फल-स्वरूप उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में रहने हुए ताजीगत हिन्द में १२४ ए और १५३ ए दफ्तों नई जोड़ी गईं, जिससे कि वह कानून के शिकंजे में फसाये जा सकें।

अमरावती-कांग्रेस (१८९७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पाम करने की कोशिश की गई थी, किन्तु वह सफल न हुई। परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव द्वारा जो बात न हो सकी वह सभायति सर राकरन नाथर और सर मुरेन्द्रनाथ बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई। दोनों ने उस महान् और विद्वान् पुरुष की बहुत प्रशंसा की, जो कि उस समय जेल में सज रहा था। इससे तिलक की कीर्ति शिखर पर पहुँच गई थी।

१८९६ से ही तिलक कांग्रेस को प्रेरित कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजबूती दिललाये। १८९६ में जब वह लॉर्ड सेण्टरट की निन्दा का प्रस्तावपेश करना चाहते थे तो एक विशेष का त्वाहन लड़ा हो गया था। उन्होंने दर्राकों को यह साबित करने के लिए जुनैती दी कि लॉर्ड सेण्टरट का शासन प्रजा के लिए सत्यानारी नहीं था। उन्होंने नौकरशाही की कर्तुं माफ-माफ नामने रक्की और पूछा कि बवाओ, इनमें कहाँ अस्तुति है? परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि सभायति थे और कई दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैं, तिलक के इस प्रस्ताव के घोर विरोधी थे और जब तिलक ने कहा कि वह इस बिना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये जा सकते, और वह अपने पद में अध्याय और भाषणों के उदाहरण देने लगे, तो सभायति ने यहा तक कर दिया कि यदि तिलक इसर झड़े ही रहेंगे तो मुझे इस्तीफा दे देना होगा।

सुत (१९०७) में कांग्रेस के दो टुकड़ों का हो जन्म उस समय बड़ी चर्चा का विषय हो गया था। लोकमान्य तिलक उसमें सबसे बड़े अग्रणी गिने जाते थे और कहा जाता था कि उन्होंने २५ वर्ष की अमी-अमार्ड कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया। दोनों तरफ के लोग करने-करने पद की कर्ते करते थे। हममें तो कोई शक नहीं कि सुद कलकत्ते में ही नम और गरम दल के नेतृत्वों का मतभेद प्रकट होने लगा था, लेकिन दादाभाई नौरोजी के मध्यवर्ती स्पर्कत्व के कारण किसी तरह वह टट-टा

गया था। वही १९०७ में जाकर प्रबल हो गया। कांग्रेस को नागपुर से सूरत ले जाने का कारण वही मतभेद था और राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे कि गरम दलवालों ने जान-बूझकर सूरत को पसंद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों का सहायता से अपना चाहा कर सकें। गरम दल के लोग चाहते थे कि लोकमान्य तिलक समापति हों; परन्तु गरम दल के लोग इसके विरोधी थे और उन्होंने अपने विधान के अनुसार डॉ० रासबिहारी घोष को चुन लिया। इसपर गरम दलवालों ने लाला लाजपत राय का नाम पेश किया। उन्होंने सोचा था कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से लौटकर आये हैं, जिससे उनका नाम और भी बढ़ गया है और वह बिना विरोध के चुन लिये जायेंगे; परन्तु लाला लाजपत राय ने उस समय बड़े आत्म-त्याग का परिचय देते हुए उस सम्मान से इनकार कर दिया। जब प्रतिनिधि सूरत पहुँच गये तब लोकमान्य ने अपने विचारक प्रतिनिधियों को अलहाबाद कैम्प में जमा किया। मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी; मगर गलतफहमियाँ बढ़ती ही चली गईं। गरम दल के लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों की सीमा यदि बढ़ाई न जा सके तो कम-से-कम वे दोहराये तो जायें; परन्तु वे इसी स्व-क्षम में रहे कि गरम दल के नेता उन्हें उधारा देना चाहते हैं अथवा कम-से-कम गरम कर देना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश स्वागत समिति ने प्रस्तावों के जो मसविदे बना रखे थे, वे अचिन्तित की कार्यवाही शुरू होने तक प्राप्त नहीं हो सके थे और जब यह कहा गया कि चारों प्रस्ताव मसविदे के रूप में हैं तो इसपर विश्वास नहीं किया गया। लोकमान्य तिलक ने कुछ लोगों को बीच में डालकर सम-भौता करने की कोशिश की, पर वह बेकार हुई और स्वागताध्यक्ष श्री त्रिसुवनदास मालवी से मिलने की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। कांग्रेस २७ दिसम्बर को २१ बजे से शुरू हुई। १६०० से ऊपर प्रतिनिधि मौजूद थे। जब स्वागताध्यक्ष अपना काम खत्म कर चुके तब स्वागत-समितिके नियमानुसार मनोनीत समापति डॉ० रासबिहारी घोष का नाम उपस्थित किया गया। इस पर गुलाबाबाई मंचा और जब सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसका समर्थन कर रहे थे तब शोरगुल और उपद्रव इतना बढ़ा कि कार्यवाही दूसरे दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर निगदारे की कोशिश की गई; मगर कोई फल नहीं निकला। २८ को फिर कांग्रेस शुरू हुई। जब समापति का बलूच निकल रहा था, लोकमान्य तिलक ने एक चिट्ठी भी मालवी को भेजी, जिसमें लिखा था, “जब समापति के चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुके तब मैं प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहता हूँ कि बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूँ और इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी सुझाना चाहता हूँ। कृपया मेरे नाम की सूचना दे दीजिए।” फल जहाँ कार्यवाही अर्पित हो गई थी वहाँ से आगे शुरू हुई और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपना मागण खत्म किया। लेकिन लोकमान्य की चिट्ठी पर, याददिल्ली के बाद भी, ध्यान नहीं दिया गया। तब लोकमान्य तिलक बोलने के अपने अधिकार का पालन करने के लिए मंच की ओर बढ़े। स्वागताध्यक्ष और डॉ० घोष दोनों ने समझा कि डॉ० घोष का चुनाव विधिपूर्वक हो गया है और उन्होंने तिलक को बोलने की इजाजत नहीं दी। वस क्या था, गुलाबाबाई और मोल-माल शुरू हुआ। इतने ही में प्रतिनिधियों में से किमी ने एक जूता उठाकर फेंका, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को लूटा हुआ सर तिरिजताह मेटा को लगा। तब मानों एक सफाई शुरू हो गई — कुर्तियाँ फेंकी गईं और हट्टे चलने लगे, जिससे कांग्रेस उस दिन के लिए खत्म हो गई। अब गरम दल के नेता जमा हुए और उन्होंने ‘कनकेशन’ बनाया और ऐसा विषय तैयार किया कि जिसने गरम दल के लोग द्या ही न सके। अब उस पट्टन को हट्टन बनाया गुजर चुका है कि दोनों दलों की बातों पर खेरे तब बन्दरें ख खड़ी है। पर वो मानन्द हा पंगगा कि दोनों का टाँट-रन्तु सुदा-सुदा था

श्रीर हर दल उत्सुक था कि कांग्रेस उसके दृष्टि-बिन्दु को मान ले। परन्तु, जिस बात पर लोकमान्य विलक मंच पर खड़े हुए वह मामूली थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कलकत्ते में स्वीकृत विधान के अनुसार स्वागत-समिति समापति को सिर्फ नामजद करती है और अन्त में उसे चुनते तो हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुझ अधिकार है कि मैं उस अवस्था में कोई सरोधन या सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करूं। परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। तब उन्होंने इस अन्याय पर बोलने के अपने अधिकार का उपयोग करना चाहा। हम यह नहीं कह सकते कि विधान के अनुसार उनका कहना गलत था। साथ ही यह कहना पड़ेगा कि महज गलतफहमी के कारण लोगों के मनोभाव बहुत विगड़ चुके थे; क्योंकि यह सन्देह पैदा हो गया था कि कलकत्ते वाले प्रस्ताव मसविदे में शामिल नहीं किये गये थे। पर अगर वे नहीं भी थे तो विषय-समिति में वे शामिल किये जा सकते थे, या यदि वे उस रूप में नहीं थे जिससे गरम दल वालों को सन्तोष होता तो विषय-समिति में, यदि उनका बहुमत होता, तो उनमें फेर-फार कथया जा सकता था। महज उनका रह जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिससे इतना भारी काण्ड होने दिया जाय। यदि दोनों दल के नेता आपस में खुलकर बात-चीत कर लेते तो वह दोनों की स्थिति साफ करने के लिए काफी होजाता और तब उचित फैसला कर लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं करने दिया। हां, घटनायें घट जाने पर तो अकल आसानी से आ जाती है, किन्तु जब मनोभावों पर चोट पहुंची हुई होती है तब बड़े-बड़े लोग भी अपनी समता खो देते हैं। अब यदि हम लोकमान्य विलक और गोखले जैसों के बारे में यह कहें कि इसमें किसका कितना दोष था तो हमारे हक में यह विवेक-हीनता ही होगी। और, इसलिए, हम इस 'अव्यापारेणु व्यापार' में न पड़कर, दोनों नेताओं के प्रति अपने आदर को किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उन दुष्पटना को छोड़ कर आगे चलते हैं।

लोकमान्य विलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परन्तु अपने समय की मर्यादाओं को वह जानते थे। १९१८ में सर वेलेण्डरन शिरोल पर मुकदमा चलाने के लिए वह इंग्लैण्ड गये। सर वेलेण्डरन ने उन्हें राजद्रोही बताया था और लोकमान्य ने उन पर मानदार्ति का दावा किया था। इंग्लैण्ड में उन्होंने मजदूर-दल पर इतना भरोसा रक्खा कि उन्होंने ३ हजार पीड भेंट किया। उन्होंने मान लिया था कि मजदूर-दल का इतना बल है कि उसके द्वारा भारत का उदार हो जायगा। इससे पहले के राजनीतिज्ञ अनुदार दल वालों की बनिस्वत उदार दल वालों पर बहुत भरोसा रखते थे; परन्तु उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझ कर मजदूर-दल को मानते थे। शिरोल वाले मामले में लोकमान्य को निगशा हुई और इसलिए यह आशा की जाती थी कि इससे भारत में ब्रिटिश-शासन के अशक्त रूप को वह देख लेंगे और सरकार से लड़ने की अपनी तजवीजें बदलने पर वह मजबूर होंगे; परन्तु ज्यों ही १९१९ का बिल पास हुआ, उन्होंने प्रतियोगी सहयोग के पक्ष में अपनी राय दी और जब देश में असहयोग पर चर्चा हो रही थी तब उन्होंने उसके विचार में कोई माग नहीं लिया। उन्होंने यह तो कहा था कि गिलाफत के मामले में मुसलमानों की सहायता मैं खुशी से करूंगा, परन्तु १ अगस्त १९२० को उनका स्वर्गवास हो गया। असहयोग उसी दिन शुरू होने वाला था। उस पुगने युग में एक लोकमान्य विलक ही थे जिन्हें लगातार जेलों में तथा अन्यत्र कष्ट-ही कष्ट भोगना पड़ा। यदा तक कि जब १९०८ में जब ने उनको तज्ञ दी और उनके बारे में स्त्री-मोटी बातें कह कर पूछा कि छात्रों को बुद्ध करना है, तब उन्होंने उसका जो उत्तर दिया वह सदा बाद रखने और प्रत्येक क्षण में स्वर्गद्वारों में लिपक रहने योग्य है :—“जरी के इस फैसले के बाद मैं कहता हूँ कि मैं निरस्त हूँ। सत्ता में देवी बड़ी शक्ति

भी हैं जो सारे जगत् का व्यवहार चलाती हैं और समय है ईश्वरीय-दृष्ट्या यही हो कि जो कार्य मुझे प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की अपेक्षा मेरे कष्ट सहन से अधिक फूलो-पले।” ऐसी ही तेजस्विता उन्होंने १८६७ में दिल्लीलाई थी जब कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा था और उनसे तर्क यह कहा गया कि वह अदालत में यह सब बात कह दें कि ये लेख मेरे लिखे नहीं हैं। (१६०८ में जिन लेखों के विषय में लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे भी उनके लिखे नहीं थे।) उन्होंने कठई इन्कार कर दिया और कहा—“हमारे जीवन में ऐसी भी एक अवस्था आती है, जबकि हम अपनेले अपने मालिक नहीं हुआ करते, बल्कि हमें अपने साधियों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता है।” उन्होंने बड़ी शान्ति और अनासक्ति के साथ इन सजाओं को भुगता और जेल में बैठे-बैठे बड़े भव्य-ग्रन्थों की रचना की। यदि उन्हें जेल न मिली होती तो ‘आर्यविक्रम होम ऑफ दी वेदाङ्ग’ और ‘गीता-रहस्य’ वह सम्भवतः राष्ट्र के लिए अपनी परम्परा नहीं छोड़ जाते। लोकमान्य जुलाई १६१८ में बम्बई की युद्ध-सभा में बुलाये गये थे और वह चहा गये भी थे। वह कोई दो ही मिनट बोलने पाये थे कि रांक दिये गये। बात यह थी कि वह लॉर्ड विलिंगटन की उन बातों का जवाब देने लगे थे जो कि उन्होंने होमरूल वालों के खिलाफ कही थी।

जब १८६६ में गांधी जी पूना गये और दक्षिण अफ्रीका-वासी भारतीयों के सम्बन्ध में एक सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुताबिक गोखले से भी। गांधी-जी पर दोनों की जैसी छाप पड़ी वह याद रखने लायक है। तिलक उन्हें हिमालय की तरह मरान्, उच्च, परन्तु अग्रग्य दिखाई पड़े; लेकिन गोखले गङ्गा की पवित्र धारा की तरह, जिसमें वह घासानों से मोटा लगा सकते थे। तिलक और गोखले दोनों मशरूफ़ीय थे, दोनों ब्राह्मण थे, दोनों विवाहगन्ध थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश-भक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से जुदा थी। यदि हम शूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोखले ‘नरम’ थे और तिलक ‘गरम’। गोखले चाहते थे कि मौजूदा विधान में सुधार कर दिया जाय, परन्तु तिलक उसे फिर से बनाना चाहते थे। गोखले को नौकरशाही के साथ काम करना पड़ता था, वे तिलक की नौकरशाही से भिन्न रहती थी। गोखले कहते थे—जहाँ सम्भव हो सहयोग करो; जहाँ अपर्याप्त हो विरोध करो। तिलक का मुकाब आङ्गना-नीति की तरफ था। गोखले शासन और उसके सुधार की ओर मुख्य ध्यान देने थे, तहाँ तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सब से मुख्य समझते थे। गोखले का आदर्श था प्रेम और सेवा, तहाँ तिलक का आदर्श था सेवा और कष्ट सहन। गोखले विदेशियों को जीवन का उपाय करते थे, तिलक उनको हथका चाहते थे। गोखले दूसरे की लड़ाव पर आधार रखते थे, तिलक स्वायत्तमन पर। गोखले उपाय और बुद्धि-कारियों की बात देते थे, और तिलक सर्वसाधारण और करोड़ों की ओर। गोखले का आशा था कौमन्ध-भयन, तो तिलक की आशाएँ थीं गरीबी की वीरल। गोखले अद्वैत में लिप्त थे, परन्तु तिलक अद्वैत में। गोखले का उद्देश्य था स्व शासन, जिसके योग्य लोग आने को आदेशों की कमीठियों पर बतवार बन्दें, किन्तु तिलक का उद्देश्य था ‘स्वशासन’, जो कि अनेक भावनाओं का जन्म-निष्ठ आश-कर्म है और जिनके वह ईश्वरों की लड़ाव या लड़ाई की परवाह न करने हुए प्राप्त करना चाहते थे।

१—उन्हीं दिनों विपरीत के हम लाल को हम बरिचों में प्यत्र किया था —

“हम श्री के कर्ण मुझको कयापी दरगाहा है, तो भी की मय के मुझको विरिणी बजाया है।

—“बहरीं बर मुझे बरे, मेरे बंदर मन्ने मे दी हम इच्छक का नेत्र को।”

पं० अयोध्यानाथ

शुक्रात के कांग्रेस-नेताओं में पं० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊंचा था। १८८८ में हुं
इलाहाबाद-कांग्रेस के, जो मि० जार्जयूलके सभापतित्व में हुई थी, वह स्वागताध्यक्ष थे, तभी से कांग्रेस
के साथ उनकी सम्पर्क शुरु होता है। लेकिन इसी शहर में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
(१८९२) तो कांग्रेसको बड़े दुःख के साथ इन दोनों की ही मृत्यु पर शोक मनाना पड़ा। पं० अयोध्यानाथ
का स्मारक उनके पुत्र पं० हृदयनाथ कुंजरू हैं, जिन्होंने बतौर विरासत वह राष्ट्र की भेंट कर गये हैं।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

भारत के स्वर्गीय राजनीतिज्ञों के दरबार में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख स्थान
है। ४० साल से ज्यादा सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा। भारत में कांग्रेस के मंच से
उठी उनकी बुलन्द आवाज सम्य संसार के दूर-दूर के कोने तक पहुँचती थी। भाषा-प्रभुत्व, रचना-
नैपुण्य, कल्पना प्रवणता, उच्च-भाषुकता, वीरोचित-हृद्धार, इन्ने गुणों में उनकी वक्तृत्व-कला को परा-
जित करना कठिन है—आज भी कोई उनकी समता तो अलग, उनसे निकट भी नहीं पहुँच सकता।
उनके भाषणों का मसाला होता था अपनी राजमर्क की दुहाई। उन्होंने इसे एक कला की हद तक
पहुँचा दिया था। उन्होंने दो बार कांग्रेस के सभापति-पदको सुशोभित किया था—पहली बार १८९५
में पुना में और दूसरी बार १९०२ में अहमदाबाद में। कांग्रेस में प्रतिवर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयों पर
विविध प्रस्ताव लाये जाते थे उनमें शायद ही कोई उनकी पहुँच के बाहर रहता हो। पौजी विषयों में १९०५
१९ वीं सदी के अन्त में बरसों तक शीवा बना रहा है। परन्तु सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया था
याद रखने योग्य है—“रूस की चढ़ाई का सच्चा और वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बा-चौड़ा और
अग्रगण्य पर्यंत नहीं, जो बीच में बनाकर खड़ा कर देना है, बल्कि वह तो सब तरह सन्तुष्ट और राज-
भक्त लोगों का दिल है।” सुरेन्द्रनाथ ने यहाँ तक मुभाषा था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों के
ब्रिटिश पार्लामेंट के किसी दल को अपना विषय बना लेना चाहिए। यह एक ऐसी तजवीज थी कि जो
आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीमा के बाहर समझी जाती है। उन्होंने कहा—“राजनैतिक कर्तव्य
के उच्च-क्षेत्र में इस्तेफा हमारा राजनैतिक पथ-दर्शक और नैतिक गुरु है।” उनका आदर्श प
ब्रिटिश-सम्बन्ध के प्रति अटल भ्रष्टा रखकर काम करना। एक-दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था—
“अंग्रेजी सभ्यता संसार में सर्वोच्च है, इंग्लैंड और भारत की अखण्ड एतता का चिह्न है। यह सभ्यता
भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वादों और प्रसादों से परिपूर्ण है और अंग्रेजों के सुनाम को अपु
स्थापित दिलाने वाली है।” उनके इन तमाम विश्वासों, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिण्टो
के बारहसप-काल में बरीसाल में उन पर लाठी चलाई गई थी, किन्तु उन्हें आगे चलकर बन्नाल
मंत्री बनना था, इसलिए बच गये।

परिद्धत भद्रनमोहन मालवीय

पं० भद्रनमोहन मालवीय का कांग्रेस-मंच पर सबसे पहली बार सन् १८८६ में, कांग्रेस
कलकत्ता-अधिवेशन में, व्याख्यान हुआ था। तभी से लेकर आप बराबर आज तक अध्यक्ष उल्ला
और लगन के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की सेवा करने चले आ रहे हैं। कभी तो एक किन्नर-मेखक के रूप
में पीछे रहकर और कभी नेता के रूप में आगे आकर, कभी पूरे कर्जो-धरों बनकर और कभी कु
धोका-सा विरोध प्रदर्शित करने वाले के रूप में प्रकट होकर, कभी असहयोग और सत्याग्रह आन्दोलन
विरोधी होकर और कभी सत्याग्रही बनने के कारण सरकारी जेलों में जाकर आपने कांग्रेस की विविध
रूप में सेवा की है।

उन्होंने अपने को, सरकारी निरंकुशता का अपने सारे उत्साह और सारी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए विवश पाया। बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विरोध कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक संस्था हैं। पहले-पहल सन् १९०६ में वेद लाहौर-कांग्रेस के समापति हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वें अधिवेशन के समापति खुने तो सर फ़िरोज़दाह मेहता गये थे, परन्तु किन्हीं अज्ञात कारणों से उन्होंने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। अतः उनके स्थान की पूर्ति मालवीय जी ने ही की थी। १० वर्ष बाद सन् १९१८ में कांग्रेस के दिल्ली वाले ३३ वें अधिवेशन के समापतित्व के लिए राष्ट्र ने आपको फिर मनोनीत किया था।

लाला लाजपतराय

कांग्रेस के पुराने पूर्य-पुरुषों में लाला लाजपतराय का सार्वजनिक व्यक्तित्व भी महान् था। वह जितने बड़े कांग्रेस-भक्त थे उतने ही बड़े परोपकारी और समाज-मुधारक भी थे। सन् १८८८ में इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। उसमें वह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे। काँग्रेसियों के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लाला जी की लगातार दिलचस्पी और समाज-सेवा ने पञ्जाब में ही नहीं, सारे देश में उनका सब से ऊँचा स्थान बना दिया था। बनारस-कांग्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया। सन् १९०७ में उन्हें सरदार अजीतसिंह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। इस माल की घटनाओं के प्रधान स्रोत लाला लाजपतराय ही थे, जिनके चारों ओर सारा घटना-चक्र घूमा था। सन् १९०७ की कांग्रेस के समापति-पद के लिए राष्ट्रीय-विचार के लोगों ने लाला जी का नाम पेश किया। यह कांग्रेस पहले तो नागपुर में होने वाली थी, परन्तु बाद को स्थान बदल कर सूरत में करने का निश्चय हुआ था। गोखले इस प्रस्ताव के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "अगर तुम सरकार की परवा न करोगे तो वह तुम्हारा गला घोट देगी।" लाला जी ने कमी मान-प्रतिष्ठा की परवा नहीं की। यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे स्वीकार करने से उदारता-पूर्वक इन्कार कर देते थे। सूरत में सम्मिलित की बातचीत के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के समापति पद के लिए लाला जी का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक कुछ कहें, लेकिन बाद में इस दिशा में कुछ हुआ-दवाया नहीं।

सन् १९०६ में गोखले के साथ लाला जी भी शिष्ट-मण्डल में इस्लैट भेजे गये थे। बाद में खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना रंभ किया कि उन्होंने विदेशों में ही ठहरना ठीक समझा। गत महा-युद्ध के दिनों में तो वह अमरीका ही में रहे। लोग समझते हैं कि वह विवश होकर ही वहाँ रहे थे। कांग्रेस के समापति बनने का लाला जी का नम्बर जप देर से आया। सन् १९२० के मितम्बर मास में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल से बाहर मडली की होती है। असहयोग आन्दोलन के जन्मदाता और समर्थकों से उनके विचार कमी नहीं मिले। इतना ही नहीं, अपने अन्तिम माधय में तो उन्होंने यह मविष्यताही भी कर दी थी कि यह आन्दोलन चल नहीं सकेगा। वह बीर और युद्ध-प्रिय थे, मगर सत्याग्रही नहीं। उनके लिए सत्याग्रह या सविनय भंग का अर्थ कानून-भंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनका समय बड़ी कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। उनके अपने प्रान्त में नौजवानों का एक दल पैदा था, जो उनके खिलाफ था। काँग्रेस में जाने पर उनका जोर फिर से खिल उठा। लेकिन अप्रत्यक्ष कि पुलिस-अफसर की लाठी के कायरता पूर्ण धार ने अन्त में उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से असमय में ही चले गये। सन् १८८८ की कांग्रेस में वह उर्दू में ही बोले थे और प्रस्ताव

ले जा रही है, जो किसानों पर भारी बोझ लादकर बार-बार जोर के अकाल देश में लाती है—अकाल भी ऐसे कि पहले कभी देखे न सुने—क्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा ! क्या हमें यह मानना होगा कि जिन विविध शासन-कार्यों के बदौलत ये सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मंगल मय परमात्मा की सीधी प्रेरणा से हुए हैं ?

“हमारा राष्ट्र स्वशासित नहीं है। हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर अपने शासन नहीं बदल सकते। हमें पूर्णतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण पर अपना आधार रखना पड़ता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय नौकरशाही लोगों के विचारों और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन-दिन अधिक रूखी बनती जा रही है। क्या आप खयाल करते हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रांस, या संयुक्त राज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले तमामों पर इतना लक्ष्य करने का साहस करते, जब कि देश में अकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था और इस पुष्टा-पूर्ण आनन्द-मङ्गल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए अपने हाथ पसारते हुए थे।

“महानुभावो ! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, जिसकी आवाज अन्वहारों और सभाओं में—दोनों ही तरह—उठाई गई थी, दिल्ली में जो बहा भारी राजनैतिक आढम्बर (दिल्ली-दरबार) किया गया था, उसे एक साल होगया। और उसका विरोध किया किसलिए गया था ! इसलिए नहीं कि विरोध करने वाले लोग सम्राट की, जिनकी कि वस्त्र-नशीनी का समारोह होनेवाला था, राजभक्ति में किसी से कम थे; बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था, अगर सम्राट के मंत्रीगण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सम्राट के सामने उनके अकाल-पीड़ित भारतीय-प्रजाजन की कष्ट-कथा का हृद्दय वर्यण करते तो दीन-दुःखी लोगों के प्रति सम्राट की जो गहरी सहानुभूति है उनके वाग्य स्वयं यही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को भूषण करने लोगों के सामने ऐसा आढम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही दरबार का) बहा भारी तमारा का ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्त्या-पुन्थी से कञ्जलवर्षी की गई कि कुछ न पूछिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली दरबार के कर्म में जो भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर अकाल पीड़ितों की महापत्ता में लगाई जाती तो भूषण करने वाले साम्राज्य, पुरुष, बच्चे और के मुंह से निकल आते।”

चक्रवर्ती विजयरामभाचार्य

मेलम के भी चक्रवर्ती विजयरामभाचार्य सबसे पुराने कॉमिंसियों में से हैं, यहाँ तक कि १८८३ के ३२ अधिवेशन (मदरास) में कॉमिंस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें भी इनका नाम मिला है। इनके बाद लम्बनऊ में होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८८६) में और उससे आगे के साल बाद में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१८९०) में यह इतिवृत्त कॉमिंस समिति के सदस्य बन्दे गये। २२ वें अधिवेशन (बलकना, १८९६) में इन्होंने दायमी बन्दोरख का प्रस्ताव देना किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि-कर (समान) बन्दोरख दिया है। इस समय में इनके विचार व्यक्त किये हुए, इन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में जमीन पर राज का अधिहार कभी भी नहीं था। अधि-भूमि-करों में कहा है कि दुनिया उन्नीची है जो उसमें देना हुए है; जमीन को जो जोड़ने-बेड़ने है उसी की वह मर्दान होनी है—यह, जो कि उसकी गठ के लिए है, अन्ती तबकी के करने से रिजाली से वेदवार का एक रिजाली है। यह विचार कि जमीन राज की है, भारतीय जमीन की है।

यह विचार के बाद से, कदापि यह कॉमिंस में चलना ही करने लगे। नया राज की कॉमिंस के

नई सन्तोष नहीं हुआ। लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के लिए कांग्रेस का दरवाजा खुल गया, तो यह फिर उसमें आगये और १९१८ में हुए विशेषाधिवेशन (बम्बई) तथा १९१९ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने क्रियात्मक-रूप से भाग लिया। अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने जन साधारण के मौलिक अधिकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद ही उन्हें नागपुर-अधिवेशन का समापति चुना गया, जहाँ बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ इन्होंने कार्य सम्पादित किया।

राजा रामपालसिंह

अन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिंह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-क्षेत्र में बड़ा प्रमुख रहा है। यह जानने लायक बात है कि दूसरी कांग्रेस में सैनिक-स्वयंसेवकोंवाला प्रस्ताव राजा रामपालसिंह ने ही पेश किया था, जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, कि "ब्रिटिश-शान्ति (पैस ब्रिटेनिका) बिना ही मशहूर क्यों न हों, ग्रेट ब्रिटेन की आकाङ्क्षा बिना ही श्रेष्ठ क्यों न हों, और उसने हमारी भलाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न किया हो, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा, और बजाय प्रसन्न होने के भारत को इस बात पर दुःख ही होगा कि इंग्लैण्ड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रहा। यह बात कहने में कठोर अवश्य है, पर सचाई यही है। क्योंकि एक बार किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय-भावना को कुचलकर, और उसको आत्म-रक्षा एवं अपने देश की रक्षा के अयोग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी क्षति-पूर्ति नहीं की जा सकती। दुनिया में किसी भी और आप नजर डालिए, चारों ओर आपको बड़ी-बड़ी पीड़ें और लड़ाई के भयंकर शरणाग्र दृष्टि गोचर होंगे। सारे सभ्य-संसार पर कोई आपत आना निश्चितप्रमाण है। अभी या कुछ ठहरकर भयकर पौड़ी हलचल शुरू होगी, जिसमें ब्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा। लेकिन ब्रिटेन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, अपनी सारी दौलत के जोर पर भी, रण-क्षेत्र में फी हज़ार व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रख सकता—जैसा कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैं। अतः जब ऐसा मौका आ जायगा तब इंग्लैण्ड की इस क्षात के लिए पल्लुताना पड़ेगा कि आक्रमण-कारियों से लोहा लेने के लिए लाखों भारतीयों को दत्त बनाने के बजाय उसने उनके मुकाबले के लिए अपनी ही थोड़ी सेना यहाँ रख रखी है।" अपने पोते कालाकांकर के तदनु राजा के रूप में, जिनका हाल ही असामयिक स्वर्गवास हो गया है, राजा रामपालसिंह ने मानों सच्चे देशभक्त और कांग्रेस के—जिसके मन्दिर को अपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही आलोकित किया था—पुजारी बनकर फिर से जन्म लिया था।

कालीचरण बनर्जी

कांग्रेसी हलचल के पहले पच्चीस वर्षों में आमतौर पर यह प्रथा रही है कि जो आवश्यक् प्रस्ताव एक साल से पुराने हो जाते वे सब एक बड़े प्रस्ताव में इकट्ठे कर दिये जाते थे। और साल-दर-साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता या जिनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी होती—अर्थात् जो उस संयुक्त या व्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का भलीभाँति स्पष्टीकरण कर सकते थे। १८८६ में ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने गये थे, जो एक भारतीय हवाई थे। कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काज में बड़ी दिलचस्पी ली थी और १८९० में ब्रिटिश अन्तः के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्डल इंग्लैण्ड गया उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। १८वीं कांग्रेस (हावर्, १८९१) में उन्होंने न्याय और शासन-कार्य को एक-दूसरे से पृथक् करने का प्रस्ताव पेश किया।

ले जारही है, जो विद्यार्थियों पर भारी योग्यता हादसर बार-बार जोर के अकाल देश में लाती है—अकाल भी ऐसे कि पहले कभी देगे न मुने—ज्या उस नीति पर हमें विश्वास करना होगा ! क्या हमें यह मानना होगा कि जिन विविध शासन-कार्यों के बशोत्तर वे सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मंगल मय परमात्मा की शीघी प्रेरणा से हुए हैं ?

“हमारा राष्ट्र स्वशासित नहीं है। हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर अपना शासन नहीं बदल सकते। हमें पूर्वतः ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्णय पर अपना आधार रखना पड़ता है। क्योंकि दुर्भाग्यवश यह बिलकुल सही है कि हमारी भारतीय नौकरशाही लोगों के विचारों और भावों के अनुकूल होने की अपेक्षा दिन दिन अधिक रुचि बन्ती जा रही है। क्या आप सवाल करते हैं कि इंग्लैण्ड, फ्रांस, या संयुक्त राज्य (अमरीका) उस हालत में ऐसे खोलले तमारे पर इतना रुचि करने का साहस करते, जब कि देश में अकाल और महाभारी या साम्राज्य छाया हुआ था और इस पृथ्वी-पूर्ण आनन्द-मण्डल के दूसरी ही ओर यमराज लोगों को समेटने के लिए अपने हाथ पसारे हुए थे ?

“महानुभावो ! जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विरोध होते हुए भी, जिसकी आवाज अखबारों और सभाओं में—दोनों ही तरह—उठाई गई थी, दिल्ली में जो बड़ा भारी राजनैतिक आडम्बर (दिल्ली-दरबार) किया गया था, उसे एक साल होगया। और उसका विरोध किया किसलिए गया था ? इसलिये नहीं कि विरोध करने वाले लोग सम्राट की, जिनकी कि उल्लंघनशीली का समारोह होनेवाला था, राजभक्ति में किसी से कम थे, बल्कि इसलिए कि उनका विश्वास था, अगर सम्राट के मन्त्रीगण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सम्राट के सामने उनके अकाल-पीड़ित भारतीय-प्रजाजन की कष्ट-कथा का हृदय-वर्णन करते तो दीन-दुःखी लोगों के प्रति सम्राट की जो गहरी सद्भावभूति है उसके कारण स्वयं वही सबसे पहले भारत-स्थित अपने प्रतिनिधियों को भूखों-मरते लोगों के सामने ऐसा आडम्बर-पूर्ण प्रदर्शन करने की मनाही कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और (शाही दरबार का) बड़ा भारी तमाशा का ही डाला गया, जिसमें इतनी अन्ध-धुन्धी से फलजलखर्ची की गई कि कुछ न पूछिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली दरबार के करने में जो भारी रकम लगाई गई उसकी आधी भी अगर अकाल-पीड़ितों की तहायता में लगाई जाती तो भूखों मरनेवाले लाखों स्त्री, पुरुष, बच्चे मौत के मुँह से निकल आते।”

चक्रवर्ती विजयरायवाचार्य

सेलम के श्री चक्रवर्ती विजयरायवाचार्य सबसे पुराने कांग्रेसियों में से हैं, यहा तक कि १८८७ के ३ रे अधिवेशन (मद्रास) में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद लखनऊ में होनेवाले १५ वें अधिवेशन (१८९९) में और उससे अगले साल लाहौर में होनेवाले १६ वें अधिवेशन (१९००) में यह इण्डियन कांग्रेस कमिटी के सदस्य बनाये गये। २२ वें अधिवेशन (कलकत्ता, १९०६) में इन्होंने दायमी बन्दोबस्त का प्रस्ताव देश किया और इस विचार को गलत बताया कि भूमि-कर (लगान) बतौर किया है। इस सम्बन्ध

नहीं बल्कि पार्श्वभा है।

सूत्र काण्ड के बाद से, बलुतः यह कॉंग्रेस से अलग ही रहने लगे। नरम दल की कॉंग्रेस से

मुन्शी गंगाप्रसाद वर्मा

कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुरुआत के जो देशभक्त उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के श्री गंगाप्रसाद वर्मा भी थे। दूसरे अधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कांग्रेस तत्सम्बन्धी विचारों करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह भी चुने गये थे। बाद यह कांग्रेस-समितियों के विभिन्न पद ग्रहण करते रहे और १९०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-समिति के सदस्य भी बन गये थे।

रघुनाथ रूचिह मुधोलकर

शुरुआत के कठोर परिश्रम करने वाले कांग्रेसियों में भी रघुनाथ रूचिह मुधोलकर का स्थान ही से कम नहीं है। वह प्रहली बार इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन (१८८८) में मिले हुए थे। पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कहा था—“पुलिस के गारी का तो फर्ज है कि वह प्रजा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे पूर्ण का पात्र बन गया है।” ४ साल बाद राष्ट्र ने उन्हें १९१२ की कांग्रेस (बाँकीपुर) का सम्पाति चुना। श्री सी० वार्ड० अन्तामण्डि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्रार्थामिक ज्ञान प्राप्त करते रहे और वे में अपनी प्रचण्ड बुद्धि-शक्ति के बल पर भारतीय राजनीति में चमकने लगे।

सी० शंकरन् नायर

श्री सी० शंकरन् नायर अपने वक्त में एक समर्थ पुरुष थे। कांग्रेस की सेवाओं के पुरस्कार-रूप कांग्रेस ने उन्हें बहुत जल्दी, १८९७ में, अमरावती-अधिवेशन का सम्पाति चुना। बम्बई के अन्दायकर और तैयबजी की तरह शंकरन् नायर को भी पीछे मद्रास के हार्डवोट-वेन का सदस्य बना लिया गया और वहाँ से १९१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिणी में ले लिये गये। १९१६ में मार्शल लॉ लागू करने के प्रश्न पर इस्तीफा देने के कारण वह बहुत लोकप्रिय हो गये। लेकिन गांधी एण्ड कंपनी नमक पुलक में गांधी जी पर उन्होंने निगार आघोष किया। इसी पुलक के कारण पञ्जाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मार्केल ओडवार्ड ने उन पर मुकदमा चलाया और शंकरन् को मानसिक बन्धनों के लिए तीन साल कारा देने पड़े थे।

पी० केशव गिल्ले

दीवानवादादुर पी० केशव गिल्ले कांग्रेस में बहुत पहले ही से भाग लेने लगे थे। १९१७ में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अपने सम्बन्ध के आन्वित सालों में वह कांग्रेस के मन्त्री और भीमती एनी बेसेन्ट के प्रमुख सहायक थे।

विपिनचन्द्र पाल

विपिन चन्द्र का कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत पहले शुरू हुआ। वह मद्रास बनाये। बरिफार, सारेसी और राष्ट्रीय-संस्था के नये सिद्धान्त का प्रचार करते हुए उन्होंने जो देश में छापी बसुन्-शक्ति का निष्का जमा दिया था। उन्होंने १९०७ में मद्रास में जो भाषण दिये थे, एडवोकेट-अन-ल (गैर) श्री० माध्यम छायांगर ने उन्हें भड़काने जाने—गङ्गादेह पूर्ण नदी—समन्वय या श्री वर मद्रास छात्रों से निश्चल दिये गये। लार्ड मिन्टो के समय उन्हें एक बार देश-निष्ठा भी मिली थी। एक दूसरे वक्त, जब ‘कन्सेन्सन्स’ के संदर्भ की दृष्टि से भी शरदिन्द पाल पर मुकदमा चल रहा था, उन्होंने वह जानकर सफरी देने से इनकार कर दिया था कि उनकी सारी शर्तें-सन्ध बन्धु के बहुत निष्ठाक पर्ये। इस कारण वे माल की सन्ध कैद की तरह उन्होंने बरी मुर्ती में धुगुली। उन्होंने १९०६ में ‘विन्सु रिन्सु’ नमक पुलक प्रकाशित की थी, जिसमें ‘बम के कारणों’

समय की प्रगति के साथ जैसे-जैसे संघर्षाधारण में राजनैतिक जागृति बढ़ती गई, तैरे-तैरे उसकी स्वतंत्रता पर अधिवाधिक प्रतिक्रम लगने लगे । सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं के व्ययथापनों और अध्यापकों पर यह पाषण्डी लगा दी गई कि जय एक शिक्षा-विभाग के प्रधानाधिकारी की स्वीकृति न ले ली जाय सचतक वे न तो राजनैतिक दल-चलों में कोई हिस्सा लें और न राजनैतिक समझों में ही उपरिगत हों । नागरिकों के मौलिक अधिधारों पर किये गये इस प्रहार का, १५वीं कॉंग्रेस (लखनऊ, १८६६) में, भी कालीचरण ने जोरों के साथ विरोध किया । इसके दो वर्ष बाद, कलकत्ता की कॉंग्रेस में, यह प्रस्ताव रक्खा कि हिन्दुस्तानी मामलों की सुनवाई (अपील) के लिए प्रिवी कांसिल की जो सुटीशियल कमिटी बनती है, उसमें हिन्दुस्तानी वकील भी रखे जाने चाहिएँ ।

माधू कालीचरण बनर्जी यदि अधिवसमयतक जिन्दा रहे होते तो जरूर कॉंग्रेस के सभापति बनते।

नवाय सय्यद मुहम्मद सहादुर

कॉंग्रेस के मन्त्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा १६१४ की मद्रास-कॉंग्रेस से शुरू हुई, जिसमें नवाय सय्यद मुहम्मद सहादुर और भी एन० सुन्नापल मंत्री चुने गये थे । लेकिन नवाय सादब तो इससे पहले, १६१३ की कराँची-कॉंग्रेस में, सभापति-पद को भी सुरो-भित कर चुके थे । वह पहले कॉंग्रेसी थे, इसके बाद मुसलमान । १६०३ में हुई मद्रास-कॉंग्रेस (१६ वां अधिवेशन) के वह स्वागतार्थक थे और १६०४ की कॉंग्रेस (२० वां अधिवेशन, बम्बई) में कॉंग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रक्खा गया था । वह ऐसे देश-भक्त थे जिनमें मजहबी संकीर्णता बिलकुल नहीं थी । कराँची-कॉंग्रेस के सभापति-पद से उन्होंने राष्ट्रीयता की बुलन्द आवाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि भारत की भिन्न-भिन्न जातियों को अलग-अलग टुकड़ों में बटने के बजाय संयुक्त-रूप से आगे बढ़ना चाहिये । इस दिशा में हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा किये गये प्रयत्न का, जो कि मुस्लिम-लीग द्वारा प्रदर्शित की गई इस आशा से प्रकट होता था कि 'सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर मिल-जुलकर काम करने के उपाय सोचने के लिए' दोनों जातियों के नेताओं को समय-समय पर आपस में मिलते रहना चाहिये, उन्होंने स्वागत किया । यह कहें तो श्रत्युक्ति न होगी कि कराँची में नवाय सादब ने ऊँची देशभक्ति और शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जो बीज बोया था वही फल कर आगे हिन्दू-मुस्लिम एकता और लखनऊ की कॉंग्रेस-लीग-योजना के रूप में सामने आया ।

दाजी आबाजी खरे

कॉंग्रेस के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी बन्दोवस्त और जमीन के पट्टे की मियाद स्थिर कर देने का विषय कॉंग्रेस में जोरों के साथ उठवा रहा है । लाहौर में हुए ६ वें अधिवेशन (१८६१) में भी दाजी आबाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था । कॉंग्रेस का जो विधान उनके प्रस्ताव पर १६०६ में स्वीकृत हुआ था और जिसका बहुत-बहुत भाग १६०८ में बनने वाले विधान में भी मिला लिया गया था, उसके निर्माण में इन्होंने बहुत भाग लिया था । १६०६ से १६१३ तक, भी दीनशा वाचा के साथ, यह कॉंग्रेस के मन्त्री रहे हैं और १६११ में इन्होंने भारतीय सूती माल पर लगाया गया वह उत्पत्ति-कर उठा लेने का प्रस्ताव पेश किया जिससे भारत के सूती वस्त्र-व्यवसाय के प्रसार में रुकावट पड़ती थी । १६१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व-शासन के आदर्श को स्वीकार कर लिया तो भी खरे ने उसके स्वागत-सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा, स्व-शासन हिन्दू

र शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने मिलकर सोने में सुगन्ध कर दी। वस्तुतः आपका आखिरी जीवन एक हीर का जीवन था ।

महादेव गोविन्द रानडे

महादेव गोविन्द रानडे, जो आमतौर पर जस्टिस रानडे के नाम से मशहूर हैं, कांग्रेस में एक नए शक्ति के समान थे। बहुत बारीकी में उठते तब वो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बम्बई सरकार के न्याय-विभाग के उन्नाधिकारी थे, लेकिन बरसों तक वह पीछे से कांग्रेस का सूत्र-चालन करनेवाली शक्ति बने रहे थे ।

कांग्रेस-आन्दोलन को उन्होंने स्फूर्ति प्रदान की। उनका ऊँचा क्रोध, चेहरे का मूर्तिवत् बनाव और उनका अपना रंग दंग भिन्न-भिन्न अधिवेशनों में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने में सहायक होते रहे । अर्थशास्त्री और इतिहासज्ञ के रूप में वह स्मरणीय हो गये हैं और 'महायष्ट सत्ता का उत्थान' एवं भारतीय अर्थशास्त्र पर निबन्ध' के रूप में वह राष्ट्र को अपने पाठित्य एवं विद्वता की विरासत छोड़ गये हैं । समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और बरसों तक समाजसुधार-सम्मेलन, जो कांग्रेस की एक सहायक सरथा के रूप में बना था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा है । १८९५ में, पूना अधिवेशन के समय, जब इस बात पर मतभेद पैदा हुआ कि कांग्रेस समाज-सुधार के मामलों और समाज सुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो, जैसा कि बाबू सुबेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया है, जस्टिस रानडे ने सदिष्णुता और बुद्धिमत्तापूर्ण दंग से मामला सुलभ किया । प्लेग की महामारी के समय जस्टिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका अनुमान नहीं किया जा सकता, और न उस उनके वर्णन का अभी समय ही आया है । इस प्रकार पन्द्रह वर्ष तक अथक रूप से समाज-सुधार और कांग्रेस का काम करते हुए, १९०१ में, अपनी ऐसी स्मृतिया छोड़कर रानडे हम से विदा हो गये जो देव हमारी सहायता करती रहती हैं और जिनके कारण उनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी ।

पं० विशाननारायण दर

पं० विशाननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिज्ञों में से हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति प्रगामी निष्ठा से कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है ।

१९११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का समापति बनाया गया । इस कांग्रेस के समापति मि०रैम्जे केकानन्द होनेवाले थे, लेकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पड़ गया और भी विशाननारायण दर अकस्मात् ही समापति बना दिये गये । वह ऐसे समय कांग्रेस के समापति बने थे, जब समा-भंग के रद कर दिये जाने से नौकरशाही को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी ।

विशाननारायण दर ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह जहां सुन्दर चित्र है, वहां उतना ही तीक्ष्ण भी है:—

“हमारे सब दुःखों का मूल-कारण यह है कि हमारी नई महत्वाकांक्षाओं और आशाओं के प्रति सरकार की सशानुभूति-शून्य और अनुदार-भावना बढ़ती जा रही है । यदि इसमें सुधार न किया गया, तो भविष्य में भयकर आपत्तिया आये बिना न रहेंगी । जब नवीन भारत धीरे-धीरे उन्नाति कर रहा है तब सरकार का रुत भी मन्दा होता जा रहा है और एक-जुकुह हालत पैदा होगई है। एक तरफ पढ़े-लिखे लोग नये राजनीतिक अधिकारों का नया ज्ञान और नई चेतना प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ शासन-पद्धति की बेकियाँ और हथकड़ियाँ से जकड़े जा रहे हैं जो परले के लिए कभी अन्दी होगी, अब वो वह अप्रचलित हैं, और दुसरी तरफ सरकार उसी रफ्तार पर जा रही है । वह न अपने स्वार्थों को छोड़ती है, न अपनी कठोर शासन की आदतों को, और न पुगने तथा निरपुत्र अधिकार की

पर विचार किया था। भारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने माफी माग ली। उनका आखिरी इतिहास राष्ट्रीय राजनीति में उनके उत्साह की निरन्तर घटती का इतिहास था। यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन थोड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने मापणों और 'न्यू इण्डिया' तथा 'वन्देमातरम्' के लेखों-द्वारा उस समय के युवकों पर बहुत जादू कर दिया था।

अम्बिकाचरण मुजुमदार

बाबू अम्बिकाचरण मुजुमदार एक वकील थे और १९१६ में कांग्रेस के सभापति बनने तक निरन्तर कार्य करते रहे। उनकी वक्तुता की उड़ान बहुत कम वक्तुताओं में मिलती है। उन्होंने 'इंडियन नेशनल इन्वैल्युशन' नामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किताब भी लिखी है।

भूपेन्द्रनाथ बसु

भूपेन्द्रनाथ बसु कलकत्ते के एक सफल सालिडिटर थे। उनकी प्रैक्टिस खूब चलती थी। यह बड़ी खुशी से राजनैतिक कार्यों में समय दिया करते थे। यह एक बड़े अच्छे वक्ता थे। इन्की वक्तुता-कला बहुत ऊँची कोटि की थी। भिन्न-भिन्न भाव प्रकट करने में यह बड़े कुशल थे और अपना काम बड़ी योग्यता से संपादन करते थे। १९१४ में मद्रास-कांग्रेस का सभापतिपद उन्हें दिया गया था। भारत की ११-शासन की माग के प्रसंग में उन्होंने कहा था—“मौज उफानेवालों के दिन गये। सत्ता समय के साथ-साथ बड़े जोरसे आगे बढ़ रहा है। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह युद्ध एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी जाति पर क मध्यकालीन शासन के अन्तिम अवशेषों को भी डोकर मार देगा। पश्चिम के द्वार से पूर्व के शान्त समुद्रों में विशाल जीवन की जो लहर एक बड़े मारी प्रवाह की तरह बढ़ रही है, उसे अब वापस ले जाना गैरमुमकिन है। यदि भारत में अमेजी शासन का अर्थ नीकरशाही का मोला-बारूद ही है, यदि इसका अर्थ परधीनता और हमेशा का सत्तु है, भारत की आत्मा पर बढ़ता हुआ भारी भार ही है, तो यह सम्पत्ता का शाप और मनुष्यता पर कलक ही है।”

मौ० मजह्रुल हक

मौ० मजह्रुल हक कांग्रेस के, शारीरिक और बौद्धिक दोनों दृष्टियों से, एक महारथी थे। वह पक्के राष्ट्रवादी थे और बिहार में कांग्रेस के बड़े भारी समर्थक थे। साम्प्रदायिकता से उन्हें निन्द थी। कांग्रेस के २५ वें अधिवेशन में (१९१०) जो इलाहाबाद में हुआ था, श्री जिजाह ने साम्प्रदायिक-निर्वाचन के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया, उसका आपने समर्थन किया था। इस अवसर पर आपने एक योग्यतापूर्ण भाषण दिया, जिसमें दिनुओं और मुसलमानों को आपस में मिल जाने की प्रेरणा की। यह याद रखने की बात है कि मिरटो-माले-शासन-सुधार उस समय अमल में आये ही थे, जिनमें पहले-पहल कॉमिन्स के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की योजना का समावेश किया गया था। मुसलमानों से, जो कि अपनी अमर्याद और सभ्यता के लिए पूज्यकर कुप्या हो रहे थे, यह कहना, जैसा कि मौ० मजह्रुल हक ने कहा, बहुत ऊँचे दर्जे की ईमानदारी और साहस का ही नाम था, कि उन्हें को कामगारी मिली दरअसल यह दोनों मजाने जर्जियों की सम्मिलित भलाई के लिए बड़ी यावत है, देश को बच्यत इस बात की है कि दोनों एक-दूसरे से अलग-अलग बन्द दावों में न रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें।

१९१६ में जब कांग्रेस का राष्ट्र-मन्दन इम्पेच गवा हो मौ० मजह्रुल हक भी उसके सदस्य बन्दे गये। इसके बाद आपने कांग्रेसी मामलों में कोई निष्ठा-पत्रक रग नहीं लिखा, लेकिन रहे सत्त समय तक उसके राष्ट्रवादी। अखर के सम्बन्धी दिव में आपका सुधार-आन्दोलन की और हुआ,

निर्भर रहना चाहिए और वह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता को दिया जाय। हम आज का न्याय—आधा दूध और आधा पानी—अशुद्ध न्याय नहीं चाहते। य तो सच्चा और ठीक ब्रिटिश न्याय चाहते हैं। १७ वें अधिवेशन में 'पुलिस सुधार' पर वह बोले। १० वें अधिवेशन में उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि १९०५ में आम चुनाव होने से पहले स्लेड में एक राष्ट्र-मण्डल भेजा जाय। उमी अधिवेशन में उन्होंने दादाभाई नौरोजी, सर हेनरी जॉन्स और मि० जोन जार्डिन को पार्लियामेंट का सदस्य चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। १९०८ की पहली 'नरम' कांग्रेस में भी सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-कांग्रेस में भी सिंह ने युक्तप्रान्त के लिए एक गवर्नर और कार्यकारिणी की मांग पेश की। वह फिर दरार में १९१४ में शामिल हुए। इस कांग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के होते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस राष्ट्र-मण्डल में उनके अतिरिक्त सर्वभी सुप्रेन्द्र बसु, जिन्नाह, समर्थ, मजहबूल हक, माननीय शर्मा और लाला लाजपतराय थे।

कांग्रेस में बोलने वाली पहली महिला श्रीमती कादम्बिनी गायत्री थी। उन्होंने १९०० के १६ वें अधिवेशन में समापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था।

इनके अलावा और भी बीसियों अच्छे देश-सेवक हैं—जिनमें बहुत-से स्वर्गवासी हो चुके हैं और कुछ हमारे बीच मौजूद हैं—जिन्होंने अपनी तीव्र लगन, सेवा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीय-कार्य में सहायता पहुंचाई है। आगे आने वाली पीढ़ी उनकी सदा श्रेणी रहेगी।

पुणनी प्रयाश्रो को । शिक्षा और ज्ञान को वह सदेह की दृष्टि से देखती है, और किसी भी नये वर्तन के वह विरुद्ध है । जातीय-पृथक्ता के कारण रियायत से वह दूर भागती है । वह उसी शासक विधान से चिपटे हुए है, जिसके मातहत उसने अव्यक्त अधिकार व धन का मजा लिया है, लेकिन जो आज के नैतिक उदार आदर्शों के कटई खिलाफ है ।”

रमेशचन्द्र दत्त

गत शताब्दी के अन्त को कांग्रेस राजनीति में श्री रमेशचन्द्र दत्त एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे । अपने जीवन-काल में कमिश्नर के ऊँचे पद तक चढ़ चुके थे, फिर भी उन्होंने कांग्रेस का स्वीकार किया था । आई० सी० एस० के अफसर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होंने सार्वजनिक प्रश्नों पर अमिषित श्रुतमय और ज्ञान प्राप्त किया था, उसका लाभ कांग्रेस को पहुँचाया । उनका कहना था कि भूमि पर भारी मालगुजारी और ब्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिस्पर्धा के कारण ग्रामीण धर्मों का विनाश ही दुर्भिक्ष के कारण है । उन्होंने बहुत खेद प्रकट करते हुए कहा कि जिस देश ने १,००० साल पहले ग्राम-शासन (पंचायतों) का सङ्ग्रहण किया था आज उसी पर पुलिस, जिला, अफसरों तथा जनता के बीच की पृथिवित श्रेङ्खला-द्वारा शासन हो रहा है । मालगुजारी, दुर्भिक्ष तथा अन्य आर्थिक प्रश्नों पर वह एक प्रमाण समझे जाते थे । १८६० में लालनऊ-कांग्रेस के अधिवेशन के वह सम्भाषक बने थे । “असवारों और समाश्रो में स्वतन्त्र विचार के दमन की अपेक्षा राजद्रोह को उत्तेजन देने का और कोई अशुभ उपाय नहीं है” अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय होगये ।

एन० सुब्बाराव पन्तुलु

श्री एन० सुब्बाराव पन्तुलु भी कांग्रेस के इन पृथ्वी बजुगों में से एक हैं । वह आज ८० साल की उमर में भी सार्वजनिक कार्यों में उत्साह दिखाते हैं । उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरु में उसके जन्म के साथ ही, हो गया था । वह कांग्रेस के चौथे अधिवेशन (इलाहाबाद, १८८८) में सम्मिलित हुए थे और बोले भी थे । तब से वह कांग्रेस-मंच पर नमक-कर, न्याय और शासन-कार्य, भारतीयों का कार्यकारिणी में लिया जाना, जूरी से मुकदमों का फैसला और बकीलों की स्थिति आदि विभिन्न प्रश्नों को पेश करते, अनुमोदन और समर्थन करते हुए मराहूर हो गये थे । जबकि उनके समकालीन कमिश्नरों को सरकारी लिखावट या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की कभी परवाह नहीं की । दूसरी ओर उनके प्रात ने १८६८ में उन्हें कांग्रेस का स्वागतार्थ्य बुना और १६, १७, १९ व १७ में कांग्रेस उन्हें प्रधानमन्त्री चुनती रही । उन्होंने अपने कार्य-काल में अपने स्वर्ग पर हिन्दुत्व का दायर करने और कांग्रेसी मामलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने का एक आदर्श रक्खा ।

लाला मुरलीधर

इस पत्रकार के लाला मुरलीधर का उल्लेख करना नहीं भूल सकते, जो जमाना पर रहा होकर जेल से भीपे कलकत्ते के दूसरे अधिवेशन (१८८९) में शामिल हुए थे । उन्हें बिना गवाही के मजदूर दे दी गई थी, क्योंकि उसी के शब्दों में, “तुम्हें गान्धेयिक आन्दोलनकारी व्यवसाय किया जाता है, क्योंकि मैं खामी गाय रक्खा हूँ, और जो मोषण हूँ, बेपकड़ कर देगा हूँ ।” इसी अधिवेशन में वेग इलाहाबाद के लाला मुरलीधर भगवानदास ने पदने-परल उर्ग में भाग्य दिया था ।

मरिचेश्वरानन्द मिह

श्री मरिचेश्वरानन्द मिह को मरणो परने १८८६ की जनवरी कांग्रेस (१५ वें अधिवेशन) में सम्मिलित ने १८८६ । उसी में उन्होंने स्वयं और साकन विभाग के पृथक्करण के प्रस्ताव का भाग्य भी दिया । लाला के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को लोके, दुरे उन्होंने कहा—“साकन को मजदूर के प्रेम

ही चुके थे। राजनैतिक क्षेत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे। हेरम्बचन्द्र मैत्र, मुधोलकर तथा सुब्बाराव पन्तुलु कांग्रेस की सेना में एक अच्छे लेफ्टिनेंट, कैप्टन तथा कर्नल थे, इससे अधिक कुछ नहीं। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भी अनुकूल न थे।

इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १९१४ को मण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने, 'भारत-सेवक समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य लिया था, लेकिन वह सदैव रहे फिसट्टी ही। क्योंकि एक तो उनका अपना आन्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उप-प्रवृत्तियाँ और नरम विश्वास, तीसरे 'मिद्धान्त' और 'उपयोगिता', 'अन्तिम' और 'वात्कालिक' का उनके हृदय में सदैव स्पर्श होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह मिड बैठने की मनोवृत्ति की प्रशंसा करते हैं फिर भी खुद सदैव पीछे रहना पसन्द करते हैं। कुछ भी हो, वह कभी सामने की पक्ति में दिखाई नहीं पड़े और न कभी प्रकाश में आने की परवा ही की। पंडित मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतृत्व करते। न उनमें वह शक्ति एवं मानसिक दृढ़ता ही थी जिससे कि वह अपने मार्ग पर अग्रसर होते। गांधी जी तो उस समय देश में आये ही थे। हम यदि ऐसा कहें तो अनुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित ढंग पर श्रीगणेश भी नहीं किया था। वह अपने राजनैतिक गुरु गोखले की नमीहत के अनुसार चल रहे थे। वह इस समय चुपचाप देश की अवस्था का अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि एक मुद्दे से वह बाहर विदेशों में रहे थे। हा, बीच-बीच में केवल थोड़े-से समय के लिए ही यहाँ दो-तीन बार आये थे। लाला लाजपतसय इस समय की देश की और विशेष कर अपने प्रांत की अवस्था से बड़े खिन्न हो चुके थे और अमरीका में देश-निकाले का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह (बाद में लार्ड) जिन्होंने १९१५ की बम्बई की कांग्रेस का समापित्व किया था, इस समय नई धारा के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। इसीलिए बम्बई-कांग्रेस के बाद उन्होंने देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस प्रकार देश का नेतृत्व प्रायः राष्ट्र के हाथ से निकल कर नौकरशाही के हाथों में जा रहा था। नरम दलवालों के हाथ से शक्ति निकल चुकी थी। राष्ट्रीय दल अभी तक अपने को मण्डाल न पाया था। श्रीमती बेसेण्ट का १९१४ व १५ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग असफल हो चुका था। असफलता की इस कहानीका यहाँ सच्चेपनमें अवलोकन करना अनुचित न होगा।

लोकमान्य तिलक जून १९१४ में जेल से छूट कर आये थे। सभी से वह लगातार इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे थे कि होमरूल का विषय आन्दोलन चलाया जाय। कुछ सद्भावना वाले मित्रों का यह प्रयत्न जारी था कि कांग्रेस के दोनों दलों को एक सूत्र में बांध दिया जाय। लोकमान्य तिलक बुद्धिमत्ता पूर्वक स्वयं चाहते थे कि नरम दल वालों की भावनाओं को ठेस न पहुँचायें। परन्तु नरम दलवालों का हाथ सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ा। तिलक के कार्य-क्रम में तीन बातें थी—(१) कांग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का पुनर्संगठन करना और (३) एक दृढ़ व सुसंगठित विराट् होमरूल-आन्दोलन चलाना। इन तीनों बातों में से पहली के लिए लोकमान्य तथा राष्ट्रीय-दल के लोग यह चाहते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाय। अथवा कांग्रेस के विधान के अनुसार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार केवल कुछ संस्थाओं को ही था। कांग्रेस के विधान में उस समय कांग्रेस का कीड 'नरम' था और ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य था। इस प्रकार कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव को पूर्ण-रूप से नरमदल की संस्थाओं के हाथ में डाल दिया गया था। अतः यह आशा किस प्रकार की जा सकती थी कि राष्ट्रीय-दल के

फिर मेल का और—१९१५

भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में १९१५ का वर्ष एक नये युग का श्रीगणेश करता है। यह बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एशिया की जलियों में अपनी वीरता और क्षमता के सम्बन्ध में आत्म-विश्वास की एक नवीन भावना जाग्रत हो गई थी। इसी प्रकार गत महायुद्ध के जमाने में, १९१५ की कड़ाके की सर्दियों में, फ्लैण्डर्स और फ्रांस के मैदानों में, जर्मन-सेनाओं के आक्रमणों का भारतीय फौजों ने जिस अद्भुत वीरता, धैर्य और सहनशालता के साथ सफलता-पूर्वक मुकाबला किया उससे एशिया और यूरोपीय देशों में भारतवासियों की स्वासी धाक बैठ गई थी। पश्चिमी देशों को दृष्टि में तो वे इतने ऊंचे उठ गये थे जितने अभी तक कभी नहीं थे। भारतीय फौजों द्वारा युद्ध में की गई सेवाओं की इस सराहना का भारतवासियों के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार की और कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जाग्रत हो गई थी। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती वेसेण्ट दूसरे दल के लोगों में। क्योंकि भारतीय फौजों को विदेशों के मैदान में इसी आश्वासन पर ले जाया गया था कि पार्लमेण्ट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। वैसे तो मि० ब्रैडला के समय से ही श्रीमती वेसेण्ट का सारा जीवन गरीबों और भारतवासियों की सेवा में ही व्यतीत हुआ, लेकिन कांग्रेस में वह १९१४ में ही सम्मिलित हुईं। उन्होंने अपने साथ नये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टिकोण और सगठन का एक बिलकुल ही नूतन ढंग लेकर कांग्रेस क्षेत्र में पदार्पण किया। उनका व्यक्तित्व तो पहले से ही सारे जगत् में महान् था। पूर्व और पश्चिम के देशों में, नये और पुराने गोलार्द्ध में, लोगों की संख्या में उनके भक्त एवं अनुयायी थे। इसलिए यह कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रबल-भक्तों और अनुयायियों और अधिक कार्य-शक्ति के होते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया।

१९१५ में देश की वास्तविक अवस्था क्या थी? १९ परवरी १९१५ को गोम्बे का स्वर्ग-वास हो चुका था। सर फिरोजशाह मेहता भी हमारी दृष्टि से ओझल हो चुके थे। दीनशा वाचा पर वृद्धावस्था-जन्य निर्बलतायें अपना अधिकार जमाती चली जा रही थी, जैसा कि उन्होंने १९१५ की बम्बई की कांग्रेस में कहा था। अलावा इसके वह एक बहुत बड़े विद्वान् थे, और मन्वी-पद के लिए ही बहुत उपयुक्त थे, परन्तु ऐसे सेनानायक नहीं थे जो अपनी पौत्र की एक विजय के बाद दूसरी विजय के लिए प्रोत्साहित एवं संचालित करता है। सर नाथयण शंकरकर जमी से फारिस

१९१५ की कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में होने जा रहा था। और चूंकि मेल-मिलाप के सारे प्रयत्न असफल हो चुके थे, इसलिए वस्तुतः यह कांग्रेस केवल नरम दल वालों की ही थी। कांग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात् नवम्बर मास में, सर फिरोजशाह मेहता का स्वर्गवास हो गया। सर सरोन्द्रप्रसन्न सिद्ध, जिनकी योग्यता और रुचने की सर्वत्र धाक थी, इस कांग्रेस के सभापति चुने गये थे। वैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके सभापतित्व से संबन्ध कांग्रेस को वह सारी प्रविष्टा अवश्य प्राप्त हुईं जोकि सरकार के भूतपूर्व लॉम्बेयर के नाम के साथ जुड़ी रहती है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आपका भाषण अत्यन्त प्रतिगामी था। आपके विचार से “भारत के भविष्य के लिए एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता थी जिसमें एक ओर तो उठती हुई पीढ़ी की महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो और दूसरी ओर वे लोग भी उसे मजबूत कर लें जिन्हें हाथ में भारत का भाग्य सौंपा हुआ है।” इसी विचार से वह ऐसी नीति की घोषणा चाहते थे।

लेकिन बम्बई की सन् १९१५ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस अनुग्रह के निरुद्ध फिर से दिखार पड़ने लगे जो सच-कायद के बाद विलीन हो गये थे। लम्बे-ऊँ-कांग्रेस और उसके बाद तो जनता की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगा। बम्बई की कांग्रेस में २२५६ प्रतिनिधि आये थे, और विभिन्न विषयों पर अनेक प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव तो कांग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के सम्बन्ध में थे—अर्थात् गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और सर हेनरी कोटन। चौथा शोक-प्रस्ताव मि० केरहार्डी की मृत्यु के सम्बन्ध में था। यह महानुभाव भारत के बड़े मित्र थे। पाचवें प्रस्ताव-द्वारा जनता की राजभक्ति प्रकट की गई थी। छठे प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस की ओर से उस उदार हेतु में हृदय विश्वास प्रकट किया गया था जिसे ग्रेट-ब्रिटेन तथा उसके मित्र-राष्ट्र महायुद्ध करके सिद्ध करने जा रहे थे। सातवें प्रस्ताव द्वारा लॉर्ड हार्डिङ्ग का, जो कि उस समय याहसयय थे, शासन-काल बढ़ा देने के लिए प्रार्थना की गई थी। आठवें प्रस्ताव में कांग्रेस-द्वारा पहले पास किये गये तमाम प्रस्तावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के औचित्य और न्याय का भारतीय सैनिकों को वक्फालीन सैनिक स्कूल तथा कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा भारत में नये स्कूल-कालेज खोलने का विक्र किया गया था। इस प्रस्ताव में इस बात की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, भारतीय जनता के अधिकारों के प्रति उचित सम्मान रखते हुए, आत-प्रात के बिना किसी भेद-भाव के, भर्ती किया जाय तथा स्वयंसेवक बन्द्य व्यव। नवें प्रस्ताव-द्वारा १९०८ के धार्मिक-एक्ट के प्रति, जिसके कारण भारतीय जनता पर अनुचित लादने लगता था, न्यायार्थी आदेश की गई। दसवें में दक्षिण अफ्रीका और कनाडा में प्रचलित उन कानूनों के लिए, जो भारतीयों से सम्बन्ध रखते थे, सुल प्रकट किया गया। ग्यारहवें प्रस्ताव द्वारा याहसयय को उनकी उस दूरदर्शितायुक्त सहायता के लिए धन्यवाद दिया गया, जो कि उन्होंने बरी कौशल के उस प्रस्ताव के समर्पण में दी थी, जिसमें कि शारी-परिवर् में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इसी प्रस्ताव में सरकार से प्रार्थना की की गई कि बरी कौशल को कम-से-कम दो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार अवश्य दिया जाय। बारहवें प्रस्ताव में सुलभान्त में कार्यकारी बन्दने की मांग की दी गयी तथा दस। तेरहवें में सुली प्रस्ताव को नष्ट करने और चौदहवें में न्याय-विभाग और शासन-विभाग को पृथक कर देने का भी प्रस्ताव

श्रादमी अपने विरोधियों की केवल सदेच्छा मात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि बनने के लिए राजी हो जायें। इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के नियम नं० २० को जरा विस्तृत कर दिया जाय। इसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेण्ट और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री मुन्बाराव पन्तुलु १९१४ दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पूना गये और लोकमान्य तिलक, गोखले तथा अन्य नेताओं से परामर्श किया। एक संशोधन पर सब राजी हो गये। फिर श्री मुन्बाराव, सर फिरोजशाह से परामर्श करने के लिए, बम्बई गये, परन्तु वह विलकुल निराश होकर लौटे। फिर वह तिलक तथा गोखले से मिले। गोखले का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिलक का कांग्रेस में पुनः प्रवेश कांग्रेस के पुनर्भंग के लिए एक सिग्नल का कार्य करेगा। इसलिए उस संशोधन के प्रति अपने समर्पण को उन्होंने वापस ले लिया और इसके सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमती बेसेण्ट को जवानी कहला दिया। उन्नीसवीं कांग्रेस के मनोनीत सभापति को एक खानगी पत्र में उन्होंने अपने विचार बदलने के कारणों का उल्लेख भी किया था। कुछ ही समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया। उसमें यह लिखा था कि तिलक ने खुल्लमखुल्ला अपने ये विचार प्रकट किये हैं कि वह 'सरकार का बहिष्कार करेंगे' और यदि वह कांग्रेस में चुस गये तो आयलैंड वालों की भाँति अङ्ग-नीति का अयलम्बन करेंगे। इस सम्बन्ध में श्रीमती बेसेण्ट ने जब जाँच-पड़ताल की तो तिलक ने इस बात का खडन किया। इसपर उनसे चम्पा-याचना भी की गई। लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की बात स्थगित ही रही। ८ फरवरी १९१५ के 'न्यू इंडिया' में भी श्री मुन्बाराव ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि बम्बई के नाम दल के नेता श्रीमती बेसेण्ट के संशोधन के कट्टर विरोधी थे। वर्य के आरम्भ में गोखले की आसामयिक मृत्यु से देश को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा था। लोकमान्य तिलक अपने इस राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी के प्रति कितना आदर-भाव रखते थे, वह उनके एक अत्यन्त विद्वल भाषण से, जो उन्होंने गोखले की मृत्यु के समय दिया था, स्पष्टतः प्रकट होता है :—

"यह हालिया ब्रजाने का समय नहीं बल्कि आंग्ल ब्रजाने का समय है। भारतवर्ष का यह दौरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, और देश-भक्ती का यह विरमौर आज स्मरान-भूमि पर लेय हुआ अन्त विधाम ले रहा है। इनही तरफ देखिए और इन्दी के समान कार्य करने का उद्योग कीजिए। इनके जीवन को नमूने के लिए सदैव अपने सम्मूल रखकर अपने को इन्दी-जैसा बनाने का आग्रह सबको यत्न करना चाहिए और इस प्रकार इन्दी मृत्यु से जो स्थान बाली हो गया है उसकी पूर्ति कीजिए। अगर अगर लोगों ने ऐसा किया तो इन्दी आत्मा उन दुर्ग गंगार में भी प्रगथ होगी।"

१९१५ और १६ में तिलक ने अपने दल को संगठित करने के लिए फरफोर प्रयत्न किया। उनका विचार था कि "एक सुदृढ़ दल के लिए (१) आकर्षक नेता, (२) एक विरोध लक्ष्य और (३) एक सुद-लेख अर्थात् है। जोगेन्द्र बेण्टरय के रूप में लोकमान्य को एक बहुत ही योग्य लक्ष्यी मिला गये और उन्दी के समर्पण में सुद में राष्ट्रीय दल के लोगों की एक परिपक्व हुई, जिसमें एक हजार बर्द्धक सम्मिलित हुए। इन परिपक्व में और बाद को जो नाम दलदलों का एक सम्मेलन हुआ उसने जर्मि-आत्मज्ञान का दर्शन था। उसमें बहुत छोटी उपनिर्णय थी और लार्ड रिजिनडा ने जलर कर उसकी टोला बर्द्ध थी। इन परिपक्व से लोगों को 'होमरूल' के काम में एक 'सुद-लेख' मिल गया। और लोकमान्य के एक एक शब्द बांधे यह यह गण्य था कि जिस प्रकार (सुद-लेख) को उन्नीस वर्ष से लक्ष्ये। उनको इच्छा थी कि मजदूर दल के नेता ही हों। इन सम्बन्ध में लार्ड रिजिनडा ने एक दिन देर बरफ कर कर और अन्ती लगी टॉलके को एक निरद्व आन्तक

कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जा सकते थे। क्योंकि तब ही हो गया था कि “उन सरपंचों द्वारा बुलाई गई सार्वजनिक सभामें कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि सभ्यो जिनकी स्थापना १९१५ से दो वर्ष पूर्व हो चुकी हो और जिनका उद्देश वैध-उपायों से देश-साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना ही।” लोकमान्य तिलक ने इसका हृदय से स्वागत किया। जिने तुरन्त ही इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह और उनका दल इस आशिक-में खुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सर्वै तैयार है।

को दोहराया गया था। १५ वें में पंजाब, बर्मा तथा मध्यप्रान्त में ऊंचे दर्जे की हार्डवोट स्थापित करने की मांग की गई थी। १६ वें और १७ वें में स्वदेशी ब्रान्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-प्रेस जारी रखने का विरोध किया गया। १८ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारतीयों के हित में यह बात जरूरी है कि पूर्ण आर्थिक स्वाधीनता और विरोध कर आयात-निर्यात उन्मूलन-कर सम्बन्धी पूर्ण अधिकार भारत सरकार को सौंप दिये जायें। १९ वां प्रस्ताव बहुत महत्व-पूर्ण था। उसमें भारत को ऐसे ठोस सुधारों को देने की मांग की गई थी, जिनमें जनता को शासन पर वास्तविक नियन्त्रण मिले और वह इस रूप में कि प्रांतीय स्वाधीनता दी जाय, जिसे प्रांतों में कौंसिलें हैं उन्हें सुधारा और बढ़ाया जाय, उन प्रांतों में उनकी स्थापना की जाय जहाँ नहीं हैं, जिन प्रांतों में कार्यकारिणी हों वहाँ उनकी पुनर्रचना की जाय, उन प्रांतों में उनकी स्थापना की जाय जहाँ वे नहीं हैं, इच्छित-कौंसिल या तो तोड़ दी जाय और या उसमें सुधार कर दिया जाय और एक उदार ढंग का स्थानिक-स्वराज्य दिया जाय। इसी प्रस्ताव में महासमिति को आदेश दिया गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करे और एक ऐसा कार्यक्रम बनावे जिसमें शिक्षा देने और प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे। इसी प्रस्ताव में महासमिति को यह अधिष्ठा भी दिया गया था कि इस विषय में मुस्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे और इस विषय में अन्य सारी आवश्यक कार्रवाई करे। तीसरे प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य को भूमि-कर कितना लेना चाहिए। इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए और स्थायी बन्दोबस्त करके किसानों को भूमि पर सर्वत्र स्थायी अधिकार दे देना चाहिए, चाहे कहीं रैयतदारी प्रथा हो या जमींदारी। यदि स्थायी बन्दोबस्त न हो तो कम-से-कम ६० साला बन्दोबस्त कर ही देना चाहिए। २१ वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग-धर्मों की तरक्की के लिए कार्रवाई की जाय, औद्योगिक तथा दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, आयात-निर्यात-सम्बन्धी कर लगाने की भारत को आर्थिक स्वतन्त्रता दी जाय, उन सारी अनुचित और आधर्यक रूढ़ियों को दूर कर दिया जाय जो सूती माल के ऊपर उत्पत्ति-कर के रूप में यदा लागू हुई हैं, और रेल के उन भेदभाव पूर्ण दरों को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल को भारत भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी व्यापार और उद्योग-धर्मों का माला घुट रहा है। २२ वें प्रस्ताव में इंग्लैण्ड के इंडिया स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से नापसन्दगी जाहिर की गई और इस बात पर असन्तोष प्रकट किया गया कि ग्रेट-ब्रिटेन के समुक्त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में भारतीय विद्यार्थियों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रवृत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और भर्ती कर लेने के बाद उनके साथ भेद-भाव का और अन्याय-पूर्ण व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि १९१५ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या खुलासा-भाव हैं जो कांग्रेस के जन्म से लेकर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे।

स्वशासन के प्रश्न के सम्बन्ध में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, १९१५ की कांग्रेस ने अपने १९ वें प्रस्ताव-द्वारा यह आदेश दिया कि महासमिति मुस्लिम-लीग की कार्य-कारिणी से परामर्श करे और स्वशासन की एक योजना तैयार करे।

१९१५ की एक बड़ी दिलचस्प घटना यह है कि गांधीजी विषय-समिति के सदस्य नहीं चुने जा सके। इसलिए समापति ने उनको अपने अधिकार से इस समिति में नामजद किया था।

होकर उन्होंने होमरूल को अपनाया। 'न्यू इण्डिया' नामक एक दैनिक और इसके बाद "कामन-वील" नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकाला। होमरूल की आवाज को लोक प्रिय बनाने में उनका नम्बर एक है। इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक एक तुफान मचा दिया। वैसे १९१५ में ही "होमरूल पार इण्डिया लीग" की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था। लेकिन उसी समय इसकी स्थापना नहीं की गई थी। क्योंकि सोचा-यह गया था कि अगर स्वराज्य के कार्य को स्पष्ट रूप से उस वर्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा।

बम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का जो आदेश दिया था वह यथा-विधि किया गया। उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान् जातियों में पूर्ण एकमत हो जाना। एक सम्मिलित कमिटी भी बनाई गई, जिसके सुपुर्दे यह कार्य किया गया कि वह एक योजना तैयार करे और साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य पाने के उद्देश को शीघ्र ही कलीभूत करने के लिए अन्य सारे आवश्यक प्रबन्ध करे। यह तय हुआ था कि इस सम्मिलित कमिटी द्वारा तैयार किया गया स्वराज्य का मसविदा लखनऊ में (१९१६) कांग्रेस और मुस्लिम-लीग दोनों मिलकर पास करें। इसी सम्बन्ध में २२, २३ और २४ अप्रैल १९१६ को, इलाहाबाद में, पं० भोतीलाल नेहरू के निवास-स्थान पर, महा-समिति की बैठक में खूब वाद-विवाद हुआ था। महा-समिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव कच्चे तौर पर पास हुए थे उन पर मुस्लिम लीग की कौंसिल और महासमिति की सम्मिलित बैठक ने, जो अक्टूबर १९१६ को कलकत्ते में हुई थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकता-सम्बन्धी समझौता तय हो गया। केवल बंगाल और पंजाब के प्रतिनिधियों की संख्या की समस्या हल नहीं हुई थी। इसका अन्तिम-निर्णय लखनऊ अधिवेशन पर छोड़ दिया गया। सम्मिलित कमिटी ने कलकत्ते में जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। राजनीतिज्ञों के आन्तरिक-क्षेत्र को कांग्रेस का अधिवेशन होने तक उस बात का पता चल गया था जो बाद को "नाइटीन मेमोरियंडम" (१९ का आवेदनपत्र) के नाम से प्रसिद्ध हुआ (दिल्ली परिशिष्ट १) और जो असेम्बली के १९ सदस्यों के हस्ताक्षर से वाइसराय के पास भेजा गया था (नवम्बर १९१६)। आवेदन-पत्र में जो योजना थी उसमें भारत के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल-सिद्धांत समाविष्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह आवेदन-पत्र इसलिए भेजा गया था, क्योंकि इस पर इलाहाबाद करनेवाले सदस्यों को यह सुराग लगा था कि भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीदा विलायत भेजा है जो वस्तुतः प्रतिगामी थे।

जाहिर है कि भीमती बेसेंट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा था, उससे सन्तुष्ट नहीं थीं। कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी निस्सन्देह इंग्लैण्ड में अपना काम कर रही थी। लेकिन वह वस्तुतः एक प्रकार से, उसी के शब्दों में कहें तो, सिर्फ निगरानी रखती थी। भीमती बेसेंट एक तेजतर्र और जीती-जागती संस्था चाहती थीं। इसलिए उन्होंने १९१४ की मद्रास-कांग्रेस के स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार १२ जून १९१६ को लन्दन में एक सहायक-होमरूल-लीग की स्थापना की। भारतवर्ष में तो निश्चित रूप से, पहली सितम्बर १९१६ ई० को, मद्रास के गोखले-हाल में उनकी होमरूल-लीग की स्थापना हुई थी। इस संस्था ने १९१७ भर घड़के से भीमती बेसेंट-द्वारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया। वह इस संस्था की तीन वर्षों के लिए आयुक्त चुनी गई थी। लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, २३ अप्रैल १९१६ को लोकमान्य विलकं ने की थी, जिसका प्रधान कार्यालय पूना में था। दोनों के नाम में गड़बड़ न हो इसलिए भीमती बेसेंट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १९१७ में 'इण्डो-इण्डिया होमरूल-लीग' रख दिया था।

संयुक्त कांग्रेस—१९१६

नये वर्ष का भीमघोरा, पिछले वर्ष की अपेक्षा, कांग्रेस कार्य के लिए और भी शुभ परिस्थिति और वातावरण में हुआ। इधर देश बड़े बड़े धक्कों के कारण और भी अग्रगण्य हो गया क्योंकि १९१५ में ही गोखले और मेहता जैसे महारथी स्वर्गारोहण कर चुके थे। लोकमान्य के लिए अभी तक कोई स्थान ही नहीं था। क्योंकि बम्बई में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार उन्हें साल भर तक इन्तजार करना था। इसी के बाद वह कांग्रेस में आ सकते थे और उसे प्रभावित अपने दंग से चला सकते थे। अतः उन्होंने अपने होमरूल लीग के विचार को कार्य-रूप देने निश्चय किया। इस नाशुक समय में वह अपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यता, सेवाओं और त्याग के कामेत्तुत्व करने के लिए पूर्णतः योग्य थे। उन्होंने कांग्रेस को एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैन्ड मेरुने के लिए राजी करने की काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब उन्होंने २२ अप्रैल १९१६ को अपने होमरूल-लीगकी स्थापना की। इसके ६ मास बाद भीमती वेसेण्ट ने भी अपनी होमरूल-लोग स्वकीय लेकिन नौकरशाही से उनकी बहुर शत्रु थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को डिपेन्स को (स्वक-सेना) में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे उस समय पंजाब सरकार की ओर से उन लिए यह हुक्म निकला कि वह देहली और पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते।

उन्होंने अपनी होमरूल-लीग के लिए कांग्रेस के वीट को स्वीकार कर लिया। जान पड़ता है इससे भी शास्त्री को बहुत प्रसन्नता हुई। १९१६ में उनकी अवस्था ६० वर्ष की हो गई थी। इतने वृद्ध-वृद्धि के अवसर पर उन्हें एक लाख रुपये की पैली भेंट की गई। इसे लोकमान्य ने राष्ट्र-कार्य के लिए अर्पण कर दिया। सरकार ने जितना ही उन्हें दबाया उतने ही वह ऊपर उठे और अन्त में 'उन्हें जेल भेजने की अपेक्षा खामोश करना ही उचित समझकर' उनसे नैरुचलनी की २० हजार रुपये का जमानत मांगी गई। लेकिन ६ नवम्बर १९१६ को हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का फैसला खारज कर दिया। इससे लोकमान्य की लोक प्रियता और भी बढ़ी। उनका आदर हुआ, मान मिला, स्वागत हुआ और जहां कहीं वह गये, पैलिया भेंट हुई। लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। इसका फल यह हुआ कि वह भारत में विस्तृत प्रचार-कार्य नहीं कर सकते थे, जिसके लिए बड़ी भारी शक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को जागृत करने और उनके अन्दर एक प्रकार की विजली-सी भर देने के महत्वपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्र में उनसे बड़ी थी, जिनमें एक विद्युत-शक्ति थी और जो काम करते-करते कभी थकना नहीं जानती थी।

यह भी दशा १९१६ में भारतवर्ष की, जिसकी पुष्कार पर कोई ध्यान नहीं देता था और जिसे अपने लिए एक नेत्र दृष्टि निम्नलने की आवश्यकता थी। ठीक ऐसे ही नाशुक समय में भीमती वेसेन्ट ने अपना उपाय किया। पामिड चैत्र से एकदम राजनेतिक चैत्र में बूढ़ पड़ी। पिपेसोकी को

कार शीम ही सरकारी तथा गैर-सरकारी कुल सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियुक्त करे जो बिहार के इन किसानों के कष्टों का पता लगावे। दूसरा विश्वविद्यालय-सम्बन्धी बिल या जो कि बड़ी कौंसिल में पेश किया जा चुका था।

उत्तरी बिहार के गोरे जमींदार और वहां की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बड़ा ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसके बाद ही गांधीजी किसानों के असन्तोष के कारणों का पता लगाने बिहार गये थे, जिल पर आगे के अध्यायों में प्रकाश डाला जायगा।

भारत के स्वशासन वाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि (अ) भारत की प्राचीन सम्पदा और शिक्षा में जो उन्नति हुई, और सार्वजनिक कार्यों में जो रुचि प्रकट की गई है उनको मद्देनजर रखते हुए, सम्राट् की सरकार को चाहिए कि वह कृपापूर्वक इस आशय की एक घोषणा कर दे कि ब्रिटिश नीति का यह लक्ष्य है कि भारत में शीम ही स्वशासन-प्रणाली को जारी करे, (ब) इस दिशा में एक सीधा वृद्धम इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि कांग्रेस-लीग-योव्वा को सरकार स्वीकार कर ले, और (स) साम्राज्य के पुनर्निर्माण में भारतवर्ष को अधीन देशों की स्थिति से निकाल कर साम्राज्य के बराबर के साझेदारों में, औपनिवेशिक स्वतंत्र्य प्राप्त प्रदेशों की भांति, रक्त्रा जाय।

यहां यह बात भी गौर से देखने योग्य है कि लखनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा डिप्लोम आफ इण्डिया एक्ट और १८१८ के ३रे रेग्युलेशन (बंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग को बहुत ही चिन्ताजनक दृष्टि से देखा था। इसी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि इण्डिया डिप्लोम एक्ट के प्रयोग में, जो विशेष परिस्थितियों के लिए है, वही मिद्दलान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो संयुक्तराज्य के देश-रक्षा कानून (डिप्लोम आफ रेल्म एक्ट) के अनुवृत्त हो।

कांग्रेस और लीग दोनों के एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेशन करने की प्रथा का जो भीगप्येरा बम्बई में हुआ था वही लखनऊ में भी जारी रखा गया। लखनऊ के अधिवेशन में स्वशासन-प्रणाली के लिए जो प्रस्ताव पार हुआ था उसके बाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पार हुआ था कि सारे देश की कांग्रेस-कमिटियां तथा अन्य समारोह संस्थाएँ और कमिटियां शीम ही एक देशव्यापी प्रचार का कार्य शुरू कर दें। इस आदेश का देश ने धाधध्वजक उत्तर दिया। एक प्रांत ने दूसरे प्रांत से इस प्रचार-कार्य करने में प्रतिस्पर्धा की। और मद्रास ने वो भीमती वेमेण्ट के नेतृत्व में इस कार्य में सबसे अधिक साजी मारी। कांग्रेस का लखनऊ-अधिवेशन कोई मुगमत्रा से समाप्त नहीं हो गया। १८२६ में जब कांग्रेस का इसी स्थान पर १५ वां अधिवेशन होने का रस था उस समय

सकयनीय कठिन-हथों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय, उत्कालीन सेक्रेटनेन्ट-गवर्नर सर एन्थोनी मैकडोनेल्ड ने उन सबका अन्त कर दिया था। इसी तरह की एक घटना १९१६ में हुई थी। कुछप्रांतीय-सरकार के मन्त्रि-मन्डल ने कांग्रेस की स्वागत समिति को एक लेटरबनी भेजी थी कि भाषणों में किसी प्रकार के राजद्रोहात्मक भाषणों को न करने दिया जाय। कांग्रेस के मन्टेनीन्ट समारोह के पास भी बंगाल-सरकार द्वारा उसी की एक नकल भेज दी गई थी। सरकार-समिति ने इस सकारण ठीरिन का मुं-सोक जवाब दे दिया था और समारोह ने उन सब की ओरें कुज नहीं की थी। भीमती वेमेण्ट को टोक नहीं दिने बर और बम्बई की सरकारों ने देश-निकाने की काना प ही चुकी थी। इतल्ल सभारतः लखनऊ में भी कुल देसी ही काटंभायें थी। लेकिन सर जेम्स मैट्टन की बुद्धिमती ने इस तरह की ओरें फटना नहीं बटी और इतल्ल ओरें देकीरती देल नहीं हुई। इतल ही नहीं, कांसिदीरिय-सहित सर जेम्स मैट्टन और उनकी बम्बई बरिदेर में भी बरने से।- समारोह मीरदर में इतल को सकारा इतल का सकारा का देल ने सकारा सकारा ही इतल का।

लोकमान्य तिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १९१६ की लखनऊ सम्मिलित हुए। उन्हें बम्बई प्रांत से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक अच्छी खासी संस्था के मऊ के अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि बनाने में पूर्ण सफलता मिली। कांग्रेस के तत्कालीन अनुसार ऐसा था कि विषय समिति में प्रत्येक प्रांत के महासमिति के सदस्यों के अलावा उन्हीं के के चारबर सदस्य प्रत्येक प्रांत से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वारा, चुने जायें। मान्य ने नरम-दल वालों के सामने विषय-समिति के चुने जाने वाले सदस्यों के नामों के स जो प्रस्ताव रखवा था वह उन लोगों ने जब स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने बम्बई के प्रतिनिधि जो सारे-के-सारे राष्ट्रीय-विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों की ही चुनवाने का निश्चय अधिवेशन में विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। अपने नरम-दल वाले का तो दूसरा राष्ट्रीय-दल वाले का। परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दल का ही आदमी गया। जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया गांधीजी भी नहीं चुने जा सके। लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गांधीजी चुन लिये

लखनऊ की इस कांग्रेस के सभापति श्री अम्बिकाचरण मुलुमदार चुने गये थे। यह एक परले हुए सेवक थे। राष्ट्रीय कार्यों के लिए उनका जो त्याग था उसके लिए लखनऊ की सभापति बनाकर उनका भान करना उचित पुरस्कार ही था। उनका सभापति के पद से गया भाषण वक्तव्यकला के लिहाज से वैसा ही था जैसा कि कांग्रेस में होने का उस समय था था। लखनऊ कांग्रेस की सबसे बड़ी जो सफलता थी वह थी शासन-मुधारों के लिए कांग्रेस योजना की पूर्ति और हिन्दू-मुसलमानों में पूर्णतः सम्भ्रिता और मेल हो जाना। (दिल्ली परिषद कांग्रेस लीग-योजना में मुख्य बात यह थी कि कार्यकारिणी कौंसिल के अधीन रहे।) यहाँ यह बात भूल न जानी चाहिए कि स्वयं कौंसिल में ३ भाग नामजद सदस्यों का रक्त्वा गया भारत-मंत्री की कौंसिल को तोड़ देने की बात थी। सच्चे में उस समय के बाद की कांग्रेस की स्फुटा की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में कुछ विरोध सार नहीं था। फिर भी सरकार हिम्मत उसे स्वीकार करने की नहीं थी। उसने इसके मुकाबले में स्वयं अपनी एक योजना तैयार जैसा कि हमें १९१७ के बाद की घटनाओं से मालूम होगा।

लखनऊ की कांग्रेस अपने ढंग की आद्वितीय थी। एक तो उसमें हिन्दू-मुस्लिम-वेदय दु दूसरे स्वगम्य की योजना तैयार हुई और कांग्रेस के दोनों दलों में, जो कि १९०७ से पृथक्-पृथक् एका हो गया। फलतः में यह हरय देखने ही बनता था—लोकमान्य तिलक और आर्ये, गतिवि देय और मुन्देन्द्रय बननी, एक ही साथ एक ही स्थान पर बगवा बैठे थे। भीमती बेनेट भी दो लक्ष्मी आर्येदेल और काहिवा साहब के साथ, त्रिनके हाथों में हीममल के अगटे थे, करी थी। मुसलमानों में से राजा महमूदसाह, महमूदसाह एक और त्रिभुव साहब भी उपस्थित थे। गांधी कोष सि० पोल्ड भी बड़ी विगजमान थे। कांग्रेस-लीग योजना पर, त्रिगे कायेन ने पास कि था, दाव्त ही मुस्लिम लीग ने भी अपनी मुरा लगा दी।

बम्बई कांग्रेस की भांति लखनऊ-कायेन में भी उद्भवित अच्छी थी। २,३०१ प्रतिनिधियों का एक दल की एक सभा की स्थापना की गई थी, त्रिगे को लीग परलक्ष्य लक्ष्यमय भाग मया का इतने सारः वे लक्ष्य प्रकाश पात हुए त्रिगे कायेन प्रवक्तु हा माल लक्ष्य कानी बनी साराती थी। कांग्रेस ने ही प्रकाश कर लक्ष्य १९१६ में। एक ही उद्भवित विचार के हीने जरी-सारी और बर्त की रीत का लक्ष्य मया के लिये ही म. त्रिगे ही मया की कायेन पर लक्ष्य पर जोर देया मया का कि मया

र सच पृष्ठिप तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था ।

१५ जून १९१७ को श्रीमती बेसेण्ट, आरएडेल और वाडिया साहब को नजरबन्दी का हुकम मिला । उनको ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने रहने के लिए पसन्द कर लेना था । कोयम्बटूर और उटकम्पण्ड को इन लोगों ने पसन्द किया । अपने तीन नेताओं की नजरबन्दी कारण होमरूल-लीग और मी लोक-प्रिय हो गई और भी जिज्ञाह मी बाद में पीरन उधमें सम्मिलित हो गये । यह तो एक प्रकट-सहस्य है कि सरकारी हुकम और खुफिया-पुलिस की निगरानी होने पर भी श्रीमती बेसेण्ट स्वतन्त्रता-पूर्वक बराबर अपने पत्र 'न्यू-इंडिया' के लिए लेख लिखती रहीं । 'मनमन्दील' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला । श्री पंढरीनाथ काशीनाथ तैलग 'न्यू इण्डिया' के सम्पादक बनकर मद्रास पहुँच गये । जितने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे उतने दिन तक होमरूल आन्दोलन विद्युत-गति से दिन-दूना गत-नौगुण बढ़ा । देश में स्थिति बड़ी विकट हो गई थी । लेकिन इंग्लैंड में अधिकारी-वर्ग जरा भी मुकने को तैयार न था । मि० माण्टेगु ने अपनी डापरी में एक कहानी लिखी और उससे एक सबक निकाला : "शिव ने अपनी पत्नी के ५२ कपड़े हर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं ५२ पार्वतियाँ मौजूद हैं । शासक यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने भीमती बेसेण्ट को नजरबन्द किया ।"

भारतवर्ष में जब कि यह राजनैतिक तूफान उमड़ रहा था, लण्डन में एक शाही युद्ध-परिषद् आयोजित रही थी, जिसमें सारे उपनिवेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए महायज्ज बीकानेर और सर सलेन्द्रप्रसन्नसिंह इंग्लैंड में भेजे गये थे । इन लोगों ने अपनी शान-मान और रत्न-द्वज सजा शुद्ध उच्चारण से ऐसा रोचक वहाँ जमाया कि इनका वहाँ खूब ही स्वागत हुआ, मान हुआ और अल्पवर्षों ने भूरि-भरि प्रशंसा की । इसका अंतर वहाँ तक हुआ कि ब्रिटिश-कमिटी ने, जिसने कि यह राय दी थी कि भारत से शासन-मुपायों-सम्बन्धी प्रश्न को हल करने के लिए एक रिप्ट-मण्डल इंग्लैंड मुलाया जाय, अपनी राय बदल दी और उनी समय इंग्लैंड में एक आन्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी । वास्तव में ७ अप्रैल १९१७ को महासमिति की बैठक मुलाई गई थी, इसीलिए कि यह इंग्लैंड में एक रिप्ट-मण्डल भेजने का और विलायत में ही कांग्रेस का अधिपेशन करने का आयोजन करे । इन महानुभावों की रिप्ट-मण्डल का सदस्य बनने के लिए कहा गया था—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रावबहादी घोष, भूनेन्द्रनाथ भगु, मदनमोहन मालवीय, सर कृष्णचन्द्र गुप्त, राजा मद्रासाबाद, तेजबहादुर सप्रू, भीनिसल शाही और सी० पी० रामस्वामी ऐयर । ब्रिटिश-कमिटी ने बहुतेग प्रयत्न किया कि भारत-मन्त्री मि० आस्टिन चैम्बरलेन भारत विषयक सरकारी नीति की घोषणा कर दें और सेना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीकार कर लें; लेकिन वह दोनों में से एक भी करने को तैयार न थे । ८ मई १९१७ को इंग्लैंड में एक हॉट्टी-सी परिषद् हुई । उस समय सर सलेन्द्रप्रसन्न सिंह भी वहाँ थे । इसी परिषद् का यह निरन्तर था, जिसके अनुसार भारत से रिप्ट-मण्डल भेजने की सलाह कायम ले ली गई थी ।

भारतवर्ष इस समय होमरूल के सम्बन्ध में नजरबन्द हुए लोगों की हुकाने के लिए सत्याग्रह करने की योजना तैयार कर रहा था । बुलाई १९१७ में महासमिति और मुस्लिम लीग की संयुक्त की एक सम्मिलित बैठक मुलाई गई, जिसमें सबसे पहला जो प्रस्ताव पार हुआ वह था भारत के एक रिप्ट-मण्डल की मांग पर हुकम बनाने का । सर दिलीपम केदारबन की सलाह के अनुसार एक हॉट्टी-सा रिप्ट-मण्डल इंग्लैंड भेजने का निरन्तर हुआ । उसके अन्त में—उर्दूभाषी (हिन्दू, राजपूत, ब्राह्मण) और उर्दूभाषी (सिन्धु, ब्राह्मण) के प्रश्न पर वर सच

उत्तरदायी शासन की ओर—१९१७

मार्तीय गवर्नर के विचार में देश का साम्प्रदायिक मतभेद कटैव एक बड़ा बुरी बात है। इसका उन्मूलन तो वैसा दायित्व लॉर्ड मिंटो के कानून में हुआ था। पर १९१० में जब मन्त्री की एक योजना के तहत की जाने को थी, उस समय हीनाम्य से भारतवासियों की दो महान् कर्तव्य जिम्मेदारी गृह के दबाव में नहीं बल्कि आन्वी दौर पर, एक सन्तुष्ट हो गया था। पर आने वाले राजनैतिक गणन के लिए शुभ-चिह्न था। १९१७ में जो राजनैतिक आन्दोलन चल गया था उसकी कल्पना स्वयं और मानना शुद्ध थी। १९१७ में सारे देश में बड़ी तेजी के साथ राष्ट्रीय जागृति पैदा हो गई थी। होमरूल के लिए जो विद्युत् आन्दोलन इस वर्ष हुआ वह भी बड़ी शक्तिप्रिय था। इस आन्दोलन के पीछे-पीछे जो चीज सदैव से अधिक तेजी के साथ चली, वह युक्तिम या दमन।

होमरूल आन्दोलन और दमन

होमरूल की आशाओं देश के सुदूर कानों तक फैल गई और सर्वत्र होमरूल लीगों की स्थापना हो गई थी। श्रीमती बेसेण्ट के शायों में प्रेस की शक्ति खूब ही बढ़ी, यद्यपि प्रेस-एक्ट के अन्तर्गत दमन का भी न्यून ही चला। और लॉर्ड पेण्टलेण्ड की सरकार ने तो सरकारी आज्ञा-पत्र नं० ५५६ अनुसार विचारधाराओं को भी राजनैतिक आन्दोलन में माग लेने से रोक दिया था। उन्होंने 'हिन्दू सम्पादक भी कर्तव्यी रक्षा आयुक्त को भी बुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आग्रह घरेले की मुलाकात मन्त्री से साफ-साफ बार्ने करके देश की स्थिति को जैसा वह समझते थे बतवा दिया था। श्रीमती बेसेण्ट ने, जिनका 'न्यू इंडिया' नामक दैनिक और 'कामनवील' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, प्रेस और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मांगी गई, और वह जमानत भी काली गई।

एक ओर यह हो रहा था तो दूसरी ओर होमरूल का खयाल, दावानल की तरह, फैल रहा था। "होमरूल आन्दोलन की शक्ति", श्रीमती बेसेण्ट के १९१७ में कलकत्ता की सम्भाषित पद से दिये गये भाषण के अनुसार, "स्त्रियों के उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में भाग लेना उनके प्रान्त में शायकता करने, विरोधित अद्भुत चीजता दिखाने, कष्ट सहने और त्याग करने कारण दशगुनी अधिक बढ़ गई थी। हमारी लीग के सबसे अच्छे रंगरूट और सबसे अच्छे रंग बनाने वाली स्त्रियाँ ही थीं। मददास की स्त्रियों का दावा है कि जब आदमियों को कुछ निष्ठा से रोक दिया गया तब उनके शूलस निकले और मन्दिरो में की गई उनकी प्रार्थना ने नज्बतों को धुंभ कर दिया।" इस आन्दोलन की सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि प्रारम्भ के भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के सिद्धान्तों को मान लिया गया था और उसी के अनुसार देश प्रांतीय संगठन किया गया था। इस प्रकार से इस रूप में वह कांग्रेस से भी आगे निकल

मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-माह्रों को छोड़ने के लिए एक सारोस नियत कर देना चाहिए।” इस दी गई मियाद के बीच में बिहार स्वयं स्थान-स्थान पर समायें करके इस मांग का बल बढ़ाने को तैयार था। यदि सरकार इस पर ध्यान न दे तो, बिहार के सार्वजनिक कार्यकर्ता स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायेंगे और उनके लिए हर प्रकार के बलिदान करेंगे और मुसीबतें सहेंगे। मद्रास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने १४ अगस्त १९१७ को सत्याग्रह का समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव पास किया—

“निश्चय हुआ कि मद्रास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी की राय में जहां तक सरकार की अनुचित और अवैध आशाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो वैध आन्दोलन और शान्तिपूर्ण सार्वजनिक सभाओं को, जो सरकार की दमननीति तथा नजरबन्दी की आशाओं का विरोध करने के लिए की जायें, रोकने के लिए जारी की गई हैं, सत्याग्रह की नीति का अवलम्बन किया जाय।”

मद्रास-नगर में तो एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार किया गया। इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति था वह थे सर एस० मुत्तझण्य ऐयर, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के पेंशनरयाफता जज, पुराने कांग्रेसी तथा आल इंडिया होमरूल-लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी ‘सर’ की उपाधि को भीमती वेसेण्ट तथा उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विरोध में त्याग दिया था। आपने राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र अमरीका भीमती और श्रीयुत होचनर के हाथ में भेजा था। प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले दूसरे व्यक्ति ‘हिन्दू’ के सम्पादक और निरभिमान देशसेवक भी कस्तूरी रंगा आर्यंगर थे।

माण्टेगु की घोषणा

जिस समय भारतवर्ष में आन्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय मि० माण्टेगु की घोषणा प्रकाशित हुई, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। इस पर मद्रास-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने यह प्रस्ताव पास किया—“राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उसे भेदेनजर रखते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना आगे के लिए स्थगित किया जाय। इस बात की इच्छिता महासमिति को दे दी जाय”।

वह बदली हुई परिस्थिति कौन-सी थी, गत महायुद्ध के अन्त में मेसोपोटामिया में युद्ध का प्रबन्ध अचल नहीं रहा। इसी सम्बन्ध में कामन-समा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद-विवाद हुआ, जिसमें मि० माण्टेगु ने मि० आस्टिन चैम्बरलेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, बुरी तरह आड़े हाथों इसलिए लिया कि मेसोपोटामिया में भारत से प्रचुर-मात्रा में सामग्री तथा सिगाही न पहुँचने के कारण ही गड़बड़ हुई थी। इसी के परिणाम-स्वरूप मि० चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर मि० माण्टेगु भारत-मंत्री नियत हुए। उस समय माण्टेगु साहब विलकुल नौजवान थे। उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से अधिक न थी। लेकिन फिर भी वह इससे पहले ४ वर्ष तक बराबर उपभारत-मंत्री रह चुके थे और १९१२ में भारतवर्ष का पूरा दीर्घ भी कर चुके थे। मि० बोन्नर ला का एक कड़ा भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली हटाने और बंग-भंग के निर्णय को रद्द कर देने में स्वर्च भी अधिक हुआ है और सरकार की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचा है। दूसरे उत्तर में मि० माण्टेगु ने भारत के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण भाषण दिया था। मि० माण्टेगु का भारत-मंत्री बना दिया जाना, भारतवर्ष ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समझी। लोगों की आशा के मुताबिक, मंत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही समय बाद २० अगस्त को मॉन्ट-मंदल की ओर से, मि० माण्टेगु ने निम्नलिखित घोषणा की,

हुआ कि प्रान्तीय-काम्रेस-कमिटियों और मुस्लिम-लीग की कौंसिल से प्रार्थना की जाय कि वे सत्याग्रह पर सिद्धान्ततः और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार करें, कि आया उनकी राय में सत्याग्रह करना उचित और उपयुक्त है या नहीं ! इस विषय में उनकी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के अन्दर काम्रेस के प्रधानमन्त्री के पास भेज देने की बात भी प्रस्ताव में थी । इस सम्मिलित बैठक ने बंगाल सरकार की उस घाघलेवाजी के प्रति तीव्र विरोध का भी एक प्रस्ताव पास किया जो कि उसने श्रीमती वेसेण्ट और मि० ब्रस्पेडेल व वाडिपा के नजरबन्द होने के विरोध में डा० रासबिहारी घोष के समापवाच्य में होने वाली एक सार्वजनिक सभा रोक कर की थी । प्रस्ताव में यह आशा प्रकट की गई थी कि "बंगाल के निरासी प्रत्येक कानूनी उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे।" एक बहुत ही युक्ति-पूर्ण वक्तव्य तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था । इसमें यह बताया गया था कि यहां भारतवर्ष में किस प्रकार लार्ड चैम्बेर्लेण्ड ने, उन्नीस आदर्शियों द्वारा भेजे गये उस आवेदन-पत्र को भुग-भला कहते हुए उसे "महान्-आपात्त का देने वाला परिवर्तन" कहा था, और किस प्रकार इंग्लैण्ड में लॉर्ड सिडेनहम ने "भारत के खतरे" का भय दिखा कर और इस आवेदन-पत्र को "क्रान्तिकारी प्रस्ताव" कह कर इसकी निन्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीछे "जर्मनी की साजिश" है। इसके बाद ही सरकार ने स्वतंत्र्य के लिए किये गये लोक-आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गर्वी-पत्र भेजा था, और वरी फोनोग्राफ की तरह शीम ही पंजाब में सर माइकल ओडायर और मदरास में लॉर्ड वेपट्लैंड के मुँह से घोषणाओं के रूप में सुनाई देने लगा । इन्होंने लोगों को व्यर्थ की आशाओं न रखने की चेतावनी देते हुए दमन करने की धमकी दी । सर माइकल ओडायर ने तो यहां तक कह डाला था कि सुधार मागने वाले दल ने जो शासन में परिवर्तन चाहे हैं वे क्रान्तिकारी और खान्द और ब्यास्ता उलट देने वाले हैं । सरकार को जिस बात की सबसे अधिक चिन्ता थी वह यह कि एक ओर तो शिमला और दिल्ली से जो गुप्त खबरें शासन-सुधारों के सम्बन्ध में जा रहे थे, उनसे पहले काम्रेस तथा लीग और कुछ कौंसिल के मददां की योजना और आवेदन-पत्र तैलागत कैसे पहुँच गये ? प्रान्तीय सरकारों के मानगों ने रम धूरुदरिया को नहीं देखा कि जनता से मुसलम-खुला यह कहने का क्या फल निकलेगा कि शासन-सुधार बहुत ही साधारण से दिये जायगे। लेकिन यदि वे धूरुदरिया में तो कम से-कम इतना तो कहना हो पड़ेगा कि वे ईमानदार थे । ईहां, तो उन यत्न में नजरबन्दी का विरोध किया गया था और स्थिति को सुधारने की दृष्टि से यह सलाह दी थी कि (१) माद्रास-सरकार इस बात की घोषणा करे कि यह भारत में शीम ही ब्रिटिश-साम्राज्य की स्वशासन-प्रणाली स्थापित कर देगी, (२) शासन-सुधारों की जो योध्य सम्मिलित रूप से तैयार की गई है उसे वह मंजूर करने के लिए तैयार हो जाये कदम बढ़ायेगी, (३) अधिकांगों-वर्गों ने जो प्रस्ताव किये हैं उनको शीम ही प्रस्तावित करेगी, और (४) दमन-नीति का परित्याग करेगी ।

साधारण के प्रस्ताव पर प्रान्तों के मत

१० जुलाई को भारत मंत्री, प्रधानमंत्री तथा सर विलियम वेडबर्न की इस वक्तव्य का मुख्य भाग सर द्वारा विस्तृत में दिया गया । इस बीच सत्याग्रह करने के प्रस्ताव पर विभिन्न प्रान्तीय काम्रेस कमिटियों ने सामान्यतः सकारात्मक और निष्पक्ष के सहोदरों में विचार किया । भारत का यह है तो व सत्य का यह उचैत । सर वेडबर्न, वहाँ को पंजाब का कहना था कि सभी माद्रास सत्य का यह उचैत । वहाँ के मि० ब्रस्पेडेल के भाव काम्रेस की सत्यग्रह है । मुसलम-ने "वर्तमान प्रस्ताव" के सत्य का यह उचैत । विचार का सत्य में "इसमें कल क नकार" —

है। जबकि एक ओर अवस्था यह है तो दूसरी ओर गठ दो वर्षों से एक ऐसी जल्दी आवश्यकता पैदा हो गई है जिसके कारण यहां के निवासी इस बात पर बलपूर्वक जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि अन्य उपनिवेशों की भविष्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों में एक जोरदार आवाज होगी। अब वे शाल्यावस्था में नहीं हैं; बल्कि उन्हें ब्रिटेन के साथ बराबरी का सम्भार जाता है। अब पांच स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक समूह बन गये हैं। अगर, जैसा कि कुछ लेखकों की राय है, एक पार्लमेण्ट और (या) साम्राज्य की एक कौंसिल बनाई जाय और उसमें सयुक्तराज्य तथा उपनिवेशों के प्रतिनिधि हों और अगर सारे साम्राज्य के मामलों को ये ही या यह कौंसिल तय किया करें, और मौजूदा कामन-सभा और लार्ड-सभा केवल ब्रिटेन के मामलों को ही तय किया करें तो यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष पर ब्रिटेन के साथ-साथ उपनिवेशों का भी शासन हो जायगा। अगर साम्राज्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा हो तो भारतवासी उसका बड़ी दृढ़ता से विरोध करेंगे। और अगर उपनिवेशों का रुख भारत और भारतीयों को ओर ऐसा हो जिसमें अपवाद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी अपनी दासता की हद को बढ़ाने के लिए कभी वीरान न होंगे। भारतवासियों के दृष्टि-कोण से अनि-वार्य शर्त केवल यही हो सकती है कि यदि साम्राज्य का नये सिरे से संगठन हो तो उसमें भारत का भी शाही-कौंसिल और (या) पार्लमेण्ट में प्रतिनिधित्व आवश्यक हो। चुने हुए सदस्यों की वही कसौटी रखी जाय जो उपनिवेशों पर लागू हो।

“यदि किसी भी ऐसी कौंसिल या पार्लमेण्ट का निर्माण न हो, और जो कुछ हो वह इतना ही कि सालाना शाही-परिषद् ही हुआ करे और उसके सदस्यों को ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल की विशेष बैठकों के लिए ही आमंत्रित किया जाय करे, तो उसमें भी भारतीय प्रतिनिधियों का होना आवश्यक होगा, और वह चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही। इस वर्ष के प्रारम्भ में जो शाही-सुद्ध-परिषद् हुई उसमें महाराजा बीकानेर, सर जैम्स मेस्टन और सर खत्येन्द्रप्रसन्न सिंह भारत की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजे गये थे। सुद्ध के मन्त्रि-मण्डल में भी इन लोगों को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित होने का अवसर दिया गया था। इसपर हमें बड़ी खुशी है और इसको हम आगे बढ़ाया हुआ कदम मानते हैं। न हम लोग शाही-परिषद् द्वारा पास किये गये उस प्रस्ताव के मूल्य को ही भूल सकते हैं जिसके द्वारा शाही-सुद्ध-परिषद् में भारत को आगे प्रतिनिधित्व देना तय हुआ था। हमारी प्रार्थना तो केवल यही है कि अबतक भारत-सरकार एक मातहत-सरकार है, वह न तो प्रातिनिधिक ही है और न जनता के प्रति उत्तरदायी ही, तबतक उपनिवेशों के साथ उसकी समानता नहीं मानी जा सकती, और इससे भारतवासियों को एक हद तक ही सतोष प्राप्त होगा। क्योंकि यह प्रतिनिधित्व भारत-सरकार को दिया गया है न कि भारतवासियों को। इसमें तो कोई शक नहीं कि शाही-परिषद् के लिए उनकी ओर से सरकार जिन किन्हीं भी चुने वे अपनी शक्तिभर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। लेकिन निस्सन्देह उनके साथ वह आरम्भिक असुविधा अवश्य लगी रहेगी जोकि जनता के प्रति उत्तरदायी न होनेवाले के साथ होती है। यह उनके साथ वास्तव में एक भारी कठनाई रहेगी।

“सर्व-साम्प्रारण के मतानुसार पिछली परिषद् में महाराजा बीकानेर, सर जैम्स मेस्टन और सर खत्येन्द्रप्रसन्न सिंह ने अपने कर्तव्य का बड़ी खूबी से पालन किया। लेकिन प्रवासी भारतवासियों के सम्बन्ध में उन्होंने जो आवेदन-पत्र पेश किया वह भारतीयों के दृष्टि-बिन्दु और उनकी मांगों के साथ पूरा न्याय नहीं करता था। एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होता, अपने मतदाताओं के सामने ऐसी अवस्था में लेने के देने पड़ गये होते।

जिसमें ब्रिटिश नीति का अन्तिम ध्येय भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली देना बतल गया था:—

“सम्राट्-सरकार की यह नीति है, और उससे भारत-सरकार पूर्वतः सहमत है, कि भारत शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का सम्पर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन-प्रणाली धीरे-धीरे विकसित हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्व-शासन-प्रणाली भारत में हो और यह ब्रिटिश साम्राज्य के एक अंग के रूप में रहे। उन्होंने यह तय कर लिया है कि दिशा में, जितना शीघ्र हो, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढ़ाया जाय।”

“मैं इतना और कहूँगा”, मि० माटेगु ने कहा, “इस नीति में प्रगति क्रमशः ही आसीदी-दर-सीदी होगी। ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार ही, जिनके ऊपर कि भारतीयों के और उत्पत्ति का भार है, कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात के निर्णायक हो वे एक तो उन लोगों के सहयोग को देखकर ही आगे बढ़ाने का निश्चय करेंगे जिन्हें कि इस सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस हद तक उन्होंने अपनी जिदारी को ठीक-ठीक अदा किया है और इसलिए कितना विश्वास उन पर किया जा सकता है। पासेण्ट के सम्मुख जो प्रस्ताव पेश होंगे उन पर सार्वजनिक रूप में वादविवाद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जायगा।”

लोगों के प्रति अपने विश्वास-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिगत प्रतिवृत्ति को भारतीयों पर से हटा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च-पद नहीं पा सकते थे। आगे चल उन्होंने यह भी घोषित किया कि वह भारत आँवेंगे और वाइसरॉय से परामर्श करेंगे, एवं भारत स्वायत्त की ओर बढ़ने में जो समुदाय दिलचस्पी रखते होंगे उन सबसे भी बातें करेंगे। २० अगस्त की घोषणा हो चुकी थी और नई नीति के अनुसार भीमवी वेसेण्ट तथा उनके सहयोगी १६ सिप्टेम्बर को मुक्त कर दिये गये थे।

कांग्रेस का आवेदन पत्र

६ अक्टूबर को इलाहाबाद में महासम्मेलन और मुस्लिम-लीग की कांसिल की एक सम्मिलित बैठक फिर हुई। इस पर कसरत राय यह ठहरी कि सत्याग्रह न किया जाय। भीमवी वेसेण्ट स्वयं सत्याग्रह करने के विरुद्ध थीं। इससे एक प्रमाणाकारी कार्यक्रम एकदम रुक गया, जिससे नरयुवकों में बर्क निवारण फैली। सम्मिलित बैठक ने सत्याग्रह करने की बात तय करने के स्थान पर वाइसरॉय तथा भारत मंत्री के पास एक शिष्ट मण्डल भेजने की बात तय की। इसके अतिरिक्त, इस शिष्ट-मण्डल के साथ कांग्रेस-लीग-योजना के समर्थन में एक सुक्ति-संगत आवेदन-पत्र भी भेजने की बात तय हुई। इस कार्य के लिए १२ व्यक्तियों की एक कमिटी नियुक्त की गई। भी० ली० वार्ड चिन्तामणि उसके मंत्री थे। इनका काम था एक आवेदन-पत्र और एक अभिनन्दन-पत्र तैयार करना। शिष्ट-मण्डल आवेदन-पत्र के साथ लॉर्ड वेम्पटर्न और मि० माटेगु से नवम्बर १९१० में मिला। वह आवेदन पत्र इस प्रकार है—

“भारत-सरकार की गवर्नमेंट से सम्राट सरकार की ओर से जो अपिहार पूर्ण घोषणा की गई है उसके लिए भारतीयों को बड़े ही दुःख है; पर इसके साथ ही यदि उनके आवेदन-पत्र के अनुसार कार्रवाई की जाय तो उन्हें और भी अपिहार सन्तोष होगा।

“दूर समय और हर परिस्थिति में केवल आधीन-देश की आवश्यकता नहीं के होगी के स्वाभिमान को दृष्टि पट्टे करने लगी होगी है। लक्ष्य उन लोगों को, जो कांग्रेस के शब्दों से एक प्राचीन संकल्प के उत्पत्तिकारी है और जिन्होंने मानव तथा व्यवस्था करने की सच्ची योग्यता का कार्य परिवर्तित किया

। पूरे ६ मास तक वह स्वयं आन्दोलन से कतर अलग रहे और अपने सब साथियों को भी अलग रखा ।

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-भरी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके थे, एक बहुवर्षी सादा केन्तु कारगर प्रस्ताव रक्ता कि कांग्रेस-लीग योजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय, लोगों को उसे समझाया जाय और उसमें शासन-मुधारों की जो योजना है, उसके पक्ष में लोगों के हस्ताक्षर कराये जाय। इस प्रस्ताव को ज्योंही कार्य रूप में लाया गया त्योंही देश ने कांग्रेस की शासन-मुधार-योजना का स्वागत किया। यहां तक कि १९१७ के अंत तक दस लाख से ऊपर लोगों ने हस्ताक्षर कर दिये। यह देश-व्यापी सगठन, कांग्रेस की ओर से सम्भवतः पहला ही प्रयत्न था। लेकिन स्व शासन के सम्बन्ध में देश को सगठित करने का इससे पहले भी एक प्रयत्न किया गया था। और उसके लिए देश तथा इंग्लैण्ड में धन भी एकत्र किया गया था। १९१५ की बम्बई-कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके सम्पाति सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा थे; महासमिति ने यह तय किया था कि कांग्रेस के लिए एक स्थायी-कोष एकत्र किया जाय। इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी। परन्तु इस दिशा में कोई सक्रिय-कार्रवाही नहीं हुई। १८८६ में इस दिशा में एक बार कोशिश और हुई थी। ५० हजार रुपया इसलिए मंजूर किया गया था कि इतनी रकम एकत्र करके कांग्रेस के स्थायी-कोष का कार्य प्रारम्भ किया जाय। इस रकम में से केवल ५ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह ओरियण्टल बैंक में जमा कर दिया गया था। १८९० वाली बम्बई की उपल-पुपल में इस बैंक का दिवाला निकल गया और यह छोटी-सी रकम भी डूब गई।

१९१७ की कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले हमें एक और आवश्यक बात बतानी है। इस वर्ष कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। कुलकत्ता नरम-दल वालों का एक गढ़ था। उनमें से और नये होमरूल वालों तथा राष्ट्रीय दल वालों में तीव्र मत-भेद था। राष्ट्रीय दल वालों तथा नये होमरूल वालों ने भी कलकत्ते को ही अपना मुहृद गढ़ बना लिया था। पुणने दल के नेता थे राय बैकुण्ठ नाथ सेन, अम्बिकाचरण मुजुमदार, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा भूपेन्द्रनाथ वसु। चित्तरञ्जनराय भी कांग्रेस-कार्य में दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने नये दल-के साथ अपना भाग्य जोड़ दिया था जिनमें श्री० के० लाहिड़ी, आर्द० श्री० सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे।

यद्यपि अधिकांश प्रान्तीय-कांग्रेस कमिटियों ने भीमती बेसेन्ट को आगामी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की थी, परन्तु स्वागत-समितियों में इस बात पर तीव्र मत-भेद था। लेकिन तत्कालीन विधान के अनुसार उन दिनों प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों के अधिकार मत को ही मानना पड़ता था। स्वागत-समिति की ३० अगस्त १९१७ की मीटिंग तो इस विषय पर विद्वत मत-भेद और विरोध का एक दृश्य बन गई थी। फजलुल हक, लाहिड़ी और जितेन्द्रलाल बनर्जी (तीनों अवैतनिक सदस्यी मन्त्री) का तो यह कहना था कि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस-कमिटियों की जो सिफारिश है, उसे स्वागत-समिति ने भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। मीटिंग के प्रारम्भ में ही रायबहादुर बैकुण्ठनाथ सेन तथा श्री० अन्य व्यक्ति, कुछ कटुता पैदा हो जाने के कारण, समा में उठकर खड़े गये थे। मंत्रिमंडल ने महासमिति को एक वस्तुस्थिति लिखकर भेजा कि भीमती बेसेन्ट सम्मानेची चुन ला गई। दूर रायबहादुर साहब ने महासमिति को एक तार दिया जिनमें लिखा था—“स्वागत-समिति अगस्त मास में महासमिति का चुनाव न कर सके। स्वागत-समितिके अध्यक्ष की होशियार से मामला धारक सुधुर करता है।” संक्षेप में, भीमती बेसेन्ट महासमिति के साथ आसानी से सम्मानेची निर्वाचित हो गईं। वह अर्थात् तक सरकार की अत्यधिक कीर-भङ्गन बनी हुई थी।

"हमारी यह माँग नहीं है कि चुनाव सीधा जनता किया करे। यह भी नहीं कि बहुत अधिक मतदाताओं-प्रायः हुआ करे। इतना बाका होगा, यदि बड़ी सौदं मान्योय कोषियों के चुने हुए सदस्यों को प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार दे दिया जाय। आशा है, सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।"

कामरूपी हलचलें

इस बीच में कामरूपी गामोरा नहीं बैठे थे। ये काँग्रेस लीग-योजना के लिए लोगों के हस्ताक्षर करा रहे थे, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। अपनी नजरबन्दी से छुटकारा पाने के बाद भी मती बेसेण्ट ने बारसराय से तिवरी ही बार मिलने के लिए समय माँगा, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। लार्ड चेम्फोर्ड भीमती बेसेण्ट को दूर ही रक्खा चाहते थे। मि० माण्टेगु ने भी उनके नेतृत्व के लिए कोई आदर-भाव प्रदर्शित नहीं किया। अपने छुटकारे के बाद ही उन्होंने सरकाइ से अपनी अलद-दगी दिव्यलाई। इसका कारण आज तक अज्ञाय ही रहा है।

१९१७ के अन्त के महीनों में भारत के राजनैतिक वातावरण में माण्टेगु-फोर्ड ही माण्टेगु-फोर्ड हो रहे थे। मि० माण्टेगु और लार्ड चेम्फोर्ड का संसद दौरा ही रहा था। इनसे विभिन्न स्थानों पर विद्य-मण्डल मिलते थे और वे लोगों से हर जगह मिलते थे। भीमती बेसेण्ट ने १९१७ के अन्त में, मि० माण्टेगु से भेंट कर लेने के पश्चात्, अपने कुछ मित्रों से कहा था, "हमें मि० माण्टेगु का साथ देना चाहिए।" नम-दलवालों ने भीमती बेसेण्ट के इन शब्दों की दुहाई प्रत्येक स्थान पर दी। जाहिर है कि मि० माण्टेगु का उद्देश्य यह था कि वह भारत के परस्पर-विरोधी द्वि-रत्नवाले दलों से पथभ्रंश करे और पार्लेमेन्ट में पेश करने के लिए एक मतविदा तैयार करे। इनमें से पहला काम ठी सलनऊ में १९१६ में हिन्दू-मुसलिम सम्मेलित ने पहले कर दिया था और उसे मि० माण्टेगु ने ज्यों-का-त्यों मान भी लिया था। लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में जो असलियत है वह तो बहुत से लोगों के लिए एक बिलकुल ही नवीन बात होगी। वह यह कि माण्टेगु-चेम्फोर्ड की यह सारी योजना त्रिस्त-रूप से मार्च १९१६ में ही तैयार हो गई थी। बात यह थी कि लार्ड चेम्फोर्ड को वाइसराय नियुक्त करने का जब हुकम पहुँचा उस समय वह भारत की टेरीटोरियल फीज में भेज रहे थे। मार्च १९१६ में जब वह इंग्लैन्ड पहुँचे तो उन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिव्यलाई गई जिसके साथ कि उनका नाम जोड़ा जाने वाला था। इसका पता हमें १९३४ में जाकर लगा। इसमें अन्देह नहीं कि मि० माण्टेगु भीमती बेसेण्ट, लोडमान्य विलक और गाधीजी जैसे व्यक्तियों से भी मिले और उनकी बातें सुनीं। लेकिन असलियत में मि० माण्टेगु ने अपनी भारत-यात्रा में जो कुछ किया वह तो यह छुट लेना था कि भावो-शासन में मंत्री, कार्यकारिणी के सदस्य और एडवोकेट-जनरल कौन-कौन बनाने लायक है। वह उन आदमियों के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना की कार्य-रूप में परिणत करते। इसकी प्रतिध्वनि उस सामूहिक ध्वनि के पीछे सुनाई पड़ती थी जिसे हम सुनते थे। वह यह कि "हमें मि० माण्टेगु का साथ देना चाहिए।" मि० माण्टेगु की भारत-यात्रा के सम्बन्ध में जो सबसे दुःखद घटना है, वह यह कि अपनी विहाई के बाद हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार हो जाने पर भी मि० माण्टेगु ने भीमती बेसेण्ट को दाद न दी।

१९१७ के इस काल में जब भीमती बेसेण्ट का होमरूल फ्रान्चोलेन उन्वितिक शिखर पर पहुँच गया था, गार्धाजी अपने कुछ चुने हुए सहयोगियों के साथ—जैसे राजेन्द्र बाबू, पूर्णचरौर बाबू, सोरख बाबू, अरमुद बाबू (बिहार से) और अध्यापक कुरलानी तथा भारत-सेवक-समिति के डा० देव

की प्रार्थना की। एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, अर्जुनलाल जी सेठी के प्राण बचाने के लिए, जो धार्मिक-कारणों से बेलूर-जेल में आमरण अनशन कर रहे थे, सरकार से बीड़ में पढ़कर हस्तक्षेप की प्रार्थना की। दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रांत में, भारतीयों के प्रबन्ध में, भारतीय-बालचर-दल स्थापित करने की सिफारिश की। मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है:—

“सम्राट के भारत-मन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की ओर से यह घोषित किया है कि उसका उद्देश्य यह है कि उत्तरदायी शासन स्थापित करना है—इसपर यह कांग्रेस कृतज्ञता पूर्वक सन्तोष प्रकट करती है।

“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में स्व-शासन की पंथा का विधान करने वाला एक पार्लियामेण्टरी कानून बने और उसमें बताये हुए समय तक पूरा राज्य मिल जाय।

“इस कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि शासन-सुधार को कांग्रेस-सीमा-योजना कानून के द्वारा शीघ्र ही पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।”

एक नया प्रस्ताव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ वह था आन्ध्र-प्रान्त को एक पृथक् प्रांत बनाने के सम्बन्ध में। इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १९१३ से लेकर १९१५ तक कांग्रेस में इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय या यों कहें कि उप-राष्ट्रीय आन्दोलन बराबर चल रहा था। आन्दोलन की बुनियाद यह थी कि आन्ध्र वाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से प्रांतों का पुनः निर्माण किया जाय। वास्तव में इसका बीज तो तब से बोया गया जब से कि १८९५ श्री महेश्वररायण ने बंगाल से बिहार को पृथक् कराने का प्रयत्न किया था। १९०८ में कांग्रेस ने बिहार को एक पृथक् प्रान्त बना दिया। २५ अगस्त १९११ को प्रांतीय स्वाधीनता की योजना के सम्बन्ध में भारत-सरकार का जो खरीता विलायत गया था, उसमें भी यह सिद्धांत मान्य किया गया था और उसीका यह फल था कि बिहार बंगाल से अलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों का दृढ़ विश्वास था कि प्रांतीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए, शासन और शिक्षा दोनों का अध्ययन उस प्रान्त की भाषा हो। यह निश्चित रूप से माना जाता था, कि स्थानीय शासन के सम्बन्ध में ब्रिटिश शासन को जो असफलता मिली है उसका कारण यह है कि ब्रिटिश-भारत में प्रांतों का अभाव न तो बुद्धिपूर्वक किया गया है, न जातियों के निरास को ध्यान में रखकर किया गया है; बल्कि जैसे-जैसे इलाका हाथ आता गया वैसे-वैसे प्रांत बनाते चले गये। १९१५ में कांग्रेस इस प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार न थी। लेकिन १९१६ की आन्ध्र-प्रांतीय-परिषद् ने इस प्रश्न पर बहुत जोर दिया, और ८ अप्रैल १९१७ को महासमिति ने, जिसके पास नियुक्त के लिए १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस ने इस विषय को भेज दिया था, मदरास तथा बम्बई की प्रांतीय कांग्रेस कमिटियों से पूर्ण परामर्श करके इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और निश्चय किया कि “मदरास प्रान्त के तेलगू भाषा बोलने वाले जिलों का एक पृथक् प्रान्त बना दिया जाय।” इसके बाद सिन्ध और उसके बाद कर्नाटक का भी नम्बर आया। इस विषय पर १९१७ की कलकत्ता-कांग्रेस की विषय समिति में बड़ी गरमागरम बहस हुई। गांधीजी की भी यह राय थी कि शासन-सुधार चालू हो जाने तक इस मामले में टहरे रहें। लेकिन लोकमान्य तिलक ने इस बात को अनुभव किया कि वास्तविक प्रांतीय स्वाधीनता के लिए भाषा के अनुसार प्रांतों का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। कलकत्ता-कांग्रेस की सम्प-मन्त्री भीमती बेंसेण्ट ने भी इसका मूब विरोध किया और दक्षिण के तमिल-भाषा-भाषी मिथों ने भी बहुत जोर से मुन्नालियत की। इस विषय पर बहस करते-करते दो घण्टे बीत गये। अन्त में रात के १० बजे आन्ध्र का पृथक् प्रान्त बनाने का फैसला हो गया। ६ अक्टूबर १९१७ को महासमिति ने सिन्ध

१९१७ की कांग्रेस

श्रीमती बेसेण्ट का कांग्रेस के समानेवी-पद से दिया गया भाषण, भारत के स्वशासन पर, परिश्रम-पूर्वक लिखा गया एक सुन्दर निबन्ध है। सेना और भारत की व्यापारिक समझौते पर विस्तार के साथ उसमें पूर्णतः प्रकाश डाला गया है। उसमें जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक-विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्री है। उन्होंने वस्तुतः १९१८ में पेश करने के लिए एक पेंसे बिल की मांग पेश की थी-जिमके अनुसार "भारत को ब्रिटिश उपनिवेशों के समान स्वराज्य दे दिया जाय। वह भी १९२३ तक, या अधिक-से-अधिक १९२८ तक। बीच के पांच या दस वर्षों कांग्रेसों के हाथों से सरकार के भारतीय हाथों में आने में लगे। और कांग्रेसों से भारत का बंदी सम्बन्ध बना रहे जो अन्य उपनिवेशों के साम्राज्य है।" श्रीमती बेसेण्ट के समानेत्व में कांग्रेस तीन दिन का कोई मेला होकर नहीं रह गया था। उसमें रोजमर्रा जिम्मेदारी के साथ काम करने की बात थी। इस दृष्टि से, उस समय तक, श्रीमती बेसेण्ट ही कांग्रेस की सर्वप्रथम समानेत्री कही जा सकती हैं जिन्होंने साल-भर तक अपने पद की जिम्मेदारी निभाहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया नहीं था, परन्तु कांग्रेस के श्रवणक के इतिहास में किसी सम्पादक ने उस पर अमल किया नहीं था। कलकत्ते के अधिवेशन में, ४,६६७ प्रतिनिधि और ५,००० दर्शक उपस्थित हुए थे।

१९१७की कांग्रेस के इस कलकत्ते वाले अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे भी कुछ को छोड़कर पहले-के-से सचि में ढले हुए ही थे। वृद्ध पितामह दादाभाई नौरोजी और कलकत्ते के ए० एल्ल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव और सम्राट् के प्रति भारत की राजभक्ति के प्रस्ताव पास होने के बाद मि० माण्टेगु के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ। मौलाना मुहम्मदअली और शौकतअली के, जो कि शूकनवर १९१४ से नजरबन्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव दाय, भारतीयों को उचित सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की भाँति जोर देते हुए इस विषय में उनके स व न्याय किये जाने की माँग की और जातिगत भेद-भाव मिटाकर भारतीयों को सेना में कमीशन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उस पर सन्तोष प्रकट करते हुए ६ भारतीयों को सेना में कमीशन देने पर प्रसन्नता प्रकट की और इस बात की आशा प्रकट की कि अधिक सख्या में भारतीयों को कमीशन देने की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी। इस बात पर जोर दिया गया कि उनकी तनख्वाह आदि में वृद्धि की जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव दाय (१) १९१०के प्रेस-एक्ट द्वारा शासकों को बहुत विलुप्त और निरंकुश-सत्ता दिये जाने, (२) आर्मएक्ट, (३) उपनिवेशों में भारतीयोंके साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार और उनकी अनुविधाओं के प्रति अपने विरोध को रोहयाया। कांग्रेस ने कुली-प्रथा को पूर्ण रूप से उखा देने के लिए माँग पेश की। एक पार्लमेण्टरी कमीशन की नियुक्ति पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, सभा करने आदि की स्वतन्त्रता के दमन के लिए विरोध प्रकट करे कानूनों तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून के प्रयोग के सम्बन्ध में जांच करे। १० दिसम्बर को सरकार ने रोलट-कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने इसकी एक प्रस्ताव-दाया इसलिए निन्दा की कि इस कमीशन का उद्देश्य दमन के लिए नये कानूनों की व्यवस्था करना था, लोगों के कंधे दूर करना नहीं। कांग्रेस की राय में इसमें अधिष्ठातियों को बंगाल के क्रांतिकारी कहे जानेवालों के दमन के लिए और भी अधिक शक्ति मिल जाटी थी। इसी प्रस्ताव में कांग्रेस ने १८१८ के रेग्यूलेशन ३ और भारत-रक्षा-कानून के निरस्त होने पर किये गये प्रयोग पर निन्दा और मय प्रकट किया और इन कानूनों के अर्थ में वापस रिलुप्त प्रयोग किये जाने के कारण को अस्वीकार किया हुआ था उसकी मरदनकर रसते हुए करे यकीनतक रैदियों को प्रकट कर

मारटेगु-चेम्सफोर्ड-योजना—१९१८

१९१७ की कमिश्न के अधिदेशन के बाद मूलतः ही ३० दिनाम्बर को महासमितिके की पहली बैठक में, कमिश्न के लिए ग्यायी-बोप जमा करने के प्रश्न पर विचार किया गया, और प्रांतीय विधेय कमिटियों से अनुमोद किया गया कि वे भारत और इम्पैरियल में शिक्षा और प्रचार-कार्य प्रारम्भ करने के लिए एक कार्य-समिति बना दें। इसके बाद के महीने अगस्तवत् रूप से कार्य करने ही स्थगित हुए। विद्योपकर मद्रास में तो लगभग नोटिस लुप्त कर विद्युत् कार्यवाही करने, कमिश्न विधेय लीग योजना पर प्रकाश डाला गया था। और जिस समय मि० मारटेगु मद्रास पहुँचे उस समय उन्हीं इस योजना के सम्बन्ध में, केवल उन्हीं प्रांत से, ६ लाख व्यक्तियों के हस्ताक्षर माँगे दिये गये।

महासमिति की दूसरी बैठक दिल्ली में १३ फरवरी १९१८ में हुई। उसमें सर विलियम डारबन की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पास करने के पश्चात् मद्रासगण के पास एक टिप्पण मसल भेजने का प्रश्न पास हुआ, जो उनमें ऊपर यह प्रार्थना की कि लोकमान्य तिलक और वि० वि० चन्द्र पात के हस्ती और पंजाब में प्रवेश करने पर जो प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसे मरुत्प कर दें। टिप्पण-मसल प्रकाश से मिला, लेखन निरर्थक। लार्ड चेम्सफोर्ड और मि० मारटेगु छात्र-समुदायों तथा प्रांतीय विद्योत्-निहालने ही करने थे। इसलिए महासमिति ने यह निश्चय किया था कि विद्योत् के अस्तित्व ही लोकमान्य का हस्ताक्षर में कमिश्न का विशेष अधिदेशन बुलन्द करे। उनमें लार्ड को एक टिप्पण मसल भेजना भी तब किया था।

३ मार्च १९१८ को महासमिति की तृतीय बैठक हुई। उसमें श्रीलोक (लक्ष) और ब्रह्मचर से दोनों लोकमान्य-लीग के टिप्पण-मसलों को, जो लार्ड को भेजे थे, बाल लैट में पर लक्ष्य का मूल शिथिल किया गया। ब्रह्मचर ने इस बात पर जोर दिया कि वह लक्ष्य-मसलें दोहरा कर ही करे कि लार्ड लक्ष्य होने पर भारत को उपाध्यायी-द्वारा रिक्त करेगा। लार्ड को के लिए दिव्यशक्ति-नैतिकता कभी मृत ही लक्ष्य के लिए कभी लक्ष्य में जाने ही नहीं देते।

१९१८ के प्रथम तिमाही लक्ष्य में श्रीलोक-मसल ने लक्ष्य-मसल किया। श्रीलोक-मसल-मसल और श्रीलोक-मसल-मसल ने श्रीलोक-मसल को लक्ष्य-मसल, ब्रह्मचर-मसल-मसल है, मसलों को लक्ष्य-मसल देने के लिए अनुमोद किया था। लार्ड ने मि० चेम्सफोर्ड के उन्हीं लक्ष्य-मसल में १९१८ में होने वाली मसल-मसलों को लक्ष्य-मसल है कि वह लक्ष्य-मसलों के लक्ष्य में १९१८ की लक्ष्य में लक्ष्य-मसलों को लक्ष्य-मसल है। लक्ष्य-मसल में लक्ष्य-मसल है। लक्ष्य-मसलों को लक्ष्य-मसलों को लक्ष्य-मसल को लक्ष्य-मसल है। लक्ष्य-मसल लक्ष्य-मसलों के लिए

को भी सुगन्ध प्राप्त मान लिया । उस समय जो मिडान्ग स्वीकार किया था, जगन्नाथ-कमिश्नर के प्राप्ति के पुनर्निर्माण में, जमीनें जगन्नाथ काम किया गया । इसके बच-बचान इमरी पाठ कर पाठ है जब कि मिडिया-साकार के संवत् २ प्राप्त ही है ।

कलकत्ते में भीमती बेगम, श्री सी० पी० रामगामी ऐध्या को सेक्रेटरी बनने की इच्छा थी । इसलिये कमिश्नर-विधान में संशोधन करके यह तीन स्थितियों की नियुक्ति पर जोर थी । यह बात स्वीकार करती गई और भी सुधाराय पन्थुस में, जो कि मंत्री चुने जा चुके थे, की सभ्यता सागर्य दे दिया । भीमती बेगम के सम्पर्क में, कलकत्ता-कमिश्नर में, होमम्स-और कमिश्नर एक दूसरे के बहुत ही निकट जा गई । कलकत्ता की कमिश्नर इतलिय समर्थीय है उसमें पहली बार राष्ट्रीय भवने का महल बालाया उठा योग्य था । कलकत्ते में होमम्स-वो पहले ही विरमे भवने को अग्र्यकर उगे लोकिय बना चुकी थी । इस कार्य के लिए कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपूर्द यह काम किया गया कि यह भवने का मन्दा निर्दिष्ट करे । जगन्नाथनाथ ठापुर भी उस कमिटी में थे । लेकिन इस कमिटी की बैठक कभी नहीं हुई अन्त में होमम्स का भवना ही कमिश्नर का भवना बन गया । बाद में उसमें चरखा और दे दिया गया था । यह १९३९ तक रहा, फिर भवना-कमिटी ने उसमें लाल रंग की जगह केर्तक कर दिया ।

चीज थी। यह ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये राजनैतिक लेखों के समान, भारत को स्व-शासन देने के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष बयान था। उसमें मुघारों के मार्ग की रूकावटों का बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया था और फिर भी जोर दिया गया था कि मुघार आवश्यक मिलने चाहिये। रिपोर्ट के पक्ष में एक और बात भी थी। देश की दो महान् सस्थाओं ने मिलकर जिस योजना को तैयार किया था उसमें अपरिबर्तनीय कार्यकारिणी की तजवीज थी। परन्तु इसमें उत्तरदायी शासन की एक बड़ी ही आवश्यक योजना थी, जिसमें मन्त्रि-मंडल बदला जा सकता था। मन्त्रिमण्डल की जिम्मेदारी सामूहिक थी, और वह कौंसिल के मतों पर निर्भर करती थी। यह ठीक ब्रिटिश नमूने के स्वभाव से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों को और चाहिये ही क्या था? इसके अनुसार, हिन्दुस्तानियों की राय में, कौंसिलें भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए वालीमगाह न रह कर सार्वजनिक न्यायालय हो जाती थीं, जहाँ कि मन्त्रीगण को मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ बरती पदती और अपने सभी सदस्यों की राय पर उनका मान्य अवलम्बित रहता। इसलिए कितने ही भारतीय इसके मुलावे में आ गये और इसकी शारीकों के पुल बांधने लगे। पलका कांग्रेस-योजना की ओर से माण्टेगु-चेम्सफोर्ड-योजना की ओर झुक गया था। मि० माण्टेगु की बायरी में हमें यह लिखा हुआ मिलता है कि श्रीमती बेसेरट ने इस बात का वादा किया था कि सर शंकरन् नायर जो कुछ स्वीकार कर लेंगे वह उन्हें भी मान्य होगा। और सर शंकरन् नायर ने इसे स्वीकार कर लिया था। श्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर के सम्बन्ध में मि० माण्टेगु कहते हैं—“मैंने स्पष्ट रूप से उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं? वह शांखी जी की चार कसौटियाँ मानते हैं। मुझे भय है कि वह कभी समय-समय पर होने वाली जांच-पड़ताल की पसन्द न करेंगे। जो कुछ वह चाहते हैं वह है एक मीयाद का मुकर्रि हो जाना। लेकिन इस मीयाद के मानी उससे कहीं अधिक हैं जो समझे जाते हैं।” इसके बाद भी एस० धीनिवास आयंगर का जिक्र है, “उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वास्तव में लोग पूरी कांग्रेस-लीग योजना की स्वीकृति की आशा नहीं रखते हैं। फिर भी यदि लोगों को यह विश्वास हो जाय कि इसमें और विकास की गुंजायश है तो वे विरोध परवा न करेंगे।” उनका कहना है कि करटिस की योजना सबसे अच्छी है। धीनिवास आयंगर के साथ न्याय करने के लिए हमें यहाँ यह बताना जरूरी है कि उस समय वह कांग्रेसी नहीं थे। इन बयानों के बाद हमें मि० माण्टेगु द्वारा यह जानने की कोई विरोध आवश्यकता नहीं है कि सीवलवाड, चन्दावरकर और रहीमदुल्ला ने ‘संरक्षकों की योजना’ का समर्पण किया था।

एक ओर यह था तो दूसरी ओर राष्ट्रीय विचार के लोगों ने मि० माण्टेगु के दिमाग में अपनी मांग के विषय में किसी भी सन्देह की भुंजाइश नहीं रहने दी। “मोतीलाल नेहरू सन्तुष्ट हो जायेंगे यदि उन्हें बीस वर्ष में उत्तरदायी शासन-प्रणाली दे दी जाय।” “चित्रजनदास को पहले ही से निश्चय था कि दूध शासन-प्रणाली अवश्य विकल हो जायगी। वह ५ वर्ष के भीतर वास्तविक उत्तरदायी शासन चाहते थे और उसका वादा उसी समय चाहते थे।” मि० माण्टेगु ने मुद्रेन्द्रनाथ बनर्जी को पत्र लिखा था।

रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यह आम तौर पर विश्वास था कि उसका अधिकार मजमून सर (बाद को लार्ड) जैमस मैट्टन और मि० (बाद को सर) मैरिस ने तैयार किया था और लायनल करटिस ने इस कार्य में उनकी मदद की थी। मि० करटिस राउन्ड टेबलवालों में से थे, जिनकी कि प्रवृत्ति अध्ययन की ओर विरोध थी। वह “साम्राज्य की सेवा के लिए” अनेक देशों का भ्रमण करते रहते थे। भारतीय-शासन मुघारों के सम्बन्ध में इन्होंने एक पत्र लिखा था। वह गलती

उपयुक्त भी था। “दोनों होमरूल-सींगों ने, दूसरे मास में ही, मि० वैपटिखा को, भारत के प्रतिनिधि बनाकर मजदूर परिषद् में भेजा”। श्रीमती बेसेण्ट ने अपने समानेकी-पर से। भाषण में कहा, “और मेजर फ्राइम पोल उनकी तरफ से हमारे यहाँ आ रहे हैं।” वह जिन भारत में सम्बन्ध बनाये रखने की इद पक्षपाती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी क-दिनों में होमरूल से, जैसा कि उसका अर्थ उन दिनों लिया जाता था, आगे नहीं बढ़ सकी। १९२६ के उपनिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दर्जा कम था और निरिव्व उसकी तुलना आज के उपनिवेशों से तो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, श्रीमती सीप्र ही इस बात को महसूस करने लगी कि उनकी विचार-धारा का मेल न तो सरकार के स-खाता है और न जनता के साथ ही। सरकार उनकी उम्मत को पसन्द नहीं करती थी और उनके विद्युद्देपन को। बम्बई की विरोध कॉंग्रेस के समय (सितम्बर १९१८) उनके बहुतों के थे और उनका बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन दिल्ली-कॉंग्रेस में (दिसम्बर १९१८) वह पिछड़ गई थी।

भारत-रक्षा-बान्धु का दौर देश में सर्वत्र बढ़े जोर के साथ चल रहा था। १९१०-लोकमान्य विलक और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पंजाब से देश-निर्गले की निकल चुकी थी। लेकिन वह लोक-प्रिय आन्दोलन दमन के इन चक्रों से भी नहीं दबाया जा सक-जब बम्बई के गवर्नर ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताओं की एक सभा की तो लोकमान्य वि-स्वराज्य के प्रश्न को छोड़ा; लेकिन उन्हें दो मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया गया। जब वापस ने दिल्ली में एक सभा की तो गांधी जी उसमें उपस्थित थे, यद्यपि पहले उन्होंने उसमें सीपनी होने से इन्कार कर दिया था—क्योंकि एक तो लोकमान्य और श्रीमती बेसेण्ट को उसमें आ-नहीं किया गया था, और दूसरे ब्रिटेन गुप्त-सन्धि करके कुस्तुन्दुनियाँ रूस को देने जा रहा था। इस विषय में लॉर्ड कैम्पबेल्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधी जी को विस्वास दिलाया कि यह स-चार स्वार्थी लोगों का (रूस का) फैलाया हुआ है! गांधी जी से उन्होंने कहा कि फिर ऐसे सब-जवाब कि युद्ध चल रहा हो, ऐसा प्रश्न न तो उठ ही सकता है और न उस पर विचार ही किया-सकता है। इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांधी जी युद्ध-सभा में सम्मिलित होने के लि-राज्यी हो गये। उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली आने के लिए चार दिया, यद्यपि उनके लिए कोई नि-भय नहीं था। लेकिन दिल्ली तो वह स्थान था जहाँ से लोकमान्य के लिए देश-निर्गले की आ-चुकी थी। उन्होंने कहा कि जब तक यह आला मंसूख न हो जाय तब तक मैं दिल्ली नहीं आ सकता-लेकिन ऐसा करने से तो सरकार की शान जो बिगड़ जाती!

अगस्त १९१८ में लोकमान्य को मजिस्ट्रेट की पहने से आजा प्राप्त किये किन्तु आरक्षण देने की मन्गरी का नोटिस मिला। एक सप्ताह पूर्व लोकमान्य युद्ध के लिए ईशान्त भर्ती करने में लगे हुए थे और अपनी सविच्छा के प्रमाण-स्वरूप उन्होंने ५० हजार का एक बैंक गांधी जी के पास भेज कर आरक्षण दिया था कि यदि गांधी जी सरकार से ऐसा वादा करा लें कि भारतीयों को लेन में कमीशन मिलने लगेगा तो वह महाराष्ट्र से ५ हजार विपारी देंगे। गांधी जी का मत यह था कि सहायता सौदे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अतः उन्होंने लोकमान्य का बैंक लौट दिए। १९१७-१८ में कॉंग्रेस लोकमान्य विलक से सरांफ रहती थी। नीकरशाही तो निरिव्व रूप से उनके पीछे पड़ी ही हुई थी। अकेली श्रीमती बेसेण्ट ही उनका साथ दे रही थी।

जून १९१८ में मॉटियु-नेम्पकोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। साहित्यिक-दृष्टि से वह ऊँचे स्तर की

उत्के क्लियन में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दृष्टा में यह तो आदिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेस विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना गारिबन्दी था। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि सलनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे। अतः बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और गोर्दे ही मय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेस कालों में बड़ा सीधे मतभेद हो गया था। जैसे कोई भी दल योजना से सन्तुष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, उनके आलोचना करने के ढंग में अन्तर अस्तर था। ऐसा मन पकटा था कि एक दल तो, जो कि उभर था, उसे विलकुल ही अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें मुधार चाहेगा। कांग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि किसी गृह एक बार मिले और दोनों दलों में समझौता हो जाय। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त १९१८ को हुआ। भी इसन इमाम समापति थे। कांग्रेस में उपस्थित शूब थी। ३,८८५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भी विटलभार्ड पटेल स्वगत-समिति के उपापति थे। दीनशा पाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भूनेन्द्रनाथ वसु और अम्बिकाचरण मुजुमदार जैसे कांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के वाद-विवाद के पश्चात् कांग्रेस ने अपनी पुरानी योजना के आधारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय आर्कादा साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती। मार्टिगु-योजना की उसने विचार पूर्वक आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तरदायी शासन के योग्य है। मार्टिगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो बात बही गई थी उसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही मुधार जारी करने पर जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही यह स्थान है जहाँ उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए पहले कार्य प्रारम्भ होना चाहिए—और जब तक इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है—उनका क्या असर होता है तबतक आवश्यक बातों में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रहे। साथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन बातों से शान्ति और देश-वद्धा का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होगा उन्हीं भारत-सरकार को इन अपवादों के साथ पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय और खुले तौर पर कानूनन मुकदमा चलाये बिना (सम्राट् की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतन्त्रता, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या बोलने या समाजों में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता छीनी जायगी; (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान लाइसेन्स खरीद कर इधियार रखने का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा, (ग) छापेखाने स्वतन्त्र रहेंगे और किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी; (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने बराबर होंगे। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर हद्द मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आर्थिक मामलों में उस हद्द तक की स्वतन्त्रता रहे जिस हद्द तक की स्वतन्त्र-साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्राश्यों को है। उसी प्रस्ताव में, जिसमें कि मुधार-योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मन्त्री और वाइसराय के प्रयत्नों की, जोकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सराहना की। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था की अपेक्षा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आत्म तौर पर ये प्रस्ताव नियथा जनक और असुविधजनक हैं। आगे चलकर प्रस्ताव में वे बातें भी सुझाई गईं जिनका होना उत्तरदायी शासन की और बढ़ने के लिए पूर्णतया आवश्यक था—जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित

उसके विषय में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेस विशेष अधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना आवश्यक था। लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि सलनऊ और इलाहाबाद इसके लिए उपयुक्त स्थान न रहेंगे। अतः बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन करना तय हुआ और योर्के ही समय में सारी तैयारी की गई। कांग्रेस वालों में बड़ा हीन मतभेद हो गया था। जैसे कोई भी देश योजना से सन्तुष्ट नहीं था। लेकिन हाँ, उनके आलोचना करने के दंग में अन्तर जम्बर था। ऐसा मन पड़ता था कि एक दल जो, जो कि उग्र था, उसे विलकुल ही अस्वीकार कर देने पर जोर देगा और दूसरा उसमें सुधार चाहेगा। कांग्रेस से कुछ ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि किसी तरह एक बार मिलें और दोनों दलों में समझौता हो जाय। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त १९१८ को हुआ। भी इसन इमाम समापति थे। कांग्रेस में उपस्थिति खूब थी। ३,८०५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भी विटलमार्ड पेटेल स्वागत-समिति के उपाध्यक्ष थे। दीनशा काका, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु और अम्बिकाचरण मुजुमदार जैसे कांग्रेस के पुण्ये महारथी आये ही नहीं थे। चार दिन के बाद-विवाद के पश्चात् कांग्रेस ने अपनी पुण्ये योजना के आधारभूत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय आकांक्षा साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती। मटिगु-योजना की उसने विस्तार पूर्वक आलोचना की। उसने यह घोषणा की कि भारत अवश्य ही उत्तमदायी शासन के योग्य है। मटिगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो बात बही गई थी उसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और इस बात से सहमति प्रकट की कि प्रान्त ही यह स्थान है जहाँ उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए पहले कार्य प्रारम्भ होना चाहिए—और जब तक इस बात का अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है उनका क्या असर होता है तबतक आवश्यक बातों में भारत-सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रहे। साथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन बातों से शान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होगा उनमें भारत-सरकार को इन अपवादों के साथ पूरा अधिकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय और खुले तौर पर कानून मुकदमा चलाये बिना (सजात की) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वतन्त्रता, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी और न उसकी लिखने या बोलने या समाजों में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता छीनी जायगी, (ख) ग्रेट-ब्रिटेन के समान साइसेन्स खरीद कर हथियार रखने का अधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा, (ग) छापेखाने स्वतन्त्र रहेंगे और किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी; (घ) समस्त भारतीय कानून के सामने बराबर होंगे। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर हृदय मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आर्थिक मामलों में उस हद तक की स्वतन्त्रता रहे जिस हद तक की स्वतन्त्र-साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रान्तों को है। उसी प्रस्ताव में, जिसमें कि सुधार-योजना पर सीधे तौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-सन्धी और वाइसराय के प्रयत्नों की, जोकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए किये, सपहना की। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था की अपेक्षा कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आम तौर पर ये प्रस्ताव निराशाजनक और असंतोषजनक हैं। आगे चलकर प्रस्ताव में ये बातें भी सुझाई गईं जिनका होना उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने के लिए पूर्वतया आवश्यक था—जैसे भारत-सरकार से सम्बन्धित

बातों के लिए कॉम्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस तरह स्वयंच्छित और हस्तान्तरित विषय रखे जायं उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए भी रखे जायं। स्वयंच्छित विषय ये होंगे—वैदेशिक कार्य (उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाओं के साथ सम्बन्ध, और शेष सब विषय हस्तान्तरित रहेंगे। सुधारों के अनुसार बनाई गई कौंसिल का पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में वाइसराय और कौंसिल का सम्बन्ध वैसा ही रहेगा जैसा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है। हरेक कानून कौंसिल में बिल पेश करके ही बनाया जायगा; परन्तु यदि कौंसिल स्वयंच्छित विषयों के सम्बन्ध में वह कानून पास न करे जिसे सरकार आवश्यक समझती हो तो गवर्नर-जनरल रेग्यूलेशन-द्वारा उनका विधान कर सकेंगे। ये रेग्यूलेशन एक वर्ष तक जारी रहेंगे और दुबारा फिर नहीं जारी किये जायेंगे, सिवा उस हालत के जब कि कौंसिल के उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम ४० प्रतिशत उसके पक्ष में मत देते हों। राज-परिषद् न रहेगी, किन्तु यदि वह बनाई ही जाय तो कम से-कम उसके आधे सदस्य निर्वाचित हों और 'साटिफिकेट' देने का नियम केवल स्वयंच्छित विषयों के लिए हो। स्वयंच्छित विषयों के अधिकार में जो कार्य-कारिणी के सदस्य हों उनमें कम-से-कम आधे (यदि उनकी संख्या १ से अधिक हो) भारतीय हों। बड़ी कौंसिल के सदस्यों की संख्या १५० कर देनी चाहिए और उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या ५ हो। बड़ी कौंसिल के सभापति और उपसभापति बड़ी कौंसिल द्वारा ही चुने जाने चाहियें और उसे अपने कार्य-संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार रहे। कानून-द्वारा इस बात का विश्वास दिला दिया जाना चाहिए कि अधिक-से-अधिक १५ वर्षों के भीतर समस्त ब्रिटिश-भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जायगा। जहाँ तक प्रान्तों से सम्बन्ध है, कॉम्रेस ने तय किया कि (क) शासन-विभाग में ऐसे कोई सदस्य न रहने चाहिए जिनके जिम्मे कोई महकमा न हो; (ख) सुधार के अनुसार बनी कौंसिलों का पहला कार्य-काल समाप्त होने पर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर और मन्त्रियों का वैसा ही सम्बन्ध रहेगा जैसा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है; (ग) मन्त्रियों का दर्जा और जनता के तब तक ही होगा जो कार्यकारिणी के सदस्यों का रहेगा। कार्यकारिणी के आधे सदस्य भारतीय हों; (घ) स्वयंच्छित विषयों के लिए जो खर्च पड़ता है उसे छोड़ कर बजट कौंसिल के अधिकार में रहे और यदि नया कर लगाने की जरूरत पड़े तो वह सारी प्रान्तीय सरकार-द्वारा लगाया जाना चाहिए। यह मानो हुए भी कि लोग पूर्ण प्रान्तीय अधिकार पाने के योग्य हैं, यह कॉम्रेस सुधार-योजना के पास होने में सुविधा करने के विचार से इस बात पर तैयार है कि सब प्रान्तों में छः वर्षों के लिए कानून, पुलिस और न्याय के कार्य (जेल छोड़ कर) सरकार के हाथों में रहें, शासन और न्याय-कार्य तुरन्त अलग-अलग कर देने चाहियें। सभापति और उपसभापति कौंसिलों-द्वारा चुने जाने चाहियें। परन्तु कौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों का औसत ५ रहे। कौंसिलें प्रांतीय अधिकार के प्रत्येक विषय पर—कानून, न्याय और पुलिस पर भी—कानून बना सकेंगी, किन्तु जहाँ सरकार को कानून, न्याय और पुलिस-सम्बन्धी बातों में कौंसिल के निर्णय से मन्तोप न हो यदि उन्हें भारत-सरकार के सामने पेश कर सकेंगी। भारत-सरकार उसे बड़ी कौंसिल के सामने पेश कर देगी और साधारण तरीका बर्ताना जायगा। भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों का उत्तरदायित्व निर्वाचकों के प्रति बढ़ाया जाय और पार्लियामेंट और भारत-मंत्री के अधिकार कम करने जायं। इरिषिया कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत मन्त्री को सहायता देने के लिए दो म्यारी सहायक-मन्त्री हों, जिनमें से एक भारतीय हो। आतिथ्य प्रवर्धित्व

... ने कॉम्रेस ने ... दिया कि छोटी और बड़ी कौंसिलों में प्रत्येक प्रान्तों का प्रतिनिधित्व

। शिवाय मन्त्रिकार के अयोग्य न टर्-

गई जाय। आर्थिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सेना में भारतीयों को कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में जो मांग पेश की गई थी उसे सरकार ने त्रिलकुल अपूर्ण रूप से स्वीकार किया था। इस पर कांग्रेस ने गहरी निराशा प्रकट की और यह राय दी कि भारतीयों को सेना में कम से-कम २५ प्रतिशत कमीशन्स जगह देने की कार्रवाई होनी चाहिए और यह ओसव थिरेपॉर बढ़कर १५ साल में ५० फीसदी तक हो जाय। कांग्रेस ने इंग्लैण्ड में रिश्ट-मण्डल योजना तय किया और सदस्यों के चुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी।

इस तरह यह दीख पड़ेगा कि जिस विरोध अधिवेशन के लिए यह भय हो रहा था कि इसमें सुधार के विषय में झूट पड़ जायगी, वह सफलता पूर्वक समाप्त हो गया और गौर के साथ चर्चा होने के बाद ऐसे निर्णयों पर पहुंचा जिससे विभिन्न भागों में मेल हो गया और सारे देश के अधिकांश कांग्रेसियों ने पूर्णरूप से उत्कण्ठ समर्पण किया। उन्हीं दिनों मुस्लिम-लीग की भी बैठक की गई थी, जिसके समाप्ति में मुहम्मदाबाद के राजा साहब। उसमें भी कांग्रेस से मिलता-जुलता ही प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन भारत के दुःखों का अन्त नहीं हुआ। भारत-रत्ना-कानून, जो देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने से रोक सकता था, या कुछ भी करने की आज्ञा दे सकता था, जोरों के साथ अपना काम कर रहा था। मौलाना अबुलकलाम आजाद तथा अली-माइयों की नजरबन्दी का तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। अमृतसर-कांग्रेस के पहले अली-बन्धु कांग्रेसी नहीं थे। १९१६ में रिश्टा होते ही वह अमृतसर-कांग्रेस में पहुंचे थे। मुहम्मदअली “कामरेड” नाम के तेज और चरपरे साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। उनके बड़े भाई शीकतअली “इमदद” के सम्पादक थे। यह उर्दू का दैनिक पत्र था। महायुद्ध के लड़ते ही ब्रिटिश-सरकार की-तरफ से लोगों को दिखाने के लिए बर्फीयान से एक घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया था कि युद्ध निर्वल राहों की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। मौलाना मुहम्मदअली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम था “मिथ को खाली कर दो।” मौलाना और अली-बन्धु उसी समय नजरबन्द कर दिये गये थे। वे इस अवस्था में २५ दिसम्बर १९१६ तक रहे थे, जब कि शाही घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गये थे, वे भी मुक्त कर दिये गये।

महायुद्ध के लिए धन एकत्र करने और सिपाही भरती करने का तरीका निश्चयत एतराज के काबिल था। इन तरीकों के बदौलत, जिन्हें लार्ड विलिंगडन की सरकार ने “दबाव और समझाने के तरीके” कहा था परन्तु जो दरअसल ज्यादातया थीं, पंजाब और अन्य जगह आगे चलकर भयंकर स्थितिया पैदा हो गईं। देश में तो “इंडेस्ट्र” की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को यह बताना आवश्यक था कि उनके इलाके से युद्ध के लिए कितना धन मिल सकता था और फिर उसी के अनुसार मातहत अधिकारी, अपनी बात को कायम रखने के लिए, “दबाव तथा समझाने” की नीति को काम में लाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया वसूल करते थे। इन उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक बार लोगों ने कोष में आकर एक तहसीलदार का बंगला घेर लिया और उसके बाल-बच्चों को छोड़कर उसे मय बगले के जलाकर भस्म कर दिया।

लार्ड चेम्सफोर्ड के शासन-काल में, जहाँ तक राजनैतिक क्षेत्र से सम्बन्ध है, दमन-वक्र मुख्यतः प्रेस ऐक्ट के रूप में बड़ी तेजी से चला था। भारत-रत्ना-कानून के अनुसार लार्ड विलिंगडन ने भीमरत बेसेट को बम्बई-अहाते में प्रवेश न करने की आज्ञा दे दी थी। बंगाल में नजरबन्द नवयुवकों के

संख्या चीन हजार तक पहुँच गई थी। इसके बाद भीमरी वेलेन्ट नजरबन्द हुई। दूसरे वर्ग में चीन बिल तथा उसके साथ ही उसके विरुद्ध आन्दोलन दोनों में परांपर्य किया।

यदा यदा बात शरणाग्ण रचना खादिए कि इगरो पहले वर्ष सरकार ने एक कमिटी निरुक्त थी। घर विरुद्धे रोलट उसके समापति में और कुमररशामी शारणी और प्रभासचन्द्र मित्र सदस्य पे इगला शाम इस बात की जांच करके रिपोर्ट करना था कि भारत में किस प्रकार और किस हद तक प्रान्तिवारी-आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले यहूयन्त्र रीते हुए हैं और उनका मुकाबिला करने में कं दिवकतों पेश आती हैं उनही भी ध्याननीन करके, यदि उसके लिए कियी कानून को बनाने की जरूरत हो तो उसके लिए भी, यह सरकार को उचित मलाइ दे। कमिटी ने जांच करके अपनी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी। रिपोर्ट में जिस कानून की सलाह दी गई थी, यह बड़ी फौसिल में पेश भी कर दिया गया। इससे सारे देश में एक वहलका मच गया। सब जगह विशेष प्रदर्शन किया गया। कमिसे के विशेष अधिवेशन के समय तक केरल रिपोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। कामेस ने रोलट-कमिटी की रिपोर्टों की निन्दा की और कहा कि यदि उसे कार्य-रूप में लाया गया तो भारतीयों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होगा और यह उचित लोकमत के पनने में बाधक बनेगा।

दिल्ली-कामेस

कामेस का साधारण वार्षिक अधिवेशन (आगामी दिसम्बर मास में) दिल्ली में होनेवाला था। दिल्ली अधिवेशन का समापति प्रान्तीय कामेस-कमिटीयों और स्वागत-समिति ने लोकमान्य विलक को बुलाया था। लेकिन उन्हें वेलेन्टाइन चिरोल पर चलाये गये मुकद्दमे के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड जाना था। अतः समापति बनने में उन्होंने अपनी अक्षमर्यता प्रकट की। इसतर १० मदनमोहन मालवीय को समापति बननाया गया। इहीम अजमल स्वा स्वागताध्यक्ष थे। ११ नवम्बर १९१८ की अस्थायी-सन्धि के बाद महायुद्ध का अन्त हो गया था। मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सफलता मिली थी और राष्ट्रपति विरसन, लापर जाजं तथा मित्र-राष्ट्रों के अन्य राजनीतियों ने आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों को घोषणा करदी थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि इन घोषणाओं को तथा आलोचनाओं को, जो मार्सेलफोर्ड-रिपोर्ट पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थी, सामने रखकर कामेस शासन-सुधार-योजना पर पुनः विचार करे। दिल्ली-कामेस में भी उपस्थिति बहुत थी। ४,८६५ प्रतिनिधि आये थे।

कामेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राट् के प्रति राजभक्ति प्रकट की और युद्ध के, जो कि संसार के सब लोगों की स्वाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर बधाइया दी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा कामेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और आत्मनिर्णय के लिए मित्र-राष्ट्रों के सैनिकों की गीरता और खासकर भारतीय सेना की सफलताओं की प्रशंसा की। तीसरे-प्रस्ताव द्वारा इस बात की शार्थना की गई कि शान्ति सम्मेलन और ब्रिटिश-पार्लमेण्ट भारत को उन उन्नतिशील देशों में समकें जनपर स्व-शासन का सिद्धान्त लागू होगा। इसके लिए जो कत्तल कार्रवाई करनी चाहिए वह यह बताई गई कि उन सारे कानूनों, आर्दिनों और रेग्यूलेशनों को, जिनके कारण स्वतन्त्रतापूर्वक राजनी-तिक समस्याओं पर खुलकर वादविवाद नहीं किया जा सकता, और जिनके द्वारा अधिकारियों को बेरफ्तार करने, नजरबन्द करने, ठेकने, देश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण अदालतों में केना मुकद्दमा चलाये ही अधिकार दे दिया है, तुरन्त ही उठा लिया जाय। कामेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह भी माग पेश की थी कि साम्राज्य-नीति के पुनर्निर्माण में पार्लमेन्ट शीम ही भारत को ऐसे र्ण उत्तरदायी शासन देने का एक कानून पास करे जैसा कि उपनिवेशों में है। कामेस ने यह भी

का प्रकट की थी कि शान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी चुने हुए व्यक्तियों-द्वारा हो।
के लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और श्री हसनइमाम को प्रतिनिधि भी चुना गया।

शासन-सुधारों के लिए कांग्रेस ने उसी विरोध अधिवेशन वाले कांग्रेस-लीग-योजना के प्रस्ताव ही दोहराया। साथ ही यह बात भी दोहराई गई कि भारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है और शान्ति एवं आरक्षा-सम्बन्धी सब अधिकार, कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत-सरकार को है। एक दूसरे प्रस्ताव-पत्र, इनके अलावा जो पुड़े रह गये थे उन्हें भी दोहराया गया—किरफे कुछ अपवादों को छोड़कर, कि ये हैं—(१) प्रान्तों में तुरन्त ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्तावित वैध सुधारों के लाभों से किसी भी भाग को वंचित न रखना चाहिए। रौलट-कमिटी की रिपोर्टों में भी विचार हुआ। इसके सम्बन्ध में भी बम्बई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गई। इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावहारिक रूप देने में बाधा पड़ेगी। कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रक्षा कानून, प्रेस-एक्ट, राज-द्रोह सभाबन्दी-कानून, त्रिमिगल में अग्नेयदमेट एक्ट, रेग्यूलेशन तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय और सारे नज्बन्दों तथा राजनैतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाय।

श्रीयोगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं० मदनमोहन मालवीय भी एक सदस्य थे, विचार हुआ। उसकी सिफारिशों का और इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को उस देश की श्रौयोगिक उन्नति के लिए अधिक काम करना चाहिए, कांग्रेस ने आशा की कि इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने में यह उद्देश्य सामने रखा जायगा कि भारतीय पूंजी और व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाय और विदेशों की हठ से भारत को बचाया जाय। कांग्रेस ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि टेरिक के प्रश्न की जांच को कमीशन की सीमा से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कमीशन ही इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कार्य-कारिणी में उद्योग-घन्धे का पृथक् प्रतिनिधित्व रक्खा जाय और उद्योग-घन्धों के प्रान्तीय विभाग भी हों। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भारतीय ऐसे सलाहकार-मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता बताई जिनमें भारतीय श्रौयोगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं और व्यापारी-मण्डलों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हों। उसकी राय में, जिन इन्जीनियर (इंस्ट्रुमेंटल और कैमिकल नौकरियों का प्रस्ताव किया जा रहा था उनका संगठन निम्नलिखित वेतन पर किया जाय और विज्ञान-विद्यालय व्यापारिक कालेजों की स्थापना करें और सरकार उनको मदद दे। रिपोर्ट की सिफारिशों में उद्योग-घन्धों को आर्थिक सहायता पहुँचाने वाली संस्थाओं का संगठन करने की सिफारिश नहीं की गई थी; इस पर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और श्रौयोगिक बैंक जारी करने पर जोर दिया। एक और प्रस्ताव-द्वारा कांग्रेस ने सरकार से झली-बन्धुओं को मुक्त कर देने की प्रार्थना की। मुद्र के बन्द हो जाने और अर्भूतपूर्व आर्थिक संकट के कारण कांग्रेस ने सरकार से अनुषेध किया कि मुद्र के कार्यों के लिए ४ करोड़ ५ लाख रुपये देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मन्दोरक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। उसमें सरकार से सिफारिश की गई कि विदेशी चिकित्सा-प्रणालियों के लिए जो मुक्तिपूर्व प्राप्त हैं उन्हींको अल्पसंख्यक और यूनानी प्रणालियों के लिए भी कर दी जाय।

इस वर्णन से यह मालूम हो जायगा कि एक ओर जहाँ इस कांग्रेस ने बम्बई-कांग्रेस के प्रस्तावों को प्रायः दोहराया वहाँ कुछ आगे भी कदम बढ़ाया। लेकिन यहाँ की कदम में यह मज-मिलान नहीं रहा जो बम्बई में (दिसम्बर १९१८) दिखलाई दिया था। मद्रास प्रान्त और अन्य नम-

दलवाले तो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत बम्बई-प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के अनुकूल था। और जब इन्स्टीट्यूट को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो यह निश्चय हुआ कि शिष्ट-मण्डल के सदस्य दिल्ली की मांग के लिए ही उद्योग करें। इससे वे लोग शिष्ट-मण्डल में से स्वतः ही निकल गये जो बम्बई-प्रस्ताव के पक्ष में थे। शास्त्रीजी ने "निराशा-जनक और असन्तोषजनक" शब्दों को निकाल देने का संशोधन उपस्थित किया और कहा कि १५ वर्ष की मीयाद को प्रस्ताव में से निकाल दिया जाय। लेकिन बहुमत से मूल-प्रस्ताव ही पास हुआ। अन्त में सुवराज का स्वागत-संबन्धी प्रस्ताव जहाँ-का-तहाँ रह गया।

अहिंसा मूर्त्त-रूप में—१९१६

दिल्ली-क्रांति से देश में कोई शान्ति स्थापित नहीं हुई। १९१६ के फरवरी में रौलट-बिल को अपना दर्शन दिया। वे दो बिल थे। एक तो अस्थायी था। उसका उद्देश था भारत-कानून के समाप्त हो जाने से जो स्थिति पैदा होती उसका मुकाबला करना। यह भी युद्ध के बाद स्थापित होने के ६ मास बाद। उसमें यह विधान था कि अन्तिमकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के जजों की अदालत में पेश हों और वे शीघ्र उनका फैसला कर दें। एष जिन स्थानों में अन्तिमकारी प्राय बहुत हों वहाँ अपील भी न हो सके। इस कानून-द्वारा यह अधिकार भी दे दिया गया था कि जो व्यक्ति अत्याचार करने का जिस व्यक्ति पर संदेह हो उससे जमानत ले ली जाय करे, उसे जमानत देकर अदालत में रहने और किसी खास काम को करने से रोकना जा सके। किसी व्यक्ति को ऐसा करने से पहले उसके विरुद्ध जो आरोप होंगे उनही जांच एक जज और गैर-सरकारी आदमी करा करेगा। तीसरे प्रांतीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति जिस पर उचित रूप से यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे अत्याचार करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक शान्ति-भंग होने की आशंका हो, तो वह उन्हें गिरफ्तार करके उचित स्थानों में बन्द कर दें और यह कि इन अत्याचारों या स्थिति में रहना पड़ेगा। और वे स्वतन्त्र आदमी, जो कि पहले से जेलों में हैं, उन्हें इस बिल के अनुसार लगातार जेल में रोक सकता जा सकता था। दूसरा बिल भारतीय सैनिकों-कानून में एक स्थायी परिवर्तन चाहता था। किसी राजदोही सामर्थी का प्रशासन विचारण करने के उद्देश से पाठ रचना, ऐसा अत्याचार करार दे दिया जाता जिसमें जेल की सजा सकती थी। यदि कोई व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को राजी हो तो उसकी रक्षा का भार अन्तिमकारियों पर रक्ता गया था। उन अत्याचारों के लिए, जिनके लिए सरकार की आज्ञा पाने से प्राप्त वे बिना मुकदमा नही चल सकती, जिला-मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया गया था कि वे पुलिस द्वारा उन सामर्थी की आशंका जांच करवा लें। किसी भी ऐसे आदमी से, जिसे राज्य के विरुद्ध अत्याचार करने में सहायता मिल चुका हो, उसकी सजा के बाद ही उसे सजा की नजरबंदी की जा सकती थी।

रौलट बिल का विरोध

रौलट-बिलों के बाद, ६ फरवरी १९१६ को, विलियम विन्सेट ने बड़ी कर्मिण में, रौलट बिलों को पेश किया। परन्तु बिल अर्थ के तीसरे अंग में एक संशोधन था जो रौलट बिल के अन्तर्गत था। भारतीयों ने यह स्वीकार की कि यदि रौलट-कमीशन की सिफारिशों को बिल का भाग दिया गया तो यह अत्याचार-मुक्त होके रहे। इसके लिए भारतीयों ने देश में सर्वत्र दौड़ा किया। उनका एक अन्तर्-संघ से उत्पन्न हुआ। भारतीयों को देश के लिए, अन्य नेताओं की अनेक, अन्तर्-संघ

के समान ही थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागत क्यों किया। सरकार इसका उत्तर अपनी ६१६ की रिपोर्ट में इस प्रकार देती है:—

“मि० गांधी अपनी निःस्वार्थता और ऊंचे आदर्शों के कारण आमतौर पर अल्पसंख्यक अनुयायीयों सम्भक्त जाते हैं। भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसके बावजूद उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वी देशों में एक तपस्वी और स्वामी-नेता को प्राप्त होना है। जबसे वह अहिंसकवाद में रहने लगे हैं, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। दलितों और पीढ़ियों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासियों को और भी दृढ़ हो गये हैं। बम्बई अहाते भर में तो, क्या देहात और क्या नगर, अधिकांश जगह उनका अत्यधिक प्रभाव है और उनकी सब पर धाक है। उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं उसके लिए 'पूर्व' शब्द का प्रयोग करना अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता। भौतिक-बल से उनका विश्वास आत्मबल में अधिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास हो गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग सत्याग्रह के रूप में रोलट एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सफलता पूर्वक आत्म-माया था। २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि बिल पास किये गये तो वह सत्याग्रह प्रारम्भ कर देंगे। सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिकों ने इस घोषणा को बहुत विन्दा की दृष्टि में देखा। बड़ी कौंसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सार्वजनिक रूप से ऐसे धारणों के अनिष्ट परिणामों को बतलाया था। धीमती वेसेन्ट ने तो, जिन्हें भारतीय मतोत्थित का अर्थ-ज्ञान था, गांधीजी को अत्यन्त गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी कि यदि उन्होंने कोई भी ऐसा आन्दोलन चलाया तो उससे ऐसी शक्तियाँ उभर उठेंगी जिनसे न-जाने क्या-क्या भयंकर सुराहियाँ हो सकती हैं। यद्यपि यह बात स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि गांधीजी के हल या घोषणा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनके आन्दोलन का भीमशैल होने से पहले सरकार उनके विषय में कोई कार्रवाई कर सकती। सत्याग्रह तो आत्मसमर्पणकारी नहीं रक्षात्मक पद्धति है। गांधीजी तो शुरू ही से पशु-बल की विन्दा करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि वह सविनय भंग के रूप में सत्याग्रह करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह रोलट-एक्ट का परित्याग कर दे। १८ मार्च को उन्होंने रोलट-बिल के सम्बन्ध में एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस प्रकार है:—

सच्चे हृदय से मेरा यह मत है कि इंडियन प्रिजिन्स तथा अरेस्टमेंट बिल न० १ और किमिनल इमरजेन्सी पावर बिल न० २ अन्यायपूर्ण हैं और न्याय और स्वाधीनता के सिद्धान्तों के धातक हैं। उनमें शक्ति के उन मौलिक अधिकारों का दमन होता है जिन पर कि भारत की और स्वयं राज्य की रक्षा निर्भर है। अतः हम शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि इन बिलों को कानून का रूप दिया गया, तो अवतक इन्हें लागू न ले लिया जाय जब तक हम इन तथा अन्य धारणों को भी, जिन्हें कि हमके बाद नियुक्त की जानेवाली कमिटी उचित समझेगी, मानने से सत्याग्रहपूर्वक हस्तकार कर देंगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन मुद्दों में हमसमानता के साथ सत्य का अनुसरण करेंगे और किसी के अन्याय को किसी तरह मुक्तमान न पहुँचावेंगे।”

देह ने चाहे तब से आन्दोलन में मूर्ख थाव दिया। हाँ, प्रारम्भ में बंगाल सरकार ने समर्थन दिया था। दक्षिण में भी उनमें आस्था थी। गांधीजी ने उनका यह साथ आन्दोलन का भी समर्थन किया। ३० मार्च १९३० का दिन इतिहास के लिए निश्चिन्त बना था। इस दिन लोगों को अत्यन्त सन्देश, ईश्वर प्रार्थना करने, प्रार्थना करने तथा देश में सार्वजनिक सभाओं करने के लिए कहा गया था। १९३० का यह दिन इतिहास के लिए निश्चिन्त बना था। १९३० का यह दिन इतिहास के लिए निश्चिन्त बना था।

तर्जनी की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नदी पहुँची। इसलिए वहाँ ३० मार्च को ही जल्लू
 ला और इकट्ठा हुई। गोली भी चली। इस दिन के जल्लू का नेतृत्व स्वामी अद्वयानन्दजी कर
 थे। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की धमकी दी। इसपर उन्होंने अपनी छाती खोल
 और कहा— 'लो, मारो गोली।' वच, गोरो की धमकी हवा में उड़ गई। लेकिन दिल्ली के रेलवे-
 उन पर कुछ भगदा हो गया, जिसमें गोली चली और ५ मरे तथा अनेक घायल हुए।
 'अप्रैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुआ।' सरकार की १९१६ की रिपोर्ट में कहा गया है— "सब लोग
 ही उनेजित थे। उस समय एक बात माकें को दिव्दार्द पड़ती थी। और वह था हिन्दू-मुस्लिम-
 त्वाव। अब दोनों जातियों के नेता बम इसी एकठा की रट लगाये हुये थे। हर समा में यही
 वाज निकलती थी। इस जोशो-खोश के जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतभेद भुला
 थे। वह भ्रातृ-भाव का एक अद्भुत दृश्य था। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम-
 ला पानी लेते-देते थे, जुलूसों के भयभे और मारों दोनों से हिन्दू-मुसलमानों का मेल ही प्रकट
 था। एक जगह तो एक मसजिद के इमाम पर खड़े होकर हिन्दू-नेताओं को बोलने भी दिया
 था।" इस प्रकार के मेल का एक वास्तविक कारण था। मुद्र के परचाटु टर्की की अस्वास्थ्य
 रसा हो गई थी। इसपर मुसलमान स्वभावतः बहुत खिन्न थे। साथ ही खिलाफत के लिए जो
 उपाय था उससे वो उनमें और भी उचेज्जा पैली हुई थी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन भाव-
 श्यों के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की।

देश ने इस विचारधारा को गुरन्त ही हृदय से अपनया। कांग्रेस तथा देश दोनों के लिए
 भीजी बहुत मान्य होगये थे। १९१८ की दिल्ली-कांग्रेस में शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के
 अन्ध में भी चित्तजन दास का एक प्रस्ताव था। उसमें गार्धीजी का नाम भूल से छूट गया था। भी
 गोमकेश चक्रवर्ती ने ज्योंही इस और प्रभावक का ध्यान लीचा, उन्होंने समा-वाचना करने हुए प्रति-
 थियों की सूची में गार्धीजी का नाम जोड़ दिया। इन्सीप्ट के लिए जानेवाने शिष्ट-मण्डल के सदस्यों
 भी उनका नाम था। १९१६ के अग्रैलमास से भारतीय इतिहास का नया अध्याय प्रारम्भ होता है।

पंजाब की दुर्घटनायें

भारतवासियों के बड़े सदन और संघों का दृश्य अब पंजाब में दिव्दार्द देने लगा जो कि विदेशी
 लोग च-पे और व्यापारिक धावभय के लिए भारत का द्वार बना हुआ है। पंजाब सिक्को तथा
 भारत की अन्य सैनिक जातियों का निवास-स्थान है। क्या पंजाब को, पदे-लिम्बे और कश्मिरी लोगों
 का जाने स्वाम्य आन्दोलन के लिए हतैमाल करने को खाली छोड़ दिया जाय? इसलिए पंजाब
 निरकुरा शासक सर भार्बेल जोधपर इस बात पर मुला हुआ था कि वह अपने प्रान्त में कांग्रेस-
 आन्दोलन की छूट की बीमारी को न फैलने दे। और वास्तव में कांग्रेस और उसमें इस बात पर समा-
 स्ती थी कि आधा १९१६ में अगस्तमास में होनेवाली कांग्रेस पंजाब में हो या न हो। १० अग्रैल १९१६
 दिन प्रातःकाल ही अगस्तमास के जिम्-अज्जेट ने डाक्टर किचलू और डाक्टर मत्तल को,
 कि कांग्रेस का सगटन कर रहे थे, अपने बगने पर मुला भेज और वहाँ में खुलवाने की अज्ञात
 मन को भेज दिया। इन चान्त में एक मननशी पैल गई। मगर चीजन ही दूर-दूर तक पहुँच गईं
 और लोगों का एक मुद्र जिम्-अज्जेट के वहाँ उनका पत्ता पढ़ने के लिए जानेवाला था, अन्य उन
 लोगों पर, जो सार में किचलू-काइन की चीज जते हुए किचलू-काइन को सार के बीच में है,
 भी निरकुरे ने भीड़ को रोक लिया। और अब वर रँगे के पैदले को बहानी आता है, जो सार
 की मदद के लिए एकदम सार ररता है। भीड़ पर कोली पल्लर गईं, जिसे बल स्वयं एक सार

की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग मारल हुए। लोगों की भीड़ अब शहर को वापस लौटी और मरे हुए और घायलों का शहर में होकर गुलूस निकाला। रास्ते में नेशनल बैंक की इमारत में आग लगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला। इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अप्रैल को भाग और बैंक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। स्वभावतः अधिकारी इन घटनाओं से आगबधूला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आग १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे।

गुजरातवाला और कच्छ में बहुत अधिक खून-रगामी हुई। कच्छ में तो १२ अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार और सिगनल तोड़ डाले। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो लिफाहियों को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये। एक ब्रांच-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जला डाला। मुन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। यह सरकारी बयान का सारास है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी।

गुजरातवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को पेर लिया, और उस पर पत्थर बरसाये। एक छोटे-से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहां कि गांव का एक मठ बग्घा लटका हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उस पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-पर, डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी। डाक-बंगला, कलकटरी, कचहरी, एक गिरजा, एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये ही हुईं खास खास घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुई। जैसे रेलगाड़ियों पर पथरों का फेंका जाना, तारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में आग का लगाया जाना।

इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इनके-तुक्के दिखा-कांड हुए। लाहौर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुदूर स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुपेंड-नाओं की बात सुनकर तथा स्वामी भद्रानन्द और डॉ० सत्याल के कुत्साने पर गांधी जी ८ अप्रैल को दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुबम मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुकम को मानने से इनकार कर दिया। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें बिठा कर १० अप्रैल को रम्बरई भेज दिया गया।

गांधीजी की गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्रव हो गये, जिनमें कुछ अंग्रेज और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को वीरमगांव और नईपाद में भी कुछ उठाव हुए। कलकत्ते में भी उपद्रव हुआ था—वहां शीली चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी जान से मारे गये थे और १२ हुरी तरह घायल हुए थे। रम्बरई पहुंच कर गांधी जी ने स्थिति को जानने में मदद की और फिर वहां से अहमदाबाद को चल पड़े। उनकी उपस्थिति ने स्थिति स्थानिक बनने में बहुत काम किया। इन उपद्रवों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया

रही थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक पौजी-कानून जारी करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक रूप में पौजी-कानून जारी था। सब पृष्ठिए हो लाहौर और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को ही पौजी कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों में यह और जारी कर दिया गया था। १३ अप्रैल (बर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के सबत्सर का दिन था, अमृतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जलियांवाला-बाग में एक बड़ी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए हैं। इसका दरवाजा बहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती। बाग में अब बीच हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुस्तक, खियाँ और कच्चे मी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय वे लोग मुझे उस समय हंसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने मुझे ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया। जैसे कि इन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर-बितर होने की आज्ञा दी और फिर बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह बात तो स्पष्ट ही है कि बीच हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-बितर नहीं हो सकते थे। और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही उम्र दरवाजे में होकर। गोली तब तक चलती रही जब तक कि सारे कारतूस खतम नहीं हो गये। कुल सोलह सौ पैर किये गये। वे। सरकार के स्वयं अपने बयान के मूलविक पार सौ मरे और घायलों की संख्या एक और दो हजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी पौजों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरे सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब-के-सब बाग में एक ऊँचे स्थान पर खड़े हुए थे। सबसे बड़ी दुःखद बात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो सख्त घायल हो गये थे, उन्हें सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया। वहाँ उन्हें रातभर न तो पानी ही पीने को मिला और न डाक्टरों या कोई अन्य सहायता ही। डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उगने प्रकट किया, “चूँकि शहर पौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की खोटी पिटवा दी गई थी कि कोई भी सभा करने की आज्ञा नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की, इसलिए मैंने उन्हें एक सबक बसा देना चाहा, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।” आगे चलकर उसने कहा कि “मैंने और भी गोली चलवाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। सोलह सौ बार ही गोली चलवाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे।” उसने और कहा—“मैं तो एक पौजी गाड़ी (आरम्भ कार) ले गया था, लेकिन वहाँ जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे वहीं बाहर छोड़ दिया था।”

जनरल डायर के राग्य में कुछ ऐसी सज्जयों भी देखने को मिली जिनका धरने में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने बँत खगाना आम तौर पर चालू था। लेकिन ‘पेट के बल रँगने के हुक्म’ ने इन सब को भाव कर दिया था। मिश रोगगुह नम की एक पादरी लेडी-डाक्टर पर उस समय कुछ लोगों ने आक्रमण किया था जब कि वह एक गली में सार-कल पर होकर जा रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले इरेक आदमी को पेट के बल रँगकर जाने की आज्ञा थी। उस गली में जिवने आदमी रहते थे, सभी को पेट के बल रँगकर जन्म और

की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगों की भीड़ शहर को वापस लौटी और मरे हुए और घायलों का शहर में होकर जुलूस निकाला। रास्ते में नेशनल-बैंक की इमारत में आग लगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला। इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अंग्रेजों को मारा और बैंक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। सभावातः अधिकारी इन घटनाओं से आगबबूला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आग १० अप्रैल को शहर को जल के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे।

गुजरातवाला और कस्बे में बहुत अधिक खून-खवची हुई। कस्बे में तो १२ अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुँचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार और सिगनल तोड़ डाले। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो सिपाहियों को इतना पीटा कि उनके प्राण निकल गये। एक ब्राच-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जला डाला। मुन्सिफी कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। यह सत्कारी बयान का सारांश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजित दिलाई गई थी।

गुजरातवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उस पर फायर बरसाये। एक छोटे-से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहाँ कि गांधी का एक मय बच्चा लटका हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं की भावनाओं को ठेग पहुँचाने के लिए उसे पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-पार, डाक-वाला और रेलवे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी। डाक-वाला, कलकटरी, कचहरी, एक गिरजा, एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये तो हुईं आस-आस घटनाएँ। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़बड़ हुई। जैसे रेलगाड़ियों पर फायर का पैका जाना, टारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में आग का लगाया जाना।

इसी दिनों में देश के विभिन्न भागों में हक्क-दुकके हिंसा कांड हुए। लाहौर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे गुरू स्थान से भी बुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की सुप्रीम न्यायाधीश की बात सुनकर तथा स्वामी भद्रानन्द और डॉ० मदनमल के बुलावे पर गांधी जी ८ अप्रैल को दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुकम मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करें। उन्होंने इस हुकम को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक संसल ट्रेन में उन्हें बिना कस १० अप्रैल को पंजाब भेज दिया गया।

गांधी जी का गिरफ्तारी के समाचार से सारसवादी में बड़ी उत्तरोत्त हो गई, किन्तु कुछ घण्टों और कुछ हिन्दुस्तानी सचकार जान से मरे गये। १२ अप्रैल को बीकानेर और नईवादी में भी कुछ उत्तरोत्त हुए। कलकत्ते में भी उत्तरोत्त हुआ था—वहाँ गोली चली थी, किन्तु ३ का ६ अप्रैल को जान से मारे गये थे और १२ बुद्धि का ६ घण्टा हुए थे। पंजाब पहुँच कर गांधी जी ने लिखा कि राज्य जाने से मरने की और फिर वहाँ से सारसवादी को भय पड़े। उनकी उपस्थिति में शांति का नाम ही बतल नाम कि १२। इन उत्तरोत्तों के कारण उन्होंने सारसवादी को सारसवादी का रिहा

रही थी। यह स्मरण रखना चाहिए कि ११ अप्रैल तक फौजी-कानून जारी करने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से ही व्यावहारिक रूप में फौजी-कानून जारी था। सच यह है कि लाहौर और अमृतसर में तो १५ अप्रैल को ही फौजी कानून जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो तीन जिलों में वह जारी कर दिया गया था। १३ अप्रैल (वर्ष-प्रतिपदा) को, जो कि हिन्दुओं के सवत्सर का दिन था, अमृतसर में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जलियांवाला-बाग में एक बड़ी भारी सभा हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए हैं। इसका दरवाजा बहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती। बाग में जब बीस हजार आदमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी थे, जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया। उसके पीछे सरासरी छौ हिन्दुस्तानी मिर्गही और पचास गोरे सैनिक थे। जिस समय ये लोग घुसे उस समय हंसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल डायर ने घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया। जैसे कि इन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही में उसने कहा था कि उसने लोगों को तितर-बितर होने की आज्ञा दी और फिर बस गोली चलाने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि तितर-बितर हो जाने के हुक्म देने के तीन मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह बात तंग स्पष्ट ही है कि बीस हजार आदमी दो-तीन मिनट में तितर-बितर नहीं हो सकते थे। और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तंग दरवाजे में होकर। गोली तब तक चलाती रही जब तक कि सारे कारतूस खतम नहीं हो गये। कुल सोलह सौ फौर किये गये थे। सरकार के स्वयं अपने बयान के मुताबिक चार सौ भरे और घायलों की संख्या एक और दो हजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजों से चलावाई गई थी, जिनके पीछे गोरे सिपाहियों को लगा दिया गया था। ये सब-के-सब बाग में एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए थे। सबसे बड़ी दुःखद बात वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो सख्त घायल हो गये थे, उन्हें सारी रात वहीं पड़ा रहने दिया गया। वहां उन्हें रातभर न तो पानी ही पीने को मिला और न डाक्टरों या कोई अन्य सहायता ही। डायर का कहना था, जैसा कि बाद को उसने प्रकट किया, “चूंकि शहर फौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की खोटी पिट्ठक दी गई थी कि कोई भी सभा करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो भी लोगों ने उसकी अवहेलना की, इसलिए मैंने उन्हें एक सबक बताने का आदेश दिया, ताकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।” आगे चलकर उसने कहा कि “मैंने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे पास कारतूस होते। सोलह सौ बार ही गोली चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे।” उसने और कहा—“मैं तो एक फौजी गाड़ी (आरमद कार) ले गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि वह बाग के भीतर घुस ही नहीं सकती थी। इसलिए उसे वहीं बाहर छोड़ दिया था।”

जनरल डायर के राज्य में कुछ ऐसी सजायें भी देखने को मिलीं जिनका सपने में भी खयाल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने बँठ लगाना आम तौर पर चालू था। लेकिन ‘पेट के बल रेंगने के हुक्म’ ने इन सब को मात कर दिया था। मिश रोयटुट नाम की एक पादरी लेडी-डाक्टर पर उस समय कुछ लोगों ने आक्रमण किया था जब कि वह एक गली में सार-कल पर होकर जा रही थी। इसलिए उस गली में निकलनेवाले हरेक आदमी को पेट के बल रेंगकर आने की आज्ञा थी। उस गली में जितने आदमी रहते थे, सभी को पेट के बल रेंगकर आना और

की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए। लोगों की भीड़ अब शहर को वापस लौटी और में हुए और घायलों का शहर में होकर बलूच निकाला। रास्ते में नैशनल बैंक की इमारत में आग लगा दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला। इस प्रकार लोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ अप्रैल को माय और बैंक, रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। स मावत: अधिकारी इन घटनाओं से आगबबूला हो गये। स्थानीय अधिकारियों ने अपने ही आग १० अप्रैल को शहर फौज के अधिकार में दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति दे देंगे।

गुजरानवाला और कपूर में बहुत अधिक खून-खराबी हुई। कपूर में तो १२ अप्रैल को भीड़ ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार और सिगनल तोड़ डाले। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, जिसमें कुछ यूरोपियन थे। दो सिपाहियों को इनका पीटा कि उनके माथ निकल गये। एक ब्राच-पोस्ट आफिस को लूट लिया। मुख्य पोस्ट आफिस को जला डाला। मुन्सिफ की कचहरी में आग लगा दी, और भी बहुत-सी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। यह सरकारी बयान का सारांश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजा दिलाई गई थी।

गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उस पर फयर बरसाये। एक छोटे-से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहां कि माय पर एक मय बच्चा लटका हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला और हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसे पुल पर टांग दिया था। इसके साथ-ही-साथ तार-पग, बाक-खाना और रेलवे-स्टेशन में भी आग लगा दी थी। बाक-बंगला, कलकट्टी, कचहरी, एक गिरजा, एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये ठां हुई खास खाम घटनायें। अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ मइबद हुईं। जैसे रेलगाड़ियों पर फयरों का फैंका जाना, तारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में आग का लगाया जाना।

इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्के हिंसा-कांड हुए। लाहौर में भी लूटमार हुई और गोली चली। कलकत्ते जैसे सुबुर स्थान से भी थुरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुपंड-नाओं की बात सुनकर तथा स्वामी अद्दानन्द और डॉ० सत्यानास के बुलाने पर गांधी जी ८ अप्रैल को दिल्ली के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें हुकम मिला कि पंजाब और दिल्ली के भीतर प्रवेश न करो। उन्होंने इस हुकम को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें बिठा कर १० अप्रैल को नम्बई भेज दिया गया।

गांधीजी का गिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उग्रद्वंद हो गये, जिनमें कुछ अहिंस और कुछ हिन्दुस्तानी अफसर जान से मारे गये। १२ अप्रैल को बीरमगांव और नईवाड में भी कुछ उग्रद्वंद हुए। कलकत्ते में भी उग्रद्वंद हुआ था—यहां गोली चली थी, जिनमें ५ या ६ आदमी जान से मारे गये थे और १२ बुरी तरह घायल हुए थे। नम्बई पहुंच कर गांधी जी ने स्थिति को शांत करने में मदद की और फिर वहां से अहमदाबाद को चल पड़े। उनकी उपस्थिति ने स्थिति शांत करने में बहुत काम किया। इन उग्रद्वंदों के कारण उन्होंने सत्याग्रह को र्थांतर कर दिया और उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य निकाला।

एक और बर स्थिति थी तो दुसरी और अगुत्तर में दुपंडव्यवे विघट-रूप धारण करती जा

अभियोग का इतिहास : भाग २

था था, हालांकि उध गली में रनेचले भले आदिमिणे ने ही मित टोपुड की एा की दी। यह है कि यही कौचिल में क्वार्टर-माटर कमल इरुमन के लिए पर फट्टर एकराई स गई थी।

अने स्टेशनो पर लीगरे हजे का टिकट बेचने की मन्दी कर दी गई थी। इच्छे भोगो पर लम मतीर पर ५-६ हो गया था। दो आदिमिणे से अधिक एक साथ पटरियों पर ली वर आदिमिले सब की सब पीर ने अपने कब्जे में ले ली थी। केवल यूरोपियन लोगों के उनके पास रहने की गई थी। कि लोगो ने अन्ति दूकानों पर कर दी थी उन्हें खेलेक किया गया। न खोलने वाले के लिए कटोर दफ्त की छाया थी। पोंमें ही केवल पेटे निपट कर दी थी। रेलगाडियां उन्हांने अपने कब्जे में कर ली थी। अिले के देवेन्य सामने बैठ लगाने के लिए एक परवण बनठया गया था घोर शरर के अनेक लोगों के लिए टिकटिकियां लगया दी गई थी।

मृतगर में रास प्रदालय प्राग जिन मुकदमों का पैगला किया गया था, उनके कुवु को १ संगीम जुओं के अभियोग में २६८ आदिमियों पर मार्शल-ला-कमीशन के सामने मुफ्त रमा चलाने में कानून, गपई तथा जाओ के साधारण नियमों के पालन करने का मार आमतीर पर हर जगह मुकदमे चलाने जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रम्य गया था २६ आदिमियों को सजायें दी गईं। ५१ को फांसी की सजा; ४६ को आज़म बलाघर्न १० बरस की सजा, ७२ को ७-७ बरस की सजा, -१० को ५-५ की, १३ को १३ के बहुत थोड़ी-मीयाद को सजायें दी गईं। इसमें ये मुकदमे शामिल नहीं हैं किमका पैलर जी अफसरों ने किया था। इनकी संख्या ६० थी, जिनमें से ५० को सजा हुई थी, और यों को मार्शल-ला के अनुसार मुल्की मजिस्ट्रेटों ने सजा दी थी।

कमिटी के सदस्य जस्टिस हैंकिन के प्रश्न के उत्तर में जनरल बायर ने जो उत्तर दिए हम यहां देते हैं :—

हैंकिन—जनरल, मुझे इस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा क्षमा कीजिए, कि आपने यह क्या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था ?

जनरल बायर—नहीं, वह भय प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कर्तव्य था, जिसका मुझे पड़ा। मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। मैंने सोचा कि मैं खूब अच्छी तरह और इतने जोर के साथ चलाऊं कि मुझे या अन्य किसी को फिर कभी गोली न मेरा खयाल है कि यह सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं भीड़ को विज-

कथिम का इतिहास : भाग २

हाजिरी ली जाती थी तभी एक हाजिरी का स्थान कायेज में 'क' भीड़ की दूरी ल था। कदम ल
 कांचे की भूय में, कोक पत्थर में कां का लको अथिद कार्य मदेज होला है और अर्क ल
 दिमी से ऊपर होती है, इन लोकाओं को लेखना एह मोल पैरम पल्लव पदक था। इन्हे
 भी एलो में देहोश होकर मार भी लो नें। कर्नल जनिमन का मकाम था कि इमने इनसे ह
 है और ये सुगम्य करने से बाज गदो है। एक बायेज की दीवार में पेशी कदम प्रल
 एक दासा गया था। इस अगम्य में कालेज के केजभोगी को कर्मचारी, जिन्हे कदम
 भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिये गये थे और पेशी परों में उन्हें किये तक कदम ल
 गया था, जहाँ कि यह पेशी परों में तीन दिन तक कैद रखे गये थे। किये के
 उन्हें रहने को स्थान दिया गया था।

इतना होने पर भी कर्नल जनिमन, इन दिनों में जे-नुय भी उ-होने किये उसके, बत
 और लाहौर के यूरोपियनों ने लो उन्हें बिदाई देते समय एक दापत दी थी और "कदम
 की उपाधि से अलङ्कृत करके उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। गुज्यानगला में कर्नल को
 कदम में कैप्टन होयटन ने और रोम्पुय में मिटर कथिम ने कदम और पर कदम
 लू ही नाम कमाया था।

कर्नल अरोत्रायन ने कथिरी के सामने अगनी गपारी में कहा था कि भीड़ जहाँ कहीं पाई ग
 पर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में कही थी। एक क
 जहाज ने, जो कि लेफ्टिनेन्ट डॉक्ट्रिन्स के पार्स में था, एक सेत में २० किलों के
 था। उन्होंने उन पर मशीनगन से वष तक गोली चलाई जब तक कि वे भाग नहीं गये।
 एक मकान के सामने आदमियों के एक भुयड को देखा। वहाँ एक आदमी व्याख्यान दे ग
 लिए वहाँ उन्होंने उन पर एक बम गिरा दिया। क्योंकि उनके दिल में इस तरह का कोई
 था कि वे लोग किसी शादी या मुर्दनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर कार्बी वह सम्ब
 लोगों के एक दल पर इसलिए बम बरसाये कि उन्होंने सोचा कि ये लोग बलचार्ड हैं, जे
 जा रहे हैं। उन्हीं के शब्दों में मुनिः—

लोगों की भीड़ दीड़ी जा रही थी और मैंने उनको विवर-बिवर करने के लिए गोली चला
 भीड़ विवर-बिवर हो गई, मैंने गांव पर भी मशीनगन लगा दी। मेरा स्थाल है कि कुछ
 गोलियाँ लगी थीं। मैं निर्दोष और अपगधी में कोई पहचान नहीं कर सकता था। मैं दो
 ऊंचाई पर था और यह भले प्रकार देख सकता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उदेष
 ल बम बरसाने से ही नहीं हुई। गोली केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं चलाई
 स्वयं गांव वालों के हित के लिए चलाई गई थी। यह लो गांव में, गांववाला क-

खुलेआम फांसी देने के लिए एक फांसी-घर बनाया गया। यह स्थान वहाँ निवासियों के लिए आवकग्रह होगया था। रेलवे-स्टेशनके पास एक बड़ा पिंजड़ा बनाया गया था, जिसमें १५० रक्ते जा सकते थे। जिन लोगों के ऊपर सदेह होता था उन्हें इसमें बन्द कर दिया जाता था, आम जनता उन्हें देख सके। नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड सन्मुख करने के लिए जाती थी।

लोगों को खुलेआम बैठ लगवाये गये। लोगों को धिर से पैर तक नगा करके तार के या टिकटिकियों से बाधा जाता था। यह सार्वजनिक प्रदर्शन सोच समझ के निश्चित किया हुआ एकबार नंगा करके पिटा हुआ देखने के लिए शहर की वेश्याओं को लाया गया था। इस के लिए कैप्टन साहब को इण्टर-कमीशन के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया तो 'शर्म' मालूम हुई थी—ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नल जॉनसन को एक बरत को बैठ लगाने के मामले में फर्मिटी के सामने 'दुःख हुआ था'। कैप्टन साहब का कहना था कि उन्होंने पुलिस इन्स्पेक्टर को हुकम दिया था कि बदमाशों को बैठ लगते देखने के लिए लोगों को बुला लाए लेकिन जब वहाँ मैंने बिरों को देखा तो मैं दग रह गया। परन्तु कैप्टन साहब उन वेश्याओं वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके पास उस समय उन्हें पहचानने के लिए सिगही न थे। लोगों की मार देखने के लिए वहाँ-की-वहीं बनी रहीं।

कैप्टन डोवटन छोटी-मोटी सजाओं का आविष्कार करने में बड़े दक्ष थे। उनके आविष्कार करने में उनका एकमात्र उद्देश यह था, उनको "इतना श्वासान और नरम बनाना" जितना कि उनकी परिस्थिति में सम्भव था। फौजी कानून के अपराधियों से रेलवे-स्टेशनों के माल गोदामों पर माल गाड़ियों में माल लादने और उतारने का काम लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसा नियम चलाया जिसके अनुसार लोगों को नाक रगड़नी पड़ती थी।

मि० बॉसवर्थ स्मिथ एक निवृत्त न्यायाधीश थे।

अन्य स्थानों में हुआ था, उनके यहाँ से भी बैठ की सजायें दी जाती थीं। और, अदालत उठते ही अपराधियों के बैठ लगवा दिये जाते थे। ६ मई से २० मई तक उन्होंने ४७७ आदमियों के मुकदमे किये थे।

फौजी अधिकारियों ने एक हुकम जारी किया था, जिसके अनुसार स्कूल के लड़के वाप्य वे कि वे दिन में तीन बार परेड करें और भयंते को सलामी दें। यह हुकम स्कूल की छोटी जमातों के बच्चों के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ बरस तक के बच्चे भी शामिल थे। कितने ही बच्चे लू लय कर मर गये थे। कुछ मौकों पर लड़कों से, यह बरलाया जाता था, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे अपसोस है, मुझे अपसोस है, मुझे अपसोस है।"

मेजर स्मिथ से, जो कि गुजरातवाला, गुजरात और लायलपुर में फौजी कानून के अधिष्ठाता थे, जब सर चिमनलाल सोवलवाड ने पूछा कि "आया यह हुकम उनके सारे इलाके-भर में लागू कर दिया गया था और आया यह सब बलात्कों पर लागू था और छोटे बच्चोंकी बलात्क भी उसमें शामिल थी?" मेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाके में जहाँ-जहाँ फौजी थी वहाँ-वहाँ सब जगह हुकम किया गया था। यहाँ तक कि पांच और छः बरस तक के बच्चों से भी परेड करारं जाती थी। लेकिन छोटे बच्चों को शाम की परेड में शामिल होने से बरी कर दिया गया था।

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

सर दीनशा वाचा ने यह घोषित किया कि इनडेमिटी-बिल के सम्बन्ध में सरकार है यह ठीक है। भी बेसेण्ट, जो अब तक बराबर गांधीजी से लड़ती रही थी, बोली कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसपर कि किसी ईमानदार नागरिक को ऐतयज्ञ हो सके। 'की भीड़ सिपाहियों पर रोने बरसाये तब सिपाहियों को गोली के कुछ पैर करने की आज्ञा अधिक दयापूर्ण है।' इस लेख के बाद ही भीमती बेसेण्ट के नाम के साथ यह वाक्य—'बेसेण्ट के बदले में बन्दूक की गोलियाँ'—सदा के लिए जुड़ गया था। इस समय भीमती बेसेण्ट के मित्रों का सलाह को पहुँच गई थी।

२० और २१ अप्रैल को महासमिति की बैठक हुई, उसमें सरकार ने गांधीजी को विप्लव से देश-निकाले का जो हुकम दिया था उसका विरोध किया गया और विप्लव में विप्लवियों की जांच करने पर जोर दिया गया। देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थिति पैदा थी उसको मद्देनजर रखते हुए भी विद्वलभाई पटेल और भी नृसिंह चिन्तामणि बेलकर का एक मसौदा इंग्लैण्ड भेजने का भी निश्चय हुआ। ये लोग २६ अप्रैल १९१६ को इंग्लैण्ड के रवाना भी हो गये थे। ८ जून को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई। इधर गवर्नर रल ने २१ अप्रैल को ही एक आर्डिनेन्स जारी कर दिया था, जिसमें विप्लव की सरकार को यह अधिकार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने बर्ष हुए हों उनका मुकदमा वह खास फौजी अदालत कर सके। गिरफ्तार शुदा लोगों को अपने इच्छानुसार बकील चुनने की इजाजत नहीं थी। देश-निकाले के प्रमुख पत्रों के सम्पादकों ने, भीमती बेसेण्ट ने और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी, एडवोकेट साहब को विरोध किया था कि वह विप्लव जाकर दुर्पटना और उपद्रव के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से जांच करे। पर वह वहाँ गिरफ्तार कर लिये गये। ८ जून की बैठक में इस और अन्य दूसरे मामलों का विचार हुआ था। उसमें यह बात भी सुझाई गई कि वहकीकात के लिए जो कमिटी नियत हो चुकी है, विप्लव जाकर इस बात की जांच करे कि सर माइकेल ओडायर के शासन में फौज के लिए रवाना करने में किन दृष्टवर्तियों और दंगों को काम में लाया गया था, किस प्रकार 'लेबर कोर' में शामिलियों को भरती किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, और फौजी कानून के दिनों में किस प्रकार शासन किया गया था। मि० हार्निमैन को इसलिए देश-निकाला कर दिया गया कि उन्होंने 'बाम्बे क्रान्तिकल' में सरकार की विप्लव-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निन्दा की थी। महासमिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरदार हार्निमैन साहब को दिने देश-निकाले के हुकम को मसूल कर दे।

यहाँ पर प्रसंगवश यह बात भी बताना अनुचित न होगा कि हार्निमैन साहब के बर्ताने जाने के कारण लोगों को एक राष्ट्रीय-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसकी 'यंग-इण्डिया' द्वारा पूर्ति करने का यत्न किया गया। प्रारम्भ में 'यंग-इण्डिया' को भी जमनादास द्वारकादास ने होमरूल के दिनों में निकाला था। बाद में वह एक सत्या के दायों में आ गया। भी शंकरलाल बंसल इस संस्था के एक सदस्य थे। जब मि० हार्निमैन को देश निकाला दे दिया गया, और 'बाम्बे क्रान्तिकल' के ऊपर कड़ा सेंसर बिठा दिया गया था, तब गांधी जी ने 'यंग-इण्डिया' को अपने दायों में ले लिया।

हाँ, तो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह विप्लव की दुर्पटनाओं की जांच करे, इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड तथा भारत दोनों स्थानों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे और इस कार्य के लिए धन एकत्र करे। इस कमिटी में बाद में, यानी १६ अक्टूबर को, गांधीजी, एडवोकेट

हे, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस बात का विश्वस्त रहित
 जिन जान-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया था वह निरुक्त की जा रही है। सर्वभारत के
 मिलते हुए मेरी ओर से यह बड़ी ही न्यायमन्त्री होगी, यदि मैं सरकार की चेतावनी
 दूँ। वास्तव में ...

सरकार की ... उन पञ्जाबी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्याय पूर्वक सजा दी गई
 यह भी बड़ी ही निर्दयतापूर्वक, और भी अधिक तेजा करूँगा, यदि मैं इस समय कठोर
 कर दूँ। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। अब मेरा
 सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रोलट-कानून और उसे कानून की कितान में न
 रखने का इत देश में हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का
 उपाय यही है कि उस कानून को वापस लेलिया जाय। भारत-सरकार ने उस बिल के समर्थन
 कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय-सरकार ने ...

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड सेलवार्न की अध्यक्षता में संयुक्त पार्लियामेण्टरी कमिटी की बैठक
 रही थी। अब हम यहाँ भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्डलो की कार्यवाही को देखें, तो
 हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल से ही है, जिसमें श्री विठलभाई पटेल और श्री
 राय ने बड़ी योग्यता से भारतवर्ष का पद उपस्थित किया था। इनके साथ लोकमान्य तिलक, दिन
 चन्द्र पाल, गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे, बाबुटर प्राणजीवन मेहता, ए० रङ्गास्वामी आयरर, सर्व
 मण्य केलकर, सय्यद हसनरहमान, डा० साक्ये, मि० हार्निमैन आदि भी थे। इस शिष्ट-मण्डल
 काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रखे। श्री० बी० पी० माधवराव
 राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता और सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतन्त्र-मिथ तन्त्र
 ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता को नजरो में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि०
 (एम० पी०) जैवों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों में
 सार्व सभाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन सभा के भवन में उन्हें विचार
 दावत दी और भारतीय राष्ट्र-महासभा को सद्गानुभूति का सन्देश भेजा। स्वतन्त्र-मजदूर-दल ने
 ग्लासगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयलैंड और मिच के साथ
 साथ भारत की भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रश्न 'नैशनल प
 कीसिल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्थापने में होने वाले
 अपने वार्षिकोत्सव में माँग की कि "अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सरकार रखते हुए, आत्म-निर्णय
 के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनर्स्वंगठन किया जाय।" पञ्जाब के जोसे-कुम्भ
 तो सभी संस्थाओं ने समान-रूप से प्रबल विरोध किया।

श्री विठलभाई पटेल और कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में बुद्धि मुकाबला था। एक ओर
 तो उन्हें कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी से मुलभना था, दूसरी ओर श्रीमती बेसेण्ड से जो अपनी शक्ति
 शक्ति के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल आत्म-निर्णय और पूर्ण उत्तर
 दायी शासन की माँग के साथ दिल्ली वाले प्रस्ताव पर जोर दे रहा था। मादेरा-योकन में जिनके

है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस बात का विश्वास दिलाया गया है जिस जाच-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना के इन प्रश्नों मिलते हुए मेरी ओर से यह वही ही नासमझी होगी, यदि मैं सरकार की चेतावनी पर ध्यान दूँ। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना -

कर दूँ। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। अब मेरा कमी-सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रौलट-कानून और उसे कानून की किताब में क्यों-क्यों रखने का हठ देश में हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का एक-उपाय यही है कि उस कानून को वापस लेलिया जाय। भारत-सरकार ने उस बिल के समर्थन में कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा अक्षर नहीं हुआ है जिसे उन्हें विरोधी रूप में कोई परिवर्तन हो जाय।" अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को हटा दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बढ़ावें और स्वदेशी के प्रचार में सक्रिय सहयोग प्राप्त करें।

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड सेल्वार्न की अध्यक्षता में संयुक्त पार्लियामेण्टरी कमिटी की बैठक हो रही थी। अब हम यहाँ भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्डलों की कार्यवाही को देखें, यहाँ हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट मण्डल से ही है, जिसमें श्री विठ्ठलभाई पटेल और बी०पी० माधवचन्द्र पाल, गणेश भीकृष्ण स्वामि, डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रत्नास्वामी आर्यंगर, नृसिंह चिन्मणि केलकर, सय्यद हसनइमाम, डा० साह्ये, मि० हार्निमैन आदि भी थे। इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि यह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रखे। श्री० बी०पी० माधवराव मैथिली के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता और सौजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतन्त्रता-प्रिय स्वभाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता की नज़रों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि० बेन ह्यू (एम० पी०) जैसी ने उनकी भूरे-भूरे प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों में प्रचार-पर्यटन का आयोजन किया गया। मन्त्र-दल ने कामन सभा के भवन में उन्हें विचारों का प्रवचन दी और भारतीय पत्र-महासभा को सहानुभूति का संदेश भेजा। स्वतन्त्र-मन्त्र-दल ने साठगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आपलैण्ड और मिस्र के वाष-राज्य भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया। इस प्रकार 'नेशनल पब्लिशिंग' ने भी अपने कारिंदोतर में प्रस्ताव पारित किया; और मन्त्र-दल ने स्थायी में होने वाले अपने कारिंदोतर में माँग की कि "प्रत्येक संसदीय कमेटी के लिए पचास सदस्य रखे हुए, आत्मनिर्णय सिद्धांत के अनुसर, भारतीय सरकार का पुनर्स्थापन किया जाय।" पचास के आगे-पुछ के सभी सत्याग्रहों ने समर्थन रूप से प्रस्ताव विरोध किया।

श्री विठ्ठलभाई पटेल और कांग्रेसी शिष्ट मण्डल का लन्दन में दूरत मु...
 उन्हें कांग्रेस की ब्रिटिश कमिटी से मुक्त-जनता था, दूसरी...
 के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थी। कांग्रेसी...
 की हारन की माँग के साथ रिज़ी करने प्रस्ताव -

हे, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस बात का विश्वास दिलाया कि जिस जान-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना के इन प्रमिलते हुए मेरी ओर से यह बर्फी हो नासमझी होगी, यदि मैं सरकार की चेतावनी पर नहीं दूँ। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने का सत्याग्रही कभी सरकार को विरम-स्थिति में डालना नहीं चाहता। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सरकार की ओर उन पञ्जाबी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्याय-पूर्वक सजा दी गई है, वह भी बर्फी ही निर्दयतापूर्वक, और भी अधिक सजा करूँगा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को नहीं कर दूँ। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। अब मेरा सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रौलट-कानून और उसे कानून की कितान में अंग्रेज रखने का इत देश में हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का उपाय यही है कि उस कानून को वापस ले लिया जाय। भारत-सरकार ने उस बिल के समर्थन में कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा अछर नहीं हुआ है। विरोधी बल में कोई परिवर्तन हो जाय।" अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को बतला दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बढ़ावें और स्वदेशी के प्रचार में सका सहयोग प्राप्त करें।

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड सेलवान की अध्यक्षता में संयुक्त पार्लियेण्टरी कमिटी की बैठक रही थी। अब हम यहाँ भारत से इंग्लैण्ड को गये हुए शिष्ट-मण्डलों की कार्यवाई को देखें, जिनका हमारा मुख्य सम्बन्ध कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल से ही है, जिसमें श्री विठ्ठलभाई पटेल और श्री ० पी० दासराव ने बड़ी योग्यता से भारतवर्ष का पक्ष उपासित किया था। इनके साथ लोकमान्य तिलक, दिनेशचन्द्र पाल, गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे, डाक्टर प्राणजीवन मेहता, ए० रत्नास्वामी आचर, सुविह विठ्ठल मण्य केलकर, सय्यद हसन-इमाम, डा० साठ्ये, मि० हार्निमैन आदि भी थे। इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रखे। श्री० पी० दासराव ने इस राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता और सीजन्य तथा स्पष्टवादिता और स्वतन्त्रता-मित्र स्वभाव ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता को नज़रों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था और मि० वेन (एम० पी०) जैसे ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इंग्लैण्ड के विभिन्न-भागों में कार्य सभाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन सभा के भवन में उन्हें बिना दावत दी और भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहानुभूति का संदेश भेजा। स्वतन्त्र-मजदूर ग्लोसगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयलैंड और मिस्र के साथ भारत की भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार 'नेशनल कॉन्सिल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; और मजदूर-दल ने स्कार्बो में होने वाले अपने वार्षिकोत्सव में माँग की कि "अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सरक्षण रखते हुए, आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनर्स्वंगठन किया जाय।" पञ्जाब के जेठे-कुल्लू के सभी सख्यारों ने समान-रूप से प्रबल विरोध किया।

श्री विठ्ठलभाई पटेल और कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुर्घट मुकाबला था। एक ओर तो उन्हें कांग्रेस की ब्रिटिश कमिटी से मुलभना था, दूसरी ओर धीमती बसेण्ट से जो अपनी अपनी शक्ति के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थी। कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल आत्म-निर्णय और पूर्ण उच्च दायी शासन की माँग के साथ दिल्ली वाले प्रस्ताव पर जोर दे रहा था। भारतीय जनता में किसी



है, यद्यपि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुझे इस बात का विश्वास दिलाया था कि जिस जाच-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रही है। सद्भावना मिलते हुए मेरी श्रौर से यह बड़ी ही नासमझी होगी, यदि मैं सरकार की चेतावनी पर ध्यान दूँ। वास्तव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पाठ पढ़ाने के लिए सत्याग्रही कभी सरकार को विषम-स्थिति में डालना नहीं चाहता। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सरकार की श्रौर उन पञ्जाबी नेताओं की, जिन्हें कि मेरी राय में अन्याय-पूर्वक सजा दी गई है, वह भी बड़ी ही निर्दयतापूर्वक, श्रौर भी अधिक सेवा करूँगा, यदि मैं इस समय सत्याग्रह को कर दूँ। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि आग तो मैंने ही लगाई थी। अब मेरे सत्याग्रह करना आग लगाना है, तो रौलट-कानून श्रौर उसे कानून की किताब में रखने का हठ देश में हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का उपाय यही है कि उस कानून को वापस लेलिया जाय। भारत-सरकार ने उस बिल के समर्थन में कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे भारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा असर नहीं हुआ है जिसे विरोधी रुख में कोई परिवर्तन हो जाय।" अन्त में गांधीजी ने अपने साथी सत्याग्रहियों को दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य को बढ़ावें श्रौर स्वदेशी के प्रचार में सबका सहयोग प्राप्त करें।

इस समय इंग्लैण्ड में लॉर्ड्स मेलनार्न की...

मण्डि केलकर, सत्यद हसनइमाम, डा० साठ्ये, मि० हार्निमैन आदि भी थे। इस शिष्ट-मण्डल का काम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रखे। श्री० बी०पी० मापसराय देश के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता श्रौर सौजन्य तथा स्पष्टवादिता श्रौर स्वतन्त्र विचार ने कांग्रेस को इंग्लैण्ड की जनता की नजरों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया था श्रौर मि० मे... (एम० पी०) जैवों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

भारतीय प्रतिनिधियों की उपास्थिति का लाभ उठा कर, इंग्लैण्ड के विभिन्न भागों में देश-व्यापी सभाओं का आयोजन किया गया। मजदूर-दल ने कामन सभा के भवन में उन्हें रि... दावत दी श्रौर भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहानुभूति का सन्देश भेजा। स्वतन्त्र-मजदूर... ग्लासगो में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें आयर्लैण्ड श्रौर मिल के साथ भारत को भी आत्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार 'नेशनल... कोसिल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में प्रस्ताव पास किया; श्रौर मजदूर-दल ने स्मरारथों में होने वाले अपने वार्षिकोत्सव में माँग की कि "अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सरक्षण रखते हुए, आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार, भारतीय सरकार का पुनर्स्थापन किया जाय।" पंजाब के जंगे-उन्... तो सभी सत्याग्रहों ने समान-रूप से प्रबल विरोध किया।

श्री विठ्ठलभाई पटेल श्रौर कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुहेय मुकामला था। 1930 का तो उन्हें कांग्रेस की ब्रिटिश-कमिटी से मुलभना था, दूसरी श्रौर भीमवी बेसेण्ट से जो... शक्ति के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। कांग्रेसी शिष्ट-मण्डल आत्मनिर्णय श्रौर पूर्ण उ... शायी शासन की माग के साथ दिल्ली वाले प्रस्ताव पर जोर दे रहा था। मारिगु-वांन्... में...

मन्त्री। लेकिन इसके बाद यीप्र ही १० मोवोलाल नेहरू अमृतसर-कांग्रेस के समारोह निर्वाचित हुए
 इसलिये उन्होंने पद-त्याग किया और भी मुकुन्दराव जयकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये। ल
 के सालिखिटर मि० नेवली भी, जिनके मुमुर्द प्रिन्सी-कॉन्सिल में की जाने वाली शरीलों का काम
 कमिटीके साथ थे। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जलियांवाला-बाग को प्राप्त करके वहा दर्
 का एक स्मारक बनाया जाय, और इसके लिए मालातीय जी की अध्यक्षता में एक कमिटी बन
 गई। प्रसंगवश यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और यष्ट

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट अमृतसर-कांग्रेस तक तैयार न हो सकी। तब सोचा तो यहाँ ल
 गया कि सुविधा पूर्वक विस्तृत रूप से जब वह तैयार हो जाय तब उस पर विचार करने के लि
 मितेस का विशेष अधिवेशन किया जाय। लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि "इत्
 मीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात बिलकुल निस्संदिग्ध हो गई है
 उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, निःशस्त्र मर्दों और बच्चों के जान-बूझ कर किने
 नृशस हत्या-कांड के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और जुजदिल पशुता है
 जकी आधुनिक काल में और कोई मिसाल नहीं मिलती।" जो हो; कुल मिलाकर १९१६ के साल
 परिस्थिति न केवल निराशा-जनक बल्कि बड़ी भयावह भी थी।

महायुद्ध में जो शक्तियां लगी हुईं यां उन्हें पार्लमेंट की तरफ से धन्यवाद देने का प्रस्ताव
 करते हुए मि० लायबर्ज ने कहा था—“हिन्दुस्तान के विषय में कहूँ तो, उसने हमारी इस
 में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिभार
 गया है कि जिससे हम उसकी भागी पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दावा, इतना जोरदार है
 अपने तमाम पूर्व-विश्वासों और (हमारी) ... गति के सक्षे में
 ध है, अस्थायी
 और अधि-

... का और भी आशय
 के अधिकार, आर्बिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी तमाम पीछे हटाने वाली बातें उस बिल
 अब १९३५ के कानून में ये और भी बढ़ा-चढ़ा कर दाखिल कर दी गई हैं। यही वे
 राक्षस थे, जिनका मुकाबला करने के लिए अमृतसर-कांग्रेस बुलाई गई थी। यह बताने की
 ही है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और टोक-फोड़ करने वाली शक्तियां अवश्य जोर-
 गाय हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी। क्योंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा काम करत
 विदेशी-शासन में तो ये अपना जोर जताती ही हैं। खुद होमरूल-लीग में भी उनके
 थे। अमृतसर में वे अपने दल-बल के साथ प्रकट हुईं। लोकमान्य विलक उस समय तक
 लौट आये थे। सर वेल्लेन्ड्रान चिरोल पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे में उनकी हार
 थी। उन्होंने यह सुनते ही कि पार्लमेंट में बिल पास हो गया है, यत्नाद् धो भागीय उष्ट
 बर्धाई का तार भेजा। उस समय यह अमृतसर जा रहे थे। उन्होंने मुषाओं को कार्या-
 के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आरागहन यह शब्द ...

चित्ररजन दास, फजलुल हक और अन्नास दीयजी इस कमिटी के सदस्य थे और के. एन. मन्त्री । लेकिन इसके बाद शीम ही पं० मोतीलाल नेहरू अमृतसर-कामेस के समर्थन निर्वाह के लिए उन्होंने पद-त्याग किया और भी मुकुन्दगव जपकर उनकी जगह सदस्य बनाये गये । इनके खालिसिटर मि० नेरली भी, जिनके मुमुर्द मिरी-कांसिल में की जाने वाली शरीलों का काम कमिटीके साथ थे । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि जलियाँवाला-बाग को प्राप्त करके वहाँ के एक स्मारक बनाया जाय, और इसके लिए मालवीय जी की अभ्युत्थान में एक कमिटी बनाई गई । प्रसंगवश यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाग ले लिया गया है और उपर्युक्त ही सम्पत्ति है ।

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्टें अमृतसर-कामेस तक तैयार न हो सकी । तब सोचा तो जान गया कि सुविधा पूर्वक विसृत रूप से जब वह तैयार हो जाय तब उस पर विचार करने के लिए कामेस का विशेष अधिवेशन किया जाय । लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि 'इस कामेस के सामने अनरल बायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात बिलकुल निस्संशय हो गई है कि उसका १३ अप्रैल का कार्य निर्दोष, निरीह, निःशस्त्र भदों और बच्चों के जान-बूझ कर किले हुए नरस हत्या-कांड के सिवा और कुछ नहीं है । यह ऐसी हृदय-हीन और मुजदिल प्रथा है जिसकी आधुनिक काल में और कोई मिसाल नहीं मिलती ।' जो हो; कुल मिलाकर १९१६ के इस की परिस्थिति न केवल निराशा-जनक बल्कि बड़ी भयावह भी थी ।

महासुद्ध में जो शक्तियाँ लगी हुई थीं उन्हें पार्लमेण्ट की तरफ से धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए मि० लायब जार्ज ने कहा था—“हिन्दुस्तान के विषय में कइ तो, उसने हमारे इस विषय में, और खास कर पूर्व में, जो प्रशंसनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया अधिकार मिल गया है कि जिससे हम उसकी माँगों पर ज्यादा ध्यान दें । उसका यह दावा इतना जोरदार है कि हमें अपने समस्त पूर्व-विश्वासी और (हमारी) आशकाओं को, जो कि उसकी प्रवृत्ति के लक्ष्य में कदापत बल सकते हैं, दूर कर डालना चाहिए ।” जहाँ तक इस 'नये दावे' से सम्बन्ध है, अगस्त के अन्तिम के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गौरव पूर्ण सेवाओं का बदला धारा समाजों और अधि कारियों-द्वारा दमन के रूप में चुकाया है । माउ-पोर्ड विल ने लोगों के दिलों को और भी पटुचाया । विविध प्रखाली, कांसिल में नामजद-सदस्यों का रहना, यन्त्र-परिपक्व, 'विद्ये' के अधिकार, आदिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी समस्त पीछे हटाने वाली मे थी । अब १९३५ के कानून में ये और भी बढ़ा-बढ़ा कर दाखिल कर दी भयानक राक्षस थे, जिनका मुकाबला करने के लिए अमृतसर-कामेस बुलाई गई थी । जस्सव नहीं है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और तोड़-फोड़ करने वाली शोर के साथ हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी । क्योंकि भारतीय राजनीति में ये रही हैं और विदेशी-शासन में तो ये अपना जोर जताती ही हैं । खुद होमरूल-लीग दर्शन हुए थे । अमृतसर में वे अपने दल-बल के साथ प्रकट हुईं । लोकमान्य विलक इन्सैरड से लौट आये थे । सर वेलन्डरन चिरोल पर चलाये गये मान-हानि के मुकदमे में हो चुकी थी । उन्होंने यह सुनते ही कि पार्लमेण्ट में बिल पास हो गया है, सम्राट को की तरफ से बधाई का वार भेजा । उस समय वह अमृतसर जा रहे थे । उन्होंने सुपारं जित करने के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आश्वासन दिया था । यह सु तो था मि० वैटर्सस्य का, और वार का मजमून बनाया या केलकर सार्व ने ।

मुर काम्रेष्ठ में १६ हजार लोग आए थे, जिनमें ६ हजार मामूली प्रार्थनार्थी और और
 किसान-प्रतिनिधि भी थे। काम्रेष्ठ का गार काठपालु में गढ़ने बिजली देनी हुई थी। पर
 उसका रुप आयापानों पर ररभाषतः ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया था। गदवी के
 कि पंजाब और गुजरात में जो मारकाट लोगों की उत्पत्ति हो गई थी उसकी स्थिति को बचा।
 नियम-समिति में उनका प्रस्ताव गिर गया। गांधीजी की इसमें निराशा हुई। पर बहुत
 भी। उ-होने, यदि काम्रेष्ठ उनके हाथ बिन्दु को न अपनाएँ तब तो इदक पन्नु अप हीटिज
 अदब के काम काम्रेष्ठ में रहने की अपनी अवसमयता प्रकट की। दूसरे ही दिन मुरा प्रत्य-
 मन्तु हुआ, जो इस प्रकार है—“यह काम्रेष्ठ इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत क्रान्त
 जित किये जाने पर (ही) जन समूह के लाग न्येष से बचने हुए थे, वो भी सिद्धने अनेक के-
 में पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सा में जो व्यापारियों द्वारा और उन कारण अन्ततः
 नुकसान हुआ उसपर यह काम्रेष्ठ दुःख प्रकट करती है और उन कृत्यों का निन्द्य करते हैं।”
 नियम पर गांधीजी ने जो व्याख्यान दिया यह वा बही उच्चकोटि का और प्रभावशाली था। उ
 बहुत सत्य में अपने उपाम का योजन्य और भावी-नीति का दिग्दर्शन किया था। “हठके
 कोई प्रस्ताव काम्रेष्ठ के सामने नहीं है। हमारी भावी सफलता की सारी कुञ्जी इसी बात में है
 हम इसके मूलभूत सत्य को समझ लें, हृदय से स्वीकार कर लें और उसके अनुसार आचर
 रहें। जिस अर्थ तक हम उसके मूल सारगत सत्य को मानने में असमर्थ होंगे उसी दर
 हमारी असफलता भी निश्चित है। मैं कहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मारकाट न की होती-
 जिसके कि हमारे पास बहुत प्रमाण हैं और उ-हें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, वास्तव
 अहमदाबाद और बम्बई-काण्ड के उदाहरण दे-देकर कि वहा हमने जान-बूझ कर हिंसा का कि
 है—हां, मैं मानता हूँ कि डॉ० क्विचलू, डॉ० सत्यपाल और मुझे पकड़ कर—मैं तो डॉ० सत्य
 और स्वामी जी का निमन्त्रण पाकर शांति-स्थापना के लिए कमर कसकर जा रहा था, सरकार ने लोगों
 को भड़काने और गरम हो जाने का जबरदस्त कारण दिया था—वो यह बखेड़ा न खना होगा; लेकिन
 उस समय सरकार भी पागल होगई थी और हम भी पागल हो गये थे। मैं कहता हूँ, पागलपन का ज्ञान
 पागलपन से मत दो, बल्कि पागलपन के मुकाबले में समझदारी से काम लो और देखो कि सारी बजो
 आपके हाथमें है।” कैसे आत्मा को जगानेवाले शब्द हैं ये, जो अबतक कानों में गूँजते हैं। परन्तु सच
 यह है कि क्या लोगों ने उस समय उनके पूरे रहस्य को समझा होगा। सच पूछिए तो फिर काम्रेष्ठ में सारी
 बातें इसी प्रस्ताव के सुर में हुई थीं। उस समय तक गांधी जी सरकार से सहयोग तोड़ने के लिए न
 तो राजी थे और न तैयार ही थे।

पक्ष का उत्तर बहुत कुछ निराशाजनक था। इसपर मुसलमान नेताओं ने एक बक्तव्य प्रकार का विचार, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ स्वरूप प्रकट किया कि यदि संधि की शर्तें मुसलमानों के धर्म और भावों के खिलाफ गईं तो इससे मुसलमानों की बफादारी को धक्का लगेगा।

फरवरी और मार्च के महीनों में खिलाफत का प्रश्न भारत के राजनैतिक क्षेत्र में बराबर प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहा। १९२० के मार्च में एक मुस्लिम शिष्ट मण्डल मौलाना मुहम्मदअली के नेतृत्व में इंग्लैण्ड गया। इस शिष्ट मण्डल से भारत-सचिव की ओर से मि० फिशर मिले। शिष्ट-मण्डल प्रधान मन्त्री से भी मिला। उसने अपने विचार शान्ति-परिषद् की बड़ी कौंसिल के आये रखने की अनुमति चाही, पर वह न मिली।

१७ मार्च को लायड जार्ज ने मुस्लिम शिष्ट-मण्डल को उत्तर दिया, जिसके दौरान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा रहा है, तुर्कों के साथ उससे भिन्न नीति का व्यवहार नहीं किया जा सकता। परन्तु साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जैसे तुर्की तुर्की-भूमि पर अधिकार रख सकेगा, पर जो प्रदेश तुर्की नहीं है उसपर कोई अधिकार न रख सकेगा। बस, इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे प्रश्न की ही जड़ काट डाली। इसलिए १९ मार्च राष्ट्रीय शोक-दिवस नियत हुआ जिस दिन उपवास, मार्शनायें और हकालों की गईं। गांधीजी फिर मैदान में आये, उन्होंने फिर घोषणा की कि यदि तुर्की के साथ संधि की शर्तें भारत के मुसल-

पहला बार प्रकट की थी। वह इस प्रकार है :—

“यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुईं तो हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर लेना आवश्यक है। एक जंगली मार्ग खुल्लम-खुल्ला या छिपे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को छोड़िए, क्योंकि यह अव्यवहार्य है। यदि मैं सबको समझा सकूँ कि यह उपाय हमेशा बुरा है, तो हमारे सब उद्देश्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जायें। कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र हिंसा के त्याग-द्वारा जो शक्ति उत्पन्न कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परन्तु आज जो मैं हिंसा के विरुद्ध तर्क पेश कर रहा हूँ सो इस कारण कि परिस्थिति ऐसी ही है, और ऐसी अवस्था में हिंसा बिलकुल व्यर्थ सिद्ध होगी। अतएव हमारे लिए असहयोग ही परमात्म औपधि है। यदि यह सब तरह की हिंसा से मुक्त रखी जाय तो यही सबसे अच्छी और रामबाण औपधि है। यदि असहयोग के द्वारा हमारा पतन और तेजोनाश होता हो और हमारे धार्मिक भावों को आघात पहुंचता हो, तो असहयोग हमारे लिए कर्तव्य हो जाता है। इंग्लैण्ड हमसे यह आशा नहीं रख सकता कि हम उन अधिकारों का इनन चुनौती यह लेंगे जो मुसलमानों के जीवन-मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए मैं जड़ और चोरी दोनों ओर से काम आरम्भ करना चाहिए। जिन लोगों को सरकारी उपाधियाँ और सम्मान प्राप्त हैं उन्हें वे त्याग देनी चाहिए। जो नीचे दर्जे की सरकारी नौकरियों पर हैं उन्हें भी नौकरियाँ छोड़ देनी चाहिए। असहयोग का स्वादगी नौकरियों से कोई बाधा नहीं है। पर मैं उन लोगों के, जो असहयोग की औपधि को नहीं अपनाते, सामाजिक बहिष्कार की धमकी देने की बात सोच नौकरी छोड़ देना ही जल्दता के भावों और असहयोग की करने से इन्कार करने को करने का समय अभी नहीं आया है।

की नीति को ऐसी बनाना चाहता हूँ जिससे कांग्रेस दल-बन्दिनों से ऊपर रहकर अपना राष्ट्रीय काम कर सके।

“अब मेरे साधन की कमी आई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैतिक जीवन में सत्य और ईमानदारी का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। मैं लीग से यह आशा नहीं रखता कि यह सत्याग्रह के मामले में मेरा साथ देगी, पर मैं शक्ति भर विश्वास करूँगा कि हमारे सारे राष्ट्रीय कामों में सत्य और अहिंसा से काम लिया जाय। तब हम सरकार और उसके उपायों से न भयभीत होंगे बल्कि उनके प्रति अविश्वास रखेंगे। मैं इस प्रसंग पर और अधिक मुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह स्मरण पर ही छोड़ता हूँ कि मैंने जो यह साक्षरपूर्ण यत्न किया है उससे उत्पन्न होने वाले अनेक फलों का यह किस दम से निन्द्याग करता है। पिलहाल मेरा उद्देश्य अपने काम के औचित्य या उन्हीं समाविष्ट नीति की सत्यता का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लीग के सदस्यों पर विश्वास करके अपने कार्यक्रम पर उनकी आलोचना-सूचनाओं को आमंत्रित करना है।”

लोकमान्य तिलक ने अपने यत्न में नये मुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकट की:—

“जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातंत्र दल में कांग्रेस के प्रति अग्रगण्य भक्ति और प्रजातंत्र के प्रति आस्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं को सुलभाने में प्रजातंत्र के सिद्धान्त अचूक हैं। यह दल शिक्षा के प्रसार और राजनैतिक मताधिकार को अपने दो सबसे बड़ियाँ हथियार समझता है। यह दल चाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जो नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक बंधन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय। इस दल का धार्मिक सहिष्णुता और अपने लिए अपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है और उस पवित्रता की खतरे से रक्षा करना सरकार का अधिकार और कर्तव्य है। यह दल मुसलमानों के उस दावे का समर्थन करता है जो खिलाफत-संबंधी प्रश्नों का हल इस्लाम-धर्म के सिद्धान्तों और धारणाओं और कुरान के आदेशों के अनुसार चाहता है।

“यह दल मानवता के मंगल और मानव-समाज के भ्रातृत्व की वृद्धि के लिए ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शासन का अधिकार चाहता है, और यह चाहता है कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के अन्य हिस्सों के साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी शामिल है, बराबरी और भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीतर भारतीयों के लिए बराबरी के नागरिक-अधिकारों पर जोर देता है और चाहता है कि जहाँ यह अधिकार न मिले उस उपनिवेश के प्रति बदले का व्यवहार किया जाय। यह दल राष्ट्र-सभ का, संसार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने, राष्ट्रों और जातियों की स्वतंत्रता और स्वतन्त्रता की रक्षा करने, और एक देश के द्वारा दूसरे देश का रक्त-शोषण बनाने वाली संस्था के रूप में स्वागत करता है।

“यह दल जोर के साथ प्रतिपादन करता है कि भारत प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासन के सर्वथा योग्य है, और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की जनता के लिए अपनी सरकार का ढाँचा स्वयं तैयार करने का और यह निर्णय करने का कि कौन-सी शासन-प्रणाली भारत के लिए सबसे अच्छी रहेगी, पूर्ण अधिकार चाहता है। यह दल अपने-आपके सिद्धान्तों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के साथ जोड़ता है—

सम्बन्ध में सत्याग्रह किया। और अन्त में अहमदाबाद में मिल इकताल का अन्त करवाया। १९१८ में गांधीजी ने खेड़ा जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय। गुजरात-सभ ने शिष्ट-मण्डल बनाया, जो अधिकारियों के पास पहुँचा। परन्तु उस ताल्लुके का कमिश्नर बिना इस और शिष्ट-मण्डल से बड़ी अभद्रता के साथ पेश आया। इसपर गुजरात-सभा ने किसानों के नाम नोटिस जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह अनिवार्य हो गया। खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल परड्या पहले सत्याग्रही बने और गिरफ्तार किये गये (शोक है कि १८ मई १९३५ को उनका देहान्त हो गया)। अन्त में खेड़ा के किसानों को आशिक छूट मिल गई। तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-इकताल थी, जो १९१८ के अन्त में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता ठहराया गया, पर एही बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्बलता और विह्वलता का परिचय दिया और मजदूरों का सगठन टूटकर दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने उपवास करने की प्रविष्टा की। इस प्रकार की भीषण प्रविष्टा करने का गांधी जी का यह पहला अवसर था, पर इसके सिवा और कोई चाप न था। उन्होंने कहा—“आने वाली पीढ़ी कहेगी कि देस हजार आदमियों ने उस प्रविष्टा को अचानक तोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार ईश्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे वो गरी अन्तर्ण है कि मैं अपनी प्रविष्टा के द्वारा मिल-मालिकों की रिश्तित और स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से धाँसना में डालनेवाला कहलाऊँ।” (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी अध्याय के अन्त में रिसे टिप्पण्य देखिए।)

कुली-प्रथा का अन्त

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १९२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १९२० को १ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शर्वबन्दी कुली प्रथाका अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताब्दि से जारी थी। जब भारत सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। आरिश्च में कुली-प्रथा भी अन्त स्वतः ही हो गया, क्योंकि वहाँ मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पूरब के अन्त भागों के उपनिवेशों में शर्वबन्दी कुली-प्रथा उखी प्रचार जारी थी। जब १९१४-१५ में भारत सरकार ने उन प्रांतों की सरकारों से पूछा कि वो उसे क्या चला कि गाँव वाले इस प्रथा के खोर विरुद्ध हैं। १९१५ में दीनबन्धु पट्टनायक और मि० रिपब्लिकन किजी गारे और वहाँ से बने ही बुरे समर्थक नेहरू आये, जिन्हें रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इन रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि अन्त एक्टिव मदनमोहन मालवीय ने बड़ी कौशल से कुली प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया जो सर्वोत्तम ने उसे मजबूत कर लिया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक करने-क्यों कुछ समय भय ही अचर। बाद को ज्ञा चला कि वह औपनिवेशिक विभाग से इस बात पर गयी हो गये हैं कि भारत में अभी पाँच साल तक भारती होती रहे। एक्टिव नेहरू ने भारत-सरकार को सुझाव दिया कि इस प्रकार का कुछ एक्टिव हुआ है या नहीं? और यह यह बात प्रकट की गई कि इस प्रकार के एक्टिव ने पर भारत सरकार के दोनो—औपनिवेशिक और भारत-पर—विभागों ने दलील पेश की है, जो बने देस में बड़े ही बुरे देख गई। गांधीजी ने उन औपनिवेशिक भाग में कुली प्रथा के विरुद्ध एक्टिव का प्रचार कर दिया। अन्त में केन्द ने भारत में अन्त प्रथा किया। १९२० के अन्त में एक्टिव ने देस में अन्त प्रथा कर दिया। अन्त में १९२० को अन्त प्रथा से अन्त

१३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

१९००-१९०१

१९००

१९००
 १९०१
 १९०२
 १९०३
 १९०४
 १९०५
 १९०६
 १९०७
 १९०८
 १९०९
 १९१०
 १९११
 १९१२
 १९१३
 १९१४
 १९१५
 १९१६
 १९१७
 १९१८
 १९१९
 १९२०
 १९२१
 १९२२
 १९२३
 १९२४
 १९२५
 १९२६
 १९२७
 १९२८
 १९२९
 १९३०
 १९३१
 १९३२
 १९३३
 १९३४
 १९३५
 १९३६
 १९३७
 १९३८
 १९३९
 १९४०
 १९४१
 १९४२
 १९४३
 १९४४
 १९४५
 १९४६
 १९४७
 १९४८
 १९४९
 १९५०
 १९५१
 १९५२
 १९५३
 १९५४
 १९५५
 १९५६
 १९५७
 १९५८
 १९५९
 १९६०
 १९६१
 १९६२
 १९६३
 १९६४
 १९६५
 १९६६
 १९६७
 १९६८
 १९६९
 १९७०
 १९७१
 १९७२
 १९७३
 १९७४
 १९७५
 १९७६
 १९७७
 १९७८
 १९७९
 १९८०
 १९८१
 १९८२
 १९८३
 १९८४
 १९८५
 १९८६
 १९८७
 १९८८
 १९८९
 १९९०
 १९९१
 १९९२
 १९९३
 १९९४
 १९९५
 १९९६
 १९९७
 १९९८
 १९९९
 २०००

सम्बन्ध में सत्याग्रह किया। और अन्त में अहमदाबाद में मिल इकट्ठा का अन्त करवाया। १९२० गांधीजी ने रोका जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अन्त में हाथ में लिया। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि जबतक समझौता न हो जाय, तबतक लगान अदा न किया जाय। गुजरात-सभा शिष्ट-मण्डल बनाया, जो अधिकांशियों के पास पहुँचा। परन्तु उस वास्तुके का कर्मिस्त रिक्त रह और शिष्ट-मण्डल से बड़ी अभद्रता के साथ पैदा आया। इसपर गुजरात-सभा ने किसानों के दम केंद्र जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांधीजी ने अपने ऊपर ली। सत्याग्रह अनियमित हो गया। रोका के मामले में भी मोहनलाल परब्या पहले सत्याग्रह के गिरफ्तार किये गये (शोक है कि १८ मई १९१५ को उनका देहान्त हो गया)। अन्त में नेता के किसानों को आंशिक छूट मिल गई। तीसरी घटना अहमदाबाद मिल-इकट्ठा थी, जो १९१८ के वर्ष में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता टहलवाया गया, परन्तु बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्बलता और विह्वलता का परिचय दिया और मजदूरों का संगठन टूटकर दिखाई देने लगा। इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने उपवास करने की प्रवृत्ति की। इस प्रकार भीषण प्रवृत्ति करने का गांधी जी का यह पदला अवसर था, पर इसके सिवा और कोई चरण था। उन्होंने कहा—“आने वाली पीढ़ी कहेगी कि देस हजार आदमियों ने उस प्रवृत्ति को अचल तोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार ईस्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे तो यही ब्रह्म है कि मैं अपनी प्रवृत्ति के द्वारा मिल-मालिकों की स्थिति और स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से बदलने में डालनेवाला कहलाऊँ।” (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी अध्याय के अन्त में लिखे टिप्पण देखिए।)

कुली-प्रथा का अन्त

भारत के राजनैतिक क्षेत्र में १९२० की घटनाओं का जिक्र करने से पहले हमें १९२० की १ जनवरी के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शर्तबन्दी कुली-प्रथा का अन्त हुआ। यह प्रथा एक शताब्दि से जारी थी। जब भारत-सरकार ने और अधिक मजदूर भर्ती करने की इच्छा मति देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का अन्त हो गया। मारिशस में कुली-प्रथा का अन्त स्वतः ही हो गया, क्योंकि वहाँ मजदूरों की और अधिक जरूरत न रही। परन्तु पृथ्वी के इन भागों के उपनिवेशों में शर्तबन्दी कुली-प्रथा उसी प्रकार जारी थी। जब १९१४-१५ में भारत-सरकार ने उन प्रान्तों की सरकारों से पूछ-वाछ की तो उसे पता चला कि गांव वाले इस प्रथा के फौज विरुद्ध हैं। १९१५ में दीनबन्धु एयटरूज और मि० पियरसन फिजी गये और वहाँ से बड़े ही बुरे समाचार लेकर आये, जिसे रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पड़ा कि अण्डरसेक्रेटरी मदनमोहन मालवीय ने बड़ी कौंसिल में कुली-प्रथा उठाने का प्रस्ताव पेश किया जो लॉर्ड हार्डिन्ग ने उसे मंजूर कर लिया। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक करते-करते कुछ समय लग ही जायगा। बाद को पता चला कि वह औपनिवेशिक विभाग से इस बात पर गर्वित हो गये हैं कि भारत में अभी पाच साल तक भरती होती रहे। एयटरूज साहब ने भारत-सरकार को जूनौती दी कि इस प्रकार का गुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं! और जब यह बात प्रकट की गई इस प्रकार के राजीनामे पर ब्राइट-हाल के दोनों—औपनिवेशिक और भारतीय—विभागों ने क्रिये हैं, तो सारे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधीजी ने उत्तर और पश्चिम भारत में कुली विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। भीमती वेसेन्ट ने मदरास में श्रीगणेश किया। मार्च-अप्रैल में आन्दोलन पूरे जोर पर था। भारत-सरकार ने १५ जून को जिन

प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार अफसरों को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के रूप में उचयित थे। इस महत्वपूर्ण प्रणाली-बोध से परिचय प्राप्त किया जाय। परन्तु मि० मापरेणु ने कहा कि "अन्यथा अफसर ने जैसा उचित समझ उचयके अनुसार बिलकुल नैतिक-नीति के साथ काम किया। अतएव, उचित परिस्थिति में ठीक-ठीक समझने में गलती होगी।" भारत को इस बात से कोई खान्दानी न मिली कि सर्वप्रथम सिपाही-जी...



इसतर-कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमिति की बैठक बनारस में हुई, जिसमें इन सारे प्रश्नों पर भारत की ओर से अनेक प्रकट किया गया और अन्त में पर विचार करने के लिए विशेष कामें करने का निश्चय किया गया। लोकमान्य विलक उक्त प्रश्न पर बनारस से होकर गुजरे, पर उन्होंने महासमिति में भाग न लिया, क्योंकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचाना न था। फिर भी उन्होंने देशभक्ति और सौमन्य का परिचय देते हुए यह प्रश्न पद दिया कि वह महासमिति के आदेश का पालन करेंगे। इसी अवसर पर गांधीजी ने अखण्ड-आन्दोलन को, नेताओं का एक सम्मेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया। अखण्ड अखण्डयोग-आन्दोलन खिलाफत के प्रश्न से ही सम्बन्ध रखता था। सारे दलों के नेता २ जून १९२० को इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में अखण्डयोग की नीति अपनाते का निश्चय किया गया और कार्यक्रम तैयार करने के लिए गांधीजी और कुछ मुसलमान नेताओं की एक कमिटी बनाई गई। इस कमिटी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूलों, कालेजों और अदालतों के बहिष्कार की सिफारिश की। वास्तव में नवम्बर १९१९ में दिल्ली में अ० भा० खिलाफत-परिषद् ने गांधीजी की सलाह के मुताबिक सरकार से अखण्डयोग करने का निश्चय कर लिया था। इस निश्चय की पुष्टि कलकत्ता और अन्य स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अप्रैल १९२० को मद्रास की खिलाफत-परिषद् ने, कर दी थी। मद्रास की खिलाफत-परिषद् ने अखण्डयोग की योजना की जो परिभाषा की थी उसके अनुसार उपाधियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, आनरेरी पदों और कौंसिलों की मेम्बरी तथा पुलिस और फौज की नौकरी का त्याग और कर अदा करने से इन्कार करना भी आवश्यक था। खिलाफत और पञ्जाब के अत्याचारों और अपराधों के सुधारों की फलगु ने उबलती हुई त्रिवेणी का रूप धारण कर लिया। इस विचार ने राष्ट्रीय असन्तोष के प्रवाह को और भी प्रबल कर दिया। अखण्डयोग के लिए वातावरण तैयार था। लोकमान्य विलक तक ने महासमिति के निश्चय को मानने का वचन दे दिया था। पर शोक, ३१ जुलाई की आधी रात को वह परलोक सिधार गये और इस प्रकार गांधी जी एक महान्-शक्ति की सहायता से वंचित रह गये।

इसपर मुसलमानों ने अफगानिस्तान को हिजरत करने का निश्चय किया, क्योंकि अब अफगानिस्तान के साथ ब्रिटेन की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं समझा। यह आन्दोलन सिन्ध में आरम्भ हुआ और सीमान्त प्रदेश में जा फैला। कच्छगढ़ी में मुहाजिरीन और सैनिकों में जोर की मुठ-भेड़ हो गई, जिससे जनता में और भी आग लग गई और अगस्त के १९२०, ००० अफगानिस्तान के लिए चल पड़े। पर अफगान-सरकार मुहाजिरीन का दाखिला बन्द कर दिया और अनेक कष्ट भेलेने और मरने-सूझने के विचारों में परिवर्तन हुआ।

त्याग और सेवायें, जनता के हित के लिए उनकी तीव्र लगन और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में लगे गये उनके भगीरथ प्रयत्नों के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-पटल पर सदा अक्षर-सहित अंकित रहेगी और अनगिनत पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को बल व सूर्योत्थि प्रदान करे रहेगी। डॉ० महेन्द्रनाथ श्रीहृदेदार की मृत्यु से देश को जो क्षति पहुंची थी, उस पर भी कांग्रेस ने अपने दुःख को प्रकट किया।

दूसरा प्रस्ताव सर आशुतोष चौधरी ने, जो कलकत्ता-हार्डकोर्ट की जजी से पारंग हुए थे, पेश किया। उसमें पंजाब-जांच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये गये; हर क्रिमिटी के शुद्ध की पक्षपात तथा बर्खा-द्वेष-पूर्ण नीति की निन्दा की गई; और यह कहा गया कि उसके द्वारा ब्रिटिश-न्याय की निष्पक्षता से लोगों का विश्वास उठ गया है।

तीसरा प्रस्ताव भी पंजाब के बारे में था। पंजाब में किये गये अत्याचारों के विरुद्ध ब्रिटिश-सरकार-द्वारा पर्याप्त कर्षाई न किये जाने पर, ब्रिटिश सरकार-द्वारा भारत-सरकार की विचारियों को ज्यों-का-त्यों मान लिये जाने पर, और उसके द्वारा पंजाब के अधिकारियों के काले कारनामों को अक्षर-लिखत में दर-गुजर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गई।

लेकिन अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे गांधीजी ने पेश किया और जो १८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की रायों से पास हुआ। यह प्रस्ताव इस प्रकार था:—

“चूँकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत व ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें भारत के मुसलमानों के प्रति अपना फर्ज अदा करने में खास तौर से असफल रही हैं और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने जान-बूझ कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा है और चूँकि प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि अपने मुसलमान भाई पर आई हुई धार्मिक विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक उचित उपाय से सहायता करे,

“और चूँकि अप्रैल १९१६ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पंजाब की बेकसूर जनता की रक्षा करने में और उन अफसरों को सजा देने में, जो पंजाब की जनता के प्रति अत्याचार व वैदिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरे हैं, घोर लापरवाही की है और चूँकि उक्त दोनों सरकारों ने सर माइकेल ओडायर को, जो अफसरों द्वारा किये गये बहुत-से अपराधों के लिए हल प्रत्यक्ष-रूप से उत्तरदायी था और जिसने जनता के दुःखों व कष्टों की सरासर अवहेलना की, रीति कर दिया; और चूँकि इंग्लैण्ड की लॉर्ड-सभा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सहायता भूति का दुःखपूर्ण अभाव स्पष्टतः प्रकट हो गया है और पंजाब में सुसंगठित रूप से आतंक और आस-पैल-प के मामलों पर तनिक भी पड़वाने का भाव नहीं है; अतः इस कामेस की राय है कि भारत में तब तक शान्ति नहीं हो सकती जब तक कि उक्त दोनों भूलों का मुफार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय-सम्मान की मर्यादा को कायम रखने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की भूलों को दोहराने से बचाने के लिए उपयुक्त मार्ग केवल स्वयंय की स्थापना ही है। इस कामेस की यह राय है कि जब तक उक्त भूलों का मुफार न हो जाय और स्वयंय ही स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके विना और कोई मार्ग नहीं है कि वे गांधीजी-द्वारा संचालित धार्मिक अहिंसात्मक असहयोग की नीति को स्वीकार करें और अपनावें।

“और चूँकि इसकी शुद्धता उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अब तक लोकमत को बन्धन में उसका प्रतिनिधित्व किया है, और चूँकि सरकार अपनी शक्ति का संगठन लोगों को दी गई

पर भी यह कामेस के प्रति यत्नरत रहा। अमुवधर-कामेस के प्रस्ताव के अनुसर जो उद्देश्य एवं उम्मीदवार नई फीसिलों के चुनाव के लिए रात्रे हुए थे और जिन्होंने चुनाव आन्दोलन में कड़ी हस्त परिभय व धन व्यय किया था, ये लगभग सब एकदम चुनाव से हट गये। मद्रासवालों तक ने, स्व-भग ८० प्रतिशत ने, कामेस के निर्णय को माना और वोट देने से इनकार किया। कई जगहों से वोट की परिधियाँ बालने के बसब रीते-के-रिते स्रोत गये। स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकार कि कि "गांधीजी के अग्रदयोग-आन्दोलन में नई फीसिलों का बहिष्कार अवश्य ही अगले कुछ वर्ष इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव डालकर रहेगा। इस बहिष्कार के कारण नई फीसिलों में कई हों प्रतिष्ठित व उभर-विचारवादी न आ सकें और नरमदलियों का रास्ता साफ हो गया।"

नवम्बर के शुरू होते ही सरकार ने इस आन्दोलन के प्रति अपनी नीति को स्पष्ट करन प्रारम्भ किया। सरकार ने कहा, "उसने प्रान्तीय सरकारों को आदेश किया है कि वह केवल उन्हीं लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करें जो आन्दोलन को चलाते-चलाते उस हद से भी बाहर निकल जाय जो उताँ सचालकों ने नियत कर रखी है और जिन्होंने लेखा व भाषणों से जनता को खुलेआम हिंसा के लिए भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की यत्नकारी को बिगाड़ने का प्रयत्न किया है।" सरकार ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि "उच्च-वर्ग के व्यक्ति व सर्वसाधारण दोनों ही अग्रदयोग आन्दोलन को एक श्रेष्ठ-चिन्तित की योजना समझकर रद्द कर देंगे। क्योंकि यदि यह योजना सफल हो जाय तो उससे शारों और अशान्ति व राजनैतिक गोलमाल फैले बिना नहीं रह सकता और जिन लोगों के देश में कुछ भी स्वार्थ-सम्बन्ध हैं उनका सर्वनाश हुए बिना नहीं रह सकता। अग्रदयोग-आन्दोलन अज्ञान और पूर्व-विश्वासों के सहारे ही टिक सकता है; और उसके उद्देश में रचनात्मक-तत्वों के लो कोटाए भी नहीं हैं।"

२ अक्टूबर १९२० को महासमिति ने अपनी बैठक में अखिल भारत 'विलक-स्मारक-कोष व स्वराज्य-कोष नाम के दो कोष इकट्ठे करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिखता १९२० तक रदी की टोकरी में ही पड़ा रहा। अग्रदयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी नये प्रस्तावों का भी बगल और महाराष्ट्र में कुछ प्रच्छा स्वागत न हुआ। लोकमान्य विलक के एक साथी गणेश भीकृष्ण खासे के प्रस्ताव, कामेस की शक्तियों को आत्मबल व नैतिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की दिशा में तो ले जाते हैं, लेकिन प्रश्न के राजनैतिक परलू को बिलकुल भुला देते हैं। "देश की वास्तविक सरकार से हमारा नैतिक स्वभाव बनाने से रोकता है जो एक कपटी लड़ाई की शान्ति से किन्तु सुव्यवस्थित रूप से और जमकर चलाने के लिए आवश्यक है। अग्रदयोग का आन्दोलन सहनशक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सके, यह सम्भव है; लेकिन वह हमारे अन्दर वह कार्य-शक्ति, सहनशीलता व व्यावहारिक-चातुर्य पैदा करने में असमर्थ है, जो एक राजनैतिक आन्दोलन के लिए आवश्यक है। कामेस ने अभाव है। आल-इण्डिया होमरूल-लीग (जो अब स्वराज-सभा के नाम से जानी जाती है) के ध्येय को बदलते समय जो विवाद व कार्रवाई हुईं उसे देखने से प्रतीत होता है कि अब सारा मुझव फिर एकदम व व्यक्तित्व सत्ता की ओर है। चाहे यह सत्ता एक बहुत ही बड़े-बड़े व नीतिवान् व्यक्ति को क्यों न दी जाय, है आपत्तिजनक और समय की शिथिल के विरुद्ध।"

इसमें होमरूल-लीग के ध्येय-परिर्कन और गांधीजी द्वारा स्वराज्य सभ्य बनाने की ओर

शामिल कर ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक सम्पत्तियों को छोड़ें और हाथ की त्वार-तुनाई को प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह यूरोप आन्दोलन में अधिक-से-अधिक त्याग करे। राष्ट्रीय से एक दल (इण्डियन नेशनल एग्रीमेंट) को कठित करने और आंग्ल-भारतीय विलक-स्मारक कोपों को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर जोर दिया गया। कौंसिलों के लिए पुनर्गठन से इसीपर देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किसी प्रकार की राजनीतिक सेवा न लेने का प्रार्थना की गई। पुलिस व पलटन और जनता में मित्रता जो भाव बढ़ रहे थे उनको स्वीकार किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जन्म से बर्बाद करते समय अधिक नयी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता करें और सर्वजनिक उपायों में बिना हर कें मुले वीर पर भाग लें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि अहिंसा असहयोग आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग है। वचन और कर्म दोनों में अहिंसा का होना आवश्यक माना गया और उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-भाव लोकशासन की स्थापना के विरुद्ध ही नहीं बल्कि असहयोग की आगे की सीढ़ियों तक पहुँचने के मार्ग में भी बाधक है। प्रस्ताव के अन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सर्वजनिक सस्यों सरकार से अहिंसामक सहयोग करने में अपना साथ ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें। इस प्रकार के परिवर्तित वातावरण में इंग्लैंड के साप्ताहिक 'इण्डिया' को बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस बात को महसूस किया गया कि भारत और विदेशों में भारत के बारे में सच्ची बातों के फैलाने की आवश्यकता है। आयर्लैंड के वीर योद्धा स्वर्गीय मैकस्विनी को, जिन्होंने आयर्लैंड के उत्थान के लिए लड़ते-लड़ते ६५ दिन की भूख-हड़ताल के पश्चात् अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था, इसके लिए उन्हें श्रद्धांजली दी गई।

विनिमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप "रिजर्व कौंसिलो" द्वारा स्वर्ण-विनिमय-मान-कोप (Gold Exchange Standard Reserve) व कागजी-मुद्रा कोप (Paper Currency Reserve) में "लूट" मचने के कारण नागपुर में जोरो से इस बात की मांग पेश की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे को पूरा करे। पाचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश माल की विजास्त करनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तमान दरों पर अपना बादा पूरा करने से इन्कार करने के हकदार हैं।" ड्यूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव व समारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुरोध किया गया। मजदूरों को प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जोरों से जाय किये गये उनके सम्मान के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई। स्वायत्तता के निर्यात की नीति की निन्दा की गई। मुकदमा चला कर या बिना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। पंजाब, दिल्ली व अन्य स्थानों में सदे। कांग्रेस ने सब देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए शीघ्र-से-शीघ्र प्रयत्न करें। हार्निमैन साहब को भारतीयों से अलग ही गई। ईशर-कमिटी व उसकी विचारियों को भारत की पयधीनता व असहायता को बढ़ाने में सहायक मानकर उनको निन्दा की गई और उन विचारियों को भी असहयोग आन्दोलन का एक १—कोप एकत्र करने का निश्चय तो अन्तःपर में ही हो गया था, लेकिन बाद में अहिंसक-भारत-लोकमान्य-स्मारक-कोप व स्वराज्य-कोप को मिलाकर एक कर दिया गया।

नील के कारखाने बन्द होने लगे । लेकिन इस नुकसान को धरने धरने कबे पर लेने के बजाय उन्होंने उसे गरीब किसानों के तिर मद् देने के उपाय सोचे । इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम किया । उन गाँवों में, जिनकी जमीनों के लिए उनके पास स्थायी पट्टा था, उन्होंने किसानों से लाने में बंदोबस्ती करने के इकरारनामे लिगा लिये और बदले में उन्हें नील पैदा करने के बन्धन से मुक्त कर दिया ।

इस प्रकार के हजारों ही शर्तनामे लिखायें गये । किसानों का कहना था कि ये शर्तनामे उनका जबरदस्ती लिखाये गये हैं । ग्रामतौर पर तो लगान के ये वादे गैर-कानूनी होते । लेकिन ऐक्ट में एक भाग थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से बच गये । टेनेसी ऐक्ट में यह निर्धारित किया गया कि जो शर्तनामे लिखाने और उन्हें पूरा करने में मरदा की । इन शर्तनामों की रजिस्ट्री करने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे । लेकिन जहाँ उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहाँ किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का आरोप था, नील पैदा करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रूपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई चीज ले ली । इन जमीनों के लगान में वादा इसलिए नहीं करया कि पट्टे की मिसाल पूरी हो जाने के बाद तो वह लाभ असली जमींदार को पहुँचता । परन्तु इस तरह नकद रूपया लेना तो टेनेसी-ऐक्ट में ही विशेष रिश्तायता के भी विरुद्ध था । इस प्रकार इन गाँवों में गरीब किसानों से १२ लाख रूपया वसूल किया । क्योंकि चाप चम्पारन जिला इन्हीं गाँवों के हाथों में आ गया । इसलिए उन्होंने उसके मुस्तलिफ टुकड़े कर लिये थे । गाँवों के प्रत्येक सघ के पास चम्पारन जिले की कोई-न कोई भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी । इनका प्रभाव सरकारी हलकों में इतना था कि वे गरीब किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गाँवों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मामला चलावे या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सकें । उच्च-जाति के हिन्दुओं तक को पिढकाना, का होजो में उन्हें बन्द कर देना तथा हजार दग से उन्हें बग करना और उनपर सत्याचार करना, जिन मकानों की लूट, नार्द, धोबी, चमार बन्द कर देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उनके मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अल्लूवों को उनके दरवाजो पर बिठा देना आदि शर्तें शामिल थी, जो आये दिन बरबर उनपर बाँवती रहती थी । ये लोग किसानों से जबरदस्ती अशुभ रूप से भावि-भावि के नज्दने भी लिया करते थे । जान करने पर यह बात दुआ था कि ५० परसेंट के नज्दने वसूल किये जाते थे । उनमें से कुछ के नाम यहा देना अशुचित न होगा । विवाद पर, चम्पारन पर, कोल्हू पर लागू हुई थी । यदि साहब बीमार हैं और पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है तो वहाँ के किसानों को इसके लिए 'पहाड़ी' नामक लागू देना पड़ता था । यदि साहब को सड़की लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरूरत होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए "घोड़ा" "हाथी" या "इवाइ" नामक विशेष लागू देने पड़ते थे । इन लागू के अतिरिक्त किसानों से भारी जुर्माने भी वसूल किये जाते थे । यदि किसी किसान से कोई ऐसा काम बन पड़ा जिससे साहब को या किसी दूसरे को सुग लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता था । इस प्रकार से ये लोग पहाड़ से उस जिले की अदालत और हाकिम ही बन बैठे थे ।

सार्वजनिक सेवा के, इन किसानों की मुसीबत को दूर करने के सारे प्रयत्न बेकार हो गये । सरकार किसानों को जानती थी, उन्हें मानती थी, और किसानों के साथ सघ

कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

ली गई। व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे धीरे-धीरे विदेशी व्यापारिक सन्धियों की राय की कठोर-सुन्दर को प्रोत्साहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय में अधिक-से-अधिक त्याग करे। राष्ट्रीय सेरक दल (इयिडयन नेशनल सर्विज) को और और अखिल-भारतीय विलक-रमारक कोष' को बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर जोर दिया गया। लिए चुने गये सदस्यों से इच्छावा देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किसी भी राजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गई। पुलिस व पलटन और जनता में भिन्नता के रहे थे उनको स्वीकार किया गया। सरकारी कर्मचारियों से अपील की गई कि वे जनता के समये अधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहयोग करें और सब सभाओं में बिना दर के खुले वीर पर भाग लें। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सहयोग आन्दोलन का अविच्छिन्न अंग है। वचन और कर्म दोनों में अहिंसा का होना माना गया और उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-भाव लोकशासन की स्थापना के ही बल्कि असहयोग की आगे की सीढ़ियों तक पहुँचने के मार्ग में भी बाधक है। प्रस्ताव इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संस्थायें सरकार से अहिंसात्मक असहयोग में अपना सारा ध्यान लगा दें और जनता में परस्पर पूर्ण सहयोग स्थापित करें। इस प्रकार वातावरण में इंग्लैंड के साप्ताहिक 'इयिडया' को बन्द करना निश्चित हुआ, यद्यपि इस सहयोग किया गया कि भारत और विदेशों में भारत के बारे में सभी बातों के फैलाने की है। आयर्लैंड के धीरे धीरे स्वर्गीय मैकस्विनी को, जिन्होंने आयर्लैंड के उत्थान के लिए ६३ दिन की भूल हड़ताल के पश्चात् अपने प्राणों को उन्मत्त कर दिया था, इसके लिए जली दी गई।

निमय की दर में वृद्धि होने और उसके फल-स्वरूप "रिवर्स कौंसिलों" द्वारा स्वर्ण-निमय- (Gold Exchange Standard Restrve) व कागजी-मुद्रा कोष (Paper Currency) में "लूट" मचने के कारण नागपुर में जोरों से इस बात की माग पेश की गई कि सरकार इस घाटे को पूरा करे। पाचवें प्रस्ताव में तो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश माल व करनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तमान दरों पर अपना वादा पूरा करने से इन्कार करने हैं।" ड्यूक ऑफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव व समारोह में भाग न लेने के लिए अनुरोध किया गया। मजदूरों को प्रोत्साहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जरिये जारी उनके संग्राम के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई। खाद्य-पदार्थों के निर्यात की नीति को गई। मुकदमा खला कर या बिना मुकदमा खलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। पंजाब, दिल्ली व अन्य स्थानों में हुए दमन को ध्यान में रखा गया और जनता से कहा गया कि वह सब कुछ धैर्य से सहने में तैयार होकर देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी-अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी नीति बनाने के लिए शीघ्र-से-शीघ्र प्रयत्न करें। हार्निमैन साहब को भारतीयों से अलग सरकारी नीति की निन्दा की गई और मि० हार्निमैन के प्रति भारत की - कृतकृत्य प्रदर्शित ईशर-कमिटी व उसकी सिफारिशों को भारत की परधीनता व अशहायता को बढ़ाने में जानकर उनकी निन्दा की गई और उन सिफारिशों को भी असहयोग आन्दोलन का एक — कोष एकत्र करने का निश्चय तो अक्टूबर में ही हो गया था, लेकिन बाद में अखिल-भारतीय-रमारक-कोष व स्वराज्य-कोष को मिलाकर एक कर दिया गया।

और कारखाना माना गया। मुसलमानों को गो-बन्ध के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने पर धन्यवाद दिया गया और जनता से आग्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़े के नियांत को निरुत्साहित करे। निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के बारे में भी प्रस्ताव पास हुए।

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैं। कांग्रेस का ध्येय बदल दिया गया। कांग्रेस का ध्येय “शान्तिमय व उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना” घोषित किया गया। कांग्रेस का प्रांतीय संगठन प्रान्तों की भाषा के अनुसार किया गया। विपय-समिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले अधिवेशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यता केवल महासमिति के सदस्यों तक सीमित रखना—ये माँके के परिवर्तन थे, लेकिन विपय-समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ३५० तक कर दी गई। समापति, मन्त्री व कोषाध्यक्ष समेत १५ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये विधान का एक ऐसा अंग था जिसने कांग्रेस के रोजमर्रा के कार्य में एक क्रांति ही कर दी है।

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को उनके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध उच्चता और नीरतापूर्ण संग्राम छेड़ने पर सहायता देने का भी प्रस्ताव पास किया और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों द्वारा प्रारम्भ की गई शान्तिमय असहयोग की नीति को पसन्द किया। फिजी के भारतीयों की, जिन्हें भारत लौटने के लिए बाध्य किया गया था, भारत-द्वारा कोई सहायता न हो सकने पर दुःख प्रकट किया। सबसे अन्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उपलक्ष्य में कांग्रेस ने दीनबन्धु एण्डरूज को धन्यवाद दिया।

टिप्पण्य

१. चम्पारन-सत्याग्रह

विहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहारों ने इस जिले में नील की खेती करना प्रारम्भ किया। आगे चलकर इन लोगों ने वहा के जमींदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा बना, भूमि के बड़े-बड़े भाग अपने हाथ में कर लिये। विशेषकर महाराज बेविषा की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ लदा हुआ था। इन गोरे खेतिहारों ने अपने प्रभाव और दब्ये से, जो कि उन्होंने जमीन प्राप्त करके वहाँ पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जो कि उन्हें हुकूमत करनेवाली जाति का होने के नाते प्राप्त था, शीघ्र ही वहा के गाँवों के किसानों से अपने लिए नील की खेती करना प्रारम्भ कर दिया। आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान अपनी ३ या ६ भूमि पर नील अक्षय बोयें। कुछ ही दिनों में इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट में इस बात को कानून का रूप दिलवा दिया। नील पैदा करने की यह प्रथा आगे चलकर ‘तीन कठिया’ के नाम से मशहूर हुई, जिसके मानी थे एक बीगे का ३/२० भाग। किसानों की यह शिकायत थी कि नील की खेती से उन्हें कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इससे उनकी अन्य खेती को नुकसान पहुँचता था और इसके लिए उन्हें जो मजदूरी मिलती थी वह नाममात्र की थी। कई बार उनकी शिकायतों में जोर था, परन्तु कर्जों के साथ उन्हें वही वा-वही दबा दिया गया। लेकिन कभी-कभी इतना अक्षय हो जाता था कि किसानों के इस सिर उठाने के बाद उनको नील के मूल्य में कुछ हदि अक्षय कर दी जाती थी। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में अन्य अनेक चीजों के मेल से रंग तैयार होने लगे। इसका अक्षयक परिणाम यह हुआ कि पूर्वोक्त अक्षय में नील पैदा कराने पर भी नील का अक्षय लाभप्रद नहीं रहा। फलतः उनके

शर्तनाम का इतिहास । भाग २

गने बन्द होने लगे । लेकिन इस मुद्दान का खाने खाने बंधे पर लेने के बन्ध
 गीब किसानों के गिरावट देने के उपाय गोरे । इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम
 गोरे में, जिन्हीं जमीनों के लिए उनके पास रक्कत पेश था, उन्होंने किसानों से लगान
 गने के इकट्ठानामे लिखा लिये और बदले में उन्हें नील पेश करने के बन्ध से मुक्त

प्रकार के हमारे ही शर्तनाम लिखाये गये । किसानों का कहना था कि ये शर्तनाम उन्हें
 पाये गये हैं । खामतौर पर तो लगान के ये बाटे गैर-कागूनी होते । लेकिन टेनेसी-
 भाग थी जिसके कारण ये गैर-कागूनी होने से बच गये । टेनेसी एक्ट में यह नियम
 प्रस्ताव करने पर बनाया गया था । सरकार ने लोकमत का तीन विशेष होने पर भी,
 और और बाहर, निराले गोरे के ये शर्तनाम लिखाने और उन्हें पूरा करने में मदद ही
 शर्तनामों की रजिस्ट्री करने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे । लेकिन
 यही पट्टे नहीं थे, वहाँ किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का आरोप था, नील पेश
 करने के लिए जबरदस्ती नकद खया वसूल किया, या खये के मूल्य की कोर्र और
 इन जमीनों के लगान में बाढ़ा इसलिए नहीं कया कि पट्टे की मियाद पूरी हो जाने
 लाभ असली जमींदार को पहुँचता । परन्तु इस तरह नकद खया लेना तो टेनेसी-एक्ट
 के शर्तनामों के भी विरुद्ध था । इस प्रकार इन गोरे ने गरीब किसानों से कोर्र
 वसूल किया । क्योंकि साथ चम्पारन जिला इन्हीं गोरे के हाथों में आ गया था,
 तो उसके मुख्तलिफ़ टुकड़े कर लिये थे । गोरे के प्रत्येक छप के पास चम्पारन जिले का
 भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी । इनका प्रभाव सरकारी हलकों में इतना था कि
 किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए
 नहीं सकते थे कि इन गोरे के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मामला
 ही भी हाकिम से शिकायत कर सकें । उच्च-जाति के हिन्दुओं तक को पिटवाना, कात्री
 बन्द कर देना तथा हजार दंग से उन्हें तंग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें
 नाई, घोड़ी, चमार बन्द कर देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उनकी
 गीतर उन्हें बन्द कर देना, अक्षुओं को उनके दरवाजों पर बिठा देना आदि बातें भी
 तो आये दिन बखबर उनपर बातचीत रहती थी । ये लोग किसानों से जबरदस्ती अनुचित
 जाति के नश्राने भी लिया करते थे । जाँच करने पर यह बात हुआ था कि ५० प्रकार
 ल किये जाते थे । उनमें से कुछ के नाम यहाँ देना अनुचित न होगा । विवाह पर, चूल्हे
 लाग लगी हुई थी । यदि साहब बीमार हैं और पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है,
 जानों को इसके लिए 'पहाड़ी' नामक लाग देना पड़ता था । यदि साहब को सवारी के
 भी या मोटर की जरूरत होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए "घोड़ाही" "हाथि-
 हार्द" नामक विशेष लाग देने पड़ते थे । इन लागों के अतिरिक्त किसानों से मारी-
 भी वसूल किये जाते थे । यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पड़ा जिससे साहब
 दुखे को बुरा लगा, तो उसपर जुमाना कर दिया जाता था । इस प्रकार से ये लोग ।
 जै की अदालत और हाकिम ही बन बैठे थे ।
 शर्तनामों के, इन किसानों की मुसीबत को दूर करने के लिये
 किसानों की इन मुसीबतों को जानती थी, उन्हें मानती

ते भी प्रकट करती थी, लेकिन उनके कष्ट दूर करने में या तो अपने को शक्तिहीन समझती थी और या कुछ खास करना नहीं चाहती थी।

यह अवस्था थी जब कि कुछ इन किसानों के और कुछ विहार के प्रतिनिधि गांधीजी के पास खनऊ-काम्रेस के अवसर पर पहुँचे। उन्होंने उन्हें चम्पारन आकर स्थिति का अध्ययन करने का आचन दे दिया।

१९१७ में गांधीजी मोतीहारी पहुँचे। यह जिले का मुख्य स्थान था। गाँवों को देखने के लिए यह खाना होने वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले जाओ। गांधीजी भला इस हुक्म को कब माननेवाले थे। उन्होंने अपना 'कैम्ब्रेडिन्द' का स्वर्ण पदक, जो कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया। मजिस्ट्रेट की अदालत में उन पर दफा १४४ भंग करने का मुकदमा चला। उन्होंने अपने को अपराधी स्वीकार करते हुए एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय एक अपरिचित और नई श्रृंखला को लिये हुए था, हालांकि आज हम उससे भलीभाँति परिचित हो चुके हैं। सरकार ने अन्त में मुकदमा वापस ले लिया और उन्हें अपनी जाँच करने दी। इस जाँच में उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से कोर्ट २० हजार किसानों के बयान कलमबन्द किये। इन्हीं बयानों के आधार पर गांधीजी ने किसानों की माँगें पेश कीं। आखिरकार सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निलदे गोरों के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानों की ओर से प्रतिनिधि रखा गया था। इस कमीशन ने जाँच के बाद एकमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, जिसमें किसानों की लगभग सभी शिकायतों को जायज माना गया। उस रिपोर्ट में एक समझौता भी लिखा गया था, जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो रुपया गोरों ने नकद वसूल किया था उसका एक भाग लौटा देना तय हुआ था। इनकी शिफारिश को बाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को पैदा करना या 'तीत-कठिया' लेना मना कर दिया गया। इसके कुछ वर्ष बाद ही अधिकांश निलदे गोरों ने अपने फारसाने बेच दिये, जमीन बेच दी और जिला छोड़कर चले गये। आज उन स्थानों के, जो कभी निलदे गोरों के महल थे, खरबूर ही शेष हैं। वे लोग, जो अभी तक वहाँ मौजूद हैं, नील का काम कतई नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों की तरह खेती बाढ़ी करके बसर करते हैं। अब न तो उनको वह गैर-कानूनी आमदनी ही रह गई है और न वह प्रतिष्ठा ही, जो उनकी आमदनी का एक कारण थी। जिन अत्याचारों और मुसीबतों को देश के अनेक नेता और सरकार दोनों पिछले सौ वर्षों से दूर न कर सके वे इस प्रकार कुछ ही महीनों में मिट गये।

२. खेड़ा-भारतमह

सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, बल्कि सत्याग्रह के सिद्धान्त का जहाँ तक प्रश्न है, चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्वपूर्ण खेड़ा का (१९१८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी के भारत के सार्व-जनिक ध्येय में प्रवेश करने से पहले, भारतीय किसान यह नहीं जानते थे कि, धीरे-से-धीरे अदालत के दिनों में भी वे सरकार के लगान लेने के अधिकार के सम्बन्ध में कुछ एतराज कर सकते हैं। उनके प्रतिनिधि सरकार के पास आवेदन एवं प्रार्थनापत्र भेजते थे, स्थानीय कौंसिलों में प्रस्ताव करते थे। बस, यहाँ पर उनका विशेष सम्पर्क हो जाता था। १९१८ में गांधीजी ने एक नये युग का धींगण्डेठ किया। गुजरात के खेड़ा जिले में इस वर्ष ऐसा युग समय आया कि जिले भर की सारी फसल खरबूर गई। अवस्था अदालत के समान हो गई थी। किसान लोग यह महसूस करने लगे थे कि अवस्था

नील के कारवाने बन्द होने लगे। लेकिन इस मुकदमाने को अपने अपने कंधे पर लेने के बजाय उन्होंने उसे गरीब किसानों के सिर मढ़ देने के उपाय सोचे। इसके लिए उन्होंने दो उपायों से काम किया। उन गांवों में, जिनकी जमीनों के लिए उनके पास स्थायी पट्टा था, उन्होंने किसानों से लगान में बढ़ोतरी कराने के इकरारनामे लिखा लिये और बदले में उन्हें नील पैदा करने के बन्धन से मुक्त कर दिया।

इस प्रकार के हजारों ही शर्तनामे लिखाये गये। किसानों का कहना था कि ये शर्तनामे उनके जबरदस्ती लिखाये गये हैं। आमतौर पर तो लगान के ये बाटे गैर-कानूनी होते। लेकिन टेनेसी-एक्ट में एक धारा थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से बच गये। टेनेसी एक्ट में यह नियम निलहे गोरों के प्रस्ताव करने पर बनाया गया था। सरकार ने लोकमत का तीव्र विरोध होने पर भी, कांसिलों के भीतर और बाहर, निलहे गोरों के ये शर्तनामे लिखाने और उन्हें पूरा करने में मदद की। इन शर्तनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त किये थे। लेकिन जहाँ उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, वहाँ किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का आशीर्ष था, नील पैदा करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई और चीज ले ली। इन जमीनों के लगान में बाढ़ा इसलिए नहीं करवाया कि पट्टे की मियाद पूरी हो जाने के बाद तो वह लाभ असली जमींदार को पहुंचता। परन्तु इस तरह नकद रुपया लेना तो टेनेसी-एक्ट में दी गई विशेष रिश्तायतों के भी विरुद्ध था। इस प्रकार इन गोरों ने गरीब किसानों से कोई १२ लाख रुपया वसूल किया। क्योंकि सारा चम्पारन जिला इन्हीं गोरों के हाथों में आ गया था, इसलिए उन्होंने उसके मुख्तलिफ़ टुकड़े कर लिये थे। गोरों के प्रत्येक सच के पास चम्पारन जिले का कोई-न-कोई भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी इलाकों में इतना था कि बेचारे गरीब किसान इस बात का साहस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए बिना, कर ही नहीं सकते थे कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी प्रकार का मामला चलावें या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सकें। उच्च-जाति के हिन्दुओं तक को पिटावना, काजी हीजों में उन्हें बन्द करा देना तथा हजार दंग से उन्हें लग करना और उनपर अत्याचार करना, जिनमें मकानों की लूट, नार्ई, धोबी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उनकी मकानों के भीतर उन्हें बन्द कर देना, अलूतों को उनके दरवाजों पर बिठा देना आदि बातें भी शामिल थीं, जो आये दिन बरबर उनपर बातचीत रहती थीं। ये लोग किसानों से जबरदस्ती अनुचित रूप से भावि-भावि के नज्दाने भी लिया करते थे। जाच करने पर यह बात हुआ था कि ५० प्रकार के नज्दाने वसूल किये जाते थे। उनमें से कुछ के नाम यहा देना अनुचित न होगा। विवाह पर, जूरे पर, कोल्हू पर लागू लागी हुईं थीं। यदि साहब बीमार हैं और पहाड़ पर जाने की आवश्यकता है, तो बाढ़ के किसानों को इसके लिए 'पहाड़ही' नामक लागू देना पड़ता था। यदि साहब को सवारी के लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरूरत होती तो किसानों को उसके मूल्य के लिए "बोहाही" "हाथी-याही" या "द्वार" नामक विशेष लागू देने पड़ते थे। इन लागू के अतिरिक्त किसानों से भारी-भारी जुर्माने भी वसूल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पड़ा जिसके लिये

को या किसी दूसरे को डुग लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता था। इस तरह से उस जिले की अदालत और हाकिम ही बन बैठे थे।

सर्वजनिक सेवकों के, इन किसानों की मुर्दाबत को दूर थे। सरकार किसानों की इन मुर्दाबतों को जानती थी, उन्हें

जब बातों को वे आनन्द के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छुटने पर उनके शुल्स निकालते थे।

इस भगड़े का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीब किसानों के लगान को मुलतवी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्धजनिक घोषणा किये हुए। उन्होंने किसानों को यह भी न अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूंकि यह रिआयत एक तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दोलन के फल-स्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के, इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ पहुंचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण-विजय थी। लेकिन उससे अप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले। उस सझाई से गुजरात के किसानों में एक महान् जाग्रत की नींव पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनी 'आत्म-कथा' में लिखते हैं :—

“गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। सबने समझा कि प्रजाकी मुक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्याग्रह ने लेशा के द्वारा गुजरात में जड़ जमाई।”

३. अहमदाबाद-सत्याग्रह

गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भांति ऐसी रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जात के स्वतन्त्रता के इतिहास की शोभा बढ़ सकती है। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व प्रहय नहीं किया था। औद्योगिक भगड़ों को मुलभन्ने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका आधार सत्य और अहिंसा था। उसके ऐसे मजबूत और दूरगामी परिणाम निकले हैं जिनके कारण अहमदाबाद का मजदूर सघ कितने ही औद्योगिक दुष्टानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर परिचयी यात्री दग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि सक्षिप्त पर्यन्त भी इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रगे जा सकते हैं—परन्तु मैं यहाँ केवल इतनी ही बात लिखकर सतोष करूंगा कि गांधीजी ने उसमें कितना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा क्या है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के और संसार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में कितना अन्तर है।

१९१६ से भीमती अनन्या बेन सायभार मजदूरों में शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रही थीं। मजदूरों के इस सम्पर्क के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों और मुसीबतों का ज्ञान हो गया था। सबसे पहले तानीवालियों को उनकी सलाह और सम्पर्क से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन उन्हें शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि यदि सारे मजदूरों का संगठन किया जाय और उन्हें कुछ वास्तविक सहायता पहुँचाई जाय, तो उसके लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पथ-प्रदर्शन और सलाह की आवश्यकता है जिनमें उनका पूर्ण-विश्वास हो। १९१८ में हुनकरों और मिल-मालिकों में जो भगड़ा उठ खड़ा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना पड़ा। उन्होंने मिल-मालिकों को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करने की अपेक्षा अपने पंचायत के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह मजदूर-आंदोलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। गांधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की ओर से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच-पेवने की बात बीच में ही टूट गई। क्योंकि शोरी मिलों के मालिकों ने पंच की शर्तों

को देखते हुए लगान स्थगित होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मौकों पर जो उदाय काम में लगे जाते थे, उन सबको आजमाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। किसानों का कहना कि फसल रुपये में चार आना भी नहीं हुई। दूसरी ओर सरकारी अफसरों का कहना था कि चार आने से ज्यादा हुई है, और इसलिए किसानों को, कानून के अनुसार, लगान मुलतवी करने को कोई अधिकार नहीं है। किसानों की सारी प्रार्थनायें निरर्थक साबित हो चुकी थीं, अतः गांधीजी पास किसानों को सत्याग्रह की सलाह देने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने लोगों से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील की और कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें अपने अधिकारों आदि का ज्ञान करावें। गांधीजी की अपील का असर तुरन्त ही हुआ। सबसे पहले स्वयंसेवक बनने को आगे बढ़ने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल थे। आपने अपनी खासी और बढ़ती हुई कालत पर लाठ मार दी, और सब कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फकीरी ले ली। खेड़ा का सत्याग्रह ही इन दो महान् पुरुषों को मिलाने का कारण बना। सरदार वल्लभभाई के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का यह श्रीगणेश था। उन्होंने अन्तिम निश्चय करके अपने-आपको गांधीजी के अर्पण कर दिया। जैसे-जैसे समय गया उनका सहयोग बढ़ता ही गया। किसानों ने एक प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे अपने को भूटा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जबरदस्ती बढ़ाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी जमीनों को जन्त कराने के लिए तैयार हैं। उनका यह भी कहना था कि हममें से जो लोग खुशहाल हैं, यदि गरीबों का लगान मुलतवी कर दिया जाय, तो वे अपना लगान चुका देंगे।

अब किसानों को एक नये ढंग से शिक्षित किया जाने लगा। उन मिदान्तों की शिक्षा उन्हें दी गई जो उन्होंने पहले कभी सुने तक न थे। उन्हें यह बताया जाता कि आपका यह इक है कि आप सरकार के लगान लगाने के अधिकार पर ऐतयाज करें। यह भी कि सरकारी अफसर आपके मालिक नहीं नौकर हैं, इसलिए आपको अफसरों का सारा भय अपने दिल से निकालकर डराये-धमकाये जाने की, दमन और दबाव की और उससे भी बढ़कर जो आ पड़े उन सबकी परवा न करते हुए अपने हकों पर बटे रहना चाहिए। उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी सीखना था, जिनके जाने बिना बड़े से-बड़ा साहम-कार्य भी आगे चलकर दूषित और भ्रष्ट हो सकता है। गांधीजी, सरदार पटेल तथा उनके अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांव से दूसरे और वहाँ से तीसरे में जाकर किसानों को यही उपदेश और शिक्षा देते थे और कहते थे कि मवेशियों तथा अन्य वस्तुओं के दुर्क किये जाने, जुर्माने और जमीन जन्त होने की घमकी के मुकाबले में भी हड़तापूर्वक बटे रहो। इस उद्देश के लिए धन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी बम्बई के व्यापारियों ने चन्दा करके आन-रसकता से अधिक धन भेज दिया। इस सत्याग्रह में गुजरात को सविनय-भंग का पहला सबक सीमने का अचर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के लिये सत्याग्रह से गांधीजी ने लोगों को सलाह दी कि जो खेत खेजा बुर्का कर लिया गया है उसकी फसल बाटकर ले आवे और (स्वीस) भी मोहनलाल परध्या इस कार्य में किसानों के अगुथा बने। लोगों को अपने ऊपर जुर्माने लगाने और जेल की सजा को आमंत्रित करने की शिक्षा प्रदत्त करने का यह अच्युत अचर था, जो कि सत्याग्रह का आवश्यक परिणाम हो सकता है। मोहनलाल परध्या एक खेत की प्याज की फसल बाट कर ले आये। उन्हें इस कार्य में कुछ किसानों ने मदद दी। उन सब लोगों की गिरफ्तारियाँ हुईं, मुचदमे चले और मोढ़े-मोढ़े दिन की सजायें हुईं। लोगों के लिए यह एक अद्भुत प्रयोग था। उन

सब बातों को वे आनन्द के साथ करते थे। वे अपने नेताओं की जय-जयकार करते थे और जेल से छुटने पर उनके जुलूस निकालते थे।

इस भगड़े का यकायक ही अन्त हो गया। अधिकारियों ने गरीब किसानों के लगान को मुह्वनी कर दिया। लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। उन्होंने किसानों को यह भी अनुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करके हुआ है। चूंकि यह रिश्तायत एक तो देर से ही गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दोलन के फल-स्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के, इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ पहुंचा। यद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुई, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूर्ण-विजय थी। लेकिन उससे अप्रत्यक्ष फल बहुत थके निकले। उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक महान् जागृति की नींव पड़ी और वास्तविक राजनैतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। गांधीजी अपनी 'आत्म-कथा' में लिखते हैं :—

“गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज आया, नया उत्साह भर गया। सबने समझा कि प्रजाकी मुक्ति का आधार खुद अपने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्याग्रह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में जड़ जमाई।”

३. अहमदाबाद-सत्याग्रह

गांधीजी द्वारा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के संगठन की कहानी उपन्यास की भाँति ऐसी रोमांचकारी है कि उससे किसी भी जात के स्वतन्त्रता के इतिहास की शोभा बढ सकती है। उस समय महात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण नहीं किया था। औद्योगिक भगड़ों को मुलभङ्गने के लिए इतिहास में सबसे पहली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका आधार सत्य और अहिंसा था। उसके ऐसे मजबूत और दूरगामी परिणाम निकले हैं जिनके कारण अहमदाबाद का मजदूर सभ कितने ही औद्योगिक तृपानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर परिचयी यात्री दंग रह जाते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। उस कहानी का यदि सक्षिप्त वर्णन भी इतिहास में किया जाय तो अनेक पृष्ठ रंगे जा सकते हैं—परन्तु मैं यहाँ केवल इतनी ही बात लिखकर सतोष करूँगा कि गांधीजी ने उसमें कितना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा क्या है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें तथा भारत के और संसार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में कितना अन्तर है।

१९१६ से भीमवी अनधिया बेन सावभारै मजदूरों में शिक्षा-सम्बन्धी कार्य कर रही थीं। मजदूरों के इस सम्पर्क के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों और मुसीबतों का ज्ञान हो गया था। सबसे पहले तानीवाल्लों को उनही सलाह और सम्पर्क से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन उन्हें शीघ्र ही यह अनुभव होने लगा कि यदि सारे मजदूरों का संगठन किया जाय और उन्हें कुछ वास्तविक सहायता पहुँचाई जाय, तो उसके लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पथ-प्रदर्शन और सलाह की आवश्यकता है जिसमें उनका पूर्ण-विश्वास हो। १९१८ में हुन्टरो और मिल-मालिकों में जो भगड़ा उठ लड़ा हुआ था उसके सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना पड़ा। उन्होंने मिल-मालिकों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करने की अपेक्षा उनसे पंचायत के निर्वाह को स्वीकार करा लिया। यह मजदूर-आन्दोलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। गांधीजी और सरदार यल्लभभाई पटेल ने मजदूरों की ओर से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच-

कर दी। गांधीजी ने स्वयं इसके लिए श्रेष्ठ प्रकाशित करके मजदूरों को पाठ्य काम पर मजबूर किया। यद्यपि समाजवादी-मजदूर दोनों और से कुछा था, तो भी मिल-मालिक कुछ मुनो ही न थे। गांधीजी ने मजदूरों को कुछ निश्चित कार्य करने की गारंटी देने से पहले खुद इस समस्या का गहराई से साथ अध्ययन किया। स्वाभाविक व्यवस्था, उगते मिलों को होने वाले काम, जीवन की आवश्यकताओं की गंवारों और दूसरी और मिलों में उत्पादन-स्तरों की वृद्धि—ये उनही क्षेत्रों के मुद्दे विषय थे। इस जांच के परिणाम पर गांधीजी पहुंचे यह-यह था कि मजदूरों को मजदूरी में कम-से-कम ३५ फी सदी की वृद्धि की जाय। मजदूरों की मांग यद्यपि इतने कुछ अधिक थी, तो भी ये उसे स्वीकार कर लेने पर राजी कर लिए गये। इसके बाद उन्हें इस बात की शिक्षा दी गई कि अपनी मांग को सदैव कम-से-कम और जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित करके पेश करना चाहिए। यह सु-परम्परा यहाँ आज तक बरकरार चली आ रही है।

इस प्रकार जो मार्ग तैयार की गई थी उसे मिल-मालिकों के सामने रखत गया। उन्होंने २० फी सदी से अधिक देने से इन्कार कर दिया और यह दिया कि २२ फरवरी १९२८ के मिलों में वाले हाल दिये जायेंगे। इस पर गांधीजी ने सारे मजदूरों की एक सभा बुलाई और एक पत्र के नीचे, जो अभी तक पवित्र समझा जाता है, उनसे प्रतीक्षा कराई, कि वे तब तक काम न करेंगे जब तक कि उनकी पूरी मांग स्वीकार नहीं हो जाती। प्रतीक्षा में यह बात भी थी कि वे लोग जब तक मिलों में वाले पड़े रहेंगे तब तक किसी हालत में शांति-मजदूर न करेंगे। यह प्रतीक्षा करने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बड़े जोर-शोर के साथ प्रारम्भ किया गया। श्रीमती अनन्याया वेन दरवाजे-दरवाजे जाती थीं। भी शंकरलाल बैकर तथा छगनलाल गांधी भी इसी कार्य में जुट पड़े थे। नोटिस बाँटे जाते थे, रोज स्थान-स्थान पर विराट सार्वजनिक सभायें की जाती थीं। इन नोटिसों को गांधीजी स्वयं लिखते थे। उनमें यह मजदूरों को बड़ी आसान भाषा में यह समझाते थे कि जिस संघर्ष में वे लोग जुटे हुए हैं वह केवल औद्योगिक ही नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष भी है जिसमें उनका प्रत्येक दृष्टि से उत्थान होगा और साथ ही एक मजदूरी में भी वृद्धि हो जायगी। यह संघर्ष एक पक्षवादी तक बरकरार चलता रहा। लेकिन मजदूर लोग इस बात के आदी नहीं थे कि वे अधिक समय तक अपनी मजदूरी का पाठ्य हार करें, इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीत होने लगे। उन लोगों में जो नासमझ थे वे तो यहाँ तक बढ़बढ़ाने लगे कि गांधीजी के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस बात का उद्देश्य दें कि हम लोग अपनी प्रतिज्ञाओं पर बड़े रहें, लेकिन हम लोगों के लिए, जिनके बाल-बच्चों के भूखों मरने की नौबत आ गई है, यह इतना आसान नहीं है। यह गांधीजी के लिए एक ईश्वरीय चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होंने शाम की सभा में यह घोषित कर दिया कि जब तक मजदूर लोग अपनी प्रतिज्ञा पर बड़े रहने की शक्ति नहीं पा जाते तब तक न तो वह किसी सवारी में ही चलें और न भोजन ही करेंगे। यह समाचार विद्युत्-गति से सारे भारतवर्ष में फैल गया। पर आत्म-अनुराग था। यद्यपि उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह भिन्न थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सारी उस महान् नैतिक कार्य के लिए लगा दी थी, जिसमें कि मजदूरों का एक विशाल जन-समूह प्रतिज्ञाबद्ध था। नुकताचीनी करने वालों ने इस पर खूब आलोचनायें कीं, कि यह मिल-मालिकों पर बेजा दबाव डालना है। गांधीजी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यह उपवास का अर्थ उन पर पड़े बिना नहीं रह सकता और इस इंत तक वह बलात्कार ही हो सकता है। लेकिन उपवास का यह अप्रत्यक्ष प्रभावे मात्र ही होगा। क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य

वो मजदूरों को अपनी प्रतिज्ञा पर, जो कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ की थी, हटे रहने के लिए बल प्रदान करना ही है। गांधीजी प्रतिज्ञा की पवित्रता और ईमानदारी के साथ उसे पालन करने की बात से जितने प्रभावित होते हैं उतने और किसी से नहीं। फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। जितनी प्रतिज्ञा-भंग करने से उन्हें पीड़ा पहुँचती है, उतनी और किसी बात से नहीं। मजदूरों ने उन्हें बहुतेग सम्भ्रमाया, पर उनका निर्णय अटल था। इस पर गांधीजी ने उनसे अपील की कि वे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें, और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उस पर ईमानदारी के साथ अपनी रोटी पैदा करें। गांधीजी के लिए यह बहुत आसान था कि वह इन मजदूरों की आर्थिक सहायता के लिए धन की अपील करते, जिससे काफी धन अग्रय्य आ जाता, लेकिन इस तरह भित्तान्न देना उन्हें पसन्द न था। उनका कहना था कि मजदूरों की सारी समस्या निष्कल हो जायगी और उसका साध मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भित्ता द्वारा सहायता दी जाय। सत्याग्रहार्थम साधरमती की भूमि पर सैकड़ों मजदूरों को काम मिल भी गया, जहा कि हमसर्वे बन रही थी। वे आभ्रम के सदस्यों के साथ बड़े आनन्द से काम करने लगे। इनमें सबसे आगे श्रीमती अनन्या बेन थी, जो मिट्टी, ईंट और चूना ढो रही थी। इधका बच्चा ही नैतिक प्रभाव पड़ा। इससे मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर और भी दृढ़ हो गए, और मिल मालिकों के भी दिल दहल गए। देश के विभिन्न भागों से नेताओं ने उनसे अपील की। अपील करने वाले नेताओं में डा० वेसेण्ट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालिकों की यह तार भेजा था—

“भारत के नाम पर मान जाओ और गांधीजी के प्राण बनाओ।” उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ आया जिससे मजदूरों की भी प्रतिज्ञा-भंग नहीं होती थी और इधर मिल मालिक भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनों ने पंच-पैसला मानना स्वीकार कर लिया। पंचों ने मजदूरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का निर्णय किया।

मजदूरों की समस्या के शान्ति-पूर्ण दृष्ट से मुलभ जाने के कारण कांग्रेसी नेताओं और मजदूरों में एक सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसीके फलस्वरूप मजदूरों का ‘मजूर-महाजन’ नामक एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो आज १५ वर्ष से श्रीमती अनन्या बेन और भी शकरलाल बैकर की देख-रेख में प्रगति के साथ काम करता हुआ चला आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति हैं। इस संस्था के बदीलत मजदूर अब तक कितने ही कठिन तूफानों को पार कर गये हैं और अहमदाबाद नगर को बड़े-बड़े औद्योगिक संकटों से बचाया है। यहाँ के मजदूर बहुत ही सुसंगठित हैं। ‘मजूर-महाजन’ के प्रधान मन्त्री लाला गुलजारीलाल की देख-रेख में उसके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें जो मुन्दर शिक्षा दी जा रही है वह ऐसी है कि जिसके द्वारा मजदूरों ने समय-पड़ने पर ठोस और व्यापक सार्वजनिक सेवार्थ की हैं। गांधीजी के परामर्श से ‘मजूर-महाजन’ ने १९२७ के बाढ़-पीड़ितों की अखंडी सहायता की थी। १९३० के सत्याग्रह-युद्ध के जमाने में इन मजदूरों ने बड़े जोरों से नराना निषेध का कार्य किया। कांग्रेस के आदेशानुसार कोई २०० स्वयंसेवक इन लोगों में से पिकेटिंग के लिए आगे आये और उनमें ने १६२ जेल गये। उसके बाद उनमें और मिल-मालिकों में बका-सा भगदड़ खडा होगया था। लेकिन उनके मारी अनुशासन की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने १६ महीने तक, सब तक गांधी जी पंच-पैसले की बातचीत करते रहे, बगबर शान्ति रखी। संसार-भर में अहमदाबाद का ही यह ऐसा मजदूर-संघ है जिसने सत्य

असहयोग पूरे जोर में—१९२१

नागपुर-कांग्रेस से वास्तव में भारत के इतिहास में एक नया युग पैदा होना है। निर्बल, भ्रष्ट और आभ्रद पूर्णक प्रार्थनाओं का स्थान जिम्मेदारी का एक नया भाव और स्वावलम्बन की स्फिरिट ले रहे थे। अब १९२० के आखीर और १९२१ की शुरुआत में भारत में जो कुछ घटनाएँ हुईं उन पर हम जवाब देर के लिए गौर करें। १९२० के अन्त तक नरम-दल वालों ने सदा के लिए कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया। लिबरल-फेडरेशन के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में भी सी० वार्ड० चिन्ता-विधि ने उत्तम भावण दिया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 'सर' हो गये थे। लॉर्ड सिद्द बिहार और उड़ीसा में पहले गवर्नर बन चुके थे। १९२१ के आरम्भ में ही नये मन्त्रियों में लाला हरकिशनलाल (पंजाब) वैसे का भी नाम आया, जो कुछ ही महीने पहले बुरे बताने जाते थे, जिन्हें आज़नम देश-निकाले की उजादी गई थी और जिनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी। ह्यूक ऑफ कनाडा, सम्राट् वंचनम जॉर्ज के प्लासा, भारतवासियों के मनोमार्चों को शान्त करने और भारत में नया युग जारी करने के लिए यहाँ भेजे गये। उन्होंने एक बर्दिया बनववा दी :—

“मैं अपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूँ अब कि मेरी इच्छा हो सकती है कि पुराने जसमों को भूलूँ और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाऊँ। मैं भारत का एक पुराना मित्र हूँ और उसी नाते आप सबसे खरील करता हूँ कि मृत भूत-काल के साथ पिछली गलतियों को भी कत्र में गाड़ दीजिए; जहाँ माफ़ ही करना है, माफ़ कर दीजिए और बन्धे-से-बन्धा भिङ्गाकर एक साथ काम कीजिए, जिससे उन सब आशाओं की पूर्ति हो जो आज के दिन पैदा हो रही हैं।”

इसके बाद, अब बड़ी कौंसिल में पंजाब-हत्या-काण्ड पर प्रस्ताव काया गया उस समय सर-कार की तरफ से बहस का नेतृत्व सर विलियम विसेयट कर रहे थे। “उन्होंने उन अनुचित कार्यों के किये जाने पर शासकों की ओर से दिली अपखोस जाहिर करते हुए अपना यद्द इद्द निश्चय प्रकट किया था कि जहाँ तक मनुष्य की दृष्टि जाती है अब फिर से ऐसी घटनाओं का दोन्ना असम्भव हो जायगा।” इतना कह चुकने के बाद सरकार ने चतुर्दार्द पेलकर प्रस्ताव का तीसरा टुकड़ा, जिसमें कि “सबक देने लायक सजा देने” की सज़नीय थी, प्रस्तावक से वापस कर लिया। परन्तु बात दरअसल यह थी कि अनरल हायर जो अपने वद से इय दिया गया था, और इसलिए जो सम्भवतः पेंशन के इक से भी हाथ धो बैठा था, उसे अपर्षण करने के लिए अंमैज भरिलाओं ने भारत में २०,००० पौंड एकत्र किये; क्लैक से उसे “अपना प्राण” समझती थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसे एक तल-दार भेंट करके इन्फैरट और हिंदुस्तान में उसका खुने-खाम बड़ा खादर किया गया। उसे जो-कुछ हानि उठानी पड़ी हो उसकी अन्त में क्यादा पूर्ति इस तरह होगई थी। कर्नल ऑन्सन, जो दूसरा

बरसा मिल गया। म हो एकूक गारव की आनील हो और न होमरीभर तर विहितम विमे
 'शागको की तरव से मेर प्रकाशन' से भाषण-मिषो के इन्दीभायी को का-विमिणी। अरवेग
 जद जम दुकी थी। पर-गु एक बाग टीक होयी थी और वर पर कि बही कौंसिल ने १९२१
 हुप्रकाश में एक बहिरी देताई थी कि वह दमनकारी कानूनों की अंच करे। और अन्व को ये
 भागन, विमिनस लॉ एग्जिस्टिण्ट एक्ट को छोडकर १९२२ की हुप्रकाश में ही सपमुंच गद कर
 गये थे। पर-गु इस सारी माहम २६ की होते हुए भी भावत का जमन हो गाजा ही बन्ग ग्या, उ
 ने बगबर भासद बरजा था और काँग्रेस को 'राही-भोगला पत्रो' और 'कौंसिलों द्वारा कानूनों को
 अगने की पुगनी दवाओं का अयसलवन छोडकर गुए उमका इलाज अगने हाथों में लेव पदा।

नागपुर-काँग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौंसिलों के बहिष्कार में स
 ीय सफलता मिली। हा, अदालतों और कानूनों के बहिष्कार में उतते कम सफलता मिली, फिर
 नही शान और रीव को वो गहरा भया पहुँचा। देश भर में कितने ही पट्टीलों ने बहालत छोड
 और दिलो-आन से अगने को आन्दोलन में भाँक दिया। हा, राष्ट्रीय-शिखा के क्षेत्र में अलन
 साशासीत सफलता दिगाई पड़ी। गांधीजी ने देश के नौजगनों से आनील की थी और उतका ज
 नकी और से बडे उल्हाद के साथ मिला। यह काम मरज बहिष्कार तक ही सीमित न था। गृही
 विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कालेज और राष्ट्रीय-स्कूल जगद-जगद गणे गये। युक्तप्रान्त, पंजाब और ब
 रदाते में यह मुक्त-आन्दोलन जोरों से चला। बङ्गाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग जनवरी के म
 देश-बन्धुदास की आनील पर हजारों विद्यार्थियों ने अगने कालेजों और परीक्षाओं को टोकर म
 । गांधीजी कसकसा गये और उन्होंने ४ फरवरी को वहाँ एक राष्ट्रीय-कालेज का उद्घाटन किया
 थी तरह यह पटना भी (दोवार) गये और वहाँ राष्ट्रीय-कालेज को खोलकर बिहार-विद्यापीठ व
 हूँ किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम-विद्यापीठ अलीगढ़, गुजरा
 विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विश्व विद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक ब
 दाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये। हजारों विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय-शिखा के
 देश में प्रोत्साहन मिल रहा था उतका यह फल था। अन्ध्र देश में १९०७ में राष्ट्रीय शिखा की
 शक्ति प्रज्वलित हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। वह अब फिर
 ती और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रैम्यूलेशन-संस्थाओं से असहयोग करने वालों की संख्या बहुत
 और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १९२०-२१ में
 अलत और विद्यालय छोडे थे।

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९२१ में अक्सर
 महीने मुखलिफ जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उसने कार्य-
 समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बंटवारा किया।
 नवरी १९२१ में नागपुर-काँग्रेस के स्वागतार्थ्यत सेद, जमनालाल बजाज ने अपनी रायबहादुरी
 स्वी छोड दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए विलक स्वराज्य-कोष में एक लाख रुपया
 दिया। ३१ जनवरी १९२१ को कलकत्ते में कार्यसमिति ने विलक-स्वराज्य-कोष के उपयोग के नियम
 त्तये। इस कोष का २५ फीसदी भिन्न-भिन्न प्रतियों की रकम से कार्य-समिति को देव्य तय हुआ था।
 कंठी वकील को १००) महीने से ज्यादा सहायता नहीं मिल सकती थी और किसी राष्ट्र-सेवक को
 ०) मासिक से अधिक नहीं। कर्ज का दोना इस सेवा के लिए एक अपवित्रता मानी गई। राष्ट्रीय-
 शिखा के लिए सविस्तर पाठ्यक्रम अभी नहीं बन सका था।

काठना सिलाना सय हुआ और प्राम-कार्यकर्त्ता के लिए एक तालीम का क्रम निश्चित हुआ। देश-बन्धुदास के जिम्मे हुआ मजदूर-सङ्गठन की देख-रेख और भी तेरसो आर्थिक-बहिष्कार कमिटी के संयोजक बनाये गये। बेजवाड़ा में ३१ मार्च और १ अप्रैल को कार्य-समिति की मी बैठक हुई। कार्य-समिति में सबका यही मत था कि लगानबन्दी का समय अभी नहीं आया है। बेजवाड़ा में ही महा-समिति ने यह सय किया कि स्वराज्य-कोष के लिए एक करोड़ रुपया जमा किया जाय, एक करोड़ कामेस के मेम्बर बनाये जाय और बीस लाख चले चलवाये जायें। प्रान्त की आबादी के अनुपात से इनकी पूर्ति करनी थी। पञ्जापत का सङ्गठन और शराब छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। हालांकि लोग ऐसे सुधार और सङ्गठन के निर्दोष कार्यों का प्रचार करते थे, तो भी सरकार ने पहले ही से दफा १४४ और १०८ का दौरा शुरू कर दिया था। उस समय महा समिति ने यह ठहराया कि देश में अभी इतना नियम-पालन का गुण्य और सङ्गठन-बल नहीं आ गया है कि जिससे तुरन्त ही सविनय भंग जारी किया जा सके और जिन-जिन के नाम पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार आशयें जारी हुई थीं उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया। कमिटी ने ननकाना-हत्याकाण्ड पर अपना तीव्र-संताप प्रकट किया और सिक्खों को उससे जो भारी हानि पहुची उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। सब तो यह है कि देश में मार्च के दूसरे सप्ताह से ही जोरा उमड़ रहा था। देशबन्धु दास मैगनसिंह जाने से रोक दिये गये। थाबू राजेन्द्रप्रसाद और मी० मजइहल हक को आश जाने की मनाही कर दी गई। श्री याकूबहुसेन कलरुत्ता जाने से और लाला लाजपतराय पेशावर जाने से रोके गये। कुल्लू और लोगों के नाम भी हुकम निकले थे। लाहौर में समाबन्दी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-काण्ड के मुकाबले में ये कुल्लू भी नहीं थे। मार्च के पहले हफ्ते में गुफद्वारा में कुल्लू सिक्ख इकट्ठे हुए। वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर धावा बोला गया और गोलिया चलाई गई, जिसमें लोगों के कथनानुसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० मीतें हुई थीं। वहाँ के महन्त ने, जोकि राजमक्त था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्तौल जमा कर रखे थे। एक गहदा खोद कर रखला गया था और बड़ी-सी आग जलाई जा रही थी। ५ मार्च को किसी सार्वजनिक विषय पर परामर्श करने के लिए लोग इकट्ठे होनेवाले थे। कई बदमाशों ने मिलकर यह करतूत की थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि यह तो सिक्खों के दो फिरकों की लड़ाई थी। ननकाना जैसा भीरण-काण्ड, जहा कि याभी इस तरह मार डाले गये हों और जिनमें अभी कुल्लू जान बाकी थी वह भी उब जलते

बदला मिल गया। न तो रूयूक राहब की अपील से और न होम मेम्बर सर विलियम विलेज के 'शासकों की तरफ से रोद-प्रकाशन' से भारतीयवासियों के मनोभावों को शांत मिली। असहयोग का जड़ जन्म चुकी थी। परन्तु एक बात ठीक हो रही थी और वह यह कि यही कौंसिल ने १९११ में शुरुआत में एक कमिटी बैठाई थी कि वह दमनकारी कानूनों की जांच करे। और अन्त को वे ही कानून, मिनिमल लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट को छोड़कर १९२२ की शुरुआत में ही सचमुच रद्द कर लिये गये थे। परन्तु इस सारी महत्त्व-पट्टी के होते हुए भी भारत का जन्म तो ताजा ही बना रहा, उससे बराबर मवाद बहता रहा और कांग्रेस को 'शाही-धोपया-पत्रों' और 'कौंसिलों-द्वारा कानूनों को रद्द करवाने की पुरानी दवाओं' का अवलम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हाथों में लेना पड़ा।

नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौंसिलों के बहिष्कार में सफलता मिली। हाँ, अदालतों और कालेजों के बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, फिर भी उनकी शान और रीब को तो गद्दय घका पहुँचा। देश भर में कितने ही वकीलों ने बजाल खोपरी और दिलो-जान से अपने को आन्दोलन में भोंक दिया। हाँ, राष्ट्रीय-शिद्दा के क्षेत्र में बजालव आशातीत सफलता दिखाई पड़ी। गांधीजी ने देश के नौजवानों से अपील की थी और उसका बरत उनकी ओर से बड़े उत्साह के साथ मिला। यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित न था। राष्ट्रीय विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कॉलेज और राष्ट्रीय-स्कूल जगह-जगह खोले गये। मुक्तप्रान्त, पंजाब और रत्न अहाते में यह सुवक-आन्दोलन जोरों से चला। बजाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग जनवरी के मध्य में देशबन्धुदास की अपील पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को टोकर का दी। गांधीजी कलकत्ता गये और उन्होंने ४ फरवरी को वहाँ एक राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्घाटन किया। इसी तरह वह पटना भी (दोबारा) गये और वहाँ राष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर बिहार-विद्यापीठ का मुहूर्त किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम-विद्यापीठ अलीगढ़, मुक्तप्रान्त विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बजाल-राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक ही वादाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये। हजारों विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय शिद्दा को जो देश में प्रोत्साहन मिल रहा था उसका यह फल था। अन्ध देश में १९०७ में राष्ट्रीय शिद्दा को ज्योति प्रज्वालित हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। वह अब प्रि तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेग्यूलेशन-संस्थाओं से असहयोग करने वालों की संख्या बढ़ गयी और आज के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १९२०-२१ में बजालव और विद्यालय छोड़े थे।

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९२१ में अन्त में महीने मुखलिक जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उसने कार्य-समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बंटवारा किया। जनवरी १९२१ में नागपुर-कांग्रेस के स्वागतार्थ्यत् सेट जमनालाल बजाज ने पदवी छोड़ दी और असहयोगी वकीलों की सहायता के लिए गिलक दिया। ३१ जनवरी १९२१ को कलकत्ते में कार्यसमिति ने बनाये। इस कोष का २५ फीसदी भिन्न-भिन्न प्रांतों की रकम से किसी वकील को (१००) महीने से ज्यादा ५०) मामिक से अधिक नहीं। कर्म का होना शिद्दा के लिए सर्वप्रकार पाठ्यक्रम अभी नहीं

बदला मिल गया। न तो रूयूक शास्य की अपील से श्रीर न रोम-मेम्बर सर विन्डल मिन्टो 'शासकों की तरफ से रोद प्रकाशन' से भाग्यवासियों के मनोमार्थों को शांति मिली। इन्हीं के जड़ जम चुकी थी। परन्तु एक साथ टीक होगी थी श्रीर यह यह कि बड़ी कौशल ने १९११ के शुरुआत में एक समिती बैठाई थी कि यह दमनकारी कानूनों की जांच करे। श्रीर कानून को कानून, मिनिमल-लॉ-अमेण्डमेण्ट एक्ट को छोड़कर १९२२ की शुरुआत में ही सन्मुख रक्तस गये थे। परन्तु इस मारी गरहम-पट्टी के होते हुए भी भारत का जश्म तो काय ही बना था। से बराबर मयाद बढ़ता रहा श्रीर कॉमिंस को 'शाही-घोषणा-पत्रों' और 'कौंसिलों द्वारा कानूनों को बनाने की पुरानी दवाओं का अवलम्बन छोड़कर खुद उसका इलाज अपने हाथों में लेना पड़ा।

नागपुर-कॉमिंस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया। कौंसिलों के बहिष्कार में ही नयी सफलता मिली। हाँ, अदालतों और कालेजों के बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, किन्तु उनकी शान और रोच को तो यह घबरा पहुँचा। देश भर में कितने ही बकीलों ने बहाल होना और दिलो-जान से अपने को आन्दोलन में भोंक दिया। हाँ, राष्ट्रीय-शाखा के क्षेत्र में बहाल आशातीत सफलता दिखाई पड़ी। गांधीजी ने देश के नौजवानों से अपील की थी और उसका उत्तर उनकी ओर से बड़े उत्साह के साथ मिला। यह काम महज बहिष्कार तक ही सीमित न था। नूतने विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कॉलेज और राष्ट्रीय-स्कूल जगह-जगह खोले गये। मुक्तप्रान्त, पंजाब और अन्य अहाते में यह युवक-आन्दोलन जोरों से चला। बङ्गाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग जगहों के में देशबन्धुदास की अपील पर हजारों विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजों और परीक्षाओं को टोस कर दी। गांधीजी कलकत्ता गये और उन्होंने ४ फरवरी को वहाँ एक राष्ट्रीय-कॉलेज का उद्घाटन कर ही तरह वह पटना भी (दोबाग) गये और वहाँ राष्ट्रीय कॉलेज को खोलकर बिहार-विद्यार्थी मुहूर्त किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम-विद्यापीठ अलीगढ़, विद्यापीठ, बिहार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विश्व विद्यालय, तिलक-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक ही वादाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये। हजारों विद्यार्थी उनमें आये। राष्ट्रीय विद्यार्थी जो देश में प्रोत्साहन मिल रहा था उसका यह फल था। अन्ध्र देश में १९०७ में राष्ट्रीय विद्यार्थी ज्योति प्रज्वलित हुई थी। वह कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगती थी। वह इस तेजी और स्पष्टता के साथ जलने लगी। रेग्यूलेशन-संस्थाओं से असहयोग करने वालों की संख्या बढ़ी थी और आब के बहुतेरे प्रान्तीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १९१०-११ के सफलता और विद्यालय छोड़े थे।

नागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-समिति की बैठक १९११ में इन्हें हर महीने मुखलिफ जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उन्हीं के समिति का चुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का संदर्य निम्न। जनवरी १९२१ में नागपुर-कॉमिंस के स्वागतार्थ्यत् सेट जमनालाल बजाज ने आन्ती दफ्तार पदवी छोड़ दी और असहयोगी बकीलों की सहायता के लिए तिलक-स्वराज्य-कोष में एक लाख रुपया दिया। २१ जनवरी १९२१ को कलकत्ते में कार्यसमिति ने तिलक-स्वराज्य-कोष के उद्घाटन के लिए बनाये। इस कोष का २५ फीसदी भिन्न-भिन्न प्रांतों की रकम से कार्य-समिति को देना था। किसी बकील को १००) महीने से ज्यादा सहायता ५०) मासिक से अधिक नहीं। कर्ज का होना इस शिद्दा के लिए सक्तर पाठ्यक्रम अभी नहीं

ली नौकरों पर सरकार की मुल्की या फौजी नौकरी छोड़ने सम्बन्धी अपनी राय जाहिर करे और साथ ही यह हरेक नागरिक का फुदरती हक है कि हरेक फौजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की रील करे कि उस सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करलें जिसने भारतीय जनता के विशाल बहुमत का स्वास एवं समर्पण मन्वा दिया है। मध्य-निपेध-आन्दोलन के सम्बन्ध में, शराबियों को शराब की दूकानों पर जाने के लिए सम्भानने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये अनुचित और अकारण हस्तक्षेप के बदीलत, अनाद, मतिया तथा अन्य स्थानों में कुछ कठिनाइयाँ खड़ी हो गई थीं। इसपर महासमिति ने चेतावनी की कि अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे हस्तक्षेपों की अवहेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का आदेश देना पड़ेगा। थाना के जिलाबोर्ड ने पिकेटिंग के सिलसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिकेटिंग जारी रखने का निरूचय किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देते हुए महासमिति ने भारत के प्रत्येक जिला व म्युनिसिपल बोर्डों से थाना-बोर्ड द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिए कहा। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस समय तक कांग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ था और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदूद रक्ता था। व्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीजों का ब्यापार बन्द कर दें। पूर्ण अहिंसा बनाये रखने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस सतर्क थी, परन्तु अलीगढ़ शहर के विभिन्न भागों में कुछ व्यक्तियों ने जोर-जबरदस्ती कर डाली थी—हालांकि वह की गई थी बहुत उत्तेजित किये जाने पर ही—उसके कारण महासमिति ने कांग्रेस-कमिटियों को पूर्ण अहिंसा की भावना भलोभाति हृदयगम करनेका आदेश दिया; साथ ही पारनाद, मतिया, गुन्वर, चिराला-पेवला, केरल तथा अन्य स्थानों में भारी उत्तेजना के बावजूद लोगों ने जो आत्म-संयम प्रकट किया उसके लिए उन्हें बधाई दी गई।

दमन-चक्र बड़े भयावह और विस्तृत-रूप में जारी था। खासकर युक्तप्रान्त में उसका बहुत जोरेशोर था। कई जगह तो गोली-कायद भी हुए थे। बहुत-से लोग, बिना मुकदमा लड़े, जेलों में पड़े हुए थे। उन सबको बधाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, कि स्वेच्छा-पूर्वक कष्ट-सहन और सजाई या जमानत दिये बगैर जेल जाने से ही हम स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न भागों में प्रांतीय सरकारों द्वारा किये गये दमन-के जवाब में सविनय अवज्ञा शुरु करने की मांग की थी। सीमाप्रान्त की सरकार ने तो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश करने की मनाही कर दी थी, जो अधिकाारियों द्वारा बन्ने में किये गये कथित अत्याचारों की जांच के लिए कायेत की और से नियुक्त की गई थी। इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि “हिन्दु-स्तान-भर में अहिंसात्मक आवावरण को और भी अधिक सुदृढ़ करने, इस बात की परीक्षा करने के लिए कि सर्व-माधारण के ऊपर कांग्रेस का प्रभाव किस हद तक कायम हुआ है, और देश में ऐसा आवावरण पैदा करने के लिए कि जिससे स्वदेशी का काम सृष्टिक जोरा को बात न रद कर नियमित रूप से और सुगमता-पूर्वक चलने लगे, महासमिति की राय है कि सविनय अवज्ञा को उस वक्त तक स्थगित कर देना चाहिए जबतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम पूरा न हो जाय।” गुजरात के आगमन के सिलसिले में महासमिति ने निरूचय किया, कि “(उनके) आगमन के सिल-सिले में सरकारी तौर पर या अन्य किसी प्रकार के जो भी समारोह हों, हरेक का यह कर्तव्य है कि न तो उनमें शर्क हों और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनका आयोजन में करें।”

पारनाद में एक बुलार्द १९२१ को अधिकाारियों ने भीक पर जो गोली-बार किया था उसकी जांच करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कार्य-समिति ने नागपुर के असहयोगी बडील

जिसमें गांधीजी ने वाइसरॉय के साथ हुई अपनी मुलाकात के सम्बन्ध में वक्तव्य पेश किया।

यह मुलाकात मालवीयजी ने करवाई थी। उस समय लार्ड रीडिंग वाइसरॉय हुए थे। २२ अप्रैल १९२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सन्चार्य और शुद्धभाव को देखने का अवसर मिला। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब न होगा। प्रसंगवश उन्होंने अली-भाइयों के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधीजी का ध्यान दिलाया, जिनसे गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था। गांधीजी को बताया गया कि इन व्याख्यानों का तालपर्यं हिंसा को सूक्ष्म रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में लगाया जा सकता है। गांधीजी तो ठहरे बड़े ही मुसिक-मिजाज। उन्हें भी जंचा कि हाँ इन भाषणों का देना अर्थ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होंने अली-भाइयों को लिखा और उनसे इस आशय का वक्तव्य निकलवाया कि उनका आशय ऐसा नहीं था।

यह 'माफी-प्रकरण' इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है। गौरे लोचन सरकार की इस विजय पर बड़े खुश थे। माली से लार्ड रीडिंग को ठसल्ली हो गई और उन्होंने अली-भाइयों पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया।

बम्बई वाली कार्य-समिति की बैठक में राजनैतिक मुकदमों की सफाई देने के सम्बन्ध में स्थिति साफ की गई। कार्य-समिति ने यह तय किया कि किसी असहयोगी पर यदि दीवानी और पौजदारी मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसकी मुनवारों में कोई हिस्सा न लेना चाहिये। सिर्फ अदालत में अपना एक वक्तव्य दे देना चाहिए, जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोषता सिद्ध हो जाय। बंद आम्ना पौजदारी की रू से कोई जमानत तलब की जाय तो वह उसे देने से इन्कार करे और उसकी ऐवज में जेल भुगत ले। आगे चलकर यह भी नियम बनाया कि असहयोगी बन्दीलों को पीस लेना या बिना पीस के किसी अदालत में पेशी न करना चाहिए। उस समय यह अन्देशा था कि कहीं अंगोश में तुर्किस्तान की सरकार के साथ भिन्नता न हो जाय। इसपर कार्य-समिति की यह राय थी कि मुसलमानों की राय की परवा न करते हुए यदि लफाई खिड़ जाय तो प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य होगा कि इस कार्य में यह ब्रिटिश सरकार की मदद न करे और हिन्दुस्तानी सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि वे इस सिलसिले में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें।

२८, २९, और ३० जुलाई १९२१ को बम्बई में महासमिति की एक महासत्रण बैठक हुई। बेतकड़ा-कार्यक्रम को देर में जो सरलता मिली थी उसके चारों ओर खुशियाँ छारं हुई थी। विपक्ष-सरकार-कोष में निश्चित से १५ साल रुपये अधिक आ गये थे। कॉंग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़ने के ऊपर पहुंच कर रह गई; मगर चर्चे करीब-करीब २० साल चलने लगे थे। इसके बाद अब कुन्ने तथा लार्दी सम्बन्धी विविध क्रियाओं की ओर देर का ध्यान गया। इस उद्देश्य की निम्न के विरुद्ध विदेशी अड्डे के बहिष्कार और लार्दी की उदात्त में सारी शक्ति लगाने का प्रश्न देर के सामने था। महासमिति ने यह भी सलाह दी कि "तमाम कॉंग्रेसी आगामी १ अगस्त से विदेशी कारों का उत्तेज छोड़ दें।" बम्बई और अहमदाबाद के मिल मालिकों से अनुरोध किया गया कि "वे अपने कारों को बहिष्कृत करने की मजूरी के अनुमत न रहने और यह ऐसी हो जिससे गरीब भी उस कारों को मजदूरी के लिये मजदूरों से तो लाभ हर्गिज न बढ़ाये जायें।" विदेशी कारों को मजदूरों से बहिष्कृत करने का उद्देश्य था।

महासमिति ने यह राय व्यक्त की कि किसी भी प्रकार का यह कुराही रह है कि यह

“कार्य-समिति को बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं भागों में उपद्रव हुआ जहां कांग्रेस व खिलाफत की हलचलों को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस व खिलाफत के कार्यकर्ताओं ने काफी खतरा अपने ऊपर लेकर भीड़ के जोश को दबाकर हिंसात्मक कृत्य करने से रोकने का काफी प्रयत्न किया।”

अली-भाइयों की गिरफ्तारी

घटनाएं एक के बाद एक तेजी से घट रही थीं। १९२१ की अखिल भारतीय खिलाफत-परिषद् ८ जुलाई को करांची में हुई जिसको लेकर अलीबन्धु, डा० किचलू, शारदा-पीठ के जगद्गुरु श्री राकटचार्य, मोलाना निसारअहमद, पीर गुलाममुजदीद और मौलवी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुस्लिम भागों की तारीफ करते हुए; उस परिषद् ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी कि “आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भरती में नाम लिखाना या उसमें मदद करना हaram है।” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नागरनामी (संयन्त्र-अवस्था) शुरू कर देंगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेस के अहमदाबाद वाले जलसे में भारतीय प्रजातन्त्र का भयानक लहरा देंगे।

मोलाना मुहम्मदअली ने सभापति की हैसियत से बड़ा साहसपूर्ण भाषण दिया। सबसे उस भाषण का नाम ‘करांची-स्वीच’ पड़ गया। वह भाषण १६ अक्टूबर को देशभर में हजारों सभाओं में दोहराया गया। इसके लिए कांग्रेस के उच्चाधिकारियों ने आदेश दिया था कि सरकार को उसकी अली-भाइयों पर मुकदमा चलाने की आशा के लिए चुनौती दी जाय। इस भाषण का मूल-कारण एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फौज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव में “कलकत्ता और नागपुर की कांग्रेसों में निहित किये गये सिद्धांत की पुष्टि-मात्र की गई थी।” ५ अक्टूबर को कार्य-समिति की बैठक बम्बई में हुई, जिसमें एक कथकल्य के दौरान में कहा गया— “किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्याय-पूर्ण अभिलाषाओं को कुचलने के लिए फौज और पुलिस से काम लिया (जैसे रोलट-एक्ट के प्रादेश-रुन के अखतर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोग मिल-वासियों, मुकों, अरबों और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, राष्ट्रीय मोरच और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।” अली-भाइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आशा दी गई थी। कार्य-समिति ने अली-भाइयों और उनके सहयोगियों को उस पर बर्तार दी और घोषणा की कि मुकदमा चलाने का जो कारण बताया गया है वह धार्मिक-स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाला है। उसने यह भी कहा— “कार्य-समिति ने अब तक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों को कांग्रेस के नाम पर नौकरी छोड़ने को इतना नहीं कहा कि जो सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं पर अपना धर्म-योग्य बनने में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रबंध करने में कांग्रेस अपनी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय है कि कांग्रेस के असहयोग-मन्वन्धी प्रस्ताव के अनुसार इरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी नौकरी में हो चाहे मुन्की में, यह कर्तव्य है कि वह यदि कांग्रेस की सहायता के बिना निर्वाह कर सकता हो तो वह नौकरी छोड़ दे।” उन्ने बताया गया कि काठक, बुजुर्ग और अरुण निर्वाह करने के सम्मानार्थ साधन है। देश भर की कांग्रेस-समितियों से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अक्टूबर और १६ अक्टूबर को इस काम का समर्थन

जब अम्बाब सय्यदजी तथा मैसूर में कुछ समय तक जत्र रहने वाले भी सेटलर की एक समिति नियुक्त की। विधान के अनुसार काम्रेस के प्रांतीय केन्द्र वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के अनुसार बनने थे, इसलिए ऐसे जिलों का उपाय स्वभावतः विवादास्पद हो गया जिनमें एक से अधिक भाषाएँ प्रचलित थीं। बैलारी जिलों के लिए कर्नाटक और आन्ध्र में भगड़ा हुआ। आसिर इसके निरदरे के लिए पचायती बोर्ड की नियुक्ति की गई। यदी बात गंजम के बारे में भी हुई, जोकि आन्ध्र और उत्कल के बीच में था। काम्रेस-कोप से स्वर्च करने के लिए जो प्रार्थनाएँ प्राप्त हों उनको मुगलने का काम गांधीजी, पं० मोतीलाल और सेठ जमनालाल बजाज की एक समिति के सुपुर्द किया गया। १६ अगस्त को जय पटना में कार्य-समिति की बैठक हुई तो उसमें इरदोई जिले (सुकप्रान्त) का वह पत्र पेश हुआ, जिसमें वहाँ लगाई गई दफा १४४के विरुद्ध सविनय अवज्ञा शुरू करने की इजाजत मंगी गई थी, लेकिन उसका विचार अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। ३० सितम्बर से पहले-पहले विदेशी कपड़े का भली भाँति बहिष्कार हो जाय, इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-घर जाकर विदेशी कपड़े जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त नियन्त्रण में अलग स्वयं-सेवकों को रखने के लिए कहा। अखिल-भारत विलक-स्वयम्भ-करण में जमा होनेवाली प्रान्त की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कटारों का संगठन करने, इसके साथ व हाथ-कुने कपड़े का संग्रह करने और खहर का विभाजन करने के लिए अलग रखने को कहा गया। चूंकि कुछ प्रान्तों ने यह २५ फी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-समिति ने उन प्रांतों को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की अगली बैठक भी जल्दी ही - ६, ७, ८, ९ सितम्बर को कलकत्ता में हुई। यह बैठक महत्वपूर्ण थी। धारवाड़-मोली-काण्ड और मोपला-उत्तात की जांच की रिपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से मोपला-उत्तात पर कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव पास किया:—

“मोपलों के कुछ हिस्सों में मोपलों ने जो हिंसात्मक कार्य किये हैं उनपर कार्य-समिति बहुत अफसोस जाहिर करती है, क्योंकि इन कृत्यों से यह साबित होता है कि हिन्दुस्तान में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने काम्रेस और सदर खिलाफत कमिटी के सन्देश को नहीं समझा है। काम्रेस और खिलाफत के हरेक कार्यकर्ता को चाहिए कि गम्भीर-से-गम्भीर उत्तेजनाओं के बीच भी वे भारत-भर में अहिंसा के सन्देश का प्रसार करें।

“मोपलों-द्वारा किये गये हिंसात्मक कृत्यों की तो कार्य-समिति निन्दा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जाहिर कर देना चाहती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उसके मालूम पड़ता है कि मोपलों को असहनीय रूप से उत्तेजित किया गया था, सरकारी तौर पर या सरकार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनमें मोपलों-द्वारा किये गये अपत्याचारों का इकतरफ और बहुत अतिरिजित वर्णन किया गया है तथा शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जो अनावश्यक-जन संहार किये-उसको उससे बहुत कम बताया गया है जितना कि वस्तुतः वह हुआ है।

“कार्य-समिति को यद्यपि इस बात का दुःख है कि कुछ धर्मोन्मत्त मोपलों-द्वारा जवरदस्ती धर्म, परिवर्तन करने के उद्धारण पाये गये हैं, तथापि सर्व-साधारण को वह इस बात से आगाह करती है कि सरकारी या जान-बूझ कर घड़ी गई बातों पर वे एकाएक विरवास न करें। समिति को प्राप्त खबरों से मालूम पड़ता है कि जिन परिवारों के जवरदस्ती मुसलमान बनाने जाने की खबर है वे मजरी के आस-पास रहते थे। यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं को जवरदस्ती मुसलमान उसी धर्मोन्मत्त-दल ने बनाया जो हमेशा खिलाफत व असहयोग-आन्दोलन का विरोधी रहा है; और जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, अभी तक वीन ही ऐसे मामले हुए हैं।

—“कार्य-समिति को बताया गया है कि सिर्फ़ उन्हीं भागों में उपद्रव हुआ जहाँ कांग्रेस व खिलाफत की हलचलों को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस व खिलाफत के कार्यकर्ताओं ने काफी खतरा अपने ऊपर लेकर भीड़ के जोश को दबाकर हिंसात्मक शून्य करने से रोकने का काफी प्रयत्न किया।”

अली-भाइयों की गिरफ्तारी

घटनाएं एक के बाद एक तेजी से घट रही थीं। १९२१ की अखिल भारतीय खिलाफत-परिषद् ८ जुलाई को कराची में हुई जिसको लेकर अलीबन्धु, डॉ॰ किचलू, शारदा-पीठ के जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, मोलाना निसारअहमद, वीर गुलाममुजदीद और मौलवी हुसेनअहमद पर मुकदमा चला। मुस्लिम मार्गों की वार्ड करते हुए, उस परिषद् ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी कि “आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए फौज में नौकर रहना, या उसकी भरती में नाम लिखाना या उसमें मदद करना ह्यम है।” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर ब्रिटिश-सरकार अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुस्तान के मुसलमान सिविल नाफरनामी (सबिनय-अवशा) शुरू कर देंगे और अपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेस के अहमदाबाद वाले जलसे में भारतीय प्रजातन्त्र का झण्डा लहरा देंगे।

मौलाना मुहम्मदअली ने सभापति की हैसियत से बड़ा साहसपूर्ण भाषण दिया। तबसे उस भाषण का नाम ‘कराची-स्पीच’ पड़ गया। वह भाषण १६ अक्टूबर को देशभर में हजारों सभाओं में दोहराया गया। इसके लिए कांग्रेस के उच्चधिकारियों ने आदेश दिया था कि सरकार को उसकी अली-भाइयों पर मुकदमा चलाने की आज्ञा के लिए चुनौती दी जाय। इस भाषण का मूल-कारण एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फौज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। इस प्रस्ताव में “कलकत्ता और नागपुर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धांत की पुष्टि-मात्र की गई थी।” ५ अक्टूबर को कार्य-समिति की बैठक बम्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान में कहा गया— “किसी भी भारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्याय-पूर्ण अभिलाषाओं को कुचलने के लिए फौज और पुलिस से काम लिया (जैसे रोलट-एक्ट के आदोलन के अवसर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोग भिन्न-चाषियों, तुकों, शरबों और अन्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।” अली-भाइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गई थी। कार्य-समिति ने अली-भाइयों और उनके सहयोगियों को उस पर बधाई दी और घोषणा की कि मुकदमा चलाने का जो कारण बताया गया है वह धार्मिक-स्वतन्त्रता में बाधा डालने वाला है। उसने यह भी कहा— “कार्य-समिति ने अब तक फौजी सिपाहियों और सिविलियनों को कांग्रेस के नाम पर नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं पर अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं उनके निर्वाह का प्रबन्ध करने में कांग्रेस अपनी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय है कि कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार हरेक सरकारी नौकर का, चाहे वह फौजी नौकरी में हो चाहे मुल्की में, यह कर्तव्य है कि वह यदि कांग्रेस की सहायता के बिना निर्वाह कर सकता है तो वह नौकरी छोड़ दे।” उन्हें बताया गया कि कानना, बुनना आदि स्वतन्त्र निर्वाह करने के सम्मानपूर्ण साधन हैं। देश-भर की कांग्रेस-कमिटियों से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनावें और १६ अक्टूबर को इस आज्ञा का पालन किया गया। विदेशी कपड़े का बहिष्कार अभी अभी शुरू पड़ा था। कार्य-समिति ने कहा कि

जबतक यह पुरा न होगा किसी भी जिले या प्रांत में सामूहिक-सत्याग्रह आरम्भ करना अशक्य है; और जबतक हाथ से कातने और बुनने का काम उतना न बढ़ जायगा कि उतसे उत जिले का प्रांत की आवश्यकतायें पूरी हो सकें, तबतक सत्याग्रह की इजाजत भी न दी जायगी। हा, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का प्रचार करने के काम में रुकावट डाली जाय। पर इसकी अनुमति-कांग्रेस-कमेटी से लेना जरूरी है और प्रांतीय-कार्य-कमिटी को इस बात का आश्वासन मिलाना चाहिए कि अहिंसात्मक वातावरण बना रक्खा जायगा। युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विलुप्त योजना बनाई गई। तब हुआ कि उनके भारत में पैर रखने के दिन देश-भर में स्वेच्छा-पूर्वक पूर्ण हड़ताल बनाई जाय और वह भारत के प्रांतों में जहाँ-जहाँ जाय, हड़ताल की जाय। इसके प्रबन्ध का कार्य-कार्य-समिति ने भिन्न भिन्न प्रांतीय-कार्य-कमिटियों को सौंप दिया। साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि भारत-सरकार भारतीय-लोकमत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पड़ोसियों से होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारतवासियों का उनके प्रति किसी प्रकार का भुग्न भाव नहीं है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक-सम्बन्ध जोड़ने का नहीं है जो अन्य राष्ट्रों के हितों के विरुद्ध हों या जिन्हें वे न चाहते हों। उन पड़ोसी राष्ट्रों को जो भारत के प्रति शत्रुता का भाव न रखते हों, यह चेतावनी भी दी गई कि वे ब्रिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता न करें। मुसलमान राष्ट्रों को आश्वासन दिया गया कि जब स्वराज्य प्राप्त हो जायगा तो भारत की परराष्ट्र-सम्बन्धी नीति ऐसी बनाई जायगी कि जिससे इस्लाम-द्वारा मुसलमानों पर आपदा होने वाले धार्मिक कर्तव्यों का लिहाज रक्खा जाय। ये विचार-कार्य-समिति के थे। कार्य-समिति इन विचारों को उस समय तक महासमिति के नाम पर प्रसारित नहीं करना चाहती थी जबतक कि जनता उन पर पूरी तरह चर्चा न कर ले और महासमिति उन्हें अपनी बैठक में अपना न ले।

इस अवसर पर अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया। मौलाना मुहम्मदअली को, जो कि आखाम से मदरास जा रहे थे, १४ अक्टूबर को बाल्टेवर में गिरफ्तार किया गया। उन्हें कुछ दिनों तक एक छोटी-सी जेल में रक्खा गया, फिर उन्हें रिहाई की आशा मुनाई गई और दुबारा गिरफ्तार करके करांची ले जाया गया। मुहम्मदअली की गिरफ्तारी के बाद ही पौन बम्बई में शीघ्रपत्तियों पकड़े गये। जब यह पता चला कि करांची के भाषण को लेकर मामला चलाया जायगा तो गांधीजी ने, जो इस अवसर पर विचनगरहल्ली में थे, भाषण को स्वयं दोहराया। उन्होंने इस गिरफ्तारी की इतना महत्त्व दिया कि सारे राष्ट्र को कार्य-समिति के इस विषय पर पास किये गये प्रस्ताव को दोहराने की आशा की। समय तेजी के साथ बीतता चला जा रहा था और स्वराज्य की अर्थात् नैतन एक महान् राह मथा था। देश ने अली-भाइयों को और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का जिन संघर्ष का परिचय दिया उनमें प्रभावित होकर दिल्ली की ५ नवम्बर १९२१ की महासमिति की बैठक ने प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह आरम्भ करने का आश्वासन दे दिया। सत्याग्रह में कर-बन्दी भी शामिल थी। सत्याग्रह किस प्रकार आरम्भ किया जाय, इसके निर्णय का अन्तर्-प्रांतीय कांग्रेस समितियों पर छोड़ा दिया गया। हा, इन शक्तियों का पूरा हवाला अली-भाइयों को दिया—हरेक सत्याग्रही ने अन्तर्-प्रांतीय के कार्य-क्रम के उस अंश को जो उस पर लागू होता हो, पूर्ण रूप से ही, वह अर्थों चलाकर जानना हो, विदेशी कानून लागू हो, नगर परमाणु हो, हिन्दू-मुस्लिम एकता में विश्वास रखना हो, विचार-धर्म और पंजाब के अन्तर्-प्रांतीय को पूरा करने की स्वयंसेवक शक्ति के लिए अर्थात् देश में विश्वास रखना हो, और यदि हिन्दू ही तो अन्तर्-प्रांतीय

पट्टीयता के लिए कलंक सम्मत्ता हो। सामूहिक सत्याग्रह के लिए एक जिने या तहसील को एक-एक कोई समझ जाय जहाँ के अधिकारी लोग स्वदेशी का पालन करते हों और वहीं पर शाय से तैयार हुई खादी पहनते हों, और असहयोग के अन्य शारे अंगों में विश्वास रखते और उनका पालन करते हों। कोई सार्वजनिक चन्दे से किसी प्रकार की सहायता की आशा न करे। कार्य-समिति यदि चाहे तो प्रान्तीय कमिटी के अनुयोग पर किसी खास शर्त को कमिटीयों पर लागू न करे।

मलाबार की अवस्था पर भी प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें हिंदुओं के जबरदस्ती मुसलमान बनाये जाने और हिंदू-मंदिरों के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र किया गया।

यहा अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन में दो महत्वपूर्ण अवस्थाओं के उदय होने के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। १९२१ में सरकार का मुकानस्ता करने की प्रवृत्ति देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य बात थी, और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने खास-पास की स्थिति को देख कर तथा वहाँ की स्थानिक और जागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महा-समिति की बैठक ३१ मार्च को आग्र-प्रात के बेजवाडा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की लहर आ गई। कुछ ही दिनों बाद चिराला के लोगों को अपने गाँव के म्युनिसिपैलिटी के रूप में बदले जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। स्थानिक स्वराज्य के मंत्री पनगल के राजा थे, जो कांग्रेस-दल के घोर विरोधी थे। अब कांग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए आतुर था। चिराला की जनता म्युनिसिपैलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि जनता म्युनिसिपैलिटी की परवा नहीं करती तो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा बसे। गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि यह सब कांग्रेस के नाम पर न किया जाय। विचार बड़ा आकर्षक था और उस महान् कार्य का बीजा उठाने के लिए नेता भी योग्य ही मिला। आन्ध्र-रत्न डी० गोपालकृष्णय्या ने इस विचार की पूर्ति करने में अपनी सारी शक्ति लगादी और हिजरत का नेतृत्व किया। यह हिजरत हमें सिंध के मुसलामानों की अफगानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है। चिराला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पड़े। वे म्युनिसिपैलिटी की सीमा के बाहर १० महीनों तक भोंपड़ों में पड़े रहे। इधर अनेक नेताओं की गिरफ्तारी एक-एक करके जारी रही। जिन्होंने असहयोग नहीं किया था वे बहलाने-फुसलाने से राजी हो गये और एक साल तक घर-बार छोड़े रहने के बाद लोगों ने म्युनिसिपैलिटी को मान लिया। इसी प्रकार का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य चटगान की इकताल थी। चटगान पूर्व-बंगाल में एक बन्दरगाह है। श्री सेनगुप्त ने मजदूरों की जो इकताल कराई उसमें कांग्रेस का एक लाख से अधिक रुपया खर्च हो गया। इस प्रकार के कामों में दिक्कत यह होती है कि अधिकारी लोग इकतालियों की शक्ति मकबू देते हैं और सरकार को उन लोगों की पूरी जानकारी रहती है जो ऐसे आन्दोलनों का संचालन करते हैं। जब उस स्थान के प्रभावशाली व्यक्ति किसी-न-किसी कानून के द्वारा जेलों में दूंस दिये जाते हैं तो भ्रष्टकारी शक्तियों के साथ तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियाँ भी आ मिलती हैं और आन्दोलन भंग हो जाते हैं।

मोपला-उत्पात

यहाँ उन परिस्थितियों का जिक्र करना भी आवश्यक है जिसे मलाबार में मोपला-उत्पात उत्पन्न हुआ। मोपले वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज अरब थे, मलाबार के सुन्दर स्थान पर आ बसे थे और वहीं शादी ब्याह करके रहने लगे थे। साधारणतया वे छोटा-मोटा व्यापार या मिठी-बाढ़ा करते हैं। पर धार्मिक उन्माद की धुन में वे इतने अशहिष्णु हो जाते हैं कि प्राणों की या शारीरिक सुख तक की बिलकुल चिन्ता नहीं करते। मोपलों के आये दिन के दमों ने "मोपला दगा-विधान" नामक

एक विशेष कानून को जन्म दिया। सरकार आरम्भ से इस बात के लिए चिन्तित थी कि 'भङ्ग जाने वाले' मोपलों में असहयोग की चिन्तगारी न लगने पावे। पर आन्दोलन और सब जगहों की माति केरल में भी पहुँचा। फरवरी में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और मी० याकूबहसन जैसे प्रमुख नेता अहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याकूबहसन ने खासतौर से कह दिया था कि असहयोग पर व्याख्यान न दूँगा, परन्तु इतने पर भी उनके खिलाफ निषेधात्मक आश जारी की गई और १६ फरवरी १९२१ को याकूबहसन, माधव नैयर, गोपाल मेनन और मुईउद्दीन कोया नामक चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये। मोपले मुख्यतः बाल्चनद और ऐरषद ताल्लुकों में रहते हैं। सरकार ने इन ताल्लुकों में दफा १४४ लगा दी। अगस्त आते-आते रंग-डंग हा बदल गया और मोपलों ने, जो अपने दगलों या मुस्लाओं के मस्जिदों में किये गये अपमान से तुम्ह हो रहे थे, मार्काट आरम्भ कर दी। शीघ्र ही उनकी हिंसा ने सैनिक रूप धारण कर लिया। मोपलों ने बन्दूकों और तलवारों से छुक-छिपकर छापे मारने आरम्भ कर दिये। अक्टूबर के मध्य में पहले की अपेक्षा अधिक कठोर फौजी-कानून जारी किया गया। मोपले सरकारी अफसरों को लूटने और बरबाद करने के अलावा हिन्दुओं को बल-पूर्वक मुसलमान बनाने, लूटने, आग लगाने और हत्याएँ करने के भागी बने। अंग्रेजों के प्राण संकट में थे। भी एम० पी० नारायण मैनन नामक एक कांग्रेसी सम्जन ने, जिन्होंने सारे मलाबार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में बहुत-कुछ भाग लिया था, मोपलों को समझ-बुझ कर अंग्रेजों के प्राण बचाये। पर इसी कार्यकर्ता को नवम्बर में पकड़ कर पहले शारी कैदी के रूप में रक्खा और फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अभियोग में आजीवन निर्वासित कर दिया गया। यह १९२४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे। इन्हें पहले भी छोड़ा जा सकता था, पर इनसे यह शर्त जुबानी मानने को कहा गया कि लूटने पर तीन वर्ष तक बाल्चनद ताल्लुक में न सुसंगे। इन्होंने यह शर्त मंजूर न की, और जान-बूझकर वीरता पूर्वक जेल में रहे। मोपला-विद्रोह ने आगे क्या-क्या रूप धारण किये, या अगस्त के बाद उसमें जो मार-काट चलने लगी, उनसे हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति ने अपनी नवम्बर की बैठक में उनके अत्याचारों का विरोध किया।

सफल बहिष्कार

१७ नवम्बर को युवराज भारत में आये। नई बड़ी कौंसिल को वहीं खोलने वाले थे, पर १९२० के अगस्त के वातावरण को देखकर भारत सरकार ने छूक ऑफ कनाट को बुलाया। १९२१ के नवम्बर में युवराज को ब्रिटिश-सरकार की आन बनाये रखने के लिए भेजा गया। कांग्रेस ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की अगवानी से सम्बन्ध रखने वाले सारे उत्सवों का बहिष्कार किया जाय। मही किया गया। और जगह-जगह विदेशी कारकों की होली भी जलाई गई। युवराज के बम्बई-पदार्पण के दिन शहर में केवल मुठमेक ही नहीं हुई बल्कि चार दिनों तक दंगे और खून-खराबे होते रहे, जिनके फलस्वरूप ५१ आदमी मरे और लगभग ४०० आदमी घायल हुए। ये दंगे शीरोजिनी देवी और गांधीजी के रोंके भी न रुके, यद्यपि उन्होंने पलासान सहायों में पुस-पुस कर लोगों को वितर वितर होने को कहा। इन दंगों में अशक्य आदमी घायल हुए। गांधीजी ने जब तक शान्ति स्थापित न होजाय, जन्मा की व्याधियों का प्रार्थरचित करने के निर्मल ५ दिन तक दंगे दूरियों को देखकर गांधीजी ने कहा था कि मुझे स्वागत की सहाद आ रही है।

३६ बहिष्कार के
॥ की सहायता

करते, संक्रामक रोगों के फैलने पर रोगियों की और कोई स्थानिक विपत्ति होने पर पीढ़ियों की सहायता करते और परिवारों और अन्य राष्ट्रीय श्रवणों पर काम में आते। पर लिलापत्र के स्वयंसेवक 'धैनिक' दंग के थे, जो कि सरकार के कपनानुसार "क्यायद करते और बाकायदा दल बनाकर मार्च करते और घर्दियां पहनते थे।" इन दोनों संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने हफ्तालों वा और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का सङ्गठन किया। ये दोनों दल मिल गये और महा-समिति की शर्तों का पालन करने की शर्त के साथ सत्याग्रही बन गये। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। सुवराज २५ दिसम्बर को कलकत्ता जाने-वाले थे। बङ्गाल-सरकार ने बम्बई-सरकार की मद नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल लॉ-अमेन्ड-मेण्ट-एक्ट के अनुसार स्वयंसेवक भरती करना-गैर-कानूनी करार दे दिया। बहुत से आदमी गिरफ्तार हुए जिनमें देशबन्धुदास, उनकी धर्मपत्नी और पुत्र भी थे। इसके बाद ही युक्तप्रान्त और पंजाब की वागी आई। अहमदाबाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सपरिवार देशबन्धु दास क्रिमिनल लॉ-अमेन्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत या राजीघत हिन्द की १५४ धारा या १०८ धारा के अनुसार जेल में थे। १९२० के अगस्त में सर तेजबहादुर सभू वाइसराय की कार्य-कारिणी के कानून-सदस्य (लॉ मेम्बर) हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन धाराओं को इन्होंने म्बोज निकाला था और राजनैतिक लोगों पर लागू करने की सलाह दी थी। बम्बई ने साधारण कानून का उपयोग किया, पर बङ्गाल, युक्तप्रान्त और पंजाब ने दमनकारी कानूनों की शरण ली।

इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत चल पड़ी। भारत की राज-धानी को कलकत्ते से दिल्ली जाने समय यह प्रबन्ध किया गया था कि वाइसराय हर साल बड़े दिनों में तीन-चार सप्ताह कलकत्ते में स्थित करेंगे। सुवराज के बड़े दिन भी कलकत्ते में ही बिताने का निश्चय किया गया। पण्डित मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यस्थ सज्जनों ने कलकत्ते में लॉर्ड रीडिंग की उप-स्थिति का उपयोग करके सरकार और जनता में समझौता करने की चेष्टा की। लॉर्ड रीडिंग भी राजी होगये, चाहे २५ दिसम्बर के उत्सव का बहिष्कार टालने के लिए ही सही। २१ दिसम्बर को पण्डित मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्ट-मण्डल वाइसराय से मिला। देशबन्धुदास कलकत्ते की अल्लोपुर-जेल में थे। उनसे मध्यस्थों की टेलीफोन-द्वारा बात हुई। शीघ्र ही गांधीजी से बातचीत करना आवश्यक समझा गया। वह अहमदाबाद में। वार-द्वारा सरकार इस बात पर राजी होगई कि सत्याग्रह के कैदियों को छोड़ दिया जाय और मार्च में गोलमेज-परिषद् बुलाई जाय, जिसमें कांग्रेस की ओर से २२ प्रतिनिधि हों। इस इस परिषद् में सुधार-योजना पर विचार किया जाय। देशबन्धु दास की मांग यह थी कि नये कानून (क्रि० लॉ० अ० एक्ट) के अनुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों को छोड़ दिया जाय। समझौते के निश्चय का फल यह होगा कि लालाजी जैसे कैदी और पत्रके के कैदी, जिनमें मौलाना मुहम्मदअली, मौलाना शौकतअली, डॉ० किचलू और अन्य नेता शामिल थे, जेल में ही रह जाते। करांची के कैदी वे थे जिन्हें १ नवम्बर १९२१ को अखिल-भारतीय खिलापत्र-परिषद् में, जिसमें फौजी नौकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ था, भाग लेने के अपराध में दण्ड दिया गया था। कुल उल्लेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन पत्रके में किया था। पत्रके मुसलमानों के मौलवियों द्वारा जारी किया धार्मिक आदेश होता है, जिसमें खास परिस्थितियों में आचरण करने के सम्बन्ध में निर्देश होता है।

परन्तु गांधीजी करांची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे। सरकार ने आंशिक रूप में इसे भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेश की कि पत्रके के कैदियों को भी छोड़ा जाय और पिक्वेटिंग जारी रखने का अधिकार माना जाय। ये मांगें नामंजूर कर दी गईं। इस स्थिति के सम्बन्ध में लॉर्ड रीडिंग

के नाम गांधीजी का धार-द्वारा उत्तर कलकत्ता समय पर न पहुंच सका—अमात्यवरा वार को देर लग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलकत्ते से खाना हो गये। (२३ दिसम्बर) कलकत्ते की बात असफल रही। भी० जिन्नाह और पण्डित मदनमोहन मालवीय मध्यस्थ थे। (१६ दिसम्बर की सन्धि-चर्चा का पूरा हाल जानना हो तो पाठकों को श्रीकृष्णदास की अंग्रेजी "गांधीजी के साथ सात महीने" पढ़नी चाहिए। पढ़ने योग्य है।) समझौते की बात असफल पर युवराज के आगमन के सम्बन्ध में बहिष्कार के कार्यक्रम का पालन अवशिष्ट भारत ने भी प्रकृत किया। कलकत्ते में पूर्ण हड़ताल हुई। फसाहटों तक की दूकानें बन्द थीं। इससे यूरोपिय बड़ा क्रोध आया। १६२१ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अहमदाबाद-कांग्रेस हुई, जिसमें असफल कार्यक्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुंचा था। नागपुर के अधिवेशन के बाद से राज-अवस्था में कोई परिवर्तन न हुआ था। क्यूक ऑफ कनाडा द्वारा मास्ट-बोर्ड सुधार जारी किये के अवसर पर सम्राट् ने सन्देश दिया। जिसमें कहा गया था:—

“क्यों से, शायद पीढ़ियों से, देश-भक्त और राज-भक्त भारतीय अपनी मातृ-भूमि के स्वराज्य का स्वप्न देखते आ रहे होंगे। आज आपके लिए मेरे साम्राज्य के भीतर स्वराज्य का भीम हुआ है, मेरे अन्य उपनिवेश जिस स्वतन्त्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी ओर बढ़ने का अधिकार लिए यह सबसे अच्छा अवसर है।”

परन्तु न तो 'स्वराज्य' का आधे दिल से किया उल्लेख, न क्यूक की अपील कि 'राज-भक्तों को दफनाओ और एक-दूसरे को क्षमा कर दो' और न पञ्जाब-काएद सम्बन्धी असेम्बली की कानून जिसमें सर विलियम विन्सेन्ट ने शासन की ओर से शब्द प्रकाश किया था और वह निश्चय प्रकट किया गया था कि आग्रह-पेते वाक्य न होने पावेंगे, लोगों के दिलों को तमझी या शान्ति दे सके और उनके मनमें विश्वास का भाव ही उत्पन्न कर सके।

सत्याग्रह की तैयारी और अहमदाबाद-कांग्रेस

वातावरण में तनतनी थी। हरएक के दिल में यही आशाएँ उमड़ रही थी—एक साल स्वतन्त्र्य। गांधीजी ने यह वादा किया था कि यदि मेरे कार्यक्रम को पूरा कर दोगे तो स्वतन्त्र्य एक साल में मिल जायगा। साल सत्य होने को था, और हर शास्त्र राजनैतिक आकाश की ओर ध्यान लगाये हुए था कि कोई चमत्कार हो जाय और स्वराज्य उसके चरणों में आकर लफा जाय। परन्तु हाँ, हर शास्त्र अपनी तरफ से शक्ति-भर मुझ करने और जो-मुझ भी मुगतव्य व उते भुगतने के लिए तैयार था— इतलिय कि वह देरी-पटना जल्दी-से-जल्दी हो जाय, वह मुझे जल्दी-से-जल्दी आ जावे। और २० हजार में ऊपर व्यक्तिगत सत्याग्रही पढ़ने ही जेल का मुझे उतनी संख्या हीम ही ३० हजार तक हो जानेवाली थी, लेकिन सामूहिक सत्याग्रह लोगों को बहुत हुर-रहा था। और वह क्या था? उसका क्या रूप होगा? गांधीजी ने इसका मुझे कोई सत्य नहीं कहा, बस उमे किल्ला से नहीं समझाया; न मुझे उनके दिमाग में ही इसकी राह बतलायी होगी। वह तो एक शोकक, एक हृदय हरव के सामने उठी तरह अपने आन मुक्त जल है, उनके एक-एक बरस दिवस पढ़ते हैं, जिस तरह एक बरबान जगल में एक छायनी बरसक है और उन सवे-सदि निगाह मुक्तिकर को एते-एते करने-करने हरज मिल जल है। सामूहिक सत्याग्रह ही मुझे स्वतन्त्र्य दोग दिनी अनुभव थेव में निगाह दोगों के जलन होने के बाद ही मुक्त बरस था।

— ३ — जलन की बरसक की न बरसक की। इसके अनुकर गांधीजी मुक्तक में समझने-की

जल के जोग दनी हजार और जोग के जल और उदर-

त्याग और बृह-सदन की तैयारी से पहले से ही अपने जिले को कर बन्दी के लिए तैयार कर रहे । उस समय देश की क्या दशा थी और कांग्रेस का क्या कार्यक्रम था, इसका समुचित वर्णन अहमदाबाद-अधिवेशन के मुख्य प्रस्ताव के आरम्भिक पैराग्राफ में दिया गया है ।

अब लोग मय छोड़ चुके थे । एक तरह का आत्मसम्मान का भाव राष्ट्र में पैदा हो चुका था । कांग्रेसियों ने समझ लिया कि सेवा-भाव और त्याग के ही बल पर लोगों का विरासत प्राप्त किया जा सकता है । सरकार की प्रतिष्ठा और रीढ़ की भी जड़ बरत-बुल्ल हिल गई थी और स्वतन्त्र की कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी शान बढ़ गया था ।

अहमदाबाद का अधिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है । प्रतिनिधियों के बैठने के लिए दरिया और बेंच तो हटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर अधिवेशन में कोई ४० हजार रुपये खर्च हुआ था । स्वगणपच्च बल्लमभारि पटेल का भाषण छोटे-से-छोटा था । कम-से-कम प्रस्ताव—कुल ६ उस अधिवेशन में पास हुए । हिन्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही । और कांग्रेस-कार्य के लिए जो तन्मू और डेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी ।

गांधीजी ने एपदरूज साहब को अहमदाबाद-अधिवेशन में आने और एक धार्मिक संदेश देने का निमंत्रण दिया था । उन्होंने यह मंजूर तो किया, लेकिन साथ ही यह भी बतलाया कि “मैं विदेशी कपड़े की होली के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि वह हिंसा के माय प्राप्त करेगी ।” अपनी मामूली पोशाक को छोड़कर वह यूरोपियन लिवास में आये, जिससे कि वह विदेशी कपड़े की होली नीति पर अपना विरोध स्पष्ट कर सकें । अपने ध्यास्थान में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह इस मौके पर क्यों खदर पदन कर नहीं आये । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि लोगों ने उनकी बातों को बहुत आदर और प्रेम से सुना, हालाँकि वे उनके विचार से सहमत नहीं थे । भाषण में उन्होंने यह भी कर दिया कि मैं गांधीजी के कहने से आज ही रात को मोपला प्रदेश में शान्ति स्थापित करने जा रहा हूँ ।

यहाँ हम संक्षेप में उन सब घटनाओं को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ कांग्रेस का ध्यान था । देशबन्धु की जगह हकीम साहब इसलिए सभापति चुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मूर्ति थे । यहाँ तक कि दिल्ली में हिन्दू-महासभा की एक परिषद् में वह उसके सभापति चुने गये थे । देशबन्धु के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका भाषण था । देशबन्धु का भाषण उनकी भाषा और भाव के अनुरूप योग्यता से ही सरोजिनी देवी ने पढ़ा । देशबन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक और व्यापक रूप से सिद्धावलोकन किया । संस्कृति में ही उसकी जड़ है इसलिए उन्होंने कहा, “पिश्तर इसके कि हमारी संस्कृति पश्चिमी-सभ्यता की आत्मसात करने के लिए तैयार हो, उसे पहले अपने आपकी पहचान लेना होगा ।” इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानून (गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट) पर विचार किया और कहा, “इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की सुनियत पर स्वीकार करने की सिफारिश मैं आपसे नहीं कर सकता । मैं इज्जत को स्वीकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता । जबतक इस कानून का वह प्रासकपदन कायम है, और जबतक हमारा अपने घर का इन्त-जाम हम आप करें, अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास करें और अपने माग्य का निर्माण आप करें, इस अधिकार को तसलीम नहीं कर लिया जाता, मैं सुलह की किसी रात पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हूँ ।”

देशबन्धु के उस शानदार भाषण से अहमदाबाद के भव्य प्रस्तावों को देखने की सही दृष्टि मिल जाती है । मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच अस्हयोग, उसके सिद्धान्त और कार्य-क्रम पर एक खासा निबन्ध ही है । यदाँकि कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते समय कहा था कि इस प्रस्ताव को

.. ईश्वर को साक्षी करके मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि—

(१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता हूँ।

(२) जबतक मैं संघ का सदस्य रहूँगा तबतक वचन और कर्म में अहिंसात्मक रहूँगा और इस बात का अत्यन्त अधिक प्रयत्न करूँगा कि मन से भी अहिंसात्मक रहूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा से ही स्वतंत्रता और पंजाब की रक्षा हो सकती है और उसीसे स्वराज्य स्थापित हो सकता है और भारतवर्ष को समस्त जातियों में— चाहे वे हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई या यहूदी हों— एकता स्थापित हो सकती है।

(३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास है और उसकी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्न करता रहूँगा।

(४) मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष के आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशी (का प्रयोग) आवश्यक है और मैं दूसरी तरफ़ के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के कपड़े और बुने कपड़े का ही इस्तेमाल करूँगा।

(५) हिन्दू होने की हैसियत से मैं असह्यता को दूर करने की न्यायपरता और आवश्यकता पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्भव अवसर पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रखूँगा और उनकी सेवा करूँगा।

(६) मैं अपने बड़े अफसरों की आशाओं और स्वयंसेवक-संघ, कार्य-समिति या कांग्रेस-द्वारा स्थापित दूसरी संस्थाओं के उन सब नियमों का पालन करूँगा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न होंगे।

(७) मैं अपने धर्म और अपने देश के लिए बिना विरोध किये जेल जाने, आघात सहने और मरने तक के लिए तैयार हूँ।

(८) अगर मैं जेल जाऊँ तो अपने बुट्टुम्बियों या जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उनकी सहायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं माँगूँगा।

“इस कांग्रेस को विश्वास है कि १९ वर्ष और उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वयंसेवक-संघ में शामिल हो जायगा।

“सर्वजनिक सभाओं के किये जाने की जो मनाही की गई है उसकी परवा न करते हुए और यह देखते हुए कि कमिटी की बैठकों को भी सर्वजनिक सभा कह देने का प्रयत्न किया गया है, यह कांग्रेस सलाह देती है कि कमिटी की बैठकें और सर्वजनिक सभायें हुआ करें। सर्वजनिक सभायें खिरी हुई जगहों में टिकट के द्वारा और पहले से सूचना देकर की जायें, जिनमें समस्त बड़ी वक्ता अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ें जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी हो। हर हालत में इस बात का खयाल रखना जाय कि लोग उत्तेजित न हो जायें और उनके पल-स्वरूप जनता के द्वारा हिंसक कार्य न हो जायें।

“आगे इस कांग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था के अधिकारों का निरंकुश, आत्याचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सब प्रयोग किये जा चुके हों तो सशस्त्र क्रांति के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-मात्र सम्य और प्रभावप्रद उपाय रह जाता है। इसलिए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेस-कार्यकर्ताओं और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शक्तिपूर्ण उपायों पर विश्वास हो और (जिनका यह निश्चय हो गया हो कि वर्तमान सरकार को भारतीयों के प्रति पूर्णतया अनुत्तरदायी-पद ७

उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के त्याग के सिवाय अब दूसरा उपाय नहीं मिला देती है कि लोगों को अहिंसा के नियमों की पूर्ण शिक्षा मिल चुकने पर दिल्लीवाली पिछली बैठक के उस विषय के प्रस्तावानुसार देशभर में व्यक्तिगत और प्रह का संगठन करें ।

“इस कांग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगत आक्रमणवात्मक या राजा-पूरा ध्यान रखने के लिए उचित प्रवृत्तियों और समय-समय पर कार्य-समिति या उस कांग्रेस-कमिटी की सूचनाओं के अनुसार जब, जहाँ और जितने स्थान पर आवश्यक है वहाँ और उतने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सब कार्य स्थगित कर दिये जाय ।

“यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे अधिक उस के विद्यार्थियों से और विशेषतः लोगों के विद्यार्थियों और अध्यापकों से कहती है कि वे तुरन्त उपर्युक्त प्रतिज्ञा-पत्र पर राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ के सदस्य बन जायें ।

“यह देखते हुए कि थोड़े समय में बहुत-से कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के निराधार और चूँकि यह कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस का प्रबन्ध उसी तरह चलता रहे और वहाँ साधारण तौर से काम करती रहे, इसलिए जबतक आगे कोई सूचना न दी जाय कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना सर्वाधिकारी नियत करती है और उन्हें महासचिव अधिकार देती है । इनमें कांग्रेस का विशेष अधिकार बुलाने और महासमिति और बैठक कराने के अधिकार भी शामिल हैं । इन अधिकारों का प्रयोग महासमिति की आज्ञा के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा गांधी को) मौका या जाने पर अपना उत्तर देने का भी अधिकार रहेगा ।

“यह कांग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियत किये जाने वाले अधिकारियों को ऊपर के सब अधिकार देती है ।

“किन्तु इस प्रस्ताव के किसी अंश का यह अर्थ नहीं है कि महात्मा गांधी या उत्तराधिकारियों को महासमिति की स्वीकृति और उसपर इसी कार्य के लिए किये गये अधिकारों की मंजूरी के बिना भारत-सरकार से संधि करने का अधिकार है, और कांग्रेस पहली धारा भी कांग्रेस की पूर्व-स्वीकृति के बिना महात्मा गांधी या उनके उत्तराधिकारियों को बदली जायगी ।

“यह कांग्रेस उन सब देश-भक्तों को बधाई देती है जो अपने अन्तःकरण के लिए जेल की शान्त भोग रहे हैं और यह समझती है कि उनके बलिदान से स्वतंत्रता आ गया है ।”

(२) “जो लोग पूर्ण आतुरयोग या अतुरयोग के विद्यमान पर विश्वास नहीं कर सकते, राष्ट्रीय सम्मान के लिए निरालस और पंजाब के आवाचारों का प्रतिहार होना चाहते हैं और उत्तर और दो हैं और राष्ट्र के पूर्ण विहास के लिए दान्त स्वयंसेवक बनने के लिए, उन सबसे कांग्रेस यह आग्रह करती है कि वे भिन्न-भिन्न धार्मिक समूहों में एकत्र आकर रहें, जो सभी इच्छा भूतों मानने की आवश्यकता पर पहुँचे हुए हैं उनही आतुरही के आदि-दृष्टि से मुझे, हाथ से बाँधने और मुझे का प्रचार करें और इसके लिए हाथ जोड़ने वालों को अपने ही विहास दें और परमें, नदी-नी-कान्छों का प्रयोग पूर्णतः बन्द

सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो अस्पृश्यता दूर करने और दलित जाति के लोगों की अवस्था सुधारने में मदद दें।”

हम उस बहस की ओर भी मुखातिब हों जिसे मौलाना हसरतमोहानी ने शुरू किया था। उनकी तर्जवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस तरह की जाय—“पूर्ण स्वतंत्रता, विदेशियों के नियंत्रण से बिलकुल आजादी।” इस घटना की अब इतना अरसा गुजर चुका है कि अब तो यह भी ताज्जुब हो सकता है कि कांग्रेस और गांधीजी ने इसका विरोध क्यों किया?

गांधीजी ने उस समय कड़ी भाषा का प्रयोग किया था, किन्तु सवाल यह है कि क्या वह बहुत कड़ी थी? गांधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया, नया ध्येय तर्जवीज किया और नये ढंग से हमला करने की मोर्चाबन्दी की थी। यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उद्देश और उसे पाने के लिए की गई ब्यूह-रचना स्पष्ट रूप से निश्चित थी। दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-बड़ी मुठभेड़ हो जाया करती थी। एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी। ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सियाही आकर जनरल और सेना से कहे कि हमारे उद्देश का निर्णय फिर से होना चाहिए, तो लड़ाई की सारी रचना न बिगड़ जायगी? लेकिन उनकी जिस दलील ने अस्तर किया वह तो यी—सबसे पहले तो हम शक्ति समझ करें—सबसे पहले हम यह देख लें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। हमें ऐसे समुद्र में न कूद पड़ना चाहिए जिनकी गहराई का पता हमें न हो। और हसरत मोहानी माहव का यह प्रस्ताव हमको अथाह समुद्र में ले जा रहा है।” यह दलील लाजवाब थी। कोई जनरल अपनी सेना को इतनी गहराई में नहीं ले जा सकता जिनका खुद उमीकी पता न हो। उस समय तो यह प्रस्ताव गिर गया, परन्तु बाद को प्रतिवर्ष वह पेश किया जाता रहा। अन्त को १९२६ में आकर कांग्रेस ने तो उसे अपने ध्येय में ही शामिल कर लिया।

दूसरे प्रस्तावों में एक तो विधान सम्बन्धी था और दूसरे के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। एक मोपला-उत्पात के विषय में था, जिसमें कहा गया था कि असहयोग या खिलाफत-आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। इस उत्पात के छुः महीने पहले ही से अहिंसा के सन्देश के प्रचारकों का ज्ञान ही वहाँ रोक दिया गया था, और यह हलचल इतने दिनों तक न रही होती, यदि याबूदहसन जैसे या खुद महारामा गांधी जैसे प्रमुख असहयोगियों को वहाँ जाने दिया गया होता। जब मोपला कैदी बेलारी भेजे गये तब कोई १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी के डिब्बे में भर दिया, जिससे १६ नवम्बर १९२१ की रात को इस घुटकर ७० कैदी मर गये थे। इस अमानुष-व्यवहार पर रोष और सन्तान प्रकट किया गया। १७ नवम्बर को बम्बई में जो दुर्घटनाएँ हुईं, कांग्रेस ने उनकी निन्दा की और सब दलों तथा सब जातियों को आश्वासन दिया कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह दृढ़ निश्चय है कि उनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे। इसके बाद मुस्लिम कमालगारा को भूतानियों पर मिली पताइ के लिए, जिससे मेजर की सन्धि में परिवर्तन किया गया, कोमागाटामारू वाले बाबा गुरुदत्तसिंह को, जो ७ वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर अपने-आप पुलिस के सुपुर्द हो गये थे, और उन सिकनों को धन्यवाद दिया गया जो इस तथा अन्य अवसरों पर पुलिस और पौजी सिराहियों द्वारा बहुत जोर दिलाये जाने पर भी शान्त और अहिंसारमक बने रहे।

अहमदाबाद-कांग्रेस में एक स्तल बात हुई मुसलमान उलेमा का राजनैतिक मामलों में कांग्रेस को सलाह देना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक सत्याग्रह की रातों के विषय में अहिंसा पर बहुत बहस हुआ-इसा हुआ था—यह कि आया, मन, बचन और कर्म से उत्तर अमल किया जाय? यहाँ यह पाद रहे कि कलकत्तावाले प्रस्ताव में विरत ‘बचन और कर्म’ का ही उल्लेख था। स्वयमेवकों की प्रतिभा में

'मन' शब्द के अर्थों पर मुसलमानों को ऐतयाज्य था । उनका कहना था कि यह 'छोटी' जल्दी है । इसलिए 'मन' की जगह 'इरादा' शब्द रखा गया । इन सब झगड़ों के 'छोटी' और 'बड़ी' के मुसलमानों के बीच विवादों और झगड़ों का अर्थ छोटी और बड़ी के अर्थ में बहुत बड़ा काम किया । जहाँ चलकर हम देखेंगे कि कौन्सिल प्रोद्य और उ कार्रवाइयों के अर्थ में भी उनकी राय और पत्रों लिखे जाते थे ।

साहज्जबाद में एक नई राय हुई जो स्थान देने योग्य है । बेटक के बाद भी जल्दी ही वहाँ से आगे की ठीक है । यह माथित्री हर क्षेत्र में गये और उन्हें ही विधि विधान समझाया । आ-भ-क्षेत्र में उन्होंने यह बताया कि अब फर्क कर-बन्दी करनी चाहिए शायदियों को मान मान आकर उन लोगों की गरी लेना चाहिए जो लड़ाई में पादते हैं । अधिगण और सामूहिक सत्याग्रह की अन्य शक्तों के अलावा यह भी जल्दी

गांधीजी जेल में—१९२२

अभी १९२१ अन्धी तरह खत्म भी न हुआ था कि कांग्रेस के द्वितीय मित्रों ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर सकते थे, कांग्रेस और सरकार में समझौता करने की उत्सुकता प्रकट की। अभी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्वाही रखने भी न पाई थी कि १४, १५ और १६ जनवरी को बम्बई में एक सर्व-दल-सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भिन्न-भिन्न दलों के लगभग १०० सज्जनों ने भाग लिया।

सम्मेलन के आयोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बात सोची जिसके आधार पर अस्थायी-संधि की बात चलाई जा सके। गांधीजी ने असहयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सम्मेलन में तो वह बाजान्वा भाग न ले सकेंगे, हाँ, वैसे वह सम्मेलन की सहायता अवश्य करेंगे। इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दमन बढ़ाकर जारी है, और जबतक कि सरकार के मन में उसका कोई अपस्रोत नहीं है तबतक ऐसे सर्वदल-सम्मेलन करने से क्या फायदा? सम्मेलन के बीच सज्जनों की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्खा गया और गांधीजी ने फिर असहयोगियों की स्थिति स्पष्ट की। सर राकरन् नायर इस सम्मेलन के समापति थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पसंद किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये। उनका स्थान सर एम० किर्नेस्वरप्पा ने लिया। सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि जिसमें सरकार की दमन-नीति को धिक्कारा गया था और साथ में यह भी सलाह दी गई थी कि जबतक समझौते की बातचीत चलती रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय। इस प्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी गोलमेज-परिषद् शीघ्र ही बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफत, पंजाब और स्वायत्त-सम्बन्धी मामलों पर समझौता करने का अधिकार हो, और साथ ही जो देश में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेण्ट-एक्ट के अंतर्गत संस्थाओं की गैर कानूनी काराव देनेवाले सारे आदेशों को और राजद्रोहात्मक समावन्दी-कानून को रद्द करने और उनके सजायाफ्ता या विचाराधीन लोगों को और साथ ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध करे। कमिटी के जिम्मे उन मुकदमों की जांच का भी काम किया गया जिनके मातहत आन्दोलन में भाग लेनेवालों को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलन के बाद सर राकरन् नायर ने महत्त बातों से भरा एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधीजी पर पौर आक्रमण किया। इस वक्तव्य के स्पष्टन में श्री जिन्नाह, जयकर और नटराजन को मंत्री की हैसियत से और अन्य सज्जनों को भी अपने-अपने बयान प्रकाशित करने पड़े।

इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव असहयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने अपनी, ७ जनवरी की बैठक में उनकी पुष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के अन्त तक के लिए मुत्तवी

प्रतिष्ठित गांधीवाले को गोली मार दी। फौज ने गन्तूर शहर में डेरा जमाया और गवर्नर के शरीर-रक्षक सवार गाँवों में गये। गाँवों से बाहर आदिमियों को इकट्ठा किया गया और उनसे कर वसूल करने की ब्यर्थ चेष्टा की गई एवं सामान कुर्क करने और गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। ऐसी अवस्था में जो हालत हुई होगी, उसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

इधर ३१ जनवरी १९२२ को कार्य-समिति की बैठकमें बारडोली ताल्लुका-परिषद् का प्रस्ताव पेश हुआ, जिस पर विचार करने के बाद ताल्लुके के लोगों को सामूहिक सत्याग्रह-द्वारा आत्म-बलिदान करने के निश्चय पर बंधाई दी गई। कार्य-समिति ने भारतवर्ष के अन्य सारे भागों को सलाह दी कि वे बारडोली के साथ सहयोग करें और उस समय तक किसी प्रकार का सामूहिक सत्याग्रह न करें जबतक उन्हें महात्मा गांधी की अनुमति पहले से प्राप्त न हो जाय।

अन्तिम चेतावनी

अब जरा हमें गुजरात और अन्य प्रान्तों का दौरा करना चाहिए। गांधीजी ने अपना कर-बन्दी-आन्दोलन आरम्भ करने का संकल्प किया था। इस आन्दोलन की उन्होंने सर्व-दल-सम्मेलन के बाद ३१ जनवरी १९२२ तक के लिए स्थगित कर दिया था। तदनुसार उन्होंने १ फरवरी को वाइसराय के नाम एक पत्र लिखा, जिसकी भी जिन्नाह आदि ने कड़ी आलोचना की। पत्र (१ फरवरी १९२२) इस प्रकार है :—

“बारडोली बम्बई-प्रांत के सूत-जिले का एक छोटा-सा ताल्लुका है जिसकी जन-संख्या मिलाकर कुल ८७,००० है।

“गठ नवम्बर की दिल्ली वाली महासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ था, इस ताल्लुके ने उसकी सारी शक्तों के अनुसार अपनी योग्यता साबित कर दी और गठ २६ जनवरी की श्री विट्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता में सामूहिक सत्याग्रह करने का निश्चय किया। पर चूंकि इस निश्चय की जिम्मेदारी मुख्यतः रायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए मैं उस हालत को, जिसमें यह निश्चय किया गया है, आपके और जनता के सामने रखना अपना कर्तव्य समझता हूँ।

“महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार बारडोली को सामूहिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र बनाने का निश्चय किया गया था जिससे सरकार की भारत के खिलाफत, पंजाब और स्वराज्य-सम्बन्धी संकल्प की अक्षम्य अवहेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-व्यापी असन्तोष प्रकट किया जा सके।

“इसके बाद ही बम्बई में १७ नवम्बर को शोचनीय दंगा हो गया, जिसके फल-स्वरूप बारडोली की कार्रवाई स्थगित कर देनी पड़ी।

“इधर-भारत सरकार की रजामन्दी से बगाल, आसाम, युक्तप्रान्त, पंजाब, दिल्ली-प्रान्त और एक प्रकार से विहार में और अन्य स्थानों पर भी घोर दमन से काम लिया गया। मैं जानता हूँ कि इन प्रान्तों के अधिकारियों ने जो क्रुद्ध किया है, उसे ‘दमन’ के नाम से पुकारने पर आपको ऐतयाज है। पर मेरी सम्मति यह है कि यदि जरूरत से ज्यादा कार्रवाई की गई हो तो निस्सन्देह उसे दमन के नाम से पुकारा जायगा। सर्गात्ति का सूटना, निर्दोष व्यक्तियों पर हमला करना, जेल में लोगों पर पारंपरिक अत्याचार करना और उनपर कोड़े बरसाना किसी तरह भी कानूनी, सम्पदा-पूर्ण या आवश्यक कार्य नहीं कहा जा सकता। इस सरकारी गैर-कानूनीयन को केवल गैर-कानूनी दमन के नाम से पुकारा जा सकता है।

“इन्वोल और विक्टिम के सिलसिले में असहयोगियों या उनके साथ हमदर्दी रखने वालों-द्वारा बयाने-भमकाने की बात किसी हद तक ठीक है, पर केवल इसी बरतण शान्तिपूर्ण विक्टिम या

उतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण कानून का अनुचित उपयोग करके जिते और कार्य दोनों प्रकार से हिंसा पूर्ण हलचलों को दबाने के लिए पास किया गया था, अन्तर्गत गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून जिसे गैर-कानूनी ढङ्गों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से जाना जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सो यह जित कानून के द्वारा किया गया है वह अब रद्द होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही जाना जा सकता है।

“फलतः देश के सामने सबसे बड़ा काम लिखने-बोलने और सभा करने की आजादी इस साधन से जीवन-दान देना है।

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-मोक्ष अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था में है, उसे देखते हुए असाधारण ने मालवीय-परिपद से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिपद का था कि वह आपको एक गोलमेज-परिपद करने के लिए तैयार करे। मैं अनावश्यक दुःख-व्यथ से आपको बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बिना संकोच कांग्रेस की कार्य-समिति को मालवीय परिपद सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में शर्तें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा मैंने आपके कलकत्तेवाले भाषण से और अन्य स्थानों से समझा, वाजिब ही थीं, मैंने आपने उन्हें एकवारगी नामंजूर कर दिया।

“ऐसी हालत में अपनी मांगें मनाने के लिए—जिनमें भाषण देने, मिलने-बुलने लिखने की आजादी सम्बन्धी मांगें भी शामिल हैं—किसी अहिंसात्मक उपाय का अवलम्बन करना सिवा देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्र सम्मति में हाल की घटनायें उस सम्पूर्ण नीति के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने अली-मार्श्यों की उदारता और वीरता और बिना किसी प्रहार की शर्तों के चूमा-याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति यह कि जरतक असाधारण शब्दों और कार्यों में अहिंसात्मक रहें, तबतक उनके कार्य-कलाप में सरकार बाधा न डाले। यदि सरकार उदासीन रहने की नीति बरतती और जनता की सम्मति को परिपक्व और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तवी करण होना जबतक कांग्रेस उपद्रवकारी शक्तियों पर पूरा अधिकार न कर लेती और अपने सार्वभौमिक अधिकारों में अधिक सफल और नियम-बद्धता न ला देती। परन्तु गैर कानूनी दमन-नीति के कारण इस अभाग्य देश के इतिहास में अपने टंग की निगामी है) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरम्भ करना हमारा अत्यन्त दायित्व है। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछ न्याय प्राप्त हुआओं तक ही सीमित कर दिया है। इन शर्तों को समग्र-समय पर मैं स्वयं निश्चित करूँगा। सत्याग्रह सत्याग्रह करने तक ही सीमित रहेगा। यदि मैं चाहूँ तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही सत्याग्रह प्रारम्भ के आदेश के १०० शर्तों में सत्याग्रह आरम्भ करने की स्वीकृति दे दूँ, बशर्ते कि वे अहिंसा, विमल विमल भावों में सत्य बन्दने रखने, हाथ का कटा-मुत्त नहर परन्तु और बन्दने और असाधारण पूरा करने की शर्तों का पालन कर सकें।

“मनु देश के इतने कि बरतोगली की जनता सत्यपुत्र सत्याग्रह आरम्भ कर, अपने सत्य के प्रयत्न आरम्भ होने की है। अतः मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि आप सत्याग्रह के अर्थ में बरतें और उसे सत्य बरतने की शक्ति दे दें जो अहिंसात्मक-शक्ति के लिए

जेल गये हैं या जिनका मामला अभी विचाराधीन है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप साफ-साफ शब्दों में देश की सारी अहिंसात्मक हलचल में—चाहे वह लिगलपत्र के सम्बन्ध में हो चाहे पञ्चायत या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विषयों में हो, यहां तक कि वह ताजीरात हिंद या जाम्ना पीजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्यों न आते हो—सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें। हाँ, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा लें और हाल में जो जुमाने किये गये हैं उन्हें वापस कर दें। मैं जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूँ, सो संसार के उन सभी देशों में किया जा रहा है, जहां की सरकारें सम्य हैं। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उप सत्याग्रह मुलतयी करने की सलाह दूंगा जब तक सारे कैदी हूटकर नये सिरे से अवस्था पर विचार न कर लें। यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो मैं उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सचूत समझूंगा और फिर निःसंकोच भाव से सलाह दूंगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश अपनी निरिक्वत मांगों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे। ऐसी अवस्था में उप सत्याग्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार विलकुल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के अधिकांश जन-समुदाय की स्पष्ट मांगों को मानने से इन्कार कर देगी।”

भारत-सरकार ने तुलन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति बम्बई के दंगों, अनेक स्थानों पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयं सेवक दलों द्वारा हिंसा, डरावने-धमकाने और दूसरे के काम-काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है। इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वही है जो अली-भाइयों के माफी मांगने के अवसर पर यादसराय ने बतलाई थी क्योंकि उस अवसर पर यादसराय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे समझेगी, राजद्रोहात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।” उत्तर में यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद् के प्रस्ताव को विलकुल ही रद्द नहीं कर दिया। वास्तव में इस प्रकार की परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर-कानूनी कार्यवाहियां बन्द कर दे। पर यह बात सर्व-दल सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थी। केवल हड़ताल, पिकेटिंग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बन्द कर जायी रहेंगे। इसके अलावा “गांधी जी ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद् का काम उनके निर्णयों पर सही करण्य मान होगा।” उनकी मांगें दो श्रेणियों में बांटी जासकती हैं (१) अहिंसात्मक आचरण के लिए दखिबत अथवा विचाराधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय, (२) यह आश्वासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिंसात्मक कार्यों में तटस्थता की नीति बरतेगी, फिर वे कार्य ताजीरात-हिन्द के भीतर भी क्यों न आते हों।

पर कांग्रेस के सिर पर एक अशुभ भंडाव रहा था। ५ फरवरी को मुकप्रान्त में गोरखपुर के निकट चोरी-चोरा में एक कर्मिस-जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर २१ विप्राहियों और एक धानेदार को भीड़ ने एक धाने में खदेड़ दिया और आग लगा दी। वे सब आग में जल मरे। उधर १३ जनवरी को मद्रास में बड़ी हुज्रा जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे। इस अवसर पर मद्रास में सुवर्णज गये थे। मद्रास के फारुड ने बम्बई जैसा विशाल रूप धारण नहीं किया। तब १२ फरवरी को बाराकोली में कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया। कांग्रेस

उतनी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे अध्याधारण कानून का अनुचित उपयोग करके जिसे उरेश और कार्य दोनों प्रकार से हिंसा पूर्ण हलचलों को दबाने के लिए पास किया गया था, अन्ध-धुन्ध गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून जिन गैर-कानूनी ढङ्गों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से पुकारा जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सो यह जिस कानून के अनुसार किया गया है वह अब रद होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही पुकारा जा सकता है।

“फलतः देश के सामने सबसे बड़ा काम लिखने-बोलने और समा करने की आजादी को इस साधन से जीवन-दान देना है।

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-स्रोतों पर अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-तैयार अवस्था में है, उसे देखते हुए अष्टदशियों ने मालवीय-परिपद् से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिपद् का उद्देश्य था कि वह आपको एक गोलमेज-परिपद् करने के लिए तैयार करे। मैं अनावश्यक दुःख-कष्ट से लोगों को बचना चाहता था, इसलिए मैंने बिना संकोच काम्रेस की कार्य-समिति को मालवीय-परिपद् की सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में शर्तें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा मैंने आपके कलकत्तेवाले मापण से और अन्य सूत्रों से समझा, वाजिब ही थीं; फिर भी आपने उन्हें एकबारगी नामंजूर कर दिया।

“ऐसी हालत में अपनी भागों मनवाने के लिए—जिनमें भाषण देने, मिलने-बुलने और लिखने की आजादी सम्बन्धी भागों भी शामिल हैं—किसी अहिंसात्मक उपाय का अवलम्बन करने के बिना देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्र सम्मति में हाल की घटनायें उस साधन-पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने अली-भाइयों की उदारता और वीरतापूर्ण और बिना किसी प्रकार की शर्तों के क्षमा-याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति यह थी कि जबतक अष्टदशियों शब्दों और भावों में अहिंसात्मक रहें, तबतक उनके कार्य-कलाप में सरकार कोई बाधा न डाले। यदि सरकार उदासीन रहने की नीति बरतती और जनता की सम्मति को परिपक्व होने और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सत्याग्रह मुल्तगी करना सम्भव होता जबतक काम्रेस उपद्रवकारी शक्तियों पर पूरा अधिकार न कर लेती और अपने लाखों अनुयायियों में अधिक सयम और नियम-बद्धता न ला देती। परन्तु गैर-कानूनी दमन-नीति के कारण (जो इस आभागे देश के इतिहास में अपने रंग की निगाली है) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल ही आरम्भ करना हमारा कर्तव्य होगया है। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछ सात सात इलाकों तक ही सीमित कर दिया है। इन इलाकों को समय-समय पर मैं स्वयं निरीक्षित करूँगा। विशाल सत्याग्रह भारतीयों तक ही सीमित रहेगा। यदि मैं चाहूँ तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही सरदारों को सत्याग्रहियों के १०० गति में सत्याग्रह आरम्भ करने की स्वीकृति दे दूँ, बशर्ते कि वे अहिंसा, मित्र-मित्र भेदों से दूर रहें, शान्त भाव-बुद्धि रखें, शान्त और सत्य के लिए लड़ें और सत्याग्रह पुराने की शर्तों का पालन करें।

“मनु देकर इसके कि भारतीयों को अन्ध-धुन्ध सत्याग्रह आरम्भ करे, आपने माया के प्रपञ्च प्रारम्भ होने की हैसियत में, मैं आगे एक बार फिर अनुपेक्ष कर रहा हूँ कि सत्याग्रहियों को सत्याग्रहियों के शब्दों की कुछ धर दे कर अहिंसात्मक-वादी के लिए

जेल गये हैं या जिनका मामला अभी विचाराधीन है। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप साफ-साफ शब्दों में देश की सारी अहिंसात्मक हलचल में—चाहे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो चाहे पञ्जाब या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विषयों में हो, यहाँ तक कि वह साजीरात हिंद या जाम्ना फौजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्यों न आती हो—सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें। हाँ, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे। मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा लें और हाल में जो जुमाने किये गये हैं उन्हें वापस कर दें। मैं जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूँ, सो संसार के उन सभी देशों में किया जा रहा है, जहाँ की सरकारें सभ्य हैं। यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उग्र सत्याग्रह मूल्तवी करने की सलाह दूँगा जब तक सारे कैदी छूटकर गये गिरे से अवनस्था पर विचार न कर लें। यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो मैं उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सबूत समझूँगा और फिर निःसंकोच भाव से सलाह दूँगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश अपनी निश्चित मांगों की पूर्ति के लिए और भी ठीस लोकमत तैयार करे। ऐसी अवस्था में उग्र सत्याग्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार बिलकुल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के अधिकांश जन-समुदाय की स्पष्ट मांगों को मानने से इन्कार कर देगी।”

भारत-सरकार ने तुरन्त ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छपया था, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति बम्बई के दंगों, अनेक स्थानों पर खतरनाक और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयंसेवक दलों द्वारा हिंसा, डराने-धमकाने और दूसरे के काम काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है। इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वही है जो अली-भाइयों के माफी मांगने के अवसर पर वाइसरॉय ने बतलाई थी क्योंकि उस अवसर पर वाइसरॉय ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे समझेगी, राजद्रोहात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगी।” उत्तर में यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद् के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद्द नहीं कर दिया। वास्तव में इस प्रकार की परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर-कानूनी कारवाइया बन्द कर दे। पर यह बात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थी। केवल इच्छाल, पिकेटिंग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बंदलूर जारी रहेंगे। इसके अलावा “गांधी जी ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद् का काम उनके निर्णयों पर सही करना मात्र होगा।” उनकी मांगें दो श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं (१) अहिंसात्मक आचरण के लिए दण्डित अथवा विचाराधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह आश्वासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिंसात्मक कार्यों में तटस्थता की नीति बरतेगी, फिर वे कार्य साजीरात-हिन्द के भीतर भी क्यों न आते हों।

पर कांग्रेस के सिर पर एक अशुभ मंडरा रहा था। ५ फरवरी को युक्तमान्त में गोरखपुर के निकट चोरी-चोरी में एक कांग्रेस-जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर २१ विपक्षियों और एक धानेदार को भीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग लगा दी। वे सब आग में जल गये। उधर १३ जनवरी को मद्रास में सही हुआ जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे। इस अवसर पर मद्रास में युवराज गये थे। मद्रास क बाएट ने बम्बई जेल विद्यालय रूप धारण नहीं किया। तब १२ फरवरी को बाराकोली में कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम्भ करने का विचार छोड़ दिया गया। कामि-

उत्तरी ही शान्तिपूर्ण सभाओं को एक ऐसे असाधारण कानून का अनुचित उपयोग करके जिनेट और कार्य दोनों प्रकार से हिंसा पूर्ण हलचलों को दबाने के लिए पास किया गया था, अर्थात् गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निंदोप व्यक्तियों के ऊपर साधारण कानून जिनेट गैर-कानूनी दलों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से जाना जा सकता है। रही प्रेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सो यह जिस कानून के अंतर्गत किया गया है वह अब रद्द होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तक्षेप भी दमन के नाम से ही जाना जा सकता है।

“फलतः देश के सामने सबसे बड़ा काम लिखने-बोलने और सभा करने की आजादी इस साधन से जीवन-दान देना है।

“आजकल भारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-स्रोतों को अतिक्रम करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-वैधायक अवस्था में है, उसे देखते हुए अस्मिता ने मालवीय-परिषद् से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था। इस परिषद् का उद्देश्य था कि वेद आपको एक गोलमेज-परिषद् करने के लिए तैयार करे। मैं अनावश्यक दुःख-कष्ट से बचना चाहता था, इसलिए मैंने बिना संकोच कांग्रेस की कार्य-समिति को मालवीय-परिषद् से संपर्कियों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मति में शर्तें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसा मैंने आपके कलकत्तेवाले भाषण से और अन्य सूत्रों से समझा, वाजिब ही थी, जिन्हें आपने उन्हें एकबारगी नामंजूर कर दिया।

“ऐसी हालत में अपनी मांगें मनवाने के लिए—जिनमें भाषण देने, मिलने-झुलने लिखने की आजादी सम्बन्धी मांगें भी शामिल हैं—किसी अहिंसात्मक उपाय का अवलम्बन करना सिवा देश के आगे और कोई रास्ता नहीं है। मेरी विनम्र सम्मति में हाल की घटनायें उस सम्पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने अली-भाइयों की उदारता और वीरता और बिना किसी प्रकार की शर्त के क्षमा-याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति यह कि जबतक असहयोगी शब्दों और कार्यों में अहिंसात्मक रहें, जबतक उनके कार्य-कलाप में सरकार बाधा न डाले। यदि सरकार उदासीन रहने की नीति चरित्र और जनता की सम्मति को परिष्कृत और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय तक के लिए सत्याग्रह मुत्तबी करना ही होता जबतक कांग्रेस उपद्रवकारी शक्तियों पर पूर्ण अधिकार न कर लेती और अपने हाथों पापियों में अधिक समय और नियम-बद्धता न ला देती। परन्तु गैर-कानूनी दमन-नीति के कारण इस अभाग्य देश के इतिहास में अपने दंग की निराली है) सामूहिक सत्याग्रह तत्काल ही प्रारम्भ करना हमारा कर्तव्य होगा। कार्य-समिति ने सत्याग्रह को कुछ खास-खास इलाकों तक ही सीमित कर दिया है। इन इलाकों को समय-समय पर मैं स्वयं निश्चित करूंगा। किलहाल सत्याग्रह भारत के १०० गांवों में सत्याग्रह आरम्भ करने की स्वीकृति दे दूँ, शर्तें कि वे अहिंसा के अन्तर्गत बर्ताने रखने, हाथ का कटा-बुना धार पहनने और बनाने और

जेल गये हैं या किन्हीं मामला अभी विचासनीन है । मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप साफ-साफ शर्तों में देश की गरी अहिंसात्मक हलचल में—चाहे वह जिलापत्र के सम्बन्ध में हो चाहे पञ्चाय या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किन्हीं विषयों में हो, यहां तक कि वह राजीरात हिन्द या जाम्ना बीजराती की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनकारी कानूनों के भीतर क्यों न आती हो—सरकार की दृष्टिगत की योग्यता कर दें । हाँ, अहिंसा की शर्त अवश्य हमेशा लागू रहे । मैं आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि आप प्रेस पर से कड़ाई उठा लें और हाल में जो जुमाने किये गये हैं उन्हें वापस कर दें । मैं जो आपसे यह करने का अनुरोध कर रहा हूँ, तो संसार के उन सभी देशों में किया जा रहा है, जहां की सरकारें मध्य हैं । यदि आप पाठ दिन के भीतर इस प्रकार की योग्यता कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उम्र सत्याग्रह मुक्तरी करने की सलाह दूंगा जब तक धारे कैदी नूटकर नये धिरे से अकम्पा पर विचार न कर लें । यदि सरकार उक्त प्रकार की योग्यता कर दे तो मैं उसे सरकार की ओर से लोकमत के अनुकूल कार्य करने की इच्छा का सचूत समझूंगा और फिर निःसंकोच भाष से सलाह दूंगा कि दूसरे पर अहिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश आपनी निश्चित मार्गों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत विचार करे । ऐसी अवस्था में उम्र सत्याग्रह केवल तभी किया जायगा जब सरकार बिलकुल दृष्टि रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब यह भारत के अधिकांश जन-समुदाय की श्रेष्ठ मार्गों को मानने से इन्कार कर देगी ।”

भारत-सरकार ने तुल्य ही गांधीजी के वक्तव्य का उत्तर छापवाया, जिसमें दमन-नीति का यह कहकर समर्थन किया गया कि यह नीति बम्बई के दंगों, अनेक स्थानों पर अतृप्तता और गैर-कानूनी प्रदर्शनों और स्वयं सेवक दलों द्वारा हिंसा, बहाने धमकाने और दूसरे के काम काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है । इस उत्तर में यह भी श्रेष्ठ कर दिया गया कि सरकार की नीति वही है जो अली-भाइयों के माफी मांगने के अवसर पर वाइसराय ने बतलाई थी क्योंकि उस अवसर पर वाइसराय ने यह बात शर्त कर दी थी कि “सरकार जब और जैसे समझेगी, राजद्रोहात्मक आचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेगा ।” उत्तर में यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिषद् के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद्द नहीं कर दिया । वास्तव में इस प्रकार की परिषद् के लिए यह आवश्यक था कि असहयोगी-दल गैर-कानूनी कार्रवाइयां बन्द कर दें । पर यह बात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में करी नहीं थी । केवल इकताल, रिफेटींग और सत्याग्रह बन्द करना तय हुआ था, और यह कहा गया था कि अन्य गैर-कानूनी काम बन्द कर जायीं रहेंगे । इसके अलावा “गांधी जी ने यह बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद् का काम उनके निर्णयों पर सही करना मात्र होगा ।” उनकी मार्ग दो भेषियों में बाँटी जासकती हैं (१) अहिंसात्मक आचरण के लिए दण्डित अथवा विचासनीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह आश्वासन दिया जाय कि सरकार असहयोग-दल के सभी अहिंसात्मक कार्य में दृष्टिगत की नीति बरतेगी, फिर वे कार्य राजीरात-हिन्द के भीतर भी क्यों न आते हों ।

पर कामेस के सिर पर एक अग्रिम मद्दय रहा था । ५ फरवरी को युक्तान्त में गोरखपुर के निवृत्त चोरी-चोर में एक कामेस-जुलूस निकाला गया । इस अवसर पर २१ विपारिधियों और एक धानेदार को मीड ने एक धाने में खदेड़ दिया और अग्रम सगादी । वे सब अग्रम में जल मरे । उधर १३ जनवरी को मद्रास में वही हुआ जो १७ नवम्बर को बम्बई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमी मरे थे और ४०० घायल हुए थे । इस अवसर पर मद्रास में युवराज गये थे । मद्रास के कायद ने बम्बई जैसा विद्याल रूप धारण नहीं किया । तब १२ फरवरी को बारडोली में कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमें इन घटनाओं के कारण

सर्व-दल का विचार छोड़ दिया गया । कामे-

रहा। बाबू हरदयाल नाम जैसे गांधीभक्त ने बगावत का भण्डा खड़ा किया। सत्याग्रही खहर क्यों पहनें? बारहोली के प्रस्तावों की एक एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की बैठक में डॉ० मुन्जे ने गांधीजी के विरुद्ध निंश का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों द्वारा उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध बोले थे। गांधीजी ने इन प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की भाँति अचल रहे।

गांधीजी की गिरफ्तारी

पाँच पड़ चुका था। अब गांधीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढ़ी हुई हो। वह सज्ज के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुरमन अपने पूरे वेग के साथ आ टूटता है। १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में सेरान सुपुर्द कर दिया गया।

यह 'ऐतिहासिक मुवदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने एक छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, "जिम समय गांधीजी की कुरा, शान्त और अजेय-देह ने अपने भक्त, शिष्य और सहबन्दी शङ्करलाल बैकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ खड़े हुए।" कानूनी अहल-कारों ने तीन लेख छाँटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'राजभक्ति में दखल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-तर्जन'। ज्यों ही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैकर ने भी अपने को अपराधी कबूल किया। इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:—

"यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए। इस-लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इंग्लैण्ड की और भारतीय जनता को यह बता दूँ कि मैं कटर सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे बन गया। मैं अदालत की भी बचाऊंगा कि मैं इस सरकार के प्रांत, जो देश में कानून कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोषी क्यों मानता हूँ।

"मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ १८६३ में दक्षिण-अफ्रीका में विषम परिस्थिति में हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा न रहा। मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहाँ मेरे कोई अधिकार नहीं हैं। मैंने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुस्तानी हूँ।

"पर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यह दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोष एक अच्छी-भासी शासन-व्यवस्था में थोड़ा साकर पुस गया है। मैंने खुद ही दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कभी मैंने सरकार में कोई दोष पाया तो मैंने उसकी खूब आलोचना की, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की।

"जब १८९० में बोधनों की सनौती ने सारे ब्रिटिश-साप्ताग्य को महान विवाद में डाल दिया, उस अवसर पर मैंने उमे अपनी सेवायें भेंट की— पायलों के लिए एक स्वयंसेवक-दल बनाया और लेडी स्मिथ की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाया लड़ी गई, उनमें काम किया इसी प्रकार जब

यों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय और पत्रकारों का संगठन और सभायें केवल सरकार की आज्ञा को तोड़ने के लिए न की जाय। एक नात्मक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भरती करना, चले प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक-द्रव्य-निषेध का प्रचार और पंचायतें संगठितना आदि शामिल था। उधर जिस कमिटी को गन्तू जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया था उसने अपनी सिफारिश प्रकाशित करके लोगों से कर अदा करने को कहा और राय लगाने पर तुरंत तक अदा कर दिया गया। यह बात माननी पड़गी कि आन्ध्र-देश में करबन्दी का आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जब तक कांग्रेस की निषेधाज्ञा जारी रही तबतक ५ फीसदी लगान तक वसूल किया जा सका।

बारहोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। बहुत लोग ऐसे थे जो गांधीजी और उनके निधाय में अगाध-विश्वास रखते थे, कुछ ऐसे भी थे जो आपत्ति प्रकट करने-योग्य और अक्सर हाथ से न जाने देते थे। जब २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक तो उसमें कार्यसमिति के बारहोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ। हाँ, व्यक्ति-रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवश्य दे दी गई। विदेरी के की पिकेटिंग की भी इजाजत उन्हीं शर्तों पर दी गई थी जो बारहोली प्रस्ताव में शपथ की रिक्तियों के लिए रखी गई थीं। महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्था प्रकट की और यह राय कायम कि यदि कार्यकर्त्ता रचनात्मक-कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दें तो जिस अहिंसात्मक-वातावरण कावश्यकता है वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा।

महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत-सत्याग्रह वह है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी आज्ञा या कानून का उल्लंघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निषिद्ध-सभा जिसमें प्रवेश करने के लिए टिकटों की आवश्यकता हो, जिसमें सबको मुनेग्राम आने की इजाजत न हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है और ऐसी सत्याग्रह सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी श्रेष्ठिक के जा सकें, सामूहिक-सत्याग्रह की। यदि शपथ की सभा और रोजमर्रा का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह आत्म-बचा के लिए समझी जायगी। यदि सभा कोई दैनिक-कार्यक्रम पूरा करने के लिए नही बल्कि गिरफ्तार और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उग्र-स्वरूप की सभा समझी जायगी।

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्थ लोगों ने, दिल्ली लचल मच गई। ये सभ्य कांग्रेस और सरकार के पारस्परिक-समझौते की तो आशा छोड़ देते थे, साथ ही गांधीजी की गिरफ्तारी का विरुद्ध का बयान चाहते थे। यदि महासमिति अब भी कानून-सत्याग्रह को अग्रिम अन्तिम उपाय और व्यक्तिगत सत्याग्रह को अन्तिम उपाय मान लिया जाय तो सभ्य तो समझ या सरकार कोई कार्यवाई न करेगा। उधर गांधीजी के विरुद्ध यह उग्र उठी कि उन्होंने आन्दोलन को विस्तृत रूप देना शुरू कर दिया। यह उग्र मानसिक नेहरू और अन्य नेहरू ने जेल के अंदर में लम्बे लम्बे पत्र लिखे। उन्होंने गांधीजी की किसी एक सत्याग्रह के कारण सारे देश को दहक देने के लिए आगे हाथों लिए। जब महासमिति की वापस आ गई तो वापस ही पर आगे ही न दूर रहने लगी। आन्दोलन ने पीढ़े हरने और बारहोली सत्याग्रह के लिए उन्हीं आगे हाथों लिए गए। बहाल और महासमिति तो गांधीजी पर दूर रहे। उग्र-स्वरूप करने न था। सत्य ही है, बहाल तो चौड़ापट्टी देना देने के

रहा। बाबू हरदयाल नाग जैसे गांधीभक्त ने बगावत का भरपूर सहायता किया। सत्याग्रही लहर क्यों पहनें! बारडोली के प्रस्तावों की एक एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की बैठक में डॉ० मुन्जे ने गांधीजी के विरुद्ध निराशा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सज्जनों ने भाषणों द्वारा उनका समर्थन भी किया। पर राय लेने के बरत केवल उन्हीं सज्जनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी के विरुद्ध बोले थे। गांधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को धोलाई की अनुमति न दी। तूफान आया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की भाँति अचल रहे।

गांधीजी की गिरफ्तारी

पासा पड़ चुका था। अब गांधीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई भी सरकार देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढी हुई हो। वह सब के साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के साथ आ दूटता है। १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का निश्चय फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में शेरान सुपुर्द कर दिया गया।

यह 'ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने एक छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, "जिन समय गांधीजी की कृश, शान्त और अजेय-देह ने अपने भक्त, शिष्य और सहबन्दी शङ्करलाल बैंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की निगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ खड़े हुए।" कानूनी अहल-कारों ने तीन लेख छाटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'राजभक्ति में दखल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-वर्जन'। ज्यों ही अभियोग पढ़कर सुनाये गये, गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैंकर ने भी अपने को अपराधी कबूल किया। इसके बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:—

"यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए। इस-लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इंग्लैण्ड की और भारतीय जनता को यह बता दूँ कि मैं कष्ट सहयोगी से पक्का राजद्रोही और असहयोगी कैसे बन गया। मैं अदालत को भी बताऊँगा कि मैं इस सरकार के प्रति, जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने आपको दोषी क्यों मानता हूँ।

"मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ १८९३ में दक्षिण-अफ्रीका में विषम परिस्थिति में हुआ। उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला सम्माम कुछ अच्छा न रहा। मुझे पता लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुस्तानी के नाते वहाँ मेरे कोई अधिकार नहीं हैं। मैंने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुस्तानी हूँ।

"पर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने समझा था कि भारतीयों के साथ जो यद् दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह दोष एक अच्छी-साठी शासन-व्यवस्था में यों ही आकर घुस गया है। मैंने खुद ही दिल से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कमी मैंने सरकार में कोई दोष पाया तो मैंने उसकी खूब आलोचना की, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कभी नहीं की।

"जब १८९० में बोधोती की चुनौती ने सारे ब्रिटिश-शास्य बौ मरान विवाद में डाल दिया, उस अवसर पर मैंने उसे अपनी सेवायें भेंट कीं— पायलों के लिए एक स्वयंसेवक-दल बनाया और लेडी रिम्य की रक्षा के लिए जो कुछ लड़ाईयाँ लड़ीं गईं, उनमें काम किया इसी प्रकार जब

सियों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जब और स्वयंसेवकों का मगठन और मभावों केवल सरकार की आज्ञा को तोड़ने के लिए न की जाय। एक रचनात्मक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिसमें कांग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भरती करना, चारों का प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों को खोलना और मादक द्रव्य-निषेध का प्रचार और पंचायतें खोलना करना आदि शामिल था। उधर जिस कमिटी को गन्तूर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किया गया था उसने अपनी विचारों प्रकाशित करके लोगों से कर अदा करने को कहा और सात हजार १० फरवरी तक अदा कर दिया गया। यह बात माननी पड़ेगी कि आन्ध्र-देश में करबन्दी का आन्दोलन सफल हुआ, क्योंकि जब तक कांग्रेस की निषेधाज्ञा जारी रही तब तक ५ फीसदी लगान तक वसूल न किया जा सका।

बारदोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। बहुत लोग ऐसे थे जो गांधीजी और उनके निधय में अगाध-विश्वास रखते थे, कुछ ऐसे भी थे जो आपत्ति प्रकट करने-योग्य कोई अवसर हाथ से न जाने देने थे। जब २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई तो उसमें कार्यसमिति के बारदोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रस्तावों का समर्थन हुआ। हाँ, व्यक्तिगत रूप से किसी न्याय कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति अवश्य दे दी गई। विदेशी कपड़े की विक्रेताओं की भी हजाजत उन्हीं शर्तों पर दी गई थी जो बारदोली प्रस्ताव में शपथ की रिपोर्टिंग के लिए रखी गई थी। महासमिति ने सत्याग्रह में अपनी आस्था प्रकट की और यह शपथ कायम की कि यदि कार्यकर्ता रचनात्मक-कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दें तो जित्त अहिंसात्मक-कठोरता की आवश्यकता है वह अवश्य उत्पन्न हो जायगा।

महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत-सत्याग्रह वह है जिसे अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के द्वारा किसी सरकारी आज्ञा या वानूत का उल्लंघन किया जाय। उदाहरण के लिए ऐसी निर्णय-सभा जिसमें प्रवेश करने के लिए टिकटों की आवश्यकता हो, और जिसमें सबसे खुलेआम आने की इजाजत न हो। व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिसाल है और देरी निर्णय सभा जिसमें जन-साधारण बिना किसी श्रेष्ठिक के जा सकें, सामूहिक-सत्याग्रह की। यदि इस प्रकार की सभा कोई राज्यों का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की जाय तो वह आत्म-सदा के लिए की गई समझी जायगी। यदि सभा कोई वैयक्तिक-कार्य पूरा करने के लिए नया बंधन गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए की गई हो तो वह उग्र-स्वरूप की सभा समझी जायगी।

जब महासमिति ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तो सम्पन्न लोगों ने, जिन्हें में हजबस मंच गई। ये सज्जन कांग्रेस और सरकार के पारस्परिक-सम्बन्धों की तो छाया डालते थे, पर साथ ही गांधीजी की गिरफ्तारी की हिन्द की बचना चाहते थे। यदि महासमिति जब भी कदु रिक्त सत्याग्रह को सत्याग्रह-आन्दोलन सदा और व्यक्तिगत सत्याग्रह को सुलभ हुए कि यह करने सजा कार्यक्रम न बनना तो समाज या सरकार कोई कार्य-सूची न बना। उधर गांधीजी के विचार का आधार उड़ी कि उन्होंने आन्दोलन की विस्तृत तरफ का दिया। उन्होंने मोर्चागत नेत्रों को सत्याग्रह-कार्य में केवल के अन्त में समझे-समझे रख लिये। उन्होंने गांधीजी की जिन्दगी के लिए के लिए के कारण को देख कर देख देने के लिए सारे सारे लिए। जब महासमिति की सत्याग्रह बैठक हुई तो सत्याग्रह की सजा के बारे में कोई चिन्ता नहीं लगी। आन्दोलन में सजे जाने की बातों के सम्बन्धों के लिए उन्हें सारे सारे लिए लक्ष्य। सत्याग्रह सारा सत्याग्रह तो गांधीजी का ही है। व्यक्तिगत-सत्याग्रह का न कोई सत्याग्रह है। यह सुझ भी है, सत्याग्रह के संकल्पों के लिए है।

। बाबू हरदयाल नगर जैसे गांधीभक्त ने बगावत का झण्डा खड़ा किया। सत्याग्रही खदर क्यों
 नें। बारबोली के प्रस्तावों की एक एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। महासम्मिति की बैठक में
 मून्जे ने गांधीजी के विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव पेश किया और कुछ सजनों ने भाषणों द्वारा उनका
 भयंन भी किया। पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सजनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी
 विरुद्ध बोले थे। गांधीजी ने इन प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी। तूफान
 गया और निकल गया, और गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की भाँति अचल रहे।

गांधीजी की गिरफ्तारी

पाँसा पड़ चुका था। अब गांधीजी को घर दबोचने की सरकार की धारी थी। कोई भी सरकार
 में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियता बढ़ी हुई हो। वह सत्र के
 साथ अपना अवसर देखती रहती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुरमन अपने पूरे वेग के
 साथ आ टूटता है। १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का
 नेश्चय परिवरी के अन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गांधीजी को राजद्रोह के अपराध में
 गणन सुपुर्द कर दिया गया।

यह 'ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने एक
 छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, "जिम समय गांधीजी की कृपा, शान्त और अश्वेय-न्द्रे ने
 अपने भक्त, शिष्य और सहवन्दी शङ्करलाल बैकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की
 जगाह में इस कैदी और अपराधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ खड़े हुए।" कानूनी दाय
 गरी ने तीन लेख छुटे जिसे के लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'धर्मद्वि
 खल', (२) 'समस्या और उसका हल', (३) 'गर्जन-वर्जन'। ज्यों ही अभियोग पढ़कर मुन्जे
 गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैकर ने भी अपने को अपराधी कबूल किया।
 बाद गांधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:—

"यह जो मुकदमा चलाया जा रहा है वह इंग्लैण्ड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए है। मैं
 लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इंग्लैण्ड की और भारतीय जनता को यह बता दूँ कि मैं राजद्रोह
 का राजद्रोही और असहयोगी कैसे बन गया। मैं अदालत को भी बताऊँगा कि मैं
 प्रति, जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण आचरण करने के लिए अपने
 मानता हूँ।

"मेरे सार्वजनिक जीवन का आरम्भ १८६३ में दक्षिण-अफ्रीका में
 उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ वर्षों के
 कि एक मनुष्य और एक वहाँ मेरे कोई अधिकार
 लिया।

रहा है
 प्रेम के भाव
 प्रमाण के लीर
 ग है।

वैक रूप से रह
 की है। मेरी
 ते असहयोग
 लिए असहयोग को
 भी यह बताने

१९०६ में कुछ लोगों ने 'विद्रोह' किया तो मैंने स्ट्रैचर पर घायलों को ले जानेवाला दल संगठित किया और जबतक 'विद्रोह' दब न गया, बराबर काम करता रहा। इन दोनों अवसरों पर मुझे पदक मिले और सतीशों तक मैं मेरा जिक्र किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो काम किया उसके लिए लार्ड हार्डिंग ने मुझे कैसर-ए-हिन्द पदक दिया। जब १९१४ में इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया तो मैंने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्वयंसेवक-दल बनाया। इस दल में मुख्यतः विद्यार्थी थे। अधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की। जब १९१७ में लार्ड चेम्सफोर्ड ने दिल्ली की युद्ध-परिषद् में खास तौर से अपील की तो मैंने खेड़ा में रगलूट भर्ती करते हुए अपने स्वास्थ्य तक को जोखिम में डाल दिया। मुझे इसमें सफलता मिल ही रही थी कि युद्ध बन्द हो गया और आशा हुई कि अब और रगलूट नहीं चाहिए। इन सारे सेवा-कार्यों में मेरा एक-मात्र यही विश्वास रहा कि इस प्रकार मैं साम्राज्य में अपने देशवासियों के लिए बराबरी का दर्जा हासिल कर सकूंगा।'

“पहला धक्का मुझे रौलट-एक्ट ने दिया। यह कानून जनता की वास्तविक स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए बनाया गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानून के खिलाफ मुझे जोर का आन्दोलन करना चाहिए। इसके बाद पंजाब के भीषण कांड का नम्बर आया। इसका आरम्भ जलियावाला-बाग के कत्ले आम से और अन्त पेट के बल रँगाने, खुले आम बैठ लगाने और दूसरे बयान से बाहर अपमानजनक कारनामों के साथ हुआ। मुझे यह भी पता लग गया कि प्रधान-मंत्री ने भारत के मुसलमानों को जो आश्वासन दिया था कि तुर्की और इस्लाम के तीर्थ स्थानों की पवित्रता बरहसूर रक्षनी जायगी, वह कौन आश्वासन ही रहेगा।

“वैसे १९१६ की अमृतसर-कांग्रेस में अनेक मित्रों ने मुझे सावधान किया और मेरी नीति की सार्थकता में सन्देह प्रकट किया, पर फिर भी मैं इस विश्वास पर अटका रहा कि भारतीय मुसलमानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो वादा किया है उसका पालन किया जायगा, पंजाब के अस्मों को भरा जायगा और लाख नाकाफी और असन्तोष-जनक होने पर भी सुधार, भारत के जीवन में एक नई आशा को जन्म देंगे। फलतः मैं सहयोग और मटिगु-वेम्सफोर्ड-सुधारों को सफल बनाने की बात पर अटका रहा।

“पर मेरी सारी आशायें धूल में मिल गईं। खिलाफत-सम्बन्धी बचन पूरा किया जानेवाला नहीं था। पंजाब-सम्बन्धी अपराध पर लापापोती कर दी गई थी। इधर अधोपट भूमे रहनेवाले भारतवासी धीरे-धीरे निर्जीव होते जा रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि उन्हें जो योद्धा-सा मुल-प्रेरणा मिल जाता है वह विदेशी शोषक की दलाली करने के कारण है और सारा नफा और सारी बलाली जनता के खून से निकाली जाती है। वे यह नहीं जानते कि ब्रिटिश-भारत में जो सरकार कानून कायम है वह हमी जनता के धन शोषण के लिए चलाई जाती है। चाहे जितने झूठे-सन्ने तर्कों से काम लिया जाय, हिन्दुस्तान के साथ चाहे जैसी चालाकी की जाय, असत्य मानों में जो नर-बन्धाल दिव्यार्थ पक रहे हैं उनकी प्रत्यक्ष गवाही को किसी तरह नहीं झुठलाया जा सकता। यदि हमारा कोई ईश्वर है, तो मुझे हममें सनिक भी सन्देह नहीं है कि इतिहास में जो यह अपने टंग का निगलन अपराध किया जा रहा है उसकी जगहदेही इंग्लैंड की जनता और हिन्दुस्तान के नगरवासियों को करनी होगी। हम देश में कानून का उपयोग विदेशी धन-शोषकों के मुभीने के लिए किया गया है। पञ्च के कोड़ी कानून के सन्ने में मैंने जो निष्पत्त काय की है, उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि १०० करोड़ ६५ लाखों में जन्य के पैसों बिलकुल गायब रहे। हिन्दुस्तान के एकीकृत

दमों का उल्टा मुझे बताता है कि दस पीछे नौ दण्डित आदमी सोलद आने निर्दोष थे। इन आदमियों का केवल इतना ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ मलों में देखा गया है कि हिन्दुस्तान की अदालतों में हिन्दुस्तानी को यूरोपियन के मुकाबले में लाय नहीं मिलता। मैं अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा हूँ। जिस-जिस भारतवासी को इस तरह मामलों से काम पड़ा है उसका यही उल्टा है। मेरी राय में कांग्रेस का दुष्प्रयोग, जानबूझ कर ही या बिना जानेबूझे सही, घन-शोषक के लाम के लिए किया जाता है।

“सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अंग्रेजों और उनके हिन्दुस्तानी सहयोगियों के लक्ष्ये इस देश का शासन-भार है वे खुद यह नहीं जानते कि मैंने जिस अपराध का वर्णन किया है उसमें उनका हाथ है। मैं अन्धी तरह जानता हूँ कि बहुत-से अंग्रेज और हिन्दुस्तानी अधिकारी हृदय से इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन-व्यवस्था को अमल में ला रहे हैं वह सभ्यता की बढ़िया-से-बढ़िया शासन व्यवस्थाओं में से है और हिन्दुस्तान धीरे-धीरे परन्तु निरिचल-रूप से उन्नति कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि कैसे सूक्ष्म परन्तु कायमद दम से आतंक का सिकका बैठाया गया है और किस तरह एक श्रोत्र शक्ति का सगठित प्रदर्शन करके और दूसरी ओर आत्म-रक्षा या बदले में प्रहार करने की तमाम शक्तियाँ खीनकर लोगों को निःसत्व और पौरुषहीन बना दिया गया है। इससे लोगों को अब इस प्रकार रहने की टेव पढ़ गई है कि जिससे शासन-वर्ग का अज्ञान और आत्म-प्रबंधना और भी बढ़ गई है। जिस १२४ ए धारा के अंतर्गत मुझ पर मुकदमा चलाया गया है वह नागरिकों की आजादी का अपहरण करने में ताजीरात हिन्दूकी धाराओं में सिरतान है। प्रेम न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कायदे-कायद के मातहत रह सकता है। यदि किसी आदमी के हृदय में किसी दूसरे आदमी के प्रति प्रेम के भाव न हों, तो अवतक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे तबतक उसे अपने अस्मिता के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। पर श्रियुक्त बैकर पर और मुझपर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अस्मिता फैलाना अपराध है। इस धारा के अंतर्गत चलाये गये कुछ मामलों का मैंने अध्ययन किया है, और मैं जानता हूँ कि इस धारा के अनुसार देश के कई परमप्रिय देश-भक्तों को सजा दी गई है। इसलिए मुझपर जो इस धारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे मैं 'अपना सौभाग्य समझता हूँ। मैंने सत्त्व में अपनी अस्मिता के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, और स्वयं सच्चाई के व्यक्तित्व के प्रति तो मुझ में अस्मिता का भाव विलकुल है ही नहीं। परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाई है उसके प्रति अस्मिता के भाव रचना मैं सद्गुण समझता हूँ। अंग्रेजों की अमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुषत्व का अन्य अमलदारियों की अपेक्षा अधिक अभाव हो गया है। अब मेरी ऐसी धारणा है जो इस शासन व्यवस्था के प्रति प्रेम के भाव रखना मैं पाप समझता हूँ। और इसलिए मैंने अपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रकाश के तौर पर पेश किये गये हैं, जो कुछ लिखा है उसे लिख पाना अपना परम-सौभाग्य समझता हूँ।

“वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्लैण्ड और भारत जिस अ-प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने असहयोग के द्वारा उससे उद्धार पाने का मार्ग बताकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्र सम्मति में जिस प्रकार अन्धकार से सहयोग करना कर्तव्य है उसी प्रकार सुपई से असहयोग करना भी कर्तव्य है। इससे पहले सुपई करनेवाले को दण्डित पहचानने के लिए असहयोग को दिशात्मक ढंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवासियों को यह बताने

विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने निश्चय किया गया। मलाबार में कड़-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,००० की मंजूरी दी। जमनालाल बजाज ने वकीलों के भरण-पोषण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। उनके अनित्यार्थ 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया। असहयोगी वकीलों को एक बार फिर तबनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न लें, और असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी चीजें न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे इन बातों की जांच और रिपोर्टें पेश करने का काम हुआ—(१) मोपला-विद्रोह होनेके कारण; (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया, (३) सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायों से काम लिया, (४) मोपलों-का बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना, (५) सम्पत्ति का विध्वंस, (६) हिन्दू मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, दे आवश्यक हो तो किन-किन उपायों से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मराठी) की कांग्रेस-कमिटी असहयोग-कार्यक्रम में कुछ संशोधन पेश किये। असहयोग-निवारण-संबंधी योजना बनाने के लिए एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ९ जून १९२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें सर लिली और अन्य सिप्रांसों पर गौर किया गया। असल में महासमिति का काम था असहयोग, विनय-भंग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके प्रयोजन और कला का सिद्धान्तिकन करना। देशबन्धु दास और विद्वलभार्दे पटेल जैसे चोटी के नेता, उन्होंने असहयोग को बहुत-कुछ संकोच के बाद अपनाया और बाद की उसकी जोरदार पुष्टि की थी, जून में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिनका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। तदनुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छूट कर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने संशोधन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति को खिन्नकारा गया और उस नीति का मुकाबला करने के लिए किसी न-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस बात को अग्रस्त के लिए स्थापित कर दिया गया। साथ ही सभापति ने अनुरोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौरा करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। तदनुसार सभापति ने पंडित मोतीलाल नेहरू, डा० अन्वारी, धीरुव विद्वलभार्दे पटेल, सेठ जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकदर किया। हकीम अजमलखान को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की और उनके स्थान पर भी एस० कस्तूरी रमा आग्रगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके।

सत्याग्रह-कमिटी की कार्यवाही और उसकी रिपोर्टें का जिक्र करने से पहले हमें भावचं महीने को एकबार फिर देख लेना चाहिए। मि० मावटेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स की सन्धि के सम्बन्ध में एक सरकारी कामकाज का भेद खोल दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १९२२ को मन्त्रि-मण्डल से हट्टीकर देना पड़ा। उस समय तुर्की ने युनानियों को कयरी हार दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओं का चारों तरफ दौर-दौर था। १९२२ में सार्वभौमिक मूर्ति जनता के क्रोध का भाजन बन गई थी। आन्ध्र में गोदावरी में राष्ट्रीय भण्डा फहराने से नौकरशाही भड़क उठी थी और करवन्दी-आन्दोलन भी मौजूदा था ही। कानून का शासन १०८ और १४४ धाराओं का शासन रह गया था। सरकारी कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य अपनी लाचारी प्रकट करते थे—क्योंकि कलकटर (इण्डियन-कमिश्नर)

की पोशाक कर रहा है कि हिंसा सुधारों को कायम रखती है, इसलिए सुधारों की जड़ काटने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा से बिलकुल अलग रहे। अहिंसा का मतलब यह है कि सुधारों से असहयोग करने के लिए जो मुद्दे भी दण्ड मित्रे उठे स्वीकार कर लें। इसलिए मैं यहाँ उक्त कार्य के लिए जो कानून की निगाह में जान-बूझकर किया गया अपराध है और जो मेरे निगाह में किसी न्यायिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड पाहवा है और उसे सख्त प्रहण करने का विचार है। आरके जज और असेमों के सामने गिरा दो ही मार्ग हैं। यदि आप लोग हृदय से समझते हैं कि जिस कानून का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा गया है, यह मुझ है और मैं निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदों से हस्ताक्षर दें और सुधारों से अपनी सम्बन्ध अलग कर लें; अथवा यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में आप मरायता दे रहे हैं वह वास्तव में इस देश की जनता के मंगल के लिए है और मेरा आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुझे बड़े-से-बड़ा दण्ड दें।”

जज ने फैसले में लोकमान्य तिलक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को छः वर्ष की सजा दी और भी शंकरलाल बैंकर को एक वर्ष की सजा और १०००) जुर्माने का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर छः मास और। गांधीजी ने गिने चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम-सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जज को सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्यवाद दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी को विदा किया। बटुओं की आंखों में आशु भी भरे हुए थे।

इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की मोद में से हटा दिया गया। यह बात अचानक हुई हो, तो नहीं। स्वयं गांधीजी ने ६ मार्च को 'संग इण्डिया' में "यदि मैं गिरफ्तार हो गया" शीर्षक लेख में लिखा था कि चौरी-चौरा के मामले में भी कुंजरु की रिपोर्ट निश्चयात्मक है और बरेली से कांग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वयं-सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा न हो पर हिंसा की प्रवृत्ति अवश्य मौजूद है। फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया और लिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह 'सत्याग्रह' नहीं 'दुराग्रह' होगा। पर गांधीजी की समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो सशस्त्र-विद्रोह तक की तय्यारी करती आई है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह अनैतिक-सी चीज दिखाई पकी। यदि गांधीजी की गिरफ्तारी से घरे देश में तूफान आ जाता तो बड़े दुःख की बात होती। गांधीजी की इच्छा थी कि घरे कांग्रेस-कार्यकर्ता यह दिखा दें कि सरकार की आशंका निर्मूल है; न हड़तालें हों, न शोरगुल के साथ प्रदर्शन किए जायें, न जुलूस निकाले जायें। यदि बारडोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा तो उससे वे तो आजाद हो ही जायेंगे, स्वराज्य भी मिल जायगा। गांधी जी ने इन्हीं शर्तों के साथ गिरफ्तारी का आमान किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दैवी-शक्ति-सम्बन्ध होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है, उसका अन्त हो जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगों ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वराज्य की योग्यता साबित हो जायगी, और साथ ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विभाम मिल जायगा, जिसके सम्भवतः बर अफिकारी थे। और देश ने भी उनकी इच्छा का पालन किया—उनकी गिरफ्तारी और सजा पर चारों ओर शान्ति कायम रही।

जेल जाने के बाद

गांधीजी की सजा के बाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही।

सर-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने का निश्चय किया गया। मलाबार में वृष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,००० की मंजूरी दी। सेठ जमनालाल बजाज ने कबीलों के भरण-पोषण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपये और भी दिया। सर के अनिर्णय 'उपयोग' का अर्थ 'परन्ना' लगाया गया। असहयोगी कबीलों को एक बार फिर चेतावनी दी गई कि वे मुक्तदमे हाथ में न लें, और असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी पैली न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे इन बातों की जांच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ—(१) मोपला-विद्रोह होनेके कारण; (२) विद्रोह में क्या-क्या रूप धारण किया; (३) सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए फौजा-कानून आदि किन-किन उपायों से काम लिया; (४) मोपलों-द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना; (५) सभ्यता का विध्वंस; (६) हिन्दू मुरिलम ऐक्य स्थापित करना, यदि आवश्यक हो तो किन-किन उपायों से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (भगटी) की कांग्रेस-कमिटी ने असहयोग-कार्यक्रम में कुछ संशोधन पेश किये। असह्यता-निवारण-सर्वधी योजना बनाने के लिए एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ९ जून १९२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें ऊपर लिखी और अन्य विचारियों पर गौर किया गया। असल में महासमिति का काम था असहयोग, सविनय-भंग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके विशान और कला का सिद्धावलोकन करना। देशबन्धु दास और विहलभार्ई पटेल जैसे चोटी के नेता, जिन्होंने असहयोग को बहुत-कुछ संकोच के बाद अपनाया और बाद को उमड़ी जोरदार पुष्टि की थी, मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। उदनुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शांति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, अहिंसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से छूट कर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालनीयजी ने संशोधन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति को घिबनाया गया और उस नीति का मुकाबला करने के लिए किसी न-किसी रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस बात को अग्रस्त के लिए स्पर्णित कर दिया गया। साथ ही समापति में अनुसोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का दौघ करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट आगामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। उदनुसार समापति में पण्डित मोतीलाल नेहरू, डा० अन्वारी, भीशुल बिट्टलभार्ई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और सेठ छोटानी को मुकर्रर किया। इकीम अजमलखानों को कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की और उनके स्थान पर भी एच० कस्तूरी रंगा आयर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके।

सत्याग्रह-कमिटी की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले हमें भाचं महीने को एकबार फिर देख लेना चाहिए। मि० माष्टेगु ने तुर्की से की गई सेवर्स की सन्धि के सम्बन्ध में एक सरकारी कागज का भेद ब्योल दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १९२२ को मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा देना पड़ा। उस समय तुर्की ने युनानियों को कारगी हार दी थी। गिरफ्तारियों और सजाओं का चारों तरफ दौर-दौर था। पंजाब में लारेंस की मूर्ति जनता के क्रोध का भाजन बन गई थी। आन्ध्र में मोदावरी में राष्ट्रीय मण्डल पहचाने से नौकरशाही भड़क उठी थी और करबन्दी-आन्दोलन भी मौजूद था ही। कानून का शासन १०८ और १४४ धाराओं का शासन रह गया था। सरकारी कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य अपनी लाचारी प्रकट करते थे—क्योंकि कलक्टर (डिप्टी-कमिश्नर)

की चेष्टा कर रहा है कि दिगा बुगर् को कायम रखती है, इसलिए बुगर् की एक पार्टी के लिए वह आपरपक्ष है कि दिगा से बिलकुल अलग रहे। अरिगा का मतलब यह है कि बुगर् से अलग होने करने के लिए जो कुछ भी दण्ड मिले उसे स्वीकार कर लें। इसलिए मैं यहाँ उस कार्य के लिए जो कानून की निगाह में अन-बूझकर दिया गया आभाष है और जो देशी निगाह में किसी न्यारीक का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा दण्ड खादवा है और उसे महान् दण्ड करने का वैचार है। आगे, जब और अयोगों के मामले गिरां. हो ही म.गं हैं। यदि आप लोग इदय से समझते हैं कि जि कानून का प्रयोग करने के लिए आरसे कहा गया है, यह मुझ है और मैं निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पक्षों से इस्तीफा दे दें और बुगर् से अपना सम्बन्ध अलग कर लें; अथवा यदि आपका विश्वास हो कि जि कानून का प्रयोग करने में आप महायत्न दे रहे हैं यह वास्तव में इस देश की अन्त्या के मंगल के लिए है और भंग आचरण लोगों के अहित के लिए है, तो मुझे बड़े से-बड़ा दण्ड दें।”

जब ने बैठने में लोकमान्य विलक का दृष्टान्त देते हुए गांधीजी को चु: कर की सजा दी और भी शंकरलाल बैरर को एक पत्र की सजा और १०००) जुर्माने का दण्ड हुआ। जुर्माना न देने पर ल मास और। गांधीजी ने गिने चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए परम-सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य विलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जब की सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्यवाद दिया। अदालत में उपस्थित लोगों ने गांधीजी को बिदा किया। बहूतों की आंखों में आंसू भी भरे हुए थे।

इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोद में से हटा दिया गया। यह बात अचानक हुई हो, तो नहीं। स्वयं गांधीजी ने ६ मार्च को 'यंग इंग्लैंड' में "यदि मैं गिरफ्तार हो गया" शीर्षक लेख में लिखा था कि चोरी-चोरी के मामले में भी कुंजरू की रिपोर्ट निश्चयात्मक है और कोली से कांग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि जैसे स्वयं सेवकों का जुलूस निकालने में चाहे हिंसा न हो पर हिंसा की प्रवृत्ति अवरुध मौजूद है। फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया और लिखा कि जैसी हालत है उसमें सत्याग्रह 'सत्याग्रह' नहीं 'दुराग्रह' होगा। पर गांधीजी को समझ में सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोण न आया, जो सत्सर्व-विद्रोह तक की सहृदय करती आई है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह अनैतिक-सी चीज दिखाई पड़ती है। यदि गांधीजी की गिरफ्तारी से सारे देश में तूफान आ जाता तो बड़े दुःख की बात होती। गांधीजी की इच्छा थी कि सारे कांग्रेस-कार्यकर्त्ता यह दिखाने दें कि सरकार की आरांका निर्मूल है; न हफ्तालें हों, न शोरगुल के साथ प्रदर्शन किये जायें, न जुलूस निकाले जायें। यदि बारहोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया जायगा तो उससे वे तो आजाद हो ही जायेंगे, स्वयंभय भी मिल जायगा। गांधी जी ने इन्हीं शब्दों के साथ गिरफ्तारी का आह्वान किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दैवी-शक्ति सम्पन्न होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है, उसका अन्त हो जायगा। यह खयाल भी दूर हो जायगा कि लोगों ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वयंभय की योग्यता साबित हो जायगी, और साथ ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विधाम मिल जायगा, जिसके सम्भवतः वह अधिकारी थे। और देश ने भी उनकी इच्छा का पालन किया—उनकी गिरफ्तारी और सजा पर चारों ओर शान्ति कायम रही।

जेल जाने के बाद

गांधीजी की सजा के बाद तीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती रही।

र-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने निश्चय किया गया। मलानार में वृष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८५,००० की मंजूरी दी। जमनालाल बजाज ने वकीलों के भरत-पोषण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। हर के अनिर्णय 'उपयोग' का अर्थ 'पहनना' लगाया गया। असहयोगी वकीलों को एक बार फिर जमानती दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न लें, और असहयोगियों को आदेश दिया गया कि वे अपनी चीजें न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे इन बातों की जांच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुआ—(१) मोपला-विद्रोह होनेके कारण, (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया, (३) सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए फौजी-कानून आदि किन-किन उपायों से काम लिया; (४) मोपलों-पर बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना, (५) सभ्यता का विध्वंस, (६) हिन्दू मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, यदि आवश्यक हो तो किन-किन उपायों से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मगठी) की कांग्रेस-कमिटी असहयोग-कार्यक्रम में कुछ सशोधन पेश किये। असहयोग-निवारण-संबंधी योजना बनाने के लिए एक कमिटी नियुक्त की। ७, ८ और ९ जून १९२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें सरलिल्ली और अन्य विचारियों पर गौर किया गया। असल में महासमिति का काम था असहयोग, विनय-भंग और सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके प्रचार और कला का सिद्धान्तोत्पन्न करना। देशबन्धु दास और बिठलभार्डे पटेल जैसे चोटी के नेता, जन्होंने असहयोग को बहुत-कुछ सकोच के बाद अपनाया और बाद की उमड़ी जोरदार पुष्टि की थी, जल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐसा असहयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो सके। तदनुसार महासमिति तथा गांधीजी ने शान्ति और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सहायता की, प्रहिसात्मक असहयोग में अपनी आस्था प्रकट की और कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पार किया जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल में छूट कर आये थे, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने सन्तोष व्यक्त किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति को चिकित्सा गया और इस नीति का मरानाश करने के लिए रिस्की न-रिस्की रूप में सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस बाद की प्रगति के लिए स्थगित कर दिया गया। साथ ही सत्याग्रह के अन्तर्गत किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का

ही सर्वेसर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर अग्रहयोगी अपील को तैयार न होते थे। लोगों के विगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मंत्री लायड जार्ज की 'स्टील फ्रेम स्पीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओट्टानल-सर्कुलर नमक एक भारतीय पर सारी प्रान्तीय सरकारों में घुमाया गया था। उनसे ऊंचे पदों पर भारतीय रहने के प्रश्न पर राय पूरी गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। यह बात कहीं खुल गई और भारत और इंग्लैण्ड के अफसर विगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-तन्त्र का पीलादी ढांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं समझ में तो ऐसा कोई समय न आयागा जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सर्विस की सहायता और पर-प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहने ब्रिटेन की भारत-स्थित बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये जो सुधार बर्ती किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारतवासियों को हिस्सेदार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाइसराय ने भारत में अस्त-तोष को शान्त करने के लिए लायड जार्ज से यह भी कहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए आश्वासनों और घोषणाओं पर कोई असर न होगा। लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनायें होती चली गईं जिनसे उत्तेजना बराबर कायम रही।

बोरसद-सत्याग्रह

अब हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है। यह सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर बाबा नाम का एक सुप्रसिद्ध डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा के मुकाबले में छापे मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहती थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में तारल्लुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरों ने मिल कर अफसरियों का पता लगाने की एक सरकीष सोच निकाली। उन्होंने देवर बाबा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को भिजा लिया। मुसलमान डाकू इस रात पर गजी हुआ कि उसके पास हथियार हैं और ४-५ सशस्त्र सिपाही दिये जायें। अधिकारी राजी हो गये। बोर को पकड़ने के लिए चोर मुक़र्र किया गया। पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने आदमियों और हथियारों का उपयोग तदमील में और भी धूम-धड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

अफसरों की संख्या बढ़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अफसरों में गाँववालों की भी सजिदा है। तदमील में दण्ड स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैटारि और एक भारी लाञ्छी-कर भी लोगों पर लगा दिया और यह कर इमेरा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इधर गुजरात के नेताओं को पुलिस और मुसलमान डाकू के सम्भ्रमों का पता चला और भी बल्लभमार्ड एलेन ने इस मामले में सरकार को बुदबुदी दी। वह बोरसद गये और लोगों से कर न देने को कहा। जिन लोगों को डाकुओं ने बंदक किया था उनके शरीर में गोशियाँ निकाली गईं तो गाँवत हुआ कि गोशियाँ सारकारी हैं। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोशियाँ और सारकारी उपद्रवों का उपयोग किया है। भी बल्लभमार्ड एलेन ने २०० स्वयंसेवक रात दिन चौकी-पराग देने के लिए उतार दिये। लोग राग बरें हफ्तों में शाम से ही प्यों के दरवाजे बन्द कर लेते थे। भी एलेन ने उन्हें को गार्ड-दस्ता। गाँववालों ने बोरों की ठगकीयें हाथ प्रमाणित कर दिख

वाल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और बाहर से भी वाले लगा देने हैं, जिससे डाकुओं को भ्रम हो जाय कि घर खाली हैं। बाहर जहा जरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे छुस जाते थे। फोटो की तस्वीरों के द्वारा ये सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या चुप्पी साधकर अपने-आपको कुसूरवार साबित करती। जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो बकौदा-पुलिस गांवों से भ्रष्टपट रियासत में हटा ली गई। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी-कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कथा सुनी तो वहाँ तत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने सारी बातों की तसदीक करवाई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। इधर देवर चाबा बरलभभाई और स्वयसेवकों के पहुंचते ही वहाँ से गायब हो गया था।

गुरु-का-बाग

इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। एक सत्याग्रह-कमिटी का गर्मियों में देश में दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई। शिरोमण्य-गुरुद्वारा प्रबन्धक-कमिटी सिक्खों का सुधारक दल था। ये लोग अपने-आपको अकाली कहते थे। जो सनातनी सिक्ख ये थे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्दीका पक्ष करते थे। सुधारक सिक्ख सत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब सिक्खों के जल्ये अहिंसा का प्रवृत्ति लिए पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निकली और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाया। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह अहिंसा का पाठ था- जो भारत की यह धीर जाति पढ़े भी थी जिन्होंने यूरोप में जर्मनों से भीचें लिये थे और अमेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति में जिस साठी-चाञ्च को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुरु-का-बाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १९२२ के नवम्बर में सर गंगागमनाथम एक सम्मेलन ने यह आह्वान महन्त से पट्टे पर ले ली और अकालियों के पेड़ काटने पर कोई ऐतमाज न किया।

सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भंग न हुआ था। कमिटी के सदस्य जहाँ कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमित्वि इसकी सर्वा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी; पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद बलकले में जब देश-बन्धु रास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए तो लानगी ठौर से इसकी सर्वा की गई। करते हैं कि इस अवसर पर पण्डित मोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौंसिल-प्रवेश के लिए राखी कर लिया गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि कौंसिल के लिए लक्ष्य होना चाहिए या नहीं। बिल्लपत्र-कमिटी ने भी इसी दंग की एक कमिटी बनायी थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कौंसिलों का बहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट देकर करने में जो-जो शर्तिया काम कर रही थी उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट

ही संप्रयोग करने हुए थे। न्याय-विभाग को अपील करने से मुक्त होने की सम्भावना थी, पर अस्पष्टता अपील को तैयार न होते थे। लोगों के विगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मंत्री लायड जार्ज की 'स्टील प्रेम स्वीच' थी। यह इसलिए ही गई थी कि ओट्टानल-सर्कुलर नमक एक गरीब-वर्गीय भारतीय सरकारों में मुमकिन गया था। उनसे ऊंचे पदों पर भारतीय रखने के प्रश्न पर राय पूर्ण नहीं थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। यह बात बड़ी खुल गई और भारत और इंग्लैण्ड के अन्तर विगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-सम्बन्ध का पीलादी टांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं समझ में तो ऐसा कोई समय न आयागा जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सर्विस की सहायता और पद-प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहने ब्रिटेन की भारत स्थित बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये जो सुधार जरी किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारतवासियों को हिस्सेदार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाइसराम ने भारत में अस्तित्व को शान्त करने के लिए लायड जार्ज से यह भी कहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए आश्वासनों और घोषणाओं पर कोई असर न होगा। लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएँ होती चली गईं जिनसे उतेजना बराबर कायम रही।

बोरसद-सत्याग्रह

अब हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है। यह सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर नावा नाम का एक सुभद्र हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर नावा के मुकाम पर लूटने मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाटती थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में तारलुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीब सोच निकाली। उन्होंने देवर नावा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्त पर राजी हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सख्त विवाही दिये जाय। अधिकारी राजी हो गये। बोर को पकड़ने के लिए चोर मुकदमे किया गया। पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने आदमियों और हथियारों का उपयोग तहसील में और भी धूम-धड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

अपराधों की संख्या बढ़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गाँववालों की भी साजिश है। तदसील में दखल-स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैटार और एक भारी ताजीरी-कर भी लोगों पर लगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इधर गुजरात के नेताओं की पुलिस और मुसलमान डाकू के सम्झौते का पता चला और भी वल्लभमार्ई पटेल ने इस मामले में सरकार को चुनौती दी। वह बोरसद गये और लोगों से कर न देने को कहा। जिन लोगों को डाकुओं ने थपल किया था उनके शरीर से गोलिएँ निकाली गईं वो साबित हुआ कि गोलिएँ सरकारी हैं। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलिएँ और सरकारी रायफलों का उपयोग किया है। भी वल्लभमार्ई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रात-दिन चौकी-पहरा देने के लिए तैयार किये। लोग रात करई हफ्तों से शाम से ही घों के दरवाजे बन्द कर लेते थे। भी पटेल ने उन्हें रखने को राजी किया। गाँववालों ने पोरो की वसवीरो टांग प्रमाणात कर दिया कि

वाल्लुके में जो वाजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और बाहर से भी चाले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को भ्रम हो जाय कि घर खाली हैं। बाहर जहां जरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे। फोटो की तस्वीरों के द्वारा। सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या जुष्पी साधकर अपने-आपको कुसूरवार साबित रती। जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो बड़ौदा-पुलिस गांवों से भ्रष्टपट रियासत में या ली गई। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और वाजीरी-कर के लिए सामान कुर्क करती ही। इसी समय बम्बई के गवर्नर लार्ड लायट भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली वेल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कथा सुनी तो वहां तत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। इधर देवर बाबा बरलभभाई और वयेंतेवर्डी के पंद्रहत्ते ही वहां से गायब हो गया था।

गुरु-का-बाग

इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्याग्रह-कमिटी का गर्मियों में देश में दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई। शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रबन्धक-कमिटी सिक्कों का सुधारक दल था। ये लोग अपने-आपको अकाली कहते थे। जो सनातनी सिक्क थे वे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्हेंका पक्ष करते थे। सुधारक सिक्क सत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिफायत की। पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब सिक्कों के ऊंचे अहिंसा का ज्ञापन लिये पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह अहिंसा का पाठ था। जो भारत की यह धीर जाति पढ़े थी थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोर्चे लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति में जिस लाठी-नार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुरु-का-बाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १९२२ के नवम्बर में सर गगाराम नामक एक सज्जन ने यह जगह महन्त से पट्टे पर ले ली और अकालियों के पेड़ काटने पर फौरन ऐतहाज न किया।

सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भगन हुआ था। कमिटी के सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी खर्चा १५ अगस्त की बैठक में करण चाहती थी; पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद बलकत्ते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए तो खानगी तौर से इसकी खर्चा की गई। करते हैं कि इस अवसर पर परिश्रम मोटीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कॉंग्रेस-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट महासमिति हुईं तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि कॉंग्रेस के लिए लड़ा होना चाहिए या नहीं? खिलाफत-कमिटी ने भी इसी तर्क की एक कमिटी कायम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कॉंग्रेसों का बहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट देकर करने में जो-जो शक्तियां काम कर रही थी उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट

ही सर्वेसर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर अखण्डयोगी अपील को तैयार न होने थे। लोगों के बिगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मंत्री लायड जार्ज की 'स्टील प्रेम स्पीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओशनल-सर्कुलर नामक एक गर्वी-पत्र सारी प्रान्तीय सरकारों में घुमाया गया था। उनसे ऊंचे पदों पर भारतीय रखने के प्रश्न पर राय पूछी गई थी, जिसमें भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। यह बात कहीं खुल गई और लायड और इन्वैण्ड के अफसर बिगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-तन्त्र का पीलादी टांचा है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसी समझ में तो ऐसा कोई समय न आयागा जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सर्विस की सहायता और प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते रहने ब्रिटेन की भारत-स्थित बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये जो सुधार ज्यों किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारतवासियों को हिस्सेदार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाइसराय ने भारत में अखण्डयोगी को शान्त करने के लिए लायड जार्ज से यह भी कहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए आश्वासनों और घोषणाओं पर कोई असर न होगा। लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनायें होती चली गईं जिनसे उत्तेजना बराबर कायम रही।

बोरसद-सत्याग्रह

अब हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है। प सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर बाबा नाम का एक बड़ा हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा के मुक़ाबले में छापा मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बड़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना बाली थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक तरकीब सोच निभाई। उन्होंने देवर बाबा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्त पर दबे हुए कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सराख सिगाही दिये जाय। अधिकारी राजी हो गये। देवर बाबा को पकड़ने के लिए धोर मुक़र्र किया गया। पर पुलिस के इस नये तरीके ने अपने आदमियों के हथियारों का उपयोग तहसील में और भी धूम-धड़ाके के साथ स्रूटमार करने में किया।

अपराधों की संख्या बढ़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गांधीवालों की भी साहज्य है। तहसील में दण्ड स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैटार और एक भारी ताजीगी-फर भी होना पर लगा दिया और यह कर इमेशा की बेइमती के साथ यत्न किया जाने लगा। इधर मुक़ाबले नेलाओं को पुलिस और मुसलमान डाकू के सम्पर्क के पता चला और भी वल्लममार् पेटेन ने इस मामले में सरकार को बुन्देती दी। यह बोरसद गये और लोगों से कर न देने को कहा। ब्रिटेन के को डाकूओं ने खबर किया था उनके शरीर में गोशिया निभाई गईं तो साहित्य हुआ कि मोर्दों सरकारी हैं। अब बोरसद में न रहा कि डाकूओं ने सरकारी गोशिया और सरकारी उपद्रवों का उपयोग किया है। भी वल्लममार् पेटेन ने २०० रुपये तक रात दिन चौकी-पराग देने के लिए देना किये। अंग्रेज बरुई दफ्तों से काम में ही क्यों के दरखतरे बन्द कर लेने से। भी पेटेन ने उन्हें को लोकी विषय। बोरसद में ने चौकी की तगतीगे हाग प्रमाणित कर दिखे।

वाल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और बाहर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को मूम हो जाय कि पर खाली हैं। बाहर जहा अरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे गुप्त जाते थे। फोटो की तसवीरों के द्वारा ये सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या सुष्पी साधकर अपने-आपको कुएवार साबित करती। जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो बक्रीदा-पुलिस गावों से भ्रष्टाचरियासत में हटा ली गई। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी-कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोरसद की कया मुनी तो वहां धत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। हजर देवर बाबा बल्लभभाई और स्वयंसेवकों के पहुंचते ही वहां से गायब हो गया था।

गुरु-का-बाग

इसके बाद बरं में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्याग्रह-कमिटी का गर्मियों में देश में दौग करना, और दूसरी गुरु-का-बाग की पट्टना जो अन्त में हुई। शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रबन्धक-कमिटी सिक्खों का सुधारक दल था। ये लोग अपने-आपको अकाली कहते थे। जो सनातनी सिख थे वे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्हींका पक्ष करते थे। सुधारक सिक्ख सत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दखल करना चाहते थे। कुछ अकालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब सिक्खों के जत्थे अहिंसा का प्रव लिये पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निकलते और उन्हें गैर-कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यह अहिंसा का पाठ था- जो भारत की यह वीर जाति पढ़ भी थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोर्चे लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अकालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस बरं बाद भारतीय राजनीति में जिस लाठी-न्वार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुरु-का-बाग में ही प्रवीणता प्राप्त की गई थी। अन्त में १९२२ के नवम्बर में सर गंगाराम नामक एक सज्जन ने यह जगह महन्त से पट्टे पर ले ली और अकालियों के पेड़ काटने पर कोई ऐजाज न किया।

सत्याग्रह-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भंग न हुआ था। कमिटी के सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने अपना काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १५ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी; पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद कलकत्ते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए तो खानगी तौर से इसकी चर्चा की गई। कहते हैं कि इस अवसर पर पण्डित भोतीलाल नेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौंसिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि कौंसिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं? खिलाफत-कमिटी ने भी इसी बंग की एक कमिटी थापम की, जिसने अपनी रिपोर्ट में कौंसिलों का बहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की। सत्याग्रह-कमिटी की रिपोर्ट तैयार करने में जो-जो शक्तियां काम कर रही थी उनके सम्बन्ध में विशेष

ही सर्वेसर्वा बने हुए थे। न्याय-विभाग को अपील करने से मुक्त होने की सम्भावना थी, पर अल्पसंख्यक अपील को तैयार न होते थे। लोगों के विगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मंत्री लायड का ही 'स्टील फ्रेम स्वीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओडानल-सर्जुलर नामक एक भारतीय सारी प्रान्तीय सरकारों में गुमाया गया था। उनसे ऊँचे पदों पर भारतीय रखने के प्रश्न पर यह पुराई गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके। यह बात कही खुल गई और भाव और इंग्लैण्ड के अफसर विगड़ खड़े हुए। उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने भाषण में कहा कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-सन्त्र का फौलादी ढाँचा है। उन्होंने यह भी कहा कि सभ्यता में तो ऐसा कोई समय न आया जब भारत ब्रिटिश-सिविल-सर्विस की सहायता और प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा। ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते हुए ब्रिटेन की भारत-स्थित बड़ी भारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ये जो सुधार बने किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारतवासियों को हिस्सादार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाइसराय ने भारत में अस्मत्त्व को शान्त करने के लिए लायड जार्ज से यह भी कहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए आश्वासनों की घोषणाओं पर कोई असर न होगा। लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनाएँ होती चली गईं जिन्होंने अतृप्तना बराबर कायम रही।

बोरसद-सत्याग्रह

अब हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ बोरसद का नाम जुड़ा हुआ है। सत्याग्रह १९२२ में बोरसद में हुआ। कुछ दिनों से बोरसद-ताल्लुका में देवर बाबा नाम का एक व्यक्ति हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था। इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा के पुकड़ने में ह्वाये मारने शुरू कर दिये। पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर इस काम पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई। बकौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना चाहे थी, क्योंकि बकौदा रियासत बोरसद के बगल में ही है। अन्त में ताल्लुके और रियासत के पुलिस और रेवेन्यू अफसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक सरकीब सोच निकाली। उन्हें देवर बाबा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस रात भा बने हुआ कि उसके पास हथियार रहें और ४-५ सशस्त्र सिपाही दिये जायें। अधिकारी राजी हो गये। बने को पकड़ने के लिए बोर मुक़र्रर किया गया। पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने आशयों को हथियारों का उपयोग सहमील में और भी धूम-धड़ाके के साथ लूटमार करने में किया।

अपराधों की सख्या बढ़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गाँववालों की भी साजिश है। तहसील में दण्ड-स्वरूप अतिरिक्त पुलिस बैठारें और एक भारी ताक़ीरी-कर भी बने पर लगा दिया और वह कर हमेशा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। एकर मुक़र्रर नेताओं को पुलिस और मुसलमान डाकू के ममभौते का पता चला और भी बल्लभममई पेटेले इस मामले में सरकार को चुनौती दी। वह बोरसद गये और लोगों से कर न देने की कहा। अतिरिक्त को डाकुओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोलीयाँ निकाली गईं तो साबित हुआ कि वे सरकारी हैं। अब कोई सन्देह न रहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलीयाँ और सरकारी टखनों का उपयोग किया है। भी बल्लभममई पेटेले ने २०० स्वयंसेवक रात दिन चौकी-परवा देने के लिए कहा किने। लोग-बाग कई हफ्तों से शाम से ही पदों के दरवाजे बन्द कर लेते थे। भी पेटेले ने कई दरवाजे खुले रखने की राजी किया। गाववालों ने पोटो की वसवीरों द्वारा प्रभावित कर दिए थे।

वाल्लुके में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं और बाहर से भी चाले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को भूम हो जाय कि घर खाली हैं। बाहर जहां जरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे। फोटो की तस्वीरों के द्वारा ये सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं। अब सरकार के आगे दो मार्ग थे। या तो वह इस प्रकार के अभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या चुप्पी साधकर अपने-आपको कुसूरवार साबित करती। जब इस प्रकार के अभियोग लगाये गये, तो बकौदा-पुलिस गांवों से भटगट रियासत में हटा ली गई। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी-कर के लिए सामान कुर्क करती रही। इसी समय बम्बई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली विल्सन ने लिया। जब उन्होंने शेरखद की कथा सुनी तो वहां तत्काल रोम-ग्रेम्बर की भेजा, जिसने सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई। हजर देवर बाबा मल्लभभाई और स्वयंसेवकों के पहुँचते ही वहां से मायब हो गया था।

गुरु-का-बाग

इसके बाद वरं में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्याग्रह-कमिटी का गमियों में देश में दौरा करना, और दूसरी गुरु-का-बाग की घटना जो अन्त में हुई। शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रबन्धक-कमिटी सिक्कों का सुधारक दल था। ये लोग अपने-आपको अचाली कहते थे। जो सनातनी सिक्क ये वे अपने-आपको उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्कीका पक्ष करते थे। सुधारक सिक्क सत्याग्रह करके गुरुद्वारों पर दबल करना चाहते थे। कुछ अचालियों ने गुरु-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन का एक पेड़ काट डाला। महन्त ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रक्षा का भार लिया। अब सिक्कों के जग्रे अहिंसा का प्रवृत्त लिये पुलिस की टुकड़ियों के बीच में से निकलते और उन्हें गैर-फानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। मद अहिंसा का पाठ था। जो भारत की यह धीर जाति पढ़ रही थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोर्चे लिये थे और अंग्रेजों के निमित्त विजय प्राप्त की थी।

अचालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष बाद भारतीय राजनीति में जिस लाठी-पार्ज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुरु-का-बाग में ही प्रतीकता प्राप्त की गई थी। अन्त में १९२२ के नवम्बर में सर गंगागमनाथक एक सञ्जन ने यह जगह महन्त से पट्टे पर ले ली और अचालियों के पेड़ काटने पर कोई ऐतहास न किया।

सत्याग्रह कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भंग न हुआ था। कमिटी के सदस्य जहां कहीं गये, उनका जोरदार स्वागत हुआ। कमिटी ने अग्रज काम समाप्त करके रिपोर्ट पेश की। आरम्भ में महासमिति इसकी चर्चा १४ अगस्त की बैठक में करना चाहती थी; पर ऐसा न हो सका और कुछ दिनों बाद कलकत्ते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाह के अवसर पर कुछ लोग एकत्र हुए तो स्वामी ठौर से इसकी चर्चा की गई। करते हैं कि इस अवसर पर पवित्र मोठीलाल मेरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौन्सिल-प्रवेश के लिए राजी कर लिया गया। कुछ समय बाद जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो पता चला कि सब-के-सब सदस्यों के सामने यह प्रश्न था कि कौन्सिल के लिए कमिटी ने भी इसी दम की एक रिपोर्ट पेश की थी।

कमिटी

कमिटी ने भी इसी दम की एक रिपोर्ट पेश की थी।

में रिपोर्ट

करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना अग्रसर रहना पड़ेगा कि कई बार टर्नरों का कर रही थी। मत्तयाग्रह-कमिटी की गिरफ्तारों नीचे की जाती हैं :-

१. मत्तयाग्रह—देश विस्फाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक-मादमर के लिए ठेकर नहीं। जैसे किंगी ग्रास कानून का भंग या किसी खास कर की गैर-अदायगी। हम विचारित करने के प्रान्तीय कामिग-कमिटीयों को अधिकार दे दिया ज्य कि यदि महासम्मेल की सहायक सम्बन्धी हो पुरी होती हों तो ये अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक-मत्तयाग्रह की मंजूरी दे सकें।

२. कौंसिल-प्रवेश—(घ) कामिग और खिलाफत अपने गया के अधिकारों में बंधा योगित कर दे कि कौंसिलों ने अपने पहले सत्र (सिशन)के द्वारा यह दिना दिया है कि वे लिट पत्र और पंजाब-सम्बन्धी व्यापकियों की दादगी रकबाट बन रही हैं, स्वराज्य की शोभ प्राने का भंग हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कष्ट-दायिनी साबित हुई हैं, इसलिए अहिकारक प्रयुग योग के विद्वान्तों का कर्दार के साथ पालन करते हुए, जिससे मरिभ्य में ऐसी सुगर्वा न उत्तर, निम्न-लिखित उपायों से काम लेना चाहिए—

(१) असहयोगियों को उम्मीदगारी के लिए पंजाब और खिलाफत की ज्यादातियों की दादगी और तत्काल स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए और अधिक-से-अधिक सख्या में पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए।

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सख्या में पहुँच जायें कि उनके बीर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहाँ से चले जाना चाहिए और किसी बैठक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कौंसिलों में केवल इसलिए जायें कि उनमें पिक्र ग्यान पूरे न हो सकें।

(३) यदि असहयोगी इतनी संख्या में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्यवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाब, खिलाफत और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहिए।

(४) यदि असहयोगी अल्पसंख्या में पहुँचें तो उन्हें बड़ी करना चाहिए जो नं० २ में बतलाया गया है, और इस प्रकार कौंसिल के बल को घटाना चाहिए।

नई कौंसिलों का निर्वाचन १९२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रस्ताव कि कामिग का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्ताह में हो, और यह मामला एक बार फिर उसमें पेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में कामिग अपना अधिवेशन चकम्प दे सके।

(हकीम अजमलखान, पं० मोतीलाल नेहरू और भी विद्वलभाई पटेल की सिफारिश)

(अ) कौंसिलों के वहिष्कार के सम्बन्ध में कामिग की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना चाहिए।

(बा० एम० ए० अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री एस० बरतूरी रंगा आर्यंगर की सिफारिश)

३. स्थानिक संस्थाएँ—हमारी सिफारिश है कि स्थिति को साफ करने के लिए यह घोषणा करना वांछनीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को अमली शकल देने के लिए स्थानिक-कमिटीयों, जिला और लोकल बोर्डों की उम्मीदगारी के लिए खड़े हों, परन्तु असहयोगी सदस्यों के बंधा आन्वय के सम्बन्ध में अभी किसी खास दंग के नियम-उपनियम न बनाये जायें। हाँ, यह जरूरी है कि वे प्रान्तीय और स्थानिक कामिग-संस्थाओं के साथ मिल-जुल कर काम करें।

४. स्कूल-कालेजों का बहिष्कार—स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी सिफारिश है कि इस मामले में बारहोली के बहिष्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और भौगूदा जोरदार प्रचार बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए। जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय-विद्यालय इतने उत्तम बना देने चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं ही सरकारी स्कूल-कालेजों से खिचकर यहाँ चले आयें। हमें पिक्केटिंग आदि उग्र उपायों का अवलम्बन न करना चाहिए।

५. अदालतों का बहिष्कार—पंचायतें स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस और लोक-प्रवृत्ति जाग्रत करनी चाहिए।

हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय वकीलों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वे उठा दिये जायें।

६. मजदूर-मंगठन—जागपुर-कांग्रेस-द्वारा पास किया गया प्रस्ताव नं० ८ तत्काल अमल में लाना चाहिए।

७. आत्मरक्षा का अधिकार (अ) हमारी सिफारिश है कि कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने की स्वतन्त्रता सबको दी जाय। हाँ, जब कांग्रेस का काम कर रहे हों, या उसके सिलसिले में कोई अवसर उपस्थित हो, तो दूसरी बात है। पर इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुल्ला-खुल्ला हिंसा की नीव न आ जाय। धर्म के मामले में, स्त्रियों की रक्षा करने में, या लड़कों और पुरुषों पर अनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक-बल का प्रयोग किसी हालत में मना नहीं है।

(श्री विह्लभाई पटेल की छोड़कर सबकी सहमति)

(आ) असहयोगियों को कानून के भीतर आत्म-रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए, शर्त सिर्फ यही रहनी चाहिए कि इससे सामूहिक हिंसा की नीव न आ जाय। और किसी प्रकार की शर्त न होनी चाहिए।

(श्री विह्लभाई पटेल)

८. अंग्रेजी माल का बहिष्कार—(अ) हम इसे सिद्धांत-रूप में स्वीकार करते हैं और सिफारिश करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषज्ञों के सुपुर्द करना चाहिए और उनकी विराद रिपोर्ट कांग्रेस के पहले आ जानी चाहिए।

(शुक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की छोड़कर सबकी सहमति)

(आ) विशेषज्ञों के सारी बातों के समझ करने और उनकी जांच-पड़ताल करने में कोई हानि नहीं है, परन्तु महासमिति-द्वारा सिद्धांत-रूप में स्वीकृति होने से देश को गलतफहमी होगी और आंदोलन को हानि पहुंचेगी।

(शुक्रवर्ती राजगोपालाचार्य)

इस पर से यह स्पष्ट है कि असहयोग के पुनर्नवीन दल समान रूप से बँटे हुए थे। पर दोनों ये असहयोग के ही दल, और सरकार से सहयोग करने की दोनों में से कोई दल तैयार न था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान में एक दूसरी डोरी चढ़ाकर उससे नौकरशाही के गढ़ कौंसिलों के भीतर से ही तीर छोड़ने का समर्थक था। स्थानिक बोर्डों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो सिफारिशों की गईं उनकी बहाना तो पहले ही से की जा सकती थी। कांग्रेसियों और असहयोगियों ने म्युनिसिपैलिटीयों और स्थानिक बोर्डों के लिए खड़ा होना आरम्भ कर दिया था। वकल होने पर ये अस्पतालों में खर्च और नौकरों के लिए खादी की बर्दियों के व्यवहार पर जोर देते,

करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कई वाजिव शक्तिवा बन कर गयी थीं। सत्याग्रह-कमिटी की सिफारिशों नोवे दी जाती हैं :-

१. सत्याग्रह—देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामूहिक-सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है, जैसे किसी खास कानून का भंग या किसी खास कर की गैर-अदायगी। हम सिफारिश करते हैं कि प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्याग्रह सम्बन्धी स्वी पूरी होती हों तो वे अपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक-सत्याग्रह की मंजूरी दे सकें।

२. कौंसिल-प्रवेश—(अ) कांग्रेस और खिलाफत अपने गया के अधिवेशनों में यह स्वी घोषित कर दे कि चूँकि कौंसिलों ने अपने पहले सत्र (सेशन)के द्वारा यह दिखा दिया है कि वे खिलाफत और पंजाब-सम्बन्धी व्यादतियों की दादरसी रुकावट बन रही हैं, स्वराज्य की शीघ्र प्राप्ति में बाधक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कष्ट-दायिनी साबित हुई हैं, इसलिए आहिंसात्मक अथवा योग के सिद्धान्तों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिससे भविष्य में ऐसी बुराइयों न उत्पन्न हों, निम्न-लिखित उपायों से काम लेना चाहिए—

(१) असहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफत की व्यादतियों की दादरसी और तत्काल स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए और अधिक-से-अधिक सत्या में पुनर्जी की कोशिश करनी चाहिए।

(२) यदि असहयोगी इतनी अधिक सत्या में पहुँच जाय कि उनके बगैर कोरम पूरा न हो सके तो उन्हें कौंसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहाँ से चले आना चाहिए और किसी बैठक में शरीक न होना चाहिए। बीच-बीच में वे कौंसिलों में केवल इसलिए जायें कि उन्हें रिक्त स्थान पूरे न हो सकें।

(३) यदि असहयोगी इतनी सत्या में पहुँचें कि अधिक होने पर भी उनके बिना कोरम पूरा हो सकता हो, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, विरोध करना चाहिए और केवल पंजाब, खिलाफत और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने चाहियें।

(४) यदि असहयोगी अल्पसंख्या में पहुँचें तो उन्हें वही करना चाहिए जो नं० २ में बतलाया गया है, और इस प्रकार कौंसिल के बल को घटाना चाहिए।

नई कौंसिलों का निर्वाचन १९२४ की जनरली से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि कांग्रेस का अधिवेशन १९२३ के दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह के बजाय पहले सप्ताह में हो, और यदि मामला एक बार फिर उसमें पेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्बन्ध में कांग्रेस अल्पसंख्या बलव्य दे सके।

(हकीम अहमदखान, पं० मोतीबख्श वेहम और भी विद्वान्मार्ग पटक की सिफारिशों)

(अ) कौंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की किसी प्रकार की कार्यवाही होना चाहिए।

(१०) एम० ए० चंभारी, जयपुरी राजगोपालाचार्य,
३. स्थानिक संस्थाएँ—हमारी सिफारिश है
कारण वाङ्मनीय है कि असहयोगी रचनात्मक
टिप्पणों, विद्या और लोकल बोर्डों की उम्मीदवारी के
आचरण के सम्बन्ध में अभी किसी एक ही
कि वे प्रान्तीय और स्थानिक कांग्रेस-सम्बन्धी

को देश-भर में गांधी-दिवस मनाया जाता रहा। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जवाहरलाल नेहरू युवराज का बहिष्कार करने के गिलगिले में मिली सजा मुगतकर लौटे तो १९२२ की मर्द में उन्हें फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४ ए लिखा हुआ था। पर उनपर मुकदमा चलाया गया, "धमकाने और कथ्या वसूल करने की कोशिश में सहायता देने" के लिए। उन्होंने एक ब्याख्यान में विदेशी दूकानों पर धना देने का इरादा जाहिर भी किया था। उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का सभापतित्व भी ग्रहण किया था, जिसमें कपड़े के व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जुर्माना मागने के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया गया था। मामला ताजीरातहिन्द की ३६५ धारा के अनुसार चलाया गया। असली बात यह थी कि उनपर विदेशी कपड़ों की दूकानों पर पिकेटिंग करने के लिए मामला चलाया जा रहा था। उन्होंने १७ मई १९२२ को अदालत में बका ही सुन्दर बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार अब से दस साल पहले वह हेरो और कैम्ब्रिज की सभ्यता में पले हुए अंग्रेज हो गये थे, और किस प्रकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वर्तमान शासन प्रणाली के कट्टर शत्रु (बागी) हो गये। उन्होंने कहा—“मुझे अपने सीमाभ्य पर स्वयं ही आश्चर्य होता है। स्वतंत्रता के युद्ध में भारत की सेवा करना बड़े सीमाभ्य की बात है। और उसकी सेवा महारामा गांधी जैसे नेता के नेतृत्व में करना दुगुने सीमाभ्य की बात है। परन्तु प्यारे देश के लिए कष्ट सहना। किसी भारतीय के लिए इससे बढ़कर सीमाभ्य और क्या हो सकता है कि अपने गौरवपूर्ण लक्ष्य की सिद्धि में उसके प्राण चले जाय।”

१९२२ की गया-कांग्रेस हर प्रकार से अपने दंग की निपली थी।

प्रतिनिधियों में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा हो-इल्ला मचा और सबसे अधिक मत-भेद उपस्थित हुआ वह कांसिल-प्रवेश सम्बन्धी समस्या थी। कलकत्ते वाली महासमिति की बैठक ने यह समस्या कांग्रेस के अवरस के लिए मुलतवी कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर और अन्य मामलों पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बैठना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो समझते थे कि यदि कांसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई तो असहयोग की योजना मग हो जायगी, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि कांसिल-प्रवेश-सम्बन्धी प्रतिबन्ध न उठाया जाय। कुछ ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे, जो कहते थे, कि हम कांसिलों में जाकर न शाप लेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस दंग से शत्रु को पराजित कर देंगे। इसके बाद उन जोशीले राजनीतियों की बारी थी, जो कहते थे कि हम कांसिलों पर कब्जा कर लेंगे, मन्त्रि-मंडलों और मंत्रियों को तदस-नदस कर देंगे, शेर को उसकी भाद में जाकर पराजित करेंगे, अपने की मजूरी न देंगे और बिक्रार का प्रस्ताव पास करेंगे, और सरकारी यत्र का बलना असम्भव कर देंगे।

देशपन्नु दास ने जो भाषण पदा वह सर्क, अभ्यवन और ब्यावहारिक आदर्शवाद में अपना सानी नहीं रखता। यद्यपि असहयोग की भाव को दूसरी और ले जाने के विरुद्ध अनेक शक्तिवाक्युट गर्द, तो भी एम० भीनिवास आयरगर और पण्डित मोतीलाल नेहरू की प्रतिभा के कारण वह तब अपने शक्ते चलती रही। एम० भीनिवास आयरगर ने संयोजन पेश किया कि कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए लगे हो परन्तु कांसिलों में स्थान ग्रहण न करें। पण्डित मोतीलाल नेहरू कुछ शक्तों के साथ इसपर राजभन्द हो गये। भीनिवास आयरगर ने एक वर्ष पहले मद्रास-कांसिल से इस्तीफा दे दिया था, अपना एडवोकेट जनरल का पद और सी० आर्द० रं० की उपाधि त्याग दी थी और कथाहियों की कर्तों के साथ आन्दोलन में पैर रखता था। निष्ठापठ वाले जयेश उल-उनेमा के प्रभाव में थे, जिनने पत्रका

निर्वाह: यह कि कॉंग्रेस प्रोग्राम ममनू है, हगम नहीं है। पर गया में किसी की न बली। कार्यक
का चारो ओर दौर-दौर था। हर किसीका यह विश्वास था कि कामेस का अपने नेता के अनुसरण
होने ही उनके प्रति पीठ दिग्गाना कृतपन्ता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल गोय और अश्विदाचरण मुन्
वार के प्रति सम्मन प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधुवाद दिया गया।

शरीर कर्नालियों की उनकी अशाधारण बीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके प्रति
का सुन्दर उदाहरण देना करने के लिए प्रयास की गई। कमालपारा का उठकी कल्ला के लिए
बधार् दो गई। कॉंग्रेस का बहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह
आधिकार शून्य न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी कॉंग्रेसों के नाम पर
दिये गये नौकरशाही के शून्य में कया न लगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर की महान्
सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के
कया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेजों और अदालतों का बहिष्कार जारी था
नवम्बर में आत्म-सत्या-सम्बन्धी अधिष्कार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान
गया। मजदूरों का संगठन करने के लिए एच.ए.ए. साहब, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे सभ्य
कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अफ्रीका और बाउ
कामेस-संस्थाओं को कामेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कामेस में कमरा: १० और १
निधि भेजने का अधिकार दिया गया।

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-कामेस का सभापतित्व ग्रहण किया था उस समय उ
जेर में यास्वव में दो महत्वपूर्ण कामज थे। एक था सभापति का माण्ड और दूसरा था हथारि
से त्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको आश्चर्य न
कि दास जैसे ब्यक्तित्व का पुरुष, पण्डित मोतीलाल नेहरू और भी विठलभाई देते जैसे बौद्ध
आदिमियों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कॉंग्रेस बहिष्कार
लिए राजी हो जायगा। फलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। भी एव
जिसे बंगाल की प्रांतीय कॉंग्रेस पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली के
शिमला पर धावा धोलने का काम दिया गया।

१९२२ का साल खत्म करने से पहिले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का बिक्रम
ठीक होगा। विद्युलेंसालों की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उठना नहीं बचती थी। उनके कव का
अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिंसक कार्य के
लिए, या अमीन-आयदाद आदि के मामलों में या हैंनिकों या पुलिसको पुसलाने के मामले में, या किन्हे
इससे भगवान् के सिलसिले में दण्डित हुए थे। किस कैदी के साथ कैद व्यवहार किए जाय, या उन्हें
आस्था, शिषा-सामाजिक स्थिति और चारित्र्य के ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह बुने हुए कैदों के
संशुद्धी के उद्देश्य से अलग रखा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, कान्द खाना खाने और विवेक
संशुद्धी के उद्देश्य पर चिठियां लिखने और इष्ट-निर्देशों से उल्लङ्घन करने की अपेक्षा हू है

इस प्रकार १९२२ के अन्त परिसम से बरी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन सारी विद्यमों को निर
वेसेपट छुट न रा.
जिस प्रकार १९२२ को बाद को तो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही खाने से इनकार कर दिया।

कांसिलों के भीतर असहयोग—१९२३

समझौते का यत्न

देश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत भेदों ने फिर गन्ध कर दिया था। १९२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था। १९२३ के मुहर्रों में बगाल और पंजाब में भयकर दंगे हुए। १९२२ में खिलाफत के प्रश्न का अन्धानक अंत हो गया था। १९२२ के अक्टूबर में मुदानिया में अस्थायी संधि हुई। २० नवम्बर को लखन में मित्र-राष्ट्रों की एक परिषद् हुई। यद्यपि दो महीने तक बातचीत होती रही। इसी अयसर पर अगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तुर्की के मुलतान को एक अमेजी जहाज में छिपकर प्राण बचाने के लिए मालया भागना पड़ा। उसके विदा होते ही वह मुलतान और खलीफा दोनों पदों से च्युत कर दिया गया। उसका भतीजा अब्दुलमजीद एकेन्ही नया खलीफा चुना गया। मुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रजातन्त्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहूबों बातों तक ही सीमित रह गई।

गया में आरिखर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई। १ जनवरी १९२३ को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख खर्चा एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयंसेवक भरती किये जाय। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौंपा गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली की कदरों को तोला कर दिया जाय। डा० अन्सारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात समापति का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय-समिति को अपनी स्वराज्य-पार्टी वाली योजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १९२३ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी और से कांसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-कम का बाकी हिस्सा दोनों दल पूरा करने को स्वतन्त्र रहें। कोई कड़ी के काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनों दल अपना रबैया रखें।

- इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया।

द्वार काम्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो शिष्ट मद्दल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल

निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनू है, इराम नहीं है। पर गया में किसी की न घली। मार्च का चारो ओर दौर-दौर था। हर किसीका यह विश्वास था कि काम्रेस का अपने नेता के अग्रणी होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कृतघ्नता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल घोष और अग्रिमचरण दुर्गार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधुवाद दिया गया।

शहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके वीरता का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपाशा को उसकी कलता के लिए बधाई दी गई। कौंसिलों का बहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह जो अधिक श्रृणु न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी कौंसिलों के नाम पर किये गये नौकरशाही के श्रृणु में क्या न लगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर की महासम्मेलन सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेजों और अदालतों का बहिष्कार जारी रखा। नवम्बर में आत्म-रक्षा-सम्बन्धी अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। मजदूरों का संगठन करने के लिए एण्डरूज साहब, श्री सेतगुप्त और चार दूसरे सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार 'बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अफ्रीका और कानून का काम्रेस-संस्थाओं को काम्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें काम्रेस में क्रमशः १० और २० प्रतिशत निधि भेजने का अधिकार दिया गया।

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-काम्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था उस समय उसी जेल में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कामज थे। एक था सभापति का भाषण और दूसरा था सभापति से स्याम पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह कितीको आशा न थी कि दास जैसे ब्यक्तित्व का पुष्ट, पवित्र मोतीलाल नेहरू और भी विडलभार पटेल जैसे पौरी के आदमियों का सहाय पाकर भी, जनता के आगे खुरबाप तिर मुद्दा देगा और कौंसिल बहिष्कार के लिए राजी हो जायगा। कलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। भी दास के ज़िम्मे बंगाल की प्रान्तीय कौंसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली को शिमला पर धावा बोलने का काम दिया गया।

१९२२ का साल खत्म करने से पहिले यहाँ राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का निरन्तर टोक होगा। गिल्ले-सालों की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर हमने वे कैदी शामिल न थे जो रिहात्मक कार्य के लिए, या जमीन-आवारा आदि के मामलों में या टैरिफों या पुलिसकों पुसलाने के मामलों में, या किन्हीं के हानि भयानकने के निरन्तर में दखिल हुए थे। किस कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह उनके आग्रह, शिक्षा-सामाजिक रिश्तों और व्यक्तिगत निर्भर किया गया। इस तरह पुने हुए कैदियों को ममनू के देशों से चलाने तथा आशा था और उन्हें पुनर्के स्थान, आना तथा स्थान और रिहात्मक इन्तेजाल करने, समय-समय पर विद्वानों निम्न और इष्ट-विधियों से मुक्तकरण करने की अधिक दूर हो गई। उन्हें कठिन परिश्रम से भी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन काली रिहायशों को रिहात्मक का से इन्तजाल देना है कि उनका जीवन जेल के अधिकारियों ने अधिकारियों के सम्मुख से न उन सम्भव किन्हीं का, न बाद को बाद को से आकार में 'उत्कृष्ट' शब्द ही आने से इनकार का रिहात्मक।

कौंसिलों के भीतर असहयोग—१९२३

समझौते का यत्न

देश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-भेदों ने फिर गंदा कर दिया था। १९२२ में मुलतान में दंगा ही ही चुका था। १९२३ के मुहर्रामों में बंगाल और पंजाब में भयंकर दंगे हुए। १९२२ में खिलाफत के प्रश्न का अचानक अंत हो गया था। १९२२ के अक्टूबर में मुदानिया में अस्थायी सधि हुई। २० नवम्बर को लखनऊ में मित्र-राष्ट्रों की एक परिषद् हुई। यहाँ दो महीने तक बातचीत होती रही। इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तुर्कों के मुलतान को एक अंग्रेजी जहाज में छिपकर प्रायः बचाने के लिए मालया भागना पड़ा। उसके विदा होते ही वह मुलतान और खलीफा दोनों पदों से श्रुत कर दिया गया। उसका भतीजा अन्तुलमजीद एफेन्धी नया खलीफा चुना गया। मुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रज्वलन्त हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहबी बातों तक ही सीमित रह गई।

गया में आरिखर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई। १ जनवरी १९२३ को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख रुपये एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयंसेवक भरती किये जाय। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सीपा गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली की कड़ारों को ढीला कर दिया जाय। डा० अन्वारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-पैकट का मतविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात समापति का त्याग पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय समिति को अपनी स्वगन्ध-पार्टी वाली योजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १९२३ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी और से कौंसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाकी हिस्सा दोनों दल पूरा करने को स्वतन्त्र रहें। कोई किसी के काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनों दल अपना रवैया रखें।

• इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया।

इपर कॉमेस का रचनात्मक कार्यक्रम और-दोर से पैलाया गया। इस काम के लिए जो राष्ट्र मंडल निकाल किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जयन्तलाल

निकाला था कि कौंसिल-प्रवेश ममनू है, इगम नहीं है। पर गया में किसी की न चली। गाँवों का चारों ओर दौर-दौरा था। हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के अनुसरण होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कृपणता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल घोष और अम्बिदासराय दुसूंदर के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधुवाद दिया गया।

शहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके अर्थ का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपाशा को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई। कौंसिलों का बहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह अधिक अधिक श्रृणु न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी कौंसिलों के नाम पर बहिष्कृत किये गये नौकरशाही के श्रृणु में रुचया न लगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर की महासम्मिति के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए रुचया और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेजों और अदालतों का बहिष्कार जारी रहा और नवम्बर में आत्म-रक्षा-सम्बन्धी अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। मजदूरों का संगठन करने के लिए एएडरूज साहब, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अफ्रीका और बांग्लादेश का कांग्रेस-संस्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस में क्रमशः १० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-कांग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था उस समय उनकी जेब में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कामज थे। एक था सभापति का भाषण और दूसरा था सभापति पर से त्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वतन्त्र-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको आशा नहीं थी कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुरुष, परिश्रम मोतीलाल नेहरू और श्री विठ्ठलभाई पटेल जैसे चोटी के आदमियों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और कौंसिल बहिष्कार के लिए राजी हो जायगा। फलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। भी दास के जिम्मे बंगाल की प्रान्तीय कौंसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली और शिमला पर भावा बोलने का काम दिया गया।

१९२२ का साल खत्म करने से पहले यहाँ राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का जिक्र करके ठीक होगा। पिछले सालों की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं बचती थी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिंसामुक्त कार्यों के लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलों में या सैनिकों या पुलिसको पुख्ताने के मामले में, या किसी को डराने-धमकाने के विलसिले में दण्डित हुए थे। जिस कैदी के साथ कैला व्यवहार किया जाय, वह उसके अपराध, शिक्षा-सामाजिक स्थिति और चरित्र के ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह जुने हुए कैदियों को भांगूली कैदियों से अलग रखा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, अग्न्या खाया खाने और विज्ञान इस्तेमाल करने, समय-समय पर चिट्ठिया लिखने और इष्ट-मित्रों से मुलाकात करने की अधिक छूट दी गई। उन्हें कठिन परिश्रम से बरी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन सारी हिदायतों को विचार रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल-अधिकारियों ने अधिकार कैदियों के सम्बन्ध में न उन समय किया था, न बाद की। बाद की तो सरकार ने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया।

कौंसिलों के भीतर असहयोग—१९२३

समझौते का अन्त

देश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-भेदों ने फिर गंदा कर दिया था। १९२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था। १९२३ के मुहर्रगों में बगाल और पञ्जाब में मयंकर दंगे हुए। १९२२ में खिलाफत के प्रश्न का अज्ञानक अन्त हो गया था। १९२२ के अक्तूबर में मुदानिया में अस्थायी संधि हुई। २० नवम्बर को खूखान में मित्र-युद्धों की एक परिपक्व हुई। यहाँ दो महीने तक बातचीत होती रही। इसी अवसर पर अंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तुर्कों के मुलतान को एक अग्नेजी जहाज में छिपकर प्राण बचाने के लिए मालदा भागना पड़ा। उसके बिदा होते ही वह मुलतान और खलीफा दोनों पदों से च्युत कर दिया गया। उसका भतीजा अब्दुलमजीद एफेन्दी नया खलीफा चुना गया। मुलतान का अखिबत समाप्त हो गया और तुर्कों में प्रजातन्त्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत सिर्फ मजहूरी बातों तक ही सीमित रह गई।

गया में आरिखर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई। १ जनवरी १९२३ को महासमिति ने निर्णय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख रुपया एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयंसेवक भरती किये जाय। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौंपा गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्कों की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो सत्याग्रह-सम्बन्धी दिल्ली की कड़ाई को ढीला कर दिया जाय। डा० अन्सारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-वैकट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात समापति का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विषय-समिति को अपनी स्वयं-पार्टी वाली योजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १९२३ को हलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निर्णय किया कि ३० अप्रैल तक किसी धर से कौंसिल-सम्बन्धी प्रचार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-कम का बाकी हिस्सा दोनों दल पूरा करने को स्वतन्त्र रहें। कोई किसी के काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनों दल अपना रवैया रक्खें।

• इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया।

इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो रिश्ट मद्दल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल

निकाला था कि काँग्रेस प्रवेश ममनू है, हरम नहीं है। पर गया में किसी की न चली। शोषित का चारों ओर दौर-दौर था। हर किसीका यह विश्वास था कि कांग्रेस का अपने नेता के अनुरोध होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कुतन्धता होगी। स्वर्गीय मोतीलाल घोष और अग्निदास मुखर्जी के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीजी और उनके सिद्धान्तों को साधुवाद दिया गया।

शहीद अकालियों की उनकी असाधारण वीरता और अन्य राजनैतिक कैदियों की उनके श्रम का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंसा की गई। कमालपारा को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई। काँग्रेस का बहिष्कार करने को कहा गया। सरकार को चेतावनी दी गई कि वह और अधिक श्रम न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी काँग्रेसियों के नाम पर जाँच किये गये नौकरशाही के श्रेण में रखा न लगाने के लिए कहा गया। गत नवम्बर की महासम्मेलन के सत्याग्रह-सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई। इस बीच में देश से इस कार्य के लिए श्रम और आदमी एकत्र करने को कहा गया। कालेजों और अदालतों का बहिष्कार जारी रहा और नवम्बर में आत्म-त्याग-सम्बन्धी अधिकार के विषय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मान लिया गया। मजदूरों का संगठन करने के लिए एरटूरुज साहब, श्री सेनगुप्त और चार दूसरे सज्जनों की कमिटी बनाई गई जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण-अफ्रीका और बाहुत की कांग्रेस-संस्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस में क्रमशः १० और २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया।

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-कांग्रेस का सभापतित्व ग्रहण किया था उस समय उनकी जेल में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज थे। एक था सभापति का भाषण और दूसरा था सभापति पद से त्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी थे। यह किसीको शंका नहीं कि दास जैसे व्यक्तित्व का पुरुष, पण्डित मोतीलाल नेहरू और भी विडलभाई पटेल जैसे चोटी के आदमियों का सहाय पाकर भी, जनता के आगे चुपचाप सिर झुका देगा और काँग्रेस बहिष्कार के लिए राजी हो जायगा। फलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। श्री दास के जिम्मे यमाल की प्रान्तीय काँग्रेस पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूजी को दिल्ली और शिमला पर धावा बोलने का काम दिया गया।

१९२२ का साल खत्म करने से पहिले यहाँ राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का जिक्र करना ठीक होगा। पिछले सालों की तरह अब सरकार राजनैतिक शब्द से उठना नहीं बचती थी। उनके साथ अब अधिक उदारता का व्यवहार किया जाने लगा। पर इनमें वे कैदी शामिल न थे जो हिंसक कार्यों के लिए, या जमीन-आयदाद आदि के मामलों में या सैनिकों या पुलिसको पुसलाने के मामले में, या किसी को डराने धमकाने के सिलसिले में दण्डित हुए थे। जिस कैदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाय, यह उसके अपराध, शिक्षा-सामाजिक स्थिति और चरित्र के ऊपर निर्भर किया गया। इस तरह नुने हुए कैदियों को मामूली कैदियों से अलग रखा जाता था और उन्हें पुस्तकें रखने, अपना खाना खाने और बिक्री-व्यवहार करने, समय-समय पर चिट्ठियाँ लिखने और हफ्ते-मियों से मुलाकात करने की अधिक छूट दी गई। उन्हें कठिन परिश्रम से बरी किया गया। हमने भारत-सरकार की इन सारी हिदायतों को विवरण रूप से इसलिए दिया है कि उनका पालन जेल अधिकारियों ने अधिकतर कैदियों के सम्बन्ध में न उन

कारने 'राजनैतिक' शब्द ही मानने से इनकार कर दिया।

कॉसिलों के भीतर असहयोग—१९२३

समझौते का यत्न

देश के राजनैतिक वातावरण को १९२३ के प्रारम्भ में साम्प्रदायिक मत भेदा ने फिर गहरा कर दिया था। १९२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था। १९२३ के मुहर्रामों में बंगाल और पश्चाच में भयंकर दंगे हुए। १९२२ में खिलाफत के प्रश्न का अचानक अन्त हो गया था। १९२२ के अक्टूबर में मुशनिवा में अस्थायी संधि हुई। २० नवम्बर को लुगान में मित्र-राष्ट्रों की एक परिषद् हुई। यहाँ दो महीने तक बातचीत होती रही। इसी अवसर पर अगोग-सरकार के प्रतिनिधियों ने नगर के शासन की बागदोर अपने हाथ में ले ली और तुर्की के मुलतान को एक अग्नेजी जहाज में क्षिप्र प्राण बचाने के लिए मालदा भागना पड़ा। उसके बिदा होते ही वह मुलतान और रसूलिया दोनों पक्षों से द्युत कर दिया गया। उसका भतीजा अब्दुलमजीद एवेन्डी नया रसूलिया चुना गया। मुलतान का अस्तित्व समाप्त हो गया और तुर्की में प्रभावन्त्र हो गया। इस प्रकार खिलाफत विरुद्ध मजहबी बातों तक ही सीमित रह गईं।

गया में आरिवर्तनवादियों की जो रिजय हुई वह स्थायी साबित न हुई। १ जनवरी १९२३ को महासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १९२३ तक २५ लाख रुपये एकत्र किया जाय और ५०,००० स्वयंसेवक भर्ती किये जाय। कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौंपा गया। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि तुर्की की अचरथा के कारण यदि कोई रास मौका आ पड़े तो उत्पासद-सम्बन्धी दिल्ली की कफारों को ढोला कर दिया जाय। डा० अन्वारी को दूसरी बैठक के लिए एक राष्ट्रीय-पैकेट का मसविदा तैयार करने को कहा गया। परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात समापति का त्याग-पत्र था। उन्होंने पहले ही विपय-समिति को अपनी रजगय-पार्टी वाली योजना बता दी थी, इसलिए पद-त्याग आवश्यक ही था। पर त्याग-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी १९२३ की इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझौता करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल तक किसी और से कॉसिल-सम्बन्धी प्रचार-आयं न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाकी हिस्सा दोनों दल पुरा करने को स्वतन्त्र रहें। कोई किसी के काम में दखल न दे। ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके अनुसार दोनों दल अपना रवैया रक्वें।

इस समय तक मौलाना अबुलकलाम आजाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे। महासमिति ने यह समझौता करने के लिए दोनों को घन्थाद दिया।

इधर क्रिपस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो शिष्ट मंडल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल

ही देश को आह्वान किया कि आगामी १८ तारीख को जो गांधी-दिवस होने वाला है, उसे भयदा-दिवस कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को आशा हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता द्वारा भंडे चढ़ायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बर्धाई दी। सेठजी की मोटर (३,०००) बुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियावाड़ ले जाया गया। नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आह्वान किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिरफ्तार होने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले। नागपुर भ्रष्टा-सत्याग्रह शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आन्दोलन होगया और भी बलभर्माई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मे-दारी लेने का अनुरोध किया गया। देश के कोने कोने में स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की बैठक हुई उसमें भी विडलमार्ड पटेल को उनके नागपुर सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के लिए साधुवाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद रहकर सञ्चालक बलभर्माई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जुलूस-वालों को इजाजत मागनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है; हमें अधिकार है, जहा चाहेंगे वगैर किसी रुकावट के जायेंगे। एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया। बलभर्माई पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर दी और १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अभी बदलूरी लगी हुई थी; यही नहीं, उसे हाल ही दुबारा लगाया गया था। पर इतने पर भी १८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय को लेकर खूब हो-हला मचा। अधगोरे अखबार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने इजाजत की दर-खास्त की; और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था। दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के भ्रष्टा-सत्याग्रहके आयोजकों और स्वयंसेवकों को अपने वीरता-पूर्ण बलि-दान और कष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्ध को अन्त तक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय से बर्धाई दी।

प्रवासी भारतीय

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण हल-चल हुई, जिसकी और कांग्रेस का ध्यान खिंचा रहा। केनिया में अगस्ता दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। यहा के प्रवासी भारतीयों की अवस्था बहुत दिनों से अशान्तीयजनक थी। यह उपनिवेश जो इतना आशुवाद होगया उसका श्रेय भारतीय मजदूरों और भारतीय धन को बहुत कुछ था। कई मामलों में भारतीयों ने ही सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अपेक्षा वे आवादी में अधिक थे। मि० विन्स्टन चर्चिल ने सिक्ल सैनिकों की बीरता को, हिन्दुस्तानी व्यापारी की और हिन्दुस्तानी महाजन की, जो यूरोपियन निवासी तक को रुपा उधार देता था, जो सराहना की थी और उन स्थानों से जहा भारतवासी विश्वास करके कात्तन बस गये थे, उन्हें जान-भूझकर निकाल बाहर करने की नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, उसका भारतीय कॉन्सिल में मरम-दल के राजनीतिज्ञों ने पृथ-विस्तार के साथ जिक्र किया। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उन हार्डलैंड्स (ऊंची भूमि) की खेती योग्य जमीन देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगायुद्ध को जानेवाली सड़क के दूसरी ओर तक चली गई है और जहाँ कपास की खेतियों में भारतीयों का काफी धन लगा हुआ है, उससे भारतीयों में बड़ा अशान्तीय पैला। यह आशङ्का की जाने लगी कि यूरोपियनों की अशहिष्णुता के

यजाज और भी देवदास गांधी थे। इस सिद्ध मंडल ने देरभर का दौरा किया और विन्ध्य स्वयंसेवकों के लिए काफी चन्दा इकट्ठा किया। मई १९२३ को बम्बई में हुई कांग्रेस-सम्मेलन बैठक में इसने अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की थी।

१९२३ की २५, २६ और २७ मई को कांग्रेस-समिति की बैठक के साथ महासमिति की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-कामेस के अखर पर मतदाताओं में कौन्सिल-प्रकार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया था उस पर श्रमल न किया जाय। इस बैठक में ही महत्वपूर्ण बात नहीं हुई। हाँ, मध्यप्रान्त के स्वयंसेवकों को नागपुर में भ्रष्टा-सत्याग्रह जारी रखने के लिए बधाई दी गई और साथ ही देश के स्वयंसेवकों को आवश्यकता पड़ने पर नागपुर-सत्याग्रह में भाग लेने को तैयार रहने का आदेश दिया गया।

बम्बई के इस सम्मेलन से कई प्रांतीय कामेस-कमिटियाँ स्वभावतः ही चन्च हुईं। बाद में नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के सम्मेलन के प्रस्ताव को जयज की उपयुक्त समझा गया और इस बात की जोरदार शब्दों में घोषणा की गई। पर इसी कमिटी में अचानक एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया और पास हुआ जिसका नोटिस पहले से नहीं दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार अगस्त में बम्बई में कामेस का एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया गया, जिसमें कौन्सिल बहिष्कार के प्रश्न पर विचार किया जाय। मौलाना अबुलकलाम आझर को इसका सभापति चुना गया और कांग्रेस-समिति को इस सम्बन्ध में जरूरी कार्रवाई करने का अधिकार सौंपा गया।

जैसी आशांका थी, विशेष-अधिवेशन करने के इस अचानक निश्चय ने काफी विरोध उत्पन्न कर दिया। वोटों की संख्या में इतना कम अंतर था कि इससे यह विरोध और प्रबल हो गया। इन दो कारणों को लेकर अगस्त में विजयापट्टम में महासमिति की एक खास बैठक करने का निश्चय किया गया। ३ अगस्त को इस बैठक में जो कार्रवाई हुई उसके सम्बन्ध में दफ्तर की रिपोर्ट कहती है— “सभापति ने कहा कि इस सभा को बुलाने की आवश्यकता के विषय में जो सज्जन बोलना चाहें, बोलें। जब और कोई न उठा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने एक प्रस्ताव पेश किया, जो अनुमोदन के बाद पास हुआ। उसके अनुसार सितम्बर में (अगस्त में नहीं) विशेष-अधिवेशन के अनुकूल निश्चय हुआ। यदि स्थान के सम्बन्ध में कोई दिक्कत हो तो सभापति को अधिकार दिया गया कि वह बैठक किसी और स्थान पर करें। इस प्रस्ताव को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने पेश किया, यह माकें की बात थी। यह भी उल्लेखनीय बात है कि मीटिंग के सभापति देशरामक कौन्सिल-समिति के सदस्य जैसे कट्टर अपरिवर्तनवादी थे।

भ्रष्टा-सत्याग्रह

कामेस का विशेष-अधिवेशन बम्बई में नहीं, दिल्ली में हुआ। पर पहले ही उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करना चाहिए। इसी नागपुर-सत्याग्रह की ओर हमारा ध्यान करने पहले जाता है। नागपुर की पुलिस ने १ मई १९२३ को २४४ घाय के अनुसार सिविल लाइन्स में राष्ट्रीय भ्रष्टा समेत जुलूस ले जाने का निषेध कर दिया। स्वयंसेवकों ने कहा— हमें अधिकार है, जहाँ चाहे भ्रष्टा ले जायेंगे। बस, गिरफ्तारियों और सजायें आरम्भ हो गईं। बात-की-बात में इस घटना ने आन्दोलन का रूप धारण कर लिया जिसे पहले कांग्रेस-समिति ने, जैसा कि हम कह आये हैं, आशीर्वाद दिया और फिर महासमिति ने अपनी ८, ९ और १० जुलाई को नागपुर वाली बैठक में। कमिटी ने आन्दोलन को सफल बनाने के लिए उसकी सहायता करने का निश्चय किया और साथ

ही देश को आह्वान किया कि आगामी १८ तारीख को जो गांधी-दिवस होने वाला है, उसे भयङ्ग-दिवस कहकर मनाया जाय। प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटीयों को आशा हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता द्वारा भङ्गे फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे। कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बर्धाई दी। सेठजी की मोटर ३,०००) जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए कोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियावाड़ ले जाया गया। नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आह्वान किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याग्रही आकर गिरफ्तार होने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले। नागपुर भङ्ग-सत्याग्रह शीघ्र ही एक अखिल-भारतीय आन्दोलन होगया और भी वल्लभभाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया गया। देश के कोने कोने में स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे। अग्रस्त के आरम्भ में कार्य-समिति की बैठक हुई उसमें भी विठ्ठलभाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के लिए साधुवाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद रहकर सञ्चालक वल्लभभाई पटेल की आन्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जुलूस-वालों को इजाजत मांगनी चाहिए। कांग्रेस कहती थी कि सड़क सवकें लिए है; हमें अधिकार है, जहा चाहेगे बगैर किसी रुकावट के जायेंगे। एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया। वल्लभभाई पटेल ने जनता की सारी गलतफहमी दूर कर दी और १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित कर दिया। दफा १४४ अभी बदस्तूर लगी हुई थी; यही नहीं, उसे हाल ही दुबारा लगाया गया था। पर इतने पर भी १८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय को लेकर खूब हो-हल्ला मचा। अग्रगण्ये अखबार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने इजाजत की दर-खास्त की; और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कमी नहीं किया गया, और ठीक भी यही था। दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के भङ्ग-सत्याग्रहके आयोजकों और स्वयंसेवकों को अपने वीरता-पूर्ण बलिदान और कष्ट-सहिष्णुता द्वारा युद्ध को अन्त तक निवारने और इस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा करने के लिए हृदय से बर्धाई दी।

प्रवासी भारतीय

जुलाई, अगस्त और सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण हाल-चल हुई, जिसकी और कांग्रेस का ध्यान खिचा रहा। केनिया में अग्रस्था दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। वहा के प्रवासी भारतीयों की अग्रस्था बहुत दिनों से अस्तन्वोपजनक थी। यह उपनिवेश जो इतना आवाद होगया उसका श्रेय भारतीय मजदूरों और भारतीय घन को बहुत कुछ था। कई मामलों में भारतीयों ने ही सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अपेक्षा वे आवादी में अधिक थे। मि० विन्स्टन चर्चिल ने सिक्ल सैनिकों की वीरता की, हिन्दुस्तानी व्यापारी की और हिन्दुस्तानी महाजन की, जो यूरोपियन निवासी तक को रुपया उधार देता था, जो सपहना की थी और उन स्थानों से जहा भारतवासी निश्वास करके कानून बस गये थे, उन्हें जान-बूझकर निकाल बाहर करने की नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, उसका भारतीय कौंसिल में नरम-दल के राजनीतियों ने खूब विचार के साथ जिक्र किया। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उस हाईलैंड्स (ऊँची भूमि) की खेती योग्य जमीन देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगाएडा को जानेवाली सड़क के दूसरी ओर तक

लेतियों में भारतीयों का काफी धन लगा हुआ है, उससे

जाने लगी कि यूरोपियनों की असहिष्णुता के

कारण वही केनिया में भारतीयों को अनिर्णयतः अलग बनाने, महाधिकार से हाथ धोने और इन (नये भारतवासियों का) वहाँ आना बन्द करने के लिए बाध्य न होना पड़े। जिन नव्विंश शतक के साम्राज्य-परिपक्वों की यह बात स्वीकार भी थी कि भारत को साम्राज्य में बराबरी का दर्जा देना ही उन भारतवासियों के सम्बन्ध में, जो कानूनन आकर बसे हैं, कड़ाईयाँ पैदा करना—दोनों बातें एक-दूसरे के विरुद्ध हैं, यही १९२१ में औरनिवेशक मन्त्री थे। १९२३ के आरम्भ में उन्होंने केंद्र के गवर्नर को बुला भेजा। गवर्नर के साथ अन्तिम समझौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए यूरोपिय और भारतीय प्रतिनिधि भी गये। भारतीय (वही) कौंसिल ने भी एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा, जिसे सदस्य माननीय भीनकाश शास्त्री थे। केनिया के प्रतिनिधि मण्डल ने एण्डरूज साहब से अपने साथ चलने का आग्रह किया। एण्डरूज साहब ने इस हेतियत से केनिया के भारतीयों का जो उत्पन्न क्रिया उसके लिए कार्य-समिति ने १९२३ के अप्रैल में उनको घन्यवाद दिया।

यह समझा इसलिए और भी महत्वपूर्ण होगई थी, क्योंकि रोडेसिया, टांगानिका, न्यासालैंड युगाण्डा और केनिया का एक बड़ा यूनिन बनाने की बातचीत होरही थी। युगाण्डा के प्रकृति भारतवासियों की अथवा केनिया-प्रभ के नियन्त्रण पर निर्भर थी। "अलग रखने" का जहा इत ऊँ निवेश में भी काम कर रहा था। कम्गला की बस्ती में यूरोपियन आयादी से दूर एक जगह एशिया-वालों के लिए नियत कर दी गई थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिला-पट्टी बेचकर गई। १९२१ में टांगानिका में लॉर्ड मिलनर के आश्वासन पर भारतवासियों ने शत्रु की जमीन जापद खरीद ली थी। अब तीन आर्डिनेन्स "आयक प्रयोजन के लिए" जारी किये गये, जिनके द्वारा भारतीयों के बराबरी के अधिकार छीनने की चेष्टा की गई। इसके सम्बन्ध में व्यापक इफ्ताल की गई जो १९२२ के अप्रैल तक जारी रही। पहले दर्जे में भारतीयों के सफर करने की मुमानियत की गई, पर बाद की यह मुमानियत उठा दी गई।

हमने यह सब विस्तार के साथ इसलिए दिया है कि अगस्त १९२३ में ही कांग्रेस ने इस मामले में निश्चयात्मक कार्रवाई आरम्भ की थी। इस विषय पर महासमिति ने जो प्रस्ताव पास किए वह इस प्रकार हैं—

"केनिया के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निश्चय किया है उससे यह प्रकट है कि ब्रिटिश-साम्राज्य में भारत के लिए बराबरी और सम्मान का स्थान मिलना सम्भव नहीं है। अतएव इस महासमिति की राय है कि इस घटना के विरुद्ध देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया जाय।"

कॉमटो ने बताया कि २६ अगस्त को देश भर में इफ्ताल की जाय और जगह-जगह सभाओं की जाय जिनमें जनता से ब्रिटिश साम्राज्य-प्रदर्शनी में, साम्राज्य-परिपक्व में और साम्राज्य दिवस में भाग न लेने को कहा जाय।

विरोध अधिवेशन

अब हम दिल्ली के विरोध अधिवेशन की चर्चा करते हैं। यह अधिवेशन सितम्बर के तीसरे हफ्ते में हुआ। महापति मौलाना अबुलकलाम आजाद थे जो बड़े मुगलमान मौलवी हैं। बंगाल और दिल्ली में इनकी एक-समान रूपाति और मान है। कांग्रेस के दोनों दल इनकी बुद्धि और निष्ठा के बावजूद थे। कौंसिल-प्रवेश का समर्थन करने वाले दल ने बिना कठिन्ता के कांग्रेस से अनुमति-सूत्रक प्रस्ताव पास कर लिया कि "जिन कांग्रेस-वादियों को कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या मति-सूत्रक प्रस्ताव पास कर लिया है, उनसे निर्वान्वितों में लड़े होने और अपनी राय देने के हेतु, इसलिए कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार बन्द

किया जाता है।" साथ ही यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने में दृढ़ी शक्ति से काम लेना चाहिए। रामभजदत्त चौबरी के स्वर्गवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नाभा के जबरदस्ती गद्दी छोड़ने और बिहार, कनाडा और बर्मा में बाढ़ आने के सम्बन्ध में सहानुभूति और समवेदन सूर्यक प्रस्ताव पास किये गये। एक कमिटी नियुक्त की गई जिसके सुपुर्द सत्याग्रह-सम्बन्धी आन्दोलन सगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तत्सम्बन्धी हलचल को व्यवस्थित करने का काम हुआ। एक और कमिटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस के विधान में परिवर्तन-परिवर्द्धन करने का काम हुआ। एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय-पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई। समाचार-पत्रों को चेतावनी दी गई कि साम्प्रदायिक मामलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-कमिटिया मुकदर करने की सलाह दी गई। शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक कमिटी ने जाच के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अकाली लोग दमन वा जिस साहस और अहिंसा के साथ सामना कर रहे थे, उसके लिए उन्हें एक बार फिर बधाई दी गई। खहर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने पर जोर दिया गया और एक कमिटी देश-माल बनाने वाली को उत्तेजन और खासकर अग्नेजी माल का बहिष्कार करने के लिए सबसे बढिया उपाय निश्चित करने की मुकदर की गई। भण्डा-सत्याग्रह-आन्दोलन को उसकी सफलता के लिए बधाई दी गई और जेल से छूटे नेताओं का, खास कर लाला जी और मौलाना मुहम्मदअली का, स्वागत किया गया।

कनिया के सम्बन्ध में क्रोध और तुर्की के सम्बन्ध में हर्ष प्रकट किया गया। दो कमिटिया और भी नियुक्त की गईं जिनमें से एक के सुपुर्द हिन्दू-मुस्लिम-फलह को रोकने का काम, जो अब फिर शुरू हो गया था, और दूसरी के सुपुर्द शुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध आन्दोलनों में बल का प्रयोग करने की सत्यता की जाच करने का काम हुआ। शान्ति और सुव्यवस्था कायम रखने के लिए रत्नक-दल बनाने और शारीरिक बल की वृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया।

इस प्रकार दिल्ली में कांग्रेस के काम को फिर से निश्चित करने वा मार्ग सफल हो गया। गया में जो बगावत की गई थी अब वह लगभग फलित हो गई। दिल्ली के प्रस्ताव इस बात के प्रमाण थे कि जिनके हाथ में शक्ति थी उनके दृष्टि-कोण में परिवर्तन हो चला है। इतनी सारी कमिटियों—कुल मिलाकर पांच—की नियुक्ति ही इस बात का सबूत थी कि नये सिरे से फुरसत निकाली गई है, जिसका उपयोग उन कमिटियों के सुपुर्द किये कार्यों की जाच-पकताल करने की अपेक्षा अधिक अच्छे ढङ्ग से नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को कार्रवाई कौंसिल-प्रवेश से आरम्भ हुई थी और "रत्नक-दल और शारीरिक बल-वृद्धि" पर खत्म हुई। कहर इतनी ही थी कि कौंसिल प्रवेश सम्बन्धी प्रस्ताव केवल अनुमति सूचक था, परन्तु इस प्रश्न पर जन-साधारण की जो प्रवृत्ति थी उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक था। अस्तु, जो लोग आगामी निर्वाचनों में भाग लेना चाहते थे उनके लिए रास्ता साफ हो गया। अब कांग्रेसवादियों में पहली बार उस कार्यक्रम के ऊपर मत-भेद हुआ, जो खुद भी आगे जाकर बट गया था। स्वयंसेवक-पार्टी को किस नीति और किन विद्वातों का अनुसरण करना चाहिए, यह एक बोधदायक में रख दिया गया।

कोकनडा-कांग्रेस

कांग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनडा में होना निश्चित हुआ। कुछ अपरिवर्तनवादियों को अब भी थोड़ी बहुत धारणा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, कोकनडा उन्ने चाहे विलकुल मिटा न सके, क्योंकि उस समय तक चुनाव खत्म हो जायेंगे, फिर भी वारिंकि अधिवेशन के अवसर

पर आक्रमण करके भारतीयों के आदिवात्मक उद्देश से एक्य होने के अधिकार को जो चुनौती दी थी उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और उनके वर्तमान संघर्ष में उनका साथ देने और उन्हें आदमी और रुपये और हर प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया।

गुरुद्वारा-आन्दोलन

यहां वर्तमान प्रसंग को छोड़कर, सिक्खों में सुधार-समन्धी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था उसका घोड़ा-सा जिक्र करना ठीक होगा। काली पगड़ी बधि "सत् श्रीकाल" का घोष करनेवाले सिक्ख और उनके लगरखाने अब कांग्रेस के जाने-बूझे शत्रु होगये हैं। जब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन अपने अधिकार में लेती है तो स्वभावतः ही उस देश की सारी संस्थाओं पर—चाहे वे आर्थिक हों या शिक्षण सम्बन्धी, चाहे धार्मिक ही क्यों न हों—कैकड़े की भाँति अपने पंजे फैला देती है। अंग्रेजों ने पंजाब को १८४९ में ब्रिटिश-भारत में मिलाया। इस रद्दोबदल के अवसर पर सिक्ख धर्म के केन्द्र और गढ़-स्वरूप अमृतसर के दरबारसाहब के बंदोबस्त में गड़बड़ मची हुई थी। इस अवसर पर अमृत छूके हुए सिक्खों की एक कमिटी की टूट्टी बनाया गया और सरकार द्वारा नियत व्यक्ति सरबराह या अभिभावक बना। एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके हाथों से हर साल लाखों रुपये निकलते थे। जैसा अक्षर होता है, १८८१ में यह कमिटी भंग हो गई और मैनेजर के हाथ में ही सारे अधिकार आगये। नियंत्रण के अभाव में गैर-जिम्मेदारी और आन्तार-दीनता का जन्म हुआ। एक और मैनेजर और प्रभियोगी और दूसरी ओर सिक्ख जनता में आये दिन भुठभेड़ होने लगी। सरकार परेशान थी कि क्या करे। अन्त में १९२० के अन्त में एक कमिटी बनाई गई जो बाद को शिरोमणि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी हुई। इस कमिटी के पहले सभापति सरदार मुन्दरसिंह मजीठिया हुए, जो कुछ दिनों बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये। सुधारक सिक्ख अकाली कहलाते थे। इन्होंने अपेक्षा-कृत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारों को अपने हाथ में किया। तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्ख धायल हुए और दो मरे। हम वह ही आगे हैं कि १९२१ के आरम्भ में ननकानासाहब में कित प्रकाश निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्वारों के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामर्थ्य को अपने कब्जे में करने के लिए था। इस दृष्टिकोण से महन्तों को बढ़ावा मिला। इन महन्तों में वे लोग भी थे जिन्होंने अकालियों से समझौता कर लिया था। अब वे इस समझौते से हट गये। सरकार "सुधारक सिक्खों के अन्धा-धुंध दमन पर उतारू थी।" १९२१ के मई मास में सैफ़ों सिक्ख जेलों में डूँस दिये गये और प्रतिष्ठा-हीन महन्तों को फिर अधिकार दिया गया। फलतः जहाँतक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमणि गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी ने १९२१ की मई में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पास कर दिया।

सरकार जो गुरुद्वारा-बिल पास करना चाहती थी, वह सिक्खों में नरम-दलवालों और सहयोगियों तक को मंजूर न हुआ। फलतः उसका विचार छोड़ दिया गया। सिक्खों पर एक निश्चित सम्भार से अधिक बड़ी कुराहों पहनने के लिए मुकदमे चलाये गये। पंजाब प्रांतीय-कॉंग्रेस-कमिटी ने १० जुलाई १९२१ को इसका विरोध किया, और महीने के अन्त में सिक्खों को जेल से छोड़ दिया गया। भन्ना के भाई करतारसिंह और भूचड़ के भाई राजसिंह को १८ और ७ वर्ष का बर्खास्त-पूर्ण कारावास-दण्ड दिया गया। १८ अगस्त १९२१ को काँग्रेसियों के सिक्ख सदस्यों को हत्तीप देने को कहा गया। सरदारबहादुर सरदार महात्तबसिंह बैरिस्टर ने गुरुद्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति के विरोध में सरकारी बहाल और पंजाब-कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष के पद से हत्तीप दे दिया।

१९२१ के गितम्बर के आरम्भ में जगज्जल साहनी राजा पाटे हुए दोनों विधायी सभा बन कर को
 दिया गया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के प्रधान-मन्त्री सरदार शारदासिंह काँग्रेस
 जिसे १९२१ के जून में १२४ वं धारा के अनुसार पाँच वर्ष का सर्वाधिक कार्यकाल हुआ था, के
 मुख्यों के अन्य कार्यकर्ताओं को न छोड़ा गया। अक्टूबर १९२१ की ७ नम्बर को सभा
 में अगुस्तार के दरबारवाह की वाविधा लीन ली, जिसके पल-सफा गुद नानक के अन्तर्गत
 सभापति न हो सकी। सरकार की ओर से एक मंत्रालय नियुक्त किया गया, पर उसे शिरोमणि-
 द्वारा प्रव-मन्त्री कमिटी ने मार्च न लेने दिया और उसे हस्तगत देना पड़ा। वह, इसके बाद
 वाविधा ही सारे भगदों की जड़ बन गई और जन-सभाओं द्वारा उत्पन्न विरोध किया जाने लगा
 सरकार ने राजप्रीती सभापती का नून जारी किया और सरदार लहगसिंह और सरदार मन्दासिंह के
 कड़ी पैद की सजा दी गई। गुद गोविन्दसिंह का जन्म-दिवस ५ जनवरी १९२२ को था। सरकार ने
 वाविधा उस समय तक के लिए रोकने की गैरारी दिखार करतक कि उसके द्वारा दीवानी अदालत में
 दामर किये गये मुकदमे का पैतला न हो। शिरोमणि-गुदद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी ने वाविधा
 लेने से इन्कार कर दिया। जब २०० विवन्ध-कार्यकर्ता गिरफ्तार हो चुके तो सरकार ने हाथ रोक
 लिया और सारे कैदियों को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया। १९२२ की ११ जनवरी को वाविधा
 भी सौंर दी गई। पर पविहल दीनानाथ को नहीं छोड़ा। पलतः राजप्रीती सभापती-कानून के विरुद्ध
 फिर सत्पामह जारी हुआ और १९२२ की ८ फरवरी को शिरोमणि-गुदद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी की प्रवन्ध-
 समिति के सारे सदस्य एक सभा में बोले। अन्त में पविहल दीनानाथ को रिहा कर दिया गया और
 कोमागायामारू (१९१४) वाले बाबा गुददत्तसिंह को भी छोड़ दिया गया।

अकाली वाली पगड़ी पहनेते थे। १९२२ के मार्च मास के दुसरे सप्ताह से, पहले से ही
 निश्चित किये गये कार्यक्रम के अनुसार, पंजाब के १२ चुने हुए जिलों में और पटियाला और कपूरथला
 की रियासतों में अकाली सिककों को एक-साथ गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया। १५ दिन के
 भीतर-भीतर १७०० काली पगड़ी वाले सिकक पकड़ लिये गये। शिरोमणि-गुदद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी
 और पंजाब-प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति सरदार लहगसिंह को ४ वर्ष का कठिन कारावास-दण्ड
 दिया गया। मार्च १९२२ के आरम्भ में सरकार ने कहा—'कृपाणु तलवारें हैं जिनके बनाने के लिए
 लाइसेन्स की जरूरत है।' लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-द्वारा बचाये गये हंग से कृपाणु
 पहनी जायं। कौजी सिककों का कृपाणु धारण करना भी जुर्म माना गया। कुछ को गिरफ्तार करके ४
 वर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की कड़ी सजा दी गई। कोमागायामारूवाले बाबा गुददत्तसिंह को फिर
 गिरफ्तार कर लिया गया और १९२२ में उन्हें ५ वर्ष का निर्वासन-दण्ड मिला। रौलट-
 कानून के विरुद्ध आन्दोलन में प्रतिदिन पाये हुए मास्टर मोतासिंह को ८ साल की सजा मिली।

चारों ओर विभिन्न लॉ अग्नेयडभेयड-एवट का दौर-दौर था और जमानत-सम्बन्धी धाराएँ
 उसकी सहायक थीं। एक नेता ने लिखा—'सब कुछ पुलिस के हाथ में था, और पुलिस ने भी
 उससे मूव आनन्द उठाया।' पविहल मदनमोहन मालवीय पंजाब गये और राजा नरेन्द्रनाथ की
 अल्पद्वता में कमिटी नियुक्त करार, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादातियों, गैर-कानूनी कार्यवाहियों और
 निर्दयता के सम्बन्ध में जाच करना था। १९२२ की चौदह मई को पंजाब-सरकार ने एक विज्ञापित
 निर्दालकर धार्मिक सुधारकों को चेतावनी दी कि वे उन लोगों के "जिनका सुधार से कोई वास्तविक
 सम्बन्ध नहीं है, अदधमनी पैजानेवाले और गैर-कानूनी कामों में" अलग रहे। १५ जून १९२२ तक
 १९०० से २००० तक सिकक गिरफ्तार किये जा चुके थे।

इसी अवसर पर गुह-का-बाग-काण्ड हुआ जिसका जिक्र १९२२ की चर्चा में हो चुका है। इतना ही कहना काफी है कि सिक्खों ने गांधीजी का यह कहना चरितार्थ कर दिखाया कि गोली खाने के बजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार को सहते हैं वे आदर के पात्र हैं। इस काण्ड के सिलसिले में जो व्यादतियाँ की गईं उनकी जांच पंजाब-सरकार के एक यूरोपियन सदस्य ने की। एडवोकेट साहब जैसे व्यक्तियों ने इन व्यादतियों के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “अब तक मैंने जितने हृदय-विदारक और कष्टदायक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सबसे बुरा है। अहिंसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहे हैं।” जैसा कि एडवोकेट मोतीलाल नेहरू ने कहा है, “एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक कठिदार लोहे के ठोके को भेदकर कोई अन्न का दाना भीतर न ले जा सका। जो ले गये, उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब मेरी मोटरकार की गुद्दारे के द्वार पर तलाशी ले ली गई, तब कहीं उस घेरे के एक छोटे-से प्रवेश-द्वार में जाने की इजाजत मिली।”

एक ह्नी घायल करदी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की सुभूषा की थी। एक के शरीर पर गोहे की टाप के निशान थे। दो आदमी मारे गये थे और सरकार ने कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया तो वे बरी कर दिये गये। कुछ दर्शकों को परेशान किया गया। अम्बवार्में में पुलिस के विरुद्ध चोरी, डाकेजनी और लूटमार के अभियोग लगाये गये। पुलिस सुपरिण्टेण्डेंट मि० मैकफार्लेन ने लाठी के अभ्यास पर एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस प्रकार तस्दीक की:—

“बहुत सम्भव है, सिर आदि फूटने की क्रिम की चोटें आ गई हों। ज्यों ने पुलिस का मुकाबला कभी नहीं किया और वे बराबर अहिंसात्मक आचरण करते रहे। सम्भव है, कुछ घायल बेशेष भी हो गये हों। चोटों के ६५३ बेस नजर से गुजरे जिनमें से २६६ ऊपर के भाग में थे, ३०० शरीर के आगे के भाग में, ७६ सिर-पर, ६० फोतों पर, १६ गुदा-द्वार पर, ७ दातों पर, १५८ रगड़ के पाव, ८ बन्द चोटों के, २ छिल जाने के, ४० पेशाब-सम्बन्धी शिकायतें, ६ सिर फटने के, और २ हड्डियों के जोड़ टूटने के थे।”

इस सिलसिले में २१० गिरफ्तारियाँ हुईं। एक ही आन्दोली मजिस्ट्रेट ने ४ इजलासों में १,२७,०००) के जुर्माने किये। स्वामी भद्रानन्द को १८ महीने की सजा मिली। २२ अक्टूबर को एक जय्या अमृतसर से गुह-का-बाग को खाना हुआ। इस जत्थे में १०१ फौजी पेशानयाफता लोग थे, जिनमें से ५५ नान-कमिशनड अफसर थे और बाकी सिपाही थे। ये लोग मारू राजा बजाते खाना हुए। इनके साथ ५०,००० आदमी दर्शक-रूप में थे। पंजाबसाहब के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी गुजरनेवाली थी, जिसमें पीजी कैदी थे। स्टेशन पर कुछ लोग उनके लिए भोजन की सामग्री लिये बैठे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तो वे पटरियों पर लोट गये। रेलगाड़ी सब भी न रोकी गई। फलतः २ आदमी मरे और ११ घायल हुए। कुछ दिनों बाद पीटना बन्द कर दिया गया और गिरफ्तारियाँ आरम्भ हुईं। ज्यों में मुन्बियों को कड़ी सजायें मिलीं। पर अभी इससे भी बुरी घटनायें आने की थीं। जनता के दबाव और ८ मार्च १९२३ के कौंसिल के प्रस्ताव के उत्तर में अकालियों को बोका-बोका करके छोड़ा जाने लगा। १७ अकालियों को रावलपिण्डी में छोड़ा गया, पर उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा गया। बंधु यह बताया गया कि रेलवे स्टेशन से बताये घन्टे से होकर नहीं गये थे। फौजी सिपाही, और गुह-का-बाग—सबने एक साथ मिलकर उन्हें तिवर-तिवर किया। १२८ लोगों को खीन चोटें आईं। ३ मर्दों से रावलपिण्डी ने १०० इजलास मारने

पाराम की। जब पंजाब-कॉन्सिल में इस मामले की जांच करने के लिए एक क्विटी मिशन को
 भेजा गया तो सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने क्विटी को भेजा कि पुरानी क्विटी को
 भेजा देना ही ठीक है। इंडियन-कॉन्सिल की मांगि पुराने जल्मों को दुबारा खोलने का नतीजा ही
 था। गुड-का-बाग-बावट की दुःखदायी घटनाओं की स्मृति को मिशनी जेटी मुक्त किए गए
 गया है। परन्तु अफ़सियों के दुर्दिन अभी पूरे न हुए थे। यद्यपि अब हमें १९१४ को क्विटी
 को मुक्त कराना पड़ेगा, फिर भी अफ़सली-आन्दोलन का वर्णन करी एक तिजनीने में क्विटी
 है। १९२३ के मध्य में महाशया गन्ना ने गरी 'त्याग दी', पर सिगोमिनि-मुद्रण प्रकाश-पत्र
 हमें महाशया को गरी से उठाया जन्म समझ और उन्हें दुबारा गरी पर बिजने के लिए
 काम के जेटी गन्नाक स्थान पर और दूसरी जगहों पर समाप्त आदि करके एक आन्दोलन
 था। जो भाग्य दिने गरी उन्हें राजदोहामक समझ गया और क्विटी को अन्त-पत्र
 में गिरफ़्तार कर लिया गया।

इस प्रकार आन्दोलन के जेटी गन्नाक स्थान पर अन्त-पत्र पत्र के उतर भगाया मुक्त
 और मुक्त समय तक २५-२५ तिजनों के जाने रोज़ जेटी भेजे जाने लगे। बाद को क्विटी
 को अफ़सियों का गरीबी काया भेजा गया। इन्हें क्विटी और आन्दोलन मिशनी इस जेटी
 के अन्त की हैमिशन से गरी। जेटी के निरुद्ध इस जेटी पर गौरी अन्त गरी और मुक्त
 क्विटी और मिशनी दो-दो को गन्ना के अन्त-पत्रों ने गिरफ़्तार कर लिया, क्विटी के अन्त
 मुक्त कर गे थे। मुक्त दिने बाद क्विटी की जो गौरी दिए गए, पर मिशनी उन जेटी के
 जेटी जेटी ही से गरी। गरी की जेटी काया जेटी गरी और गिरफ़्तार की गरी गरी। इन्हें
 जेटी जेटी की मन्ना में जेटी के अन्त गरी। उनके साथ जो अन्त-पत्र दिए गए उनमें
 गरी। अन्त-पत्र मुक्त गरी से अन्त-पत्र मिशनी का अन्त की अन्त-पत्र ने गिरफ़्तार
 अन्त-पत्र के जेटी के अन्त-पत्रों के साथ दिने गरी गुरपराय की जेटी के लिए जेटी
 को जेटी ही अन्त-पत्रों को जेटी अन्त-पत्र भगाया भी ही। बाद को जेटी गुरपराय
 अन्त-पत्र के अन्त-पत्र दिने गरी जेटी जेटी जेटी गरी गरी।

कांग्रेस चौराहे पर—१९२४

जब १९२४ का आरम्भ हुआ तो देश के वातावरण में भारी उदासी फैली हुई थी। गांधीजी की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बावों को ढक दिया था।

१२ जनवरी १९२४ को महात्मा गांधी के 'अपेंडिसाइटिस' रोग से भयंकर रूप में बीमार पड़ने और आधी रात में कर्नल मैडॉक-द्वारा भारी आपरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में चिन्ता उत्पन्न हो गई। पर गांधीजी के स्वस्थ होने लगने और अन्त को ५ फरवरी को उन्हें समय से पहले ही बिना किसी शर्त के छोड़ दिये जाने से वह चिन्ता दूर हो गई।

पर जेल से छूटकर भी उन्हें न शान्ति मिली न विश्रान्ति। कोकनडा-कांग्रेस में जो फूट पैदा हो गई थी वह दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक ओर अपरिवर्तनवादी आशा बर रहे थे कि गांधीजी अब छूट ही गये हैं, इससे कांग्रेस का इंजन फिर सत्याग्रह के पुराने मार्ग पर लौट पड़ेगा। दूसरी ओर परिवर्तनवादियों को चिन्ता भी कि दिल्ली और कोकनडा में प्राप्त हुई विजयों की पक्का करके अपने ऊपर जो कुछ धन्य बाकी रह गया है उसे धो लिया जाय। देश के परस्पर-विकट दृष्टिकोणों और समस्याओं में सामंजस्य स्थापित करने की जी-तोड़ चेष्टा की गई। गांधीजी ने बम्बई के निकट शुद्रु नामक समुद्रतटवर्ती स्थान पर कुछ समय व्यतीत किया। यहाँ पर गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी में कुछ दिनों तक बात-चीत चलती रही, जिससे लोगों को आशा होती रही कि सम-भौता हो जायगा। १९२४ के मई मास में गांधीजी ने वक्तव्य प्रकाशित किया, साथ ही भी दास और नेहरू ने भी एक सम्मिलित वक्तव्य दिया।

परन्तु इन ऐतिहासिक वक्तव्यों को देने से पहले यहाँ यह बताना ठीक होगा कि कौंसिलों में स्वराज्य-पार्टी ने क्या किया और कौंसिलों से भीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रकार अपने अधिकार में कर लिया।

स्वराज्य-पार्टी बनने के बाद देश की विभिन्न कौंसिलों के निर्वाचनों में भाग लिया गया। सभी कौंसिल में ५५ स्वराज्यी पट्टे के जिनमें न्यू इन्डुशालन या और जो अपना कार्यक्रम पूरा करने का प्रयत्न लिये हुए थे। वे राष्ट्रीय दल का सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करके कौंसिल में आत्मानुभूति से बहुमत प्राप्त कर सके। पहली विषय सब हुई जब भी टी० इलाचारी ने शासन-व्यवस्था में उत्कृष्ट परिवर्तन करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया और एडवर्ड मोर्टीमाल नेहरू ने यह संतोषजनक देश किया कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए एक मोडरेट-परिपक्व बुद्धि काय।

सरकार को जो दो बड़े बुरे हार लानी पड़ी, परन्तु इन प्रस्तावों पर उनकी हार विशेष रूप से उत्पन्न योग्य है—पुत्र टर्नर के हारने को होने का प्रस्ताव, १९२८ के रेगुलेशन १ को २८

के साथ-साथ, दक्षिण अफ्रीका में भारत में जाने वाले लोगों पर का लगाने का प्रश्न, इनके साथ-साथ ही अफ्रीका के आराम के साथ कामों के लिए एक कमिटी बनाने का प्रश्न। भारत की पराजय तथा अफ्रीका की विजय भी, जिनका बल था, गण्टीव तथा कभी-कभी नए गठ का महसूस प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था। हम यह इतिहास करने हैं कि स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों में एक ही देश था कि "हमारी भांग जो राष्ट्रीय है, देशों की विचार, स्वतंत्रता का नतीजा का रर करने और एक ही देश गण्टीव अफ्रीका बुलाने की अन्तिम योजना का रर करने और भारत के लिए भारी सामान्य स्वतंत्रता के लिए को।"

स्वतंत्रता में दूसरा काम यह कि 'सर्वोच्च भांगों' की भारत में की समझ कर दिनांक परने कभी न हुआ था, यह तो मानो रगद बन्द करना हुआ। पर संसद में ही नहीं, बल्कि 'मेरे इस प्रश्न का अग्रहयोग की रिपब्लिकरिस्पी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रश्न के अन्तिमों की रिपब्लिकरिस्पी की ओर ध्यान आकर्षित करने का विलकुल वैध और वाजिब उपाय है।" १९२४ की गण्टीव में जो सुझाव हो रहा था उनका विचार पाठकों के आगे पेश करने के लिए अब गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के ये बहस्य देने हैं जो शुरू की कार्रवाई के बाद प्रकाशित किये गये।

गांधीजी का मत

"अपने स्वराज्य मित्रों के साथ कामेसवादियों के द्वारा कौंसिल प्रवेश के जटिल प्रश्न पर बहस करने के बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत न हो सका। X X X के सुझाव पर-आदरणीय और बहुमूल्य नेताओं के विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुन्दर ही हो सकता है। X X X परन्तु ऐसा करने और इच्छा करने पर भी मैं उनके तर्कों को न समझ सका। अब भी यही सम्मति है कि अग्रहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार कौंसिल अग्रहयोग है। हमारा मतभेद 'अग्रहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा तक ही सीमित हो ही भी नहीं है; यह मतभेद तो चिन्तन से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्याओं सम्बन्ध में मतभेद अनिवार्य हो जाता है। उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही बहिष्कार नहीं की जाता या विफलता को जानना होगा, फल सिद्धि के पैमाने से नहीं। मैं इसी दृष्टिकोण से कहूँ कि देश के लिए कौंसिलों से बाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभकारी होगा। परन्तु मैं अपने स्वराज्य मित्रों को अपने दृष्टिकोण पर न ला सका। तथापि मैं यह कहता हूँ कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्सन्देह कौंसिल में है। इसके लिए यही इच्छा भी है।"

"दिल्ली और कोकनाडा-कामेस ने उन कामेसवादियों को इच्छा होने पर कौंसिलों और अग्रहयोग में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोकती हो। इसलिए मेरी राय में स्वराज्य मित्रों में जाने का और अपरिवर्तन-वादियों से तटस्थ रहने की आशा रखने का अचिन्तार स्वतंत्रता के लिए उचित है। जाकर अग्रहयोग-नीति धारण करने का भी हक है; क्योंकि उनकी नीति ही यह थी और मैं उनसे कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं लगाई थी। यदि स्वराज्य मित्रों को चलाता हुई और देश को लाभ पहुंचा, तो मेरे जैसे सहायशील व्यक्तियोंको अपनी भूल अवश्य ही हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा स्वराज्यियों का मोह दूर हो गया, तो मैं जानना हूँ कि देश-भक्त हैं और अवश्य अपना कदम पीछे हटा लेंगे। इसलिए मैं उनके मार्ग में बाधा डालने के काम में शरीक न होऊँगा और न स्वराज्यियों के कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में



ही भाग लूंगा। हा, मैं ऐसे कार्य में स्वयं कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास नहीं है.....)

“कौंसिलों में क्या दख्न अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कौंसिलों में तभी घुनूंगा जब मुझे मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से लाभ उठा सकूँगा। अतएव यदि मैं कौंसिलों में जाऊँगा तो मैं सोलद आने अडगा-नीति का अवलम्बन न करके कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने की चेष्टा करूँगा। मैं उस हालत में प्रस्ताव पेश करके केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों से चाहूँगा कि :—

(१) वे सारे करड़े हाथ के कले और हाथ के जुने खदर के खरीदें।

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुन्नी लगा दें।

(३) शराब आदि की आय को ही रद्द कर दें, और सेना-विभाग के व्यय में, अपेक्षाकृत ही सही, कमी कर दें।

“यदि सरकार कौंसिलों में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर अमल करने से इन्कार कर दे, तो मैं सरकार से कौंसिलों को भग करने के लिए कहूँगा और उन्हीं खास-खास बातों पर फिर निर्वाचकों के वोट हासिल करूँगा। यदि सरकार कौंसिल भंग करने से इन्कार कर दे तो मैं अपनी जगह से हस्तीफा दे दूँगा और देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करूँगा। जब यह अवस्था आ पहुँचे तो स्वराजी मुझे फिर अपने साथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सत्याग्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध में मेरी कसौटी वही पुरानी है।”

स्वराजी-यक्तव्य

देशबन्धु पित्तर्जन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा—

“हमें अफसोस है कि हम गांधीजी को कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों की स्थिति के औचित्य का कायल न कर सकें। हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौंसिल-प्रवेश नागपुर के कांग्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुकूल क्यों नहीं है। परन्तु यदि असहयोग मनोवृत्ति से ही सम्बन्ध रखता हो और हमारे राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक अवस्था से उसका कोई विशेष सम्बन्ध न हो, जब कि हमारे राष्ट्रीय-जीवन की गति-विधि नौकरशाही के हमेशा बदलते रहने वाले रंग दंग पर निर्भर रहती है, तो हम देश के वास्तविक हित के लिए असहयोग तक का बलिदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कारणों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय-जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के मार्ग में बाधा डालनेवाली नौकरशाही का सामना किया जा सके, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है।.....

“हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यक्रम में ‘अडगा’ शब्द का जो व्यवहार किया है सो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारों वाली कौंसिलों में उस अर्थ में अडगा डालना अतम्भव है, क्योंकि मुखार-बातून के अन्तर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार गिने-घुने हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि इमारा विचार अडगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही-द्वारा डाली गई कबाबटों का मुकाबला करने का अधिक है। ‘अडगा’ शब्द का व्यवहार करते समय इमारा मतलब इसी मुद्दाबने से है। हमने स्वराज्य पार्टी के विधि-विधान की भूमिका में असहयोग की परिभाषा करते हुए इस बात को अन्वैही तरह स्पष्ट कर दिया है।

“पर यहाँ भी हम इस बात के व्यर्थ वाद-विवाद का अन्त करना चाहते हैं कि इस नीति को

करने का प्रस्ताव, दक्षिण अफ्रीका से भारत में आने वाले कोयने पर कर लगाने का प्रस्ताव, और सिक्ख-आन्दोलन की अवस्था के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमिटी बैठाने का प्रस्ताव। सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विजय थी, जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कमी-कमी नम दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था। हम यह इसलिए कहते हैं कि स्वराज्य-पार्टी ने अपने कार्यक्रम में रत्न छोड़ा था कि "हमारी मांग सारे राजनैतिक कैदियों की रिहाई, दमनकारी-कानूनों को रद्द करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कन्वेंशन बुलाने की अन्तिम चेतावनी का रूप बरत करे जो भारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था तैयार करे।"

स्वराज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि 'सरकारी मांगों की चार मदों को नामंजूर कर दिया' ऐसा पहले कभी न हुआ था, यह तो मानो रसद बन्द करना हुआ। पर पण्डित मोतीलाल ने कहा कि "मेरे इस प्रस्ताव का असहयोग की विध्वंसकारिणी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव तो देशवासियों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करने का विलकुल वैध और वाजिब उपाय है। १९२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा था उसका चित्र पाठकों के आगे पेश करने के लिए हम अब गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देते हैं जो शुरू की वार्तालाप के बाद प्रसिद्ध किये गये।

गांधीजी का वक्तव्य

"अपने स्वराज्य मित्रों के साथ कांग्रेसवादियों के द्वारा कौंसिल प्रवेश के जटिल प्रश्न पर चिंतन करने के बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत न हो सका। X X देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेताओं के विरोध का विचार करना भी मेरे लिए सुलभ नहीं हो सकता। X X X परन्तु चेष्टा करने और इच्छा रहने पर भी मैं उनके तर्कों को न समझ सका मेरी अब भी यही सम्मति है कि असहयोग के सम्बन्ध में जैसी मेरी धारणा है उसके अनुसार कौंसिल प्रवेश असंगत है। हमारा मतभेद 'असहयोग' शब्द की भिन्न-भिन्न परिभाषा तक ही सीमित हो बात भी नहीं है, यह मतभेद तो चिन्तन-वृत्ति से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महत्वपूर्ण समस्या के सुलभाने में मतभेद अनिवार्य हो जाता है। उस मनोवृत्ति के पैमाने से ही बहिष्कार प्रथी : सफलता या विफलता को जाचना होगा, फल-सिद्धि के पैमाने से नहीं। मैं इसी दृष्टि-कोण से रहा हूँ कि देश के लिए कौंसिलों से बाहर रहना उनके भीतर रहने की अपेक्षा कहीं अधिक लाभदायक होगा। परन्तु मैं अपने स्वराज्य मित्रों को अपने दृष्टिकोण पर न ला सका। तथापि मैं समझता हूँ कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्सन्देह कौंसिल में है हम सबके लिए यही इच्छा भी है।....."

"दिल्ली और कोरूमडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों का इच्छा होने पर कौंसिलों और असेम्बली में जाने का इजाजत दे दी है जिनकी आत्मा उन्हें न रोक्ती हो। इसलिए मेरी राय में स्वराज्य कौंसिलों में जाने का और अपरिवर्तन-वादियों से सटकर रहने की आशा रखने का अधिकार स्पष्ट है। उनको वह जाकर अहिंसा-नीति धारण करने का भी हक है; क्योंकि उनकी नीति ही यह थी और कांग्रेस ने उनके कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्तें नहीं लगाई थीं। यदि स्वराज्य को सफलता हुई और देश को लाभ पहुँचा, तो मेरे जैसे सचपशील व्यक्तियोंको अपनी भूल अवगत मासूम हो जायगी। और यदि अनुभव के द्वारा स्वराज्यों का मोह दूर हो गया, तो मैं जानता हूँ कि वे देश-भक्त हैं और अवश्य अहिंसा कदम पीछे हटा लेंगे। इसलिए मैं उनके मार्ग में बाधा न स्वराज्यों के कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध प्रचार करने में

के कार्य का एक-दूसरे की सहायता करना आवश्यक है जिससे उस बल की, जिस पर हम निर्भर करते हैं, मजबूती आये। इस सम्बन्ध में हम महात्मा गांधी की सत्याग्रह सम्बन्धी सलाह को बिना हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं। हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि ज्यों ही हमें मालूम हो जायगा कि सत्याग्रह के बिना नौकरशाही की स्वार्थ-पूर्ण हठधर्मी का सामना करना असंभव है, हम तत्काल कौंसिलों को छोड़कर देश को-सत्याग्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वयं ही उस समय तक तैयार न कर दिया गया हो तो, उनकी सहायता करेंगे।^१ अब हम बिना किसी हीला-हवाले के उनके पीछे हो लेंगे और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उनके झण्डे के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सकें।

“साथ ही हमें मजदूरों और किसानों का देश-भर में संगठन करके कांग्रेस के काम की पूर्ति करनी चाहिए। मजदूर-समस्या सारे देशों में कठिन समस्या है, पर इस देश में उसकी कठिनता और भी बढ़ गई है। जहां हमें एक इस प्रकार का संगठन करना चाहिए जिसके द्वारा पूंजीपति और जमींदार मजदूरों का शोषण न कर सकें, वहां इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यही संस्थायें बड़ी-चट्टी और गैरवाजिब मार्गों पेश करके अत्याचार के साधन न हो जायें। मजदूरों को सचमुच सरक्षण की आवश्यकता है, पर इसी तरह उद्योग-धनों को भी संरक्षण मिलना आवश्यक है। हमारी संस्था को इन दोनों को एक-शोषण से बचना होगा। ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस का संगठन इस रूप में होना चाहिए कि यह दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। हमारी सम्मति में तो अन्त में दोनों पक्षों के हित और देश के हित समान ही हैं।”

अहमदाबाद में २७, २८ और २९ जून की जो निश्चय किया गया, जुद्ध के बार्तालाप ने उसके लिए पहले से ही मार्ग तैयार कर दिया था। निर्वाचित कांग्रेस-संस्थाओं के सारे सदस्यों के लिए हर महीने २,००० गज अच्छी तरह पेटा और कटा हुआ सूत भेजना लाजिमी कर दिया गया। न भेजने पर उस सदस्य का ध्यान खाली समझने को कहा गया। जिस समय इस विषय पर चर्चा हो रही थी, कुछ सदस्य इस जुमाने वाली बात के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बैठक से उठकर चले गये। यह प्रस्ताव पास हो गया। ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे। पर यह सोचकर कि जो लोग उठकर चले गये थे यदि वे खिलाफ राय देते तो संभव था कि यह गिर जाता, गांधीजी ने जुमाने वाली बात हटा ली और महासमिति ने नागा करनेवालों के खिलाफ आभ्या कार्रवाई करने की विचारिणी की।

विदेशी कपड़े, अदालतों, स्कूल-कालेजों, उपाधियों और कौंसिलों के पांचों प्रकार के (कोफ़नडा के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए) बहिष्कार पर जोर दिया गया और कांग्रेस के मत-दाताओं को खास तौर से हिदायत कर दी गई कि उन लोगों को कांग्रेस की मातृद-संस्थाओं में न चुना जाय जो पांचों प्रकार के बहिष्कार के विरुद्ध में विरक्त न रखते हों और स्वयं भी उस पर अमल न करने हों। सरकार की अफीम-सम्बन्धी नीति की निन्दा की गई और एण्डरस साहब से अनुरोध किया गया कि वह आसामशासकों के अफीम-व्यसन के सम्बन्ध में जांच करें। सिक्की ने जैतों के अनाश्रयक और निर्दयता-पूर्ण गोली-काण्ड के अन्वय पर जो शांतिपूर्ण साहस दिखाया था उसके लिए उन्हें धनार्पण दी गई।

इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोर पैदा किया वह गोपीनाथ साहा-द्वारा आर्नेस्ट डे की हत्या के विचार और मृत व्यक्ति के परिवार के प्रति समवेदन-प्रकाशन के सम्बन्ध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश-प्रेम की बात थी, जिससे प्रेरित होकर अपने हत्या की, हृदय के

“सत्ता और समाज का जो भी मीठा” कहा जा सकता है वह नहीं। हम ही जानें कि देश के साथ क्या कर ही सज्ज हो जाते हैं। हमारे जिब बंद पाएँ तो हमें कश्चि उठक उन कर का मकरो है।

“यह हम हमी मिडान्त और मीठि को मारने रण कर सज्ज मही करेण, मिनर की(मिसे) में और की(मिसे) में बारर पूरा करेगे, बयान करे है।

“की(मिसे) के भीतर हमें निर्भल(मि)ण काम जारी एण्ड ब्यारे :—

१. सज्ज रद करना—अबतक हमारे अधिकायी की मान्यता के रूप में कानून सार के विधान में परिधान न कर दिया जाय, या अबतक पार्लियमेंट और इस देश की जनता के कर में समझौता न हो जाय, तबतक सज्ज रद करे रहना। इस दंग के ध्यानने के अधीन के सम्बन्ध के मन्त्रीय बजट की मुद्द प्वास ग्वास बाँठो का जिद कर देना जारी है। मन्त्रीय बजट के सम्बन्ध में भी यही बात है। १३६ करोड़ में से (रेलवे को छोड़कर) बंगल १६ करोड़ पर राय दी जा सही है और बाकी जिब रकम पर राय नहीं दी जा सही उताँ से ६७ करोड़ बचने सेन पर खर्च दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस देश की जनता बजट के केवल ३ अंश पर राय दे सकती है, और इस सीमित अधिभार को भी रद करने का गवर्नर-जनरल को अधिभार है। वा साफ जाहिर है कि न जनता का बजट बनाने में कोई हाथ है, न बजट बनाने वालों पर कोई अधि-कार। जनता को कर बढ़ाने के संबंध में या उसके खर्च के मामले में कोई अधिभार नहीं है। हम पूछते हैं कि फिर हम किस सिद्धान्त से ऐसा बजट पास करना अपना कर्तव्य समझें और उतारा उत्तरदायित्व धारण कर लें।

२. कानून-सम्बन्धी प्रस्तावों को रद करना—कानून बनाने के संबंध में हमारे प्रस्तावों को जिनके द्वारा नौकरशाही अपनी जड़ मजबूत करना चाहती है, रद करना।

३. रचनात्मक कार्यक्रम—जो प्रस्ताव, योजनाएँ और विद्य हमारे राष्ट्रीय-जीवन की वृद्धि करने के लिए और फलतः नौकरशाही की जड़ उखाड़ने के लिए आवश्यक ही उन सबको पेश करना।

४. आर्थिक नीति—एक ऐसी निश्चित आर्थिक नीति का आलम बन करना जो पूर्वोक्त सिद्धान्तों के ऊपर वय की गई हो और जिसका उद्देश्य भारत से बाहर जाने हुए धन-प्रवाह को रोकना हो। इसके लिए धन-शोधन करने वाले सारे कामों में कड़ाबट करना आवश्यक है।

“इस नीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें प्रांतीय और केन्द्रीय कौंसिलों पर कब्जा कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों। हमें ऐसी सारी प्राप्य जगहों पर से कब्जा करना ही चाहिए, साथ ही हमें हरेक कमिटी में भी जहाँ तक सम्भव हो घुस जाना चाहिए। हम अपनी पार्टी के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें निम्नवण देते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चय शीघ्र-से-शीघ्र कर लें।

“कौंसिलों से बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए—पहली बात यह है कि हमें महात्मा गांधी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस की संस्थाओं के द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। हमारी यह निश्चित राय है कि कौंसिलों के बाहर रचनात्मक कार्य की सहायता के बिना कौंसिलों के भीतर हमारे काम का बल बहुत कम हो जायगा। क्योंकि हमें जिस बल की जरूरत है वह कौंसिलों के भीतर नहीं, बाहर उलारा करना होगा, और उस बल के बिना हमारी कौंसिल-नीति की सफलता असम्भव है। रचना

आचरण की निन्दा करने में कोई कसर न रखेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई, जिसके संयोजक श्रीर अण्णय्य गांधीजी हुए और इनीम अजमलखाना, लाला लाजपतराय, के० एफ० नरीमान, डा० एस० के० दन और लायलपुर के मास्टर सुन्दरसिंह सदस्य हुए। परिषद् ने धार्मिक सिद्धांतों को मानने, धार्मिक विचारों को प्रकट करने और धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने, धर्मस्थानों की पवित्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने के सम्बन्ध में सबका एक-समान अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्यादाओं का भी निदर्शन किया। अखबारों को चेतावनी दी कि वे सांप्रदायिक मामलों में समझबूझ कर लिखा करें और जनता से अनुरोध किया गया कि गांधीजी के उपवास के अंतिम सप्ताह में देशभर में प्रार्थना की जाय। ८ अक्टूबर जन-सभाओं द्वारा ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए नियत किया गया।

अभी गांधीजी ने अपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१ और २२ नवम्बर को सर्वदल-सम्मेलन में और उसके बाद ही और उसी के सिलसिले में २३, २४ को महा-समिति की बैठक में शरीक होना पड़ा। सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश्य यह था कि बंगाल में सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था। यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और वारकेस्वर में सत्याग्रह करनेवाले कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आरम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना था। परिषद् ने बंगाल-सरकार-द्वारा जारी किये गये क्रिमिनल-ला-अग्नेइडेमेण्ट-आर्डिनेन्स के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगुलेशन ३ को रद्द करने पर जोर दिया। सर्वदल सम्मेलन ने बंगाल की अशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया और एक कमिटी नियुक्त की, जिसके सुपुर्द स्वराज्य की योजना और साम्प्रदायिक समझौता तैयार करने का काम किया गया। इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रखा गया ३१ मार्च १९२४ तक रिपोर्ट मांगी गई। परिषद् के द्वारा कुछ विशेष काम होने की आशा न थी। पर इससे सम्भवतः देशबन्धु चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी टल गई। उस वार्ग की मुख्य घटना थी गांधीजी का देशबन्धु और नेहरूजी के आगे बहिष्कार के मामले में झुक जाना। इन तीनों प्रमुख व्यक्तियों ने एक सम्मिलित बक्तव्य प्रकाशित किया और उसे महासमिति ने मान लिया। इस बक्तव्य का सारांश यह था कि सारी पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अमहयोग को राष्ट्रीय कार्य-क्रम के रूप में स्थापित किया जावा है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी नीति रहेगी। यह भी कहा गया कि अन्य दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में रचनात्मक-कार्य करें, और स्वराज्य-पार्टी कॉंसिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह वचन कराया कि कांग्रेस-सदस्यों के द्वारा १) साल के बजाय २००० गज हाथ का कता सूत प्रति भाग दिया जाय।

बेलगांव-कांग्रेस

असहयोग के इतिहास में बेलगांव-कांग्रेस खास महत्व रखती है। गांधीवाद के विरुद्ध जो विद्रोह उठा था वह करीब-करीब अन्तिम सीमा तक पहुंच चुका था। कांग्रेस अब ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहां से दो मार्ग दो और को जाते थे। कांग्रेस-वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में बंट जाना चाहिए या समझौता करके अपने भेद-भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समझौते की बात ठीक हो तो इस जटिल काम को गांधीजी के सिवा और कौन हाथ में ले ! केवल गांधीजी ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का कार्य-क्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन-वादियों को शांत कर सकते थे और कॉंसिल-प्रवेश का सामना करके भी स्वराजियों को सन्तुष्ट रख सकते थे। यदि किसी महती योजना के आरम्भ करने के लिए महान् व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उसे बन्द करने में भी महान् व्यक्ति ही

साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे पथ-भ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस ओर स्वीकार की सारी राजनैतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में धिक्कारा और अपनी सभ्य प्रकृति की कि इस प्रकार के क्रूर कार्यो का अहिंसा की नीति के विरुद्ध है, स्वराज्य के मार्ग में रुकावट डालते हैं और सत्याग्रह की तैयारी में बाधक बनते हैं। इस प्रस्ताव पर गूब गान्धुद हुआ। यह बात खिन्नी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशबन्धु को पसन्द न आया। इसलिए नहीं कि यह अहिंसा के कायल थे, बल्कि इसलिए कि वह प्रस्ताव के भिन्न-भिन्न अर्थों के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे। गांधीजी को यह देखकर बड़ा ही सन्तोष हुआ कि उनके कुछ निकटस्थ और अभिन्न-हृदय अनुयायियों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध राय दी। इसी प्रसंग को लेकर उनकी आँखों में आँसू आ गये। ऐसे अवसर उनके जीवन में अधिक नहीं आये हैं। वातावरण में तीव्रता इसलिए और भी उत्पन्न हो गई थी कि दीनाजपुर (बंगाल) की प्रांतीय-परिषद् में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास हो चुका था, जिसमें गोपीनाथ साहा के स्वार्थ-त्याग और बलिदान की सराहना की गई थी और उसकी देशभक्ति के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था।

स्वराज्यी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके और उन्हें अपनी कठोर परिश्रम से प्राप्त की सफलता को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर तक रुकना पड़ा। जहाँ तक अग्र-वर्तनवादियों का सम्बन्ध था, सुतवाला शर्त को उन्होंने आश्चर्यजनक रीति से पूरा किया। अगस्त में २७८० सदस्य थे, सितम्बर में ६३०१ हुए, अक्टूबर में ७७४१ और नवम्बर में ७६०५ हो गये।

परन्तु उस वर्ष की सबसे बुरी बात थी जगह-जगह साम्प्रदायिक दंगों का होना, खासकर दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाहजहापुर, इलाहाबाद और जबलपुर में। सबसे अधिक भयकर दंगा कोहाट में हुआ। कोहाट के दंगे ने तो भारतवर्ष की कमर तोड़ दी। दंगों के कारणों और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गांधीजी और मौ० शौकतअली की एक कमिटी नियुक्त की गई। दोनों ने रिपोर्ट पेश की, पर दुर्भाग्य से दोनों का इस विषय में मत-भेद था कि दंगों की जिम्मेदारी किस पर है। १६२४ की ६ और १० सितम्बर की घटनाओं को बीते आज दस वर्ष से भी अधिक हुए, पर दंगे के फौरन बाद ही कोहाट के भ्रातृस्कूल के हेडमास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी और जिसे कोहाट-दंगा-पीड़ित-सहायक समिति ने प्रकाशित किया, उसे पढ़ने पर तो अब भी शरीर में रोमांच हो आता है। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकते कि ६ और १० सितम्बर के गोलीकाण्ड और कल्लेग्राम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को सवार करा कर ले गई। इनमें से २६०० दो महीने बाद तक रावलपिण्डों की जनता की और १४०० अन्य स्थानों की जनता की दान-शीलता पर जीते रहे।

ऐसी दशा में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं जो गांधीजी ने २१ दिन के उपवास का व्रत लिया। इस क्रोधोन्माद और हत्या-प्रवृत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अपने-आपको टहराया और उपवास के द्वारा प्रायश्चित्त करने का निश्चय किया। अभी अपेण्डिसाइटिस के भयंकर और लगभग संक्रा-विक प्रकोप से उठे उन्हें अधिक दिन नहीं हुए थे। अतः यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा थी। गांधीजी ने व्रत मौलाना मुदम्मरअली के मकान पर आरम्भ किया, पर बाद को उन्हें शहर के बाहर एक मकान में ले जाया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर सारी जगहियों के नेताओं को एकत्र किया गया। कलकत्ते के बड़े पादरी भी शरीर हुए। यह एकठा-परिषद् २६ सितम्बर से २ अक्टूबर तक १६२४ तक होती रही। परिषद् के सदस्यों ने प्रतिज्ञा की 'वे धर्म और' की संत-पिता के सिद्धांत का पालन कराने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न

का आश्वासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न भिन्न सत्याग्रहों को धार्मिक स्वतन्त्रता, देशी-भाषाओं-द्वारा संस्कारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा मानना ।

पूर्ण स्वायत्त के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ । अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सीम्य हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जहाँ तक सरकार के रंग-रंग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड़ गया था । उन्होंने कहा—“मैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूंगा, पर यदि स्वयं ब्रिटेन के दोष से ही उससे सारे जाते बोकना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में सकोच नहीं करूंगा ।” इसके बाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्यक्रम का जिक्र किया और बंगाल की अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके भाषण समाप्त किया । बंगाल में लॉर्ड रोडिंग ने १९२४ का ब्राड्विनेन्स न० १ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन लोगों को, जिन पर स्थानिक सरकार-द्वारा क्रांतिकारी दल से सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता हो, गिरफ्तार किया जा सकता था और रेशल कमिश्नरों की अदालतों में उनके मामले का सरसरी में फैसला किया जा सकता था । गांधीजी ने इस बात को माना कि यह सब कुछ स्वराजियों के विरुद्ध किया जा रहा है ।

कांग्रेस ने बी अम्मा, मर ए० चौधरी, सर आशुतोष मुखर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, डा० मुन्नहण ऐयर, ए० जी० एम० भुष्मी और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया । नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समझौते को पास किया था उसे सही किया गया । कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया । हिन्दुओं के कोहाट स्याग पर खेद प्रकट किया गया । कोहाट के मुसलमानों को मलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनका जान माल के सबंध में आश्वासन दें, साथ ही हिन्दू महाजतीन को सलाह दी गई कि जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलायें तबतक वे वापस न जाय । इसी तरह गुलबर्गा के पीकियों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई । अस्पृश्यता और वायकॉम सत्याग्रह के सबंध में उचित कार्रवाई की गई । वैयक्तिक राश्ट्र-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया । अकाली-दल, मदिरा और अफीम का सम्बन्ध में भी विचार हुआ और कांग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलियाँ की गईं ।

प्रवासी-भारतवासियों के लिए भी वक्रे, प० बनारसोदास चतुर्वेदी और भीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओं की सराहना की गई । सरकार भी चुनचाप नहीं बैठी थी । वह भी बेनिया के मामले में काफ़ी ओर की लड़ाई लड़ रही थी । भारत-सरकार ने “भारत-मन्त्री को चैतावनी दी कि यदि निश्चय बेनिया प्रवासियों के विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य से पृथक् होने और उपनिवेशों के विरुद्ध बढ़ने की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा ।” यह भी याद रखने की बात है कि १९२३ में जो साम्राज्य-परिषद् हुई थी, जिसमें भारत की ओर से सर तेजबहादुर सप्पू और महापद्म अलवर गये थे, उसमें उपनिवेशों में भारतीयों का बराबरी का दर्जा स्वीकार करने वाले १९२१ के प्रस्ताव की तो पुष्टि की ही गई, साथ ही भारत-सरकार से एक ऐसी समिति भी नियुक्त करने को कहा गया जिससे भिन्न-भिन्न उपनिवेश मशरफ किया करें । इस निधय में दक्षिण अफ्रीका शरीक नहीं हुआ । इस उपनिवेश-समिति में मि० होप सिंगलन, भीमान् आगाला, सर बेन्जमिन सवर्टनन, दीवानरहादुर टी० रंगानारी और भी के० सी० राय नियुक्त किये गये और इसी बैठक १९२४ के प्रारम्भ में हुई और चुनार के अन्त में भग हुई । इनमें बेनिया, किरी और टांगानिका के प्रवासी भारतीयों की शिकायतों के सम्बन्ध में

समर्थ हो सकता है। इसलिए यह समय के अनुकूल ही हुआ कि १९२४ की कांग्रेस के समर्थित गांधीजी हुए। उन्होंने अपना अद्भुत भाषण पेश किया। पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुनाया गया। इस भाषण में उन्होंने १९२० से उस समय तक की घटनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का विकास होता रहा है। सब तरह के बहिष्कारों को भिन्न-भिन्न दलों ने अपनाया। जैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन संस्थाओं का बहिष्कार किया गया उनका रोष बहुत-कुछ कम हो गया। सबसे बड़ा बहिष्कार हिंसा का बहिष्कार था। पर अहिंसा ने असहायवस्था की निष्कपता को झोड़कर अभी साधन-सम्पन्न और परिष्कृत रूप धारण नहीं किया था। जिन्होंने असहयोग में साधन नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की खिपी हुई हिंसा से काम लिया गया। पर अहिंसा जैसी कुछ भी थी, उसने हिंसा को दबाये रखा। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि किसी आदर्श के लिए वह सहने की क्षमता उस आदर्श की पूर्ति में अत्यन्त सहायक होगी। पर 'ठहरो' कहने का भी समय आया और जिन्होंने असहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग परचात्ताप भी करने लगे। फलतः उस प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और केवल एक बहिष्कार—विदेशी कपड़ों का—रह गया। उस प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवल अधिकार ही था, बल्कि कर्तव्य भी था। विदेशी कपड़े का बहिष्कार वैसा ही आवश्यक है जैसा विदेशी पानी या गेहूँ या चावल का बहिष्कार करना। इसमें सन्देह नहीं कि बहिष्कार एक प्रकार दबाव डालना है, पर यह दबाव क्रोध से नहीं, सिद्धांत प्रेरित होकर डाला जाता है। सत्ताशायर का व्यापार अनैतिक था, क्योंकि वह भारत के लाखों किसानों को बर्बाद करके बड़ा और कायम रहा। एक प्रकार अनैतिक आचरण ने दूसरे प्रकार के अनैतिक आचरण को जन्म दिया और जिन्हे के अनेक अनैतिक आचरणों की जड़ में यह अनैतिक व्यापार छिपा हुआ था। फलतः हमें हाथ से काटने और हाथ से लुनने का काम अपनाना पड़ा, उसके द्वारा हम किसानों के संसर्ग में आये। पर गांधीजी के कहने का यह मतलब न था कि सब प्रकार का अंग्रेजी माल हमारे लिए हानिकर है; परन्तु कपड़ा चाहे अंग्रेजी हो, चाहे और किसी लायक का हो, हमारे लिए हानिकर सिद्ध होगा। यन्त्रों के सम्बन्ध में उनके विचार जो उन सबको अपनाने के लिए वह जनता से नहीं कह रहे थे। अहिंसा के सम्बन्ध में भी, तथा यही मत था। परन्तु अकेले धौल-धन्धे ने ही जिन हजारों आदर्शियों के दरवाजे से ख-चैन को दूर कर रखा था उनके विनाश से उनका जी बहुत दुःखी था। उनके और राजियों के मतभेदों में समझौता हो गया था। स्वराजी सूत कात कर देने को राजी हो गये और गांधीजी ने उनके कौंसिलों में काम करने पर आपत्ति नहीं की। उन्होंने कोहाट के दिने पर सन्तान उठ किया, अकालियों के साथ सहानुभूति प्रकट की, अस्पृश्यता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और स्वराज्य-योजना का जिक्र किया। यह तो लक्ष्य है, पर हम इसे नहीं जानते। चरला, दू-मुर्खलम ऐक्य और अस्पृश्यता-निवारण ये साधन हैं। "मेरे लिए तो साधनों का जानना ही ही है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन और साध्य पर्यायवाची शब्द हैं।" इस प्रकार भूमिका देने के बाद गांधी जी ने स्वराज्य की योजना के सम्बन्ध में कुछ बातें बताईं।

मताधिकार के लिए शारीरिक परिभ्रम की शर्त, सैनिक व्यय में कमी, सला न्याय, मादक-पदार्थ और उससे आने वाली चुन्नी का अन्त, सिविल और सैनिक नौकरियों के वेतनों में कमी, प्रांतीय भाषा की दृष्टि से पुनर्निर्माण, इस देश में विदेशियों के हजारों (मोनोपली) को नये विदे से जांच-पड़ताल, भारतीय नरेशों को उनकी पद-मर्यादा की गारण्टी और केन्द्रीय सरकार-द्वारा स्वतन्त्र न पड़ने

का आश्वासन, तानाशाही का अन्त, नौकरियों में जाति-भेद का अन्त, भिन्न भिन्न सत्ताओं को धार्मिक स्वतन्त्रता, देशी-मापायनों-द्वारा सरकारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा मानना ।

पूर्ण स्वराज्य के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान आकर्षित हुआ । अहमदाबाद के बाद से उनके विचार सीम हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु अब जहाँ तक सरकार के रंग-रंग और स्थिति का सम्बन्ध था, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड़ गया था । उन्होंने कहा—“मैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेष्टा करूँगा, पर यदि स्वयं ब्रिटेन के दोष से ही उससे सारे नाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में सकोच नहीं करूँगा ।” इसके बाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-कम का जिक्र किया और बंगाल की अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के बाद अहिंसा में अपनी आस्था प्रकट करके भाषण समाप्त किया । बंगाल में लॉर्ड रीडिंग ने १९२४ का आर्डिनेन्स नं० १ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा उन लोगों को, जिन पर स्थानिक सरकार-द्वारा प्रातिकारी दल से सम्बन्ध रखने का संदेह किया जाता हो, गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल कमिश्नों की अदालतों में उनके मामले का सरसरी में फैसला किया जा सकता था । गांधीजी ने इस बात को माना कि यह सब कुछ स्वराजियों के विरुद्ध किया जा रहा है ।

कांग्रेस ने श्री अम्मा, सर ए० चौधरी, सर आशुतोष मुखर्जी, भूपेन्द्रनाथ वसु, डा० मुन्नङ्गय पेयर, ए० जी० एम० भुषी और अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया । नवम्बर में महासमिति ने गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समझौते को पास किया था उसे सही किया गया । कांग्रेस-मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया । हिन्दुओं के कोहाट त्याग पर सैद प्रकट किया गया । कोहाट के मुसलमानों को सलाह दी गई कि वे हिन्दुओं को उनका जान-माल के सबंध में आश्वासन दें, साथ ही हिंदू मुहाजरीन को सलाह दी गई कि जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलावें तबतक वे वापस न जाय । इसी तरह गुलबर्गा के पीढ़ियों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई । अस्पृश्यता और धायकोम-सत्याग्रह के सबंध में उचित कार्रवाई की गई । वैयक्तिक राहू-सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया । अकाली-दल, मदिरा और अफीम के सम्बन्ध में भी विचार हुआ और कांग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तब्दीलियाँ की गईं ।

प्रवासी-भारतवासियों के लिए भी वक्रे, पं० बनारसोदास चतुर्वेदी और भीमती सरोजिनी नायडू की सेवाओं की सरहना की गई । सरकार भी चुपचाप नहीं बैठी थी । वह भी केनिया के मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी । भारत-सरकार ने “भारत-मन्त्री को चेतावनी दी कि यदि निश्चय केनिया-प्रवासियों के विरुद्ध गया तो भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य से पृथक् होने की ओर उपनिवेशों के विरुद्ध बढ़ने की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का आन्दोलन आरम्भ हो जायगा ।” यह भी याद रखने की बात है कि १९२३ में जो साम्राज्य-परिषद् हुई थी, जिसमें भारत की ओर से सर तेजबहादुर सप्रू और महाराजा अलवर गये थे, उसमें उपनिवेशों में भारतीयों का वापसी का दर्जा स्वीकार करने वाले १९२१ के प्रस्ताव की तो पुष्टि की ही गई, साथ ही भारत-सरकार से एक ऐसी समिति भी नियुक्त करने को कहा गया जिससे भिन्न-भिन्न उपनिवेश महशुस किया करें । इस निश्चय में दक्षिण अफ्रीका शरीक नहीं हुआ । इस उपनिवेश-समिति में मि० होव सिगमन, भीमान् आगाखा, सर वेन्जमिन रबर्टसन, दीवानबहादुर टी० रमाचारी और श्री के० सी० राय नियुक्त किये गये और इकती बैठक १९२४ के आरम्भ में हुई और जुलाई के अन्त में भंग हुई । इसमें केनिया, फिजी और टांगानिका के प्रवासी भारतीयों की शिकायतों के सम्बन्ध में

भी चर्चा की गई। अगस्त १९२४ में उपनिवेश-मंत्री मि० थामस ने निश्चय किया कि पुर्तगाल देशों से आकर बसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स बनाया गया था वह कानून में न लाया जाना चाहिए, परन्तु हाइलेण्ड्स और मताधिकार के सम्बन्ध में जो निश्चय है वह कालोकायम रहेगा। यह भी निश्चय किया गया कि जो भारतवासी दक्षिण-अफ्रीका में जाकर बसना चाहें वे निचली भूमि पर जाकर बस सकते हैं और उसपर खेती कर सकते हैं। १९२४ जून में सम्राट् की सरकार ने एक ईस्ट अफ्रीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयरमैन लार्ड साउथवोरो थे। इसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रखना जा सकता था। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-परिया-विल' अपने आप ही रद्द हो गया। साथ ही 'नेटाल बरोज आर्डिनेन्स' पास हो गया, जिसके अनुसार और अधिक भारतीय नागरिक या रूस न हो सकते थे।

हिस्सा या साभा ?—१९२५

१९२५ की राजनीति मुख्यतः कौंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही। अब स्वराजियों को अपरिवर्तनवादियों की तरफ से परेशानी न रही। क्योंकि गांधीजी दोनों दलों को एक तराजू पर रखने को भोजूद थे ही। मध्यप्रदेश और बंगाल में द्वेषशासन का अन्त हो गया था। लॉर्ड लिटन के निमंत्रण पर देशबन्धु दास ने बंगाल में मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया और न दूसरों को ही बनाने दिया। वह इसी प्रकार के विध्वंस की बात सोचते आ रहे थे। जय लॉर्ड रीडिंग का १९२४ का नं० १ आर्डिनेन्स समाप्त हुआ तो बंगाल कौंसिल में एक बिल पेश किया गया, जिसे स्वराजियों ने और स्वराजियों के प्रभाव ने १९२५ की जनवरी में रद्द कर दिया। लॉर्ड लिटन ने उसे सही कर दिया और लन्दन सम्राट् सरकार की मजूरी के लिए भेजा। १७ फरवरी को बंगाल-कौंसिल ने प्रस्ताव पास करके बजट में भगियों के वेतन की गुंजायश रखने की सिफारिश की। स्वराजियों को हारना पड़ा। पर उन्होंने शीघ्र ही इस चलि को पूरा कर लिया। २३ मार्च को बजट पर बहस के दौरान में मंत्रियों के वेतन ६६ रायों से रद्द कर दिये गये। पक्ष में ६३ रायें थीं। इधर बंगाल असहयोग के इस निश्चित मार्ग पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराज्य-पार्टी को मन्त्रित्व ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, जिसे वह भीतर से विध्वंस कर सके? बड़ी कौंसिल में स्वराज्य पार्टी १९२४ और १९२५ में विरोधी दल का काम करती रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट कमिटीयों में भाग लिया और साम्प्रदायिक कानून पास करने में सहयोग दिया। कभी किसी पार्टी का साथ दिया, कभी किसी का, और यदाकदा सरकार का भी।

जब भी सी० दौगस्वामी आयरंगर ने बंगाल-आर्डिनेन्स को एक कानून के द्वारा रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४५ रायें आईं। १९२५ की ३ फरवरी को श्री विठ्ठलभाई पटेल ने १८५० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के अत्याचारों का कानून और १९२१ का राजद्रोही समाबन्धी कानून रद्द करने के लिए बिल पेश किया तो सीमान्तवाले कानून के सिवा बाकी हिस्सा पास हो गया।

भीयुक्त नियोगी ने अपना बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का संशोधन करके किसी जाति-विशेष के लिए दन्धे रिजर्व करने की प्रथा को मिटा देना चाहते थे। यह बिल नामंजूर हुआ। डा० गौड़ ने बिल पेश किया कि लन्दन की प्रिन्सिपल कौंसिल में अग्रिले न भेजी जाय करे, पर वह रद्द होगया और स्वराजियों ने उसमें सरकार का साथ दिया। बेंकटपति राजू का यह प्रस्ताव कि देश में तत्काल सैनिक-विधालय कायम किया जाय, पास होगया और सरकार को हार खानी पड़ी। २५ फरवरी १९२५ को रेलवे-बजट की बहस में स्वराजियों और स्वतन्त्र-दल वालों ने सरकारी मदद्यों का मुद्दा-

प्रस्ताव ६६ रायों से रद्द हो गया। पत्र में वेंपल ४१ रायें आईं। इस प्रकार बजट और उसकी मर्तों पर उनके गुण्य दोनों के अनुसार ही विचार किया गया। आरम्भ में लगातार और एकसा अग्रण डालने का जो गकलर किया गया था, उसमें वही काम न लिया गया। पण्डित मोतीलाल का कार्य-वारिणी के सदस्यों का सकार-गर्न पत्राने का प्रस्ताव ६५:२८ से वाग हो गया। कोहट का दंग, रोना में भारतीयों का अभाव, मुश्मीमैन-कमिटी की रिपोर्ट, गोलमेज-परिषद्, दमन आदि सब लिये गये थे। जब असेम्बली में ऐसा बिल पेश किया गया जिनके अनुसार बंगाल-क्रिमिनल लाई असेम्बलेंट एक्ट के मातहत मामलों की अपील हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बड़ी विचित्र अवस्था हुई। बिल में तीन अन्य धारयें ऐसी थीं जिनके द्वारा अदालत में हाजिर होने के हुक्मनामे को रद्द किया और अभियुक्तों को बंगाल से बाहर नजरबन्द रखना जा सकता था। स्वतन्त्र दलवाले और स्वयंजी बिल के पहले भाग का तो अनुमोदन करना चाहते थे और बाकी तीन भागों को रद्द करना। सरकार की दृष्टि से बिल इस प्रकार बिलकुल अधूरा रह जाता। फलतः जब उसे राग्य-परिषद् ने पास कर दिया तो लॉर्ड रीडिंग ने उस पर सही कर दी।

इस समय तक देशबन्धुदास ने कांग्रेस में अपने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर लिया था। इसके अतिरिक्त बेलगाव-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशबन्धु दास अपनी सारी सम्पत्ति देश के अर्पण कर दी है, जिसका उपयोग परोपकार में किया जायगा। इस बात से देशबन्धु दास जनता की निगाह में बहुत ऊंचे उठ गये। हर्षर डॉ० बेसेण्ट के नेशनल कन्वेंशन ने 'कामनवैल्य आफ इण्डिया बिल' का मसविदा भी प्रकाशित कर दिया था। एक्ट-परिषद् साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाने के लिए जो कमिटी नियुक्त की थी वह अलग भाथा पन्नों का भी थी। लाला लाजपतराय ने हिन्दू महासभा की ओर से २५ फरवरी को एक प्रश्नावलि प्रकाशित की। मत नवम्बर में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था, उसके द्वारा नियुक्त की गई उपसमिति की र्वि स्वराज्य योजना तैयार न कर सकी और अन्त को मार्च में अनिश्चित समय के लिए स्थगित हुई। १९२५ के मार्च और अप्रैल में गांधीजी ने दक्षिण-भारत और केरल में दौग किया। वाप-सत्याग्रह जोरों पर था। गांधीजी की उपस्थिति ने समझौता होने में मदद दी। कुछ सातकों पर से होकर अस्पृश्य न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कड़ाई को दूर करने के लिए म्म किया गया था। त्रावणकोर-सरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के लिए कुछ बाड़े बनाये और सिपाही तैनात कर दिये थे। त्रावणकोर सरकार को यह बात सुभाई गई कि उसके इश से वह जनता में यह धारणा उत्पन्न कर देगी कि वह त्रावणकोर के हिन्दुओं की सकीर्णता का शारीरिक-बल-द्राय समर्थन कर रही है। जब सरकार ने बाड़े और सिपाही हटा लिये तो सत्या-गों का शत्रु केवल लोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया।

दक्षिण से गांधीजी बंगाल जानेवाले थे। दास बाबू अस्वस्थ होने लगे थे। उन्हें शाम को आरुने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था। इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्रबन्ध किया था। साथ ही यह आशा थी कि वह ब्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकेंगे। यह 'सप-की मनोवृत्ति उन सारे कार्यकर्ताओं में मिलती है जिन्होंने बड़े-बड़े आन्दोलनों का सङ्गठन है। जब १९१७ में मि० मास्टेगु ने भारत का दौरा किया था तो भीमवी बेसेण्ट पर भी इस की मनोवृत्ति ने अधिकार कर लिया था।

कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कही सो इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर। गांधीजी का विश्वास था कि वर्तमान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्तन होगया है। उन्होंने 'स्टेट्समैन' के प्रतिनिधि से कहा—“मैं हृदय परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल-जोल के चिह्न मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। सत्ता सत्ता से थक गया है और उसमें मुझे सर्जन और सन्नतन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।” दास बाबू ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को संबोधन करते हुए कहा—“श्राव आष ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-प्रद हो।” इन दिनों गांधीजी ने दास बाबू को अपना 'एटर्नी' कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कॉंसिलों में कांग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते थे। उनकी अपने-आपको भुला देने की चमत्ता अद्भुत थी और कभी-कभी उनके पुराने अनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर धैर्य भंग करने वाली अवश्य सिद्ध होती थी।

इस अवसर पर लॉर्ड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैण्ड गये थे। लॉर्ड बर्कनेहेड ने स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विश्वास के बजाय सहयोग करें। इन दोनों बातों ने मिलकर दास बाबू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा कर्नल वेजवुड और मि० रेमेजे मैकदानल्ड भारत में समझौता कराने की चेष्टा कर रहे थे। गांधीजी ने दास बाबू की मृत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दासबाबू को लॉर्ड बर्कनेहेड में बड़ी आस्था थी और उन्हें विश्वास था कि बर्कनेहेड भारत के लिए बहुत-कुछ करेंगे।

देशबन्धु दास ने पण्डित मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे पण्डितजी देशबन्धु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा—“हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाशुक घड़ी आ रही है। इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तियाँ काम में लग जायगी। इधर हम दोनों बीमार पड़े हैं। ईश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।” इसके कुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशबन्धु को स्वर्ग में बुला लिया। १६ जून १९२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास हुआ। दास बाबू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गद्गद् होकर कहा था—“उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आंसू बहाना बका आसान है। परन्तु आंसुओं से हमें या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब जो अपने-आपको भारतीय करते हैं, संकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशबन्धु जिये और जिस काम में वह निमग्न रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम सचमुच उनके स्मरण के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशवान् है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। जिस शरीर में देशबन्धु दास की आत्मा का निवास था वह नष्ट हो गया। पर उनकी आत्मा का नाश कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्यों, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है और इतना त्याग किया है, अमर रहेगा और जो कोई बूढ़ा या जवान उनका जग भी अनुकरण करेगा वह उनकी स्मृति को अमर बनाने में सहायक होगा। हम सबमें उनके जैसी बुद्धि नहीं है, पर वह जिस उल्हास के साथ अपनी मानुषीयता को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।” यदि जय सरकारी राय का उद्धरण भी देना चाहिए—“भी दास में अपने प्रतिद्वन्द्वी की दुर्बलताओं को अच्छे रूप से निगलने की जन्म-जन्त शक्ति थी। वह अपनी चोकराओं की पूजा करने में लौह-सह्य के काम लेते थे। जिसके कारण उनका अज्ञान होने से होता था। उन्होंने मेरी राय का

सन् १९१६ ई. में १२ हीरोसो १ नष्ट हो बनकर ४२ गाँव बने । इनका नाम बन्दूक और तुलसी था । उनके मुख्य लोगों का अनुमान ही विचार किया गया । काकाजी से काकाजी की मदद से काकाजी का जो सहायक किया गया था, उनमें श्री काम जलिया गया । देहरा दोराना का बागेली व सरासे का नाम सर्व धारणीका । प्रथम १५:२५ में जंग होकर । कोट का सेठ भी भागीरथी का आग्रह, मुदीदीन कर्मवीर को निर्दोष, मोलदेवसर्वदार, दाम काँवर माली से । जब काकाजी से ऐसा विम वेदा किया गया तबके अनुमान बंगाल विद्रोह का प्रवेश करने के कारण काकाजी की शील हार्डकोट में की जगहों की, हो करों विविध काकाजी विल में हीन अन्य भागों की भी तबके द्वारा आरक्षण से हार्डकोट होने के मुख्यदम को र । श्री काकाजी की बहाल से कहर मजबूत बनकर आ गयी था । बरतन बनाने और सा विल के परने भाग का तो काकाजीदम बनकर आये थे । श्री काकी हीन भागों को र का सरकार की दृष्टि से विल इनका बर विरुद्ध काकाजी वर बला । बला, अब उगे राज्य-निर्दम के कर दिया तो उन्हें हीरोसो में उग पर गयी करी ।

इन समय एक देशबन्धुदास ने कथित से आने भिर एक मौलाना रथन देकर का था । इसके अतिरिक्त बंगाल काकाजी के अग्रसर पर एक समाचार प्रकाशित हुआ कि देशबन्धु ने काकाजी की शक्ति देश के सर्वत्र कर दी है, प्रिन्स उद्योग पोखरा से किया काकाजी । बात से देशबन्धु दास जनता की निगाह में बहुत ऊँचे उठ गये । इस डॉ० केनेट के नेटनम बंगाल ने 'कामनीरथ काका हीरोसो विल' का मण्डिर भी प्रकाशित कर दिया था । एककाजी ने साम्प्रदायिक समस्या को मुसलमानों के लिए जो कर्मवीर निकुत की भी यह अलग माया बनने रही थी । साला साकाकाजी ने हिन्दू मराठा की ओर से २५ करणों को एक मण्डिरल प्रकाश की । मत नगर में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुआ था, उनके द्वारा नियुक्त की गई उद्योगिक अन्धी समाज योजना तैयार न कर सकी और अन्त की मार्च में अतिरिक्त समय के लिए ली रोमर । १९२५ के मार्च और अप्रैल में गांधीजी ने दक्षिण-भारत और बंगाल में दौड़ा किया । वा कोम-समाजद जोसें पर था । गांधीजी की उद्योगिक ने समझौता होने में मदद दी । कुछ का सफाई पर से होकर अस्थिर न गुजर पाते थे । यह आन्दोलन इस कर्करों को दूर जाने के लिए आरम्भ किया गया था । प्रायणकोर-सरकार ने सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के लिए कुछ बाँके क दिये थे और विवादी वैनात कर दिये थे । प्रायणकोर सरकार को यह बात सुमर गई कि उनके रथों से यह जनता में यह धारणा उत्पन्न कर देगी कि यह प्रायणकोर के हिन्दुओं की सजीवता अपने शारीरिक-बल-द्राव समर्पण कर रही है । जब सरकार ने बाँके और सिगाही रथ लिये तो गाँवों का शत्रु केवल लोकमत रह गया और सत्याग्रह का कारण उस समय के लिए हट गया ।

दक्षिण से गांधीजी बंगाल जानेवाले थे । दास बाबू अखिल होने लगे थे । उन्हें ज्वर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण हो रहा था । इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्र गया था । साथ ही यह आशा भी कि वह ब्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकें लता की मनोवृत्ति उन सारे कार्यकर्ताओं में मिलती है जिन्होंने बड़े-बड़े आन्दोल किया है । जब १९१७ में मि० मापेटेगु ने भारत का दौड़ा किया था तो भीमती के प्रकार की मनोवृत्ति ने अधिकार कर लिया था ।

देशबन्धु की मृत्यु और उसके बाद फरीदपुर की बंगाल-प्रान्तीय-परिषद् के अग्रसर परं यही स्थिति थी

कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कही सो इसी मनोवृत्ति से प्रेरित होकर। गांधीजी का विश्वास था कि वर्तमान अशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता है, वह दिखाई नहीं पड़ता। पर दास बाबू का विश्वास था कि हृदय में परिवर्तन हो गया है। उन्होंने 'स्टेट्समैन' के प्रतिनिधि से कहा—“मैं हृदय परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूँ। मेल-जोल के बिना मुझे हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। सत्कार सघर्ष से थक गया है और उसमें मुझे सर्जन और सङ्गठन की इच्छा दिखाई पड़ रही है।” दास बाबू ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को संशोधन करते हुए कहा—“आज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दीनों के लिए सम्मान-प्रद हो।” इन दिनों गांधीजी ने दास बाबू को अपना 'एटर्नी' कहा था और स्वराज्य-पार्टी को कौंसिलों में कांग्रेस की प्रतिनिधि कहा करते थे। उनकी अपने-आपको मुला देने की क्षमता अद्भुत थी और कभी-कभी उनके पुराने अनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर धैर्य भंग करने वाली अवश्य सिद्ध होती थी।

इस अवसर पर लॉर्ड रीडिंग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैण्ड गये थे। लॉर्ड बर्कनहेड ने स्वराजियों को सलाह दी थी कि वे विन्स के बजाय सहयोग करें। इन दोनों बातों ने मिलकर दास बाबू के हृदय में आशा उत्पन्न कर दी थी। इसके अलावा बर्नल वेजवुड और मि० रेमजे मैकडानल्ड भारत में समझौता बनाने की चेष्टा कर रहे थे। गांधीजी ने दास बाबू की मृत्यु के बाद एक मर्मपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दासबाबू को लॉर्ड बर्कनहेड में बड़ी आस्था थी और उन्हें विश्वास था कि बर्कनहेड भारत के लिए बहुत कुछ करेंगे।

देशबन्धु दास ने पवित्र मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे परिवर्तनी देशबन्धु का अन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने कहा—“हमारे इतिहास की सबसे अधिक नाजुक पड़ी आरती है। इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे साल के आरम्भ में हमारी सारी शक्तियाँ काम में लग जायगी। हथर हम दोनों बीमार पड़े हैं। ईश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।” इसके कुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशबन्धु को स्वर्ग में बुला लिया। १६ जून १९२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास हुआ। दास बाबू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गर्दाद होकर कहा था—“उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा बहाना बड़ा आसान है। परन्तु आत्माओं से हमें या उनके निकटस्थ और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशबन्धु जिने और जिस काम में वह निमग्न रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम सबमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। हम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि शरीर नाशवान् है। आत्मा का नाश कभी नहीं होता। जिस शरीर में देशबन्धु दास की आत्मा का निवास था वह नष्ट हो गया। पर उनकी आत्मा का नाश कभी न होगा। उनकी आत्मा ही क्यों, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है और इतना त्याग दिया है, अमर रहेगा और जो कोई बूढ़ा या जवान उनका जरा भी अनुकरण करेगा वह

यह

महायुक्त होगा। हम सबमें उनके जैसी बुद्धि नहीं है, पर करते थे, हम उनका अनुकरण अवश्य कर सकते हैं।”

“और दास ने, अपने प्रतिद्वन्द्वी की दृष्टि से
बने हैं ही”

या ।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनमें प्रतिज्ज्वलित व्यक्तित्व होने के सम्मान प्रकट किया या उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उन्नतपदस्थ अधिकारियों थे। जिन-जिन ने सन्देशों भेजे उनमें भारत मन्त्री और वाइसराय भी थे। जब कौंसिल की बैठक अगस्त में हुई तो सबसे पहले देशबन्धु दास की और फिर बयोद्वेष्ट देश-भक्त सर सुनेन्द्रनाथ बनर्जी की, जिन्होंने परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की हानि का उल्लेख उपयुक्त शब्दों में किया गया।

गांधीजी देशबन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह बंगाल ही में एक गये और उनकी स्मृति में एक महान् स्मारक बनाया। उन्होंने दस लाख रुपये एकत्र किया। देशबन्धु दास का मरण १८८८ रमा-गोड; देश के अर्थशास्त्रज्ञों का। इस भवन को दास बाबू की उस ट्रस्ट योजना के अनुसार, जो उन्होंने बेलगांव-कांग्रेस से पहले प्रकट की थी, विधियों और बंधों का अस्तित्व बना दिया गया। गांधीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और बंगाल में स्वराज्य पार्टी की एक मजबूत जमाने में बोर्ड कसर न उठा रखी। इस प्रकार भी जे० एम० सेनगुप्त को कौंसिल में स्वराज्य पार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का सभापति बनाने का काम उन्हीं का था। यह विद्वान राजमुकुट जो दास बाबू धारण करे हुए थे, सेनगुप्त के विर पर रख दिया गया।

इस गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की भावना बेशक कर रहे थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे ढंग से दे रही थी। स्वराज्य-पार्टी की जनसत्ता कौंसिल का विरोध गूढ़ देने की उस शक्ति के खिलाफ हुआ था, जो बेलगांव में तय हो चुकी थी। वह जोष बढ़ता ही गया, और अन्त में इस शक्ति को उखाड़ देने का फैसला महासमिति के हाथ में सौंप दिया गया। महासमिति में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ जुलाई को महासमिति की बैठकने की बैठक के बाद सभागतः गांधीजी ने पण्डित मोतीलाल नेहरू के पास एक पत्र लिखा कि मेरी किचक कांग्रेस में स्वराजियों की बहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं, इसलिए आपको कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए। गांधीजी ने यह भी दाव कर दिया कि मैं इसका सभापति और अधिक रहना नहीं चाहता। इस पत्रों से स्वराज्य में हलचल मच गई। पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अंत तक गांधीजी ही महासमिति के सभापति बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में वह बातने की जाए उठा दी जायगी तो वह हटाया दे दिये और एक अलग पत्रों संघ स्थापित करेंगे। कार्य-समिति ने गूढ़ बातने की बातों में परिणत होने के प्रश्न पर विचार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रश्न पर सुझाव विचार करने के लिए १ अक्टूबर को बैठक करने का निश्चय किया। इस बीच में गांधीजी ने स्वराज्य पार्टी का सचिव बनने में खुश उठा न रखा। अगस्त में गांधीजी ने लिखा था - "मुझे कांग्रेस के कार्य में अधिक लक्ष्य न होना चाहिए। कांग्रेस का एक प्रदर्शन मुझ-जैसे आदर्शियों के हाथ, जिन्होंने कांग्रेस को अग्रदूत बना में लिया दिया है और जिसका अर्थ के सिद्धि-मार्ग को मजबूत करने में मदद करना है, होने की जरूरत सिद्धि-मार्गियों के हाथ होने के कारण है मैं बाधक बनना नहीं चाहता। मैं चाह भी उनका अर्थ करना कामना नहीं करता हूँ, परन्तु कांग्रेस को जोड़ना नहीं।" साथ ही कांग्रेसी तरह ही कहता है, जब मैं शरीर में से हट जाऊँ तो कांग्रेस को यह कार्य तुम्हें करना पड़े, अन्त में यह कार्य बनना चाहिए। मैं कांग्रेस को मजबूत करने का उद्देश्य उन्हीं हट तक कहना जिन्हें हट तक सिद्धि-मार्गियों का सचिव बनना है। अगली बात यह की कि वह जोष को हटाने के लिए गांधीजी के सिद्धि-मार्गियों का सचिव का

और दूसरी ओर उनका नेतृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग अपनी शर्तों पर चाहते थे। अखतर पर भीमती सरोजिनी नायडू ने कई सज्जनों से कहा— “उनका सन्देश केवल एक है, और वह पुराना पद गया है।”

श्वराजी प्रस्ताव.

पण्डित मोतीलाल नेहरू ने असेम्बली के १९२५-२६ के शिमला-अधिवेशन से कुछ पहले भारतीय सेक्टर-कमिटी में ध्यान महत्व दिया था। इस कमिटी को आम तौर से स्कॉन-कमिटी कहा जाता था। इस मौके पर स्कॉन-कमिटी का इतिहास भी संक्षेप में सुन लें। १९२५ से पहले कुछ दिनों से भारत के कुछ लोग भारत में सेक्टर-कमिटी के मुकाबले में एक सैनिक-विद्यालय खोले जाने की मांग कर रहे थे। १९२५ के असेम्बली के दिल्ली-अधिवेशन में एक प्रस्ताव पाम किया गया, जिसमें अधिकारियों से इस प्रकार की सस्था तत्काल खोलने को कहा गया। तदनुसार भारत-सरकार ने एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी का काम यह देखना था कि सम्राट की सेना में अफसरों के पदों के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हों, और उनके मिलने पर उन्हें सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार शिक्षा दी जाय। इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कहा गया कि भारत में सैनिक-विद्यालय खोलना उचित और सम्भव है या नहीं, और यदि सम्भव हो तो इस विद्यालय में ही शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इंग्लैंड भेजा जाय। भारत में कमिटी की कई बैठकें हुईं और १९२६ के वसन्त में इस कमिटी के सदस्यों की एक उपसमिति यूरोप यह देखने के लिए गई कि इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा और अमरीका में सैनिक अफसर तैयार करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है।

कमिटी की रिपोर्ट पर जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उसकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। १९२४ में मुदासैत-कमिटी की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए हुई कि मास्टेगु-चेम्फोर्ड-सुधार कैसे चल रहे हैं। इस कमिटी की दो रिपोर्टें थीं—बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक-रिपोर्ट सरकारी थी, पर सरकार इस रिपोर्ट की सफारतों भी मानने को तैयार न थी। १९२५ के सितम्बर में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि सरकारकी रिपोर्ट को सिद्धान्त-रूप में मान लेना चाहिये। और वह सिद्धान्त यह था कि सुधारों की मशीन जहाँ-जहाँ आवाज दे रही है, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके कल-पुजों में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिससे मन्त्रियों की नियुक्त करना आसान हो, उनके बेटों पर बगटों की बहस में रायें न ली जाय और वे अरुंग शालने वर भी सरकारी काम करते रहें। मास्ट-फोर्ड सुधारों में तो इस प्रकार की घटनाओं को सुदूरवर्ती सम्भावना-भाव समझ गया था, पर अब तो वे कल ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी हैं। स्वयम्भूतियों ने बड़ी कौंसिल में घुसनेके कुछ दिनों बाद पता लगा लिया था कि मास्टेगु-चेम्फोर्ड सुधार योजना में क्या-क्या बानें पीछे हटाने वाली है। उसने १९२४ की फरवरी में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया था:—

“यह बड़ी कौंसिल स-कौंसिल गवर्नर-जनरल से सिफारिश करती है कि भारत-सरकार विधान में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे कि देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो जाय, और इस उद्देश से (१) शीघ्र ही एक मोलमेज पब्लिक बुलाये जो महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों या वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर, भारत के लिए शासन-विधान को सिफारिश करे, और (२) बड़ी कौंसिल को भंग करके नई निर्वाचित कौंसिल की स्वीकृति के लिए उसके आगे यह योजना पेश करे और फिर उसे कानून का रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के

या ।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनसे प्रतिजन अग्रसंख्य होनी ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूरोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ अफसर भी थे। जिन-जिन ने सन्देश भेजे उनमें भारत मन्त्री और वाइसराय भी थे। जब कौंसिल की बैठक अगस्त में हुई तो सबसे पहले देशबन्धु दास की और फिर नवोद्भूत देश-भक्त सर सुनेन्द्रनाथ बनर्जी की, जिन्हा परलोकवास ६ अगस्त को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की क्षति का उल्लेख उपयुक्त शब्दों में किया गया।

गांधीजी देशबन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे। वह बंगाल ही में रुक गये और उनकी स्मृति में एक महान् स्मारक बनाया। उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया। देशबन्धु दास का मूल १४८ रसा-रोड, देश के अग्रण हुआ। इस भवन को दास बाबू की उस टूटत योजना के अनुसार, जो उन्होंने बेलगांव-कांग्रेस से पहले प्रकट की थी, स्त्रियों और बच्चों का अस्पताल बना दिया गया। गांधीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शक्ति देने और बंगाल में स्वराज्य पार्टी की जड़ मजबूत करने में कोई कसर न उठा रखी। इस प्रकार भी जे० एम० सेनगुप्त को कौंसिल में स्वराज्यपार्टी का नेता, कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी का सभापति बनाने का काम उन्हीं का था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू धारण किये हुए थे, सेनगुप्त के सिर पर रखा दिया गया।

इधर गांधीजी स्वराजियों को निश्चिन्त करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे दंग से दे रही थी। स्वराज्य-पार्टी की जनरल कौंसिल का विरोध सूत देने की उस शर्त के खिलाफ हुआ था, जो बेलगांव में तय हो चुकी थी। वह शिष्ट बढवा ही गया, और अन्त में इस शर्त को उड़ा देने का फैसला महासमिति के हाथ में सौंप दिया गया। महासमिति में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ जुलाई को महासमिति की कलकत्ते की बैठक के बाद सम्मतः गांधीजी ने परिश्रम मोतीलाल नेहरू के पास एक पत्र लिखकर भेजा कि चूंकि कांग्रेस में स्वराजियों की बहुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं, इसलिए आपको कांग्रेस-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चाहिए। गांधीजी ने यह भी दाख कर दिया कि मैं इसका सभापति और अधिक रहना नहीं चाहता। इस पत्रों से स्वराजियों में हलचल मच गई। पर अन्त में यह तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के अंत तक गांधीजी ही महासमिति के सभापति बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सूत कातने की शर्त उठा दी जायगी तो वह इस्तीफा दे देंगे और एक अलग चर्चा-संग स्थापित करेंगे। कार्य समिति ने सूत कातने की शर्त में परिश्रम करने के प्रश्न पर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सारे प्रश्न पर दुबारा विचार करने के लिए १ अक्टूबर को बैठक करने का निश्चय किया। इस बीच में गांधीजी ने स्वराज्य पार्टी का समर्थन करने में कुछ उठा न रखा। अगस्त में गांधीजी ने लिखा था — "मुझे कांग्रेस के मार्ग में कोई अधिक रुकावट न होना चाहिए! कांग्रेस का पक्ष प्रदर्शन मुझ-जैसे आदमी के हाथ, जिन्होंने अपने आपको अग्रदूत जनता में मिला दिया है और जिन्होंने भारत के सिविल-सर्विस को प्रोत्साहित भी कर दिया है, होने की अपेक्षा सिविल-सर्विसियों के हाथ होने के मार्ग में मैं बाधक बनना नहीं चाहता। मैं अब भी उनका अग्रदूत बनना चाहता हूँ, परन्तु कांग्रेस को छोड़कर नहीं। यह काम सभी अन्धी तरह हो सकता है, जब मैं सन्धे में से हट जाऊँ और कांग्रेस की मदद न करूँ।"

रूप से दिलचस्प मालूम होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे। खरूर का राजनैतिक महत्व छिन्न गया। हाथ-कवा सूत देने की शर्तें बंबल चार आना न देने की हालत में ही लागू रही। राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया गया। अब स्वराज्य-पार्टी कांग्रेस का एक अङ्ग-मात्र—वह अल्पमत जिसे रिश्तायते मिलें या वह थोड़ा-सा बहुमत जिसे सहायता के लिए औरों का मुँह ताकना पड़े—न रही। वह स्वयं कांग्रेस हो गई। इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी। कौंसिल प्रवेश में विश्वास रखने वाले बड़ी कौंसिल के सदस्य अब “स्वराजिस्ट” नहीं कहलायेंगे, बल्कि कौंसिलों में कांग्रेस-सदस्य कहलायेंगे। सूत कातने की शर्तें अब एक मात्र शर्त नहीं रही। इसका कारण यह न था कि उस शर्त को मानने वाले कम थे—१०,००० सदस्य मौजूद थे—परन्तु यह था कि स्वराजियों को यह शर्त पसन्द न थी। गांधी जी ने लॉर्ड बर्कनेडे और लॉर्ड रीडिंग को करारा उत्तर देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा दे बाला। जब गोपीनाथ साहा के सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव को लेकर दास बाबू की स्थिति और स्वतन्त्रता खतरे में पड़ी, और बगाल-आर्दिनेन्स एकट बना, तो गांधी जी ने दास बाबू का साथ देने का निश्चय किया। वर्ष बीत गया पर बर्कनेडे की शेखी मौजूद थी। गांधी जी ने बचा-बुचा असहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कौंसिलों के मोर्चे पर पूरी सहायता पहुँचाई जा सके। उन्हें भारत-मन्त्री को उत्तर देने की कोर्ई जरूरत नहीं थी। उन्होंने राजनैतिक अयस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का अधिकार दे दिया।

उस समय गांधी जी की जैसी मनोदशा थी उसमें पवित्र मोतीलाल नेहरू के लिए कोर्ई चीज सिर्फ मांगने की देर थी, और वह उन्हें तुरन्त मिल जाती। गांधी जी ने महासम्मति के अल्पत्व की हैसियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा बड़ी कौंसिल में किये गये काम की आलोचना तक न होने दी, क्योंकि इससे सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में खलल पकवा और उदारराज्यता की शोभा और मूल्य बहुत कुछ कम हो जाता। जब राजेन्द्र बाबू ने गांधी जी से पूछा कि क्या उनका दास बाबू और नेहरू जी के साथ कोर्ई पैकट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि “नहीं, परन्तु मेरा सम्मान यह कहता है कि दूसरा पक्ष जो कुछ मुझसे मांगे, मैं दे दूँ।” उनका अनुकरण करने वालों का भी सम्मान यह कहता था कि गांधीजी उनसे जो मांगें दे दें।

पटना की बैठक के अखिर पर और उसके बाद प्रश्न यह था कि पटना के निश्चय के द्वारा कांग्रेस की दोनों पार्टियों में साम्राज्य तथा या हिस्सा ? कांग्रेस में परिवर्तन बड़ी तेजी से एक के बाद एक होने लगे। हर बार कोर्ई नया दर्य, नया रंग और नई बात दिखार देती थी। जून में कोर्ई बात निश्चित न हो सकी। जब १९२४ के जून में आम्ददाबाद में बैठक हुई तो गांधी जी अब भी अपनी स्थिति के मूल-सिद्धान्तों पर अट्टे हुए थे। उन्होंने खरूर-सम्बन्धी कर्कार को और भी बढ़ा कर दिया और कार्य-समिति के सदस्यों को कातने पर विवरा कर दिया। सीराजगंज के प्रस्ताव के ऊपर नौकरशाही ने दास बाबू का अनुकरण करनेवालों को घमची दी तो गांधी जी कांग्रेस के भीतरी मत भेद को मिटाने पर तुल गये। एक इंच झुकने का परिणाम यह होता है कि सोलह आने मुठना पकटा है। यहाँ मो यरी बात हुई। बेलगार के निर्णय को पटना में रद कर दिया गया। पटना में कौंसिल ने कांग्रेस की छारी मर्यादा अपने हाथ में ले ली और सूत कातने की शर्तों को भी उका दिया। इस प्रकार खरूर के समर्थकों और कौंसिल के समर्थकों में कांग्रेस का बटकाव हो गया। एकटा ऊपर-हो-ऊपर थी। बख्तव में खरूर के समर्थकों में असंतोष पैला हुआ है, यह बात छिगई न क सचटी थी। स्वराज्य-पार्टी ने गोवनेत्र परिषद् या और किसी उपयुक्त माधन की जो मांग देना की थी

इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप ही मुद्दीमैन कमिटी नियुक्त हुई थी, जिसने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दो रिपोर्टें देना की थीं। इन रिपोर्टों पर ७ सितम्बर १९२५ को सर अलेक्जेंडर मुद्दीमैन के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने एक लम्बा चौड़ा तशोधन देना किया था, जिसका सारांश यह था कि (१) सम्राट् की सरकार को पार्लमेंट में सत्काल ही यह घोषणा करने का प्रबंध करना चाहिए कि भारत की शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किये जायें कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हो जायगी, (२) एक गोलमेज-परिषद् या इसी प्रकार का कोई उपयुक्त साधन पैदा किया जाय जिसमें भारतीय, यूरोपियन और अफगोरों के हितों का पूरा प्रतिनिधित्व रहे। यह बैठक अल्पसंख्यक जातियों या वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ऊपर लिखे सिद्धान्तों के अनुसार एक विस्तृत योजना बड़ी काँसिल की स्वीकृति के लिए तैयार करे। स्वीकृति के बाद उसे विधान का रूप देने के लिए ब्रिटिश-पार्लमेंट के पास भेजा जाय। यह संशोधन दो दिनों के वादविवाद के बाद सरकार के खिलाफ ४५ रायों के मुकाबले ७२ रायों से पास हो गया।

१९२५ के सितम्बर में पटना में जो कुछ हुआ उसका वर्णन करने से पहले हम उस विचार धारा का जिक्र करना चाहते हैं जो स्वराजियों में ही छिपे-छिपे काम कर रही थी। गांधीजी ने कांग्रेस की सारी मशीनरी प० मोतीलाल नेहरू के हाथ में सौंपने की जो तत्परता दिखाई उसकी स्वराज्य-पार्टी के नेता ने बड़ी सराहना की और गांधीजी को लिखा:—

“देशबन्धु ने जिस सम्मानपूर्ण सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया था, मालूम होता है कि लार्ड बर्कनेडेड ने उसका विस्कार किया है। इससे उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वराज्य के युद्ध में हमें अनेक अनावश्यक कष्टावटों का और अनेक उन विरोधियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें वस्तुस्थिति की गलत जानकारी पहुंचती है। अब हमारा स्पष्ट कर्तव्य यह है कि हमारे लिए जो मार्ग खिर कर दिया गया है, उस पर हम बड़े चले जायें और घमण्डी सरकार की चुनौती का बढ़िया-सा जवाब देने के लिए साहाय्य तैयार करें।” बंगाल में जहां स्वराजी-दल ने मन्त्रि-मण्डल का निर्माण असम्भव कर दिया था वहां अब उसका प्रभाव काँसिल में कम होता जा रहा था। काँसिल के अध्यक्ष पर जहां स्वराजी उम्मीदवार एक स्वतन्त्र दलवाले के मुकाबले पर ६ रायों से हार गया। अन्तिम जोर राजमाई के अध्यक्ष पर भी, जब दास बाबू को स्टैंचर पर डाल कर काँसिल-भवन में ले जाया गया था, अबस्था सदिग्ध थी। डॉ० सुदरशर्मा ने स्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गवर्नर से लाकाव की थी, जिसके ऊपर गांधीजी ने उन्हें बड़ा आड़े हाथों लिया था और कहा कि उन्होंने वह बड़ा अनुचित काम किया और इस तरह “अपने देश को देच दिया।” जब डॉ० सुदरशर्मा ने सुना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा—“मैं इस नई-जो-हुवमी के आगे खिर झुकाने के साथ राजनैतिक-मृत्यु कर लेना अधिक सम्मान प्रद समझता हूँ।” डॉ० सुदरशर्मा के गवर्नर से लाकाव करने का समाचार प्रकाशित होने के दूसरे दिन गांधीजी ने कलकत्ते के अफगोरों पत्र को अपने हल के सम्बन्ध में पूरा वक्तव्य दिया और कहा:—

“मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को बिना पार्टी की अनुमति पर सरकारी अफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम है, वह अच्छा है।”

२२ अगस्त को भी विठ्ठलभाई पटेल बड़ी काँसिल के पहले गैर-सरकारी अध्यक्ष चुने गये।

पटना महासम्मिति

इस समय २१ सितम्बर १९२५ को पटना में महासम्मिति की बैठक हुई। जब हम समझते हैं कि पटने की १९३४ की मई की बैठक में सत्याग्रह उठाया गया था तो हमें यह बैठक विशेष

अपरिवर्तनवादी ही, जिनके जिम्मे स्वयं; अस्पृश्यता-निवारण और साम्प्रदायिक एकता के रूप बची-खुची बचीबत आई थी, आपस में मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परिवर्तन-वादियों का प्रथम तो नया और आन्दोलनकारी समझ जाने वाला कार्यक्रम था, फिर उन्होंने मत-भेद होना ही आश्चर्य की बात न थी। स्वराज्य-पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महाराष्ट्र ने भयदा प्रकिया। ये प्रान्त बंगाल के योग्य सहयोगी थे और जबतक देशबन्धु जीवित रहे, बंगाल के साथ साथ लते रहे। देशबन्धु का स्वभाव किसी समाज को सहन करने का न था, वह उसे फडोरा के साथ चल देने में। परन्तु उनकी मृत्यु होने ही महाराष्ट्र आदि प्रांतों में अनहोनी बातें हो गईं। मध्यप्रान्तीय कौंसिल के अध्यक्ष भी ताम्बे ने मध्यप्रान्त की सरकार की कार्यकारिणी का पद स्वीकार कर लिया। अगर मध्यप्रान्त और बरार के नेताओं और बम्बई प्रान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खुब प्रमासान युद्ध था। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने भी भी ताम्बे के आचरण पर और भी केलकर और भी जयकर से व्यक्तिगतों के उनकी सफाई पेश करने पर बड़ी आपत्ति की और इन दोनों के विरुद्ध जास्ता कार्रवाई करने की घमची दी और कहा कि इन्होंने “अपराध में सहायता की है”। इधर भी केलकर और भी जयकर ने भी बम्बई प्रान्त की स्वराज्य पार्टी से इन्हीं विचारों को दोहराने के लिए कहा।

१ नवम्बर को नागपुर में अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भी भीपाद जयन्त ताम्बे की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ विरसतापत समझी गई और उनकी सन्दा की गई। फिर पण्डित मोतीलाल नेहरू, भी जयकर और केलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए नागपुर में भटपट बम्बई पहुंचे। इस बीच इन दोनों ने ‘प्रतियोगी सहयोग’ की आवाज पहले से ही बंकी कर रखी थी। इन्होंने अखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से हस्तीफा दे दिया, यही नहीं, इसके बाद २० मुंजे, भी जयकर और भी केलकर ने बड़ी कौंसिल में भी हस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर चुने गये थे।

अब हम कानपुर कांग्रेस पर आते हैं। कानपुर को पटना के निर्णय पर सही करनी थी। पटना में भी यह बात सद्विध समझी जा रही थी कि बेलगाव के आदेश के विरुद्ध यह बातने के, मिलिक-यत का बटवारा करने के और कार्य-विभाग करने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया है, वह महा-समिति भी स्वीकार करेगी या नहीं। इसके बाद यह बात और भी अधिक विचारणीय थी कि स्वराज्य-पार्टी के मूडीमैन कमिटी वाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई मांग की पुष्टि करेगी या नहीं। कानपुर-कांग्रेस के अधिवेशन के सामने, जिसकी समानेत्री भारत की कथित्री थी, इसी प्रकार के जटिल प्रश्न मौजूद थे। इस कांग्रेस की एक अजुबा बात थी पिछले वर्ष के समापति गांधीजी द्वारा इस वर्ष की समानेत्री भीमती सरोजिनी नाथू को कांग्रेस का भार सीपा जाना। गांधीजी केवल ५ मिनट बोले। उन्होंने कहा कि “अपने ५ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद मैं अपनी ऐसी एक भी बात नहीं पाता जिसे रद्द करूं, न अपना ऐसा कोई घटकव्य ही पाता हूँ जिसे वापस लूँ। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि लोगोंमें जोश और उत्साह है तो मैं आज सत्याग्रह आरम्भ कर दूँ। पर अपरोस! हालत ऐसी नहीं है।” सरोजिनीदेवी ने गिने-सुने शब्दों के साथ मार ग्रहण किया। उन्होंने ने समानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह कांग्रेस-मंच से दिया गया शायद सबसे छोटा भाषण था और साथ ही वह मधुरता में अत्यन्त सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया और उस राष्ट्रीय मांग को चर्चा की जो बड़ी कौंसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा—“स्वतन्त्रता के युद्ध में मय ही एकमात्र अदम्य विरसता-भाव है, और निरसता एकमात्र अदम्य पाप।” फलतः उनका भाषण मानों साहस और आशा की प्रविमूर्ति था।

वह नाकाफी समझी गई। लोगों में यह भाव उत्पन्न हुआ कि अर्थी ने अपने स्वामी की आज्ञा पर उल्लंघन किया है या उसका पूरी तौर से पालन नहीं किया है। पर गांधी जी इस प्रकार के गणित का हिसाब-किताब नहीं लगाते। वह जब कभी झुकते हैं तो पूरे तौर से झुकते हैं, जिससे न उन्हें पड़ना पड़े न दूसरे पक्ष को। भीष्म ने भी सब प्रकार के दान में इसी नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है। फलतः पटना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में इसे उसर सही करती पड़ी।

कानपुर-कांग्रेस

१९२५ की कानपुर-कांग्रेस के दिनों आ लगे थे। अन्ततः ज्यों-की-त्यों थी—उसमें पहले की भांति प्रबल शक्ति उत्पन्न हो सकती थी, पर वह तभी जब “शिक्षित” समुदाय उनके पास खड़े बैठ जायता आदर्श, कोई फड़कता हुआ कार्यक्रम ले जाय। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया फलतः महात्मा मौजूद था, पर उसकी ‘शक्ति’ गायब हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उद्योगों से न चलने पर उसे पीछे से टक्केलने का उपाय अपनाया जाता है, और इस प्रकार टक्केलने जाने के दो चार कदम बाद मोटर के इंजन में गति उत्पन्न हो जाती है और वह दुबारा रोके जाने तक काम करना रहता है, उसी प्रकार सत्याग्रह की सारी शक्तियाँ उस समय के लिए रुकी हुई थीं और उद्योगों की उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था। स्थानिक संस्थाओं पर बम्बक करने का कार्यक्रम दिन-पर-दिन आकर्षक होता जा रहा था। कलकत्ते के मेयर-पद को देशव्यापी दास और बंद को भी सैनगुप्त ने जिम मुन्दरता के साथ सुरोभित किया था, उससे आकर्षण और भी बढ़ गया था। देश के चार कारपोरेशन कांग्रेसवादियों के हाथ में थे। श्री वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद मुनि-सिपैलिटी के चेयरमैन थे और १९२८ तक उसी पद पर रहे। बम्बई-कारपोरेशन के मेयर का पद भी विठ्ठलभाई पटेल सुरोभित कर रहे थे। पं० जवाहरलाल इलाहाबाद मुनि-सिपैलिटी के अध्यक्ष बन गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर न लगी कि यह वहाँ निभ न सकेंगे और स्थानिक संस्थाओं के अध्यक्ष-वादियों के मतलब की चीज नहीं हैं। बाबू राजेन्द्रप्रसाद पटना-मुनि-सिपैलिटी के अध्यक्ष हुए, पर उन्हें जो अनुभव हुए वे आनन्ददायक न थे, फलतः वह १५ महीने के बाद ही वहाँ से अलग हो गये। परन्तु जीवन की यथांमाला हरेक की खुद सीखनी पड़ती है। अधिकांश मनुष्यों को अपने हाथों में शिवा प्राप्त होती है, दूसरों के अनुभव से नहीं। इसलिए मद्रास की भी स्थानिक संस्थाओं के अनुभव प्राप्त करने थे। इसी अन्तर पर—अर्थात् १९२५ के मई मास में—कांग्रेस ने मद्रास-कारपोरेशन की जगहों पर कब्जा करने की ओर ध्यान दिया और मूव आन्दोलन करने के बाद—जिसमें न धन की परवाही गई, न दौड़ भूरा में काम रक्की गई—वह १० मई से ७ जून पर अधिकार करने में सफल हुई, नये नेता नया कार्यक्रम करने साथ लाये हैं। इन्हीं के अनुसार मद्रास के मुनि-सिपैलिटी के नेता भी धीनिकम आयोग कावेस के भी नेता हो गये—पण्डित सरकार की बगैरी के गहने देते ही भी बने बने हैं, पर पीछे अग्रगृह हैं। इसलिए सोते ही दिनों में सरकार ने कमिश्नरों के लिए बर काम भरा कर दिया कि वे स्थानिक संस्थाओं के द्वारा सत्याग्रह कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। वे देर ही आगे बढ़ेंगे तो नैजरी नहीं दिला सकेंगे, नारी नहीं करीद सकेंगे, हिन्दी की शक्ति नहीं दे सकेंगे, जलाना भी बाला नहीं बला सकेंगे, राष्ट्रीय नेताओं को मान पत्र नहीं दे सकेंगे वे ही न मुनि-सिपैलिटी के बंदूको पर राष्ट्रीय अस्त्र बरदा सकेंगे।

(१) स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कौंसिल में सरकार से उन शर्तों पर अपना आखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फरवरी के अन्त तक कुछ निर्णय सरकार न दे सके या जो निर्णय मुनाया-जाय उसे कांग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और उन सदस्यों ने, जिन्हें महासमिति नियुक्त करना चाहे, संतोषजनक न समझा, तो स्वराज्य-पार्टी उचित कार्रवाई-द्वारा बड़ी कौंसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब यह पहले की तरह वर्तमान कौंसिलों में काम न करेगी। बड़ी कौंसिल और राज्यपरिषद् के स्वराजी-सदस्य बजट की नामजूरी के लिए वोट देंगे और तत्काल ही अपनी जगह छोड़ कर चले जायेंगे। जिन प्रान्तीय कौंसिलों की बैठक उस अवसर पर न हो रही हो, उसके सदस्य फिर उन कौंसिलों में न जायेंगे और वे भी उसी प्रकार विशेष-समिति को इस बात से सूचित कर देंगे।

(२) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य—चाहे वह राज्यपरिषद् में हो, चाहे बड़ी कौंसिल में, चाहे छोटी कौंसिलों में—उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति में शरीक न होगा। हा, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्तीय बजटों को नामजूर करने या कोई नया कर लगाने वाले बिल को रद्द करने के लिए कौंसिलों में जाया जा सकता है।

परन्तु शर्त यह कि अपनी जगह छोड़ने की आशा मिलने तक कौंसिलों के सदस्य अपनी-अपनी कौंसिलों में हस्वमामूल वे सारे काम करते रहेंगे जिनके लिए पार्टी के मौजूदा नियम उन्हें अनुमति देते हैं।

यह भी शर्त है कि विशेष समिति को किसी खास कौंसिल के सदस्यों को, कोई खास या आकरिमक अवसर आ पढ़ने पर, उन कौंसिलों में जाने की अनुमति देने का अधिकार रहेगा।

(३) विशेष समिति (१) उपधारा में वर्णित रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल ही महासमिति की बैठक बुलायेगी जिसमें कार्यक्रम तैयार किया जायगा। इस कार्यक्रम को कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी मिल-जुलकर देरावर में पूरा करेंगी।

(४) इस कार्यक्रम में (१) और (२) धाराओं में वर्णित कार्य-समूह का पूरा करना और साथ ही यहाँ वर्णित नीति से निर्वाचकों को अभिष्ट करना शामिल रहेगा। यह कार्यक्रम यह भी स्पष्ट कर देगा कि आगामी निर्वाचन कांग्रेस के नाम पर किन तरीकों पर किया जायगा। इस कार्यक्रम के द्वारा वे बातें स्पष्ट कर दी जायेंगी जिन्हें लेकर उम्मीदवार अपने निर्वाचन के लिए खड़ा होगा।

किन्तु शर्त यह है कि सरकार से प्राप्त होने वाले ओहदों को अस्वीकार करने की नीति उस समय तक अपनाई जायी रहेगी जब तक सरकार उपर्युक्त समझौते की शर्तों का ऐसा उत्तर न दे, जो कांग्रेस की सम्मति में संतोषजनक हो।

(५) यह कांग्रेस विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-समितियों की कार्य-समितियों को अधिकार देती है कि वे अपने पूर्व के कौंसिलों और बड़ी कौंसिलों के निर्वाचन के लिए अपने प्रान्तों में उम्मीदवार शीघ्र-से-शीघ्र चुनना आरम्भ करें।

(६) यदि बड़ी कौंसिल-द्वारा पास प्रस्ताव में वर्णित समझौते की शर्तों के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय विशेष समिति-द्वारा संतोष-जनक और स्वीकार करने योग्य समझ गया तो तत्काल ही महासमिति की बैठक विशेष समिति के निश्चय की पुष्टि या अस्वीकार करने और भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए बुलाई जायगी।

इस मुकुमार हस्त-द्वारा अनुशासन और सहिष्णुता के उपयोग करने का फल यह हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन और कुछ प्रतिनिधियों के उपद्रव को छोड़कर, जिन्हें करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यवित्त्य की आवश्यकता पड़ी, निर्विघ्न समाप्त हो गया।

कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन स्वभावतः ही देशबन्धु दास, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रामकृष्ण गोपाल भायदारकर और अन्य नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश के साथ प्रारम्भ हुआ। उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एक शिष्ट-मण्डल आया हुआ था। कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और यह जाहिर किया कि 'एरिया रिजॉर्षेशन और इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन बिल', अर्थात् विभिन्न जातियों के लिए पृथक् स्थान नियत करने और आकर बसने के लिए नाम लिखने के संघर्ष में पेश किया गया बिल, १९१४ के गांधी स्मट्स समझौते के विरुद्ध है, और यह भी कहा कि १४ के समझौते का ठीक-ठीक अर्थ करने के लिए एक पंचायत बैठकर निपटारा करा लिया जाय। कांग्रेस ने इस प्रश्न के निपटारे के लिए एक गोल-मेज-परिषद् की बात की। पुष्टि की और उसकी सरकार से अनुरोध किया कि यदि बिल पास हो जाय तो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। कांग्रेस ने आइन्टिन्स और गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पेश हुए। कांग्रेस के गैर-बर्मन अपराधियों को निर्वासित करने और समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सम्बन्ध में पेश किये गये बिलों को नागरिकों की स्वतंत्रता पर नया आक्रमण समझा गया। उसके बाद कांग्रेस का महाधिकांश सम्बन्धी प्रस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १९१५ के पटनावाले प्रस्ताव के (५) भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो अखिल-भारतीय चर्ला-संघ के पास था, कर दिया गया है, बाकी सारे कोष और मशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए आवश्यक राजनैतिक कार्य में करने को कहा गया था। कांग्रेस ने सत्याग्रह अर्थात् सविनय-भंग में अपनी आस्था प्रकट की और इस बात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में आत्मनिर्भरता ही एक पथ-प्रदर्शक समझी जाय। इसके बाद कांग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनाया:—

कार्यक्रम

१. देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-वासियों को उनके राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना बल और प्रतिकार करने की शक्ति हासिल करने के लक्ष्य तक तालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस एक रचनात्मक कार्यक्रम पेश किया जाय। इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्लें और सरकारी प्रचार, साम्प्रदायिक द्वेष की वृद्धि करने, अस्पृश्यता-निवारण करने, दलित जातियों का उन्नत करने और नशे की चीजों का सेवन न करने पर जोर दिया जायगा और इस कार्यक्रम में स्थानिक संस्थाओं पर अधिकार करना, ग्राम-संगठन करना, राष्ट्रीय दंग से शिक्षा का प्रचार करना, मिल-मजदूरों और सेती का काम करने वाले मजदूरों का संगठन करना, मजदूरों और मालिकों, तथा जमींदारों और किसानों में शोषार्द्र स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, आर्थिक, उद्योग-सम्बन्धी एवं व्यापारिक हितों की वृद्धि करना शामिल रहेगा।

२. देश से बाहर कांग्रेस का काम विदेशी राष्ट्रों में वस्तुस्थिति का प्रचार करना होगा।

३. यह कांग्रेस देश को छोड़ से समझौते की उन शर्तों को मंजूर करती है जो बड़ी कठिनाई की परिस्थितियों और स्वायत्त-पाठियों ने अपने १८ फरवरी १९१४ के प्रस्ताव-द्वारा सरकार के आगे रखी थी, और यह देखते हुए कि सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है, निरन्तर करती है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जाय:—

मुन्वातिव हुए हैं। आप एक नया और अधिक अच्छा मार्ग दिगा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जहाँ हम प्रकृति और आभिभवातों की अच्छी-अच्छी चीजों को अपनाये रहेंगे, वहाँ हम उस भावना का अनुकरण करेंगे जिसकी अभिव्यक्ति आपके मध्य में इस महान् पैगम्बर ने की है।”

इस वर्ष की समाप्त करने से पहले हमें उन हिन्दू-मुस्लिम दलों का जिक्र करना है जो बीच-बीच में १९२५ में और १९२६ में भी होते रहे। हिन्दू-मुस्लिम-दलों का जिक्र करते हुए १९२५ की पहली मई की गार्डीजों ने कलकत्ते के मिर्जापुर गार्क में कहा था—“मैंने अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली है। मैंने स्वीकार कर लिया है कि इस योग की औपधि बनानेवाले वैद्य की विरोधता मुझमें नहीं है। मैं तो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औपधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आजकल मैंने इस समस्या की जो ही उझी-सी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्भ कर लिया है। मैं यह कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि हम अपने देश का उद्धार करना चाहते हैं तो एक-एक दिन हम हिन्दू और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। और यदि हमारे माध्य में यही बदा है कि एक होने से पहले हमें एक-दूसरे का ग्लान बहाना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी जल्दी हम यह कर डालें हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यदि हम एक-दूसरे का भिर तोड़ने पर उतारू हैं तो हमें ऐसा मर्दानगी के साथ करना चाहिए, हमें झूठ-भूठ के आँसू न बहाने चाहिए; और यदि हम एक-दूसरे के साथ दया नहीं करना चाहते तो हमें किसी दूसरे से सहायभूति की याचना नहीं करनी चाहिए।”

१९२५ की जुलाई में सारे मर्दाने-भर दंगे होते रहे। इनमें प्रमुख स्थान दिल्ली, कलकत्ता और दलाहावाद थे। बकर-ईद के अवसर पर निजाम की रियासत में हुस्नशाद नामक स्थान पर भी दंगा हो गया। १९२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्कों की समस्या का जिक्र करना भी आवश्यक है। १९२५ में सिक्कों की समस्या ने शान्ति धारण कर ली थी। पंजाब-कींसिल में गुरुद्वाराबिल पेश किया गया और पास हो गया। साथ ही सर मालरूम हेली ने कहा कि यदि गुरुद्वारा-आन्दोलन के कैदी शर्त-नामे पर दस्तखत करके नये कानून को मजूर कर लेंगे और पहले की भाँति आन्दोलन न करने का जिम्मा लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायगा। बहूतों ने इसपर क्रोध प्रकट किया, पर धीरे-धीरे क्रोध शान्त हो गया। बहूत-से/कैदियों ने कानून मानने का जिम्मा लिया। शिरीमण्डि-गुरुद्वारा-प्रबन्धक-कमिटी में इस बात को लेकर फूट पड़ गई। अधिकांश कैदी छोड़ दिये गये, पर कुछ पूरी सजा भुगवने के लिए जेलों में ही रहें।

है। अण्णद पटेल ने इस 'बाकू-आउट' का जिक्र करते हुए कहा कि चूंकि कौंसिल की सबसे जबरदस्त पार्टी कौंसिल-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अब भारत-सरकार-कानून के अनुसार आवश्यक प्रतिनिधित्व रूप इस कौंसिल का नहीं रह जाता है। अब यह बात भारत-सरकार ही निश्चित करे कि बड़ी कौंसिल की बैठक जारी रहे या नहीं? उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह कोई विवादग्रस्त कानून पेश न करे, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके, जो भारत सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, बैठक को अनिश्चित समय तक क लिए स्थगित करना पड़ेगा। दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सज्जनता के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा—“मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तरह विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अण्णद को अपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए था, और न ऐसी भाषा का ही 'व्यवहार करना चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को धमकी देने के रूप में किया जा सके, बल्कि कोई कार्रवाई करने से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्या होता है।” इससे सरकार की चिंता मिट गई।

असहयोग का जो पत्थर गया में ऊंचाई से ढलकना शुरू हुआ था वह १९२६ के आरम्भ में साबरमती में फरीब-फरीब नीचे आ गया। हम यह देख चुके हैं कि प्रतिसद्योगी स्वतन्त्र और राष्ट्रीय दलवालों के कितना निकट पहुंच गये थे। तदनुसार उन्होंने ३ अप्रैल को बम्बई में अन्य दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल-स्वरूप “इंडियन नेशनल पार्टी” का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था, शांतिपूर्ण और वैध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह और करबन्दा को छोड़कर) औपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें कौंसिलों के भीतर प्रतियोगी-सद्योगी की नीति बरतने का स्वतन्त्रता दी गई थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी के संगठन को स्वराज्य-पार्टी के विरुद्ध चुनौती समझा। कुछ समझौते की बात-चात के बाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ अप्रैल को यह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं साबरमती में बुलाई जाय। इस बैठक में अन्य नेताओं के अलावा सरोजिनोदेवी, लाला लाजपत राय, भी केलकर, भी जयकर, भी अण्ण और बांमुंजे भी थे। यहां महासमिति द्वारा पुष्टि मिलने की शर्त रखते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले नेताओं के बीच में यह तय हुआ कि १९२४ की परवरी में स्वराजियों ने जो मांग पेश की थी उसके सरकार द्वारा दिये गये उत्तर को संतोष-जनक समझ जाय, यदि मन्त्रियों को प्रांतों में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की सुविधा कर दी जाय। मित्र-मित्र प्रान्तों की कौंसिलों के कमिटी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा गया कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटी की, जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू और भी मुकुन्दराव जयकर हों, पुष्टि मिल जाना आवश्यक रक्खा गया। ‘इंडिया १९२५-२६’ में कहा गया है—“पर अभी इस समझौते की स्थायी मुश्किल से सूली होगी कि आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के सभापति भी प्रकाशम ने अपनी असहमति प्रकट की और कहा कि “कमिटी की स्थिति को साबरमती में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया।” अन्य अनेक प्रमुख कांग्रेसवादियों ने भी इसी प्रकार का असंतोष प्रकट किया। साधारणतया यह समझ जाने लगा, चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, कि स्वराज शीघ्र ही फिर कौंसिलों में चले जाये और मंत्रि-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु पं० मोतीलालजी ने यह प्रकट करके कि पद-ग्रहण करने से पहले तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, साधारण को स्वच्छ कर दिया। वे तीन शर्तें ये हैं:—

(१) सभी कौंसिलों के प्रति पूर्ण-रूप से उत्तरदायी समझे जायें, और उनपर सरकार का कोई

कौंसिल का मोर्चा—१९२९

सहयोग की गरज

१९२६ का आरम्भ कौंसिलों के कार्यक्रम के लिए युद्ध विरोध शुभ न रहा। १९२९ की जनता का आकर्षण इस समय तक पर्याप्त हुआ था। केवल 'युद्ध' की खातिर लगातार 'युद्ध' के जाना युद्ध भङ्गने वाली बात साबित हुई और नये वर्ग के आरम्भ में ही धक्कावट और प्रतिक्रिया लक्षण दिखाई देने लगे।

साक्षात् में १९२५ के अन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की आवाज निम्नपात्मक रूप से सुना देने लगी थी। बड़ी कौंसिल २० जनवरी को खुलने वाली थी, पर उससे पहले ही नार्मर-कौंसिल की स्वयंसेवक-पार्टी ने प्रतिस्वहयोगी-दल को उसके प्रचार-कार्य में सहायता देने का पूरा निश्चय कर लिया था।

६ और ७ मार्च को महासमिति की बैठक रायचीना, (दिल्ली) में हुई, जिसमें कानपुर के निश्चय की पुष्टि की गई। एक बार फिर दिल्ली ने प्रकट किया कि "स्वयंसेवक के मार्ग में ठोके अटकाने वाले किसी भी कार्य का, चाहे वह सरकारी हो या और किसी प्रकार का, पूरे सकल्प के साथ मुकाबला किया जायगा। और विशेष रूप से उस समय तक कौंसिलों में गये हुए कार्यवाही सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले पदों को स्वीकार न करेंगे जबतक कि सरकार की ओर से सन्तोष-जनक उत्तर न मिलेगा।"

महासमिति की चर्चा करते हुए यहाँ यह भी कह देना उचित होगा कि ५ मार्च को कार्य-समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को और ५०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मंजूरी किया था। हिन्दुस्तानी सेवा-दल स्वयंसेवकों का वह दल था जिसका सठगन बोकनडा-कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार हुआ था। इसके दो वार्षिक अधिवेशन हो चुके थे—एक मौलाना शौकतअली की अध्यक्षता में बेलगाव में और दूसरा श्री तुलसीचरण गोस्वामी की अध्यक्षता में कानपुर में।

बड़ी कौंसिल में जब बजट की चर्चा आरम्भ हुई तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने जाहिर किया कि मैं और मेरे समर्थक मत देनेमें कोई भाग न लेंगे। कौंसिल-भवन की गैलरिया सचासचक भी हुई थी, क्योंकि स्वराजियों के बड़ी कौंसिल से 'वाकू-आउट' करने की बात पहले से ही लोगों को अच्छी तरह मालूम थी। पण्डित मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशबन्धु की सम्मानपूर्ण समझौते की बात का किस प्रकार विस्कार किया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि उसने सावधानी से काम न लिया तो देश भर में गुप्त-समितियाँ कायम हो जायगी। इतना वह कर नेहरू जी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ कौंसिल-भवन से बाहर चले गये।

इस 'वाकू-आउट' के कारण एक और घटना भी हुई, जिसका संक्षिप्त वर्णन करना उचित

गर्द—जो सब उनके द्वारा अध्ययन करने की मानों भविष्यवाणी थी। सब ने यह आन्तरिक अभिलाषा प्रकट की कि अध्ययन-यद के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी खड़ा न हो।

इसी अवसर पर सर अब्दुलरहीम भारत-सरकार की कार्यकारिणी में एक मुठलमान की नियुक्ति की चेष्टा कर रहे थे। लॉर्ड अर्बिन ने उसका करारा उत्तर दिया—“किसकी नियुक्ति सार्वजनिक हितों के लिए सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होगी, इसका निर्णय करने के संबंध में गवर्नर-ज्जर्नल स्वतन्त्र रहेगा।” वास्तव में लॉर्ड अर्बिन इसके को साम्प्रदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे। इसी अवसर पर लन्दन में साम्राज्य-परिषद् ने औपनिवेशिक स्वराज्य की वह परिभाषा बनाई जो आजकल प्रचलित है। अन्वय के तीसरे मासवाह तक दक्षिण-अफ्रीकन शिष्ट-मण्डल ने मि० बेयन के नेतृत्व में मद्रास से पेशावर तक का भ्रमण किया। भारत-सरकार ने इस शिष्ट-मण्डल को भारत की सम्मत्या और अवस्था का खुद अध्ययन करने के लिए निर्मंत्रण दिया था।

१९२६ के नवम्बर में निर्वाचन हुआ। मद्रास में कांग्रेसी उम्मीदवार—अब वे स्वराजी न कहलाते थे—पूर्ण रूप से विजयी हुए। लॉर्ड बर्कनेहेड प्रस्ताव कर रहे थे कि देखें, गोवाटी में कांग्रेस के सहयोग करने का कोई लक्षण दिखाई देता है या नहीं। भी एल० भीमकास आयर गोवाटी-कांग्रेस के सभापति चुने गये।

गोवाटी-कांग्रेस

गोवाटी कांग्रेस स्वभावतः ही सनातनी के यातारण में हुई। सनातनी का कारण सहयोग और असहयोग का पारस्परिक संपर्क था। यह याद रखने की बात है कि आरम्भ में असहयोग का अर्थ लगातार और एक-सी क्कावट डालना था, उसके बाद इस नीति का अनुसरण उस अवस्था में, जब कौंसिलों में स्वराज्यों का मन्त्राधिकार हो, करने की बात कही गई। धीरे-धीरे यह सहयोग लगभग असहयोग के निकट आ गया, क्या कौंसिलों की कमिटियों का निर्वाचन द्वारा प्राप्त होने वाली जगहों के सम्बन्ध में और क्या भारत-सरकार की कमिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में। अन्त में यह असहयोग साबरमती में सहयोग के आस-पास घूमने लगा, पर भिन्नक के साथ। कौंसिल पार्टी इस सम्बन्ध में बात-चीत चलाने को तो तैयार थी, पर स्वीकार करने से सकोच करती थी। इसके अलावा स्वराज्य-पार्टी में भी असहयोग करने की प्रवृत्ति मौजूद थी। पर यह राष्ट्रीय दल, स्वतन्त्र दल या उदार-दल-वालों की स्थिति अन्दरने को तो तैयार न थी। सहयोग के विचार को तो यह गिलराक में उड़ाही थी, परन्तु स्वराजी खुद प्रतिवहयोग की, सम्मान-पूर्ण सहयोग की, सम्भव होने पर सहयोग और आवश्यक होने पर अड़ना डालने की, और मुबारों के मामले में सहयोग करने की बात करते जम्ब थे। इन्हीं घुम पर पूर्ण रूप से व्यावहारिक प्रश्नों ने प्राणपोषितपुर (गोवाटी) में आराम में विचार पैदा कर दिया था। साथ ही सरकार भी मुस्लिम-मुस्लिम प्रथमा करक, और अग्रवय कर से उसे आम्बित करके, प्रलोभन दे रही थी और उन सर हयकरी से धम से रही थी, जिनके द्वारा अनिश्चित मन्त्रिण और भी-हृदय करण में आते हैं।

यह विचार ही कभी सतने और उगनेराला था, पर दुःस्व-त न था। किन्तु जब ए० एम० गोवाटी में यह सम्भव पहूचा कि एक मुठलमान ने प्रथमा अन्वय-द को गंगाराला पर उनसे मुलाकात करने के बताने, गोला डार ही तो यह और भी बढ़ गया। किन्तु यह सम्भव प्रिण्ट उस दिन गोवाटी में कांग्रेस के सम्बन्धित कर हाथों पर खुलू निधना अनेराला था। काँग्रेस (अपिसे कर देर टहण, इतलए यह कांग्रेस के सम्बन्धित कर सम्मान अर्द्धा को अर्द्ध दल से

शासन रहे। (२) आय का एक उचित भाग "राष्ट्र-निर्माण" विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मंत्रियों को हस्ताक्षरित विभागों की नौकरियों पर पूरा अधिकार हो।

परन्तु सारी बातें फिर खटाई में पड़ गईं। श्री जयकर ने उम मसखिंदे को, जो कमियों के सामने रक्खा गया समझौते के बिलकुल विरुद्ध बताया और कहा कि समझौते के ठीक-ठीक अर्थों के संबंध में संदेह और मतभेद को दूर करने के बहाने शर्तों का पूरी तरह खण्डन किया गया है। वन, इसके बाद से स्वराजियों और प्रतियोगी-सहयोगियों का मन मुटान बढ़ता गया; परन्तु अभी सार्व-मती के समझौते का मसखिंदे-द्वारा निपटारा होना था, जो ५ मई को हुई। इस बैठक में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "चूंकि शर्तों के ठीक-ठीक अर्थ के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में इतना मतभेद है कि उसका दूर होना असम्भव है, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से समझौते की जो बातचीत चला रहा था वह भंग हो गई है, और इसलिए पैकट को समाप्त और रद्द समझा जाय।" वह इन्लैण्ड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दो महोदयों की लुइस ली और श्री श्रीनिवास आयरन ने उनका स्थान ग्रहण किया।

हिन्दू-मुसलिम दंगे

१९२६ के मध्य में हमें देश की राजनैतिक स्थिति का सिंहावलोकन करने के लिए ठहर जाना चाहिए। ६ अप्रैल १९२६ को लॉर्ड अर्विन भारत में आए। लगभग उसी समय कलकत्ते में बर्फी ही मथानक साम्प्रदायिक दंगा हो गया। छः सप्ताह तक कलकत्ते की सड़कें हत्या-काण्ड और अप्प-वस्था का अत्याजा बनी रहीं। जगह-जगह सड़कों पर दंगे हुए, ११० जगह आग लगाई गई, मन्दिरों और मस्जिदों पर हमला किया गया। सरकारी बयान के अनुसार पड़ली मुठभेड़ में ४४ आदमों मरे और ५८४ घायल हुए और दूसरी मुठभेड़ में ६६ आदमों मरे और ३६१ घायल हुए। ६ सप्ताह के विषय और हत्या-काण्ड के बाद दंगा शान्त हुआ। लॉर्ड अर्विन इन दंगों से बड़े बेचैन हुए। उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमें उन्होंने अपनी सारी आस्था और विश्वास, सारी धर्म-भावना और सहृदयता रम दी। उन्होंने जनता को समझाया कि भारत के राष्ट्रीय जीवन और धर्म के नाम पर भारत की उस मुकीर्ति को बनाओ जिसे वर्तमान वैमनस्य मिश्र रहा है।

अगस्त के महोदय में हिल्टन यंग-कमीशन ने मुद्रा और विनिमय पर अपना रिपोर्ट प्रकाशित की और सरकार ने उसके अनुसार सट्टरट १८ पेंस वाला बिल पेश कर दिया। सरकार की इस जल्दबाजी की निन्दा हुई और उसने १९२७ की फरवरी तक टहर जाना मजूर कर लिया, जिससे लोगों और जानकारों को यह निर्णय करने का अवसर मिला कि फीमर्से १८ पेंस के अनुपात पर आकर ठहर गई है या नहीं।

सितम्बर में लाला लाजपत राय और पण्डित मोतीलाल नेहरू से बर्फी कॉमिशन के नाम के संबंध में फिर मतभेद उठ खड़ा हुआ। लालाजी का स्वप्न था कि स्वराजियों की 'वाक-आउट' की नीति हिन्दू-दलों के लिए श्रेष्ठता मानिक है। वह पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में काश्माली के समझौते की मुक्ति के पक्ष में भी थे। इसलिए उन्होंने बर्फी कॉमिशन में कांग्रेस-पार्टी से इन्तिया दे दिया। बर्फी कॉमिशन की शर्तों भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली थी। नए निर्वाचन मिर पर मौजूद थे। अग्रज पटेल का भूरि-भूरि प्रशंसा की गई; प्रशंसा करने वालों में दीवान बहादुर भी शामिल थे। सर पी० शिवरामो ऐण, मि० वेदविष्टा, भी नियोगी, मीलरी मुहम्मद खान, पण्डित मदनमोहन मालवीय और सर एनेस्त्रेवश मुदीमैन थे। प्रशंसा, आदर-प्रदर्शन और मंगल-नामना की महोत्सव

दितों की उपरति के लिए, और व्यक्तिगत तथा भाषण देने, सभा सगठन करने और समाचार पत्रों की आजादी और फलतः मौकरशाही को स्थान-व्युत् करने के लिए आवश्यक हों।

(उ) कांग्रेसवादी कृषकों की दशा में उपरति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे या उनका अनुमोदन करेंगे, जिनके द्वारा किसानों को मौरूही हक प्राप्त हों और जिनके द्वारा किसानों की दशा में शीघ्र ही सुधार हो।

(ऊ) और सेठी का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के दितों की रक्षा करेंगे और जमींदार और किसान और मजदूर के पारस्परिक सम्बन्ध में सामंजस्य स्थापित करेंगे।

बङ्गाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को धिक्कारा गया। देश में और देश के बाहर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सम्बन्ध में, गुप्तद्वारा-आन्दोलन के कैदियों के और मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव पास किये गये। अगले अधिवेशन के लिए स्थान नियत करने का काम महासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया।

गांधीजी ने कांग्रेस की सारी चर्चा में भाग लिया। यहाँ तक कि विषय-समिति ने जो दो प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें गांधीजी ने दूसरे दिन बदलवा दिया। उनमें से एक नामा के सम्बन्ध में या और दूसरा मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में। गांधीजी की नामा के साथ इतनी सहानुभूति कभी नहीं रही कि वह कांग्रेस को इस सम्बन्ध में किसी खास स्थिति में पटक देते। एक तीसरा स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव तो गांधीजी की ओजसविता की अग्नि से भस्म ही हो गया।

नरोत्तम सुभारजी और अन्य अग्रंशास्त्र-विशारद-वहा इसी कारण मौजूद थे कि मुद्रा-व्यवस्था का प्रसंग छिड़ेगा। भो केलकर और भी जयकर दोनों में से कोई नहीं आया था। एक कारण यह था कि वे बीमार थे। दूसरा कारण यह था कि उस समय तक प्रति सद्योग-वादी कांग्रेस से बिलकुल पृथक हो गए थे। गोहाटी-कांग्रेस ने ग्राम-संगठन के काम पर जोर दिया और उन कांग्रेस-वादियों के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या कांग्रेस-संस्था की किसी भी प्रकार की समिति या उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हों, या जो स्वयं निर्वाचित होना चाहते हों या कांग्रेस की किसी भी संस्था की बैठक या समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हों, खदर पहनना लाजिमी कर दिया।

गोहाटी-कांग्रेस के सभापति ने १९२६ के निर्वाचनों में मिली स्वराजियों की सफलता का थोड़ा-सा जिक्र किया। स्वराजियों का निर्वाचन-संबन्धी कार्यक्रम बड़े ध्यानपूर्वक तैयार किया गया था। मद्रास में स्वराजियों ने कठरी विजय पाई, जिसे सरकार भी स्वीकार करती है। युक्तप्रोव अन्ध्या न रहा। प० मोतीलाल के शब्दों में वही तो, “उनकी हार इसलिए नहीं हुई कि वे स्वराजी थे, बल्कि इसलिए कि वे राष्ट्र-वादी थे। यह तो राष्ट्रीयता में और निम्नतर साम्प्रदायिकता की सहायता में धन, भ्रष्टाचार, अतंकवाद और मिथ्या-वाद से काम लिया गया था। कांग्रेस के विरोधियों ने—हिन्दू-मुसलमान दोनों ने—‘धर्म सक्त में है’ की आवाज उठा रखी थी। मेरे बारे में ग्राम तौर से कहा गया कि मैं गोमांस खाता हूँ, गोहत्या का अपराधी हूँ, मस्जिदों के आगे बाजा बन्द कराने का समर्थक हूँ और इलाहाबाद में रामलीला के जुलूम बन्द कराने का एकमात्र जिम्मेदार हूँ।”

इस जमाने में कांग्रेस का काम वार्षिक अधिवेशनों में लम्बे-नौढ़े प्रस्ताव पास करना और कौंसिलों में मुठभेड़ करने रहना मात्र रह गया था। पर एक बात ऐसी भी थी जिसने उन दिनों में विरोधता धारण कर ली थी। जबसे अखिल-भारतीय चर्खा-संघ बना खदर, प्रामोन्वति और

गया था। पर शुलुम का विचार छोड़ देना पड़ा। हिन्दू-मुसलमैन दोनों में इस दुःखदायक शोक छा गया।

जब श्री धीनिवास ने अपना भाषण समाप्त किया तो उगमें कोई नई बात दिखाई न पड़ी। वे विचार पहले से ही आने-पूछे थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द की स्मृति का उचित शब्दों में करने, और उमर सोभानी की, जो कभी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रह चुके थे, दुःखदायी मृत्यु की रूप से चर्चा करने के बाद निर्वाचनों का जिक्र किया और कहा कि स्वराज्य-पार्टी ने कौंसिलों की विधि का अवलम्बन किया, परिणामों ने उसको उचित सिद्ध कर दिया है। इसके बाद दैच-टांचे को विश्वर के बताया कि इसमें निरकुरता भरी हुई है। फिर देशबन्धु की समझौते का, भारत का दर्जा, सेना और जल-सेना के सम्बन्ध में कहकर कौंसिल के कार्यक्रम की उन्होंने पद स्वीकार करने की नीति को स्पष्ट शब्दों में और अक्रूर-तर्क के साथ चिन्तित। उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की स्थिति का मूल्य आकृते हुए कहा कि "यह दल ऐसा विरोधी नहीं है वा शक्ति अप्रत्यक्ष है, पर है ठोस, और मंत्रियों की शक्ति की उपेक्षा नहीं करेगा उम्भ्र करने वाली है।" इसके बाद उन्होंने तत्कालीन समस्याओं, मुद्रा और साम-ग्यों की और साथ ही खदर, अप्पूरयता और मादक द्रव्य निषेध की चर्चा की और सदि-एकता पर जोर दिया।

हाटी के प्रस्ताव इस्वमामूल थे। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने और अनुमोदन मौलाना मुहम्मदअली ने। गांधीजी ने समझाया कि मजहब की असलियत के इत्या के कारणों को बताया—“शायद अब आप लोग समझ जायेंगे कि मैंने अन्दुल-माई क्यों कहा। मैं तो उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नहीं ठहराता। दोषी तो असल होने एक-दूसरे के विरुद्ध पृथा को उत्तेजित किया।” केनिया का नम्बर प्रस्तावों में दूसरा में प्रवासी भारतीयों के विरुद्ध कानून और भी कठोर होता जा रहा था। आरम्भ में लिग था। फिर वह मुद्रा-व्यवस्था की उलट-पेर के द्वारा बढ़ाकर ३०शिलिंग कर दिया गया बाद कानून के द्वारा ५० शिलिंग कर दिया गया। इस प्रकार वहा यूरोपियन हितों की र हितों के, उनकी स्वतन्त्रता के और उनकी आकांक्षाओं के विरुद्ध की जा रही थी। कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि:—

) जबतक सरकार राष्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस की या महासमिति न्तोषजनक हो, तबतक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सरकार-द्वारा प्रदान किये जाने-की पद को स्वयं ग्रहण न करेंगे, और अन्य पार्टियों-द्वारा मन्त्रि मण्डल की रचय देंगे।

) जबतक सरकार उपर्युक्त प्रकार का उत्तर न देगी तबतक कांग्रेसवादी (ई) धारा में प्र प्कान रखने हुए पत्र-सम्बन्धी भागों को अस्वीकार करेंगे और पत्रों को रद करेंगे, मिति की आशा कोई और प्रकार की न हो।

जिन कानूनों के द्वारा शेरशाही अपनी शक्ति मजबूत करना चाहती हो उनका सम्बन्ध में प्रस्तावों को कांग्रेसवादी पैक देंगे।

कांग्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव देना करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और बिलों का समर्थन करेंगे जो की उचित शक्ति के लिए, देश के आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, उद्योग और व्यापार-सम्बन्धी

कांग्रेस का 'कौंसिल-मोर्चा'—१९२७

अब हमें भिन्न-भिन्न कौंसिलों में कांग्रेस-पार्टी द्वारा किये गये काम का पर्यालोचन करना है। यह याद रहे कि बंगाल और मध्य प्रान्त में पिछले तीन साल से द्वैध-शासन का अन्त हो गया था। १९२७ में इन दोनों प्रान्तों में यह फिर कायम कर दिया गया। बंगाल में मंत्री के वेतन की माग के पक्ष में ६४ रायें आईं, विपक्ष में ८८। मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५५ और विपक्ष में १६। १९२६ के मार्च में स्वराज्य पार्टी बड़ी कौंसिल से उठकर चली गई। उसका इरादा नये निर्वाचन समाप्त होने तक आने का न था। पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर लगाने का प्रस्ताव पेश किया तो स्वराज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौंसिल-भवन में आई और प्रस्ताव को अवरुद्ध तक के लिए, अर्थात् वर्तमान कौंसिल भंग होने तक, स्थगित करा दिया। जब बड़ी कौंसिल की नई बैठक हुई तो हर एक को १८ पेंस की दर वाली यात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक बैठक में पण्डित जी ने सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण आरम्भ किया। उन्होंने मल्लेन्द्रचन्द्र मित्र की—जो जेल में बन्द रहने हुए भी निर्वाचन के लिए चुने गये थे—अनुपस्थिति की चर्चा करने के लिए कौंसिल की बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। अभी हाल ही में १९२५ में बड़ी कौंसिल में टीक इमी प्रवार का प्रस्ताव श्री शरतचन्द्र वसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पाम हुआ। श्री शरतचन्द्र वसु निर्वाचन के समय जेल में शाही कैदी थे। पण्डितजी का कहना था कि श्री मित्र को जेल में बन्द रखकर सरकार बड़ी कौंसिल के एक पर और उन्हें चुनने वाली के अधिकारों पर आघात कर रही है। इस प्रश्न पर सरकार १८ रायों से हारी। पर वो भी श्री मित्र को बड़ी कौंसिल में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र न किया गया। बंगाल के नजरबन्दों का प्रश्न भी उठाया गया। पण्डितजी की माग मूल प्रस्ताव के संशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो नजरबन्द छोड़ दिये जाय या उन पर मामला चलाया जाय।

लालाजी ने, जो उस समय राष्ट्रीय-दल के सदस्य थे, कहा कि यदि सरकार कानून का संहारा छोड़ कर यह कहे कि उन्हें बिना मुकदमा चलाये जेल में रखना स्थिति के लिए आवश्यक है, तो मी टीक है। पण्डितजी का संशोधन २३ रायों की अधिकता से पाम हो गया। श्री मित्र वाले प्रस्ताव के बाद बड़ी कौंसिल को स्थगित करने के लिए और भी कई प्रस्ताव पेश किये गये। उनमें से एक चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध में था। दूसरा फिजी को भेजे गये भारतीय शिशु-मरणदल की रिपोर्ट प्रकाशित न करने के सम्बन्ध में था। इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नहीं मिली। एक और प्रस्ताव रेलवे बजट की-बहस समाप्त होने और बड़े बजट के पेश होने तक विनिमय की दर वाले प्रस्ताव को स्थगित करने के सम्बन्ध में था। यह प्रस्ताव ७ अधिक मत से पाम हो गया। अन्तिम प्रस्ताव लद्दगपुर की और बंगाल-नागपुर-रेलवे के अन्य स्थानों की हड़ताल की चर्चा करने के सम्बन्ध में

प्रदर्शिका के पश्चिम साक्षात्कार में प्यारी लगी। अन्य स्त्री-पुरुषों ने सड़क का सव से निचा का
 पृथक रूप से हमके प्रचार में लगे हुए थे। मासिक प्रदर्शिनियों के द्वारा निरुद्ध हुआ कि कठोर
 विठनी उन्मत्त कर दिगार है। विशार में गोदाटी के अथवा पर सड़क ठीकर करमें में अपनी
 अन्तत गाल की जो उन्मत्त दिगार पर सारे देश के लिए हर्षित-सुख्य थी। दो एक बतों को
 जोड़ कर हथक बाकी बतों में प्रदर्शिनियां, जो सव कामेग का अन्ततत खंग हो गईं, सोरह साने
 सड़क की प्रदर्शिनियां हो गईं हैं। इन प्रदर्शिनियों ने देश की सामाजिक, सामाजिक और सांस्कृतिक
 अन्तत के साथ-ही-साथ आर्थिक उन्मत्त की और भी अन्तत देने में सहायता पहुंचा है और लोगों
 को विश्वास दिख दिगा है कि सभ्य का अर्थ है 'निर्जनों के लिए जीवन और सख'।

गांधीजी ने हाल-भर क्षेत्र-सत्याघ का जो घट कानपुर में घारण किया था उसकी मियाद पूरी हो गई थी। उन्होंने हाल ही में राजनीति से जो विभ्रम ग्रहण किया है और उसे जो लोग विचित्र या सनक समझते होंगे, वे इस कानपुर वाले घट के द्वारा इसका रहस्य समझ जायेंगे। जब कभी कांग्रेस ने उनकी सलाह की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि जिधर चाहे जाय। उन्होंने काम का आरम्भ देशवन्धु-स्मृति-कोष के लिए बिहार में दौरा करके किया। इस प्रकार सप्रद किया हुआ घन खहर-प्रचार में लगाया गया। कौंसिल के काम में उनके लिए कोई आकर्षण न था। लाला लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन प्रतीत हुआ था। उन्होंने कौंसिल के कार्य को निस्कार और शक्तियों का अपव्यय मात्र बताया था। लालाजी के बाद एस० श्रीनिवास आयोगर की वारी थी, जिन्होंने कहा, “वही कौंसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रान्तीय कौंसिलें तो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अहंता-नीति सफल हो सके।”

दक्षिण अफ्रीका

एम सरोजिनीदेवी के दक्षिण अफ्रीका-गमन की चर्चा कर ही चुके हैं। १९२४ में दक्षिण-अफ्रीका में स्थिति बहुत ही बुरी था और जनरल स्मट्स 'सेप्रेगेशन बिल' पास कराने ही वाले थे कि भारतीय कांग्रेस के अनुरोध से सरोजिनीदेवी पूर्वी अफ्रीका से दक्षिण-अफ्रीका तक गईं और उनका खड़े जोर का स्वागत हुआ। बिल लगभग पास हो चुका था, पर जनरल स्मट्स की सरकार ने हस्तीका दिया, इसलिए वह बिल भी त्याग दिया गया। १९२५ में जनरल हर्टजोग ने अधिकार प्राप्त किया और एक पहले से भी अधिक कठोर बिल तैयार किया गया। इस बिल का नाम था 'बलास परिया-बिल'। यदि यह यूनिनियन पार्लियामेंट में पेश किया जाता तो सरकार और विरोधी दल दोनों इसके लिए स्वीकृति दे देते। दीनबन्धु एण्डरूज से गांधीजी और कांग्रेस ने वहां जाने का अनुरोध किया और उन्होंने तत्काल ही यह आवाज उठाई कि यदि बिल पास हो जायगा तो गांधी-स्मट्स समझौता भंग हो जायगा। बाद को भारत-सरकार ने पैडीसन-शिष्ट-मण्डल भेजा, जिसकी और यूनिनियन-सरकार ने अधिक ध्यान नहीं दिया। पर धीरे-धीरे यह तय हुआ कि प्रस्ताव को उस समय तक रोक रक्खा जाय जबतक भारत-सरकार का शिष्ट मण्डल, जिसे यूनिनियन सरकार के साथ समझौता करने का अधिकार प्राप्त है, पहुंच कर दक्षिण-अफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में अच्छी तरह से चर्चा न कर ले।

१६ अक्टूबर १९२६ को दक्षिण-अफ्रीका के लिए एक भारतीय शिष्ट-मण्डल के नियत किये जाने की घोषणा हुई, जिसके नेता सर मुहम्मदहबीबुल्ला थे। १७ दिसम्बर १९२६ को एक परिषद् हुई, जिसका उद्घाटन दक्षिण-अफ्रीका के प्रधान-मन्त्री जनरल हर्टजोग ने किया। यह अधिवेशन १९२७ की १३ जनवरी तक रहा और एक चालू समझौता दोनों प्रतिनिधि-मण्डलों में हुआ। इस समझौते का सार इस प्रकार है:—

देश में पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन कायम रहने के उद्देश्य से सारे वैध और न्याय-पूर्ण उपायों के अवलम्बन करने का दक्षिण-अफ्रीका का अधिकार दोनों सरकारें स्वीकार करती हैं।

यूनिनियन-सरकार इस बात को मानती है कि जो भारतीय यूनिनियन में बस गये हैं वे यदि पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन अपना कर रहने चाहें तो रहने दिये जायें। जो भारतवासी भारत को या ऐसे देशों को जान्य चाहें जहां पाश्चात्य ढंग का रहन-सहन अपरिष्कृत न हो उनके मुनीने के लिए यूनिनियन-सरकार एक योजना तैयार करेगी। यूनिनियन में आकर रहने के सम्बन्ध में जो कानून हैं उनमें परिवर्तन किया जायगा, जिसके अनुसार जो लोग लगातार तीन साल तक यूनिनियन से

किन्तु आब इतने समय बाद जब हम उस हल को पढ़ते हैं और इस बात पर विचार करते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-समस्या में उस समय से अबतक कितने उलट-पेर हो गये हैं, तो यह बात हमारे दिमाग आये बिना नहीं रह सकती कि बम्बई वाला हल वास्तविकता से कौंसों परे था। उसके बारे में इतना कहना काफी होगा कि उसने प्रान्तों व केन्द्रीय धारासभाओं में सयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली नियत की और आवादी के हिसाब से जगहों का बटवारा किया था। साथ में यह शर्त भी जोड़ दी गई कि भिन्न-भिन्न जातियों में आपस में समझौता हो सके तो मय पंजाब के सिक्खों के अल्प-संख्यक जातियों के साथ रिश्तायत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगहें दे दी जाय और जिम हिस्सा से उन्हें प्रान्तों में अधिक जगहें दी जाय वही हिस्सा बड़ी कौंसिल की जगहों के बटवारे में भी लागू हो।

बम्बई में महासमिति की बैठक में साम्राज्यवाद-विरोधी परिपद के प्रश्न पर भी विचार हुआ। जवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे। आपने परिपद में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रुसेलस, जहा परिपद की बैठक हुई थी, कांग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी। महासमिति ने जवाहरलाल जी की सेवाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की और साम्राज्यवाद-विरोधी संघ के प्रयत्न को भी सराहा। महासमिति ने कांग्रेस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह सभ को अपनी एक सहायक-संस्था मानकर उसके उद्देश व कार्यों का समर्थन करे।

दूसरे प्रस्ताव-द्वारा चीन की आजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की गई और चीन को फौजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई; साथ-ही-साथ फौजों की वापसी की भी मांग की गई। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन को एम्बुलेन्स कोर भेजने का जो इगदा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशंसा की। ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेड-यूनियन-कानून, बंगाल-कांग्रेस का भंगना, मजदूरों का सगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार ये अन्य विषय थे जिनपर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। इनमें आखिरी विषय पर गौर से विचार होना था। मद्रास-कौंसिल की कांग्रेस पार्टी की बड़ी कड़ी आलोचना की गई; एक वक्त तो, ऐसा मालूम होने लगा कि उसपर निन्दा का प्रस्ताव पास कर ही दिया जायगा। बात यह थी कि जब मद्रास में कांग्रेस-पार्टी की चुनाव में खासी जीत हुई—१०४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ४५ थे और यदि सरकार की बात मानी जाय तो १०४ में १८—तो कांग्रेस-पार्टी के नेता को गवर्नर ने बुलाया और उनसे मन्त्रि-मण्डल बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। वह खुद तो कौंसिल के अध्यक्ष बन गये, और यह एक प्रकट रहस्य था कि स्वतन्त्र-दल-वालों ने कांग्रेस-पार्टी के इस गुप्त आश्वासन पर ही मन्त्रि-मण्डल बनाया कि वह (अर्थात् कांग्रेस-पार्टी) स्वतन्त्र-दल-वालों का साथ देगी। सिद्धान्त के विचार से इसका विरोध होना स्वाभाविक ही था। यद्यपि महासमिति के सामने उस समय सविनय-अवज्ञा का कोई कार्यक्रम नहीं था तब भी उसमें असहयोग की भावना भरी हुई थी और उसने प्रथम दृष्टि-कोण भी ऐसा बना रखा था। जब भी गोपाल मैसन ने कांग्रेस-पार्टी के मद्रास-कौंसिल के सदस्यों के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया, तो उसके पक्ष में ज़ोरों से कैम्पेसिंग होने लगा। यह उम्मीद की जा रही थी कि श्री फेलकर प्रस्ताव का विरोध करेंगे। आपने पहले से लिख रक्खी भाषा में पं० मोतीलाल नेहरू पर गन्दे आक्षेप किये। अन्त में यह तय पाया कि यह प्रश्न, कि कांग्रेस-पार्टी ने मन्त्रियों के देतन और खर्चों की रकमों के विरुद्ध राय क्यों नहीं दी, कार्य-समिति को जांच करके उसपर रिपोर्ट पेश करने के लिए सौंपा जाय।

इस समय मई के चौथे छमाह में एक बड़ा आनन्ददायक समाचार प्राप्त हुआ। चार साल के जेल-जीवन के बाद सुभाष बाबू छोड़ दिये गये। लॉर्ड लिटन इस विषय में जरा घबराते रहते थे;

अनुपरिचित रहेंगे उनके अधिकार नष्ट हो जायेंगे। इस कानून का प्रयोग साल-भर किया जाऊँगा जो प्रवासी यूनिजन-सरकार-द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार भारत या अन्य देशों को गो और तीन साल के भीतर वापस आना चाहे, वे सभी ऐसा कर सकेंगे जबकि वे यूनिजन-सरकार के सब रकमें लौटा दें जो उन्हें यूनिजन-सरकार से यूनिजन से जाते समय मिली हों। भारत-का अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करती है कि वह इन प्रवासी भारतीयों की उनके भारत वापस आने पर देख-भाल करेगी। यूनिजन में स्थायी रूप से बसे हुए भारतीयों की स्त्रियों और नर्स-बच्चों का यूनिजन में प्रवेश १९१८ की शाही-परिषद् के २१ वें प्रस्ताव के तीसरे पैरे के अनुसार होगा। इस पैरे के अनुसार अन्य ब्रिटिश देशों में स्थायी रूप से बसे हुए भारतीय स्त्रियों व नाबालिग बच्चों को इन शर्तों पर ही यूनिजन में ला सकेंगे—(अ) प्रत्येक भारतीय स्त्री और उसके बच्चों से अधिक को यूनिजन में न ला सकेगा; (ब) यूनिजन में इस प्रकार प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भारत-सरकार यह प्रणाम-पत्र देगी कि वह उस भारतीय जायज पत्नी है या जायज बालक है। यूनिजन-सरकार ने, इस आशा में कि यूनिजन के सामने दिक्कतें हैं वे इस समझौते से, जोकि दोनों सरकारों के बीच में खुशमनसीवी से हो गया है, बहुत दूर हो जायगी और इस हेतु से कि इस समझौते पर अच्युत वातावरण में अमल होना प्रारम्भ यह निश्चय किया है कि 'परिया रिजर्वेशन एण्ड इमिग्रेशन एण्ड रजिस्ट्रेशन बिल' को पार कर दी आगे कोई कार्रवाई न की जाय।

दोनों सरकारें इस बात को देखने के लिए राजी हो गई हैं कि समझौते पर किस प्रकार अमल होता है। अनुभव से जिन-जिन बातों में परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देगी उनसे दोनों सरकारें विचार-विनिमय करने के लिए तैयार हैं।

दक्षिण-अफ्रीका की यूनिजन-सरकार ने भारत-सरकार से प्रार्थना की है कि वह दोनों सरकारों लगातार व कागस सहयोग बनाने रखने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त करें।

जब प्रथम कैप्टान-परिषद् स्वतन्त्र हुई तो गांधीजी ने, जो दक्षिण-अफ्रीका में एजेण्ट के रूप में थे ही, भारत के समाचारपत्रों में माननीय भीमराव शस्त्री का नाम देना किया। भारत-भारतीय जनता पीछे ही इस सलाह से सहमत हो गई। जैसा हम बाद में देखेंगे, भी शस्त्री नियुक्ति का परिणाम अच्छा ही रहा।

गोहाटी वाले प्रस्ताव में सविनय-अवज्ञा का बुद्ध भी जिक्र नहीं किया गया था। १९२७ में एक नया वातावरण पैदा हो गया। यह ठीक है कि सरकार इस बात से अत्यंत निगूह हुई कि गोहाटी-कॉम्रेस सहयोग के लिए क्यों नहीं तैयार हुई, लेकिन अखिलिन्ना में लाल-मन्त्रि-मन्त्रियों के बनने और दैय शासन को अमल में लाने की धुन में लगे हुए थे। जब गांधी ने अन्ध दौग शुरू किया तो राज-मन्त्रियों के दिल का दर तो अब निराल खुश था और उनसे बुद्ध ने तो गांधीजी को बुलाना भी शुरू कर दिया। वे अब सरर को इस नजर से न देखते थे, बल्कि वे स्वतन्त्रों के कीर्ती-दल की राष्ट्रीय-योद्धा है, - इस नजर से देखने लगे कि वह देश-व्यापक अन्धकार के लिए बन्नी पीठ है। उन्होंने गांधी जी को एक सच्चा और ईमानदार बनाने का, हा, राष्ट्रीय-सेवा में काम करने के उनके उद्यम उन्हें गुमान करने करने लगे उनके देश-वैतनिक विचार बुद्ध मन्त्रियों-वैतने महान् होते थे। गांधीजी बुद्ध समय तक ही दौग का लोके से ही-दूर रह गये। जब बम्बई में १५ व १६ मार्च को महासम्मति की बैठक हुई, कार्य-मन्त्रियों ने बुद्ध मन्त्रियों का एक एजेंट उन्के सामने देना किया। महासम्मति में उनके मन्त्र भी हा-जिद

का अधिकार है, उस शहर या गांव में उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने की स्वतन्त्रता होगी; लेकिन वे गो-वध न तो किसी ग्राम रास्ते पर करेंगे, न किसी मन्दिर के पास। और न किसी ऐसी जगह पर कि जहां हिन्दुओं की नजर पड़ती हो। गायों को, उनका वध करने के लिए, जुलूस में भी न निकाला जाय और न कोई विशेष प्रदर्शन किया जाय। चूंकि गो-वध के सम्बन्ध में हिन्दुओं की भावनाएं बहुत गहरी जड़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से आग्रहपूर्वक अपील की जाती है कि वे गो वध इस प्रकार न करें जिससे शहर या गांव के हिन्दुओं को दुःख पहुंचे।”

सम्मेलन ने उन्हीं दिनों के कुछ कातिलाना हमलों की भी निन्दा की और हिन्दू व मुसलमान नेताओं से अपील की कि वे देश में अहिंसा का वातावरण उत्पन्न करें। सम्मेलन ने कांग्रेस की महासमिति को भी यह अधिकार दिया कि वह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए हर प्रांत में एक-एक कमिटी नियुक्त करे।

एकता-सम्मेलन के खतम होते ही २०, २६ व ३० अक्टूबर १९२७ को कलकत्ता में महासमिति की बैठक हुई। सांग्रदायिक प्रश्न पर एकता सम्मेलन के प्रस्ताव ब्यों-के-न्याय पास कर दिये गए। इसके पश्चात् बंगाल के नजरबन्दों का सवाल सामने आया। इन नजरबन्दों में कुछ तो चार-चार साल से जेलों में पड़े हुए थे। इसलिए उनकी शीघ्र-से-शोष रिहाई करने का प्रयत्न करने के लिए एक कमिटी नियुक्त की गई।

कलकत्ते की बैठक में महासमिति ने जिन जिन विषयों को उपयुक्त प्रस्तावों-द्वारा निरदाया था वे वे थे—ग्रामरीका-रिषत भारतीय, भारत के हित समर्थन के लिए सिनेटर कोर्पोरेट के प्रति कृतज्ञता-प्रकारा, भी सकलातवाला को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा नरेरा का 'राज्य-न्युन' होना। यह प्रस्ताव गोहाटी में तो छुड़ा दिया गया था, लेकिन कलकत्ते में इसपर फिर विचार हुआ। इस विषय को भी बी० जी० हार्निमैन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप महासमिति ने महाराज के साथ न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया।

साइमन-कमीशन

नवम्बर के पहले हफ्ते में कुछ सनमनीदार बातें हुईं। वाइसराय अपने दौर का कार्यक्रम रद करके वापस दिल्ली आ गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेताओं को ५ नवम्बर व उसके बाद की तारीखों में मुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण दिया गया। गांधीजी इस समय दिल्ली से बहुत दूर बंगलौर में थे। उन्हें भी वाइसराय से मिलने का निमन्त्रण मिला। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद कर दिया और दिल्ली आ पहुंचे। जब वह वाइसराय से जाकर मिले तो थोड़े ऐसी विरोध बात न निकली। लार्ड हार्निमैन ने गांधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री की धोखा रण दी। जब गांधीजी ने वाइसराय से पूछा कि क्या इस परी काम है, तो लार्ड हार्निमैन ने कहा, “बन, यही।” गांधीजी ने मोचा कि यह सन्देश तो एक छाने के लिफाफे के जरिये भी उनके पास पहुंच सकता था। पर बात यह थी कि साइमन-कमीशन की धोखा भारत में ८ नवम्बर सन् १९२७ को की गई। वाइसराय उनके प्रति सम्मानना पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न में थे। कर्जिल के सिवा भी भारत की सब पार्टियां साइमन-कमीशन की नियुक्ति से इसलिए नाराज हुईं कि उनमें एक भी भारतीय नहीं रहना गया। और कांग्रेस का यह मत स्वाभाविक ही था कि साइमन-कमीशन तो उसकी अचकचचे मांग के निष्ठ भी नहीं पहुंचता। डा० बेमेरट ने कहा कि यह जने पर नमक लिङ्कन्य नहीं है तो क्या है ?

भी दिनरा बाबा जैसे अन्धिल भारतीय नरम नेत्रों ने कमीशन के विना एक धोखा-

अतः पंचगाल के गजबन्दों के साथ नरमी दिलाने का काम सर स्टैन्ले जैक्सन के जिम्मे पड़ा। मुभाय बापू का स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया था और इसी यज्ञ से सबको बड़ी चिन्ता होने लगी थी।

दंगों की याद

सन् १९२७ की गमियों में अन्य सालों की भाँति कोई मार्के का कानून पास नहीं हुआ, लेकिन देश में हिंदू-मुस्लिम दंगों की याद ही आ गई। सबसे भीषण दंगा लाहौर में हुआ, जो ३ मई से ७ मई तक होता रहा और जिसमें २७ व्यक्ति मारे गये और २७२ घायल हुए। विशा, मुलतान (पंजाब), बरेली (युक्त-प्रान्त) व नागपुर (मध्य-प्रान्त) में भी इसी प्रकार के दंगे हुए। लाहौर के बाद नागपुर का दंगा इन सबमें भीषण था, जिसमें १६ व्यक्ति मारे गये और १२३ घायल हुए। इन दंगों के पहले क्या-क्या घटनाएँ घटीं, जो इन दंगों में कुछ का कारण बनीं, इसके बारे में कुछ कहना आवश्यक है। तीन साल पहले एक किताब छपी थी, जिसका नाम था 'रंगीला किताब' के नाम से पता चलता है कि वह कितनी आपत्तिजनक होगी। सरकार ने उसके हें मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रहा। अदालत ने दो साल की सजा का हुक्म सु-अपील में भी बहाल रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने मज्य रद्द कर दी और लेखक को बरी कर 'रिसाला वर्तमान केस' नाम का एक केस और भी हुआ, जिसमें अभियुक्त को सजा हो ग वो मुकदमों का यह फल हुआ कि सरकार ने कानून में अनिश्चितता देखकर अगस्त १९ असेम्बली में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार था:—

"जो कोई व्यक्ति सम्राट की प्रज्ञा के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं पर जन और बुरे ह्दय से चोट पहुंचाने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों से या दृश्य-संबंधों से : के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दंड की सजा मिलेगी या क्षुमांत होगा या उस पर सजा व क्षुमांत दोनों होंगे।"

दो दिन बहस होकर ही बिल पास हो गया। अगस्त २५ दंगे हो चुके थे जिनमें १० प्रांत में, ६ सप्ताहों में और २-२ पंजाब, मध्य-प्रांत, बंगाल, बिहार व दिल्ली में भी हुए थे। २९ सन् १९२७ को भारतीय धारा-सभा में भाषण देते हुए चाइसराय लार्ड अर्बिन ने बताया १८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण २५० व्यक्ति मौत के घाट उतर गये और २५० अधिक घायल हुए। वायसराय ने एकता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके बाद एक ध सम्मेलन भी किया गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी न मिली। महासमिति ने २७ अक्टूबर १९२७ को इसी प्रकार के एक एकता-सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन उद्घाटन भी भीनिवास आर्यंगर ने किया, और बहुत लम्बी बहस के बाद सम्मेलन ने निम्नलि प्रस्ताव पास किया:—

"चूंकि भारत की किसी भी जाति को अपने धार्मिक कर्तव्यों अथवा धार्मिक विचारों दूसरी जाति पर लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चूंकि हरेक जाति व व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था व सदाचार का विचार रखते हुए अपने धर्म में विश्वास रखने का और उसके अनु कार्य करने का अधिकार होता चाहिये। हिन्दुओं को धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए हर मरि के सामने बुद्धि निकालने की और बाजा बजाने की स्वतन्त्रता है; लेकिन उन्हें मरिजदों के सामने न तो बुद्धि रोचना चाहिये न कोई विशेष प्रदर्शन करना चाहिए और न ही मरिजदों के सामने न भजन गाने चाहिए या इसी तरह बाजा बजाना चाहिये कि मरिजदों के इबादत करनेवाले व नया पहननेवाले दिक् हों या उनके कार्य में बाधा हो। जिस शहर या गाँव में मुसलमानों को मौ-नय कर

बताया कि कांग्रेस की नीति ३५ साल तक तो सहयोग की रही, फिर डेढ़ साल तक असहयोग की, और फिर चार साल कौंसिलों में अड़बोबाजी करने और कौंसिल का काम ही रोक देने की। "असहयोग असफल सिद्ध नहीं हुआ," बा० अन्सारी ने कहा, "हम ही असहयोग के लिए असफल सिद्ध हुए।" इसके पश्चात् अपने शाही कमीशन, नजरबन्द, भारत व एशिया तथा यष्ट्र का स्वास्थ्य आदि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये। कांग्रेस-अधिवेशन में मि० वेस्ट्रीट, मि० पार्ले व पार्लमेण्ट के मजदूर-सदस्य मि० मार्डी जोन्स भी मौजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्ताव के अलावा इस वर्ष के प्रस्तावों में कोई खास बात न थी। शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-सध, चीन, पासपोर्टों का न मिलाना आदि ऐसे विषय थे जिन पर हर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव द्वारा 'युद्ध के स्वतरे' की आवाज उठाई गई और कांग्रेस ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने या सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। जनरल अचारी की भूल-दङ्गल को ७५ वां दिन होचुका था; उन्होंने शस्त्र-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य भाग वर्जित हथियारों के साथ जुलूस निकालना था, छेड़ दिया था। जनरल अचारी को उनकी गैर-हाजिरी में ही बर्खास्त दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गई। स्मरण रहे कि बर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नों की भी निन्दा की गई। १८८५ में जब पहली कांग्रेस हुई थी तब ही उसने बर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे सम्राट् के अधीन एक उपनिवेश (Crown Colony) बना दिया जाय। कांग्रेस ने शाही कैदियों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया और उनकी शीघ्र-से-शीघ्र रिहाई की माग की। पूर्व-अफ्रीका व दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हुए। इन प्रवासी 'भारतीयों' की वास्तविक स्थिति के बारे में इस अध्याय में पहले ही उल्लेख हो चुका है। हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर भी—राजनैतिक अधिकार व धार्मिक एवं अन्य अधिकार दोनों ही विषयों पर—एक प्रस्ताव महा-समिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया। ब्रिटिश माल के बहिष्कार पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया; यह एक नया विषय था जो कांग्रेस के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में आ रहा था। चूक स्वराज्य का सखिवादा वैचार करने की माग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई मतसिद्धे पेश थे, अतः कांग्रेस ने कार्य-समिति को अधिकार दिया कि यह अन्य सत्याग्रहों से मशविरा करके स्वराज्य का सखिवादा वैचार करे और उसे एक विरोध कन्वन्शन (पचायत) के सामने स्वीकृति के लिए रखे। इस कार्य के लिए कार्य समिति को और सदस्य बढ़ाने का भी अधिकार दिया गया। कांग्रेस के विधान में भी कुछ परिवर्तन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसे हम य्यों-का-स्थों नीचे देते हैं:—

कमीशन का बहिष्कार

"चूक ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरह से बहिष्कार करे। विरोध करके—

(अ) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-सत्याग्रहों से अनुरोध करती है कि वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों का आयोजन करें, और भारत के जित जित शहर में कमीशन जाय वहां भी उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) जोरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोकमत को इस प्रकार सङ्गठित करें कि हर तरह के राजनैतिक विचार वाले

भावी संग्राम के बीज—१९२८

कमीशन का बहिष्कार

जब १९२८ का साल प्रारम्भ हुआ तो देश के राजनैतिक वातावरण में साहमन-कमीशन की नियुक्ति के कारण सरकार के प्रति रोष-ही-रोष विद्यमान था। देश कमीशन के बहिष्कार में जी-जान से जुटा हुआ था। कमीशन की घोषणा करते समय लॉर्ड अर्थिन ने कहा था कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरव को जान-बूझ कर अमानिप्त करने का सम्राट् सरकार का कोई इरादा नहीं है। पर साथ में उन्होंने इस बात की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार्य में भारतीयों की सहायता न प्राप्त हुई तब भी कमीशन अपना कार्य बदस्तूर चलाता रहेगा और अपनी रिपोर्ट पार्लियमेंट को पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश हो जाने के बाद पार्लियमेंट उस पर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय करना चाहेगी, करेगी।

३ फरवरी को कमीशन बम्बई में आकर उतरा। उस दिन भारत भर में हड़ताल मनाई गई और कमीशन के बहिष्कार का धीमधोस कर दिया गया। अखिल भारतीय हड़ताल के अलावा ३ फरवरी को और कोई माकें की घटना नहीं हुई। हा, मद्रास में हाईकोर्ट के पास भीड़ में अचरय कुछ उत्तेजना दिखाई दी। वहा पुलिस ने दुभाग्यवश भीड़ पर गोली चला दी दो, हालांकि काम शायद बिना गोली चलाये भी चल सकता था। पुलिस की गोली से कई व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से एक तो जहा-का-तर्दी मर गया और दो बाद में जाकर मरे। कलकत्ते में भी छात्रों और पुलिस की मुठभेड़ हुई।

कमीशन बम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्ली आया। दिल्ली शहर में जैसे ही कमीशन के चरण पड़े कि उसका विरोधी-प्रदर्शनों द्वारा विराट् स्वागत किया गया और "गो बैक, साहमन!" "साहमन वापस लौट जाओ" के झण्डे तथा तफ्ते दिखाये गये। दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन (जो ग्राम लीर पर क्विस्टन-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है) व कुछ मुस्लिम सत्याग्रहों को छोड़ कर यह कहा जा सकता है कि भारत ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया।

कमीशन के बहिष्कार की इतनी भारी सफलता देखकर सरकार के मन में यह बात आई कि अब आउक व दबाव से काम लेना चाहिए। लाहौर में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लाला लाजपतसय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जन-समूह एकत्र हुआ। पुलिस वालों ने भीड़ पर हमला किया और कई प्रतिष्ठित नेताओं को इधरों और लाठियों से टोंक-थीटा। लालाजी क कई जगह गईरी चोटें छारं। यह एक ग्राम लयाल है कि लालाजी की मृत्यु इस मुत्तदिलाना हमले के कारण ही हुई थी। यद्यपि लालाजी की मृत्यु के सम्बन्ध में खुले तौर पर पुलिस पर यह अभियोग लगाया गया, तो भी सरकार ने निष्पक्ष जांच करने से साफ् इन्कार कर दिया।

भारतीय कमीशन का जोरों से बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जायं ।

(ब) यह कांग्रेस भारतीय कौंसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व भारत के राजनैतिक दलों व पार्टियों के नेताओं से तथा दूसरे लोगों से अनुरोध करती है कि वे न तो कमीशन के सामने गवाही न सार्वजनिक अथवा खानगी तौर पर उसके साथ सहयोग करें, और न उसके सम्बन्ध में किये जाने वाले किसी सामाजिक उत्सव में भाग लें ।

(स) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के गैर-सरकारी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वे कमीशन के सिलसिले में बिठाई जाने वाली किसी भी 'सिलेक्ट कमिटी' के लिए न तो राय दें और न उसकी सदस्यता स्वीकार करें, और (२) कमीशन के कार्य के सम्बन्ध में अन्य जो कोई भी मांग या स्वयं की मांग पेश की जाय उसे टुकरा दें ।

(द) यह कांग्रेस भारतीय धारा-सभाओं के सदस्यों से यह भी अनुरोध करती है कि वे निम्न लोगों के सिवाय धारा-सभाओं की बैठकों में भाग न लें, अर्थात् यदि उनका स्थान रिक्र होने से जाने के लिए या बहिष्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी मन्त्रि-मण्डल को गिराने के लिए या किसी ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य-समिति की भावनाओं के हितों के विरुद्ध हो, ऐसा करना आवश्यक हो ।

(य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार देती है कि बहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्ण बनाने के लिए जहां तक हो सके वह दूसरी संस्थाओं व पार्टियों से सलाह-मशविरा करे और उनका योग प्राप्त करे ।'

काकोरी-केस के अभियुक्तों को बर्बरता पूर्ण सजायें दी जाने पर और उससे जनता में रोष की भावना फैलाने पर भी सरकार ने उनकी सजायें न घटाईं, उस पर भी एक विरोध प्रस्ताव-द्वारा प्रकट किया गया और कांग्रेस ने उनके परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की ।

अन्त में कांग्रेस के ध्येय की भी एक पृथक् प्रस्ताव-द्वारा परिभाषा की गई । इसके अनुसार कहा गया, "यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता है । यह प्रस्ताव कुछ साल तक कांग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चला आ रहा था । यूरोप वादाहरलालजी के लौट आने के कारण इस प्रस्ताव को और भी बल प्राप्त हुआ । स्वयं भीमती ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न देखी । आपने विषय-समिति की बैठक में कहा कि लक्ष्य का यह बड़ा ही शानदार व स्पष्ट चकन्य है । गांधीजी उस समय समिति की बैठक में नहीं थे और उन्हें इस प्रस्ताव का पता तभी चला जब कि वह पास हो गया ।

सब सदस्यों को सब क्षमजात देखने व अधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमें बराबरी के दर्जे पर माने जायेंगे ।

प्रान्तीय कौंसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की विचारणा करने को कहा गया था । यह निश्चय हुआ कि जब केंद्रीय विषयों पर कमीशन के सामने विचार होगा तो उसके साथ बड़ी कौंसिल-द्वारा निर्वाचित संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयों पर विचार होगा तो उस प्रान्तीय कौंसिल की सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी, जिसका उन विषयों से सम्बन्ध है । कमीशन अपनी रिपोर्ट अलग मित्रिश-सरकार को देगा और संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी अपनी रिपोर्ट अलग बड़ी कौंसिल को । इस घोषणा का भारत में कुछ असर न हुआ । घोषणा के निकलने के दो-तीन घण्टे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली इकट्ठे हुए और यह घोषणा की कि कमीशन के खिलाफ उनकी जो आपत्तियां थीं वे ज्यों-की-स्त्यों बनी हुई हैं और वे किसी भी हालत में कमीशन से सरोकार नहीं रखना चाहते । असेम्बली ने तो केंद्रीय संयुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया । इस सम्बन्ध में लाला लाजपतराय ने १६ फरवरी को असेम्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूंकि कमीशन की सदस्यता व उसके कार्य की सारी योजना असेम्बली को अस्वीकार्य है अतः यह उससे किसी भी हालत में और किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती । पण्डित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि "कमीशन के साथ भारतीय उसी हालत में सहयोग कर सकेंगे जब कि उनमें भारतीय भी इतनी ही संख्या में नियुक्त किये जायें ।" प्रस्ताव ६२ के दो विच्छेद ६८ रायों से पास हो गया । सरकार को लाचार होकर स्वयं केंद्रीय कमिटी के लिए असेम्बली के सदस्य नामजद करने पड़े । यहाँ इस बात को भुनकर राजजुब होगा कि जब कमीशन बन्दर्द में धूम रहा था तो 'सर' की पदवी धारण करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी कमीशन से मिलने की तकलीफ गवारा न की । देश में बहिष्कार का जो लहर फैली हुई थी उसका इससे अलान्त प्रमाण और क्या मिल सकता है ?

प्रसंगवश यहाँ यह कह देना भी जरूरी है कि जहाँ कमीशन तो एक ओर अपने काम में आकर लुप्त गया, वहाँ उसके कुछ अधिक चतुर सदस्य, जो राजनैतिक के मुकाबले विचारत में अधिक चाब रखते थे, इस बात के अध्ययन में लग गए कि भारत में विचारत को बढ़ाने की किस तरह गुंजाइश है । लार्ड बर्नहाम ने, जो कमीशन के एक सदस्य था, देखा कि पंजाब में ब्रिटेन और भारत की विचारत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है । इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत के राजाओं में ब्रिटेन की मीटिंगें, लारियों व ट्रेक्टरों की खपत बढ़ाने की सबसे अधिक गुंजाइश है ।

सन् १९२८ की खास-खास घटनायें साइमन कमीशन का देश में भ्रमण, सर्वदल-सम्मेलन की बैठकें और बारडोली व आदोलन हैं । कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में फरवरी मार्च १९२८ में सर्वदल-सम्मेलन की बैठक की गई । सम्मेलन में उपस्थित सरथायें और कांग्रेस इस बात पर एकमत हो गये कि भारत की वैधानिक समस्या पर विचार 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आधार मानकर ही होना चाहिए । दो महीनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर २५ बैठकें हुईं और लगभग ३ समस्यायें शांतिपूर्वक तय हो गईं । १६ मई को डा० अन्सारी के सम्पादित्व में फिर सम्मेलन की बैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के सिद्धांतों का मसविदा तैयार करने के लिए प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देना । की भिन्न-भिन्न संधाओं के पास भेजा जाय ।

सम्बन्ध में भी कमीशन के काम के दिन विद्यमान व शांति थी व पुस्तक में कई बार उन पुस्तक व सकारण दृष्टि आगने । पुस्तक प्रान्त की पुस्तक में तो जगदम्बाली तक को न लेता । यह दलों के प्रमुख प्रमुख कार्यकर्ताओं पर दृष्टि व जातिगत आगने में ही माने मुद्रणपर व वेदक पुस्तक में आगने मारी भुगई ही प्रान्त कर ही और बीगियों आदिमियों को प्रान्त कर जाता ।

सम्बन्ध में वेदक व पुस्तक पर पुस्तक के कारण एक विद्यालय प्रान्त प्रान्त-मा हा व गया । पार दिन तक पुस्तक के बंधन पूर्ण हमने होते रहे । पुस्तक जाने लोगों के धर्म तक में पुस्तक को और "साहसन, पारग चले आगने" के बारे लगाने पर ही उ-होंने कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और मुगरी साह पीया । लेकिन सम्बन्ध के जोराने नगरिकों को ध-व है कि ये इन बंधन-पुस्तक हमलों व कृत्यों से तनिक भी न परगने और आने प्रदर्शन और भी अधिक जोशोश्वेय के साथ करते रहे । अधिधारी-वर्ग को ही उ-होंने एक बार इतना बताया कि वह देवप्र-का-देवता रह गया और साथ शहर हरी के बारे भोट पोटा हो गया । मामला इस प्रकार था । कुछ तास्तुबंधारों ने कैमराग में साहसन-वमाशन को एक पार्टी दी । पुलिस ने कैमराग को चारों ओर से घेर लिया और ऐसे किसी भी आदमी को बाग की तकको के करीब न आने दिया जिस पर पुलिस विशेषी-दल यासा होने का संदेह करने लगती थी । इतनी एरिप्रावत रहने पर भी अब आठमान से ये इकट्ठे वाली-काली पतंगे व गुभारे, जिन पर 'साहसन, चले आगने' 'भारत भारतवासियों के लिए है आदि शब्द लिखे हुए थे, आ-आकर बागों गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा फिकिया होगया ।

अब कमीशन पटना पहुँचा तो उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए ५० हजार आदिमियों की एक भारी भीड़ इकट्ठा हुई । कमीशन का स्वागत करने के लिए भी कुछ सरकारी चरगाही और मुट्ठी-भर सकारी कर्मचारी मौजूद थे । सरकार ने आस-पास के गाँवों से सारियों में भर-भर कर किसान मुलागाये, लेकिन स्वागत-कैशों में गुमने के बजाय वे बहिष्कार-कैशों में जा दटे और स्टेशन पर विराट् जन-समूह ने कमीशन के विरोध में जो आदिता पूर्ण प्रदर्शन किया उसे और स्वागत तथा बहिष्कार-पार्टियों का बल को देल कर तो सरकार की आसों ही खुल गई ।

स्मरण रहे कि कमीशन का बहिष्कार करने की नीति महत्त्व करने के फलस्वरूप मदरस-कामेश ने निरन्तर कर दिया था कि कौंसिलों में कम से-कम कार्य किया जाय । लेकिन इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में कई कठिनाइयाँ दिखई देने लगीं । उस पर अमल होने के बजाय वह भंग ही होता रहा । आन्ध्रकार कार्य-समिति ने महासमिति से इस बात की सिफारिश की कि वह असेम्बली व प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों को तनिक और स्वतन्त्रता दे और महासमिति ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया ।

"भारत के भिन्न-भिन्न भागों की जातियों व सम्प्रदायों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात्"—जैसा कि सर जान साहसन ने कहा था—कमीशन बम्बई से ३१ मार्च को खाना हो गया । वास्तव में यह एक प्रकार की मिथोक्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि "असेम्बली के विरोधी दलों के नेता कमीशन का केवल सरकारी तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार करने के लिए बद्ध थे ।" इसलिए सर जान साहसन और उनके साथियों का उनका सम्पर्क में आना असम्भव था ।

कमीशन का भारत आते ही सर जान साहसन ने वाइसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उ-होंने कहा कि कमीशन एक संयुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक ओर कमीशन के साथी अंग्रेज सदस्य होंगे और दूसरी ओर बड़ी कौंसिल-द्वारा चुने गये सारों भारतीय । सम्मेलन के

२६ राजनैतिक सस्थाओं ने काम्रेसी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्ष में राय दी। इस विषय पर आगे विचार फिर किया जायगा।

जून के महीने में तीन घटनायें ऐसी हुईं जिनका हमें अवश्य जिक्र करना चाहिये। काम्रेस का आगामी अधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था और प० मोतीलाल नेहरू का नाम उसके सभापतित्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यह देखकर पंडितजी ने 'एम्पायर पार्लियामेण्टरी डेलीगेशन' की सदस्यता से भी, जिसके लिए उनको असेम्बली ने पिछले मार्च में अपने चार प्रतिनिधियों में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया। पंडितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक गगन में नई घटनाओं का होना बताया। स्वयं गांधीजी ने कहा—“बंगाल को बड़े नेहरू की जरूरत है। वह सम्मानपूर्ण समझौते के मार्ग को प्रदर्श करनेवाले आदमियों में से हैं। देश को इसी की जरूरत है और देश यही चाहता है, इसलिए नेहरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय।” दूसरी घटना कलकत्ता-काम्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शनी के ऊपर उठ खड़ा हुआ वादविवाद था। प्रदर्शनी-समितिके मन्त्री श्री० नलिनीरजन सरकार ने कहा था कि प्रदर्शनी में वे सब चीजें दिखाई जा सकेंगी जो या तो भारत की बनी होंगी या भारत में पैदा हुई होंगी, लेकिन महत्व स्वर को दिया जायगा। भारतीय मिलों के बने कपड़ों और भारतीय मिलों के सूत से बने कपड़ों के बारे में कोई फैसला उन्होंने उस समय नहीं किया। ऐसे औजार, मशीनरी व पुजों के अलावा जो कि हमारे देश की सम्पत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हों, अन्य सब विदेशी माल व चीजों के प्रदर्शनी में दिखाये जाने की मनाही की गई। प्रांतीय सरकारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हुए स्वदेशी माल को दिखाने की भी अनुमति दे दी गई, यद्यपि सरकार से और कोई आर्थिक सहायता लेना मना था। खादी-प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलकत्ता), के बाबू सतीशचन्द्रदास गुप्त और उनके जोराले भाई चित्तीश बाबू जैसे कट्टर अमहयोगियों ने यह देखकर एकदम इसका विरोध किया और खूब हो-हल्ला मचाया। सौभाग्य की बात है कि ठीक समय पर विरोध हो जाने के कारण मामला बिगड़ने से बच गया।

बारडोली-सत्याग्रह

सोसरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का ध्यान आकर्षित होता रहा, यह है बारडोली का सत्याग्रह। बारडोली वह तटसील है जहाँ गांधीजी 'सामूहिक-सविनय-अवज्ञा' का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन दो-तीन बार इरादा बदलकर उन्होंने परवरी १९२२ में आखिर इरादे को पूरी तरह से छोड़ ही दिया था। बारडोली में बन्दोबस्त, जो अबसर २० या ३० साल में दो बार जगा हुआ करता है, होनेवाला था। बन्दोबस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक अज्ञान अवश्य होता है कि मालगुजारी लगभग २५% अवश्य बढ़ जाती है। बारडोली के आदमियों का कहना था कि उनका मालगुजारी बढ़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जमीन जो कुछ भी उनकी फसल बढ़ा है या अच्छी हुई है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय बर्च करना पड़ा था। उनका कहना बिलकुल यही नहीं था कि कर बढ़ाया ही न जाय; वे तो बलबल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व मजदूरी, मजकूरों, कामतों व कर्मों की जान करने के लिए एक निश्चित कमिटी नियुक्त की जाय और यह देखा जाय कि मालगुजारी बढ़ाई जा सकती है या नहीं, और यदि हाँ, तो कितनी? सरकार आमतौर पर क्या करती है कि अपनी मर्जी से, सुनचाप और बिना किसी निरिबत विद्वान्त के ही सब बातों का फैसला कर लेती है। जब कमी बढ़ ऐसी या और कोई आर्थिक जाच करती है तो ऊँचा की राय तक, सलाह तक, नहीं लाती जाती। रेवेन्यू बोर्ड की

अब हम फिर कौंसिलों की ओर आते हैं। वास्तव में देखा जाय तो कौंसिलों में अड़गे की नीति का, जिसमें विश्वास कम होता जा रहा था, स्थान 'साइमन' का बहिष्कार ले रहा था और वह दिन-पर-दिन जोर पकड़ता जा रहा था।

असेम्बली में

असेम्बली के कार्यक्रम में रिजर्व बैंक-बिल व सार्वजनिक-रक्षा-बिल दो ही मुख्य विषय थे। रिजर्व-बैंक-बिल सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध सम्भवतः सबसे बड़ी लेकिन निरर्थक लड़ाई थी। सरकार का दावा था कि चूंकि यह बिल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को भारत-मन्त्री के नियन्त्रण से हटाकर देश के एक बैंक के नियन्त्रण में कर देगा, अतः यह भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ा पग होगा। इस विषय को जिस ऊंचे वैधानिक दृष्टि बिन्दु से देखा गया उसके हेतु की शुद्धता पर विश्वास करना कठिन था। भारत-सरकार जैसी सरकार, जिनने द्वैध-शासन की योजना की अमल में लाते हुए इतनी खराबी मंजूर की, इतनी आसानी से और खुद-ब-खुद मुद्रा व बैंकिंग पर से अपना नियन्त्रण हटाने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी? असेम्बली के सदस्यों को फौरन ही इस बात का सन्देह हो गया कि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार अवश्य ही कुछ कर रही है। जब दोनों पक्ष प्रश्न की वृत्त में उतरे तो कई विवादप्रसूत बातें सामने आईं, जिनमें सबसे मुख्य यह प्रश्न था कि बैंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार चाहती थी) या सरकारी (जैसा कि जनता चाहती थी)? इसके बाद दूसरा प्रश्न यह था कि बैंक के डाइरेक्टर-मण्डल का निर्वाचक कौन होगा और डाइरेक्टरों में कितने सदस्य नामजद होंगे और कितने चुने जायेंगे और कैसे? यदि एकांश यह तय हो जाय कि बैंक का सगठन कैसा होगा तो शेष प्रश्न स्वयं हल हो जायेंगे। यदि बैंक हिस्सेदारों का होगा तो हिस्सेदार ही उसके डाइरेक्टरों को चुनेंगे, लेकिन यदि बैंक सरकारी होगा तो डाइरेक्टरों का चुनाव व्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी बैंक व केन्द्रीय व प्रान्तीय कौंसिलें आदि धर्यायें करेंगी। जिस संस्था को कितने डाइरेक्टर चुनने का अधिकार होगा, इसके पक्ष में पक्ष आशय्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इस बात पर तैयार थी कि १६ डाइरेक्टरों में से ६ चुने हुए हों। लेकिन अब सन् १९३४ में जो रिजर्व-बैंक एक्ट बना है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ ही डाइरेक्टर चुने हुए रखले गये हैं और सो भी इनका चुनाव चार-साल में जाकर होगा। जब बिल पर विचार प्रारम्भ हुआ तो उसमें कदम-कदम पर रद्दोद्दल किया गया। अन्त में भी भीनिवास आयोग के प्रस्ताव पर सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई कि बैंक स्ट्राक-होल्डरों का हो, अर्थात् बैंक की पूंजी तो सरकार लगाये लेकिन बाद में वह उस पूंजी को इस प्रकार बँच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,००० से अधिक की पूंजी अर्थात् स्ट्राक न मिले। प्रत्येक स्ट्राक स्वरीदनेवाले अर्थात् स्ट्राक-होल्डर को डाइरेक्टरों के चुनाव में केवल एक मत देने का अधिकार हो। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा। जब सरकार ने देखा कि सब लोग सन्तुष्ट प्रतीत होते हैं तो उसके मन में कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने उस बिल के बजाय एक दूसरा बिल पेश करने की सूचना दी। लेकिन अल्पकाल में ही कामन्-सभा के प्रमुख-द्वारा निर्धारित एक-सिद्धान्त का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी ऐसे बिल में जो सभा के नामने पेश हो चुका हो, आशय्यक परिवर्तन करने हों, तो उचित मार्ग यह है कि मूल-बिल को पहले वापस लिया जाय और फिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्तित रूप में दुबारा पेश किया जाय। अल्पकाल के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुनः बिल को ही कामन् सभने का निश्चय

वे भी हुई जमीनों मालिकों को फिर यापन मिल गई और पेटेल व तन्हाडियों को अपनी जगहें फिर मिल गईं ।

नेहरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्वदल-सम्मेलन की बैठक लखनऊ में फिर २८, २९ व ३० अगस्त १९२८ को हुई । नेहरू-कमिटी को उसके परिभ्रम के लिए बर्बर ही गई; सम्मेलन ने आपको औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में घोषित किया, यद्यपि उन राजनैतिक दलों की अपने विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता दी गई, जिनका श्रेय 'पूर्ण-स्वतन्त्रता' था । उन पूर्ण स्वतन्त्रतावादीयों ने, जो औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में न थे, सम्मेलन में एक बहुरूप पद-कर मुनाषा, जिसमें बात स्पष्ट की गई कि भारत का विधान पूर्ण-स्वतन्त्रता के आधार पर ही बनाया जाना चाहिए । उनका उद्देश्य था कि वे उक्त प्रस्ताव से, जिनके द्वारा उन्हें कार्य-स्वतन्त्रता दी गई थी, लूच पर्यदा उठावें । इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन न करने का निश्चय किया, वहां उन्होंने सम्मेलन के कार्य में भी कोई बाधा न डाली । उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए वे न तो उस पर होनेवाली बहस में भाग लेंगे और न उसमें कोई संशोधन पेश करेंगे । सम्मेलन में जिन अन्य विषयों पर विचार हुआ वे सिन्ध, प्रान्तों का बटवाप तथा संयुक्त निर्वाचन से सम्बन्ध रखते थे । एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जवाहरलाल जी की इस टिप्पणी से कि महमूदाबाद के महाराज व राजा रामभालसिंह जैसे साल्लुबेदारों की समाज को कुछ आवश्यकता नहीं, कई लोग मझक उठे । इसका यह परिणाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गया:—

“कामनवैल्य की स्थापना के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा और जो कानून उसे मिली होगी वह उससे नहीं छीनी जा सवेगी ।”

लखनऊ में उक्त दोनों लोकप्रिय जमींदारों के अलावा डा० सम्, सर अलीराम, सर शकरन नासर, श्री सच्चिदानन्द सिंह व सर सी० पी० रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे । ये सब केन्द्रीय या प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके थे ।

यह बात माननी पड़ेगी कि लखनऊ-योजना के अनुसार फौजी-मामलों में द्वैध-शासन रखा गया था । योजना के अनुसार कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया कि यह “एक रक्षा-कमिटी नियुक्त करे जिसके इतने सदस्य हों—अर्थात् प्रधान-सचिव, प्रधान सेनापति, हवाई तथा नाविक सेनाओं के सेनापति, जनरल-स्टाफ के मुखिया (चीफ) व दो अन्य विशेषज्ञ । इस कमिटी का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को व अन्य सरकारी महकमों को रक्षा व पुलिस-सम्बन्धी आम प्रश्नों पर सलाह दे । खर्च का बजट कमिटी की सिफारिशों के अनुसार ही बना करेगा । भारतीय पार्लैमेंट में भारत की फौजी, नाविक व हवाई सेना के अनुशासन अथवा उसके कायम रखने के सम्बन्ध में कोई भी कानून सब तक पेश नहीं किया जायगा जब तक कि रक्षा-समिति इस बात की सिफारिश न करे । कमिटी को इस प्रकार खर्च व कानून दोनों पर ही नियन्त्रण रखने का अधिकार देना फौजी मामलों में द्वैध-शासन स्थापित करना नहीं तो क्या था, जब कि उसके अधिकांश सदस्य सरकारी रखे गये थे ?

सम्मेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिल्ली में ४ व ५ नवम्बर को विचार किया । महासमिति ने पूर्ण-स्वतन्त्रता के श्रेय को दोहराया, नेहरू-कमिटी के साम्प्रदायिक फैसले को स्वीकार किया और यह स्पष्ट जाहिर करते हुए कि नेहरू-कमिटी के प्रभाव राजनैतिक प्रगति की और ले जाने में सहायक हैं उन्हें आमतौर पर स्वीकार किया, यद्यपि उसकी विगत की बातों में अपने हाथ-पांव नहीं बांध लिये ।

के सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं। भारत के भविष्य के बारे में सरकार को अन्तिम चेतावनी देने के प्रस्ताव प्रस्तावों के विषय हर साल जैसे ही रहे। विदेशों से आये सन्देशों व बधाइयों के उत्तर में विदेशी मित्रों को भी उसी प्रकार के सन्देश व बधाइयाँ दी गईं और महासमिति को आदेश किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क स्थापित करे। अखिल-एशिया-सम्मेलन का आयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे बधाई दी गई और मित्र, सीरिया, फिलिस्तीन व ईराक के स्वातन्त्र्य-युद्ध के प्रति सहानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-सम्मेलन के आयोजन का, स्वागत किया गया और मद्रास-कांग्रेस के 'युद्ध के खतरे' वाले प्रस्ताव को दोहराया गया। ब्रिटिश माल के बहिष्कार के आंदोलन पर भी जोर दिया गया। बारडोली की शानदार विजय पर सरदार वल्लभभाई पटेल को बधाई दी गई। सरकारी उत्सवों व दरबारों तथा सरकारी अधिकारियों-द्वारा आयोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले अन्य सब सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्सवों में भाग लेने की कामेसवादियों को मनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वारा माँग की गई। चूँकि देशी-राज्यों के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को लेकर देश में खूब आंदोलन उठाया गया है। जिससे इस प्रस्ताव का महत्व अब बढ़ गया है, इसलिए इसे हम यहाँ ब्यों-का-त्यों देते हैं:—

“यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेशों से आग्रह-पूर्वक अनुरोध करती है कि वे अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और चीन ही ऐसे आदेश जारी करें या कानून बनायें जिनके द्वारा समा-संगठन के, स्वतंत्रता से भाषण देने के व लेख लिखने के, जान माल की रक्षा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षित कर दिया जाय।”

नगमा के भूतपूर्व-नरेश के साथ सहानुभूति दिखाते हुए हम साल भी एक प्रस्ताव पास किया गया। जिन पांच बंगालियों की कारावास में ही मृत्यु हो गई थी उनके परिवार वालों के साथ भी कांग्रेस ने सहानुभूति प्रकट की। लाहौर में पुलिस द्वारा किये गये धावों व खानाबलाशियों की निन्दा की गई। लाला लाजपतदास, इकीम अजमलखाना, आन्ध्र-रत्न भी गोपाल कृष्णैया, भीमनलाल गांधी, भी गोपबन्धु दास और लार्ड सिंह की सृष्टि में एक प्रस्ताव पास किया गया।

सरकार को अन्तिम चेतावनी देने का जो प्रस्ताव पास हुआ वह इस प्रकार था :—

“सर्व-दल-समिति (नेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो तजवीज पेश की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उसे भारत की राजनैतिक व साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत अधिक सहायता देनेवाली मानती है; और अपनी सब विचारियों को प्रायः सर्व-सम्मति से ही करने के लिए कमिटी को बधाई देती है। और यद्यपि यह कांग्रेस मद्रास-कांग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-द्वारा तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दृष्टि में एक बड़ा पग मान कर उसे मंजूर करती है, खासकर इस विचार से कि देश के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दलों में अतिव्यक्ति-से-अधिक मतभेद हो सके है, उसका वह खूबक है।

“अगर ब्रिटिश-पार्लियामेंट इस विधान को ब्यों-का-त्यों ११ दिसम्बर १९२९ तक या उसके पहले स्वीकार कर ले तो वह कांग्रेस इस विधान को अग्रगण्य लेगी, बशर्ते कि राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि उस तारीख तक पार्लियामेंट उसे मंजूर न करे या इसके पहले ही

किया, लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण अंश के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार की हार इसलिए सरकार ने विल पर विचार अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया।

सार्वजनिक-रक्षा (पब्लिक सेफ्टी) बिल दूसरा बिल था, जिसपर खूब वाद विवाद और जिसका कांग्रेस-पार्टी ने खूब विरोध किया। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से यह बिल विदेशियों के काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया कि रक्षा-कानून की भांति यह कानून भी भारतीयों के विरुद्ध काम में लाया जायगा। अतः विल पर बोलते हुए लाला लाजपतदास ने कहा, "मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, यदि मैं कि यह कानून केवल विदेशी कम्प्यूनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही है। अर्थात् राष्ट्रवादी और मजदूरों के खिलाफ। विदेशी कम्प्यूनिस्ट तो यहां से चला जायगा, उसे भारतीय करदाताओं पर यहां से निर्वासित कर दिया जायगा, और एक जहाज में आराम से बिठाकर ब्रिटिश-द्वीप या किसी और जगह भेज दिया जायगा। लेकिन यह सभा यदि इस बिल के सिद्धांत को धारा २ को स्वीकार करती है तो इसका परिणाम यह होगा कि यह कानून भारत की आजाद राजनैतिक स्वाधीनता की चाहना करनेवाले राष्ट्रवादियों व दूसरों पर मुकदमा चलाने के लिए लाया जायगा। इस कानून की वास्तविक भ्रंशा यही है! 'जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से ब्रिटिश-भारत में कानून-द्वारा स्थापित सरकार को हिंसा या बल-प्रयोग से उखाड़ फेंकने का करता है।' जवाहरलालजी व श्रीनिवास आयंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रतिपादक हैं, इस कानून के दायरे में आ जाते हैं।" जब विल पर मत लिये गए तो दोनों ओर मत आये। अन्त्य ने विल के विरुद्ध मत दिया और विल गिर गया।

कलकत्ता-कांग्रेस

कलकत्ता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक बड़े महत्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे का भावी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्व के कारण पंडित मोतीलाल नेहरू उसके सम्मेलन में चुने गये। इसके साथ सर्वदल-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूरा इजलास कलकत्ते में हुआ। इस समय भारत में साइमन-कमीशन का दूसरा दौर शुरू हो चुका था और जिस समय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौरा कर रहा था। पंडित सभापति के अपने अभिभाषण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर कलकत्ता और बलखनऊ में, कितने जोर के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एंग्लो-इंडियन के दिमाग पर क्या असर किया। कलकत्ते के कुछ गोरे अखबार तो यह सलाह तक देने लगे कि कम-से-कम बीस वर्ष तक भारत में पौलादी शासन किया जाय और जबतक एक रतीभर गोला-बारूद रह जाय तबतक भारतीय-स्वतन्त्रता की मांग का मुकाबला किया जाय। पंडितजी जोरदार शब्दों में बताया कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, जिसका स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि वह किस समय और किस परिस्थिति में हमें प्राप्त होती है। आगे पंडितजी ने इस बात पर कहा कि "सर्वदल-सम्मेलन जिस स्थल तक पहुंच गया है वहां से सरकार को उसका कार्य कर देना चाहिए और जहां तक हम जा सकें वहां तक उसे हमारा साथ देना चाहिए।"

कलकत्ता-कांग्रेस की एक भारी विरोधता यह थी कि विदेशों से धनियों तथा सरकारी सहायता के पैकड़ों का प्रवेश हुआ जिन्होंने न्यूयार्क से श्रीमती सगेन्द्रिनी न्यूपट्ट के, श्रीमत् सनधत सेन, मोरिये रोम्पा रोला के और फ्रांस के समाजवादी दल व न्यूयार्क के कम्प्यूनिस्ट-द

“आप लोग चाहे स्वतन्त्रता का राग अलापा करें, जैसे कि मुसलमान अल्ला का राग अला-
हैं और हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन यदि इस अलाप के पीछे सच्चाई नहीं है तो आपका यह
राग कोई मतलब नहीं रखता। आप यदि अपने शब्दों की ही कद्र नहीं कर सकते तो फिर स्वत-
न्त्रता कहाँ की रही ! आखिर स्वतन्त्रता तो बड़ी ठोस चीज है। वह शब्दों के प्रपच से थोड़े ही आ-
ती है।”

कलकत्ता-कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में अपना अग्रगण्य कार्यक्रम भी निर्धारित किया :—

“इस बीच कांग्रेस का भावी कार्यक्रम यह होगा—

(१) सब नरसीली चीजों का व्यवहार बन्द कराने के लिए कौंसिलों के भीतर और बाहर देश
भर तरह से कोशिश की जायगी। जहाँ कहीं भी उचित और संभव हो वहाँ शराब, अफीम आदि
दुकानों पर पिंकेटिंग करने का प्रबन्ध किया जायगा।

(२) हाथ की कढ़ी और बुनी खादी की उत्पत्ति बढ़ाकर और उसके इस्तेमाल का प्रतिपादन
के विदेशी कपड़े का बहिष्कार कराने के लिए कौंसिलों के भीतर और बाहर स्थान व अवस्था के
नुसार तुरन्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जायेंगे।

(३) जहाँ कहीं लोगों को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हों तो उस
कायल को दूर कराने के लिए अहिंसात्मक अस्त्र का उपयोग किया जाय, जैसा कि हाल ही में
ढोली में किया गया था।

(४) कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें अपना अधिक समय
कॉमिटी-द्वारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा।

(५) नये सदस्यों की भरती करके और कदा अनुशासन रखके कांग्रेस-संगठन को सुदृढ़
रामा जाय।

(६) रिश्वतों की अयोग्यताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्हें राष्ट्र-
निर्माण के कार्य में उचित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और आमन्त्रित किया जायगा।

(७) देश की सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा।

(८) प्रत्येक कांग्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तव्य होगा कि वह अशुभ्यता को दूर करने
के लिए जो-कुछ कर सकता है करे और अज्ञान को अज्ञानियों को उनकी अयोग्यतायें दूर करने और
रफनी हालत सुधारने के प्रयत्नों में ब्याससंभव सहायता दे।

(९) शहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और पहले और सहर के द्वारा जो कार्य हो
सकता है, उनके अतिरिक्त ग्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए, स्वयंसेवक भरती किये जायेंगे।

(१०) राष्ट्र-निर्माण के कार्य को उसके भिन्न भिन्न परलुओं में बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय
प्रयत्न में कांग्रेस को भिन्न-भिन्न कारोबार में लगे हुए लोगों का सहयोग प्राप्त कराने के लिए वे सब
कार्य किये जायेंगे जो उचित समझे जायेंगे।

“कांग्रेस दरेक कांग्रेसवादी से आशा करती है कि वह उपयुक्त जगहों का सर्वे चलाने के
लिए ब्यापारिक अपनी आमदनी का कुछ भाग कांग्रेस-कोष को देता रहेगा।”

कलकत्ता-कांग्रेस के अन्य मुख्य प्रस्तावों में एक प्रस्ताव सामान्य-विरोधी-संघ के मि० इन्स्यू०
के० आन्दोलन के सम्बन्ध में था, जिन्हें संघ ने भिन्न-प्रतिनिधि के रूप से कांग्रेस में भेजा था। उन्हें
गिरफ्तार करने और बिना मुकदमा चलाये देश-निष्क्रिय देने पर सरकार की निन्दा की गई और यह

उसे नाममंजूर कर दे तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना बन्द करदे और अन्य तरीकों-द्वारा, जिनका बाद में निश्चय हो, अहिंसात्मक असहयोग का आन्दोलन संगठित करे।
 "कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई बाधा नहीं था यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो।"

खुले अधिवेशन में जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पास हुआ वह तो दिया जा चुका है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दिसम्बर १९२९ के बदले ३१ दिसम्बर १९३० तक की मियाद थी तथा नीचे लिखा टुकड़ा था, जो बाद में हटा लिया गया :—

"समापति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और निष्पत्ति की प्रति वाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि यह उसपर अपनी मर्जी के माफिक कार्रवाई करना चाहें कर सकें।"

इस प्रस्ताव में परिश्रम जवाहरलाल नेहरू व भी सुभाषचन्द्र बसु दोनों ने संशोधन पेश की जो लगभग एक-से थे। इन संशोधनों को पेश करने का उद्देश था कि प्रस्ताव में कोई विशेषता नियत न की जाय और भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य को अमत्यत्व रूप से भी न स्वीकिया जाय, जैसे कि सर्व-दल-सम्मेलन द्वारा बनाये गये विधान में किया गया था। परिश्रम जवाहरलाल नेहरू का संशोधन इस प्रकार था :—

"१. यह कांग्रेस महासभ-कांग्रेस के पूर्ण-स्वाधीनता के निश्चय पर अटल है और इसकी, यह है कि जबतक मित्रों से सम्बन्ध-विच्छेद न होगा तबतक सभी स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी।

"२. साम्प्रदायिक प्रश्न के फैसले के लिए नेहरू-कमिटी ने जो सिफारिशें की हैं और उन जिस रूप में लखनऊ के सर्व-दल-सम्मेलन ने पास किया है, उन्हें यह कांग्रेस स्वीकार करती है।

"३. यह कांग्रेस नेहरू-कमिटी को उसके परिभ्रम, देश-भक्ति व दूरदर्शिता के लिए हार्दिक बधाई देती है और इसकी राय है कि पूर्ण-स्वाधीनता के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रस्ताव पर अंतर बिना, नेहरू-कमिटी की सिफारिशें राजनैतिक प्रगति की ओर ले जाने में बहुत सहायक हैं और यह कांग्रेस-कमिटी उसकी सिफारिशों को आसानी पर मंजूर करती है तथापि वह उसकी हर तकनीक साम्य होने के लिए तैयार नहीं है।"

मूल प्रस्ताव गांधीजी ने ही रक्खा था और वही उन प्रस्ताव की माही बनाने वाले थे। उन्हें यह बात पसन्द न थी कि उनके प्रस्ताव में ये शब्द कि "समापति को यह अधिकार दिया जाये कि वह इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट की प्रति वाइसराय महोदय के पास भिजवा दें, जिनके बिना उस पर अपनी मर्जी के माफिक जो कार्रवाई करना चाहें कर सकें" लिखा गिया है। वे चाहते थे कि प्रस्ताव की प्रति वाइसराय के पास भिजवा दिया जाए और वह ही प्रस्ताव को अटल करे। उन्होंने उक्त शब्दों को हटाने का उद्देश्य था कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट को वाइसराय के पास भिजवा दिया जाये और वह ही प्रस्ताव को अटल करे। उन्होंने उक्त शब्दों को हटाने का उद्देश्य था कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट को वाइसराय के पास भिजवा दिया जाये और वह ही प्रस्ताव को अटल करे। उन्होंने उक्त शब्दों को हटाने का उद्देश्य था कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि और रिपोर्ट को वाइसराय के पास भिजवा दिया जाये और वह ही प्रस्ताव को अटल करे।

मौजूद थे और उन्होंने अपना स्वाधीनता-सष भी बना लिया। इनमें जवाहरलाल भी शामिल थे। बंगाल ने अपना संघ अलग बनाया था और भी सुभाषचन्द्र वसु उसके मुखिया थे।

सर्वदल-सम्मेलन के बारे में भी एक शब्द इस समय कहना बाकी है। सम्मेलन सुरु तरह असफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति-निधित्व को धक्काग। उधर भी जिन्नाह भी, जो अभी इंग्लैण्ड से वापस आये थे और जिन्होंने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे। कुछ मुसलमान पहले ही उसकी मुसालाफत जाहिर कर चुके थे। कोरम पूरा न होने के कारण भी जिन्नाह ने लीग की बैठक स्थगित कर दी। कलकत्ते में सर्वदल-सम्मेलन रोग-शाय्या पर था यों कहे कि मृत्यु-शाय्या पर पहुंच चुका था। जितना ही अधिक यह जिन्दा रहा, उतनी ही अधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, माँगें बढ़ती जाती थीं। उसकी हालत साबरमती के बड़प्पे की तरह थी। न तो वह जिन्दा रह सकता था और न वह मरता ही था। उसे स्वर्ग में पहुंचाने की आवश्यकता थी। गांधीजी के अलावा उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुंचा सकता था! गांधीजी के अलावा इस मरते हुए जीव की आखिरी सेवा करने की हिम्मत और किसमें थी! अतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव पास हो गया। अब कांग्रेस निश्चित रूप से गांधीजी की ओर झुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई बोझों से लदी हुई थी। गांधीजी देखना चाहते थे कि कांग्रेस की कौंसिल-पार्टी कौंसिलों का मोह छोड़ देने के लिए क्या-क्या करने को तैयार है। दिल्ली में अक्टूबर १९२८ में महासमिति कौंसिलों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी:—

“यह समिति दुःख के साथ इस बात को देखती है कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कौंसिल-दलों ने कौंसिल-वार्य के सम्बन्ध में मद्रास-कांग्रेस के प्रस्ताव में किये गये आदेशों पर ध्यान नहीं दिया। इस-लिए निम्न परिस्थिति को देखकर यद्यपि कांग्रेस के कौंसिल-दलों को अधिक स्वतन्त्रता दी गई थी तथापि समिति का विश्वास था कि कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट कायम रखी जायगी।”

इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितियाँ दिखाई गई हैं। पहले निन्दा, फिर उसकी दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वतन्त्रता के लिए गुंजाइश, और फिर कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट को न त्यागने की उम्मीद।

गांधीजी कलकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में स्वरू भाग लिया, प्रस्तावों की रूप-रेखा बनाई और उन्हें सामने लाये। राजनीतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धकारमय था। स्वतन्त्रता के हार्मियों पर मुकदमों चलाने की अफवाहें, वाहसराय का कलकत्ता में उतेजनापूर्ण भावना, “फारवर्ड” के सम्पादक को सजा होना, मद्रास में मुकदमों का दौर-दौर—ये ऐसी घटनाएँ थीं जिन्होंने गांधी-जी के ऊपर बहुत भारी प्रभाव डाला। यद्यपि ये घटनाएँ स्वयं ही बहुत बेचैनी पैदा करने वाली थीं, पर गांधीजी शासक-कत्ते की घटनाओं से और भी अधिक बेचैन हुए; अग्रान्त जान-बूझकर एक सम्झौते का किया जाना और फिर उसका क्रमशः बंगाल, युक्त-प्रान्त और अन्ध में मद्रास-द्वारा खोका जाना। इन दोनों बातों के अलावा गांधीजी के पास यूरोप आने का भी निमन्त्रण था। परिस्थिति अनुकूल हुई तो, गांधीजी का पूरा इरादा था कि वह १९२९ के प्रारम्भ में ही यूरोप का दौरा शुरू करें। आश्चर्य की बात है कि प० मोतीलाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात की अनुमति दे दी थी। लेकिन स्वरू विचार कर लेने के बाद और मित्रों से स्वरू परामर्श कर लेने के बाद गांधीजी इस नतीजे पर पहुंचे कि कम-से-कम इस एक वर्ष के लिए तो उन्हें अग्रना दौरा बन्द रखना चाहिए।

मल प्रकट किया गया कि "गवर्नर ने यह कार्रवाई जान बुझकर कामिस के अन्तर्गत बंदने से रोषने के इरादे से की है।"

कलकत्ता-कामिस में लगभग ५०,००० से अधिक मजदूरों-हाथ दिया गया रमण होगा। आग-याग के भिल-धैरों के रहनेवाले मजदूर मुम्बईपरिचय रूप से एक कामिस-नगर में पुन आये और राष्ट्रीय-भारत की सलामी करके पंडाल में आ गये और अपनी सभा करते रहे। 'भारत के लिए सतत-जग' का प्रस्ताव पास करके 'वे शोग' पले गये।

देश में मुक्क-अन्दोलन का प्रादुर्भाव होना इस वरं की एक विशेषता थी। जगह मुक्क-संग व छाप्रसंग बन गये। बम्बई व बंगाल में ही उनका बड़ा जोर था। अश्लीय में मूठ स्थान पर जो विश्व-मुक्क-सम्मेलन हुआ था उसमें इन संस्थाओं में से कुछ भी भेजे। मुक्कों ने साइमन कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहिष्कार-प्रदर्शनों में भी लिया था। लखनऊ में पुलिस की लाठियों और बंदों की मार तो खास तौर पर उन्होंने वरं के प्रारम्भिक भाग में कामिस की कार्य-समिति ने कामिस की ओर से आ करने के लिए कार्यकर्ता नियुक्त करने का निश्चय किया। सार्वजनिक प्ररनों पर आवर एकत्र करने में और साथ-ही-साथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य युवकों की ट्रेनिंग देने में निश्चय बहुत सहायक होता, लेकिन अनुसन्धान-कार्य अच्छी तरह तभी हो सकता है ज लिए एक स्थायी दफ्तर हो, एक भन्दा-सा पुस्तकालय उसके साथ लगा हुआ हो और राजनैतिक उत्तेजनाओं से खाली हो।

हिन्दुस्थानी सेवादल ने कर्नाटक-प्रान्त में बागलकोट में एक व्यायाम-शाला स् उसने देश के भिल भिल भागों में कई ट्रेनिंग कैम्प खोले और मिहनत का मोटा-भोटा का नाम पा लिया।

गांधीजी की ओर

अब हमें पाठकों को यह बताना है कि गांधीजी अपने एकान्त-जीवन से कलकत्ता कैसे आ पड़े। याद रहे कि उन्हें अहमदाबाद-कामिस के बाद मार्च १९२२ में ही गिरफ्तार गया था। वह १९२२ की गया-कामिस, सितम्बर १९२३ के दिल्ली के विशेष-अधिवेशन और फोर्कनडा के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न हो सके। ५ फरवरी १९२४ को वह छूटे और कामिस के सभापति बने। कानपुर-कामिस में स्वराज्य-पार्टी से सम्बन्धी—या जो कुछ क पटना के निर्णयों पर कामिस की छाप लगाने के लिए ही वह आये थे। इसके बाद उन्होंने में सुष्मी साधने की एक साल की शपथ खा ली और गोहाटी में उसे पूरा कर दिया। गो उन्होंने कामिस के बहस-मुबाहरी में सक्रिय-भाग लिया, लेकिन मद्रास में दो वह बिल्कुल रहे और विषय-समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया। यह बात सन्देशजनक ही थी कि वह व कामिस के अधिवेशनों में भाग लेंगे या नहीं। कुछ वर्षों से वह कामिस के खालाना अधिवेश पहले एक मास वर्षा-आश्रम में बिताया करते थे। इस साल भी जब कामिस का अधिवेशन कर दिसम्बर १९२८ में होने ही वाला था, वह वर्षा में थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, जिन्हें स्व ३६ वीं की गांधी में बिठाकर शहर में जुलूस में निष्कला गया था, अपने-आपको बड़ी विर स्थिति में पाने लगे। लखनऊ में सर्वदल-सम्मेलन में जिन विरोधियों ने सभापति के नाम एक प दस्तावर करके औरनिवेशक स्वराज्य के विषय में और स्वयम्भवा के

[भाग चौथा १९२६—१९३०]

१

तैयारी—१९२६

पब्लिक-सेफ्टी-बिल

१९२६ के आरम्भ में भारत की परिस्थिति बहुत बड़ी विकट थी। इस समय साइमन-कमीशन के साथ-साथ सेप्टल-कमिटी भी देश में दौर कर रही थी। इस कमिटी में चार सदस्य तो राज्य-परिषद् के चुने हुए थे और पांच सरकार ने असेम्बली में से मनोनीत कर दिये थे। साइमन कमीशन ने भी १४ अप्रैल १९२६ को अपना भारतीय कार्य समाप्त कर दिया। कमीशनवाले विलायत में पहुँचे ही थे कि मई १९२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में हार गई। मजदूर-दल का मन्त्रिमण्डल बना। मेकडानाहड साहब प्रधानमंत्री बने और वेजुद बेन साहब भारत-मंत्री। साहब अर्धिन चार मास की छुट्टी लेकर जून में इंग्लैण्ड पहुँचे। इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि "साइमन-कमीशन के परिणाम-स्वरूप भारत के लिए जो सुधार-योजना पार्लियेण्ट के समक्ष रखी जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिससे विधान-सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हो जाय और भारत के भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके।"

लॉर्ड अर्धिन ने वापस आकर नीति-सम्बन्धी जो वक्तव्य दिया उस पर तो हम उचित स्थान पर विचार करेंगे ही, वक्तव्य का मसौदा की कौंसिलों में होने वाली सफाई का अध्ययन करलें। पब्लिक-सेफ्टी-बिल जनवरी १९२६ में ही दुबारा पेश हो चुका था, परन्तु उस पर विचार अप्रैल में हुआ। ११ अप्रैल को अध्ययन-महोदय ने इस बिल पर चर्चा की मनाही कर दी। १२ अप्रैल को उन्होंने निम्न-लिखित वक्तव्य दिया:—

"पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर सिलेक्ट-कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करने की इजाजत देने से पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। असेम्बली की पिछली बैठक के समय से ही मैंने दो बातों पर परिभ्रम-पूर्वक गौर किया है। इनमें से एक तो है पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेता के भाषण, और दूसरी बात है मेरठ की अदालत में ३१ व्यक्तियों के विषय सरकार का दावा। इसके अध्ययन से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस बिल का और इस मुकदमे का आधार एक ही है। माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी कर्रेंडर के नियमों में एक यह भी है कि साम्राज्य के भीतर किसी अदालत में भी यदि कोई मामला विचाराधीन है तो उसके विषय में न कोई प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई प्रस्ताव रखा जा सकता है। अतः यह स्पष्ट उठता है कि मेरठ के मुकदमे का कोई हवाला दिये बिना इस सभा में पब्लिक सेफ्टी-बिल पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं? इस मामले में दो रायें नहीं हो सकती कि इस बिल पर वास्तविक चर्चा होना असम्भव

गांधीजी ने लिखा, "मैं अगले वर्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सका। हैनमार्क के दो एक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-भारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप आना भेदक है। मैं इस कथन की सच्चाई महसूस करता हूँ।" हृदय की आवाज को पहचानकर गांधीजी ठीक निश्चय पर पहुँच गये। उन्होंने लिखा, "अन्तरात्मा की आवाज मुझे यूरोप जाने को नहीं करती। इसके विपरीत, कॉंग्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्व-व्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महसूस होता है कि यदि अब मैं यूरोप चला गया तो मैं कार्य को छोड़ मागने का दोषी होऊँगा। अन्तरात्मा की एक आवाज मुझको कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आये उसके लिए केवल तैयार ही न रहूँ बल्कि उस कार्यक्रम को, जो मेरी दृष्टि में बहुत बड़ा है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी बताऊँ और सोचूँ। इन सबके अलावा छपते बड़ी बात तो यह है कि मुझे अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का स्वरूप कैसा ही हो।"

यह फरवरी १९२६ के प्रथम सप्ताह की बात है। हमें अब देखना है कि फरवरी १९१० के लिए देरा के भाग्य में क्या-क्या बदा था।

लिए मदरास-सरकार चार साल काया खर्च करने को राजी हो गईं। सुकृपान्त की सरकार से भी इसी प्रकार की कार्रवाई की धारा हुई। श्री राजगोपालाचार्य भारतीय-मन्त्रालय-निर्देश-सच के मंत्री हुए और उसके अमेजी प्रेमसिंह मुख-पत्र 'प्रोहीबिशन' का सम्पादन करते रहे। अश्वरथता-निवारण-आंदोलन का काम भी जमनालाल बजाज के सुपुर्द किया गया। इन्होंने भी काफी परिश्रम किया। जो लोग दीर्घकाल से दलित रखते गए हैं उनसे बाधाओं दूर करने के लिए सर्वत्र लोकमत प्राप्त किया गया। जहाँ दलित जातियों को मनाही थी, ऐसे अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए खोल दिये गये। समिति को बहुत से कुएं और पाठशालायें भी खुलवाने में सफलता मिली। कई म्युनिसिपैलिटियों ने इस कार्य में सहयोग दिया। समिति के मंत्री भी जमनालाल बजाज ने मदरास, मध्यप्रान्त, राजस्थान, सिंध, पंजाब और सीमाप्रान्त में लम्बे प्रवास किये। कांग्रेस के पुनर्र्गठन के लिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।

कौंसिलों की सितम्बर की बैठकों की राम कहानी फिर से आरम्भ करने के पहले गांधीजी से सम्बन्ध रखनेवाली एक-दो घटनायें धरुण कर देना आवश्यक है। गांधीजी उस समय भारत का दौरा कर रहे थे और बर्मा जाते हुए कलकत्ते से गुजरे। वहां विदेशी कपड़े की होली हुई और इस सम्बन्ध में मार्च १९२६ के दूसरे सप्ताह में उनपर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने आशा-मंग की या आशा-भंग में सहायता दी। आशा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर घास-फूस आदि न जलाया जाय। कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चार्ल्स टैगार्ट ने कलकत्ता-पुलिस के कानून की ६६ वीं धारा की दूसरी कलम को खोद निकाला था। पुलिस का इरादा तो यह था कि इस कार्य को सखिनय अवशा सिद्ध किया जाय। परन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। गांधीजी पर मुकदमा चला और एक रुपया जुर्माना हुआ। उसके बाद उन्होंने आन्ध्रदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मास में खर्च के लिए दो लाख सत्तर हजार रुपये इकट्ठे किये। सोढ़े दिन बाद मई १९२६ में महा समिति की बम्बई में बैठक हुई।

बम्बई में महासमिति

बम्बई की यह बैठक जरा महत्वपूर्ण थी। सरकार घोषणा कर चुकी थी कि असेम्बली का कार्य-काल बढ़ाया जायगा। इस बात पर भी कांग्रेस को कार्रवाई करने की जरूरत थी। इधर देश-भर में गिरफ्तारियों का ताता बंध गया था, कार्य-समिति के सदस्य भी साम्बन्धित पकड़ लिये गये थे और पंजाब में खौर दमन-चक्र चल रहा था। इससे यह सन्देह होता था कि शायद और बातों के साथ साथ इसका उद्देश लाहौर के कांग्रेस-अधिवेशन की तैयारियों में बाधा डालना भी हो। इन सब कारणों से प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। अतः बम्बई में यह निश्चित हुआ कि प्रांतीय-कांग्रेस-कमिटियों में प्रांत की समस्त जन-संख्या के ३ फी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं होने चाहिए और प्रांतीय-कमिटी में कम-से-कम आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिला और तहसील-कमिटी में आबादी के कम-से-कम ३ फी सदी चार आनेवाले सदस्य होने चाहिए और ग्राम-समिति में कम-से-कम एक फी सदी। कार्य-समिति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन न करे उसका सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सकेगा। कार्य-समिति को यह भी सना दी गई कि देश के हित के लिए यह जो उपाय उचित समझ उनका पालन असेम्बली और प्रांतीय कौंसिलों के कांमिटी-सदस्यों से भी कहा सके। पूर्व-अनुको का क विषय में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि वहां भारतीयों की राजनैतिक और आर्थिक समानता की लड़ाई में कांग्रेस पूरी हिमायत करे। समिति ने यह

हे। साथ ही बिल को स्वीकार करने का मतलब उस मुकदमे के मूल-आधार को स्वीकार करना होगा और बिल को अस्वीकार करने का अर्थ मुकदमे के आधार को अस्वीकार करना होगा। दोनों ही दशाओं में मुकदमे पर घुसा अंतर पड़ेगा, भले ही यादी घाटे में रहें या प्रविज्ञादी। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि न्याय-पूर्वक मैं इस समय सरकार को इस बिल के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। इसलिए बनाय निर्णय देने के मीने सरकार को यह सलाह देने का निरन्तर किया है कि प्रथम तो मेरी दलीलों पर ध्यान देकर वह स्वयं मेरठ का मुकदमा खतम होने तक इस बिल को स्थगित कर दे, और यदि यह इसी समय बिल का पास होना ज्यादा जरूरी समझती है तो पहले मेरठ का मामला उठा ले और बिल का मामला हाथ में ले।”

सरकार ने दोनों में से एक भी बात नहीं मानी और अल्पवृत्त महोदय ने अपना अन्तिम निर्णय यह दिया कि “यह इस सभा की कार्य-प्रणाली और शिष्टाचार के विरुद्ध है”, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरे ही दिन वाइसराय साहब ने दोनों घाट-सभाओं में भाषण दिये और घोषणा की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफ्टी बिल में प्रस्तावित अधिकारों का अविश्लेष्य प्राप्त करना अत्यावश्यक है। तदनुसार उन्होंने एक विशेष आज्ञा (आर्डिनेन्स) निकाल कर अधिकारियों को, जैसा वे चाहते थे, अनियंत्रित सत्ता दे दी।

ट्रेड डिस्प्यूट बिल अर्थात् मजदूरों और मालिकों के झगड़ों-सम्बन्धी प्रस्तावित कानून का जिक्र ऊपर आ चुका है। इस बारे में इतना कहना बाकी है कि यह बिल ८ अप्रैल को पास हुआ और इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना भी हो गई। घटना यह हुई कि जब एच लेने के बाद असेम्बली फिर से एकत्र हो रही थी और अल्पवृत्त आगे की कार्रवाई की घोषणा कर रहे थे उसी समय दर्राकों के झरोखे में से सरकारी पंख के बीच में दो बम आकर गिरे और उनके फूटने से कुछ लोग घायल हो गये।

उपसमितियाँ

कॉमिंस के कलकत्ते के अधिवेशन के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने कॉमिंस के निश्चयों की कार्य-रूप देने के लिए अनेक उप-समितियाँ बनाईं। विदेशी वस्त्र के बहिष्कार, मादक-द्रव्यों के निषेध, अस्पृश्यता के निवारण, महासभा के संगठन, स्वयंसेवकों और रिजियों की बाधाओं को दूर करने के लिए कमिटियाँ नियुक्त की गईं। मालूम होता है कि आखिरी कमिटी ने कोई काम नहीं किया और कोई रिपोर्ट पेश नहीं की।

स्वयंसेवकों-सम्बन्धी-उप-समिति ने कई सिफारिशों की। उसकी खास सूचना यह भी कि हिन्दु-स्तानी-सेवादल को दृढ़ बनाया जाय और राष्ट्रीय कार्य के लिए स्वयंसेवक तैयार करने के लिए उसका पूरा उपयोग किया जाय। विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार-समिति के अल्पवृत्त ये गांधी जी और मंत्री थे भी जयसमदास दोलदराम। यह समिति वर्ष-भर काम करती रही। बहिष्कार के पक्ष में जबरदस्त हलचल रही। बहिष्कार के काम में अपना साथ समय लगाने के लिए भी जयसमदास ने बम्बई-कौंसिल का सदस्य-पद छोड़ दिया और अपनी समिति का केन्द्र बम्बई में बनाकर बैठ गये। मादक-द्रव्य-निषेध-समिति का काम चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के हाथ में था। इन्होंने इस कार्य को अपना खास विषय बना लिया और इस आन्दोलन की सकलता के लिए अपनी महान् योग्यता का पूरा उपयोग किया। यह कार्य अधिकतर दक्षिण भारत और गुजरात में हुआ। सकलता भी अच्छी मिली। इस आन्दोलन की ओर विदेशों तक का ध्यान आकर्षित हुआ। नरो के विरुद्ध सरकारी और ना-पनाय करने के

छोड़ दिया। कुर्नार के बुलेटिन में इस नन्दे की सूची प्रकाशित की गई थी, जिसे अत्यन्त दुःखान्तरित सब मिलाकर बहुत पोषा करवा प्राप्त हुआ था।

देस में यह बड़ा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ॰ गणरनेरद की "दरिद्रता इन बोपरेज" नामक पुस्तक को निषिद्ध ठहरा दिया और इसके प्रकाशित करने के आग्रह में 'मार्टिन-स्मिथ' के सम्पादक बाबू रामानन्द जट्टी की गिरफ्तार कर लिया। असेम्बली-बम-बेस के अभियुक्त भी भगतसिंह और दत्त को आक्रमण काले-पानी की सजा दी गई। उन्होंने प्रकट किया था कि बम तो प्रदर्शन के लिए पोंका गया था। लाहौर-पदव्यन्त्र बेस के अभियुक्तों की भूल-बदव्यन्त्र का बर्णन विशाल से किया ही जा चुका है। कलकत्ते में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें कार्य-समिति के सदस्य भी मुभाषचन्द्र वसु और अन्य कई समुल्ल कार्यही अभियुक्त थे। कुर्नार से और मलाया राज्यों से भी राजनैतिक कार्यों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले थे।

ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चल ही रहे थे और राजनैतिक और मजदूर-कार्यकर्त्ताओं को सजायें दी जा रही थीं। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे ठीके भी इत्तेमाल कर रही थी, जिन्हें महा-समिति ने जंगली बताया। एक अखबर पर लाहौर के अभियुक्तों की सजायें के लिए धन एकत्र करने वाले सात युवकों को पुलिस ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना माग कि उनमें से कुछ बे-मुष तक होगये। चोटें तो सभी को गहरी लगीं। उनका अपराध था 'साम्राज्यवाद का नाश हो' और 'क्रान्ति अमर हो' के नारे लगाना। लाहौर-पदव्यन्त्र केस के अभियुक्तों के साथ इससे भी अधिक पारिविक व्यवहार किया गया। वे न्यायाधीश के सामने खुली अदालत में पीटे गये—और, कहा जाता है कि, अदालत के बाहर भी उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया गया। यह भी भूलने की बात नहीं है कि भारत की भिन्न-भिन्न जेलों में और अद्यतमान-द्वीप में बहुत से लम्बी सजाओं वाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमें १८१८ के हीरो रेस्प्लेशन के शिकार नजरबन्द और फ्रीजी-कानून के शिकार दूसरे कैदी भी थे। इन कैदियों को १९१९ में पंजाब के फ्रीजी शासन-द्वारा स्थापित विरोध अदालतों ने सजायें दी थीं। इनके सिवा जेलों में २७ राजनैतिक कैदी थे भी थे जिन्हें युद्धकाल में, अर्थात् सन् १९१४-१५ में, कालेगानी की सजायें दी गईं थीं। इनके मुकदमे भी विरोध कमीशनों के नामने हुए थे, मामूली अदालतों में नहीं। इस समय तक ये लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे।

वर्ष के अधिकारण समय में कार्य-समिति के दो सदस्य विदेशों में रहे। श्रीमती सरोजिनी नायडू अमरीका की अत्यन्त सफल यात्रा करके अगस्त मास में लौट आईं। नवम्बर में वह पूर्व-अमरीका की भारतीय कमिश्न में सभानेत्री बनकर गईं। महासभा के एक कोषाध्यक्ष भी शिवप्रसाद गुप्त कई भास यूरोप में रहे। गुप्त जो कांग्रेस की ओर से साम्राज्य-विरोधी-संघ के दूसरे विश्व-सम्मेलन में भी शरीक हुए। यह सम्मेलन जुलाई मास में फ्रैंकफर्ट नगर में हुआ था। इस सम्मेलन की जो रिपोर्ट गुप्तजी ने दी वह कार्य-समिति में पेश हुई थी।

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० पौष मासिक की रकम इसलिए मजदू की कि बर्लिन में भारतीय छात्रों को सहाय और सहायता देने वाली एक समिति स्थापित की जाय। फौजे समय परचात यह समिति श्री २० सी० एन० नवम्बर की दस्त-रेल में कायम हुई। इससे बहुसंख्यक भारतीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्वतः सिद्ध हो गई। श्री शिवप्रसाद गुप्त ने अपनी यूरोप-यात्रा में इस समिति का निरीक्षण किया और इसके कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इनकी सिफारिश पर कार्य-समिति ने एक वाचनालय के निमित्त सहायता में

छोड़ दिया। जुलाई के बुलेटिन में इस चन्दे की सूची प्रकाशित की गई थी, जिससे मालूम हुआ कि सब मिलाकर बहुत थोड़ा रुपया प्राप्त हुआ था।

देश में यह बड़ा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ० सपडरलैण्ड की “इण्डिया इन बॉण्डेज” नामक पुस्तक को निषिद्ध ठहरा दिया और इसके प्रकाशित करने के अपराध में ‘मॉर्टन-रिब्यू’ के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। असेम्बली-बम-केस के अभियुक्त श्री भगतसिंह और दत्त को आजन्म काले-पानी की सजा दी गई। उन्होंने प्रकट किया था कि बम तो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था। लाहौर-पब्लिक केस के अभियुक्तों की भूल-इफ्ताल का बर्खान विस्तार से किया ही जा चुका है। कलकत्ते में भी एक सामूहिक अभियोग चल रहा था। इसमें कार्य समिति के सदस्य श्री सुभाषचन्द्र बसु और अन्य कई समुख कांग्रेसी अभियुक्त थे। रांधाई से और मलाया राज्यों से भी राजनैतिक कारणों से भारतीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले थे।

ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चल ही रहे थे और राजनैतिक और मजदूर-कार्यकर्ताओं को सजायें दी जा रही थीं। इनके सिवा पुलिस दमन के ऐसे तरीके भी इस्तेमाल कर रही थी, जिन्हें महा-समिति ने जंगली बताया। एक अवसर पर लाहौर के अभियुक्तों की सफाई के लिए घन एकत्र करने वाले सात युवकों को पुलिस ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना मारा कि उनमें से कुछ बे-सुख तक होगये। चोटें तो सभी को गहरी लगीं। उनका अपराध था ‘साम्प्रदायवाद का नारा हो’ और ‘आति अमर हो’ के नारे लगाना। लाहौर-पब्लिक केस के अभियुक्तों के साथ इससे भी अधिक पारार्थिक व्यवहार किया गया। वे न्यायाधीश के सामने खुली अदालत में पीटे गये—और, कहा जाता है कि, अदालत के बाहर भी उनके साथ कई तरह का दुर्व्यवहार किया गया। यह भी भूलने की बात नहीं है कि भारत की भिन्न-भिन्न जेलों में और अश्वमान-द्वीप में बहुत से लम्बी सजाओं वाले राजनैतिक कैदी भी थे। इनमें १८१८ के तीसरे रेग्यूलेशन के शिकार नजरबन्द और फौजी-कानून के शिकार दूसरे कैदी भी थे। इन कैदियों को १९१६ में पंजाब के फौजी-शासन-द्वारा स्थापित विशेष अदालतों ने सजायें दी थीं। इनके सिवा जेलों में २७ राजनैतिक कैदी वे भी थे जिन्हें युद्धकाल में, अर्थात् सन् १९१४-१५ में, कालेगानी की सजायें दी गई थीं। इनके मुकदमे भी विशेष कमीशनों के सामने हुए थे, मामूली अदालतों में नहीं। इस समय तक ये लोग १५-१५ वर्ष की जेल काट चुके थे।

वर्ष के अधिकाराय समय में कार्य-समिति के दो सदस्य विदेशों में रहे। श्रीमती सरोजिनी नायडू अमरीका की अत्यन्त सफल यात्रा तक के अगस्त मास में लौट आईं। नवम्बर में वह पूर्व-अमरीका की भारतीय कांग्रेस में सभानेत्री बनकर गईं। महासभा के एक कोषाध्यक्ष भी शिवप्रसाद गुप्त कई मास यूरोप में रहे। गुप्त जो कांग्रेस की और से साम्प्रदाय-विरोधी-संघ के दूसरे विश्व-सम्मेलन में भी शरीक हुए। यह सम्मेलन जुलाई मास में फ्रैंकफर्ट नगर में हुआ था। इस सम्मेलन की जो रिपोर्ट गुप्तजी ने दी वह कार्य समिति में पेश हुई थी।

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद तुरन्त ही कार्य-समिति ने ३० वीरद मासिक की रकम इसलिए मंजूर की कि बर्लिन में भारतीय छात्रों को सहाय और सहायता देने वाली एक समिति स्थापित की जाय। थोड़े समय पश्चात् यह समिति भी ६० सी० एन० नम्बर की देल्-रेस में कायम हुई। इसके बहुसंख्यक भागीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिली; उससे इतकी उपयोगिता पूर्णतः सिद्ध हो गई। श्री शिवप्रसाद गुप्त ने अपनी यूरोप-यात्रा में इस समिति का निरीक्षण किया और इसके कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इनकी विप्रति पर कार्य-समिति ने एक वाचनालय के निमित्त सहायता में

भी निश्चय किया कि काम्रेस एक ऐसी पुस्तिका पैदा करवे जिसमें राजस्व-प्रभिन राजनैतिक, शासन-सम्बन्धी, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान अपेक्षित पूर्ण परिष्कार हो। इसके लिए महासमिति को आवश्यक सर्वेक्षण दिया गया।

डा० सनयातमेन के मृत्यु-संस्कार के समय मृत्यु उत्तमा की काम्रेस रहने का जो आधिकार सम्पत्त ने दिया था उसका कार्य-समिति ने समर्पण निगुम को साम्राज्य-विरोधक-रूप के अभियोगों से सम्मिलित होने के लिए भारत गया। पाठ समाजों में काम्रेसी-दल के बारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया आशाम के सिवा बकी या अन्य प्रांतीय कौंसिलों के सारे काम्रेसी सदस्य इन के में अथवा उनके द्वारा अथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी शामिल न होंगे जबतक कि महासमिति या कार्य-समिति द्वारा नियुक्त न करे। कि काम्रेसी सदस्य अब से अपना साथ उपलब्ध समय काम्रेस के कार्यक्रम में लगावेंगे। हाँ, बंगाल और आशाम की कौंसिलों के काम्रेसी सदस्य नियुक्त होंगे।

ने मात्र के लिए (वर्क एक्-एक् बैठक में उपस्थित रह सकेंगे।" मर्दानक में यह तय हुआ कि वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समाज-संशोधन और भारतीय जन-साधारण की अवस्था सुधारने और उन-के लिए प्रचलित घोर असमानताओं को मिटाना आवश्यक है। मेरठ के (१५००) मंत्र हुए।

मेरठ-यद्दुन्त्र-केस

२० मार्च १९२६ के दिन बम्बई, पंजाब और संयुक्त-प्रान्त में सांघीय अनुसार सैकड़ों घंटों की तलाशी ली गई। जो लोग गिरफ्तार किये गये, वे भी थे। गिरफ्तार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया। अपराध साम्यवादी प्रचार का लगाया गया था। आगे चलकर "न्यू-रच० एल० इन्डियन मी अभियुक्तों में शामिल कर दिये गये। अभियुक्तों के सेंट्रल डिपेंडन्स-कमिटी भी बनाई गई। इसमें मुख्यतः बड़े-बड़े काम्रेसी हैं। है कि कार्य-समिति ने अभियुक्तों की सफाई के लिए अपनी साधारण () की रकम मजूर की। इस मुकदमे में प्रारम्भिक तफ्तीश में ही कई महीने चला आ पहुँचा। भारत और इंग्लैण्ड में इस मुकदमे ने बड़ा नाम पाया। कानून विभाग के सञ्चालक स्वयं उपस्थित रहते थे और मुकदमे-सम्बन्धी प्रश्नों की खुद देख-भाल रखते थे।

१५ जुलाई को दिल्ली में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई। समिति ने राज्यों के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाह देने में ही स्वराज्य-आन्दोलन को आगे ले जाने के महत्व को देखते हुए कार्य-समिति ने सोचा कि अन्तिम निर्णय महासमिति में ही लिया जाय। इसलिए यह निश्चय किया गया कि शुक्रवार २६ जुलाई १९२६ को प्रस्ताव पेश किया जाय। स्मरण रहे कि कलकत्ते के मुख्य प्रस्ताव की अन्तिम धारा में कहा गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भाग काम्रेस को दें। प्रस्ताव पेश किया और बाद में २६ फीसदी, परन्तु फिर समिति ने यह मामला लोगों

के अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई। इस बैठक में महासमिति कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे दे चाहिए, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखकर इस विषय को लाहौर-कांग्रेस के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा। इसका यह अर्थ नहीं था कि जो पहले त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें मनाही की गई हो।

पंजाब की भूल हड़ताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है। इन हड़तालों से सरकार डराने लगी। उसने सोचा कि ये हड़तालें लाहौर ब्रह्मयन्त्र-केस में पुलिस को लगाने के अभिप्राय की गई हैं। अतः १२ सितम्बर १९२६ को सरकार ने असेम्बली में एक बिल पेश किया। इस बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया था कि यदि अभियुक्त लोग अपने ही कृत्यों से अपने को अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ बना लें तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देख कर कि इस बिल पर बड़ा मत-भेद है, यह मज़ूर कर लिया कि इस पर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ ही सरकार ने अपना यह एक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी। और आखिर हुआ भी ऐसा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहौर-ब्रह्मयन्त्र-केस के बारे में एग्जिज्यूटिव कौंसिल में अर्बिट्रिनेन्स निकाल दिया।

लाहौर-कांग्रेस का सभापति

भविष्य के गर्भ में बड़ी बड़ी घटनाएँ छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भाँति लाहौर-कांग्रेस के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दस प्रान्तों ने गांधी जी के लिए, पाँच ने भी वल्लभभाई पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी। गांधी जी का चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। विधान के अनुसार उनके स्थान पर दूसरे का निर्वाचन आवश्यक हुआ। अतः २८ सितम्बर १९२६ को लखनऊ में महा-समिति की बैठक हुई। सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रक्षा और उसे विजय पथ पर अग्रसर कर सकते थे। कौंसिलों और उनके कुछ सदस्यों से पण्डित मोतीलाल जैनों का उक्त उठना छिपा नहीं रह गया था। यह शक्य संभव था कि कौंसिलों की मेम्बरी छोटी दी जाय। पर आगे क्या किया जाय? सविनय-अग्रहण के सिवाय चारा ही क्या था? परन्तु इन नवीन मार्ग पर गांधी जी के अतिरिक्त राष्ट्र का सकल पथ-प्रदर्शन और कौन करे? उन्हें पहले मना दबाया गया था। लखनऊ में उन पर फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले लें परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस की गरीब पर ऐसे किसी युवक को ही बिठाने की सलाह दी जिस देश के युवक-हृदयों की भद्रा हो। गांधी जी ने इसके लिए युवक-जवाहरलाल को सभापति बनाना उचित समझा। नवयुवकों को कांग्रेस की नीति-रीति चीमी और मुक्त मालूम होती थी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका स्व-किसी नौजवान के हाथ में देना उचित है। भी वल्लभभाई ने गांधी जी और जवाहरलाल जी के बीच में आना पसन्द नहीं किया। लखनऊ में उपस्थित अधिक नहीं थी। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से पं० जवाहरलाल को चुन लिया।

लखनऊ-महासमिति

लखनऊ में महा-समिति के सामने दूसरा विचारार्थ विषय था भी यतीन्द्रनाथदास और पुनर्विजया के देशवसान का। इनमें से पहले देशभक्त पंजाब की जेल में ६४ दिन के अनशन से आँसू दूसरे जस देश में १६४ दिन के उपवास से शहीद हुए। भिन्न विजया एक बौद्ध सधु थे।

के अग्रसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई। इस बैठक में महासमिति ने कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे देने चाहिए, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनकी ध्यान में रखकर इस विषय को लाहौर-कांग्रेस के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा। इसका यह अर्थ नहीं था कि जो पहले त्याग-पत्र देना चाहें उन्हें मनाही की गई हो।

पञ्जाब की भूल दफ्तराल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है। इन दफ्तरालों से सरकार ईरान हुई। उसने सोचा कि ये दफ्तरालों लाहौर सङ्घमन्त्र-केस में पुलिस को उग करने के अभिप्राय से की गई हैं। अतः १२ सितम्बर १९२६ को सरकार ने असेम्बली में एक बिल पेश किया। इस बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया था कि यदि अभियुक्त लोग अपने ही कृत्यों से अपने-को अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ बना लें तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमे की कार्यवाही जारी रह सकती है। किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यह देख कर कि इस बिल पर बड़ा मत-भेद है, यह मञ्जूर कर लिया कि इस पर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ ही सरकार ने अपना यह हक सुरक्षित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई तो सरकार अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करेगी। और आखिर हुआ भी ऐसा ही। गवर्नर-जनरल ने लाहौर-सङ्घमन्त्र-केस के बारे में एक आर्डिनेंस निकाल दिया।

लाहौर-कांग्रेस का सभापति

भविष्य के गर्भ में बड़ी-बड़ी घटनायें छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भाँति लाहौर-कांग्रेस के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दस प्रान्तों ने गांधी जी के लिए, पाँच ने भी बल्लभभाई पटेल के लिए और तीन ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिए राय दी। गांधी जी का चुनाव विधि-पूर्वक घोषित हो गया। परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। विधान के अनुसार उनके स्थान पर दूसरे का निर्वाचन आवश्यक हुआ। अतः २८ सितम्बर १९२६ को लखनऊ में महा-समिति की बैठक हुई। सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रक्षा और उसे विजय-पथ पर अग्रसर कर सकते थे। कौंसिलों और उनके कुछ सदस्यों से पण्डित भोटीलाल जैसों का भी उकता उठना छिया नहीं रह गया था। यह संकेत स्पष्टः आ चुका था कि कौंसिलों की मेम्बरों को दबाया गया था। पर आगे क्या किया जाय ? सचिनय-अवज्ञा के सिवाय चारा ही क्या था ? परन्तु इस नवीन मार्ग पर गांधी जी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन और कौन करे ? उन्हें पहले भी दबाया गया था। लखनऊ में उन पर फिर जोर डाला गया कि वह अपनी अस्वीकृति वापस ले लें। परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस की गद्दी पर ऐसी किसी युवक को ही बिठाने की सलाह दी जिस पर देश के युवक-हृदयों की भद्रा हो। गांधी जो ने इसके लिए युवक-जवाहरलाल को सभापति बनना उचित समझा। नययुवकों को कांग्रेस की नीति-रीति सीमी और मुसलमूलुम होती थी। ऐसी दशा में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को आगे लेजाना हो तो उसका एक किसी नौजवान के हाथ में देना ही उचित है। भी बल्लभभाई ने गांधी जी और जवाहरलाल जी के बीच में धाना पकन्द नहीं किया। लखनऊ में उपस्थित अधिक नहीं थी। उपस्थित मित्रों ने बहुमत से पं० जवाहरलाल को चुन लिया।

लखनऊ-महासमिति

लखनऊ में महा-समिति के सामने दृष्टय विचारार्थ विषय था भी यतीन्द्रनयदास और सुधी विजया के देशबन्धन का। इनमें से पहले देशभक्त पंजाब की जेल में ६४ दिन के अन्तःकरण से और दूसरे ब्रह्म देश में १६४ दिन के उपवास से शरीर हुए। यिषु विजया एक बौद्ध कायु थे। वह

आगे चलकर ब्रिटिश-भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होंगे ? अथवा 'महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी जांच होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उसपर सरकार द्वारा बतनेवाली योजना में यह बृहत् समस्या शामिल करनी हो तो फिर अभी कार्य-पद्धति में परिवर्तन कर लेना जरूरी मालूम होता है। उनका प्रभाव है कि साइमन-कमीशन और सेक्टरल कमिटी की रिपोर्टों पर विचार होकर जब वे प्रकाशित कर दी जायं और पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में सम्मिलित समिति नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए। जिससे सरकार की ओर से पार्लियामेंट के सम्मुख पेश होने वाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त हो सके। भारतीय धारा-सभाओं एवं अन्य संस्थाओं की सलाह लेना तो न्यायदृष्ट पार्लियामेंटरी कमिटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही। परन्तु इसका अवसर तब आवेगा जब यह योजना आगे चलकर बिल के रूप में पार्लियामेंट के सामने आवेगी। किन्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त ढंग की परिपक्व बुलानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश-सरकार इन विचारों से पूर्णतः सहमत है। अगस्त १९१७ की घोषणा में ब्रिटिश-नीति का ध्येय यह बताया गया था कि स्वशासन-संस्थाओं का क्रमशः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश-साम्राज्य का अंग रहकर भारत धीरे-धीरे दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके। परन्तु १९१६ के सुधार-कानून का अर्थ लगाने में विलायत और भारत दोनों ही देशों में ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।"

यह घोषणा तो हुई ३१ अक्टूबर को और २४ घण्टे के भीतर पण्डित मालवीय, सर तेज-बहादुर सप्रू और डॉ. वैसेण्ट आदि बड़े-बड़े लोग दिल्ली आ पहुँचे। कांग्रेस की कार्य समिति तो बदां थी ही, गम्भीर विचार के पश्चात् इस सम्मिलित सभा ने कुछ निर्णय किये। इन्हीं निर्णयों के प्रकाश में एक वक्तव्य तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार की घोषणा की सच्चाई की और भारतीय लोक-मत को सन्तुष्ट करने की सरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई।

इस वक्तव्य में कहा गया कि "हमें आशा है, भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल औपनिवेशिक विधान तैयार करने के सरकार के प्रयत्न में हम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश की मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं में निश्वास उत्पन्न करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ कार्यों का किया जाना और कुछ बातों का साफ होना जरूरी है।

प्रस्तावित परिपक्व की सफलता के लिए हम अत्यन्त जरूरी समझते हैं कि—

(क) वातावरण को अधिक शान्त करने के लिए समझौते की नीति अख्तियार की जाय।

(ख) राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायं।

(ग) प्रगतिशील राजनैतिक संस्थाओं को काफ़ी प्रतिनिधित्व दिया जाय और सबसे बड़ी संस्था होने के कारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे अधिक लिये जाय।

(घ) औपनिवेशिक ढंग के सम्बन्ध में याहसयव की घोषणा में सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या हैं, इस विषय में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है। किन्तु हम समझते हैं कि प्रस्तावित परिपक्व औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना का समय निश्चित करने की नहीं बुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्वराज्य का विधान तैयार करने की आम्बिव की जायगी। हमें

वाइसराय की घोषणा में भारतवासियों को बहुत छोटी-सी चीज देने का बन्दन दिया गया था। फिर भी पार्लियामेंट में इसीपर तूफान खड़ा हो गया। कामन-सभा को सफाई देना करनी पड़ी। वाइसराय साहब को वेन साहब और लॉर्ड अर्विन की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेदारी अपने सिर लेनी पड़ी। सर जॉन साहमन को अपनी और अपने कमीशन की जान बचाना मुश्किल हो गया। लायड जार्ज साहब ने कैप्टन वेन साहब से पूछा, भारतीय नेताओं के सम्मिलित वक्तव्य में हमारी नीति का जो अर्थ लगाया गया है, “क्या आपको वह स्वीकार है?” लॉन्डनवासी साहब ने लोगों से वाइसराय की घोषणा का साधारण अर्थ लगाने का अतुंगोष किया। अलबत्ता भारतवासी इसे बाजार-भाव से ही आंकना चाहते थे और वस्तुतः तो इसका मूल्य उन्हें और भी कम मालूम हुआ। डॉ. नरमदल वाले भारतीय इस परिषद् के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका नाम भी मोलमेज-परिषद् रक्ता, हालांकि लॉर्ड अर्विन इसे लन्दन की परिषद् के नाम से ही पुकारते रहे। कैप्टन वेन साहब हिन्दुस्तानियों से तो यह कहते थे कि हमने अपनी नीति बदल दी है और पार्लियामेंट के सदस्यों को यह दिखाया देते थे कि नीति नहीं बदली। उनका कहना था कि नीति तो १९१७ के घोषणा-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका १९१९ के सुधार-कानून में दर्ज है और सुधार-कानून इंग्लैण्ड के कानूनों में शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार के उद्गारों से युवक-कामेशियों में निराशा फैली।

सर्वदल-सम्मेलन

१६ नवम्बर को प्रयाग में सर्वदल-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया और साथ ही कार्य-समिति की बैठक हुई। ऐक्य भाव बनाये रखने के सब प्रयत्न किये गये। कार्य-समिति ने अपना कोई निश्चित निर्णय दिया भी नहीं था कि पंडित जवाहरलाल और सुभाष बाबू ने समिति की सदस्यता को पहले ही छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने नौजवान साथियों से भी बढ़कर थे। उन्हें कामन-सभा की झुल-काढ़-पूर्ण कार्रवाई और कैप्टन वेन के दुर्मुहिपन पर बड़ा भरोसा था। उन्हें ऐसा लगा कि ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल जो चित्र खींच रहा था वह ऐसा था कि भारतवासियों को उनमें स्वराज्य दीले और विलायतवासियों को ब्रिटिश-राज्य।

नेताओं से भेंट

इसपर ‘पायोनियर’ के भूतपूर्व सम्पादक विलसन साहब समाचार-पत्रों में चिट्ठी-पर-चिट्ठियाँ छापवा रहे थे और लॉर्ड अर्विन पर जोर डाल रहे थे कि साहौर-कमिश्न से पहले सरकार की ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेताओं को खाली हाथ लाहौर न पहुँचना पड़े। लॉर्ड अर्विन, डॉ० सपू के मार्फत, १५ तारीख को मिलाने का निमन्त्रण पण्डित मोतीलाल नेहरू को भेज चुके थे। परन्तु १५ ता० तक पण्डितजी लखनऊ में अपने बकालत के काम से मुक्त न हो सके। विलसन साहब ने अखबारों में लिखा कि वाइसराय गांधीजी, पण्डित मोतीलालजी और मालवीयजी से खीम ही मुलाकात करनेवाले हैं। इसपर वाइसराय साहब १५ ता० को दक्षिण-भारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होंने डॉ० सपू को लिखा कि अगर पहले हैदराबाद (दक्षिण) में न मिल सका तो २३ दिसम्बर को दिल्ली में गांधीजी और नेहरूजी से मुलाकात होगी। कुछ भी हो, बड़े दिन से पहले सम्पर्क मिल लगे। लॉर्ड अर्विन समय पर, अर्थात् २३ दिसम्बर को, दिल्ली सौट आये। उसी दिन नई दिल्ली से १ मील दूर पुण्डने हिले के स्थान पर उनकी गाड़ी के नीचे बम पड़ा। लॉर्ड अर्विन तो बाल-बाल बच गये, परन्तु उनके खाने की गाड़ी को नुकसान पहुँचा और उनका एक नौकर पायल हुआ। उसी दिन गांधीजी और मोतीलालजी

की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वस्तुस्थिति है उसमें इन भीठी-भीठी बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम अपनी ओर से कोई धोर राष्ट्रीय सभाम आरम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समझौते का द्वार अभी खुला है। परन्तु कैप्टिन वेजपुड बेन का व्यावहारिक औपनिवेशिक स्वराज्य हमारे लिए जाल-भाज है। हम तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। हमारे सामने एक ही ध्येय है और वह है पूर्ण स्वाधीनता का। अथर्व-पद से जवाहरलालजी ने ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का वर्णन किया और साफ कहा, “मैं तो साम्यवादी और प्रजातन्त्रवादी हूँ। मैं बादशाहों और राजाओं को नहीं मानता।” इसके पश्चात् उन्होंने अल्प-संख्यक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों तथा मजदूरों के तीन बड़े प्रश्नों को लिया। इसके बाद उन्होंने अहिंसा के प्रश्न का विवेचन किया—“हिंसा के परिणाम बहुधा विपरीत और भ्रष्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देश में तो इससे सत्यानाश हो सकता है। यह मिलकुल सब है कि आज जगत में संगठित हिंसा का ही बोल-वाला है। सम्भव है हमें भी इससे लाभ हो, परन्तु हमारे पास तो संगठित हिंसा के लिए न सामग्री है न तैयारी; और व्यक्तिगत अथवा स्फुट हिंसा तो निराशा को कबूल करना है। मैं समझता हूँ हममें से अधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युत व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं, और यदि हमने हिंसा के मार्ग का परित्याग किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निकलना नहीं दिखाई देता। स्वतन्त्रता के किसी भी आंदोलन में जनता का शामिल होना जरूरी है और जनता के आंदोलन तो शांति ही हो सकते हैं। हाँ, संगठित विद्रोह की बात अलग है।” व्यावहारिक अहिंसा को इस उम्दा तरीके पर समझने के बाद सभापति महोदय कौंसिलों के बहिष्कार, राष्ट्र-भ्रष्टण और कांग्रेस के सगठन को ठीक-ठीक और कारगर बचाकर उसे मजबूत और सुव्यवस्थित संस्था में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बोले। अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान प्रयत्न कर देखने की अपील की—“यह कोई नहीं कह सकता कि सफलता कब और कितनी मिलेगी। सफलता हमारे काबू की चीज नहीं। परन्तु विजय का सेहत प्रायः उन्हीं के सिर बधता है जो साहस करके कार्य-क्षेत्र में बढ़ते हैं। जो सदा परिणाम से मयभीत रहते हैं, ऐसे कार्य में सफलता नश्चित ही होती है।”

लाहौर-कांग्रेस के सम्मुख प्रश्न यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १९२७ की मदरास-कांग्रेस का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय अथवा केवल स्पष्टीकरण के रूप में। इस विषय पर सभापति के भाषण में कुछ बातें भ्रजेदार थीं—“हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश-प्रमुख और ब्रिटिश-साम्राज्य से पूर्णतः मुक्त होना। मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि इस प्रकार मुक्त होने के बाद भारतवर्ष विश्व-सभ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे बगवती का दर्जा मिलेगा तो वह किसी बड़े समूह में शामिल होने के लिए अपनी स्वाधीनता का कुछ हिस्सा छोड़ देने को भी राजी हो जायगा।” ध्याते चल कर उन्होंने कहा—“जब तक साम्राज्यवाद और उसके साथ लगी हुई सारी सुदृष्टता का अन्त नहीं हो जाता तब तक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह में भारत-वर्ष को बगवती का दर्जा मिल ही नहीं सकता।” उनके भाषण के कुछ अंश यहाँ और दिये जाते हैं। जिनसे वस्तुस्थिति समझने में सहायता मिलेगी—

“नाम कुछ भी रखिए, अठली चीज तो है सत्ता का हाथ छानना। मैं नहीं समझता कि भारतवर्ष को मिलने वाला किसी भी तरह का औपनिवेशिक स्वराज्य हमें पसंदी सत्ता देगा। इस सत्ता की बसोटी यह है कि विदेशी सेना और आर्थिक नियन्त्रण बिलकुल हटा लिये जायें। इसलिए हमें इन्हीं दोनों पर जोर देना चाहिए, फिर सब-कुछ अपने-आप हो जायगा।”

सदा की भांति पूर्व-अफ्रीका पर भी प्रस्ताव हुआ । श्रीमती सरोजिनी नायडू बड़ा कष्ट उठाकर वहाँ गई थीं और वहाँ के भारतीयों ने अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय भावना को कायम रखा था । कांग्रेस ने दोनों को बर्खास्त कर दिया और कहा कि राष्ट्र किसी ऐसी योजना से सन्तुष्ट नहीं हो सकता जिसमें साम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार किया गया हो, मताधिकार में भेद-भाव रखा गया हो और सम्पत्ति प्राप्त करने में भारतीयों पर बन्धन लगाये गये हों ।

देशी-राज्यों का विषय महत्वपूर्ण था ही । कांग्रेस ने सोचा अब समय आगया है कि भारतीय-नेतृत्व अपनी प्रजा को दायित्वपूर्ण शासन प्रदान करें और उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन आदि अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्तिकी रक्षाके नागरिक हकों के बारे में घोषणायें करें और कानून बनायें ।

नेहरू-रिपोर्ट के रद्द हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पड़ा । इस सम्बन्ध में अपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ । कांग्रेस ने अपना यह विश्वास व्यक्त किया कि स्वाधीन-भारत में तो साम्प्रदायिक प्रश्नों का निराकरण सर्वथा राष्ट्रीय दंग से ही होगा । परन्तु चूँकि सिक्कों ने विशेषतः और मुसलमानों और दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने साधारणतः नेहरू रिपोर्ट के प्रस्तावों पर असन्तोष प्रकट किया है, इसलिए कांग्रेस इन जातियों को विश्वास दिलाती है कि किसी भी भावी-विधान में कांग्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार नहीं करेगी जिससे सब पक्षों को पूर्ण सन्तोष न हो ।" पार्लियामेंट के भूतपूर्व सदस्य भी शापुरजी सक्लोटवाला और इंग्लैण्ड एवं अन्य विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लौटने के लिए सरकार से परवाने मागे थे, वे नहीं दिये गये । इसपर भी कांग्रेस ने निन्दा का प्रस्ताव पास किया ।

१९२२ की गया-कांग्रेस के इतने अज्ञेय बाद भारत पर लादे गये आर्थिक भार और उसे अस्वीकार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया—“इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष पर जो आर्थिक भार लाद दिया है वह ऐसा नहीं है जिसे स्वतंत्र-भारत बरदाश्त कर सके या उससे बरदाश्त करने की आशा की जाय, अतः यह कांग्रेस १९२२ वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सूचना देती है कि स्वाधीन-भारत किसी भी आर्थिक जिम्मेदारी या रिश्तायत को; फिर भले ही वह किसी भी प्रकार दी गई हो, उसी हालत में स्वीकार करेगा जब कि स्वतंत्र-न्यायालय द्वारा उसका औचित्य सिद्ध हो जायगा, अन्यथा वह रद्द कर दी जायगी । बम-दुर्घटना पर जो प्रस्ताव पास हुआ वह आसानी से नहीं हुआ । प्रतिनिधियों के एक सत्रस समूह ने उसका प्रबल विरोध किया और बहुत ही थोड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हो सका । मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी इस बात पर आपत्ति की गई कि स्वराज्य का मतला इस करने में वाइसराय की कोशिश की जारी की जाय । जब कांग्रेस में यह कहा गया कि सम्पत्ति मोलमेन-परिपद् में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं है, तो ‘सम्पत्ति’ शब्द पर भी और आपत्ति की गई । लोगों को भय था कि कहीं राबण के सिर की तरह यह परिपद् बढ़ने हुए हालत के बहाने बार-बार जिन्दा न हो जाय । परन्तु गांधीजी तो बार-बार शपथ कर चुके थे कि हमारा साथ अखण्ड और जारी लड़ाई अखण्ड ही स्थाविर है । गांधीजी विदेशी बन्धन-बहिष्कार-समिति, मध्य-निरोध-समिति, और अदरुपयत्न-निकारण-समिति को बुद्ध-बुद्ध स्वतंत्र बन्धन कांग्रेस का काम हलका करने की बात भी न मन्ना सके । यही हाल उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम करवाने और कांग्रेस-संगठन को अधिक आसान करवाने के प्रस्तावों का भी हुआ ।

कार्य-विभाग

यह कह देना जरूरी है कि ये भिन्न-भिन्न समितियाँ कलकत्ता-कॉंग्रेस के बाद फरकी हो से बनी थीं। इनका काम विरोधों को सीमा गया। स्वयंसेवकों का संगठन जवाहरलालजी और सु बाबू के हवाले किया गया। कॉंग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बाँटा और कार्य-समिति अलग-अलग सदस्यों के सुपुर्द किया गया। किन्तु गांधीजी तो यह चाहते थे कि कार्य-समिति ये कमिटियाँ भी स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। परन्तु लोगों ने उनके प्रस्तावों को सन्देह की देखा। कारण, नेता अपने अनुयायियों से सदा आगे चलता है और कल उसने जो बात बरी आज मानी जाती है। हुआ भी यही। आज अर्थात् सन् १९३५ में असह्यता-निवारण का का ऐसी स्वतंत्र संस्था चला रही है जो राजनीति के भ्रंशवादा से बरी है और राष्ट्र के राजनैतिक उदार का उसपर कोई असर नहीं पड़ता। कॉंग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या भी इस समय बर्बर से विहाई हो गई है। जो बात गांधी जी लाहौर में नहीं करवा सके थे वही कुछ तो उनके कारण समय हो गई और कुछ उनके छूटने के बाद हो गई।

कलकत्ते में राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करने के लिए सरकार को बारह मास का समय। गया था। तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक आधी रात के समय प्रस्ताव के इस मतभेद-पूर्ण अर्थ रायों की गिनती खत्म हुई। उस समय सारी कॉंग्रेस ने मिलकर पूर्ण स्वाधीनता का भंडा पकड़ा।

सब बातों को देखते हुए लाहौर के अधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना पड़ा और नि भी नाशुक थी। गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रखे गये थे या तो काल्पनिक थे या खालसा हर बार जो सजुचितता, उमता अथवा असहिष्णुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी। बंगाल यह-युद्ध के कारण चुनाव-सम्बन्धी भंगड़े मुद्दत से चले आ रहे थे। लाहौर के कॉंग्रेस सभाग और भी उम-रूप में प्रकट हुए और सुभाष बाबू और पण्डित मोतीलाल जी में कड़ा-सुनी भी गई। श्री सेनगुप्त और सुभाष बाबू में प्रान्तीय नेतृत्व के लिए शर्षा भी ही। कौंसिल-प्रवेश के मतभेद पूर्ण मसले पर उनका आपसी वैमनस्य और भी तीव्र रूप में सामने आया। गांधीजी ने कॉंग्रेस में श्रेय में 'शान्त एवं उचित उपायों' के स्थान पर 'सत्य एवं अहिंसा-पूर्ण उपायों' को रखाने की कोशिश की, पर उनकी बात न चली।

यह सवाल अभी दरपेरा ही है। अम्बर-कॉंग्रेस ने अक्टूबर १९३४ में इसे स्वगित रण दिख था। कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी और जवाहरलालजी को सफलता मिली, यह निश्चित है। अधिवेशन के बाद तुरन्त ही भी भीनिवास आयोग और सुभाष बाबू ने कॉंग्रेस डेप्युटी-प्रिजिट का नाम से एक नये दल की स्थापना घोषित कर दी। इससे सरकार ने उस समय यह धारणा बनी कि कॉंग्रेस के गरम दल को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ है और कॉंग्रेस में घूट पतने की वाली है। इन मित्रों की इच्छा थी कि कार्य-समिति का संगठन चुनाव-द्वारा हो। जब इनकी नहीं चली तो ये कुछ दक्षिण-भारतीय मित्रों के साथ उठकर कॉंग्रेस के बाहर चल दिये। गांधीजी की परिचारी के अनुसार कार्य-समिति के मत का के सदस्यों से पूछ लिया करते थे कि कौन-कौन इच्छा से अलग होना चाहते हैं? लाहौर में कार्य-समिति को स्वतंत्र सूत्रों के आकाश में उड़ाने की एक दली गांधीजी की सलाह से मोतीलालजी ने तैयार की थी और दूसरी सेट जम उल्लास करने लगे। दोनों सूत्रियों से केवल एक नाम का अन्त था। यह अन्त ठीक का 'महा-सत्य' का कार्य-समिति बन गई। परन्तु इन मित्रों की तो निर्वाचन कार्य-समिति का। जब इनकी इच्छा पूरी

प्राणों की बाज़ी—१९३०

प्रतीक्षा का वर्ष समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्भ हुआ—परन्तु तीन सप्ताह भी नहीं पाये थे कि महाराष्ट्र में विद्रोह खड़ा हो गया। हम देख चुके हैं कि असहयोग के आरम्भ-काल में महाराष्ट्र और बंगाल ने मिलकर उस नवीन आन्दोलन का विरोध किया था। अब महाराष्ट्र-आन्दोलन-कमिटी ने कार्य-समिति से कौंसिल-वहिष्कार का आग्रह छोड़ देने का अनुरोध किया और देश को दिल्ली की शक्तों और स्वाधीनता के आधार पर गोलमेज-परिषद् में शामिल होना चाहिए वैसे तो ये प्रश्न सदा के लिए तय हो चुके थे। जब कैदियों को छोड़ कर सरकार ने हृदय-परिषद् का परिचय नहीं दिया और औपनिवेशिक स्वराज्य की भावना का गुरन्त अमल में लाना शुरू किया तो दिल्ली की शक्तों में घटा ही क्या था ?

नई कार्य-समिति की बैठक २ जनवरी १९३० को हुई। पहला काम उसने किया कौंसिल-वहिष्कार के निश्चय पर अमल करवाने का। इसके लिए उसने मत-दाताओं से अनुरोध किया। जो सदस्य कांग्रेस की अपील पर ध्यान न दें उन्हें मत-दाता मजबूर करें कि वे इस्तीफा दें और चुनाव में शामिल न हों। इसके परिणाम-स्वरूप असेम्बली के २७ सदस्यों ने इस्तीफे दे दिये। इस निश्चय कार्य-समिति ने देश-भर में पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाने का किया और इसके लिए २६ जनवरी १९३० का दिन नियत हुआ। देश-भर में नगर-नगर और गांव-गांव में एक-घोषणा-पत्र तैयार कर जनता के सम्मुख पढ़कर सुनाना और उस पर हाथ उठा कर श्रोताओं की सम्मति लेना तय हुआ उस दिन सुनाया जाने वाला घोषणा-पत्र यह था :—

स्वाधीनता का घोषणा-पत्र

“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहें, अपने परिश्रम का फल हम स्वयं भोगें और हमें जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सत्ताती है तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने का मित्र्य देने का भी अधिकार है। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की स्वतन्त्रता का ही अन्वेषण नहीं किया है बल्कि उसका आधार भी भारतीयों के रक्तशोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीयों का नाश कर दिया है। अतः हमारा निश्चय है कि भारत-वर्ष को अंग्रेजों से सम्बन्ध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए।

भारत की आर्थिक बरबादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देगो हुए उसने बेरिक्त कर लगाये हैं। हमारी औद्योगिक उद्योग बंद हो चुके हैं और हमारे को भारी कर लिये

जाते हैं उनका २०' फी सदी किसानों से लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नकम-कर के रूप में वसूल किया जाता है।

“हाथ-कलाई आदि प्राम-उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने किसान लोग बेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई। और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नहीं किये गये हैं।

“बुद्धि और सिक्के की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी बढ़ गया। हमारे देश में बाहर का माल अधिकतर अंग्रेजी कारखानों से आता है। चुंगी के महसूल में अंग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात होता है। इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोझ हलका करने में नहीं किया जाता बल्कि एक अत्यन्त अप्रव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता है। विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढंग से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

“राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अंग्रेजों के जमाने में घटा है उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनैतिक सत्ता नहीं आई है। हमारे बड़े-से बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के सामने सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आजादी से जाहिर करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से देशवासी निर्वासित कर दिये गये हैं। हमारी शासन की सारी प्रतिभा मारी गई है और सर्व-साधारण को गाँवों के छोटे छोटे ओहदों और सु शीगिरी से सन्तोष करना पड़ता है।

“संस्कृत के लिहाज से, शिक्षा-प्रणाली ने हमारी जड़ ही काट दी और हमें जो वालीम दी जाती है उससे हम अपनी गुलामी की जजीरों को ही प्यार करने लगे हैं।

“आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हाथियार जवरदम्बी छीनकर हमें नमस्द बना दिया गया। विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी मुकाबले की भावना को बड़ी तुरी तरह से कुचल दिया है। उसने हमारे दिलों में यह बात बिठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैं और न विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चोर, डाकू और बदमाशों के हमलों से भी हम अपने बाल बच्चों और जान-माल को नहीं बचा सकते। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है। किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश-सरकार से यथा-सम्भव स्वेच्छा-पूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबन्दी धक के साज सजावेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम राजी-राजी सहायता देना और उत्तेजना मिलने पर भी शिक्षा किये बगैर कर देना बन्द कर सके तो इस अमानुषी-राज्य का नाश निश्चित है। अतः हम राय-पूर्वक सकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के हेतु कर्मिस समय-समय पर जो आशयें देगी उनका हम पालन करते रहेंगे।”

गांधी जी की '११' शर्तें

‘स्वाधीनता-दिवस जिस ढंग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर दीखने वाली शिथिलता और निपरा की वृद्धि में कितनी अधीम भावना, उत्साह और स्वायं-रक्षा की वैयारी दबी पड़ी थी। स्वदेश-भक्ति और आत्म-बलिदान के अंगारे राज-भक्ति या कानून और व्यवस्था की गुलामी की रास से केवल दके हुए थे। जरूरत इतनी ही थी कि भावना एवं उत्साह के क्षाल अंगारों पर

१८१८ का तीसरा रेस्प्लेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयों को देश में वापस आजाने दिया जाय ।

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय ।

(११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवाने दिये जायं, और उन पर जनता का नियंत्रण रहे ।

सुना है कि जब जनवरी १९३० में ही भी बोमनजी ने प्रधानमंत्री रेजे मैकडानल्ड साहब से समझौते की बात-चीत करने का बीड़ा उठाया था तब भी गांधीजी ने उन्हें यही रातें बताई थीं ।

गांधीजी ने आगे लिखा—“हमारी बड़ी-से-बड़ी आवश्यकताओं को यह कोई सम्पूर्ण सूची नहीं है, पर देखें वाइसराय साहब इन सीधी सीदी किन्तु अत्यवश्यक भारतीय आवश्यकताओंकी पूर्ति तो करके दिखावें । ऐसा होने पर सविनय-अवज्ञा की बात भी उनके कान पर नहीं पड़ेगी और जहा अपनी बात कहने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिषद् में कांग्रेस हृदय से भाग लेगी ।” इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मांगें पूरी न की गईं तो सविनय-अवज्ञा होगी ।

गांधीजी ने यह भी कहा, “अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता-प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों, परन्तु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक असहयोग के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है । परमात्मा करें, आप लोग स्वराज्य के इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लड़ाई निकट आ रही है उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने का वह आपको बल और साहस प्रदान करे ।”

असेम्बली से इस्तीफे

जब असेम्बली में वाइसराय साहब ने अपना मापण दिया, तब वसन्तप्रवृत्त थी । उस समय वातावरण सरकार के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वस्त्र-उद्योग-रक्षण-कानून उन्ही समय बना था । इसके बहुत-से विरोधी समझते थे कि इसके द्वारा सरकार ने आर्थिक-परिषद् की भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के माथे पर साम्राज्य के साथ रिश्तायत करने की नीति लाद दी है । इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय और उनके राष्ट्रीय दल के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया । वस्तुतः कांग्रेस-ग्रान्दोलन को इस सहायता की आशा न थी और इसलिए उसे दैविक समझना चाहिए ।

यहां यह क्यों कर देना जरूरी है कि यह कानून क्या था । साथ ही सूती कपड़े पर लगाये गये उतार-कर और आयात-कर का इतिहास भी बता देना आवश्यक है । महासमर की समाप्ति के समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों में बने हुए १६ नम्बर से ऊपर के सूत और कपड़े पर ३१ फी सदी उतार-कर लगता था । यह कर सरकार विक्री या मुनाफे पर नहीं लेती थी, बल्कि वैचार-माल पर लेती थी । विदेशी कपड़े पर जो आयात-कर लगता था वह विफ्र आमदनी के लिए था और माल की कीमत ७१ फी सदी के हिसाब से लिया जाता था । भारतीय कारखानेदारों, व्यापारियों और नरम-दल-वालों ने अपनी युद्ध-कालीन सेवाओं का इवाला दे-तेकर सरकार को बताया कि युद्ध के बाद विदेशी कपड़े के आने से हिन्दुस्तानी कारखानों को बड़ा धक्का पहुंच रहा है । १९२५ में सरकार ने आयात-कर ७ फी सदी से बढ़ाकर ११ फी सदी कर देना मंजूर किया । इसने विदेशी कपड़ा ४ फी सदी महंगा हो गया । स्वदेशी कपड़े का उतार-कर भी उठा दिया गया, इससे स्वदेशी कपड़ा ३१ फी सदी सस्ता हो गया । परन्तु इधर जनता स्वदेशी कपड़े के लाभ पर खुशियां मना रही थी, उधर १९२७ के शुरू में ही सरकार ने विनिमय कानून पास कर दिया । इससे रुपये की कीमत १६ पेंस से बढ़कर १८ पेंस हो गई । अर्थात् जो एक पौयड का विदेशी कपड़ा पहले संकारायर से १५) में पड़ता

या उमके अथ १३।-७४ पार्स ही लगने लगे । इस तरह विदेशी कपड़ा १२।। की सरी लता हो कर । अर्थात् १६२५ में हिन्दुस्तानी मिलमालिकों को जो ७।। की सरी का लाभ हुआ था उनके कुम्भे में विदेशी कारखानेशरों को दो बरस बाद ही १२।। की सरी का फायदा मिलने लगा । इस समय तक भारत में बड़ी हलजल मन्वी और आयात-कर में परिवर्तन की मांग की गई । सरकार ने कम-उद्योग-उत्पन्न-बान्धन पाल करके इन्वेस्ट के करके पर १५ फीसदी और अन्य विदेशी करके पर २० फीसदी और कर लगा दिया । परिणत मालीयती ने इस भेद-भाष को आर्थिक-परिपक्व (फिरकम कम्पेन्स) के शिनाक करकर उसका विशेष किया । अगान इसमय बहा दूर-दर्राँ निकला । यह कानून से संशय शायर के साथ अगान की शर्मा रोक्ने के लिए बना था, परन्तु अगान ने अपने भारत को धेरे करे जाने करके पर अदाओं का भाड़ा ५ फीसदी कम करा दिया और कानूनी कर्तवियों को कानूनी कानून में पांच फीसदी महायज्ञ दे की । इस तरह भारतीय आयात-कर की भाल घरी हो गई । अनेक कर भारत सरकार ने आयात-कर ५ फीसदी और बढ़ा दिया । इनमें लकाशावर को ५ फीसदी की शक्ति हो गई । इनकी प्रति-वर्ति सरकार ने दृष्टी तरह कर दी । उनमें भारत में जाने वाली कई एक अगान मेर का मद्रुल लगा दिया । यह कर मिथ और अमीका से आती है और इनमें लकाशावर के मुकामने का शारीक करका पैवार किया जाता है । इस एक अगान मेर के मद्रुल से लकाशावर की शर्मा जाने में भारतीय-मिलोंको उन्नी ही बाधा होगई । ये सब बातें तो प्रसंगगत की हैं । जब कम उद्योग-उत्पन्न-बिल अमेरिनी में पेश हुआ तो उन पर दो संशोधन उद्दिष्ट किए लगे । मालवीयजी का संशोधन यह था कि इन्वेस्ट के साथ कोई विद्याका न करके सब विदेशों के बने कर की एक ही दर मुहरा कर देनी चाहिए । ३१ मार्च को अमेरिनी की इस पैरक का अंतिम दिन था । अण्डरस पेट्र ने कहा कि यदि सरकार का प्रस्ताव अमेरिनी में बनी-जा लो अंतिम न हो तो सरकार फिर विचार करके बता दे कि वह अगान बिल कानून में लेगी क्या ? परन्तु सरकार ने का कि देना बन्ना अन्तिम विदेशी में हाथ के पैरक है । अगान में बरस हुई और मालवीय जी का संशोधन तो गिर गए और भी अनेकों का संशोधन सरकार हुआ । परन्तु मालवीय अगान में फिर एक बार लो गई, इनमें अपने ही परिवर्तन मालवीय जी और उनके कानूनी, हीटन कानूनन और जी अगान कानूनी के साथ लकाशावर उद्दिष्ट किये लगे । उन दिन की सभा कर्तव्य करके में अपने अगान में कहा - "अगान लकाशावर लकाशावर अगान । और अनेक इस में से कोई-कोई का हीन ही देना अथ हो कानूनी १६३० के कर की दर मालवीय का लकाशावर में कोई मालवीय का हीन ही देना अथ लकाशावर अगान लकाशावर अगान का हुआ कि वह अनेकों कर बराने कानूनी का पैरक है । एक में ही विचार उदाहरण मालवीय जी की ।"

सविनय-अवज्ञा का भीगणेश

१४, १५ और १६ फरवरी को कार्य-समिति की साबरमती में बैठक हुई। काँग्रेसियों के जिन मेम्बरों ने इस्तीफे नहीं दिये थे या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गए थे उन्हें कहा गया कि या तो वे कांग्रेस की निर्वाचित-समितियों की मेम्बरी छोड़ दें, अन्यथा उनपर जाने की कार्रवाई की जायगी। सरकार ने राजनैतिक कैंदियों के साथ सद्गुणवहार करने का आश्वासन दिया था, परन्तु सरकार ने इस यत्न का पालन नहीं किया। इस पर साबरमती में कार्य-समिति ने खेद प्रकट किया। किन्तु इस बैठक का मुख्य प्रस्ताव तो सविनय-अवज्ञा के सम्बन्ध में था। वह इस प्रकार था:—

“कार्य-समिति की राय में सविनय-अवज्ञा का आंदोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्भ और संचालित होना चाहिये जिनका पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास हो, और चूंकि कांग्रेस के संगठन में सब ऐसे ही स्त्री-पुरुष नहीं हैं बल्कि ऐसे भी लोग शामिल हैं जो अहिंसा को देश की वर्तमान स्थिति में विर्क नीति के तौर पर मानते हैं, इसलिए कार्य-समिति महात्मा गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती है और उन्हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों को अधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जहां तक उचित समझे सविनय अवज्ञा जारी कर दें। कार्य-समिति को विश्वास है कि जब आंदोलन वस्तुतः चल रहा होगा उस समय सारे कांग्रेसवादी और दूसरे लोग सब तरह से सत्याग्रहियों को पूर्ण सहयोग देंगे और बड़ी-से-बड़ी उत्तेजना के समय भी सम्पूर्ण अहिंसा का पालन और रक्षण करेंगे। कार्य-समिति को यह भी आशा है कि आंदोलन के सर्व-साधारण में फैल जाने पर बकील आदि लोग जो सरकार के साथ स्वेच्छा-पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, और विद्यार्थीगण जो सरकार से कथित लाभ उठा रहे हैं, वे सब यह सहयोग और यह लाभ छोड़ देंगे और स्वतन्त्रता के अंतिम क्षण में कूद पड़ेंगे।

‘कार्य-समिति को विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्तार और कैद हो जाने पर जो लोग पीड़े सह जायेंगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना है वे अपनी योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम और आंदोलन को जारी रखेंगे।’

इस प्रस्ताव ने गांधीजी और उनके विश्वस्त साथियों को सविनय-अवज्ञा करने का अधिकार दिया। कुछ समय बाद अहमदाबाद में महा-समिति की बैठक हुई, उसने इस अधिकार का और भी विस्तार करके सविनय-अवज्ञा का आंदोलन चलाने की सत्ता भी उन्हें दे दी। यह बात हमने खासकर यह दिखाने के लिए कही है कि मई १९३४ में जब यह आंदोलन स्थगित किया गया तब भी गांधीजी के लिए अपवाद रक्खा गया; अर्थात् आंदोलन के आदि और अंत दोनों में गांधीजी को स्वतन्त्र रक्खा गया। जान्ने के इस प्रस्ताव से पहले गांधीजी ने कुछ चुने हुए आमन्त्रित मित्रों के साथ जो खानगी बातचीत की थी वह व्यादा महत्वपूर्ण थी। उसमें एकमात्र विषय नमक था; अर्थात् नमक का कानून कैसे छोड़ा जाय, नमक कैसे बनाया जाय, वहा हुआ नमक कैसे इकट्ठा किया जाय और नमक के ढेरों पर धाया कैसे बोला जाय।

इस सम्मेलन में कुछ लोगों ने यह आशाका प्रकट की कि देश अभी सामूहिक सविनय-अवज्ञा के लिए तैयार नहीं है। तैयारी का अर्थ यही था कि लोग आजा-मंग करने में विनय रख सकेंगे या नहीं, दूसरों को कुछ न पहुंचाकर स्वयं बंधों का आह्वान कर सकेंगे या नहीं, और शोक और क्लेश को शांत और प्रसन्न होकर सहन कर सकेंगे या नहीं, ये आशांकायें प्रकट करनेवाले ऐसे सत्यवादी

मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक-सविनय-श्रवणता की सूचना दस वर्ष पहले मिल चुकी थी। लेकिन जो केवल दोषदर्शी थे उन्हें उत्तर देने की जरूरत न थी। यदि आज सामूहिक श्रवणता स्वीकार दिया जाय तो क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए वे अपने-आपको तैयार कर लेंगे ? असल बात तो यह है कि तैयारी की सबसे अच्छी तैयारी तैयारी ही होती है। इस प्रकार लाई रिपन के कथनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी योग्यता की अच्छी-से-अच्छी तैयारी उसे स्वशासन देने ही से हो सकती है। जैसे इन्द्रियों को काम में लेने से ही वे सफ़ी हैं वैसे ही नैतिक शिक्षण भी श्रमल से ही मिलता है।

नमक-कानून भंग

परन्तु सविनय श्रवणता शुरू करें तो कैसे ? गांधीजी के ह्रादे पहले ही जाहिर हो गया। बम्बई में ये समाचार पहुंच चुके थे और कार्य-समिति की साबरमती की बैठक से पहले ही पता चला कि नमक के टैरों पर धावा बोला जायगा। १६ फरवरी से पहले ही बम्बई में प्रचार शुरू भी शुरू हो गया। नमक-कर का इतिहास खोद निकाला गया। मालूम हुआ कि १८५९ में ही नमक-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंग्रेजी नमक की विप्रे की खातिर भारतीय नमक का लगाने की सिफारिश की थी। लिवरपूल बन्दर में माल के बिना जहाज खाली पोते के अखात समुद्र पर वे तबतक चल नहीं सकते थे जबतक कि आवश्यक भार को पूरा करने के लिए माल को उतार लया न हो। इसलिए कुछ माल, कुछ भार, कुछ बतन तो उन्हें उतारना पड़ता था। कुछ समय तक तो उनमें लंदन के समुद्र तट की रेत भरकर आती रही, इतने बतन की खोरगी सड़क तैयार हुई। यहाँ पहले हुगली से खालीपाट-मंदिर तक नहर थी। अब तो यह है कि भारत में मदा से माल आता कम और यहाँ से जाता अधिक रहा है। १८५९ में निर्माण ३१६ करोड़ का और आयात २४८ करोड़ रुपये का रहा। इतना ही नहीं, निर्यात का भी अर्थकारण ब्याज-गदार्थ और कच्चा माल होने के कारण यह जगह अधिक घेठा है। हर वर्ष को ध्यान में रखकर देखा जाय तो निर्यात-माल को ले जाने के लिए आयात-माल लाने की जगह कम-से कम भार-वाह गुने जहाजों की आवश्यकता हो अत्यन्त होती है। अर्थात् भारत में जहाजों की कमी आना पड़ता था। भारतीय व्यापार के लिए आवश्यक जहाजों में कमी थी। यह ही जगह होती है। इसलिए भारत में आनेवाले जहाजों को ध्यान रखना पड़ा। भी कुछ-न-कुछ अंग्रेजी माल लाना जरूरी होता है। इसके लिए वेगायर के नमक से अर्थात् और कुछ होती है। हाँ, अंग्रेजों की रीति और चीनी के टुकड़े खादि चीजें भी खरी जाती हैं। इनके अलावा अल्प भार पूरा करने की इटली का लगाना और आरू लाने हैं। यदि भारत में वे लाना भारतीय वैद्यक से खाली वह खाली है।

कांग्रेस की बैठक के बाद दो-दो दिनों में कागज-नमक-ही-नमक से ध्यान हो गया। इस पूरे को, एक बंदर हुआ नमक पड़ता था। नमक की खोज की और भी खोज की। उन्हीं दिनों के बाद से अल्प बन्दरों में ही नमक और खजूर का निर्यात लगाकर बंदरों के बीच के अल्प भार पूरा करने में लागत है। ये देखने पर नमक लाने के लिए बंदरों में अल्प भार लाने की जरूरत है।

कांग्रेस में अल्प भार लाने की जरूरत थी। उन्हीं दिनों ही अल्प भार लाने के लिए बंदरों में अल्प भार लाने की जरूरत थी। अल्प भार लाने के लिए बंदरों में अल्प भार लाने की जरूरत थी।

नहीं पूछा होगा। योजनायें तो उनके पास थीं, पर वे बताते थोड़ा ही। सत्याग्रह की बात ऐसी नहीं है। यहाँ कोई गुप्त योजना नहीं होती। परन्तु कोई धड़ी-धड़ाई योजना भी नहीं थी। ये योजनायें तो अपने-अपने प्रकट होती हैं। जैसे सत्याग्रही के ललाट में प्रकाश-दीप रहता है। उससे आगे का कदम अपने-अपने देखता जाता है।

प्रस्तुत नमक-सत्याग्रह का इस प्रकार विकास होने वाला था। गांधीजी किसी नमक के क्षेत्र में जाकर नमक उठावेंगे। दूसरे नहीं उठावेंगे। अगर कोई पूछता, 'क्या हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहें?' तो यही उत्तर मिलता—'अवश्य। परन्तु मैदान में उतरने के लिए तैयार रहो।' उन्हें तो आशा थी कि परिणाम हल्का होगा। वल्लभभाई तक को वह कूच में साथ न लेगये। केवल साबरमती-आश्रम के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया। वर्षों आश्रमवालों को भी तैयारी करने और गांधीजी की गिरफ्तारी तक ठहरे रहने का आदेश मिला। फिर तो एकसाथ भागव-भर में लड़ाई शुरू होनेवाली ही थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चाहते वह करने को स्वतन्त्र थे। उन्हें दीख गया था कि उनके बाद भारत में सर्वत्र यह आन्दोलन फैल जायगा और स्वयं जोर पकड़ लेगा। या तो जीत ही होगी या मर मिटेंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का कभी बुध नहीं चाहा उसे वे नेस्तनाबूद नहीं कर सकते थे। ऐसा होने पर तो साम्राज्य तक की जंफें हिल जातीं। अहिंसा पर अटल रहने का और कोई परिणाम ही नहीं सकता। लोग यदि यह पुछते कि सरकार बम बरसायेगी तो क्या होगा? तो उसका उत्तर यही था कि यदि निर्दोष स्त्री-पुरुष और बच्चों को जमींदोज कर दिया जाय तो उन्हीं की खाक में से साम्राज्य को भस्म करनेवाली अग्नि प्रज्वलित होगी।

सचिनय-अवकाश शुरू हुई। जैसे-जैसे लोग पकड़े जाने लगे; चारों ओर से मदद आने लगी। साथ पदार्थों एवं अन्य चीजों की कमी होने लगी। दक्षिण-भारत में ग्राम इकटाल हो गईं, मजदूरों ने काम बन्द कर दिया, बाजारों में घाले पड़ गये।

गांधीजी की सभामें हिंसा का चारों ओर समिभ्रम हो रहा था। इसकी वृद्धि का कारण प्रतिकार का अभाव था। अब इमारत धर्म हो गया था कि अहिंसा पर अमल करके हिंसा का मुकाबला करें। १९३० की क्रमसे इसी तरह के कुछ विचारों से प्रेरित थी।

इतिहास वीर-गाथाओं से परिपूर्ण है। गियोटोर पार्कर अमरीका के एक महान् आर्थिक थे। वह की दास-प्रथा के मिटाने में वह विश्व-विभूति बन गये थे। उस समय के धर्म-शास्त्रियों ने पार्कर को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मिर्चो ने उन्हें बचने की सलाह दी और उन्हें अपने मकान में बन्द कर दिया। उनके शत्रुओं ने सामने आने पर मार डालने की धमकी दी और इस प्रकार छिपने पर कामता का लाभ्युन लगाया। पर पार्कर तो अचानक सभा में छा उतारित हुए और भ्यास्यान-मच पर जा पहुँचे। बोले, "मार सकते हो तो मारो। मेरे लून की एक-एक पूँद से इसमें पार्कर जन्म लेंगे और दासों को मुक्त करार छोड़ेंगे।" विरोधियों के हाथ-पैर टपटे पड़ गये। सभा भंग हो गई।

- अन्तिम चेतावनी

गांधीजी की योजनयें सदा उनकी अन्तःप्रेरणा से बनी हैं, अस्तिष्क के मातृना-दीन, दानि-लाम-दर्यक तक से नहीं बनी हैं। उनका गुह और मित्र उनका अन्तःकरण ही रहा है। इसीको सामक्य अर्थ साहब ने 'सदियों की प्रगति का निचोड़ एक युग में निहालना' बताया है। इसीको भारतीय शब्दों में कहा जाय तो, उन्होंने हजारों वर्ष का काम बरस महीने में कर दिखाया। गांधीजी की दिव्य दृष्टि और शुद्ध विचार का लोहा सभी ने माना। नरम-दल-बालों तक ने नमक सत्याग्रह को मने ही देहूदा और सतर्का बताया हो, गांधीजी के हेतु की पवित्रता से वे भी हत्कार नहीं कर सके।

“परन्तु ये तो गर्भ-गुजरी बातें हुईं । घोपणाके बाद अनेक घटनायें ऐसी हुईं हैं जिनसे ब्रिटिश नीति की दिशा स्पष्ट सूचित होती है ।

“दिवाकर की भांति अथ साफ-साफ जाहिर हो गया है कि जिम्मेदार ब्रिटिश राजनीतिक अपनी नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेन के भारतीय-व्यापार को घसका पहुँचने की सम्भावना हो, अथवा भारत के साथ ब्रिटेन के लेन-देन की निष्पत्ति और पूरी जांच करनी पड़े । यदि इस घोपण की क्रिया का अन्त नहीं किया गया तो भारत दिन-दिन अधि-आधिक निस्तूल होवा ही जायगा । विनिमय की दर बात-की बात में १८ पेंस करदी गईं और देश को कई करोड़ की हानि उदा के लिए हो गईं । अर्थ-सदस्य इस निरन्धय को अटल समझते हैं । और जब और-और धुरार्यों के साथ इस अचल निर्णय को मेटने के लिए सकिनय किन्तु सीधा हमला किया जावा है तो आप खुद नहीं रह सकते । आपने भी भारतवर्ष को पीस बालने वाली प्रणाली की ही दुहाई देकर उध उपाय को विफल करने के लिए धनी और अमीदार-वर्ग की मदद मांग ही ली ।

“राष्ट्र के नाम पर काम करने वालों को खुद भी समझ लेना चाहिए और दूसरों को समझते रहना चाहिए कि स्वाधीनता की इस तरफ के पीढ़े हेतु क्या है । इस हेतु को न समझने से स्वाधीनता इतने विकृत रूप में आ सकती है और यह स्वतः हमेशा रहेगा कि जिन करोड़ों मूक-कितानों और मजदूरों के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति का प्रयत्न किया जा रहा है और किया जाना चाहिए उनके लिए यह स्वाधीनता कदाचित् निकम्मी सिद्ध हो । इसी कारण मैं कुछ अरसे से जनता को वाञ्छित स्वाधीनता का सच्चा अर्थ समझ रहा हूँ ।

“उसकी मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने भी रख दूँ ।

“सरकारी आय का मुख्य भाग जमीन का लगान है । इसका बोझ इतना भारी है कि स्वाधीन-भारत को इसमें काफी कमी करनी पड़ेगी । स्थायी बन्दोबस्त अच्छी चीज है, परन्तु इससे भी मुड़ी-भर अमीर जमींदारों को लाभ है, गरीब किसानों को कोई लाभ नहीं । वे तो सदा से बेवसी में रहे हैं । उन्हें जब चाहे बेदखल किया जा सकता है ।

“भूमि-कर को ही घटा देने से काम नहीं चलेगा, सारी कर-ब्यवस्था ही फिर से इस प्रकार बदलनी पड़ेगी कि रैयत की मलाई ही उसका मुख्य हेतु रहे । परन्तु मालूम होवा है कि सरकार ने जो तरीका जारी किया है वह रैयत की आन निकाल लेने को ही किया है । नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है । परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीखने में तो वह सब पर सारवर पड़ता है, परन्तु इस हृदय-हीन निष्पत्ति का भार सबसे अधिक गरीबों पर ही पड़ता है । याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलकर भी गरीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं । इस कारण नमक-कर का बोझ गरीबों पर और भी ज्यादा पड़ता है । नये की चीजों का महत्त्व भी गरीबों से ही अधिक वृद्ध होता है, इससे गरीबोंके स्वास्थ्य और उदा-चार दोनों पर कुटाघात होवा है । इस कर के पक्ष में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की झूठी दलील दी जाती है, परन्तु दर असल यह लगाया जावा है आमदनी के लिए । १९१६ की सुधार-योजना के जन्मदात्राओं ने बकी शोशियारी से इस आय को देश-शासन के जिम्मेदार कहलाने वाले विभाग के सुपुर्द कर दिया । इस प्रकार मरिय-निषेध का भार मन्त्री पर आ गया और वह बेचार मलाई करने के लिए शुरू से ही निकम्मा हो गया । यदि अभागा मंत्री इस आमदनी को बन्द कर देता है तो उसे शिक्षा-विभाग का सर्व बिलकुल कम कर देना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान स्थितिमें आचकारी के बजाय उसके पास और कोई आमदनी का साधन नहीं है । इधर ऊपर से कर का भार लाद-लाद कर गरीबों

गांधीजी ने यादसराय को बहुत देर तक अंधेरे में नहीं रखा। सदा की भांति इस बार भी (१९३० को) उन्होंने लार्ड अर्थिन को चिढ़ी भेजी।

सत्याग्रहाभ्रम साबरमती से भेजी गई यह चिट्ठी यह थी:—

“सविनय-श्रवण शुरु करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं इतने सारे हिचकिचावा रहा हूँ उसे उठाने से पहले, मुझे आप तक पहुँचकर कोई मार्ग निकालने करने में प्रसन्नता है।

“अहिंसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वथा स्पष्ट है। जान-बूझकर मैं किसी भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुँचाने की तो बात ही नहीं—मने ही वे मेरे स्वजनों का कितना ही अहित कर दें। अतः जहाँ मैं ब्रिटिश राज्य को अभिराज्य समझता हूँ मैं एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा।

“परन्तु मेरी बात का अर्थ गलत न समझिये। मैं ब्रिटिश-शासन को भारत में अजर नाराजकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण अंग्रेज-मात्र को संसार की अन्य जातियों के बुरा भी नहीं समझता। सौभाग्य से बहुत से अंग्रेज मेरे प्रियतम मित्र हैं। असल बात तो यह है कि अंग्रेजी राज्य की अधिकांश बुराइयों का ज्ञान मुझे स्पष्टवादी और साहसी अंग्रेजों की कलम हुआ है, जिन्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निदरता-पूर्वक प्रकट किया है।

“तो मेरा अंग्रेजी-राज के बारे में इतना बुरा खयाल क्यों है ?

“इसलिए कि इस राज्य ने करोड़ों मूक-मनुष्यों का दिन-दिन अधिकाधिक रक्त-शोषण उन्हें कगाल बना दिया है। उनपर, शासन और सैनिक व्यय का असहनीय भार लादकर उन्हें मरवा दिया है।

“राजनैतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृति की बुराई खोखली कर दी गई है। हमारे इधियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्मबल तो लुप्त हो ही गया था; हम सबको निःशस्त्र करके कायरों की भाँति निर्यात कर दिया गया।

“अनेक देश-बन्धुओं की भाँति मुझे भी यह सुख-स्वप्न देखने लगा था कि मेरा अहिंसा-शायद समस्या हल कर सके। परन्तु जब आपने स्पष्ट कह दिया कि मण्डल पूर्ण-श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की योजना का समर्थन करने में गोलमेज-परिषद् वह चीज नहीं दे सकती जिसके लिए शिष्ट भारत दिल-ही-दिल में छूट-पटा रही है। पार्लमेण्ट का निर्गम क्या होगा, चाहे। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि पार्लमेण्ट की मन्त्री की आशा में नीति को पहले से ही अपना लिया हो।

“दिल्ली की मुलाकात निष्फल मिट्ट होने पर मेरे और १९२८ की कलकत्ता-कॉमेस के गम्भीर निश्चय पर अग्रज करने के

“परन्तु यदि आपने अपनी घोषणा में हुए अर्थ में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रस्ताव से परवाने की राजनितियों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि श्री-निवेश है ? लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश भारतवर्ष को शान ही श्रीगनिवेशक-स्वराज्य दे दिया जाय।

रेंगी। मेरा अहिंसा की सफलता में निःशंक और अटल विश्वास है। ऐसी दशा में और प्रतीक्षा करना मेरे लिए पाप होगा।

“यह अहिंसा सविनय-श्रवण के रूप में प्रकट होगी। आरम्भ में आभय-निताही ही इसमें भाग लेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को समझकर जो चाहेंगे वे सभी इसमें शामिल होजायेंगे।

“मैं जानता हूँ कि अहिंसात्मक संग्राम का आरम्भ करने में जोतिम है। लोग इस तरह से ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है। परन्तु सत्य की विजय बहुधा बड़ी-से-बड़ी जोशिमों के उठाने बिना नहीं हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-संख्यावाले, अधिक प्राचीन और अपने-समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी जोतिम बड़ी नहीं है।

“मैंने ‘ठीक रास्ते पर लाने’ के शब्द जान-बूझ कर प्रयोग किये हैं। कारण, मेरी यह महत्वा-कांक्षा है कि मैं अहिंसा-द्वारा ब्रिटिश जाति का हृदय पलट दूँ और उसे भारत के प्रति किये गये अपने अन्याय का अनुभव करा दूँ। मैं आर्यकी जाति को हानि पहुँचाना नहीं चाहता। मैं उसकी भी वैधी ही सेवा करना चाहता हूँ, जैसी अपनी जाति की। मेरा विश्वास है कि मैंने सदा ही ऐसी सेवा की है। १९१६ तक आर्य बन्द करके उनकी सेवा की। पर जब मेरी आँखें खुलीं और मैंने असहयोग की आवाज बुलन्द की तब भी मेरा उद्देश्य उनकी सेवा ही था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने प्रिय-से-प्रिय रिश्तेदार पर कामयाबी के साथ किया है, वही मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। अगर यह बात सच है कि मैं भारतीयों के समान ही अंग्रेजों को भी चाहता हूँ, तो यह क्या देर तक छिपी न रहेगी। बरतों तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के बाद मेरे कुन्ने वालों ने मेरे प्रेम के दावे को कबूल किया है; वैसे ही अंग्रेज भी किसी दिन करेंगे। यदि मेरी आशाओं के अनुकूल जनता ने मेरा साथ दिया तो या तो पहले ही ब्रिटिश-जाति अपना कदम पीछे हटा लेगी, अन्यथा जनता ऐसे-ऐसे कष्ट-सहन करेगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नहीं रह सकता।

“सविनय-श्रवण की योजना उपर्युक्त बुराइयों के मुकाबले के लिए है। ब्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद भी हम इन्हीं बुराइयों के कारण करना चाहते हैं। इनके दूर होजाने पर हमारा मार्ग सुगम होजायगा। उस समय मित्रतापूर्ण समझौते का द्वार खुल जायगा। यदि ब्रिटेन के भारतीय व्यापार में से लोभ का मेल निकल जाय, तो आपकी हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लेने में कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। मैं आपसे आदरपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इन बुराइयों को तुरन्त दूर करने का मार्ग सुगम बनाइये और इस प्रकार वास्तविक परिपक्व के लिए अनुकूलता पैदा कीजिए। यह परिपक्व बराबरी के लोगों की होगी, जिनका हेतु एक ही होगा। वह यह कि स्वेच्छापूर्वक मित्रता का सम्बन्ध रखकर मानव-जाति की मलाई का उपयोग किया जाय और उभय-पक्ष के लाभ को ध्यान में रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापार की शर्वे सत्य की जायं। दुर्भाग्यवशा इस देश में साम्प्रदायिक भगड़े अनश्य हैं, किन्तु आपने उन पर जहर से ज्यादा जोर दिया है। यद्यपि किसी भी शासन-सम्बन्धी योजना में इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्तु इससे भी बड़ी-बड़ी अन्य समस्याएँ हैं जो बोमी भगड़ों से परे हैं और जिनके कारण सब जातियों को समान-रूप से हानि उठानी पड़ती है। अस्तु, यदि इन बुराइयों को दूर करने का उपाय आप नहीं कर सकेंगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर अन्तर नहीं होगा, तो इस मास की ११ तारीख को मैं आधम से उपलब्ध सभी लेकर नमक-कानून तोड़ने के लिए चल पड़ूंगा। गरीबों की दृष्टि से मैं इस कानून को सबसे अधिक अन्यायपूर्ण समझता हूँ। स्वाधीनता का आन्दोलन मूलतः गरीब-से-गरीब की मलाई के लिए है। इसलिए इस लड़ाई की शुरुआत भी इसी

की कमर ढोक दी गई है, उधर हाथ-कटाई के मुख्य सहायक-घन्घे को नष्ट करके उनकी उत्पादकता बर्बाद कर दी गई है।

“भारतवर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख विना पूरी नहीं हो सकती। हाल में इस पर समाचार पत्रों में काफी लिखा जा चुका है। इस वर्ष की स्वतन्त्र न्यायालय-द्राघ पूरी जांच कराना और जो रकम अन्याय पूर्ण सिद्ध हो उसे चुकाने से इनकार करना स्वाधीन-भारत का कर्तव्य होगा।

“उपर्युक्त अन्याय संसार के सबसे महंगे विदेशी शासन को कायम रखने के लिए किये गये हैं। आपके वेतन को ही देखिए। दूसरे अनेक लजाजमात के अलावा आपको २२ हजार रुपये मासिक मिलते हैं। आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री को ५००० पौण्ड वार्षिक अर्थात् ५४०० रुपये माहवार ही दिये जाते हैं। भारतवासियों की औसत दैनिक आय दो आने से कम (और आप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं। एक अंग्रेज की रोजाना आमदनी लगभग दो रुपये है वही वहाँ के प्रधान मन्त्री की १८०) रुपये। इस प्रकार आपको प्रत्येक हिन्दुस्तानी से पाँच हजार गुना से भी ज्यादा मिलता है और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री को प्रत्येक अंग्रेज से सिर्फ ६० गुना ही अधिक मिल जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि इस करिश्मे पर गौर कीजिये। यह व्यक्तिगत उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि एक हृदय-विदारक सत्य आप भली-भाँति समझ जायें। कान्ते लिए व्यक्तिगतः मेरे मन में इतना आदर है कि मैं आपके दिल को, चोट पहुँचाने की इच्छा भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ आपको इतने भारी वेतन की जरूरत भी नहीं है। शायद आप सारी इन्तहाह खेराव ही कर देते होंगे। परन्तु जिस शासन-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह तो जन्म-मृत से उत्पादक फोकने के लायक है। जो बात वाइसराय के वेतन के बारे में सच है, सामान्यतः वही वही शासन पर भी लागू होती है।

“अतः कर का भार बहुत अधिक उसी हालतमें कम किया जा सकता है जब शासन-व्यय भी उतना ही घटा दिया जाय। इसका अर्थ है शासन-योजना की काया-गलट कर देना। मेरी राय है २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शनों में लाखों प्राणीयों ने खेच्छा से जो माग लिया उसका भी कोई अर्थ है। उन्हें लगता है कि इस ग़राबारी भार से स्वाधीनता ही छुटकारा दिखायेगी।

“फिर भी यदि भारतीय राष्ट्र को जीवित रहना है और यदि भारतीयों को भूमि से उखाड़-तकप कर देने से रोकना मिट नहीं जाना है तो कष्ट-निवारण का कोई-न-कोई उपाय तुरन्त दूरन पड़ेगा। प्रस्तावित परिपद से तो यह उपाय ही नहीं सकता, यह बात सर्व से मनमाने की नहीं है। यहाँ तो बराबर की शक्ति लड़ी करनी होगी; चर्क-चर्क झुग नहीं। ब्रिटेन अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने व्यापार एवं दिवों की रक्षा करेगा। इसलिए भारतवर्ष को मातृ के बाहुगण में से मुक्त होने के लिए उसकी ही शक्ति सम्पादन कर लेनी होगी।

“यह सभी को माहूम है कि मने ही दिक्कत-दल चिन्ता ही असंगठित या अस्थिर महसूस हो, फिर भी उसका और बढ़ता जाता है। उसका और पैग ज्ये एक ही है। परन्तु मेरा हृदय विरल है कि वह मूक-जबान का कष्ट-निवारण नहीं कर सकता। मेरा वा विरल भी दिन दिन बढ़ता है और मैं यह है कि ब्रिटिश-शासन की लड़कित दिना की मुक्त चर्चा ही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य अस्थिर हो संश्लिप्त है, परन्तु वह बढ़ता है कि चर्चा बड़ी असाध्य दिक्कत-दल हो लक्ष्य है। मेरा हृदय इस दिक्कत-दल लक्ष्य की संश्लिप्त दिक्कत-दल की बढ़ती हुई अस्थिर दिक्कत-दल की मुक्त चर्चा करने का है। इस-वा-दल का देवने से तो वे होते-होते लक्ष्य-वा अस्थिर होकर विरल-

माचं के प्रथम सप्ताह में बल्लभभाई को रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार दी सजा दे दी। इस घटना के साथ-साथ गुजरात का बचा-बचा सरकार के खिलाफ सहायक मंत्री के रैतीले घट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषों ने एकत्र होकर यह निश्चय किया :- हम अहमदाबादके नगरिक संकल्प करते हैं कि जिस रास्ते बल्लभभाई गये हैं उसी रास्ते हम ऐसा करने हुए स्वाधीनता को प्राप्त करके लौटेंगे। देश की आजाद किये बिना न हम सरकार को लेने देंगे। हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार सत्य और ही होगा।"

घी जी ने कहा, 'जो यह प्रतिज्ञा लेना चाहें, अपने हाथ ऊंचे कर दें।' सारे जन समूह ने दिये। बल्लभभाई ने गुजरात में अपने भाषणों से जीवन कूट दिया। उन्होंने कहा, 'राज्यों के सामने तुम्हारे प्यारे पशु कुर्क होंगे। अरे! क्या विनाह-उत्सव मना रहे हो? इतनी कार से जन्मनेवाले को ये रत-रेलिया शोभा दे सकती हैं। कल ही से ऐसी नीबूत आ सकती है-अपने पों के लाले लगाकर तुम्हें दिन-भर लेवों में रहना और शाम पके लौटना पड़े। कमाया है, परन्तु उसकी पात्रवा सिद्ध करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। चुना है। अब पीछे हटने की गुंजायश नहीं रही। गांधी जी ने धार्मिक सन्निवध अवस्था के ग में तुम्हारे काल्पके को ही चुना है। देखना, उनकी लाज रचना। में जानता से कुछ लोगों को जमीनें जन्म होने का डर है। वर जन्मी से क्या होगा? क्या अग्रज गीनें छिर पर उठाकर विलायत ले जायेंगे? विश्वास रखो, तुम्हारी जमीनें जन्म हो जायगी। माय गुजरात तुम्हारी पीठ पर आकर लदा हो जायगा।

'अपने गांव का ऐसा सगठन करो कि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें। अब गांव-गांव छावनियां चाहिए। अनुशासन और संगठन से छापी लहारे लो जाती ही समझो। सरकार को हर एक तलासी रलती है। गांव के प्रत्येक वपस्क स्त्री-पुरुष को हमारे स्वयंसेवक बन दिए।

'मुझे दील रहा है कि इन पंद्रह दिनों में तुम अपना भय भगाना सीख गये हो। अभी काये ने डर बाकी है। इसे भी भगा दो न। डरना तो सरकार को चाहिए। मैं तुम्हारे चन्दर भर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन-संवार कर देना चाहता हूँ। मुझ तुम्हारी छांटों में के प्रति शेष छलकता नहीं दीक्षता, हालांकि अहिंसा में (व्यक्ति के प्रति) शेष को स्थान। दो अभाग्य भाइयों के फूट जाने से तुम्हारा सफल और भी हद होना चाहिए और मरिण्य तावधान रहना चाहिए। जो दो भाई सरकारी कर्मचारियों के जल में डूब गये, उनका कोष को लोग प्रविश पर हस्ताक्षर करके भी जान-बूझकर उलछा भंग करते हैं उन्हें रोह भी कौन। महात्माजी को अपने व्यक्तिगत काम पर लुचियां मन्दा लेने दी। मोड़े दिन में देख लेना, एव काम ही नहीं रहेगा।"

दाण्डी-भूच

गांधी जी अपने ७६ छांटियों को लेकर १२ मार्च १९३० को दाण्डी की भूच पर निश्चल पड़े। ऐतिहासिक भयंकर शर और आजीवनकाल की शपथ पर पावरनों के वन गमन की घटनाओं का काम करता था। यह विद्रोहियों की भूच थी। इधर भूच जारी थी, उधर ग्राम कर्मचारियों का स्थान-स्थ आ रहे थे। ३०० ने नौदरी लोह दी। अहमदाबाद का राजनीति बतवचीत में ही ने कहा था, "मैं शुद्धता कर्क सभतक टांका। अब मैं भूच पर निश्चलता को विचार

अन्याय के विरोध से होगी। आश्चर्य तो इस बात पर है कि हम इतने दीर्घकाल तक नमके निर्दय एकाधिकार को सहन करते रहे। मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रतिकूल कर सकते हैं। उस दशा में, मुझे आशा है कि, मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूप से काम सम्हालने को तैयार होंगे और नमक-कानून जैसे घृणित कानून को, जो कमी बनना चाहिए था, तोड़ने के कारण जो सजायें दी जायेंगी उन्हें वे खुशी-खुशी बर्दाश्त करेंगे।

“मेरा बस चले तो मैं आपको अनावश्यक ही क्या जरा-सी कठिनाई में भी नहीं डालूँ। यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ बातचीत करना चाहें और इसी आप इस पत्र को छपाने से रोकना पसन्द करें तो इसके पहुँचते ही आप मुझे तार कर दीं। खुशी से रुक जाऊँगा। परन्तु इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस पत्र के सार को अस्वीकार करने की तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने का प्रयत्न न करें।

“इस पत्र का हेतु धमकी देना नहीं है। यह तो सत्याग्रही का साधारण और पवित्र मात्र है। इसीलिए मैं इसे भेज भी खास तौर पर एक ऐसे युवक अंग्रेज मित्र के हाथ रहा हूँ जो तीसरे पक्ष का हिमायती है, जिसका अहिंसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे शायद विधाता ने काम के लिए मेरे पास भेजा है।”

इस चिट्ठी को रेजिनाल्ड रेनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली ले गये। यह भारी बुद्धि तक आश्रम में रह चुके थे। गांधीजी के इस पत्र को जन्ता और अखबारों ने अन्तिम पक्ष का नाम दिया था। लार्ड अर्विन का उत्तर भी तुरन्त और साफ-साफ मिला। वाइसराय ने खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करने वाले हैं जिससे निश्चित रूप से कानून और जनिक शान्ति-भंग होगी। गांधीजी का प्रत्युत्तर भी उनके योग्य ही था। वह अपने सारा एकमात्र कवच, विनय और साहस की भावना से कूट-कूट कर भंग था। उन्होंने लिखा, मैंने बस्ता रोटी का स्वाद किया था और मिला पत्थर। अंग्रेज जाति सिर्फ शक्ति का ही सोहा माने इसलिए मुझे वाइसराय साहब के उत्तर पर कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे राष्ट्र के भाग्य में दे स्वाने की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। साग भारत ही एक विशाल कारागृह है। मैं इस

नौकरियां छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बर्खास्त दी गई। हत्याप्रतियों के लिए एक ही तरह की प्रतिष्ठा निश्चित करना वाञ्छनीय समझा गया और गांधीजी की अनुमति से यह प्रतिष्ठा-यज्ञ बनाया गया:—

“१. राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए सविनय-अवज्ञा का जो आन्दोलन खड़ा किया है उसमें मैं शरीक होना चाहता हूँ।

“२. मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के ध्येय को स्वीकार करता हूँ।

“३. मैं जेल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्दोलन में और भी जो कुछ और सजायें मुझे दी जायेंगी उन्हें मैं सहर्ष सहन करूँगा।

“४. जेल जाने की हालत में मैं कांग्रेस-कोष से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं माँगूँगा।

“५. मैं आन्दोलन के सचालकों की आशाओं का निर्विवाद रूप से पालन करूँगा।”

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर अनन्त कष्ट और कैसा व्यवहार रखे, इस विषय में गांधीजी अपनी सूचनायें सदा से देते आये हैं। कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने ‘मेरे गिरफ्तार होने पर’ यह लेख लिखा। उसमें कहा:—

“यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अवज्ञा आरम्भ होने पर मेरी गिरफ्तारी निश्चित है। अतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी है।

“१९२२ में गिरफ्तार होने से पहले मैंने साधियों को सचेत कर दिया था कि मूक और पूर्ण अहिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का भद्रदान न किया जाय। मेरा आग्रह था कि रचनात्मक-कार्यक्रम पूर्ण उल्लाह के साथ पूरा किया जाय, क्योंकि उसीसे देश सविनय-अवज्ञा के लिए तैयार हो सकता है। ईश्वर-कृपा से पहली सूचना पर अक्षरशः और पूरी तरह अमल किया गया, यहाँ तक कि एक अंग्रेज सामन्त को तिरस्कार के साथ यह कहने का अवसर भी मिल गया कि ‘एक कुत्ता भी न भौंका, मुझे भी जब जेल में यह पता चला कि देश पूर्ण अहिंसात्मक रहा तो ऐसा लगा कि अहिंसा के उपदेश का परिणाम हुआ है और बारबोली का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक था। यह तो कौन कह सकता है कि कुत्ते भौंकते और हिंसा फैल जाती तो क्या होता। परन्तु एक बात अवश्य होती और वह यह कि न तो लाहौर में स्वाधीनता का निश्चय होता और न बड़ी-से-बड़ी जोखिम उठाकर अहिंसा की शक्ति में विश्वास प्रकट करनेवाला गांधी रहता।

“और, अब तो ‘बीवी बातों को विचार कर आगे की मुधि लेना’ चाहिए। इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय अहिंसा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अत्यन्त सक्रिय-अहिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला एक-एक छी-पुच्छ इस गुलामी में अब नहीं रहेगा। या तो मर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस के आदेशानुसार सविनय अवज्ञा करना सबका कर्तव्य होगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आता। परन्तु मुझे अपने साधियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास अवश्य है कि उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी। हाँ, यह अनिवार्य शर्त सभी के ध्यान में रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के लिए अहिंसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके पर उसे अहिंसात्मक उपाय नहीं सभ सकेगा।

अंगो-घात पैस आयगे। फिर घात लोगों को भी माहूम हो जायगा कि क्या कम बर्रर 'ब' काय एक तरह से रिमागो-घरकल लगाने के विरुद्ध रोजगारी के रूप में बनी गई थी। वह निरंतर योजना भी ही ऐसी कि उस समय इनके पूरे-पूरे रक्षण की कल्पना इसके बोध से-बोध प्रकृत नहीं कर सकती थे। शायद गांधी जी को भी भाषी की पूरी कल्पना नहीं थी। देश छुट्टाई के उनपर आन्तरिक बंधों की एक धारण पकड़ी थी और उन्हीं के प्रकाश में वरु घान्त भयान मिल करती थे। तन्त्र पुरनों के जीवन में मुद्रि या उन्हें के बजाय वे ही ही चीजे मागेदरक होते हैं। जो घातम होते ही जनता में उनके उपदेशों की भाषणा और आन्दोलन की योजना को बनक दिन। यह उनके भरपूर के नीचे छा लकी हुई। विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगे। लोगों ने शीघ्र अनुभव कर लिया कि अराज्य और अहिंसा अभावनात्मक नहीं बल्कि प्रतिकार योजना है। इनकी मुद्र-नीति अलग है और यह है सत्य। अहिंसा प्रतिकार है। चर्ची लीन और भाषनाओं को हुट्टी मिली, लोगों की क्रिया शक्ति के बन्द भी खुल गये। कूच का प्रारम्भ ही उदास किया गया, बाद में उसे ध्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उन्हीं की प्रशंसा की गयी नगर तो बतते रहे, पर गाँव पीले हो लिये। सीधे-सादे लोगों का गांधी जी के अचूक निर्देश विश्वास था। उनका नमक सत्याग्रह किसी सुगन्धित भद्रशर या अन्त महासागरकी लूट का कच था। यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचयापक भाव अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कामदे का आधार न तो प्रजा की सम्मति पर है और न मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्तों पर। लोगों को आशा थी कि सत्याग्रहियों का पहला ही इतने जोर का होगा कि शत्रु टैलते रह जायें। जब राइनलैण्ड से मार्ने नदी तक जर्मन लोग कूच करके पहुंच गये और पेरिस लोगों की मार के भीतर आ गया उस समय लोग कहे दे गये थे। परन्तु सत्याग्रह की क्रिया में दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी कई बातें आशातीत की चमत्कार-पूर्ण हुईं।

भाषी आदेश

यह सही है कि पहला बार गोला-बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-मुल के साथ ही किया गया। यहां तो नमक जैसी सारी चीज से काम लिया गया था। फिर भी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उत्पन्न हुआ वह आश्चर्यजनक था। सरकार पर भी इस सीधे सादे और हास्यस्पद-से आन्दोलन का असर अद्भुत-सा हुआ। सम्भ-संसार पर तो इसका जितना गहरा और जल्दी असर हुआ वह वर्णन नहीं किया जा सकता। गांधीजी की कूच ने यह विचार प्रकृत कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का भ्रष्टा फहरा दिया है और यदि विघाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर अमृत की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीव होकर रहेगी।

जब भारतीय स्वतन्त्रता के नाटक का यह महान् अभिनय हो रहा था उस समय नये-नये शब्द भी प्रचलित हो गये। देश को बारडोली बना देने का अर्थ तो लोग पहले ही समझ चुके थे। अब 'बोरसद की भावना' का प्रयोग भी साथ-साथ होने लगा। कूच के बीच में ही २२ मार्च १९३१ को अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई। इसमें कार्य-समिति के पूर्व-कार्यत प्रस्ताव का समर्थन और नमक-कानून पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह चेतावनी दी गई कि गांधीजी के सचदी पहुंचकर नमक-कानून तोड़ने से पहले देश में और कहीं सचिनव अंधरा शुरू न की जाय। सरदार वल्लभभाई और श्री सेनगुप्त की गिरफ्तारियों पर और सरकारी

नौकरियां छोड़नेवाले ग्राम-कर्मचारियों को बघाई दी गई। धत्याग्रहियों के लिए एक ही तरह की प्रतिष्ठा निश्चित करना याञ्छनीय समझा गया और गांधीजी की अनुमति से यह प्रतिष्ठा-पत्र बनाया गया:—

“१. राष्ट्रीय महासभा ने भारतीय स्वाधीनता के लिए सविनय-अग्रव्रज का जो आन्दोलन खड़ा किया है उसमें मैं शरीक होना चाहता हूँ।

“२. मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के ध्येय को स्वीकार करता हूँ।

“३. मैं जेल जाने को तैयार और राजी हूँ और इस आन्दोलन में और भी जो कष्ट और सजायें मुझे दी जायगी उन्हें मैं सहर्ष सहन करूँगा।

“४. जेल जाने की हालत में मैं कांग्रेस-कोष से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगूँगा।

“५. मैं आन्दोलन के सचालकों की आशाओं का निर्विवाद रूप से पालन करूँगा।”

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रखे, इस विषय में गांधीजी अपनी सूचनायें सदा से देते आये हैं। कूच के आरम्भ से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने ‘मेरे गिरफ्तार होने पर’ यह लेख लिखा। उसमें कहा:—

“यह तो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अग्रव्रज आरम्भ होने पर मेरी गिरफ्तारी निश्चित है। अतः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच लेना जरूरी है।

“१९२२ में गिरफ्तार होने से पहले मैंने साधियों को सचेत कर दिया था कि मूक और पूर्ण अहिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का भ्रदशान न किया जाय। मेरा आग्रह था कि रचनात्मक-कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ पूरा किया जाय, क्योंकि उसीसे देश सविनय-अग्रव्रज के लिए तैयार हो सकता है। ईश्वर-कृपा से पहली सूचना पर अक्षरशः और पूरी तरह अमल किया गया, यहाँ तक कि एक अंग्रेज सामन्त को तिरस्कार के साथ यह कहने का अवसर भी मिल गया कि ‘एक कुत्ता भी न भौंका, मुझे भी जब जेल में यह पता चला कि देश पूर्ण अहिंसात्मक रहा तो ऐसा लगा कि अहिंसा के उपदेश का परिणाम हुआ है और बारडोली का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण था। यह तो कौन कह सकता है कि कुत्ते भौंकते और हिंसा फैल जाती तो क्या होता। परन्तु एक बात अचर्य होती और वह यह कि न तो लाहौर में स्वाधीनता का निश्चय होता और न बड़ी-नो-बड़ी जोखिम उठाकर अहिंसा की शक्ति में विश्वास प्रकट करनेवाला गांधी रहता।

“और, अब तो ‘बीती बातों को विचार कर आगे की मुधि लेना’ चाहिए। इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मूक और निष्क्रिय अहिंसा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अत्यन्त सक्रिय-अहिंसा को कार्य-रूप देने की। पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला एक-एक श्री-पुरुष इस मुलामी में अब नहीं रहेगा। या तो मर भिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथवा कांग्रेस के आदेशानुसार सविनय-अग्रव्रज करना सर्वथा कर्तव्य होगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी तो मुझे सारे भारत के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आता। परन्तु मुझे अपने साधियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास अचर्य है कि उन्हें मेरा उत्तराधिकारी परिस्थिति स्वयं दे देगी। हाँ, यह अनिवार्य उन्हें सभी के ध्यान में रखनी चाहिए कि उस व्यक्ति को निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के लिए अहिंसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा तो ऐन मौके पर उसे अहिंसात्मक उपाय नहीं शुरू सकेगा।

अपने-आप फैल जायेंगे। फिर आप लोगों को भी मालूम हो जायगा कि क्या करना चाहिए।" व
 बात एक तरह से दिमागी-अटकल लगाने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कही गई थी। यह विचार
 योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पुरे-पुरे स्वरूप की कल्पना इसके योग्य-से-योग्य अनुमानों
 नहीं कर सकते थे। शायद गांधी जी को भी भावी की पूरी कल्पना नहीं थी। ऐसा लगता है
 उनपर आन्तरिक ज्योति की एक किरण पड़ती थी और उसी के प्रकाश में वह अपना व्यवहार निकल
 करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में बुद्धि या तर्क के बजाय ये ही दो चीजें मार्गदर्शक होती हैं। इन
 आरम्भ होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलन की योजना को समझ लिया।
 वह उनके भ्रष्टों के नीचे आ खड़ी हुई। विचार फैल गया और अलग-अलग रूप में प्रकट होने लगे।
 लोगों ने शीघ्र अनुभव कर लिया कि असहयोग और अहिंसा अभावान्तरिक नहीं बल्कि प्रतिकार
 योजना है। इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य। अहिंसा प्रतिकार है। यही नीति
 और भावनाओं को हड्डी मिली, लोगों की क्रिया-शक्ति के बन्द भी खुल गये। कूच का प्रारम्भ
 उपहास किया गया, बाद में उसे ध्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उसी की प्रशंसा की गई।
 नगर तो डरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। सीधे-सादे लोगों का गांधी जी के अचूक निर्णय
 विश्वास था। उनका नमक सत्याग्रह किसी सुगन्धित भण्डार या अन्नत महासागरकी लूट का भाव
 था। यह तो अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ भारतीयों के विद्रोह का परिचयात्मक भाव था।
 अंग्रेजों के बनाये हुए कानून-कायदों का आधार न तो प्रजा की सम्मति पर है और न नीति
 मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्तों पर। लोगों को आशा थी कि सत्याग्रहियों का पहला ही
 इतने जोर का होगा कि शत्रु टूटते रह जायें। जब राइनलैंड से मानें नदी तक जर्मन लोग
 कूच करके पहुँच गये और पेरिस तोंपों की मार के भीतर आ गया उस समय लोग
 गये थे। परन्तु सत्याग्रह की क्रियायें दिखाई नहीं पड़ती। फिर भी कई बातें आशावादी
 चमत्कार-पूर्ण हुईं।

भावी आदेश

यह सही है कि पहला बार गोला-बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-गुल के साथ
 किया गया। यहां तो नमक जैसी सादी चीज से काम लिया गया था। फिर भी जीवन की प्रामाणिक
 आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उत्पन्न हुआ वह आश्चर्यजनक था। सरकार पर भी इस बने
 सादे और हास्यशब्द-से आन्दोलन का असर अद्भुत-सा हुआ। सम्य-सत्कार पर तो इसका
 और जल्दी असर हुआ वह बर्णन नहीं किया जा सकता। गांधीजी की कूच ने यह विचार प्रकट
 कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में भारत में रक्त-रहित विद्रोह का भण्डा
 यदि विघाता की यही इच्छा है कि असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और मृत्यु पर
 की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीत होकर रहेगी।

जब भारतीय स्वतन्त्रता के नाटक का यह महान् अभिनय हो रहा था उस समय नाने
 शन्द भी प्रचलित हो गये। देश को बाडोली बना देने का अर्थ तो लोग पहले ही समझ चुके थे।
 अब 'बोसद की भावना' का प्रयोग भी साथ-साथ होने लगा। कूच के शीघ्र में ही २१ मार्च १९३१
 को अहमदाबाद में महासम्मति की बैठक हुई। इसमें कार्य-समिति के पूर्व कथित प्रभाव का
 और नमक-काटन पर ही शक्ति केन्द्रित रहने का अनुगोष किया गया। साथ ही यह चेष्टा
 की गई कि गांधीजी के टाएरी पञ्चकर नमक-कानून तोड़ने से पहले देश में और कहीं
 अचरम शुरू न की जाय। सरकार बल्लभभाई और भी संसुप्त की गिरफ्तारियों पर और सरकार

पैल गया। गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दिखाई देती थी, एक ही पल उसके होश-बनास गुम हो गए। गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह बल्लभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी यां कर चुकी थी। कूच के बाद उसने यह आशा दी कि लंगोटी और दण्डधारी गांधी की यात्रा का खिन्ना-चित्र न दिखाया जाय। बम्बई, युक्त-प्रान्त, पंजाब और मद्रास आदि सभी ऐसी ही आशाओं निकाल दीं। पुलिस को मामूली काम से एक तरफ हट्टी-सी दे दी गई। इन असहयोगियों पर लगा दिया गया। जिस सरकार का आचार, सत्य और अहिंसा पर न हो वह यदि इन दो निय-सिद्धांतों के माननेवालों की सबाई और ईमानदारी पर आसानी से न करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इस सारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम सन्तोष की बात समें किसी बाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता अश्रु-शुद्ध, बलवती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी। कोई यह न समझे कि कार को रंग करने पर ही तुलने हुए थे। हां, इतना कष्ट तो उसे हुए बिना नहीं रह सकता था उक्त-दृष्टि से उसकी प्रविष्टा जाती रही और राजनैतिक लिहाज से उसकी निरंकुश सत्ता नाश हो गई। राज्य और प्रजा के बीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी पैदा कर रही थी। न्याय जमींदारों, मकान-मालिकों, साहूकारों, व्यापारियों आदि को बुलाकर यह धमकी क्यों दी कि सत्याग्रहियों की सहायता करोगे तो सरकार तुमसे नाराज हो जायगी? इन धमकियों का जितना दबोगे उतना ही धम-प्रद होगे। जहाँतक इनका मुकाबला करेंगे वहाँतक स्वराज्य को क लौंगे। हम जानते हैं कि राहरी और अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए लोग आसानी से दब जाते हैं। सीधे-सादे देश-भक्त लोग इस तरह नहीं दबते। यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि देश-भक्ति और देश-मक्तों की ही नहीं, नेताओं की भी विपुलता है। एक दफा गांवों में जा मिले कि हमारे आंदोलन की सफलता निश्चित हुई।

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना चमत्कार मिला ही था। इसीको देखने, और अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, मार्च १९३० से पहले ही से साबरमती-आश्रम में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र हुए। जहाँतक चलने का सामर्थ्य था वहाँतक ये लोग गांधीजी के साथ-साथ गये। स्वाधीनता-पथ का मार्गों के साथ कई भारतीय और विदेशी सवाहदाता, चित्रकार और आसपास के सेकड़ों तथा भिन्न-भिन्न प्रांतों से आये हुए प्रभुल व्यक्ति भी गये। गांधीजी सराबर कहते आ रहे थे कि यह स्वतन्त्र्य-संग्राम का भार गुजरात अकेला उठावेगा और यदि गुजरात यह भार उठा ले उसे उठाने दिया जाय तो युद्ध की अनियार्य पीड़ाएँ रोप भारत को सहन करने की जरूरत न। गांधीजी को जाननेवालों को मालूम है कि वह कितना तेज चलते हैं। एक सवाहदाता ने रात्रा का वर्णन इस प्रकार किया है:—

“१२ मार्च को सुबह होने ही गांधीजी सविनय-अवज्ञा की मुहिम पर चल पड़े। उनके साथ हुये ७६ स्वयंसेवक थे। इन लोगों को दो घौ मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दाएरी नामक जगह था और वहाँ पहुँचकर नमक बनाना था।”

‘दाएरी कानिफल’ के शब्दों में “इस महान् राष्ट्रीय धटना से पहले, उसके साथ-साथ और भी जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूँकनेवाले थे कि वर्णन नहीं

में फैल गया। गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अविचलित दितार देती थी, एक ही दिन में उसके होश-हवास गुम हो गए। गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताह में बल्लभभाई को गिरफ्तार करने और उन्हें चार मास की सजा देने की दो गैर-कानूनी आदेश कर चुकी थी। कूच के बाद उसने यह आशा की कि लंगोटी और दण्डधारी गांधी की यात्रा का विरोध-विघ्न न दिखता जाय। बम्बई, युक्त-प्रान्त, पंजाब और मद्रास आदि सभी ने ऐसी ही आकांक्षें निकाल दीं। पुलिस को मामूली काम से एक तरह छुट्टी-सी दे दी गई। ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया गया। जिस सरकार का आचार, सत्य और अहिंसा पर ध्यान न हो वह यदि इन दो नित्य-सिद्धांतों के माननेवालों की सच्चाई और ईमानदारी पर आसानी से ध्यान न करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इस सारी प्रसव-धीमा में पूर्ण स्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम सन्तोष की बात है। इसमें किसी बाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी। कष्ट तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-माता को अधिक शुद्ध, बलवती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी। कोई यह न समझे कि सरकार को तंग करने पर ही तुले हुए थे। हाँ, इतना कष्ट तो उसे हुए बिना नहीं रह सकता था। ऐतिहासिक-दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा जाती रही और राजनैतिक, लिहाज से उसकी निरंकुश सत्ता नाश हो जाती थी। राज्य और प्रजा के बीच यह शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी पैदा कर रही थी। अन्यथा जमींदारों, मकान-मालिकों, साहूकारों, व्यापारियों आदि को मुलाकर यह धमकी क्यों जाती कि सत्याग्रहियों की सहायता नरोगे तो सरकार तुमसे नाराज हो जायगी! इन धमकियों से लोग जितना दवेंगे उतना ही पच-भ्रष्ट होंगे। जहातक इनका मुकाबला करेंगे वहातक स्वराज्य की शीक लावेंगे। हम जानते हैं कि शहरी और अग्रजो शिक्षा पाये हुए लोग आसानी से दब जाते परन्तु सीधे-सादे देश-भक्त लोग इस धरह नहीं दबते। यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि गांधीजी में देश-भक्ति और देश-भक्तों की ही नहीं, नेताओं की भी विपुलता है। एक दफा गांधीजी ने मेला मिले कि हमारे आंदोलन की सफलता निश्चित हुई।

प्रत्येक युग और प्रत्येक देश में चमत्कार होते आये हैं। भारत को भी अपना चमत्कार दिखाना ही था। इसीको देखते, और अपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, मार्च १९३० से पहले ही से सावरमती-आभम में हजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र हो गये। जहातक चलने का सामर्थ्य था वहातक ये लोग गांधीजी के साथ-साथ गये। स्वाधीनता-पथ पर इन यात्रियों के साथ कई भारतीय और विदेशी सवादशाता, चित्रकार और आसपास के सैकड़ों गांधी तथा भिन्न-भिन्न प्रांतों से आये हुए प्रमुख व्यक्ति भी गये। गांधीजी बरबर कहते आ रहे थे कि इस बार स्वातन्त्र्य-संग्राम का भार गुजरात अकेला उठावेगा और यदि गुजरात यह भार उठा ले तो उसे उठाने दिया जाय तो मुझ की अनिवार्य पीढ़ायें शेष भारत को सहन करने को जरूरत न पड़ेगी। गांधीजी को जाननेवालों को मालूम है कि यह कितना तेज चलते हैं। एक संवादशाता ने गांधीजी का वर्णन इस प्रकार किया है:—

“१२ मार्च को सुबह होते ही गांधीजी सचिनय-अवस्था की मुहिम पर चल पड़े। उनके साथ गांधीजी के हुये ७६ स्वयंसेवक थे। इन लोगों को दो सौ मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दाण्डी नामक गांधीजी जाना था और वहां पहुंचकर नमक बनाना था।”

‘बाग्ने क्रान्तिकल’ के शब्दों में “इस महान् राष्ट्रीय घटना से पहले, उसके साथ-साथ और उसके बाद जो दृश्य देखने में आये, वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकनेवाले थे कि वर्णन नहीं

किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रबल धार रही थी उतनी पहले कभी नहीं यही थी। यह एक महान् आंदोलन का महान् प्रारम्भ था, और निराला ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।”

यात्रा में

गांधीजी सहरा के लिए हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उनकी सारी सैन बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम पुर्ती से उठता था और हमी प्रेरणा देता था। असलाली गाँव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोनों ओर खड़ी हुई मीन की बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग घपटों पहले से भारत के महान् सेनापति के दरख्त उत्सुकता में खड़े थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बड़ा जुलूस निकला, उतना पहले नहीं निकला हुआ याद नहीं पड़ता। शायद बच्चों और अपंगों के सिवा नगर का प्रत्येक निवासी जुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हे बाजार में खड़े होने को न मिली, वे छतों और भरोखों और दरख्तों पर, जहाँ-कहीं जगह मिली, पहुँच गये थे। सारे ऊँ उखव-सा दिखाई देता था। रास्ते-भर 'गांधीजी की जय' के गगनमेदी घोष होते रहे।

कूच को देखने और अपने अलौकिक उद्धारक के प्रति भ्रष्टा प्रदर्शित करने के लिए सर्वत्र मिलती थी। मोक्ष की एक नई आकांक्षी दिखाई दे रही थी किन्तु उपदेश पुराना ही दिया गया। खहर, मदिरा-निषेध और अशुश्रुत-निवारण की पुरानी किन्तु प्रिय बातें दोहराई जातीं। किंतु मार्ग यह थी कि सबको सत्याग्रह में शामिल होना चाहिए। कूच में ही गांधीजी ने घोषित कर दिया था “कि स्वराज्य नहीं मिला तो या तो रास्ते में भर जाऊंगा या आभम के बाहर खूँगा। नमक न उठा सका तो आभम लौटने का भी हवादा नहीं है।” कठौई और माम-सफाई पर उन्होंने बल जोर दिया। स्वयंसेवक सैकड़ों की संख्या में शरीक हुए। गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही वाली थी। भी अग्राह्य तथ्यबजी उनके उत्तराधिकारी मुकद्दर हुए। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कहा, “गांधीजी की ऐतिहासिक कूच की उपमा हजारत मूसा और उनके यहूदी साथियों के देश-त्याग से ही है जा सकती है। जबतक यह महापुरुष मजिने-मकदद पर नहीं पहुँच जायगा, पीछे किरकर नहीं देखेगा।”

गांधीजी ने कहा, “अग्नेजी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नमी तरह नाश कर दिया है। मैं इस राज्य को अभिशाप समझता हूँ और इसे नष्ट करने पर पुका हूँ।

“मैंने स्वयं 'गोट सेव दि किय' के गीत गाये हैं। कूचों से भी गवाये हैं। मुझे 'मिर्दो' की राजनीति में विश्वास था। पर यह सब व्यय हुआ। मैं जान गया कि इस सरकार को सीपा करने का यह उपाय नहीं है। अब तो राजद्रोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी लड़ाई अरिष्टाई नहीं है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, किन्तु सत्यानाशी इस शासन को स्वतन्त्र कर देना हमारा धर्म है।”

अगस्त नमक स्थान पर भाषण देते हुए गांधीजी ने पुलिस के पारियों के सामाजिक की की ओर कहा, “सर्वकारी कर्मचारियों को मूर्खी मारना धर्म नहीं है। सत्तु को नष्ट करने के लिए तो उसका बदर चूस लेने में मैं भी सहोच नहीं करूँगा।”

परन्तु १९३० को कांग्रेस-समित्त ने नमक-सत्याग्रह के नियम में जो प्रस्ताव पास किए गए, वे थे—

१. नैतिक में उसका इस प्रकार समर्पण किया :—

२. परन्तु जाने नम प्रस्ताव का समर्पण करती है, किन्तु ही

अवकाश का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ ही समिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्चको शुरू किये गये कूच पर बधाई देती है। वि को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय।

“महासमिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझें उसी तरह सविनय अवज्ञा जारी कर दें अलबत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की आशयों का पालन तथा प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा। किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा संभव क-कानून तोड़ने पर ही जोर लगावेंगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न के भी पूरी तैयारी तो जारी रखी जायगी, परन्तु जबतक गांधीजी दाएँडी पहुँचकर नमक-कानून मंग न कर दें और दूसरों को भी अनुमति न दे दें तबतक अन्यत्र सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ न की जायगी। हाँ, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जायें तो प्रांतों को सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करने की आजादी होगी।”

तीर्थ-यात्रा

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ-यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। वह बराबर आत्म-निरीक्षण करते रहे। सूरत में गांधीजी ने कहा:—

“आज ही प्रातःकालीन प्रार्थना के समय मैं साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें विनय-अवज्ञा करनी है उसमें हम पहुँच गये हैं। अतः हमें आत्म-शुद्धि और समर्पण-बुद्धि का और ही प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक सगठित है और यहाँ कार्यकर्ताओं में धनियत मित्र भी अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो भी अधिक होने की संभावना है। देरना उनके ग्रामह को मानना। हम देवता नहीं हैं, निर्वल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे उनके भूलें हुई हैं। करें तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर विन्ता-भंग का उल्टी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अनपेक्ष कबूल किया। मैंने समझ लिया कि मैंने चेतावनी देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध मंगवाया था और अन्य अनुचित स्वयं किया था। अतः मैंने तीव्र शब्दों में उनकी भर्त्सना की। परन्तु इससे मेरा दुःख शान्त नहीं हुआ। उलटा क्यों-क्यों मैं उस मूल पर विचार करता हूँ त्यों-त्यों दुःख बढ़ता ही है।

“इन बातों के मालूम होने पर मुझे लगता है कि मुझे वास्तव्य साहस को वह पत्र लिखने का क्या हक था, जिसमें हमारी शीघ्रत आशय से पांच हजार गुना वेतन लेने की कड़ी आलोचना की गई थी। वह तो उस वेतन का शीघ्रत सिद्ध कर ही कैसे ही सकते थे, हम खुद भी अपनी आमदनी से भेदभाव क्यादा वनस्याह उन्हें देना बर्दाश्त नहीं कर सकते। परन्तु हममें उनका अन्वितः क्या दोष ? उन्हें तो इसकी जम्हूर भी नहीं। परमात्मा ने उन्हें पन दिया है। मैंने अपने पत्र में सचेत किया है कि सायद वह अपनी शान्त वेतन दान कर देने होंगे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि मेरा अनुमान बहुत-बहुत सही है। फिर भी इतने भारी वेतन का तो मैं विरोध ही करूँगा। मैं तो २१०००) ६० मानिक क्या, २०००) ६० के पक्ष में भी राय नहीं दे सकता। परन्तु मुझे विरोध का हक किस हालत में है ? अवश्य ही उस हालत में नहीं, जबकि मैं स्वयं अन्याय पर अनुचित भार बल रहा हूँ।

“मैं विरोध सभी कर सकता हूँ जब मेरा धन-सदन अन्याय की शीघ्रत-आशय से कुछ तो साम्य

श्रवण का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ ही समिति गांधीजी, उनके छात्रियों एवं देश को १२ मार्चको शुरू किये गये कूच पर बधाई देती है। समिति को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय।

“महासमिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझें उठी शर सविनय श्रवण जारी कर दें अलवचा समय-समय पर कार्य-समिति की आशाओं का पालन करना प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा। किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा संभव एक-कानून तोड़ने पर ही जोर लगावेंगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करने भी पूरी तैयारी तो जारी रखती जायगी, परन्तु जबतक गांधीजी दाखी पट्टाचकर नमक-कादूर न मग न कर दें और दूसरों को भी अनुमति न दें तबतक अन्यत्र सविनय-श्रवण प्रारम्भ न की जायगी। हां, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जाय तो प्रांतों को सविनय-श्रवण प्रारम्भ करने की पूरी आजादी होगी।”

तीर्थ-यात्रा

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ-यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। वह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। सूरत में गांधीजी ने कहा:—

“आज ही प्रातःकालीन प्रायणा के समय मैं छात्रियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें सविनय-श्रवण करनी है उसमें हम पहुंच गये हैं। अतः हमें आत्म-शुद्धि और समर्पण-शुद्धि का और भी प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक सगठित है और यहाँ कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र भी अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो भी अधिक होने की संभावना है। देखना उनके आग्रह को न मानना। हम देवता नहीं हैं, निर्बल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे अनेक भूलें हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-भंग था उसी समय एक दोषी ने स्वयं आकर अपराध कबूल किया। मैंने समझ लिया कि मैंने वेदावती देने में उठावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूध भगवाया था और अन्य अनुचित स्वर्च किया था। अतः मैंने तीव्र शब्दों में उनकी मर्त्यना की। परन्तु इससे मेरा दुःख शान्त नहीं हुआ। उलटा ज्यों-ज्यों मैं उस भूल पर विचार करता हूँ त्यों-त्यों दुःख बढ़ता ही है।

“इन बातों के मालूम होने पर मुझे लगता है कि मुझे वाइसराय साहब को यह पत्र लिखने का क्या हक था, जिसमें हमारी औसत आय से पांच हजार गुना वेतन लेने की कड़ी आलोचना की गई थी? वह तो उस वेतन का औचित्य सिद्ध कर ही कैसे ही सकते थे; हम खुद भी अपनी आमदनी से बेहिसाब ज्यादा तनस्ताह उन्हें देना बर्दाश्त नहीं कर सकते। परन्तु इसमें उनका ब्यक्तिगत क्या दोष? उन्हें तो इसकी जरूरत भी नहीं। परमात्मा ने उन्हें धन दिया है। मैंने अपने पत्र में संकेत किया है कि शायद वह अपना सारा वेतन दान कर देते होंगे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि मेरा अनुमान बहुत-कुछ सही है। फिर भी इतने भारी वेतन का तो मैं विरोध ही करूंगा। मैं तो २१०००) ६० मासिक क्या, २०००) ६० के पद में भी राय नहीं दे सकता। परन्तु मुझे विरोध का हक किस हालत में है? अथवा ही उस हालत में नहीं, जबकि मैं स्वयं जनता पर अनुचित भार बाल रहा हूँ।

“मैं विरोध सभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन जनता की औसत-आय से कुछ ठो साम्य

किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी उतनी पहले कभी नहीं बही थी। यह एक महान् आन्दोलन का महान् प्रारम्भ था, और भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।”

यात्रा में

गांधीजी सहारे के लिए हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उनकी लती में बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी। सेना-नायक का कदम पुर्तों से उठता था और उन्हें प्रेरणा देता था। असलाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना को दोनों ओर लगी हुई लकड़ी के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग घण्टों पहले से भारत के महान् सेनापति के रहते हुए उल्लुखता में खड़े थे। इस अवसर पर अहमदाबाद में जितना बड़ा बुलूस निकला, उतना पत्ते बंद निकला हुआ याद नहीं पड़ता। शायद बच्चों और अपंगों के सिवा नगर का प्रत्येक निवासी बुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो मील से कम नहीं थी। जिन्हें बाजार में लगे होने को पसंद नहीं मिला, वे छुट्टों और भत्तों और दरख्तों पर, जहां-कहीं जगह मिली, पटुच गये थे। सारे सप्ताह उत्सव-सा दिवस देखा था। रास्ते-भर 'गांधीजी की जय' के गगनभेदी घोष होते रहे।

कूच को देखने और अपने आसौकिक उद्धारक के प्रति भ्रष्टा प्रदर्शित करने के लिए देश सर्वत्र मिलती थी। मोक्ष की एक नई भांकी दिवस दे रही थी किन्तु उपदेश पुण्य ही रित्त वर। मद्र, मद्रिग-निषेध और अष्टशयता-निवारण की पुण्य किन्तु मिय पाते दोहराई जाती। निरंतर रांग यह थी कि सबसे मर्यादा में शामिल होगा चाहिए। कूच में ही गांधीजी ने कोणित वरित्त था "कि स्वयं नदी मिला तो या तो रास्ते में मर जाऊंगा या आभम के बाहर रूंगा। नगर में उठा सदा तो आभम लौटने का भी इरादा नहीं है।" कठार और माम कठार पर उनको तोर दिया। स्वयंसेवक सेवकों की सख्या में शरीक हुए। गांधीजी की गिरफ्तारी होने ही का ही अन्वय सख्यवती उनके उभारधिकारी मुकर्र हुए। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कहा, "गांधी की ऐतिहासिक कूच की उमरा इकत मूना और उनके बहूरी साथियों के देश त्याग से त मरती है। अकत यह महापुण्य मंत्रिने मरुपुर पर नहीं पटुच जायगा, पीछे फिरकर मरी देने गांधीजी ने कहा, "अमेरी राज्य ने भारत का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भी तरह तरह बर दिया है। मैं हम राज्य की अभिराज समझता हूँ और इसे जय देने का र कूच हूँ।

— मैंने स्वयं 'दीव सेव दि किम' के गेठ गाये हैं। तुमने से भी गाये हैं। मुझे 'मिष' का कूच में दिखता था। पर वर वर स्वयं हुआ। मैं अत मरु कि हम मरुत को मरुत का वर उठाने हैं। कूच ही मरुत ही मरुत का है। पर हमारी मरुत कूच

अवशा का प्रारम्भ और सन्तान करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ ही समिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्चको शुरू किये गये कूच पर बर्बाई देती है। मति को आशा है कि देशभर गांधीजी का इस काम में इस तरह साथ देगा जिससे पूर्ण-स्वराज्य आन्दोलन शीघ्र सफल हो जाय।

“महासमिति प्रान्तीय समितियों को अधिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समझे उसी तरह सविनय-अवशा जारी कर दें अलबत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की आज्ञाओं का पालन तथा प्रान्तीय समितियों के लिए आवश्यक होगा। किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा संभव नक-कानून तोड़ने पर ही जोर लगावेंगे। समिति को विश्वास है कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न करके भी पूरी वैयारी तो जारी रखी जायगी, परन्तु जबतक गांधीजी दाएड़ी पट्टाकर नमक-कानून का भंग न कर दें और दूसरों को भी अनुमति न दें तबतक अन्यत्र सविनय-अवशा आरम्भ न की जायगी। हाँ, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जायें तो प्राणों को सविनय-अवशा आरम्भ करने की पूरी आज्ञा दी होगी।”

तीर्थ-यात्रा

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते भर वह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ-यात्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुष्ट है, स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं है। यह बराबर आत्म-निरीक्षण कराते रहे। सूत्र में गांधीजी ने कहा:—

“आज ही प्रातःकालीन प्रार्थना के समय मैं साथियों से कह रहा था कि जिस जिले में हमें सविनय-अवशा करनी है उसमें हम पहुँच गये हैं। अतः हमें आत्म-शुद्धि और समर्पण-बुद्धि का और भी प्रयत्न करना चाहिए। यह जिला अधिक समृद्ध है और यहाँ कार्यकर्ताओं में पनपित मित्र भी अधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-उत्साहो भी अधिक होने की सम्भावना है। देखना उनके आग्रह को न मानना। हम देवता नहीं हैं, निर्बल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे अनेक भूलें हुई हैं। कई तो आज ही प्रकट हुईं। जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-मग्न था उसी समय एक दोषी ने राय आकर अपराध कबूल किया। मैंने समझ लिया कि मैंने वेतावनी देने में उतावली नहीं की है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर खेत से दूध मगवाया था और अन्य अनुचित खर्च किया था। अतः मैंने तीर्थ-शब्दों में उनकी भर्त्सना की। परन्तु इससे मेरा दुःख शान्त नहीं हुआ। उलटая ज्यों-ज्यों मैं उस भूल पर विचार करता हूँ त्यों-त्यों दुःख बढ़ता ही है।

“इन बातों के मालूम होने पर मुझे लगता है कि मुझे वाइसराय साहब को यह पत्र लिखने का क्या हक था, जिनमें हमारी औसत आय से पाँच हजार गुना वेतन लेने की कड़ी आलोचना की गई थी। वह तो उस वेतन का औचित्य सिद्ध कर ही कैसे ही सकते थे, हम खुद भी अपनी आमदनी से बेहिजाब ब्यादा तनस्ताह उन्हें देना बर्दाश्त नहीं कर सकते। परन्तु इसमें उनका व्यक्तित्व क्या दोष ? उन्हें तो इसकी जरूरत भी नहीं। परमात्मा ने उन्हें घन दिया है। मैंने अपने पत्र में संकेत किया है कि शायद वह अपना सारा वेतन दान कर देते होंगे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि मेरा अनुमान बहुत-कुछ सही है। फिर भी इतने भारी वेतन का तो मैं विरोध ही करूँगा। मैं तो २१०००० रु० मासिक क्या, २०००० रु० के पत्र में भी राय नहीं दे सकता। परन्तु मुझे विरोध का हक किस हालत में है ? अवश्य ही उस हालत में नहीं, जबकि मैं स्वयं जनता पर अनुचित भार डाल रहा हूँ।

“मैं विरोध सभी कर सकता हूँ जब मेरा रहन-सहन जनता की औसत-आय से तुल्य तो साम्य

रखता हो। हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम अपने कार्य में नर्रे, भूले और सेह लोगो की मलाई की दुहाई देते हैं। यदि हम देशवासियों की औसत-आय अर्थात् ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने पर कर रहे हैं तो हमें वाइसरॉय के वेतन की टीका करने का कोई अधिक नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं से खर्च का हिसाब और अन्य विगत मांगी है। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें प्रत्येक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो। और होगा भी क्या, जब वे भी न-कहीं से भरे लिए बढ़िया-से-बढ़िया सन्तरे और अंगूर लायगे, १ दर्जन सन्तरोके स्थान पर १० रूके पहुचायेंगे और आधा सेर दूध की जरूरत होगी तो डेढ़ सेर ला धरेंगे! आपका जी दुखाने के का बहाना लेकर आपके परोसे हुए व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी यही परिणाम होगा। आप रुद और अंगूर लाकर देते हैं और हम उन्हें उड़ा जाते हैं। क्यों? इसलिए कि घनादप कियाने भेजे हैं! और फिर यह तो सोचिए कि किसी कृपालु मित्र ने मुझे फाउण्डेन-पेन दे दिया और मैं बिना आत्म-पीड़ा अनुभव किये बढ़िया चिकने कागज पर उसीसे वाइसरॉय साहब को खत लिखाला! क्या यह मुझे और आपको शोभा दे सकता है? क्या इस प्रकार लिखे हुए पत्र का दुबड़ा असर हो सकता है?

“इस प्रकार के जीवन से तो अस्वा भगत की यह कहावत चरितार्थ होती है कि चोरी का माल खाना कच्चा पाया निगलना है। गरीब देश में बढ़िया भोजन करना चोरी करके खाना नहीं क्या है? चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। मैंने यह कूच है विषय ज्यादा खर्च करने के लिए शुरू भी नहीं की थी। हमें तो आशा है कि हमारी पुकार पर हमसोसा सेवक हमारा साथ देंगे। उन पर बैशुमार खर्च करके रखना हमारे लिए असभव होगा। मुझ इस अधिक काम रहता है कि मैं अपने ८० साधियों तक के घनिष्ठ सम्पर्क में नहीं आ सकता। उनके प्रलग-अलग तो पहचान भी शायद न सकू। इस कारण सार्वजनिक रूप में अपने दिल की बात बोलने के विषय मेरे पास दूसरा चारा ही न था। मुझे आशा है, आप मेरे सन्देश की पुकार को समझने हैं, यदि वह न समझी, तो प्रस्तुत प्रयत्न से स्वयंज्य पाने की आशा छोड़ देनी चाहिए। मैं करोड़ों मूक मनुष्यों के सच्चे अमानतदार बनना चाहिये।”

कहना न होगा कि इस भाषण का उपस्थित जनता पर जबरदस्त असर हुआ। नाना-प्रतिभा को सम्बोधन करके गांधीजी ने उनमें शराब का व्यापार छोड़ने का अनुरोध किया—“मैं नमक-कर और शराब की बिक्री को उठा देने में भी सफल हो गये, तो आदिवासी की जमीन पर घृषी पर कौन शक्ति मारतवासियों को स्वयंज्य लेने से रोक सकती है? यदि ऐसी शक्ति हमें तो मैं उसे देख लूंगा। या तो जो आदिधे वर लेकर लौटूंगा, या मेरी लाश समुद्र पर तैली मिलेगी।”

नमक-कानून टूटा

४. अमृत को प्रातःकाल गांधी जी हाथी पढ़ने। श्रीमंत
 ५. प्रातःकाल की प्रार्थना क घोड़ी देर बाद गांधीजी और उ
 नमक-कानून टोड़ने निश्चये। नमक-कानून टोड़ने ही गांधीजी ने

कि गाँव वालों को पूरी तरह समझ दिया जाय कि नमक-कर का भार किन-किन पर कितना है, और इसके कानून को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक-कर उठ जाय।

“गाँव वालों को यह भी साफ-साफ समझ देना चाहिए कि कानून छिपाकर नहीं, चौड़े पाठे करना है। समुद्र के पास दरतों और खड्डों में प्रकृति का बनाया हुआ नमक मिलता है। गाँव वाले इसे अपने और अपने पशुओं के काम में ला सकते हैं और जिन्हें चाहिए उनके हाथों बेच सकते हैं। हा, यह भली-भाँति समझ रखना चाहिए कि ऐसा करने वाले सब लोगों को नमक कानून करने के अग्रगण्य में सरकार सजा भी दे सकती है और नमक-विभाग के कर्मचारी दूसरी तरह भी कर सकते हैं।”

“नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, अर्थात् १३ अप्रैल तक, जारी रहने दिये। जो इस पवित्र कार्य में शरीक न हो सके उन्हें विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और खबर-प्रचार में व्यक्तियोग्य काम करना चाहिए। उन्हें अधिक-से अधिक खादी बनवाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस काम के और मदिरा-निषेध के बारे में मैं भारतीय महिलाओं के लिए अलग सन्देश पार कर रहा हूँ। मेरा विश्वास दिन-दिन दृढ़ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्त्रियाँ शीघ्र से अधिक सहायक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अहिंसा का अर्थ वे पुरुषों से अच्छा समझ सकती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अशक्त हैं—पुरुष अहंकार-वश उन्हें ऐसा ही समझते हैं—लेकिन सन्ने साहस और आत्म-त्याग की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है।”

दूसरे वक्तव्य में गांधीजी ने कहा :—

“मुझे अब तक जो सूचनायें मिली हैं उनमें मालूम होता है कि गुजरात ने सामूहिक अशक्तता को अवलम्ब प्रमाण दिया है उसका सरकार पर असर हो गया है। उसने प्रधान व्यक्तियों को गिराने करने में बिलम्ब नहीं किया। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसी ही कृपा सरकार ने अन्य प्रांतों के कार्यकर्ताओं पर भी अचर्य की होगी। इस पर उन्हें बधाई।

“यदि सत्याग्रहियों को सरकार जी चाहे तो करने देती तो, आश्चर्य की ही बात होती। पाप ही यदि वह बिना अचलती कार्रवाई के उनके जान-माल पर हाथ डालती तो वह भी पारदर्शकता होती।

“व्यवस्थित रूप से मुकदमे चलाकर सजायें देने पर कौन आपत्ति कर सकता है? आम्बिबलानून भंग का यह नतीजा तो सीधा ही है।

“कारावास और ऐसी ही अन्य कसौटियों पर तो सत्याग्रही को उत्तरना ही पड़ता है। उसका उद्देश्य सभी पूरा होता है जब वह स्वयं भी विचलित न हो और उसके चले जाने पर वे लोग भी न अचर्ययें जिनका वह प्रतिनिधि है। यही अवसर है कि सबको अपना ही नेता और अपना अनुयायी बन जाना चाहिए।”

“सरकारी या सरकार द्वारा निषिद्ध शिष्ट-वस्तुओं के ह्रास यदि इन सज्जनों के बाद भी वे सत्याग्रह न छोड़ेंगे तो मुझे दुःख होगा।”

स्त्रियों के विषय में गांधीजी ने नवसारी में कहा :—

“स्त्रियों को पुरुषों के साथ नमक की कड़ाहियों को रखा नहीं करनी चाहिए। मैं सरकार पर इतना विश्वास अब भी रख सकता हूँ कि वह हमारी बदन से लड़ाई मोल नहीं लेगी। इसकी उद्योगना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा। जबतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तबतक पुरुषों को ही लड़ना चाहिए; जब सरकार सीमोल्लघन करे तब भले ही स्त्रियाँ भी खोलकर

लड़ें। कोई यह न कहे कि 'चूँकि हम जानते थे कि स्त्रियाँ कितनी भी आगे बढ़कर कानून में नहीं उतर सकतीं, इसलिए पुरुषों ने स्त्रियों की आड़ ली।' मैंने स्त्रियों के सामने वे कार्यक्रम रखवा है उसमें उनके बहुत काम हैं। वे जितना सामर्थ्य हो, साहस दिखाते ही जोखिम उठावें।"

६ अप्रैल से नमक-सत्याग्रह की छुट्टी बचा मिली, देश में इस छोर से उस छोर तक इसी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लातों की उपस्थिति में विद्यत सभाएँ हुईं। कराची, पेशावर, कलकत्ता, मदरास और शोलापुर की घटनाओं ने नया अनुभव कराया और दिखा, कि इस सभ्य सरकार का एकमात्र आधार हिंसा है। पेशावर में सेना की गोलियों से कई आदमी मारे गये। मदरास में भी गोली चली।

कराची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखा:—

"बहादुर युवक दत्तात्रेय, कहते हैं, सत्याग्रह को जानता भी न था। पहलवान था, रस्ते सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था। गोली लगकर मारा गया। १८ साल का नौबत मेहराज रेवाचन्द्र गोली का शिकार हुआ। इस प्रकार जयधामदास सहित ७ मनुष्य गोली घायल हुए।"

२१ अप्रैल को बंगाल-आर्डिनेन्स फिर जारी कर दिया गया। २७ अप्रैल को बारह साहब ने भी कुछ संशोधन करके १९१० के प्रेस-एक्ट को आर्डिनेन्स-रूप में फिर से जीवित दिया। गांधीजी का 'यग इण्डिया' अब साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था। एक वस्तु यह उन्होंने कहा:—

"हमें अनुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हमपर एक प्रकार से फौजी शासन हो रहा है। फौजी शासन आखिर है क्या? यही कि सैनिक अफसर की मर्जी ही कानून बन जाती है। फिर हाल बाइसपय बैसा अफसर है और वह जहाँ चाहे साधारण कानून को बालाय-ताक रखकर किये आलायें लाद देता है और जनता बेचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता। पर मैं ब्राह्मण करता हूँ, वे दिन जाते रहे कि अमेज शासकों के परमानों के आगे हम चुनचाप सिर झुका दें।

"मुझे उम्मीद है कि जनता इस आर्डिनेन्स से मयभीत न होगी। और अगर लोकमत संके प्रतিনিधि होंगे तो अखबारवाले भी इससे नहीं डरेंगे। थोरो का यह उपदेश हमें हृदयगत करना चाहिए कि अत्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का धनवान रहना कठिन होता है। अब जो हम ची-चढ़प किये बिना अपने शरीर ही अधिकारियों के इवाले कर देते हैं तो हमें उसी भाँति अपनी अपनी सम्पत्ति भी उनके सुपुर्द कर देने में क्यों हिचकिचाहट होनी चाहिए? इससे हमारी आत्मा की गं राखा होगी।

"इस कारण मैं सगादकों और प्रकारकों से अनुपेक्ष करना चाहता हूँ कि वे जमानत देने से इन्कार कर दें और सरकार न माने तो या तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या सरकार जो कुछ बन्द करना चाहे कर लेने दें। जब स्वतन्त्रता-देवी हमारा द्वार स्वतन्त्रता गरी है और उसे रिभजने की हमारे ने जोर दातनायें सहन की हैं, तो देवना, अन्धकार गालों को कोई यह न कह सके कि मोक्षा पवने पर वे पूरे नहीं उठते। सरकार टाहप और मर्जीनरी खीन सकता है। और असल चीज तो य -- मर्जी।"

अमानत भंगि तो न दी जाय और प्रेस को जन्त होने दिया जाय। 'नवजीवन' गया और उसमें साप-साप नवजीवन-प्रेस द्वारा प्रकाशित अन्य पत्र भी जाते रहे। देश के अधिकांश पत्रकारों ने जमानतें दाखिल कर दीं।

इस गांधीजी ने जनता को गांधी में ताड़ी के सारे पेड़ काट डालने का आदेश दिया। शुरू आत तो उन्होंने अपने ही हाथों से की। ४ मई को सूत में रिश्यों की सभा में वह बोले—“भविष्य में तुम्हें तकली के बिना सभाओं में न आना चाहिए। तकली पर तुम बारीक से-बारीक सूत कात सकती हो। विदेशी कपड़ा पहले-पहल सूत के बन्दर पर उतरा था। सूत की बहनों को ही इसका प्रायश्चित्त करना है।” यहीं पर उन्होंने जातीय पंचायतों से अपनी मदिय-स्वाग की प्रतिज्ञा पालन करने का अनुरोध किया। किन्तु नववारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध उन्हें जनता को चेतावनी देनी पड़ी। खेड़ा जिला गुजरात का रणगण बन गया था। गांधीजी ने 'नवजीवन' में लिखा :—

“जनता ने शान्ति तो रखी है; किन्तु जोरदार सामाजिक बहिष्कार करके उसने क्रोध, द्वेष और इसलिए हिंसा का परिचय दिया है। छोटी-छोटी बातों पर सरकारी कर्मचारियों को फटकारा और उग किया जाता है। इस तरीके से हमारी जीव नहीं होने वाली हैं। हमें मामलतदार और फौजदार के काम की सुराई का भयाना-कोड़ तो करना चाहिए, किन्तु उनका कठोर बहिष्कार करते समय हमें माधुर्य और आदर-भाव नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा किसी दिन दगो होंगे। मामलतदार और फौजदार बगैरा मर्यादा छोड़ देंगे। फौजदार ने तो छोड़ भी दी बताते हैं। फिर जनता भी मर्यादा छोड़ दे तो क्या आश्चर्य! इसी प्रकार किसी की जवान चल जाय और उत्तर में दूसरे का हाथ चले तो उसे दीप भी कौन दे ?

“खेड़ा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। उदाहरणार्थ, मैंने संकेत कर दिया है कि ग्राम कर्मचारियों का बहिष्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनकी आशान न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-पीना बन्द न होना चाहिए। उन्हें घरों से नहीं निकालना चाहिए। यदि हमसे इतना न हो सके तो बहिष्कार छोड़ देना चाहिए।”

धारासना पर धावा

इस समय गांधीजी ने वाइसराय साहब के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और सूत जिले के धारासना और छुरावाका के नमक के कारखानों पर धावा करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने वाइसराय को लिखा :—

— “ईश्वर ने चाहा तो धारासना पहुंच कर नमक के कारखाने पर अधिकार करने का मेरा इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ खाना होंगे। जनता को यह बताया गया है कि धारासना व्यक्तिगत संपत्ति है। यह महज घोखापट्टी है। धारासना पर सरकार का उतना ही वास्तविक नियंत्रण है जितना वाइसराय साहब की कोठी पर है। अधिकारियों की स्वीकृति के बिना खुट्टी-भर नमक भी कोई वहां से नहीं ले जा सकता।

“इस धावे को—रोकने के तीन उपाय हैं—

(१) नमक-कर उठा देना।

(२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना। परन्तु जैसी-मुझे आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए आते रहेंगे तो यह उपाय कारगर न होगा।

के देता ही है। और यह कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतू पशु, छोटे-बड़े और छे-बीमार सब से।

यह कहना एक दुष्टापूर्ण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चर्ला चलता है और सरकार का-आन्दोलन को किसी भी रूप में प्रोत्साहन देती है। सरकारी श्रम के पांव में से चार दिस्ते अंतर्जिक हित के लिए खर्च होने की भूठी बात का उत्तर तो अर्थशास्त्री लोग अधिक अच्छा देते हैं। परन्तु ये ननूने तो उन बातों के हैं जो सरकार के सम्बन्ध में जनता के सामने रोज आती हैं। ३ दिन एक बीर गुजराती कवि को भूठी सरकारी शहादत पर सजा दे दी गई। कवि बेचारा करता था कि मैं तो उस समय दूसरे स्थान पर मुख की नींद ले रहा था।

“अब सरकार की निष्क्रियता की खानगी देखिये। शराब के व्यापारियों ने भरना देने वालों को टा और नियम-विरुद्ध शराब बेची। सरकारी आदमियों तक ने कबूल किया कि स्वयं-सेवक शान्त। फिर भी कर्मचारियों ने न तो मारपीट पर ध्यान दिया और न शराब की अनियमित बिक्री पर। मारपीट के बारे में तो सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी यह बहाना कर सकते हैं कि किसी ने अक्रिय नहीं की।

“और अब देश की छाती पर एक नया आदिनेन्स और लाद दिया है। इसकी कोई मिसाल ही मिलती। मगतसिंह बगैर के मुकदमे में कानून के द्वारा देर होती, उससे बचने के लिए साधारण जमाने की टाक में रहने का आपकी अच्छा अवसर मिल गया। इन कृत्यों की फौजी-शासन का नाम तो आश्चर्य क्यों होना चाहिए? और अभी तो आन्दोलन का पांचवां सप्ताह ही है।

“ऐसी दशा में, कुछ समय से भय प्रदर्शन का बोलबाला शुरू हुआ है। उसका आवरण देश का अर्थ उससे पहले ही अधिक साहस का काम, अधिक कठोर कार्रवाई कर डालना पारता है, जिससे आपका मोच जल्दी ही भङ्ग उठे और वह अधिक साफ रास्ते पर चल निकले। मैंने जो बातें बयान की हैं उनका समर्थन है आपको इत्तम न हो। शायद आपकी उनपर अब भी भरोसा न हो। मेरा धर्म तो आपका ध्यान दिलाना मात्र है।

“कुछ भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आपसे सत्ता के लाल पंजे को पूरी तरह आज़मा लेने का अनुरोध करूं। ऐसा न करना मेरे लिए कायदा की बात होगी। जो लोग आज बह-सहन कर रहे हैं, जिनकी भिक्षियत बरबाद हो रही है, उन्हें यह कदापि न अनुभव होना चाहिए कि मैंने उनकी सहायता से इस लड़ाई को छेड़ तो दिया पर कार्यक्रम को उस हद तक पूरा नहीं किया जित हद तक यह किया जा सकता था। क्योंकि एक तो इस लड़ाई के बदीलत साधारण का अस्तव्ही रूप प्रकट हुआ है और दूसरे इसके लेङ्कने में मेरा ही मुख्य हाथ रहा है।

“सत्याग्रह-शास्र के अनुसार सत्ताधारी जितना अधिक दमन और कानून भंग करेंगे, सत्याग्रही उसने ही अधिक कष्टों को सामन्वय देंगे। रोषदा-पूर्वक सहन किया जाय तो जितना अधिक बह-सहन उसनी ही निश्चित संभवता।

“मैं जानना हूँ कि मेरे प्रतिपादित उपायों में किसी विफलता निहित है। परन्तु अब देश मुझे समझने में भूल जानेवाला नहीं दीगता। मैं जो सोचता हूँ और मानता हूँ वही बताऊ हूँ। मैं भारत में यह १५ वर्ष से और भारत से बाहर और भी २० वर्ष परने से करता आया हूँ कि हिंसा पर शक अहित की ही विचार हो सकती है। मैंने यह भी कहा है कि हिंसा के एक-एक कार्य, सन्द और विचार से भी अहितकारक कार्य की प्रकृति में बाधा पड़ती है। बग-दार देनी केदारिन' देने पर भी लोग हिंसा कर बैठें तो मैं क्या करूं? मेरे विर पर उलट पटा में उलट ही टाकिय होगा अजित मानेह

“भेरी गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को बचपना न चाहिए। इस आन्दोलन का मैं नहीं हूँ, परमात्मा है। वह सबके हृदय में निवास करता है। हममें भद्रा होगी तो वह रास्ता दिखावेगा। हमारा मार्ग निश्चित है। गाँव गाँव को नमक बीनने या बनाने को निकल चाहिए। खियों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देना चाहिए। मैं आवाल-वृद्ध सबको तकली पर काटना शुरू कर देना चाहिये और रोज सूत के ढेर लग जाने। विदेशी वस्त्रों की होलियाँ की जायं। हिन्दू किसी को अशुचि न मानें। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब हृदय से गले मिलें। बड़ी जातियाँ छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए भाग से करें। विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर उन पटेलों और तलाटियों की नौकरियाँ छोड़कर जनता की सेवा में जुट जायं। इस प्रकार आत्मानि से हमें पूर्ण स्वराज्य जायगा।”

गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति की लहर अपने-फैल गई। गिरफ्तारी का समाचार पहुँचना था कि बम्बई, कलकत्ता और अनेक स्थानों पर ई और स्वेच्छा-पूर्वक हड़ताल होगई। गिरफ्तारी के दूसरे दिन की हड़ताल और भी व्यापक थी। मैं विराट् जुलूस निकला। शाम को इतनी विशाल सभा हुई कि कई मंचों पर से भाषण देने ८० में से ४० के लगभग मिले बन्द रही; कारण ५० हजार मजदूर विरोध-स्वरूप निकल आये जी० आई० पी० और बी० सी० सी० आई० के कारखानों के मजदूर भी काम छोड़कर हड़ताल रीक होगये थे। गिरफ्तारी पर अपनी नाराजी जादिर करने के लिए कपड़े के व्यापारियों ने ६ दिन हड़ताल का निश्चय किया। गांधीजी पूना में नजरबन्द किये गये थे। वहाँ भी पूरी हड़ताल हुई। समय पर सरकारी पदों और पदवियों के छोड़ने की घोषणा होने लगी। देश ने प्रायः सर्वत्र गांधी के उपदेशों का आश्चर्यजनक रूप में पालन किया। एक-दो स्थानों पर भगडा भी होगया। आपर मैं ६ पुलिस-चौकियाँ जला दी गईं, जिसके फल स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें अफ्रिकी मरे और लगभग १००० घायल हुए। कलकत्ते में शहर की हड़तालें तो शान्तिपूर्ण रही, हड़का और पंचवत्सा में भीड़ को विरत-विरत करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वीं के अनुसार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही कर दी गई।

परन्तु गांधीजी की गिरफ्तारी का असर तो विश्व-व्यापी हुआ। पन्ना के भारतीय व्यापारियों ने २४ घण्टे की हड़ताल मनाई। मुम्बई के पूर्वीय समुद्र-वटवासी हिन्दुस्थानियों ने भी ऐसा ही और वायसराय साहब एवं कांग्रेस को तार भेज कर गांधीजी की गिरफ्तारी पर नैद प्रकट। फ्रांस के पत्र गांधीजी और उनकी बातों से भरे थे। बहिष्कार-आन्दोलन का परिणाम जर्मनी भी हुआ। वहाँ के कपड़े के व्यापारियों को उनके भारतीय आदृतियों ने माल भेजने की मनाही दी। स्ट्र ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छूट के कारखानों को खास तौर पर हानि दी है। नैरोबी के भारतीयों ने भी हड़ताल रक्ली।

इसी बीच में अमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादरियों ने तार-द्वारा रैम्बे दानलड साहब की सेवा में आवेदन-पत्र भेजा और उनमें अनुरोध किया कि गांधीजी और भारत-सेवियों के साथ शान्तिपूर्ण समझौता किया जाय। इतर इस्ताचर न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन हेनीज स ने करवाये थे। सन्देश में प्रधानमन्त्री से अरील की गई थी कि भारत, ब्रिटेन और जगत का। इसी में है कि इस सपनों को बचाया जाय और समस्त मानव-जाति की भयंकर विगति से रक्षा जाय।

भारत-सरकार की स्थिति की गंभीरता का अन्वय पूरा खयाल था। वाइसराय सर जेजबहादुर समू और सर चिम्मनलाल सीतलकाड जैसे नरम नेताओं से सम्बन्धी मुक्तकालीन नरम-दल-संघ की कौंसिल की सम्पर्क में बैठक हुई। उसने राजनैतिक परिस्थिति पर विचार कर नरम नेताओं ने इस बात की आवश्यकता बताई कि वाइसराय साहब शीघ्र ही दूसरी बैठक और गोलमेज-परिषद् की तारीखें मुकर्रर करें। किन्तु सर्वदल-सम्मेलन और नरम-दल की कौंसिल बैठक के एक दिन पहले ही वाइसराय साहब ने दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा कर दी और वाइसराय साहब का अपना पत्र-व्यवहार भी प्रकाशित कर दिया। नरम-दल की कौंसिल ने भी मौजूदा परिस्थिति पर एक यत्नव्य निकाला। इसमें कानून-भंग के आन्दोलन की भी भरपेट निन्दा की गई। औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा के लिए गोलमेज-परिषद् की जल्दी तैयारी करने का वाइसराय से भी अनुरोध किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार परिषद् की शर्तों से मर्यादायें प्रकट कर दे, ताकि उस समय भी जो लोग परिषद् से अलग थे वे नरम दल वाली बैठक में शामिल हो सकें। इस बात पर भी आग्रह किया गया कि कानून-भंग का आन्दोलन और कानून का दमन-चक्र साथ-साथ बन्द हो, राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय और सब राजनैतिक कार्य सरकार पूर्ण विश्वास करे।

कार्य-समिति के प्रस्ताव

महात्माजी के स्थान पर श्री अम्भास तैयबजी नमक-सत्याग्रह के गायक हुए थे। १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारियों, लाठी-प्रहारों और दमन का दौर-चौर रहा। एक के बाद दूसरा स्वयंसेवक-दल नमक के गोदामों पर धावा करता रहा। पुलिस उन्हें मारती रही। बहुतों को सख्त चोटें आईं।

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई और उसने कानून का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया। नीचे लिखे प्रस्ताव स्वीकृत हुए:—

“१. जराही तक महात्मा गांधी के साथ जाने वाले स्वयंसेवकों को कार्य-समिति बना दे और आशा करती है कि नये नये दल धावे करते रहेंगे। समिति निश्चय करती है कि नमक के धावों के लिए घासना अखिल-भारतीय केन्द्र माना जाय।

“२. गांधीजी ने इस महान् आन्दोलन का संचालन करके देश को जो मार्ग दिखाने उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है, सविनय कानून-भंग में अपना शास्त्रविरुद्ध प्रयाग है और महात्माजी के कायावाच-काल में लडार्ड को हुगुने उल्हास से चलाने का निश्चय करती है।

“३. समिति की राय में अब समय आ गया है कि समस्त राष्ट्र श्वेत की शक्ति के प्राणों की बाजी लगाकर कोशिश करे। अतः समिति विद्यार्थियों, बच्चों, श्वेतमार्गियों, प्रकृष्ट कृषकों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों को आदेश देती है कि वे इस स्वयंसेवक-समिति के लिए अधिक-से-अधिक कष्ट उठाकर भी तैयार हों।

“४. समिति की राय में देश का हित इसीमें है कि विदेशी वस्त्र-वहिकार समस्त देश अखिलभूत पूरा हो जाय और इसके लिए मौजूदा काल की बिक्री रोड़ने, पहने के दिने हुए कपड़े बनाने और नये आर्कर न मिचकनेके लिए कारगर उपाय किये जायें। समिति समस्त कार्य-समिति को आदेश देती है कि वे विदेशी वस्त्र-वहिकार का क्षेत्र प्रचार करें और विदेशी कपड़े को दुर्घट पर विवेकित बिटा दें।

“५. समिति निश्चय करती है कि भारत-सरकार को निश्चय करके देना...

के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है, किन्तु उसे खेद है कि वह ऐसा कोई समझौता मजूर नहीं कर सकती जिससे मौजूदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपड़ा न मंगाने के व्यापारियों के वचन से सन्तोष किया जा सके। समिति सभी कार्य-समितियों को ऐसे किसी समझौते में शामिल होने से मना करती है।

“६. समिति निश्चय करती है कि बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए हाथ-कते हाथ-बुने कपड़े की पैदावार बढ़ाई जाय, रुपये से बेचने के साथ-साथ सूत लेकर खहर देने वाली संस्थाएँ खड़ी की जायँ और सामान्यतः हाथ-कटाई को प्रोत्साहन दिया जाय। समिति प्रत्येक देशवासी से अपील करती है कि वह रोज़ घोड़ी-बहुत देर अवश्य काते।

“७. समिति की राय में समय आ पहुँचा है कि कुछ प्रान्तों में खास-खास महसूल देना बन्द करके कर्चन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र, तामिल नाडू और पंजाब जैसे रैयतवारी प्रान्तों में जमीन का लगान रोका जाय और बंगाल, बिहार और उड़ीसा आदि में चौकीदारी-कर न दिया जाय। समिति इन प्रान्तों को आशा देती है कि वे प्रान्तीय समितियों-द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में जमीन का लगान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोलन सगठित करें।

“८. प्रान्तीय समितियों को आदेश दिया जाता है कि वे गैर-कानूनी नमक बनाने का काम जारी रखें और उसका विस्तार करें और जहाँ सरकार गिरफ्तारियों से या अन्य प्रकार से बाधा दे रहा नमक-कानून तोड़ने का काम और भी जोश के साथ किया जाय। समिति निश्चय करती है कि नमक-कानून के प्रति देश की नागरिकों की प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेस-संस्थाएँ हर रविवार को इस कानून के सामूहिक उल्लंघन का आयोजन करें।

“९. स्पानापन्न अभ्युदय महोदय ने मध्य-प्रान्त में जगलाल कानून तोड़ने की जो अनुमति दी है, समिति उसका समर्थन करती है और निश्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में भी जहाँ ऐसा कानून हो वहाँ प्रान्तीय समितियों की स्वीकृति से उसका भंग किया जा सकता है।

“१०. समिति स्पानापन्न अभ्युदय को अधिकार देती है कि स्वदेशी मिलों के कपड़े की कीमत में अनुचित वृद्धि और नकली-खहर की बनवाई को रोकने एवं विदेशी वस्त्र-बहिष्कार की पूर्ति के लिए वे भारतीय मिल-मालिकों से समझौते की बातचीत करें।

“११. समिति जनता से अनुरोध करती है कि अंग्रेजी माल का बहिष्कार जल्दी-से-जल्दी पूरा होने के लिए यह प्रबल प्रयत्न करे।

“१२. समिति जनता से प्रबल अनुरोध करती है कि अंग्रेजी बैंकों, बीमा-कम्पनियों, जहाजों और ऐसी अन्य संस्थाओं का भी बहिष्कार करे।

“१३. समिति एक बार पुनः सम्पूर्ण मंदिर-निषेध के लिए धोर प्रचार-कार्य की आवश्यकता पर जोर देती है और शायब और ताड़ी की दुकानों पर गिरफ्तार करने का प्रान्तीय समितियों से अनुरोध करती है।

“१४. समिति को कहीं-कहीं भीड़-द्वारा हिंसा हो जाने पर दुःख है और वह इस हिंसा की क्षय-कटोर निन्दा करती है। समिति अहिंसा के पूर्ण पालन की आवश्यकता पर आपस-एक-दूसरे की इच्छा प्रकट करती है।

“१५. समिति प्रेस-आदिनिष्ठ की तीव्र निन्दा करती है और जिन छात्रों ने उनके आगे विर नहीं मुखाप उनको प्रशंसा करती है। जिन भारतीय-पत्रों ने अभी तक प्रकाशन बन्द नहीं किया

पर आक्रमण करने निकले। दोनों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ वर्जित सीमा में पुली तो उस पर लाठियाँ चला दीं। घायलों को छावनी के अस्पताल में पहुँचा दिया गया।

बड़ाला के घावे

बड़ाला के नमक के कारखाने पर कई घावे हुए। २२ ता० को १८८ स्वयंसेवक पकड़े गये और बर्ली भेज दिये गये। २५ ता० को १०० स्वयंसेवकों के साथ २००० दर्राकों की भीड़ भी गई। पुलिस ने लाठी-प्रहार करके १७ को घायल किया और ११५ को गिरफ्तार। घावा दो घण्टे तक रहा। तीसरे पहर फिर हुआ। इसमें १८ घायल हुए। प्रसिद्ध उड़के भी १ कबाड़ी भी इनमें शामिल थे। २६ ता० को ६५ स्वयंसेवक मैदान में गये और ५१ गिरफ्तार हुए। बाकी भीड़ के साथ नमक लेकर भाग गये। उस समय एक सरकारी विज्ञापित में कहा गया कि अबतक जो गड़बड़ें हुई हैं वे अधिकतर दर्राकों ने की हैं और इनमें सैनिकों-का-सा अनुशासन नहीं है, अतः जनता को धावों के समय बड़ाला से दूर रहना चाहिए। किन्तु सबसे चमत्कारी घावा तो १ जून को हुआ। मुद्र-समिति उसके लिए बड़े परिश्रम से तैयारियाँ कर रही थी। उस दिन सुबह १५००० सैनिकों और असैनिकों ने बड़ाला के विशाल सामूहिक घावे में भाग लिया।

पोर्ट-ट्रस्ट के रेलवे चौकड़े पर एक के बाद दूसरा दल पहुँचता और वहाँ पुलिस उन्हें और भीड़ को रोक लेती। थोड़ी देर में घावा करने वाले स्त्री और बच्चे तक पुलिस का धेरा तोड़कर कोचद पार करके कढ़ाइयों पर पहुँच जाते। लगभग १५० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोटें आईं। पुलिस ने घावा करने वालों को खदेड़ दिया। यह सब खुद होम-सेक्टर साहब की देख-रेख में हुआ।

३ जून को बर्ली की अस्थायी जेल में बड़ा उपद्रव हो गया। स्थिति को समझाने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पड़े और सेना बुलानी पड़ी। उस दिन बड़ाला के ५ हजार अभियुक्तों से पुलिस की मिडन्त होगई। लगभग ६० घायल हुए। २५ को सख्त चोटें आईं। किन्तु जिस प्रकार घावा करने वालों के साथ पुलिस ने बरताव किया उस पर जनता में बड़ा रोष फैला। दर्राक लोग उस निर्दय दृश्य को देखकर चकित रह गये। बम्बई की अदालत खलीफा के भूतपूर्व न्यायाधीश भी हुसेन, भी के० नटराजन और भारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष भी देवधर धारासना का घावा देखने खुद गये थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा:—

“हमने अपनी आँखों देखा कि सत्याग्रहियों को नमक की सीमा के बाहर भगा देने के बाद भी यूरोपियन सवार हाथों में लाठियाँ लिये हुए अपने घोड़े सरपट दौड़ाते और जहाँ सत्याग्रही घावे के लिए पहुँच गये थे वहाँ से गाव तक लोगों को मारते रहे। गाव के रास्तों पर भी खूब तेजी से घोड़े दौड़ाकर स्त्री-पुरुष और बच्चों को तितर-बितर किया। ग्रामवासी दौड़-दौड़ कर गलियों और घरों में छिप गये। सयोगवश कोई भाग न सका तो उस पर लाठियाँ पड़ी।”

‘न्यू फ्रीमेन’ के सवाददाता वेव मिलर साहब ने धारासना के इस घृणिण दृश्य पर इस प्रकार प्रकाश डाला:—

“मैं २२ देशों में १८ वर्ष से सवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस अर्थ में मैंने अवश्य उपद्रव, मारपीट और विद्रोह देखे हैं; किन्तु धारासना के-से पीड़ा-जनक दृश्य मेरे देखने में कभी नहीं आये। कभी-कभी तो ये इतने दुःखद होजाते थे कि दृष्टमर के लिए आख केर लेनी पड़ती थी। स्वयंसेवकों का अनुशासन अद्भुत चीज थी। मालूम होता था, इन लोगों ने गांधीजी के अहिंसा-धर्म को धोसकर पी लिया है।”

स्लोकोम्ब साहब की गवाही

लन्दन के 'डेली हेराल्ड' पत्र के प्रतिनिधि जार्ज स्लोकोम्ब साहब भी नमक के कुछ फल प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने लिखा, "मैंने यकाला की मालाकार पहाड़ियों के एक स्थान पर सरे होम घटनायें देखीं। एक अग्रज के लिए यह बड़ी सजा की बात प्रतीत होती थी कि वह उत्साही, भाव रखने वाले और भावनापूर्ण स्वयंसेवकों और उनके साथ सहानुभूति रखने वाले जन-समूहों की बीच में खड़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिधि शासकों को यह गन्दा काम करते हुए देखा करे।"

वह २० मई को गांधीजी से यरवडा-जेल में मिले। उन्होंने अपने पत्र में जो खरीता भेजा इतना असाधारण था कि कामन-समा की नींद हथाम होगई और अनुदार-दल के पत्रों की विद्म क्रोध का पाप न रहा। इस खरीते में स्लोकोम्ब साहब ने बतलाया कि इतना हो चुकने पर भी समझ की सम्भावना है और यदि नीचे लिखी शर्तें मान ली जाय तो गांधीजी कानून-भंग स्थगित और गोलमेज-परिषद् के साथ सहयोग करने की काम्रेस से सिफारिश करने को तैयार हैं:—

(१) गोलमेज-परिषद् को ऐसा विधान बनाने का अधिकार मी दिया जाय जिससे भारत को स्वाधीनता का सार मिल जाय।

(२) नमक-कर उठा देने और शराब और विदेशी वस्त्र की मनाही करने के सम्बन्ध में गांधीजी को सन्तोष दिलाया जाय।

(३) कानून-भंग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय।

(४) वाइसराय साहब के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात शर्तें और लिखी थीं उन चर्चा बाद पर छोड़ दी जाय।

स्लोकोम्ब साहब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीजी से सम्मानपूर्वक सधि करने को तैयार या नहीं? उन्होंने कहा, "समझौते की बातचीत अब भी हो सकती है। गांधीजी से दो बार मिलने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेल करने से ही मेल होगा और एक पक्ष की हिंसा दूसरे को मुझ पर मजबूर नहीं कर सकती। गांधीजी जेल में क्या बन्द हैं भारत की आत्मा बन्द है, यह स्पष्ट सी धार कर लेने से अब भी असीम हानि टाली जा सकती है।"

दमन का दौर-दौरा

परन्तु एक-एक बात को कहां तक गिनारें? घटनाओं का क्या पार था? लॉर्ड अर्निंगे प्रयत्नी सत्ता का पेश कसना शुरू कर दिया। आरम्भ में तो उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। परन्तु गांधीजी की कूच का रोग तो सारे राष्ट्र को लग गया। सर्वत्र कूच के नक़रे बसे गये। उनकी पुकार पर हजारों महिलायें मैदान से निकल आईं। उनके कारण सरकार बड़े चकर में पड़ गई। उन्होंने आते ही शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर घटना देने का काम अपने हाथ में ले लिया और जबतक शौर्य पर स्वेच्छान्तर ने विजय प्राप्त न की तबतक पुलिस भी उनके हाथों कुछ न कर सकी। ऐसी स्थिति में गांधीजी को मुला छोड़ा जाय? न जाने वह कहां से देह की द्विती हुई शक्ति को दूढ़ कर निकाल लाते। उनके हाथ में जाय की लकड़ी थी। उसे जग मुसल बन बन का ढेर लग जाता था। अब उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समय पाकर। वा.व. गांधी पर हाथ डालना सारे राष्ट्र-का भिन्न के हृदय को छेड़ना था। १४ अप्रैल को अजादासःस जी पकड़ कर गज़ा दे दी गई। जगहर का बन्दी हुआ, काम्रेस बन्दी होगई। माया देश एक विद्रोह का बन्द बन गया। धन्य, करबन्दी और सामाजिक बहिष्कार गवर्नरी गेज के लिए आर्दितोन्म निकल पड़े। गौरीय मन्त्रे पर जानेक लम्बे-लम्बे । मन्त्रे दिव्य-दिन करीर होने लगी। देर के साथ-साथ

जुमाने किये जाने लगे। लाठी-प्रहार भी आ पहुँचे। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि लाठियों और सब शस्त्रास्त्र से झुसझित करके पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जा रही है वह सत्याग्रहियों के विर पर आजमाई जायगी। यह कोरी धमकी या आशङ्का नहीं निकली। लाठी-प्रहार तो भयकर सत्य के रूप में प्रकट हुआ। समा-भंग की आशा तो होती थी देश के साधारण कानून के अनुसार, और उस पर अमल होता था लाठी के निर्दय प्रहारों से। नमक-कानून के साथ-साथ ताजीरत-हिन्द की धारयें मिलाकर लम्बी-से-लम्बी सजायें दी जाने लगी। फरवरी १९३० के मध्य में एक सरकारी आशा निकली। उसमें राजनैतिक कैदियों का वर्गीकरण किया गया। हा, उसमें 'राजनैतिक' शब्द सावधानी के साथ नहीं आने दिया गया। दिल्ली तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी 'इण्डिया' नामक सालाना पुस्तक में—अलवते अवतरण-चिह्न देकर—यह शब्द बराबर प्रयोग करती आ रही थी। यह सरकारी आशा परिशिष्ट ४ में दी गई है।

'ए' वर्ग तो नाममात्र ही हो था। 'बी' बलास भी बड़ी कंजूसी से दिया जाता था। विपुल सम्पत्ति के स्वामी और ऊँचे रहन-सहन के श्रम्यासी सरकार की शक्तों के अनुसार भी उच्च-वर्ग के इकट्ठा थे। पर उन्हें भी 'सी' बलास में डाल दिया जाता था और काम भी उन्हें जेलों में परपर तोड़ने, धानी पेलने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्याग्रहियों के साथ किये गए व्यवहार ने इस सरकारी आशा की शीघ्र कलाई खोल दी। वह तो जनता की आँसों में धूल भँकने मात्र का प्रयत्न था। परन्तु स्वयसेवक इस व्यवहार की शिकायत करनेवाले थोड़े ही थे। वे तो पत्तियों की भाँति आदोलन में पड़ते ही रहे। बहुतां को सरकार पकड़ती न थी, उन पर सिर्फ लाठी-प्रहार उनको तैयार मिलता था। आदोलन के आरम्भ-काल की बात है। एक बार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान में उपरिष्ठ लोग तो वाले में बन्द करके बुरी तरह पीटे गये। फाटकों पर आड़ लगाकर पड़े बिठा दिये गए थे। पारायिक व्यवहार की शुक्रागत तो सयुक्त-प्राति और बगाल से हुई। किन्तु थोड़े ही दिन में दक्षिण भारत में भी यही हाल होने लगा, आदोलन के उत्तरार्द्ध-काल में वहाँ दमन की अमानुषता का पार नहीं रहा।

वहाँ भी आरम्भ में तो गिरफ्तारियों और भारी जुमानों की नीति आजमाई गई, परन्तु थोड़े ही दिन बाद मारपीट आ पहुँची। बाजार में चौदा खरीदते हुए खरूर या गाँधी-टोपी-धारी मनुष्य पीट दिये जाते थे। मलाबार की फौजी पुलिस को आरम्भ के ब्रह्मपुर से एलोर तक कोकनदा और राजमदेग्री होकर सिर्फ इसलिए घुमाया गया कि रास्ते चलते खरूर-धारियों की मरम्मत करने का आनन्द लूटा जाय। ये कर्तुँ आखिर एलोर के विरोध से बन्द हुईं। वहाँ पुलिस ने गोली चलाई, दो-तीन आदमी मरे और पाँच-छः घायल हुए।

दमन के भिन्न-भिन्न रूपों का दिग्दर्शन कर सकना बहुत-बहुत कठिन है। वह जन्मा तो था कानून-भंग की नाक में नाथ डालने, किन्तु वह हो गया 'अनेक रूप-रूपय'। इसलिए हमें १९३० और १९३१ के इतिहास की थोड़ी-सी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करके ही संतोष करना पड़ेगा। बीच-बीच में समझौते के जो प्रयत्न हुए उनका जिक्र तो पीछे ही किया जायगा। बम्बई शीम ही लहार् का मुख्य केन्द्र बन गया। विदेशी-वस्त्र-वर्धिका पर सारा जोर आ पड़ा। इसमें मिल-मालिकों का स्थाय साथ था। सौभाग्यसे पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल के बाहर थे। वह बम्बई गये तथा अहमदाबाद के मिलशालों से उन्होंने समझौते की बातचीत की। अहमदाबाद वालों से निराशा आठान था, पर बम्बई के मिलों में यूरोपियनों का दिक्का भी था। उनसे कावेर की मुरार लगाने की शर्त (परिशिष्ट ५ देखिये) कबूल करवा बहा मुश्किल काम था। परन्तु मोतीलालजी ने अरम्भ

कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से कांग्रेस की सेवा में लग जाने का अनुरोध करें और आवश्यकता हो तो उनकी पढाई बिलकुल छुड़वा दें। समिति को विश्वास है कि समस्त विद्यार्थी इस अनुरोध का अनुकूल उत्तर उत्तरता से देंगे।

“७. चूंकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के अनुसार अनेक प्रान्तीय और जिला-समितियों तथा सम्बद्ध सस्थाओं को गैर-कानूनी करार दे दिया है और सम्भव है शेष समितियों और सस्थाओं के लिए भी भविष्य में ऐसी ही कार्रवाई करे, अतः यह समिति इन समस्त समितियों और सस्थाओं को आदेश देती है कि सरकार की घोषणा की पवाई न करके वे पहले की भांति काम करती रहें और कांग्रेस-कार्यक्रम को जारी रखें।

“८. इस समिति ने अपनी ७ जून की बैठक में पाचवा प्रस्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य के सम्बन्ध में पास किया था। युक्त-प्रान्त की सरकार ने एक घोषणा-द्वारा इस प्रस्ताव की प्रतियां जन्त कर ली हैं। इस घोषणा पर समिति को आश्चर्य है। उसकी राय में जनता पर दिल दहलाने वाले अत्याचार करने के लिए फौज और पुलिस को अस्त्र बनाना ऐसी कार्रवाई है कि समिति न्याय-पूर्वक इससे भी कड़ा निश्चय कर सकती थी; परन्तु फिलहाल समिति ने जिस रूप में निश्चय किया उसीको काफी समझती है क्योंकि उसमें उस विषय पर वर्तमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख-मात्र किया गया है। यह समिति समस्त कांग्रेस-संस्थाओं से अनुरोध करती है कि सरकारी घोषणा की पवाई न करके उक्त निश्चय को अधिक-से-अधिक प्रकाशन दिया जाय।

“९. चूंकि समिति की पिछली बैठक के बाद भी सरकार ने अपने चरम दमन चक्र को अत्यन्त बन्द करके जारी रक्खा है और सत्याग्रह-आन्दोलन का गला घोटने की गरज से अपने नौकरों और गुणों को अधिकाधिक निर्दयता और पशुता के क्रूर करने दिये हैं, अतः समिति सरकार के जुल्मों का इस बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर जनता को बधाई देती है और सरकार को फिर सचेत करती है कि चाहे सरकार की ओर से कितनी भी यातनायें बरसाई जायें, भारत-वासियों ने स्वतन्त्रता की लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखने का निश्चय कर लिया है।

“१०. समिति भारतीय महिलाओं को इस बात पर बधाई देती है और उनकी प्रशंसा करती है कि वे राष्ट्रीय आन्दोलन में दिन-दूने रात चौगुने उत्साह से भाग ले रही हैं और प्रहारों, दुर्व्यवहारों और सजाओं को कीर्तापूर्वक सहन कर रही हैं।”

विलायती कपड़े का बहिष्कार दिन-दिन जोरदार और कारगर होता जा रहा था। मद्र से किसी भांति कपड़े की मांग पूरी होती दीखती न थी। इसके बाद मिल के सूत का शाय से मुना हुआ कपड़ा ही देश-भक्त नागरिकों के लिए माध्य हो सकता था। इसी कारण राष्ट्रीय कार्य में सहायक और बाधक होनेवाले कारखानों में भेद करना पड़ा। तदनुसार उन्हें बन्द देने की प्रथा द्वारा कांग्रेस के नियन्त्रण में लाया गया। मिलों से जो शॉर्ट करवाई गईं उनमें से मुख्य ये थी कि वे अपनी मशीनरी ब्रिटिश कम्पनियों से नहीं खरीदेंगी, अपने आदमियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने से न रोकेंगी और कांग्रेस की दी हुई रिझायत का बेज परदा उठाकर अपने भाल की कीमत न बढ़ायेंगी और पाहकों को हानि न पहुंचायेंगी। मिलों ने पड़ाव इस प्रतिष्ठा पर हस्ताक्षर कर दिये। इनी गिनी मिलों ने प्रतिशपथ पर हस्ताक्षर नहीं किये। उन्हें भी थोड़े दिन बाद पता लग गया कि उस समय कायम कितनी बलवती संस्था थी।

मेसर्स फोर्ड म. इय का बयान

यहां पहुंचकर महासमिती गैरकानूनी उद्घाटी गई। परिश्रम मोतीलाल नेहरू को १० जून

मुख्य वक्ता थे। उन्हें गिरफ्तार करके पीटा गया, और उसी हालत में पास खड़े पुलिस के किसी सिपाही ने उन पर गोली चला दी। बेचारों को अपनी बांह कटवानी पड़ी। ऐसे अनेकों और उदाहरण दिये जा सकते हैं।

“गुजरात के गाँवों में पुलिस की पशुता का तो मुझे खूब परिचय मिला। मैंने वहाँ पाँच दिन दौरा किया। प्रथम तो कानूनी दमन ही कम सख्त न था। थारडोली और खेडा जिले के किसानों का बन्वा-बन्वा लगान देने से इन्कार कर रहा था। कारण अनेक थे। गांधी जी पर भ्रद्धा थी, स्वराज्य की आकांक्षा थी और पैदावार का भाव गिर जाने से भयङ्कर आर्थिक सङ्कट छाया हुआ था। सरकार ने इसका जवाब दिया उनके खेत, पशु और मीचने के सामान आदि जब्त और नीलाम करके। और नीलाम भी इस तरह किया कि लगान के ५० रुपये के बदले में किसान का सर्वस्व बिक जाता था। इन सबकी दक्षिणा-स्वरूप मारपीट द्वारा भय-प्रदर्शन भी किया जाता था। पुलिस का यह दस्तूर था कि बन्दूक और लाठियों से सुसज्जित होकर विद्रोही गाँव को घेर लेना और ओर प्राणीय सामाने आ गया बिना देखे-भाले उसे लाठी या बन्दूकों के ठोसे से मारना। इन आक्रमणों के शिकार हुए ५५ व्यक्तियों ने मेरे रूपरू बयान दिये हैं। दो के सिवाय सबके घाव और चोटें मैंने देखी हैं। एक लड़की ने तो शर्म के मारे अपनी चोटें नहीं दिखाईं। कर्द्यों के घाव गम्भीर भी थे। कई आदमियों के मेरे पास बयान हैं। वे लगान देने वालों में से थे। लेकिन उनसे तो पक्षियों के बदले में मारपीट कर लगान वसूल किया गया था। ‘... एक गाँव में काँच के विशापन और राष्ट्रीय भण्डे फाड़-फाड़ कर वृद्धों और बरों पर से उतार दिये गये। साथ ही ८ किसानों को भी पीट दिया गया। इसलिए कि उनके घर इन राष्ट्र-चिह्नों के नजदीक थे। दो आदमियों को गांधी-टोपी पहने रहने पर पीट दिया गया। एक जगह एक आदमी पर लाठी-चर्चा होती रही। उसके १२ लाठिया लगीं। जब उससे सात बार पुलिस की सलामी कराली गईं तब पियट छोड़ा। बहुधा पुलिस यह विनोद किया करती, ‘स्वराज्य चादिद ! तो यह लो !’ और कह कर लाठी बरसा देती।

“आप कह सकते हैं, यह तो एक पक्ष की राहादत है। किन्तु मैंने अपनी ओर से भरसक सावधानी से काम लिया है। अपने सारे प्रमाण मैंने उच्च-कर्मचारियों को दिलाये। एक ‘नमूने के’ गाँव में कमिश्नर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोटें देखीं और उनसे पूछ-वाछ की। गम्भीर विचार के बाद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है; परन्तु मौके पर तो मैं से केवल १ ही घटना पर सन्देह प्रकट किया। यह अर्थवाद उस लज्जा-शील लड़की का था। मैं दो स्थानीय हिन्दुस्तानी अफसरों से भी मिला और उनके रत्न-ढङ्ग देखे। इनमें से एक ने मेरे सामने ही जान-बूझ कर पशुता-पूर्ण व्यवहार किया। उसने शोरसद में जेतजजीव कैदियों को रखने के लिए जो पिंजड़ा बनाया था वह भी मैंने देखा। अजायबघर के जानवरों के लिए जैसे खुले बान्ने बनाये जाते हैं वह भी वैसा ही था। इसके लोहे के सीखवे लगे हुए थे। इसकी लम्बाई-चौड़ाई ३० वर्ग फीट के करीब थी। इसमें १८ राजनीतिक कैदी दिन-रात बन्द रहते थे। एक कैदी को तो इसमें डेढ़ महीना भीत चुका था। उसे न पुस्तकें ही पढ़ी थीं, न कोई काम ही दिया गया था। यह खनाखच मरा रहता था। कैदियों को दिन में एक बार बाहर निकाला जाता था, और वह भी केवल पीन पयटे के लिए शीच खानादि के निमित्त। उनमें से एक ने मुझसे कहा, ‘हमें जेल में पीटा गया था।’ क्या मैं उनकी बात न मानता ? इस जेल में और मार पीट में क्या अन्तर था ? दोनों ही मध्य-कालीन बर्बरता के परिचायक थे।”

१९१० के दिन गिरफ्तार करके ६ महीने की सजा दे दी गई। दमन-पुराण में इतनी हदें थीं कि यहिष्कार-आन्दोलन की तीव्रता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोरता भी बढ़ती गई। बर्मा स्वयंसेवक-संगठन में कोई कसर बाकी न थी। स्त्रियाँ आती ही गईं और जब ये कोमलकान्तिन सड़कें साड़ी पहन-पहन कर अत्यन्त विनम्रता के साथ घूमना देती थीं, तो लोगों के हृदय कल-कील-पिघल जाते थे। कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगवाता तो उसकी पत्नी घबरा देती बैठती। अन्यत्र की तरह बम्बई में भी सार्वजनिक सभामें वर्जित करार दे दी गई। पर इन कानूनों को मानता कौन था? ब्रेल्सफोर्ड साहब ने आन्दोलन के समय इस देश की यात्रा की थी और उन्होंने साथ जो पाशविक व्यवहार किया जाता था, उसे अपनी आँखों देखा था। १२ जनवरी १९११ 'मैचेस्टर गार्जियन' में उन्होंने ने अपना अनुभव इन शब्दों में प्रकट किया:—

“पुलिस के खिलाफ जिम्मेदार भारतीय नेताओं को जगह-जगह इतनी पिछाईयों की जांच करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इस तरह की बहुत-सी बातें मुझे प्रत्यक्षदर्शी अंग्रेजों और बर्मा की मरहमगद्दी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाक्टरों ने सुनाई। मैंने भी दो सभायें देखीं। उन्हें खीले गया था। भाषण राजद्रोहात्मक थे, पर किये गये थे शान्तिपूर्वक। हिंसा की बरकर निन्दा की जाती थी। लोग जमीन पर बैठे तकलियाँ चलाते हुए भाषण सुन रहे थे। स्त्रियों की कल्पना खूब थी। समीका व्यवहार विनम्र और शान्त था। अगर इन सभाओं को रोका न जाता तो वे उपद्रव न होता और जनता सुनते-सुनते थोड़े दिन में ऊबकर अपने-आप पर बैठ जाती। परन्तु यह कि खासकर बम्बई में मारपीट कर तिवर-वितर करने की नीति से सारे शहर का रोरा उभर कर लाठी-प्रहार सहन करना सम्मान का प्रश्न बन गया और शदाहत के जोरा में सैकड़ों सफेतान खाने को निकल आये। उन्होंने नियमबद्धता और शान्त साहस का परिचय दिया। यूरोपियन ने भी मुझे बार-बार बयान किया कि हट्टे-कट्टे पुलिस के सिपाही दुबले-पतले शान्त युवकों का विजुरी तरह मारते थे उसे देखकर बड़ी ग्लानि होती थी।

“इस बात में तो मुझे कोई शका रही नहीं कि अंग्रेज अफसरों की अचीनता में ही राजद्रोह की सजा अकसर शारीरिक रूप में देना चाहती थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुर्ब भरोवों पर खड़े थे। शान्त जुलूस पर होने वाले लाठी-प्रहार देखकर वे जोर से पुकार उठे—‘दिल्लो!’ दो घण्टे बाद एक अंग्रेज अफसर पुलिस लेकर पहुंच गया, और पदार्थ के फरार में पुसकर पढ़ते-लिखते हुए विद्यार्थियों की आंख मीचकर पिटारें हुईं। यहाँ तक कि दोस्तों में रंग गई। विश्वविद्यालय की ओर से जान्ने में शिकायत की गई, पर कौन सुनता था! इस का हाल मुझे ऐसे अप्पारकों ने सुनाया जिनकी यूरोप के विज्ञान-जगत में गौरव स्थापित है। फ्रांस के एक भारतीय न्यायाधीश का लड़का भी इस पिटारें का शिकार हुआ था। इनके लक्ष्य पीछे ने इस घटना का उल्लेख इतने आघेरा में किया कि सरकार के उन्वयिकों ने उनको आँखें खुलतीं। लाहौर में भी ऐसी ही घटना हुई। लॉ भी सरित एक कालेज पर घाका किया और पढ़ते हुए छात्रों ने पीटा। बहाना यदां मो यह लिया गया कि कुछ छात्रों ने वा दिस्सामी यह थी कि ये छात्र भी उम कालेज के नहीं, निरीय भीड़ को तिवर-वितर करते हुए पांच आदमी मर गये। मेरठ में एक बड़े बकील से मिला। वहाँ भी

पुलिसवाले मार दिये गये। १९१६ में पंजाब में जैसा फौजी कानून जारी किया गया था सोलापुर में भी वैसा ही हुआ। इसके साथ-साथ जो भय-सामग्री आती है वह भी आई। एक बड़े सेठ और तीन अन्य व्यक्तियों को फासी पर लटक दिया। कई आदमियों को फौजी कानून के अनुसार लम्बी-लम्बी सजायें दे दी गईं। जुलाई-अगस्त की सम्झौते की बातचीत में, जोकि अन्त में असफल रही, इन्हीं कैदियों के छुटकारे का प्रश्न भंगड़े का विषय बन गया था। पर इसका जिन्क तो आगे किया जायगा।

पेशावर-प्रकरण

२३ अप्रैल १९३० को पेशावर में जो घटनायें हुईं उनका भी सार यहां दे देना ठीक होगा। भारत के अन्य भागों की भांति सीमा प्रान्त में भी कानून-भंग का आन्दोलन चल रहा था। पेशावर-शहर में कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अप्रैल से शराब की दुकानों पर पहरा लगेगा। परन्तु शकुन अच्छे नहीं हुए। २२ अप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशावर पहुंचनेवाला था। इसका उद्देश्य सीमा-प्रान्त के विशेष कानूनों के अमल की जांच करना था। मण्डल अटक में ही रोक दिया गया और प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया। इस समाचार पर पेशावर में जलूस निकला और शाही बाग में विराट् सभा हुई। दूसरे दिन तड़के ही ६ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ६ बजे दो नेता और पकड़ लिये गये। परन्तु जिस मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह बिगड़ गई। नेताओं ने थाने पर आ जाने का आश्वासन दिया और वे छोड़ दिये गये। वदनुमार जनता उक्त नेताओं का जलूस बनाकर काबुली दरवाजे के थाने पर ले गई। पर थाना बन्द था। इतने में एक पुलिस-अफसर थोड़े पर आ पहुंचा। उसके आते ही जनता नारे लगाने और राष्ट्रीय गीत गाने लगी। अफसर चला गया और अकस्मात् दो-तीन सशस्त्र मोटरें आ पहुंची और भीड़ के भीतर घुस गई। इसी समय एक अप्रोज मोटर-साइकिल से तेजी से आ रहा था, उसकी मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर हो गई। मोटर में से किसी ने गोली चलाई और सयोग से मोटर में आग भी लग गई। डिप्टी कमिश्नर अपनी सशस्त्र मोटर में से उतप और थाने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया, किन्तु जल्दी ही होश में आ गया। उसके बाद सशस्त्र मोटरों में से गोलियां चलने लगीं। लोगों ने मृत शरीरों को वहां से हटाने का प्रयत्न किया। फौजी दस्ते और मोटरें भी हटा ली गईं। दूसरी बार फिर गोलियां चलाई गईं और वे करीब ३ घण्टे तक चलती रहीं। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में मृतकों की संख्या ३० और घायलों की संख्या ३३ दी गई है, किन्तु लोग इन संख्याओं को करीब-करीब ७ से १० गुना तक बतलाते थे। सायंकाल फौज कांग्रेस के बिल्डों और राष्ट्रीय भग्दों को उठा ले गई। २५ तारीख को फौज और सामान्यतः वहां रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गईं। २८ तारीख को पुलिस ने फिर आकर कांग्रेस और खिलाफत के स्वयमेवकों से, जो शहर के दरवाजों पर पहरा दे रहे थे, सब शहर का चार्ज ले लिया। ४ मई को शहर पर फौज ने कब्जा कर लिया। ६ मई को सरकार ने घटनाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य निकाला था उसे यहां दे देना उचित होगा। जिन् दो नेताओं ने लोगों के प्रतिनिधि बनकर थाने में हाजिरी देना मंजूर किया था, वक्तव्य में कहा गया है कि उन्हें भीड़ ने पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। कहा जाता है कि जिस पुलिस-अफसर ने नारे और राष्ट्रीय-गायन सुने, उसने पुलिस-थाने से लौटकर डिप्टी-कमिश्नर को सूचित किया कि 'पुलिस-स्टेशन के पास भारी भीड़ खड़ी है; पुलिस उसे रोकने में असमर्थ है। मैं एक रोके से फायल भी हुआ हूँ।' जब डिप्टी-कमिश्नर वहां होकर निकला तो उसकी मोटर पर भी रोके और फायर पड़े गये। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक दूसरी सशस्त्र मोटर के पहियों के नीचे मोटर-साइकिलवाला

होते-होते वहाँ पहुँचे और भीड़ को विकटोरिया-टर्मिनस की इमारत की गैलरी की एक छत से देखने लगे। कुछ घुने हुए आदमी मुँह गिरफ्तार कर लिये गये और उनके साथ कोई सौ महिलायें भी; और सब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी-प्रहार का हुकम हुआ। कार्य-समिति के जो मेम्बर उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे पं० मदनमोहन मालवीय, श्री वल्लभभाई पटेल, जयप्रमदास दौलतराम और श्रीमती कमला नेहरू थे। श्रीमती मणिवहन (वल्लभभाई की सुपुत्री) जुलूस में थीं, इसलिए वह भी गिरफ्तार करली गई। कोई सौ अन्य महिलायें भी गिरफ्तार की गई थीं। उनमें डिक्टेटर श्रीमती हंसा मेहता भी थीं।

पुलिस ने गैर-कानूनी जमायत बनाने वालों को सजा देने का एक नया ढंग शुरू किया था। वह घटना देने वालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके लारी में रल कर शहर से बहुत दूर ले जाती और उन्हें वहाँ छोड़ आती। वे लोग बिना पैसे तकलीफ पाते हुए, जैसे होता बैठे, अपने स्थानों पर आते। बम्बई में व्यापारियों की दुकानों में विदेशी कपड़े का घटना और मुहरबन्दी दोनों कार्य इतनी तीव्रता से हुए कि एक बार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जाने वाली लारी को रोकने के लिए उसके सामने बाबू गणु नामक लड़का खड़ा हो गया। घटना कालकादेवी-रोड की है। हुआ यह कि मोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई और लड़का मर गया। इसके बाद बम्बई में हर मास इस वीर बालक की यादगार में बाबू गणु दिवस मनाया जाता था। कामेस वहाँ जिन पवित्र-दिवसों को मानती थी उनमें से एक यह दिवस भी था।

विभिन्न प्रान्तों में दमन

जब वल्लभभाई पटेल अपनी ४ मास की पहली सजा काट कर बाहर आये तो पण्डित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें कामेस का स्थानापन्न अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने बम्बई और गुजरात में कार्य को संगठित करना शुरू किया और आन्दोलन को और भी तीव्र कर दिया। उनके व्याख्यानों में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्वनि और एक नया उल्लाह मिला। १३ जुलाई को वह उस आर्बिनेन्स पर भाषण दे रहे थे जिसके अनुसार देश के सारे कामेस-संगठन गैर-कानूनी घोषित कर दिये गये थे और कामेस का दफ्तर जन्त कर लिया गया था। वल्लभभाई ने अपने भाषण में कहा था कि आज से भारतवर्ष का हरेक घर कामेस का दफ्तर और हरेक व्यक्ति कामेस-संस्था होना चाहिए। लॉर्ड अर्बिन ने असेम्बली में जो प्रतिगामी भाषण दिया था, और जिसमें सविनय-अवज्ञा पर उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था; उसका वल्लभभाई ने मुंह-तोड़ जवाब दिया था।

गुजरात में, बारडोली और बोरसद ताल्लुकों में जिस तरह करबन्दी-आन्दोलन सफलता-पूर्वक चलाया गया था, वह सारे आन्दोलन की मानो नाक थी। उसे दवाने के लिए अधिकारियों ने ऐसे-ऐसे जुहम किये थे कि उनसे तंग आकर ६० हजार आदमी अंग्रेजी सीमा से निकल-निकल कर अपने पक्षों के बकौदा राज्यस्य गाँवों में चले गये थे।

खुद भी वल्लभभाई पटेल की माँ, जिनकी उम्र ६० वर्ष से ऊपर है, जब अपना स्वान्त पका रही थीं, उनके पकाने के बर्तन को पुलिस ने नीचे गिरा दिया था। चावल में परपर, बाखू और मिट्टी का पैल मिला दिये गये थे। बेचारे देहातियों को, जो और शारीरिक कष्ट दिये गये थे इन सब से अलग थे। किन्तु फिर भी उनका संगठन आश्चर्य-जनक था। पर उससे भी आश्चर्य-जनक थी अर्दिया में उनकी हड़ता—आचार में भी और भावना में भी।

इस सभी कहानी को सविष्ट करने के लिए केवल यह कह देना जल्दी है कि राष्ट्रीय-आन्दोलन में भारतवर्ष के हरेक प्रान्त और भाग ने अपने-अपने हिस्से का कष्ट सहन किया।

डाकिया दिखाई दिया। सशस्त्र मोटर उससे रुकी खड़ी थी। कहा गया था कि डाकिये को भीड़ से किसी ने सिर में धूँसा मारकर मोटर-साइकिल से नीचे गिरा दिया था। उसके बाद उसके ऊपर से सशस्त्र मोटर निकल गई। डिप्टी-कमिश्नर जब भीड़ से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो उस पर रोड़े और पत्थर फेंके गये। सशस्त्र मोटर के फौजी अफसर पर हमला किया गया था और उसके तमंचे को छीन लेने की कोशिश की गई थी। डिप्टी-कमिश्नर को धक्का मारा गया था, जिसे यह बेहोश हो गया। उसे पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ा। सशस्त्र मोटर में भी भीड़ ने आग लगा दी थी। उसके बाद डिप्टी-कमिश्नर ने गोली चला कर भीड़ को तितर-बितर करने का हुक्म दिया था।

३१ मई १९३० को सविनय-अवज्ञा-आंदोलन के जमाने में गंगासिंह केम्बोज नाम के एक सज्जन, जो कि एक फौजी डेरी में सरकारी नौकर हैं, अपने बाल-बच्चों के साथ पेशावर में एक ट्रेन में काबुली-दर्वाजे से गुजर रहे थे। उनपर के० ओ० वार्ड० एल० आर्द० के अंग्रेजी लैन्ड जमदार ने गोली चलाई, जिससे बीवी हरपालकौर नाम की एक ६½ साल की उनकी लड़की और एक बचीतरसिंह नाम का ११ मास का उनका लड़का ये दो बच्चे मारे गये और सगरे से देते गिर गये, जैसे चिड़िया के बच्चे उसके घोंसले से गिर जाते हैं। उन बच्चों की मां भीमवी तेजकौर बाराकोट छाती में सख्त घायल हुई। उनका स्तन तो बिलकुल उड़ ही गया था। उन बच्चों के मृत शरीर का जुलूस डिप्टी-कमिश्नर की आशा से निकाला गया और उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। डिप्टी-कमिश्नर की आशा लेने पर भी फौज ने अर्पियाँ उठानेवालों और जुलूसवालों पर तिर-बिरा होने की कोई सूचना दिये बिना ही केवल दो गज के फासले से गोलियाँ चलाईं। अर्पियों के पत्ने उठानेवाले मारे जाते तो अर्पियाँ जमीन पर गिर जाती और उन्हें फिर नये लोग घाबर उठा लें। ऐसा बार-बार हुआ। इस प्रकार असेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के अनुसार भी १७ बार गोली चलाने पर जुलूस के ६ आदमी मारे गये और १८ घायल हुए थे।

जुलाई १९३० में सरकार ने एक और घतव्य निकाला था, जिसमें दिखाया गया था कि ११ नं० प्रेस-आर्बिनेन्स के अनुसार २ लाख ४० हजार रुपये की जमानतें १३१ अखबारों से उस समय तक मांगी जा चुकी थी। इनमें से ६ पत्रों ने जमानतें नहीं दीं, अतः उनका प्रकाशन बंद हो गया।

बम्बई में लाठी-चार्ज

१ अगस्त १९३० को बम्बई में लोकमान्य तिलक की बरमी मठारें गई थी और अंग्रेजों ईसा मेशवा के नेतृत्व में, जो उस समय मगर-कार्यक्रम की डिक्टेटरी थी, एक जुलूस निकाला गया था। कांग्रेस-कार्य समिति की बैठक नगर में लगातार तीन दिन से हो रही थी। वह उस समय तक और-कानूनी बंधन नहीं हुई थी, क्योंकि सरकार उस हुक्म को एक मान्य से दूनरे में धीरे-धीरे जारी कर रही थी। कांग्रेस-समिति के कुछ सदस्य कांग्रेस-कार्य के जुलूस में शामिल हो गये थे और जिस इलाके के आगे बढ़े बने आ रहे थे उस समय उन्हें जुलूस निकालने की निर्धारण का दण्ड १४४ का बंधन मिला। उस समय तक जुलूस में हजारों आदमी हो गये थे। जिस समय वह हुक्म मिला उस समय तक वह विचारण अन-सुदराय रोग का और मारी गत वाली बरली रहने के कारण भी एक ही दण्ड नहीं बरतता था। अंग्रेज सरकार बरली के लोगों में ही बैठे थे। वह आशा की जा रही थी कि जुलूस की धरती दण्ड के कारण आगे बढ़ने दिना कारण, ऐसा कि एक बार पहले हुआ था। फिर वह न हुआ। अंग्रेज सरकार ने इन लोगों की मुक्त दूक-सिद्धी ही-ही-भर ही दी। फिर १९३३ में दण्ड दिना कि उन एक में न आना-उ वर एक जुलूस भी नहीं बरतता था। वह हुक्म

१८ घायल होगये। जून १६३० में कएटार्ई में नमक बनाया जा रहा था। उसे देखने के लिए दकड़ी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २५ मनुष्य घायल होगये। खेरसाई में एक मनुष्य की गिरफ्तारी के समय दकड़ी हुई भीड़ जब चेतावनी देने पर न हटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ आदमी मारे गये। २२ जून को कलकत्ते में पुलिस ने देशबन्धुदास का मृत्यु-दिवस मनाने का निरोध कर दिया था, फिर भी लोगों ने जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस पर निर्दयता-पूर्वक लाठी-प्रहार किया। उस समय घायलों को पोरों के खुरों-द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए ब्रियां परों में से निकल-निकल कर सामने आ खड़ी हुई थीं।

पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजों में बैठे हुए विद्यार्थियों को पीटा। बरीसाल में एक दिन के लाठी-प्रहार में ५०० मनुष्य घायल हुए थे। तामसुक से, कहा जाता है कि, पुलिस ने सत्याग्रहियों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों की जायदाद में आग लगा दी थी। इसी प्रकार कई जगहों से भड़े हमलों की खबरें आई थीं। गोपीनाथपुर में काम्रेस-स्वयमेवक निर्दयता पूर्वक पीटे गये थे। उनमें से एक मुसलमान लड़का था। इस घटना से गांव वाले अत्यन्त क्रुद्ध हुए। उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के बाद स्कूल में आग लगा दी। दो काम्रेस स्वयमेवकों ने स्कूल के किवाब तोड़ डाले और अपने जीवन को खतरे में डालकर आग की लपटों से उन्हें बचाया। ३१ दिसम्बर को लाहौर में स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ था। ३१ दिसम्बर १६३० को उसके धार्मिकोत्सव के जुलूस में जाते हुए सुभाष बाबू को बुरी तरह पीटा गया। वह उससे कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के अपराध में एक वर्ष की सजा मुगतरक जेल से छूटे थे। लाहौर में अधिकारी इतने उन्चेजित होगये थे कि उन्होंने असहयोग-वृद्ध के चित्र को भी बन्द कर लिया था। लुधियाना में एक परदे वाली मुसलमान महिला पिरेटिंग करती हुई गिरफ्तार हुई थी। जो विदेशी वस्त्र बेचते थे उनके घरों पर खपा (पंजाबी रोदन) किया जाता था। रावलपिंडी में खराब खाने से इन्कार करने के लिए कैदियों पर अभियोग चलाये गये थे। माण्ड-गुमरी में एक भूख हड़ताल ला० लाखीराम कई दिनों के उपवास के बाद मर गये। टमटम में एक महिला के साथ बका मुण्डलूक किया गया था। सीनेट-हाल में पंजाब-गवर्नर पर जो गोली चली उससे पुलिस को चान्दे जिसकी तलाशी लेने का अवसर मिल गया। बिहार में आन्दोलन ने शान्ति-पूर्वक प्रगति की थी। समस्तीपुर सब डिवीजन में शाहपुर पटोरिया नाम का एक छोटा-सा बाजार है। जवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन बाद एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की अधीनता में पुलिस-वालों ने उसे घेर लिया। वे ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लेगये और गांव से बाहर गये हुए कुछ आदमियों की सम्पत्ति १२ बैलागाड़ियों में भरकर साथ लेते गये। दूसरे जिलों से भी ऐसी ही खबरें मिली थी। मुझे और भागलपुर में आन्दोलन जोरों पर था। शराब की दुकानों पर घरना देने से सरकार को ४० लाख का नुकसान हुआ था। मोतीशरी में पूलवारिया के धान के खेतों में होकर पौड़ी पुलिस और गोरे के फल को कुचसते हुए ले जाये गये थे और अनेक देहातियों को गिरफ्तार करके लोगों में भय का संचार किया गया था। चम्पारन, सारन, मुजफ्फरपुर, मुझे, पटना और शाहाबाद जिलों में चौकीदारी-कर बन्द कराया गया था। मध्यप्रान्त में राण के नीलाम की बोली ६०% कम बोली गई थी। अमरावती में गढ़वाल-दिवस मनाने के समय लाठी-प्रहार हुआ। आन्ध्र में पुलिस की सबसे बुरी क्रूरता यह थी कि उसने ८० व्यक्तियों की एक मित्र-मण्डली को, जो २१ दिसम्बर १६३० को वैश्यापुर में मनामञ्ज के लिए इकट्ठी हुई थी, लूट पीटा। उनमें से छिपने ही लोगों को खस खस चोटें आईं। दो-तीन बटने भी घायल हुई थीं। उसके परिणाम स्वरूप पुलिस पर दीवानी

हिन्द-हिन्द स्वामी तो हिन्द-हिन्द राष्ट्र में आन्दोलन और स्वयंसेवक या स्वयंसेविका या हिन्द-हिन्द परिषदों, सम्बन्धित व्यक्तियों का उत्साह, परे ही नहीं था। एक वर्ष में इसके भारत पर बहुत ही बुरी बीबी। वहाँ लाली प्रहार, भारी-भारी जुनों और लाली-लाली सख्तों के शुद्धताय आन्दोलन के बंदने या नहीं, बल्कि परे ही में हो गई थी। बंगाल-प्रान्त ने देश में सबसे अधिक बंदने दिए। लंदेनी बंदने का बहिष्कार बंगाल और बिहार उर्दू में होने के लिए हुआ। वहाँ नवम्बर १९२६ के मुकामने में नवम्बर १९२० में लंदेनी बंदने का बंदन (१९१९) मिर गया था। स्वयंसेवक के मुकाम में मुकाम की कामगारियों अनुक्रम थी, पर हम पाने नहीं लें। आग कर-बन्दी का आन्दोलन जो बंगाल अनुक्रम प्रान्त में ही शुरू किया गया था। बंगाल १९२० में जमींदारों और कार्यकारी दोनों को ही लगान और मासगुजरी एक सेने के लिए कहा गया था। पंजाब भी किसी में वीरों न रहा। अहिंसा-धर्म को हृदय से स्वीकार करने के लिए ही अहिंसा राजनैतिक जीत हुई उतनी ही नैतिक विजय भी हुई। बिहार में चौधरी-दौलत के काफी हिस्से में बन्द कर दिया गया था। उनके लिए उन प्रान्त ने पूरे-पूरे कर सहे। वहाँ के हिन्द को सजा देने के लिए वहाँ अतिरिक्त-पुलिस रण दी गई और छोटी-छोटी रकमों के लिए उनकी रकम बड़ी आयदाएँ जम्ब कर ली गई। मध्य प्रान्त में अंगल सत्याग्रह शुरू किया गया। उसमें स्वयंसेविका मिली। लोगों ने भारी भारी जमानों और पुलिस की ग्यादतियों के होने पर भी उन्हे जती रण। तीन लाख टाक और स्वयंसेवक के पैर काट डाले गये थे। सिर्सी साल्लुके के १३० पटलों में से ६१ ने सिदापुर साल्लुके के २५ ने और अंकोला साल्लुके के ६३ पटलों में से ४३ ने त्याग-पत्र दे दिये थे। ये सभी साल्लुके उत्तर कन्नाड में हैं।

अंकोला में करबन्दी-आन्दोलन का हेतु शुरू से ही राजनैतिक था, किन्तु सिर्सी और सिदापुर में वह आर्थिक कारणों से शुरू हुआ था। किसानों की तबाही भी कारण थी। केरल में, जो हि प्रान्तों में सबसे छोटा है, तमिल-श्रवणा-आन्दोलन का भयदा अन्त तक पहचान रहा। दूसरे हि पर आसाम प्रान्त ने, जिसमें कछार और सिलहट भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासभा की आचार्य शानदार जनाब दिया।

अन्य कुछ प्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुईं उनमें से कुछ की और भी ध्यान दें। इन बातों को सभी प्रान्तों में समान ही थी, जैसे, कॉंग्रेस-दफ्तरो का बन्द कर दिया जाना, कॉंग्रेस कागजों, किताबों, हिस्सों और भंडों का ले जाया जाना, लाठी-प्रहार और सार्वजनिक सभाओं के बलपूर्वक भंग कर देना, सभी जगहों पर दफा १४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों के नोटिस देना, घरों पर पुलिस का छापे मारना, तलाशियाँ लेना, प्रेसों को कब्जे में कर लेना और प्रेसों तथा पत्रों से जमानतें मांग लेना किन्तु जो चीज घटनाओं की देखनेवाले पर सबसे अधिक प्रभाव डालती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों के दिव को हित रलकर हो रहा था। बंगाल में भिदनापुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहाँ हमन जोरों का हुआ बंगाल और आन्ध्र दोनों में कॉंग्रेस-स्वयंसेवकों को और उनकी जो पीटे गये थे और असहाय पत्रों के थे, स्थान, खाना या पानी देने के कारण मकान-मालिकों को सजायें हुई थीं। बंगाल में, उदाहरण के लिए खेरसाई में, जय-सा मौका मिलते ही गोली चला देने की आशयें दे दी गई थीं। उस मा में एक घर के पास बहुत मीठ इकट्ठी होगई थी, क्योंकि वहाँ कुछ आयदाएँ कुर्क की जा रही थी उस समय मीठ पर गोली चलाने की आशा दे दी गई, जिसके परिणाम-स्वरूप एक आदमी मर कर कई घायल हुए। वेचना में लौटती हुई मीठ पर गोली चला दी गई, जिससे एक मर गये और

को उस विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो आपलैंड के 'ब्लैक एन्ड टान्स' दल से मिलता शूला है। इस दल के संगठन-कर्त्ता यह बात न जानते होंगे कि उनकी बर्दियों पर उनके नम्बर नहीं रहते हैं।

“कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोष नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह को, फिर चाहे वह शान्तिपूर्ण ही क्यों न हो, कानून के भीतर रहकर दबाती है। सरकार ने कांग्रेस को गैर-कानूनी घोषणा करार दे दिया था। उसने बारडोली जिले के सुन्दर आश्रम को जन्त कर लिया था। उसने मेरे मेज-बान सरत-कांग्रेस के अध्यक्ष को इगारे एक दूसरे से अलग होने के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। उसने बारडोली से चले गये किसानों की आयदाद जन्त कर ली थी। यदि उसे खरीदार मिल जायगे तो वह उनके खेतों को लगान वसूल करने के लिए बेच देगी और वे बेचारे इस हानि को चुप रहकर सद लेने को मजबूर होंगे।

“यह सब इस खेल के कायदों के भीतर है। भय-प्रदर्शन उनके बाहर है, किन्तु फिर भी वह जारी है। मेरी नोटबुक उन किसानों की शिकायतों में भरी पड़ी है जिनसे मैंने इस बारे में बातचीत की। मैं उनकी सखदीक तो शायद ही कर सकूँ, किन्तु मैंने उन्हें कसकर जाचा था, इसलिए मैं उनके कथन की सत्यता पर सन्देह नहीं करता। ये नोट नामों और तारीखों-सहित उच्च-अधिकारियों के पास भेजूंगा।”

“इस दुःखभरी कहानी को समाप्त करते हुए हमें देशावर और वहाँ के पठानों के विषय में कुछ अन्तिम शब्द और कहने हैं। ये मनुष्य, जिनका नाम निर्दयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों के समान सीधे-सादे और अहिंसा की प्रतिमूर्ति बन गये। खान अब्दुलगफ्फारखान ने अपने 'खुदाई खिदमतगारों' का ऐसे सुनिश्चित और सच्चे ढंग से संगठन किया था कि भारतवर्ष का जो हिस्सा इस दिशा में अत्यन्त भयजनक था वह अहिंसात्मक असहयोग-आन्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित केंद्र बन गया था। सीमाप्रान्त में की गई निर्दयताओं को बिलकुल अन्वकार में रक्खा गया था और भी विडलभार्ड पटेल की रिपोर्ट सरकार ने जन्त करली थी, किन्तु कुछ मिसालें तो इतनी मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं किया जा सकता। उनमें से कुछ का वर्णन ही हुआ है।

एक महत्वपूर्ण घटना जो सीमाप्रान्त में हुई थी, वह यहाँ उल्लेखनीय है। उस प्रान्त में जो दमन हुआ उस खिलासिले में गढ़वाली सिपाहियों को, एक सभा में बैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने की आज्ञा दी गई। उन्होंने शान्त और निःशस्त्र भीड़ पर गोली चलाने के लिए ले जानेवाली मोटर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया। इसी कारण इन सिपाहियों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया और इन्हें १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-सम्बी सजायें दी गईं। मार्च १९३१ की कांग्रेस और सरकार के बीच की अन्तिम बातचीत में इन सिपाहियों के छुटकारे का प्रश्न मुख्य विषयादायक विषय था।

यहाँ हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सिपाही गांधी-अहिंस-सम्पन्नता में नहीं छोड़े गये थे, किन्तु कुछ साल बाद इनकी सजायें घटा दी गईं। कुछ लोग कुछ ज़रतों में छूट गये और कुछ अभी तक जेल में हैं।

इस रोमाञ्चकारी दुःख-कथा को हम २१ जनवरी १९३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय थोरसद में दिखाई हुई महिलाओं की वीरता के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का निश्चय कर चुकी थी। विधियों में शूलसूत्रवालों को पानी पिलाने के लिए मित्र-मित्र स्थानों पर पानी के बड़े-बड़े बर्तन रख छोड़े थे। पुलिस ने पहले इन बर्तनों को ही तोड़ा। फिर सिपाहियों को

भ्रयोग चलाया गया, जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। कैरल में ताड़ी की विक्री ७०% बढ़ी थी। तामिलनाडु में ताड़ी की विक्री बन्द होजाने से कितनी ही जगहों पर गोलियां चलती र खाठी-प्रहार हुए। दिल्ली में एक रायसाहब शराब के व्यापारी थे। उन्होंने ७० महिलाओं और १० पुरुष-स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होने का सौमार्थ प्राप्त किया था। अक्टूबर में दिन में लगभग १५० गिरफ्तारियां हुईं। जेल में 'ए' क्लास के कैदियों तक को पीटा गया।

किसानों की हिजरत

गुजरात में किसानों की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि० ब्रेलघोरे ने प्रकार किया है:—

“... और तब उनकी वह हिजरत आरम्भ हुई जो इतिहास की विचित्रतम हिजरतों में है। देहातियों ने आश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अपना साध सामान अपनी-अपनी जगहों में जमाया और फिर वे उन्हें बकौदा की सीमा में हांक ले गये। दृढ़ जाति-संगठन के कारण एकता हिन्दुत्वानियों में ही हो सकती है। उनमें से कुछ ने अपनी कीमती पत्तलों की ले असम्भव देख जला दिया। मैंने उनके एक पड़ाव को देखा है। उन्होंने पत्तलों की दीवारों पर ताड़ के पत्ते बिछाकर छतें बना लीं और काम चलाऊ घर बना लिये हैं। वर्षा समत है। इसलिए अब उन्हें मर्द मास तक अधिक फल न उठाना पड़ेगा। किन्तु वे अपने पशुओं सहित एक जगह इकट्ठे पड़े हुए हैं और उनका सामान, जिसमें चावल रखने के बड़े-बड़े मिट्टी के बर्तन, बिछौने और दूध बिलौने, सन्दूकें, पीतल के चमकते हुए बर्तन थे, हुआ था। उनका हल भी एक ओर रक्खा हुआ था, दूसरी ओर उनके देवताओं का चित्र था, सर्वत्र इधर-उधर इस पड़ाव के मानों अभ्युद-देवता महात्मा गांधी के भी चित्र थे। मैंने उनमें से बड़े दल से पूछा कि आप लोगों ने अपने-अपने घर क्यों छोड़ दिये हैं? जिनमें से बहुत सीधे-सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में हैं।' पुरुषों को अपने आर्थिक कष्ट का शून्य उन्होंने कहा, 'खेती में इतना पैदा नहीं होता और लगान बेज है।' एक-दो ने कहा, 'स्वयं लिए।'।

“मैंने सूत्र की कांग्रेस के समापन के साथ उन परित्यक्त गाँवों में भ्रमण करते हुए दो दिन किये, जो मुझे सदा याद रहेंगे। घरों की कतार-की-कतार खाली पड़ी थीं। उनपर कपड़ा गिने से लगे थे। खिड़कियां खुली पड़ी थीं, जिनमें से देखा जा सकता था कि वे घर बिलकुल खाली लीयां प्रकाश की नीरव भीलें थीं, कहीं भी कोई हलचल दिखाई नहीं दी।

“इनमें से कुछ खेतों में काम करने के लिए बाहर भी आगये थे, पर उनके वर्तमान सामान बकौदा में ही रहे। उनमें से कुछ ने पुलिस के डराने-धमकाने और भय-प्रदर्शन की उ की।

“... कि मैंने सुद उनके कुछ तीर-तीक देने थे, इसलिए इस बात पर विचार करना था। इन परित्यक्त गाँवों में से एक से अब हमारी मोटर रकान्त होने लगी तो सर्वत्र यह कहना शुरू करने पुलिसमैन ने हमें टहर करने का हुक्म दिया। उनसे कहा कि 'आप पुलिसमैन से कह लें कि हमें ही गाँव से जा सड़ने है,' किन्तु अब उनसे मेरी पूछो-पूछ पोशाक देली तो वह डर गया। टूटी-भूटी अंग्रेजी में सिटीयते हुए बोला, 'दुःख!' किन्तु हमने की बात को वात नहीं किया। उसकी पर नम्बर का कहीं पता भी न था। अब मैंने उनसे उसका नम्बर पूछा तो उनसे बताया कि हम सब लोग गुन नम्बर लगे हैं। वह किसी उस दल का आधारी था

रखता हूँ। प० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने समझौते का ठीक समय था पहुंचा है या नहीं, इसपर सन्देश प्रकट किया था। इन कामों के साथ सन्देश-बाहकों ने २७ और २८ जुलाई को प० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। सब बहस भी हुई। मोतीलालजी और जवाहरलालजी ने २८ जुलाई १९३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जबतक मुख्य-मुख्य विषयों पर एक समझौता न हो जाय तब तक किसी भी परिपत्र में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी।

जवाहरलालजी ने एक पृथक नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को वैधानिक विषय-सम्बन्धी गांधीजी के विचार अंचले नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नहीं हैं, और न उनसे वर्तमान समय की मांग की ही पूर्ति होती है। ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को भी जयकर गांधीजी से मिले, तब गांधीजी ने उनसे खास-खास कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से पूछ लें कि शासन न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह बार्तों के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति न मिले। मैं कांग्रेसों के जो दावे हैं और भूतकाल में उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनकी जाच के लिए एक स्वतंत्र कमिटी चाहूंगा। गांधीजी चाहते थे कि वाइसरय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सकें कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते थे। उसके थोड़े दिन बाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें गांधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवडा-जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके।

इस प्रकार वहाँ १५ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ थे जयकर-समूह और दूसरी तरफ गांधीजी, दोनों नेहरू, वल्लभभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, भी जयरामदास दौलतराम और भीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमें इस्तादर-कर्तव्यों ने, जिनमें सब उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, जिनका अभी जिक्र किया जा चुका है, दोहराया था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के पूछ लें होने के हक को और कांग्रेसों के दावों और उनकी रियायतों की जाच के लिए एक कमिटी की नियुक्ति की मांग को भी शामिल कर दिया था। बात-चीत को समाप्त करते समय गांधीजी, भीमती सरोजिनी, वल्लभभाई पटेल और भी जयरामदास दौलतराम ने सन्देश-बाहकों को शान्ति-स्थापना के लिए उठाई हुई तकलीफों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें सुझाया कि “अब जिनके हाथ में कांग्रेस-संस्थापिका है वे हम किसी से मिलने-जुलने की सुविधा स्वभावतः पा सकेंगे। जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए उतनी ही इच्छुक है तो उस हालत में उन्हें हम तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।”

बादसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बतलाया था कि मैं तो प्रांतीय सरकारों से राजनैतिक शक्तियों को बढ़ी संख्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु मामलों पर उनके प्रकाश और योग्यता के अनुसार विचार थकी करूँगी। दोनों नेहरूओं ने, जो नैनी-जेल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख को गांधीजी को लिखा कि वाइसरय मुख्य प्रारम्भिक बातों पर विचार करना भी नैर-मुमकिन खयाल करते हैं। कुछ समय तक और भी पत्र-व्यवहार हुआ, किन्तु अन्त में हुआ यह कि शान्ति की बात-चीत असफल हो गई।

इन बात-चीतों के और इनकी असफलता के पूरे विवरण परिशिष्ट ६ में छपे हैं। समूह-जयकर की समझौते की बात-चीत के असफल हो जाने से भारतवर्ष के शिरोधारियों को निराशा नहीं हुई। उसके बाद मि० होरेस जी० अलैक्जेंडर के, जो सेली ओक कॉलेज में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के

बलपूर्वक भार बिना कर दिया। पर भी कहा जाता है कि जब मियाँ गिर गईं तो दुल्हन मीनों को खूबी से कुचली हुए जाने गये। गुलाम के गुलामी का कर्मानन्द पर अन्वयन वर्यन्तक २६ जनरल को समझने को बावचीत चलाने योग्य कागज़रूप उत्तर देने के लिए और उनके २६ गांधीयों को बिना शर्त छोड़ देने की विवर्तित प्रकाशित हुई थी।

गुलाम के अग्रपक्ष प्रयत्न

इस अपने पाठकों को गुल, जुलार्ड और अग्रगण्य मीनों की और फिर वापस से कर है। २० जून १९३० को पंडित मोतीलाल जी से, अर्द्धक वर बार ही थे, 'देसी हारट' ने दावा मि० रलोकोम्ब ने मुलाकात की। मि० रलोकोम्ब ने बम्बई में पंडित जी से 'कामेश' पर गोलमेज-परिषद् में शामिल हो सकती है।' इस विषय पर बावचीत की थी। उनके सोचें मि० रलोकोम्ब को मोची हुई शर्तों पर एक लभा में, जिसमें पंडित जी, भी जयकर और मि० कोम्ब खुद मौजूद थे, विचार हुआ और वे स्वीकार हुए। मि० स्लोकोम्ब ने सर सपू को भी लिखा था, उसके परिणाम-स्वरूप सर सपू और भी जयकर उन शर्तों के आधार पर व से बावचीत करने के लिए मध्यस्थ हुए। पंडित मोतीलालजी समझते ही उज्ज्वल कामेश के सभार्यत पं० जवाहरलाल नेहरू और गांधीजी के पास जाने को राजी हो गये। यी कि ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार दोनों निजी तौर पर यह आश्वासन देने को राजी। कि, चाहे गोलमेज-परिषद् की कुछ भी शर्तें हों और चाहे पार्लियामेंट हमारे प्रति कुछ रखे, वे १५ मार्च १९३० की पूर्ण उत्तरदायी-शासन की मांग का समर्थन करेंगी। शासन-वर्तित खास-खास तर्कों और शर्तों की, जिन्हें गोलमेज-परिषद् रखें, उसमें गुंजाइश रहे। इस पर मध्यस्थों ने वाइसराय से लिखा-पढ़ी की और गांधीजी, मोतीलालजी और जवाहरलालजी में मिलने की इजाजत मांगी। यह १६ जुलाई की बात है। तब तक मोतीलालजी को जेल ही थी। वाइसराय ने अपने उत्तर में भारतवासियों को दिये जानेवाले स्वयम्भू के प्रकार को अ नरम कर दिया। उन्होंने वादा किया कि 'इस भारतवासियों को उनके गृह-प्रबन्ध का उतना दिलाने में सहायता देंगे जितना कि उन विषयों के प्रबन्ध से मेल खाता हुआ दिलाया जायगा, जिम्मेदारी लेने की स्थिति में वे नहीं हैं।' इन दो कागज़ों को लेकर भी सपू और जयकर ने क जेल में २३ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात की, जिसमें गांधीजी ने उन्हें नैर् (इलाहाबाद) में पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र लिखा। गांधीजी चाहते थे कि गोलमेज परिषद् के बाद-विवाद को सरचुण्णो-सम्बन्धी विचार तक ही सं रखा जाय। सक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रश्न विचार-क्षेत्र से निकाल न चाहिये। गोलमेज-परिषद् की रचना संतोषजनक होनी चाहिये। सविनय-अवशा-आंदोलन के शोक की दशा में भी तबतक विदेशी वस्त्र और शराब का धरना जारी रहना चाहिये जबतक कि स्वयं शराब और विदेशी वस्त्र का निरोध कानूनन न करदे और नमक का बनाया जाना बिना भी तरह की सजा के जारी रखना चाहिये।

इसके बाद उन्होंने राजनैतिक बन्धियों के छुटकारे का, जायदादों, जुमानों और जमानों वापस करने का, जिन अफसरों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुनर्निर्भूति का अर्थादिनेत्यों को वापस लेने का जिक्र किया था। उन्होंने सन्देश-वादको को सावधान किया था मैं एक कैदी हूँ इसलिए मुझे राजनैतिक गति विधियों पर राय देने का कोई हक नहीं है। वे मर्दाने अपने हैं। मैं स्वयम्भू की हरेक योजना को अपनी १६ शर्तों से करने का हक अपने लिए मुक्ति

रखता हूँ। पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गांधीजी ने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने समझौते का ठीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रकट किया था। इन कारगजों के साथ सन्देश-वाहकों ने २७ और २८ जुलाई को पं० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। खूब बहस भी हुई। मोतीलालजी और जवाहरलालजी ने २८ जुलाई १९३० के पत्र में अपनी यह राय प्रकट की कि जबतक मुख्य-मुख्य विषयों पर एक समझौता न हो जाय तब तक किसी भी परिपद में हमें कोई भी चीज न मिल सकेगी।

जवाहरलालजी ने एक पृथक् नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को वैधानिक विषय-सम्बन्धी गांधीजी के विचार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं और स्थिति के योग्य नहीं हैं, और न उनसे वर्तमान समय की माँग की ही पूर्ति होती है। ३१ जुलाई तथा १ और २ अगस्त को भी जयकर गांधीजी से मिले, तब गांधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्वीकार न होगी जिसमें चाहे जब साम्राज्य से पृथक् होने का आग्रह न हो और जिससे भारतवर्ष को मेरी ग्यारह बातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति न मिले। मैं कांग्रेसों के जो दावे हैं और भूतकाल में उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनकी जाच के लिए एक स्वतन्त्र कमिटी चाहूँगा। गांधीजी चाहते थे कि वाइसरय को मेरी इस स्थिति से आगाह कर दिया जाय, ताकि वह पीछे यह न कह सकें कि मेरे इन विचारों को वह पहले न जानते थे। उसके थोड़े दिन बाद ही दोनों नेहरू और डा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें गांधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवडा-जेल में थे, मिलने का अवसर मिल सके।

इस प्रकार वहाँ १५ अगस्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यस्थ थे जयकर-राम और दूसरी तरफ गांधीजी, दोनों नेहरू, बल्लभभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, श्री जयगामनाम दौलतराम और भीमती नायडू। इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया था जिसमें हस्ताक्षर-कर्ताओं ने, जिनमें सब उपस्थित कांग्रेसी थे, समझौते की शर्तों को, लिखा था—

अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह वाइसराय से श्रींग जेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मार्गों से वह प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दाढम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी की सीधी-सादी समस्याओं का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लॉर्ड अर्बिन ने एक दर्जन के करीब आर्डिनेन्स निकाल दिये थे, जिनमें गैर-कानूनी उत्तेजन (unlawful instigation) आर्डिनेन्स, प्रेस-आर्डिनेन्स और गैर-कानूनी संस्था (unlawful association) आर्डिनेन्स भी शामिल थे। लॉर्ड अर्बिन ईमानदारी के साथ एकदम 'दुहरी नीति' का अनुसरण कर रहे थे। वह आर्डिनेन्सों की बहुत आवश्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता के थोड़ी कद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन असोसियेशन से कहा था—“यद्यपि हम जोरदार शब्दों में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन की निन्दा कर सकते हैं; किन्तु यदि हम भारतवासियों के मस्तिष्क में आज जो राष्ट्रीयता की आग धधक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक ठीक न समझेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे।”

गोलमेज-परिपद शुरू

१२ नवम्बर १९३० को गोलमेज परिपद शुरू हुई। अपर-हाउस की शाही गैलरी में श्री रान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ८६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रियासतों से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लैण्ड के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के मुखिया थे। गोलमेज परिपद बीच-बीच में सेप्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभी ने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, बीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संघ-राज्य के पक्ष में थे। शास्त्रीजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पक्ष में बहुत अच्छा बोले, पहले तो संघ-शासन के पक्ष में कुछ भिन्नकते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्ष में दृढ़ हो गये। प्रधान-मन्त्री ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें रखीं। पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस पिछली बात की खूबियाँ दिखलाई। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे अगली पीढ़ी पक्का विरासत समझेगी। उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियाँ बनाई गई जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, धर्म-संख्यकों, शिक्षा, सरकारी नौकरियाँ और प्रान्तीय तथा संघ-शासन के ढाँचों के बाबत माझपट रिपोर्टें दीं। परिपद अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १६ जनवरी को खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टें और नोटों में भारतवर्ष का विधान बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि आगे कार्य जारी रखा जाय।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ शासन के आधार पर जो व्यवस्थाकर्म बने, जिसमें रियासतें और प्रांतों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें सरकार 'व्यवस्थापक-सभा' के अंगी कार्यकारिणी की जवाबदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्य रक्षा को वैदेशिक मामलों के विषय मुहल्लित रखे जायेंगे। राज्य की शांति और आर्थिक स्थिति की मरम्मत के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नर-जनरल को विशेष अधिकार दे दिये जायेंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विषयों की विगते भी बतलाई गई थीं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संघ शासन विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नीति और उसके

विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेदारी 'प्रान्तीय' को

केन्द्रीय व्यवस्थापक-समाजों पर रखी जाय। संक्रमण-काल में खास-खास जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को जितनी गारंटी आवश्यक है, वह भी उसमें हो।

“संक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रखे जायेंगे उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हों और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेदारी तक बढ़ने में कोई बाधा न आवे।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस इस बीच में वाइसराय की अपील का जवाब उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आंदोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।”

पहली गोलमेज-परिषद् की; जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्धृत उक्त वाक्य से मालूम हो जाया है। उस परिषद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष को स्थिति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आंदोलियों की रिहाई से यह संख्या और भी बढ़ गई। उस समय वाइसराय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे ज्यों का-त्यों नीचे देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किए हुये एक विशेष प्रस्ताव को यहाँ देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर ‘रिआयती’ (privileged) लिला हुआ था।

‘रिआयती’ प्रस्ताव

यह ‘रिआयती’ प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १९३१ को शाम के ४ बजे स्व-राज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था:—

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा की यह कार्य-समिति उस ‘गोलमेज परिषद्’ को कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लियामेंट के खास खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थनों में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया है, उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव में बात तो यह है कि वह, भारतवासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द करके, आईनेन्वों और सजाओं-द्वारा और सविनय-अवज्ञा-द्वारा (जिसे यह कार्य-समिति सभी कुचली हुई जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभक्ति-पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए हजारों शाय, शस्त्र-हीन और मुकाबला न करने वाले लोगों पर लाठी प्रहार करके और गोलीबाँ चलाकर, इस देश का सच्ची आकाश को रोकती रही है।

‘इस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १९३१ को मन्त्रिमण्डल की ओर से इस्वीड के प्रधान-मंत्री मि० हेम्डे मैकडानलड द्वारा घोषित सरकार की नीति पर खूब विचार कर लिया है। इस समिति की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे कांग्रेस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

अधिकांश वे, उगाह पूर्व प्रयत्न शुरू हुए। यह महत्त्वपूर्ण है और जैन में गांधीजी से मिले। गांधीजी की गांधी मार्गों से यह प्रभावित हुए। उनमें कोई शक्यताभाव न था, केवल विन्ययन की गांधीजी की गांधी-गांधी समरणाधी का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय एक सर्व-धर्मि ने एक दर्शन के बरीव आदिने-न निवास दिने में, वृद्धनमें गैर-कानूनी उद्योग (unlawful instigation) आदिने-न, प्रेक आदिने-न और गैर-कानूनी संघ (unlawful association) आदिने-न भी शामिल थे। गांधी धर्मि ईमानदारी के साथ एकरम 'दुरी नीति' का अनुभव कर रहे थे। यह आदिने-नों की बहुत आवश्यकता भी बलते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय कोषी कर भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन एगोसिनेशन से करा था—'यन्नीन जोरदार शब्दों में धर्मन-अवस्था-आन्दोलन की निन्दा कर सकते हैं; किन्तु यदि हम भारत-देश के मरिउक में आम और राष्ट्रीयता की आग धपक रही है उसके शब्दों और शक्तिपूर्ण धर्म को टोक देते न समझेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे।'

गोलमेज-परिपद शुरू

१२ नवम्बर १९३० को गोलमेज परिपद शुरू हुई। अरब-हाउस की शाही गैलरी में वही शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ८६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रियासतों से गये थे, ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इस्लाम के भिन्न-भिन्न देशों के मुखिया थे। गोलमेज-परिपद बीच-बीच में सेप्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभी ने औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, बीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संघ-पन के पक्ष में थे। शास्त्रीजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पक्ष में बहुत शब्दा बोले, परले तो संघ-शासन के पक्ष में कुछ भिन्नकृते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्ष में हट हो गये। प्रधान-मंत्री ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें रखीं। पहली यह कि शासन-विधान पर अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस पिछली बात की खूबों दिल्लारि। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विनाशशील होगी उसे अगली पीढ़ी पवित्र विचार समझेगी। उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गईं जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, अन्न-संख्यकों, न्याय, सरकारी नौकरियां और प्रान्तीय तथा संघ-शासन के ढांचों के बाबत बाकायदा रिपोर्टें दीं। परिपद अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १६ जनवरी को खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टें और नोटों में भारतवर्ष का विधान बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि श्राव्य कार्य जारी रक्खा जाय।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ शासन के आधार पर जो व्यवस्थापकता बने, जिसमें रियासतों और प्रांतों दोनों का प्रतिनिधित्व हो, उसमें सरकार व्यवस्थापक-सभा के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदारी के सिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्य-रक्षा और वैदेशिक मामलों के विषय सुरक्षित रखे जायेंगे। राज्य की शांति और आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्नर-जनरल को रिपोर्ट अधिकार दे दिये जायेंगे। दूसरे भिन्न-भिन्न विषयों की विगतें भी बतलाई गई थीं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतवर्ष के भावी शासन-विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नीति और उसके इरादों की घोषणा की थी:—

"ब्रिटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेदारी प्रान्तीय और

केन्द्रीय व्यवस्थापक-सभाओं पर रखी जाय। सत्रमण-काल में खास-खास जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को जितनी गारंटी आवश्यक है, वह भी उसमें हो।

“सत्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रखे जायेंगे उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हों और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेदारी तक बढ़ने में कोई बाधा न आवे।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस इस बीच में वाइसरॉय की अपील का जवाब उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सचिनय-अवस्था-आंदोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी सेनायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।”

पहली गोलमेज-परिषद् की; जिसका कि कॉमिंस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्भूत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस परिषद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष को स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आंदोलियों की रिहाई से यह संख्या और भी बढ़ गई। उस समय वाइसरॉय ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे यों काल्यों नीचे देते हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कॉमिंस-कार्य-समिति-द्वारा पास किए हुये एक विशेष प्रस्ताव को यहां देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर ‘रिआयती’ (privileged) लिखा हुआ था।

‘रिआयती’ प्रस्ताव

यह ‘रिआयती’ प्रस्ताव कॉमिंस कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १९३१ को शाम के ४ बजे स्व-राज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था:—

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा को यह कार्य-समिति उस ‘गोलमेज परिषद्’ को कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लियमेंट के खास खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थनों में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए श्रद्धापूर्वक प्रयत्न किया है, उनसे उलने स्वयं अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव में बात तो यह है कि वह, भारतवासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द करके, आर्द्धनेत्रों और सज्जनों-द्वारा और सचिनय-अवस्था-द्वारा (जिसे यह कार्य-समिति सभी कुचली हुई जातियों के हार्थों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभक्तिपूर्ण प्रयत्न में लगे हुए हजारों शक्ति, शक्ति-हीन और मुकाबला न करने वाले लोगों पर लाठी प्रहार करके और गोलीयाँ चलाकर, इस देश का सच्ची आवाज को रोकती रही है।

“इस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १९३१ को मन्थ-मण्डल की ओर से हर्बर्ट के प्रधान-मंत्री मि० रेम्से मैकडानल्ड द्वारा पेशित सरकार की नीति पर सूब विचार कर लिया है। इस समिति की राय में यह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे कॉमिंस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

अध्यापक थे, उत्साह-पूर्ण प्रयत्न शुरू हुए। वह वाइसरय से और जेल में गांधीजी से मिले। गांधीजी की साफ मांगों से वह प्रभावित हुए। उनमें कोई शब्दाढम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीबी, सीधी-सादी समस्याओं का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय तक लार्ड अर्बिन ने एक दर्जन के करीब आर्डिनेन्स निकाल दिये थे, जिनमें गैर-कानूनी उत्तेजन (unlawful instigation) आर्डिनेन्स, प्रेस-आर्डिनेन्स और गैर-कानूनी संस्था (unlawful association) आर्डिनेन्स भी शामिल थे। लार्ड अर्बिन ईमानदारी के साथ एकदम 'दुहरी नीति' का अनुसरण कर रहे थे। वह आर्डिनेन्सों की बहुत आवश्यकता भी बताते जा रहे थे और भारतीय राष्ट्रीयता को दबाने की कोशिशें भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन असोसियेशन से कहा था—“पंडित जोरदार शब्दों में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन की निन्दा कर सकते हैं; किन्तु यदि हम भारतीयों के हितों के लिए भारत में आज जो राष्ट्रीयता की आग धधक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर्ण अर्थ को ठीक से न समझेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे।”

गोलमेज-परिषद् शुरू

१२ नवम्बर १९३० को गोलमेज परिषद् शुरू हुई। अयर-हाउस की शाही गैलरी में शासन के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ८६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ रियासतों से गये ५७ ब्रिटिश भारत से और बाकी १३ इंग्लैण्ड के मित्र-मित्र दलों के मुखिया थे। गोलमेज परिषद् बीच-बीच में सेण्ट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभी ने अर्बिन के स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, धीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि संघ-परिषद् में गये। शाहीजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पक्ष में बहुत अन्ध-बोले, पहले तो संघ-परिषद् के पक्ष में कुछ झिझकते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्ष में हट हो गये। प्रधान-मंत्री ने शासन-विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें रखीं। पहली यह कि शासन-विधान अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस विद्युत् की बात की नहीं दिसलाई। उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उसे अगली पीढ़ी पकड़ लेगी। उनके बाद मित्र-मित्र उपसमितियाँ बनाई गईं जिन्होंने रक्षा के अधिकार, सीमा, संसदीय व्यवस्था, सरकारी नौकरियाँ और प्रांतीय तथा संघ-शासन के ढाँचों के बाबत बहस चलायी। परिषद् अधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १६ जनवरी को सुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्चय हुआ कि रिपोर्टें और मोटों में भाग लेने का विचार बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यांकन समिति मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि आगे बढ़ने का विचार रखा जाय।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ शासन के आधार पर जो व्यवस्था बनने लगे, जिसमें रिपोर्टें और मोटों दोनों का प्रभावित हो, उसमें सरकार अत्यन्त-सहज के कार्य-कारिणी की अवस्था के विद्यमान को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह्य रूप के वैदेशिक मामलों के लिये सुनिश्चित रकमें आवेंगी। राज्य को राज्य और आर्थिक स्थिति की दृष्टि से अलग-अलग की जो अलग-अलग रिपोर्टें हैं उन्हें दूर करने के लिए सर्व-सहमत को विचार दे दिये जायेंगे। दूसरे मित्र-मित्र रिपोर्टों की रिपोर्टें भी बनाई गईं थी। उनके बाद प्रधानमंत्री ने अंतर्गत के अन्तः-राज्य के लिये से रिपोर्ट-कार्य की भी चर्चा की और उस रिपोर्टों को देखने की थी—

अन्तर्गत-कार्य का विचार यह है कि अन्तर्गत के राज्य की रिपोर्टें अन्तर्गत के

केन्द्रीय व्यवस्थापक-समाजों पर रखी जाय। संक्रमण-काल में खास-खास जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी खास खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए उसमें आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय। अपनी राजनैतिक स्वाधीनता की और अधिकारों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को जितनी गारंटी आवश्यक है, वह भी उसमें हो।

“संक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी संरक्षण रखे जायेंगे उन्हें यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि सुपरिचित अधिकार इस प्रकार के हों और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शासन-विधान द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी शासन की पूरी जिम्मेदारी तक बढ़ने में कोई बाधा न आवे।”

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस इस बीच में वाइसराय की अपील का जवाब उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आंदोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।”

पहली गोलमेज-परिषद् की; जिसका कि कॉमिंस से कोई सम्बन्ध न था, कार्रवाई जल्दी से संक्षेप में देने का कारण प्रधानमंत्री की घोषणा से उद्भूत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस परिषद् को समाप्त हुए अभी एक सप्ताह भी न हुआ था कि भारतवर्ष को स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजी और उनके १६ साथियों को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। पीछे ७ आदिमियों की रिहाई से यह संख्या और भी बढ़ गई। उस समय वाइसराय ने जो वाक्य प्रकाशित कराया था वह भाव और भाव दोनों में ही सुन्दर था। हम उसे यों कालो नीचे देने हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व हम कॉमिंस-कार्य-समिति-द्वारा पास किए हुये एक विरोध प्रस्ताव को यहाँ देना आवश्यक समझते हैं, जिसपर ‘रिश्वायती’ (privileged) लिखा हुआ था।

‘रिश्वायती’ प्रस्ताव

यह ‘रिश्वायती’ प्रस्ताव कॉमिंस कार्यकारिणी ने २१ जनवरी १९३१ को शाम के ४ बजे स्व-राज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था:—

“अ० भा० राष्ट्रीय महासभा को यह कार्य समिति उस ‘गोलमेज परिषद्’ को कार्रवाइयों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लियमेंट के खास खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थनों में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की राय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया है, उनसे उसने स्वयं अपने-आपको निन्दनीय ठहराया है। वास्तव में बात तो यह है कि वह, भारत-वासियों के महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द करके, आदिमियों और समाजों-द्वारा और सविनय-अवज्ञा-द्वारा (जिसे यह कार्य समिति सभी कुचली हुई जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशभक्ति-पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए हजारों शक्ति, शक्ति-हीन और मुकाबला न करने वाले लोगों पर लाठी प्रहार करके और गोलियाँ चलाकर, इस देश का सच्ची आवाज को रोकती रही है।

“इस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १९३१ को मॉन्थ-मचल की ओर से हॉर्ड के प्रधान-मंत्री मि० रेग्ने मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सरकार की नीति पर खूब विचार कर लिया है। इस समिति की राय में यह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे कॉमिंस की नीति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

“यह समिति लाहौर-काम्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दृढ़ है और बरवा-जेल से १५ अगस्त १९३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी; पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पत्र पर हस्ताक्षर करनेवालों को जो स्थिति है, प्रधानमंत्री द्वारा की हुई नीति की घोषणा में उसके उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता। समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अभाव में और हजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि काम्रेस-कार्य-समिति के अरसी सदस्य और महा-समिति के अधिकांश-सदस्य भी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई भी सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोषप्रद अन्त करने में असमर्थ है। उससे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन का अर्थ हर्गिज नहीं हो सकता। इसलिए समिति आन्दोलन को पहले ही हुई हिंसाओं के अनुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाह देना देती है और विश्वास करती है कि उसने अब तक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रखेगी।

“समिति देश के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की उस हिम्मत और मजबूती को इस अवसर पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह भी उस सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेलों में घुसने की, कितने ही आम और पारिवारिक लाठी-प्रहारों की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाओं की जो जेलों में तथा बाहर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य अलग हो गये और मर गये, सम्पत्ति लूटने की, घरों को जलाने की, कितने ही देशी हिस्ते में सशस्त्र पुलिस वाले सवारों और गोरे सिपाहियों की लाइनों को घुमाने की, लोगों के सार्वजनिक ब्याख्यान देने, जुलूस निकालने और सभा करने के इन्हें को छीनने की और काम्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य सरयाओं को गैर-कानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जप्त करने की और उनके घरों तथा दफ्तरों पर जप्त करने की जिम्मेदार है।

“समिति देश से अपील करती है कि वह, २६ जनवरी को स्वाधीनता-दिवस, प्रकाशित किं होकर कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशा पूर्ण होकर स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखने का दृढ़-निरचय कर चुका है।”

जब काम्रेस-कार्य-समिति में यह प्रस्ताव आया तब राजेन्द्र बाबू काम्रेस के काम-चलाऊ अध्यक्ष थे। बल्लभभाई सा ११ मास में तीसरी बार जेल गये हुए थे, इसलिए वही उनके स्थानान्त थे। पं० मोतीलाल नेहरू भी जेल में सख्त बीमार हो जाने के कारण सजा की मियाद समाप्त होने से पहले ही छोड़ दिये गए थे। उसके थोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। कार्य-समिति की बैठक का और उसके उद्देश का प्रेस-द्वारा खुला ऐलान कर दिया गया था। उस अवसर पर कार्य-समिति के सदस्य इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। पं० मदनमोहन मालवीय यथापि रोगी थे किन्तु फिर भी समिति की इस बैठक में उपस्थित हुए थे। शकल यह था कि आया यह प्रस्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं? इस पर मत-भेद था। अन्त में यह तय हुआ कि इसे अगले दिन तक प्रकाशित न किया जाय। किन्तु दूसरे दिन अचानक एक देशी घटना हो गई जिससे उसे प्रकाशित न करने का निरचय ही ठीक सिद्ध हुआ। मदन से हा० लू और शम्भू जी का एक बार मिला, जिसमें उन्होंने कार्य-समिति से उनके घराने से पहले उनकी बातें कि मुने प्रधान मंत्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की थी। वह सभी गोलमे-ब-परिषद् के बाद भारतवर्ष को लौटने वाले थे। उस वार के अनुसार प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया, किन्तु बैठक

कैसे प्रायः सभी मामलों में दुष्टा करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कुछ देर बाद ही गीषी सरकार के पास पहुंच गई थी।

गवर्नर-जनरल का संकल्प

२५ जनवरी १९३१ को गवर्नर-जनरल ने यह वक्तव्य निकाला :—

“१९ जनवरी को प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार करने का अवसर देने की गरज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समझा है कि कांग्रेस की कार्य-समिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १९३० से समिति के सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, बातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय।

“इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो सभायें करें उनक लिए कानून कोई रुकावट न हो, समिति को गैर-कानूनी घोषित करने वाला ऐलान प्रान्तीय सरकारों-द्वारा वापस ले लिया जायगा और गांधी जी तथा अन्य लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या जो १ जनवरी १९३० से सदस्य के तौर पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी।

“मेरी सरकार इन रिहाइयों पर कोई शर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि शान्तिपूर्ण स्थिति वापस लाने की अधिक-से-अधिक आशा इसी में है कि सम्बन्धित लोग बिना शर्त आजाद होकर बातचीत करें। हमने यह कार्रवाई ऐसी शान्ति पूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक इच्छा से की है कि जिसमें प्रधान मन्त्री ने जो जिम्मेदारी ली है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर दी जाय और उसका विश्वास दिलाया जाय तो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, वह सरकार द्वारा पूरी की जा सके।

“हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगों पर होगा उन पर यह विश्वास करने में मुझे सन्तोष है कि वे उसी भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है। मुझे विश्वास है कि वे उन गम्भीर परिणामों की शान्ति पूर्ण और निष्पक्ष भाव से जांच करने के मद्दत को

“कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, सयू और जयकर के इच्छानुसार २१-१-३१ को पास किया था अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में यह खयाल फैल गया है कि सवि-
नय अवकाश आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है। इसलिए समिति के इस निश्चय की तार्किक करना
आवश्यक है कि जबतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तबतक
आन्दोलन बराबर जारी रहेगा। यह सभी लोगों को इस बात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े
पौर शरण तथा अन्य नगरीली चीजों की दुकानों पर धरना देना अपने-आप में सविनय अवकाश-आन्दो-
हन का कोई अंग नहीं है, बल्कि जबतक वह बिलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक सर्वसाधारण के
हित में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तबतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही है।

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है,
व्यापारियों और कामेस कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चूंकि सर्व-साधारण की भलाई के लिए
विदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलचल का एक आवश्यक अंग है
और उस तक तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत
हिन्दुस्तान से बहिष्कार कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण
प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या प्रतिबन्धक टटकर लगाकर।

“विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कामेस की अभील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और
सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशंसा करती है; लेकिन
इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कामेस-संस्था उन्हें इस बात का
आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको वह नहीं और
लगा देगी।”

पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

“कार्य-समिति के असली और ऐवजी सदस्य १ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे। पण्डित
मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें
‘एस्सेरे-परीक्षा’ के लिए लखनऊ ले जाया जाय। तबतक करीब-करीब सभी लोग दोढ़े दिनों के लिए
वहां से चले गये, पर गांधी जी-सहित कुछ लोग वहीं रहे। गांधी जी तो मोतीलाल जी के साथ लख-
नऊ भी गये; जहां मौत से बड़ी कष्ट-मकरा के बाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलाल जी सदा
के लिए हमसे बिदा हो गये—“हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-मयन में ही कीजिए। मेरी
मौजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य निर्णय के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में
मुझे भी साक्षीदार होने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतंत्र भारत की गोद में ही मुझे मरने दो।
मुझे अपनी आखिर नींद गुलाम देश में नहीं बल्कि आजाद देश में ही लेने दो।” इस प्रकार पण्डित
जी की महान् आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक शाही तरीकल के आदमी थे—न केवल
बौद्धिक दृष्टि से बल्कि धन, संस्कृति और स्वभाव सभी दृष्टियों से। जब कि उनकी दूरदर्शी और
सफाल-सुद्धि से राष्ट्र को अपने सामने उपरिगत वेचोदा समस्याओं को दूर रूप से सुलभयने में बड़ी
मदद मिलती उस समय उनका हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी भारी क्षति थी कि वस्तुतः
जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती; क्योंकि वह न केवल बड़े दूरदर्श ही थे, बल्कि हमारे सामने हार्द दुर्
पारनेतिक समस्याओं की लक्ष्मीसों में उतरकर जन्म और सही निर्णय पर धरुबने में भी एक ही थे।

हालांकि उनका रहन-सहन बहुत अमीरी था, मगर गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी
जीवन को गुद और परिश बन्ने की आवश्यकता महसूस की; और इसके लिए वेपेक्षा-पूर्वक तारीही

[भाग पांचवां—१९३१]

१

गांधी-अर्विन-समझौता—१९३१

गांधी जी का सन्देश

कार्य-समिति के सदस्यों की रिपोर्ट २६ जनवरी की आधीरात से पढ़ने होने वाली थी और इस बात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्नियाँ यदि जेल में हों तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय। चूंकि जो लोग बीच-बीच में किसी के बन्धन (कार्य-समिति के) तरस रहे थे उनकी रिपोर्ट की भी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल संख्या २६ पर पहुँच गई। गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव के ही अनुकूल था। क्योंकि जैसे परजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफलता से वह फूल भी नहीं उठते। उन्होंने कहा:—

“जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसी के प्रति मुझे कोई एजेंडा है और न किसी बात का तात्पर्य। मैं तो हरेक दृष्टि-कोण से सारी परिस्थिति का अध्ययन करने और सर तेजबहादुर सप्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर आयेंगे, प्रधानमंत्रियों के बहस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ।”

समझौते के लिए उनकी क्या शर्तें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने इंगित किया, लेकिन इस बात की घोषणा अखिलम्व की, कि “पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा जा सके, न लाखों भूखों-मरते लोगों द्वारा नमक बनाने के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।” उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि ज्यादातर आर्बिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शराब के बहिष्कार को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के प्रतियोगस्वरूप नहीं बल्कि परिष्कार प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि मैं शान्ति के लिए तैयार रहा हूँ, बशर्ते कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड़ दें और मैं विलकुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किमी मुलाह में मैं साम्प्रदायिक न होऊँगा जिसमें पूर्वोक्त चीजें बातों का सम्बोधन न हो। “इसलिए गोलमेज-परिषद्-रूपी पेट्र का निर्णय मुझे उसके फल से ही करना चाहिए।”

गांधीजी, छूटते ही, पं० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहाँ वह बीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। वहीं स्वयंसेवक-भवन में, ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ को, कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्न प्रस्ताव पार हुआ:—

“कार्य-समिति ने भी शास्त्री, सम्पूर्ण और जयकर के इच्छानुसार २१-२-३१ को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में यह खयाल फैल गया है कि अविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है। इसलिए समिति के इस निश्चय की ताईद करना आवश्यक है कि जबतक राष्ट्र रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तबतक आन्दोलन बराबर जारी रहेगा। यह सभी लोगों को इस बात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े और शराब तथा अन्य नशीली चीजों की दुकानों पर घरना देना अपने-आप में अविनय अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अंग नहीं है, बल्कि जबतक यह बिलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तबतक यह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही है।

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चूंकि सर्व-साधारण की भलाई के लिए विदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलचल का एक आवश्यक अंग है और उस वक्त तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से बहिष्कार कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या प्रतिबन्धक टटकर लगाकर।

“विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कांग्रेस की अभील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशंसा करती है; लेकिन इसके साथ ही यह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-संस्था उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको यह कहीं और खपा देगी।”

पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

“कार्य-समिति के अखली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे। पवित्र मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें ‘एनसरे-परीक्षा’ के लिए लखनऊ ले जाया जाय। तबतक करीब-करीब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए वहां से चले गये, पर गांधी जी-सहित कुछ लोग वहीं रहे। गांधी जी तो मोतीलाल जी के साथ लखनऊ भी गये; जहां मौत से बड़ी कर-भकर का बाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलाल जी सदा के लिए हमसे बिदा हो गये—“हिन्दुस्तान की किरमत का फैसला स्वराज्य-भवन में ही कीजिए। मेरी मौनदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के मान्य निर्णय के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी सामीप्य होने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतंत्र भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। मुझे अपनी आत्मा नीद गुलाम देश में नहीं बल्कि आजाद देश में ही लेने दो।” इस प्रकार पंक्ति की की महान् आत्मा हमसे जुदा हो गई। निस्सन्देह वह एक शारी शरीर के आदमी थे—न केवल बौद्धिक दृष्टि से बल्कि धन, सभ्यता और स्वभाव-सभी दृष्टियों से। जब कि उनकी दूरदृष्टी और एकदम-मुक्ति से राष्ट्र को अपने सामने उपस्थित वेचोदा समस्याओं को राष्ट्र रूप से सुलभ करने में बड़ी मदद मिलती उस समय उनका हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की देखी भारी क्षति थी कि बहुत-बहुत जितनी पूर्ति नहीं हो सकती; क्योंकि वह न केवल बड़े दूरदृष्टी ही थे, बल्कि हमारे सामने खड़े हुए राजनैतिक समस्याओं की तकलीलों में उतरकर जल्द और सही निर्णय पर पहुंचने में भी एक ही थे। हालांकि उनका रहन-सहन बहुत अमीरी था, मगर गांधीजी से प्रभावित होकर उन्होंने भी जीवन को मुक्त और परिश्रम करने की आवश्यकता महसूस की; और इसके लिए संवेदन-पूर्ण गरीबी

[भाग पांचवां—१९३१]

१

गांधी-अर्विन-समझौता—१९३१

गांधी जी का सन्देश

कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की आधी रात से पहले होने वाली थी और इस बात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्नियाँ यदि जेल में हों तो उन्हें भी रिहा कर दिया जाय। चूंकि जो लोग बीच-बीच में किसी के बजाय (कार्य-समिति के) सदस्य बने थे उनकी रिहाई की भी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल संख्या २६ पर पहुंच गई। गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जो उनके स्वभाव के ही अनुरूप था। क्योंकि जैसे पराजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफलता से वह फूल भी नहीं उठते। उन्होंने कहा:—

“जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसी के प्रति मुझे कोई शक है और न किसी बात का ताम्बुल। मैं तो हर एक दृष्टि-कोण से सारी परिस्थिति का अध्ययन करते और सर तेजबहादुर सप्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ।”

समझौते के लिए उनकी क्या शर्तें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने रोज़ किया, लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि “पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा जा सके, न लाखों भूखों-मरते लोगों द्वारा नमक बनाने के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।” उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि ज्यादातर आर्डिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शराब के बहिष्कार को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान क्रूरता के प्रतिरोधनका और बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि मैं शान्ति के लिए रुक रहा हूँ, बशर्ते कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड़ दें और मैं विलकुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी मुलाह में मैं सामीप्य न होऊँगा जिसमें पूर्वक दिन बातों का सन्तोषजनक हल न हो। “इसलिए गोलमेज परिषद्-रूपी पेश का निर्णय मुझे उचित नहीं से ही करना चाहिए।”

गांधीजी, छूटते ही, प० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, जहाँ वह बीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। वहाँ स्वयंसेवक ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ को, कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें

“कार्य-समिति ने भी शास्त्री, सम्पूर्ण और जयकर के इच्छानुसार २१-१-३१ को पास किया हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में यह खयाल फैल गया है कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया गया है। इसलिए समिति के इस निश्चय की तार्किक करना आवश्यक है कि जबतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तबतक आन्दोलन बराबर जारी रहेगा। यह सभी लोगों को इस बात का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े और शराब तथा अन्य नशीली चीजों की दुकानों पर घरना देना अपने-आप में सविनय अवज्ञा-आन्दोलन का कोई अंग नहीं है, बल्कि जबतक वह बिलकुल शान्ति-पूर्ण रहे और जबतक सर्वसाधारण के कार्य में उससे कोई रुकावट न पड़ती हो तबतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्तर्गत ही है।

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं को स्मरण कराती है कि चूंकि सर्व-साधारण की भलाई के लिए विदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय हलचल का एक आवश्यक अंग है और उस वक्त तक ऐसा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी सूत हिन्दुस्तान से बहिष्कार कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या प्रतिबन्धक टटकर लगाकर।

“विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रशंसा करती है, लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस-संस्था उन्हें इस बात का आश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको वह कहीं और खप देगी।”

पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

“कार्य-समिति के असली और ऐवजो सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे। पण्डित मोतीलाल की हालत दिन-ब-दिन खराब होती जाती थी और यह आवश्यक समझा गया कि उन्हें ‘पनसरे-परीक्षा’ के लिए लखनऊ ले जाया जाय। तबतक करीब-करीब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए वहाँ से चले गये, पर गांधी जी-सहित कुछ लोग वहीं रहे। गांधी जी तो मोतीलाल जी के साथ लखनऊ भी गये; जहाँ मौत से बड़ी कश-मकश के बाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलाल जी सदा के लिए हमसे विदा हो गये—“हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला स्वराज्य-भवन में ही कीजिए। मेरी मौजूदगी में ही फैसला कर लो। मेरी मातृ-भूमि के भाग्य निर्णय के आखिरी सम्मान-पूर्ण समझौते में मुझे भी साझीदार होने दो। अगर मुझे मरना ही है, तो स्वतंत्र भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। मुझे अपनी आखिरी नींद गुलाम नहीं बल्कि आजाद देश में ही लेने दो।” इस प्रकार पंडित जी की महान्

बौद्धिक दृष्टि से एक शाही सवीयत के आदमी थे—न केवल

महान् से। जब कि उनकी दूरदर्शी और

शक्ति रूप से मुलभयने में बड़ी

भारी क्षति थी कि वस्तुतः हमारे सामने छारें हुईं

हुँचने में भी एक ही थे। दोहर उन्होंने भी

पूर्वक गयीनी

[भाग पांचवां—१९३१]

१

गांधी-अर्विन-समझौता—१९३१

गांधी जी का सन्देश

कार्य-समिति के सदस्यों की रिपोर्ट २६ जनवरी की आधीमात्र से पढ़ने होने वाली है और इस बात की हिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्तियां यदि जेल में हों तो उन्हें भी भिजवा दिया जाय। चूंकि जो लोग बीच-बीच में किसी के बजाय (कार्य-समिति के) सरल बनें उनही रिपोर्ट की भी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल संख्या २१ पर पहुंच गई। गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक सन्देश निकाला, जे उनके स्वभाव के ही अनुकूल था। क्योंकि जैसे पद्यत्रय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सत्यमेव जयते वह फूल भी नहीं उड़ते। उन्होंने कहा:—

“जेल से मैं अपनी कोर्रेंसय बनाकर नहीं निकला हूँ। न तो किसी के प्रति मुझे कोई राग है और न किसी बात का वास्तुव। मैं तो हरेक दृष्टि-कोण से सारी परिस्थिति का अध्ययन करने और सर तेजबहादुर सप्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के बक्तव्य पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने सार भेजकर मुझसे ऐसा करने का आग्रह किया है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ।”

समझौते के लिए उनकी क्या शर्तें होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने इंगित किया, लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि “पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा जा सकता, न लाखों भूखों-मरते लोगों द्वारा नमक बनाने के अधिकार को ही हम छोड़ सकते हैं।” उन्होंने कहा, “यह ठीक है कि क्यादातर आर्टिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शराब के बहिष्कार को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये शर्तें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुरासन के प्रतिरोधस्वरूप नहीं बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि मैं शान्ति के लिए कह रहा हूँ, बशर्तें कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे और सब मेरा साथ छोड़ दें और मैं विलकुल अकेला रह जाऊँ तो भी ऐसी किसी मुलाह में मैं साभ्नीदार न होऊँगा जिसमें बावों का सन्तोषजनक हल न हो। “इसलिए गोलमेज-परिषद्-रूपी पेड़ का निर्धाय मुझे से ही करना चाहिए।”

गांधीजी, छूटते ही, प० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद बढ़ बीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। ३१ जनवरी और १ फरवरी १९३१ को, कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें निम्न

दारू—कैदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही। १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाबता बैठक हुई। इस समय तक डा० सप्रू और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान आ गये थे। गांधीजी व कार्य-समिति से मिलने के लिए वे दौड़े हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी बहस हुई, जिसमें कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरह की। यहां तक कि कभी-कभी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मृदुता तक न रख पाते थे, क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड में कुछ ऐसी बात कह गये थे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोष भी छा रहा था। खैर, जो हो। गांधीजी ने सार्ड अहिंस को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की जा रही ज्यादतियों खास-कर २१ जनवरी को बोरसद में रित्रों पर किये जानेवाले हमले की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उनसे पुलिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा। लेकिन इस मार्ग को दुर्करा दिया गया और ऐसा मालूम होने लगा मानों मुल्ह-शांति की सारी बात-चीत का खात्मा हो गया। मगर यह महसूस किया गया कि अगर कांग्रेस और सरकार को मिलना है तो इसके लिए दो में से किसी एक को ही पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार अपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों को बिना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी। तब कार्य-समिति या गांधीजी अपनी ओर से वाइसराय को मुकालात के लिए नयों न लिखें, बजाय इसके कि बाजाबता पत्र-व्यवहार की बात देखते हैं? सत्याग्रही को शांति के लिए ऐसे उपाय प्रदण करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अतएव गांधी जी ने सार्ड अहिंस को मुलाकात के लिए एक मंजिप्त पत्र लिखा, जिसमें उनसे नईसियत एक मनुष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ तारीख को भेजा गया और १६ तारीख के बड़े सरे तार-द्वारा इसका जवाब आ गया। १६ तारीख को ही गांधीजी दिल्ली के लिए रवाना हो गये, और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र ही दिल्ली पहुंच गये। कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव द्वारा गांधीजी को कांग्रेस की ओर से मुल्ह सम्बन्धी सब अधिकार दे दिये थे। गांधीजी ने १७ फरवरी को वाइसराय से पहली बार मुलाकात की और कोई चार घंटे तक वाइसराय से उनकी बातें होती रहीं। तीन दिन तक लगातार यह बात-चीत चलती रही।

इस बात-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादतियों की जांच और पिकेटिंग के अधिकार पर जोर दिया। इन के अलावा वे शर्तें थीं जोकि मुल्ह के समय आमतौर पर हुआ करती हैं; जैसे कैदियों की आम रिहाई, विशेष कानूनों (आर्दिनेन्सों) को रद्द करना, जन्म की हुई सम्पत्ति को सौयाना और उन सब कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या नौकरी से हटा दिया गया है फिर से बहाल करना। ये सब बातें, खास कर पिकेटिंग का अधिकार और पुलिस की जांच के विषय, ऐसी विवादास्पद थीं कि जिनपर तुरन्त कोई समझौता होने की सम्भावना नहीं थी। १६ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी वित्तित प्रकाशित हुई उसमें कहा गया कि बात-चीत के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठी हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है। यह बहुत सम्भव है कि उसके आगे बात-चीत होने में कई दिन लग जाय।

पहले दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीजी डा० अन्सारी के महान पर लौटे जहां कि वह स-उल्लसल ठहरे हुए थे। पहले दिन बात-चीत से एक प्रकार की निश्चित आशा बंधती थी। दूसरे दिन यह स्पष्ट हो गया कि गांधीजी की रिषति को वाइसराय समझने तो हैं, लेकिन उनके अनुसार करने को तैयार न थे। चूंकि इंग्लैण्ड के निर्णय की प्रतीक्षा थी, इसलिए बात-चीत कुछ समय के लिए रुकने की सम्भावना पैदा हो गई; और स्वयं वाइसराय ने गांधीजी को दुबारा रनिवार २१ तारीख बुलवाने

और कष्ट-सहन को अपनाया। यह भी नहीं कि उन्होंने अपने धन का अकेले ही उपयोग किया हो। वह धनिकवर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी अपने धन का भागीदार बनवा है। कांग्रेस को उन्होंने आनन्द-भवन की जो भेंट दी वह उनकी देशभक्ति और उदारता के अनुकूल ही थी। लेकिन दरअसल इसे ही हम राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे बड़ी भेंट नहीं कह सकते, उनकी सबसे बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उन्होंने राष्ट्र को प्रदान की है। ऐसे पिता बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूत या एजेंट-जनरल के बने-से ओहदों पर न देखना चाहें; लेकिन मोतीलाल जी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा। मोतीलाल जी अब जी रहे, लेकिन उनकी सिरिट, अब भी कांग्रेस के ऊपर मंडरा रही है और विचार-विनिमय एवं निर्णय के समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है।

मोतीलाल जी की मृत्यु पर, ७ फरवरी को, गांधीजी ने इलाहाबाद से यह सन्देश भेज—
 “मोतीलालजी की मृत्यु हरेक देशभक्त के लिए ईर्ष्यास्पद होनी चाहिए। क्योंकि अपना सर्वस्व न्योछावर करके वह मरे हैं और अन्त-समय तक देश का ही ध्यान करते रहे हैं। इस वीर की मृत्यु के हमारे अन्दर भी बलिदान की भावना आनी चाहिए; हम में से हरेक को चाहिए कि जिस स्वतंत्रता के लिए वह उत्सुक थे और जो अब हमारे बहुत नजदीक आ पहुँची है, उसको प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व नहीं तो कम-से-कम इतना बलिदान तो करें ही कि जिससे वह हमें प्राप्त हो जाय।”

राजनैतिक परिस्थिति में इस समय जो बात बलवतः शोकजनक थी, और जिसके लिए गांधीजी खास तौर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि इंग्लैण्ड में खूब चित्ला-चित्ला कर हिन्दुस्तान को लतन्त्रता देने की जो बात कही जा रही थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अधिकारियों के हल में कोई भी वर्तन नजर नहीं आ रहा था। ‘चारों ओर दमन-चक्र अपने भयंकर रूप में जारी है,’ ‘न्यूज कागज़’ को दिये हुए अपने वार में गांधीजी ने लिखा, “निर्दोष शक्तियों पर अकारण मार-पीट अभी तक जारी है। एजेंटदार आदमियों की बल और अचल सम्पत्ति, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, लसरी तौर पर बरायनाम कानूनी कार्रवाई करके जन्त कर ली जाती है। निर्यों के एक डलूस को जन्त करने में बल-प्रयोग किया गया। उन्हें जूतों की टोकड़ें मारी गईं और बाल पकड़ कर धरती गिरा। ऐसा दमन जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सहयोग करना सम्भव न होगा, चाहे दूसरी कौन-नाइयाँ हल ही क्यों न हो जायें।”

वाइसराय से मुलाकात

खानगी तौर पर इस बात की हिदायतें जारी की गईं कि आन्दोलन तो जरूर जारी रहे, व कोई नया आन्दोलन या ऐसी बात शुरू न की जाय जिससे परिस्थिति कोई नया रूप धारण करे। ठीक इसी समय गोलमेड-परिषद् में गये हुए प्रतिनिधि लौटकर हिन्दुस्तान आये और ६ फरवरी १९३१ को, उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रकार आशीर्वाद की:—

“(गोलमेड-परिषद् की) योजना अभी तो खाली एक स्काफ है, लालील की बातें तो, जिन्हें से कुछ बहुत सार की और महत्वपूर्ण हैं, अभी तक होनी हैं। हमारी यह दिली स्थाविर है कि वह कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता आगे बढ़कर इस योजना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें। हमें आशा है कि वातावरण को ऐसा शांत कर दिया जायगा जिसमें हम आसानी विषयों पर मज़ीमाँति विचार किया जा सके और राजनैतिक केंद्रों की विचारें हो सकें।”

लेकिन

के अन्तर्गत

... १९३१ में कानून शरार में विरहित

चाहिए। इस सम्बन्धी सामान्य वाद-विवाद के बाद लॉर्ड अर्विन ने गांधीजी और मि० इमर्सन से आपस में मिलकर कोई हल निकालने के लिए कहा और वह निकाल भी लिया गया।

इसके बाद टाजीरी पुलिस के बारे में बातचीत हुई और वह सन्तोषजनक रही। यह तय रहा कि इसके बाद जुर्मोने वसूल नहीं किये जायेंगे लेकिन अभी तक जो रकम वसूल हो चुकी है वह नहीं लौटाई जायगी। कैदियों की रिहाई के बारे में वाइसराय ने उदारता और सहानुभूति के साथ विचार करने का वादा किया। पहली मार्च की रात को जेल-सम्बन्धी और दंगा, शराब व चोरी के जुर्मों पर विचार हुआ। प्रसंगवश यहाँ यह भी बताना देना आवश्यक है कि शाम को भोजन के बाद गांधीजी फिर से वाइसराय-मवन गये थे और बातचीत पुनः जारी हुई थी। गांधीजी ने नजरबंदों का भी प्रश्न उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया कि सामूहिक रूप में नहीं पर वैयक्तिक रूप में वह उनके मामलों की तहकीकात अवश्य करेंगे। जन्त सन्धि के बारे में तय हुआ कि उसमें से जो बिक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकती। गांधीजी से कहा गया कि इसके लिए वह प्रान्तीय सरकारों से मिलें, क्योंकि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों से सीधी बातचीत चलाने के लिए तैयार नहीं है। मगर जब जमीनों के बारे में बम्बई-सरकार के नाम एक विचारशील चिट्ठी गांधीजी को देने का वाइसराय ने वादा किया।

गांधीजी ने इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री बल्लभभाई पटेल ने गुजरात के उन दो बिन्धी-कलक्टरों का मामला भी इसमें शामिल करने के लिए कहा जिन्होंने लद्दाई के समय पद-त्याग किया था। नमक के बारे में तो स्थिति अच्छी ही रही। जिन जगहों पर नमक अपने-आप तैयार होता है वहाँ से आजादी से नमक लेने-देने का वाइसराय ने आश्वासन दिया। यह एक ऐसी मुविषा थी जो गांधी जी के लिए बड़ी सन्तोष-जनक हुई। पुलिस की ज्यादाियों के प्रश्न पर दोनों ही अड़ गये। गांधीजी ने इस सम्बन्ध में अपने को कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ वह मुझे आदेश देगी मैं तो बाखुरी उसीका पालन करूँगा। "अगर आप बात-चीत तोड़ना चाहें", उन्होंने कहा, "तो मैं बातचीत तोड़ने के लिए ही वाइसराय के पास जाऊँगा।" वाइसराय से बातचीत करके वह रात के १ बजे वापस आये और रात के २ बजे तक कार्य-समिति के सदस्यों व अन्य मित्रों के सामने भाषण दिया। वाइसराय और मि० इमर्सन दोनों ही अच्छी तरह पेश आये थे। पिक्टिंग के बारे में उसी रात एक हल निकल आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए ३ मार्च का दिन तय रहा, क्योंकि २ मार्च को सोमवार पड़ता था, जो गांधीजी का मौन-दिवस था।

समझौते की जो आशा बंध रही थी, ३ मार्च को उसमें एक और बड़ी कटिनाई उठाने हो गई। बारडोली के किसानों की जमीन लौटाने के मामले पर पहले भी विचार हुआ था, अब फिर उस मामले को उठाया गया। इस बारे में जो भी हल सोचा जाय, वह ऐसा होना लाजिमी था जिसे बल्लभ-भाई मान लें। अतएव दिन की बातचीत में गांधीजी ने वाइसराय से कहा कि मैं कोई ऐसा हल सोच कर कि जो बल्लभभाई को मान्य हो, रात को फिर आऊँगा, इसलिए फिलहाल इस विषय की चर्चा बन्द कर देना चाहिए। उधर, वस्तुस्थिति यह थी कि, वाइसराय की भी अपनी कटिनाइयाँ थीं। यह समझ आता है कि जब बारडोली में करबन्दी-आन्दोलन अपने पूरे जोर पर था तब उन्होंने बम्बई-सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था, कि वाहे कुछ हो, मैं किसानों की जब्त जमीनें लौटाने के लिए कभी नहीं हटूँगा। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि अब उससे बिलकुल उलटी बात लिखने के लिए वह तैयार नहीं थे। उन्होंने चाहा कि गांधीजी सर पुरुषोत्तमदास और सर इब्राहीम रशीमपुल्ला से इसके लिए बीच में पड़ने को कहें, और आशा प्रकट की कि सब ठीक हो जायगा। गांधीजी ने

जैसे विपरीत पर प्रतिबन्ध या संरक्षण भी जितके मुख्य भाग थे।" इस प्रकार गांधीजी और वाह-
 ाय-द्वारा बनाया हुआ यह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया। अब यह उसके
 ार था कि वह चाहे तो उसे मंजूर करे और चाहे तो रद्द कर दे। उसने 'भारत के हितकी दृष्टि से',
 इन शब्दों में कांग्रेस की वचत की गुंजाइश देखी, जिससे कि सरकारी प्रतिबन्धों का दोष कम होयाता
 था। वैसे कार्य-समिति के सदस्यों को यह संदेह तो था ही कि कहीं ऐसा न हो कि इसकी बिलकुल
 उलटी व्याख्या की जाय और निश्चित रूप से भारतीय हितों के विरुद्ध ही इसको बना लिया जाय।
 लेकिन गांधीजी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हरेक बात को बाजारू दृष्टि से नहीं लेते, वह
 तो जैसे अपने शब्दों और वक्तव्यों के लिए यह चाहते हैं कि लोग उनके जाहिरा रूप को ही
 ग्रहण करें उसी प्रकार दूसरों के शब्दों और वक्तव्यों के भी जाहिरा रूप को ही लेते हैं। लेकिन
 यह तो अपनी तरफ से हथियार रख देना हुआ। वल्लभभाई समझौते के जमीनों सम्बन्धी अंश से सह-
 मत नहीं थे। जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी अंश नपसन्द था। कैदियों वाली बात पर तो किसी
 को भी सन्तोष न था। लेकिन अगर हरेक मुद्दा ऐसा होता कि उसपर हरेक को सन्तोष हो जाता तो
 फिर वह समझौता ही कहाँ रहता, वह तो कांग्रेस की जीत ही न होती। जब कांग्रेस समझौता या राजी-
 नामा कर रही थी तब ऐसा नहीं हो सकता कि उसी-उसकी बात रहे। अलबत्ता कार्य-समिति चाहे तो
 प्रस्तावित समझौते के किसी मुद्दे को या सारे समझौते को ही रद्द कर सकती थी। गांधीजी ने अलग-
 अलग कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर,
 जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी बात पर या हरेक बात पर, या आप कहें तो समूचे समझौते पर मैं
 मुसलह की बातचीत तोड़ दूँ ? समझौते की आखिरी धारा पर, जिसमें सरकारने अपने लिए यह अधि-
 कार रक्खा था कि "यदि कांग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमल न कर सके तो उसे
 (सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा जो, उसके परिणामस्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियोंकी
 रक्षा और कानून-व्यवस्था के उपयुक्त अमल के लिए आवश्यक हो," यह ऐतयाज उठा कि यह हक
 दोनों पक्षों के बजाय एक ही के लिए क्यों रक्खा गया ? दूसरे शब्दों में, ऐतयाज करनेवालों का कहना
 था कि एक धारा इसमें और जोड़ी जाय, कि यदि सरकार इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमल
 न कर सके तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा की घोषणा कर सकेगी। लेकिन यह समझना कोई बहुत मुश्किल
 बात नहीं थी कि कांग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अवज्ञा की शुरुआत नहीं की थी, इसी
 तरह उसकी फिर से शुरुआत करने के लिए भी उसे स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इस प्रकार १५ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच सूत्र गहरा वाद-विवाद होने के बाद
 यह समझौता बनकर तैयार हुआ। गांधीजी और लार्ड अर्बिन ने जो भेष्टतम गुण थे उनमें से कुछ
 का इस बातचीत के दौरान में पूरा प्रयोग हुआ। उसीके परिणाम-स्वरूप (५ मार्च १९३१ को) यह
 समझौता हुआ, जो व्यो-का-स्यों नीचे दिया जाता है:—

सरकारी विज्ञापित

"सर्व-साधारण की जानकारी के लिए कौंसिल-सदित गवर्नर-जनरल का निम्न वक्तव्य प्रका-
 शित किया जाता है:—

(१) वादचलय और गांधीजी के बीच जो बात-चीत हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह व्यवस्था
 की गई है कि सविनय-अवज्ञा-संघटन बन्द हो, और सम्राट्-सरकार की सहमति से भारत-सरकार
 तथा प्रांतीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करें।

(२) विधान सम्बन्धी प्रश्न पर, सम्राट्-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान
 के वैच-रासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायगा जिसपर मोलमेला-परिषद् में पहले विचार

चाहा कि वाइसराय स्वयं ऐसा करें। आखिरकार वाइसराय बम्बई सरकार के नाम ऐसा पत्र लिखने को तैयार हुए कि जमीनों प्राप्ति कथने के मामले में पूर्वोक्त दोनों महानुभावों की मदद की जाय। और अखिलियत को यह है कि इस बातचीत के दौरान में बम्बई-सरकार के रेवेन्यू-मेम्बर मी दिल्ली पहुंचे थे, जो, यह स्पष्ट है, इस सम्बन्धी बातचीत के लिए ही बुलाये गये थे। भीलमू, भी जयपुर और हाथरस शायी जी ने, जब कोई कठिनार्थ उदरान्न हुई तो उसे मुसलमानों के लिए, बड़ा काम किया।

गांधी-अहिंस समझौते की १७ (स) धारा, भारत सरकार और गांधीजी के बीच, बहुत दूर बाद-विवाद का विषय बन गई थी। यह धारा इस प्रकार है :—

“जो अखिल सम्मति बेची जा चुकी है उसका सौदा, जहाँ तक सरकार से सम्बन्ध है, अहिंस ही सम्भव जायगा।”

नोट—“गांधीजी ने सरकार को बताया है कि, जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसी कि उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली बिक्री में कुछ अयवर ऐसी हैं जो गैरकानूनी तरीके से ही अन्यायपूर्वक हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसको देखते हुए वह इस धारणा को मंजूर नहीं कर सकती।”

आरजी मुलाह

इसपर लाम्बी बहस हुई और ३ तारीख के सायंकाल एक बार फिर ऐसा मालूम पड़ने लगा कि बस अब समझौते की बातचीत भंग हुई। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट में उल्लिखित इल निम्नला यह और उसके साथ धारा (स) में यह वाक्य भी जोड़ा गया कि ‘जहाँ तक सरकार से सम्बन्ध है’—ये कि सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और सर इब्राहीम रहीमतुल्ला जैसे लोगों के बीच में पड़कर सम्भव हो तो किसानों को जमीनों वापस दिलाने की गुंजाइश रखने की गर्ज से किया गया।

३ तारीख की रात के २॥ बजे (अर्थात् ४ मार्च १९३१ के बड़े सवेरे) गांधीजी का स्वयं भवन से वापस लौटे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा में जाग रहे थे। गांधीजी बड़े उत्साह में थे। मामूले मुवाबिक गांधीजी ने उस रात की सब घटनायें कार्य समिति के सदस्यों को सुनाई। कार्य-समिति के सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये इल पर स्वयं गरभागरम बादविवाद हुआ कि क्योंकि पहले-पहल उसका जो मतविदा बनाया गया उसमें मुसलमान दुकानदारों के यहाँ पिक्टिंग करने की धारा रक्खी गई थी। सरकार उसे रखना चाहती थी, लेकिन अन्त में उसे छोड़ ही दिया गया। समझौते की हरेक मद में थोड़ी-बहुत खामी थी। कैदियों की रिहाई में सिर्फ सत्यागरी कैदियों का उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ यह कहा गया कि तद्वसील में उनका विचार किया जायगा। शोलापुर के और गढ़वाली कैदियों का तो उसमें जिक्र ही न था। पिकेटिंग सम्बन्धी धारा के कारण विशेषतः ब्रिटिश माल पर ही धरना नहीं दिया जासकता था। जन्तुशुदा या बेच ही जानेवाली जमीनों की वापसी स्वयं ही एक समस्या बन गई थी, क्योंकि १७ (स) धारा उसमें मौजूद थी, जो कांग्रेस के लिए एक बिकट समस्या थी।

आखिरी बैठक में आखिरकार गांधीजी ने स्वयं ही विधान-सम्बन्धी एक अत्यन्त आकरक विषय को तय कर लिया, अखिलियत यह शर्त रक्खी गई कि यदि कार्य-समिति उसे मंजूर कर ले। गांधी जी उस योजना पर आगे विचार खलाने के लिए तैयार हो गये, जिसपर “भारत में वैध शासन स्थापित करने की दृष्टि से गोलमेज-परिषद् में विचार हुआ था और जिस योजना का सध शासन को अहिंस कार्य अंग था ही, पर साथ ही भारतीय उत्तरदायित्व और भारतके हित की दृष्टि से रखा (सिन्), वैश्विक मामले, अखिलियत जातियों की स्थिति, भारत की आर्थिक हाल और जिम्मेदारियों की अख-

के व्यवहार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि उपाय काम में नहीं लाये जायेंगे जिनसे कानून की मर्यादा का भंग होता हो। पिकेटिंग उग्र न और उसमें जबरदस्ती, धमकी, इकावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में बाधने या ऐसे किसी उपाय को प्रवृत्त नहीं किया जायगा जो साधारण कानून के अनुसार जुर्म यदि कहीं इन उपायों से काम लिया गया तो वहाँ की पिकेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी जायगी।

(८) गांधी जी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अभियोग भी पेश किये हैं, जिनकी सार्वजनिक जाच कराई जाने की उन्होंने प्रकट की है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा करने में बड़ी कठिनाई दिखाई है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नतीजा यह होगा कि एक-दूसरे पर अभियोग-प्रति अभियोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने में बाधा पड़ेगी। इन बातों का खयाल करके, गांधी जी इस बात पर आग्रह न करने के लिए राजी होते हैं।

(९) सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के बन्द किये जाने पर सरकार जो कुछ करेगी वह इस प्रकार है—

(१०) सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के विलसिले में जो विशेष कानून (आर्बिनेन्स) जारी किये हैं वे वापस ले लिये जायेंगे।

आर्बिनेन्स न० १ (१९३१), जो कि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस भारत-क्षेत्र में नहीं आता है।

(११) १९०८ के क्रिमिनल-लॉ-अमेपटमेण्ट-एक्ट के मातहत सत्याग्रहों की गैर-कानूनी करार के हुकम वापस ले लिये जायेंगे, बराबरे कि वे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के विलसिले में जारी किये हैं।

धर्मा की सरकार ने हाल में क्रिमिनल-लॉ-अमेपटमेण्ट-एक्ट के मातहत जो हुकम जारी किया वह इस भारत के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता।

(१२) १. जो मुकदमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा, यदि वे सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के विलसिले में चलाये गये होंगे और ऐसे अपराधों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा विरुद्ध के लिए होगी या ऐसी हिंसा को प्रोत्साहन देने की बात हो।

२. यदि सिद्धान्त जान्ता-फौजदारी की जमानती धाराओं के मातहत चलने वाले मुकदमों पर गू होगा।

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने बकालत करने वालों के खिलाफ सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के विलसिले में 'लोगल प्रैक्टिसनर्स एक्ट' के अनुसार मुकदमा चलाया होगा या इसके लिए हाईकोर्ट दरखास्त की होगी तो वह सम्बन्धित अदालत में मुकदमा लौटाने की इजाजत देने के लिए दर-गास देगी, बराबरे कि सम्बन्धित ब्यक्ति का कथित आचरण हिंसात्मक या हिंसा को उनेत्रन देने वाला न हो।

४. सेनिकों या पुलिस वालों पर चलने वाले हुकम-उद्वृत्ती के मुकदमों, अगर कोई हों, इस भारत के कार्य-क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

(१३) १ वे केश छोड़े जायेंगे, जो सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के विलसिले में ऐसे अप-

हो चुका है। वहाँ जो योजना बनी थी, संप-शासन उसका एक अनित्य अंग है; इसी प्रकार
 १९११-१२ की शुरुआत और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा (सिमा), वैदेशिक मामले, अंतरराष्ट्रीय
 की स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों की श्रद्धापूर्वक जैसे विषयों के प्रतिबन्ध
 संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग हैं।

(३) १६ जनवरी १९३१ के अपने यक्तव्य में प्रधान-मंत्री ने जो घोषणा की है उसके
 तार, ऐसी कार्रवाई की जायगी जिससे शासन-गुप्तियों की योजना पर आगे जो विचार हो
 कॉंग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग ले सकें।

(४) यह सम्भवता उन्हीं बातों के सम्बन्ध में है, जिनका सविनय-अवज्ञा-आंदोलन से
 सम्बन्ध है।

(५) सविनय-अवज्ञा अमली रूप में बन्द कर दी जायगी और (उसके बदले में) स
 अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करेगी। सविनय अवज्ञा-आंदोलन को अमली तौर पर बन्द करने
 मतलब है उन सब हलचलों को बन्द कर देना, जो कि किसी भी तरह उसको बल पहुँचानेवाली हो
 खासकर नीचे लिखी हुई बातें—

१. किसी भी कानून की धाराओं का संगठित भंग।

२. लगान और अन्य करों की बन्दी का आंदोलन।

३. सविनय-अवज्ञा-आंदोलन का समर्थन करनेवाली स्वरों के परचे प्रकाशित करना।

४. मुल्की और फौजी (सरकारी) नौकरियों को या गाँव के अधिकारियों को सरकार के खिला
 अवज्ञा नौकरी छोड़ने के लिए आमदा करना।

(६) जहाँ तक विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्न उठते हैं—एक तो ब
 प्रकार का रूप और दूसरा बहिष्कार करने के तरीके। इस विषय में सरकार की नीति यह है—भार
 की माली हालत को ठीक करने के लिए आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति के दिव्य अंगी
 गये आंदोलन के अंग-रूप भारतीय कला-कौशल को प्रोत्साहन देने में सरकार की सहमति है और
 इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शांति से समझने-सुझाने व विशापनवाजी के उन उपायों में ब
 बंद डालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न
 और जो कानून व शांति की रक्षा के प्रतिकूल न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार (वि
 कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सविनय अवज्ञा-आंदोलन के दिनों में—सम्पूर्ण
 नहीं तो भी प्रधानतः—ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लागू किया गया है और यह भी निश्चित रूप से
 राजनैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए दबाव डालने की गरज से।

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का और इस उद्देश्य से किया जानेवाला बहिष्कार ब्रिटिश
 भारत, देशी राज्य, सम्राट की सरकार और इंग्लैंड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच
 होनेवाली स्पष्ट और मित्रता-पूर्ण बातचीत में कॉंग्रेस के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस सम-
 भौते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा। इसलिए यह बात तय पाई है कि सविनय-अवज्ञा-आंदोलन
 बन्द करने में ब्रिटिश माल के बहिष्कार को राजनैतिक-राज्य के तौर पर काम में लाना निश्चित रूप
 से बन्द कर देना भी शामिल है; और इसलिए आंदोलन के समय में ब्रिटिश माल की स्वीर-
 कोस्त बन्द कर दी थी वे यदि अपना निश्चय बदलना चाहें तो अबाध-रूप से उन्हें देना करने
 दिया जायगा।

(७) विदेशी माल के स्थान पर भारतीय माल का व्यवहार करने और शराब आदि नहीली

जन्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्जे में है वह लीज दी जायगी, बरतें कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को उचित शर्तों के भीतर-भीतर चुका देने से जान बूझकर हीलाहवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित शर्तों क्या है, उन मामलों का खयाल रखना जायगा जिनमें देनदार लोग शक्य श्रद्धा करने के लिए राजामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुलतवी कर दिया जायगा।

(स) जहां अचल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी, जहा तक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा अन्तिम सम्भ्रज जायगा।

नोट—गांधी जी ने सरकार को बताया है कि जैसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि उनका विश्वास है, इस तरह होनेवाली वित्तों में कुछ अवश्य ऐसी हैं जो गैर-कानूनी तरीके से और अन्यायपूर्ण हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सम्बन्धी जो जानकारी है उसे देखते हुए वह इस धारणा की मंजूर नहीं कर सकती।

(द) सम्पत्ति की जन्ती या उसपर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति यो लूट रहेगी।

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं जिनमें बयली कानून की धाराओं के अनुसार नहीं की गई है। ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई हों, प्रान्तिक सरकारें जिला-अफसरों के नाम हिदायतें जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये उसकी वे तुरन्त जाच करें और अगर यह साबित हो जाय कि गैर-कानूनीपन हुआ है तो अविलम्ब उसको रका-दफा करें।

(१९) जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया है उनके रिक्त-स्थानों की जहां स्थायी-रूप से पूर्ति हो चुकी होगी वहां सरकार पुनः (इस्तीफा देनेवाले) व्यक्ति को पुनः नियुक्त नहीं कर सकेगी। इस्तीफा देनेवाले अन्य लोगों के मामलों पर उनके गुण-दोष की दृष्टि से प्रान्तिक सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दरखास्त करनेवाले सरकारी कर्मचारियों व प्रामीय अधिकारियों की पुनःनियुक्ति के बारे में उदार-नीति से काम लेंगी।

(२०) नमक-व्यवस्था-सम्बन्धी मौजूदा कानून के भंग को गवाय करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए नमक-कानून में ही कोई खास तन्दीली की जा सकती है।

परन्तु जो लोग अपादा शरीर हैं उनके सहायताार्थ, इस सम्बन्ध में लागू होनेवाली धाराओं को वह (सरकार) इस तरह विस्तृत कर देने को तैयार है, जैसा कि अभी भी कई जगह हो रहा है, जिससे जिन स्थानों में नमक बनाया या इकट्ठा किया जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के गांवों के बाशिन्दे वहां से नमक ले सकेंगे; लेकिन यह सिर्फ उनके अपने उपयोग के ही लिए होगा, बेचने या बाहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं।

(२१) यदि कांग्रेस इस समझौते की बातों पर पूरी तरह अमल न कर सकी तो, उस हालत में, सरकार वह सब कार्रवाई करेगी जो, उसके परिणाम-स्वरूप, सर्व-साधारण तथा व्यक्तियों के मरदण एवं कानून और व्यवस्था के उपयुक्त परिपालन के लिए आवश्यक होगी।

भगतसिंह आदि की फाँसी

समझौते की बातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिंह और उनके साथी राजगुरु व मुखर्ज

राशियों के लिए बेर भोग रहे होंगे जिनमें नम मास की दिना को छोड़ कर और किसी प्रकार की या दिना के लिए उपेक्षा का समावेश न हो।

२. पूर्वीक १ क्षेत्र में जाने वाले क्रिया केरी को यदि मास में जेल का कोई देना करने के लिए भी सजा हुई होगी कि जिनमें नम मास की दिना को छोड़ कर और किसी प्रकार या अदिना के लिए उपेक्षा का समावेश न हो तो यह सजा भी रद्द कर दी जायगी, या यदि अग्रपथ-मास-भी कोई मुकदमा चल रहा होगा तो वह वाग्य से लिया जायगा।

३. रोग या पुलिस के जिन घातकों को दुबम-उदुली के अग्रपथ में सजा हुई है—कि बहुत नम हुआ है—ये इस मुकद्दे के क्षेत्र में नहीं आयेंगे।

(१४) जुमाने जो वसूल नहीं हुए हैं, माफ कर दिये जायेंगे। इसी प्रकार जमाना-श्री-भी जमाना-भारतों के मातहत निम्नो हुए जमाना-जम्मी के दुबम के बावजूद जो जमाना वसूल हुई होगी उन्हें भी माफ कर दिया जायगा।

जुमाने या जमानों को जो रकमें वसूल हो चुकी हैं, चाहे वे किसी भी कानून के मुताबिक हों, उन्हें वापस नहीं किया जायगा।

(१५) सविनय अग्रहा-ग्रान्दोलन के सिलसिले में किसी खास स्थान के बागिन्दों के लिए जो अतिरिक्त-पुलिस वेतन की गई होगी उसे प्रान्तिक सरकारों के निरनय पर उठा लिया जायगा इसके लिए वसूल की गई रकम, अतला खर्चों से जायद हो तो भी, लौटायी नहीं जायगी, लेकिन रकम वसूल नहीं हुई है वह माफ कर दी जायगी।

(१६) (अ) यह चल सम्पत्ति जो गैर-कानूनी नहीं है और जो सविनय अग्रहा-ग्रान्दोलन के सिलसिले में आर्डिनेन्सों या फौजदारी-कानून की धाराओं के मातहत अधिभूत की गई है, का अभी तक सरकार के कब्जे में होगी तो लौटा दी जायगी।

(ब) लगान या अन्य करों की वसूली के सिलसिले में जो चल-सम्पत्ति जन्म की गई है वह लौटा दी जायगी, जब तक कि जिले के कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि बकैयादार अपने जितने निकलती हुई रकम को उचित अग्रधि के भीतर-भीतर जुझा देने से जान-बूझ कर हीला-हवाला करेगा। यह निर्णय करने में कि उचित अग्रधि क्या है, उन मामलों का खास सफल रक्ता जायगा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत हो तो उनका लगान भी लगान-व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार मुलतवी कर दिया जायगा।

(,घ) मुकसान की भरपाई नहीं की जायगी।

(द) जो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरकार-द्वारा अंतिम रूप से जितना भुगतान कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी बिक्री से प्राप्त रकम ही लौटाई जायगी, सिवा उस धरत के कि जब बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम उस रकम से ज्यादा हो जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति बेची गई हो।

(इ) सम्पत्ति की जम्मी या उस पर सरकारी कब्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस बिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति को छूट रहेगी।

(१७) (अ) जिस अचल-सम्पत्ति पर १९३० के नवें आर्डिनेन्स के मातहत कब्जा किया गया है उसे आर्डिनेन्स के अनुसार लौटा दिया जायगा।

(ब) जो जमीन तथा अन्य अचल-सम्पत्ति लगान या अन्य करों की वसूली के सिलसिले में

उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। ब्रिटिश-भारत या देशी-रियासतों में बसनेवालों में वह कोई भेद-भाव नहीं करती।

“कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक थाम के साथ रियासतों के मामलों व उसके कारोबार में दखल देने से अपने-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर किया है कि रियासतों की मावनाओं को अनावश्यक चोट न पहुंचे, और इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त अवसर आवे तो यह कैद, जो उसने अपने-आप लगा रखी है, रियासतों पर अपना असर डालने में काम आवे। मेरा विचार है कि वह अवसर अब आ गया है। क्या मैं इस बात की आशा करू कि हमारे बड़े नोरा रियासती प्रजा की ओर से कोई कांग्रेस की अपील पर कान बन्द न कर लेंगे ?

“अप्रेजों से भी मैं एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ। यदि भारत को परिषदों व विचार-विमर्श के जरियों से ही अपने निश्चित उद्देश को प्राप्त करना है तो अप्रेजों की सद्भावना व सक्रिय-सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी। मुझे यह बात कदनी पड़ेगी कि लंदन में पहली परिषद् में जिन-जिन बातों को उन्होंने मान लिया है वह तो उसका आधा भी नहीं है जिस ध्येय तक कि भारत पहुंचना चाहता है। यदि वे वास्तव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें भारत को भी उसी स्वतन्त्रता की मस्ती का अनुभव करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वयं मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। उन्हें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वे भारत को गलतिया करने के लिए छोड़ दें। यदि गलती करने की, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वतन्त्रता किस काम की ? यदि परम-पिता परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव को गलती करने की स्वतन्त्रता दी है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे कैसे मनुष्य-जीव होये जो, चाहे वे कितने ही अनुभवी और योग्य क्यों न हों, दूसरी जाति के मनुष्यों के इस अमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं ?

“खैर, कुछ भी हो, कांग्रेस को परिषद् में आमंत्रित करने से यह तारतम्य खुब अच्छी तरह निकल आता है कि अयोग्यता के अलावा किसी और कारख-बरा उसे पूर्ण से-पूर्ण स्वाधानता पर जोर देने से नहीं रोका जा सकता। कांग्रेस भारत को उस बोमार बालक की भांति नहीं मानती जिसे देख-भाल, सेवा-सुभूषा व अन्य सहायों की जरूरत हो।

“अमरीकन राजतन्त्र व सत्तार के अन्य राष्ट्रों की जनता से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व अहिंसा है—लेकिन जिसे हम उसके उपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हैं—उनके मन पर बड़ा असर डाला है और उनमें उत्सुकता पैदा की है। उत्सुकता ही नहीं; वे हमसे भी आगे बढ़े हैं। उन्होंने, और खासकर अमरीका ने, सहानुभूति के द्वारा हमारी प्रसन्न मदद भी की है। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर से मैं कहता हूँ कि इस सहानुभूति के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस अब जिस मुश्किल काम में पकनेवाली है उसमें हमें न केवल उनकी यह वर्तमान सहानुभूति ही प्राप्त रहेगी बल्कि वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती भी जायगी। मैं बड़ी नम्रता से यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि यदि सत्य व अहिंसा के द्वारा भारत अपने ध्येय तक पहुंच गया तो जिस विश्व शांति के लिए सत्तार के सब राष्ट्र तैयार रहे हैं, उसके दिव में बड़ा भारी काम दिलायेगा और इन राष्ट्रों ने उसे जो स्वालंकर जो सहायता दी है, उसका कुछ थोड़ा सा बदला भी चुक जायगा।

“मेरी आखिरी अपील पुलिस व सिविल-सर्विस अर्थात् सरकारी अधिकारियों से है। सम-भोजी में एक वाक्य है, जिसमें जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ उपाधियों की जांच की मांग की थी। इस जांच की मांग को छोड़ देने का कारण भी समझौते में दिया गया है। महकमा

से फिर गया है। यह स्वाभाविक ही था। कांग्रेस मोलमेज-परिषद् में भाग ले सके इसके पहले वे बातों का पूरा होजाना आवश्यक है। इनका उल्लेख होना अत्यन्त आवश्यक था। लेकिन कांग्रेस का ध्येय पुरानी भूलों का सुधार करना नहीं है, यद्यपि यह भी है महत्वपूर्ण; उसका ध्येय तो पूर्ण स्वतन्त्र है, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करके 'पूर्ण स्वाधीनता' कहा जाता है। अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत में यह जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। सम्भवतः मर में ही मनमोहक शब्द कहीं नहीं दिखाई देता। जिस धारा में यह शब्द छिपा हुआ है, वह द्विअर्थक है।

"सह-शासन (फेडरेशन) मृगतृष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव राष्ट्र का रूप धारण कर सकता है जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका शरीर मजबूत बन जाय।

"इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया है, वह या तो बिल्कुल ह्याया के समान निकल हो या बड़ा ऊँचा, विशाल व न झुकने वाले बरगद के पेड़ के सदृश हो सकता है। भारत के विषय में सरक्षण भी बिल्कुल भोखे से भरे और इसलिए ऐसे रस्सों के समान हो सकते हैं जिनसे देश चारों ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक छोटे व मुलायम पीधे की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर लगा दी जाती है।

"एक दल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा। इस धारा के अनुसार दोनों दल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने परिषद् की कार्यवाही में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि यह संघ-शासन, उत्तर-दायित्व, सार्वभौम, प्रतिबन्ध अथवा उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है कि उनसे देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उन्नति हो।

✓ "यदि परिषद् ने कांग्रेस की स्थिति को ठीक ठीक समझकर मान लिया तो, मेरा दावा है, इसका परिणाम "पूर्ण-स्वाधीनता" होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह मार्ग बहुत कठिन और पड़ा देने वाला है। मार्ग में बहुत-सी चट्टानें हैं और बहुत से गड्ढे हैं। लेकिन यदि कांग्रेस-वादी इस नये काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुझे इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं रह सकता। अतः यह उन्हीं के हाथ में है कि वे इस नये अवसर का, जो उन्हें मिला है, अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण अवसर ही खो दें।

"मैं जानता हूँ कि इस कार्य में कांग्रेस को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी—भारत के नरेशों की और स्वयं अंग्रेजों की भी। इस अवसर पर मुझे भिन्न-भिन्न दलों से आशीर्वाद करने की जरूरत नहीं। मुझे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतन्त्रता की उन्हीं भी उतनी ही आकांक्षा है जितनी कि कांग्रेसवालों की।

लेकिन नरेशों का सवाल दूसरा है। उनका संघ-शासन के विचार को मान लेना भरे लिए निरिच्छत रूप से आश्चर्यजनक था। यदि वे सव-शासित, भारत में बराबरी के सामीप्य बनना चाहते हैं, तो मैं इस बात को कह देना चाहता हूँ कि उन्हें उठी और बढ़ना होगा जिन और बढ़ने की इच्छा-भारत इतने क्यों से कोशिश कर रहा है।

"पूर्ण एकतन्त्री शासन, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, व निरुद्ध लोकमना से दो ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रण अवश्य ही कष्ट परेगा। इसलिए, मेरी राय में, उनके लिए आवश्यक है कि वे तने न रहें, अड़े न रहें, और अपने भावो सामीप्य-द्वारा या उसको धार से ही गई आशीर्वाद को बेधनी में न मुनें। यदि वे इस प्रकार की आशीर्वाद को न मुनें तो वे कांग्रेस की स्थिति को बहुत अवसर, स्वतन्त्र और वास्तव में बहुत विराम बन देंगे। कांग्रेस भारत की सारी जनता की प्रतिनिधि है जो

“लेकिन मैं किसी को झूठा दिलावा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और कांग्रेस की जो आकांक्षायें हैं उनका मैं सार्वजनिक तौर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, परिणाम सदा परमात्म के हाथ में है।

“एक व्यक्तिगत बात और। मेरा खयाल है कि सम्मानप्रद समझौता करने के प्रयत्न में मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। मैंने लार्ड अर्विन को अपना वचन दे दिया है कि मैं समझौते की शर्तों का, अर्थात् उनका कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन करने में जी-जान से जुट जाऊँगा। मैंने समझौते का प्रयत्न इसलिए नहीं किया कि पहला अवसर मिलने ही मैं उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ बल्कि इसलिए कि अभी जो अस्थायी है उसे बिलकुल पक्का करने में कोई भी कसर न छोड़ूँ और इसे उस श्रेय तक पहुँचाने वाला पेशवा समझूँ जिसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम है।

“सबसे अन्त में मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो समझौते को सम्भव बनाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं।”

दूसरी मुलाकात

गांधीजी की दूसरी युगान्तकारी मेट दूसरे दिन (६ मार्च १९३१) दिल्ली में ११३ बजे हुई, जिसमें भारत के व विदेशों के कई पत्रकार उपस्थित थे और जिसमें गांधीजी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। इस अवसर पर अमरीका के अयोशिफ्टिड प्रेस के श्री जेम्स मिल्स, 'लन्दन-टाइम्स' के श्री पीटरसन, 'शिकागो ट्रिब्यून' के श्री शिगर, 'बोस्टन ईवनिंग ट्रांसक्रिप्ट' के श्री हाल्टन जेम्स, 'क्रिश्चियन साइन्स मॉनीटर' (अमरीका) के श्री० इगल्स, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री जे० एन० साहनी, और 'पायोनियर' व 'सिविल एण्ड मिलिटरी गजट' के श्री नीदहम आदि पत्रकार उपस्थित थे। प्रश्नोत्तर यहाँ दिये जाते हैं :—

प्र०—आपने अपने कल वाले वक्तव्य में 'पूर्ण-स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में मामूली तौर से 'पूर्ण-स्वाधीनता' होता है। सो 'पूर्ण-स्वराज्य' की आपकी सही व्याख्या क्या है ?

उ०—मैं आपको इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं जो, 'पूर्ण-स्वराज्य' के भाव को व्यक्त कर सके। स्वराज्य का मूल अर्थ तो स्व-राज्य अर्थात् स्व-शासन है। 'स्वाधीनता' से इस प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलता। स्वराज्य का मतलब है आत्म-नियंत्रित-शासन और पूर्ण का मतलब है पूरा। कोई बराबरी का शब्द न मिलने के कारण हमने अंग्रेजी में complete independence (पूर्ण स्वाधीनता) शब्दों को चुन लिया है जिन्हें हर कोई समझता है। 'पूर्ण-स्वराज्य' का यह मतलब नहीं कि किसी भी राष्ट्र से, या इंग्लैण्ड से ही कहिए, सम्बन्ध नहीं रखा जा सकता। लेकिन यह सम्बन्ध स्वेच्छा से और दोनों के फायदे के लिए ही हो सकता है।

प्र०—समझौते की दूसरी धारा को देखते हुए क्या कांग्रेस के लिए युक्तिगत होगा कि वह पूर्ण-स्वाधीनता के प्रस्ताव को, जो उसने मद्रास, कलकत्ता व लाहौर के अधिवेशनों में पास किया था, फिर से दोहराये ?

उ०—अवश्य ही, क्योंकि करांची-कांग्रेस को फिर इसी प्रकार का प्रस्ताव पास करने से रोकने की और आगामी मोलमेत्र-परिषद् तक में उत्तर जोर देने से रोकने की कोई शर्त नहीं है। मैं आपको यह बात बताकर कोई भेद नहीं खोल रहा हूँ कि मैंने इस स्थिति को अन्धी तरह खोल दिया था और समझौते को स्वीकृत करने से पहले अपनी स्थिति भी साफ करली थी।

पुलिस द्वारा शासन की ओर मजबूत चपकती रहती है उसका निर्णय निर्णय एक अर्थात् अंग है।
 ये काम-काज में यह महसूस करते हैं कि भारत शक्ति ही बनाने पर का मानिक बननेवाला है और :
 मजबूती व ईमानदारी से भारत गौरवों की तरह काम करना है, जो उन्हें यह सोचना देता है कि
 अभी से लोगों को अनुभव करा दें कि निर्णय-निर्णय व पुलिस उनके साथ है—अवश्य ही सम्पूर्ण
 योग्य व बुद्धिमान् गौरव, लेकिन हर हाल में गौरव ही, न कि मालिक ।

“मुझे लगते हैं उन हजारों को नहीं लेकिन वेकेंडों तापी बन्दियों के बारे में भी एक राय बन
 है, उनके लिए मेरे पास तार-तार चले जा रहे हैं लेकिन जो मत १२ महीनों में जेल में जाने
 माल्यामही कैदियों के छूट जाने पर भी जेलों में पड़े रहेंगे। स्पष्टिगत रूप से तो उन लोगों के भी, जो
 दिग्गज करने के योग्य हैं, जेल में जाने की प्रणाली पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं जानता हूँ कि वे लोग
 जिन्होंने राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर हिंसा की है, यदि बुद्धिमानी का नहीं तो कम-से-कम देखते
 लिए प्रेम व आत्म त्याग करने का उद्योग दावा तो कर ही सकते हैं जितना कि मैं। इसलिए अभी का
 लगने खापी-सत्यामहियों की रिहाई के बन्धन यदि मैं न्यायपूर्वक उनकी रिहाई का सक्ता तो सचमुच
 ही करता ।

“मेरा विश्वास है कि ये लोग महसूस करेंगे कि मैं न्याय पूर्वक उनकी रिहाई के लिए नहीं
 कर सकता था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे या कार्य-समिति के सदस्यों को उनका
 लयाल ही नहीं है ।

“कामेस ने जान-बूझकर, चाहे अस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग प्रदण किया है।
 यदि कामेसगर्दी ईमानदारी से सम्भोजते की उन शक्तों का जो उनपर लागू होती हैं, पूरी-पूरी तरह से
 मालन करें तो कामेस का गौरव बहुत बढ़ जायगा और सरकार पर इस बात का शिकका बैठ जायगा
 कि जहाँ कामेस ने, मेरी राय में, अवसा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर ली है वहाँ उन्में
 मान्ति बनाये रखने की भी क्षमता है ।

“और यदि जनता कामेस को यह शक्ति और गौरव प्रदान कर दे, तो मैं विश्वास दिलाऊ
 कि वह समय दूर नहीं है जब कि इन कैदियों में से, मय-नजरबन्दों व मेरठ-बहुषन्त्र के कैदियों व
 अन्य अन्वों के, एक-एक छूट जायगा ।

“इस बात में सन्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा फिन्नु कर्मण्य-दल विद्यमान है जो
 भारत की स्वतन्त्रता हिंसात्मक कार्यों-द्वारा प्राप्त करना चाहता है। मैं इस दल से अपील करता हूँ,
 जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि वह अपनी प्रवृत्तियों को बन्द करे। यदि उसे अभी इसमें
 विश्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए। अनुमान है कि
 वे इस बात को तो महसूस कर ही चुके होंगे कि अहिंसा में कितनी जबरदस्त शक्ति है। वे इस बात
 से नहीं मुकुरेंगे कि यह चमत्कारिक सामूहिक-जायति अहिंसा के अग्रगम्य लेकिन अचूक अस्त्र के
 कारण ही हुई है। मैं चाहता हूँ कि वे धीरे-धीरे और कामेस को, या वे चाहें तो मुझे, सत्य व
 अहिंसा की योजना का प्रयोग करने का अवसर दें। दाण्डी-आन्ना को तो अभी पूरा एक साल भी
 नहीं हुआ। तीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय तो काल-चक्र के एक क्षण के समान
 है। क्यों न वे अपने अमूल्य-जीवन को मातृभूमि की सेवा के लिए, जिसका बुलावा शक्ति ही शक्तों
 को दिया जायगा, समर्पित रखें और कामेस को इस बात का अवसर दें कि वह अन्य मय राजनैतिक
 को जिन्हें

उ० (हसकर)—मुझे यही मालूम नहीं कि मैंने जीवन में अबतक कौन-कौनसी सफलतायें पाई हैं और यह उनमें से एक है या नहीं ?

प्र०—यदि आप 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त कर लें तो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता मान सकेंगे ?

उ०—मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हो सके तो मैं उसे श्रवण्य ऐसा मानूँगा ।

प्र०—क्या आप अपने जीवन-काल में 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ?

उ०—यकीनन जरूर । (मुस्कराते हुए) पारचात्म विचारों के अनुसार तो मैं अपने को ६२ साल का सुक ही मानता हूँ ।

प्र०—क्या आप भावी शासन-विधान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायेंगे ?

उ०—हां, यदि वे मुक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हों । अल्प-संख्यकों का ही प्रश्न लीजिए । मेरा स्वयाल है कि हम तबतक बड़े राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को एक पवित्र धरोहर की तरह न मानें । मैं इसे एक न्यायपूर्ण संरक्षण मानूँगा ।

प्र०—सेना व आर्थिक प्रतिबन्धों के बारे में आपकी क्या राय है ?

उ०—आर्थिक ? हां, यदि हमारे ऊपर 'सामाजिक श्रम' है तो जितना हमारे जिम्मे पड़ेगा उसका हमें प्रबन्ध करना होगा । इस हदतक मैं देश की साख और उसकी वृद्धि के लिए एक संरक्षण को मानने के लिए बधा हुआ हूँ । सेना के सम्बन्ध में मेरी बुद्धि जहातक मुझे ले जाती है, मैं इसके अलावा और कोई संरक्षण नहीं सोच सकता कि हमें सैनिकों के वेतनों की तथा उन रातों की पूर्ति की गारंटी करनी पड़ेगी जिन्हें हम, उन ब्रिटिश-सिपाहियों के सम्बन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्वीकार करें ।

प्र०—क्या आप सरकारी कर्जों के लिए मुकर जायेंगे ?

उ०—हमारी तरफ न्यायपूर्वक जो हिसाब निकलेगा उसकी मैं एक-एक कौड़ी स्वीकार करूँगा । लेकिन दुःस्व की बात है कि इस 'मुकरने' की बातचीत ने बहुत कुछ गड़बड़ पैदा दी है । कांग्रेस की यह कमी मन्ग्या नहीं रही कि सरकारी कर्ज के एक रुपये से भी इन्कार करे । कांग्रेस ने तो बेवकल यही माग की है, और वह इसी बात पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर जो कर्ज सादा जाय वह न्यायपूर्ण हो । यह एक ऐसी माग है जो कोई भी खरीदार कोई नर चीज खरीदते समय करेगा । कांग्रेस ने इस बातका प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में फैसला न हो सके तो एक स्वतन्त्र-ट्रिब्यूनल बिठा दिया जाय ।

प्र०—क्या आपकी राय में राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा ?

उ०—अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हां, राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा । लेकिन सम्भव है राष्ट्र-संघ इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार न हो और फिर इंग्लैण्ड भी ऐसे पंच को पसन्द न करे, इसलिए इंग्लैण्ड व भारत दोनों को जो पंच मान्य होगा वह मुझे भी मान्य होगा ।

प्र०—क्या आप इस प्रश्न पर मोलमेज-परिषद् में जोर देंगे ?

उ०—जब राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रश्न पर गौर करने और उन्हें मानने का सवाल आयेगा तो इसपर जोर देना आवश्यक होगा । दूसरे शब्दों में, आप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेदारियों को इसी शर्त पर स्वीकार किया जायगा कि उनकी राष्ट्र-द्रोह जांच-पकड़ाल कर ली जाय ।

"क्या यह आस्थायी-समझौता 'पर्वतीय-प्रवचन' का अमली उदाहरण कहा जा सकता है, जैसा कि आज सुबह के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की राय है ?" एक विदेशी पत्रकार ने पूछा ।

उ०—इस प्रश्न का फैसला मैं नहीं कर सकता । यह आलोचकों का कार्य है ।

प्र०—द्वितीय गोलमेज-परिषद् का भारत में होना आप पसन्द करते हैं या इंग्लैण्ड में ?

उ०—परिस्थिति पर इसका दायिमदार है—मेरा अभी कोई खास विचार नहीं है। तौर पर मैं यह चाहूँगा कि गोलमेज-परिषद् का पूर्वाह्न भारत में हो और फिर उसके सन्दर्भ में हो।

प्र०—क्या आप नियमित रूप से परिषद् में भाग लेंगे ?

उ०—मैं आशा तो करता हूँ और शायद हो भी यही।

प्र०—क्या आप परिषद् में 'पूर्ण-स्वराज्य' के लिए जोर देंगे ?

उ०—यदि हम उसके लिए जोर न दें तब तो हमें अपने अस्तित्व से ही रक्षा देना चाहिए।

प्र०—क्या आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिबन्धों को मान लेंगे ?

उ०—नहीं, इस सम्बन्ध में तो कांग्रेस अपनी स्थिति संसार के सामने स्पष्ट कर चुकी है। कांग्रेस को किसी राजनैतिक परिषद् में भाग लेने का निमन्त्रण देनेवाले को कम-से-कम मालूम होने की आशा रखनी ही चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करने में, जहाँ तक मुझसे सम्बन्ध था; मैंने बहुत सावधानी की है। सम्राट्-सरकार के विचारों के मार्ग अब भी खुला हुआ है कि यदि चाहे तो कांग्रेस को परिषद् में भाग लेने का निमन्त्रण समझौते में ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ तक मैंने समझा है, जिसके अनुसार परिषद् में भाग लेना लाजिमी हो।

प्र०—करांची-कांग्रेस के सामने क्या-क्या विषय आँवेंगे ?

उ०—यह मैं नहीं कह सकता। करांची-कांग्रेस के पहले कार्य-समिति की जो बैठक होगी उस पर निर्भर रहेगा।

प्र०—क्या यह पृथ्वी उचित होगा कि भगतसिंह व उनके साथियों की फाँसी को आजन्म देश-निकाले में परिणत कर दी जायगी ?

उ०—मुझसे यह प्रश्न न करता ही ठीक होगा। इस सम्बन्ध में अल्लखरों में वर्गीकृत निकल चुकी है; जिससे पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझे मतलब निकाल सकते हैं। इससे मैं नहीं कह सकता।

प्र०—क्या आप 'योग इषिदया' निकालने का इशारा कर रहे हैं ?

उ०—हाँ, भरसक जल्दी-से-जल्दी। यह सब समझौते के अमल में आने पर निर्भर है, उसके अनुसार मशीनें आदि, जो प्रेस-आर्डिनेन्स में जन्म की गई थी, वापस आनी हैं। 'योग-इषिदया' निकालने के लिए मैं अत्यन्त उत्सुक हूँ। 'योग इषिदया' अभी तक साइबेरिया-इण्डिया पर छाप लेखन समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए हमने इस सप्ताह में 'योग इषिदया' का प्रकाशन बन्द कर दिया है; क्योंकि समझौते में यह बात शामिल है कि गैर-कानूनी समाचार-पत्रों का प्रकाशन बन्द हो।

प्र०—संविधान को जब सब प्रामाण्य विगड़ गया था, तो ऐसी कौनसी बात हुई जिसने संविधान का साथ बन्ध बन्द दिया ?

उ० (मुस्कराते हुए) - सारे संविधान की मजबूती और सामर्थ्य: (बुद्ध और मुस्कराते हुए) ऐसी ही मजबूती-कारण (हँसी)।

प्र०—क्या आप इन समझौते को अपने अत्यन्त के अन्त की लक्ष्ये वही लक्ष्य समझते हैं ?

उ० (हलकर)—मुझे यही मालूम नहीं कि मैंने जीवन में अबतक कौन-कौनसी सफलतायें पाई हैं और यह उनमें से एक है या नहीं ?

प्र०—यदि आप 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त कर लें तो आप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता मान सकेंगे ?

उ०—मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा हो सके तो मैं उसे अवश्य ऐसा मानूंगा ।

प्र०—क्या आप अपने जीवन-काल में 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ?

उ०—यकीनन जरूर । (मुस्कुराते हुए) पार्श्वगत विचारों के अनुसार तो मैं अपने को दो-दो साल का युवक ही मानता हूँ ।

प्र०—क्या आप भावी शासन-विधान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायेंगे ?

उ०—हां, यदि वे मुक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हों ! अल्प-संख्यकों का ही प्रश्न लीजिए । मेरा खयाल है कि हम अबतक बचे राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को एक पवित्र शरोहर की तरह न मानें । मैं इसे एक न्यायपूर्ण संरक्षण मानूंगा ।

प्र०—सेना व आर्थिक प्रतिबन्धों के बारे में आपकी क्या राय है ?

उ०—आर्थिक ! हां, यदि हमारे ऊपर 'सामंजसिक श्रम' है तो जितना हमारे जिम्मे पड़ेगा उसका हमें प्रबन्ध करना होगा । इस हदतक मैं देश की सास और उसकी वृद्धि के लिए एक संरक्षण को मानने के लिए बंधा हुआ हूँ । सेना के सम्बन्ध में मेरी बुद्धि जहाजक मुझे ले जाती है, मैं इसके अलावा और कोई संरक्षण नहीं सोच सकता कि हमें सैनिकों के वेतनों की तथा उन शर्तों की पूर्ति की गारंटी करनी पड़ेगी जिन्हें हम, उन ब्रिटिश-सिपाहियों के सम्बन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्वीकार करें ।

प्र०—क्या आप सरकारी कर्मों के लिए मुक्त जायेंगे ?

उ०—हमारी तरफ न्यायपूर्वक ओ दिसाव निकलेगा उसकी मैं एक-एक कीड़ी स्वीकार करूंगा । लेकिन दुःख की बात है कि इस 'मुक्त' की बातचीत ने बहुत कुछ गड़बड़ पैदा दी है । कांग्रेस की यह कमी मन्ग्या नहीं रही कि सरकारी कर्म के एक रुपये से भी इन्कार करे । कांग्रेस ने तो केवल यही मांग की है, और यह वही बात पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर जो कर्ज लादा जाय वह न्यायपूर्ण हो । यह एक ऐसी मांग है जो कोई भी खरीदार कोई नर चीज खरीदते समय करेगा । कांग्रेस ने इस बातका प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में पैसला न हो सके तो एक स्वतन्त्र-ट्रिब्यूनल बिठा दिया जाय ।

प्र०—क्या आपकी राय में राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा ?

उ०—छाभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हां, राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा । लेकिन सम्भव है राष्ट्र-संघ इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार न हो और फिर इंग्लैण्ड भी ऐसे पंच को पसन्द न करे, इसलिए इंग्लैण्ड व भारत दोनों को जो पंच मान्य होगा वह मुझे भी मान्य होगा ।

प्र०—क्या आप इस प्रश्न पर गोलमेज-परिषद् में जोर देंगे ?

उ०—जब राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रश्न पर गौर करने और उन्हें मानने का सवाल आएगा तो इसतर ओर देखा जायगा होगा । दूसरे शब्दों में, आप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेदारियों को वही शर्त पर स्वीकार किया जायगा कि उनकी राष्ट्र-द्वारा जांच-पड़ताल कर ली जाय ।

“क्या वह अत्याची-समझौता 'पर्वतीय प्रबन्ध' का अमली उदघाटन कर का लकड़ है, जैसा कि आज मुम्बई के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की राय है ?” एक बिदेसी पत्रकार ने पूछा ।

उ०—इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं कर सकता । यह आलोचकों का कार्य है ।

प्र०—क्या आपकी राय में समझौते के फलस्वरूप विदेशी-कपड़े का बहिष्कार टीला कर देना चाहिए ?

उ०—नहीं, कदापि नहीं। विदेशी कपड़े का बहिष्कार राजनैतिक अर्थ नहीं है। यह तो भारत के एकमात्र सहायक धंधे चरों की उन्नति के लिए है। उसका कार्य सिर्फ विदेशी कपड़े के भारत-आगमन से सम्बन्ध रखता है। यदि सरकार की बागडोर मेरे हाथ में होती तो मैं अवश्य भारी करों की ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी करता। इस प्रकार के संरक्षक-कर इस सरकार-द्वारा लगाया जाना भी मैं सम्भव समझता हूँ। आजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वथा रोक करने के लिए नहीं बल्कि केवल सरकारी आय के लिए हैं।

प्र०—पूर्ण-स्वराज्य का आपका क्या खाका है ?

उ०—मैं तो आकाश में उड़नेवाला आदमी हूँ। इसलिए मैं तो ऐसे कई 'मनोरज्य' कि करता हूँ। 'पूर्ण-स्वराज्य' पूर्ण-समानता का विरोधी नहीं बल्कि आधार है। सर्व-साधारण का दिमाग इस समानता को सहसा नहीं समझ सकता। समानता से मेरा तात्पर्य है कि सरकारी कार्य का केन्द्र-आउनिंग-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना है कि सम्भव है इंग्लैण्ड इस रिषति में लिए गजी न हो।

ब्रिटिश लोग न्यायव्यहारिक आदमी हैं; जिस प्रकार वे अपनी स्वतन्त्रता से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतन्त्रता देना एक कदम और आगे चलना है। मैं जानता हूँ कि भारत के लिए मैं जो समानता चाहता हूँ उसके देने का जब समय आवेगा, तो वे यही कहेंगे कि यह तो हम हमेशा से ही चाहते थे। ब्रिटिश लोगों में अपने-आपको भ्रम में रखने की जैसी खूबी है वैसी और किसी राष्ट्र में नहीं। मेरे विचार से निश्चय ही समानता का तात्पर्य है सम्बन्ध-विच्छेद करने के अधिकार का भी होना।

प्र०—क्या आप अंग्रेजों को और जातियों के मुकाबले में शासक-रूप में अधिक पसन्द करते हैं ?

उ०—मुझे किसी को भी पसन्द नहीं करना है। अपने अलावा मैं और किसी से शक्तिवाना नहीं चाहता।

प्र०—क्या आप ब्रिटिश भण्डे के नीचे 'पूर्ण-स्वराज्य' का होना पसन्द करेंगे ?

उ०—नहीं, इस भण्डे के नीचे नहीं। हाँ, यदि सम्भव हो तो दोनों के एक आम भण्डे के नीचे, और आवश्यक हो तो एक पुण्यक राष्ट्रीय भण्डे के नीचे।

प्र०—परिषद् में जाने से पूर्व क्या आप, हिन्दू-मुस्लिम-समस्या को सुलभ लेने की आशा करते हैं ?

उ०—यह मेरी आकांक्षा तो है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहाँ तक पूरी हो सकेगी। फिलहाल तो मेरा यह विचार है कि इस प्रश्न को हल किये बिना हमारा परिषद् में जाना फलहीन है। परिषद् में जाकर एकता होना, मेरी राय में मुश्किल है।

प्र०—क्या हिन्दू-मुस्लिम-एकता स्थापित करने में बरसों लगेंगे ?

उ०—नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हिन्दू व मुसलमान अन्त में कोई नाइतिहासी नहीं है। नाइतिहासी केवल सतह पर है और इसका अधिक अर्थ इसलिये है कि सतह पर जो आदमी वे बर्तते हैं जो भारत के राजनैतिक दिमाग के प्रतिनिधि हैं।

प्र०—क्या आप इस बात की सम्भावना देखने हैं कि जब 'पूर्ण-स्वराज्य' मिल जायगा तो राष्ट्रीय-सेना हटा दी जायगी ?

उ०—गगन-विहारी आदमी का उत्तर है तो अवश्य, लेकिन मेरा विचार है कि मैं अपने जीवन-काल में तो ऐसा न देख सकूंगा। बिलकुल सेना न रखने की स्थिति तक पहुँचने के लिए भारतीय-राष्ट्र को कई युगों तक ठहरना होगा। सम्भव है कि अर्द्ध की कमी के कारण ही मेरी यह शक्यशीलता हो। लेकिन ऐसी सम्भावना असम्भव नहीं। वर्तमान सामूहिक जाग्रति की उषा अहिंसा पर लोगों के दृढ़कर कायम रहने की—अपवादों को छोड़ दीजिए—किते आशा थी ? इसी बात से मुझे कुछ आशा होती है कि निकट-भविष्य में भारतीय नेता हिम्मत के साथ कह सकेंगे कि अब हमें किसी सेना की जरूरत नहीं। मुल्की कामों के लिये पुलिस पर्याप्त समझी जानी चाहिये।

प्र०—क्या निकट-भविष्य में बोलशेविक आक्रमण होने की आशंका आप नहीं करते ?

उ०—नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं है।

प्र०—क्या बोलशेविक-प्रचार के भारत में फैलने का आपको भय नहीं है ?

उ०—मैं नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार बढ़ावे में आ सकते हैं।

प्र०—आपको बोलशेविज्म में क्या अच्छाई दीखती है ?

उ०—(हंस कर) वास्तव में मैंने बोलशेविज्म का इतना अध्ययन ही नहीं किया। यदि उसमें कुछ अच्छाई है तो भारत को उसे लेने में और अपने-नाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

प्र०—क्या आप भावी सरकार के प्रधान-मंत्री बनना स्वीकार करेंगे ?

उ०—नहीं। यह पद तो नौजवानों और मजबूत आदमियों के लिए है।

प्र०—लेकिन यदि जनता आपको चाहे और अड़ जाय, तो ?

उ०—तो मैं आप जैसे पत्रकारों की शरण दूँगा। (हंसी)

“यदि पूर्ण-स्वराज्य स्थापित हो गया तो क्या आप सब मशीनरी उड़ा देंगे ?” एक अमरीकन पत्रकार ने पूछा।

उ०—नहीं, बिलकुल नहीं। उड़ा देने के बजाय मैं तो अमरीका को शायद और भी अधिक मशीनरी का आर्द्धर दूँगा (हंसी) और कौन कह सकता है मैं ब्रिटिश मशीनरी को ही तरजीह दूँ ? (और अधिक हंसी)

प्र०—स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या आप आश्रम लौटेंगे ?

उ०—मेरा विचार केवल आश्रम देखने का है। जबतक पूर्ण-स्वराज्य का मेरा मत पूरा न हो जायगा तबतक मैं आश्रम में नहीं रहूँगा।

प्र०—सेना-सम्बन्धी प्रश्न के आपके उत्तर से क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप इस बात की सम्भावना नहीं देखते कि अन्तर्राष्ट्रीय पेंचीदगियों को सुलझाने में अहिंसा उपयोगी अस्त्र हो सकता है ?

उ०—अगर संसार के अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत में भी सेना हो तो, मेरा ख्याल है, कि अहिंसा ऐसा अस्त्र बन जायगा। सबसे पहले विचारों में परिवर्तन होगा। कार्य तो सदा धीरे-धीरे होता है। ज्यों-ज्यों समय जायगा, राष्ट्र-विचार-विमर्श तथा पंचायती कैसलों पर अधिकधिक विस्वास करेंगे और शनैःशनैः सेनाओं पर कम। सम्भव है कि सेनायें केवल दर्शन-मात्र की ही चीज रह जायं, जिस प्रकार खिलौने पुरानी किसी चीज के अवशेष होते हैं, न कि राष्ट्र की रक्षा के साधन।

आगे गांधीजी लिखते हैं :—

“यदि किसी का दावा है कि इस तरह की मर्यादित पिनेटिंग से विदेशी कपड़े व शराब का प्यार सफल नहीं हो सकता, तो मैं यही कहूंगा कि बहिष्कार असफल ही रहने दो। कहना होगा इस प्रकार के अविश्वासी लोगों को वास्तव में अहिंसा की उपयोगिता में विश्वास नहीं है। त्रियों इस कार्य के लिए रखने का मेरा उद्देश्य यह था कि इन शर्तों का पूरा पालन हो और अहिंसा का प्रबल बनने।

“यदि अहिंसा का वातावरण हर शरत में साया जा सके तो, मेरा विश्वास है, दोनों बहिष्कार ल सकते हैं। लेकिन यदि हम मर्यादा को पार कर जायें तो तात्कालिक परिणाम चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, हमारे अन्दर कटुता का जहर घुस जायगा और फिर लड़ाई-भंगड़ा शुरू हो सकता। और यदि हम यह युद्ध के शिकार हो जायें, तो बहिष्कार ही नहीं सकता और स्वराज्य केवल प्र-मात्र ही रहेगा। यदि मेरी इन शर्तों को पूरा करके बहिष्कार सफल नहीं होता तो बहिष्कार के सफल होने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूँ।”

करांची-कांग्रेस

कार्य-समिति ने सरदार वल्लभभाई पटेल को करांची-कांग्रेस के सभापति-पद के लिए चुना था, क्योंकि करीब एक साल तक कांग्रेस की ओर छासाधारण परिस्थिति रही थी उनके कारण साधारण प्रणाली-द्वारा सभापति का चुनाव होना सम्भव न था।

करांची-कांग्रेस के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना कोई आसान काम न था; क्योंकि सभापति-पद के आसपास कार्य-समिति के सदस्यों के छूटने पर ही अधिवेशन का होता निश्चित-ता दर्शाई देने लगा था, लेकिन छायापी-सन्धि के माध्य ने करांची-कांग्रेस के प्रबन्धकों की स्थिति बड़ी प्रसमंजस में डाल दी। एक मुमौता अवश्य था— और वह यह कि अब केवल गुलाबी जाड़े रह गये। लाहौर में कांग्रेस ने यह निश्चय किया था कि उत्तम अधिवेशन दिसम्बर में न होकर फरवरी या मार्च में हुआ करे। यह एक हलचल की बात है कि कांग्रेस इस वर्ष अगला वार्षिक अधिवेशन मार्च के महीने में कर सही, क्योंकि छायापी-संधि अभी हाल ही हो चुकी थी। अधिवेशन के मार्च में करने से पहाल की भी कोई जम्बरत नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस अब खुले मैदान में हो सकती थी। केवल एक सभा-मञ्च और ध्यानीठ की जरूरत थी और जमीन के चारों ओर एक पेरा डालने की।

करांची-अधिवेशन के प्रबन्ध की सफलता का बहुत अधिक भ्रम करांची की भुनिमैलिटी को था जिनमें भी जमरोट गेरठा की अप्यदाता व संजालपर में कार्य किया। कांग्रेस के खुले अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले ही २५ मार्च को खुले मैदान में एक मीटिंग की गई; जिनमें चार-आने की प्रवेष्ट-हीट देने वाले गांधीजी को देख और उनका भाषण सुन सही थे। इस प्रकार (१०,०००) हुआ हुआ। यह बड़ी मीटिंग थी जिनमें गांधीजी ने यह वाक्य कहा था, जो अब प्रसिद्ध वाक्य है, “गांधी भने ही सर ऊप लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा।”

सरदार वल्लभभाई पटेल ने अधिवेशन का सम्पत्तित किया। जानने जानने हूँटे-से काम-भरण में समर्थित खुने जाने पर कहा कि यह दौर एक विकार को नहीं हिन्यु मुञ्चत की, जिनमें स्वयंश के मुक में एक बरा भय लिका था, प्रदान किया गया है। जानने कहा कि यदि वरित ने गांधी-अविन समझौता नहीं किया होता तो उनमें जानने जानने का-रको गलती में लय रिया होता। जानने समझौते का कल-विक भयत समझौते हुए पर बहस कि समझौते के रहने हुए कांग्रेस-कारियों का बरत शर्म है।

काले पृष्ठ

करांची-काम्रेस को एक सर्व-भारती आनन्दमयी छद्म के साथ होने जारी थी, वास्तव में लिगद और सन्तान की फायर पटा से फिरकर हुई। काम्रेस के अधिरोपन के प्रारम्भ होने से पूर्व ही भारत के तीन जीवमान भगतसिंह, राजगुरु व सुखदेव पार्थी के सन्ने पर चढ़ाये जा चुके थे। इन तीनों युवकों की आगाम्य उक्त समय काम्रेस-नगर पर भंडवती हुई लोगों को शोक-सन्तान में डुबो रही थी। यह करना अतिशयोक्ति न होगी कि यह यह समय या जब कि भगतसिंह का नाम भी भारत भर में उठना ही आना जाया था और उठना ही लोकप्रिय था जितना कि गांधीजी का। अधिकाधिक प्रयत्न करने पर भी गांधी जी इन तीन युवकों की पार्थी की सजा रद नहीं कर सके थे। लेकिन जो लोग इन तीनों युवकों की मान बचाने के गांधीजी के प्रयत्नों की अभी तक प्रशंसा करते थे, अब इस बात पर वैतर्किकता नाश करने लगे कि इन तीनों शहीदों के सम्बन्ध में पास किये जाने वाले प्रस्ताव की भाषा क्या हो। पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना मुहम्मदअली, मौलवी मजहबुलरफ भी वेवाशंकर भन्नेरी, शाह मुहम्मद खुरेश व सुकनन्धा मुदालिया की मृत्यु पर शोक प्रकटित करने के पश्चात् सबसे पहले अिस प्रस्ताव पर विचार हुआ यह भगतसिंह के सम्बन्ध में ही था। इस प्रस्ताव में यह व भवभेद की बेचल यही बात थी कि भगतसिंह व उसके साथियों की बीता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करते हुए ये शब्द कि 'प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए' भी प्रस्ताव में जोड़े जायं या नहीं। हम वह प्रस्ताव नीचे देते हैं :—

"प्रत्येक प्रकार की राजनैतिक हिंसा से अपने-आपको अलिप्त रखते हुए और उसका विरोध करते हुए यह काम्रेस स्वर्गवासी भग्दार भगतसिंह तथा उनके साथी भी सुखदेव और भी एब्गुब कीरता और आत्म-त्याग की प्रशंसा करती है तथा उनके जीवन-नाश पर उनके दुःखित परिवारों का स्वयं भी शोक का अनुभव करती है। काम्रेस की राय में ये तीनों फासिया अनियन्त्रित प्रति हिंसा का कार्य है तथा प्राण-दण्ड रद करने के लिए ही हुईं छारे राष्ट्र की मांग का पद-दलन है काम्रेस की यह भी राय है कि सरकार ने दो राष्ट्रों में प्रेम स्थापित करने का, जिसकी इस समय निध ही बहुत जरूरत थी, और उस दल को, जिसने हवाश होकर राजनैतिक हिंसा के मार्ग का अवलम्ब किया है, शान्ति के उपाय से जीवने का अत्युत्तम अवसर खो दिया है।"

काम्रेस ने अहिंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए बचत का जो यह वाक्य रखा था उसके सिवाय काम्रेस और कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वाक्य से युवकों का यह दल जो गांधीवाद में विश्वास नहीं करता था, असमल था और उसकी ओर से उक्त वाक्यांश को निष्कास देने के संशोधन पेश किये गये। स्वयंसेवकों के सम्मेलन ने जो उक्त प्रस्ताव को उसमें से यह वाक्य निष्कास कर पास कर दिया। यह वाक्य बाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विवाद का कारण बन गया था। जब करांची में इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा था तो हाते के बाहर उन कुछ युवक-निर्भो-दाय दंगा व हो-दुल्लाह किया गया जिन्होंने एक दिन पूर्व 'प्रातःकाल स्टेशन पर, जब कि गांधीजी सवार बंल्लभ भाई पटेल के साथ करांची से १२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले भंगसों का प्रदर्शन किया था। गांधीजी ने अपने सहज-स्वभाव से उन युवकों के दल को स्वागत किया और बड़े अदब से उनके हाथों से काले फूल ले लिये। यह दल आया तो था उन पर हमला करने के लिए, लेकिन रद गया उनकी 'रदा' के लिए। यह गांधीजी व उनके दल के साथ स्टेशन से कुछ दूर तक गया। दूसरा प्रस्ताव जिस पर काम्रेस ने विचार किया, यह बहिर्दल की रिहाई के बारे में था। उक्त

समय तक यह राह हो चुका था कि बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में सरकार केवल कंग्रेसी-जैसी नीति ही नहीं बरत रही है बल्कि उन बादों से भी मुक्ति रही है और उन रातों को भी तोड़ रही है जो उनमें समझौते के खिलाफले में की थीं। इसलिए कांग्रेस ने अपना यह दृढ़ मन प्रकट किया कि 'यदि सरकार और कांग्रेस के समझौते का उद्देश्य ग्रेट ब्रिटेन और भारत में सद्भाव बढ़ाना है और यदि यह समझौता ग्रेट ब्रिटेन की शासनधिकार छोड़ने की इच्छा को वास्तविकता में प्रकट करता है तो सरकार को चाहिए कि वह सब राजनैतिक बन्दियों, नजरबन्दों तथा विभाषणीय बन्दियों को, जो समझौते की शर्तों में नहीं भी आते हैं, रिहा कर दे और उन सब राजनैतिक प्रतिबन्धों को हटा ले जो सरकार ने भारतीयों पर, चाहे वे भारत में हों या विदेशों में, उनके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कारण, लगा रखी हैं।'

कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 'यदि यह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी तो अन्याय का यह रोप जो हाल की कार्रियों के कारण उत्पन्न हो गया है, कुछ कम हो जायगा।'

गणेशजी का बलिदान

मगतसिंह आदि की फाँसियों के अलावा एक और कारण भी था जिसने करांची-कांग्रेस में उदासी के बादल छा दिये। जब इधर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कानपुर में जोंरों का हिन्दू-मुस्लिम-दंगा शुरू हो गया और श्री गणेशरांकर विचारपी शान्ति व सद्भाव स्थापित करने और मुसलमानों को हिन्दुओं के रोप से बचाने के प्रयत्न में मारे गये। इस घटना ने कांग्रेस व देशको उन्नी प्रकार अन्तर शोकसागर में डुबो दिया जिस प्रकार कि सन् १९२६ में गोहाटी-कांग्रेस के अवसर पर स्वामी भद्रानन्द की हत्या ने किया था। कानपुर के दंगों के बारे में एक शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा। कानपुर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्प्रदायिक कलहों के लिए बन्दनाम रही हो। १९०७ में एक इन्की-दुक्की मार-पीट हुई थी और फिर १९२८ व २९ में। कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही रहते हैं जो बुल आबादी के २ हैं। मुसलमान व अन्य जातियाँ मिलाकर कुल २ होते हैं। मगतसिंह व उनके साथियों को लाहौर में २३ मार्च को फाँसी दी गई थी। देश-भर में हड़तालें की गईं जिनमें बम्बई, करांची, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली की हड़तालें शान्ति पूर्वक समाप्त हो गईं। कानपुर में हड़ताल पूरी नहीं हुई; तीनों राहियों के चित्रों व काले भण्डों-सहित एक बड़ा भारी मातमी जुलूस निकाला गया। हिन्दुओं ने तो अपनी दुकानें बन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं की। कुछ काल पहले जब मौ० मुहम्मदअली मरे थे उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की हड़ताल में भाग नहीं लिया था। वध, अधिक कहने की जरूरत नहीं—चिगारी भी मौजूद थी और शारूद का ढेर भी मौजूद था। २४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का लूटना प्रारम्भ हो गया। २३ मार्च की रात को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अग्निफाण्ड प्रारम्भ हो गये। दुकानों और मन्दिरों में आग लगा दी गई और वे जल-जल कर खाक हो गये। पुलिस ने कोई सहायता नहीं दी। लूट-मार, मार-काट, अग्निफाण्ड व हल्लाडवाजी का बाजार गरम हो गया। लगभग ५०० परिवार अपने घर छोड़-छोड़ कर आस-पास के गाँवों में जा बसे। डाक्टर रामचन्द्र का बड़ा बुरा हाल हुआ। उनके परिवार के सब व्यक्ति, मग्य उनकी स्त्री व बड़े माता-पिता के, दगे में मारे गये और उनकी लाशें नालियों में टूँस दी गईं। सरकारी अनुमान के अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और हुए। कांग्रेस ने शम्भू पुरुषोत्तमदास टयबन व अन्य कुछ मित्रों को शीघ्र ही कानपुर पर भेजा; लेकिन शान्ति के वातावरण को वापस लाना सफल न था। श्री गणेशरांकर से लापता थे। उनकी लाश का पता २९ वा० को जाकर लगा। उन्होंने उस

प्रयत्न करेंगे—खासकर इसलिये कि अपने देश को सेना, परराष्ट्र, राष्ट्रीय श्राय-व्यय तथा आर्थिक-नीति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त हो जाय, भारतवर्ष की विद्रोह-सरकार ने जो लेन-देन किये हैं उनकी जांच होकर इस बात का निरतारा हो जाय कि भारत और इंग्लैण्ड इन दोनों में से कोई भी जब चाहे तब एक-दूसरे से अलग हो जाय। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी कि इसमें ऐसी पटा-बट्टी करें जो भारतवर्ष के हित के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो।

“महात्मा गांधी को कांग्रेस मोलमेन-परिषद के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है और उनके अतिरिक्त जिन्हें कांग्रेस-कार्य समिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे।”

पीड़ित सत्याग्रहियों को बधाई—“गत सविनय अवज्ञा-आन्दोलन में जिन लोगों ने कैद, गोली, संगीन, लाठी, निर्वासन आदि के द्वारा महान् कष्ट उठाये हैं अथवा जन्ती, लूट, जलाने या दमन के अन्य प्रकारों से सगति की हानि उठाई है, उन्हें यह कांग्रेस बधाई देती है। कांग्रेस विरोध कर भारत की स्त्रियों को धन्यवाद देती है जिन्होंने हजारों की संख्या में निकलकर राष्ट्र को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उद्योग में सहायता दी, तथा उन्हें विज्ञापन दिलाती है कि कांग्रेस कोई ऐसा शासन-विधान स्वीकार न करेगी जिसमें स्त्रियों और पुरुषों में भेद किया गया हो।”

साम्प्रदायिक उपद्रव—“बनारस, मिर्जापुर, आगरा, कानपुर तथा अन्य स्थानों के साम्प्रदायिक दंगों को यह कांग्रेस भारतीय-स्वतन्त्रता के उद्योग में परम-पावक समझती है तथा उन लोगों की निन्दा करती है जो ऐसे दंगे करते या कराते हैं, अथवा भूठी अफवाहें उड़ाते हैं। शांति-भंग कराने-वाली उनकी कार्रवाहियों को कांग्रेस अति निन्दनीय समझती है। आग से या अन्य प्रकार से सगति के नाश से तथा नागरिकों की और विशेषकर स्त्रियों-बच्चोंकी हत्या से कांग्रेस की बहुत ही दुःख हुआ है, तथा इस बर्बरता के शिकार बनकर भी जो श्रमी जीवित हैं उनमें और मृत-व्यक्तियों के परिवारों के साथ वह हार्दिक समवेदना प्रकट करती है।”

पूर्ण मद्य-निषेध—“शराब की बिक्री विलकुल बन्द करने के लक्ष्य की श्रांर गत बारह महीनों में राष्ट्र के अप्रसर होने के स्पष्ट चिन्ह देखकर इस कांग्रेस को परम-सन्तोष हुआ है और वह समस्त कांग्रेस संस्थाओं को आशा देती है कि शराब के विरोध में नवीन उत्साह के साथ फिर से आन्दोलन करें तथा आशा करती है कि देश की स्त्रियां शराबियों और नशाखोरो को अपने शरीर, आत्मा और गृह-मुल का सर्वनाश करने से रोकने में दूने उत्साह से काम करेंगी।”

खहर और बहिष्कार—“पिछले दस वर्षों के भीतर सैकड़ों गांवों में काम करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साधारण जनता की गरीबी दिन-दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसत के समय के लिए लोगों के पास कोई सहायक-धन्य न होने से उनको लाचार होकर बेकार रहना पड़ता है, और केवल चर्त्ता ही ऐसी चीज है जो इस अभाव को व्यापक-रूप में पूरा कर सकती है। यह भी देखने में आया है कि चाम्बा और फलतः खहर को भी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते हैं—जिससे गांवों का पैसा दो तरह से छीना जाता है—उनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के लिए पास से पैसा भी देना पड़ता है। इस दुहरे घन-शोषण को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि विदेशी कपड़े और सूत का बहिष्कार किया जाय और उनकी जगह खहर का उपयोग किया जाय। देशी मिलें केवल आवश्यकतानुसार खहर की कमी की पूर्ति करें। अतः यह कांग्रेस सर्व-साधारण से अनुरोध करती है कि विलायती कपड़ा खरीदने से परहेज करें और विलायती कपड़े तथा सूत

का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों ग्रामवासी जनता की भारी हानि होगी।

“और यह काँग्रेस सम्पूर्ण काँग्रेस-कमिटियों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी संस्थाओं को आदेश करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके विदेशी-बहिष्कार को जोरदार बनावें।

“काँग्रेस रियासतों से अनुरोध करती है कि वे इस रचनात्मक-उद्योग में शामिल हो कर विलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने दें।

“काँग्रेस देशी मिलों के मालिकों से अनुरोध करती है कि वे नीचे लिखे कार्य करके महान् रचनात्मक तथा आर्थिक-उद्योग को सहायता पहुँचावें—

(१) खुद हाथ कते सूत का व्यवहार करके ग्रामवासियों के सहायक-वर्ग चरखे को प्रोत्साहन नैतिक पुष्टि दें।

(२) ऐसा कपड़ा बनाना बन्द कर दें जो किसी प्रकार खहर से प्रतियोगिता कर सकता है और इस विषय में चरखा-संघ की कोशिशों में उसका साथ दें।

(३) अपने माल का दाम जहाँ तक हो सके कम-से-कम रखें।

(४) अपने माल में विलायती सूत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें।

(५) दुकानदारों के पास जो विलायती माल पड़ा हुआ है उसको ले लें और उसके बरने में स्वदेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिखे हुए विलायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का प्रवन्ध करें।

(६) मिल-मजदूरों का दरजा ऊपर उठावें और उन्हें यह समझने का मौका दें, कि वे नीचे और नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं।

“बड़े-बड़े विदेशी कोठीवालों को काँग्रेस की यह सूचना है कि यदि वे इस बात को मानें कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार भारत के आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक है, और ऐसा विदेशी व्यापार छोड़ दें जिसके सम्बन्ध में सबकी यह राय है कि उससे भारतीय-जनता की आर्थिक हानि होती है, तथा ऐसे व्यापार की ओर ध्यान दें जो उनके अपने हित के सिवा इस राष्ट्र के लिए भी हितकर हो, तो वे अन्तर्राष्ट्रीय-बन्धुत्व का मोस्ताहन देंगे और व्यापारिक नीति-शास्त्र को भी बहुत अधिक उन्नत करेंगे।”

शान्तिमय-धरना—“विदेशी वस्त्र और मादक-द्रव्यों की बिक्री के बहिष्कार में जो सफलता प्राप्त हुई है उसे यह काँग्रेस हर्ष की दृष्टि से देखती है तथा काँग्रेस-संस्थाओं को आशा देती है कि शान्तिमय धरने के सम्बन्ध में दिलाई न करें, बशर्ते कि यह धरना पूरी तौर से समझौते की उन दृष्टियों के अनुसरण हो जो इस सम्बन्ध में सरकार और काँग्रेस में हुआ है।”

सीमा-सम्बन्धी नीति की निन्दा—“यह काँग्रेस घोषणा करती है कि भारत के लोगों का अन्य देशों और भारत की सीमा के उस पार रहनेवाले लोगों से कोई भयानक नहीं है और वे सर्वोत्तम मित्रता करना और बनाये रखना चाहते हैं। उन-परिणामी सीमा पर ब्रिटिश सरकारें जिस नीति से चल रही हैं और जो आगे बढ़ने की नीति (‘प्यरपर्ट पालिसी’) बरखाती है उसे और सीमा पर के लोगों की स्वतन्त्रता हान्य करने के साधन-सामानों के उद्योग को काँग्रेस पसन्द नहीं करती। काँग्रेस का यह दार्ष्टिक्य है कि भारत की सीमा और सर्वोत्तम इस नीति को लागू करने में न भगवाई जाए।”

सीमा-प्राप्त का स्वत्व—“कॉंग्रेस कहा जाता है कि सीमा-प्राप्त में इस आशय का प्रचार किया जा रहा है कि उस प्रांत के सम्बन्ध में कांग्रेस के विचार अच्छे नहीं हैं तथा यह वाञ्छनीय है कि इस उद्देश को कांग्रेस दूर कर दे, अतः यह कांग्रेस अपनी यह राय दर्ज करती है कि शासन-व्ययक्त भावी-योजना में उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रांत को भारत के अन्य प्रांतों के समान ही शासनाधिकार मिलना चाहिए।”

बर्मा का पृथक्करण—“कांग्रेस यह स्वीकार करती है कि बर्मा-वासियों को इस बात का अधिकार है कि वे यदि चाहें तो भारतवर्ष से अलग होकर एक स्वतन्त्र बर्मा-राज कायम करें या स्वतन्त्र-भारत का एक पूर्णाधिकार-प्राप्त अंग बनकर रहें और जब चाहें तब उन्हें भारतवर्ष से अलग हो जाने का अधिकार रहे। तथापि बर्मा-वासियों को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवसर दिये बिना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध बर्मा को जबरन भारत से अलग करने की ब्रिटिश-सरकार की चेष्टा की यह कांग्रेस निन्दा करती है। मालूम होता है कि यह प्रयत्न जान बूझ कर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश प्रभुत्व बना रहे, जिसमें बर्मा और सिंगापुर, जहां मिट्टी का तेल बहुत निकलता है और जो सैनिक-दृष्टि से बड़े महत्व का स्थान है, मिलकर पूर्वी एशिया में ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का मजबूत अड्डा बन जाय। यह कांग्रेस इस नीति का घोर विरोध करती है जिसका नतीजा यह हो कि बर्मा एक ब्रिटिश शासित देश बना रहे और उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति से ब्रिटिश-साम्राज्य-वादियों का उद्देश सिद्ध होता रहे और इस प्रकार वह स्वतन्त्र-भारत तथा पूर्व के अन्य राष्ट्रों के लिए एक खतरा बना रहे। कांग्रेस चाहती है कि बर्मा की सरकार को जो विशेष अधिकार दिये गये हैं वे वापस ले लिए जाय और उसकी यह घोषणा भी रद्द कर दी जाय, कि बर्मा की प्रतिनिधि-मूलक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-संस्थाएं गैर-कानूनी हैं, ताकि वहां की अवस्था पुनः स्वाभाविक हो जाय और बर्मा के भविष्य पर उसके अधिवासी शान्त वातावरण में बिना शोक-दोष के विचार कर सकें और अन्त में बर्मा के अधिवासियों की इच्छा की विजय हो।”

दक्षिण तथा पूर्व-अफ्रीका के भारतीय—“दक्षिण अफ्रीका और पूर्व-अफ्रीका की घटनाओं के रुख देखकर उस देश में बसे हुए भारत-सन्तानों की अवस्था के सम्बन्ध में यह कांग्रेस सराफ हो रही है। दक्षिण-अफ्रीका में जो कानून बनाने का विचार हो रहा है वह दिये हुए वचनों के विरुद्ध है और कुछ अंशों में भारतीयों के कानूनी हकों पर भी हमला करता है। यह कांग्रेस उन देशों की सरकारों से अपील करती है कि वे वहां भारतीयों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपने देश-वासियों के साथ स्वतन्त्र भारत में चाहते हैं। दीन-बन्धु एरडरूज और पण्डित हृदयनाथ कुंजरू प्रवासी भारतीयों की निःस्वार्थ रूप से जो सहायता कर रहे हैं उनके लिए कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है।”

भौतिक अधिकार का प्रस्ताव

यहां यह कह देना बाकी है कि ‘भौतिक अधिकारों व आर्थिक व्यवस्था’ वाला प्रस्ताव कार्य-मिति के सामने कुछ पत्राचार के तौर पर पेश हुआ था। यह एक अनुभव से जानी गई बात है कि देश में जैसा वातावरण रहता है उसी के अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेश होने हैं। भौतिक अधिकारों का प्रश्न सबसे पहले श्रीचक्रवर्ती निजरायणवाचार्य ने पंजाब के ठिरठिराते हुए जाड़े में आधी रात को अमृतसर-कांग्रेस में उठाया था। जब दूम्गे माल नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन के वह स्वयं समापित बने तो इस प्रश्न को और महत्व मिल गया। कराची में युवक-वर्ग तथा प्रौढ़-वर्ग में इस प्रश्न पर कुछ मतभेद-सा था। ऐसे आदमी मौजूद थे जो इस बात पर सन्देह करते हुए नहीं चूकते थे कि क्या अब कांग्रेस ‘औपनिवेशिक स्वार्थ’, ब्रिटिश-साम्राज्यवाद व काली-नीकरशाही की सड़क में फिर नहीं

बढ़ी जा रही है और मजदूरों व किसानों की समस्या व समाजवादी विचार हवा में उड़ रहे हैं। इन विषय पर देश को आशासन दिलाने की जम्मत थी। गांधीजी हर विषय पर विचार करने के लिए तैयार थे, यदि वह गरम व अहिंसा पर अत्यन्त प्रयत्न हो, और फिर यह तो गांवसालों और गांव लोगों का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी आदर्श, आर्थिक-परिवर्तन व मौलिक अधिकारों के प्रश्न के दिक्कतों की उन्हें क्या जम्मत थी ?

यह भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर फुरसत के साथ विचार होना चाहिए व और कार्य-समिति व महसमिति के सदस्यों-द्वारा उसका अध्ययन-मनन होना चाहिए। यह सन्देश भी गई और इसलिए महासमिति को अधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के निदानों व उपरीकों को अघात पहुँचाये बिना उसमें रद्दों-बदल करे। बम्बई में, अगस्त १९३१ में, महा-समिति ने इन प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन किये। उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हुआ उसीमें उस प्रस्ताव को नीचे देते हैं—

“इस कामेस की राय है कि कामेस जिस प्रकार के ‘स्वराज्य’ की कल्पना करती है उसका जनता के लिए क्या अर्थ होगा—इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए यह आवश्यक है कि कामेस अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह आसानी से समझ सके। साधारण जनता को तब ही अन्त करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में लाखों भूलों माने-गल्लों की वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता भी निहित हो इसलिए यह कामेस घोषित करती है कि उसकी ओर से स्वीकृत होनेवाले किसी भी शासन-विधान में नीचे लिखी बातों की व्यवस्था रहनी चाहिए, या स्वतन्त्र सरकार को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था कर सके:—

मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य -- १. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक विषय में, जो कि कानून और सदाचार के विरुद्ध न हो, अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने, स्वतन्त्र तर्थावै और सप बनाने और बिना हथियार के और शान्तिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है।

(२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और सार्वजनिक शान्ति और सदाचार में बाधक न होनेवाले, धार्मिक विश्वास और आचरण की स्वतन्त्रता है।

(३) अल्पसंख्यक जातियों और भिन्न-भाषा-भाषी वर्ग की सङ्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी।

(४) भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि में बिना किसी धर्म, जाति, विश्वास अथवा लिंग के भेद-भाव के समान हैं।

(५) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के ओहदों और किसी भी व्यापार या कर्म के करने में किसी भी नागरिक स्त्री-पुरुष को धर्म, जाति, विश्वास अथवा लिंग के कारण अयोग्य नहीं टहराया जायगा।

(६) सरकारी अथवा सार्वजनिक स्वर्य से बने अथवा नागरिकों-द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित कुएँ, सड़कें, पाठशालाओं और सार्वजनिक आगमन के स्थानों के सम्बन्ध में सब नागरिकों के समान अधिकार और कर्त्तव्य हैं।

(७) हथियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुसार प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने और धारण करने का अधिकार है।

(८) कानूनी आपात के बिना किसी तरह किसी भी मनुष्य की शान्ति व हानि की जायगी और न किसी के घर और व्यवसाय में प्रवेश और कुर्सी या जमीनी की जायगी।

(६) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगी।

(१०) बालिका उमर के समान मनुष्यों को मताधिकार होगा।

(११) राज्य मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

(१२) सरकार किसी को खिताब न देगी।

(१३) मौत की सजा उठा दी जायगी।

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-भर में भ्रमण करने, उसके किसी भाग में ठहरने या बसने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धंधा करनेमें स्वतन्त्र होगा और कानूनी कार्रवाई और रक्षा के लिए में, भाग के सब भागों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा।

अधिक—२. (अ) आर्थिक जीवन के संगठन में न्याय के सिद्धान्त अवश्य मजबूत होने चाहिए कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैण्डर्ड प्राप्त हो जाय।

(ब) सरकार कारखानों के मजदूरों के स्वार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कानून-द्वारा एव अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परिस्थिति, मजदूरी के घंटों की मर्यादा, मालिकों और मजदूरों के बीच के झगड़ों के निपटारे के लिए उपयुक्त साधन और बुढ़ापा, बीमारी तथा बेकारीके आर्थिक परिणामों के विरुद्ध रक्षा का उपाय करेगी।

१. दासत्व या लगभग दासत्व जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे।

४. मजदूर-स्त्रियों की रक्षा और प्रसूति-काल के लिए पर्याप्त छुट्टी का विरोध प्रवृत्त होगा।

५. स्कूल में जा सकने योग्य आशु के लड़के खानों और कारखानों में नौकर न रखे जायेंगे।

६. किसान और मजदूरों को अपने हितों की रक्षा के लिए सब बन्धनों के अधिकार होंगे।

कर और व्यय—७. जमीन की मालगुजारी और लगान का तरीका बदला जायगा और छोटे किसानों को वर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी में तुल्य और यदि आराजी से लाम न होता हो तो आवश्यक समय तक के लिए छूट देकर या उससे मुक्त करके कृषकों के बोझ का न्याययुक्त निपटारा किया जायगा, और दूरी उद्देश से लगान अदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि कर की कमी से छोटी जमीनों के मालिकों को होनेवाली हानि की पूर्ति एक निश्चित तादाद से अधिक की भूमि की मूल आय पर क्रमशः बढ़नेवाला कर लगाकर की जायगी।

८. एक न्यूनतम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमागत विरासत-कर लिया जायगा।

९. फौजी खर्च में बहुत अधिक कमी की जायगी, जिससे कि वर्तमान व्यय से वह कम-से-कम आधा रह जायगा।

१०. मुल्की-विभाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास तौर पर नियुक्त किये गए विशेषतः अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित रकम के सिवा, जोकि आम तौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिये, अधिक वेतन न दिया जायगा।

११. हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा।

आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम—१२. राज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा, और इसके लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का अवलम्बन करेगा। राज्य अन्य देशी धन्धों की भी, जब कभी आवश्यक होगा, विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करेगी।

11. कर्मयोग के अर्थ के विषय, अर्थात् कि वह अर्थ है कि जिससे कि कर्मयोग का अर्थ हो सके ;

12. कर्मयोग के अर्थ के विषय, अर्थात् कि वह अर्थ है कि जिससे कि कर्मयोग का अर्थ हो सके ;

13. कर्मयोग के अर्थ के विषय, अर्थात् कि वह अर्थ है कि जिससे कि कर्मयोग का अर्थ हो सके ;

14. कर्मयोग के अर्थ के विषय, अर्थात् कि वह अर्थ है कि जिससे कि कर्मयोग का अर्थ हो सके ;

15. कर्मयोग के अर्थ के विषय, अर्थात् कि वह अर्थ है कि जिससे कि कर्मयोग का अर्थ हो सके ;

कर्मयोग के अर्थ के विषय

कर्मयोग के अर्थ के विषय, अर्थात् कि वह अर्थ है कि जिससे कि कर्मयोग का अर्थ हो सके ;

रिपोर्ट पेश करने के लिए कि भविष्य में भारत कितना आर्थिक बोझ सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियुक्त की। कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे। एक कमिटी और भी नियुक्त की गई—वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिष्ट-मण्डल था—जिसके गांधीजी, वल्लभभाई व सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मण्डल इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निवटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले। कांग्रेस के तीसरे प्रस्ताव के अनुसार जिन राजबन्धियों को रिहाई चाही गई थी उनके बारे में सब प्रांतों से सामग्री एकत्र करने के लिए भी नरीमन को नियुक्त किया गया। अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे अन्त में कार्य-समिति ने जिस प्रश्न को निवटारा देना गोल-मेज-परिषद् को भेजे जानेवाले कांग्रेसी शिष्ट मण्डल का। कार्य-समिति के कई सदस्यों की राय थी कि शिष्ट-मण्डल केवल एक व्यक्ति का न हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो। सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खुशी से राजी थी। उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के बजाय १५ या २० सदस्यों का होना ही अधिक लाभदायक था। जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह बात साफ कर दी गई कि गांधीजी लन्दन शासन-विधान की तफसीलें तय करने के लिए नहीं बल्कि सन्धि की मूल बातें तय करने के लिए जा रहे हैं। जब यह बात साफ कर दी गई तो मतभेद दूर हो गया और सदस्यों की यह सर्वसम्मत् राय बन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करना चाहिये। यह निर्णय केवल सर्वसम्मत् ही नहीं था बल्कि इसमें किमीको कोई उन्न भी न था; क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के बजाय एक व्यक्ति करे, यह ब्यादा अच्छा था। यह कांग्रेस के लिए एक महान नैतिक लाभ भी था, क्योंकि जैसे युद्ध-मचालन में उसने एकता का परिचय दिया वैसे ही सन्धि को शर्वे तय करने में यह उसके नेतृत्व की एकता का परिचायक था। कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका निज का कोई स्वार्थ न हो और जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्नता, उसके सद्भाव व उसकी शान्ति के अलाना और कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-क्षेत्र में स्वयं एक ऐसा लाभ था जिसका ठीक मूल्य आंकना कठिन है। इस तरह भारत का एक अर्ध-नव्य काल न केवल वाइसरॉय-भवन (दिल्ली) की मादिया चढ़ावा-उतरावा था बल्कि डेठ सेंट जेम्स पैलेस-भवन में भी बराबरी के नाते सन्धि-चर्चा करने बैठा था। ब्रिटेन की प्रविष्टा को इससे क्या कम भस्का पहुंचा होगा ?

समझौते का भंग

समझौता और उसके बाद

धरम व मंगलम स्वजम हो गया था। तिन कांग्रेस-कमिटियों की कल तक कोई हस्ती न थी, वे उन दूधों की तरह सब स्थानों पर फिर अपनी बहार पर आगई, जो पहले मुरझाये और खूने हुए दीपों हैं लेकिन वस्तु में फिर हरे-भरे हो जाते हैं। एक बार फिर कांग्रेसी-भारत कांग्रेस के दफ्तरी कामियों के पत्रों पर लहराने लगा। कांग्रेस के अधिकारी एक बार फिर पुलिस से एक-एक भाग्य और बपड़े को वापस लेने का दावा करने लगे, जो पहले जन्तु कर लिये थे और उनमें से लिये गये थे। एक बार फिर स्वयंसेवक-गण बिल्ले, तमगे और पेटी लगाये अपनी अर्ध-सैनिक या राष्ट्रीय पोशाक में भरपेट हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाने हुए जुलूस निकालने लगे, एक क्षण पूर्व तिनका निकलना निर्दिष्ट था।

सबसे बढ़कर कांग्रेस के लोग, छोटी-छोटी बालिकायें और बालक, वयस्क स्त्री-पुरुष शहर और विदेशी बपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग लगाकर लोगों को शराब न पीने और विदेशी कपड़े से तन न टकने की शिक्षा देने लगे। और वे सब बातें उसी विगाही की आँस के सामने होने लगी जो कल इन लोगों पर भेड़ों की तरह टूटता था, लेकिन आज वह कुछ कर न सकता था। पुलिस के निम्न कर्मचारी इतने आत्म-समर्पण से सन्तुष्ट नहीं थे। मजिस्ट्रेटों की भी कृपा दृष्टि इतर न थी। गिविलियन भी यह अनुभव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह समझ रही थी कि उसने वो सब कुछ खो दिया है। कानून और अमन के ठेकेदार बननेवाले नियशा और पराजय का अनुभव कर रहे थे। कैदी राज छोड़े जा रहे थे। उन्हें मालायें पहनाई जाती थीं, उनके जुलूस निकालने जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं बटा जाता था, और न शायद नसबता ही रहती थी। अब उनके ब्याख्यानों में विजय की ध्वनि और ललकार की भावना होती थी। कांग्रेस का लोहा मानने की नीबट आ गई थी। कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान पर एक कैदी की रिहाई की माँग करते थे तो दूसरी जगह जायशद वापसी की माँग करते थे और तीसरी जगह किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १८ अप्रैल को लाड अर्बिन ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी ने बम्बई में उन्हें बिदाई दी। वाइसराय-भवन के व्यक्ति बदल गये। नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और बादों से नावाकफ थे। लाड अर्बिन ने यदि शोलापुर के कैदियों को छोड़ने की प्रविश्टा कर ली थी, तो क्या ! यदि उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक-एक करके गौर करने का वादा कर लिया था, तो क्या ! यदि वाइसराय ने गुजरात के उन दो डिप्टी-कलक्टरों की पेंशनों व प्राविडेन्ट-फण्ड, जिन्होंने गुजरात में हस्तीका दे दिया था, वापस जारी करने की प्रविश्टा कर ली थी, तो उससे क्या ! यदि लाड अर्बिन ने बारबोली की बेची गई जायशद को वापस

यदि लाहौर अधिन ने यह वायदा कर लिया था कि मोरठ-पट्टयन्त्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदमे के दौरान में वे भुगत रहे हैं, तो उससे क्या ?

अधिकारियों की कुचेष्टायें -

लाहौर अधिन भारत से १८ अप्रैल को विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल को लाहौर विलिंगडन ने चार्ज लिया था। वाइसराय आते हैं और चले जाते हैं लेकिन सेक्रेटेरियट वहीं रहता है। जिलों पर शासन करने वाले सिविलियन ही दरअसल वाइसराय होते हैं। २ नवम्बर १९२९ के दिल्ली वाले वक्तव्य पर हस्ताक्षर करनेवालों ने जब यह लिखा था कि शासन-प्रबन्ध की स्पिरिट उसी दिन से बदल जानी चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजातन्त्रीकरण का और सिविलियन फलफलों के निरंकुश-शासन से मुक्त हो जाने का भाव था। परन्तु यह स्पिरिट एक वर्ष के संग्राम के बाद भी न बदली और न गांधी अधिन समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही बदली। देश के हाकिमों ने समझौते को अपनी हतक इज्जत समझा। सभी जगह वस्तु-एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। रोजमर्रा कांग्रेस के दफ्तरों में यह चिन्तयें आने लगीं कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता। अपनी ओर से कांग्रेस अपने पर लगाई शर्तों के पालनके लिए चिन्तित थी। वे शर्तें मुख्यतः पिक्केटिंग और बहिष्कार-प्रचार में ब्रिटिश माल को शामिल न करने की थीं। यदि कहीं इन शर्तों के पालन में छिथिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कार्पोरेशनों की चौकी पर थे। कांग्रेसी लोग इधर उधर और किसी अन्य स्थान पर होनेवाले लाठी प्रहार की, जो अब भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे। गुन्धू में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भी पुलिस इससे वाज न धारें। पूर्वी गोदावरी में वाद-पहली में बहुत दुखद गोली-काण्ड हुआ था, जिसमें चार आदमी मर गये और कई घायल हो गये। यह गोली कांड महज इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मोटर पर गांधी जी का चित्र तस्ला था और पुलिस इसपर ऐतयाज करती थी। स्थिति शीघ्र ही खेदजनक और असमर्थनीय गोली-कांड में बदल गई। लाठियां और गोलियां चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था। वे इसके बिना रही नहीं सकतीं थे। पर ऐसी घ्यादतियां आम बात हो गईं हीं हीं नहीं, लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी घटनायें हुईं, वे भी ऐसी स्थितियों में हुईं जिनका पुलिस के पास कोई जबाब नहीं हो सकता।

जब कांग्रेस ने अस्थायी सधि की, तब यह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायों में भी एक समझौता हो जायगा और सरकार भी इस दशा में इमाय मददगार होगी। लेकिन वे सब उम्मीदें नाफामयाब हुईं। गांधीजी यह अच्छी तरह जानते थे कि यहां हिन्दु-मुस्लिम-समझौता हुए बिना लन्दन जाने की बनिस्वत भारत में ही रहना अधिक उरमुक्त है। फिर भी, कार्य-समिति ९, १० और ११ जून १९३१ को बैठी और, गांधीजी की इच्छा न होते हुए भी मुसलमान मित्रों के आग्रह से उसने ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया:—

“समिति की यह सम्मति है कि दुर्भाग्य से यदि इन प्रवर्तों में कलहता न मिले तो भी कांग्रेस के रूप के सम्बन्ध में किसी तरह की गलतफहमी फैलने की सम्भावना से बचने के लिए मराठ्ठा गांधी गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करें, यदि वहां कांग्रेस के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो।”

कार्य-समिति को यह उम्मीद थी कि यदि भारत में नहीं तो इंग्लैन्ड में अथर्व समझौता हो जायगा।

कार्य-समिति की शर्तों के पालन के विरुद्ध की ओर लौटने से पहले कार्य-समिति की कृप्य की बैठक की कार्य-समिति का आग्रह दे देना ठीक होगा। मौलिक अधिकार उर-समिति और ला-

जनिक श्रृणु-समिति की रिपोर्ट आने की मियाद बढ़ा दी गई। मिल के सुत से बने कपड़े रियों तथा ऐसे कपड़ों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछले दिनों बहुत बढ़ गई थी, दिया गया। कुछ कांग्रेस-संस्थायें विदेशी कपड़े के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे इनको बुरा बताया गया। श्री नरीमन से कहा गया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार क अस्थायी सन्धि की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, और उसे गांधीजी को पेश करें। कपड़ों अन्य वस्तुओं को प्रमाणपत्र देने के लिए एक स्वदेशी बोर्ड बनाया जाने को था। चुनाव भगदों (बंगाल और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया। १८८५ से अबतक के कांग्रेस के प्र हिन्दी-अनुवाद करने के लिए २५०) ६० स्वीकृत किए गये।

गांधीजी की चेतावनी

अब हम अस्थायी-सन्धि और उसकी शर्तों के पालन की कहानी पर आते हैं। का नीति विलकुल रक्षणात्मक थी। गांधीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को आप होकर भगद कराने की, पर साथ ही राष्ट्रीय आत्म-सम्मान पर चोट भी न सहने की सख्त चेतावनी दी थी। र पस्त-दिम्बती के भारी शौतान को दूर रखना चाहते थे। वह भय और असहायता पर दावी हो सदा आग्रह करते रहे। उनकी नसीहतों का आशय इस प्रकार है :—

“यदि वे सम्मति का सम्मान-पूर्वक पालन असम्भव कर देते हैं, यदि वे चीजें जो कर ली गई हैं देने से इन्कार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्पष्टतम चेतावनी है कि भी रक्षणात्मक उपाय करने के अधिकारी हैं। जैसे वे मददगार में कहते हैं—तुम ५ पिक्टेरों से न नहीं खड़ा कर सकते। मैं पहले कह चुका हूँ—इस समय मान लो; लेकिन इसके बाद हम मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पांच पिक्टेर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से लेना चाहिए कि यह नौ दिन का समाप्ति होगा, या तो वे लौट जायेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। कोई नई स्थिति अपने-आप पैदा नहीं करते, लेकिन हमें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। उदाहरण तौर पर भयङ्गाभिवादन रोक दिया जाता है। तो हम इसे सहन नहीं कर सकते और हमें इस पर अड़े रहना चाहिए। यदि एक झुलूस रोक दिया जाता है, तो हमें उसके लिए साइनेस की प्राप्ति करनी चाहिए; और यदि वह नहीं दिया जाता, तो हमें झुलूस न निकालने की आज्ञा का उल्लंघन करना चाहिए। लेकिन जहाँ मासिक भयङ्गाभिवादन और धार्मिक सभा का मामला हो, प्रतिष्ठा—इजाजत की प्रतिष्ठा न करना चाहिए और न इसके लिए दरख्वास्त ही देनी चाहिए। असहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त दिम्बती को दूर करना चाहिए।

“करबन्दी-आन्दोलन के बारे में, तुम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सकते। वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस आन्दोलन में ले आवेंगे। जब ऐसा होगा, तब आर्थिक प्रश्न बन जायगा; और जब यह आर्थिक प्रश्न बन जायगा तब इस आन्दोलन की ओर लिन जायगी।”

जगह-जगह सन्धि-भंग

सरकार की ओर से बहुत सशानुभूति दिखाई गई और लॉर्ड विलिंगटन ने भी ठोस शर्तों की भी कमी न रखी। ऐसा कोई कारण न था कि उनके वक्तों की सम्झौत पर सन्देह किया जाय। लेकिन यह जानने में अधिक समय न लगा कि बाइसगय की इजारा शर्तों से जो ऊंची आशाएँ की गई थी, वे स उतरा हो गया था।

युक्तमत मुलागानपुर में ६० आदिमियों पर दफा १०७ राजीराम हिन्द में मुकदमा चलाया था। भवन शाहपुर में वाल्लुकुन्दार ने किसानों को राष्ट्रीय भयङ्क हटा लेने का हुक्म दिया और के इन्कार करने पर उन्हें हवालात में बिठा दिया। एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमुख सदस्यों १४४ दफा की रू से नोटिस दे दिये गये। वयुध में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जबर-ती मग कर दिया। लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० मुकदमे चल रहे थे। देश-भर जिन अध्यापकों व अन्य सरकारी नौकरों को अलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था, उ-होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न हुई। लोगों में राखिने की इजाजत मंगलनेवाली विद्यार्थियों से यह वचन लिया गया कि वे भविष्य में वही आन्दोलन में भाग न लेंगे। बिचारी में सारी-भरे पुलिस-सिपाहियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर पर हत्या मारा, रिश्वतों का अपमान किया और राष्ट्रीय भयङ्कको जला दिया। बाधवकीमें जिला-अडिस्ट्रेट ने पुलिस-इन्स्पेक्टरों को १४४ धारावाले कोरे आर्डर अपने दस्तखत करके दे दिये। डिप्टी मिस्टर ने गांधी-टोपियों को उतरवा दिया और लोगों को गांधी-टोपी न पहनने व कांग्रेस में न जाने की चेतावनी दी गई। युक्तपान्त के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई। कुछ वाल्लुकुन्दारों ने अपने क्रुत्वापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। सशस्त्र पुलिस गाववालों से भयभीत करने लगी। एक जागीर के प्रबन्धकर्ता जिनेशर व उसके आदमी ने एक शस्त्र को पीट पीट कर मार दिया। किसानों को 'मुर्गा' बनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने) की प्रथा आम बात हो गई। दिसार (पंजाब) के चोलाला में और जीरोय में राजीरी पुलिस नदी हटाई गई। एक पेंशन-पाफटा फौजी सिपाही की पेंशन जप्त कर ली गई। तखतन में शान्त झुलूस पर लाठी बरसाई गई। छाव-नेयों में राजनैतिक सभायें बन्द कर दी गईं।

बम्बई—अहमदाबाद, अंकोलेश्वर और रत्नागिरी जिलों में गैर-लाइसेन्स-शुदा शराब की दुकानों पर और गैर लाइसेन्स शुदा घण्टों में शान्तिमय विकेटिंग की आज्ञा नहीं दी गई। कैदी भी नहीं छोड़े गये। बलमाक में पांच आदिमियों से इसलिए जुमाना मांगा गया कि सत्याग्रह सभा के दिनों में उन्होंने स्वयमेवक कैम्प के लिए अपनी जमीन दे दी थी। जबतक जुमाना बतूल न हुआ, जमीन नहीं दी गई। अस्थायी सन्धि के बहुत दिनों बाद भूल से एक साइट-कलक्टर ने एक नाव बेच दी थी, वह भी वापस नहीं की गई और न भालिक को कोई मुआबजा दिया गया। नवजीवन प्रेस नहीं दिया गया। कर्नाटक में परिचमी जमीनें सबतक वापस नहीं की गईं, जबतक यह वचन नहीं ले लिया कि कांग्रेस वे आन्दोलन में भाग न लेंगे। कई पेटेल और वलाटी फिर बहाल नहीं किये गये। दो डिप्टी-कमिश्नरों को, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पेंशन नहीं दी गई, यद्यपि लॉर्ड अर्चिन वचन दे चुके थे। दो डॉक्टरों व एक सुपरवाइजर को बहाल नहीं किया गया। घाठ लड़कियों तथा ११ बालकों को सदा के लिए सरकारी स्कूलों से 'रिटिनेट' कर दिया। इसी तरह अंकोला में चार विद्यार्थी निकाल दिये गये। सिरवी व दिसारपुर वाल्लुकुओं में किसानों पर अस्तिथियां और ब्यादठियां शुरू की थी—उनकी बेचल इ-रि-सम्बन्धी कुछ शिष्टायें दूर की गईं।

बंगाल में बकीश व बैरिस्टों से 'आवेन्दा देखा व करने का' वचन लेने से एक नई परि-सिधति उरार हो गई। नवे आदिमियों के म्हादर एक जन्म आभय वापस नहीं कौट्यथा गया। गोराली में विद्यार्थियों से ५०-५० की अमानतें मांगी गईं। जोरहट में सुपरिन्टेण्डेंट बर्टली की आस्था से १६ स्त्र की प्रभाव-नरी करनैकले लड़कों को पांय गया।

दिन्नी—विद्यार्थियों से आगे के लिए बड़े किये गये।

अजमेर-मेरवाड़ा—कई अध्यापकों को सहायता प्राप्त स्कूलों में जगह न देने निकाला गया।

मद्रास—११ जुलाई को एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई और अध्यापकों कि अध्यायी सन्धि के शान्तिमय पिक्टेटिंग में 'स्लिकारी साल' पर पिक्टेटिंग शामिल संजोर के यकीलों पर शराब की दुकानों की पिक्टेटिंग न करने के लिए १५४ दफा की सलाह मिल किये गये। पिक्टेटिंग करते हुए स्वयंसेवकों को ताड़ी की दुकान से १०० गज के रहने की आज्ञा न थी। उनपर बनावटी अभियोग लगाये गये। अनेक स्थानों पर उन्हें और भयबा व छाटा रखने से भी रोका गया। लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें (स्लिकारी) न दिया जाय। एलोर में कपड़े की दुकानों पर पिक्टेटिंग की संख्या एक या दो तक दी गई। कोमलपट्टी में जहाँ पिक्टेटिंग की संख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर मर्द चलाया गया। कोयम्बटूर में उनकी संख्या ६ तक बांध दी। गुन्वर में आल के एक आने स्टेट सजर्न को कहा गया कि तुम तब तक बहाल नहीं किये जाओगे, जबतक सरकार-विंशन के लिए सहान न मांग लो। आंदोलन में भाग लेनेके कारण जो बन्दूकें और उनके ला लिये गए थे, उनमें से बहुत-से नहीं लौटिये गये। बहुत-से कैदी नहीं छोड़े गए, हालांकि गवाही के कारण अन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गए थे जो छोड़ दिये गए। शं मार्शल-ला कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रतिशा लाबं अर्बिन कर गये थे, लेकिन रि न छोड़े गये।

परन्तु बारडोली में सरकार ने अध्यायी संधि का जो स्पष्ट भंग किया उसके सामने ये भी पीकी पक्ष जाती हैं। पाठकों का यह माद होगा कि इस ताल्लुक में लगानबन्दी का आदि नई मालगुजारी २२ लाख रुपये देनी थी, जिसमें से २१ लाख रुपये दे दिये गए। हम नीचे की शिकायत और सरकार के जवाब में से कुछ उद्धरण देते हैं:—

शिकायत और जवाब

शिकायत - "बारडोली में नये साल की मालगुजारी २२ लाख रुपये में से २१ लाख दे दिये गए हैं। यह दावा किया जाता है कि इस अदायगी के जिम्मेदार कार्योत्तरीकर्ता सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्ठी करनी शुरू की, तब उन्होंने किसानों को उन्हें पूरी मालगुजारी—इस साल की और पिछली—सुकानी है। अधिकांश किसानों ने यह किया है कि वे नई मालगुजारी भी मुश्किल से चुका सकते हैं। अधिकारियों ने पहले तो किया और कुछ समय तक तो अप्रुता लगान लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद किचालते हुए अदायगी मजूर कर ली और नये लगान के हिसाब में रसीदें दे दीं। अब जो देने में असमर्थता प्रकट करते हैं, उनसे नया या पिछला लगान मांगना कार्योत्तरीकर्तों और के साथ विश्वास-घाव है। जद्विक बकाया का ताल्लुक है, हमें यह कहना है कि यदि मुल्तवी पदायों के दाम कम हो जाने के कारण मुल्तवी कर दिया गया है, तो फिर गैर-मुल्तवी बकाय स्थगित कर देने के तो और भी जबरदस्त कारण हैं, क्योंकि सत्याग्रही किसानों को पदायों के में कमी के सिवा प्रवास (सेठ छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने) की बगल से भी सख्त मुक्तान है। इस मुक्तान का अन्दाजा लगाकर अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। फिर कार्योत्तरी-कर्तों ने जो दावा कर दिया है कि जिस मामले में मन्टे ने उनकी अधिकारी फिर जाँ

सकते हैं। परन्तु इस बात को वे जरूर गुरा समझते हैं कि किसानों को दबाया जाय, खुरमाना किया जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों को घेर ले।”

प्रांतीय सरकार का उत्तर—“(बम्बई) हम यह नहीं मानते कि देने में असमर्थता प्रकट करनेवालों से नया या पिल्लुला लगाने मागना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वास-घात है। असमर्थता सिद्ध होनी चाहिये, केवल कहने से काम नहीं चलता। गैर-मुल्तवी बकाया के साथ भी मुल्तवी बकाया का-सा व्यवहार होना चाहिये, इस दलील में भी कोई जोर नहीं है। सरकार तभी बकाया मंगू करती है, जबकि फसल, जिसपर लगान देना हो, पूरी या अधूरी खराब हो गई हो और किसान हमेशा की तरह अपना देना न दे सकते हों। बारडोली में बकाया इसलिए नहीं रहा कि फसल खराब हो गई, बल्कि इसलिए कि किसानों ने खनिज अवनता-आंदोलन के सिलसिले में अपना लगान देने से इन्कार इर दिया। किसी किसान के नुकसान के कारण कोई खास व्यक्ति लगान चुका सकता है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में पृथक्-पृथक् होनी चाहिये। बारडोली में लगान-वसूली के सिलसिले में केवल एक जायदाद जन्म की गई है। कलकटर ने उनका पूरा खयाल रखा है, जो रिश्तापत के अधिकारी थे। यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,०००) रुपये के लगभग वसूली स्थगित कर दी है और १६००) ६० ठरु की छूट भी स्वीकृत कर ली है। लगान-वसूली के लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इलेमाल नहीं किया गया। केवल ऐसे कुछ गांवों में वे पुलिस की ले गये, जहां उसकी सहायता के बिना वसूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव की आशंका से डरते थे। मामलतदार या गांव के मुख्य लगान अफसर की रक्षा करना, जन्ती के सिलसिले में घर पर पहरा बिटाना, और कुछ मामलों में अपराधी को बुलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाना — यही काम सिपाहियों के जिम्मे थे।”

जब गांधीजी जुलाई के मध्य में शिमला गये, उन्होंने ये सब शिकायतें भारत-सरकार तक पहुंचाईं। अगले दस दिनों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी। गांधीजी ने बारडोली से इस विषय पर अपने विचार सीधे सूत के कलकटर को लिखे और उसकी एक प्रति बम्बई-सरकार को भी भेज दी। बम्बई-गवर्नर का जवाब भी अतन्तोय-जनक था। शिमला के अधिकारियों ने भी बम्बई-सरकार का समर्थन किया।

जांच का प्रस्ताव

सब गांधीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रश्न उठाया। इस सिलसिले में जो पत्र-व्यवहार हुआ, यह नीचे दिया जाता है:—

१. भारत सरकार के होम-सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के १४ अग, १९३१ के पत्र का उत्तरण:—

“प्रांतीय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तक्षेप करने में समर्थ न होंगे। यह भी सम्भव है कि आप जितना मैं चाहता हूँ उतना हस्तक्षेप न करें। इसलिए शायद इसका समय आ गया है कि समझौते के स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों को तथा उन सब प्रश्नों को, कि आया समझौते की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं, तय करने के लिए स्थायी पंच नियुक्त किये जाय।”

२. भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के २० अग, १९३१ के पत्र की नकल:—

१. "आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी। यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत बुरी बात है। लेकिन विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार मुझे मिलते हैं, वे मुझे प्रामाण्य प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस्ते कोई लाभ होगा। जहाँतक कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं समझौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए मैं बात पेश करता हूँ। क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सराही बचाने के लिए एक जांच-समिति—एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की ओर से नियुक्त करने की सलाह देंगे? और यदि नहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का निषेध किया गया है, तो वहाँ पिकेटिंग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय, और दूसरी तरफ सरकार यह बचने यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिए गये हैं, तो वे दमा उठती समय वापस ले लिया जायगा। यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो आप और अधिक अशुद्धा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तब तक मैं आपके पत्र में मगरे विशेष आरोपों की जांच करता हूँ।"

२. गांधीजी को लिखे गए भारत-सरकार के होम सेनेटरी इमर्सन साहब के ता० ४ जुलाई १९३१ के पत्र की नकल :—

"१४ जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि समझौते के अर्थ-सम्बन्धी प्रश्नों को बनाने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय आ गया है। फिर २० जून के पत्र में यह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति—जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि हो—नियुक्त करने की सलाह दे और यदि नहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का निषेध तोड़ा गया है, तो वहाँ पिकेटिंग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह बचने कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिए गये हैं, तो दमा उठती समय वापस ले लिया जायगा। समझौते के बारे में उठाने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध यह प्रस्ताव स्वीकार करके भंगने के सम्भावित कारणों को ही दूर करने के आपके इस परामर्श को पकड़ करता हूँ। पहले छोटे सत्राल को ही स्वीकारिए, क्योंकि मेरा मतलब है कि यह मुह्यता की मामलों तक सीमित है, जहाँ तक पिकेटिंग के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंघन करते हुए बताये गए हैं, और इसलिए पुलिस ने पिकेटों पर मुकदमा चलाया है या यह चले जा रहा है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण लेने के लिए सरकार का एक अनोखा प्रतिनिधि और कांग्रेस का एक अनोखा प्रतिनिधि इन मामलों की जांच के लिए समझौते के तहत निर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे शब्दों में हम स्वयं शरण पर कानून का कांश्य पुलिस से हटकर, जिसका यह प्रथम कर्तव्य है, एक जांच मण्डल के पास भेजा जाय। इस मण्डल के सदस्य जिस: मिनटारिस्वम पर पदवी गये हैं, जब कि पुलिस को तो कानून का उल्लंघन के अनुभव ही कार्रवाई करने पकती है; आप: न तो यह अन्वयार्थिक है और न समझौते का सहा ही था कि इन शरण पर पुलिस के कर्मियों को किसी तरह से बरकरा जाय।

"दोनों मामलों में, कानून टोटा गया है या नहीं, इसका फैसला तो सरकार ही करेगा है। और जबकि आप: में सरकार का यह फैसला कि पिकेटिंग से न कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो आप: की हानि का भंग हुआ, बरत नहीं जाय, यथा: कानून का ही फैसला सरकार ही करेगा।"

प्रौर इसलिए समझौते के फलस्वरूप पिक्टेटिंग को बन्द कर देना पड़ेगा। जांच-समिति से उररन्व होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से कांग्रेस पर जो कर्तव्य-भार आ पड़ा है, उसका सम्बन्ध अधिकारिणतः अमन व कानून-सम्बन्धी मामलों, व्यक्ति-गत कार्य-स्वतन्त्रता और शासन-प्रबन्ध से है। अर्थात् समझौते का भारी उल्लंघन इनमें किसी-न-किसी पर अवश्य बढ़ा असर डालेगा। जहां तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहां तक पिक्टेटिंग की-सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भंग आम होने लगता है और उधसे अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका असर शासन-प्रबन्ध पर पड़ने लगता है, तो सरकार के लिए यह असम्भव होगा कि वह मामला जांच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातन्त्र्य पर रूकावट डाल दे। जब समझौते की अन्तिम धारा बनारं गई थी, तब इसका खयाल भी नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेदारियों के निम्नाने से इसकी समिति ही बैठायी जा सकती है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यतः चीनों पक्षों के इसके प्रति सन्ने रहने पर ही निर्भर रहना चाहिये। जहां तक सरकार का वास्तविक है वदातक वह इसकी शर्तों का फटोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हमारी जानकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ संदेहा-शय मामलों का होना तो स्वभावतः अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर बहुत ध्यान पूर्वक विचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुंचाये जावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में अपनी दिलचस्पी भी कर लेगी।'

४. हमसेन सा०को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई १९३१के पत्र की नकल.—

“वाइसराय भवन में आज शाम को किये गये वायदे के अनुसार मैं अपनी यह प्रार्थना लेल-वद कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए निर्णय पत्र बैठायें जाय, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की ओर से इसके सामने पेश किये जाय। निम्न-लिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उनके आशय के सम्बन्ध में सरकार व कांग्रेस में मतभेद रहे—

(१) क्या पिक्टेटिंग में शराब की दुकानों या नीलामों का पिक्टेटिंग शामिल है ?

(२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को पिक्टेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्धारित करने का अधिकार है कि जिनसे पिक्टेटों का उस दुकान की नजर में रहना ही असम्भव हो जाय ?

(३) क्या सरकार को पिक्टेटों की ऐसी संख्या सीमित करने का अधिकार है, जिनसे उस दुकान के सभी राकों पर पिक्टेटिंग करना असम्भव हो जाय ?

(४) क्या शान्तिमय पिक्टेटिंग का उद्देश नष्ट करने के लिए सरकार को दुकानदार को लाह-सेम-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है ?

(५) कुछ उदाहरणों में, १३ और १४ कलमों के अमल के विफलते में उन्ही मर्यादों को लागू करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक अर्थ किया है और कांग्रेस ने पूराग।

(६) कलम १६ (ख) में 'लौटा-ता' शब्द की व्याख्या करना।

(७) अविनय व्यवहार-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्दूकें लाहसेम हद करने के बाद जन्व की गई हैं, क्या उन्हें लौटाकर समझौते के अन्तर्गत है ?

१. "आपका १६ जून का पत्र मिला और माघ ही पिक्टिंग के सम्बन्ध में मदरास-सरकार प्राप्त विवरण का एक उद्धरण भी। यदि रिपोर्ट सच है, तो बहुत बुरी बात है। लेकिन विश्वगनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार मुझे मिलते हैं, वे मुझे आशा दानेवाली रिपोर्टें पर विश्वास नहीं करने देते। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कोई लाभ होगा। अर्थात् कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं समझते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए मैं बात पैरा करता हूँ। क्या आप प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की सरकारी जांच के लिए एक जांच-समिति — एक प्रतिनिधि सरकार की ओर से और एक कांग्रेस की ओर से नियुक्त करने की सलाह देंगे? और यदि नहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिक्टिंग का नियम तोड़ा गया है, तो वहाँ पिक्टिंग बिलकुल मौजूद कर दिया जाय; और दूसरी तरफ सरकार यह बचव दे यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिक्टिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिए गये हैं, तो मुद्रमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। यदि आपके मेरी यह सलाह पसन्द न हो तो आप के और अधिक अन्धका और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तब-तक मैं आपके पत्र में लगाये विशेष आरोपों की जांच करता हूँ।"

२. गांधीजी को लिखे गए भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहब के ता. ४ जून १९३१ के पत्र की नकल :—

"१४ जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि समझौते के अर्थ-सम्बन्धी प्रश्नों को ठीक करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय आ गया है। फिर २० जून के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों को किसी भी पक्ष के आरोपों की जांच करने के लिए एक जांच समिति—जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कांग्रेस का प्रतिनिधि हो—नियुक्त करने की सलाह दे और यदि नहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिक्टिंग का नियम तोड़ा गया है, तो वहाँ पिक्टिंग बिलकुल मौजूद कर दिया जाय तथा दूसरी तरफ सरकार यह बचव दे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिक्टिंग करते हुए ही स्वयंसेवक पकड़ लिए गये हैं, तो मुद्रमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। समझौते के बारे में उठाने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव स्वीकार करके भगड़े के सम्भावित कार्यों को ही दूर करने के आपके इस परामर्श की मैं बद्ध करता हूँ। पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, क्योंकि मेरा खयाल है कि यह मुख्यतः ऊर्ध्व मामलों तक सीमित है, जहाँ तक पिक्टिंग के तरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कानून का उल्लंघन करते हुए बताये गए हैं, और इसलिए पुलिस ने पिक्टिंगों पर मुकदमा चलाया है या वह चलाने का खयाल कर रही है। आपके परामर्श का एक परिणाम यह होगा कि कानून की शरण लेने से सरकार का एक मनोनीत प्रतिनिधि और कांग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस मामले की जांच और अमली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्भर होगी। दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कानून का कर्तव्य पुलिस से हटकर, जिसका यह प्रधान कर्तव्य है, एक जांच-मण्डल के पास चला जाय इस मण्डल के सदस्य किसी भिन्नपरिणाम पर पहुँच सकते हैं, जब कि पुलिस को तो स्वभावानुसार ही कार्रवाई-करनी पड़ती है; अतः न तो यह ब्यावहारिक है और न समझौते यह मशा ही था कि इस विषय पर पुलिस के कर्तव्यों को किसी तरह रद्द कर दिया जाय।

"ऐसे मामलों में, कानून तोड़ा गया है या नहीं, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी और जबतक अदालत में अदालत का यह फैसला कि पिक्टिंग से साधारण कानून और इसकी शर्तों का भंग हुआ, बदल न

तौर हथलिये समझौते के फलस्वरूप विकेटिंग को बन्द कर देना पड़ेगा। जांच-समिति से उतराने वाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है। समझौते से कांग्रेस को कार्य-स्वतन्त्रता और शासन प्रबन्ध से है। अर्थात् समझौते का भारी उल्लंघन इनमें किसी-न-किसी पर अवश्य बढ़ा असर डालेगा। जहाँ तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहाँ तक विकेटिंग की-सी ही स्थिति होती है। यदि कानून-भंग आम होने लगता है और उससे अमन व कानून-सम्बन्धी नीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका असर शासन प्रबन्ध पर पड़ने लगता है, तो सरकार के लिए यह असम्भव होगा कि वह मामला जांच-समिति के पास भेज कर अपने कार्य-स्वातन्त्र्य पर हकाबट डाल दे। जब समझौते की अन्तिम धारा बनाई गई थी, तब इसका खयाल भी नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेदारियों के निभाने से इसकी सगति ही बँटाई जा सकती है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यतः दोनों पक्षों के इसके प्रति सच्चे रहने पर ही निर्भर रहना चाहिए। जहाँ तक सरकार का सारलुक है वहातक वह इसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, और हमारी जानकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कुछ संदेहास्पद मामलों का होना वो स्वभावतः अनिवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर बहुत ध्यान पूर्वक विचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना जारी रखेगी, जो उसके पास पहुँचाये जावेंगे और यदि जरूरी हुआ तो कम्प्लेक्सिटी के सम्बन्ध में अपनी दिलजमई भी कर लेगी।'

५. हमसन धा०को शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ जुलाई १९३१के पत्र की नकल.—

“वाइसराय भवन में आज शाम को किये गये वायदे के अनुसार मैं अपनी यह प्रार्थना लेख-बद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समझौते-सम्बन्धी उन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए निर्णोक्त पत्र बँटाये जाय, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की ओर से इसके सामने पेश किये जाय। निम्न-लिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीघ्र विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, यदि उनके आशय के सम्बन्ध में सरकार व कांग्रेस में मतभेद रहे—

(१) क्या विकेटिंग में शराब की दुकानों या मीलामों का विकेटिंग शामिल है ?

(२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को विकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्धारित करने का अधिकार है कि जिससे विकेटों का उस दुकान की नजर में रहना ही असम्भव हो जाय ?

(३) क्या सरकार को विकेटों की ऐसी संख्या सीमित करने का अधिकार है, जिससे उस दुकान के सभी शक्त्तों पर विकेटिंग करना असम्भव हो जाय ?

(४) क्या शान्तिमय विकेटिंग का उद्देश नष्ट करने के लिए सरकार की दुकानदार की लाइसेन्स-प्राप्त स्थान और समय से अतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की आज्ञा देने का अधिकार है।

(५) कुछ उदाहरणों में, १३ और १४ कलमों के अमल के सिलसिले में उनकी भंशा को नोक करना, जिनमें प्रान्तीय सरकारों ने एक अर्थ किया है और कांग्रेस ने दूसरा।

(६) कलम १६ (अ) में 'लौटाना' शब्द की व्याख्या करना।

(७) सधिनय अवला-आन्दोलन में भाग लेने के कारण जिनकी बन्दूकें लाइसेंस रद्द करने के बाद जब्त की गई हैं, क्या उन्हें लौटाना समझौते के अन्तर्गत है ?

(८) नये कांदिगोल के अनुसार जन्म हुई पुत्रु अन्तर्गत श्री बर्नार्ड की लॉन्गली स्ट्रीट (Water-louis) को बन्गी बन्ग इस समझौते के अनुसार है श्री बर्नार्ड को देने वाले पर कुछ शर्तें लगाये जा सकती हैं।

(९) भाग १६ में 'मन्गी' का शर्त।

(१०) जिन विधायकों ने सर्वजन आन्दोलन में भाग लिया है, उन्हें सर्वजन से पूर्ण बन्ग विधा-विभाग को उनका शर्तें लगाने का सर्वजन आन्दोलन समझौते में समझौते की शर्तों के अनुसार उन्हें सर्वजन न करने का अधिकार है।

(११) सर्वजन आन्दोलन में भाग लेने के कारण बन्ग लाया जो किसी व्यक्ति को दण्ड देना—पेंशन, श्री मुनिंगीलिग्लो को मरद हाथार बन्द करने का अधिकार है।

"यह नतीजा समझौते का है कि पंच के सामने बंजन वही सामने देना होगा। या ही बन्ग (कि भांगप में देते आइलिया समझौते भी लगे हो जायें, जिनके सम्बन्ध में समझौते की शर्तों के होने का दावा किया जा सके। इस पर तीसरा शर्तें कि माकार या कविम दोनों की शर्त से लिये जायें देना हो। दोनों पंच के बसोल उन विधायों पर आनी-आनी दलोंसे देना करें और यदि वे ओर निर्णय करें यह दोनों पंचों को मान्य हो। बावरीय के सम्झौते में जैसा मैंने कहा था कि वह और कविम के सम्झौते की अवस्था में प्रश्नों के निराकरण के लिए पंच नियुक्त करने के सम्बन्ध में नहीं कहना, तब उसका यह मतलब न लिया जाय कि मैंने आनी मांग बाध्य ले ला है। ऐसा कहना सही है, जब कि माभेद होने योग्य हो जायें कि मुझे ऐसे प्रश्नों की भी ज्ञान-वीन करने। लिए पंच पर और देना आवश्यक हो जाय। फिर भी मैं यह उम्मीद रखता हूँ कि हम पंच के पंचिमा भेजे ही सब सम्झौते का निर्णय कर सकेंगे।"

५. गांधीजी के नम इमर्शन साइब के शिमला से ३० जुलाई १९३१ के लिखे पत्र में कहला:—

"आपके २१ जुलाई के पत्र के लिए धन्यवाद, जिनमें आपने (१) ५ माचों के समझौते की व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के निर्णय के लिए एक नियुक्त पंच का अनुयेष किया है और (२) कुछ शर्तें बाते भी लिखी हैं जो आप पंच के सामने यदि उसकी नियुक्ति हो तो उस हालत में पेश करना चाहते हैं, जबकि उनके आशयों पर कविम व सरकार में एकमत न हो सके। इससे पहले १४ जून के पत्र में आपने समझौते के ब्योरे-सम्बन्धी प्रश्नों का व दोनों दलों द्वारा उन शर्तों का पूर्णरूप से पालन होने सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए एक स्थायी पंच की नियुक्ति का परामर्श दिया था। ४ जुलाई १९३१ के अर्ध-सरकारी पत्र में वे कारण दिये गये थे, जिन्हें सरकार आपकी सलाह को स्वीकृत नहीं कर सकती। वाइसरॉय साइब से २१ जुलाई की मुलाकात में आपने यह खयाल आहिर किया था कि १४ जून के आपके पत्र के ब्यापक प्रस्ताव को स्वीकृत करना सरकार के लिए यदि संभव नहीं हो सकना, तो समझौते के व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के फैसले के लिए पंच बना लेने के संकुचित प्रस्ताव से भी इन्कार कर देना सरकार के लिए युक्तिमय न होगा। कुछ बहस के बाद उन्होंने आपको यह सलाह दी थी कि आप जिन खास प्रश्नों को पंच के सामने पेश करने ल्युयक समझौते हैं उन्हें लिखकर भेज दीजिए और उन्होंने यह वादा किया था कि उनके मिलने पर सरकार आपके प्रस्ताव पर विचार करेगी।

"भारत-सरकार ने इस मामले पर खूब गौर किया है। उसका खयाल है कि आप सरकार और जिनमें परस्पर मतभेद की अवस्था में इन हकीकतों के निर्णय के लिए यदि आप पंच की नियुक्ति

यद भी लयाल है कि ऐसे भी मीके आ सकते हैं, जब कि इस मांग पर जोर देना आवश्यक होजाय । निस्संदेह आप यह स्वीकार करेंगे कि आपके इस निवेदन और १४ जून के पत्र के परामर्श में केवल यद अन्तर है कि आप व्यापक प्रश्न को स्पष्ट कर व्याख्या-संबंधी प्रश्नों पर पत्र की नियुक्ति सरकार से जल्दी मजूर कथ लेना चाहते हैं । ४ जुलाई के पत्र में लिखे कारणों से भारत-सरकार को दुःख है कि वह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये अपने विचार को बदल नहीं सकती ।

“भारत-सरकार ने और भी संकुचित प्रस्ताव अर्थात् व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए निर्णायक मण्डल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है । आपके पत्र में वर्णित उन ११ प्रश्नों पर भी सरकार ने खाम ध्यान दिया है, जिन्हें आप इस श्रेणी के अन्तर्गत समझते हैं । इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रखा है कि इन प्रश्नों पर निर्णायक-मण्डल मजूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेदारियों और फर्कों का उलभन में पड़ जाना । आप भी निस्संदेह यह स्वीकार करे गे कि सरकार के लिए किसी ऐसी व्यवस्था को मान लेना संभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित मशीनरी अथवा साधारण कानून मौजूद हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाहरी शक्ति को सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रबंध पर सीधा असर डालनेवाले मामलों के निर्णय तक पहुंचने की जिम्मेदारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम एक खास तरीके का अस्तित्वात् किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य वो लाभ उठा सकें लेकिन जनता के दूसरे (गैर-कांग्रेसी) लोग पृथक् रहें और जो अदालत की अधिकार-सीमा में प्रवेश करे । ५ मार्च के समझौते में इस तरह की किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं है ।

“अगर बताये उसूलों के सिर्लासने में अब मैं आपके पत्र में वर्णित कुछ प्रश्नों की छानबीन करता हूँ । पहले तीन प्रश्न पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं । पिकेटिंग के कुछ खास मामलों में क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप पर अवलम्बित रहेगा, लेकिन सरकार किसी ऐसे व्यापक-निर्णय को बिलकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन तथा न्याय के अधिकारियों को कानून व अमन की रक्षाकी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर पड़े या जो लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करे । आपने जो सामान्य स्वरूप की बातें रखी हैं वे सब इन विचारों के कारण इस दायरे में नहीं आती और सरकार खास-खास मामलों को भी निर्णायक-मण्डल के पास भेजने के लिए राजमन्द नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने से उन सम्बन्धित व्यक्तियों को वह रूठवा मिल जायगा जिससे कि सर्व-साधारण बचित हैं । आपने चौथी बात यह लिखी है कि प्रान्तीय सरकारें आचकारी-कानून का उल्लेखन करनेवालों को दण्डित करती हैं, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई इतिहास नहीं मिली है । जहातक कानून के अनुसार आचकारी-मामलों के शासन से बालुक् है, आप भी निस्सन्देह यह अनुभव करेंगे कि प्रान्तीय सरकारें आचकारी का कैसा प्रबन्ध करें यह निश्चित करने का अधिकार देकर पत्र नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं है । फिर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आचकारी प्रान्तीय हस्तान्तरित विषय है । १० वें और १२ वें मुद्दे एक जुदा परन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तबका करते हैं । समझौते की बातचीत करते समय उनमें वर्णित प्रश्नों पर बहस ही नहीं हुई थी । इसलिए इन मामलों को पत्र के पास भेजने का अर्थ यह वेहद व्यापक उद्देश्य मान लेना होगा कि समझौते के वास्तविक क्षेत्र व उद्देश्य से बाहर भी सरकार की सहमति के बिना पत्र को समझौते की पाबन्दी कपाने का अधिकार है ।

“पत्र कायम करने के रखे में, चाहे उसके पास केवल व्यास्था-सम्बन्धी प्रश्न ही भेजे जाय, बहुत-सी दुर्गम बाधाएँ हैं । इसी बात पर लगातार भगड़े होंगे कि अनुक मामला व्यास्था-सम्बन्धी

है या नहीं ? यह व्यवस्था पुरानी दिक्कतों को हटाने के बदले नई दिक्कतें पैदा करेगी ।

“सन्धि-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजमई पर मेरे तैयार रहेगी । क्योंकि समझौते के पालन को सरकार अपनी इज्जत का सवाल समझती है और कोई सन्देह नहीं है कि आप भी उसे ऐसा ही मानते हैं । और यदि ऐसी स्थिति से काम लिया गये कि पंच बनाने के भ्रम में पड़ने दें—तो सरकार को विश्वास है कि ये कठिनाइयाँ अन्ही हल हो सकती हैं ।”

परिपद से गांधीजी का इन्कार

संयुक्त-प्रान्त में किसानों पर दमन और अत्याचार जारी था । अपने खेतों व फलों से निर्धन किसानों की दुर्दशा से युक्त-प्रान्त के नेताओं को—प० मदनमोहन मालवीय को भी—विन्दा उभ हो गई थी । गांधीजी ने युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर माल्कम हेली को एक पत्र भेजा । लेकिन उसका जवाब बहुत निराशाजनक मिला । सभी ओर से ऐसी शिकायतें आ रही थीं और परिस्थितियाँ एक दिलचोड़ने वाली थीं कि ११ अगस्त १९३१ को गांधीजी वाइसराय को निम्नलिखित पत्र भेजने का विवश हो गये—

“बहुत दुःख के साथ आपको सूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में बम्बई-सरकार का पत्र मिला है, उसने मेरा लन्दन जाना असम्भव कर दिया है । पत्र से कई कानूनी समस्याएँ उभरी हो गई हैं । पत्र में हकीकत और कानून दोनों दृष्टियों से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया और लिखा है कि सरकार ही हर प्रकार से दोनों बातों में अन्तिम निर्णय करेगी । इसका अर्थ अभिप्राय यह है कि जिन मामलों में सरकार और शिकायत करने वाले दो दल हों, उनमें भी सरकार ही अभियोक्त सहाय्य और यही पैसला करे । कांग्रेस के लिए यह स्वीकार करना प्रथम है । बम्बई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के पत्र और युक्त-प्रान्त, सीमा-प्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में होने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट पर जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि मैं लन्दन को खाना न होऊँ । जैसा मैंने वादा किया था कि कोई भी अन्तिम निर्णय करने के पदों में आने से पहले लिखूँगा, मैं ऊपर लिखी हुई सब बातें आपके सामने रख रहा हूँ । अन्तिम घोषणा करने से पहले आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा ।”

वाइसराय का उत्तर—११ अगस्त १९३१.

“आपने जो कारण बताये हैं, यदि उन्हींके आधार पर कांग्रेस उन कारणों को स्वीकार नहीं करती, जो गोलमेघ-परिपद में उसका प्रतिनिधित्व रखने के लिए की गई थी, तो मुझे भेद है । मैं इन कारणों को उचित नहीं मान सकता । मैं ऐसा सोचने बिना नहीं रह सकता कि कांग्रेस को अन्तिम तथा उसके आधार-भूत बातों को दमन समझने के कारण ही यह सन्देहा पैदा हुआ है । मैं भयल था कि युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में आपका सन्देह सर माल्कम हेली के वाइसराय के पत्र से ही हुआ है । युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में सर जॉर्ज हार्डन के आइवेंट-मिटेडिंग के १० अगस्त के पत्र पत्र में कुछ दल होगा । मैं आपका ध्यान आने से युक्त-प्रान्त के पत्र की ओर आकर्षित करता हूँ, जिसे मैं आपकी वर पूर्ण विवेक विचार है कि समझौते-सम्बन्धी एक मामले में मैं लुप्त विचारता करता हूँ । और मैं आपकी वर कि आप इस विचार की वर से युक्त-प्रान्त के कारण आने के कारण ही उस संघ में बहुत नाराज होंगे, जो आप उन महत्वपूर्ण वर विचार में आगे ले जा रहे हैं, जो आपकी वर पर लक्ष्य के वर आने के लिए वर के सम्बन्ध में निम्नलिखित वर देते हैं।

है। यदि आपका निश्चय अन्तिम है तो मैं फौरन ही प्रधान-मंत्री को आपके लन्दन न जाने सूचना दे दूंगा।”

गांधीजी का अन्तिम इन्कार—१३ अगस्त १९३१

“आपके आश्वासन के तार के लिए धन्यवाद ! आपके आश्वासन को मुझे वर्तमान घटना को दृष्टि में रखते हुए देखना चाहिए। यदि आप उन घटनाओं पर विचार करने पर समझौते शर्तों के बाहर कोई बात नहीं पाते, तो इससे प्रतीत होता है कि हमारे और आपके समझौते सम्बन्धि क्षेत्रों में वैद्वान्तिक मतभेद है। वर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ता है कि मेरे लिए अपने पूर्व-निश्चय पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं के वही कह सकता हूँ कि मैंने लन्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा। कृपया प्रधान-मंत्री को इसकी सूचना दे दें। मैं समझता हूँ यह पत्र-व्यवहार और तार प्रसारित करने आपके आपत्ति न होगी।”

वाइसराय का उत्तर—१४ अगस्त १९३१

“आपके निश्चय की सूचना मैंने प्रधान मंत्री को दे दी है। मैं आज संध्या-समय के सारा पत्र व्यवहार प्रसारित कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं।”

समझीते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलसिले में कार्य-समिति ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया:—

“चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता क्यों न हुई हो, उसने शुरू से ही विशुद्ध राष्ट्रीयता को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को हटाने में सदा प्रयत्नशील रही है। कांग्रेस के लाहौर-अभिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी राष्ट्रीयता की चरमसीमा है—

‘चूंकि नेहरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा करना आवश्यक है। कांग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नों का हर सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय दंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूंकि खासकर सिखों ने और साधारण तथा मुसलमानों तथा दूसरी अल्प-संख्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक प्रश्नों के हल के प्रति असंतोष जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिखों, मुसलमानों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों को विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा कोई हल कांग्रेस को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा संतोष न होता हो।’

“इसी कारण साम्प्रदायिक प्रश्न का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेदारी से कांग्रेस मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूस करती है कि कार्य-समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए, जो देशने में साम्प्रदायिक हल को हटाने में राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और ग्राम वीर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजूर हो। इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साथ बहस के बाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मति से नीचे लिखी योजना पास की है:—

“१. (क) शासन-विधान की मौलिक अधिभार से सम्बन्धित धारा में जातियों को बह आरक्षक सन भी दिया जाय कि उनकी सङ्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, पेशा और धार्मिक अरक्षण तथा मर्यादा की रक्षा की जायगी।

(ख) विधान में खास धारयें रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी।

(ग) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना सप-सरकार के विषये होगा और ये काम उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा में होंगे।

२. समान कालिक स्त्री-पुरुष सहाधिकार के अधिकारी होंगे।

नोट—क्याची-कॉंग्रेस के प्रस्ताव द्वारा कार्य-समिति कालिक सहाधिकार के लिए बत चुकी है, अतः वह किसी दूसरे प्रकार के सहाधिकार की मंजूर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्थानों में भी सहायकी पैली हुई है, उक्त ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी हालत में सहाधिकार बह-समान होगा और इतना स्पष्ट होगा कि पुरुष की तुली में प्रत्येक स्त्री की आवाही का अनुसरण उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े।

३. (क) भारत के भाषा शासन-विधान में प्रांतीय-भाषा का आधार मौलिक निर्धारण होगा।

(ख) शिक्षा के दिग्गुणों, अक्षय के सुलक्षणों और परिश्रमयोग-सहायक-तन्त्र तथा पठन के विषयों को शिक्षा की ऐसे प्रान्त के दिग्गुणों सुलक्षणों के लिए, सदा उनकी सहायक-कार्य के रूप में भी समझे जायेंगे, जो कि प्रांतीय भाषा-सहायकों से आवाही के आधार पर स्पष्ट रूप से समझे जायेंगे और उक्त सहायक कार्य-विधान के लिए भी उक्त-रूप में करे।

५. पदों पर नियुक्तियां निश्चय सर्विस-कमीशनों के द्वारा होगी। नौकरियों के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे और कार्य के सुचारु-रूप से चलने का तथा नौकरियों के लिए समान जातियों को समान अवसर मिले इस सिद्धान्त का और वे बहुत-कुछ योग उसमें दे सकें इस बात का वे पूरा खयाल रखेंगे।

५. संघीय और प्रान्तीय मंत्रि-मण्डल के निर्माण में अल्पसंख्यक जातियों के हित एक निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे।

६. परिचमोत्तर सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में है।

७.- सिन्ध को अलग प्रान्त बना दिया जायगा, वरतों कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का आर्थिक भार सहन करने को तैयार हों।

८.- देश का भावी शासन विधान संघीय होगा। अवशिष्ट अधिकार संघ की इकाइयों के पास रहेंगे, वरतों कि और छानबीन करने पर यह भारत के आत्यन्तिक-हित के विरुद्ध साबित न हो।

“कार्य-समिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साम्प्रदायिकता और विशुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर किये गये प्रस्तावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जहां एक ओर कार्य-समिति यह आशा रखती है कि सारा राष्ट्र इस योजना का समर्थन करेगा, वह दूसरी ओर उम विचार के लोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यह विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी किसी ऐसी योजना को बिना हिचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दलों को मजू हो, जैसे कि वह साहौर के प्रस्ताव से बची हुई है।”

विदेशी कपड़े और सूत के बहिष्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य समिति में तैयार की गई और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपड़े व सूत के बहिष्कार के सिलसिले में की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो, रद्द मानी जायगी:—

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तबतक हम निम्न-लिखित शर्तों का पालन करते रहेंगे, जबतक कि कांग्रेस की कार्य-समिति किसी प्रस्ताव-द्वारा और कुछ करने को नहीं कहती:—

१. हम रई, ऊन या रेशम से कटा हुआ कोई विदेशी सूत या उससे बना हुआ कपड़ा न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं।

२. हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं, जिसने कांग्रेस की शर्तों को न माना हो।

३. हम अपने पास मौजूद कपास, ऊन या रेशम से बने हुए विदेशी सूत या उससे बने कपड़े को भारत में न बेचने का वचन देते हैं।”

इसके बाद यह फैसला किया गया कि अस्पृश्यता-निवारणी समिति को, जो सत वर्ष सविनय अवज्ञा के समग्र में लुप्त हो गई थी, पुनर्जीवित किया जाय। भी जमनालाल बजाज को इस उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने की कहा गया। इस समिति को अन्य सदस्य शामिल करने का तथा अन्य आवश्यक अधिकार भी दिये गये।

मिल-समिति (Textile Mills Exemption Committee) की तथा मजूदों की हालत के सवाल पर कार्य-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां सम्भव और आवश्यक प्रतीत हो, उक्त समिति आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने कांग्रेस की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिये हों, मजूदों

समझते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलसिले में कार्य-समिति ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित किया:—

“चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी भी असफलता क्यों न हुई हो, उसने शुरू से ही विश्वास यथा को अपना आदर्श माना है और वह साम्प्रदायिक भेदभावों को हटाने में सदा प्रयत्नशील है। कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसकी यह रुढ़ि चरमसीमा है—

‘चूँकि नेहरू-रिपोर्ट स्वतन्त्र हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कांग्रेस की नीति घोषणा करना आवश्यक है। कांग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नों का सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय दंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चूँकि खासकर सिक्खों ने और कर्ण तथा मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्तावित साम्प्रदायिक प्रश्नों के प्रति असंतोष जाहिर किया है, यह कांग्रेस सिक्खों, मुसलमानों और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों को विश्वास दिलाती है कि भावी शासन-विधान में साम्प्रदायिक समस्या का ऐसा कोई रूप नहीं को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा संतोष न होता हो।’

“इसी कारण साम्प्रदायिक प्रश्न का साम्प्रदायिक हल पेश करने की जिम्मेदारी से राजा मुक्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महसूस करती है कि एक समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा हल सुझाना चाहिए, जो देखने में साम्प्रदायिक हो हुए भी राष्ट्रीयता के अधिक-से-अधिक निकट हो और आम तौर पर सब सम्बन्धित जातियों को मंजूर हो। इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साथ बहस के बाद कार्य-समिति ने सर्वसम्मति से नीचे लिखी योजना पास की है:—

“१. (क) शासन-विधान की मौलिक अधिकार से सम्बन्धित धारा में जातियों को बराबर का स्थान भी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मग्रन्थ, शिक्षा, पेशा और धार्मिक मर्यादा का सम्मान मर्यादा की रक्षा की जायगी।

(ख) विधान में खास धारयें रखकर जातियों के निजी कानूनों की रक्षा की जायगी।

(ग) विभिन्न प्रान्तों में अल्पसंख्यक जातियों के राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना मन्त्र-संघ के जिम्मे होगा और ये काम उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा में होंगे।

२. तमाम बालिग स्त्री-पुरुष मताधिकार के अधिकारी होंगे।

नोट—कराची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति बालिग मताधिकार के लिए बहस शुरू है, अतः यह किसी दूसरे प्रकार के मताधिकार को मंजूर नहीं कर सकती। लेकिन कुछ स्थानों पर मताधिकार अभी तक नहीं है, उसे ध्यान में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि हालत में मताधिकार एक-समान होगा और इतना व्यापक होगा कि पुनः किसी जाति-आधारिता का अनुभव उसमें स्पष्ट दिखाई पड़े।

३. (क) भारत के भावी शासन-विधान में

(ख) सिन्ध के हिन्दुओं, आसाम के मुसलमानों, पंजाब के सिक्खों और हिमाचल प्रदेश के हिन्दु और आजादी के २५ को सदा से भी कम हो, संघीय और प्रांतीय पर स्थान सुगुंदा रखने जायेंगे और उनके अल्पसंख्यक होने का अधिकार होगा।

किया। यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कांग्रेस-स्वयंसेवक-संगठन के एक अंग हो जाने चाहिए। समिति अपने निश्चयों पर निम्नलिखित वक्तव्य प्रकाशित करती है :—

“सीमाप्रांत में कांग्रेस के कार्य तथा प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी, अफगान जिरगा और खुदाई खिदमतगारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ गलतफहमियां उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए कार्य-समिति ने खान अब्दुलगफफारखा, खान अलीगुलखा, हकीम अब्दुलजलील, पीरबख्श साहब, खान-अमीर-मुहम्मद और श्रीमती निकोदेवी से मिलकर उस प्रान्त में भावी कार्य के विषय में विचार किया। इस विचार-विमिश्रण के परिणाम-स्वरूप सब गलतफहमियां दूर हो गईं और सीमा-प्रांतीय नेता कुछ सम्मत-निर्णयों के अनुसार एक साथ काम करने को तैयार हो गये हैं। यह बताया गया था कि अफगान जिरगा कांग्रेस के कार्य-क्रम पर अमल कर रहा था और खुदाई खिदमतगार इसे प्रभावशाली बनाने के लिए स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अफगान जिरगे का विधान कांग्रेस से पृथक् था, इसलिए यह कांग्रेस का कोई भाग भी न था और जिरगे के विषय प्रचार के भरखों के इस्तेमाल से भी गड़बड़ पैदा हो रही थी।

सीमा-प्रांतीय नेता इस पर सहमत हो गये हैं कि वर्तमान प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी और अफगान-जिरगा परस्पर मिल जायें और कांग्रेस-विधान के अनुसार एक नई प्रांतीय सस्था स्थापित की जाय जो प्रान्त में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करे। यह नई चुनी हुई कमिटी प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी होगी। उस प्रान्त की भाषा में यह सीमा-प्रांतीय जिरगा कहलायेगी। इसी तरह जिला व स्थानीय कांग्रेस-कमिटियां स्थानीय जिरगे बने जा सकेंगे। वे कांग्रेस-कमिटियां हैं, इसका भी स्पष्ट निर्देश रहेगा। यह भी फैसला हुआ है कि खुदाई खिदमतगार कार्य-समिति के हाल के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस-स्वयंसेवक-संगठन बन जायें। 'खुदाई खिदमतगार' नाम रखा जा सकेगा। कांग्रेस के विधान, नियम और कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पूर्ण संगठन चलाया जायगा। इसलिए ऊँचे के तौर पर वस्तुतः राष्ट्रीय अंश ही काम में लाया जायगा।

कार्य-समिति की प्रार्थना पर सीमा-प्रांतीय नेता खान अब्दुलगफफारखा ने उस प्रान्त में कांग्रेस आन्दोलन के सञ्चालन का भार अपने कंधों पर ले लिया है।”

कार्य-समिति की निराशा

कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया कि यह अनिच्छा-पूर्वक इस परिणाम पर पहुँची है कि समझौते की शर्तों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कांग्रेस मोलमेज परिषद् में न भाग ले सकती है और न उसे लेना ही चाहिए। लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली-समझौता अब भी कायम है, जैसा कि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा :—

“कार्य-समिति ने १३ अगस्त को मोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने के बारे में प्रस्ताव पास किया था। उसे मर्दे-नजर रखते हुए यह समिति स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव को दिल्ली समझौते का समाप्ति-कारक न समझा जाय। इसलिए समिति सब कांग्रेस-संस्थाओं व कार्य-समियों को वस्तुतः समझौते की कांग्रेस पर लागू होनेवाली शर्तों पर अमल करने की सलाह देती है, जब तक कि कोई दूसरी हिदायत न दी जाय।”

अध्यापक परिस्थिति उत्पन्न होने की आसपासों के लिए जब कार्य-समिति ने खुदाई या सके राष्ट्रपति को विशेष अधिकार भी दे दिये गये, कि “इस प्रस्ताव द्वारा कार्य-समिति की ओर से उसके नाम पर राष्ट्रपति को काम करने को अधिकार दिया जाता है।”

संयुक्त भवन (बम्बई) में सारे दिन आसपासों के उम्मीदों से भरी ये अफवाहें गरम हो रही थीं

कि सर तेजबहादुर सप्रू और भी जयकर के आखिरी समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के कारण गांधी का लन्दन जाना सम्भव हो जायगा। लेकिन सूर्यास्त के वक्त बड़े-बड़े नेता मण्ड-भवन से बार निकले और अत्यन्त उत्सुक व प्रतीक्षा में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को बताने लगे कि आखिरी वन की गई सन्धि-चर्चाओं के सफल होने और गांधीजी के अपने निश्चय को बदलने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी कुछ आशावादी अबतक यह आशा लगाये बैठे थे कि अन्त में कोई-न कोई हल निकल ही जायगी। लेकिन जब गांधीजी रात के ८॥ बजे मण्ड-भवन छोड़कर बम्बई-सेन्ट्रल स्टेशन पर गुजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हो गये, तब सब सन्देह बिलकुल खतम हो गये।

सर प्रभाशंकर पट्टनी ने दोपहर को आध घण्टे तक गांधीजी से मुलाकात की। अतोषिपेट प्रेस के मेट करने पर सर प्रभाशंकर पट्टनी ने (जिन्होंने 'एस० एस० मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में अनिच्छा प्रकट की कि अनेक कारणों से उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है।

इस तरह गोलमेज-परिषद् के अभिनय में पहला दृश्य समाप्त हुआ। १५ अगस्त को डॉ० ह्यू भी जयकर और भी रंगास्वामी आयांगर गांधीजी से दो-एक बार मिलकर बम्बई से खाना होंगे। इस विषय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवहार के अध्ययन से सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति का अच्छा परिचय मिल जाता है। सेक्रेटेरियट ने समझौते की समुद्र में फेंक दिया था। पूना की दुर्घटना ने संभवतः सेक्रेटेरियट की शांति भंग कर दी थी। प्रायः प्रत्येक बार किसी-न-किसी हिंसात्मक कार्य से कांग्रेस आन्दोलन को नाजुक समय में बाधा पहुँची है। पूना के फर्म्यूसन-कालेज में बम्बई के स्थानापन्न गवर्नर सर ई० हॉटसन पर एक युवक विद्यार्थी-द्वारा गोली का चलाया जाना इस समय वस्तुतः दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन ई० हॉटसन ने स्वयं वही स्थिरता और शान्ति रक्खी, जैसी लॉर्ड अर्बिन ने २३ दिसम्बर १९२६ को रक्खी थी। गांधीजी ने पूना-दुर्घटना पर दुःख प्रकाश किया और स्थानापन्न गवर्नर को बचने पर बधाई दी। कार्य-समिति और महाममिति ने भी इस आक्रमण की निन्दा के अलावा पास किये। लेकिन यह तो केवल एक चपेक है। गांधी-अर्बिन-समझौते के टूटने के वस्तुतः सबसे भी गहरे कारण थे। प्रत्यक्ष उल्लंघनों का तो नाम-निर्देश भी कर दिया गया है। गांधीजी के आरोपों में से प्रत्येक का उत्तर सरकार ने २५ अगस्त को प्रकाशित किया और कांग्रेस ने उनका वस्तुतः प्रत्युत्तर अक्टूबर में प्रकाशित किया।

न जाने के कारण

इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के ये उल्लंघन, गांधीजी के गोलमेज-परिषद् में उतरियाने से इन्कार करने और १३ अगस्त को वाइसराय को तार-द्वारा अपने निश्चय से (जिसका समान कार्य-समिति ने भी किया) सूचित करने का, एक कारण थे। वस्तुतः यह हमसैन सा० का ३० नंबर का पत्र था, जो पहले आ चुका है, जिसने शिप्टि को निर्णित-रूप दे दिया था। बम्बई के गवर्नर का १० अगस्त का पत्र भी कम निर्णायक न था। सर माल्ट्रम देली का तार भी, यद्यपि उक्त समय, शिप्टि और संयुक्तभाषा का प्रयोग था, यह निश्चय करने में कम कारण न था। लेकिन इनमें से बड़ा कारण था बारदोली में लगान-नमूनी के लिए दमनकारी उपायों का अचलभन। १२ अगस्त के तारों में से २१ अगस्त का पत्र था। कांग्रेस का मन्तव्य था कि अब लगान न चुकाने से शान्ति के अन्त है और समय चारने है। जिसके अन्तों का बचपन करीब दो लाख रुपये लेना

सालों का बकाया वसूल करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि कांग्रेस कौन होती है जिसके कहने पर सरकारी मालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ? सरकार ने अपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट लिख दिया था कि समझौते का न तो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहन ही कर सकती है। कांग्रेस यह साबित करने को तैयार थी कि लोगों को भयभीत करने और कुछ मामलों में तो अतिरिक्त मालगुजारी वसूल करने के लिए अनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है। और फिर इस प्रकार प्रकृष की हुई अतिरिक्त-मालगुजारी एक लाख रुपये भी नहीं होती थी। सरकार का कहना था कि लगान की वसूली में अन्तिम मित्यंय कांग्रेस का नहीं बल्कि सरकार और उसके कर्मचारियों का होना चाहिए। ब्रिटिश-शान्ति और ब्रिटिश-शासन अभी वहाँ कायम है। सरकार इसे जताना और साबित करना चाहती थी। सरकार को मालगुजारी की हतनी परवाह न थी, जितनी अपने शैव की—उसी शैव की जिसकी हतनी ठागीफ मास्टेगु साहब ने की थी—चिन्ता थी।

एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गांधीजी इंग्लैण्ड नहीं जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर अंसारी को गोलमेज-परिषद् का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। स्वभावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी। कांग्रेस होने के अलावा वह भारत की एक बड़ी पार्टी-राष्ट्रीय मुस्लिम दल—का प्रतिनिधित्व करते थे। सभी मुसलमान उच्च-विरोधी नहीं हैं। उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्ण स्वराज्य—मुकम्मिल आजादी के लिए उत्सुक था। लेकिन इस रहस्य को सभी जानते हैं कि लॉर्ड अर्बिन ने गांधीजी के कहने से पण्डित मदनमोहन मालवीय, श्रीमती सरोजिनी नायडू और डॉक्टर अंसारी को मनोनीत करने का वचन दिया था, जबकि पहले दो व्यक्ति मनोनीत कर लिये गये और डॉक्टर अंसारी छोड़ दिये गये। यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विलिंगडन जानते ही न थे कि लॉर्ड अर्बिन ने क्या वचन दिया था। लेकिन गोलमेज-परिषद् में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश हितों के लिए अच्छा था कि मुस्लिम-भारत स्व-राज्य के विरुद्ध है। लॉर्ड अर्बिन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलिंगडन ने यह दलील दी कि मुसलमान प्रतिनिधि डॉक्टर अंसारी के प्रतिनिधित्व के विरुद्ध हैं। वे तो उसके विरुद्ध होने ही। यदि वे विरोध न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; बल्कि भारत के प्रतिनिधि होते। देश में डॉक्टर अंसारी की स्थिति असाधारण थी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके विचार भी राष्ट्रीय थे। यह साम्प्रदायिकता के प्रबल और निर्भीक विरोधी थे। ऐसे डॉक्टर अंसारी के चुनाव की वे मुसलमान प्रतिनिधि कैसे सहन करते ? कांग्रेस ने साम्प्रदायिक प्रश्न पर एक हल तैयार कर लिया था, जिसका समर्थन गोलमेज-परिषद् में एक हिन्दू और एक मुसलमान प्रतिनिधि करने। सरकार यह जानती थी और साफ तौर पर मुसलमान अंग को काटकर कांग्रेस को बेकार बना देना चाहती थी। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा करते हुए केवल एक ही मार्ग खुला था। गांधीजी ने उसे ही पकड़ा और गोलमेज-परिषद् के लिए सन्धन जाने से इन्कार कर दिया।

आराग के पहले

एक बार फिर लक्ष्मण की तैयारियां होने लगीं। सत्याग्रही को तो कोई तैयारी करनी नहीं होती, उसे केवल सूचना देनी होती है। सरकार को जैसे लाठी या मनुष्य-बल की तैयारी करनी पड़ती है, वैसी कोई भौतिक तैयारी सत्याग्रही को नहीं करनी पड़ती। जैसे-जैसे आवरणघटा होती जाती है, जनता की ओर से स्वयंसेवक आते जाते हैं। फिर भी यह तो मानना ही चाहिए कि मनुष्य की सहन-शक्ति की भी धारिण एक सीमा होती है और सत्याग्रह-समय में तो अन्तिम मनुष्य और अन्तिम धार हो जो काम दे सके है। परन्तु इस विषय पर तो अधिक बात हम आगे करेंगे। १५ अगस्त

को लड़ाई की हवा की ही सब जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि लार्ड विलिंगटन का रूप पूर्ण शिष्टता का था। उन्होंने गांधीजी से कहा कि आप मामले को तोड़ें नहीं। जब 'कमी कोई रिस्वट हो, मुझसे मिल लें। लेकिन गांधीजी जब कोई बात पेश करते थे तो उसका कोई अंतर न होता था। सारा देश एक निराशा में डूबा हुआ था। परिदृष्ट मदनमोहन मालवीय और भीन्डी सरोजिनी नायडू ने 'मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा रथगित कर दी थी, जिससे भी सभ, जपकर और आयरंगर खाना हुए थे। गांधीजी ने अपनी रियति निम्नलिखित सरल शब्दों में रख दी:—

“यदि सरकार और कांग्रेस में कोई समझौता हुआ था और यदि उसके आराय के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पक्ष की ओर से उसका उल्लंघन किया गया, तो मेरी समझ में सब समझौते के साथ लागू होनेवाले नियम इस समझौते पर भी लागू होने चाहियें। इस समझौते पर तो वे और भी ज्यादा इसलिए लागू होने चाहियें, क्योंकि यह समझौता एक महान सरकार और सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली महान संस्था के बीच हुआ है। यह बात सही है कि इस समझौते पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकता, पर इच्छित सरकार पर यह दोही जिम्मेदारी आ जाती है कि समझौता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्नों पर एक नहीं हो सकते उन्हें एक निष्पक्ष न्यायालय के सामने पेश करे। कांग्रेस की एक बहुत सरल और स्वाभाविक इस सलाह को सरकार ने ठुकरा देने लायक समझा है कि भगड़े के ऐसे मामले निष्पक्ष न्यायालय को सौंप देने चाहियें।”

गांधीजी ने शान्ति के लिए कमी दरवाजा बन्द नहीं किया। वह तो करते थे कि क्यों ई गस्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकारें समझौते की शर्तों की पूर्ति करती रहें, मैं सन्दन की ओर दौड़ पड़ूंगा। जो बात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उन्होंने खुले तौर पर कह दिया—“यहां के बड़े सिविलियन नहीं चाहते कि मैं परिपक्व में जा सकूं। और यदि वे करते भी हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें कांग्रेस-जैसी कोई राष्ट्रीय-संस्था बरदाश्त नहीं कर सकती।” देश के सिविलियन बड़े जोरों से यह बात पैला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक मुकाम की सरकार कायम करना चाहते हैं और ऐसी निष्पक्षक संस्था कभी गठना नहीं की जा सकती। गांधीजी ने बम्बई से अहमदाबाद के लिए खाना होते समय लार्ड विलिंगटन को एक नित्री पत्र लिखा कि आपने नेवृत्त में मुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा और मैंने कभी पक्ष नियत करने पर ज़िद की; हाँ उसके इस अधिकार का दावा मैंने व्यर्थ दिया है। मैं तो केवल न्याय चाहता हूँ। पूरा पत्र इस तरह है:—

“इतनी शीघ्रता से घटन ये घटित होती रही हैं कि मैं आपके ३१ जुलाई के इनाम-पत्र का उत्तर भी न दे सका। इस पत्र-व्यवहार में जो सन्चार की भावना भरी हुई है उसका मैं काबल हूँ। पर पिछली घटन-ओं ने उसे भूतकाल का इतिहास बना दिया है और जैसा कि मैंने १३ अगस्त के

— ३ कि मे समस्त परिस्थितियाँ बनलानी हैं कि आपके और हमारे दृष्टिकोण में ही मौजूद

आधार पर बना है। हाँ, यह तो सच है कि पंच के सम्बन्ध में मैंने अधिकार के रूप में इसकी मांग की थी, पर यदि आपको मेरी बातचीत याद होगी, तो आप जान लेंगे कि मैंने कभी इसपर जोर नहीं दिया। इसके विपरीत मैंने आपसे यह भी कह दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जायगा—जिसका मैं अधिकारी भी हूँ—तो मुझे संतोष हो जायगा। आप इससे सहमत होंगे कि पंच की स्थापना पर जोर बिलकुल दूसरी बात है।

“प्रखिन्दी सरकार के सम्बन्ध में मुझे खयाल है कि मैंने आपका भ्रम उसी समय दूर कर दिया था जब आपके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मैंने कहा था कि मैं अपने को जिला अफसर नहीं समझता और मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से बने पटेल या गाँव के मुखिया का जो कार्य किया है, वह भी जिला-अधिकारियों की जानकारी में और अनुमति से। इसलिए यदि उपर्युक्त दो गलत बातों ने आपके विचारों पर असर बाला हो तो मुझे खेद होगा।

“इस पत्र के लिखने का मेरा अभिप्राय यह दयाफत करना है कि क्या आप अब दिल्ली-समझौते को खत्म समझते हैं या गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते हैं? कांग्रेस-कार्य-समिति ने आज प्रातःकाल निम्नलिखित निश्चय किया है—“१३ अगस्त वाले कार्य-समिति के गोलमेज-परिषद् में भाग न लेने के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि उस प्रस्ताव से दिल्ली-समझौते का अन्त नहीं समझना चाहिए। अतः सभी कांग्रेसियों और कांग्रेस संस्थाओं को सलाह देती है कि जब तक और कोई आदेश न दिया जाय, दिल्ली-समझौते की कांग्रेस पर लागू होने वाली शर्तों का पालन किया जाय।

“इससे आप देखेंगे कि कार्य समिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती और यह सच्चाई से दिल्ली समझौते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोवृत्ति पर निर्भर है।

“जैसा कि पत्रों में तथा बातचीत में भी पहले मैं आपको बतला चुका हूँ, प्रान्तीय-सरकार की यह पारस्परिकता की वृत्ति दिन-दिन कम-ही-कम दिखाई पड़ी है। कार्य-समिति के दफ्तर में बराबर सरकार के ऐसे कार्यों की इतिलायें आ रही हैं जिनका एक ही अर्थ हो सकता है कि सरकार कार्य-वर्ताओं और कांग्रेस-आन्दोलन को कुचलना चाहती है।”

गांधी जी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर जल्दी मिले और यदि दिल्ली-समझौते का पालन मंजूर है, तो मैं कहेगा कि जो शिकायतें आपके सामने पेश की गई हैं उन पर शीघ्र ही विचार किया जाय; क्योंकि मेरे साथी-कार्यकर्ता इस पर जोर दे रहे हैं कि यदि शिकायतें दूर नहीं होतीं, तो कम-से-कम आत्म-रक्षा के लिए हमें भी तत्काल उपाय हाथ में लेने की आशा दी जाय। गांधी जी को इसकी कोई चिन्ता नहीं कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता के बीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करती। वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे अपमानित करना नहीं चाहते थे। लेकिन दरअसल स्थिति यह थी कि सरकार सिविल-सर्विस-वालों के निरिच्छ विरोध के कारण अस्थायी-सन्धि को तोड़ रही थी, न कि कांग्रेस। गांधी जी आवश्यक और अनावश्यक का भेद जानते थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सिविल-सर्विस के कर्मचारी भारत के पूरी स्वतन्त्रता के अधिकार को स्वीकार करने को जचत नहीं थे। “इसलिए”, गांधीजी कहते थे, “जब तक इस सर्विस के सब कर्मचारियों के खयालाव न बदल जाय, पूर्ण स्वाधीनता के लिए कांग्रेस के सन्धि-चर्चा करने की कोई खत नहीं है। कांग्रेस को अभी और कष्ट-सहन व बलिदानों से गुजरना होगा, चाहे इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। इसलिए मैं तो अपने लिए बार-

३. सुरत-जिले में लगान-वसूली के बारे में विचारस्थीय बात यह है कि क्या बाग्दोली-वाहलुका और बालोफ मंडाल के जिन गावों में पुलिस-पार्टी के साथ माल-अफसर खुलाई १९३१ में गये थे, उनमें लगान देने वालों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनसे पुलिस-द्वारा जबरदस्ती करके बाग्दोली वाहलुके के अन्य गावों की अपेक्षा अधिक लगान मांगा गया था या उनकी अपेक्षा उनसे अधिक वसूल किया गया ? बम्बई-सरकार से परामर्श करने के बाद और उससे पूर्ण सहमत होते हुए, भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि इस प्रश्न की जांच की जायगी। जांच का क्षेत्र यह होगा कि—

विचाराधीन गावों में पुलिस-द्वारा जबरदस्ती और दमन करके खातेदारों को उन गावों की अपेक्षा जहां ५ मार्च १९३१ के बाद पुलिस की सहायता के बिना वसूली हुई है, बाग्दोली के दूसरे गावों में जो अदाज रक्खा गया था उससे अधिक लगान देने के लिए बाधित किया गया, इस आरोप की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा हुआ है, तो ठीक रकम का निर्धारण करना। इन बातों के अंतर्गत उठनेवाले किसी भी विवाद पर गवाहियां दी जा सकती हैं।

बम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि० आर० सी० गॉर्डन को नियुक्त किया है।

४. कांग्रेस-द्वारा उठाये गये अन्य प्रश्नों के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें जांच की आशा देने को तैयार नहीं हैं।

५. यदि समझौते के क्षेत्र से बाहर कांग्रेस किसी मामले में नई शिकायतें करे, तो उन शिकायतों पर साधारण शासन-प्रबन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार सरकार विचार करेगी और यदि जांच का कोई सवाल उठे तो, जांच करनी है या नहीं, और यदि जांच करनी है तो किस तरह से, इन सब बातों का पैसला प्रान्तीय-सरकारें प्रचलित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।”

पत्र-व्यवहार

हमसैन सा० के नाम गांधीजी का पत्र—शिमला २७ अगस्त १९३१

“आपके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसविदा भेजने के लिए धन्यवाद। सर कावसजी ने भी आपके बताये सशोधन भेजने की कृपा की है। मेरे सहकारियों ने व मैंने संशोधित मसविदे पर भूब गौर किया है। नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ हम आपके संशोधित मसविदे को स्वीकृत करने के लिए तैयार हैं—

चौथे पैराग्राफ में सरकार ने जो स्थिति अस्वीकार की है, उसे कांग्रेस की ओर से स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है। क्योंकि हम यह अनुभव करते हैं कि जहां कांग्रेस की सम्मति में समझौते के व्यवहार में पैदा हुई शिकायतों की जाती वहां जांच करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यह है, जबतक दिल्ली का समझौता जारी है, जबतक दिल्ली का समझौता जारी है, तब तक दिल्ली का समझौता जारी करने के लिए उचित नहीं है, तो । इसका परिणाम यह होगा कि जोर नहीं देगी, लेकिन यदि कोई के अभाव में उसे दूर करने के लिए हो । तब तक दिल्ली का समझौता जारी करने के लिए उचित नहीं है, तो । इसका परिणाम यह होगा कि जोर नहीं देगी, लेकिन यदि कोई के अभाव में उसे दूर करने के लिए हो । तब तक दिल्ली का समझौता जारी करने के लिए उचित नहीं है, तो ।

की विकारिया की गई, जो इस आशय की प्रतिज्ञा करें कि वे जनता की भावनाओं से सहानुभूति रखेंगी; पूँजी व डाइरेक्टरों में ७५ फी सदी भारतीयता होगी; मैनेजिंग एजेंट के कारोबार में विदेशी स्वार्थ न होंगे; अपने दाम और माल की जात का ठीक इन्तजाम रखकर स्वदेशी के प्रचार में सहायता देंगी, उसके अधिकारी राष्ट्रीय-आन्दोलन के विरोधी प्रचार में न लगेँगे, विशेष कारणों के बिना केवल भारतीय ही नियुक्त किये जायेंगे, शीमा, बैंकिंग और जहाजी काम-काज भारतीय कर्मियों में ही करेंगी और इसी तरह आय-व्यय-परिचय, सॉलिसिटर, जहाजी एजेंट तथा ठेकेदार सब भारतीय ही रखे जायेंगे, यथासम्भव भारत में बनी चीजें ही व्यापार के लिए खरीदी जायेंगी, प्रबन्ध-कर्ता लोग स्वदेशी कपड़ा ही पहनेँगे, खानों के मजदूरों को सन्तोष-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सहन की दशा भी ठीक की जायगी तथा खानों के परीक्षित बैलेन्सशीट प्रति वर्ष कांग्रेस को भेजे जायेंगे ।

अक्तूबर व नवम्बर में भारत और इंग्लैण्ड में होनेवाली सनसनीखेज घटनाओं की ओर बढ़ने से पहले हमें गांधीजी और उनकी यात्रा का हाल भी जान लेना चाहिए । गांधीजी के साथ भी महादेव देवर्दार, देवदास गांधी, प्यारेलाल और भीमती मीराबहन थे । भीमती सरोजिनी नाथडू भी उनके साथ थी । जो सामान अपने साथ ले जाने की उन्हें अनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता न थी । सूचना का समय थोड़ा होने और यात्रा के अनिश्चित होने के कारण वह काफी थोड़ा था, लेकिन गांधीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और भी थोड़ा कर दिया । अदन में उनका हार्दिक स्वागत हुआ, जहाँ अरबों व भारतीयों ने कुछ दिक्कत के बाद उन्हें एकसाथ अभिनन्दन पत्र दिया । रेजिडेन्ट सभा में राष्ट्रीय भयङ्क फहराने नहीं देना चाहता था, और उन बेचारों की ही क्या हिम्मत थी कि वे इसपर आप्रह्न करते । तब गांधीजी ने स्वयं ही यह गुत्थी मुलाभार्ई और उन्होंने स्वागत-समितिके अध्यक्ष श्री फरामरोज कावसजी को यह सुझाया कि वह रेजिडेन्ट की फोन पर यह कहें कि इन परिस्थितियों में गांधीजी अभिनन्दन-पत्र लेना स्वीकृत नहीं करेंगे, कांग्रेस और भारत-सरकार में अस्थायी सन्धि हो चुकी है, सरकार को केवल इसी कारण भयङ्क पर आप्रति न करना चाहिए । यह दलील काम कर गई और रेजिडेन्ट ने जहाँ गांधीजी को मानस देना था उस स्थान पर भारत का राष्ट्रीय भयङ्क फहराने की अनुमति देकर विषम स्थिति को सहाल लिया ।

मानपत्र का उत्तर देते हुए और ३२८ गिनी की पैली के लिए, जो उन्हें भेंट दी गई थी, उन्हें धन्यवाद देते हुए गांधीजी ने कहा :—

“आपने जो मेरी इज्जत की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । मैं जानता हूँ कि यह सम्मान व्यक्तिगत रूप से मेरे साथियों का नहीं है, वरन् कांग्रेस का है जिसका प्रतिनिधित्व आगरा है कि मैं मोलमेज-परिषद् में कर सकूँगा । मुझे मालूम हुआ है कि अभिनन्दन-पत्र के इस कार्य-क्रम में आपके आगमने राष्ट्रीय भयङ्क के कारण कुछ रुकावट थी । अब मेरे लिए तो भारतीयों की ऐसी सभा की, स्थापना जब कि राष्ट्रीय नेता निर्ममिष किये गये हों, कल्याण करना ही असंभव है, जहाँपर राष्ट्रीय भयङ्क न बढरता हो । आप जानते हैं कि राष्ट्रीय भयङ्क के सम्मान की रक्षा में बहुतों ने साठियाँ लारी हैं और, कह्यों ने अपने प्राण तक दे दिये हैं, इसलिए आप राष्ट्रीय भयङ्क का सम्मान किये बिना किसी भारतीय नेता की इज्जत नहीं कर सकते । फिर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका है और कांग्रेस इन समय उनका विरोधी-दल नहीं बल्कि मित्र के स्थान पर रहने है । इसलिए राष्ट्रीय भयङ्क का केवल परगना सदन कर लेना या उसकी इज्जत दे देना ही काफी नहीं है, वरन् जहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि निर्ममिष किये गये वहाँ उसे सम्मान का स्थान देना चाहिए ।”

पाई। उनके इसी परिचय को हमने वस्तुतः हम पुस्तक की भूमिका बनाया है। उन्होंने कांग्रेस के जन्मकालीन सहायक और पालन-पोषणकर्ता मि० ए० ओ० ह्यूम के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की। उन्होंने कांग्रेस व सरकार तथा कांग्रेस तथा अन्य दलों के आचार-भूत भेदों का निर्देश किया। उन्होंने कराची का प्रस्ताव पढ़कर उसकी ब्याख्या की। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधान-मंत्री का वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सच तथा भारतीय हितों की दृष्टि से सरक्षण, इन तीन क्रियाओं से चित्रित भारतीय ध्येय से बहुत कम है। उन्होंने वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता पर भी—जो केवल राजनैतिक विधान नहीं है, परन्तु दो समान राष्ट्रों की भागीदारी की योजना है—विचार प्रकट किये। उन्होंने 'त्रिदश प्रजाजन' की अपनी पहली स्थिति और 'नागी' की आधुनिक स्थिति में, साम्राज्य के और राष्ट्र समूह (कामनवेल्थ) के आदर्शों में कितना भेद है, यह बताया। उन्होंने किसी दुकान की व्यवस्था बदलने के समय का उदाहरण दिया और उस समय दुकान के लेन-देन आदि का हिसाब समझने-समझाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम इंग्लैण्ड के फरेलू सकट में दख्खान्दाजी करनेवाले नहीं हैं। लेकिन यह तमी सम्भव है जब कि इंग्लैण्ड भारत को शक्ति-बल से नहीं, बल्कि प्रेम-रूपी बोरी से बांधा हुआ रखे। ऐसा भारत इंग्लैण्ड के एक साल के बजट को ही नहीं, कई सालों के बजट को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगा।

अल्प संख्यक-समिति में भाषण देते हुए गांधीजी ने कई खरी बातें पेश कीं। उन्होंने अखंडम्ब माया में यह कहते हुए स्थिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने पूरे बल के साथ अपनी-अपनी मांग पर जोर देने के लिए उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यही प्रश्न आचार-रूप नहीं है, हमारे सामने मुख्य प्रश्न तो शासन-विधान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न हल करने के लिए ही बुलाया गया है? हमें लन्दन में इसलिए निर्मात्रत किया गया है कि हमे जाने से पहले यह सतोप हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-युक्त व अश्ली दावा तैयार कर चुके हैं और अब उत्तर केवल पार्लमेण्ट की स्वीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने सर ह्यूबर्ट कार की अल्पसंख्यक जातियों की योजना की चुटकी लेते हुए कहा कि सर ह्यूबर्ट कार तथा उनके छात्रियों को इससे जो सतोप हुआ है वह मैं उनसे न छीनूंगा, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-कुछ किया है वह मुझे की चीर-फाड़ जैसा ही है। सरकार की यह योजना उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन अर्थात् स्वराज्य-प्राप्ति के लिए नहीं किन्तु नौकरशाही की सत्ता में भाग लेने के लिए ही बनाई गई है। "मैं उनकी सफलता चाहता हूँ", उन्होंने कहा— "लेकिन कांग्रेस इससे बिलकुल अलग रहेगी। किसी ऐसे प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा होनेवाला आन्दोलन और उत्तरदायी शासन का पृष्ठ कभी पनर न सकेगा, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेक्षा कांग्रेस चाहे कितने वर्ष जंगल में भटकना स्वीकार कर लेगी।" अन्त में उन्होंने उस कठिन प्रविश के साथ अरना भाषण समाप्त किया, जिसपर कुछ समय बाद उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दी थी। उन्होंने कहा— "अदृश्य करे जानेवालों के प्रति एक शब्द और। अन्य अल्पसंख्यक जातियों के भावों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अज्ञानों की ओर से पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय थाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अदृश्यता का कलक निरंतर रहेगा।" "हम नहीं चाहते कि अदृश्यता का एक पृथक अर्थ के रूप में वर्गीकरण किया जाय। तिरुप्ति सदैव के लिए तिरुप्ति, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और ईसाई हमेशा के लिए ईसाई रह सकते हैं। लेकिन क्या अज्ञान भी सत्य के लिए अज्ञान रहेगा? अदृश्यता भीन्दि रहे, इसकी अपेक्षा मैं पर अधिक अन्धा समझूंगा कि दिन्नु-

धर्म ही हूँ जाय। जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं वे भारत को जानते, और हिंदू-समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते। इसलिए मैं आपकी पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस बात का विरोध करनेवाला यदि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी, मैं इसका विरोध करूँगा।”

गांधीजी प्रधानमंत्री को पंच बनाने के विरोधी नहीं थे, बशर्ते कि उनका निर्णय मुसलमानों और सिक्खों तक सीमित हो। अन्य जातियों के पृथक प्रतिनिधित्व से वह सममत न थे। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर एक सीधा-सादा जवाब दिया—“क्या आप, आपमें से प्रत्येक—कमिटी का प्रत्येक सदस्य—साम्प्रदायिक समस्या का हल निकालने और उससे अपने को बाधित मानने के लिए मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे? मेरा खयाल है कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है।” पाठक यह न भूले हों कि प्रधान-मंत्री का यह निर्णय जब जून १९३२ में प्रकाशित हुआ था, तब यह जवाब भी हुआ था कि क्या व्हाइट-पेपर के अन्य प्रस्तावों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव है, या यह प्रधान-मंत्री का निर्णय (Award) है? गोलमेज-परिषद् के सब सदस्यों ने इस किस्म के प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, इसलिए पंच की हीसियत से निर्णय दिया ही नहीं जा सकता था और इसलिए यह निर्णय भी एक प्रस्ताव-मात्र था और इसे ब्रह्मवाक्य नहीं माना जा सकता।

गांधीजी का रुख

१८ नवम्बर १९३१ तक मन्त्रि-मण्डल गोलमेज-परिषद् से ऊब चुका था। इस दिन लॉर्ड सैक्री ने प्रधान-मंत्री का यह इरादा सुनाकर सबको चकित कर दिया कि भाषणों के बाद कमिटी को विवरण दे दिया जाय और आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय। विरोधी-दल की ओर से मोती हूप मि० बेन ने इसका यह कहकर विरोध किया कि सरकार परिषद् की हत्या कर रही है। लॉर्ड सेम्युअल होर ने कहा कि हमें वस्तुस्थिति का ध्यान रखना चाहिये और यह अनुभव करना चाहिये कि इन परिस्थितियों में यह मामला यहीं बन्द कर मानी-कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधान-मंत्री के वक्तव्य की प्रतीक्षा करना अधिक श्रेयस्कर है। सेना के सचाल पर यह दुई और गांधीजी ने इस विषय पर भी कुछ और स्पष्ट बातें कहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत हुई तो मैं इंग्लैंड में अधिक समय तक ठहरने का विचार रखता हूँ, क्योंकि मैं तो लन्दन आया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-युक्त सम्भोजिते का प्रत्येक सम्भव उपाय खोजने का प्रयत्न करूँ। उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि कॉंग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सब प्रकार की जिम्मेदारियों को—रक्षा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक—आवश्यक है-नेर और वरया के साथ अपने कर्तव्यों पर उठाने के योग्य है। उन्होंने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना वस्तुतः देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए है। उसके सैनिक चाहे किसी जाति के हों, मेरे लिए सब विदेशी हैं; क्योंकि मैं उनमें बोल नहीं सकता, वे खुले छोर पर मेरे पास आ नहीं सकते और उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे कॉंग्रेसियों को अपना देश-मार्ग न समझें। “इन सैनिकों को हमारे बीच एक पूरी दीवार खड़ी कर दी गई है।” अंग्रेजी सेना वहाँ पर अंग्रेजों के “हथकों की” के लिए, विदेशियों के हमलों को रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए रखी गई है वस्तुतः केवल अंग्रेजी पौत्र के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भागीय सेना) रखने के भी परी हूँ। लेकिन अंग्रेजी पौत्र के हिन्दुस्तान में रखने का उद्देश इन विभिन्न भारतीय गैरिजों में सम्मिलित है। सम्पूर्ण सेना पर पूरा-पूरा भारतीय अधिकार होना चाहिए। सेना के अंग्रेजों को नहीं मानेगी, न प्रधान-संस्था और न विभव का

“किन्तु फिर भी मैं आशा करता हूँ कि ब्रिटिश-जनता की सद्भावना से मैं अपने आदेश और आज्ञा का पालन उनसे करा सकूँगा। अंग्रेजी कौजी को भी यह कहा जा सकेगा कि अब तुम यहाँ अंग्रेजों के स्वार्थों की रक्षा के लिए नहीं, लेकिन भारत की विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए हो।” यह सब मेरा स्वप्न है। मैं जानता हूँ कि मैं ब्रिटिश-राजनीतियों या जनता से इस स्वप्न को पूर्ण न कर सकूँगा; लेकिन जबतक मेरा यह स्वप्न पूरा न होगा, कौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दगी-भर इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा करूँगा। भारत अपनी रक्षा करना जानता है। मुसलमान, गुरखे, सिख और राजपूत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। राजपूत तो मीस की एक छोटी-सी घर्मापोली नहीं, हजारों घर्मापोलियों के जन्मदाता कहे जाते हैं।

सब बात तो यह है कि किसी दिन गांधी जी अंग्रेजों और उनकी कर्तव्य-बुद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा—“हमें अंग्रेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का संचार कर देना चाहिए, जिससे भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि अंग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए अभी एक सदी दरकार है, तो इस सदी-भर कांग्रेस बयावान में भटकती रहेगी, उसे भयंकर अग्नि-परीक्षा में होकर गुजरना होगा। आपदाओं के तूफान और गलतफहमियों के बवण्डर का मुकाबला करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बौद्धार भी सहनी पड़ेगी।” संरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि “यद्यपि उनके भारत के हित में होने की बात लिखी गई है, फिर भी मैं लॉर्ड अर्बिन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हूँ कि ‘गांधी ने भी यह मान लिया है कि संरक्षण भारत और इंग्लैण्ड दोनों के हितों की रक्षा के लिए हों।’ मैं फिर कहता हूँ कि मैं एक भी ऐसे संरक्षण की कज्ञना नहीं करता, जो केवल भारत के हित में होगा। कोई भी ऐसा संरक्षण नहीं है, जो साथ-साथ ब्रिटिश-स्त्रायों की भी रक्षा न करे, वरतों कि हम साभेदारी—इच्छित और सर्वथा शरावरी के दर्जे की साभेदारी—की कल्पना करें।” गोलमेज-परिपद् के खुले अधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं हम भ्रम में नहीं हूँ कि आजादी बहस-मुबाहसे एवं सन्धि-वचनों से मिल सकती है। लेकिन मैं यह जरूर बहूँगा कि जब यह घोषणा हो चुकी है कि परिपदों या कमिटियों में वैमले की कसौटी बहुमत नहीं रखी जायगी, तब परिपद् के संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर ‘बहुमत की सम्मति’ कैसे लिखते हैं और मतभेद रखनेवाले ‘एक’ के नाम तक का उल्लेख नहीं करते? यह ‘एक’ कौन है? क्या यहाँ उपस्थित दलों में से कविस भी एक दल है? मैं पहले भी यह दावा कर चुका हूँ कि कांग्रेस दल की सदी जनता की प्रतिनिधि है। अब मैं यह दावा करता हूँ कि अपनी सेवा के अधिकार से कांग्रेस राजाओं, जमींदारों और शिद्धि-वर्ग की भी प्रतिनिधि है। अन्य सब प्रतिनिधि खास-खास वर्गों के प्रतिनिधि होकर आये हैं; कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो साम्प्रदायिकता से दूर है। हमका मच तकके लिए—जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव का लयाल किये बिना—एकता खुला है। इसका ध्येय बहुत ऊँचा है, इसलिए यह सम्भव है कि कुछ लोग इसके पास न आते हों; लेकिन कांग्रेस उन्नतनीम संस्था है; दूर-दूर गांधी में इसका प्रचार हो रहा है। फिर भी हमे अनेक दलों में से एक दल माना गया है। लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यदि एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसमें किया वैमला कारनामद हो सकता है। कर्तविक यह साम्प्रदायिक पक्षगत से ऊपर उठी हुई संस्था है। कुछ लोग अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस मुकाबले की सरकार बनाने की घोषणा कर रही है। अच्छा। यदि कांग्रेस हमारे के हुरे, अरिले प्यले, गोलियों और भासों के मार्ग को छोड़कर अरिता-पूर्वक मुकाबले की सरकार चला सकती है, तो हमसे कुछ ही क्या है? संद टीक है कि कलकत्ता कारतारे-

शन पर एक आभेदन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि वही उन सब के हक में मेजर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने अपनी भूमि स्वीकार कर ली और उस समय के स्वेन परिभाषन भी किया था। कांग्रेस दिया नहीं, कांग्रेस को माननी है; इसलिए मंत्रालय द्वारा इतना जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नहीं किया। परन्तु उधवा मुदावत भी जीति जा सकता था— मय अनासल समझ भी नहीं कर सके। १९०८ में जो भारतीयों को देने के लिए किया जाता था, १९१४ में नहीं दे देना पड़ा। बोरसद व बाइकोली में सत्यमेव जयते का लोर्ड रोमरोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। इन्फेण्ड में प्रोपेरा गिलवर्ड मो जैसे कुछ बर्तन हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप यह स्थाल न करें कि जब भारतीयों को बचाने का सब बचने का अमेज लोग दुःखी नहीं होने। लॉर्ड अरिन ने आर्दिनेन्सों के द्वारा देश को सब बचने के लिये उन्हें सहलता नहीं मिला। "समय रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप समझें कि कांग्रेस का मंत्र स्वेन स्वतंत्रता रसका प्रेय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें।" दिखत तो यही है कि लॉर्ड एकमत नहीं और न परिषद् ने शब्दों और भाषाओं की निरिचत ब्याख्या कर रखी है। जब सब विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगने हैं तब किसी एक बात पर आकर सब असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खींचते हुए मुझे पूछा कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है? हाँ, मैंने किया है। उपनिवेश कि दिये हैं लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १९२६ की मिन लिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते—

"उपनिवेश वे स्वतंत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका राज एक बन हो, परन्तु वे बाहरी किसी भी परल्ल से वे एक-दूसरे के अधीन न हों, यद्यपि सम्राट के इतने समान राजमार्ग के सूत्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रतापूर्वक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह (कामनेन्स) के सदस्यों में सम्मिलित हुए हों।"

मित्र इनमें नहीं है। भारत भी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को चिन्ता न हो। वह तो पूर्ण-स्वतंत्रता चाहते थे। एक अमेज सजनीतिल ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्ण-स्वतंत्रता का अर्थ क्या है—बया इंग्लैण्ड से सम्बन्धही ? हाँ, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए सम्बन्धही। गांधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को इत्यारे के छुरों, जहरीले पदों, तलवारों, मालों या गोलियों की आवश्यकता नहीं है उसे तो अपने संकल्प की जरूरत है, जो कहने की शक्ति की आवश्यकता है। और वह आज 'नहीं' कहना सीख रहा है। संसदों का कि करते हुए गांधीजी ने कहा कि "मुझे तीन विशेषणों ने बताया है कि जहा देश की ८० फी-सदी का १९१४ तरह गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई सम्भावना नहीं, वहाँ किसी उपाय या मंत्रियों के लिए शासन-संघ चलाना असम्भव है। मैं भारत के अनुचित कानूनी हितों की नहीं चाहता। अकेले भारत के लिए लाभप्रद और ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक सर्वेष भी नहीं चाहता। जैसे सर नेम्बुअल होर और मैं संसदों पर सहमत नहीं हो सकते जैसे ही जब और मैं भी इसर सहमत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को—प्लेग, मलेरिया, धार, वि और शेरों की समस्याओं को—पार कर गया है। वह धरम नहीं जायगा। परमात्मा के नाम मुझ ६२ साल के दुबले-पतले आदमी को थोड़ा-सा तो मौद्द दो। मुझे और जिस सत्ता का प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के धोने में थोड़ा स्थान तो बनाओ। यद्यपि आप मुझ

आप मुझे उस महान् संस्था से भिन्न न समझिए जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बून्द के समान हूँ। मैं कांग्रेस से बहुत छोटा हूँ ; और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विश्वास है वह किसी काम का नहीं ; क्योंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिवा मेरे पास कोई अधिकार नहीं। यदि आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप आतंकवाद को नमस्कार कर लेंगे। तब आपको उसे दबाने के लिए अपने आतंकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आज तो आपको अपने व्यवस्थित और संगठित आतंकवाद के द्वारा वहाँ पर विद्यमान आतंकवाद से लड़ना है ; क्योंकि आप वास्तविकता से शयवा ईश्वरी संकेत से अपरिचित हैं। क्या आप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये क्रान्तिकारी अपने रक्त से लिख रहे हैं ! क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम गेहूँ की बनी हुई रोटी नहीं बल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं, और जब तक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस वक्त तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही चैन से बैठने देंगे !”

—

शन पर एक लाञ्छन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योंही उस बात के समझ मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करली और उस सम्बन्ध में कने परिमार्जन भी किया था। कांग्रेस हिंसा नहीं, अहिंसा को मानती है; इसलिए सविनय अवज्ञा आन्दे जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नहीं किया। परन्तु उसका मुकाबला भी नहीं जा सकता था— स्वयं जनरल स्मट्स भी नहीं कर सके। १९०८ में जो भारतीयों को देने से र किया जाता था, १९१४ में बढ़ी दे देना पड़ा। बोरमद व बारहोली में सत्याग्रह सफल हुआ लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुके हैं। इंग्लैण्ड में प्रोफेसर गिलवर्ट मरे जैसे कुछ आर्य हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप यह खयाल न करें कि जब भारतीयों को कष्ट-महन करना पड़ा है अंग्रेज लोग दुःखी नहीं होते। लॉर्ड अर्विन ने आदिभेन्नों के द्वारा देश को लूच ठगवा है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। "समय रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप समझें कि कांग्रेस का ज्येष्ठ स्वतंत्रता इसका प्रिय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें।" दिक्कत तो यही है कि या कें एकमत नहीं और न परिषद् ने शब्दा और भावों की निश्चित व्याख्या कर रखी है। नर हय विभिन्न लोगो के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक बात पर आर टिन असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खींचते हुए मुझे पू कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है? हाँ, मैंने किया है। उपनिवेश शब्द दिये हैं। लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १९२६ की नि- लिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते—

"उपनिवेश वे स्वतंत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका दर्जा एक समान हो, धरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के अधीन न हों, यद्यपि सम्राट् के प्रति एक समान राजभक्ति के सूत्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रतापूर्वक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह (कामनवेल्थ) के सदस्यों में सम्मिलित हुए हों।"

मित्र इनमें नहीं है। भारत भी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को विन्ता न की वह तो पूर्ण-स्वतंत्रता चाहते थे। एक अंग्रेज सज्जनीतिज्ञ ने उनसे कहा था कि आपकी पूर्ण-स्वतंत्र का अर्थ क्या है—क्या इंग्लैण्ड से सामेदारी? हाँ, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए सामेदारी। गांधीजी तो केवल मित्रता चाहते थे। ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हमारे के छुट्टों, जहरीले पदों, तलवारों, भालों या गोलियों की आवश्यकता नहीं है उसे तो अपने संकल्प की जबरदस्ती, धर्म कहने की शक्ति की आवश्यकता है। और वह आज 'नहीं' कहना सीख रहा है। संरक्षणों का वि करते हुए गांधीजी ने कहा कि "मुझे तीन विशेषताएँ ने बताया है कि जहाँ देश की ८० की-सः सः सः गिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापस आने की कोई सम्भावना नहीं, वहाँ किसी ५था मंत्रियों के लिए शासन-तंत्र चलाना असम्भव है। मैं भारत के अतुच्छत कानूनी हितों क नहीं चाहता। अकेले भारत के लिए लामप्रद और ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक सरंभ नहीं चाहता। जैसे सर सग्युअल होर और मैं संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते वैसे ही भी और मैं भी इसपर सहमत नहीं हुए। भारत अनेक समस्याओं को—प्लेग, मनेरिया, धाँ, और शेरों की समस्याओं को—पार कर गया है। वह घबरा नहीं जायगा। परमात्मा के न मुझ ६२ साल के दुबले-पतले आरमो को थोड़ा-सा तो मीठा दो। प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने हृदय के कोने में थोड़ा स्थान विश्वास करते प्रतीत होते हैं, तथापि कांग्रेस पर अविरास करते

आप मुझे उस महान् संस्था से निम्न न समझिए जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बून्द के समान हूँ। मैं कांग्रेस से बहुत छोटा हूँ, और यदि आप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं आपको आमन्त्रित करता हूँ कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विश्वास है वह किसी काम का नहीं, क्योंकि कांग्रेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके सिवा मेरे पास कोई अधिकार नहीं। यदि आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप आतंकवाद को नमस्कार कर लेंगे। तब आपको उसे दबाने के लिए अपने आतंकवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आज तो आपको अपने व्यवस्थित और सर्गाठित आतंकवाद के द्वारा वहाँ पर विद्यमान आतंकवाद से लड़ना है; क्योंकि आप वास्तविकता से अपना ईश्वरी संकेत से अपरिचित हैं। क्या आप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये क्रान्तिकारी अपने रक्त से लिख रहे हैं? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि हम गेड़ की बनी हुई रोटी नहीं बल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं, और जबतक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उस तक तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही चैन से बैठने देंगे।”

घारडोली की जाच

जब १ दिसम्बर को परिषद् विलजित हुई, तो गांधीजी ने सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम जीवन में अनेकाली आँधियों से टक्कर लें। “मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। यदि मुझे आपसे बिलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हार्दिक धन्यवाद के अधिकारी तो हैं ही।” इन भावोच्चक शब्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिषद् से विदा हुए समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर कांग्रेस गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से घोर-दमन रोक दिया जायगा — पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी बंगाल व युक्तप्रदेश की बढ़ती खुरी स्थिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दमन-भक्ति को खरी रक्त-लन्दन में प्रदर्शित सहयोग और भारत को स्वतंत्रता देने की इच्छा से बिलकुल मेल नहीं लगता।

शन पर एक लाञ्छन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि ज्योंही उस बात के मेयर का ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर ली और उस सम्बन्ध में परिमार्जन मी किया था। कांग्रेस हिंसा नहीं, अहिंसा को मानती है; इसलिए सविनय अवज्ञा जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नहीं किया। परन्तु उसका मुकाबला जा सकता था— स्वयं जनसभा समूह भी नहीं कर सके। १९०८ में जो भारतीयों को दे किया जाता था, १९१४ में वही दे देना पड़ा। नोरसद व बारहोली में सत्याग्रह एवं लॉर्ड नेम्सफोर्ड मी इसे स्वीकार कर चुके हैं। इंग्लैण्ड में प्रोफेसर गिलवर्ट मरे जैसे कु हैं, जो मुझे कहते हैं कि आप यह खयाल न करें कि जब भारतीयों को बध-सहन करना अंग्रेज लोग दु.खी नहीं होते। लॉर्ड अर्थिन ने आर्डिनेन्सों के द्वारा देश को खूब तथा उन्हें सफलता नहीं मिली। “समय रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप समझें कि कांग्रेस का स्वतंत्रता इसका ध्येय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें।” दिकत तो यही है कि एकमत नहीं और न परिषद् ने शब्दों और भावों की निश्चित व्याख्या कर रखी है। विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक बात पर असम्भव हो जाता है। एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विधान की ओर ध्यान खींचते हुए कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर गौर किया है ? हाँ, मैंने किया है। उर्ण दिये हैं। लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १९१९ लिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते—

“उपनिवेश वे स्वतंत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हों, उनका दर्जा हो, धरतू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के अधीन न हों, यद्यपि सप्पाट समान राजमन्त्र के सूत्र से परस्पर बंधे हों और स्वतंत्रतापूर्वक ब्रिटिश-राष्ट्र-समूह सदर

आप मुझे उस महान् संस्था से मिनन न समझिए जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बून्द के समान हूँ। मैं कामेस से बहुत छोटा हूँ; और यदि आप मुझपर विरासत कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं आगको आमन्त्रित करता हूँ कि आप कामेस पर भी विरासत कीजिए, अन्यथा मुझपर आपका जो विरासत है वह किसी काम का नहीं; क्योंकि कामेस से जो अधिकार मुझे मिला है उसके मित्त मेरे पास कोई अधिकार नहीं। यदि आप कामेस की प्रतिष्ठा के अननुकूल काम करेंगे, तो आप आतङ्कवाद को नमस्कार कर लेंगे। तब आरको उसे हवाने के लिए अपने आतङ्कवाद की कोई जरूरत न रहेगी। आर तो आरको अपने स्वरूपित और मंगठित आतङ्कवाद के द्वारा वहाँ पर विद्यमान आतङ्कवाद से लड़ना है; क्योंकि आप वास्तविकता से अपरा रहरते सकेत से अपरिचित हैं। क्या आप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये कान्तिकारी अपने एक से लिख रहे हैं? क्या आप यह नहीं देखते कि हम गेहूँ की बनी हुई रोटी नहीं बल्कि आजादी की रोटी चाहते हैं, और जरूरत रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे हमारे लोग मौशूर हैं, जो इस बात के लिए प्रतिमाबद्ध हैं कि उन तक तक न तो खुद शान्ति लेंगे और न देश को ही जैन से रेटने देंगे!"

बारडोली की जांच

अब १ दिसम्बर को परिषद् विमर्जित हुई, तो गांधीजी ने सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अब हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। अनुभव-स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम जीवन में आनेवाली आघियों से टकरा लें। "मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। यदि मुझे आपसे बिलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, तो भी आप मेरे हार्दिक धन्यवाद के अधिकारी तो हैं ही।" इन भावोच्चक शब्दों के साथ गांधीजी गोलमेज-परिषद् से विदा हुए। उस समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर कामेस गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से एक शर्त-दमन गेक दिया जायगा — पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी बगाल व युक्तप्रदेश की बढ़ती हुई बुरी स्थिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका खयाल था कि भारत में दमन-नीति को जारी रखना सन्धन में प्रदर्शित सहयोग और भारत को स्वतंत्रता देने की रण्य्या से बिलकुल मेल नहीं खाता।

अब गांधीजी गोलमेज-परिषद् के लिए खाना हुए थे, तब यह आश्वासन दिया गया था कि बारडोली में लगान-बन्दी के खिलाफियों में पुलिस की ब्यादतियों के आरोपों की जांच होगी। मि० गार्डिन को सूत जिले के मालगुजारी कानून के अनुसार अधिकार देकर जांच के लिए खास आफसर नियत किया गया। जून ५ अक्टूबर १९३१ को शुरू हुई। श्री भूलाभाई देसाई और सरदार बल्लभभाई पटेल उपस्थित थे। दोनों पक्ष इसपर सहमत हो गये कि किसानों की अपनी शक्ति के अनुसार अधिक-से-अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं है, जिन्हें बहुत मुश्किल उठाना पड़ा है, तो उन्हें कर्ज लेकर भी लगान देना चाहिए। श्री देसाई ने बहुत से पत्र, तार व लेख मुनाये। उनमें बारडोली का एक तार यह भी था कि रायम गाँव पर कलकटर ने पुलिस के १५ मिताहियों के साथ धावा बोला। टिम्बर्वा, राजपुरा, लाभा, मायकपुर, बलोडगढ, अलगोधा और जामगिया पर भी धावा बोला गया। जांच एक अरसे तक चलती रही। भारत-सरकार व बम्बई-सरकार ने ५ मार्च से २८ अगस्त तक जितनी आशाएँ प्रचारित की थीं, कामेस ने उन्हें पेश करने के लिए कहा, क्योंकि उनमें समझौते में निर्दिष्ट स्टैपडबॉ के प्रश्न पर काफी प्रकाश पड़ सकता था। मि० गार्डिन यह बात समझ न सके कि सरकार को कामेस की बात सिद्ध करने के

सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस प्रश्न के महत्वपूर्ण अंगों पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर बहस कर सकती है, जो उसने (सरकार ने) निर्धारित किये हैं। इस तरह समस्या के मूल पर कोई विचार ही नहीं हुआ।

पिछले महीनों में युवतप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की ओर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन करने के बार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सकने में समर्थ हों। युवत-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने सरकार से सन्धि-चर्चा के लिए सब अधिकार देकर एक विशेष समिति भी नियुक्त कर दी। पर इन प्रयत्नों में भी कोई सफलता न हुई।

पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह किसी भी विरम का हल, चाहे किसी तरह से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करने को तैयार है, बशर्ते कि उससे किसानों को काफी राहत मिलती हो। जब वगूली का समय आया, किसान बार-बार पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिये? युवत-प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी, जिसे समझीते तक की बातचीत ही टूट जाय। लेकिन उसी समय किसानों के लगातार सलाह मागने पर वह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मार्गी हुई रकम दें, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनुचित है और उन किसानों को तबाह कर देगी, जिनकी वह प्रतिनिधि है। तब कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से आज्ञा लेने के बाद किसानों को यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्तवी कर दें। फिर भी कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के लिए इच्छुक और उत्तम है और ज्योंही किसानों की शिकायत दूर हुई वह अपनी सलाह को वापस ले लेगी। कांग्रेस ने सरकार को यह भी सुझाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक वगूली स्थगित कर दे, तो वह (कांग्रेस) भी लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह वापस ले लेगी। सरकार चाहती थी कि पहले कांग्रेस अपनी सलाह वापस ले। उसने कांग्रेस का परामर्श नहीं माना। अब युक्त-प्रांत की कांग्रेस-कमिटी के पास सिवा इसके कोई चारा न था कि लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को दोहराये। स्थिति यथावक पहुँच जाने पर भी कांग्रेस बग़र यह कहती रही कि वह सन्धि-चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार का रास्ता ढूँढ़ने और ज्योंही किसानों को काफी लूट मिलती नजर आये या वगूली स्थगित कर दी जाय, लगान मुल्तवी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार का दृष्टिकोण यह था कि वह केवल उसी स्थिति में अनुरा के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती है, जब कि यह सलाह, जिसे वह लगानबन्दी-आंदोलन कहती थी, वापस ले ली जाय। लेकिन सरकार ने अपने लिए नुद दूसरी नीति अस्वित्यार की। उसने एकको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। ये गिरफ्तारियाँ इतनी तड़ाक-फड़ाक हुईं कि सभी प्रमुख और सच्चे कार्यकर्ता जेलों में पहुँच गए। इन गिरफ्तारियों का अन्त गांधीजी के हॉलैंड से भारत पहुँचने के पाँच दिन पहले सर्व श्री जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदास टण्डन और रोखानी सा० की गिरफ्तारियों के साथ हुआ। दरअसल पं० जवाहरलाल और श्री रोखानी को अपने स्थान न छोड़ने का नोटिस दिया गया था। इत पाबन्दी के बाद जल्दी ही गांधीजी के बम्बई पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में जवाहरलालजी शामिल हुए। सम्भवतः उनके लिए इस आज्ञा का पालन करना मुश्किल न था। क्योंकि जगह-जगह ओर की बुलाहट होती थी। और वहाँ जाना पड़ता था और अनेक कार्यकर्ता

वह भी उत्तरिपव रहने की आवश्यकता थी। अतः जब उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन

किया, वह गिरफ्तार कर लिये गये। इसी तरह भी शेरवानी भी गिरफ्तार हो गये। दोनों को सजा दे दी गई।

बंगाल में अत्याचार

संघर्ष का तीसरा केन्द्र बंगाल था। अस्थायी संधि के समय वहाँ अत्याचारों के अनेक दृश्य देखने में आये। शायद इनका उद्देश्य या चटगांव जिले में हुए उत्पातों का बदला लेना। चटगांव शहर और जिले में ३१ अगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई घटनाओं की जांच करने के लिए एक गैर-सरकारी जांच-कमिटी नियुक्त की गई। कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुब्बे बड़े हथौड़े और लोहे की सलाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुस आये और उन्होंने मशीनों को तोड़ दिया तथा प्रेस मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीटा। दिल्ली में २७, २८ और २९ नवम्बर को कार्य-समिति ने इस घटना की रिपोर्ट पर विचार किया और "आतंकवाद की नीति का अनुसरण करते हुए कुछ गैर-सरकारी यूरोपियनों व गुब्बों के साथ निरपराध जनता की बेइज्जती करने व उन्हे भीषण क्षति पहुंचाने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेटों की तीव्र निन्दा की। समिति ने इस पर संतोष प्रकट किया कि जिन गुब्बों को साम्प्रदायिक दंगा बनाने के लिए ही तजवीज किया गया था और जिनके प्रयत्न इस घटना को साम्प्रदायिक रंग देने के इरादे से थे, उनके जान-बूझ कर किये गये प्रयत्नों के बावजूद वहाँ कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। समिति की सभति में बंगाल-सरकार को कम से-कम इतना तो करना चाहिए कि जिनकी क्षति हुई है उन्हें मुआवजा दे और इन दुर्घटनाओं के लिए जिनकी जिम्मेदारी साबित हो उन्हें दण्ड दें।"

जेलों से बाहर लोगों के साथ जब इस प्रकार आतंकवाद-के-से दमन के तौर-तरीके काम में लाये जा रहे थे, जेलों और नजरबन्दों के कैमों में उनके साथ और भी अधिक कठोर व्यवहार किया जा रहा था। हिजली के नजरबन्द कैम्प में जो दुःखान्त नाटक खेला गया, उसके फल स्वरूप २ नजरबन्द मर गये और २० घायल हो गये। कार्य-समिति ने "सरकार-द्वारा नियुक्त जांच-कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए भी यह अनुभव किया कि बिना कोई मुकदमा चलाये सरकार ने जिन निदर्शों को राष्ट्र के तीव्र विरोध करने पर भी नजरबन्द कर दिया है, उनसे जीवन और शिव-माघना की रक्षा की वह जिम्मेदार है। इस प्राथमिक कर्तव्य के प्रति धीरे-धीरे अपराधियों को अवश्य सजा देनी चाहिए।"

इसी बैठक में युक्त-प्रान्त की रिपब्लिकी विचार हुआ। इलाहाबाद-कांग्रेस-कमिटी ने युक्त-प्रान्त की सरकार की वर्तमान किसान-नीति के विरुद्ध, और खासकर उस रिपब्लिकी में लगान और माल-गुशारी की अत्याचारपूर्ण वधुली के विरुद्ध, जबकि किसान तीव्र आर्थिक सङ्कट के कारण देने में अस-मर्थ थे, सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी। कार्य-समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि अनुमति देने से पूर्व इस पर युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी विचार करले। समिति ने इलाहाबाद-कांग्रेस-कमिटी का पत्र प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के पास भेज दिया और यदि उसकी सम्मति में २७ अगस्त के शिमला-समझौते के अनुसार किसानों को सत्यात्मक-सत्याग्रह करने का अधिकार हो, तो समिति ने सङ्घर्ष को यह अधिकार दिया कि वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक समझे, निर्णय दें।

प्रसंगवश हम यहाँ यह भी कह दें कि इसी बैठक में कार्य-समिति ने नमक पर अतिरिक्त कर लगाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया था कि दिल्ली-समझौते को खयाल में रखते हुए यह भारत सरकार का विरुद्धाचारा है। मुद्रा और विनिमय की नीति के सम्बन्ध में भी इस समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। पाठकों को स्मरण रहे कि २१ विजयवाड़ा को खाने की मात्रा कम कर देने

समझकर अलग हुए थे। युक्तप्रान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमींदारों ने किसानों को जो थोड़ी छूट दी थी, वह बिलकुल नाकाफी और असन्तोषप्रद थी और सरकार भी तबतक लोक-प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनहा न रख लें और लगान स्थगित करने की आज्ञा मापिस न ले लें। इस प्रकार उत्पन्न हुई परिस्थिति में १० जवाहरलाल और योगवानी साहब गांधीजी के लौटने के ५ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है। यद्यपि यह खबर बेतार के तार से जिस जहाज पर गांधीजी आ रहे थे उस पर भी भेज दी गई, तथापि उनतक खबर नहीं पहुंचने दी गई। सीमाप्रान्त से खान अब्दुलगफ्फारखा, उनके भाई और पुत्र शाही कैदी बनाकर नजरबन्द कर दिये गये। बंगाल की रिपब्लिक किसी एक या इक्की-दुफ्फी घटना से बनी हुई नहीं थी, हालांकि चटर्गांव और दिजली की घटनायें उसका कारण थीं। वह अतें से एक बड़ता हुआ घाव बन गई है और पता नहीं कबतक यह घाव इसी तरह गहरा बना और बढ़ता रहेगा।

गांधीजी जब २८ दिसम्बर को बम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार बन चुकी थी।

नैक ऑफ इंग्लैंड ने तीन दिन की छुट्टी कर दी थी और इंग्लैंड ने रणमग्न छोड़ दिया था कि क्या भारत के रुपये को पीपल स्ट्रैलिंग की दुम के साथ बांधा जाय, या सोने के सिक्के से उसे अपने-आप अपना मूल्य निर्धारण करने दें ? बहला घस्ता, जिसे भारत-सरकार ने किया, समिति की सम्मति में केवल इंग्लैंड के स्वार्थों को पूर्ण करता था। क्योंकि इसका मतलब भारत में आयात के लिए ब्रिटिश माल को परोच-रूप में सरजीह देना और भारत का सोना सोने को उच्चेजन देना।

सीमाप्रान्त में आग

भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौथी आग प्रज्वलित कर रखी थी। भारत के इतिहास पृष्ठों में खुदाई खिदमतगारों ने एक प्रतिदि प्राप्त कर ली है। वे सीमान्त के उन बहादुर हैं, जो अनुशासन व संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व और प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे आदमी एक लाख से ऊपर थे। वे महीने तक इन खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था। अस्थायी संधि के समय भीजी सीमाप्रान्त जाने और उस संगठन का अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था। लॉर्ड अर्थिन से उन्होंने इजाजत मांगी, उन्होंने कहा—अभी नहीं। सारे साल-भर उन्हें यही जवाब मिलता रहा और इसलिए उन्होंने नेतृत्व में श्री देवदास गांधी को भेजा। उन्होंने एक आश्चर्यकारक रिपोर्ट पेश की। उसपर कार्य-विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन का अंग बना कर एक महत्वपूर्ण भूमिका दी। इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहों से ऊपर हो जाना चाहिए था, सरकार ऊपर से अर्ध-सैनिक दीखनेवाले संगठन को—चाहे वह कांग्रेस के स्वयंसेवकों का संगठन हो—रहने देना नहीं चाहती थी। बैरब और बिगुल, सिर से पैर तक लाल पोशाक और ऊचे व्यक्तित्व में भद्रा और विश्वास—जो अपने चरित्र, मनुष्यता, बलिदान व सेवा से गांधी का पद पा चुका था और बहुत जल्दी सब आखों का एक लक्ष्य, एक केंद्र हो रहा था—सब बातें उस संगठन को अर्ध-सैनिक सिद्ध करने के लिए काफी थी। कौन जानता है कि नम्र और सत्याग्रही चेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक 'बफर-स्टेट' (लड़नेवाले दो राज्यों के मध्यस्थ-राज्य) बनाने, अमीर से संधि करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने तथा आक्रमण करने की तकवीज न छिपी हों ? लाल पोशाक में एक लाख सेना—सब पठान, विश्वास नहीं किया जा सकता। सरकार को एक बहाना भी मिल गया कि खान अब्दुल गफ्फार सरकार से सहयोग नहीं करते, क्योंकि वह सीमा-प्रान्तीय चीफ-कमिश्नर के दरबार में नहीं हुए। वह पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रचार करते हैं। बस, निरपराध खानसाहब और उनके साथ उनकी तरह उनके निरपराध भाई डॉ॰ खानसाहब गांधीजी के भारत पहुंचने से कुछ ही दिन पहले में बाल दिये गये।

इस तरह जब गांधीजी भारत पहुंचे, वे सब बखेड़े उतारने हो चुके थे। गुजरात में ग्यादतियों, जिसका गांधीजी को वचन दिया गया था और जिस वचन पर ही वह लन्दन जाने को हुए थे, १३ नवम्बर को अधूरी ही खतम हो चुकी थी। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि और एकदम भड़क जाने वाले बहलभभाई पटेल नहीं थे, जो उकताकर जांच से अलग हो लेकिन गोमीर और चैपराही भूलाभाई देसाई थे, जो बहुत विचार के बाद जांच को निरपेक्ष

तीन दिन तक गांधीजी बुदा-बुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी दुःख कथायें सुनते रहे। वह क्या कर सकते थे ? सुभाष बाबू बंगाल से अपने चार साथियों को लेकर आये थे। हालांकि उन चारों ने गांधीजी से अलग-अलग बातचीत की, पर चारों ने बंगाल आदिनेन्सों के कारण किये गये दमन का वर्णन वही सुनाया। युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में भी आदिनेन्स जारी कर दिये गये थे। आराजी मुल्ह वे दिनों में राज का गाड़ी इन आदिनेन्सों से ही हाँकी जा रही थी। गांधीजी मजाक में कहा करते कि यह तो लॉर्ड विलिंगडन का दिया नये साल का तोहफा है। पर वह एक सत्ताप्री की भाँति शान्ति के लिए अपनी पूरी वींशिश किये बगैर ही देश को नई मुसीबतों में डालने वाले पुरुष न थे। मुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट मण्डलों से मिलने में ही बीतता था, जो सरकारी अफसों-द्वारा हर प्रान्त में किये गये अत्याचारों की कथायें सुनाते थे। देश में भयंकर मन्दी और घोर ख़वफ़ था। फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक युद्ध में लगे रहने पर भी कोई रिश्रायत नहीं दी गई। आन्ध्र में लगान बढ़ाया जानेवाला था, और मद्रास के गवर्नर ने तो यहाँ तक धमकी दे रखी थी कि अगर लोग लगान रोकने की बात करेंगे तो आदिनेन्स जारी कर दिये जायेंगे। इस तरह की दुःख-साथयें गांधीजी को सुनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने दुखों की कहानी लोगों को सुनायी थी, जो उनपर लन्दन में बीते थे। वह गोलमेज-परिषद् में जाना ही नहीं चाहते थे। जो बातें इस परिषद् में होनेवाली थीं उनकी छाया लुलाई और अगस्त में ही नजर आने लग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना ही चाहिए। सम्झौते के भंग होने पर भी बाद में उन्हें परिषद् में जाने से इन्कार का मौका मिल गया था। पर मजदूर सरकार चाइती थी कि उन्हें किसी प्रकार ज़ाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना करवा दिया जाय।

सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने साथियों से कही वह यही थी कि किसी चीज़ की कल्पना की अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज़ है। वह नरम-दल के नेताओं की मनोदशा से परिचित थे, पर वह उस नज़ारे के लिए तैयार न थे जो उन्होंने लन्दन में देखा। मुसलमानों के स्वभाव को भी वह जानते थे और उनकी प्रतिगामी-मनोवृत्ति से भी न्यायिक नहीं थे। पर गोलमेज-परिषद् में राष्ट्र-शरीर की जो चीज-काड़ी हुई और जिस तरह टुकड़े-टुकड़े किये गये उसके लिए वह हर्गिज तैयार न थे। उन्होंने इस बात का भी निश्चय कर लिया कि आइन्दा कांग्रेस किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता का समर्थन नहीं करेगी। उसका धर्म शुद्ध और विशुद्ध राष्ट्र-धर्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह देश साम्प्रदायिक प्रश्न के साथ इसी तरह परले की भाँति खिलवाक करता रहेगा तो इसके लिए कोई आशा नहीं है। अपने मुसलमान और सिक्ख मित्रों से उन्होंने यह आश्वासन चाहा कि अगर भारत के लिए कोई ऐसा विधान बने जिसमें किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता की ज़ू न हो और जो विशुद्ध राष्ट्रियता के आधार पर बनाया जाय तो उसे वे स्वीकार कर लेंगे। इन सारे विचारों और अनुभवों के कारण उनके चित्त को बड़ा क्लेश हो रहा था; पर उपरिष्ठ परिस्थिति का उन्होंने बड़ी शान्ति और स्थिर-चित्तता से सामना किया, जैसा कि वह हमेशा किया करते हैं। अपने ऊपर तथा अपने देश-भाइयों पर भी उन्हें खूब विश्वास था। देश ने उन पर विश्वास किया और उन्होंने उसको बराबर निम्नया। जब आज उन्हें अपने सामने एक अवरदस्त खारि नज़र आ रही थी। कबाल यह था कि इतर पुल बनाया जा सक्ता है या इसे ब्रिज और भरे हुए घाटियों से पाट कर पार करना होगा ? जब वह अपने काम में भिंके, उनके हृदय में ये विचार उमड़ रहे थे—वह मनोमन्यन चल रहा था। कार्य समिति उनके साथ थी। पर उन चौदह सदस्यों वाली कार्य-समिति की ही नहीं, उन्हें तो सारे देश की दिम्मत थी। कार्य-समिति के आदेशों

घयावान की और

गांधीजी बम्बई में

देश के सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि जम्मा के उस त्राटा का स्वागत करने के लिए बा एकत्र हुए थे। सु गी दशर के एक भयन में विभिन्न स्वागत किया गया। फिर एक जुलूस निघा यह जुलूस जिसके लिए बादशाह भी अपने मुस्क में तरसे। पर राजनैतिक नेता और महाकादी पुष्यों का तो गुण प्राहक जनता ऐसे ही जुलूस-द्राय स्वागत किया करती है। गांधीजी का स्वागत यासियों ने किस उत्साह से किया होगा, पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं। ये किसी ऐसे सार्व स्वागत नहीं कर रहे थे, जो किसी बादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो। न वे किसी ऐसे राज का आदर करने जा रहे थे जो किसी कज्ज बादशाह के हाथों से जनता के लिए कोई रिश्तायतें किया हो। लडार के मैदान में बटार बहादुरी के लिए किसी वीर योद्धा का सम्मान करने भी वे नहीं हुए थे। बल्कि वे तो इकट्ठे हुए थे एक सन्त और सत्याग्रही का स्वागत करने के लिए, जो को छोड़ देनेपर भी ससारी की भाँति ही संसार में रहता था और जितने अपने स्वार्थ को विलाज दी थी। जो दोहरी चक्की में पीसा जा रहा था। एक और कानूनी हिंसा द्राय और दूसरी ओर हा वेबस गुलामी-द्राय। जनता ऐसे महापुरुष का स्वागत करने पहुँची थी, जिसका एकमात्र जीवनोद्देश अपने देश को आजाद करना तथा ससारके राष्ट्रों में मित्रता, बन्धुता और मानवता का सन्देश पहुंच उस दिन बम्बई के तमाल पुरुष सङ्को पर इकट्ठे हो रहे थे और शिखाँ आसमान से बातें करने व बम्बई की ऊँची इद्रालिपत्रों पर। हिन्दुस्थान में आते ही गांधीजी ने सबसे पहले बम्बई की ज को अपना भाषण सुनाया। आजाद मैदान में सचमुच उस दिन जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हुई थी, गांधीजी ने उसके सामने गम्भीर आवाज में यह कहते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि शान्ति के लिए अपने सस-भर कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रखूँगा इस भाषण में भी उन्होंने अपनी वह भयकर प्रतिज्ञा दोहराई और कहा कि “हिंदू-जाति से अल्लुवों जुदा करने वाले किसी भी प्रयत्न को मैं बरदाश्त नहीं करूँगा, बल्कि मौका पड़ने पर उसके विरोध में अपनी जान लड़ा दूँगा।” सच तो यह है कि न तो इस मौके पर और न अल्पसंख्यक जातियों कमिटी की बैठक में ही किसी को यह ख्याल आया कि गांधीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास घोषणा कर देंगे। या तो इस बात की तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों और पढ़नेवा के दिल पर इसका असर एक सामान्य भाषालंकार की अपेक्षा अधिक नहीं पड़ा। पर इरेक आदा जानता है कि गांधीजी कमी अत्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते और न कमी कोई बात गैर-जिम्मेदारी साथ कहते हैं। उनकी ‘हाँ’ केवल ‘हाँ’ है और ‘ना’ निरी ‘ना’। उनकी बात ज्यों-की-त्यों होती है दो मानी नहीं निकाले जा सकते।

कार की इजाजत से इद दजों की सहन-शीलता दिखाई है और आखिर तक इस बात की कोशिश की है कि, जैसी कि सम्राट की सरकार की मन्शा है, सीमान्त-प्रदेश में बिना देरी के सुधार जारी करें और उसमें अन्दुलगापकारखों की सहायता प्राप्त करें। सरकार ने तबतक कोई खास कार्रवाई नहीं की जबतक कि अन्दुलगापकारखों तथा उनके साथियों की इलचलें और खास तौर पर सरकार से जल्दी-से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमांत जातियों के प्रदेश में शांति को खतरे में नहीं डाल दिया। अब ठहरे रहना असम्भव था। बाइसराय महोदय को यह मालूम हुआ है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रांत में कांग्रेस-आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम अन्दुलगापकारखों के सुपुर्द कर दिया गया है। उनके द्वारा संगठित किये गये स्वयं-सेवक-दलों को भी महासमित ने कांग्रेस के अधीन मान लिया है। बाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह साफ कह दू कि देश में शान्ति और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके किर पर है और इसलिए वह उन आदिमियों या संघाओं से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर बताये कामों और इलचलों के लिए जिम्मेदार हैं। खुद आप तो गोलमेज परिषद् के काम से बाहर गये हुए थे और आपने गोलमेज-परिषद् में जो इल अख्तियार किया था उसे देखते हुए बाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेदार हों या इधर सीमा-प्रांत में और युक्त-प्रांत में कांग्रेस ने जो-जो आन्दोलन जारी कर रखते हैं उन्हें आप पसन्द भी करते हों। अगर यह ठीक हो, तब तो वह आपसे कह सकते हैं, और गोलमेज परिषद् में जिस सहयोग की भावना से सब काम हुआ या उसी भावना की रक्षा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में बाइसराय महोदय अपने निचार आपके सामने रख सकते हैं। पर एक बात वह साफ कर देना चाहते हैं। सम्राट की सरकार की पूरी इजाजत से जो आर्डिनेन्स बमाल, युक्त-प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत में जारी करना जरूरी समझा गया है, उनके बारे में किसी प्रकार की बहस करने के लिए वह तैयार नहीं हैं। जिस उद्देश से, अर्थात् कानून और व्यवस्था की रक्षा, जो सुरासन के लिए जरूरी चीजें हैं, वे आर्डिनेन्स जारी किये हैं, वह जबतक पूर्ण नहीं होजाया, वतक इर हालत में वे जारी रहने ही चाहिए। आपका जवाब मिल जाने पर बाइसराय महोदय इन तारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं।”

(३) बाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी के नाम गांधीजी का तार (१ जनवरी १९३२)

“मेरे २६ दिसम्बर के तार के जवाब में, बाइसराय महोदय का, जो तार आया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। उसे पढ़कर दुःख हुआ। मैंने अत्यन्त मित्र-भाव से जो प्रस्ताव रक्खा था, उसे जिस तरह बाइसराय महोदय ने अस्वीकार किया वह उनके जैसे उच्च-पदाधिकारी को शोभा नहीं देता। मैंने एक ऐसे आदमी की हेतियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रश्नों पर प्रकाश की जरूरत थी। मैं कुछ अत्यन्त गम्भीर और असाधारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया था, सरकार का पक्ष समर्थना चाहता था। मेरे सद्भाव स्वागत करने के बजाय, बाइसराय महोदय ने उसे अस्वीकार किया और मुझसे चाहा कि मैं अपने अनमोल साथियों के कार्यों का पहने ही स्वरदन करू। फिर ऐसे अग्रमानजनक आचरण का अपराधी बनकर मैं मिलना चाहूँ तो उन समय भी मुझसे कहा जाता है कि राष्ट्र के लिए इतना भारी महत्व रखनेवाली इन बातों पर उनमें बातचीत तक नहीं करसकता।

मेरा तो स्वप्न है कि इन आर्डिनेन्सों और कानूनों के खते हुए, जिनका कि अगर टट्टा के साथ प्रतिहार नहीं किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह विधान-सम्बन्धी बात न-कुछ-सी हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी स्वामिमानी भारतीय एक गद्दहासद विधान-सम्बन्धी

हे, वहां किसी भी हालत में सरकारी आतङ्कवाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि बंगाल-आइन्डिन्स और उसके विलसिले में किये गये दूसरे कार्यों से प्रकट होता है। बल्कि कांग्रेस तो अपनी आहिंसा की मर्यादा के अन्दर रहते हुए सरकारी आतङ्कवाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेगी। आपके तार में लिखा है कि सहयोग दोनों तरफ से हो। मैं इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ। पर तार में लिखी दूसरी बातें तो मुझे इस नतीजे पर बरबस ले जाती हैं कि वाइसराय महोदय कांग्रेस से तो सहयोग चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना नहीं चाहते। आपने जो इन बातों पर बातचीत करने से ही इन्कार कर दिया, इसका मैं दूसरा अर्थ लगा ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा कि मैंने बताने की कोशिश की है, इन सदस्यपूर्ण प्रश्नों के कम-से-कम दो पहलू तो हैं ही। लोकपक्ष, जैसा मैं समझता हूँ, मैंने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में अपनी राय कायम करने से पहले मैं दूसरे अर्थात् सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था और उसके बाद कांग्रेस को अपनी सलाह देने की इच्छा थी।

तार के आखिरी पैराग्राफ का जवाब यह है कि आपने साधियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के हो या युक्तप्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी से मैं अपने-आपको बरी नहीं समझता। पर मैं यह कबूल करता हूँ कि मेरे साधियों के कार्यों की और हलचल की तर्कसौलचार जानकारी मुझे नहीं है; क्योंकि मैं भारत में नहीं था। और चूंकि कांग्रेस की कार्य-समिति को अपनी राय देकर मार्ग-प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने निष्पक्ष भाव से और बहुत सद्भाव के साथ वाइसराय महोदय से मिलना और मार्ग-दर्शन चाहा। मैं वाइसराय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा सकता कि उन्होंने जो जवाब भेजने की कृपा की है वह मेरे सद्भाव और मित्रता-पूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी वाइसराय महोदय चाहें तो मैं उनसे नहूँगा कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारी बातचीत पर, उसके विषय-सूत्र पर, वगैर कोई शर्तें लगाये मुझसे मिलना स्वीकार करें। अपनी तरफ से मैं यह बचन दे सकता हूँ कि वह जो भी बातें मेरे सामने रखेंगे उनपर मैं निष्पक्ष होकर विचार करूँगा। वगैर किसी हिचकिचाहट के और खुशी के साथ मैं उन-उन प्रांतों में जाऊँगा और अधिकारियों की सहायता से प्रश्न के दोनों परतुओं का अध्ययन करूँगा; और अगर पूरे अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य-समिति तथा मैं भी गुमगाह हो गए हैं, और सरकार का ही पक्ष ठीक है, तो इस बात को स्वीकार करने में और तदनुसार कांग्रेस को सलाह बताने में मुझे कोई हिचकिचाहट न होगी। सरकार के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुशी के साथ ही वाइसराय महोदय के सामने मैं अपनी मर्यादा भी रख दूँ। आहिंसा मेरा पहला आचार-धर्म है। मेरा विश्वास है कि सविनय अवज्ञा जनता का केवल जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं है—और खासकर उस हालत में जब अपने शासन में उभरा कोई हाथ न हो—बल्कि यह इत्या और सदासत बगावत का सफलता-पूर्वक रथान भी ले सकती है। इसलिए मैं कभी आचार-धर्म को अलग नहीं रख सकता। उसके पालन के लिए, और कुछ ऐसी शर्तें मिली हैं जिनका अतीतक कोई स्पष्टन नहीं हुआ है, बल्कि भारत-सरकार की हलचलें जिनका समर्थन करती हैं और शासक जिनके परिणाम-स्वरूप जनता का मार्ग-दर्शन करने का मुझे आगे कोई मौका न मिले, कार्य-समिति ने मेरी सलाह से सविनय-अज्ञा-सम्बन्धी एक तत्कालिक प्रस्ताव स्वीकार किया है। उसकी नकल मैं भेजता हूँ। अगर वाइसराय महोदय समझें कि मुझसे मिलने में कुछ उत-पेगिता है तो हमारी बातचीत तत्तम होने तक, इस घाटा से कि आगे चलकर, पर रद कर दिया जायगा, वह प्रस्ताव मुत्तवी रहेगा। मैं मानता हूँ कि हमारे बीच का यह तार-व्यवहार सन्मुख इत-व

मुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा अपने सिर पर नहीं उठावेगा क्योंकि तब तो इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राण ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा ।

अब सीमा-प्रान्त की बात लीजिए । आपके तार में जो बातें हैं उनको देखते हुए यह सफ नजर आता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, अविरक्ति कानून जारी करने, जिससे कि लोगों की जानो माल की रक्षा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विश्वासपात्र नेताओं की गिरफ्तारी कर प्रदर्शन करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल कारण नहीं था । अगर खानसाहब अन्दुलगफफारखा ने पूरी आजादी का दावा किया तो स्वभाविक ही था । स्वयं कांग्रेस ने सन् १९२६ में, लाहौर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई । मैंने भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था । इसके अलावा वाइसराय महोदय को मैं यह भी याद दिला वू कि कांग्रेस ने मुझे जो आशा दी थी उसमें भी यह दावा था और सरकार इस बात को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिषद् में मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैसियत से निर्मन्त्रित किया गया था । फिर मेरी समझ में नहीं आता कि महज एक दरबार में हाजिर रहने से इन्कार कर देना ऐसा कौनसा अपराध होगया, जिससे यह एकाएक गिरफ्तार होने के पात्र समझे गये ? अगर खानसाहब जातीय विद्वेष की आग को बढ़ा रहे थे, तो सचमुच दुःखदाई बात है । पर मेरे पास तो उनके ऐसे वचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पढ़ते हैं । फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय विद्वेष की आग भड़काई, तो उस हालत में उनकी खुली जाँच होनी चाहिए थी, जिससे कि इस आरोप के प्रतिवाद का उन्हें मौका मिलता ।

मुक्तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है । क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पर लगान-बन्दी की आशा ही जारी नहीं की । बल्कि सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान नसूल करने का समय आगया और लगान सलब किया जाने लगा; इसलिए कांग्रेस वालों को यह कहना पड़ा कि जबतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बात चीत चल रही है इसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता तबतक वे अपने लगानों को रोक रखेंगे । श्री शेखानी ने तो यह भी कहा था कि अगर इस बातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी अफसर लगान-यन्त्री मुत्तवी रखें, तो यह भी जन्ता को दी गई सलाह वापस लेने को तैयार हैं । मैं तो यह कहूँगा कि ऐसी बात नहीं थी जिसको यों ही उड़ा दिया जाय, जैसा कि वाइसराय महोदय ने अपने तार में किया है । मुक्त-प्रान्त की यह शिष्टाचर बहुत अर्थ से चली आ रही है और उसमें ऐसे लाभों कलानों के हित का सवाल है जिनकी माली हालत बहुत ही खराब है । कोई भी सरकार, जिसे अपने द्वारा शासित जनता के कल्याण की परवाह है, कांग्रेस जैसी सच्चा दाग दिये गये श्रेष्ठ-पूर्वक सह-योग का स्वागत ही करती, जिसका कि जनता पर बहुत भारी प्रभाव है और जिनकी एकमात्र सरकार-कांदा र्मानदारी के साथ जनता की सेवा का-र है । और मुझे यह भी कहने दीजिए कि जिस प्रकार मैं अपने ऊपर होने गये अतर्दीय आर्थिक बोझों को दूर करने के लिए और तमाम उपायोंको आब्रमा किया है, और उन्हें निजल पास हो, तो उनका यह सन्तुन और स्वाभाविक हक है कि वह अपने लगान को रोका पढ़ने का हक में । इसके तार में जो यह बात है कि कांग्रेस किमा भी का में जग की सम्बन्ध देखना चाहते हैं, उनका मैं अतिशय खतरा हूँ ।

अन्त में शिष्ट में, वहाँ तक हाजिरों का जितना में सम्बन्ध है, कांग्रेस सरकार के साथ है । और देने मुझे की दिक्कत रोक देने के लिए मैंने उनको का सम्बन्धन करनी सम्मत्त कर, कांग्रेस तन्ने भी हद से तर्दीय देख करती । अन्त में कांग्रेस आन्दोलन की सम्पूर्ण विन्ध काती

क्योंकि इन सज्जनों के बम्बई में युक्तप्रांत के करबंदी के आंदोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रयत्न था ही नहीं ।

सीमा-प्रांत के सम्बन्ध में स्वयं सरकार की बहाई बातों से भी न तो आर्डिनेन्स जारी करने और न तबान अन्दुलगापकारणा श्रीम उनके माथियों को गिरफ्तार करने तथा बिना मुकदमा चलाये जेल में रखने का कोई आधार दिखलाई देता है । कार्य समिति इस प्रांत में निरपराध और निःशस्त्र लोगों पर की गई गोला-बारी को निन्दुर और अमानुष समझती है और वहा की जनता को, उनके हाइस और सदन शक्ति के लिए, बचाई देती है । कार्य-समिति को जग भी सन्देह नहीं है कि यदि सीमाप्रांत की जनता भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भी अपने अहिंसा-वृत्ति को कायम रख सकेंगी तो उसके रक्त और उसके कंधे भारत की स्वतन्त्रता के कार्य को प्रगति पर पहुँचावेंगे ।

कार्य समिति भारत-सरकार से माग करती है कि जिन बातों के कारण ये आर्डिनेन्स पास करने पड़े हैं, और सामान्य अदालतों और व्यवस्थातन्त्र को एक ओर रख देने की ओर इन आर्डिनेन्सों के अन्तर्गत और बाहर जो कार्रवाईयाँ हुईं, उनके औचित्य के सम्बन्ध में एक खुली और निष्पक्ष जांच करावे । यदि उचित जांच-समिति नियत की जाय, और कार्य समिति को गवाह पेश करने की सब सुविधायें दी जाय, तो वह इन समिति के मामले गवाह पेश करके सहायता देने के लिए तैयार रहेगी ।

गोलमेज-परिषद् में प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा और उसपर पार्लैमेंट की कामन-सभा तथा लार्ड-सभा में हुए वाद विवाद पर कार्य-समिति ने विचार किया, और वह उसे महासभा के दावे की दृष्टि से सर्वथा असन्तोषजनक और अपूर्ण मानती है, और अपना यह मत प्रकट करती है कि पूर्ण स्वाधीनता से, जिसमें राष्ट्र के हित के लिए आनश्यक सिद्ध होनेवाले सरदायों के साथ सेना, वैदेशिक सम्बन्ध तथा आर्थिक मामलों पर पूर्ण अधिकार सम्मिलित हैं, जग भा कम की क्रांतिगत सन्तोष-जनक नहीं मान सकती ।

कार्य-समिति देखती है कि गोलमेज-परिषद् में महासभा की राष्ट्र की एकमात्र प्रतिनिधि तथा मानने और उसके किसी जाति, धर्म अथवा रंग-भेद बिना समस्त राष्ट्र की ओर से बोलने के अधिकार को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार न थी । भाव ही यह समिति इस बात को दुःख के साथ स्वीकार करती है कि उक्त परिषद् में साम्प्रदायिक एकता प्राप्त न की जा सकी ।

इसलिए कार्य-समिति राष्ट्र को आह्वान करती है कि कांग्रेस वास्तव में सङ्गुण राष्ट्र का प्रति-निधित्व करने की अधिकारिणी है, यह दिग्घा देने के लिए तथा देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए वह अविश्राम प्रयत्न करे, जिसमें कि शुद्ध राष्ट्रीयता के आधार पर रचित विधान राष्ट्र की अगभूत विविध जातियों को स्वीकार्य हो सके ।

एक बीच यदि वास्तव्य अपने तार पर पुनर्विचार करें, आर्डिनेन्सों तथा हाल के कृत्यों के सम्बन्ध में काफी सहल हो जाय, और मन्त्री तब तो और परामर्श में क्रांति के लिए अपनी पूर्ण-स्वतन्त्रता का दावा पेश करने की आजादी रहे, और ऐसी स्वतन्त्रता मिलने तक देश का शासन लोक-प्रतिनिधियों की सहाय से अभावा जाय, तो कार्य समिति सरकार को सङ्कोच देने के लिए तैयार है ।

पूरेक पेश में ही गई शर्तों के आधार पर यह सरकार का हाम में कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिले, तो कार्य समिति इसे सरकार की ओर से दिग्घा के लपकटों के रूप में देख करे की पुनः सङ्कोच करेगी । सन्तोषजनक उत्तर न मिलने की दृष्टि में कार्य समिति राष्ट्र को निम्नलिखित शर्तों पर फिर सन्तोष-जनक, जिसमें लगान बन्दो भी सम्मिलित है, आग्रह करने के लिए आह्वान करती है—

महत्वपूर्ण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए। इसलिए मैं अपना तार, आपका जवाब, यह प्रत्युत्तर और कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा हूँ।”

प्रस्ताव

“कार्य-समिति ने महात्मा गांधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बंगाल, युक्त-प्रान्त तथा सीमा-प्रान्त में जारी क्रिये गये असाधारण आर्डिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार किया। साथ ही सरकारी अधिकारियों-द्वारा जो स्वान अन्वुलगापकारवा, शेरवानी साहब, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे अनेक लोगों की गिरफ्तारियाँ, और सीमा-प्रान्त में जो निरदोष लोगों पर गोलियाँ चलाई गईं और जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे गए तथा घायल हुए, इन सबके कारण पैदा हुई परिस्थिति पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महात्मा गांधी के तार के जवाब में वाइसराय-द्वारा भेजे गये तार को भी देख लिया।

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रांतों में घटी हुई अन्य छोटी-मोटी घटनायें तथा वाइसराय साहब का तार ये सब सरकार के साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के लिए बिलकुल असम्भव बना रहे हैं जबतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता। ये कार्य और वाइसराय का तार स्पष्ट-रूप से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता के हाथों में यहा की हुकूमत सौंपना नहीं चाहती बल्कि उनके द्वारा वह उलटे राष्ट्र की तेजस्विता को मंटा देना चाहती है। उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक और जहा कांग्रेस से सहयोग ही उम्मीद करती है, वहां दूसरी ओर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती।

बंगाल में हाल ही में आतंकवादी घटनायें हुई हैं, उनकी निन्दा करने में कांग्रेस किसी से भेजे नहीं है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये आतंकवाद की निन्दा भी उतने ही जोर के साथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये आर्डिनेन्सों और कानूनों से प्रकट है। हाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियों-द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी कांग्रेस की राय है। ये कार्य ऐसे समय खाल तौर पर और भी हानिकारक हैं, जब कि देश कांग्रेस, अरिये, जोकि उमर्क, सबसे बड़ी प्रतिनिधि-संस्था है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए अहिंसा से काम लेने में बचन-बद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज इतनी सी बात पर, सिर्फ कुछ लोगों के अपराध पर, बंगाल-आर्डिनेन्स जैसे अतिरिक्त कानून जारी करके तमाम लोगों को दण्डित किया जाय। इसका असली इलाज तो है इन अपराधों के प्रेरक-कारणों का ही, जो कि प्रकट हैं, इलाज करना।

यदि बंगाल-आर्डिनेन्स के अस्तित्व का कोई कारण नहीं है, तो युक्त-प्रान्त और सीमा-प्रान्त आर्डिनेन्सों के लिए तो उससे भी कम कारण हैं।

कार्य-समिति की राय है कि युक्त-प्रान्त में रिषानों को झूट दिलाने के लिए कांग्रेस-द्वारा चलानेवाले उपाय उचित हैं और उचित प्रमाणित किये जा सकते हैं। कार्य-समिति का यह निश्चित है कि गम्भीर आर्थिक सफ्टों से पीड़ित लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्त-प्रान्त किमान पीड़ित हैं, यदि अन्य वैध साधनों से महत पाने में असफल हों, जैसे कि ये युक्त-प्रान्त में सफल हुए हैं, तो उन सबका यह निश्चिन्त अधिकार है कि वे लगान देना बन्द कर दें। महात्मा गांधी से बात-चीत करने और कार्य-समिति की बैठक में मन्थित होने के लिए बन्द आने हुए युक्त-प्रान्त की प्रांतीय समिति के सभासद भी शेरवानी तथा महासभा के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके तो सरकार अपने आर्डिनेन्स द्वारा कल्पित सीमा से भी आगे बढ़ गई है,

सम्राट्-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक समझते हैं।

अपने उत्तरदायित्व का खयाल रखने वाली कोई भी सरकार किसी भी राजनैतिक सत्या की गैर-कानूनी कार्रवाई की धमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न भारत-सरकार आपके तार में बर्णित इन स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है कि दिल्ली के सम्भौते पर पूरी सावधानी और पूरे ध्यान से विचार करने और अन्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का अवलम्बन किया है उनके औचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिये।

बाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास कर सकते हैं, कि आप अथवा कार्य समिति सम्भौती है कि सविनय-अवज्ञा के पुनरागम की धमकी पर बाइसराय महोदय किस लाभ की आशा से आपको गुलाकात के लिए बुला सकते हैं।

कांग्रेस ने जिन उपायों के अवलम्बन का इयादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के लिए हम आपको और कांग्रेस को उत्तरदायी समझेंगे और आपको दवाने के लिए सरकार सब आवश्यक अर्थों का अवलम्बन करेगी।”

(५) बाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनवरी १९३२ को, निम्न तार भेजा—

“आपके तार के लिए धन्यवाद। मैं आपके और आपकी सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक खेद प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझ लेना अवश्य ही भूल है। क्या मैं सरकार को याद दिलाऊ कि सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-धर्मां प्रारम्भ हुई और चलती रही थी, और जिस समय सम्भौता हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया गया था वरन् स्थगित किया गया था। मेरे सन्दन जाने के पहले, गत सितम्बर में, शिमला में इस बात पर दुबारा जोर दिया गया था और आपने तथा आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था। यद्यपि मैंने उस समय यह बात स्पष्ट कर दी थी, कि सम्भव है कुछ हालतों में कांग्रेस को सत्याग्रह जारी करना पड़े, तो भी सरकार ने बातचीत बन्द न की थी। सरकार ने उस समय बताया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-भंग के लिए सजा भी लगी रहती है, इस बात से यही सिद्ध नहीं होता था कि सत्याग्रहियों ने यह सौदा किसलिए किया है, किन्तु इससे मेरी दलील पर कुछ असर नहीं होता।

यदि सरकार इस रवैये के विकट थी, तो उसके लिए यह खुला था कि वह मुझे सन्दन न भेजती। किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुभकामना प्रदर्शित की थी।

न यही कहना न्याय और सही है कि मैंने कभी इस बात का दावा किया है कि सरकार की कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्भर रहनी चाहिये।

लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैच-सरकार अपने उन कृत्यों और आर्द्धिनेत्रों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत्त पसन्द नहीं करता, सार्वजनिक संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सदैव स्वागत करती, उनपर सहानुभूति-पूर्ण विचार करती तथा अपने पास की सब सूचनाओं अथवा जानकारी से उनकी सहायता करती।

मैं यह दावा करता हूँ कि मेरे मन्देरा का मैंने पिछले पैसे में जो अर्थ बताया है उसके सिवा और कोई अर्थ नहीं है। समय ही बतलायगा कि किसने सच्ची स्थिति प्रदर्श की थी। इन बीच मैं सरकार को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ओर से मंत्रिम को सर्वदा द्वेष-रहित तथा सच्चा अहिंसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।

आपको मुझे यह याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं कि अपने कार्यों के लिए कांग्रेस और उसका एक विनम्र प्रतिनिधि, मैं, जिम्मेदार हूँ।”

(१) कोई भी प्रान्त, जिला, तहसील अथवा गांव तबतक सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए बाध्य नहीं है, जबतक कि वहां के लोग सत्याग्रह का अहिंसक रूप, उसके सब फलितायों सहित, समझ लें और कष्ट-सहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैयार न हों।

(२) यह समझ कर कि यह सत्याग्रह आतंतायी से बदला लेने अथवा उसपर आघात करने के लिए नहीं बरन् अपने कष्ट-सहन और आत्मशुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए है, भयंकर-से-भयंकर उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अहिंसा का पालन अवश्य होना चाहिए।

(३) सरकारी अधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुंचाने की दृष्टि से किस भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। अहिंसा-वृत्ति के यह सर्वथा विरुद्ध है।

(४) यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अहिंसात्मक संग्राम में आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें वेतन पर रखे गये स्वयंसेवक न होने चाहिए, किन्तु केवल उनके निर्वाह-मात्र के और जहां सम्भव हो वहां संग्राम में जेल जानेवाले अथवा मारे गये गरीब स्त्री-पुरुषों के आश्रितों के गुजारे-लायक खर्च दिया जा सकता है।

(५) सब स्थिति में, ब्रिटिश अथवा अन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी वस्त्र का बहिष्कार आवश्यक है।

(६) सब कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुषों से, देशी मिलों तक का कपड़ा न पहनकर, हाथ की कती-बुनी व्हादी के ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

(७) शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर मुख्यतः स्त्रियों को ही जों से, किन्तु सर्वत्र अहिंसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए।

(८) गैर कानूनी नमक बनाने और बटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए।

(९) यदि कुल्लू और प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय, तो उनमें केवल वही लोग शरीक हों, जो अपनी-अपनी जगहों से जाय भी हिले बिना लाठी-प्रहार और गोलीयां सहन कर सकें।

(१०) अहिंसात्मक संग्राम में भी उरीक-द्वारा तैयार माल का बहिष्कार करना सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों का यह कभी धर्म नहीं है कि वे आतंतायी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ावें अथवा कायम रखें। इसलिए ब्रिटिश-माल और ब्रिटिश कर्मियों का बहिष्कार पुनः आरम्भ किया जाय और जों से चलाया जाय।

(११) जहां-जहां सम्भव और उचित सम्भव जाय, अनेक कानूनों और अन्यायों को हानि पहुंचाने वाली आकाश्यों का सविनय-भंग किया जाय।

(१२) आहिंसेमों के अन्तर्गत जारी हुई प्रायिक अनुचित आकाश्यों का सविनय भंग किया जाय।”

(१३) गांधीजी के दूसरे तार के उत्तर में, २ जनवरी की शाम को, बाइमराव के प्राइवेट-सेक्रेटरी ने नीचे लिखा तार भेजा—

“बाइमराव ने मुझे आपके १ जनवरी के तार की स्वीकृति भेजने के लिए कहा है, किन्तु पर उन्होंने तथा उनकी सरकार ने विचार का भिदा है। उन्हें हम बात का अर्थ-संग्रह भेद है कि आकाश्यों के अन्तर्गत-बायें-सर्वत्र से ऐसा सम्बन्ध पाय किया है, किन्तु मैं यदि आपके तार और उक्त प्रस्ताव से बर्बरता की गयी है तो मैं तो सविनय आकाश्यों के पुनः पूर्ण और पर जारी का दिव्य करने को चाहते हैं।

अहिंसात्मक संग्राम के अनुसरण के अन्तर्गत ही अहिंसात्मक संग्राम करने की

चार्य है; तब हमने महसूस किया और कहा कि जितनी जल्दी वह शुरू हो जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी धोच लिया कि इसमें पूरी सफलता अभी मिल सकती है जब कि जितने हो सकें उन सब मित्रों को अपने पक्ष में कर लें। मुसलमान तो हमारे साथ थे ही, जैसा कि अल्पसंख्यक-समझौते और मुसलमानों के प्रति सरकार के सामान्य रुख से स्पष्ट था। यही हाल राजाओं और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का था।

“हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सर समू, जयकर, पेटरो आदि के समान सर्व-साधारण हिन्दुओं को अपनी ओर मिलाया जाय। अगर हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सकें तो कम-से-कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी न दें। और यह कोई मुश्किल बात भी नहीं है; इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विश्वास कराने की आवश्यकता है कि सब योजना को नहीं छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे तौर पर अंग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्तु; इसीके अनुसार हमने काम किया। हमने सरकार से आग्रह किया कि वह प्रान्तीय और केन्द्रीय-विधानों को एक-साथ उप-स्थित करे, जिसे वे लोग सरकार की ईमानदारी और सद्भाव का ठोस नमूना समझेंगे और इनका सन्तोष हो जायगा। जहाँतक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, वह हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नहीं लादा जा सकता; क्योंकि अकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते। कांग्रेसी प्रान्तों और दृढ़ भारत-सरकार का मुकाबला बड़ी भारी राजनैतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा, क्योंकि हर एक प्रान्त एक-एक कलकत्ता कारपोरेशन बन जायगा। अतः (इस स्थिति को बचाने के लिए) हमने अजीब नये-नये साथी जोड़े। फलतः बजाय इसके कि परिषद् व वाद-विवाद बीच में ही भंग हो जाते और राजनैतिक विचारों के १०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, परिषद् में आये ६६ फी सदी व्यक्तियों के, जिनमें मालवीयजी जैसे लोग भी शामिल हैं, सहयोग के आस्वादन के साथ वे समाप्त हुए; अलबत्ता गांधीजी स्टैपिडग कमिटी में शामिल होने के लिए रजामन्द नहीं हुए।”

“मुसलमान तो अंग्रेजों के पक्के दोस्त ही हो गये हैं। अपनी परिस्थिति से उन्हें पूरा सन्तोष है और वे हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

“लेकिन यह हरगिज न समझ लेना चाहिए कि जब हम यह कहते हैं कि मुघारों का होना जरूरी है तो हम हर एक प्रान्त में जन-सन्धीय मुघारों का ही प्रतिपादन करते हैं। हम जो-कुछ कहते हैं उसका अर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-पेर करना भर है, जिससे हि उसकी मुष्कारता बढ़ जाय।”

मजदूर-सरकार ने अपनी घोषणा में भारत को जो-कुछ देने का बचन दिया था उसके उद्देश्य को नष्ट करने की टोरी (कंजर्वेटिव) सरकार और उसके साधियों ने कड़ी चेष्टा की, यह इन उद्देश्यों से मझी-भाति मालूम हो जाता है। लेकिन यह विश्वास करना गलत होगा कि उन्नति-विरोधी मुसलमानों के, जो कि अपने बोके-से स्वार्थों के लिए अपने देश को बेचने के लिए तैयार थे, और हिन्दुस्तानियों की हमेशा गुलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नति-विरोधी-निष्ठियों के बीच जो समझौता हुआ, वह एकाएक ही हो गया। उसकी नींव तो गोलमेज-परिषद् के दूसरे अधिवेशन से कहीं पहले हिन्दुस्तान और इस्लैम दोनों जगह रखी जा चुकी थी। सच तो यह है कि जब गांधीजी और लॉर्ड अर्बिन के बीच समझौता हुआ तो उसके बाद ही भारत में उन सब उन्नति-विरोधी लोगों ने, जो समझौते को पसन्द नहीं करते थे, शीघ्रता के साथ अपनी शक्तियों को संगठित किया और भारतीय

१--गोलमेज-परिषद् के समय की गई सेवार्थों के पुरस्कार-स्वरूप करने को भारत के हिंदी प्रदेश का राजा बनाने की सर आगाखान की मांग से, जिसका कि हाल ही में अमेरिका में रहस्योद्घाटन हुआ; हम लोहे का नगा-स्वरूप बने की भस्म रूप में सामने आया है।

बेन्गल का गश्ती-पत्र

मुविषा के लिहाज से हमने इन सब तारों को एक-साथ दे दिया है, वैसे ये सब हैं छः दिन घटनायें । ३० दिसम्बर को मि० बेन्गल गांधीजी से मिले और काफी देर तक बातचीत की । यह गो मेज़-परिषद् में हिन्दुस्तान के व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में शरीक हुए थे । और इसमें तो कोई सही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की इलचल भयोरगदक भी और वाद की घटनाएँ एवं अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के हाथों में बहिष्कार एक बड़ा हथियार है । मि० बेन्गल तथा इनके राज-भक्त साधियों ने ऐसी भाषा में अपने विचार प्रकट किये जिनकी तात्पर्य इतने समय के बाद भी, बिलकुल कम नहीं हुई है । इन लोगों ने जो 'गुप्त' गश्ती-पत्र प्रकाश किया, उसके कुछ उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:—

“अगर सम्भव हो तो कोई समझौता करने के इरादे के साथ हम लड़न गये थे, लेकिन इसके साथ ही इस बात के लिए भी हम हृद-निरचय थे कि आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणों के बा में (यूरोपियन) असोशियेटेड चैम्बर ऑफ कामर्स ने जो नीति निश्चित की है और यूरोपियन असोशियेशन ने जो सामान्य-नीति तय की है उसके किसी मूलभूत अंश को नहीं छोड़ेंगे । यह हम अच्छे तरह जानते थे, और परिषद् के समय भी हमेशा हमारे दिमाग में यह बात रही है, कि जो सरदर पेश किये जा चुके हैं उनकी काट छांट करने का काम्रेस, हिन्दू-सभा और (भारतीय) फेडरेटिव चैम्बर ऑफ कामर्स की समिलित शक्ति के साथ प्रयत्न किया जायगा.....”

“इस पिल्लेने अधिवेशन के परिणामों पर अगर आप नजर डालें तो, आप देखेंगे कि गांधीजी और (भारतीय) फेडरेटिव चैम्बर ऑफ कामर्स एक भी ऐसी बात नहीं बतला सकते जो गोलमेज़-परिषद् में उनके आने के फल स्वरूप ब्रिटिश-सरकार की ओर से बतौर रिआयत उनके साथ की गई हो । वह तो सचली दाय ही हिन्दुस्तान लौटे हैं ।

“एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई । साम्प्रदायिक-समस्या को हल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन सारी दुनिया के सामने उन्हें असफल होना पड़ा.....”

“मुसलमानों का दल बहुत ठोठ और मजबूत रहा । यहां तक कि राष्ट्रीय मुसलमान कहे जाने वाले अली-इमाम भी उससे बाहर नहीं गये । शुरू से अर्बान तक बफो होशियारी के साथ मुसलमानों ने खेल खेला । हमारा समर्थन करने का उन्होंने वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह निभाया । बदले में उन्होंने हमसे कहा कि आर्थिक दृष्टि से बगाल में उनको जो बुरी हालत है उसपर हम ध्यान दें । उनकी 'ज्यादा लल्लो-चण्णो करने की तो जरूरत नहीं', पर अंग्रेजी फर्मों में हमें उनकी जगह देने का प्रयत्न करना चाहिये, जिसे वे अपनी माली हालत और अपनी जाति की सामान्य स्थिति को ठीक कर सकें ।

“ब्रिटिश-राष्ट्र और हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक ही नीति है; और वह यह कि लोच-समझकर हम एक राष्ट्रीय नीति निश्चित करें और फिर उसपर जमे रहें । लेकिन (पार्लियामेंट के) आम चुनाव के बाद सरकारी नरम-दल ने (गोलमेज़) परिषद् को अमफज करने और उनका तथा काम्रेस का विरोध करने का निश्चय कर लिया । मुसलमान लोग, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, इस बात से खुश हुए । सरकार ने तो निश्चित-मान लोच, जो कि केन्द्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते, इस बात से खुश हुए । सरकार ने तो निश्चित-रूप से अपनी नीति बदल ली और केन्द्रीय मुद्दों के आरवाहन के साथ प्रांतीय स्वराज्य पर ही मामला ढालने की कोशिश की । हमें यह भी निश्चय हो गया था कि काम्रेस के साथ लड़ार अनि-

आइंनेन्सों का राज

जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुसार, नये-नये आइंनेन्स निकलते गये। हालांकि वे एकसाथ नहीं बरिक्त भिन्न-भिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एक साथ विचार करना ही ठीक होगा। इनमें से एक आइंनेन्स का जिक्र तो पहले ही हो चुका है, जोकि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जबकि गांधीजी अभी लन्दन ही में थे। वहा यह गया था कि यह बंगाल में आतकवादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है। प्रान्तीय-सरकार से अधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी अफसर को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और हलचल मालूम करे और उसकी बतौर हुई बातें ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में ले ले। ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की आवश्यकता हो, उसको वह छामल में ला सकता था। प्रान्तीय-सरकार को यह अधिकार मिला कि अगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या इमारत को, मय उसके सामान के, उसके मालिक या उसमें रहनेवाले से खाली कराके चाहे जितने समय के लिए अपने कब्जे में करले, और चाहे तो उसका मुआवजा दे और चाहे वो न भी दे। इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान के मालिक पर इस्तेमाल करनेवाले से, मुआवजे के साथ या बिना मुआवजे के ही, उसका सामान ले सकता था। वह किसी जगह या इमारत को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल हैं, सरकारी कब्जे में ले सकता था अथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकता था। यातायात पर बन्दिश लगाने और सवारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के मुफ्त करने का भी वह हुक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र की बिक्री बन्द करने या नियंत्रित करने और उन्हें अपने कब्जे में कर लेने का उसे अधिकार था। किसी भी जमींदार या अफ्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की स्थापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। तलाशी के वारंट निकाल सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, किसी खास व्यक्ति या भेरी को किसी भी लेने-पाने से मुक्त कर सकती थी, और किसी भी व्यक्ति के हिस्से का बकाया जुर्माना सरकारी मालगुजारी के बतौर वसूल किया जा सकता था। जरा भी अवज्ञा होने पर ६ महीने कैद या जुर्माने अथवा दोनों की सजा मिल सकती थी। प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार दे दिया गया था कि फयर लौमें से पशु-व्यवहार रोकने के लिए और उनकी हलचलों की जानकारी रखने तथा उनकी हलचलों की बातें मालूम करने के लिए, सम्राट् के प्रजाजनों के जान-माल पर होनेवाले आक्रमणों से रक्षा करने, सम्राट् की फौज व पुलिस को सुरक्षित रखने तथा कैदियों को जेल में निरौध रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये। आइंनेन्स के मातहत किसी भी कार्रवाई क्यों न करे, फौजदारी-अदालत में उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। जिन मुकदमों को सरकार विरोध अदालत-द्वारा निरटाना चाहे उनकी तहकीकात के लिए फौजदारी मामलों के नये अर्थात् शेराल-ट्रिब्यूनल या शेराल-मजिस्ट्रेट बनाने को कहा गया। शेराल-ट्रिब्यूनलों के लिए नियमोपनियम भी विरोध तौर पर ही बनाये गये। विरोध न्यायालयों को अधिकार दिया गया कि चन्द परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मामला चला सकते हैं।

युक्त-प्रान्तीय हमजेन्सी-आइंनेन्स १४ दिसम्बर १९३१ को जारी हुआ। इसके द्वारा प्रान्तीय-सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय अधिकारी या जमींदार को दी जानेवाली किसी शक्ति को (कहाया शक्ति को) सरकारी प्राप्ता करार देकर उसे बकाया मालगुजारी के रूप में

राष्ट्रवादियों को शकस्त देने के लिए अपना सम्मिलित गुट बना लिया था। इस पक्षपक्ष की आणु-रचना को शिमला में ही हुई थी, जो कि भारत-सरकार का सदर-मुकाम है।

गांधीजी पकड़े गये

मि० हमसन और लॉर्ड विलिंगडन ने जो चुनौती दी थी उसे कार्य-समिति ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद कार्य-समिति के सदस्य अपने-अपने स्थानों को लौट गये। लेकिन उन्होंने अपने-को ऐसी परिस्थिति में पाया कि कुछ कर नहीं सकते थे। परन्तु: सरकार ने वहीं से लड़ाई को फिर से प्रवृत्त किया जहाँ पर कि ४ मार्च १९३१ को उसे छोड़ा गया था। अस्थायी-सन्धि के दमियान उठने हजारों लाठीचार्ज और एकत्र करती थीं। सच तो यह है कि अस्थायी-सन्धि का अन्वय सरकार : लिए नये सिरे से लड़ाई लड़ने की तैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्थायी सन्धि के दमियान प्रायः किसी भी महीने, नहीं तो गांधीजी की वापसी पर तो दृढ़ता निश्चित ही था। तीन आर्थि-नेम्स तो जारी कर ही दिये गये थे, और कई जब भी जरूरत हो तुरन्त जारी कर देने के लिए वाइसर की जेब में रखे हुए थे। ४ जनवरी १९३२ को सरकारी प्रहार शुरू हो गया। कांग्रेस की तथा उससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गैर-कानूनी करार दे दिया गया और कांग्रेसी लोग, कानून या आर्थि-नेम्सों के, जो कि गैर-कानूनी कानून कहलाने लगे थे, खिलाफ कोई प्रत्यक्ष कार्य करें या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर-करके जेलों में भेजा जाने लगा। कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पड़ा। सरकारी लाठी-प्रहार पहले आन्दोलन (१९३०) के समय शुरू में नहीं बल्कि बाद में जारी हुआ था, लेकिन १९३२ में सत्याग्रहियों को सबसे पहले उसी का मुकाबला करना पड़ा। चारों तरफ यह बात फैल रही थी कि लॉर्ड विलिंगडन सारे उदात्त को छुः सप्ताह में ही खतम कर देने की आशा रखते हैं। लेकिन छः सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लड़ाई है कि उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई।

गांधी जी गुजरात के उन ताल्लुकों में जाने का ह्दाद कर रहे थे, जिन्हे १९३० की लड़ाई में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन पेश्वर इसके कि यह वहाँ जायं, उन्हें और उनके विश्वस्त सहायक नल्लभभाई को ४ जनवरी १९३२ के बड़े सवेरे गिरफ्तार करके शाही कैदी बना दिया गया। खान साहब और जवाहरलाल जी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो भारतीय-राजनीतिज्ञ गांधी बचे थे उन्हीं को लड़ाई का संचालन करना पड़ा। हजारों की तादाद में सत्याग्रही मैदान में प्राये। १९२१ में उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक बड़ी तादाद मानी गई थी। १९३०-३१ में, दस महीनों के थोड़े-से समय में ही, नव्वे हजार स्त्री-पुरुष और बच्चे दोषी करार देकर जेलों में टंठ दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनों पर पड़ी, लेकिन जितनों को कैद की सजा दी गयी थी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ या ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही। लोगों को या तो पीटते-पीटते किसी काम के लायक ही न रहने दिया गया, या छिपने और घर दबोचने की नीति से उन्हें का दिया गया। जेलों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दफ्तर की ओ गुप्त या जानगी बातें थी उनका रक्षयोद्घाटन करने के लिए गहा गया। "तुम्हारे (कांग्रेस के) कागज-पत्र, डिस्टेंड और धन्दे व स्वयं-सेवकों की पहचिखें कहाँ हैं ?" यह सरकार की मांग थी। नौजवानों को तरह-तरह तंग किया गया, न कहने-योग्य बातें (अपशब्द) उन्हें कही गईं, और अकथनीय सजाओं का आयोजन करके उनको अमली रूप दिया गया। हार्कोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के लिए एक-एक करके उसके बाल उखाड़े गये, और यह सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस को अपना नाम नहीं पता नहीं बताया था।

स्थानीय अधिकारी को कानून और व्यवस्था के रक्षार्थ मदद करने का हुक्म दे सकती थी। लोकोपयोगी कार्य (Utility Service) के संचालकों को उस सस्था या मण्डल के द्वारा अपने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी, और अगर वह उसके अनुसार न कर सकता तो उस सस्था का अधिकार वह अपने हाथ में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेलीफोन और वायरलेस (बिहार के तार) को नियन्त्रित करके उनके द्वारा जानेवाली चीजों या चिट्ठी-पत्रियों को रोक सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नौका में अगह ले सकता था, किसी खास व्यक्ति या माल को किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उतरा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था। किसी भी सार्वजनिक सभा में, फिर वह चाहे निजी स्थान में ही हो और उसमें प्रवेश टिकटों द्वारा ही क्यों न हो, पुलिस-अफसर को भेज सकता था। वला-शियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे। कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम की उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना में भरती होने से रोकने या ऐसी कोई अफवाह या चर्चा फैलाने की चेष्टा करे कि जिससे सरकारी नौकरों के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-संचार होता हो, उसे एक साल कैद या जुर्माने की अथवा दोनों सजायें दी जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी हलके के निर्वासियों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती थी, जो उधेरी वरह बसल होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गृह (सरकारी) दस्तावेज की बातों को दोहराये उसे ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवपुत्रों पर उनका जुर्माना उनके अभिभावक या संरक्षक से बसल किया जा सकता था, और बसल होने की दशा में उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशल जजों व मजिस्ट्रेटों के साथ स्पेशल और सरसरी अदालतें बनाई गईं और उनके कार्य क्षेत्र की व्याख्या करके मुकदमों व अपीलों के लिए खास-तौर की कार्य-प्रणाली तैयार की गई।

अन्य आदिनेन्सों के मातहत प्रान्तीय-सरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी करार दे सकती थी और मजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे में लेकर जो भी व्यक्ति वहाँ हो उसे निकाल सकता था। मजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था और प्रान्तीय सरकार उसे जन्त करार दे सकती थी। निषिद्ध (गैर-कानूनी) करार दिये गये स्थान पर जाने या वहाँ रहनेवाला कोई भी व्यक्ति फौजदारी अपराध का मुजरिम होता था। प्रान्तीय-सरकार गैर-कानूनी करार दी गईं संस्था का रुपया-पैसा आदि सामान जन्त कर सकती थी और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके पास किसी गैर-कानूनी संस्था का रुपया होने का शुबदा हो, उस रुपये को सरकारी हुकम के बगैर खर्च न करने की पाबन्दी लगा सकती थी। ऐसे व्यक्तियों के बहीखातों की जांच-पड़ताल करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता लगाने का भी प्रान्तीय सरकार हुकम दे सकती थी।

४ जनवरी को चार नये आदिनेन्स और जारी हुए—(१) रजिस्ट्री पावर्स आदिनेन्स, (२) अन-लॉफुल इस्टिगेशन आदिनेन्स, (३) अनलॉफुल असाधिपेशन आदिनेन्स, और (४) प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड हायकाट आदिनेन्स। इनमें से पहले आदिनेन्स के मातहत दो लोगों को गिरफ्तार करने, बन्द रखने या उनकी हलचलों को नियन्त्रित करने, इमारतों को भंग लेने, इमारतों या रेलवे को बर्जित स्थान करार देने, यातायात को नियन्त्रित करने, सर्व-साधारण के व्यवहार की किसी चीज को अपने कब्जे में करने या उसकी खराब व बिधेरी पर नियन्त्रण करने, यातायात के साधनों पर नियन्त्रण करने, शस्त्रास्त्र की बिक्री पर नियन्त्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफसर नियुक्त करने, जमींदारों व अर्प्या-

ल करे। प्रान्तीय सरकार जिन किसी व्यक्ति के लिए यह समझे कि वह धार्मिक-निरपेक्ष सुरक्षा के विषय में बुरा है उसे किसी खास इलाके में ही रहने, किसी खास इलाके में से हट जाने या किसी खास तरीके पर रहने का हुक्म दे सकती थी। एक महीने तक उसका यह हुक्म कायम रहता। किसी खास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय फर्नीचर तथा दूसरे सामान के, प्रायोजन के साथ या बतौर मुआवजे ही, सरकार के सुपुर्द करने का प्रान्तीय-सरकार हुक्म दे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट चाहे जिन इमारत या स्थान का प्रवेश-निषिद्ध या मर्यादित कर सकता था और किसी भी आदमी को यह हुक्म दे सकता था कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी पन हों उनमें बारी में जब जैसा हुक्म मिले तब वैसा ही किया जाय। सरकार से अधिकार-प्राप्त कोई भी अप्रसर किसी भी जमींदार, स्थानीय अधिकारी या अध्यापक को कानून और शान्ति कायम करने के काम में मदद करने के लिए तलब कर सकता था। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हो कि सरकारी लेने को न श्रदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की कैद, जुर्माना या दोनों कायें दी जा सकती थी। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को भली-भाँति श्रदा करने अथवा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भरती होने से रोकने की चेष्टा करे उसे एक साल या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। किसी खास इलाके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार वृहिक जुर्माना कर सकती थी, और उसकी वसूली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालगुजारी का कर ली जाती है। किसी जन्म साहित्य के अंश दोहरानेवाले को ६ महीने कैद या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला जुर्माना उनके माँ-बाप या संरक्षक से ली जा सकता था और उसके वसूल न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार कैद की सजा दी जा सकती थी, मानों स्वयं उन्होंने वह अपराध किया है। ऐसे हुक्म के खिलाफ दीवानी अदालत कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी।

सीमाप्रान्त-सम्बन्धी तीन आर्डिनेन्स २४ दिसम्बर १९३१ को जारी किये गये। उनमें से एक मुक्तप्रान्त-सम्बन्धी आर्डिनेन्स की ही तरह था और सरकारी लेने की वसूली के लिए निकाला गया। बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रान्तीय 'इमर्जेन्सी पावर्स आर्डिनेन्स' था और दूसरे 'अनलॉपुल असोसियेशन आर्डिनेन्स'। इनमें से पहले के भावहत कोई भी अधिकार-प्राप्त व्यक्ति को भी मन्दिग्ध व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रख सकता था और प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सकती थी। प्रान्तीय-सरकार किसी को एक महीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुक्म दे सकती थी। ऐसे हुक्म पर अमल कर सकने की हालत में दो साल तक कैद की सजा दी जा सकती थी। किसी भी निजी इमारत को प्रान्तीय-सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सड़क-मार्ग के यातायात को निषिद्ध, नियन्त्रित या मर्यादित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी माल की खपत व बिक्री को नियन्त्रित करने के लिए उसे तैयार करने वालों व व्यापारियों को उसकी खपत व बिक्री को नियन्त्रित करने के लिए उसे तैयार करने वालों व व्यापारियों को उस माल की खपत-करोस्त के नक़्शे पेश करने या अपना सारा माल या उसका अंश सरकार को सौंप देने के हुक्म दे सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट सवारी या यातायात के अन्य सब साधनों के सफ़सीलवार बन्दे करने या उन्हें (सवारी आदि को) ही सरकार के सुपुर्द करने का हुक्म दे सकता था। शस्त्रास्त्र गोला-बारूद की बिक्री को जिला-मजिस्ट्रेट नियन्त्रित कर सकता था। प्रान्तीय-सरकार चाहे को हेराल्ड पुलिस-अप्रसर मुहर्बर कर सकती थी, अथवा किसी भी जमींदार, अध्यापक या

इकठ्ठे आर्डिनेन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १९३२ में बाकायदा कानून का रूप दे दिया गया। भारत-मन्त्री सर सेम्युअल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १९३२ को ही, कामन-सभा में यह बात स्वीकार कर ली थी कि "आर्डिनेन्स बहुत व्यापक, तीव्र और कठोर हैं। भारतीय जीवन की लगभग हरेक बात उनकी चपेट में आ जाती है। उन्हें इतने व्यापक और तीव्र इसलिए बनाया गया है कि सरकार को हर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उसपर से सचमुच उसका यह विश्वास है कि सरकार की जड़-मूल पर ही कुठाराघात होने का खतरा उपस्थित है, इसलिए यदि हिन्दुस्तान को अराजकता से बचाना हो तो ये आर्डिनेन्स आवश्यक हैं।"

यह स्मरण रहे कि प्रेस कानून (१९३१ का २३ वां एक्ट), जो अस्थायी सन्धि के समय बना था, ६ अक्टूबर १९३१ को समाप्त हो गया। १९३२ के क्रिमिनल-लॉ-अमेण्डमेंट बिल में उसे (प्रेस-लॉ को) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया। प्रेस-कानून की धारों करीब-करीब १९१० के एक्ट जैसी ही थी। भारत सरकार के आर्डिनेन्सों, बिलों या कानूनों के अलावा, नवम्बर १९३२ में बम्बई-सरकार ने एक प्रान्तीय आर्डिनेन्स-बिल पेश किया, जिसमें करबन्दी-आन्दोलन के मुकाबले की भी काफी गुंजाइश रखी गई थी। सच तो यह है कि ये सब आर्डिनेन्स और दमनकारी अश्रम तैयार करने का विचार वो अस्थायी-संधि के साल (१९३१ में) ही हो रहा था। यस्तुस्ति तो यह है कि १५ अक्टूबर १९३१ को गुन के अग्रेसरों ने भारत-सरकार के यह-विभाग के मंत्री को मान-पत्र प्रदान किया और इसके बाद, १९३१ में ही, यूरोपियन-असोसिएशन की बम्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा। उन्होंने सरकार को मुन्हाया था कि यदि सचिनय-अवज्ञा-आन्दोलन फिर से शुरू हो तो उसे गुरन्त और दृढता के साथ कुचल देना चाहिए—और यह सब उस समय जबकि लन्दन में गोल-मेज बरिफ्ट हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश कामेसियों को सन्तुष्ट करना था। उन्होंने खास तौर से यह मुन्हाया कि कामेसी भएडे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वयंसेवकों की कवायद-परेड भी रोक दी जाय, जिन लोगों ने सचिनय-अवज्ञा में भाग लिया था उन सबका पावन्दिया लगा दी जाय, उनके साथ वैसा ही व्यवहार हो जैसा लड़ाई के समय शत्रु देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें नजरबन्द कर दिया जाय, कामेस-कोष के मूल का पता लगाया जाय और उसको वहीं एक विशेष आर्डिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय, जिन मिलों ने कामेस की शर्तें मान ली हों उन्हें बहा जाय कि अगार वे उन्हें रद न कर देंगी तो रेलगाड़ियों-द्वारा उनका माल ले जाना बन्द कर दिया जायगा, और राजनैतिक परिस्थिति व बहिष्कार से किसी को अधिक लाभ न उठने देना चाहिए।

१९३२-३३ की घटनायें भी प्रायः १९३०-३१ की ही तरह रहीं, अलबत्ता लड़ाई इस बार और भी जोशदार एवं निश्चयात्मक थी। दमन और भी अन्धाधुन्धी के साथ चला और लोगों को पहले से भी कहीं ज्यादा फट-सहन करना पड़ा।

कार्य-समिति की तत्परता

सरकारी आक्रमण ४ जनवरी के बड़े सवेरे म० गांधी और राष्ट्रपति सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी के साथ आरम्भ हुआ। १९३२ के उग्रयुक्त आर्डिनेन्स उसी दिन सवेरे जारी हुए और कई प्रान्तों पर लागू कर दिये गये। पश्चात् कुछ ही दिनों में, अमली तौर पर, सारे देश में लागू हो गये। अनेक प्रान्तीय और मातहत कमिंस-कमिटियों, आभमों, राष्ट्रीय स्कूलों तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं को गैरकानूनी करार दे दिया गया और उनकी इमारतों, पर्नीचर, रुपये-पैसे तथा अन्य चल-सम्पत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। देश के खास-खुस कामेसियों में से अघिकारियों को एकदम जेलों में टूँस दिया गया। इस प्रकार देखते-ही-देखते कामेस के पास न सोनेवा रहे, न रग्या-

पक्षों आदि को वाहन और व्यवस्था कादम रखने में मदद करने के लिए बाध्य करने, कार्रवाई उपयोग के कामों पर नियंत्रण करने, डाक, तार या इवार्ड आदि से जानेवाली चीजों व चिपत्रों पर नियंत्रण को रोकने और बीच में गायब कर लेने, रेलों और जहाजों में अगदर शामिल करने तथा उपाध्याय पर नियंत्रण करने, रुमाओं के पुस्तक व्यवस्था को भेदने इत्यादि के विभिन्न अधिकार दिए गये थे जैशों का विस्तार के साथ ऊपर वर्णन किया जा चुका है। इसी प्रकार जैसा कि सीमाश्रित प्रेम्पुलेशन में रक्षा गया है, विशेष आदेशों, उनमें ग्लाम और की कार्रवाई, नये-नये कर्म और उपलक्षण और की सजाओं का भी विधान किया गया। इतिहास में प्रेम्पुलेशन एक्ट को, आदिनी की एक विशेष धारा के द्वारा, और कड़ा कर दिया गया था।

'अनलापुल इन्विजिशन आर्दिनेन्स' के मातहत सरकार किसी पावने को इतिहासी पाव धोषित कर सकती थी और जो भी कोई व्यक्ति उसकी अदायगी में बाधक होता उसे ६ महीने की और उसके साथ जुर्माने की भी सजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा पावना मिलना हो पर अदालत कलक्टर से यह कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी वसूल किया जाय और कलक्टर उसे मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करवा सकता था।

'अनलापुल अर्थोसियेशन आर्दिनेन्स' के मातहत, जैसा कि परिचमोत्तर सीमाश्रित प्रेम्पुलेशन के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार गैरकानूनी अदालतों की संस्था को समाप्त कर और उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को अपने कब्जे में कर सकती थी। ऐसे रुपये-पैसे को प्रान्तीय सरकार जम्मा भी कर सकती थी। जिस किसी के पास ऐसा रुपया-पैसा हो उसे उस सम्बन्धी विधान विधान की जांच कराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसको खर्च न करने का हुक्म दे सकते थे। ऐसी हरेक संस्था को गैरकानूनी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सहित गवर्नर-जनरल की या के वाहन और व्यवस्था के अमल में बाधक होती हो तथा सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरनाक हो।

'प्रिवेन्शन ऑफ मॉलेस्टेशन एण्ड बायकाट आर्दिनेन्स' के मातहत उन सबको ६ महीने के या जुर्माने की सजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को तंग करते और उसका बहिष्कार करते या उसे तंग करने और उसका बहिष्कार कराने में सहायक होते। कोई आदमी दूसरे को सताने या तंग करने का अपराधी उस हालत में माना जाता था जबकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाले अन किसी व्यक्ति के कार्य में रुकावट डालता या उसके विरुद्ध हिंसा का व्यवहार करता या उसे किसी प्रकार की कोई धमकी देता या उसके मकान के आस-पास घूमता रहता या उससे मालमते में खलल डालता या किसी व्यक्ति को उसके यहाँ न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए अथवा ऐसा कोई काम करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो। बहिष्कार की परिभाषा यह की गई थी कि किसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवालों के साथ व्यापार का या और कोई सम्बन्ध न रखना, उनको कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, सामाजिक सेवाएँ (अर्थात् नार्ई, भंगी, घोषी, आदि के काम) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब बातें मामूली रूप में न करना या उनके साथ व्यापारिक या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना। किसी आदमी को चिढ़ाने की गरज से उसका स्थापना करना या उसका पुतला या मुर्दा बनाकर निकालना, ऐसा अपराध घोषित किया गया जिसके लिए ६ महीने के कैद या कैद और जुर्माने दोनों की सजाएँ हो सकती थीं।

इस प्रकार इन आर्दिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में ले लिये, जो अमली तौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये थे।

आर्दिनेन्स-कानून

के लिए नये सिरे से प्र...

में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुँच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार पटा नहीं लगा सकी, जहाँ से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में दिशापूर्व भी जारी होती रहती थी; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भङ्गी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने ज़रूर स्थानिक चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में खलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में आने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हाँ, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तिता केन्द्रित की गई। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैंकों, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और आम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह तो ख्याल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार लाभोश या नरम पक गई। आर्दिनेन्तों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहाँ तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अस्तित्व में किये गये जिनकी उन आर्दिनेन्तों तक में हज्जत नहीं थी, जो अपनी मयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझ गया कि उनमें संगठन का कुछ माद्दा है वा कांग्रेस क्षेत्र में उनका विरोध महत्त्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अक्टूबर १९२१ की सदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रखा गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराब-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश को स्वतन्त्र करने की भेष्ट भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कठार में खड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संपर्क होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इनकार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुँचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलार, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु अत्याग्रही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं। अस्थायी जेलों में रहना तो विलकुल ही नाकाबिल कार्त्तव्य था, क्योंकि उनमें टीन के जो छप्पर पड़े हुए थे उनसे न तो गर्म-शून की गर्मी का बचाव

पैसा, न निवास-स्थान । लेकिन इस आक्रामक और दृढ़ भ्रष्टे के वावजूद जो कॉमिंसी भी साधने हीन नहीं हो गये थे । जो जहाँ था वहाँ उसने काम शुरू कर दिया । कार्य सँभाल लिया कि १९३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सभाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमशः कार्य करने की एक सूची बनाई । कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अल्पज्ञ के सुपुर्द कर दिये । उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नाम अधिकार दे सकते थे । प्रान्तों में भी, जहाँ कहीं सम्भव हुआ, कॉमिंस-संगठन की सारी व्यक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्लुकों और गाँवों तक की कॉमिंस-केंद्रें बनीं । यही व्यक्ति आमतौर पर डिप्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए । कठिनार्थ सचिनय-अवस्था आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवस्था अपने लिए किन कानूनों को चुना जाय ? यह वो स्पष्ट ही है कि श्रेक या चाहे जिस भंग नहीं किया जा सकता । कॉमिंस की इस कठिनार्थ को व्यापक आर्दिनेन्सों ने हाथ अरु, भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्य की ओर से आदेश मिलता रहा । शराब और विदेशी फपड़े की दुकानों तथा विकेटिंग सब प्रान्तों में सेमान रूप से लागू हुईं । लगानबन्दी युक्तप्रान्त में काफी बर्तमान बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । बिहार व बंगाल के कुछ स्थानों टैक्स देना बन्द कर दिया गया । मध्यप्रान्त व बहार, बर्नार्टक, सुक्तप्रान्त, मद्रास प्रेसीडेन्स के कुछ स्थानों में जंगलाय वें कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, पक बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग वो अनेक स्थानों में किया गया । सभाओं और जरूर ही मनाही की गई, लेकिन नियेधाशत्रों के होते हुए भी सभायें हुईं और सुलूस भी लड़ाई की शुरुआत में स्वास-स्वास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बा उत्सव के दिन ही बन गये । ये किन्हीं स्वास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भण्डा दिवस, इत्यादि अभी कह चुके हैं, कॉमिंस वें दसठगें व आभमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था । स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से बापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन नेन्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में आना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिये प्रयत्न 'घावों' के नाम में मशहूर हैं । आर्दिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कॉमिंस का काम नहीं कर इस अवभाव की पूर्ति के लिए बेजान्बा इत्यवक, परने, संशद-पत्र, रिपोर्टे आदि निकाले गये, दार्प चिये हुये होने थे या साहजलौस्टाहल अथवा कुप्लीकेटर से निकाले हुए और कमी-कमी ल लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था । और क्रम न्म दे दिये जाते थे जिनका अन्तिम ही कहीं नहीं होता था । यह माफें की बात है कि पुलिस के पर भी ये संशद-पत्र और इत्यादि विपक्षित रूप से प्रकाशित होकर, जो कुछ होगा या उ देण की सबर् पट्टुवाने रहे । हाक और टार विभाग के दरवाजे कॉमिंस के लिए बंद हैं इत्यदि कॉमिंस ने अपनी हाक की मुद्र ही पट्टुवाने की व्यवस्था की — और वह प्रान्त के में हुये स्थान तक ही नहीं बल्कि प्रान्त-मिथि के कार्यालय में विभिन्न प्रान्तों तक की । कॉमिंस ने हुये स्थान तक ही नहीं बल्कि प्रान्त-मिथि के कार्यालय में विभिन्न प्रान्तों तक की । कॉमिंस ने हुये स्थान तक ही नहीं बल्कि प्रान्त-मिथि के कार्यालय में विभिन्न प्रान्तों तक की ।

में जाकर यह लागभग पूर्णता को पहुँच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहाँ से न केवल इस्तरफ़ ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भङ्गी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने जमीर स्वीचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में खलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी लादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हाँ, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियाँ केन्द्रित की गई। कई स्थानों में विदेरी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैचो, बीमा-कम्पनियों, विदेरी शक्कर, मिट्टी का तेल और ग्राम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का धोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार स्वामोरा या नरम पक़ गई। आर्दिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यदा तक कि दमन के कुल ऐसे तरीके भी अस्तिचार किये गये जिनकी उन आर्दिनेन्सों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियाँ बहुत बड़ी लादाद में हुईं, लेकिन ये की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब अत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझा गया कि उनमें संगठन का कुछ माहा है या कार्य-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुल शासन न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रक्खा गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-गाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की स्वतन्त्र करने की श्रेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कठोर में खड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संपर्क होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हीं दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के मय से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुँचा, जिसके परिणाम स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु अत्याग्रही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं। अस्थायी जेलों में रहना तो विलकुल ही नाकारिवल कर्दास्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छुथर पड़े हुए थे उनसे न तो मर्द-जल की गरमी का बचाव

में जाकर यह सगभग पूर्णता को पहुंच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरो का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं, और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भङ्गी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने जमीर स्वीचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में खलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को ठुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियां केन्द्रित की गईं। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, मिट्टिया दवाइयों, मिट्टिया बैचो, चीमा-कगनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और ग्राम चौर पर मिट्टिया माल के बहिष्कार का धोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निरिचत किये गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार लामोरा या नरम पक गई। आर्टिनेन्तों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहां तक कि दमन के कुल ऐसे ठीके भी अखिस्वयार किये गये जिनकी उन आर्टिनेन्तों तक में हजाजत नहीं थी, जो अपने भयकरता के लिए बदनाम हैं। यह करने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर। सज्ज पायेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझ गया कि उनमें गठन का कुछ माद्दा है या कांग्रेस क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' बलास में रक्खा गया। 'बी' बलास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' बलास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही था, बाकी जगह भी बहुत कम को ही यह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की स्वतन्त्र करने की भेष्ट भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए सासतौर पर कक्ष में लड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कार्यों से जेल-अधिकारियों के साथ अस्तर उभरा सफां होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; और बहुत बार सिद्धर व मृत्युं ऐंने सुन्य भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आत्मता से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इनकार करने पर मार-पीट और हमला करने के आत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुंचा, जिसके परिणाम-स्वरूप न्यायिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सज्ज-सदर-सदरियों के लार्डी से पीटे जाने की घटनायें तो अस्तर ही होती रहीं। आत्याची जेलों में रहना तो विलुप्त ही न्यायिक बर्दास था; क्योंकि उनमें टैन के को सुपर वंहे हुए व उनमें न तो मर-मृत को मार्यो का बचाव

देश, म विनाश-रूपन । लेकिन इस का परिणाम को इतु भारी के कारण को देखते वरते भी लक्षण हीन नहीं हो गये थे । जो जहाँ का वही जगते काम हुए करिवा । वरते जगते के लिए कि १९३० की तरह इस का लक्ष्मी होनेके लक्ष्मी की पूर्ति म की रूप को करार म भारी करेले में, जगती खुद की गिरावटों का लक्षण वारं, जगती वर मरुतः वरं करने वरते की एक लक्ष्मी बन गई । वारं-मरुत में जगती लगे अधिका अधिका के मुद्दों कर रिने करे कर उरते जगती गिरावटोंको को मौर दिया, जो मरुतः जगती उग्राधिकारोंको को लक्षण व अधिका दे गवने में । जगती ही भी, जहाँ वही गामर हुआ, वरित-संगठन की लक्ष्मी वर मरुत को दे दी गई । इसी प्रकार जगती, जगती, लक्ष्मी और गति तक की वरित-मरुतें हुआ । वही मरुतः जगती पर वरितेतर का लक्षणों के रूप में वरिते दुर । वर वरितेतर मरुतम अधिका जगतीलन के मरुतलको के लक्षण वर भी कि जगती जगती कर के लिए वरित वरुतोंको पुनः जगती । वर तो तरह ही दे कि होक व वरते वरित कर मंग नहीं किया जा सकता । कर्मिता की इस वरितेतर को मरुतम अधिका जगतीनेमें में इस का जगती, मरुत-मरुत दिवस गुने गये, जबकि कुछ वरितेको का समन-समय पर वरितेतर की ओर से जगती मरुतम मिलता रहा । जगती और वरितेरी करे की वरुतों तथा वरितेतर विरितेतर मरुत मरुतों में मरुतम रूप से लागू हुई । लक्षणवन्दी मुद्राप्रान्त में वरुत वही इतर बंगाल में अधिका रूप से एक महल का वरिते रहा । वरिते व बंगाल के कुछ लक्षणों में वरिते टैम देना वरुत वर दिया गया । मरुतप्रान्त व वरिते, वरुतकर, लक्षणप्रान्त, मरुतम प्रेसीडेन्सी लक्षण के मुद्रा रणानों में जगतीलन के वरुतों का मंग किया गया । गैरकानूनी नमक वरुतें, एक वरुतें वरुतें के रूप में नमक-कानून का मंग तो अनेक स्थानों में किया गया । मरुतम और वरुतों । जगती ही मरुतही की गई, लेकिन विरुतमरुतों के होते हुए भी मरुतमें हुई और वरुत भी वरुतें लक्षणों की वरुतमरुत में स्वाम-स्वाम दिनों का मरुतया जाना वरुत लोकरुतिया रहा । जो कि वरुत में उत्सव के दिन ही वरुत गये । ये वरुतें स्वाम घटनाओं या मरुतियों जगती वरुतों को लेकर मरुतें व जैसे गंधी दिवस, मोदीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, मरुतम दिवस, इत्यादि । वरुतें अभी वरुत सुके हैं, कर्मिता व वरुतमें व अधिका को सरकार ने अपने कर्मों में कर लिया था । वरुतः वरुतें स्थानों में उरुतें सरकारी कर्मों से वरुतम अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, वरुतका प्रयत्न उरुत अधिका नेन्व का मंग करना या जगती अधिका वरुत स्थानों में जाना विरुत और गैरकानूनी कर दे दिया गया वरुत प्रयत्न 'घावों' के नाम से मरुतम हैं । अधिका जगतीनेमें के कारण कोई प्रेस कर्मिता का काम नहीं कर सकता व इस अधिका की पूर्ति के लिए जगती अधिका वरुतमरुत, परवे, संवाद पत्र, रिपोर्ट अधिका निकाले गये, जो वरुत अधिका किये हुये होते थे या साइकलोस्टाइल अधिका डुप्लीकेटर से निकाले हुए और कमी-कमी हुये हुए वरुत लेकिन, जैसा कि कानून होना चाहिये, उरुतम प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था । और कमी-कमी दे नाम दे दिये जाते थे जगती अधिका ही कमी नहीं होता था । यह माके की बात है कि पुलिस के वरुतें वरुत पर भी ये संवाद-पत्र और वरुतमरुत नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ वरुतम था उरुतकी, व देश को वरुतें पहुंचाते रहे । वरुत और वरुत विभाग के वरुतम कर्मिता के लिए वरुत ही गये । इसलिए कर्मिता ने अपनी डाक को खुद ही पहुंचाने की मरुतम की—और वरुत प्रान्त के एक लक्षण से वरुतें स्थान तक ही नहीं बल्कि मरुतमिति के कार्यालय से विभिन्न मरुतों तक को । कमी-कमी व डाक ले जाने वाले स्वयंसेवक वरुतें भी गये और वरुत स्वभावतः उरुतें गिरुतमरुत कर लिया गया, या को

में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुंच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहाँ से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थी; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भङ्गी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने जमीर रक्षक चलाती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियामित काम काज में खलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियाँ केन्द्रित की गईं। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैंकों, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और ग्राम वौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का धोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार सामोरा या नरम पड़ गई। आर्दिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहाँ तक कि दमन के कुल ऐसे तरीके भी अस्विकार किये गये जिनकी उन आर्दिनेन्सों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियाँ बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे भी गईं सुन-सुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह सम्भव गया कि उनमें संगठन का कुल भाड़ा है या कांग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुल आसान न था। प्रच. ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रखा गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश को स्वतन्त्र करने की भेद्य भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कठोर में लपटे होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संघर्ष होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो नयादाल में भी पहुंचा, जिसके परिणाम स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सत्याग्रहों-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं। अस्थायी जेलों में रहना तो विलकुल ही नाकारबिल कार्य था; क्योंकि उनमें टीन के जो छुपर पड़े हुए थे उनसे न तो मर्द-जुल को गर्मी का बचाव

पैसा, न निराश-स्वाम । लेकिन एग खासतमक और दृढ़ धारण के बावजूद जो कपिली व
 भी साधने हीन नहीं हो गये थे । जो जहाँ या वहाँ उल्लेख काम शुरू कर दिया । कार्य-सन्धि
 लिया कि १९३० की तरह इस बार खासी होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाए और सर
 भारी परेशाने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद प्रमत्तः कार्य करने इच्छा
 की एक स्वीकृति बनाई । कार्य-सन्धि में अपने लोके अधिभार सम्पन्न के मुजुर् कर दिने और काम
 उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो प्रमत्तः अपने उत्तराधिकारियों को सम्पन्न व
 अधिभार दे सकते थे । स्थानों में भी, जहाँ करी सम्भव हुआ, काम्रेस-संगठन की लगी सत्त
 स्थिति को दे दी गई । इसी प्रकार जिल्लों, गणों, कस्बों और गाँवों तक की कर्मि-कर्मिनी
 हुआ । यही स्थिति आमतौर पर स्ट्रिक्टर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए । एक
 कठिनाई सविनय अग्रश आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अग्रश अग्रार काम
 के लिए दिन बान्दों को पुनः जाय । यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चारों दिवस काम
 मंग नहीं किया जा सकता । काम्रेस की इस कठिनाई को ध्यापक आर्दिनेन्सों ने इस करार
 अस्तु, भिन्न-भिन्न दिवस चुने गये, जबकि कुछ दिवसों का समय-समय पर कार्य-सन्धि
 की ओर से आदेश मिलता रहा । शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश
 विप्रेटिंग सब प्रान्तों में समान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी इतक
 बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । बिहार व बंगाल के कुछ स्थानों में चौकी
 टेक्स देना बन्द कर दिया गया । मध्यप्रान्त व बगर, बर्नार्टक, उत्तरप्रान्त, मद्रास प्रेसीडेन्सी तथा
 के कुछ स्थानों में जंगलात के बान्दों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र करने
 बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया । सभाओं और कुल्लों व
 जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निर्पेक्षाओं के होते हुए भी सभायें हुईं और कुल्लू भी निराने
 लकार की शुरुआत में खाम-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद में
 उत्सव के दिन ही बन गये । ये किन्हीं खास घटनाओं या स्थितियों अथवा कार्यों को लेकर मनाये जा
 जैसे गांधी दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भ्रष्टा दिवस, इत्यादि । वे
 अभी वह खुके हैं, काम्रेस के दसवों व आठवों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था । अतः
 स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उल्ले
 नेन्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया
 वे प्रयत्न 'घावों' के नाम से मशहूर हैं । आर्दिनेन्सों के कारण कोई प्रेस काम्रेस का काम नहीं कर सकता
 इस अभाव की पूर्ति के लिए बेजान्वा हस्तगत्रक, पत्रे, संवाद-पत्र, रिपोर्ट आदि निकाले गये, जो या
 टाइप किये हुये होते थे या साइकलोस्टाइल अथवा डुप्लीकेटर से निकाले हुए और कभी-कभी छपे हुए
 लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था । और कभी-कभी
 नाम दे दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही नहीं होता था । यह माके की बात है कि पुलिस के सर्कल
 पर भी ये संवाद-पत्र और हस्तगत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो कुछ होरहा था उसकी
 देश को खबरें पहुँचाते रहे । डाक और तार विभाग के दरवाजे काम्रेस के लिए बंद हो गये
 इसलिए कार्यसेने अपनी डाक को खुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की—और वह प्रान्त के एक
 से दूसरे स्थान तक ही नहीं बल्कि महासमित के कार्यालय से विभिन्न प्रान्तों तक को । कभी-कभी
 डाक ले जाने वाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये और सब स्वभावतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या
 कारंवाई की गई । १९३० के आन्दोलन के उत्तरार्द्ध में कस्तुरः यह प्रथा प्रारम्भ हुई थी और १९

में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुंच गई। श्रौर तो श्रौर पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं, श्रौर जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया श्रौर काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ श्रौर जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भांड़ी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने अजीब सींचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में चलल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हां, बहिष्कार में बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियां केन्द्रित की गईं। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैचो, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और आम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार सामोरा या नरम पड़ गई। ब्रांडिनेन्टों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहा तक कि दमन के कुल्ल ऐसे तरीके भी अख्तियार किये गये जिनकी उन ब्रांडिनेन्टों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन ने की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझ गया कि उनमें घगठन का कुल्ल माहा है या कांग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुल्ल आसान न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रक्त्ता गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। श्रौर 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, थाकी जगह भी बहुत कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की स्वतन्त्र करने की भेष्ट भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए सासतौर पर कठार में सजे होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संपर्क होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सज्जयें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, श्रौर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुलूम भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट श्रौर हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुंचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सत्याग्रही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं। अस्थायी जेलों में रहना तो चिलकुल ही नाकारिल बर्दाश्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो लुप्टर पड़े हुए थे उनसे न तो मर्द-मृत की गर्मी का बचाव

पैसा, न निवास-स्थान । लेकिन इस आकस्मिक और हृद् भ्रष्ट के बावजूद जो कॉमिंस ने वचनों में भी साधन-हीन नहीं हो गये थे । जो जहाँ था वहीं उसने काम शुरू कर दिया । कार्य समिति ने उस लिया कि १९३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमशः कार्य करने करने की एक सूची बनाई । कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अभ्यक्ष के सुपुर्द कर दिये और अपने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद कर अधिकार दे सकते थे । प्रान्तों में भी, जहाँ कहीं सम्भव हुआ, कॉमिंस-संगठन की सारी सलाह व्यक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार जिल्लों, थानों, ताल्लुकों और गांवों तक की कॉमिंस-कमिटियों में हुआ । यही व्यक्ति आमतौर पर डिप्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए । एक कठिनार्थ सविनय-अवस्था आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवश्य अर्थात् भारत के लिए किन कानूनों को चुना जाय ? यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चारों जिन कानून भंग नहीं किया जा सकता । कॉमिंस की इस कठिनार्थ को व्यापक आर्बिटनेन्सों ने हल कर दि अस्त, भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-गो की ओर से आदेश मिलता रहा । शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश प्रोड पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान-रूप से लागू हुईं । लगानबन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी इतरक बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व बंगाल के कुछ स्थानों में चौकी टैक्स देना बन्द कर दिया गया । मध्यप्रान्त व बरार, बर्नोटक, एकप्रान्त, मद्रास प्रेसीडेन्सी तथा के कुछ स्थानों में जंगलात के कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, एकन करने बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया । सभाओं और जुलूसों के जरूर ही मनाही की गईं, लेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी समारोहों और जुलूस भी निकाले लफाई की शुभश्राव में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद में नि उत्सव के दिन ही बन गये । ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मनाये जाँ जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भद्रहा दिवस, इत्यादि । हीं अभी कह चुके हैं, कॉमिंस के दशकों व आधमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था । अतः इ स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से बाहर अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस का नेत्र का भंग करना था जिसके अनुभार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया ये प्रयत्न 'घावों' के नाम से मशहूर हैं । आर्बिटनेन्सों के कारण कोई प्रैस कॉमिंस का नाम नहीं कर सकता । इस अभाव की पूर्ति के लिए बेकाम्पा इस्तराफक, परचे, संवाद-पत्र, रिपोर्टर आदि निकाले गये, जो क टाहप किये हुये होते थे या साइबलीस्टाइल अथवा बुल्कीकेटर से निकाले हुए और कमी-कमी हुये हुए । लेकिन, बैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर प्रैस या मुद्रक का नाम नहीं होता था । और कमी-कमी नम दे दिये जाते थे किन्तु अतिवृत्त ही करी नहीं होता था । यह माँके की बात है कि पुलिस के सर्जेंट पर भी वे संवाद-पत्र और इस्तराफक निर्दम्य रूप से प्रकाशित होकर, जो कुछ बोलना था उबकी, । टैप को खरें पढ़वाने रहे । हाक और टार विभाग के दरवाजे कॉमिंस के लिए बंद हो गये इस्तराफक ने अपनी हाक को खुर ही पढ़वाने की व्यवस्था की — और वह प्रान्त के एक से से हुले स्थान तक ही नहीं बल्कि प्रत्येक के कार्यलय से विभिन्न प्रान्तों तक को । कमी-कमी हाक ने बन्दे करने लगेबन्द पढ़ने भी गये और सब स्वतन्त्र-उन्हे विरुद्ध कर लिया गया, या क कार्रवाई की गई । १९३० के आन्दोलन के उत्साह में बम्बय पर महा प्रारम्भ हुई थी और १९३१

में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुंच गई। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हस्ताक्षर ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिल्लों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भड़ी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने जरीर स्थानकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में ललल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तिवां केन्द्रित की गई। कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैकें, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, मिट्टी का तेल और ग्राम दौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निश्चित किये गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार सामोरा या नरम पड़ गई। ब्रांडिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहाँ तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अस्तित्वात किये गये जिनकी उन ब्रांडिनेन्सों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी मयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल बानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझ गया कि उनमें संगठन का कुछ मादा है या कांग्रेस क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुछ आसान न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी' क्लास में रखा गया। 'बी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की स्वतन्त्र करने की भेष्ट भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कठोर में सड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अस्वर उन्मत्त संघर्ष होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजामें उन्हे दी जाती रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने क अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुंचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सत्याग्रही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की भटनायें तो अस्वर ही होती रही। अस्थायी जेलों में रहना तो बिलकुल ही नाकाबिल ब्यास्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छुप्पर पड़े हुए थे उनसे न तो मई-जून की गरमी का बचाव

पैसा, न निवास-स्थान। लेकिन इस आकस्मिक और दृढ़ भावने के बावजूद जो कांग्रेसी स्वयं से भी साधन-हीन नहीं हो गये थे। जो जहाँ था वहीं उसने काम शुरू कर दिया। कार्य-समिति ने कहा लिया कि १९३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सरदार बनभाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमशः कार्य करने वाले लोगों की एक सूची बनाई। कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अर्पण के सुपुर्द कर दिये और अर्पण उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करके अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहाँ कहीं सम्भव हुआ, कांग्रेस-संगठन की घाटी खोली जाकर व्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्लुकों और गाँवों तक की कांग्रेस-कमिटीयों में हुआ। यही व्यक्ति आमतौर पर डिप्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक कठिनार्थ सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवज्ञा अर्पण प्रान्तों के लिए बिन कानूनों को चुना जाय। यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चारों जिले का भंग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की इस कठिनार्थ को व्यापक आर्दिनेन्तों ने हल कर दिया अस्तु, भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाही-कार्य की ओर से आदेश मिलता रहा। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश माल विकेटिंग सब प्रान्तों में समान रूप से लागू हुई। लगानबन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी इतरा बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा। बिहार व बंगाल के कुछ स्थानों में चौकीदार टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व बरार, वर्नाटक, युक्तप्रान्त, मद्रास प्रेसीडेन्सी तथा के कुछ स्थानों में जंगलात व वानुओं का भंग किया गया। गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र करने व बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया। सभाओं और जुलुओं की जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभायें हुईं और जुलुस भी निकाले गए लड़ाई की शुरुआत में स्वाम-स्वाम दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा। जो कि बाद में वि-उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्हीं त्यस घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मन्ने जाते जैसे गांधी दिवस, भोष्ठीलाल-दिवस, सीमाप्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भएटा दिवस, इत्यादि। जैसे अभी कह चुके हैं, कांग्रेस वं दसवों व आधमों को सरकार ने अपने बन्ने में कर लिया था। अतः कि स्थानों में उन्हें सरकारी बन्ने से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस बन्ने के निन्स का भंग करना था जिसने अनुभार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे दिया गया व प्रयत्न 'घावों' के नाम से मराहूर हैं। आर्दिनेन्तों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकता इस अभाव की पूर्ति के लिए बेज्वाहा इस्तराबक, परने, संवाद-पत्र, रिपोर्टें आदि निकाले गये, जो का दायर किये हुये होते थे या साइबलोरियाहल अथवा बुल्लीकेटर से निकाले हुए और कभी-कभी छुपे हुए भी लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कभी-कभी नाम दे दिये जाते थे किन्तु अश्लिल ही नहीं होती शोका था। यह माँके की बात है कि पुलिस के मुर्कटों पर भी ये संवाद-पत्र और इस्तराबक निर्दम्य रूप से प्रकाशित होकर, जो कुछ होकर या उबरी, देश को लहरें पड़वाने रहे। हाक और लार विभाग के दफ्तारे कांग्रेस के लिए बंद हो गये। इस्तराबक कांग्रेस ने अपनी हाक को मुद्र ही पड़वाने की व्यवस्था की—और वह प्रान्त के एक एक से हुको इस्तराबक ही नहीं बल्कि माँके-प्रिन्ट के कार्कलय में विभिन्न प्रान्तों तक को। कभी-कभी हाक ने बने बने इस्तराबक पढ़ने भी गये और तब इस्तराबक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, या की कार्कटों की गई। १९३० के आन्दोलन के उत्तरार्द्ध में बम्बय व बंगाल प्रायतन हुईं थी और १९३१

में जाकर यह लगभग पूर्णता को पहुँच गईं। और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहाँ से न केवल हस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दोलन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा तैयार हो गया और काम चलाने लगा। दूसरी बात जिससे कि लोगों में बढ़ा उत्साह पैदा हुआ और जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके बाद प्रान्तों व जिलों की परिषदों के रूप में देशभर में कांग्रेस-सम्मेलनों की भङ्गी लग गई। कई जगह स्वयंसेवकों ने जमीर खींचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में ललल डालने की कोशिश की। एक बार तो रेलों को नुकसान पहुँचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेष्टा को प्रोत्साहन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई।

हाँ, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा। इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तियाँ केन्द्रित की गईं। कई स्थानों में विदेही कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैगों, धीमा-कम्पनिशों, विदेही शक्कर, मिट्टी का तेल और ग्राम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का धोरदार आन्दोलन करने के लिए अलग-अलग सप्ताह भी निर्दिष्ट किये गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार सामोरा या नरम पड़ गई। आर्दिनेन्तों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया। यहाँ तक कि दमन के कुल्लू ऐसे तरीके भी अस्विकार किये गये जिनकी उन आर्दिनेन्तों तक में इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयंकरता के लिए बदन्याम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत बड़ी तादाद में हुईं, लेकिन वे की गईं चुन-चुन कर। सजा पानेवालों की कुल संख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कैम्प तथा अस्थायी जेलों के बनावे जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समझ गया कि उनमें संगठन का कुल्लू माहा है वा कांग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कुल्लू आसान न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'वी' क्लास में रखा गया। 'वी' क्लास में बहुत कम लोग रखे गये। और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम हो रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश को स्वतन्त्र करने की भेष्ट भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कठोर में खड़े होने, बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधिकारियों के साथ अक्सर उनका संघर्ष होजाता था, जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, और बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे शुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये जा सकते हैं। एक लाख तरह की अपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला करने के अत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुँचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई; परन्तु सत्याग्रही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं। अस्थायी जेलों में रहना तो बिलकुल ही नाकारणिक बर्दाश्त था; क्योंकि उनमें टीन के जो छुपर पड़े हुए थे उनमें न तो मई-जून की गर्मी का बचाव

येसा, न निवास-स्थान । लेकिन इस आकरिमक और हट्ट भण्डे के बावजूद जो काम्रेसी बच रहे थे वे भी साधन हीन नहीं हो गये थे । जो जहाँ था वहीं उसने काम शुरू कर दिया । कार्य-समिति ने तब कर लिया कि १९३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय और सरदार वल्लभभाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद क्रमशः कार्य करने वाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई । कार्य-समिति ने अपने सारे अधिकार अध्वक्ष के सुपुर्द कर दिये और अध्वक्ष ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करके वे अधिकार दे सकते थे । प्रान्तों में भी, जहाँ कहीं सम्भव हुआ, काम्रेस-संगठन की सारी सत्ता एक ही व्यक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार जिलों, थानों, ताल्लुकों और गांवों तक की काम्रेस-कमिटियों में भी हुआ । यही व्यक्ति आमतौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए । एक ही कठिनार्थ सविनय-अवज्ञा आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवश्य अर्थात् आशा-भंग के लिए विन कानूनों को चुना जाय ! यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कानून का भंग नहीं किया जा सकता । काम्रेस की इस कठिनार्थ की व्यापक आर्दिनेन्सों ने हल कर दिया । अस्तु, भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-सङ्घर्ष की ओर से आदेश मिलता रहा । शराव और विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश माल की पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान-रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी हद तक और बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । बिहार व बंगाल के कुछ स्थानों में चौकीदारी-टैक्स देना बन्द कर दिया गया । मध्यप्रान्त व बरार, बनोटक, युक्तप्रान्त, मद्रास प्रेसीडेंसी तथा बिहार के कुछ स्थानों में जंगलात के कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र करने और बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया । सभाओं और जुलूसों की तो जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निषेधाज्ञाओं के होते हुए भी सभायें हुईं और जुलूस भी निकाले गये । लड़ाई की शुरुआत में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद में विशेष उत्सव के दिन ही बन गये । ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मनाये जाते थे, जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाप्रःतीथ-दिवस, शहीद-दिवस, भण्डा दिवस, इत्यादि । जैसे कि अभी वह सुके हैं, काम्रेस के दशतमें व आधमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया था । अतः अनेक स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उस आर्दिनेन्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी थे प्रयत्न 'घावों' के नाम से मराहूर हैं । आर्दिनेन्सों के कारण कोई प्रेस काम्रेस का काम इस अभाव की पूर्ति के लिए वेसाञ्चा इस्तेमाल, परन्तु, संवाद-पत्र, रिपोर्ट आदि । ग्रहण किये हुये होते थे या साइबलोरस्टाइल अथवा टुप्सीकेटर से । लेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं दिये जाते थे जिनका अस्तित्व ही कहीं नहीं होता था । यह माफ़े की पर भी वे संवाद-पत्र और इस्तेमाल निषिद्ध रूप में देश को स्वयं पढ़ाते रहे । हाक और ठार विभाग के इस्तेमाल काम्रेस ने अपनी हाक को खुद ही पढ़वाने की ते दूसरे स्थान तक ही नहीं बल्कि महासमिति के कार्यालय हाक ले जाने वाले स्वयंसेवक पढ़ने भी गये और तब फार्वार्ड की गई । १९३० के आन्दोलन के उत्तरार्ध में

के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की शक्ति में से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा बहा के निवासियों से वसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कुल चार-पांच स्थानों में, जहाँ ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपया बर्बाद के निवासियों से ताजीरी वर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतंक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांश ठां सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर आस-पास के स्थानों में चले गये। उन्हें इतने अवर्णनीय कष्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक सुर्माणे भी किये गये, जिनकी वसूली बर्बाद रहनेवाले लोगों से की गई। देरा के कई स्थानों में गोली-बार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा पायल हुए। इसमें सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की तफ़्तील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है। सब स्थानों या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून बाह्य उपाय प्रदण किये और उनके परिष्कार-स्वरूप सर्व-साधारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम योद्धा भी प्रयत्न करें तो उसी का एक बड़ा पोथा तैयार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और इरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश-भारत तक ही यह महदूद रहा हो। (बवेललण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफें उठाईं।

जिन आश्रमों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-भष्ट कर दिया गया; यहाँतक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई।

अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों से जमानतें मांगी गईं, बहुतों की जमानतें जम्ब की गईं, और बहुत-से अखबारों को जमानत जमा न कर सकने या प्रेष जत्त हो जाने अथवा सरकार की प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पड़ा।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिलकुल स्पष्ट थी। यह यह कि लोगों ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अचलम्बन नहीं लिया। अहिंसा की शिवा उनमें बड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो बन्द हफ्तों में ही उसे पतम कर देने की आशा की थी। यह कहे तो-मो अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आदिने-त्यों का सहारा लिया गया, जो कि समस्त कानून और सम्म-शासन के मूलभूत सिद्धांतों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अग्रगण्य गया होता तो आन्दोलन को दबाने में सरकार को और भी कठिनाई होती। इधर कांग्रेसवालों को भी, उनके लिए आशागमन के सब सुते साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, समाप्तः गुप्त उपायों की और मुक्य्य पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, सुक्य्य और विशेष सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बचकर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपने को पूरा पटु साबित किया। कांग्रेसवालों के बने रहने और हस्त-वर्कों के नियमित प्रकाशन द्वारा जनता व कांग्रेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की दिशाओं पटु-धारे रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। सरकार के लिए यद्यपि बहुत बड़ी शकम की जम्बत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होने-कला लड़ाई के लिए तो वह भी पर्याप्त है। यह सीमाय की बात

था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इससे वहां तन्दुरुस्ती अच्छी रहती थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलों ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हद तक नर्दासत किया जाता था, लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हालात तो कुछ जेलों का भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का प्य बहुत बिगड़ रहा था। पेचिस का तो सभी समय जोर था, वर्या और ठण्ड के साथ निमोनिया रुके की नाशुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ दबोचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-बहुत जेलों के साम होनेवाला वर्तव्य निर्भर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आमतौर पर विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

साठी मार-मारकर लोगों की मीढ़ और जुलूसों को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने शुरू में ही अख्तियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही जहां आन्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों और फिर भी साठी-प्रहार न हुआ हो। बोट गालों की संख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गद्दी चोटें लगतीं। लोगों को यादत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी जगह जा रहे हों, आग्रह कहीं घटना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देना क्या है, लेकिन जब साठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें से कौन-कौन-कौन के लिए एकत्र हुए हैं कौन किस-किसी के लिए हैं। यह आम चर्चा थी कि इनके में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। और तो और, विषम, और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बरखा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। मार-पिटार्ई की सख्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोलो स्वाकर मजाने को तैयार थे—लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-बहुत बरदाश्त न कर सकेंगे। अतएव सत्ता देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो इतने रकम पाव आकी तक चली जाती थी। जहां मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देना बन्द था वहां तो ऐसी बकाया रकमों और करों की तथा जुर्मानों की यमूली के लिए न केवल उन्हीं मिलिक्यल पर ध्यान बोला गया जिनमें कि उन्हें बयान करना वाजिब था, बल्कि साथ में मजदूर-की और कभी-कभी तो नाने-गिरेहों की मिलिक्यल भी कुछ-कुछ देना बाला गये। कुर्सी की तक ही बात रहती तो भी मनीष्य थी, लेकिन वहां तो कुर्सी के बाद बहा-बहो कोमत की लो को बिलकुल कोही के ही मोल देना बाला गया। और कुर्सी व बिर्सा की बान्नी बार्दार्ई नुकर जो दुपदादी बात हुई वह तो ही कानून से बाहर जाकर गैर-बान्नी तरीकी से लगान और नुकराने दुईनाय, जिन हदय-होन जुट और बरबादी ही वह मको है। न केवल कमीना, लुटे, मारने, मोरो और मही बलम जेनी बलममर्ति ही कुछ-कुछ देना या कभी कभी नर है, बल्कि जर्मन हो काया भी बरी बोहा मक। दुपदाय, दुप-दाय और बन्नेट के बयान में ही जो आब भी जेने से हाव बोने रहे हैं, लम्बिक उनका बरदाश्त बिलकुल नो-पुन-करीके जिन लक्ष को बुझने से उरने ह-बाय दिव, सारा साने को ही। जो आब को बताने ही प्रक उरते ही नो दिव-न-दिनी म-ह नमे वह बुझ ही रहे। मक तो ह ने जन्मे उनका लक्ष ही बरि ही। बकाय सारा बकाय की बयान ही ही मक होना मक नो नो बरि मक। दुपदाय के दिव-के ही मक नो नो बयान नो नो

के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की श्रमि में से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा वहाँ के निवासियों से वसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों में, जहाँ ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपा वहाँ के निवासियों से ताजीरी कर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतंक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर आस-पास के स्थानों में चले गये। उन्हें इतने श्रवर्णनीय कष्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक सुमने भी किये गये, जिनकी वसूली वहाँ रहनेवाले लोगों से की गई। देश के कई स्थानों में गोली-बार भी हुए, जिनमें अनेक न्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए। इसमें सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की तफ़्तील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है। सब स्थानों या स्थितियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून बाह्य उपाय ग्रहण किये और उनके परिष्कृत-स्वरूप सर्व-साधारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम योश भी प्रयत्न करें तो उसी का एक बड़ा पोधा तैयार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश-भारत तक ही यह महदूद रहा हो। (बघेलखण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफें उठाईं।

जिन आश्रमों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई।

अखबारों को बंदी कठिनार्थ का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों से जमानतें मांगी गईं, बहुतों की जमानतें जम्ब की गईं, और बहुत-से अखबारों को जमानत जमा न कर सकने या प्रेष जन्त हो जाने अथवा सरकारों महार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पड़ा।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिलकुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगों ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं किया। अहिंसा की शिक्षा उनमें बड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो बन्द-हफ्तों में ही उसे खत्म कर देने की आशा की थी। यह कहे तो-भी अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आदिनेत्यों का सहारा लिया गया, जो कि समस्त कानून और सम्ब-शासन के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन को दबाने में सरकार को और भी कठिनार्थ होती। इधर कामेसवालों को भी, उनके लिए आवागमन के सब सुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभागतः गुप्त उपायों की और झुकना पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विरोध सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बच-कर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपने को पूरा पट्टु सार्वित किया। कांग्रेस कार्यालयों के बने रहने और हस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कामेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की दिशाओं पट्टु-घाते रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सीमाभ्य की बात

था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इनसे वहाँ तन्दुरुस्ती अच्छी रह नहीं पाती थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलों ऐसी भी थीं जहाँ का व्यवहार किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता था; लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर अथवाद-स्वरूप ही था। हालत तो कुछ ऐसी जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का जख्म बहुत बिगड़ रहा था। पेचिस का तो सभी समय जोर था, वर्षा और ठण्ड के साथ निमोनिया कब्जे की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ दबोचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। उनमें जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावकाश बढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-कुछ जेलों के साथ होनेवाला बर्ताव निर्भर था; और वे, कुछ खास अथवादों को छोड़कर, आमतौर पर धिक्कशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलूसों को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने शुरू में ही अख्तियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही जहाँ आन्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो। बोट गालों की संख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगतीं। लोगों को आदत थी कि जहाँ सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी जगह जा रहे हों, अथवा कहीं घटना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए छुट जाते थे कि देखें क्या है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन सिर्फ तमाशाबीन हैं। यह आम चर्चा थी कि अनेक जगह तो इतने जोरो-शुह्रम हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। और तो और, स्वयं, और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बर्खा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। मार-पिटवाई की शक्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोली खाकर मर जाने को तैयार थे—लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-बर्दाश्त न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कमी-कमी तो कहीं रकम पांच अकों तक चली जाती थी। जहाँ मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देना बन्द था वहाँ तो ऐसी बकाया रकमों और करों की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवल उनकी मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूल करना वाजिब था, बल्कि साथ में सयूक-की और कमी-कमी तो नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत भी मुर्क करके बेच डाली गई। कुर्बानी तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो कुर्बानों के बाद बड़ी-बड़ी कोमत की जगहों की बिलकुल कौड़ी के ही मोल बेच डाला गया। और कुर्बानों व विपियों की कानूनी कार्रवाई बहुत जो दुःखदायी बात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी तरीकों से सत्याग्रही को मुकद्दाम पहुचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और बर्बादी ही कह सकते हैं। न केवल कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, मद्रास और मद्रास प्रमल जैसी चल-सगति ही मुर्क करके बेच या कमी-कमी नष्ट कर दी गई, बल्कि जर्मन और फारसी भी नहीं छोड़ा गया। गुजरात, मुक-प्रान्त और कर्नाटक में बहुत ही बुराई हुई जो आज भी जर्मनों से हाथ धोये बैठे हैं, हालांकि उनका कष्ट-महन बिलकुल संशुद्ध-क्योंकि जिस रकम को बुराई से उठाने इन्कार किया, अगर अपने को छोड़ें अपने मात-पिता को बचाना ही उनका उद्देश्य होता तो किसी-किसी तरह उंगे पर मुखा ही देते। मर तो वे भी आसानी से आसानी से मर ही हैं। क्योंकि अगर बकाया की गणनी ही प्रमाण होता तो वे आसानी से मर ही हैं। गुजरात के किसानों को और मालगुजारी न देने

के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की अधि में से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका खर्चा वहाँ के निवासियों से वसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों में, जहाँ ऐसी अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ५ लाख ७० हजार रुपये वहाँ के निवासियों से ताजीरी कर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी कौज की तैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतंक फैला कि जिनके दो यानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर आस-पास के स्थानों में चले गये। उन्हें इतने अवर्णनीय कष्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुमाने भी किये गये, जिनकी वसूली वहाँ रहनेवाले लोगों से की गई। देश के कई स्थानों में गोली-बार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा घायल हुए। इसमें सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की तरफील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है। सब स्थानों या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून बाह्य उपाय प्रदत्त किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करें तो उसी का एक बड़ा बोधा उँवार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकंठे ब्रिटिश-भारत तक ही यह महदूद रहा हो। (बयेलतण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलोंफें उठाई।

जिन आश्रमों और कार्यस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया, यदातक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई।

अखबारों को बंदी कठिनार्थ का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों से जमानतें मागी गईं, बहुतों की जमानतें जम्ब की गईं, और बहुत-से अखबारों को जमानत जमान न कर सकने या प्रेष जम्ब हो जाने अथवा मरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पड़ा।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिलकुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगों ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं लिया। अहिंसा की शिक्षा उनमें जड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो चन्द हफ्तों में ही उसे खत्म कर देने की आशा की थी। यह कई तो-भी अविशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आदिनेयों का सहाय किया गया, जो कि समस्त कानून और सम्प-शासन के मूलभूत सिद्धांतों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन को दबाने में सरकार को और भी कठिनार्थ होनी। इधर कार्यसवालों को भी, उनके लिए आवागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावतः गुप्त उपायों की और झुंझना पड़ा। लेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विशेष सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बचकर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपने को पूरा पटु साक्षित किया। कांग्रेस कार्यालयों के बने रहने और हस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कार्यसियों को नये-नये कार्यक्रमों की दिशाओं पटु-चिते रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं, लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सौभाग्य की बात

था, न दिसावर-जनवरी की टण्ड का ही बचाव होता था। इसमें वहाँ तन्दुस्ती अच्छी रहनी थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलों ऐसी भी थीं जहाँ का व्यवहार किसी हद तक नदारत किया जाता था; लेकिन यह तो नियम नहीं बल्कि किमी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हालत तो कुछ जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का व्यय बहुत विगड़ रहा था। पेचिस का तो सभी समय जोर था, बर्ग और टण्ड के साथ निमोनिया रुड़े की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ दबोचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। मैं बिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-बहुत जेलों के साथ होनेवाला वर्ताव निर्भर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आमतौर पर विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलूसों को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने शुरू में ही अस्वियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही जहाँ आन्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो। चोट गलों की संख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगीं। लोगों को यादत थी कि जहाँ सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी जगह जा रहे हों, अथवा कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें क्या है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें से कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन सिर्फ वमाशरीन हैं। यह आम चर्चा थी कि अनेक में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। और तो और, शिवों, और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बरखा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। मार-पिटवाई की सख्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोलो खाकर मरजाने को तैयार थे—लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-बहुत धरदाश्व न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो की रकम पांच अकों तक चली जाती थी। जहाँ मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देना बनया बहा तो ऐसी बकाया रकमों और करों की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवल उन्हें मिलिक्यत पर घावा बोला गया जिनमें कि उन्हें वसूल करना वाजिब था, बल्कि साथ में सयुक की और कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिलिक्यत भी कुर्क करके बेच डाली गई। कुर्क की तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो कुर्क के बाद बड़ों-बड़ों कीमत की वस्तुओं को बिलकुल कीड़ी के ही मोल बेच डाला गया। और कुर्क व शिवों की तान्नी कार्रवार बढ़कर जो दुश्चर्याची बात हुई यह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी तरीकों से सत्याग्रही नुकसान पहुँचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और बरबादी ही कह सकते हैं। ग केरल कमीशन, एण्डे, गर्ने, मवेशी और लकी पगल जैसी चल-मशाति ही कुर्क करके बेच या कभी-कभी नष्ट कर दीं, बल्कि जर्मन और फार भी नहीं छोड़ा गया। गुजरात, युक्त-प्रान्त और कनाटक में बहुत से ही जो आज भी जमीनों से हाथ धोये बैठे हैं, हालाँकि उनका कष्ट-महन बिलकुल संख्या-

के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की अधि में से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी वे हिम्मत न हारे। स्थानों में अतिरिक्त ताजीरी-पुलिस वैनात की गई और उसका खर्चा वहाँ के निवासियों से वसूल किया गया। बिहार-प्रान्त के कुल चार-पाँच स्थानों में, जहाँ ऐसी अतिरिक्त पुलिस वैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपये वहाँ के निवासियों से ताजीरी कर के रूप में वसूल किया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की वैनाती से ऐसा सर्वनाश और आतंक फैला कि जिले के दो स्थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से अधिकांश तो सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर आस-पास के स्थानों में चले गये। उन्हें रहने अर्थात् वर्णनीय कष्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी स्त्रियों की मृत्यु तक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुमाने भी किये गये, जिनकी वसूली वहाँ रहनेवाले लोगों से की गई। देश के कई स्थानों में गोली-बार भी हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवालों से भी ज्यादा धायल हुए। इसमें सीमाप्रान्त का नम्बर सबसे आगे रहा।

इस विषय की एकसील में उतरकर इस वर्णन को भाष्कृत करना अनावश्यक है। सब स्थानों या व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-बाह्य उपाय प्रदत्त किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को जो कष्ट-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा भी प्रयत्न करें तो उसी का एक बड़ा बोधा पैपार हो जायगा। यह आन्दोलन तो देशव्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा की थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश-भारत तक ही यह महदूद रहा हो। (बपेलखण्ड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) और अनेक रियासतों के कार्यकर्ताओं ने भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफें उठाईं।

जिन आश्रमों और कांसेस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नष्ट-प्रष्ट कर दिया गया, यथातक कि कहीं-कहीं तो उनमें आग भी लगा दी गई।

अखबारों को बंदी कठिनार्थ का सामना करना पड़ा। बहुत-से अखबारों से अपानतें मांगी गईं, बहुतों की जमानतें जन्त की गईं, और बहुत-से अखबारों की जमानत जमा न कर सकने या प्रेष जन्त हो जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पड़ा।

इस आतंक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिलकुल दृष्ट थी। वह यह कि लोगों ने किसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं किया। अहिंसा की शिष्टा उनमें जड़ पकड़ चुकी थी, जिसके कारण महीनों तक आन्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो चन्द इफ्तों में ही उसे खत्म कर देने की आशा की थी। यह कहें तो—भो अतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आर्द्धिनेयों का सहाय किया गया, जो कि समस्त कानून और सम्बन्ध-शासन के मूलमूल सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें अगर न अपनाया गया होता तो आन्दोलन को दबाने में सरकार को और भी कठिनार्थ होती। इतर कामेसवालों को भी, उनके लिए आचारागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, सभावतः गुप्त उपायों की और भुक्त पड़ा। लेकिन हममें भी साधारण, खुफिया और विशेष सब तरह की पुलिस के विस्तृत जाल से बचकर काम करने की शक्ति में उन्होंने अपने को पूरा पटु साबित किया। कामेस कार्यालयों के बने रहने और इस्तफकों के नियमित प्रकाशन-द्वारा जनता व कामेसियों को नये-नये कार्यक्रमों की दिशाओं पटु-चाते रहने का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। सत्याग्रह के लिए यद्यपि बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं, लेकिन रहने बिलकुल वैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए तो वह भी चाहिए ही। यह सौभाग्य की बात

होता था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इससे वहां तन्दुरुस्ती अच्छी रह नहीं सकती थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलों ऐसी भी थीं जहां का व्यवहार किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता था; लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किमी कदर अपवाद-स्वरूप ही था। हालत तो कुछ स्थायी जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था। पेचिस का तो सभी समय जोर था, सर्प और ठण्ड के साथ निमोनिया व फेफड़े की नाजुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ दबोचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गये। जेलों में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-बहुत जेलों में उनके साथ होनेवाला बर्ताव निर्भर था; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आमतौर पर न तो विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलुओं को भंग करने का तरीका तो पुलिस ने शुरूआत में ही अख्तियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी रही होगी जहां आन्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो। चोट खानेवालों की संख्या भी कुछ कम न थी। अनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगीं। लोगों को यह आदत थी कि जहां सत्याग्रहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किसी धावे पर जा रहे हों, अथवा कहीं घरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देलें क्या होता है, लेकिन जब लाठी-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनमें कौन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन सिर्फ तमाशाबीन हैं। यह आम चर्चा थी कि अनेक स्थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका ख्याल नहीं किया जा सकता। और तो और, रियर्स, लड़कों और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बरखा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ लगा। जेलों व मार-पिट्टाई की सख्तियों के लिए तो सत्याग्रही तैयार ही थे, और अनेक तो गोली खाकर मर जाने की भी तैयार थे—लेकिन, सरकार ने सोचा, अगर इनकी सम्पत्ति पर आक्रमण किया जाय तो इनमें से बहुत-से उसे बर्दाश्त न कर सकेंगे। अतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-भारी जुर्माने किये गये। कभी-कभी तो जुर्मानों की रकम पाच अकों तक चली जाती थी। जहां मालगुजारी, लगान या अन्य करों का देना बन्द किया गया वहां तो ऐसी बकाया रकमों और करों की तथा जुर्मानों की वसूली के लिए न केवल उन्हीं लोगों की मिलिकयत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वसूल करना वाञ्छित था, बल्कि साथ में सगुन-बिहारों की और कभी-कभी तो नाते-रिशतेदारों की मिलिकयत भी कुर्क करके बेच डाली गई। कुर्क और बिक्री तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ तो कुर्कों के बाद बड़ी-बड़ी बीमारी मिलिकयतों को बिलकुल कौड़ी के ही मोल बेच डाला गया। और कुर्कों व बिक्री की वान्नी कार्रवाई भी बढ़कर जो दुस्वदायी बात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-वान्नी तरीकों से सत्याग्रहियों और मुकदमान पहुँचाना, जिसे हृदय-हीन लूट और धरबादी ही कह सकते हैं। न केवल जमीन-वर्तन-भाण्डे, गहने, मरेठी और लड़ी पत्थर जैसी चल-सगति ही कुर्क करके बेच या कभी-कभी न बरदाई गई, बल्कि जमीन और घरबार भी नहीं छोड़ा गया। गुजरात, पुन-प्रान्त और कर्नाटक में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी जमीनों से हाथ धोने बैठे हैं, हालांकि उनका कष्ट-सहन बिलकुल रोन्दा पूर्ण था, क्योंकि जिन रकम को चुकाने में उन्होंने इन्कार किया, अगर अपने को छोड़ अपने माल अस्वाच को बचाना ही उनका उद्देश्य होता तो किसी-न-किसी तरह उसे यह बुझा ही देते। मच तें यह है कि ये आदतें उनपर लादी हो गई थीं। क्योंकि अगर बकाया की वसूली ही प्रयोजन होता तो यह है कि ये आदतें उनपर लादी हो गई थीं। क्योंकि अगर बकाया की वसूली ही प्रयोजन होता तो यह है कि ये आदतें उनपर लादी हो गई थीं।

संग्राम फिर स्थगित

पाठकों को याद होगा कि दूसरी गोलमेज-परिषद् में गांधीजी ने अपना यह निश्चय सुनाया था कि अशुश्रुतों को यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेष्टा की गई तो मैं उस चेष्टा का अपने प्रायों की बाजी लगाकर भी मुकाबला करूंगा। अब गांधीजी के उस भीषण-व्रत की परीक्षा का अवसर आ पहुंचा था। लोपियन-कमिटी, महाधिकार और निर्वाचन की सीटों का निर्णय करने के लिए, १७ जनवरी को भारत में आ पहुंची थी। समय बीतता चला जा रहा था, रिपोर्ट तैयार हो जायगी। सरकार भ्रष्ट काम खत्म करने में दब है ही, और हम लोग इसी तरह जयानी जमा-खर्च करते रहेंगे। इसीलिए बहुत सोचने-समझने के बाद, गांधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्पुअल होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने अशुश्रुतों या दलित-जातियों के लिए पृथक् निर्वाचन रक्खा तो मैं आम्मण-उपवास करूंगा। सर सेम्पुअल होर ने अपना उत्तर १३ अप्रैल १९३२ को भेजा। यह उत्तर वही पुरानी पत्थर की लकीर का उदाहरण था, लोपियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हा, उचित समय पर गांधीजी के विचारों पर भी ध्यान दिया जायगा। १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय, जिसे भूल से 'निर्णय' के नाम से पुकारा जाता है, सुनाया गया। (दिलो परिशिष्ट) दलित-जातियों को पृथक् निर्वाचन का अधिकार तो मिला ही, साथ ही आत्म निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे वोट हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। दोनों हाथों से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था। १८ अगस्तको गांधीजी ने अपना निश्चय किया और उस निश्चय से प्रधान-मन्त्री को सूचित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मत यानी उपवास २० सितम्बर (१९३२) को तीसरे पहर से शुरू होगा। मि० मैकडानल्ड ने आराम के साथ ८ सितम्बर को उत्तर दिया और १२ सितम्बर को साग पत्र-व्यवहार प्रकाशित कर दिया। प्रधान मन्त्री ने गांधीजी को दलित-जातियों के प्रति शत्रुता के भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समझा। व्रत २० सितम्बर १९३२ को आरम्भ होने वाला था। पत्र-व्यवहार के प्रकाशन और व्रत आरम्भ होने में एक सप्ताह का अन्तर था। यह सप्ताह देर ही क्या, सकार-भर के लिए झोम, चिन्ता और हलचल का सप्ताह था। यह सप्ताह बड़े अवसाद का सप्ताह था, जिसमें व्यक्तियों और सरयाओं ने, उस क्षण जो ठीक समझ किया। गांधीजी से भेंट करने की अनुमति मांगी गई, पर न मिली। सकार के कोने-कोने से पूना को तार भेजे गये। गांधीजी का सकल्प छुटाने के लिए तरह-तरह की छलाहों और तर्कों से काम लिया गया। मित्र उनके प्राण बचाने के लिए चिन्तित थे और शत्रु उप-हास-पूर्ण कुत्सहल के साथ सारा व्यापार देख रहे थे। जब रूस के महान् मित्रों ने आग लगी तो लोग दूटते और जलते हुए खम्भों और शहदतीरों की तस्वीर आवाज को सुनने के लिए दौड़े गये थे। अब से आठ साल पहले इसी जेल में गांधीजी अकरमात् 'अपेडिस्ट' से बीमार पड़े थे। पर इस

है कि घनभाग के कारण काम में रुकावट पड़ने का भौका कभी उधारिया नहीं हुआ। घन तो वहीं से आता ही रहा। गुमनाम दानियों तक से सहायता दी—और, कभी-कभी तो यह भी नहीं कि कितने यह दान दे रहे हैं। यह माफ़े की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि सारा दफ्तर की जेबों में ही रहता था, दिशाब किताब बड़ी कड़ाई के साथ रक्खा गया और प्राप्त-सहायता का योग सावधानी के साथ सजाई के लिए ही किया गया।

दिल्ली-अधिवेशन

इस वर्षान को गठम करने से पहले काम्रेस के दिल्ली-अधिवेशन का भी वर्णन कर चाहिये जो कि १९३२ के अप्रैल महीने में दिल्ली में हुआ था। वह पुलिस की बड़ी मारी का के बावजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के रास्ते में ही बहुत-से प्रतिनिधियों का पता लाने गिरफ्तार भी कर लिया था।

चांदनीचौक के घंटाघर पर यह अधिवेशन हुआ और पुलिस की सतर्कता के बावजूद भग ५०० प्रतिनिधि जैसे-जैसे सभा-स्थान पर जा पहुंचे थे। पुलिस इस सन्देह में कि अधिवेशन जगह का जो ऐलान किया गया है वह ठिक चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में वहीं ठहरा करती रही और कुछ पुलिस एक जगह अकालियों के झुलूस से निवटती रही। पेरतर इसके कि घण्टाघर पर, आये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकत्र हुए और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर आहमदाबाद के सेठ रणल्लोइदास अमृतलाल, कहते हैं, उसके सभापति थे। उसमें काम्रेस की सभा रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पहले प्रस्ताव में इस बात की तार्हद की गई कि पूरा स्वाधीनता ही काम्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सविनय-अवज्ञा के फिर से जारी होने का हार्दिक समर्थन किया गया, तीसरे में गांधीजी के आह्वान पर राष्ट्र ने जो सुन्दर जवाब दिया उसके लिए उसे बच दी गई और महात्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, तथा चौथे में अहिंसा अपने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हुए काम्रेस को, खालकर सीमाप्रांत के बहादुर पठानों के अधिकारियों की और से अधिक-से-अधिक उत्तेजना की करतूतों की जाने पर भी अहिंसात्मक राह पर बर्घाई दी गई।

पं० मदनमोहन मालवीय दिल्ली-अधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लेकिन वह तो रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गये थे। वैसे इन समाम समय काम्रेसियों में उल्लेख योग्य वही एकमात्र ऐंग नेता थे जो जेल से बाहर थे। अपनी वृद्धावस्था एवं गिरे हुए स्वास्थ्य के बावजूद, गोलमेज-परिषद से लौटने के बाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिकारियों की ज्यादतियों का पर्दाफास करने वाले बक्तव्य-पर-बक्तव्य निकालकर अपने अपक उत्साह एवं अद्भुत शक्ति से काम्रेस कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। जब भी कभी कोई सन्देह या कठिनाई का प्रसंग उपस्थित होता, काम्रेस-कार्यकर्त्ता उन्हीं की और मुखातिब होते थे, और उन्होंने कभी भी उन्हें निराश नहीं होने दिया।

तक स्वीकार कर लिया जिस अंश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्ध था। जो-जो बातें माग्मदायिक निर्णय के बाहर जाती थीं, उनपर निश्चय रोक रक्खा गया। दलित-जातियों के नेताओं को कृतज्ञ होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रधान-मन्त्री के निश्चय के अनुसार उन्हें जितनी जगहें मिलने वाली थीं, अब उन्हें उनसे दुगुनी मिल गई और उन्हें अपनी जन-संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया। दस वर्ष बाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अन्तिम समय फिर विवाद उठ खड़ा हुआ, पर गांधीजी ने अर्वाच पद्य कर ५ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्थगित करने से कहीं जनता यह न समझे कि डॉ० अम्बेडकर सर्वज्ञ-जातियों की नेकनीयती की आजमाइश करना नहीं चाहते, बल्कि विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित जातियों को तैयार करने के लिए अवकाश चाहते हैं। गांधीजी ने अन्त में उनर दिया—“मेरा जीवन या पाच वर्ष।” अन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में आपस के समझौते के द्वारा तय किया जाय। इसका मुख्य श्री राजगोपालाचार्य ने सोच निकाला और गांधीजी ने कहा—“क्या खूब !” २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल द्वारा समझौते के स्वीकृत होने की खबर मिली, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गांधी जी से भेंट की। २६ तारीख की सुबह को इंग्लैण्ड और भारत में एक साथ घोषणा की गई कि पूना का समझौता स्वीकार कर लिया गया। मि० हेग ने बड़ी कौशल से वक्तव्य दिया, जिसमें निम्न-लिखित बातें कही गईं :—

(१) प्रधान मन्त्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातियां को प्रांतीय कॉंग्रेसों में प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, पार्लमेण्ट से सिफारिश करने के लिए सम ब्यवस्था को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समझौते के मातहत स्थिर हुई है।

(२) यरवडा-समझौते के द्वारा प्रांतीय-कॉंग्रेसों में दलित-जातियों को जितना जगहें दना निश्चित हुआ है, उन्हें स्वीकार किया जाता है।

(३) यरवडा के समझौते में दलित-जातियों के हित की गारण्टी के सम्बन्ध में जो मुद्दा कहा गया है वह सर्वज्ञ-हिंदुओं-द्वारा दलित-जातियां को दिये गये निश्चित वचन के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(४) बड़ी कॉंग्रेस के लिए दलित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रणाली और मताधिकार की सीमा के सम्बन्ध में यह कहना है कि अभी सरकार यरवडा समझौते की शर्तों को निश्चित रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बड़ी कॉंग्रेस के प्रतिनिधित्व और मताधिकार का प्रश्न विचारार्थीन है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सरकार समझौते के विरुद्ध नहीं है।

(५) बड़ी कॉंग्रेस में आम-निर्वाचन के लिए खुली जगहों में से १८ जगहें दलित-जातियों के लिए सुरक्षित रखनी जाय, इस बात को सरकार दलित जातियों और अन्य हिंदुओं का सामरिक समझौते के रूप में स्वीकार करती है।

गांधीजी को यह व्यवस्था स्वीकार करने में कुछ परेशान हुआ। वह चाहते थे कि दलित जातियों के नेता भी मन्तुष्ट हो जाय। उन्हें अपने भौतिक प्राण बचाने की चिन्ता न थी, बल्कि उन लोगों प्राणियों के भौतिक प्राण बचाने की चिन्ता थी, जिनके लिए यह उपाय कम ही था। वस्तु अन्त में पण्डितराय कुंभरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने गांधीजी का मन्तव्य कम दिया। इससे गांधीजी ने २६ तारीख को शाम के लगभग बड़े उपवास होकरने का निश्चय किया। भय और धार्मिक श्लोक-पाठ के बाद उन्होंने पारण्य की। यह ठीक था कि गांधीजी के प्राण बच गये, परन्तु

बार उन्होंने अकस्मात् नदी, स्वेच्छा से मृत्यु-शय्या का आलिगन किया था और स्वेच्छा से ही आरम्भ किया था। इसलिए देश का स्तब्ध हो जाना स्वामाधिक ही था। प्रधान-मन्त्री का निवृत्त तो रद्द होना ही चाहिए। वह स्वयं तो ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए हिन्दुओं के आपसी समझौते के द्वारा उसका अन्त होना चाहिए। इसके लिए एक परिपद् करना आवश्यक है। परिपद् १६ को ही या २०को ? यही प्रश्न था। गांधीजी के जीवन की रक्षा कर्नी ही चाहिए। यह वहाँ अच्छी बात हुई कि दलित जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढ़ाया। राववहादुर एम० सी० राजा ने एवम् निर्वाचन को धिक्काग। सर सप्रू ने गांधीजी की रिहाई की माग पेश की। कायम-वादियों ने भी स्वभावतः देश-भर में संगठन करके समझौता कराने की चेष्टा की। पर मालवीयजी समय के अनुसार चला करते हैं। उन्होंने तत्काल नेताओं की एक परिपद् बुलाने की बात सोची। इसीपक्ष में दोन बन्धु एण्डरूज, मि० पोलक और मि० लेन्सवरो ने स्थिति की गंभीरता की ओर ध्यान-केंद्रित कराना आरम्भ किया। एक अपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, जिसे द्वारा इंग्लैण्ड-भर में खास तौर से प्रार्थना करने को कहा गया। भारतवर्ष में २० सितम्बर को उत्कल और प्रार्थनाओं की गईं। इसमें शांति-निकेतन ने भी भाग लिया। वैसे इस आन्दोलन का आरम्भ प्रधान-मन्त्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस आन्दोलन को अक्षरशः निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप धारण करते देर न लगी। कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानों में अश्रुशयों के लिए मंदिर खोले जाने लगे। यह आशा की जाती थी कि गांधीजी उत्कल के आरम्भ होते ही छोड़ दिये जायेंगे। पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होगी, उन्हें किसी सब स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी रकबाबट लगा दी जायगी। गांधीजी ने सरकार को लिखा कि "इस प्रकार स्थान-परिवर्तन करके व्यर्थ स्वर्च और कष्ट क्यों उठाया जाय? मुझमें किसी शर्त का पालन न हो सकेगा।" सरकार भी राजी हो गई और उसने गांधी जी को दोही व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर न किया जो उन्हें अवचिन्कर लगती हो।

पूना-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके क्रम-विकास में पाठकों को ले जान हमारे लिए सम्भव नहीं है। परिपद् बम्बई में आरम्भ हुई, पर शीघ्र ही पूना में ले जाई गई। (जो लोग पुस्तक 'एपिक फास्ट' (Epic Fast) और मन्ना साहिल मण्डल द्वारा प्रकाशित 'हमारा कलक' पढ़ने चाहिए।) डॉ० अम्बेडकर शीघ्र ही बातचीत में शामिल हो गये और भी अमृतलाल टकम, भी राजगोपालाचार्य, सर सुप्रीलाल मेहता, परिपद् मालांग, बिदलाजा, सरदार पटेल, श्रीमती तारिनी नायडू, भी जयकर, डॉ० अम्बेडकर, राववहादुर एम० सी० राजा, बाबू गजेन्द्रप्रसाद, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अन्य मन्त्रियों की सहायता से एक योजना तैयार की गई, जिसे उत्कल के प्रायः दोन दिनों में माने जाने की स्वीकार कर लिया। दलित जातियों में पृथक्-निर्वाचन या अतिशय स्थान देश और ग्राम हिन्दू-निर्वाचनों से ही सम्मेलन कर लिया। (येन ग्राम हिन्दू-निर्वाचनों में ने सरकारी निर्णय के अनुसार भी शामिल थे।) उक्त जातियों के हिन्दुओं ने भरपूरपूर्ण मातृशु प्रदान किये। उनमें में एक तरफ यह है कि सरकारी निर्णय के अनुसार ग्राम निर्वाचन में। जयनी जगदे दा गई है उनमें से। १४८ दलित-जातियों को ही जय। दूसरा यह है कि एक ही निर्वाचन जगद के बिना दलित-जातियों का उम्भारण करने और ग्राम-निर्वाचन में उनकी से एक को चुन लिया जाय। पूना समझौता उन सब सब कायम रहे अब सब सबकी बसाह में उनमें परिवर्तन न किया जाय। दलित-जातियों का अतिशय स्थिति रण काल तक जारी रहे। अतिशय-मातृशु में पूरा पैक्ट को ---

“यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का कर्तव्य होगा कि पुनर्निर्वाचनों के कारण अस्तित्व कहलानेवाले हिन्दूओं पर मन्दिर-प्रवेश आदि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बंधन लगा दिया गया है उसे वे सारे वैच और शान्तिपूर्वक उपायों के द्वारा दूर कराने की चेष्टा करें।”

ऐसे पवित्र तप का स्वभावतः ही पूरा परिणाम निकला। अस्तित्व-निवारण के लिए सारा देश तैयार हो गया। सतरा इन्हीं बात का था कि कहीं युवक जल्दबाजी से काम न लें। इसलिए गांधीजी को लगाम सींचनी पड़ी। अस्तित्व-या हरिजनों—जैसे कि अब वे कहलाने लगे थे—के लिए मन्दिर-प्रवेश का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। जिस प्रकार असहयोग-आन्दोलन के जमाने में लोग भटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे, उसी प्रकार हरिजन-आन्दोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या सत्याग्रह जैसा कठोर तप करने के अपने सामर्थ्य पर, बिना विचार किये ही भटपट सत्याग्रह आरम्भ कर देना चाहते थे। गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १९२१-२२ में अनेक परिस्थितियों को बचाया था, वही प्रभाव अब फिर काम कर रहा था। हरिजन-आन्दोलन में रख लेने के गांधीजी के आह्वान का धन और जन दोनों रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर घण्टे और हर मिन्ट अन्तर पकटा दिखाई दिया। भोपाल के नवाब ने इधर हिन्दू धार्मिक आन्दोलन के लिए ५००००) दिये। फादर विन्सो ने अपने अन्य सहायियों के हस्ताक्षर के साथ एक अपील छुपाकर ईसाइयों के लिए प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था को विचारा। उधर मौलाना शौकतअली गांधीजी की रिहाई का आग्रह कर रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू मुस्लिम-समस्या का भी निपटारा हो जाय। इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, और यदि सरकार अकस्मात् २६ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्तन करके गांधीजी से मुलाकात आदि करने की वे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं, न छीन लेती तो साम्प्रदायिक समझौता अवश्य हो जाता। भी जयकर उनमें मेंट करना चाहते थे, पर उन्हें हजाजत न मिली। भीमती सरोजिनीदेवी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया। भीमती कस्तूरबा गांधी की गांधीजी के पास से हटा दिया गया। मुलाकातें बन्द कर दी गईं। गांधीजी अब वैसे ही कैदी हो गये जैसे १२ सितम्बर से पहले थे। परन्तु सरकार की एक बात की धारिका करनी पड़ेगी कि भीमती कस्तूरबा को समय के पहले छोड़ दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास रहने दिया गया। गांधीजी ने इस प्रकार हरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से सचिव होने पर विरोध प्रदर्शित किया, क्योंकि सरकार की यह कार्यवाई पूना-पैक्ट की रातों ही के विरुद्ध थी।

सन्धे-सन्धे पत्र-व्यवहार के बाद अन्त में सरकार ने गांधी जी को अपना अस्तित्व-निवारण कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी। हाल ही में मुलाकातियों के, पत्र-व्यवहार के और समाचार-पत्रों में लेख छपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट बाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, और ७ नवम्बर को होम-सेक्टर मि० हेग ने बड़ी कौंसिल में निर्मललिखित बहस दिया —

“हाल ही में गांधीजी ने यह कहा था कि उन्होंने अस्तित्व-निवारण के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम निश्चय किया है, उसे पूरा करने के लिए मुलाकातों के, पत्र-व्यवहार के और केवल इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार गांधीजी की अस्तित्व-निवारण-सम्बन्धी चेष्टाओं में बाधा नहीं डालना चाहती, क्योंकि गांधीजी ने बताया है कि अस्तित्व-निवारण एक नैतिक और धार्मिक सुधार है, जिसका सत्याग्रह-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतएव सरकार ने अस्तित्व-निवारण से सम्बन्ध रखनेवाली मुलाकातों के

वैत समय के भीतर अस्पृश्यता-निगारण-सम्बन्धी मुद्दा ने इनीयटी के साथ पूरा न किया गया तो निरन्तर ही नये निरे से उपवास कक्षा पड़ेगा। गांधीजी ने कहा—“स्वतन्त्रता सन्देश हरेक इरि- के घर में पहुँचना चाहिए और यह भी हो सकता है जब मुद्दा हरेक गाँव में किया जाय”। अन्त उपवास की उपयोगिता या औचित्य के सम्बन्ध में सन्देश प्रगट किया था। गांधीजी को इस सम्बन्ध कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १५ और २० सितम्बर को बक्तव्य दिये। उन्होंने अन्तों वति इस प्रकार शब्द की —

“ज्ञान और सत्य के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली आती है। ईसाई-धर्म और इस्लाम में इसका साधारणतया पालन किया जाता है, और हिन्दू-धर्म तो आत्म-शुद्धि और तत्त्व लिए किये गये उपवासों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैंने आत्म-शुद्धि करने की बड़ी चेष्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि मुझे ‘अन्तर्नाद’ ठीक-ठीक और साफ-साफ सुनने की कुल्लु। वृत्त हो गई है। मैंने यह प्रायश्चित्त उस अन्तर्नाद की आज्ञा के अनुसार आरम्भ किया है।” यदि यह कहें कि उपवास तो दुष्टों को धमकाना है, तो गांधीजी का उत्तर है कि “प्रेम विवरण करण धमकाना नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य और न्याय विवरण करते हैं। “मैं अज्ञाने उपवास को न्याय पलके में रखना चाहता हूँ। ऊपर से देखनेवालों को मेरा यह कार्य बच्चों का-सा खेल प्रतीत हो जाता है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि मेरे पास कुल्लु और होता तो इस आभिशाप को मिटाने लिए मैं उसे भी भौंक देता। पर मेरे पास प्राणों से अधिक और कुल्लु हर्न नहीं।”... “यह आगामी वास उनके विरुद्ध है जिनकी मुझमें आस्था है। चाहे वे भारतीय हों चाहे विदेशी। यह उनका के विरुद्ध नहीं है जिनकी मुझमें आस्था नहीं।” इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया कि यह उनका अग्रज अफसरों के विरुद्ध है, न भारत में उनके विरोधियों—चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान—के विरुद्ध बल्कि उन असंख्य भारतीयों के विरुद्ध है जिनका विश्वास है कि वह न्यायपूर्ण वात के लिए या गया है। गांधीजी ने कहा—“इस उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू अन्तःकरण में ठीक-ठीक मिक कार्य-शीलता उत्पन्न करना है।”

बम्बई का प्रस्ताव

प्रधान-मंत्री-द्वारा वेस्ट स्वीकार होने और गांधीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिपद ने बर्द में सभा की। एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू अस्पृश्यता का कारण करेंगे। जो सत्या वाद को हरिजन सेवक-सच के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना इसी ताव के फल-स्वरूप हुई। इसके सभापति सेठ घनश्यामदास विदला और मंत्री भारत-सेवक-समिति भी अमृतलाल ठक्कर हुए।

यहां हम वह प्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितम्बर १९३२ को बम्बई की सभा ने सर्व-सम्मति से किया था। इस सभा के सभापति पण्डित मदनमोहन मालवीय थे। यह प्रस्ताव ‘हरिजन’ में प्रथम-वार्त्त-स्वरूप अपना लिया गया है—

“यह परिपद निरन्तर करती है कि अब भविष्य में हिन्दू जाति में किसी को जन्म से अस्पृश्य समझ जायगा और जिन्हें अब तक अस्पृश्य समझा जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भाँति ही हों, पाठशाळाओं, मङ्गलों और अन्य सार्वजनिक स्थापनाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। अस्पृश्यता को कातन का स्वरूप दे दिया जायगा और यदि यह सम्भव हो सके तो उसे

करने का खासा मौका मिल गया। उसीके कल-स्वरूप दो गर्वी-पत्र निकाले गये। एक में यह शष्ट किया गया कि कांग्रेसवादियों का मुख्य काम सत्याग्रह-आन्दोलन जारी रखना है, और असुरक्षता-निवारण का काम राष्ट्रीय विचारवाले गैर-कांग्रेसियों को और उन लोगों को दिया गया है जो किसी-न-किसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते। दूसरे पत्र में उस लुका-छिपी की नीति का, जो सत्याग्रह-आन्दोलन में आ चुकी थी, अन्त करने पर जोर दिया गया था।

सरकार ने अपना आक्रमण ४ जनवरी १९३२ को आरम्भ किया था। इसलिए बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद स्थानापन्न-सभापति हुए थे, सारी प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटीयों को हिदायतें भेज दीं कि १९३३ के इस दिन एक खास वक्तव्य पढ़ा जाय। यह वक्तव्य भी, जिसमें सक्षेप में आन्दोलन की प्रगति और उन सारी समस्याओं का पर्यालोचन दिया गया था जो उस समय जनता के दिमाग में सबसे ऊपर थीं, जगह-जगह भेज दिया गया। जगह-जगह सभायें हुईं, जिनमें यह वक्तव्य गिरफ्तारियों के और लाठी-चर्पा के बीच में पढ़ा गया। ६ जनवरी १९३२ को कांग्रेस-सभापति भी गिरफ्तार हो गये और उनका स्थान भी अयो ने ग्रहण किया।

जब १९३२ की जनवरी में युद्ध आरम्भ हुआ तो सरदार वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के सभापति थे। कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि १९३० के विपरीत इस बार कार्य-समिति के रिक्त स्थान पूरे न किये जाय। सरदार वल्लभभाई ने उन सज्जनों की सूची तैयार की जो उनके बाद एक-एक करके उनका स्थान ग्रहण करेंगे। जनवरी १९३२ और जुलाई १९३३ के बीच में, जब कांग्रेस-सत्या का अस्तित्व लोप हो गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० अन्वारी, सरदार शार्दूलसिंह कवीरवार, भी गमा-घरगव देशपाण्डे, डॉ० किचलू, अक्षवर्ती राजगोपालाचार्य और बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने सभापति का भार ग्रहण किया। इस बीच में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिनपर अनेक कठिनाइयों के मध्य में कार्य चलाने का भार आकर पड़ा उनमें श्री जयप्रकाशानाथयण, लालजी मेहरोत्रा, गिरधारी कुपलानी, आनन्द चौधरी, और आचार्य भुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय है।

१९३३ की घटनायें तो सक्षेप में ही बताई जा सकती हैं। कलकत्ते का अधिवेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा।

कलकत्ता-कांग्रेस

अप्रैल १९३२ के दिल्ली के अधिवेशन की भांति कलकत्ता का अधिवेशन भी निवेद्यता के होते हुए करना पड़ा। यद्यपि इसका आयोजन उस समय किया गया था जब सत्याग्रह-आन्दोलन शिथिल पड़ गया था, फिर भी जो उत्साह और प्रविरोध की भावना यहाँ दिखाई पड़ी वह दिल्ली में भी न दिखाई पड़ी थी। कुछ प्रान्तों ने तो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे। कुल मिलाकर कोई २२०० प्रतिनिधि सारे प्रान्तों से चुने गये। इस बात से कि पं० मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन का सभा-पतित्व स्वीकार कर लिया है, राष्ट्र का उत्साह और भी बढ़ गया। भीमती मोतीलाल नेहरू ने वृद्धा-वस्था और दुर्बलता का ध्यान न करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निश्चय किया उसके आनेवाले प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूर्ति मिली। अधिवेशन कलकत्ते में ३१ मार्च को बड़े सनसनीपूर्ण वातावरण में हुआ। डॉ० प्रफुल्ल घोष स्वागत-समिति के अध्यक्ष थे। सरकार ने अधिवेशन न होने देने के लिए कुछ उठा न रखा। पविडल मदनमोहन मालवीय को कलकत्ते नहीं पहुँचने दिया गया। उन्हें बीच ही में आसनधोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही श्रीमती मोतीलाल नेहरू, डॉ० सेवदमहमूद और अन्य सारे व्यक्ति, जो सभापति के साथ थे, गिरफ्तार कर लिये गये और सबको आसनधोल की जेल में ले जाया गया। कांग्रेस के कार्य-वाहक सभापति भी अयो भी कलकत्ता जाते हुए

न पड़ेगी, क्योंकि यह भारत के दिवों की विरोधिनी है और इस देश में विदेशी प्रभुत्व ह्यायी बनाने के लिए तैयार की गई है।

६. गांधीजी का उपवास—यह कांग्रेस देश को, २० सितम्बर को गांधीजी के उपवास की सकुशल समाप्ति पर, बधाई देती है और आशा करती है कि अस्थिरयता शीघ्र ही अतीत की वस्तु हो जायगी।

७. मौलिक अधिकार—इस कांग्रेस की सम्मति है कि जनता को यह समझाने के लिए कि 'स्वराज्य' उनके लिए क्या महत्व रखता है, इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति को साफ कर दिया जाय, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समझ सकें। इस लक्ष्य को सामने रखकर यह कांग्रेस अपने १९३१ के करांची-अधिवेशन के मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव न० १४ को दुहराती है।

गांधीजी का उपवास

कलकत्ता-कांग्रेस के बाद शीघ्र ही देश में एक घटना हुई जो बिलकुल आकस्मिक थी। हरिजन-आन्दोलन में काम करने वाले कार्यकर्त्ताओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। इन कार्यकर्त्ताओं को अपना काम पवित्रता, सेवाभाव और अधिक नेकनीयती के साथ करने में सहायता देने के लिए गांधीजी ने ८ मई १९३१ की आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्भ किया। उनके शब्दों में "यह अपनी और अपने भाषियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे हरिजन-कार्य में अधिक सतर्कता और सावधानी के साथ काम कर सकें, हृदय से की गई प्रार्थना है। इसलिए मैं अपने भारतीय सभा संसार-भर के मित्रों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें कि मैं इस अभि-परीक्षा में सकुशल पूरा उतरूँ, और चाहे मैं मरू या जिऊँ, मैंने जिस उद्देश से उपवास किया है वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रार्थना करें कि इस उपवास का परिणाम मेरे लिए चाहे जो कुछ हो, कम-से-कम वह सुनहरी टकना, जिसने सत्य को टक रक्ता है, टट जाय।" उन्होंने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा—“किसी धार्मिक आन्दोलन की सफलता उसके आयोजकों की बौद्धिक या भौतिक शक्तियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आत्मिक-शक्ति पर निर्भर करती है, और उपवास इस शक्ति की वृद्धि करने का सबसे अधिक जाना-पूछा उपाय है।”

उसी दिन सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें कहा गया कि उपवास जिस उद्देश से किया गया है उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, भारत-सरकार ने निश्चय किया है कि वह (गांधीजी) रिहा कर दिये जाय। सदनुसार गांधीजी ८ मई को छोड़ दिए गये। रिहा होते ही गांधीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन मौकूफ रखने की विफारिश की।

गांधीजी ने कहा—“मैं इस रिहाई से प्रसन्न नहीं हूँ, और, जैसा कि कल मुझे सरदार वल्लभभाई ने कहा और ठीक ही कहा, मैं इस रिहाई से लाभ उठाकर सत्याग्रह-आन्दोलन का संवा-लन या पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ।

“इसलिए यह रिहाई मुझे सत्य का अन्वेषण करने को मेरित करती है और सम्माननीय शक्ति की दृष्टिगत से मुझपर बहुत बड़ा भार रखती है और मुझे असमंजस में डालती है। मैंने आशा की थी और मैं अब भी आशा करता हूँ कि मैं न तो किसी बात को लेकर-उत्तेजित होऊँगा, और न किसी प्रकार के वाद-विवाद में ही भाग लूँगा। यदि मैं अपने दिमाग में हरिजन कार्य के धर्मनिरपेक्ष और किसी बाहरी बात को जगह दूँगा तो इस उपवास का उद्देश ही नष्ट हो जायगा।

गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें जेल में भेज दिया गया। कलकत्ते में स्वामत-समिति के सदस्यों के गिरफ्तार कर लिया गया और कई कांग्रेस-नेताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। भीमती नेलीसेन और डॉ॰ मुहम्मद आलम इनमें प्रमुख थे। लगभग १००० प्रतिनिधि खाना होने से पाने की कलकत्ते के मार्ग में, गिरफ्तार कर लिये गये। बाकी प्रतिनिधि नगर में पहुंचने में सफल हुए। निरन्तर होते हुए भी लगभग ११०० प्रतिनिधि अधिवेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गये। टॉपल उनपर पुलिस आ टूटी और कांग्रेस-वादियों के शान्ति-पूर्ण समुदाय पर लाठीचार्ज करने लगी। बसु से प्रतिनिधि बुरी तरह घायल हुए और भीमती नेली सेनगुप्त और अन्य प्रमुख कांग्रेसवादी गिरफ्तार किये गये। पुलिस ने अधिवेशन को बल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेष्टा की, परन्तु असफल रही, क्योंकि लाठियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधियों का भीतरी समूह अपनी-अपनी जगहों पर बस रहा, और वे सार्वों प्रस्ताव, जिन्हें पास करने के लिए पेश किया जानेवाला था, पढ़कर सुनने लगे और पास हुए। कलकत्ता-अधिवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए अधिकांश व्यक्तियों को कांग्रेस समाप्त होते ही छोड़ दिया गया। अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सजायें दी गईं। भीमती सेनगुप्त की भी छुः मास का दण्ड मिला। जेल से रिहा होते ही पण्डित मदनमोहन मालवीय सारे कलकत्ता पहुंचे और शीम ही देश के सामने इस बात का कि पुलिस ने किस अमानुषिकता के साथ कांग्रेस भंग करने की चेष्टा की थी, प्रमाण पेश किया। उन्होंने सरकार को जांच करने की सुनौती दी, पर यह सुनौती कभी स्वीकार न की गई। नीचे हम २१ मार्च १९३३ को हुए कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव देते हैं:—

१. स्वाधीनता का लक्ष्य—यह कांग्रेस उस प्रस्ताव को दोहराती है जो लाहौर में १९३० में पार किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था।
२. सत्याग्रह वैध अस्व है— यह कांग्रेस सत्याग्रह को जनता के अधिकारों की रक्षा करने, राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण वैध उपाय समझती है।
३. सत्याग्रह-कार्यक्रम का पालन—यह कांग्रेस कार्य-समिति के १ जनवरी १९३२ के निश्चय की पुष्टि करती है। पिछले १५ महीनों में जो कुछ हुआ है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस का यह दृढ़ निश्चय है कि देश इस समय जिस परिस्थिति में है, उसको देखते हुए सत्याग्रह-आन्दोलन को दृढ़ और व्यापक बनाया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जनता को आह्वान करती है कि इस आन्दोलन को कार्य-समिति के उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप अधिक शक्ति के साथ चलाया जाय।
४. बहिष्कार—यह कांग्रेस जनता की सारी भेणियों और वर्गों को आह्वान करती है कि वे विदेशी कपड़ा बिलकुल त्याग दें, स्वर का व्यवहार करें और अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करें।
५. हास्ट-पेपर—इस कांग्रेस की सम्मति है कि जबतक ब्रिटिश सरकार ऐसे निर्दयतापूर्ण दमन-कार्य में लगी हुई है, जिसके द्वारा देश के परम विह्वलनीय नेता और उनके हजारों अनुयायी जेलों में पड़े हैं या नजरबन्द हैं, बोलने और एकत्र होने के अधिकारों का दमन हो रहा है, समाचार-पत्रों की स्वाधीनता पर कड़ा प्रतिबन्ध लग रहा है, और साधारण नागरिक व्यवस्था के स्थान पर मार्शल लॉ का दौर-दौर है, और जिसका अग्रगम्य अन्त ब्रूमफ़र महात्मा गांधी के विज्ञापन से झूटने पर, राष्ट्रीय-भावना को कुचलने के लिए किया गया था, तबतक उसके द्वारा तैयार की गई किसी भी शासन-व्यवस्था पर भारतीय जनता न विचार कर सकती है, न उसे स्वीकार कर सकती है।
- कांग्रेस का विश्वास है कि हाल ही में प्रकाशित हुए हास्ट-पेपर की योजना से जनता को तब में

के समय मौजूद थी। मैं अब सत्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूँगा। शायद मैंने सम्प्रति आवश्यकता से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था वह मैंने कहने की शक्ति रहते कह दिया।

“मैं पत्र-प्रतिनिधियों से कहूँगा कि वे मुझे परेशान न करें। भविष्य में मुलाकात के लिए आनेवालों से भी मैं कहूँगा कि वे संयम से काम लें। वे मुझे अब भी जेल ही में समझें। मैं कोई राज-नैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूँ।

“मैं शान्ति चाहता हूँ और सरकार को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस रिहाई का दुरुपयोग न करूँगा, और यदि मैं इस अग्नि-परीक्षा में से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक वातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखायी पड़ा तो मैं सविनय-अवज्ञा को बढ़ाने की छुक-झिपकर या खुल्लम-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये बिना ही सरकार से कहूँगा कि मुझे अपने साथियों के पास, जिनमें मैं इस समय त्याग-सा आया हूँ, यरवदा पहुँचा दिया जाय।

“सरदार वल्लभभाई के साथ रहना बड़े सौभाग्य की बात हुई। मैं उनकी अद्वितीय वीरता और उनके प्रज्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी तरह परिचित था, पर मुझे इस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ रहने का सौभाग्य कभी प्राप्त न हुआ था। वह मुझे जिस स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे मुझे अपनी प्यारी माता के स्नेह की याद आ जाती है। मैंने पहले नहीं जाना था कि उनमें मातृ सुलभ गुण मौजूद हैं। मुझे कुछ हो जाता तो वह तत्काल अपना बिलौना छोड़ देते। वह मेरे आराम से सम्बन्ध रखने वाली जग-जग-सी बातों की निगरानी रखते। उन्होंने और मेरे अन्य सहयोगियों ने मानों मुझे कुछ न करने देने का पदयन्त्र रच लिया था, और मुझे आशा है कि जब मैं यह कहूँगा, कि जब कभी हमने किसी राजनैतिक समस्या की चर्चा की, तभी उन्होंने सरकार की कठिनाइयों को बड़े अच्छे ढंग से समझा, तो सरकार मेरी बात पर विश्वास करेगी। उन्होंने बारडोली और खेड़ा के किसानों के सम्बन्ध में जो हितचिन्तना प्रकट की, उसे मैं कभी न भूलूँगा।”

गांधीजी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष ने भी अपनी घोषणा प्रकाशित करके सत्याग्रह-आन्दोलन लुः सप्ताह के लिए मौकूफ कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित करने में विलम्ब से काम नहीं लिया।

६ मई को एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि केवल सत्याग्रह के मौकूफ रखने से वे शर्त पूरी नहीं होती जो कैदियों की रिहाई के लिए रखी गई हैं। सरकार कांग्रेस से इस मामले में सीधा करने की तैयार नहीं है।

भारत-मन्त्री के शब्दों में सरकार ने कहा था—“हमारे पास यह विश्वास करने के प्रबल कारण होने चाहिए कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुबारा शुरू न हो जायगा। सत्याग्रह-आन्दोलन को अस्थायी रूप से बंद करने से, जिससे कांग्रेसी नेताओं के साथ समझौते की बातचीत शुरू हो जाय, वे शर्तें पूरी नहीं होती जिनके द्वारा सरकार को संतोष होजाय, कि सत्याग्रह सचमुच हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। सत्याग्रह की धारिणी के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रवाइयों के सम्बन्ध में या उसके साथ समझौता करने के उद्देश से कैदियों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।”

हर शिमला से यह नकारात्मक उत्तर आया, उधर बिपेना से एक वक्तव्य आया जिसमें भी विलमार्श पटेल और श्री मुभाय वसु के हस्ताक्षर थे। उसके कुछ अंश इस प्रकार हैं:—

“सत्याग्रह बंद करने की गांधीजी की ताजा कार्रवाई असफलता की स्वीकारोक्ति है।”

वक्तव्य में यह भी कहा गया कि “हमारी यह स्पष्ट सम्मति है कि गांधीजी राजनैतिक नेता की विषय से असफल रहे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम नये विद्वानों के ऊपर नये उपाय को

“पर साथ ही, रिहाई होने पर आप मैं अपनी थोड़ी-बहुत शक्ति सत्याग्रह-आन्दोलन का अध्ययन करने में भी लगाने को बाध्य हूँ।

“इसमें सन्देह नहीं कि इस समय मैं बेचल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रह के सम्बन्ध में मेरे विचारों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा है। असंख्य सत्याग्रहियों की वीरता और आत्म-त्याग के लिए मेरे पास सन्तुष्टाद के सिवा और कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद मैं यह कहे बिना भी नहीं रह सकता कि इस आन्दोलन में जिस लुका-छिपी से काम लिया गया है वह उसकी सफलता के लिए घातक है। यदि आन्दोलन को जारी रखना है, तो जो लोग इस आन्दोलन का संचालन देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेरा कहना है कि लुका-छिपी छोड़ दो। यदि इसके एक भी सत्याग्रही का मिलना कठिन हो जाय तो मुझे परवाह नहीं है।

“इसमें सन्देह नहीं कि जन-साधारण को आर्दिनेन्सों ने भयभीत बना दिया है, और मेरी धारणा है कि लुका-छिपी के तरीकों का भी यह दम्बण उलटान करने में हाथ है।

“सत्याग्रह-आन्दोलन उसमें भाग लेने वाले स्त्री-पुरुषों की संख्या पर नहीं, उनके गुण और योग्यता पर निर्भर करता है; और यदि मैं आन्दोलन का संचालन करूँ तो मैं योग्यता पर जोर दूँगा। यदि ऐसा होसके तो आन्दोलन की सतह बहुत ऊँची हो जाय। किसी और रूप में जनता को दिवापत करना असम्भव है। वास्तविक युद्ध के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। ये विचार जो मैंने प्रकट किये हैं, पिछले कई महीनों से मैंने अपने भीतर बन्द कर रखे थे, और मैंने जो-कुछ कहा है उसमें सरदार वल्लभभाई भी मुझसे सहमत हैं।

“मैं एक बात और बहूँगा, चाहे वह मुझे रुचिकर हो या न हो—इन तीन सप्ताहों में तो सत्याग्रही भीषण दुविधा में रहेंगे। यदि कांग्रेस के सभापति धीमाधकराव अग्रे वाक्यादा छ' सप्ताह के लिए सत्याग्रह मौकूफ रखने की घोषणा कर दें तो अधिक उत्तम हो।

“अब मैं सरकार से अपील करूँगा। यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ति चाहती है और समझती है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नहीं है, यदि वह समझती है कि आर्दिनेन्स का शासन संय-शासन नहीं है, तो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से लाभ उठाकर सारे सत्याग्रहियों को बिना किसी शर्त के छोड़ देना चाहिए।

“यदि मैं इस अग्रि परीक्षा से बच गया तो इसके मुझे सारी अवस्था पर विचार करते ही अक्सर मिलेगा और मैं कांग्रेसी नेताओं की और यदि मैं कहने का साहस करूँ तो, सरकार को हलाल दे सकूँगा। मैं उस स्थान से बातचीत आरम्भ करना चाहूँगा जहाँ वह मेरे इश्वर से वापस आने पर रह गई थी।

“यदि मेरी चेष्टाओं के फल-स्वरूप सरकार और कांग्रेस में समझौता न हो सके और सत्याग्रह आन्दोलन फिर आरम्भ किया गया तो सरकार, यदि चाहे तो, फिर आर्दिनेन्स का शासन आरम्भ कर सकती है। यदि सरकार इच्छुक हुई तो कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयगा। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है।

“सत्याग्रह उस समय तक नहीं उठाया जा सकता जबतक इतनी अधिक संख्या में सत्याग्रही जेलों में हैं, और जबतक सरदार वल्लभभाई पटेल, स्तनमाधव अन्डुलगाकरारणा और पद्मिनी प्रसादलाल नेहरू जीवित ही समाधिस्थ हैं, जबतक कोई समझौता नहीं हो सकता।

“कास्तव में सत्याग्रह उठाना जेल में बन्दर किसी आदमी के सामर्थ्य में नहीं है। यह संभव है कि सत्याग्रह उठाना जेल में बन्दर किसी आदमी के सामर्थ्य में नहीं है। यह संभव है कि सत्याग्रह उठाना जेल में बन्दर किसी आदमी के सामर्थ्य में नहीं है।

जो मेरी गिरफ्तारी

व्यक्तिगत सत्याग्रह

गांधीजी ने व्यक्तिगत-सत्याग्रह का आरम्भ अपने पाप की मूल्यवान् से मूल्यवान् वस्तु के परित्याग से किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेष्टा की जिसे आन्दोलन के दौरान में हजारों ग्रामीणों ने सहा था। उन्होंने साबरमती-आश्रम छोड़ दिया और आश्रम के निवासियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने सारा आश्रम खाली कर दिया और उसकी अंगम संपत्ति को कुछ सत्याग्रहियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दिया। यह किसी दूसरे से लगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए वह जमीन, इमारत और खेती सरकार को देने को तैयार हो गये। सरकार की ओर से केवल उस पत्र की पहुँच में एक पत्र भेजा गई।

साबरमती-आश्रम का दान

जब सरकार ने गांधीजी का दान स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने आश्रम को हरिजन आन्दोलन के अर्पण कर दिया। इस सम्बन्ध में गांधीजी का वह वक्तव्य याद आता है जो उन्होंने १९३० में दाण्डी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक स्वराज्य न मिल जायगा, वह आश्रम को वापस न आयेंगे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और एक बार की छोड़कर, जब वह अपने एक बोमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १९३० के बाद आश्रम में फिर कदम न रखवा। इस प्रकार आश्रम को हरिजन सभ के अर्पण करके उन्होंने पारिवि-जगत से बाध रखनेवाली इस अन्तिम वस्तु का, जिसके प्रति सम्भव था उनके हृदय में मोह बना रहता, अंत कर दिया।

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी रास नामक गांव की, जो १९३० की फरवरी में बल्लभमहार्द की गिरफ्तारी के बाद से प्रसिद्धि पा चुका था, यात्रा करने वाले थे। पर एक दिन पहले ही आधी रात के समय गांधीजी को उनके ३४ आश्रम-वासियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधीजी ४ अगस्त की सुबह छोड़ दिये गये और उन्हें यरवडा गांव की सीमा छोड़कर पूजा जाकर रहने का नोटिस दिया गया। इस आज्ञा की निरवयव ही अवहेलना की गई, और रिहार्ड के आधि घण्टे के भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिए गये और साल-भर की सजा दी गई।

उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद ही व्यक्तिगत सत्याग्रह सारे प्रान्तों में आरम्भ हो गया और पहले ही हफ्ते में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के कार्यवाहक-अध्यक्ष भी अयो अकोला से यात्रा करते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गये और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शार्दूलसिंह कवीरकर की बारी आई। परन्तु उन्होंने गिरफ्तारी से पहले आज्ञा जारी कि कार्यवाहक-अध्यक्ष का पद और विन्डेटों की नियुक्ति का विषयविषय छोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचमुच व्यक्तिगत-सत्याग्रह का रूप धारण करले। गांधीजी ने जो मान लिया था उस पर १९३३ के अगस्त से १९३४ के मार्च तक देशभर में कांग्रेस-कार्यकर्ता लगातार चलते रहे और सत्याग्रहियों के अटूट ताते ने युद्ध को जारी रखा। जब तक प्रान्तीय केन्द्रों से पूरी सामग्री न मिले तब तक इस युद्ध का ठीक-ठीक बर्णन सारे प्रान्तों के साथ न्याय करते हुए नहीं किया जा सकता। आन्दोलन के अंतिम युग में हरेक प्रान्त ने कितने सत्याग्रही दिये, इसका पूरा औप्य मोगूद नहीं है। केवल इतना ही कहना काफी है कि हजारों ने आज्ञान का उत्तर दिया और, जैसी परिस्थिति थी उसको देखते हुए, हरेक प्रान्त ने स्वतंत्रता के युद्ध के लिए जितना कुछ वह कर सकता था, किया।

लेकर कांग्रेस की वायापलट करें, और इसके लिए एक नये नेता की आवश्यकता है, क्योंकि गांधी से यह आशा करना अनुचित है कि वह ऐसे कार्य-क्रम को हाथ में लेंगे जो उनके जीवन-सिद्धान्तों के साथ मेल न खाता हो।”

वक्तव्य में आगे कहा गया—“यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस प्रकार का आमूल परिवर्तन संभव हो सके तो अच्छा ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र मतवाले लोगों की एक नई पार्टी बन पड़ेगी।”

यह पहला ही अवसर न था जब गांधीजी को इन दोनों सम्प्रान्त व्यक्तियों की, जिन्हें कुछ समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध आलोचना का शिकार बनना पड़ा। गांधीजी जिस प्रकार अपना कष्ट संतोष, आस्था और धैर्य के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने संसार की आलोचना भी सह ली। उनकी प्रतिभा पूरी हुई और २६ मई १९३३ को उन्होंने अपने उत्तर का अन्त किया।

इस बीच में कांग्रेसवादियों में यह तथ्य हुआ कि गांधीजी की रिहाई से जो अवसर मिले उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय। सोचा गया कि इस प्रकार की बैठक सभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लेने योग्य हों। इसलिए सत्याग्रह-बन्दी की अपेक्षा कार्यवाहक-सभापति ने छः सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया।

पूना-परिपत्र

१२ जुलाई १९३३ को देश की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने के लिए पूना में कांग्रेसवादियों की अनियमित बैठक हुई। भी अणु ने भूमिका स्वरूप भाषण के साथ इस परिपत्र का शीर्षक दिया। गांधीजी ने राजनैतिक अवस्था के सम्बन्ध में अपने विचार परिपत्र के सम्बन्ध में रख दिये। इसपर आम चर्चा आरम्भ हुई और अन्त में परिपत्र दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे दिन की कार्रवाई का आरम्भ गांधीजी ने एक लम्बे-चौड़े वक्तव्य के द्वारा किया, जिसे उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो परिपत्र के सदस्यों ने उठाये थे, और साथ ही अपनी हक-पट्टी भी उनके सामने रखी। इसके बाद परिपत्र ने अपनी सिफारिशें पेश की। उसने सत्याग्रह को किसी शर्त के बावजूद लेने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया, पर साथ ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। अन्त में परिपत्र ने गांधीजी को सरकार से समझौता करने के लिए काइलर से मिलने का अधिकार दिया। इस निश्चय के अनुसार गांधीजी ने काइलर को धार देकर शर्तों की सम्भावना को शोच निराशने के उद्देश से उनसे मिलने की अनुमति माँगी। पर काइलर ने उनमें में पूना-परिपत्र की शर्तों के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों की प्रमाणाक रिपोर्ट का विस्तृत इकट्ठा किया और उन रिपोर्टों पर विचारण करके उस समय तक मुलाकात करने से इनकार कर दिया अतः कांग्रेस काइलर-आन्दोलन कायम न भेने। गांधीजी ने उत्तर दिया कि सरकार ने अपना कलम तब तक नहीं हटाईगी जब तक कि गांधीजी के सम्बन्ध में लगे हुए अनुधिकार-पूर्ण समाचारों के कारण का निश्चय न हो। और यदि उन्हें मुलाकात करने की इजाजत मिले तो वह यह रिश्ता देगे कि कुछ दिनों के बाद गांधीजी काइलर से मिलने के पक्ष में होंगी। पर गांधीजी की शान्ति-सन्देश की शर्तों का कोई उत्तर न मिला और यह जो अन्त सम्बन्ध काइलर ने अपने के लिए मुद्रा की जाने की शर्त देकर कहा। पर गांधीजी काइलर काइलर का रिश्ता सदा और जो लोग देकर के उन्हें व्यक्तिगत सम्बन्ध करने की शर्त देकर ही गई। कांग्रेस-सभापति की शर्त-मुलाकाती काइलर कायम के लिए मुद्रा-सन्देश काइलर काइलर ही हैं।

उड़ चुका था, गांधीजी की अमीली का उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलना असाधारण बात थी। यह दौरा पूर्ण सफल रहा। दो शोचनीय दुर्घटनायें भी हुईं। २५ जून १९३४ को गांधीजी बाल-बाल बच गये नहीं तो देश के लिए बड़ा भारी सङ्कट उपरिष्ठ हो गया होता। वह पूना म्युनिसिपैलिटी का मान-यज्ञ ग्रहण करने वाले थे, कि इस अवसर पर एक व्यक्ति ने, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है, उन पर बम फेंका। इस असफल अपराध के अपराधी ने एक दूसरी मोटरकार को गांधीजी की मोटरकार समझा। गांधीजी की मोटरकार अभी सभा-स्थान में न आई थी। अनुमान किया जाता है कि वह अपराधी गांधीजी के 'अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलन से चिढ़ गया था। फिर भी उसके बम ने सात निरदोष व्यक्तियों को घायल किया। सौभाग्य से किसी को गहरी चोट न आई। दूसरी घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुई। यहाँ किसी तेज मिजाज सुधारक ने आपे से बाहर होकर बनारस के परिचित लालनाथ का, जो हरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी थे, सिर फोड़ दिया। इस दूसरी घटना को लेकर गांधीजी ने ७ दिन का उपवास किया। सार्वजनिक मामलों में एक-दूसरे से मत-भेद रखनेवालों ने जिस असहिष्णुता का परिचय दिया था, वह प्रायश्चित्त उरु के विरुद्ध किया गया था।

गांधीजी ने हरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौरा करने का निश्चय किया था, पर दिसम्बर का महीना उनक लिए एक कसौटी ही सिद्ध हुआ। श्री केलपन ने गुरुवपुर-मन्दिर के दूरियों को तीन महीने का नोटिस दिया था और अब १ जनवरी १९३४ को अन्तिम निश्चय करना जरूरी था। इस निश्चय का अर्थ केलपन और गांधीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो सकता था। इसलिए यह तय किया गया कि गुरुवपुर-मन्दिर के उपासकों की राय ली जाय। इस प्रयोग का जो परिणाम हुआ वह शिक्षाप्रद भी था और सफल भी। इन बीच में डा० सुन्दायन ने मद्रास प्रान्त के मन्दिरों में अज्ञुतों के प्रवेश के सम्बन्ध में बिल भाषण कर दिया था और सरकार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी। गुरुवपुर के मतों में ७७ प्रतिशत उपासक अज्ञुतों के मन्दिर-प्रवेश के हक में थे। जिन लोगों ने राय देने से इन्कार कर दिया था उन्हें निकाल, कर २०,१६३ रुपये आईं जिनमें से मन्दिर-प्रवेश क पक्ष में १५,५६३ या ७७ प्रतिशत था, मन्दिर प्रवेश क विरुद्ध २,५७६ या १३ प्रतिशत थीं, और उरुध २,०१६ या १० प्रतिशत थीं। इन मतों में बिलक्षणता यह थी कि ८,००० से भी अधिक न्त्रियों ने हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश क पक्ष में रुपये दौ।

नये वर्ष का आरम्भ शुभ हुआ, क्योंकि गांधीजी का आमरण उपवास टल गया। पर सत्याग्रह क सम्बन्ध में प्रगति इतनी सन्तोषजनक न थी। जो कैदा जेल से छूटे वे भयोल्लाह हो गये थे। जिन प्रान्तीय नेताओं ने पूना में वचन दिया था कि यदि सामूहिक सत्याग्रह त्याग दिया गया और स्थितिगत-सत्याग्रह आरम्भ किया गया तो वे अपने-अपने प्रान्तों का नेतृत्व करेंगे, उनमें से कुछ को छोड़ कर बाकी सबने अपने वचन का मुला दिया। जो जेलों से छूटे वे दूसरी बार सजा काटने में या तो असमर्थ थे, या तैयार न थे। जो तैयार थे उन्हें सरकार पकड़नी न थी। सरकार ने यह तरीका सोच निकाला था कि वह लाठियों की वर्षा करती, और छोटी जेलों में रख कर कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करती। वह कैदियों को रिहा करती, फिर गिरफ्तार करती और कुछ समय बाद फिर छोड़ देती। यह कार्रवाई भ्रष्टानेवाली थी। इससे सजा के द्वारा सत्याग्रहियों को जो विभ्राम मिलता उसमें वैकन्त हो गये। ऐसा हो रहा था मानों दिल्ली चूँ के मुँह में पकड़ कर भंगोड़ दे, छोड़ दे और फिर पकड़ ले। इस प्रकार न तो यह उष चूँ को मारती ही, न छोड़ती ही।

गांधी जी की रिहाई

सरकार ने गांधी जी को वे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी रिहाई के पहले दी गई थीं। इसलिए अब दुबारा गिरफ्तारी के चोड़े दिनों बाद ही गांधीजी को फिर गिरफ्तार कर आरम्भ करना पड़ा। सरकार अड़ती रही। पर गांधीजी की अवस्था बड़ी शीघ्रता के साथ खराब होने लगी और उन्हें २० अगस्त को, अर्थात् अनशन के पाचवें दिन, पूना के सेसन हॉस्पिटल कैदी की हैसियत से पहुँचाया गया। पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि गांधीजी प्राण सङ्कट में हैं। इसलिए उस दिन उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। इस परिस्थिति ने गांधीजी को असमजस में डाल दिया। पर अपनी रिहाई की अवस्था को ध्यान में रखकर और गिरफ्तारी, अनशन व रिहाई के चूहे और बिल्ली वाले खेल को जान-बूझ कर बताने करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने-आपको रिहा न समझना चाहिए और अपनी सजा की अवधि की समाप्ति तक, अर्थात् ३ अगस्त १९३४ तक, मर्यादित समय से काम लेना चाहिए, और सत्याग्रह के द्वारा गिरफ्तारी को निमन्त्रण न देना चाहिए। साम ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वयं तो सत्याग्रह न करेंगे, पर जो लोग सत्याग्रह मांगेंगे उन्हें अवश्य ठीक मार्ग दिखायेंगे और राष्ट्रीय-आन्दोलन को गलत रास्ता पर नहीं ले जाएंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि इस अवधि के अधिकारा भाग को वह हरिजन-आन्दोलन की उन्नति में लगायेंगे।

जवाहरलालजी की रिहाई

इसपर श्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिगड़ता जा रहा था और अक्सर पर उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई। इसलिए मुक्तप्रान्त की सरकार ने ५ अगस्त को उनकी अवधि से कुछ दिन पहले रिहा करने का निश्चय किया जिससे वह अपनी माता के पोर इच्छास्य में उनके पास रह सकें। ३० अगस्त को जवाहरलालजी छोड़ दिए गये। माता के स्वास्थ्य में सुधार होते ही वह सीधे पूना पहुँचे जहाँ गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे थे। गांधीजी १६-१२ में गोलमेज-परिषद् के लिए रवाना हुए थे तब से इन दोनों की यह पेंट थी। अतः स्वभावतः देश की अवस्था और प्रस्तुत कार्य-क्रम के सम्बन्ध में भी उनमें आ-आपसी बातचीत हुई। इस बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों में एक-दूसरे पर भी दृष्टा जियने जनसंख्या आगे भोजपुर कार्य-क्रम के सम्बन्ध में दोनों ने अपने-आपने दायित्वों का पकड़ किया। कांग्रेस के तत्कालीन कार्य-कारण की सूचना और पत्र-प्रदर्शन के लिए बाद में यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित भी किया गया।

हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में यात्रा

गांधीजी ने शत्रुनिन्द-लेख में निरिधय रहने के लिए विवश होने पर उस अवधि की ही जन-कार्य में लगाने का निश्चय किया था। इस निश्चय का अनुसरण उन्होंने हरिजन-आन्दोलन के लिए १९३३ के मध्य में देश में दौरा करने शुरू किया। उन्होंने २५ अगस्त के रोज़े काशी छोड़ दिया व रोज़े चिया, और इन दस दिनों का प्रत्येक दिन अक्षरशः ही जनसंख्या के सम्बन्ध में उन जनसंख्या को इस बारे में उत्साह जोड़ने में रीत। इस दौर से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। गांधीजी के आगमन के बाद ही १९३० के समय में ही उत्साह से लकी थी। गांधीजी ने अपने रोज़े के अन्तर्गत-विस्तार के लिए जनसंख्या को उत्साहित किया। जनसंख्या के अन्तर्गत ही हरिजन-आन्दोलन के, जो इनके करने में बहुत ही अधिक योगदान

बाहर वालों को काफी ज्ञान नहीं है। (बिहार में जो सहायता-कार्य किया गया उसका प्रामाणिक वृत्तान्त परिशिष्ट न० ६ में दिया गया है।)

अपना बिहार का दौरा समाप्त करने पर प० जवाहरलाल एक बार फिर सरकार के कैदी बने। जब वह कलकत्ता गये थे, तो उन्होंने बंगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्बन्ध में दो भाषण दिये थे। बंगाल सरकार आतंकवादियों का जिक्र, उनको खुल्लमखुल्ला निन्दा को छोड़कर, और किसी रूप में, सुनने को तैयार न थी। परियट्ट जवाहरलाल ने अपने सष्ट भाषणों में, आतंकवाद की मनोवृत्ति और उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया था उसकी चर्चा की थी। बंगाल की नौकरशाही को यह सहन न हुआ। जबतक वह बिहार में मानवता के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबतक बंगाल-सरकार के औचित्य में उसे उनपर हाथ डालने से रोक रक्खा; पर अभी वह अपने घर कठिनाता से पहुँचे होंगे कि उनके लिए जेल का दरवाजा फिर खोल दिया गया। उनपर कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष सारी कैद की सजा दी गई।

कॉमिल-प्रवेश का प्रोपाम

जुलाई १९३३ की पूना परिषद् के बाद से ऐसे कांग्रेसवादियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, जिनका यह विचार हो रहा था कि आर्दिनेन्स के शासन के कारण देश में जो अवस्था उत्पन्न हो गई है उसको ध्यान में रखकर इस 'निश्चेश' से उद्धार पाने के लिए कॉमिल-प्रवेश का कार्यक्रम अपनाया आवश्यक है। इस विचार ने सगठित रूप धारण किया और इस प्रकार के विचार रखने-वाले कांग्रेसी-नेताओं को एक परिषद् बुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोस रूप देने का निश्चय किया गया। यह परिषद् दिल्ली में ३१ मार्च १९३३ को डॉ० अन्तारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वराज्य-पार्टी भाग कर दी गई है उसे दुबारा जीवित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसवादियों को जो अर्थागत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं, मतदाताओं को अच्छी तरह सगठित करने और गांधीजी के जुलाई १९३३ वाले पूना के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का अवसर दिया जाय। इस परिषद् ने यह विचार भी प्रकट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कॉमिल के आगामी निर्वाचनों में भाग लेना आवश्यक है। इस उद्देश-वृद्धि के लिए परिषद् ने निश्चित किया कि निर्वाचनों दो लक्ष्यों को लेकर लड़े जायें - (१) सारे हमनकारी बान्नों को रद्द करना और (२) स्ट्राइट-वेयर की योजनाओं को रद्द करके उनका स्थान उन राष्ट्रीय भागों को दिलाना जिनका जिक्र गांधीजी ने मोलमेज-परिषद् में किया था। परिषद् ने यह निश्चय करने के बाद गांधीजी के पास डॉ० अन्तारी, भी भूलाभाई देसाई और डॉ० विधानन्द राय का एक टिष्टमण्डल भेजा कि वह इन प्रस्तावों के विषय में उनसे बातचीत कर और उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले।

इस अवसर पर गांधीजी बिहार के भूकम्प-वर्धित स्थानों का दौरा कर रहे थे और लखनऊत अन्तर्गत मोन-दिवस (२ अप्रैल, १९३०) मद्रास नामक एक अस्थान स्थान पर बिता रहे थे। यद्यपि उ होने दिल्ली के हाल-चाल जाने बिना ही एक वक्तव्य तैयार किया, जिसे वह ट्रेन में देना ही चाहते थे कि उनके पास डॉ० अन्तारी का मन्देशा आया कि कल दिल्ली-परिषद् ने एक टिष्ट-मण्डल नियुक्त किया है जो आपसे मिलने पटना आ रहा है। गांधीजी ने उस टिष्ट मण्डल से बातचीत होने तक वह वक्तव्य रोक रक्खा और अन्त में अच्छी तरह बातचीत होने के बाद ७ एप्रिल को वह मण्ड-

बिहार-भूकम्प और जवाहरलालजी की गिरफ्तारी

१६ जनवरी को सारा भारत हकबका कर रह गया। जब सुबह के समाचार पत्रों ने गहर के बिहार के भूकम्प की अभूतपूर्व विपत्ति के समाचार घर-घर पहुंचाये तो सब सड़सड़ा गये। कुछ ही मिनटों के भीतर प्रान्त की शबल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानना तक हो गया। हजारों इमारतें धूल में मिल गईं और पृथिवी के गर्भ में समा गईं। जमीन के भीतर से निकल कर हरी भरी खेती के प्रशस्त मैदानों को नष्ट कर दिया। ११० डिग्री के तापमान पर १५०० फीट पृथिवी के नीचे से निकला। जहां प्राणदायी जल की नदियां बहकर पृथिवी की करती थीं, या जहां मुस्कुराती हुई खेतिया अपने बदनस्थल पर बे भार प्रहण किये हुए थीं जिन लाखों के प्राणों की रक्षा होती थी, वहीं रेत का मैदान छा गया। पलक मारते हजारों परिवार और हजारों स्त्रियां विधवा हो गईं और उनके निर्दोष बच्चे गिरते हुए मकानों के बीच में दब गये। प्रकृति ने बिहार में कुछ मिनटों के भीतर जो गजब टाया उसका वास्तविक-चित्र निश्चिन्त आंकड़े क्या दे सकेंगे। फिर भी कुछ आंकड़े दिये जाते हैं। भूकम्प का प्रभाव ३०,००० वर्ग की लगभग डेढ़ करोड़ जनता पर पड़ा। २०,००० मनुष्यों के प्राण गंवाने की बात कही जा रही है। लगभग दस लाख घर नष्ट हो गये, या टूट-फूट गये। ६५,००० कुएं और तालाब या तो नष्ट हो गये या टूट-फूट गये। लगभग १० लाख बीघा खेती पर रेत छा गया और वह निरुम्मी हो

इस भयकर सङ्कट का सामना करने के लिए बिहार और भारत दोनों पीछे न रहे। के द्वारा लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुआ, बिहार केन्द्रीय रिलीफ फण्ड में जून के अन्त २७ लाख से अधिक एकत्र हो गया। अधिकांश नेता और कार्यकर्ता भारत के भिन्न-भिन्न भागों पीड़ितों के कष्ट-निवारण का कार्य करने को दौड़ पड़े। बिहार-रिलीफ-कमिटी की ओर से रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितनी अधिक हानि हुई थी और २३८ करोड़ २,००० से ऊपर कार्य-कर्ताओं ने किस लगन के साथ काम किया था।

बिहार के विप्लव-प्रदेश में बाहर से आये नेताओं में पण्डित जवाहरलाल भी थे। उनका आगमन समवेदना का परिचायक-मात्र हो, सो बात न थी। उनका आगमन सेवा-कार्य का प्रतीक उदाहरण था। जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुष्य दबे पड़े हैं, तो उन्हें स्वयंसेवक का बिल्ला लगाया, कंधे पर फावड़ा रक्ता और उस स्थान को खाना हो गये। उन साथ-साथ स्वयंसेवक हाथों में फावड़े लिए मौजूद थे। उन्होंने और अन्य कार्यकर्ताओं ने धरत चलाये और मिट्टी की टोकरीया अपने सिरों पर ढोईं। बिहार के भूकम्प ने गांधीजी के कार्य-कर्म में भी विप्लव डाला। बिहार और बिहार के कार्यकर्ताओं को इस समय भूकम्प और बाढ़ के हाथों से उत्पन्न हुई जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा था। गांधीजी ने एक मास तक उनका परामर्श किया और उन्हें परामर्श दिया। फल यह हुआ कि देशभर के प्रतिनिधियों की एक परिषद हुई जिसमें कष्ट-निवारण-कार्य के संचालन के लिए बिहार-सेप्टल-रिलीफ-कमिटी को काम दिया गया, जोकि एक गैर-सरकारी आयोगन था और जिसमें कमिश्नर कार्य-कर्ताओं की प्रधानता थी। जनता गांधीजी बिहार में रहे, उन्होंने पीड़ित नगरों और गांवों का दौरा किया, इस महान् संकट की शिवाय जनता की दयनीय दशा को स्वयं देखा और नई नई कमिटी की अनेक कार्यक्रम रिपर करने में सहायता की। उन्होंने अनेक कार्य-कर्ताओं को भी फटनास्थल पर भेजा और उनकी योजनाएं बिहार के कार्य-कर्ता कर दीं। अब भी इन प्रान्त को जटिल और महान् समस्याओं का सामना करना है जिसका

कराना, उन सारे कानूनों और प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोषण करने वाले हों, ग्राम-संगठन करना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-व्यवस्था, विनिमय, कृषि आदि के मामलों में सुधार करवाना और अन्दर में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम पूरा करना कर्त्तव्य माना गया।

इन सब विषयों पर १८ और १९ मई १९३४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा हुई। यहाँ यह बात भी बह देना जरूरी है कि कांग्रेस की महासमिति ही एक मात्र ऐसी सस्था थी, जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी। गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :—

“चूंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत काफी है जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में कौंसिल-प्रवेश को आवश्यक समझते हैं, इसलिए महासमिति पवित्रत मदनमोहन मालवीय और डॉ० अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती है। इस बोर्ड का नाम होगा पार्लियेमेंटरी-बोर्ड, और इसके प्रधान होंगे डॉ० अन्सारी। इसमें २५ से अधिक कांग्रेसवादी न रहेंगे।

“यह बोर्ड कांग्रेस की ओर से कौंसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा और इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का अधिकार रहेगा।

“यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे अपना विधान तैयार करने और अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का अधिकार रहेगा। यह विधान और नियम-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रखे जायेंगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की आशा पर काम में ले लिये जायेंगे। बोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा जो कौंसिलों में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की प्रतिज्ञा लेंगे।”

समय में एक ही आदमी तक सीमित रहना चाहिए। यह आजमाहरा परने कभी नहीं की गई थी, अब करनी चाहिए।

“मैं पाठकों को सावधान करना चाहता हूँ कि वे सत्याग्रह को निष्किय प्रतिनिधि-भाव न समझ लें। सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोध की अपेक्षा कहीं ज्यादा नीज है। सत्याग्रह सत्य की अपेक्षित शक्ति है, और इस शक्ति के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उसका उपयोग पूर्ण अहिंसात्मक साधनों के द्वारा ही हो सकता है।

“पर इससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रही क्या करें? यदि उन्हें फिर कभी आह्वान होते ही आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आत्म-त्याग और स्वेच्छापूर्वक प्रवेश की गई परिदृष्टि की कला और सुन्दरता को समझना होगा। उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्य में लगना चाहिए। उन्हें स्वयं हाथ से कात-बुनकर खहर का प्रचार करना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ निरंतर सम्पर्क स्थापित करके लोगों के हृदयों में साम्प्रदायिक ऐक्य का बीज बो देना चाहिए। स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा असुरक्षितता का प्रत्येक रूप में निवारण करना चाहिए और परोचार्जों के साथ सम्पर्क स्थापित करके और अपने आचरण को पवित्र रखकर मादक-द्रव्य के त्याग का प्रसार करना चाहिए। ये सेवाएँ हैं जिनके द्वारा गरीबों की तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग अहिंसात्मक आदमी की भांति न रह सकते हों, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धंधे में पक जाना चाहिए, जिनमें अंतन मिल जाय। यह बात समझ लेनी चाहिए कि सत्याग्रह उन्हीं के लिए है जो स्वेच्छा से कानून और अधिकार के आगे सिर झुकाना जानते हों, और झुकाने हों।

“यह कहना आवश्यक है कि इस वक्तव्य को प्रकाशित करके किसी प्रकार में कार्य के अधिकार में दस्त-बंदगी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उन लोगों को परामर्श-भाव दे रहा हूँ जो सत्याग्रह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हों।”

डॉ० अन्वारी ने भी इसी अवसर पर एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह शपथ कर दिया कि गांधीजी ने अपनी हार्दिक और स्वतः दी हुई सहायता के द्वारा कांग्रेस में विरोध और भेदभाव को गायब करने का दूर कर दिया है। अब कौन्सिल के भीतर और बाहर रहकर नुसल युद्ध किया जायगा, हमसे शिक्षित समाज और जनता की राजनीतिक निष्कियता और अन्तःकुपित असंतोष दूर हो जाय।

१९३४ की २ और ३ मई को रांची में एक बैठक स्वराज्य-पार्टी की राक्षिणाली और सर्वोच्च शक्ति का रूप देने के मुख्य उद्देश से की गई। इसका एक हेतु यह भी था कि गांधीजी उन पर अपनी मुहर लगा दें। इस बैठक का पहला प्रभाव दिल्ली-परिषद् के उन प्रस्तावों का अनुमोदन था, जिनके द्वारा स्वराज्य-पार्टी को जन्म दिया गया था और ब्राइट-वेयर प्रवर्धन करने और राष्ट्रीय मान्यता देने के निमित्त विधान-सभा (कांस्टिट्यूट एसेम्बली) बुलाने और दमनकारी कानूनों को रद्द कराने के उद्देश से बड़ी कौन्सिल के आगामी निर्वाचन में अपने उम्मीदवार चुनने का निर्णय किया गया था। इसके बाद स्वराज्य-पार्टी की संशोधित नियमावली को अपनाया गया। निर्णय के अनुसार अब स्वराज्य-पार्टी अपनी आन्तरिक व्यवस्था और आय-व्यय के मामले में स्वतंत्र हो सलाह लेने को बाध्य नहीं थी। किन्तु यह बात स्पष्ट रूप से तब हुई कि समाज नीति मन्त्री के प्रश्नों पर उसे कांग्रेस के बंधाये पथ पर चलना चाहिए।

३ मई १९३४ को रांची-परिषद् ने स्वराज्य-पार्टी का जो कार्य-क्रम निर्धारण किया उसमें उन कानूनों और विरोध विधानों को, जो राष्ट्र की समुचित और पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति के मार्ग में बाधक रद्द कराने की बात रखती हैं। —

उन्होंने पैदल चलने का नया प्रयोग आरम्भ कर दिया था और इसे जारी रखना था। पर पटना में खलल डाल दिया। किन्तु उन्हें इसपर कोई रोष न था। अपने ७ अप्रैल १९३४ वाले वक्तव्य के द्वारा उन्होंने इस खलल को निम्नप्रणय दिया था। अब उन्हें इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्याग्रह बन्द करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार अपने पास रखने पड़े। उन्होंने १९३० की फरवरी में भी इसी प्रकार, कार्य-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके द्वारा उन्हें नमक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार मिला था, सत्याग्रह आरम्भ किया था। जिस प्रकार आन्दोलन का आरम्भ हुआ था, उसी प्रकार उसका अन्त भी हो गया। गांधीजी ने एकबार फिर पटना में महासमिति के सामने दो भाषणों में अपनी आत्मा खोलकर रख दी थी।

मई १९३४ में भारत में समाजवादी-दल का जन्म हुआ। १७ मई १९३४ को इसका पहला अखिल-भारतीय अधिवेशन पटना में आचार्य नेन्द्रदेव की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में कौंसिल प्रवेश और सूती मिलों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के बाद यह निश्चय किया गया कि कमिश्न के भीतर एक अखिल-भारतीय समाजवादी संस्था कायम करने का समय आ गया है। एक सशुद्ध कमिटी नियुक्त की गई, जिसके जिम्मे उक्त संस्था के योग्य कार्यक्रम और विधान तैयार करने के सम्बन्ध-अधिवेशन के सामने पेश करने का काम किया गया। पटना का बैठक के बाद सं समाजवादी-दल की शाखायें अनेक प्रान्तों में कायम हो गई हैं।

पटना के निश्चय के बाद ही कमिश्न के कार्य का क्षेत्र बदल गया। सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हुआ और कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम आरम्भ हुआ। अब केवल गांधीजी ही सत्याग्रह करने के लिए रह गये। गांधीजी ने उसल में हरिजन-आन्दोलन के सम्बन्ध में दौरा फिर जारी कर दिया और इसके बाद युक्तप्रान्त की बारी आई। गांधीजी ने राजनैतिक कार्यों में भाग न लेने के सम्बन्ध में अपने लिए जो अग्रिम कायम की थी, उसका भी अन्त आ रहा था। यदि गांधीजी का अनशन सरकार को उन्हें मियाद से पहले ही छोड़ने को बाध्य न करता तो यह ४ अगस्त को छोड़े जाते। लोग-बाग इस तर्क-त्रिक में पड़े थे कि गांधीजी अग्रिम सामान्य होने के बाद क्या करेंगे? भारत सरकार ने उन्हें सीमांत-प्रदेशों में जाने की अनुमति न दी थी, तो क्या वह सरकारी नियोगों की अवहेलना करके वहाँ जायें और इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी कर देंगे? नहीं तो उन्होंने स्पष्टीकृत सत्याग्रह करने का अधिकार अपने तक सीमित क्यों रक्खा? परन्तु जब उन्होंने देश को निर्वाचन के लिए उम्मीदवार लड़े करने की इजाजत दे दी है, तो क्या वह अब जेल का आश्रय करके देश को शोक और असमझ के गर्त में गिरा देंगे? यह बात तो समझ में नहीं बैठती; यह गांधीजी के योग्य नहीं। पर गांधीजी प्यारे जो करें या न करें, बौन निर्वाचनों के लिए लड़ा होगा और बौन नहीं, कमिश्नरियों के लिए देश में काफ़ी बुनियादी काम पड़ा था। १९३२के आरम्भ में महासमिति को छोड़कर कमिश्न की और उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को गैरकानूनी बना दे दिया गया था। सरकार ने कमिश्न की संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठाने की कार्रवाई शीघ्र की, और १९३४ की २२ जून की अधिकांश पर से प्रतिबन्ध उठ गया। हाँ, सीमांत प्रदेश और बंगाल की कश्मिर्क संस्थाओं और उनमें संलग्न अन्य संस्थाओं—जैसे हिन्दूस्तानी सेवादल—उसी प्रकार गैरकानूनी रही। कुछ प्रान्तों में सरकार ने उन संस्थाओं पर धारण करवाये रक्खा किन्तु सम्बन्ध, उसकी राय में, प्रकृत का अग्रवत्त्व कर से सत्याग्रह से था। इनमें से कुछ हमारे ही १९३५ के मध्य तक बन्द नहीं हो गईं। सरकार ने यह भी चेष्टा की कि उनकी नीति सत्याग्रही कैदियों को शीघ्र छोड़ने की है, पर तो भी जानेक देती, विशेषकर गुजरात के कैदी, जेलों में ही रहे। कई कमिश्नरी, बन्दों के अपनी नयी आयु-भाग विविध

बनाये। हाँ, यदि आवश्यक हो तो महत्वपूर्ण अल्प-संख्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खासतौर से चुनकर भेजने का अधिकार रहेगा।

“व्हाइट-पेपर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वतः ही खारिज हो जायगा। अन्य भातों के साथ ही-साथ, विधानकारिणी सभा का यह भी कर्तव्य होगा कि वह महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का उपाय स्थिर करे और आमतौर से उनके हितों की रक्षा का प्रबन्ध करे।

“पर चूँकि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहरा मतभेद है, इसलिए इस सम्बन्ध में कांफ़ेस का दल प्रगट करना आवश्यक है। कांफ़ेस का दावा है कि वह भारतीय राष्ट्र की सारी जातियों की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए वर्तमान मतभेद के रहते हुए उस समय तक साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार कर सकती है न अस्वीकार, जबतक कि यह मतभेद मौजूद है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांफ़ेस की नीति फिर से घोषित कर दी जाय।

“साम्प्रदायिक समस्या का कोई भी हल, जबतक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, कांफ़ेस-द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। पर कांफ़ेस वचन दे चुकी है कि वह ऐसा कोई भी हल जो राष्ट्रीयता की तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे सम्बन्धित दल सहमत हो गये हों, स्वीकार कर लेगी, और इसके विपरीत उस हल को अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दल-विरोध सहमत न हुआ हो।

“राष्ट्रीय तराजू पर तौलने पर साम्प्रदायिक निर्णय बिलकुल असन्तोषजनक पाया गया है, और उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी घोर आपत्तिजनक बातें मौजूद हैं।

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निर्णय के घुरे परिणाम को रोकने का एकमात्र मार्ग आपस में समझौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस फ़ोर्लू मामले में ब्रिटिश-सरकार या किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना।”

सत्याग्रह की बन्दी के कारण सरकार ने सत्याग्रहियों को गिला-गुजारी करते हुए धीरे-धीरे छोड़ना आरम्भ कर छो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार वल्लभभाई पटेल, पण्डित जवाहरलाल और खान अब्दुलगफ़्फ़ारखा को रिहा न करने का उसने निर्णय कर लिया था। इनमें दो को, सरदार पटेल और खान अब्दुलगफ़्फ़ारखा को, जेल में अनिश्चित समय के लिए बन्द कर रक्खा था। उन्हें १९३२ की शुरुआत में ही विशेष फ़ानून के उपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, और सरकार जबतक चाहती उन्हें शाही कैदी की ड्रेसिंग से जेल में रख सकती थी। पर ऐसी परिस्थिति था पड़ी कि सरकार को विवशा होना पड़ा। सरदार वल्लभभाई पटेल की नाक का पुराना रोग था, जो इधर बहुत बढ़ गया और जुलाई लगते लगते रोग ने बड़ी भयङ्कर अवस्था धारण कर ली। सरकार-द्वारा नियुक्त किये गये मेडिकल-बोर्ड ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी है और आपरेशन तभी अच्छी तरह हो सकेगा जब वह स्वतन्त्र होंगे। फलतः सरकार ने उन्हें १४ जुलाई १९३४ को छोड़ दिया।

२७ से ३० जुलाई तक बनारस में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिसके दौरान में प० मदनमोहन मालवीय और भी अरबों के साथ बातचीत फिर आरम्भ हुई। कार्य-समिति मालवीयजी और भी अरबों का सहयोग प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक निर्णय को न स्वीकार और न अस्वीकार करने की मौलिक नीति को नहीं छोड़ सकती थी। इस कारण पण्डित मदनमोहन मालवीय ने कांफ़ेस-पार्लियेण्टरी-बोर्ड के सभापति-पद से इस्तीफा दे दिया और भी अरबों ने पार्लियेण्टरी बोर्ड और कार्य-समिति की सदस्यता को त्याग दिया। बङ्गाल को भी शिक्षायत थी कि हरिजनों को अतिरिक्त अगई क्यों दी गई ? इस प्रकार बंगाल का रूल कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय वाले मामले के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि पूर-नैकट के विरुद्ध भी था।

भारत में ही रहे तो भी, ब्रिटिश भारत में बाधन नहीं था मकं, और अब देशी शक्तों में एक प्रकार से नजरबन्द पड़े हैं। देश के विभिन्न स्थानों में उन अनेक व्यक्तियों को, जिनका सम्बन्ध स्वतन्त्र से य युवा या और जो विदेशों में अपने वैध काम-काज के सम्बन्ध में जाना चाहते थे, पासपोर्ट नहीं दिया गया। अतः।

पटना के निरन्तर के बाद ही से देश-भर के कांग्रेसवादियों ने कांग्रेस-कमिटियों का पुनस्तवण आरम्भ कर दिया था, और जून लगते लगते प्रान्तों में कांग्रेस-कमिटियाँ १९३२ के पहले की भाँति काम करने लगीं। तदनुसार कार्य-समिति की बैठक १२-१३ जून को वर्षों में और १७-१८ जून को बम्बई में हुई। इन बैठकों में नव-संगठित कांग्रेस कमिटियों के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

हाथ से कातकर स्वर तैयार करना और स्वर तैयार करने वाले इलाके में उसका प्रचार करना अक्षरपटा निवारण, साम्प्रदायिक एकता, मादक-द्रव्य-सेवन के त्याग और नशीली वस्तुओं से। रहने का प्रचार करना, राष्ट्रीय टग की शिक्षा की वृद्धि, छोटे छोटे उपयोगी उद्योग-धन्धों की वृद्धि प्राय्य जीवन का आर्थिक, शिक्छण, सामाजिक और आरोग्य-सम्बन्धी दृष्टि से पुनस्तवण करना वयस्क गाँववालों में उपयोगी ज्ञान का प्रचार करना, और मजदूरों का संगठन आदि ऐसे कार्य कर जो कांग्रेस के उद्देश्यों या सामान्य नीति के विरुद्ध न हों, और जो किसी प्रकार के सत्याग्रह का रूप में धारण न करते हों। कार्य-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस विरुद्धि की असंगति की ओर दिलाया, जिसके अनुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था; और कहा कि वर्षों कांग्रेस की अन्य संस्थाओं को कानूनी मान लिया गया है, पर खुदाई-खिदमतगारों पर, जो १९३१ में कांग्रेस के ही अंग हैं, उसी प्रकार प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सरकार ने इस असंगति से तो नहीं पर खुदाई खिदमतगारों और अफगान जिरते के विरुद्ध जारी की गई निषेधाज्ञा को वापस लेने से इन्कार कर दिया।

कार्य-समिति की बम्बई वाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया। वह था कि क्या इन्टर-पेपर की योजना और साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीति होनी चाहिए? कांग्रेस-पार्लियेमेंटरी-बोर्ड ने कार्य-समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था, इसलिए उसने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सर्व-जानते हैं। इस प्रस्ताव के पार होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौरान में स्पष्ट हो गया कि एक ओर पण्डित मदन-मोहन मालवीय और भी अण्ये के दृष्टिकोण में और दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है। पण्डित मदनमोहन मालवीय और भीअण्ये ने अनुभव किया है कि यह मतभेद होते हुए वे न पार्लियेमेंटरी बोर्ड से और न कार्य-समिति से ही अपना सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं; इसलिए उन्होंने अपने हस्तीके दाखिल कर दिये। पर आशा की गई कि अण्ये तरह बातचीत करने के बाद सम्भव है यह नौबत न आवे, इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें हस्तीके वापस लेनेको राजी कर लिया।

“इन्टर-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का प्रस्ताव इस प्रकार था :—

“इन्टर-पेपर से भारतीय लोकमत बिलकुल प्रगट नहीं होता और भारत के राजनैतिक दलों ने इसकी कमोवेश निन्दा की है, और यदि यह कांग्रेस को अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटाता है तो उसके कोसों दूर अवरण है। इन्टर-पेपर के स्थान पर एकमात्र मन्तोपज्याक वस्तु वह शासन-अवरण ही सकती है जिसे वयस्क म्प्राधिचार या उससे मिलते-जुलते साधन-द्वारा निर्वाचित विधान-द्वारिणी सम

जिन्होंने १९३० के और १९३२-३४ के युद्ध में पूरा मोर्चा लिया था। युद्धप्रिय पठानों के अहिंसा-मत की बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सन्तोषपूर्वक कष्ट सहे। सीमान्त-प्रदेश के प्रतिनिधि गर्व के साथ यह दावा करते हैं कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्त की मध्यकालीन और निरक्षर प्रणाली के द्वारा ही सम्भव हो सकते थे, पर उन्होंने अहिंसा का मार्ग कभी न छोड़ा। इसलिए देश में यहाँ से यहाँ तक लोगों का दिल यही कहता था कि उस प्रान्त के नेता को जेल में बन्द रखना अन्यायपूर्ण है। सीमान्त-प्रदेश के प्रश्न पर गांधीजी बड़े चिन्तित थे और वह यही विचार करने में लगे हुए थे कि उस प्रान्त के सम्बन्ध में सारी बातें स्वयं जानने की समस्या को कैसे सुलभ करें। इसलिए जब अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अचानक खान अब्दुलगफ्फारता और उनके भाई डॉ० खानैसाहब को छोड़ दिया गया तो जनता की बड़ी तसल्ली हुई। पर मुक्त होने पर भी उन्हें अपने प्रांत और अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने उन्हें छोड़ तो दिया, पर सीमान्त-प्रदेश में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यद्यपि सीमान्त-प्रदेश ने भी सत्याग्रह-बन्दी के आदेश का यावत् पालन किया था।

कार्य-समिति की बैठक २५ सितम्बर को वर्षों में हुई। इस अवसर पर लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति को दोहराया गया। बात यह थी कि कुछ कार्य-वादियों और अन्य सज्जनों को शराय होने लगा था कि पूर्ण-स्वराज्य के लक्ष्य को अब भुलाया जा रहा है। इसलिए एक प्रकार से कराची-कांग्रेस की स्थिति को दोहराया गया। 'आगामी निर्वाचनों' के सम्बन्ध में कार्य-समिति ने सारी प्रान्तीय और भावदत्त कांग्रेस-संस्थाओं को आज्ञा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लियेण्टरी-बोर्ड को सहायता देना अपना कर्तव्य समझें। कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हो उसे सहायता न दी जाय, और जिसकी आत्मा गवाही न देती हो उसे छोड़कर हरेक कांग्रेसवादी से आज्ञा की कि वह आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवारों की सहायता करेगा। एक दूसरे प्रस्ताव में जजीवार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्याय-भू-स्वत से वंचित किये जाने की कार्रवाई-सम्बन्धी कष्टों का जिक्र किया गया। भी अण्डे के नये दल के कारण विकट अवस्था उत्पन्न हो गई। इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह अनु-रोध किया था कि महासमिति की बैठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय' वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय। सभापति ने पवित्र मालवीय और भी अण्डे को स्वयं आकर अपने विचार पेश करने के लिए आमंत्रित किया। कार्य-समिति ने महासमिति की बैठक बुलाने के प्रश्न पर कई घण्टे तक विचार किया और अन्त में इस नतीजे पर पहुँची कि चूँकि कार्य-समिति को अपने निरचय के औचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, और चूँकि महासमिति के नये चुनाव अभी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती। बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कुछ सदस्यों को कार्य-समिति के प्रस्ताव के खिलाफ कोई शिकायत है तो महासमिति के ३० सदस्य महासमिति की बैठक करने की माँग पेश कर सकते हैं, जिसपर कार्य-समिति को बाध्य होकर बैठक बुलानी पड़ेगी।

कार्य-समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्णय'-सम्बन्धी निरचय का, अन्तःकरण के विरुद्ध होने के अक्षर पर, पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे पर पहुँची कि चूँकि कार्य-समिति ने इस बन्धन मुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए बन्धन-मुक्ति स्वीकार न की जाय। मालवीयजी ने भी अण्डे के द्वारा एक संदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यह उज्वलीय पेश की थी कि

कोई भी नेता उस बकादारी और भक्ति की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्धिशाली कामेसवादियों-
द्वारा प्राप्त हो चुकी है—वह भी ऐसी अवस्था में जब उनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कामेस के सामने
रक्नी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध व्यक्त किया है। मेरे लिए उनकी भक्ति तथा भ्रमा से अंध
और लाभ उठाना उनपर बेजा दबाव डालना है। उनकी यह बकादारी इस बात के देखने से मेरी आंख
को बन्द नहीं कर सकती कि कामेस के बुद्धिशाली लोगों और मेरे बीच मौलिक मतभेद मौजूद है।

“अब मेरे उन मौलिक मतभेदों को लीजिए। चर्खा और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान
दिया है। कामेस के बुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्खा काटना छुतप्राय हो गया है। साधारणतः उन
लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। फिर भी अगर मैं उनके विचारों को अपने माथ
रख सकता, तो मैं १) आने के बजाय नित्य चर्खा काटना कामेस में सहायिकार के लिए अनिवार्य
कर देता। कामेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा है वह शुरू से ही निर्जीव रही है और
कामेसवाले खुद मुझे यह चेतावनी देते रहे कि खादी की धारा के सम्बन्ध में जो पालक और डाल-
मयोल चल रही है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे यह समझना चाहिए था कि यह खादी वाली
शर्त सच्चे विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी बकादारी के ही कारण स्वीकृत
की गई थी। मुझे वह बात मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दलील में काफी सच्चाई है।
वर्षों मेरा यह विश्वास बढ़ता ही रहा है कि अगर भारत को अपने लाखों गरीबों के लिए पूर्ण-
स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और वह भी विशुद्ध अहिंसा-द्वारा, तो चर्खा और खादी शिष्टियों के लिए
भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिए जैसे कि अर्द्ध-बेकारों तथा लाखों की संख्या में अक्षय रहनेवालों
के लिए हैं, जो भगवान् के दिये हाथों को काम में नहीं लाते और प्रायः पशुओं की तरह पृथिवी पर
भारतीय हो गये हैं। इस प्रकार चर्खा सच्चे अर्थ में मानव गौरव तथा समानता का शुद्ध चिह्न है।
वह खेती का एक सहायक-वन्धा है। वह गधू का दूसरा फेफड़ा है जिसे काम में न लाने से हम नष्ट
हो रहे हैं। फिर भी ऐसे कामेसवादी बहुत ही थोड़े हैं कि जिनको चर्खे के भारत-व्यापी सामर्थ्य में
विश्वास है। कामेस-विधान में से खादी की धारा को हटा देने का अर्थ यह है कि कामेस और देश
के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टूट गई। इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न
कामेस अपने जन्मकाल से ही करती आ रही है। यदि उक्त सम्बन्ध फायम रखने के लिए वह धारा
बनी रहेगी तो उसका सन्ती से पालन करना पड़ेगा। पर यह भी अराक्य होगा, यदि कामेसवालों का
प्रायः बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो।

“इसी प्रकार पार्लियेण्टरी-बोर्ड की बात लीजिए। यद्यपि मैं अद्भुतयोग का प्रणेता हूँ, ता भी
मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था में जब उसके सामने किसी सामूहिक सत्याग्रह की कोई
योजना नहीं है, कामेस के नियंत्रण में एक पार्लियेण्टरी पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रम का आवश्यक
अंग है। यहाँ भी हम लोगों के बीच गहरा मतभेद है। पटना की महासमिति की बैठक में जिस
जेर से मैंने इस कार्यक्रम को पेश किया था उसने हमारे बहुल-से-अच्छे-अच्छे साथियों को व्यथित
किया, और उसपर चलने में वे हिचकिचाये। किसी हद तक अपने मत को दूसरे ऐसे व्यक्ति के मत के
आगे जो बुद्धि या अनुभव में बड़ा समझ जाता है दबा देना एक सस्था की निर्धिकार उचित के
लिए हितकर और वाञ्छनीय है। किन्तु यह तो एक भयंकर अत्याचार होगा, यदि अपना मत इस
प्रकार बार बार दबाना पड़े। यद्यपि मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि यह अवाञ्छनीय परिणाम उत्पन्न
हो, किन्तु फिर भी मैं इस बात को साधारण जनता और अपनी अन्तर्गता से द्विग नरो सकता
कि वास्तव में बरबर यही दुःखद स्थिति चली आ रही थी। बहुल-से मेरे मित्र मेरा विरोध करने के

व्यर्थ के पारस्परिक तनाव और संपर्क को बचाने के लिए यह अच्छा होगा कि प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदों की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को हटा लिया जाय जिनके सफल होने की सम्भावना कम हो। इसपर कोई समझौता न हो सका। पर पार्लियेण्टरी-बोर्ड ने यह निश्चय किया कि जिन जगहों के लिए मालवीयजी और भी अण्डे रखे हों उनके लिए उम्मीदवार रखे न किये जायें। बोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि सिन्ध में और कलकत्ता शहर में उम्मीदवार रखे न किये जायें।

गांधीजी के कांग्रेस से हटने की बात

इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। यह चर्चा कांग्रेस की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे। यह कोरी किम्बदन्ती ही न थी, क्योंकि उनके घुटने मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, और इसके बाद बंगाल व काश्मीर से जो लोग किसी-न-किसी कार्यवश उनके पास वर्षा पहुँचे, उनसे वह इसकी चर्चा करता करते थे। गांधीजी ने १७ सितम्बर १९३४ को वर्षा से नीचे लिखी वक्तव्य प्रकाशित किया:—

“यह अफवाह सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात सोच रहा हूँ। वर्षा में अभी हाल में कार्य-समाप्ति और पार्लियेण्टरी-बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए जो मित्र यहाँ आये थे उनमें मैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध किया और उनकी इस बात से वाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कांग्रेस से अलग ही होना हो तो वह सम्बन्ध-विच्छेद कांग्रेस के अधिवेशन के बाद ही होना अच्छा होगा। पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त और भी रक्षात्मक कदवाई ने मुझे एक बीच का रास्ता भी सुझाया था। आप लोगों ने यह सलाह दी थी कि कांग्रेस में तो बना रहूँ, पर उसके सक्रिय-प्रबन्ध से अलग रहूँ। मगर सरदार वल्लभभाई पटेल और मौलाना अबुलफलाम आजाद ने इस राय का जोरों से विरोध किया। सरदार वल्लभभाई पटेल ने मेरी इस बात से सहमत हैं कि अब वह समय आ गया है जब मुझे कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। परन्तु बहुत-से लोग ऐसे भी हैं जो इस राय से सहमत नहीं हैं। प्रश्न के तमाम पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि समझदारी का मार्ग तो यही है कि अपना सक्रिय निश्चय कम-से-कम अक्टूबर में होनेवाले कांग्रेस-अधिवेशन तक स्थगित रखूँ। अन्तिम निश्चय को स्थगित कर देने की बात इस दृष्टि से पसन्द आई कि इस बीच में मुझे अपनी इस धारणा की बचत कर लेने का मौका मिल जायगा कि कांग्रेस के बहुत-से बुद्धिशाली लोग मेरे विचारों, मेरे कार्यक्रमों और मेरी प्रणाली से उकता गये हैं और वे यह सोचते हैं कि कांग्रेस की स्वामयिक प्रगति में मैं बड़ा बाधक के एक बाधक बनता जा रहा हूँ। वह यह भी सोचने लगे हैं कि कांग्रेस देश की एक सर्वोच्च लोक-सन्ध्यात्मक और प्रतिनिधिभूलक संस्था होने के बजाय मेरे प्रभाव में आकर मेरे ही हाथों की कृपण बननी जा रही है और उसमें अब बुद्धि तथा दलील के लिए कोई स्थान बाकी नहीं रहा।

“अगर मुझे अपनी धारणा की सच्चाई की जाँच करनी हो तो यह जरूरी है कि मैं सर्वोच्च के सामने उन बर्खास्त हो सकूँ जिनके आधार पर मेरी यह धारणा बनी है, तब ही आपने उन प्रस्तावों को भी रख दूँ, जो उन कारणों पर निर्भर करते हैं, ताकि कांग्रेसवादी उन प्रस्तावों पर अपना वोट देकर अपनी नाफ-नाफ राब जाहिर कर सकें।

“दूसरे विषयसम्बन्धित मामलों में रहने की कीर्तिशय करूँगा। मुझे ऐसा माहुर हो रहा है कि बहुत-से कांग्रेसियों और मेरी विचार-दृष्टि के बीच एक बड़का दूरा और गहरा अन्तर मौजूद है। मुझे ऐसा मत हो रहा है कि बहुत-से बुद्धिशाली कांग्रेसियों में यह मत है कि मैंने कांग्रेस के नुकसान के लिए उस दिशा की ओर

किये जानेवाले सत्याग्रह की गूढ़ सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मेरा यह निरन्तर आवश्यक था ! परन्तु यहाँ भी कांग्रेसियों का दोष नहीं है । पर इस विषय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारता-पूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में अपना मत दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में मुझे अधिकाधिक कठिनाई मालूम हुई है ।

“इन प्रस्तावों पर अपने बौद्धिक विश्वास को दबाकर मत देते समय जिस कष्ट का अनुभव उन्हें हुआ होगा उसके स्मरण मात्र से मुझे उसी कम पीड़ा नहीं होती । जो हम सबका लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मैं और वे इस प्रकार के दबाव से मुक्त रहे । इसलिए यह भी आवश्यक है कि सबको अपनी धारणा के अनुसार निर्भीकता से कार्य करने की स्वतन्त्रता रहे ।

“सत्याग्रह-आन्दोलन स्थगित करने के बारे में पटना से मैंने जो वक्तव्य प्रकाशित किया था उसमें मैंने लोगों का ध्यान सत्याग्रह की विफलता की ओर दिलाया था । अगर हममें पूर्ण अहिंसा का भाव होता तो वह स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता और सरकार से छिपा न रहता । निस्सन्देह सरकार के आर्बिट्रेशन हमारे किसी कार्य या हमारी किसी गलती के कारण नहीं बने थे । वे तो चाहें जिस प्रकार हमारी हिम्मत तोड़ने को बनाये गये थे । पर यह कहना गलत है कि सत्याग्रही दोष से परे थे । यदि बराबर हम पूर्ण अहिंसा का पालन करते तो वह छिपी न रहती । हम आतंकवादियों को भी यह नहीं दिखला सके कि हमें अहिंसा में उससे अधिक विश्वास है जितना उन्हें हिंसा में है । बल्कि हममें बहुतों ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उन्हीं की तरह हिंसा का भाव भरा है, अन्तर इतना ही है कि हम हिंसायुक्त कार्यों में विश्वास नहीं करते । आतंकवादियों की यह दलील युक्तिसंगत है कि जब दोनों के मन में हिंसा का भाव है तब हिंसा करना चाहिए या नहीं यह बचल मत का प्रश्न रह जाता है । यह तो मैं बार-बार कह ही चुका हूँ कि देश अहिंसा के मार्ग पर बहुत अग्रसर हुआ है, और यह भी कि बहुतों ने शेरद साहस और अपूर्व त्याग दिखाया है । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम मन, बचन और कर्म से विरुद्ध अहिंसक नहीं रहे हैं । अब मेरा यह परम-धर्म हो गया है कि मैं सरकार और आतंकवादियों दोनों को ही यह दर्पणवत्, दिखला देने का उपाय दृढ़ निकालूँ कि अहिंसा में सही लक्ष्य को, जिसमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिल है, प्राप्त कराने की पूर्ण सामर्थ्य है । अहिंसात्मक साधन का अर्थ है हृदय-परिवर्तन, न कि बलात्कार ।

“इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन अर्पित है, मुझे पूर्ण निष्ठा और स्वतन्त्र रहने की आवश्यकता है । खनिज-अवकाश जिस सत्याग्रह का एक अग्रमात्र है, वह मेरे लिए जीवन का एक व्यापक नियम है । सत्य ही मेरा नारायण है । अहिंसा के द्वारा ही मैं उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं । मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया की स्वतन्त्रता सत्य के अनुमन्थान में ही सन्निहित है । सत्य की इस खोज को मैं न तो इस लोक के लिए स्थगित कर सकता हूँ, न परलोक के लिए । इसी अनुमन्थान के उद्देश्य से मैंने राजनैतिक-क्षेत्र में प्रवेश किया है और अगर मेरी यह बात बुद्धिवाली कमिसियों की बुद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी अनुमन्थान के द्वारा पूर्ण स्वधीनता और ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ जो सत्य का अंश हैं, प्राप्त हो सकती हैं तो यह स्पष्ट है कि अब मैं अनेक ही काम करूँ और यह दृढ़ विश्वास रखूँ, कि जिस बात को आज मैं अपने देशवासियों को नहीं समझ सकता वह एक दिन आप-से-आप उनकी समझ में आजायगी या कदाचित् अपनी किसी ईश्वर-प्रेरित वाणी या कृत्य से मैं लोगों को समझ सकूँ । ऐसे बड़े महत्व के विषय में यन्त्र की तरह घोट देना अथवा आधे मन से अनुमति देना उद्देश-सिद्धि के लिए हानिकारक नहीं सो सर्वथा अप्रयोज्य तो है ही ।

विषय में इतारा हो गये हैं। मेरे जैसे जन्मना लोकतंत्रवादी के लिए इस भेद का खुल जाना बड़ा बात है। मैंने गरीब-से गरीब मनुष्य के साथ अपने को मिला देने और उससे अच्छी दशा में न रहने की तीव्र अभिलाषा अपने हृदय में रखी है, और उम सतह तक पहुँचने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न किया है। और इन कारणों से अगर कोई लोकतंत्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो वही दावा मैं करता हूँ।

“मैंने समाजवादी-दल का स्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से आदरणीय और आत्मतत्परा साथी मौजूद हैं। यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छुपा है उससे मेरा सौंदास्य नतभेद है। किन्तु मैं उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलाना अपने नैतिक दायव से नहीं कर सकता। मैं उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो उनमें से कुछ सिद्धान्त मुझे कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन सिद्धान्तों को काम्रेस ने स्वीकार कर लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, तो मैं काम्रेस में नहीं रह सकता; काम्रेस में रहकर सक्रिय विरोध करने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं आती। यद्यपि अपने सार्वजनिक जीवन की लम्बे अवधि में मेरा बहुत-सी सस्थाओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी अपने लिए यह सक्रिय-विरोध की स्थिति स्वीकार नहीं की है।

“इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उस नीति का समर्थन कर रहे हैं जो मेरी सलाह और मत के सर्वथा विरुद्ध है। मैंने चिन्ता के साथ घण्टों उसपर विचार किया है, किन्तु अपना मत बदलने में सफल न हो सका।

“अस्पृश्यता के बारे में भी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत से काम्रेसियों से कटखत है। मेरे लिए तो यह एक गम्भीर धार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतों का विचार है कि इन लोगों को जिस तरह और-जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-आन्दोलन की गति में रुकावट लकर मैंने भारी भूल की। पर मैं अनुभव करता हूँ कि अगर मैंने दूसरा मार्ग पकड़ा होता तो मैंने अपने-वर्ग सच्चा न रहा होता।

“ग्रन्थ में अब अहिंसा को लीजिए। १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह अवतक अधिकांश काम्रेसियों के लिए नीतिमान ही है, जबकि मेरे लिए वह एक मूल सिद्धान्त है। काम्रेसवाले अहिंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उसके प्रति-रुद्ध और उसे कार्य में परिणत करने का मेरा दोषपूर्ण ढंग ही निस्सन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। मैं नहीं लगता, कि मैंने उसके दोषपूर्ण प्रतिपादन और उसे कार्य में परिणत करने में कोई भूल ही नहीं किया। पर अवतक जो काम्रेसवालों के जीवन का वह अभिन्न अंग नहीं बन सकी इससे यही एक अन्त-निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

“और यदि अहिंसा के सम्बन्ध में अनिश्चितता है, तो फिर सत्याग्रह के सम्बन्ध में तो वह और अधिक होनी चाहिए। इस सिद्धान्त के २७ वर्ष के अध्ययन और व्यवहार के बाद भी मैं यह दावा कर सकता हूँ कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ जानता हूँ। अनुसन्धान का क्षेत्र अवरुध ही परिमित है। जीवन में सत्याग्रह करने के अवसर निरन्तर नहीं आते रहते। भाता, मिला, सिद्धक सत्य या कौन-किसी मुद्दों की आशा स्वच्छता से पालन करने के बाद ही ऐसा अवसर आ सकता है। इससे आश्चर्य न होना चाहिए कि एकमात्र विरोध होने के कारण, बाद में चिन्ता ही अन्तर्गत है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि कुछ समय के लिए सत्याग्रह मुमकिन ही भीमित रहना चाहिए। अहिंसा के प्रयोग में ईमानदारी भूलों और हाथों को गंजने के लिए तथा एक ही व्यक्ति के द्वारा

विचार से कांग्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्राविधिक संस्था है। उसका जीवन उच्चकोटि की अदृष्ट सेवा और त्याग का इतिहास है। अपने जन्म-काल से ही उसने जितने तूफानों का संकलन के साथ सामना किया उतना किसी और संस्था को नहीं करना पड़ा। उसके आदेश से लोगों ने इतना अधिक त्याग किया है, जिसपर देश गर्व कर सकता है। सच्चे देशभक्त और उच्च-व्यवहार-वाले स्त्री-पुरुषों की सबसे बड़ी संख्या आज कांग्रेस के अनुयायियों में है। अतः यदि ऐसी संस्था से मुझे अलग होना ही पड़े तो यह नहीं हो सकता कि ऐसा करने में मुझे दिल-कचोड़ने का भारी कष्ट, विडोह की असहनीय पीड़ा न सहन करनी पड़े। और मैं तभी ऐसा करूँगा जब मुझे निश्चय हो जायगा कि कांग्रेस के अन्दर रहने की अपेक्षा उसके बाहर मैं देश की अधिक सेवा कर सकूँगा।

“मैं चाहता हूँ कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको कार्य रूप में परिणत कराने के लिए कुछ प्रस्ताव विषय-समिति में पेश करके कांग्रेस के भाव की परीक्षा करूँ। पहला सरोचन जो मैं पेश करूँगा वह यह होगा कि ‘उचित और शान्तिमय’ शब्दों के बदले ‘मत्पक्षपूर्ण’ और ‘अहिंसात्मक’ शब्द रखे जाय। मैं ऐसा न करता, अगर उचित और शान्तिमय के बदले इन दो विशेषणों का सरल-भाव से मेरे प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया होता। अगर कांग्रेसी यन्त्रुतः हमारे ध्येय की प्राप्ति के लिए सच्चाई और अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं तो उन्हें इन शब्द विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिए।

“दूसरा सरोचन यह होगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के बदले हर महीने कम-से-कम १५ नम्बर का अच्छा बट्टा हुआ २००० तार (एक तार = ४ फुट) सूत हर महीने देने की रस्ती जाय और वह सूत मतदाता खुद चरें या तकली पर कात कर दें। अगर किसी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उसकी कातने के लिए काफी रूई दी जाय ताकि वह उतना सूत कातकर दे सके। इसके पत्र और विपक्ष की दलीलें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर हमको सचमुच लोकतन्त्रात्मक संस्था बनना है, और गरीब-से-गरीब मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कांग्रेस के लिए कम-से-कम परिश्रम का मताधिकार बनाना ही होगा। यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि चर्चा चलाना कम-से-कम परिश्रम के साथ-साथ सबसे अधिक आदरार्थ्य कार्य है। यह बालिग-मताधिकार के अत्यन्त निकट पहुंचाता है और उन सबके हृत् की बात है जो अपने देश के नाम पर आघ घुटे प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं। क्या पढ़े-लिखे और मन्पतिवालों से यह आशा करना बहुत है कि वे हम के गौरव को स्वीकार करेंगे और इस बात का खयाल न करेंगे कि उससे स्थूल लाभ कितना होता है? क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भांति स्वयं अपना ही पारितोषक नहीं है? अगर हम लोग वास्तव में लोक-सेवक हैं, तो हम उनके लिए चर्चा चलाने में गौरव का अनुभवं करेंगे। स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदअली की उस बात का मैं स्मरण दिलाता हूँ जो वह प्रायः अनेक सभामंचों से कहा करते थे, अर्थात् तलवार जिस प्रकार पारश्विक शक्ति और बलात्कार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्चा या तकली अहिंसा, सेवा तथा विनम्रता का प्रतीक है। जब चर्चा राष्ट्रीय-पताका का एक अंग बना लिया गया तो अदृश्य ही उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चर्चों की आवाज गुंजेगी। वास्तव में अगर कांग्रेसवाले चर्चों के अन्देश में विश्वास नहीं करते, तो उन्हें उसे राष्ट्रीय झण्डे से हटा देना चाहिए। और कांग्रेस के विधान से खादी की धारा निकाल देनी चाहिए। यह अत्यन्त बात है कि खादी की शक्ति का पालन करने में निर्लज्जान से धोखा दिया जाय।

“तीसरा सरोचन जो मैं पेश करना चाहता हूँ वह यह होगा कि किसी ऐसे कांग्रेसी को

शामिल होनेवाले कांग्रेसजनों में से अधिकतर को शायद ही पसन्द आवें। परन्तु यदि कांग्रेस की नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, तो मैं इन संशोधनों को और अन्य ऐसे प्रस्तावों को, जो मेरे इस वक्तव्य के भाव के अनुकूल हों, देश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक समझता हूँ। जिस किसी सत्या की सदस्यता भी स्वेच्छा पर निर्भर करती है उसके प्रस्तावों और नीति को जबतक उसके सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तबतक उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। और जिस नेता का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मन से और बुद्धिपूर्वक नहीं करते वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता। और जिस नेता के पास अहिंसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं उसके लिए तो यह बात और भी सच्ची है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित किया है उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं। कांग्रेसजनों को चाहिए कि शान्त भाव से उसके गुण-दोष पर विचार कर लें। वे मेरा कोई लिहाज न करें और अपनी विवेकबुद्धि व अनुसार ही कार्य करें।”

बम्बई-कांग्रेस

२६ से २८ अक्टूबर (१९३४) तक बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का पहले से ही कांग्रेस-विधान में होनेवाले कान्तिकारी सुधारों की चर्चा चल रही थी।

अधिवेशन के शुरू होते ही गांधीजी ने अपने संशोधनों को दो विभागों में बांट दिया; अर्थात् कांग्रेस-विधान-सम्बन्धी और सत्याग्रह-सम्बन्धी। सत्याग्रह-सम्बन्धी संशोधनों को तो आपने कार्य-समिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विधान-सम्बन्धी संशोधनों के बारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस बात की परख होगी कि कांग्रेस उसके नये सभापति व उनके साथियों में विश्वास रखती है या नहीं। पर आश्चर्य की बात है कि कार्य-समिति ने उपायुक्त परिवर्तनों-सहित दोनों प्रकार के संशोधन स्वीकार कर लिये और स्वयं कांग्रेस ने भी उन्हें मुख्यतः स्वीकार कर लिया, जिससे गांधीजी सन्तुष्ट हो गये। गांधीजी के मूल मसविदे में कांग्रेस में जो-जो परिवर्तन किये उनकी सफ़लील देने की यहाँ जरूरत नहीं। इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येय-परिवर्तन के प्रस्ताव के बारे में यह निश्चय हुआ कि उसे प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों के पास समिति के लिए भेजा जाय। अब इस प्रस्ताव पर अगले वर्ष के अधिवेशन में फिर विचार होगा। 'शारीरिक-भ्रम' की रात केवल उन्हीं कांग्रेस-सदस्यों तक सीमित रखी गई जो कांग्रेस के किसी चुनाव में खड़े हों। आदतन लादी पहनने की घास ज्यों-की-स्यों मान ली गई। कांग्रेस-प्रतिनिधियों की सख्या २००० से अधिक न होना तय हुआ, जिसमें १४८८ प्रतिनिधि प्राय-क्षेत्रों के और ५११ शहरी-क्षेत्रों के रहने गये। महासमिति के सदस्यों की सख्या आधी कर दी गई। प्रतिनिधियों का चुनाव '५०० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि' के हिसाब से रक्खा गया, न कि १००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से, जैसा कि गांधीजी का प्रस्ताव था। इस प्रकार गांधीजी के मूल मसविदे का यह मिद्दान्त कि प्रतिनिधियों की सख्या ठीक कांग्रेस-सदस्यों की सख्या के हिसाब से हो, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इसका यह तात्पर्य हुआ कि प्रतिनिधियों की हैसियत अब एक धूम-धकाके से होनेशाने सम्मेलन के दरतों की-सी न रहकर राष्ट्र के प्रतिनिधियों की-सी हो गई, जिनका कर्तव्य था कि कांग्रेस की कार्य-कारिणी अर्थात् महासमिति व प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटियों का चुनाव करें। गांधीजी के मसविदे का शेष भाग लगभग ज्यों-का-स्यों स्वीकार कर लिया गया।

लेकिन कांग्रेस का नया विधान या फाल्सेटटी बॉर्ड, स्वयंसेवक कार्यक्रम एवं केंद्र-कारिणिक निर्णय-सम्बन्धी युगने प्रस्तावों की स्वीकृति में प्रस्तावों का पास होना, अधिवेशन के माफे व निर्णयों

का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। यह तभी हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस स्वयं अपने को इस योग्य बना ले। पहले उसे अपने में से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और अपने की इस प्रकार ढालना होगा कि कांग्रेस व स्वधर, शुद्धता, सचाई व ईमानदारी के ही परिचामक समझे जाये लगे। इसलिए कांग्रेस के शुद्धशाली लोगों को अपने नेताओं को यह जता देना होगा कि उनका उद्देश्य स्वार्थ नहीं बल्कि सेवा व त्याग के आदर्श की प्राप्ति है—ऐसा आदर्श जिस तक पहुँचने के लिए हमें प्रति दिन कम-से-कम दू घण्टे मासिक के हिसाब से शारीरिक भ्रम करना आवश्यक है और जिसका फल हमें कांग्रेस को अर्पित करना है। इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह गलत धारणा-सी बन गई है कि यह धारा कांग्रेस को समाजवादियों के आक्रमण व प्रभाव से बचाने के लिए रखी गई है। बात ऐसी नहीं है। शारीरिक-भ्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों की सेवा के लिए कांग्रेस गत १४ वर्षों से ही बचन बन्द है। कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में समाजवादी ही है। यदि समाजवादी सिर्फ स्वधर व ग्राम-उद्योग में, सत्य व अहिंसा में, तथा देश के सामने रखे गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में अपनी आस्था रखने की घोषणा कर दें तो कांग्रेसियों और समाजवादियों में कोई अन्तर ही न रहे। और फिर गांधीजी से बढ़कर समाजवादी और कौन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नहीं बल्कि वास्तविक समाजवादी हैं—जिन्होंने अपनी सारी धन-सम्पत्ति छोड़ दी और धर-वार नाते रिश्तेदारों तक से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया ! इसलिए कहना होगा कि भ्रम-भ्रमालिखार कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी आदर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयत्न है।

गांधीजी के कांग्रेस से अलग होने की घटना के तिलतिले में बम्बई-अधिनेरान में और प्रश्न जो बार-बार लोगों के मुँह पर आये, वे यह थे कि गांधीजी अब क्या करेंगे और कांग्रेस को आगे क्या करना चाहिए ! यहाँ एक ओर यह शका उत्पन्न होती है कि क्या गांधीजी ने राजनीति से भी अवनकार ग्रहण कर लिया है, और दूसरी ओर यह कि अगर गांधीजी अपने साथ चर्खा-संच और ग्राम-उद्योग सच को भी ले जायेंगे तो कांग्रेस के पास फिर क्या राजनैतिक कार्य रह जायगा ? ये शंकायें जनता के कुछ भ्रमपूर्ण विचारों की ही छोटक हैं। यदि यह मान लिया जाय कि रचनात्मक कार्य वास्तव में राजनैतिक कार्य ही है, जैसाकि एक सत्याग्रही मानता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि गांधीजी ने बम्बई अधिवेशन के बाद राजनीति से अवनकार ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, गांधीजी ने तो खास कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा ही अपने लिए व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा का अधिकार सुगन्धित रख लिया है, जबकि कांग्रेस ने गांधीजी के अलावा उसे और सबके लिए मौकूफ कर दिया है। इसलिए कहना होगा कि राजनीति छोड़ने के बजाय उन्होंने तो सारी राजनीति ही अपने लिए सुगन्धित रखी है—रचनात्मक तथा ध्वसात्मक दोनों ही। इसपर यह वाजिब तबाल किया जा सकता है कि फिर कांग्रेस के पास रहा ही क्या ? लेकिन क्या हम भी यह पूछ लें कि कांग्रेस के पास रहा क्या नहीं ? रचनात्मक कार्यक्रम सदा उसके सामने है जिसे मृतकाल में कांग्रेसी स्वयं अन्य लोगों की सहायता से करते रहे हैं। ध्वसात्मक कार्यक्रम के बारे में यह बात है कि कांग्रेस, जो सविनय-अवज्ञा में अपना विश्वास एकाधर फिर घोषित कर चुकी है, उसे अब चाहे तब फिर खला सकती है। वास्तव में तो राष्ट्र व कार्यकर्ताओं को उनके त्याग के लिए बधाई देने का जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें कांग्रेस ने अपने इस विश्वास की ही घोषणा कर दी कि स्वधर-प्राप्ति के अहिंसा व सविनय-अवज्ञा अधिक अच्छे साधन हैं बजाय हिंसा के उपायों के, जिनके बारे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम तो जालिम व मजलूम दोनों दाय आतक के प्रयोग में ही

छोड़ देते हैं। आपने श्वेत-पत्र (व्हाइट पेपर) की तफसीलवार बड़ी विद्वत्तापूर्ण आलोचना की। कांग्रेस कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लाभदायक थे।

राजेन्द्रबाबू ने अपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त किया—“भारत के स्वातन्त्र्य-युद्ध का जो लक्ष्य रहा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही है। इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे से सम्बन्ध विच्छेद करके अलग पड़े रहेंगे। स्वाधीनता से यह अभिप्राय तो हो ही नहीं सकता, खासकर जबकि हमें उसे अहिंसा-द्वारा प्राप्त करना है। स्वाधीनता का मतलब तो उस शोषण का अन्त करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का करता है। स्वाधीनता में तो यह बात है कि हम पारस्परिक-लाभ के लिए दूसरे राष्ट्रों से अपनी मज्जों के अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं। स्वाधीनता से किसीकी बुराई नहीं हो सकती, महात्मा कि हमारा शोषण करनेवालोंकी भी बुराई नहीं हो सकती। हा, अगर सद्भावों के बजाय हमारे शोषक शोषण की नीति पर ही निर्भर रहें तब तो बात ही दूसरी है। इस स्वाधीनता-आन्दोलन की शक्ति अहिंसा है, जिसका सजीव व सक्रिय रूप सनका सद्भाव होना और सबके लिए सद्भाव का होना है। हम यह देख ही चुके हैं कि कुछ हद तक समस्त संसार का लोकमत अहिंसा को मान चुका है। लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप में इसे अपमाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जबकि समार के राष्ट्रों की सन्देश व अविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता है, दूर हो जायँ और उनका स्थान सुरक्षावत्ता की भावना ले ले, जो मांग की सदिच्छा में विश्वास उत्पन्न होने पर ही सम्भव है। फिर भारत अन्य देशों पर कोई मनसूबे नहीं बाध रहा है। उसे विदेशियों से अपनी रक्षा करने के लिए और आन्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सैन्य की आवश्यकता न होगी। आन्तरिक शान्ति तो उसके निर्वासियों की सदिच्छा के कारण बनी ही रहेगी, और चूँकि दूसरे देशों पर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वह इस बात की आशा तथा माँग तक कर सकेगा कि उसके प्रति भी कोई बुरी नीयत न रखे। और फिर उसकी रक्षा तो सारे विश्व की सदिच्छा के कारण आप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखने हुए तो ब्रिटेनवासियों तक को, यदि उनका उद्देश भारत की वर्तमान अस्वाभाविक हालत में पटके रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से डरने का कोई कारण नहीं। हमारा मार्ग भी स्पष्टिक ही भावि साफ व स्वच्छ है। यह मार्ग सक्रिय, सजीव, अहिंसात्मक सामूहिक प्रतिहार का है। हम एकबार असफल हो जाय, दो बार हो जाय, लेकिन एक दिन हम अविश्य सफल होंगे।

“कह्यों ने तो इस मार्ग पर चलकर अपना जीवन और अपना सर्वस्व तक निह्वार कर दिया है। और भी क्यादा स्रक्तियों ने अपने आपको स्वतन्त्रता के युद्ध में कुर्बान कर दिया है। लेकिन यदि हमारे मार्ग में कोई कठिनाइयाँ आवें तो हमें उनसे परहरना नहीं चाहिए और न हमें डर से या लालच से अपने सीधे मार्ग को छोड़ना ही चाहिए। हमारे रास्ते बेजोड़ हैं; सत्तार हमारे इस वृद्ध-भयों की प्रगति को बड़े चाव और आशा के साथ देख रहा है। हमें अपने ध्येय पर अचल और अपने निश्चय पर अटल रहना चाहिए। सत्याग्रह सक्रिय रूप में कुछ काल के लिए पड़ाइ ला जाय यह ज्ञात दूसरी है, लेकिन सत्याग्रह में पराजय को तो कोई स्थान ही नहीं है। सत्याग्रह तो स्वय ही एक भारी विजय है, जैसा कि जेम्स लाबेल ने कहा था :—

“Truth for ever on the scaffold,

Wrong for ever on the throne,

होकर रहता है। गांधीजी यह महसूस करने लगे थे कि वह एक बड़े बोझ के समान हैं जिन्होंने 'दबी जा रही है, और जितना ही अधिक वह उस बोझ को कम करने का प्रयत्न करती है उतना वह बढ़ता जाता है।' यदि सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ करें तो वह करें, बन्द करें तो वह करें और उसका संचालन करें तो वह करें। युद्ध छेड़ें तो वह छेड़ें, सुलह करें तो वह करें। 'अपने लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पीछे हटने के लिए अगर कांग्रेस को आह्वान दे तो गांधीजी। सच तो यह है कि हटने भारी बोझ के हटने से वह सदा, जितना सरे लदा हुआ था, मजबूत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हटने से पुत्र की टांगें ही हैं, उसके स्वयं काम करने से हिम्मत भी बढ़ती है, उसकी जिम्मेदारी की भावना ही है, उसमें आशा और उल्हास का संचार भी होता है, और ऐसी हालत में तो कौन सी बला जबकि वह वृद्ध पुरुष अपने परिवार को अथवा अपने राष्ट्र को आचर्यवचतानुसार बर्बाद कर देने और उनका पथ-दर्शन करने की तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार हैं। वह इसका इलाज ही चुके हैं। उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को देश में एक शक्ति बनाना है। किसी शक्ति को उसके सदस्यों की संख्या से नहीं बल्कि उन सदस्यों के पोले जो नैतिक शक्ति होती है उसे मजबूत रहती है; और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बढ़ती जाती है उतना ही अर्थात् उसी अनुमान में, वह नैतिक-शक्ति भी बढ़ती जाती है। इसी जिम्मेदारी को हल करने के बजाय कांग्रेस बहुत काल तक और बहुत अधिक मात्रा में गांधीजी पर ही निर्भर रही है और अपनी शक्तों पर ही गांधीजी का सहयोग चाहती है। परन्तु यह कैसे हो सकेगा? गांधीजी का सहयोग गांधीजी की शक्तों पर ही प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस जिस दिन गांधीजी की शक्तों को पूरा कर देगी उसी दिन वह कांग्रेस में वापस आने और उनका कार्य-संरक्षण में लिए तैयार हो जायेगा। और ये शक्तें केवल यही हैं; कांग्रेस परने आन्तक मुद्दों पर मद्दत सन्ने हों, चाहे संस्था में कम ही हों, वह ऐसी कार्य-समितिवाँ स्थापित करें जो सब मूल नियासील होकर काम करती रहे जिससे कांग्रेस-संस्थाएँ सोने की भाँति बन कर बढ़ें। जब यह सब-कुछ हो जायगा तो वह हंसी-सुरी से आकर उनका नेतृत्व ग्रहण करेगा गांधीजी ऐसी कांग्रेस को जन्म देना चाहते हैं जे अपिचार के आदर्श में नही बल्कि आदर्श से बिंधी हुई हो। यह उन्हीं का भेष है कि उन्होंने गांधी तक में कार्य-संरक्षण में प्रवेश कराके उन्हें, अर्थात् गांधी को, भारत की राष्ट्रियता का आधार बना दिया है। उन्हें यह नीति के क्षेत्र व उसके अभिप्राय तक को व्यापक बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण का माय-का-साग कार्यक्रम ही राजनीति में आ जाता है। उन्होंने देश को हार्दिक एक छद्म दीया, एक मजबूत बना दिया जिसके नीचे एकत्र होकर देश का सर्वेक्षण करने के नेतृत्व में देश आग्नी प्रगति कर सके। गांधीजी अपने ही 'विचार' ही करते हैं, वे ही उन उन्हे विद्वानों के अनुसार नेतृत्व करने के लिए, जिसका प्रयोग कर कर सकते हैं। विभिन्न इलाकों में जाते रहें हैं, वह सदा भारत के प्रथम सेवक बन्ने को चाहते हैं।

राजेंद्र बाबू का भाषण

भारत-कांग्रेस की महत्त्व का भेष उनके कर्म-विषय पर...
 कांग्रेस-कार्य-संरक्षण में...
 गांधीजी का नेतृत्व...
 देश-सेवा...
 राष्ट्र-प्रेम...

कारण की प्रगतिशील भावनाओं के साथ रहता रहा है, और चूंकि गाँवों का पुनर्संगठन और निर्माण कांग्रेस के रचनात्मक-कार्यक्रम का एक अंग है, और चूंकि ऐसे पुनर्निर्माण के लिए हाथ कटारों के मुख्य घन्ठे के अलावा गाँवों के छुट या छुटप्राय उद्योग-घन्ठों का पुनरुद्धार करना पना उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूंकि हाथ की कटारों के पुनर्संगठन जैसा काम तभी सम्भव जब कि उसके लिए छुटकर शक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न किये जाय जो कांग्रेस की अनैतिक हलचलों से प्रयुक्त और स्वतन्त्र हों, इसलिए भी जे० सी० कुमारप्पा को अधिकार दिया ता है कि वह गांधीजी की सलाह और देल-वेल में कांग्रेस के कार्य के एक अंग के रूप में 'अखिल-राष्ट्रीय ग्राम-उद्योग-सघ' नाम की संस्था का निर्माण करें। उक्त सघ उक्त उद्योग-घन्ठों के पुनरुद्धार प्रोत्साहन के लिए और गाँवों की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और उसे पना विधान बनाने, धन स्रष्ट करने तथा अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करने का अधिकार होगा।"

इस प्रस्ताव के परिणाम-स्वरूप ही नुमाइशों तथा प्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास जा गया, जो इस प्रकार था :—

"चूंकि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों पर होनेवाली नुमाइशों तथा धूम-धड़ाके के प्रदर्शनों प्रबन्ध-भार व व्यय से स्वागत-समिति को मुक्त करना वांछनीय है और चूंकि इन नुमाइशों व दर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रित करें, भविष्य में स्वागत-समिति नुमाइशों तथा धूम-धड़ाके के प्रदर्शनों के भार से बरी की जाती है। किन्तु चूंकि नुमाइशों व धूम-धड़ाके के प्रदर्शन वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन के आवश्यक अंग हैं, इनके अर्थ का कार्य अखिल-भारतीय चर्खा-सघ व ग्राम-उद्योग-सघ के सुपुर्द किया जाता है। ये संघर्षों में प्रदर्शनों का संगठन इस प्रकार करेंगी कि शिवा के साद-साय ग्राम जनता का और स्वातन्त्रता के लक्ष्यों का मनोहरजन भी हो। ऐसा करने में उनका एकमात्र उद्देश्य होगा अपनी हलचलों का प्रदर्शन करना और उन्हें लोक-प्रिय बनाना, और आमतौर पर ग्राम्य-जीवन की छिनी शक्तियों को परिचित करना।"

कांग्रेस पार्लियेमेंटरी बोर्ड पर भी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। स्वयं बोर्ड ने ही एक प्रस्ताव द्वारा अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि चूंकि बोर्ड का निर्माण एक असाधारण स्थिति में हुआ था, यह वांछनीय है कि उसका जीवन-काल एक साल तक सीमित रहे और उसके सदस्य न्यून-संख्यकों के द्वारा निर्वाचित किये जायें और उसके बाद वह चुनाव के आधार पर बनें। उनही प्रवृत्ति और शक्तों, जैसी उचित समझी जाय, उस समय तक कर ली जायें। बोर्ड ने अपना यह प्रस्ताव कार्य-समिति के पास विचार-विशेष के रूप में भेजा। कांग्रेस ने बोर्ड की विचार-विशेष स्वीकार करते हुए निश्चय किया कि मौजूदा पार्लियेमेंटरी बोर्ड १ अगस्त १९३५ को भंग हो जाय और मार्च-अप्रैल तक या उससे पहले २५ सदस्यों के एक नये बोर्ड का चुनाव करे। निर्वाचित बोर्ड को ५ सदस्यों को अपने में और सम्मिलित करने का अधिकार भी दिया गया। कांग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि हर साल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर पार्लियेमेंटरी बोर्ड का नया चुनाव हुआ करे और इस बोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित करने का अधिकार रहे। निर्वाचित पार्लियेमेंटरी बोर्ड को भी वही अधिकार दिये गये जो मौजूदा बोर्ड को थे। कांग्रेस के नये विधान पर हम पहले ही काफी विवेचन कर चुके हैं।

सर-महाधिकार के सम्बन्ध में एक पृथक प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था :—

Yet that scaffold sways the future,
And behind the dim unknown
Standeth God within the shadow,
Keeping watch above his own."

“सत्य भले ही जगतीतल में दिखे सटकटा सली पर,
और दिखे अन्याय शान से बड़ा हुआ सिंहासन पर,
सली का प्रिय सत्ता सत्य बह तो भी इस भावी का-
पथ पलटा देना क्षण भर में, होगा पूजित घर-घर।
सदा सत्ते भगवान रहेंगे विमिश्र-रुद्र गगन में,
अपने प्यारों को बल देने जन में और विजन में ॥”

कॉमिंस के प्रस्ताव

अब हम उन प्रस्तावों की ओर आते हैं जो बम्बई-कॉमिंस ने २६, २७ व २८ अक्टूबर को अधिवेशन में, जिसके राजेन्द्रबाबू सभापति और भी के० एफ० नरीमन स्वागत-पत्र दे, किये।

कॉमिंस के पहले प्रस्ताव-द्वारा उन प्रस्तावों को मंजूर किया गया जो कार्य-समिति व महा-ने मई १९३४ में व उसके बाद अपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय खास टैरि-नैमेण्टरी-बोर्ड, उसकी नीति व कार्य-क्रम, रचनात्मक कार्य-क्रम, प्रवृत्ति भारतीयों की शिक्षा, प्रकार व स्वदेशी थे।

इसके पश्चात् राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की आस्था-विषयक एक प्रस्ताव पास जो इस प्रकार था :—

“यह कॉमिंस राष्ट्र की उसके हजारों स्त्री-पुरुष, बूढ़े और जवान, गांवों व शहरों के हला-के वीरतापूर्ण त्याग व कष्ट-सहन के लिए बधाई देती है और अपने इस विश्वास को प्रकट कि अहिंसात्मक असहयोग व सविनय-अवज्ञा के बिना देश में इतने मार्के की सामूहिक का होना असम्भव था। इसलिए जहां वह इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि गांधीजी के औरों के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन मौजूफ कर दिया जाय, वह इस बात में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हिंसात्मक उपायों की अपेक्षा, नरे में अनुभव अच्छी तरह बता चुका है कि उनका परिणाम जालिम व मजदूर दोनों के तर्क-प्रयोग में ही होकर रहता है, अहिंसात्मक असहयोग और सविनय-अवज्ञा अधिक अच्छे।”

इसके पश्चात् एक प्रस्ताव-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी भीमती कमला नेहरू को कॉमिंस की चिन्ता प्रकट की गई और इस बात की उम्मीद की गई कि पहाड़ी-स्थान पर उनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा।

अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ के विषय पर खासी बरस और अहल-पहल रही और इस निम्न लम्बा प्रस्ताव पास किया गया :—

“जंकि देश-भर में कॉमिंसियों के सहयोग से अपना उनके सहयोग के बिना स्वदेशी के प्रचार करनेवाली बहुत-सी संस्थाएँ खुल गई हैं, जिससे लोगों के दिलों में इस बारे में बहुत ध्रम है कि ‘स्वदेशी’ का स्वरूप क्या है, और जंकि अपने आरम्भ से ही कॉमिंस का ध्येय सर्व-

सम सार चेष्टी के विरोधी सामी बैकटाचलम चेष्टी की श्रौर थी। सामी बैकटाचलम ने सर फयसुलम ऊर जो विजय प्राप्त की उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती। वास्तव में वह कार के ऊपर काँग्रेस की, धनसत्ता के ऊपर नैतिक-बल की, और छोटावा और ब्रिटेन दोनों के पर भारत की विजय थी। दक्षिण-भारत में काँग्रेस ने और सब जगहों पर भी कब्जा कर लिया। रास अहाते में ११ प्रादेशिक जगहें थीं; हरेक के चुनाव में काँग्रेस को टैर-की-टैर रायें मिलीं। मल में काँग्रेस-नेशनलिस्टों ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्त-प्रान्त में भी ग्रेस ने सब 'साधारण' जगहों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि वह सन् १९२६ में भी नहीं कर सकी। युक्त-प्रान्त में काँग्रेस को मुसलमानों की भी एक जगह मिल गई। बिहार, मध्यप्रान्त, महाराष्ट्र, जगत, कर्नाटक व आसाम में सब जगह काँग्रेस ने बाजी मारी। केवल पञ्जाब में ही काँग्रेस पिछड़ गई। वहां उसे केवल एक ही जगह मिली। कुल मिलाकर काँग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया। इनके लिए यह कहा जा सकता है कि वे शुद्ध काँग्रेसी जगहें हैं। इन जगहों के अलावा काँग्रेस नेशनलिस्टों की जगहें भी उन्में प्राप्त हुईं। साम्प्रदायिक 'निष्ठा' के प्रश्न के अलावा काँग्रेस-नेशनलिस्ट क बात में काँग्रेस के साथ थे।

असेम्बली में काँग्रेस-पार्टी ने श्री तसद्दुक अहमदखान शेरवानी को असेम्बली की अध्यक्षता लिए खड़ा किया, लेकिन वह हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार भी अभ्यंकर, शेरवानी शरामल को छोड़कर काँग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा अर्पित करके तीनों कीर अपने जीवन के यौवन-काल में इस संसार से कूच कर गये। श्री शरामल काँग्रेस-नेशनलिस्ट पार्टी के थे।

असेम्बली में काँग्रेस-पार्टी का कार्य

काँग्रेस-पार्टी ने फौरन असेम्बली में, जिसका अधिवेशन २१ जनवरी को शुरू हुआ, अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने अखिल-भारतीय ग्राम-उद्योग संघ के बारे में जो गर्वी-पत्र निकाला उस पर विवाद उठाने के लिए काँग्रेस ने कार्य रोक रखनेका प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह खट्टा पड़ गया। श्री शरतचन्द्र बसु को नजरबन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव ४४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया। स्मरण रहे कि श्री शरतचन्द्र बसु जब नजरबन्द थे तब भी असेम्बली के लिए निर्विरोध चुन लिये गये। असेम्बली के सदस्य होते हुए भी असेम्बली की बैठकों में भाग लेने की सरकार ने उन्हें इजाजत न दी। काँग्रेस-पार्टी का ध्यान सबसे पहले इस बात की श्रौर ही गया और उसने श्री भूलाभाई देसाई के योग्य नेतृत्व में अपनी मोर्चेबन्दी की। श्री देसाई के बारे में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली को बड़ी गौरव और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी जो पण्डित मोतीलालजी ने कर्वाई थी। आप कुछ काल तक बम्बई के एडवोकेट-जनरल रहे थे, लेकिन आपने उन कई ऊँचे-ऊँचे सरकारी पदों तक की तनिक भी परवाह न की जो स्वभावतः उस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अक्सर मिला ही करते हैं। काँग्रेस ने अपना दूसरा वार ब्रिटेन पर भारत में हुए विजारी समझौते पर किया। ५८ के विरुद्ध ६६ रायों से असेम्बली ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि समझौता खतम कर दिया जाय। (सरकारी) पद का दुरुपयोग करके अपने लोगों के लिए जो सजाजनक से सजाजनक कार्य किया जा सकता है उसका यह समझौता एक अत्यन्त उदाहरण था, जिसे भारत-मंत्री व ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रधान ने आरम्भ में किया था। समझौता ही किया था ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल के दो सदस्यों ने भारत के व्यापार की सुट को बाँटने के लिए, पर उसको दे दिया गया बड़ा ऊँचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का व्यापारिक समझौता'। बादाब में

“कामिस का कोई भी सदस्य किसी एक या किसी भी कानून-कमिटी के चुनाव के लिए मत न हो सकेगा, यदि वह दूरे तौर से हाथ की बही बुनी खादी आदरन न पहनता हो।”

बम्बई-कामिस में सबसे पहली बार भ्रम-स्थापितकार का प्रस्ताव पास किया गया, जो इस प्रकार था :—

“कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून-कमिटी की सदस्यता के लिए उम्मीदवार बनना होने पर एकदर न होगा, यदि उसने चुनाव की नमजदगी की शारीर्य को समाप्त होनेवाले ६ महीने में कामिस की ओर से या कामिस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक-भ्रम न किया होगा जो प्रति मास मूल्य में अल्पतः बरते हुए १० नम्बर के ५०० गज सूत के बराबर हो, या जो प्रति मास कम से कम एक घंटे के बराबर हो। कार्य-समिति समय-समय पर प्रा-तीय कानून-कमिटीयों तथा अखिल-भारतीय काम-उद्योग-संघ से सलाह लेकर यह निर्धारित करेगी कि कताई के बजाय दूसरा कौनसा भ्रम स्वीकार किया जायगा।”

गांधीजी की अलखदगी ने इस बात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वास का एक प्रपाम किया जाय। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार था :—

“यह कामिस महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास को फिर प्रकट करती है। उसका हृदय मत है कि कामिस से अलग होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन चूंकि इस बात के लिए राजी करने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कामिस अपनी इच्छा के विरुद्ध निर्णय को मानते हुए राष्ट्र के लिए भी गई उनकी बेजोड़ सेवाओं के प्रति धन्यवाद प्रकट करती और उनके इस आश्वासन पर स्तोत्र प्रकट करती है कि उनका सलाह मशवरा और पधरान अश्मवतानुसार कामिस को प्राप्त होता रहेगा।”

कामिस के आगामी अधिवेशन के लिए युक्त-प्रान्त से निमन्त्रण मिला वह स्वीकार किया गया।

असेम्बली का चुनाव

बम्बई का अधिवेशन स्वतम भी न हो पाया था कि देश असेम्बली के चुनावों में जी जान कुद पड़ा। इससे लोगों ने फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का सचारा हुआ और मानों कुछ का के लिए उन्हें अपनी मनचाही चीज मिल गई। देश का जिला-जिला और देश की तहसील-तहसील खान डाली गई। देश-भर में प्रचार-आन्दोलन जारी कर दिया गया। कामिस ने लगभग ही ‘साधारण’ क्षेत्र की जगह के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया। राष्ट्रवादियों ने परिद्वत मालवी और भी अर्थों के नेतृत्व में कामिस से अलग कामिस नेशनलिस्टों के नाम से खड़ा होने का निर्वह किया। जिस क्षेत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह था दक्षिण-भारत का म्यापार क्षेत्र, जिसके लिए सर वणमुखम् चेटी खड़े हुए थे। स्मरण रहे कि सर चेटी को भारत-सरकार ने एव म्यापार-सन्धि की शर्तें तय करने के लिए छोटावा भेजा था। साम्राज्य के माल को तरजीह देने के सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने म्यापार-सन्धि की शर्तें तय कर डालीं। छोटावा से लौटकर वह असेम्बली के अध्यक्ष भी चुन लिये गये थे। उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार व भारत सरकार का समर्थन तक प्राप्त था। मदरास-सरकार के भूतपूर्व यह सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ मिनिस्टर त्रिविणी के राजा उनके पक्ष में निकाले गये वीरणा-पत्र पर दसलत करनेवालों में मुख्य थे। उनके पक्ष में इंग्लैण्ड के इस विवाज तंत्र को पेश किया गया कि पार्लियेण्ट अर्थात् असेम्बली के अध्यक्ष के किस्म किसी को चुनाव न लड़ना चाहिए। सरकारी अपसरी तक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया।

स-पार्टी ने संशोधन के पक्ष में राय दी और नामजद-सदस्यों के खिलाफ राय दी।

भी जिन्नाह का संशोधन इस प्रकार था :—

“यह कौंसिल साम्प्रदायिक ‘निर्याय’ को जैसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए रद्दकार्ग है जबतक विभिन्न जातियों का आपस में समझौता तैयार न हो जाय।

प्रान्तीय सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कौंसिल की यह राय है कि वह अत्यन्त न्योपजनक और निराशा-पूर्ण है, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजनक बातें रखी गई हैं—जैसे सरकार दुइरी-कौंसिलों का कायम करना, गवर्नर को असाधारण और विशेष अधिकार प्रदान करना, उस के नियमों, गुप्तचर-विभाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें हैं, जिनके द्वारा कार्यकारिणी कौंसिलों का नियंत्रण और उत्तरदायित्व वास्तविक न रहेगा। जबतक इन आपत्तिजनक बातों को हटाया जायगा, भारतीय-लोकमत का कोई अंग सन्तुष्ट न होगा।

अखिल-भारतीय सभ कहलानेवाली केन्द्रीय-सरकार की योजना के संबंध में कौंसिल की यह राय है कि यह योजना जड़ से ही दोषपूर्ण है और ब्रिटिश-भारत की जनता के लिए अशुभकार्य इसलिए यह कौंसिल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि वह सम्राट् की सरकार को सलाह कि इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनावे। यह कौंसिल इस बात पर जोर देती है कि रिपर करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार किस ढंग पर स्थापित की जाय, तत्काल ही चेष्टा की जाय, और इस उद्देश को सामने रखकर बिना विलम्ब भारतीय-लोकमत से परामर्श करके रिपरिमेंट में परिवर्तन करे।”

भी जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकार प्रस्ताव के स्थान पर एक पूर्ण योजना के रूप में पेश किया गया था। सरकार ने, लॉमेम्बर के द्वाय, इस संशोधन को क्वार्टर पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट को वैसा ही रद करनेवाला समझ जैसा कमेिस पार्टी द्वारा किया गया खुल्लम-खुल्ला रद करने का प्रस्ताव था। लॉ-मेम्बर ने भी जिन्नाह के संशोधन का र्णन करते हुए कहा :—

“महोदय, मैं यह कहनेवाला था कि अपने मित्र भी देसाई के भीषे, मन्वे और मुने आक्रमण के स्थान पर अब हमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदअली जिन्नाह साहब का अत्यन्त और कौशलपूर्ण आक्रमण मौजूद है, यद्यपि इसका उद्देश भी वही है।

“मेरे माननीय मित्र अफ्दी साह जानते हैं कि जैसे देखने में तो यह धाये भाग पर आक्रमण है, पर असलियत में मेरे माननीय मित्र भी जिन्नाह के संशोधन में और कमेिस-नेडा के संशोधन में मूलतः कोई अन्तर नहीं है।”

जब रेलवे-बजट पर विचार हुआ तो सरकार को अनेक बार हार भानी पड़ी थी। अनेक सभों में विविध पक्षधरों से रेलवे के प्रबन्ध में सरकारी नीति के लूब-पुर्ते उठाये। सिोकी हम नेता भी भूलाभाई देसाई ने रेलवे मन्ट को पत्रकार १) कर देने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में प्रयागवासर सरकार की वर्तमान नीति के पुर्ते उठाये और कहा कि वह सन् १९३० के महीने के अनुसार बरती आ रही है। इस प्रकार नीति बताने के कारण है (क) कमेिस-नेडा इलकाल के समग्र तैजिक कार्यकारिणों को प्रमुख और परंपन्न न्यायशा देन, (ख) सरकारी रेलवे में लग्गी दुर्ग विद्याल पृष्ठों की रक्षा करना, (१) मन्टमन्टी-द्वारा नियुक्त विवेक मन्ट-परमण रेलवे-अधिकारियों के पदों की रक्षा को कमेिस-नेडा ; (२) तैजिक कोरि अन्व बाटें की रक्षा पर अर्थस्व में यूरोपियों को भर्ती की व्यवस्था ; (३) रेलवे का नैजिस्ट में अचरमणों क

यह बात थी कि नये मुधारों में व्यापारिक संरक्षणों के बारे में ज्वारन्ट पार्लियमेंटरी-कमिटी में जो सिफारिशें की जाने वाली थीं, उनको अमल में लाने के लिए ही परने से परे डाला गया था। समझौते में यह बात खुलासा ठौर पर रखी गई कि "प्रान्तीय-कमिटी इतना ही संरक्षण दिया जायगा, अधिक नहीं, जिससे कि बाहर से आनेवाला माल भारतीय कीमत पर बिक सके जिस कीमत पर उठी प्रकार का भारत का बना माल बिके। जहाँ तक सम्भव होगा ब्रिटेन के बने माल पर कम भरसूल लगाया जायगा। इंग्लैंड के विदेशी माल पर जो भिन्न-भिन्न भेद-भावपूर्ण भरसूल लगाये गये हैं या लगाये जायेंगे, प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिटेन के माल को नुकसान पहुँचे। जब कभी किसी माल को संरक्षण देने का प्रश्न टेरिफ-बोर्ड के मुपुदं किया जायगा तो भारत-सरकार उस सम्बन्ध रखनेवाले ब्रिटेन के हर व्यवसाय को यह धवसर देगी कि वह अपना पक्ष पेश कर अन्य परीकों की दलीलों का जवाब दे सके।

ब्रिटेन में भारत का कच्चा लोहा तभी तक बिना चुंगी के जाता रहेगा जब तक भारत फौलाद और लौहे पर चुंगी का कानून वर्तमान समय की भाँति ही ब्रिटेन के अनुकूल बिलक्षण समझौते पर १० जनवरी १९२५ को हस्ताक्षर हुए और बड़ी कौंसिल में इससे से निन्दा की गई। खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने के पक्ष में विपक्ष में ४६ रायें आईं। सरकार की कर-सम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमत की ही निन्दा इसके बाद श्याम के चावल और २५ या ३० अन्य विषयों पर विजय प्राप्त हुई। इन प्रान्तीय-कमिटी की रिपोर्ट की चर्चा जान-बूझकर अन्त में करने के लिए रख छोड़ी थी के समय जो ब्याइट पेपर था उसने अब ज्वारन्ट पार्लियमेंटरी कमिटी की रिपोर्ट का रूप धारण था। यह रिपोर्ट पार्लियमेंट की दोनों सभाओं-द्वारा पास की जा चुकी थी और अब दर कर का था। इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद्द कराने के कारणों पर बड़ी कौंसिल प्रस्ताव पाम किया था, और इस सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई थी, उसे हम नीचे देते हैं।

इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बड़ी कौंसिल में जो दंग अस्तित्व प्रान्तीय कौंसिलों में अस्तित्वार किये गए दंग से भिन्न था। प्रान्तीय-कौंसिलों में सरकारी मत देने में भाग नहीं लिया, जो ठीक ही था, जिससे रिपोर्ट के सम्बन्ध में कौंसिलों का लोकमत ही प्रकट हो सके। पर बड़ी कौंसिल में सरकार ने बहस में भाग लेने का, और विचार करने के प्रस्ताव के विरोध में पेश किये गए संशोधनों के विरुद्ध सारी प्रार्षण करने का निश्चय किया। यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती तो कामेस ने इस योजना के पर किसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए सरकार से सिफारिश करने का जो प्रस्ताव पेश किया था, वह पास हो जाता। पर बड़ी कौंसिल ने जिन्नाह साहब के संशोधन को दिया। मत लेने के लिए इस संशोधन को दो खण्डों में बाँटा गया। इनमें से पहला खण्ड रायिक निर्णय के सम्बन्ध में था। श्री जिन्नाह के संशोधन-स्वरूप कामेस-पार्टी ने इस प्रस्ताव पेश किया, जो नामंजूर हुआ। इस संशोधन के पक्ष में कामेस पार्टी की ५५ प्रतिशत अपना संशोधन नामंजूर होने के बाद कामेस-पार्टी तटस्थ रही और श्री जिन्नाह के संशोधन का अथवा मुसलमानों और सरकारी सदस्यों की सम्मिलित रायों से पास हो गया।

श्री जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और तीसरे भागों को एकसाथ रखना गण और श्री जिन्नाह ने उन्हें सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर रखने के लिए पेश किया। सरकार के पक्ष में ५८ प्रतिशत

(१) कांग्रेस के नये विधान के अनुसार कांग्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेस-कमिटियों का संगठन करना ; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना ; और (३) जनता को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और कराची-कांग्रेस के द्वारा पास किये गये आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना ।”

श्री सुभाषचन्द्र बसु की स्वतन्त्रता और गति-विधि पर, जब वह अपने पिता की मृत्यु पर थोड़े समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सन्ताप-जनक सरकारी बन्दियों लगाई गई थीं, उन पर कार्य-समिति ने जो अभिप्राय प्रकट किया। समिति ने सम्मति प्रकट की कि कौठिलों में गये हुए कांग्रेसी सदस्यों को सदा खद्दर पहनना चाहिए और उनमें अनुगोष किया कि वे इस नियम का पालन कड़ाई के साथ करें। कार्य-समिति से बंगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह किया था कि गति-निर्वाचन के अवसर पर दिये गये बंगाल के हिन्दुओं के कार्यात्म-विरोधी मत को ध्यान में रखकर साम्प्रदायिक-निर्याय के सम्बन्ध में कांग्रेस के रुख पर दुबारा विचार हो, उनके सम्बन्ध में समिति ने यह सम्मति स्थिर की कि कांग्रेस की नीति बम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, और समिति के अधिकार सदस्यों ने उस नीति का समर्थन किया था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस का पचासवाँ वर्ष

अब हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को संक्षेप में देना है जो १९३५ में घटित हुईं। इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक का यह अन्तिम अग्र है।

कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी तक फिर हुई। इस बैठक में नागपुर के भी अध्यक्ष और गुजरात-विद्यार्थी के आचार्य गिहवानी के परलोक-वास पर शोक-प्रकाश किया गया। इन दोनों मन्त्रजनों ने बड़े कष्ट उठाये थे और देश की सेवा बड़ी लगन के साथ की थी। अन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत के पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया गया। वह इस प्रकार है :—

“इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जबतक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे तब तक न बैठेंगे।

“हम उद्देश की सिद्धि में हम मन, बचन, कर्म से यथाशक्ति मत्प और अहिंसा का पालन करेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिबद्ध रहेंगे।

“मत्प और अहिंसा के दो आवश्यक गुणों को स्पष्ट करने के लिए हम

(१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐक्य की वृद्धि करेंगे और बिना जाति, वर्ण या साम्प्रदायिक बाधा के सबसे बराबरी का रिश्ता कायम करेंगे।

(२) हम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से बचेंगे और दूसरों को भी बचायेंगे।

(३) हम हाथ से फातने की कला को और अन्य मान्य उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे और अपने व्यवहार में खद्दर और ग्राम-उद्योग की अन्य वस्तुएँ लायेंगे और दूसरी सारी चीजों को छोड़ देंगे।

(४) अस्पृश्यता का निवारण करेंगे।

(५) जिस तरह होगा, लाखों भूखों मरते हुए भारतवासियों का सेवा करेंगे।

(६) अन्य राष्ट्रीय और रत्नानात्मक कार्यों में भाग लेंगे।”

कार्य-समिति ने यह विचारिश की कि राष्ट्रीय-दिवस में जहाँतक सम्भव हो कोई खास रचनात्मक कार्य किया जाए और इस दिन पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की सिद्धि के लिए अत्यन्त-कठोर आर्थिक कार्यक्रम

हित बनाये रखना। इस नीति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय विल में रेलवे को रॉल जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की सूची में रखा गया है।

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने बहुत के दौरान में स्पष्ट कर दिया था, 'विरोध-रूप प्रस्ताव न था, बल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उनका प्रस्ताव ७५ रायों से पाठ हुए विपक्ष में केवल ४७ रायें आईं। किसी स्वतन्त्र देश में शासन-खर्च देने का इन्कारी-रूपक प्रस्ताव होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता। रेलवे-बजट के सिलसिले में, अन्य विरोध-प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की नौकरियों में भारतीयों को स्थान देने के सम्बन्ध में था, ८१ रायों से पाठ हुआ; विपक्ष में ४४ रायें आईं। एक प्रस्ताव तीसरे दर्जे के मुफारियों के स्थान में था, एक रेलवे की नीति के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्ताव खाद्य-पदार्थों पर रेलवे का माल षटाने के और मजदूरी के सम्बन्ध में विहटले-कमीशन को सिफारिशों के सम्बन्ध में था।

नई कार्य-समिति की पहली बैठक पटना में ५, ६ और ७ दिसम्बर १९३४ को हुई। हमने ने श्री बी० एन० शरमल की मृत्यु पर शोक-प्रकाश किया। वह बड़ी कौशल के लिए निर्वाचन फल प्रकट होने के दिन ही परलोक सिधारे थे। कार्य-समिति ने ज्वाइंट पार्लियामेण्टरी कमिटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:—

“चू कि काम्रेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि बिहार-प्रेस में आयोजित भारत की शासन-व्यवस्था को रद्द कर दिया जाय और केवल रिपन कारिणी सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्तोष-जनक हो सकती है;

“और चू कि इस नामंजूरी और विधान-कारिणी सभा की मांग को देश ने बड़ी कौशल से आम निर्वाचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया है;

“और चू कि ज्वाइंट पार्लियामेण्टरी-कमिटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव कई बातों में भारतीयों के तजवीजों से भी गये-बीते हैं और भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामी और अनुपयोग्य कहकर उनकी निन्दा की है;

“और चू कि ज्वाइंट पार्लियामेण्टरी-कमिटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों के प्रभु और रक्त-शोषण की एक महाने चोगे में मुविषा पूर्ण और स्थायी रूप देने के लिए तैयार की गई है, वर्तमान शासन-प्रणाली की अपेक्षा अधिक लयवी और स्वतंत्र है;

“इसलिए हम समिति की राय है कि इस योजना को रद्द कर दिया जाय। यहाँ का प्रभुत्व आनवी है कि उसे रद्द कर देने का अर्थ है जबतक काम्रेस के प्रस्ताव के अनुसार रिपन सभा-द्वारा तैयार की गई योजना को स्थान न मिल जाय जबतक वर्तमान शासन-प्रणाली है, जो हमारी स्वीय और अनुपयोग्य है, अन्तर-सकार्य जारी रखना। यह समिति बड़ी कौशल के सदस्यों से अनुपेक्षित है कि वे हम सकार्य योजना को, जिसे मुफारियों के नाम पर भारत पर लाटा जा रहा है, रद्द करें। यह समिति राष्ट्र में असील करता है कि पूर्ण स्वतंत्रता की राष्ट्रीय लक्ष्य-निर्दिष्ट के लिए हमें जो उपाय विचार करें, वह उपाय समर्थन करें।

यह कार्य-समिति अन्तः ही, बड़ी कौशल के निर्वाचन के अवसर पर काम्रेस के निर्वाचन के लिए उनके विरक्षण को आभार के प्रदर्शन पर, बर्दाश्त देती है और काम्रेस की स्थायी और कार्य-समिति के सदस्यों से कहती है कि वे काम्रेस की नीति में अन्तः ही न निम्न कार्य-समिति की राय को ध्यान में रखें।

संशोधन नहीं पेश कर सकती। पर इस योजना के जो अरब बर्मा-प्रवासी भारतीयवासियों की स्थिति और दर्जे को खतरे में डालते हों, उनकी आलोचना करने में कोई रुकावट नहीं है।

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह आराम के राज्यालसीमी के प्रदेश को बाह्य-पीठित जनता के कष्ट-निवारण के लिए धन की अपील करें।

७ फरवरी १९३५ को प्लानेट-पार्लियामेण्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया गया और इसके द्वारा एकवार फिर आदर्श और कार्य का पारस्परिक सहयोग प्रदर्शित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशित की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नगरों में ही सभायें की गईं हों ही बात नहीं, अनेक प्रान्तों के कोने-कोने में सभायें की गईं। इन सारी सभाओं में वह प्रस्ताव पास किया गया जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया था।

रंगून में बर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस कमिटी-द्वारा आयोजित प्रदर्शन भी अपने ढंग का निराला था, क्योंकि रिपोर्ट को रद्द करने की मांग पेश करने में बर्मा और भारतीय दोनों आपस में मिल गए थे।

अब हमें उस मेल-सम्बन्धी बातचीत की खर्चा करना है जो १९३५ की जनवरी और फरवरी में हुई थी। एक ऐसे साम्प्रदायिक सम्झौते की बातचीत, जो साम्प्रदायिक 'निर्याय' का स्थान से सके और जिसके द्वारा जातिगत वैमनस्य और कटुता दूर हो और देश सम्मिलित रूप से मुकाबला कर कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद और मुस्लिम-लीग के सम्पादक भी मुहम्मदअली जिन्नाह में, एक महीने से भी अधिक दिनों तक चलती रही। बातचीत २३ जनवरी को आरम्भ हुई और बीच में कुछ दिनों के लिए बन्द रहकर फिर १ मार्च १९३५ तक जारी रही। पर इस बातचीत का कोई परिणाम न हुआ और देश को बर्बाद निराशा हुई।

१९३५ में भी सरकारी कृषि या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कांग्रेस को शक्तिशाली शत्रु सम्भरकर उसपर सन्देह की निगाह रक्खी जा रही है और जरा-जरा-सी बात पर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के अवसर से लाभ उठाया जाता है। जिनपर आतंककारी कामों का सन्देह किया जाता है, उन्हें अब भी बिना मुकदमा चलाये जेलों में या घरों में नजरबन्द रक्खा जा रहा है और अकेले बंगाल में ही उनकी संख्या २७०० है। अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानों की तलाशियाँ होती रहती हैं और महासमितियों के तथा विहार आदि प्रान्तों की कांग्रेस-कमिटियों के दफ्तरो पर भी निगाह पड़ चुकी है। खान अब्दुल गफ्फारखान को बर्मा में भाषण देने के अपराध में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यापाल को निर्वाचन सम्बन्धी भाषण देने के मिलाने में एक साल का दण्ड दिया गया।

बंगाल के नजरबन्दों की संख्या हजारों में है। उनके परिवार अनहाय अवस्था में हैं। सरकार ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवकों को छीन लिया है। ये युवक कई वर्षों से बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द रखे गए हैं या निर्वासित हैं। २४ और २५ अप्रैल को जबलपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें उनसे सहानुभूति प्रकट की गई और नजरबन्दों के परिवारों और आश्रितों के कष्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया गया। १६ मई का दिन हजारों आदमियों को बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द रखने के विरुद्ध दिवस मनाने और चन्दा इकट्ठा करने के लिए निश्चित किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक अपील प्रकाशित की। बंगाल की सरकार ने कांग्रेस की इस कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए हार्डियन प्रेम (इंग्लैन्ड) पार्लियामेंट की भारत-२-ए के अन्तर्गत आदेश जारी कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष के आशानुसार देश-भर में मनाये जानेवाले नजरबन्द-दिवस की देश के किसी स्थान की कोई सूचना

समाजवादी बरने का निरूपण किया जाय। इकलतमें न की जाय। उनमें यह भी दिखाना ही किमि
आदिनेय या स्थानिक अधिकारी के दुष्म की अपेक्षा न की जाय और न समा में भाव्य किंवा
राष्ट्रीय भावना पदराया जाय थी। उन्हें हीकर पूर्वोक्त प्रस्ताव पास किया जाय।

सम्राट् जार्ज के शासन की रजत-जयन्ती की ओर स्वभावतः ही कार्य-समिति का ध्यान विरे
रूप से आकर्षित हुआ और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुआ :—

“सरकारी दलान प्रकाशित हुआ है कि भारत में सम्राट् की रजत-जयन्ती मनाई गेली।
इस अवसर पर जनता को जैसा रूप प्रकियापार करना चाहिये, इस सम्बन्ध में कार्य-समिति पर दर्-
शन करना आवश्यक समझती है।

“कांग्रेस के मन में खुद सम्राट् के प्रति तो मंगल-कामना के अतिरिक्त और कुछ ही की
सकता, न ही; पर साथ ही कांग्रेस इस बात को नहीं भूल सकती कि भारत का शासन, जिसे
साथ सम्राट् का स्वभावतः ही अविच्छिन्न सम्बन्ध है, राष्ट्र की राजनैतिक, नैतिक, और अर्थ
उन्नति के मार्ग में बहुत बड़ा रोका रहा है। अब इस शासन की चरमसीमा एक देशी शासन-
वस्था के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो देश का रक्त शोषण करने में, देश में जो
उत्थ घन बचा है उसे खींच ले खाने में, और देश को पहले की अपेक्षा कहीं अधिक राजनैतिक
दासत्व की अवस्था में पटकने में सफल होगी।

“अतएव कार्य-समिति के लिए जनता को आगामी जयन्ती में भाग लेने की सलाह देना
असम्भव है। पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वारा किसी प्रकार के विरोधी-प्रदर्शन के द्वारा
अप्रेषों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में भाग लेना चाहते हैं, चोट पहुंचाने का निवे
करती है। इसलिए यह समिति जनता को, और कांग्रेसियों को, जिनमें वे कांग्रेसी भी शामिल हैं जो
निर्वाचित संस्थाओं के सदस्य हों, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न लेकर ही
सन्तुष्ट हो जायें।”

सूत्री-मिलों के प्रश्न पर स्थिति इन शब्दों में साफ की गई—“चूंकि अधिकांश सूत्री-मिलों के
मदलिकों ने कांग्रेस को दिए वचनों को ठोक दिया है, इसलिए कार्य-समिति की सम्मति है कि कांग्रेस
या उससे सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला काम रमना
सम्भव नहीं है। ऐसी दशा में पुराने प्रमाण पत्र अब रद्द समझे जाय।

“कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे कांग्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रखने-
वालों का यह कर्तव्य है कि वे केवल हाथ से कते और हाथ से खुने कपड़े की ओर ही ध्यान दें और
उसी की उन्नति में सहायता करें।”

कार्य-समिति ने संशोधित-विधान की धारा १२ (ई—३) के अनुसार अनुशासन-भाग-सम
की नियम पास किये।

कांग्रेस के विधान में रक्खी गई ‘निकास-सम्बन्धी योग्यताओं’ के वास्तविक अर्थ के सम्बन्ध
में सन्देह प्रकट किया गया था। कार्य-समिति ने उसको एक प्रस्ताव-द्वारा स्पष्ट कर दिया।

इसके बाद कार्य-समिति ने बर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट-पार्लियामेन्टरी-कमिटी की सुपर-
विज्ञान की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, और निरूपण किया कि बर्मा
राष्ट्रीय कांग्रेस-कमिटी परले की भांति ही काम करती रहे।

ज्वाइन्ट-पार्लियामेन्टरी-कमिटी की नई सुधार योजना के अन्तर्गत बर्मा-प्रवासी भारतवाहियों की स्थिति
सम्बन्ध में समिति ने सम्मति दी कि चूंकि सारी योजना ही अस्वीकार्य है, इसलिए कांग्रेस उसमें कोई

बनाई गई। कार्य-समिति में कई प्रान्तों के निर्वाचन-सम्बन्धी भगदों का निपटारा किया गया और कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस सदस्यों के गैर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था।

१५ जनवरी १९२४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था। अमी मुश्किल से १८ महीने भीते होंगे कि २१ मई १९२५ को बंगेय के भूकम्प ने देश-भर में शोक का बादल फैला दिया। यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में लिया। यह स्वाभाविक ही था; पर कष्ट-निवारण और संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से आने वालों के प्रवेश के विरुद्ध आज्ञा क्यों दी गई, यह समझ में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुमति न कांग्रेस के सभापति को मिली, न गांधीजी को। इस परिस्थिति में केवल निषिद्ध-प्रदेश के अस्पताल के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। कांग्रेस के सभापति ने- बंगेय-कष्ट-निवारक-समिति का संगठन किया, जिसकी शाखायें सिध, पंजाब और सीमान्त-प्रदेश में स्थापित की गईं। यह समिति बंगेय से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही है। ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और भूकम्प में मरे हुए लोगों के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ। इस सम्बन्ध में सरकार ने जितनी नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी। इस नीति ने कार्य-समिति को बंगेय-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ अगस्त को निर्मललिखित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य किया:—

“हाल ही में भूकम्प के कारण बंगेय और बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों आदिमियों को जन-घन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक प्रकट करती है और कष्ट पीड़ित और शोकाकुल व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है।

“यह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और कष्ट-निवारण की व्यवस्था करने के लिए समिति बनाने के कांग्रेस के अथवा के कार्य की पुष्टि करती है। यह समिति बंगेय के भूकम्प के फायल अथवा पीड़ित होने वालों की बढ़ी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्य-कर्त्ताओं को प्रोत्साहित करती है, और जनता ने चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया है, उसकी पटु स्वीकार करती है।

“कैला के अधिकारियों ने अपनी सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जो चेष्टा की उसकी पुष्टि करते हुए कार्य-समिति सरकारी और गैर सरकारी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के वक्तव्यों के आधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता को अस्वीकार न कर दिया जाता तो बहुत-से आदिमियों को गिरे हुए मकानों के नीचे से निकाला जा सकता था।

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निर्मललिखित आग्रहों के सम्बन्ध में, जिसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जान करने के लिए सरकार की ओर से सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का एक कमिशन नियत किया जाय—

(१) जनता द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उनके पास पर्याप्त साधन हैं, यह वस्तुस्थिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता दिखाई देता।

(२) इस सहायता को अस्वीकार कर देने के लिए सरकार के पास कोई कारण न था।

(३) सरकार को परिस्थिति का अन्वेषण यह सामना करने के लिए आग्रह-पत्रक इत्यादि में

पत्रों में प्रकाशित न की जाय। बंगाल के पत्रकारों ने इसका विरोध किया और इन सम्बन्ध में दो दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द रक्खा।

महासमिति ने अपनी २४ और २५ अप्रैल की जबलपुर की बैठक में कांग्रेस पार्लियामेंटरी और निर्वाचन-सम्बन्धी भगनों का नियंत्रण करने के लिए एक समिति निर्वाचित की और विवर कितार की जांच के लिए आर्टिटर नियुक्त किये। महासमिति ने भी तमदुव-अरमदा सेक्टरों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बड़ी कौंसिल में कांग्रेस-पार्टी के काम पर मजदूर प्रकट किए, एक ही ध्यान सीमान्त-प्रदेश में कांग्रेस संस्था के बदस्तूर गैर-कानूनी रहने, बंगाल के मिर्जापुर जिले की कांग्रेस-कमिटियों के निषिद्ध रहने, और बंगाल, गुजरात व अन्य स्थानों पर खुदाई विरमदा और हिन्दुस्तानी सैबादल आदि कांग्रेस से सम्बन्ध रखनेवाले दलों के गैर-कानूनी बने रहने, और स्वतः, बम्बई, पंजाब और अन्य स्थानों में मजदूर और युवक-सघ की संस्थाओं के, केवल इस आधार पर कि उनकी प्रवृत्ति हिंसात्मक कार्यों की ओर है, कुचले जाने की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया, और जनता से अपील की कि कांग्रेस की शक्ति में इस तरह वृद्धि करे जिससे वह देश का उद्धार करने के योग्य बन जाय।

महासमिति ने "विदेशी-कानून" (Foreigners' Act) नामक पुराने कानून के दुर्भावना का उल्लेख किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कांग्रेस-वादियों को निर्वासित करके उन्हें ब्रिटिश में आकर निवास करने और कामकाज करने के कानूनी अधिकार का उपयोग करने से किया गया है।

महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारों दमन-नीति की, अनेकानेक मुनकों को न रखने की नीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बनहीन हो गये हैं, और स्वयं उन पाँ के विवाह का प्रबन्ध न करने की निन्दा की। महासमिति ने सम्मति प्रकट की कि बंगाल की स को या तो इन नजरबन्दों को छोड़ देना चाहिए, या उनपर अच्छी तरह मुकदमा चलाना बाँ बंगाल की जनता और उसके नजरबन्दों को आश्वासन दिया कि उनके कष्टों के साथ उनकी समवेदना है। समिति ने बंगाल-प्रांतीय कांग्रेस कमिटी को आश दी कि वह नजरबन्दों की पूरी तैयारी करे और उनके नजरबन्द रहने की अवधि और उनके परिवारों की आर्थिक आवश्यकता से सूचित करे। नजरबन्दों के परिवारों का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कांग्रेस-समिति की प्रथम भारतवर्ष-भर में चन्दा एकत्र करने का निश्चय किया। फीरोजाबाद के सामूहिक हिंसात्मक कार्य उपर श्रेष्ठ प्रकट किया, जिनके फल-स्वरूप डॉ० जीवाराय का पूरा परिवार, बच्चों और कई रोगी सहित, नीचित जला दिया गया था, और नेताओं का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित किया तन्नाद-पूर्ण साम्प्रदायिकता के फल-स्वरूप कैसी शोकजनक घटनाएँ हो गयी हैं। नेताओं से अपील की कि जनता को यह सुझाने के लिए, कि एक-दूसरे के प्रति मेल और आदर के भावों के स शान्ति और मैत्री-पूर्वक रहना कितना आवश्यक है, प्रबल चेष्टा की जाय।

महासमिति ने यह श्रेष्ठ कर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए देशी रियासतों की प्र के द्विती भी उठने ही प्रिय हैं, जिनने ब्रिटिश-भारत की प्रजा के द्विती, और रियासतों की प्रजा आश्वासन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के युद्ध में कांग्रेस उनकी पीठ पर है।

इसी अवसर पर जबलपुर में कांग्रेस-समिति की भी बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नये विवर के अनुसार प्रवर्तनधियों की संख्या निश्चित की गई और महासमिति के सदस्य और आगामी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न कांग्रेस कमिटियाँ के वास्तव के लिए कामकाज

बन्दर्ग गई । कार्य-समिति में कई प्रान्तों के निराचन-सम्बन्धी भगकों का निराधार किया गया और कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रबन्ध किया गया, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस सरथाओं के गैर-कागूली होने के कारण निराचन नहीं हो सकता था ।

१५ जनवरी १९३४ को बिहार के भूकम्प ने देश को हिला दिया था । अमी मुस्लिम से १८ महीने बीते होते कि ३१ मई १९३५ को बंगेला के भूकम्प ने देश-भर में शोक का बादल फैला दिया । यह शहर भौतिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वयं अपने हाथ में लिया । यह स्वाभाविक ही था, पर कष्ट-निवारण और संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से आने वालों के प्रवेश के विरुद्ध आग क्यों दी गई, यह समझ में न आया । इस स्थान पर जाने की अनुमति न कांग्रेस के सभापति को मिली, न गांधीजी को । इस परिस्थिति में बंगाल निपिद्ध प्रदेश के अस्पताल के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी । कांग्रेस के सभापति ने बंगेला-कष्ट निवारक-समिति का समूह किया, जिसकी शाखायें सिच, पञ्जाब और सीमान्त-प्रदेश में स्थापित की गई । यह समिति बंगेला से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सहायता कर रही है । ३० जून का दिन भूकम्प-पीड़ितों के प्रति सहायता प्रकट करने और भूकम्प में मरे हुएों के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ । इस सम्बन्ध में सरकार ने जिन नीति का परिचय दिया वह उसकी अविश्वास और सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी । इस नीति ने कार्य-समिति को बंगेला-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ अगस्त को निम्नलिखित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य किया:—

“हाल ही में भूकम्प के कारण बंगेला और बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों आदिमियों को जन-घन की जो दुर्घटना पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक प्रकट करती है और कष्ट पीड़ित और शोकाकुल शक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है ।

“यह कार्य-समिति बन्दा एकत्र करने और कष्ट-निवारण की व्यवस्था करने के लिए समिति बनाने के कांग्रेस के अग्रदूत के कार्य की पुष्टि करती है । यह समिति बंगेला के भूकम्प के घायल अथवा पीड़ित होने वालों की बड़ी विकट परिस्थिति में सहायता करनेवाले कार्य-कर्त्ताओं को धन्यवाद देती है, और जनता ने चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया है, उसकी पट्टी स्वाकार करती है ।

“बंगेला के अधिकारियों ने अपनी सीमित सामर्थ्य के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जो चेष्टा की उसकी पुष्टि करते हुए कार्य-समिति सरकारी और गैर सरकारी प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के वक्तव्यों के आधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न करा दिया जाता और जनता-द्वारा सहायता को अस्वीकार न कर दिया जाता तो बहुत से आदिमियों को गिरे हुए मकानों के नीचे से निकाला जा सकता था ।

“कार्य-समिति की राय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आगेपी के सम्बन्ध में, जिन्हीं पुष्टि आशिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जांच करने के लिए सरकार की और से सरकारी और गैर सरकारी मदद का एक कमीशन नियत किया जाय—

(१) जनता द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह वक्तव्य दिया था कि परिस्थिति का सामना करने योग्य उसके पास पर्याप्त साधन हैं, यह वस्तुस्थिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता

(४) जबकि भूकम्प-पीड़ित प्रदेश के प्रत्येक यूरोपियन निवासी पर पूरा ध्यान दिया गया, भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया, और बचाव, कष्ट-निवारण और वी हुई चीजों को निकालने के मामले में भी यूरोपियन और भारतीयों में इसी प्रकार का भेद-भाव किया गया।”

१९३५ के मध्य में कांग्रेसवादियों को, विशेषकर उनको जो कांसिल-प्रवेश पर अड़े हुए थे, और प्रश्न ने उद्दिग्ध कर रक्खा था; और वह था नये शासन-विधान के अन्तर्गत पद-ग्रहण करने के सम्बन्ध में। यह दुर्भाग्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जब कि बिल अर्भी, पार्लियमेंट के सामने ही था, यह प्रमत्त छेड़ा गया। यह बात भी भुलाने योग्य नहीं है कि कांग्रेस-वादियों के इस वर्ग अपना जो रुख दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पार्लियमेंट को यह आश्वासन देने में कि ऐसे आदर्मी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। बर्दौस कांग्रेस का प्रस्ताव इस मामले में बिलकुल स्पष्ट था कि कांग्रेस का क्या रुख है, और आगामी-अभियोग तक इसके निर्णय करने का किसी को अधिकार न था। फलतः जुलाई के अन्त में वर्षा में कार्य-समिति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर सकना उसमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ।

“भावी शासन-विधान के अन्तर्गत पद-ग्रहण करने या न करने के सम्बन्ध में अनेक कांग्रेस-वादियों के प्रस्ताव पढ़ने के बाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है कि इस प्रश्न को आगामी कांग्रेस-अधिवेशन तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। यह कार्य-समिति घोषणा करती है कि इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न समझ जाना चाहिए।”

अर्भी बिल कामन-सभा के सामने ही था कि पार्लियमेंटरी-बोर्ड के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने इसकी हेतियत् से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के अन्तर्गत सङ्घ-शासन के प्रश्न पर सलाह और फिर मैसूर में इस विषय पर भाषण भी दिया। इन बातों को लेकर इस वर्ग के आरम्भ में सम्बन्ध-प्रज्ञ-परिषद् में हलचल मच गई। जुलाई में देशी रियासतों की प्रजा के प्रति कांग्रेस के रुख का विचार करने के लिए महासमिति की बैठक की माग हुई। देशी-रियासतों की प्रजा ने अपनी मांग अर्भी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रखी थी, जो उन्होंने दूसरी गोलमेज-परिषद् के अन्तर्गत पर दिया था—“कांग्रेस ऐसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी, जिसके द्वारा देशी राज्यों की प्रजा को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न हों और वे सध व्यवस्था-मण्डलमें प्रतिनिधि न भेज सकें।”

२६, ३० और ३१ जुलाई १९३५ को वर्षा में होनेवाली कार्य-समिति की बैठक में इन विचारों का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें निम्न-लिखित निश्चित सम्झति प्रकट की गई :—

“यद्यपि भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति की प्रस्तावों-द्वारा प्रकट कर दिया गया है, फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वारा या उनकी ओर से कांग्रेस-नीति की अधिक स्पष्ट घोषणा की जायगी—पूर्वक पेश की जा रही है। इसलिए कार्य-समिति देशी नरेशों और देशी-राज्यों की प्रजा के प्रति कांग्रेस की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिखित ध्यात्म्य पेश करती है—

“कांग्रेस स्वीकार करती है कि भारतीय रियासतों की प्रजा को भी स्वयंसेवा का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना ब्रिटिश-भारत की प्रजा को है। तदनुसार कांग्रेस ने देशी-राज्यों में प्रतिनिधित्व पूर्ण रियासतों की स्वायत्ता के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है, और न केवल देशी-नरेशों से ही अपने राज्यों में इन प्रकार की उत्तरदायी शासन-व्यवस्था स्थापित करने और अपनी प्रजा को स्वयंसेवा, सभा आदि करने के, भाषण देने के और भेदों-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकता के

अधिकार देने की अपील की है, बल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिज्ञा की है कि पूर्ण उत्तरदायी-शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्तिपूर्ण माधनों से किये गए सघर्ष में उसकी सहायता है। कांग्रेस अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। कांग्रेस समझती है कि यह स्वयं देशी-नरेशों के भले के ही लिए है, यदि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी रियासतों में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-प्रणाली कायम कर दें, जिसे उनकी प्रजा को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों।

पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का सघर्ष जारी रखने का बोझ स्वयं देशी-राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस रियासतों पर नैतिक और मैत्री-पूर्ण प्रभाव डाल सकती है और, जहाँ भी हो, डालने पर बाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामर्थ्य कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे अग्रजों के अधीन हों चाहे देशी-राजाओं के और चाहे किमी और नचा के, एक हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

यह कहना होगा कि वाद-विवाद की गर्मा-गर्मा में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य की बात भुला दी जाती है। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीति अंगीकार करने से दोनों का उद्देश ही विफल हो जायगा।

आगामी शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्तनों के विषय में सुझाया गया है कि कांग्रेस भारत-शासन-विधान के उस अंश में, जिसमें देशी रियासतों के और भारतीय-सभ के पारस्परिक सम्बन्ध की चर्चा की गई है, सशोधन कराने पर जोर दे। कांग्रेस ने एक से अधिक बार शासन-मुधार-सम्बन्धी सारी योजना को, इस व्यापक आधार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप नहीं है, रद्द कर दिया है और प्रतिपादन किया है कि शासन-व्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी सभा के द्वारा हो। ऐसी दशा में कांग्रेस अब इस योजना के किसी विशेष अंश के सशोधन के लिए नहीं कह सकती। यदि यह ऐसा करेगी तो यह कांग्रेस-नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा।

“साथ ही रियासतों की प्रजा को यह आश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय-नरेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस देशी-रियासतों की प्रजा के हितों का बलिदान करने का अपराध कभी न करेगी। अपने जन्म से ही कांग्रेस सदा जनता के और उच्च-वर्ग के हितों में विरोध होने की अवस्था में जनता के हितों के लिए अस्मिन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है।”

अन्त में यह निश्चय किया गया कि चूँकि १८८५ में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसलिए उसका पचासवाँ वर्ष उचित ढंग से मनाया जाय। इस उद्देश से कार्य-समिति ने इस अवसर के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की। वर्षों की बैठक और वर्षों की समाप्ति के बीच में जो घोषणा सा समय रहा उसमें तीन घटनाओं को छोड़कर कोई विशेष बात न हुई। उनमें से एक घटना पण्डित जवाहरलाल की आकरिमक रिहार्ड थी। वह अपनी घर्मपत्नी की चिन्ताजनक अवस्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोड़ा-जेल से छोड़ दिये गए। उनको फ्रीज यूरोप को रवाना होना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद न्यूनतम होने से पहले छूट आए तो, जैसा कि आकाश में कहा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पड़ेगा। दूसरी घटना गवर्नर-जनरल-द्वारा सितम्बर में क्रिमिनल-सॉ-अमेयटमेंट एक्ट पर सही होना था, यद्यपि बकी कौंसिल ने उसे स्पष्ट बटुम-द्वारा रद्द कर दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण या स्थान देने योग्य घटना १७ और १८ अक्टूबर १९३५ की महा-समिति की बैठक थी, जो मद्रास में हुई। आकाश की कि ‘पद-स्वीकार करने’ और ‘कांग्रेस और देशी-राज्यों के प्रश्न’ पर दूने वेग से आक्रमण किया जायगा। यदि हम कांग्रेस अधिवेशन के साथ हुई बैठक को छोड़ दें, तो मद्रास में महासमिति की यह पहली बैठक थी। मद्रास में देशी-राज्यों

के प्रश्न पर कार्य-समिति के सदस्यों के साथ सहमति प्रकट की गई थी। पर निर्धार करने के लिए महासमिति ने यह विचार प्रकट किया कि अभी नये शासन-विषय के अनुसार प्रांतीय केंद्रों का निर्माण प्रारम्भ होने में बहुत देर है, और साथ ही इस सम्बन्ध में वास्तविक भी निर्दिष्ट इच्छाएँ इस दिग्गज पर कांग्रेस के लिए बड़ी निरूपण करना सम्भवतः नही होगी और यह वैधक्य है।

मद्रास की महासमिति की बैठक के फलिताने में एक साधारण पत्र का जिक्र का आवश्यक है। महासमिति के बंगाल प्रांत के सदस्यों को सूचना दी गई कि उन्हें बैठक में भाग लेनी अनुमति न मिलेगी, क्योंकि बंगाल-प्रांतीय-कांग्रेस-कमिटी ने धरना (५००) का चन्दा पदा नही किया है। कार्य-समिति ने बंगाल-प्रांतीय-कांग्रेस-कमिटी की कार्य-कारिणी को एक नोटिस दिया कि कार्य-समिति ने बंगाल-केन्द्रीय जिला-कांग्रेस कमिटी को मानने के सम्बन्ध में इच्छा रखी थी। उसका जान बूझकर उल्लंघन करने के लिए उसके विरुद्ध जाने की कार्य-समिति न की जाय, इसका यह कारण बताया।

अब अन्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पार्लियामेंट ने भारत-शासन-विषय पर दिया और २ जुलाई को उसे सभा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विषय की आलोचना करने में मुल्क को भोटा नहीं बनाना चाहते। हाँ, हम कामन-सभा के एक सदस्य के माध्यम से, विशेषतः बरस लगभग सभा ही हो गई, उद्धरण देने के प्रलोमन को नहीं रोक सकते। ५ जून १९३५ को जे. मिलनर ने इण्डिया-विल पर बोलते हुए मि० चर्चिल और सर सेम्युअल होर की तुलना नायक और उपनायक से की। उन्होंने कहा—“नायक (सर सेम्युअल होर) ने शठ उपनायक को हरा दिया है। आज (५-६-३५) वह बिना रक्त-पात किये ही उसका काम समाप्त कर देगा।” अनेक बाद मेजर मिलनर ने कहा—“और तब दोनों प्रति पक्षी बाह-में-बाह वाले रङ्गमंच का झरकते दिखाई देंगे।” यास्तव में यह नाटक १९३५ में ही नहीं, १९२० में भी रचा गया था। वैसे समतौर से यह बात ठीक है कि ब्रिटिश-पार्लियामेंट में एक ऐसा दल है, जो अनुदार-दल के नाम पुकारा जाता है। पर असली बात यह है कि सारे दलों का लक्ष्य एक ही है; और वह यह कि ऐसा विध तैयार करें जो, ‘मिन्नेस्टर-गार्जियन’ के शब्दों में, भारत को स्वराज्य प्रतीत हो और संसद को ब्रिटिश राज्य। इस उद्देश्य से विभिन्न दल पार्लियामेंट की दोनों सभाओं में लड़ाई का संकल्प रचते हैं, उनमें से कुछ देने का दोग दिखाने हैं और बाकी प्रतिरोध करने का। इनमें से पहले पर का दल भारत के नरम दल वालों को यह कहकर रोजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही है, मिले ले लो, क्योंकि दुसरा वो इतना भी नहीं देना चाहता। ‘अधिकार-सम्पन्न दल नायक का खेलता है, और विरोधी दल उप-नायक का। दोनों वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लड़ाई स्वागत रचते हैं, और ज्यों ही वे बाका छोड़ कर बाहर आते हैं, इस कृत्रिम-मुद्द को बढ़िया प्रकृत देने की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। इन दोनों के बीच में भारत को बुद्धि या जाता है।

कांग्रेस-सभापति का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व

इस अध्याय की समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन बढ़ते हुए का जिक्र करना आवश्यक समझते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के अध्यक्ष हर साल देते आ रहे श्रीमती वैसेट्ट ने सालभर तक अपने सभामानेत्री बने रहने की सूचना दी थी। वह से शत्रु पर उनके उत्तरदायिकारी श्रमण करते आ रहे हैं। दो-एक कर, जो

काँग्रेस की शानदार बैठक की समाप्ति के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायब हो गये, बाकी सब ने अपना कर्तव्य बड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे बोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के अनुरूप ही बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति और कष्ट-सहिष्णुता ठीक उतने ही विपरीत ढङ्ग से काम करती है, देश का दौरा कर डाला और इस प्रकार उन्होंने देश की जनता और आन्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया। बिहार-भूकम्प-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें बहुत काम रहता है। इससे अलावा कांग्रेस के समाप्ति की हैसियत से उन्हें कर्तव्य-पालन करना पड़ता है। और फिर क्वेटा के भूकम्प के काम में उनके कामों में और भी वृद्धि कर दी। इतने पर भी उन्होंने महासदृष्ट, कर्नाटक, बरार, पंजाब, मध्य-प्रान्त के एक भाग, तामिलनाडु, आंध्र और बंगल का दौरा कर डाला। अखिल-भारतीय चरवा-सभ से भी उनका सम्बन्ध है, और अपरिवर्तनवादी होते हुए भी निर्बन्धन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने अपनी दिलचस्पी कम नहीं होने दी है। गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र से क्या गये, राजेन्द्रबाबू के कंधों पर रखता बोझ और भी बढ़ गया—क्योंकि, यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि जबतक गांधीजी मौजूद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों के लिए हलका था। इसका यह मतलब नहीं कि उनके सहयोगियों ने कभी अपने कर्तव्य की अवहेलना की हो; पर असली बात यह थी कि गांधीजी-जैसे व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के भारी कार्यों का बोझ अपने सहयोगियों के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। इन प्रकार कांग्रेस की अग्र्यता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर घोर चिन्ताओं और उत्तरदायित्वों का भार आ पड़ा है। हम एक कदम और भी आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस देश में सरकार के मुकाबले ऐसी सस्था बन गई है जिसका अपना एक आदर्श है, जिसे सरकार के द्वारा दमन किया जाता है, जिसकी प्रामोद्वृत्ति की योजनाओं से सरकारी योजनाओं में होड़ लगा रखी है, जिसके सत्य और अहिंसा के उद्देश्यों की सरकार की ओर से, जो भौतिक बल पर निर्भर करती है, मुग़ाई और बदनामी की जाती है। कांग्रेस ५० वर्षों से काम करती आ रही है और इसकी सफलता की सगहना की गई है। कुछ लोग इसे असफल बताते हैं। सफल हो या असफल, सत्याग्रह एक नई शक्ति है जो कांग्रेस की राजनीति में प्रविष्ट हो गई है। अभी इसकी परीक्षा ही ली जा रही है। पर इसे इतने दिन काम करने हो गये कि जनता का ध्यान इसकी ओर काफी आकर्षित हो चुका है। इन आदर्शों में परिबर्धन और साधनों में महोत्थान करने का भ्रम एक व्यक्ति को है, जो यद्यपि भारत में उत्थान हुआ था पर अपनी क्षामु के रचनत्व-भाग में देश से बाहर दृष्टि-अधीनता में रहता था और एक अरिचिन्तित देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था। लोग पुछते हैं—क्या कांग्रेस असफल सिद्ध नहीं हुई, क्या सत्याग्रह भी अकार्य गया और वह अधूरा नहीं उबरा, और क्या गांधीजी की शक्ति समाप्त नहीं हो गई।

उपसंहार

कांग्रेस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संक्षिप्त विवेचन हम कर चुके। इस काठ
दूसरे अर्धांश की चर्चा पहले अर्धांश की अपेक्षा कुछ अधिक विस्तार के साथ की गई है। इस
काल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादाभाई नौरोजी ने ही
कांग्रेस का सभापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोष में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया।
मम राष्ट्रपति उमेशचन्द्र बनर्जी एक बार फिर सभापति हुए। बंगाल के शेर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को
बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। यही हाल धवल-बख्त-धारी प० मदनमोहन मालवीय और
मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम वेडरबर्न का हुआ। बदरुद्दीन तैयबजी, रहीमतुल्ला सयानी,
व सय्यद मुहम्मद बहादुर, हसन इमाम, अबुलकलाम आजाद, इकीम अजमलखान, मौ० मुहम्मद अली
खॉ० अन्वारी—कुल ५१ में से ८ मुसलमान सभापति हुए। दादाभाई नौरोजी और पीरोजशाह
ता उस श्रेष्ठ जाति—पारसियों—के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने भारत की वैदिक और इस्लामिक
कृति में अपनी—ज्ञानरश्मि—संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया है। उमेशचन्द्र बनर्जी, आनन्द-
मदन वसु, रमेशचन्द्र दत्त, लालमोहन घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, सत्येन्द्रप्रसन्न तिलक, श्रीभक्ताराण
मदार और विश्वरञ्जन दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बंगाल तो इस दिशा में सबसे
गे है। युक्तप्रान्त ने विश्वनाथराय दत्त, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र
हरलाल को दिया। अन्तिम अध्याय राजेन्द्रबाबू विहार के हैं, जहाँ के हसन इमाम पहले सभापति
चुके हैं। पंजाब को लाला लाजपतराय के सभापति बनने का गौरव प्राप्त है और मध्यप्रान्त को
मुधोलकर के सभापतित्व का। गुजरात के गांधीजी और यल्लभभाई पटेल सभापति हुए हैं। बम्बई
मानों इसका भवदार ही रहा है—तैयबजी और सयानी ही नहीं, पीरोजशाह मेहता भी यही के
याचा, गोखले और चन्दावरकर (बम्बई के) पश्चिमी प्रान्त के थे। मद्रास ने आन्ध्र के
कन्द चार्ल्स को और केरल-पुत्र सर शंकरन नायर को दिया और अन्त में दक्षिण के विठ्ठल
रायरायवाचार्य तथा भीनियास आयागर को प्रदान किया जो दोनों तामिलनाडु के हैं। भीमटी वेमेट
मरोजिनी नायडू ये दो स्त्रियाँ भी सभापति पद को सुशोभित कर चुकी हैं। और भी यूल, देव,
बर्न व हेनरी काटन के रूप में अंग्रेजों ने भी अपना हिस्सा बटाया है। इस विविध सूची से स्पष्ट
है कि कांग्रेस न केवल राष्ट्रीय बल्कि सचमुच एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा है।

अब प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस असफल रही? इस बात से शायद ही कोई इन्कार करे कि
ने हम लोगों में पुण्यतन राजनीतिक और सांस्कृतिक-विचारों के क्षेत्र में नित्य नयी विचारों का जन्म
रहा है। राजनीति सच पूर्णतः ही मानव-वृक्षपाण्य का विज्ञान ही है। उसने केवल भारत में ही
बल्कि सारे संसार में इतना व्यापक-रूप धारण कर लिया है कि उसमें सामाजिक और धार्मिक
वृक्षार समस्याओं के सम्पन्न तथा इस का भी समावेश हो गया है। और यदि हम इनमें सामाजिक
और धार्मिक विचारों को भी मिला दें तो फिर राजनीति उभीकही शताब्दी के प्रतिपद पर न रह-

कर उस शुद्ध और नैतिक पद पर जा पहुँचती है जिसे पहले १५ या १६ वर्षों में भारत ने प्राप्त किया है, और उसका भेद्य भी मोहनदास करमचन्द गांधी जैसे विश्व-मन्त्र व्यक्त को है जिसकी अभेद्यता का दर्शन प्रोफेसर गिलबर्ट मेरे ने निर्मलालित उचित और नये-तुले शब्दों में किया है:—

“ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश आओ, जिसे न तो सांसारिक वासनाओं की रत्ती-भर चिन्ता है, न आराम या प्रशंसा या पद-वृद्धि की, बल्कि जो उस काम को करने का निश्चय कर लेता है जिसे वह ठीक समझता है। ऐसे आदमी भयंकर और दुःखदायी शत्रु हैं, क्योंकि उसके शरीर पर तो तुम आसानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर इतसे तुम्हारा क्या भी फन्ना नहीं हो सकता।”

ऐसे ही आचार्य के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजनीति पर सेवा-धर्म की छाप लगाने की चेष्टा की है, उच्च भेद्यों में अधिक व्यापक संस्कृति और अधिक ऊँची देश-भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है और प्राम-नेतृत्व स्थापित करने के लिए उपोस किया है। वस्तुतः कांग्रेस ने एक नये धर्म को जन्म दिया है। वह है राजनीति का धर्म। यदि हम अपने धर्म से च्युत न होना चाहें तो हम किसी भी मन्की प्रान्त को धर्म की परिधि के बाहर नहीं मान सकते। क्योंकि धर्म किसी स्वस सिद्धान्त या उपासना के दंग का नाम नहीं है; बल्कि उच्चतर जीवन, बलिदान की भावना और आत्म-समर्पण की एक योजना है। और जब हम राजनीति धर्म की बात करते हैं तो हम वर्तमान गड़ित राजनीति को पवित्र बना देते हैं, संकुचित और भेद-पूर्ण राजनीति को व्यापक बना देते हैं, और प्रतिद्वंद्वितापूर्ण राजनीति को सहयोग-पूर्ण बना देते हैं।

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर हमने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में सत्य और औचित्य का पक्ष-समर्पण किया है। जीवन में असत्य सदा से शीघ्र और सली विजय प्राप्त करता आया है और पारुष्य और छल ने विद्वैक और सत्य के ऊपर अनवर विजय प्राप्त की है। यही क्यों, इतिहास में कानून और तर्क ने स्वयं जीवन तक पर विजय प्राप्त की हैं। पर ये विजयें आंशिक और क्षण-भंगुर हैं और इ-होंने विजेताओं को हमेशा वरणाजनक अवस्था में ला पटक है। बड़े पैमाने पर देखा जाय तो गत महायुद्ध के फल स्वरूप विजेता विजितों के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमा सके। छोटे पैमाने पर देखा जाय तो भारत पर इंग्लैण्ड की ‘विजय’ ने इंग्लैण्ड को स्थायी-सुख प्रदान नहीं किया। विभिन्न गोलमेज परिषदों का आयोजन करने में राजनीति-विशारदों ने जिस नीति से काम लिया उसके फल स्वरूप वे भारत को इंग्लैण्ड-रूपी प्रासाद का भोंपड़ा बनाने के उद्देश में सफल न हो सके। दमन की प्रत्येक शक्ति ने स्वयं दमन करनेवालों के हितों को स्वतरे में डाला और जनता में प्रतिरोध की भावना उत्पन्न कर दी। यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्याग्रह—सविनय-अवज्ञा—के रूप में प्रकट होती है, कभी उगती और उठती हुई पीढी के हाथों में अधिक कठोर और भीषण रूप धारण कर लेती है। जो यह कहते हैं कि असहयोग का कार्यक्रम असफल रहा वे अपनी इच्छा को निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते हैं; क्योंकि दूर तक दृष्टि दौड़ाकर देखा जाय तो प्रत्येक असफलता केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तो वह सफलता की दिशा में एक आगे का कदम ही है। और वास्तव में सफलता अनेक असफलताओं का अन्तिम पटाक्षेप है।

हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कलते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रम के दो पदलू हैं। उसके आक्रमणकारी पदलू को लीजिए, तो कांग्रेस ने सरकार के साथ युद्ध करने में जो दंग अपनाया उसे कोई सम्य सरकार बुरा नहीं कह सकती। इस युद्ध का मूलमन्त्र मन, बचन, कर्म से अहिंसात्मक का पालन रहा है और गांधीजी को भारत का ‘चीफ-कान्स्टेबल’ माना गया है। सरकार ने गांधीजी

सम्मान, आत्म-निर्भयता, आत्म-बोध के भाव उत्पन्न होते हैं। हमने आर्थिक क्षेत्र में खदरके द्वारा जो संसु प्राप्त करने की चेष्टा की है वहीं हम लोक-संघ में मद्यपान-निषेध के द्वारा और सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता-निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। जो सरकार अपने नागरिकों में मद्यपान-निषेध-विषयक संगठन पर आपत्ति करे, उसे यदि और कुछ नहीं हो बहुत ज़ुद तो अवश्य कहना पड़ेगा। यह समस्या इतनी सफल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे राष्ट्र में मुख्यतः दो महान् जातियाँ रहती हैं—हिन्दू और मुसलमान। इन दोनों जातियों के धर्म का आचार मद्यपान-निषेध पर अवस्थित है। देश में मादक-द्रव्य-निवारण-सम्बन्धी आन्दोलन इसी आचार पर चलता रहा है। पर जब कभी राष्ट्र गम्भीरता-पूर्वक इस नैतिक आन्दोलन को अपने राजनैतिक रगमंच पर झेठा देता है और इस आन्दोलन के संगठन के लिए फिरेटिंग की ओर झुकता है, तो सरकार का प्रेम पर इस प्रकार आ टूटती है जिस प्रकार भेड़ों पर भेषिया आ टूटता है।

और, जब हम अस्पृश्यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विषय का समावेश करते हैं, तब भी हमारी यही दशा होती है। प्रधान-मंत्री के निरचय ने हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन की व्यवस्था करके 'उन्हें अलग कर दिया, जिन्हें भगवान् ने एकत्र किया था।' जब भारत के महान् नेता ने प्रामाण्य अनुरोध किया तब कहीं जाकर उस गर्हित व्यवस्था में सरोधन हो सका और हिन्दू जाति में व्यापक एकता स्थापित हुई। पर इतने पर भी आन्तरिक पृथक्ता का भाव फिर भी बना रहा। और जब हमने हरिजनों की मन्दिर-प्रवेश-सम्बन्धी कक्षाट दूर करने की चेष्टा की और मत्वाधिन्य के द्वारा मन्दिरों के दृष्टियों का पक्ष प्रबल हो गया, तब भी सरकार ने हस्तक्षेप करके एक ऐसे कानूनी प्रस्ताव का विरोध किया जो केवल अनुमति-शायक था, और इस प्रकार उसके मूल में ही बुटाघात कर दिया।

देश को जिस समस्या का सामना करना है वह यही ही जटिल है। सरकार ऐसी है जो फूट बाल कर शासन करने पर तुली हुई है। नगर और देशवर्गों के विरुद्ध संगठित हैं, उच्च भेषियों के हित जनमाधारण के हितों से टकरा खाते हैं, अन्ध-सिद्ध सुधारों के विरुद्ध अपवित्र विरोध संगठित हैं, खदर पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, साम्प्रदायिक समता कायम करने के मार्ग में कक्षाटें भौखर हैं, और नैतिक आचरण ऊँचा करने की चेष्टा का प्रतिरोध किया आ रहा है। इन सब बातों के द्वारा यह अच्छी तरह स्पष्ट हो गया है कि स्वराज्य यदि प्राप्त होना है तो केवल श्रेणी शिक्षा के दीवानों, शिक्षितों के देवो अग्रजाने वाले व्यक्तियों और व्यागर और उद्योग-धर्मों के नेताओं के द्वारा ही प्राप्त न होगा। हों अपना अन्धाज और भीमत लगाने की दृष्टि में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए गाँवों में रहने वाली जनता में आत्म-चेतनता का विकास करना पड़ेगा और उनका विस्तार प्राप्त करना होगा। और यह विस्तार पक्षों में लेल देने या एक-आध व्याख्यान भण्ड देने से प्राप्त न होगा बल्कि उनकी नित्य सेवा करने से प्राप्त होगा। जहाँ यह विस्तार प्राप्त हुआ कि वह कर्मिण द्वारा प्रायोगिक राष्ट्रीकार का कार्यक्रम चलाने लग जायगा। उसके फलस्वरूप स्वराज्य पक्ष हुए सेव की संवि लक्ष्य ही पारे न टकरा पड़े तो भी यह शीम ही स्पष्ट हो जायगा कि जनता की सेवा के लिए किया गया प्रत्येक कार्य मानो स्वराज्य की नींव में अच्छी तरह और सम्बन्ध रक्खा गया एक पत्थर है, और समाज की सामाजिक आर्थिक रचना में से निकली यह एक-एक कमी स्वराज्य के लक्ष्य की एक-एक मील ऊँचा करने के सम-सुख होगी। यह ठीक निष्कर्ष हीमा है, पर परिणाम निर्भर

र रथायी होगा। इस प्रकार कांग्रेस ने गांधी में अपना सन्देश ले जाकर ग्राम नेतृत्व काफ़ल दिया है।

२

कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि को अपनाया गया है, अब उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। अभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इसलिए किसी दौलत का उसकी अपूर्ण और अनिश्चित दशा में अध्ययन करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन और ख़ास कर उस व्यक्ति के लिए तो यह और भी कठिन है जो स्वयं उसकी शक्ति में असीम विश्वास रखता है और इसलिए अपने विरोधियों के उपहास का पात्र और शत्रुओं की घृणा का निबन्ध बन गया है। सभी महान् आन्दोलनों को इन अवस्थाओं में से होकर गुज़रना पड़ा है। जान-बूझ कर हो या अविचेक के कारण हो, पर सभी महान् आन्दोलनों को शुरुआत में कृत्रिम आंदोलनों से समान समझा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे को कारबन समझा जाता है, जिसके साथ उसकी पहचान रहती है। सत्याग्रह को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध समझा जाता है; पर सत्याग्रह निष्क्रिय-प्रतिरोध से अलग ही भिन्न है, जितनी हीरे की चमक रसायनशास्त्र के उस काले पदार्थ से भिन्न है। नरक-प्रतिरोध और सत्याग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हैं। यद्यपि सत्याग्रह का आरम्भ उसके प्रदाता ने जान-बूझ कर निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था, पर गांधीजी के आन्दोलन के शुरू होने से पहले भी इसी प्रकार एक आन्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता ने इस आन्दोलन को भी निष्क्रिय-प्रतिरोध-मात्र समझा। इस पर आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। जब १९१७ में लॉर्ड एर्नो केसेण्ट नज़रबन्द की गई थी, तो कांग्रेस ने निष्क्रिय-प्रतिरोध की घमकी दी थी, पर जब रिहा कर दिया गया तो उसका जन्म ही न हुआ। और जब गांधीजी ने पदार्पण करके पहले सत्याग्रह के बाहर रहकर रौलट-एक्ट के विरुद्ध और फिर कांग्रेस के भीतर जाकर पंजाब और खिलाफत के अन्धी अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो अधिकांश कांग्रेसवादियों ने और अधिकांश जन-प्रतिरोध ने यही समझा कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस आन्दोलन की घमकी दी थी, यह आन्दोलन की पुनरावृत्ति-मात्र है।

हाल की राजनैतिक घटनाओं ने अब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया है जिसे उस-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है। निष्क्रिय-प्रतिरोध के रूप में आन्दोलन में कटुता और अभिमान भरा हुआ था। इस कटुता और गर्व में शायद घृणा और अविचार का चिह्न भी दिखाई देता था। असहयोग के रूप में यह आन्दोलन उस कुटी हुई जनता का आन्दोलन था जो अपने शासक से झुझी, और यद्यपि घायल करने को इच्छुक थी, पर आत्मसम्मान को तैयार न थी। जब इसने सविनय-अवज्ञा का रूप धारण किया तो इसे विरोध पर विरोध मान ही जोर देने में समर्थ लगा। 'सविनय' वाली बात को शुरू में बहुत कम समझा गया, और धीरे-धीरे लोग इसको समझने लगे और इस प्रकार इस 'सविनय'-सम्बन्धी विचार का दूसरा कदम सत्याग्रह पर जा पहुँचा। कुछ ही दिनों बाद हमने देखा कि सत्याग्रह का आधार प्रेम और अहिंसा प्रविष्टि केवल अभाववात्मक शक्ति न रही, बल्कि एक प्रबल शक्ति हो गई और उसने उस प्रेम का धारण कर लिया 'जो दूसरों को तो नहीं जलाता, पर स्वयं जलकर भरम हो जाता है।' १९२२ के अन्त में बारडोली में गांधीजी ने पैर पीछे हटाया, और यदि हम उरध्वोक्त परिभाषा और आदर्श के अन्तर्गत से बारडोली के निश्चय को देखें तो पता लगेगा कि एक चौरी-बोग, मुक्त-प्रान्त के एक युवक के मरने की ही नहीं, सारे देश को सजा देने के लिए पर्याप्त है। हम यह भी जान

लगे कि सत्याग्रह मौक्तिक-शक्ति मात्र न होकर ऐसी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो अपनी माँगों को पूरी कराये बिना नहीं मानती और जो बड़ी क्रियाशील, अग्रसर और तेजस्विनी है। लोगों की स्थिति का यह सहोपन समझने में काफी अरसा लगा कि यदि सरकार-द्वारा किया गया जालिया-वाला-बाग-इत्याकाण्ड सत्याग्रह जैसे देश-स्वाधी आन्दोलन उत्पन्न कर सकता है, तो जनता-द्वारा किया गया चौरी-चौरा-इत्याकाण्ड इस सत्याग्रह को रोक भी सकता है। वास्तव में सत्याग्रह मनुष्य को अतक शक्त सारे सद्गुणों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन सद्गुणों का मुख्य स्रोत है और अहिंसा या प्रेम उसका रत्न-आच्छादन है। इस प्रकार देश बिलकुल ही नये दृष्टि-बिन्दुओं के सवार में जा कूदा जिसमें धृष्टा और क्रुत्वा, भय और कायरता, क्रोध और प्रतिहिंसा का स्थान प्रेम, साहस, धैर्य, आत्म-वीक्षण और आत्म-शुद्धि ने ले लिया था, जिसमें सम्पदा सेवा के आगे तिर झुकायी है; और जिसमें शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि उसके विचार और भाव को अपने अनकूल बनाया जाता है।

हमें शिक्षा दी जाती है कि भय-केन्द्र स्वयं हमी हैं और भय हमारे आसपास घूमता रहता है। यदि हम एकबार भय और स्वार्थपरता को छोड़ दें तो हम स्वयं मृत्यु का आलिङ्गन करने को तैयार हो जाय। इरेक सत्याग्रही सत्य की खोज करनेवाला है, इसलिए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, दरिद्रता का और मृत्यु का भय छोड़ देना चाहिए। अश्वहोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त आत्म-नियंत्रण है, साधना है, इसलिए यह आत्म-न्याय की दीक्षा देने का साधन बन गया है। इस साधन का उपयोग उस विनम्रता की भावना के साथ, जिससे साहस प्राप्त होता है, करना होगा, न कि गर्व की भावना के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार आन्दोलन के कर्त्ता ने आजकल की गर्दित राजनीति को एक ही छुलांग में दिव्य और आध्यात्मिक बना दिया।

हमें आन्दोलन के इन फलितार्थों पर जरा और भी अच्छी तरह विचार करना होगा। इसके द्वारा भारतीय समाज की भित्ति समझनेमें बड़ी आसानी होगी। वह भित्ति, जिसे एक सरल सूत्र 'अहिंसा परमो धर्मः' में और एक सीधी-सादी प्रार्थना 'लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु' में व्यक्त किया गया है, एक ऐसी प्रबल शक्ति है जो न केवल अरुण-आपको मिटा देने की क्षमता ही रखती है बल्कि इरेक को वाहबल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो घृणा करते हों। 'जो दुश्मारे साथ मलाई करे, तुम उसके साथ मलाई करो,' एक व्यवहार सिद्धान्त है। जो व्यक्ति प्रेम करता हो और दयालु-हृदय हो उसके प्रति अहिंसा का आचरण करना केवल पारश्विक या नारकीय प्रवृत्तियों की शक्ति न होने का दावा करना है। सत्याग्रह वशिष्ठ या जनक को पराजित करने के लिए नहीं बनाया गया। जब लोग निराशा से विह्वल होकर पूछते हैं कि अमेरिका के पारश्विक बल का मुकाबला अहिंसा कैसे कर सकेगी, तो हम पूछते हैं कि यदि हमारे प्रतिपक्षी पारश्विक न होंगे तो क्या सत्याग्रह करना व्यर्थ और युद्ध के काम के लिए निकम्मा साबित न होगा? हमारे मीतर पहले से ही जो कारणों से घुस गई हैं उन्हींके कारण हमें इस प्रकार इत्तार और विफल होना पड़ता है। पश्चिम की इस शिक्षा ने कि इस जीवन-संघर्ष में जो अधिक बलशाली होता है, वही जीवित रहता है और दुर्बल का विनाश अनिवार्य है, हमपर इतना गहरा प्रभाव डाला है कि इसके कारण हमारी नृत्तित वासनायें उत्तेजित हो उठी हैं और हममें गर्व और उनके समी-साथी ने दुर्गुण उत्पन्न हो गये हैं जिनमें कायरता और हिंसा की उत्पत्ति होती है।

भारतीय समाज सत्याग्रह की उस भित्ति पर खड़ा है, जो हमसे संसार हटागने को तो नहीं कहती पर साथ ही हममें आत्म-न्याय की प्रवृत्ति जागृत करती है। जहां हमने एकबार सत्य का पीछा

मौजूद हैं जो यह कहेंगे कि अहिंसात्मक असहयोग असफल हुआ, पर एक ही छुलांग में सफलता प्राप्त करने का, विशेषकर उस अवस्था में जब इस नवीन आन्दोलन को अपनाने में जनसमूह ने विलास्य दिखाया है, किसीने बीजा भी तो नहीं उठाया। अहिंसा ही एकमात्र ऐसी स्थायी शक्ति है जो दोनों प्रतिद्वंद्वियों को शान्ति और सन्तोष प्रदान करती है, क्योंकि जहाँ हमने हिंसा को एक बार निर्णायक के आसन पर बैठा दिया, कि फिर इस अस्त्र का उपयोग, जैसा कि कहा जा चुका है, विजित और विजेता दोनों के द्वारा किया जा सकता है। बस, इसके बाद हिंसा और प्रतिहिंसा का नाशक चक्र चलता ही रहता है।

३

लाखों पुष्पों, त्रिवर्षों और बालकों पर गांधीजी के इस स्थायी प्रभाव का क्या कारण है ? उनका जन्म ऐसे युग में हुआ जिसमें राजनैतिक इलचल का ही नहीं, राजनैतिक अन्वयस्था और गोल-माल का दौरा-दौरा है। जैसा कि लॉबेल ने कहा है—“ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुरुषत्व की भाँति ही राष्ट्रों के पुरुषत्व की भी परीक्षा मारी सकें या मारी अवसरों द्वारा होती रहे। यदि पुरुषत्व मौजूद हो तो वह मारी सकत को अवसर बना लेता है, और यदि पुरुषत्व मौजूद न हुआ तो मारी अवसर भारी संकट में परिवर्तित हो जाता है।” गांधीजी ने भी भारी संकट को भारी अवसर बना डाला और ऐसी नई क्रांति का भोग्योक्त कर दिशा जो रक्षरजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के बजाय स्वयं पीड़ा का आह्वान करते हैं, जो शत्रु पर विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मत-परिवर्तन करने की इच्छा रखती है। गांधीजी ने बुलन्द आवाज में घोषित कर दिया है कि जनता को सविनय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका कर्तव्य भी है; पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा दिया है कि सरकार को भी इस विद्रोहाचरण के लिए लोगों को फाँसी पर चढ़ाने का अधिकार है उन्होंने केवल भारत के दासत्व को मिटा देने का बीजा उठाया ही, सो बात नहीं है; वास्तव में उन्होंने सारे संसार से उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा देने का बीजा उठाया है, जो दासत्व का प्रतिपादन किसी भी रूप में—चाहे वह भौतिक हो, चाहे राजनैतिक या आर्थिक—करनेवाली हों। उन्होंने यह दिखा दिया है कि दूसरों को अपना प्रजा और दास बनाना नैतिक अन्याय है, राजनैतिक भूल है, और ब्यावहारिक दुर्भाग्य है। इस लक्ष्य को धामने रखकर उन्होंने हमेशा जनता की शुद्ध बुद्धि को उद्बोधित किया, न कि उसके राश-दंष्ट्रों को, उसके सद्-अव्यवस्थाओं को उद्बोधित किया, न कि उसकी स्वार्थरता या अज्ञान को। उनकी दृष्टि में किसी भी नैतिक गुणों का प्रभाव स्थानिक नहीं रह सकता। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा के विशेषी विद्वान् देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते।

अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर जिन लम्बे-चौड़े सिद्धान्तोंका वर्णन किया गया है उनका प्रयोग हमारी दैनिक राजनीति में कैसा रहा ? इन सिद्धान्तों का प्रयोग पहली बार १९१६ में अमृतसर कांग्रेस में हुआ, जबकि गांधीजी ने आग्रह-पूर्वक प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अंग्रेजों की हत्या करके और नैशनल बैंक की इमारत को और अन्य इमारतों को जलाकर जिस हिंसात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया उसकी अवस्था निन्द्य होनी चाहिए। कांग्रेस की विषय-समिति ने इस प्रस्ताव को रात के समय रद्द कर दिया और गांधीजी ने घोषणा की कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साधारणतः घमकी जिस भाव में समझी जाती है उस भाव में यह घमकी न थी, बल्कि गांधीजी के उस कर्म का परिचय देती थी जो उनके सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य था। दूसरे दिन विषय-समिति ने प्रस्ताव स्वीकार कर लो लिया, पर संक्षेप-पूर्वक। बस, उसी दिन से गांधीजी ने जनता के काना

में यह झालना शुरू किया कि वास्तव में अहिंसा क्या है। काम्रेस के नम्रदीक स्वराज्य का अर्थ था कि अंग्रेजों को देश से निचाल बाहर कर दिया जाय; पर गांधीजी ने उसे बताया कि नयीक की हेतुयत से अंग्रेज भारत में शोक से आ सकते हैं और रह सकते हैं, और विदेशियों का बल भी बाँका न होना चाहिए। अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चोरी-चोरा में यह पूरा न उठा। पर तो भी काम्रेस हताश न हुई। जब आन्दोलन बन्द किया गया तो प्रभावशाली व्यक्तियों ने उच्च स्तर से विरोध किया। पर गांधीजी अचल थे। सत्याग्रही को न शत्रु का भय है, न मित्र का, न सहयोगी का ही भय है। उसे तो केवल सत्य का भय है। फलतः गांधीजी ने माने आन्दोलन को लगभग छः वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। बाद की जो घटनाएँ हुई वे जानी-बूझी हैं और उन्हे सत्याग्रह की शक्ति अन्धरी तरह प्रकट होती है। जैसे वे घटनाएँ पुराने कथानक की भाँति या दिन के स्वप्न के जल्दी-जल्दी बदलते हुए दृश्यों की भाँति प्रतीत होंगी, पर वास्तव में हैं वे सत्याग्रह की दिग्ग शिवाओं का प्रकृत रूप मात्र।

पिछले पचास वर्षों में हमारी जो प्रगति हुई है उसका नकरा अपने उदार-चढ़ाव को स्वयं प्रकट करता है। इस प्रगति को चक्करदार रास्ते की प्रगति कहना ठीक होगा। हम धूम-धिरा अथवा उठी कार्यक्रम पर आते हैं—अर्थात् १९०६ का स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय-शिवा और स्वराज्य का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को १९१७ में दुहराया गया, किन्तु ऊँचे अर्थात् निष्कथ-प्रतिरोध के दर्जे पर। १९१९-२१ में इसे फिर दुहराया गया। इस बार यह और भी ऊँचे दर्जे पर-कवि नय-अवस्था के दर्जे पर—जा पहुँचा था। इसके बाद १९३०-३४ का आन्दोलन आया। इस बार भी और भी ऊँचे—सत्याग्रह के—दर्जे पर आ पहुँचा। हमारी चढ़ाई एक ऐसी पहाड़ी रेल की चढ़ाई की तरह है जो तोड़-मरोड़ को सब करती हुई, कभी नीचे जाती और कभी ऊँची उठती हुई, अन्त में पूरी चढ़ाई पर जा पहुँचती है। इस चढ़ाई में कभी प्रयत्न-पूर्वक ऊपर चढ़ना पड़ता है, और कभी आसानी के साथ नीचे को जाना पड़ता है। इसी प्रकार सत्याग्रह-आन्दोलन के दौरान में कभी जोर-शोर से युद्ध हुआ, और बीच-बीच में कौंसिल का काम भी हाथ में लिया गया—कौंसिल का काम भी युद्ध ही है, पर उतना कठोर नहीं। अभी हमें अपनी चढ़ाई के अन्तिम शिखर 'स्वराज्य' तक पहुँचना है।

पर यदि जॉर्ज अर्बिन की भाषा को, जो उन्होंने १९३१ में सन्धि से पहले इस्तेमाल की थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्वराज्य परिणाम नहीं उगाय-भाव है, फल नहीं प्रयत्न-भाव है, यन्त्रव्यय स्थान नहीं दिशा-भाव है, तो उस करीगर से, जो अभी नींव ही को ठोक-पीटकर ठोक कर रहा है, यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, कि प्रासाद बनकर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ। माथूली ईंट-चूने की नींव को भी बनाकर तैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है; फिर स्वराज्य की नींव को तो पुस्ता होने के लिए न जाने कितने दिनों तक छोड़ देना होगा, जिससे वह अपने ऊपर बननेवाली इमारत के बोझ को सहन कर सके।

इन अनेक वर्षों में जिस प्रकार सघर्ष जारी रहा उसका वर्णन हमने कर दिया है। पर हमारा मार्ग सामने स्पष्ट है। हमें पर की हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और माम को भारत की राष्ट्रीयता का केन्द्र बना देना होगा; और इन दोनों को यथासम्भव आत्म-सन्तुष्ट और आत्म-परिपूर्ण बनाना होगा। "हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में समानता को नींव बनाना होगा, स्वतन्त्रता को शिखर बनाना होगा और आत्मभाव को पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देना होगा। यह समानता न वह समानता होगी जिसमें भेद-भाव और फूट दिखाई पड़ती हो, और न वह समानता होगी

जिसमें चारों ओर लम्बी-लम्बी घास-फूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे शाहबलूद के दरख्त दिखाई देते होंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुर्बल करने वाला 'द्वेष दिखाई देता होगा। पर वह ममानता ऐसी होगी जिसमें नागरिकता की दृष्टि से सारी रूचियों को विकास का एक समान अवसर दिया जायगा, जिसमें राजनैतिक दृष्टि से सारी रायों का समान मूल्य होगा, जिसमें धार्मिक दृष्टि से सारे धार्मिक विश्वासों को समान-अधिकार मिलेगा। इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मौजूद है और 'जादिए' और 'दे' में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक शक्ति लगी हुई है, जिससे प्रयत्न और आनन्द में और आवश्यकता और पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके। सच्चे में, हमें इस युगवन सामाजिक ढांचे में से, उन लोगों के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहे हैं और उनके लिए जो अज्ञानी हैं, अपने घरों के लिए अधिक प्रकाश और उन घरों में रहनेवालों के लिए अधिक आराम प्राप्त करना होगा। कांग्रेस ने सारे माननी कर्तव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया है और सारी राजनैतिक आवश्यकताओं में इसे सबसे अधिक आवश्यक माना है। इसलिए कांग्रेस ने सब उपयोगके हेतु इन दो सभ्यतियों की गारण्टी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने जीवन में प्राप्त होना है—अर्थात् यह परिभ्रम जो उसे स्वतन्त्र बनाता है, और वह विचार जो उसे चरित्रवान् बनाता है।

इस प्रकार कांग्रेस-स्रोत, जिसका साधारण आरम्भ १८८५ में बम्बई में हुआ था, आधी सतन्त्री से बढ़ता आ रहा है। कभी यह सकीर्ण स्रोत का रूप धारण कर लेता है, कभी विराल नदी का। यह स्रोत कहीं जंगलों को पार करता है, कहीं पहाड़ियों और घाटियों में से होकर गुजरता है। कहीं यह एक स्थान पर एकत्र होकर शान्त और निश्चल रूप धारण कर लेता है, और कभी जोर-शोर से प्रबल वेग के साथ बह निकलता है। पर इसका आकार बढ़ता जा रहा है, और प्रतिवर्ष नित्य नये आदेशों के द्वारा इसके जल में बराबर वृद्धि होती जा रहा है। इस प्रकार यह स्रोत पुर्य आस्था के साथ, अपने उम अन्तिम लक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहा है जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय सभ्यता अन्त में अन्त-राष्ट्रीयता और विश्व-बन्धुत्व की विस्तृत और विराल संस्कृति में जा मिलेगी।



परिशिष्ट

१. '१६' का आवेदन-पत्र
२. कामेस-लोग-योजना
३. फरीदपुर के प्रस्ताव
४. मुरालीपैठा-सत्याग्रह
५. गुजरात की वाद
६. कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र
७. हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक
८. जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव
९. साम्प्रदायिक 'निर्णय'
१०. गांधीजी के आमरण अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट
११. बिहार का भूकम्प
१२. १९३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि
१३. कामेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मन्त्रियों इत्यादि की सूची

‘१६’ का आवेदन-पत्र

[महायुद्ध के बाद के सुधारों के सम्बन्ध में शाही कौन्सिल के १६ अतिरिक्त सदस्यों ने वास्तव्य को ओ आवेदनपत्र दिया या उसे हम नीचे देते हैं । उक्त कौन्सिल के २७ गैर-सरकारी सदस्यों में से २ अथगोरों की गयीं नहीं ली गई थी, जिनके कारण सबको मालूम है; ३ मौजूद नहीं थे, और ३ हिन्दुस्तानियों ने उत्तर इस्तावर करने से इन्कार कर दिया था । उनके नाम नवाब सैयद नसरुल्ला चौधरी, मि० अम्बुसंहाम और सरदार ब० मुन्दरसिंह मजरीठिया हैं ।]

हमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के अन्त में सारे सभ्य सत्तार में, मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में न्याय और मनुष्यता की रक्षा के लिए कमरे और छोटे राष्ट्रों के बचाव के इस संघर्ष में पड़ा है और अपना कीमती धन-जन लगा रहा है, शासन-सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे बढ़ जायेंगे । भारतवर्ष ने भी इस संघर्ष में भाग लिया है; इसलिए वह भी स्थितियों के सुधार के लिए ओ परिवर्तन की नई भावना जाग्रत होगी उससे प्रभावित हुए बिना न रहेगा । इस देश में यह आशा की जा रही है कि युद्ध के बाद भारतीय शासन की समस्या को नए दृष्टिकोण से देखा जायगा । हिन्दुस्तान के लोग इंग्लैण्ड के इसलिए कृतज्ञ हैं कि हिन्दुस्तान ने अंग्रेजी शासन-काल में भौतिक साधनों में बड़ी उन्नति की है और अपने बौद्धिक और राजनैतिक दृष्टिकोण को विस्तृत किया है । उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत १८३३ के भारतीय-वार्ड-एक्ट से होती है, लगातार (हालांकि बंद धीमा है) विकास किया है । १६०६ तक भारतवर्ष का शासन एक नौकरशाही-वर्ग-द्वारा चलाया जाता था जिसमें करीब-करीब सभी गैर-हिन्दुस्तानी थे और जन साधारण के प्रति जवाबदेह न थे । १६०६ के सुधारों में प्रथम बार भारतवर्ष के राजकाजी मामलों में भारतवासियों को कुछ स्थान मिला; किन्तु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी । तब भी भारतवासियों ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को भारतीय साम्राज्य के अन्दरूनी सलाहकारों में प्रविष्ट करने की इच्छा का स्वैक समझ कर, स्वीकार कर लिया था । कौन्सिलों में बहस और सवाल-जवाब की अधिक सुविधायें देकर गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या-भर बढ़ा दी गई थी । बड़ी कौन्सिल में पूर्णतः सरकारी बहुमत रहा और प्रान्तीय कौन्सिलों में, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत होने दिया गया था, बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भा शामिल थे । जिन कार्वायों का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने के सम्बन्ध में होतीं चाहे कर लगाने के सम्बन्ध में, यूरोपियनों पर उनका सीधा कोई असर न होने से, उसमें यूरोपियन सदस्य स्वभावतः सरकार का ही समर्थन करते और नामजद-सदस्य भी सरकार-द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पक्ष लेने की ओर मुक्त थे । विद्वला अनुभव बल्लावा है कि भिन्न-भिन्न अवसरों पर वास्तव में बड़ी चर्चित हुआ है । इसलिए प्रान्तीय-कौन्सिलों के गैर-सरकारी बहुमत बहुत ही धोखे-भरे साबित हुए हैं ।

उनसे जन-पक्ष के प्रतिनिधियों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं आई है। वर्तमान समय में बड़ी कौन्सिल और प्रान्तीय-कौन्सिलें केवल सलाह देनेवाले मण्डलों के सिवा और कुछ नहीं हैं। उन्हें ऐसा कोई एक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्तीय-शासन पर उनका कोई वास्तविक नियन्त्रण हो। जनता और जनता के प्रतिनिधि व्यावहारिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्बन्धित हैं जितने वे सुधारों से पहले थे। केवल कार्यकारिणी में कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य रखे जाते हैं; किन्तु वे भी पूर्णतः सरकार द्वारा ही नामजद किये जाते हैं। जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता।

१९०६ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था वह (१-४-१९०६ के) 'इन्डियन कौन्सिल बिल' के दूसरे वाक्य के समय कामन-सभा में प्रधानमंत्री-द्वारा ही हुई वक्तव्य से स्पष्ट होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूस होने देना आवश्यक बाह्यनीय है कि वे कौन्सिलें महज ऐसे यन्त्र नहीं हैं जिनके तार अग्रकट रूप से सरकारी शासकों-द्वारा खींचे जाते हों। परन्तु हम विनम्र भाव से कहते हैं कि यह उद्देश पूर्ण नहीं हुआ है। कौन्सिलें और कार्यकारिणी की रचना के इस प्रश्न के अलावा भी लोगों को स्वास्त-स्वास्त भारी कानूनी बाधाएँ भुगतनी पड़ रही हैं जो उनकी शक्तियों को सार्थक बनाने के बजाय व्यर्थ कर देती हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वामिमान को निश्चित रूप से आघात पहुंचाती हैं। राष्ट्र-कानून जो यूरोपियों और प्रथमों पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवासियों पर ही लागू होता है। वे स्वयंसेवक-दलों का संगठन नहीं कर सकते, स्वयंसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते; और वे पौत्र के कमीशन-भात्यों पर भी नहीं जा सकते। ये कानूनी बाधाएँ हिन्दुस्तानियों के लिए हैं जो दुःखदाई और भेदभावपूर्ण हैं। यदि वे केवल बकावत ही होतीं तो भी कम बुराईं न थी। राष्ट्र रक्षने और उन्हें प्रयोग में लाने की इन बकावतों और मनाइयों ने तो हिन्दुस्तान के लोगों को नामर्द बना दिया है। उन पर कभी स्वतंत्रता का सपना है। हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की स्थिति वास्तव में यह है कि देश के शासन में उनका कोई अंशहील भाग नहीं है। उन्हें ऐसी मारी-भारी और दुष्प्रणाली कानूनी-बाधाओं के नीचे रक्खा गया है जिनसे साम्राज्य के दूसरे सदस्य बरी हैं। उन्होंने हमें बिलकुल बेरहमी की हालत में ला खड़ा किया है। इसके सिवा शर्तबन्दी-कुली-प्रथा से दूसरे अंग्रेजी उपनिवेशों और बारी देशों को यह स्वप्न होना है कि सारे भारतवासी शर्तबन्दी-कुलियों जैसे ही हैं। वे गुलामों की तरह बकावत की नजर से देखे जाते हैं। मौजूदा हालतें हिन्दुस्तानियों को अनुभव कराती हैं कि यद्यपि वे अपने घर को बादशाह की समान प्रजा हैं, किन्तु वास्तव में साम्राज्य में उनका कतना बहुत छोटा है। पूरी परिधायी जातियाँ भी अधिक भुग नहीं हो ऐसा ही स्वप्न भारतवर्ष के और साम्राज्य में रहने वाले के सम्बन्ध में रखती हैं। भारतवासियों की पर हीन स्थिति को भी उनको बर्लील करने वाली है; किन्तु यह भारतीय युवकों को तो अचल है जिनकी दृष्टि शिक्षा और विदेशी भ्रमण से आई, वे स्वयं बर्लील से मिले हैं, बियाल हो-गई है। इन बर्लील और बाधाओं के होने हुए लोगों को जिन चीज में बकावत समाप्त करना है वह है वह आरा और वह विचार, जिनका संसार हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं के अर्थक धर्मनीतियों-द्वारा समय-समय पर दिये गये व्यापक और समान-अपराह के बर्लील और आराधनों से हुआ है। इस लक्ष्यक हालत में, जिनमें हम अब गुजर रहे हैं, हिन्दुस्तानी लोगों को बर्लील और आरा के बीच के छोड़कर मरनेवालों को भुला दिया है और बकावतों के बीच साम्राज्य का पक्ष दिया। हिन्दुस्तानी विदेशी यूरोप के बर्लील-देशों में जाने को उन्मुक्त है—विदेश की पौत्रों की पक्ष से नहीं बर्लील बर्लील साम्राज्य के, जिनमें उनकी सेवाओं की आराधनाओं की, स्वयं-अपराहों की विचार से। भारत को का विचार-समुदाय भी पक्ष था कि इस अर्थक के बर्लील में बर्लील का

साथ दिया जाय। हिन्दुस्तान में, अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी बीजों के करीब-करीब खाती हो जाने की हालत में भी शान्ति बनी रही। इंग्लैण्ड-के प्रधान मन्त्री ने, हिन्दुस्तानियों ने महायुद्ध में जो भय लिया उसके सम्बन्ध में इंग्लैण्ड-वासियों के विचार प्रगट करते हुए, कहा था कि 'हिन्दुस्तानी एक संयुक्त स्वार्थ और भविष्य के संयुक्त और समान रक्षक हैं।' हिन्दुस्तान अपनी वफादारी के लिए कोई पुरस्कार नहीं मांगता, किन्तु यह आशा करने का हक रखता है कि सरकार में हमारे प्रति जो विश्वास की कमी है, जिसके कारण हम वर्तमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चीज हो जाय और हिन्दुस्तान की स्थिति एक मातहत की-सी न रहे - बल्कि मित्र की-सी हो जाय। इससे हिन्दुस्तानी लोगों को विश्वास हो जायगा कि इंग्लैण्ड ब्रिटिश-छत्र-छाया में स्वायत्त प्राप्त करने में हमारा सहायक होने के लिए तैयार और इच्छुक है। वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूरा करना चाहता है जिसका जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है और जिसका इजहार वह अपने शासकों और राजनीतिकों-आप हतनी बार कर चुका है। हम जो-कुछ चाहते हैं वह केवल अच्छा शासन, योग्यता-पूर्ण प्रबन्ध ही नहीं है; हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें स्वीकार भी हो सके। इतना होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदला है।

यदि युद्ध के बाद भी हिन्दुस्तान की स्थिति वास्तव में यही रहे जो पहले थी, उसमें तोष परिवर्तन कुछ भी न हो, तो उनसे देश में मिस्सन्देह बड़ी निराशा और बेइतमीनानी पैदा होगी; और दोनों के इस सम्मिलित सकट में भाग लेने से जो लाभदायक असर हुआ है वह श्रुत-गवय हो जायगा। उसके पीछे निराशा में परिणत आशाओं की दुःखद स्पृति-भर रह जायगी। हमें विश्वास है कि सरकार भी इस स्थिति को अनुभव कर रही है और देश के शासन में सुधार करने के उपाय सोच रही है। हम अनुभव करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूर्वक सरकार को यह सुझावें कि सुधार किन दिशाओं में हों। हमारी राय में उन्हें इस विषय की वह तक जाना चाहिए और उन देश के शासन में लोगों को सच्चा और वास्तविक हिस्सा मिलना चाहिए। राज रखने और प्रौढ कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनके सामने जो मान्तापदायों कानूनी बाधाएँ हैं वे भी हट लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो लोगों में अविश्वास प्रकट होता है और वे उन्हें हीन और असहाय प्रान्त में भा बना रखती हैं। खयाल से हम नीचे लिखी तत्रवीजों को गौर करने और मंजूर करने के लिए देण करते हैं :—

१. प्रान्तीय और केन्द्रीय सभी कार्यकारिणियों में आधे सदस्य हिन्दुस्तानी हों; कार्यकारिणी में जो यूरोपियन हों वे जहाँतक ही इंग्लैण्ड के सार्वजनिक जीवन की शिक्षा पाये हुए लोगों में से नामन्द किये जाय, ताकि हिन्दुस्तान को बाहरी दुनिया के विरासत दृष्टिकोण और अनुभव का लाभ मिल सके। यह बिलकुल आवश्यक नहीं है कि कार्यकारिणी के सदस्य, च. हे. वे हिन्दुस्तानी हों या अंग्रेज, बसली शासन का अनुभव रखें, क्योंकि, जैसा कि इंग्लैण्ड के मंत्रियों के सम्बन्ध में होता है, उन्हें सभी विभागों के स्थायी अफसरों की सहायता सदा प्राप्त हो सकेगी। हिन्दुस्तानियों के विषय में तो हम साहस-पूर्वक कर सकते हैं कि उनमें से ऐसे योग्य आदमी काफी संख्या में और हर एक मिल सकते हैं जोकि कार्यकारिणी के सदस्यों के पद बड़ी अच्छी तरह ले सकते हैं। इस दिशा में हमने देखा है कि सर. सरनेन्द्रप्रसाद मिश्र, सर अलीहमद, स्व० कुंवर कृष्णरामा देवर, सर रामानुजराय और सर रामानुज नायर जैसे लोगों ने अपने कामों का सम्पादन करने में अपनी शासन-सम्बन्धी उच्च योग्यता का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त सभी लोग यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि मित्र-मित्र देशी एम्प्लॉय के सम्बन्ध एम्प्लॉय के अतिरिक्त भी. देशी-राज्यों में, जिनमें हिन्दुस्तानियों को अचरम मिलता है,

सरकार जंग, सर टी० माधवराव, सर रोषाद्रि देयर और दी० ब० सुनाथराव जैसे प्रख्यात शासक उत्पन्न किये हैं। उच्च कार्यकारीणी के सदस्यों के सरकारी नौकरों में से चुने जाने के वर्तमान नियम को, तथा प्रान्तीय कौंसिल-सम्बन्धी ऐसे दूसरे नियमों को तोड़ देना चाहिए। कार्यकारीणी के हिन्दु-स्थानी सदस्यों के चुनाव में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने चाहिए और उसके लिए निर्वाचन का कोई सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए।

२. सभी भारतीय कौंसिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सत्ता बहुमत होना चाहिए। हमें विस्मय है कि ये प्रतिनिधि भारतीय जन-साधारण और किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, क्योंकि वे किसी भी यूरोपियन अफसर की अपेक्षा, जो उनसे कितनी ही सहानुभूति रखता हो, उनके अधिक मजदूरी में आते हैं। भिन्न भिन्न कौंसिलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम-लीग की कार्यवाहियों इन बात का काफी सबूत देती हैं कि हिन्दुस्तान का चिन्तितवर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की भलाई का इच्छुक है और वही उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परिचित है। मत देने का अधिकार सीधे लोगों को मिल जाना चाहिए। मुसलमान या हिन्दू जहाँ अल्पसंख्यक हों वहाँ उन्हें उनकी संख्या शक्ति और शक्ति का खयाल करके उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चाहिए।

३. वही कौंसिल के सदस्यों की पूर्ण संख्या १५० से कम, प्रान्तीय कौंसिलों में बड़े प्रान्तों की कौंसिलों के सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की कौंसिलों के सदस्यों की ६० से ७२ तक से कम होनी चाहिए।

४. भारतवर्ष को आर्थिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और बजट कानून के रूप में पास होना चाहिए।

५. शाही कौंसिल को भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी मामलों में कानून बनाने, विचार करने और प्रस्ताव पास करने का अधिकार होना चाहिए। प्रान्तीय शासन के लिए प्रान्तीय-कौंसिलों को भी वैसे ही अधिकार होने चाहिए। केवल सेवा-सम्बन्धी मामलों, वैदेशिक सम्बन्धों के मुद्दों की घोषणा करने के, समझौता करने के, श्रौट-ध्यापारिक सन्धियों के विना अन्य सन्धियाँ करने के अधिकार भारतीय सरकार को न दिये जाय। संरक्षण के तौर पर कौंसिल-सहित गवर्नर-जलरल को और कौंसिल-सहित गवर्नरों को 'वीटो' करने का अधिकार हो, किन्तु उसका उपयोग निश्चित शर्तों और हदों के भीतर ही किया जाय।

६. भारत मंत्री की कौंसिल तोड़ दी जाय। भारत-मंत्री की शक्ति भारत-सरकार से सम्बन्ध रखने में, जहाँ तक हो, वैसी ही हो जैसी उपनिवेशों के सम्बन्ध में उपनिवेशों के मंत्री की होती है। भारत मंत्री के सहायक दो स्थायी उपमंत्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्थानी हो। मंत्री और दोनों उप-मंत्रियों के वेतन इंग्लैण्ड के खजाने से दिये जाय।

७. साम्राज्य-संघ की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमें भारतवर्ष को वही स्थान प्राप्त हो जो अपना शासन स्वयं करनेवाले दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त है, और वह उसके लिए अपने प्रतिनिधि भी स्वयं चुन सके।

८. प्रान्तीय सरकारों को, जैसी २५ अगस्त १९११ के भारत-सरकार के क़रीते में बर्णित है, वैसी स्वतन्त्रता प्रान्तीय प्रबन्ध में दे दी जाय।

९. संयुक्त-प्रान्त तथा इतने बड़े-बड़े अन्य प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटेन से लाये जाय और उनकी कार्य-कारिणी कौंसिलें हों।

१०. स्थानीय स्वराज्य तो पूरा अभी दे देना चाहिए।

११. राज रखने का अधिकार हिन्दुस्तानियों को उन्हीं शर्तों पर दे देना चाहिए जिन शर्तों पर यूरोपियों को दिया हुआ है।

१२. हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना (Territorial army) है उसमें स्वदेशियों और विदेशियों के रूप में भरती होने की हिन्दुस्तानियों को छूट होनी चाहिए।

१३. जिन शर्तों पर फौज में यूरोपियों को कमिश्न (अंची अफसर) मिलती है उन्हीं हिन्दुस्तानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए।

मण्डीचन्द्र नन्दी, कासिमबाजार

डी० ई० बाबा

भूवेन्द्रनाथ बगु

विष्णुदत्त शुक्ल

भदनमोहन मालवीय

के० बी० रंगस्वामी आयर

मजहरुल हक

बी० एस० भीनिवासन्

तेजरहादुर सम्

इब्राहीम खीमदुल्ला

बी० नरसिंहेस्वर शर्मा

मीर अहमदअली

कामिनीकुमारी त्रन्दा

कृष्णसहाय

आर० एन० भंडारे, कनिष्ठा

एम० बी० दादामार्

सीतान्धय राय

मुहम्मदअली मुहम्मद

एम० ए० जिन्नाह

२

कांग्रेस-लीग-योजना

प्रस्ताव

“(क) इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बड़ी-बड़ी जातियाँ प्राचीन समय की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और अंग्रेजी शासन की एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा में उन्नति और सार्वजनिक कामों में रुचि प्रकट की है, और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-प्रणालि प्रजा की उचित आकांक्षाओं को सन्तुष्ट नहीं करती और वर्तमान अवस्था और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः की राय है कि अब वह समय आ गया है जबकि भीमान् सम्राट इस प्रकार का घोषणा-पत्र निकालने की कृपा करें कि अंग्रेज-शासन नीति का यह उद्देश्य और लक्ष्य है कि वह शीघ्र ही हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रदान करे।

(ख) यह कांग्रेस (सरकार से) मजालसा करती है कि महासमिति ने भारतीय मुस्लिम लीग-द्वारा नियुक्त सुधार-समिति की सहयोगिता से शासन-सुधार की जो योजना तैयार की है (जोकि नीचे दी जाती है) उसको मंजूर कर स्वराज्य की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाया जाय।

(ग) साम्राज्य के पुनर्संगठन में भारतवर्ष परधीनता की अवस्था से ऊपर उठाया जाकर आत्म शासित उपनिवेशों की भाँति साम्राज्य के कामों में बाबर का हिस्सेदार बनाया जाय।”

मुधार-योजना

१—प्रान्तीय कौन्सिले

१. प्रान्तीय कौंसिलों में चार-पंचमांश निर्वाचित और एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेंगे।
२. उनके सदस्यों की संख्या बड़े प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ तक से कम न होगी।
३. कौंसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही चुने जायें और मताधिकार जहाँ तक हो सके विस्तृत हो।
४. महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, विशेष प्रबन्ध होना चाहिए और प्रान्तीय कौंसिलों के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा विधे लिये अनुपात में होना चाहिए:—

पञ्जाब	निर्वाचित	भारतीय	सदस्यों के	५० प्रतिशत
सयुक्तप्रान्त	"	"	३०	"
बंगाल	"	"	४०	"
बिहार	"	"	२५	"
मध्यप्रदेश	"	"	१५	"
मद्रास	"	"	१५	"
बम्बई	"	"	एक तृतीयांश	

किन्तु शर्त यह है कि सिवा उन निर्वाचन-क्षेत्रों के जो विशेष स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाये गये हों, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के लिए किसी अन्य निर्वाचन में शरीक न हो सकेगा।

यह भी शर्त है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल या उसकी किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई कार्यवाही न की जायगी, यदि उस जाति के उस विशेष भारतीय या प्रान्तीय कौंसिल के तीन-चतुर्थांश सदस्य उस बिल या उसकी धारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों। यह बिल या उसकी धारा, या (यदि) प्रस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता है या नहीं—इसका निर्णय उस कौंसिल के उसी जाति वाले सदस्य करेंगे।

५. प्रान्त का मुख्य शासक प्रान्तीय कौंसिल का सभापति न हुआ करे, किन्तु कौंसिल को ही अपना सभापति चुनने का अधिकार होना चाहिए।

६. अतिरिक्त प्रश्न (किसी मूल प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न होनेवाले वार्षिक प्रश्न) पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्य को ही न होना चाहिए। किसी भी सदस्य को यह (अतिरिक्त प्रश्न पूछने का) अधिकार होना चाहिए।

७. (क) सड़क, बाक, वार, टकसाल, नमक, अफीम, रेश, रयल और जल-सेवा तथा देशी-रियासतों से सरकार को मिलनेवाले कर के अतिरिक्त अन्य सब करों की धारा प्रान्त की होनी चाहिए।

(ख) भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच कर की मर्दों का बंटवारा न होना चाहिए। प्रान्तीय-सरकारों से भारत-सरकार को एक निश्चित रकम मिलनी

चाहिए। हा, विशेष और अनोचित परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, यदि आवश्यकता हो तो, इस रकम में कमी-बेशी की जा सकेगी।

(ग) प्रान्त की भीतरी व्यवस्था के सम्बन्ध में—ब्रिगमें श्रुत लेना, कर लगाना व उसमें कमी-बेशी करना और आय-व्यय के चिह्ने (बजट) पर मत देना शामिल है—कार्रवाई करने का पूरा अधिकार प्रान्तीय कौंसिल को होना चाहिए। सर्व की सब मदों का ब्योरा और कर उगाहने के लिए सोचे गये उपाय बिलों में लिख दिये जाने चाहिए और इन बिलों को स्वीकृति के लिए प्रान्तीय कौंसिल में पेश करना चाहिए।

(घ) प्रान्तीय-सरकारों के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों के सम्बन्ध में, जो प्रस्ताव आयें उनपर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय-कौंसिल ने ही जो नियम बनाये हों उनके अनुसार बहस होने की इजाजत होनी चाहिए।

(ङ) प्रान्तीय-कौंसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवर्नर-द्वारा रद्द कर दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य न होगा। लेकिन (कौंसिल-सहित गवर्नर-द्वारा) रद्द किया गया प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद फिर (प्रान्तीय) कौंसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरकार के लिए) कार्य रूप में परिणत करना आवश्यक होगा।

(च) कौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम आठवां हिस्सा यदि किसी निरिक्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए कौंसिल की बैठक को स्थगित करने के प्रस्ताव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा।

८. कौंसिल के कुल सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्रार्थना करने पर कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।

९. घन-सम्बन्धी बिल को छोड़कर अन्य बिल कौंसिल के द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।

१०. प्रान्तीय कौंसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून होने के लिए गवर्नर की स्वीकृति आवश्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हें) रद्द कर सकेगा।

११. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा।

१२.—प्रान्तीय सरकार

१. प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गवर्नर होगा और वह साधारण तथा इंडियन सिविल सर्विस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा।

२. प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त का शासक-पदभर लेगी।

३. साधारण तथा 'सिविल सर्विस' के लोग कार्यकारिणी में नियुक्त न किये जायेंगे।

४. कार्यकारिणी के कम-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे और उनका निर्वाचन प्रांतीय कौंसिल के निर्वाचित सदस्यों-द्वारा होगा।

५. सदस्यों का कार्य-काल पांच वर्षों का होगा।

२. उसके चार-पंचमांश सदस्य निर्वाचित होंगे।

३. प्रान्तीय कौंसिलों के लिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ जिस क्रम से बने हैं उसी के अनुसार भारतीय कौंसिल के लिए महाधिकार का क्षेत्र जहादक हो विस्तृत कर दिया जाय, और भारतीय कौंसिल के लिए सदस्य चुनने का अधिकार प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी होना चाहिए।

४. निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक तृतीयांश मुसलमान हों और उनका निर्वाचन भिन्न भिन्न प्रान्तों में अलग मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा हो। उनकी संख्या का अनुपात (यथासंभव) बही हो जो प्रान्तीय कौंसिलों में अलग मुसलिम-निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा रखा गया है (भाग १ धारा ४ की व्यवस्था देखिए)।

५. कौंसिल का सभापति कौंसिल द्वारा ही चुना जायगा।

६. अतिरिक्त प्रश्न पूछने का अधिकार केवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों को ही नहीं देगा, बल्कि किसी भी सदस्य को पूछने का अधिकार होगा।

७. सदस्यों के कम-से-कम आठवें हिस्से के कठने से कौंसिल का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकेगा।

८. धन-सम्बन्धी बिलों को छोड़कर अन्य बिल कौंसिल-द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता न हो।

९. (भारतीय) कौंसिल द्वारा स्वीकृत बिलों के कानून बनने के लिए गवर्नर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी।

१०. आमदनी के जरिये और खर्च की मदों से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त आर्थिक प्रस्तावों का समावेश बिलों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक बिल और साथ बजट भारतीय कौंसिल की मंजूरी के लिए उसके सामने पेश किया जाना चाहिए।

११. सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा।

१२. नीचे लिखे विषयों पर एकमात्र भारतीय कौंसिल का अधिकार होगा :—

(क) जिन विषयों के सम्बन्ध में समूचे भारतवर्ष के लिए एक ही प्रकार का कानून बनाना आवश्यक हो।

(ख) ऐसे प्रान्तीय कानून जिनका सम्बन्ध प्रान्तों के पारस्परिक आर्थिक-व्यवहार से हो।

(ग) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोड़कर वे सब विषय जो केवल (असिल) भारतीय कर से सम्बन्ध रखते हैं।

(घ) वे प्रश्न जो केवल समस्त देश-सम्बन्धी ध्यय से सम्बन्ध रखते हैं। किन्तु देश के लिए ऐनिक ध्यय के सम्बन्ध में कौंसिल-द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव कौंसिल-कहित गवर्नर-जनरल पर बाध्य न होंगे।

(ङ) 'टैरिफ' और 'टैट कर्दूम' परिवर्तन कानून, किसी भी प्रकार का 'सेक्टर' लगाने, उसमें परिवर्तन करने या उसे उठा देने, चलन और बैंकों की प्रचलित प्रणाली में परिवर्तन करने और देश के किसी या सब भाग पर उसे लागू करने और नये उपयोग-धर्मों को (एकत्रीय) उदाहरण: अथवा 'बन्दरगाह' देने का अधिकार।

१. भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री की स्थिति यथासम्भव वही होनी चाहिए जो स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मन्त्री की है ।

४. भारत-मन्त्री की सहायता के लिए दो स्थायी 'अग्गडर-सेक्रेटरी' होने चाहिए जिनमें से एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए ।

१—भारतवर्ष और साम्राज्य

१. साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों का फैसला करने या उनपर नियन्त्रण रखने के लिए जो कौंसिल या दूसरी संस्था बनाई या संयोजित की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त प्रतिनिधि होने चाहिए और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के अधिकार भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के बराबर ही होने चाहिए ।

२. नागरिकता के पद और अधिकारों के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में भारतीयों का दर्जा सम्राट् की अन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए ।

•—सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय

१. स्थल और जल-सेना की 'कमीशयड' और 'नॉन-कमीशयड' दोनों ही प्रकार की नौकरियां भारतवासियों के लिए खुली रहनी चाहिए और उनके लिए चुनाव करने व शिफ्ट देने का यथेष्ट प्रबन्ध भारतवर्ष में कर दिया जाना चाहिए ।

२. भारतवासियों को (सैनिक) स्वयंसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए ।

३. भारतवर्ष में शासन सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों को न्याय सम्बन्धी अधिकार नहीं दिये जायेंगे, और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त के सबसे बड़े न्यायालय के अधीन रखे जायेंगे ।

३

१. फरीदपुर के प्रस्ताव

१. भारत के भावी शासन-विधान में प्रतिनिधित्व का आधार बालिग मताधिकार के साथ सयुक्त-निर्वाचन होना चाहिए ।

२. (अ) बालिग-मताधिकार के साथ, सघीय (बड़ी) तथा प्रान्तीय कौंसिलों में उन्हीं अल्प-संख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिए जिनकी संख्या २५% से कम हो । ये स्थान जन-संख्या के आधार पर निश्चित होने चाहिए और (अल्पसंख्यक जाति-वालों को अपनी निश्चित जगहों के) अतिरिक्त जगहों के लिए खड़े होने का अधिकार भी रहे ।

(ब) जिन प्रान्तों में मुसलमानों की संख्या २५% से कम हो वह उनके लिए जन-संख्या के आधार पर स्थान रक्षित किये जायेंगे और उनसे अतिरिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार होने का भी उन्हें हक रहेगा; लेकिन अगर अन्य जातियों को उनकी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान दिये गये तो मुसलमानों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जायगा और, उस हालत में, जो रिश्तायत उन्हें इस समय मिली हुई है वह कायम रहेगा ।

(घ) अगर बालिग-मताधिकार न हुआ, या मताधिकार को ऐसा विलुप्त न किया गया जिससे जन-संख्या के अनुपात का चुनाव पर असर पड़ सके, तो पंजाब व बंगाल में मुसलमानों के लिए स्थान

रद्वित किये जायेंगे। और यह क्रम उस वक्त तक जारी रहेगा जबतक कि बालिग-मताधिकार न हो, या मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के अनुपात का असर पड़ने लगे, बशर्ते कि किसी भी दशा में बहुमत अल्पमत या समान-मत में परिवर्तन न हो जाय।

३. संघीय धारा-सभा की छोटी-बड़ी हरेक कौंसिल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उन सभाओं के सदस्यों की कुल-संख्या का एक-तिहाई रहेगा।

४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-कमीशन के द्वारा होगी, जो उनसुन्दरा की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा; लेकिन साथ ही इस बात का भी खयाल रक्खा जायगा कि नौकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटे-ओहदों पर किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा।

५. संघीय तथा प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डलों में मुसलमानों के हितों को काफी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए भिन्न-भिन्न कौंसिलों में सब दल-वालों के सहयोग से कोई ऐसा क्रम निश्चित किया जायगा जो फिर प्रथा का रूप धारण कर ले।

६. सिन्ध को एक स्वतन्त्र प्रांत बनाया जायगा।

७. सीमान्त और बहुचिंस्तान में भी ठीक उसी तरह का शासन-प्रबन्ध रहेगा जैसा कि ब्रिटिश-भारत के अन्य प्रान्तों में है या होगा।

८. भारत का भावी शासन-विधान सच्चात्मक होगा, जिसमें अर्थाष्ट अधिकार संघ में शामिल होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे।

९. (अ) विधान में मौलिक अधिकारों की भी एक धारा रहेगी, जिनके अनुसार समस्त नागरिकों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म विश्वास, धर्माचार तथा आर्थिक हितों के संरक्षण का आश्वासन रहेगा।

(ब) विधान में एक स्पष्ट धारा का समावेश करके (नागरिकों के) मौलिक अधिकारों और वैयक्तिक कानूनों का वास्तविक रूप से संरक्षण किया जायगा।

(ग) जहाँतक मौलिक अधिकारों से सम्बन्ध है, जबतक संघीय धारा-सभा की हरेक कौंसिल में तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

वैकल्पिक प्रस्ताव और हल (बिलकुल शुभ)

भोपाल का हल

१—सर्वे-दल-सम्मेलन का हल

(अ) दस वर्षों की समाप्ति पर बालिग-मताधिकार के साथ संयुक्त-निर्वाचन जारी हो, लेकिन इन दस वर्षों से पहले ही किसी समय यदि किसी संघीय या प्रान्तीय कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का बहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को राजाबन्द होजाय तो उस कौंसिल के लिए पृथक् निर्वाचन की पद्धति रद कर दी जायगी। या—

(ब) नये विधान का पहला चुनाव पृथक् निर्वाचन के आधार पर हो और प्रथम धारासभाओं के पाँचवें साल की शुरुआत में संयुक्त बनाम पृथक् निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत समझ (रेफरेंडम) किया जाय।

२—राष्ट्रीय-दल की वैकल्पिक योजना

(अ) प्रथम दस वर्ष संयुक्त निर्वाचन में और दस वर्षों की समाप्ति पर निर्वाचन के प्रश्न पर जन-मत समझ किया जाय। या

(ब) कौंसिलों में पहली बार मुसलमान सदस्यों में से आधे सयुक्त-निर्वाचन द्वारा चुने जाय और आधे पृथक् निर्वाचन-द्वारा। दूसरी बार दो-तिहाई सयुक्त-निर्वाचन द्वारा चुने जाय, और एक-तिहाई पृथक्-निर्वाचन द्वारा। इसके बाद सयुक्त-निर्वाचन और बालिग मताधिकार हो।

३—उपयुक्त प्रस्ताव में कुछ मित्रों के संशोधन

कौंसिलों में पहली बार दो-तिहाई सदस्य (मुसलमान) पृथक् निर्वाचन-द्वारा चुने जाय और एक-तिहाई सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा। दूसरी बार आधे-आधे। इसके बाद, सयुक्त-निर्वाचन हो और बालिग-मताधिकार। या

प्रथम पांच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, परन्तु पांच वर्ष सयुक्त-निर्वाचन, इसके बाद, नवें वर्ष, दोनों तरह के निर्वाचन के बारे में देश का निर्णय जानने के लिए जन-मत-समग्र किया जाय। या

दो-तिहाई प्रतिनिधि पृथक्-निर्वाचन-द्वारा चुने जाय और एक-तिहाई सयुक्त-निर्वाचन-द्वारा। इसके बाद, पांचवें वर्ष की शुरुआत में, जन-मत-समग्र किया जाय।

४—मौलाना शौकतअली का प्रस्ताव

जब सयुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या आंशिक रूप में, तो पहले बीस साल के लिए मौ० मुहम्मदअली का हल स्वीकार किया जाय।

५—भोपाल की दूसरी बैठक का प्रस्ताव

प्रथम पांच वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे, उसके बाद मौ० मुहम्मदअली के हल के साथ सयुक्त निर्वाचन हो। मगर किसी भी कौंसिल के मुसलमान सदस्य चाहे तो अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे रद्द कर सकेंगे।

६—गिमला का आचिरी हल

प्रथम दस वर्ष पृथक् निर्वाचन रहे और उसके बाद सयुक्त निर्वाचन, बशर्ते कि किसी कौंसिल के मुसलमान-सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत उसकी शुरुआत का विरोध करें।

४

मुलशीपेठा-सत्याग्रह

मुलशीपेठा पूना से कोई ३० मील दूर है। सन् १९२० में ताता-पावर-कम्पनी ने जी० आर्० पी० रेलवे, बी० बी० सी० आर्इ० रेलवे और रम्बर्ड-शहर को बिजली पहुँचाने के लिए इस पहाड़ी इलाके के झरनों और जल-प्रपातों को बाधने की योजना शुरू की। मुलशीपेठा अपनी पान की बढ़िया खेती के लिए मशहूर था और वहाँ के निवासी मावले लोग शिवाजी की सेना के बहादुर योद्धा थे। जब मजदूरों का मुण्डव वहा काम करने पहुँचा, तो वे बड़े रैगन हुए और अपने प्रदेश की रक्षा के लिए उन्होंने पूना के अपने मित्रों से सलाह की। उस समय अखण्डयोग की धूम थी। इस योद्धा से कोई ५१ गांव और ११००० स्त्री, पुरुष, बच्चे जमीन-जायदाद और घर-बार से हाथ धोनेवाले थे। अतः भी नृसिंह चिन्तामणि केलकर के सभापतित्व में एक सभा मुलशीपेठा में हुई और उसने मावलों को आदेश दिया कि या तो वे अपनी जमीन बापस प्राप्त करें, नहीं तो सत्याग्रह की

बहुत उल्लाह नहीं गा उन्होंने भी इस प्रयत्न में साथ दिया। फलतः, अन्त में, सत्याग्रह छोड़ दिया गया। श्री पी० एम० बापट तथा उनके साथियों ने आखिरी दिनों में इसके लिए अपूर्व कष्ट-सहन किये हैं। लेकिन यह मानना होगा कि इस सत्याग्रह के कारण किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा काफी अच्छा मिल गया। यह जरूर है कि जो-कुछ मिला वह सब गया साहूकारों के ही पास। किसान तो बेचारे हजारों की संख्या में भूमि-हीन और यह-विहीन ही हो गये।

५

गुजरात की बाढ़

जुलाई १९२७ के अखीर में गुजरात-प्रान्त में एक बड़ी भारी दैवी विपत्ति आई। केवल चार-पांच दिन के अन्दर-अन्दर ही गुजरात के बड़े भारी भाग में ५० इंच से भी अधिक मूसलाघार पानी पड़ गया, जिसके फल स्वरूप गांव-के गांव बह गये। मवेशी, भैंस-पटियां, कपड़े-लत्ते, गरज यह कि एक भी चीज बाकी न बची, हजारों आदमी बे-घर हो गये, उपजाऊ जमीनों पर और तैयार फसलों पर रेत की कई फीट ऊंची तईं जम गईं, बड़े-बड़े कस्बे पानी के बीच घिर गये, रेल व तार के मार्ग बन्द हो गये और अहमदाबाद शहर पर भी विपत्ति आती दिखाई दी। इस भयंकर विपत्ति की सबसे दर्दभरी कहानी यह था, कि मय बड़ौदा स्टेट के, गुजरात के जिलों के आधे से ज्यादा मकान गिर गये। कम से-कम अन्दाज लगाने पर भी यह कहा जा सकता है कि लगभग ४,००० गांव बाढ़ की भयेट में आ गये। गिरे हुए मकानों की सख्या प्रतिशत ५० व ६० के बीच में थी, और करी-करी तो ६० तक भी पहुंच गईं।

इस भयानक विपत्ति ने लोगों के सामाजिक भेद-भावों व फेरू-जुदवाओं को मुजा दिया और वे लोग सरदार वल्लभभाई पटेल के योग्य नेतृत्व में, जो उस समय अहमदाबाद के लार्ड मेयर अर्थात् म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष और गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी के प्रधान थे, एक-दूसरे की मदद करने के लिए कमर कण्ठ खड़े हो गये। रातों-रात लगभग २,००० कार्यकर्ताओं का एक तात्कालिक सहायक-दल तैयार हो गया; और इसके पहले कि सरकारी हुनिया में रहने वाले अफसर विपत्ति का अन्दाज व उसकी भयावहता का पता लगाने में समर्थ हो सकें और अन्य उच्च सरकारी अधिकारियों से विपत्ति का सामना करने के लिए अपने फर्ज के बारे में सलाह ले सकें, कांग्रेस का कारखाना जोरों से काम करने लगा।

यद्यपि इस समय गांधीजी देश का एक तुफानी दौरा करने के बाद अपना स्वास्थ्य सम्भालने के लिए दूर मैसूर-राज्य में पड़े हुए थे, फिर भी वह गुजरात आने के लिए तैयार हो गये; लेकिन उनके इस प्रस्ताव का सरदार पटेल ने जोर विरोध किया। कारण यह कि सरदार पटेल आने प्रान्त से इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराना चाहते थे कि गांधीजी की सिद्धांतों ने वहां किस प्रकार सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर दिया है और लोगों में सेवा की भावना कूट कूट कर भर दी है।

पानी के एक आगर सागर की चींते हुए कांग्रेस-कार्यकर्ताओं व स्वयंसेवकों ने केवल पानी के बीच तिर्रे हुए गांवों को ही नहीं बल्कि सरकारी अफसरों को भी, जिनका यही हाल हो रहा था, साथ व अन्य प्रकार की सामग्री पहुंचाई। दुर्लभों की सेवा करते हुए न तो उन्होंने राजनीति भी सामने रखा और न किसीके साथ विधायता बर्ताव किया। सेना का जिला-मजिस्ट्रेट कई दिनों

क पानी के बीच घिरा पड़ा रहा और जब सरदार पटेल ने स्वयंसेवकों द्वारा विशेष तौर पर उनके पास नामची भिन्नवाई तो उन्होने बड़ी कृतज्ञता से उसे स्वीकार कर लिया। लगभग एक सप्ताह तक सम्भार की शासन मशीन बेकार टूटी पड़ी रही और जहाँ उच्च अधिकारी जिलों के निम्न अधिकारियों से आड़ की खबरों के मिलने के इन्तजार में बैठे रहे और यह समझते रहे कि कुछ दिनों तक तो किसी का हुक्मना ही असम्भव है, कांग्रेस का संगठन ओरों से सहायता-कार्य में बुझा हुआ था और दूर-से-दूर गांव को मदद व सामग्री पहुंचा रहा था। सेवा के भावों से श्रोत-श्रोत बुद्धि-चतुर व साधन-कुशल नेता के स्वावलम्बन व पारस्परिक सहायता के प्रयत्नों का यह एक अनोखा प्रदर्शन था।

लेकिन जिस विस्तार के साथ यह विासि गुजरात पर आकर पड़ी थी उसका मुकाबला ई भी लोकरुप्रिय गैर-सरकारी संस्था नहीं कर सकती। जैसे ही भोग्य आदि सामग्री के बढावे व तात्कालिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फसलों को फिर से बोने की, उरगाऊ तथा आम की जमीनों को साफ करने की, तथा बेघरवार लोगों के घरों को बसाने की समस्या जनता या सरकार दोनों के सामने आ उपरिधत हुई। काम के दिन यों ही निकलते जाते थे, फसल को र से बोने का मौसम भी बीत जाने का डर बना हुआ था। सरकार के दिल में भिन्नक थी, वह बाढोल हो रही थी और नाम मात्र की कानूनी आपत्तिया पेश करती थी। यदि गुजरात का शिद्धि कमत सरदार पटेल के अमूल्य नेतृत्व में फिर एक बार अपने-आपको संगठित न करता तो सराली विल्सन की अन्विष्टुक सरकार अपनी नीति को ठीक समय में घोषित करने के लिए तैयार न थी और दुर्भिक्ष-रक्षक-कोष में से, जो सरकार की साधारण आय द्वारा इकट्ठा किया जाता है, ५४,००,०००) सहायता के लिए अलग नियत न करती। यह रकम कारतकारों को व अन्य देवों को कर्ज की शकल में बाढने के लिए नियत की गई जिससे कि वे मकान बनाने का सामान आओजार, बेल इत्यादि खरीद सकें। प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी ने बम्बई-केन्द्रीय रिलीफ-कमिटी से योग करते हुए अगले महीनों में गुजरात-भर में सहायता-कार्य का सभादन किया। कांग्रेस का सग-इतना उत्तम प्रामाणित हुआ कि सरकार तथा सहायता कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं को भी अपने सहायता-कार्य का जरिया बनाना पड़ा। सरकार ने कांग्रेस-संगठन का खूब फायदा भी पाया। आणन्द तथा नरिष्याद में हुए सहायता-सम्मेलनों में बम्बई-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य कांग्रेस के कार्य की बड़ी कद्र की और सम्मेलन में सरदार पटेल व अन्य कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को मन्त्रित ही नहीं किया बल्कि अपने सहायता-कार्य के लिए कांग्रेस को जरिया बनाने को तैयार हो। सरकारी धन के अलावा कांग्रेस तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के समुक्त उद्योग से सहायता के लिए लगभग ३,००,०००) और एकत्र हुए। इस प्रकार सरकार, कांग्रेस, बड़ीदा राज्य तप कर सहायता-संस्थाये जो उस समय बनीं वे सब एक बड़े संगठन में आकर मिल गई और लग एक साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का बृहत् प्रयत्न करती रही। गुजरात के युवकों को ग का एक बड़ा अच्छा मौका मिला और गुजरात की जनता में आत्म-विश्वास की एक नई लहर हो गई और उन्हें आशा की एक नई ब्योति दिव्यार देने लगी।

साम्बन्ध में इस नये अनुभव से हरेक व्यक्ति इतना प्रमुक्त था कि बम्बई-कांग्रेस के आगामी ववेशन में बजट पेश करते हुए अर्थ-सदस्य सर सुन्नीलाल मेहता ने सुद-व-सुद कांग्रेस व उनके नेता महात्मा गांधी की निम्न शब्दों में प्रशंसा की:—

“तुम समय की तात्कालिक सहायता के कार्य के लिए इम्मान, पुगरी व साधनों की ब्रह्मव
 * —नेतृत्व के दलों ने पीकितों तथा विद्धके हुएों को सहायता पहुंचाई और बड़ी-बड़ी लो

लोगों व जानवरों को मरने तक से भी बचाया और इस खुशदिली व मुसैदी से भोजन व कपड़ा पहुँचाया कि उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जा सकता ।

“कुछ वर्ष पूर्व व्यापार-मस्त गुजरात शासक ही इस प्रकार के आत्म-त्याग-पूर्ण सामाजिक व सार्वजनिक कार्य का गर्व कर सकता । महात्मा गांधी को इस बात से बहुत सतोष हुआ होगा कि इस प्रकार की मिशनरी सामाजिक प्रवृत्तियों में, विशेषकर प्राम्थ-क्षेत्रों में, भाग लेनेवाले निःस्वार्थ कार्य-कर्ताओं का दल तैयार करने का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्याप्त-रूप से सफल हुआ और स्वयं-सेवकों ने, जो खासकर विद्यापीठ के ही थे, अपने पूज्य नेता की अनुपस्थिति में भी इस प्रकार की अकल्पित विधि में इतनी खूबी से काम किया । सरदार पटेल ने फौरन ही इस काम को अपने हाथों में किस तरह ले लिया और किस उत्साह व बल के साथ उन्होंने उसे पूरा किया, यह बात हरेक बच्चा जानता है । ये कार्यकर्ता अपविर्तनवादियों में से हैं, लेकिन यह सन्तोष की बात है कि वे इस मौके पर सरकार का विरोध करने या उससे अलग रहने की कोई भी बात मन में न लाये ।

“यह मेरी हार्दिक आशा है कि महात्मा गांधी ने मानव सेवा का जो यह वातावरण पैदा कर दिया है वह स्थायी रहेगा ।”

६

कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र

जेल-नियमों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं, जो निम्नलिखित पक्षों के रूप में प्रकट किये गये हैं:—

“कुछ समय से कुछ बातों में जेल-नियमों में सुधार करने का मामला भारत-सरकार के विचारार्थन रहा है । इस मामले पर प्रांतीय सरकारों से भी राय ली गई थी । उन्होंने बहुत से गैर-सरकारी लोगों से परामर्श करके अपने विचार बनाये हैं । इसपर प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों की परिषद् की गई और भारत-सरकार ने असेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी चर्चा काया । समस्यायें विस्तृत और पेचीदा प्रतीत हुईं और उनके बारे में रायें भी बहुत भिन्न-भिन्न जाहिर हुईं । अतः जहां सरकार आवेदन-पत्रों की पूर्णतः स्वीकार न कर सकी वहां भी उन्हें समुचित महत्व देने का प्रयत्न जबर किया गया है । कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनमें सिद्धान्ततः भारत-सरकार में लगभग एक ही स्थिति हो जायगी । वे निर्णय ये हैं:—

“सजा पाये हुए कैदियों के तीन वर्ग होंगे—ए, बी, सी । ‘ए’ वर्ग में वे कैदी लिये जायेंगे जो (१) पहला बार ही जेल में आये हों और जिनका चाल-चलन अच्छा हो, (२) जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा और जीवन-कर्म के कारण ऊँचे दर्जे के रहन रहन के अभ्यस्त हों और (३) जिनकी (क) निर्दयता, अनैतिकता या ब्याप्तगत लोभ के किसी आशय पर, (ख) राजद्रोहात्मक अथवा पूर्व-निश्चित हिंसा में, (ग) सम्पत्ति-अभ्यन्धी राजद्रोहात्मक अभिसंधों पर, (घ) किसी आशय करने या उसमें सहायता देने की गरज में निस्श्रेयक पदार्थ, हथियार अथवा अन्य भयङ्कर अस्त्र रखने के आशय में अथवा (ङ) इन उप-धाराओं में समावेश होनेवाले प्रसाराओं को उभेजना या सहायता देने में सज्ज न मिली हो ।

“बी’ वर्ग उन कैदियों को दिया जायगा जो सामाजिक हैसियत, शिक्षा या जीवन-कर्म के कारण उच्च रहन-रहन के अभ्यस्त हों । बार-बार जेल में आनेवाले लोग इतने अरने आर बंचित

नहीं रखने जायगे। वर्गीकरण करनेवाले अधिकारियों को ऐसे लोगों को भी इस वर्ग में रखने का अधिकार होगा। वे उनके परिचय और पूर्व-इतिहास का खयाल करके निर्णय करेंगे। यह निर्णय प्रान्तीय सरकार से मान्य करना होगा, जो उसे बदल भी सकती है।

जो लोग 'ए' और 'बी' वर्गों में नहीं रखने जायेंगे उन्हें 'सी' वर्ग मिलेगा।

हार्डबोर्ड, रोग कब्र, जिला-मजिस्ट्रेट, संतन भोगी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट, सब इवीजन्त मजिस्ट्रेट और प्रथम भेरी के मजिस्ट्रेट इन मुकदमों का देखला करेंगे उनमें उन्हें वर्गीकरण करने का अधिकार होगा। सब-इवीजन्त मजिस्ट्रेटों और प्रथम भेरी के मजिस्ट्रेटों का दिया हुआ वर्गीकरण जिला-मजिस्ट्रेट के मार्फत होगा। 'ए' और 'बी' वर्ग के लिए जिला-मजिस्ट्रेट प्रान्तीय-सरकार से प्रारम्भिक अधिकारिता होगा और प्रान्तीय-सरकार उसका समर्थन या संशोधन करेगी।

भारत-सरकार ने जिस प्रकार ये तीन वर्ग मुकदमों किये हैं और इनका कैदियों के वर्तमान वर्गों पर क्या असर होगा, इसके विषय में कई अन्दाज लगाये हैं और तरह-तरह की आशकयों प्रकट की गई हैं। यह साफ तौर से समझ लेना चाहिए कि 'ए' वर्ग के तमाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिश्चायतें मिलेंगी। जाति के हिसाब से किसी वर्ग के कैदियों को कोई अधिक रिश्चायत नहीं दी जायगी। विशेष वर्ग के कैदियों को जो रिश्चायतें इस समय दी जा रही हैं वे सब 'ए' वर्ग के कैदियों को दी जाती रहेंगी। अर्थात् उनके लिए अलग स्थान, आवश्यक पर्नीचर, मिलने-बुलने और व्यायाम की आवश्यक मुविषायें और सगार, स्नान आदि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी।

दूसरी बातों पर नीचे लिखे निरुचय किये गये हैं—

'ए' और 'बी' वर्ग के लिए 'सी' वर्ग के कैदियों को मिलनेवाली साधारण खुराक से बढ़िया खुराक दी जायगी। इसका प्रति कैदी मूल्य मुकदमों कर दिया जायगा और उस मूल्य की सीमा के भीतर खुराक बदलती रह सकेगी। 'ए' और 'बी' वर्ग की इस बढ़िया खुराक का मूल्य सरकार देनी। वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने स्वर्च से जेल की खुराक के अलावा भी और मंगा लेने की हजाजत दी जाती है। यह रिश्चायत 'ए' वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी।

विशेष वर्ग के कैदियों को अपने कपके पहनने की जो रिश्चायतें मौजूदा नियमों में हैं वे जारी रहेंगी। यदि 'ए' वर्ग के कैदी सरकार के स्वर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो उन्हें 'बी' वर्ग के कैदियों के लिए नियत कपके दिये जायेंगे। 'बी' वर्ग के कैदी जेल के कपके पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा कुछ बातों में 'सी' वर्ग के कैदियों से अधिक और अच्छा होगा।

'ए' और 'बी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में अलग जेल का होना वाञ्छनीय है। उसका बनना तो प्रान्तीय-सरकारों के प्रस्तुत साधनों पर ही निर्भर रहेगा, परन्तु यह बात उनके लक्ष्य में अवश्य रहनी चाहिए। इस बीच में भारत-सरकार की आशा है कि प्रान्तीय सरकारें जेल के साधनों की ध्यान से जांच करेंगी और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेंगी।

रहने के अलग स्थान के अलावा भारत-सरकार 'ए' और 'बी' वर्ग के कैदियों के लिए नि कर्मचारियों की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहती है। उनकी राय में इस मामले पर यथासं जल्दी-से-जल्दी ध्यान देना चाहिए।

यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया जा रहा है और उसका महत्व अब फिर दो दिये जाता है कि 'ए' और 'बी' वर्ग के कैदियों का काम मुकदमों करने से पहले उनके स्वास्थ्य, शारीरिक, पूर्व-जीवन और इतिहास पर मावधानी से विचार कर लिया जाय।

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साक्षर वैदियों की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ उचित सुविधायें दी जानी चाहिए। प्रान्तीय सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की हालत की जांच करे और वहाँ पुस्तकालय नहीं है अथवा अच्छे नहीं हैं वहाँ शीघ्र स्थापित करे या उन्नत करे। जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट की मजूरी से पढ़े लिखे कैदी पुस्तकें और मासिक पत्र बाहर से मंगाकर पढ़ सकेंगे।

अखबार 'ए' वर्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये जायेंगे जिन पर वर्तमान विषयों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं। अर्थात् विशेष परिस्थिति में और प्रान्तीय-सरकार की मजूरी से दिये जायेंगे। साधारणतः सभी साक्षर कैदियों को प्रान्तीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल-अखबार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहाँ प्रान्तीय सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सकेगी वहाँ के लिए भारत-सरकार ने यह निर्णय किया है कि 'ए' और 'बी' श्रेणी के कैदियों को प्रान्तीय-सरकार की पसन्द के किसी साप्ताहिक पत्र की कुछ प्रतियाँ सरकार के खर्च से दी जायें।

'ए' श्रेणी के कैदियों को अबकी भाँति एक महीने के बजाय पन्द्रह दिन में एक चिढ़ी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी। 'बी' वर्ग के कैदियों के लिए भिन्न-भिन्न जेलों के नियमानुसार अभी छो बड़ी लम्बी-लम्बी अवधियाँ मुकर्रर है, परन्तु अब उन्हें प्रति मास एक चिढ़ी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुलाकातों और चिढ़ियों के हातात अखबारों में होंगे तो यह रिश्तायत छूनी भी जा सकेगी या कम की जा सकेगी।

भारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि जो अभियुक्त कैदी हैसियत, शिक्षा या जीवन-कम के कारण उच्च प्रकार के इन्हन-सहन के अभ्यस्त रहे हैं उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः वेवल रहन-महन के आधार पर ही अभियुक्त कैदियों के दो वर्ग रहेंगे। इस वर्गीकरण का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से निर्णायक अदालतों को होगा। प्रथम श्रेणी के अभियुक्तों को 'ए' और 'बी' वर्ग के सजा पाये हुए कैदियों की-सी खुराक मिलेगी और दूसरी श्रेणी के अभियुक्तों को 'सी' वर्ग के कैदियों की सी। दोनों श्रेणियों के अभियुक्त कैदियों को जेल के अधिकारियों की मार्फत अपने खर्च से बाहर की खुराक मंगाने की छुटी होगी। मौजूदा नियमों के अनुसार उन्हें अपने कपड़े पहनने की छुट है। यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन अभियुक्त कैदियों के के पास थोड़े कपड़े हों अथवा जो बाहर से कपड़े न मंगा सकते हों उन्हें जेल के अधिकारी जेल के कपड़ों से भिन्न दूसरे उचित कपड़े दें। भारत-सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार करने की प्रान्तीय सरकारों से सिफारिश करती है।

भारत सरकार की राय में यदि वर्तमान नियमों का अर्थ उदार-भाव से किया जाय, प्रस्तावित सुधार कर दिये जायें और रहने के स्थान का पहले से अच्छा प्रबन्ध हो जाय, तो जांच-द्वारा जो सुधार वास्तविक बलाये गये हैं उन पर अमल हो जायगा। अतः उसे आशा है कि प्रान्तीय-सरकारें वर्तमान स्थान सुधारने और अपने मौजूदा साधनों का अधिक-से अधिक सदुपयोग करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगी। भारत सरकार के पास जो बहुत-सी रायें पहुँची हैं उनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो अभियुक्त बार-बार जेल में आते या संगीन अभियोगों में पकड़े गये हैं उन्हें नये अभियुक्तों से अलग रक्खा जाय। इस विषय में भारत-सरकार के विचार से नर्र आशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस समय भी ऐसा ही व्यवहार है।

अब प्रान्तीय-सरकारों से इन सिद्धान्तों के अनुसार अपने जेल-नियमों में संशोधन करने का

और जेलखाने के बान्धन की ६० वीं धारा के अनुकूल आवश्यक नियम बना लेने का अनुरोध किया जाता है। जबतक यह न हो तबतक उनसे अनुरोध किया गया है कि इन परिवर्तनों पर यथासम्भव पुरन्त अमल शुरू कर दें।^{१)}

७

हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक

हम घोषणा करते हैं कि :—

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं।
२. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (इसका अर्थ कांग्रेस के अध्वक्ष-द्वारा नामजद की हुई विशेष कमीटी घोषणा-पत्रक के इस अंश के विषय में विशेष-रूप से छूट दे सकती है।)
३. पुराने पदेन (ex-officio) डाइरेक्टरों के सिवा कम-से-कम ६६ प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे। (पुराने पदेन डाइरेक्टर अहिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी डाइरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए।)
४. प्रबन्धक एजेंटों (मैनेजिंग एजेंट्स) की फर्म में कोई विदेशी स्वार्थ नहीं है।
५. एजेंटों की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी बीमा-कम्पनी की मदद नहीं करते और न विदेशी सुत या धान मंगाते हैं।
६. हम खादी से मिल के कपड़े की होकर न करके और आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति से, कपड़े की कीमत बढ़ा कर या उसे घटिया बना कर, अपने स्वार्थ के लिए अनुचित लाभ न उठा कर विदेशी की उन्नति में सहायक होंगे।

७. मिलों के मालिक और प्रबन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारियों की भी अधिकांश और 'स्विरिट' हिन्दुस्तानी है। वे हिन्दुस्तानी हितों की रक्षा के लिए बंधे हुए हैं।

उक्त घोषणा पत्रक के पालन के लिए हम यह करने का जिम्मा लेते हैं :—

१. मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रचार में नहीं लगेगा और न खेन्द्या से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश सरकार की मदद से संगठित ऐसे किसी आन्दोलन में भाग ही लेगा।
२. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भरती केवल हिन्दुस्तानियों में से की जायगी।
३. हम अपनी कम्पनी का नाम का काम जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी बीमा-कम्पनियों को देगे।

४. हम अपनी शक्ति का काम तथा जहाजों से माल लाने या ले जाने का काम भी जितना सम्भव होगा उतना हिन्दुस्तानी बहाजी-कम्पनियों को देगे।

५. अबसे हम जहाँ तक सम्भव होगा वहाँ तक आइटर, बकील, जहाजों पर माल बन्दराने जहाजों से माल उतरवाने वाले कार्गिन्डे, लरीदने और बेचनेवाले दलाल, टेबेदार और अपनी सेवा के लिए आग्रहपूर्वक सम्मान देने वाले हिन्दुस्तानी ही रक्वेंगे।

६. हम जहाँ तक सम्भव होगा बर्लोक स्टोर की चीजें देती लरीदेंगे। केवल वही चीजें ही लरीदेंगे जिनके बिना काम नहीं चल सकता और जिनके बजाय देती नहीं काम का लड़ती। (देरी लरीदेंगी चीजों की सूची, जो अनिश्चय है, लगे है।)

७. हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या रेशम, या नकली रेशम या ऐसा सूत जो बहिष्कृतियों में बाता जाता है, काम में नहीं लायेंगे।
८. हम उस सूत या कपड़े को न चोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा, या बहिष्कृत मिलों तैयार किया गया होगा।
९. हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक धान के दोनों छिरों पर अपनी छाप साफ-साफ लायेंगे और बिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न भेजेंगे।
१०. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न उसे खादी-जैसा बनायेंगे।

११. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायेंगे :—

कोई कपड़ा जो बिना धुला हो या धुला हो, ताने और थाने में एक इंच में जिसमें एक और एक-नीचे, इकट्ठे या दुहरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार हों। ताने में चौकों की खादी बुनावट भी हो। जो बन्ददार या गोल बक्स पर बने हों और दरिया। (१८ तारों में इकट्ठे या दुहरे सूत शामिल हैं। उनका नम्बर १८ या कम होता हो।)

किन्तु मिलें ड्रिल, साटन, टसरें, जैकवार्ड मशीन पर बनी टूलें, डोबी नमूने, रगीन र्दों से कपड़ा, कम्बल और मलीदा बनाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

१२. हम सबसे यथाशक्ति अपना खरीद-फरोख्त का काम हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ ही और उन्हीं के द्वारा करायेंगे।

१३. हमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे।

कम्पनी का नाम.....

पता.....

एजेंटों या मालिकों के नाम.....

गैर-हिन्दुस्तानी मिलों का घोषणा-पत्रक

१. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहायतापूर्ति करने हैं।
२. कम्पनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (एवढी प्रतिशत के अभाव में नामजद की हुई विशेष कमिटी घोषणा के इस अर्थ के विषय में विरोध से झूट दे सकती है।)
३. पुराने पदेन-कारोबदारों के सिवा कम-से-कम ९९ प्रतिशत कारोबदार हिन्दुस्तानी हैं और (पुराने पदेन-कारोबदार गैर-हिन्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी कारोबदारों का एक तिहाई हिस्सा होना चाहिए।)
४. एजेंटों को काम के हिस्सेदार विदेशी सूत और कपड़े के आयात-व्यापार में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखते।
५. हम खादी से मिल के कपड़े की होड़ न करके और आन्टोल्न से उत्पन्न सिर्फ में, खादी की कीमत बढ़ाकर या उसे खटिया बनाकर, अपने स्वार्थ के लिए कटु-विष लक्ष्य न उठाकर, खादी को उन्नत में सहायक होंगे।

६. प्रबन्ध-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि और 'मिस्ट्रि' हिन्दुस्तानी के और वे हिन्दुस्तानियों की रक्षा के लिए बचे हुए हैं।

उक्त घोषणा के पालन के लिए हम यह कानून का विभागा सेते हैं :—

१. मिनों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय चान्दोलन के विरुद्ध किसी प्रकार के प्रकार में नहीं लगेगा और न रोज़ेन्दा से, ब्रिटिश-भारत के कानून से या ब्रिटिश-सरकार और से मजबूत ऐसे किसी चान्दोलन में भाग ही लेगा।

२. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही की जायेगी।

३. हम अपनी कम्पनी का बीमा का काम, बैंक-सम्बन्धी काम तथा जहाजों में माल ले जाने का काम हिन्दुस्तानी बीमा-कम्पनियों, हिन्दुस्तानी बैंकों और हिन्दुस्तानी जहाजी कर्मियों को देंगे।

४. अब से हम जहाजक सम्भव होगा जहाजक रिवाज-निरीक्षक, वकील, जहाजों पर माल चढ़वाने तथा जहाजों से माल उतरवाने वाले कारिन्दे, खरीदने और बेचने वाले दलाल, डेकेदार और अपनी मिलों के लिए आवश्यक सामान देने वाले हिन्दुस्तानी ही रखेंगे।

५. हम जहाजक सम्भव होगा जहाजक स्टोर की चीजें हिन्दुस्तान की बनी ही खरीदेंगे केवल वही चीजें विदेशी खरीदने जो अत्यन्त आवश्यक हैं और हिन्दुस्तानी स्वदेशी चीजें बिकने का काम नहीं दे सकती या नहीं मिलती। (ऐसी विदेशी चीजों की सूची, जो अनिवार्य है, साथ है।

६. हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत या विदेशी रेशम, या नकली रेशम या ऐसा ही बहिष्कृत मिलों में काटा जाता है, काम में नहीं लायेंगे।

७. हम उस सूत या कपड़े को न खोयेंगे और न रंगेंगे जो विदेशी होगा या बहिष्कृत में तैयार किया गया होगा।

८. हम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक धान के दोनों सिरों पर अपनी छाप स साफ लगायेंगे और बिना वाजिब छाप के कोई कपड़ा बहर न भेजेंगे।

९. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उसपर खादी छापेंगे और न खादी-जैसा बनायेंगे।

१०. हम नीचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायेंगे :—

कोई कपड़ा जो बिना धुला हो, जिसमें छाने और बाने में एक इंच में एक ऊपर और प नीचे, इकहरे या दुहरे, सादा बुनावट के १८ से अधिक तार हों। बाने में चौकों की सादा बुनावट है जो बुंददार या गोल बकत पर बने हों और दरियां। (१८ तारों में इकहरे दुहरे सूत शामिल हैं, उनका नम्बर १८ या १८ से कम होता है।)

किन्तु मिलें ड्रिल, साटने, टसरें, जैकबर्ट मशीन पर बनी डूलें, सोबी नमूने, रगीन बई से बने कपड़ा, कम्बल और मल्लादा बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

११. हम अबसे अपना खरीद-फोखल का काम यथाशक्ति हिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ करेंगे और उन्हीं के साथ करायेंगे।

१२. हमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे।

कम्पनी का नाम.....

पता.....

प्रबन्धक-एजेण्ट या मालिक.....

बम्बई-कांग्रेस-कमिटी-द्वारा प्रचलित घोषणा-पत्रक

“हम घोषित करते हैं कि हम जनता की राष्ट्रीय-भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और राष्ट्रीय-आन्दोलन से स्वदेशी के प्रचार को जो उत्तेजन मिला है उसकी कद्र करते हैं ।

खादी की रक्षा के लिए हम सहमत हैं कि हम अपनी मिलों में बने कपड़े पर खादी नहीं छापेंगे और न उसे खादी कहकर बेचेंगे । हम उन किस्मों के अलावा जिनपर हमारी मिलें और आपकी कमिटी (बम्बई-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी) सहमत हो, औसतन १० नम्बर से नीचा कपड़ा न बनायेंगे ।

अपने मिल-उद्योग के स्वदेशी रूप की रक्षा और उन्नति के लिए नीचे लिखी योजना त्वीकृत हुई । हम इससे सहमत हैं :—

१. मिलों के मालिकों और प्रबन्धकों की दृष्टि और ‘शिरिट’ भारतीय और स्वदेशी है और रहेगी । वे भारतीय हितों की रक्षा के लिए बधी हुई हैं ।

२. मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-हित-विरोधी आन्दोलनों में भाग न लेगा ।

३. कम्पनी की कम-से कम ७५ प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तानियों की है और रहेगी । इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष विशेष मामलों में और विशेष इद तक अपवाद कर सकेंगे ।

४. ऐसी किसी भी कम्पनी के, पदेन डाइरेक्टरों के अलावा, कम-से-कम ६६ प्रतिशत डाइरेक्टर हिन्दुस्तानी हैं और रहेंगे ।

५. कम्पनी का प्रबन्ध और स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा उन मिलों के जिनका प्रबन्ध इस समय गैर-हिन्दुस्तानी मिल-एजेंटों के हाथ में है और उन्होंने इसके सिवा अन्य सारी शर्तें मान ली हैं ।

६. विशेष कारणों के अतिरिक्त कर्मचारियों की भरती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही होगी ।

७. जहाँ तक सम्भव होगा मिलें हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही खरीदेंगी और जहाँ तक सम्भव होगा वहाँ तक अपना व्यवहार हिन्दुस्तानी बँकों, बीमा-कम्पनियों और जहाजी-कम्पनियों से ही रखेंगी ।

८. बम्बई-कांग्रेस कमिटी ने जिस सूत या कपड़े को अस्वदेशी घोषित कर दिया है, मिलें उसे न लें रँगेंगी और न धोयेंगी ।

९. मिलें ३१ दिसम्बर १९३० के बाद विदेशी सूत, नइली रेशम और रेशम-नुमा सूत को काम में नहीं लायेंगी ।

१०. मिलें अपने हरेक यान पर अपने नाम की छाप लगायेंगी ।

११. कोई भी मिल-मालिक, मिल-एजेंट और मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखनेवाला दूषण आदमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी सूत या कपड़ा न मंगायेंगा ।

१२. मिलें राष्ट्रीय-आन्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुई स्वदेशी की भावना से अपना अनुचित स्वयं-साधन न करेंगी और अधिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी इसकी रक्षा करेंगी । वे स्वदेशी माल खरीदनेवाली जनता को उचित दायों में बेचेंगी ।

वे ३१ दिसम्बर १९३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इत समय बन रही हैं उन्हें वर्तमान दमों पर या १२ मार्च १९३० को जो दाम थे उनपर—इनमें से जो भी कम हो उनपर—बेचेंगी ।

वे खरीदारों की सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मों की विज्ञापन के दाम, जो समय-समय पर हों, छापकर संतुष्टी रहेंगी ।

मे साग-समाय पर बम्बई प्रांतीय कांग्रेस-कमिटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और ऐसे तरीके से सम्भाल करेंगी जिनपर अधिक मुन्नाफा लानेवालों को रोकने के लिए और स्त्रीशर्तों को कांफ्रेंसों पर लगातार स्पष्टीकरण दिलाने के लिए दोनों पक्ष गम्भीर होंगे।”

—

जुलाई-अगस्त १९३० के सन्धि-प्रस्ताव

पत्र-व्यवहार

५ सितम्बर १९३० को सर तेजबहादुर सप्रू और भी मुकुन्दराव जयकर ने पूना से नीचे का पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने वह पत्र-व्यवहार भी सम्मिलित कर दिया था जो पहले दो महीनों में उनमें और जेल पड़े हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था :—

“इस दो महीने से कुछ अधिक समय से हम लोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए जो लक्ष्य करते रहे हैं, उसके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य घटनाएँ और बातें इस प्रकार हैं—

(१) रात २० जून १९३० को लन्दन के ‘डेली हेराल्ड’ नामक पत्र के विशेष-संवाददाता मि० कोम्ब ने प० मोतीलाल नेहरू से भेंट करके उनसे यह जानना चाहा था कि गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं। उस समय नेहरूजी ने जो विचार प्रकट किये थे, वारतवर्ष में प्रकाशित हो चुके हैं।

(२) इसके थोड़े ही दिनों बाद मि० स्लोकोम्ब ने बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू से मिलकर बातें की थीं, जिनके परिणाम स्वरूप मि० स्लोकोम्ब ने कुछ शर्तों का एक मसविदा तैयार किया और वह मसविदा पं० मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया था। पं० मोतीलाल नेहरू ने वह मसविदा भी जयकर और मि० स्लोकोम्ब के सामने मंजूर भी कर लिया था। उन शर्तों की एक प्रति मि० स्लोकोम्ब ने भी जयकर के पास भेज दी थी; क्योंकि पं० मोतीलाल नेहरू ने यह बात कर ली थी कि इन्हीं शर्तों के आधार पर भी जयकर या और कोई तटस्थ व्यक्ति चाहें तो वाद-समाप्ति मिलकर सम्झौते की बातचीत कर सकते हैं।

(३) मि० स्लोकोम्ब ने शिमला में डॉ० सप्रू के पास भी एक पत्र भेजा था, जिसके साथ शर्तों की एक नकल भी थी। उस पत्र में मि० स्लोकोम्ब ने लिखा था कि पं० मोतीलाल नेहरू वात मंजूर कर ली है कि यदि हम लोग (डॉ० सप्रू और भी जयकर) चाहें तो इन्हीं शर्तों के आधार पर वाद-समाप्ति से मिलकर सम्झौते की बातचीत कर सकते हैं। उस मसविदे का पूरा अनुवाद या जाता है।

समझौते की बातचीत का आधार

२५ जून १९३० को बम्बई में पं० मोतीलाल नेहरू के सामने जो वक्तव्य पेश किया गया था उसके सम्बन्ध में उन्होंने यह मंजूर कर लिया था कि यदि कोई तटस्थ व्यक्ति या दल चाहें तो आधार पर वाद-समाप्ति से मिलकर आपसी बातचीत कर सकते हैं, वह यह है—

‘ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार यद्यपि पहले से यह जानने में असमर्थ हैं कि पूर्ण-रूप से पूर्वक विचार करने के उपरान्त गोलमेज-परिषद् किन-किन बातों की विचारणा करेगी और

न वे अभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में ब्रिटिश-पार्लियामेंट का क्या रुख होगा। तथापि यदि कुछ विशेष परिस्थिति में ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार निजी-रूप से इस बात का वचन देने के लिए तैयार हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ उसके पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा, और अधिकार हस्तान्तरित होने के सम्बन्ध में जो शर्तें तय हो जायगी, और इस प्रकार की जिन बातों का निर्णय गोलमेज परिषद् में हो जायगा, उन बातों को छोड़ कर भारत की पूर्ण उत्तरदायित्वयुक्त शासन प्रणाली की मांग का उक्त दोनों सरकारों (ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार) समर्थन करेंगी, तो प० मोतीलाल नेहरू स्वयं वचन लेकर महात्मा गांधी और प० जवाहरलाल नेहरू के पास जायगे; और यदि कोई ऐसा वचन नहीं मिलेगा और किसी उत्तरदायित्व पूर्ण तटस्थ दल की ओर से इस बात का सर्वेस-मात्र मिलेगा कि सरकार इस प्रकार का वचन दे देगी, तो भी वह महात्मा गांधी और प० जवाहरलाल के पास जाकर समझौते की बातचीत करेंगे। यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा और स्वीकृत कर लिया जायगा, तो इससे देश में शान्ति स्थापित होना सम्भव हो जायगा, जिससे सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा; और उसके साथ-ही-साथ सरकार अपनी वर्तमान दमन-नीति भी बन्द कर देगी और राजनैतिक कैदियों को छोड़ देगी, और तब आपस में जो शर्तें तय हो जायगी उनके अनुसार कामेस भी गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हो जायगी।'

वाहमराय के नाम पत्र

इस पत्र के आधार पर गत जुलाई मास के आरम्भ में हम लोगों ने कई बार शिमला में वाहमराय से भेंट की और उन्हें देश की अवस्था समझाई और अन्तमें उन्हें नीचे लिखा पत्र भेजा—

शिमला, २२ जुलाई।

प्रिय सार्ज अर्चिन,

हम लोग वित्तपूर्वक आपका ध्यान देश की राजनैतिक अवस्था की ओर आकृष्ट करते हैं, जो हम लोगों की सम्मति में इस समय ऐसी हो रही है कि बिना कुछ भी विलम्ब किये उत्काल सुधारी जानी चाहिए और जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना आवश्यक जान पड़ता है जिनसे वह फिर अपनी स्वाभाविक और साधारण अवस्था में आ जाय। सत्याग्रह-आन्दोलन से जिन-जिन अनर्थों की व्यापकता हो सकती है, उनसे हम लोग भली-भांति परिचित हैं; और न तो उस आन्दोलन के साथ हमें से किसी ने कभी अपनी सहायभूति प्रकट की है और न कभी उसका साथ दिया है। जो भी हम लोग यह समझते हैं कि इस समय जनता और सरकार में जो भगड़ा चल रहा है और जिसके कारण दमन-नीति का अवलम्बन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सर्व-साधारण के भावों में कुछ ही कटुता आ गई है, उस भगड़े के कारण देश के सच्चे और स्थायी हितों में आवश्यक ही बहुत नुषा होगी। हम लोग समझते हैं कि अपने देश और सरकार के प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम लोग यह आशा और विश्वास रखते हुए कि इस आन्दोलन के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध में बातचीत करके उन्हें देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के काम में सहायक बना सकेंगे, हम लोग इस बार ऐसा प्रयत्न करें जिसे वर्तमान अवस्था सुधर जाय।

यदि हम लोगों ने भीमान् के भाषण का ठीक-ठीक अर्थ समझा हो, तो हम लोगों की देखी जायगी है कि यद्यपि भीमान् और भीमान् की सरकार सत्याग्रह-आन्दोलन का प्रतिकार करने के लिए अपने-आपको विवश समझी है, तथापि विधान से सम्बन्ध रखने वाली समस्या का सर्व-सम्मत निग-

करण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए श्रीमान् कम उत्सुक नहीं हैं। कदाचित् हम लोगों को यहां यह कहने की कोई आवश्यकता न होगी कि हम लोगों को यह विश्वास है कि ज्योंही यह आन्दोलन बन्द हो जायगा, त्यों ही सरकार को अपनी वर्तमान नीति का पालन करने की कोई आवश्यकता न रह जायगी; और न उन नये आर्डिनेन्सों या आज्ञाओं आदि के रहने की कोई आवश्यकता रह जायगी जिन्हें सरकार को उस नीति का पालन करने के लिए प्रचलित करना पड़ा है।

इसलिए हम लोग श्रीमान् से यह निवेदन करना चाहते हैं कि श्रीमान् कृपा कर हम लोगों को इस बात की आशा दें कि हम लोग गांधी जी, पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट करके बातचीत करें, जिसमें हम लोग अपने विचार उनके सामने उपस्थित कर सकें और देश के हित के विचार से उन लोगों पर इस बात के लिए दबाव डाल सकें कि वे हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति के विशाल प्रश्न का शान्त वातावरण में निराकरण हो सके। हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो उनके पास जायेंगे, वे स्वयं अपनी ओर से जायेंगे, और यह कार्य न तो हम सरकार की ओर से और न किसी दल की ओर से कर रहे हैं। यदि हम प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं हमी पर होगा।

यदि श्रीमान् हम लोगों को इस बात की आशा दे दें कि हम जेल में जाकर इन महानुभावों से भेंट करें, तो हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारोंके पास इस आशय की आवश्यक आज्ञायें भेज दें कि वे हमारे लिए आवश्यक सुभीते कर दें। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि यदि हमें यह आवश्यक आज्ञा मिल जाय तो हम सब लोगों को बिलकुल एकान्त में बातचीत करने का अधिकार दिया जाय; और जिस समय हम उनके साथ मिलकर बातें करें उस समय वहाँ कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित न हो। इसके अतिरिक्त हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं और हमारी सम्पत्ति में यह बांझनीय है कि जहाँ तक हो सके, हम लोग उनके साथ शीघ्र ही भेंट करें।

इस पत्र का उत्तर भी जयपूर के पास होटल सेंसिल के पते से भेजा जा सकता है।

भवदीय—तेजबहादुर सपू, एम० आर० जयपुर

वाइसराय का उत्तर

वाइसराय ने हम पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा था—

रिमजवा, १६ जुलाई।

प्रिय श्री जयपूर,

आपका २३ जुलाई का पत्र मिला। आप और सर तेजबहादुर सपू यह इच्छा प्रकट करते हैं कि देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के लिए आप लोग यथासाध्य पूरा-पूरा प्रयत्न करना करें और इस उद्देश से गांधीजी, पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने की आशा मंगते हैं।

शरद ए. जूलार्ड को अमेम्बली में मैने जो भाषण किया, उसमें मैने यह बतला दिया था कि गवर्नर-आन्दोलन और विधान के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे तथा मेरी सरकार के क्या सुझाव उपस्थित हैं। हम लोग समझते हैं कि गवर्नर आन्दोलन से भारत की केवल हानि ही हानि हो गई है; और बहुत-से भारतीय नगरपालिका, बंग और दस भी ऐसा ही समझते हैं। इसलिए उन हर्षा-सपवाद से सरकार को बचाने के लिये हम आन्दोलन का समाप्त कराने के लिये उन हर्षा-सपवाद से बचना चाहते हैं। हमें तो यह बहुत ही ठीक समझ है कि विधान की समस्या के साथ निरन्तर प्रचार के

लोगों का सम्बन्ध है, उन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए हम लोग कम उत्सुक नहीं हैं।

स्पष्टतः हम लोगों के लिए यह बात सम्भव नहीं है कि पहले से ही यह कह सकें कि साहमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त भारत-सरकार क्या विचारिशों करेगी, या गोलमेज-परिषद् क्या विचारिशों करेगी; और यह कह सकना तो और भी कठिन है कि इस सम्बन्ध में पार्लमेण्ट का क्या निर्णय होगा। परन्तु अपने भाषण में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरी सरकार की यह प्रबल कामना है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमाधू साक्षाट् की सरकार की भी यही कामना है, कि जहाँ तक हो सके हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में, अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारतवासी किन-किन विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और और व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए, इस पर परिषद् में विचार होगा। परन्तु मेरा कर्मी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रक्खा जाय तो समझौता करना असम्भव होगा।

इसलिए यदि आप लोगों का यह विश्वास हो कि जो कार्य आप लोग करना चाहते हैं उससे आप फिर मे देश में शान्ति स्थापित करने में सहायता पहुँचा सकते हैं, तो मेरे लिए अथवा मेरी सरकार के लिए आपके प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाधा उपरिषत् करना ठीक नहीं होगा; और न मैं यही समझता हूँ कि सत्याग्रह-आन्दोलन का दृढतापूर्वक विरोध करने में जिन लोगों ने बराबर मेरी सरकार का साथ दिया है और जिनके सहयोग का मैं बहुत-कुछ मूल्य समझता हूँ, वही यह चाहते होंगे कि हमारी ओर से उममें किसी प्रकार की बाधा पहुँचे। आप लोगों का उत्तर आने पर मैं सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारों से कहूँगा कि वे ऐसी आवश्यक आचार्यें जारी कर दें, जिनसे सार्व-जनिक सेवा के भाववाले आप लोग, देश में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने में समर्थ हो सकें।

भवदीय—अर्विन

नेहरूओं को गांधीजी का सूचना-पत्र

इन दोनों पत्रों को लेकर हम लोगों ने २३ और २४ जुलाई १९३० को पूना के यावहा-जेल में गांधीजी से भेंट की। उस अवसर पर हम लोगों ने गांधीजी को सारी परिस्थिति समझाई और कारुण्य के साथ हम लोगों की जो बात-चीत हुई थी उसका मुख्य अभिप्राय भी उन्हें बतला दिया। गांधीजी ने हम लोगों को निर्मललिखित सूचना और पत्र लिखकर इलाहाबाद के नैनी-जेल में प० मांटीलाल नेहरू और प० जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए दिया—

“(१) जहातक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा निजी विचार यह है कि यदि गोलमेज-परिषद् में केवल इस बात का विचार किया जाय कि भारत को पूर्ण-स्वतन्त्र प्रदान करने में और उसके सम्बन्ध के अधिकार हस्तान्तरित करने में जितना समय लगेगा उतने समय तक के लिए किन्-किन बातों का, केवल रक्षा के विचार से, अग्नेय-सरकार के हाथ में रहना आवश्यक होगा, तो भयं मुझे कोई आशय न होगी। पर साथ ही यह बात समझी-भूती और जानी हुई रहेगी कि यदि उन परिषद् में कोई स्पष्ट पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न उठायेगा तो उसके सम्बन्ध में सभासत् अथवा अधिकारियों को यह करने का अधिकार न होगा कि इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकेगा। मैं

वातचीत करके इस सम्बन्ध में एक समझौता न हो जायगा कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, प्रत्येक परिस्थिति में, वे लोग कम-से-कम इतनी बातों की मांग परिष्कृत के सामने अवश्य उपस्थित करेंगे। मुझे इस बात की भी स्वतन्त्रता रहेगी कि जिस समय अवसर आवे, उस समय मैं स्वराज्य की प्रत्येक योजना की अन्धी तरह परीक्षा कर सकूँ और उसे जांच कर यह समझ सकूँ कि उस योजना से वे ११ शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, जो मैंने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थी।

यवादा सेन्ट्रल जेल

२१-७-३०

मो० क० गांधी

परिष्कृत मोतीलाल नेहरू के नाम महात्माजी का पत्र

उक्त सूचना के साथ गांधीजी ने १० मोतीलाल नेहरू के नाम जो पत्र भेजा, वह निम्न प्रकार है :—

‘मेरी अवस्था इस समय बहुत ही बेदख है। मेरी प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि जेल की दीवारों के बाहर जो बातें हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में अपनी कोई निश्चित सम्मति नहीं दे सकता। इसलिए मैंने जो कुछ लिखकर अपने मित्रों को दिया है, वह केवल उन बातों का बहुत ही मोटा मसविदा है जिनमें मेरा व्यक्तिगत सन्तुष्ट होना सम्भव है, कदाचित्त आप यह जानते होंगे कि मैं मि० रलोकेश्वर को कोई बात बतलाने के लिए राजी नहीं था और मैंने उनसे कहा था कि वह आपके साथ मिलकर सब बातों पर विचार करें। परन्तु उनके बहुत प्रार्थना करने पर मैं अपने उस विचार पर दृढ़ न रह सका, और मैंने उनसे कह दिया कि आपके साथ बातचीत करने से पहले ही वह मेरी कहीं हुई बातों को प्रकाशित कर सकते हैं। साथ ही एक बात यह है कि यदि सम्मानपूर्वक समझोते के लिए उपयुक्त समय आ गया हो, तो मैं उसके मार्ग में बाधक नहीं होना चाहता। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सदेह है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो कुछ जवाहरलाल कहे वही निश्चित और अन्तिम कथन होगा। आप और हम तो उन्हें केवल परामर्श दे सकते हैं। सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर को मैंने जो सूचना-पत्र दिया है, उसमें मैंने जो बात कही है, वही मेरे लिए चरम-सीमा है, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ। परन्तु जवाहरलाल और, इस विषय में आप भी, यह समझ सकते हैं कि मैंने जो बातें कही हैं, वे कांग्रेस की वास्तविक और भीतरी नीति तथा जनता की वर्तमान प्रकृति के अनुकूल नहीं, बल्कि प्रतिकूल हैं। यदि लाहौर-कांग्रेस में निश्चित प्रस्ताव के अनुसार ही और कोई अधिक मांग पेश की जाय तो भी उसका समर्थन करने में मुझे कोई आगा-पीछा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने सूचना-पत्र में जो बातें कही हैं, यदि वे आप दोनों के मन में बिलकुल ठीक न जंचती हो, तो आप लोगों को उचित है कि मेरी उन बातों को कोई महत्व न दें।

मैं यह जानता हूँ कि वाइसराय को मैंने जो अपना पहला पत्र भेजा था, उसमें मैंने जो शर्तें लिखी थी, उन शर्तों को न तो आप और न जवाहर ही बहुत पसन्द करते थे। मैं नहीं कह सकता कि इस समय भी आप लोगों की वही सम्मति है या कुछ दूसरी। हाँ, उनके सम्बन्ध में शय मेरा मन बहुत शुद्ध और स्पष्ट है—मैं उन्हें बहुत ठीक समझता हूँ कि उनमें स्वतन्त्रता का मुख्य तत्व आजादा है। जिन अधिकारों से राष्ट्र को सब बातों को तुरन्त ही काम में लाने की शक्ति न प्राप्त होती हो, उन अधिकारों से मैं कुछ भी सरोकार नहीं रख सकता। मैंने अपने सूचना-पत्र में उनमें से केवल तीन ही बातों का उल्लेख किया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने बाकी आठ बातों को छोड़ दिया है। बल्कि इस समय ये तीन शर्तें केवल सत्याग्रह आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए पेश की गई हैं। यदि शुद्ध रथगति करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग

भारती वह स्थिति भी जो वेदों जिन स्थिति पर हम लोग आश्रित रह चुके हैं, तो मैं उस में किसी प्रकार सम्मिश्रित न होऊंगा।

यशवहा-मन्दिर
२१-७-१०

भारतीय
मो० न० गांधी

गांधीजी के नाम नेहरूओं का पत्र

इसके अनुगार २७ और २८ जुलाई को हम लोगों ने प्रयाग के नैनीताल में पं० मोती शरीर पं० जगदरलाल नेहरू से भेंट की और यादगमय के पत्र, गांधीजी के सूचनापत्र और ऊपर लाये हुए पत्रकी सब बातों को प्यान में रखते हुए उनके साथ सब बातों पर पूरी तरह से विचार किया— उस समय पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जगदरलाल ने हम लोगों को नीचे लिखे हुए दो पत्र गांधीजी को पूना के यशवहा-जेल में देने के लिए दिये—

२८ जुलाई १९३० का जिनका हुआ पं० मोतीलाल नेहरू और पं० जगदरलाल नेहरू का सूचना से-ट्रल जेल, नैनी, प्रयाग

‘हम लोगों ने सर तेजबहादुर सप्रू और भी जयकर के साथ बहुत देर तक बातचीत की उन्होंने हम लोगों से उन कई घटनाओं का जिनका जिनमें प्रेरित होकर वे जेल में गांधीजी मिले थे और जिनके कारण वे हम लोगों से भी बातें करने के लिए यहाँ आये हैं, और जिनका पत्र रक्खते हुए वे यह चाहते हैं कि यदि सम्भव हो तो वह लड़ाई बन्द कर दी जाय अथवा कुछ समय लिए रोक दी जाय जो इस समय भारतवासियों और ब्रिटिश सरकार में चल रही है। शान्ति लिए उनकी जो यह हार्दिक कामना है, उसकी हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, उसका बहुत मूल्य समझते हैं, और उनकी इस कामना की सिद्धि के जितने उपाय हो सकते हैं, उनपर बहुत प्रयत्न के साथ विचार करने के लिए तैयार हैं; पर गर्त केवल यही है कि शान्ति उन भारतवासियों के लिए सम्मानजनक होनी चाहिये, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संघर्ष में बहुत-कुछ आत्म-त्याग और बलिदान किये हैं और जो हमारे देश को स्वतन्त्र करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से हम लोगों को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि उसके स्वीकृत किये हुए प्रस्तावों में कोई विशेष और बड़ा हेर-फेर कर सकें; परन्तु फिर भी यदि कांग्रेस की महत्ता की हुई मुख्य स्थिति स्वीकार कर ली जाय तो, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि उससे यह निष्कर्ष निकालें कि वह ब्योरे की और छोटी छोटी बातों में कुछ परिवर्तन करदे।

हम लोगों के मामले सबसे पहली कठिनाई यह है कि हम दोनों ही इस समय जेल में बन्द हैं और इधर कुछ दिनों से बाहरी सत्तार और राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ हमारा कोई सम्पर्क नहीं रह गया है। हममें से एक तो प्रायः तीन महीने से कोई दैनिक समाचारपत्र भी नहीं मिला है। गांधीजी भी कई महीने से जेल में ही हैं। वास्तविक अर्थसा यह है कि कांग्रेस की मूल कार्य समिति के सब सदस्य जो हमारे साथ काम करनेवाले थे, वे सब जेल में हैं; और स्वयं वह समिति भी गैर-कानूनी ठहरा दी गई है। महासमिति जो केवल कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन को छोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस के विधान में अन्तिम अधिकारपूर्ण सत्ता है, उसके ३६० सदस्यों में से कदाचित् ७५ प्रति सेकड़ सदस्य इस समय जेलों में बन्द हैं। हम लोग राष्ट्रीय आन्दोलन से बिलकुल अलग कर दिये गये हैं। इस-लिए हम लोग विना अपने साथियों से, और विशेषतः गांधीजी से, पूर्ण परामर्श किये निःश्वेत रूप से कोई काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते।

गोलमेज-परिषद् के सम्बन्ध में हम लोगों का यह मत है कि जबतक सब मर्यादपूर्ण बातों का

प्राप्त में पूरी तरह समझौता न हो जाय, तबतक उससे किसी फल की प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं है। हम इस प्रकार के समझौते को बहुत महत्व का समझते हैं, जो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए और जिनमें न तो किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने का स्थान रहना चाहिए और न जिसका कोई मिथ्या और भ्रमपूर्ण अर्थ निकल सकना चाहिए। सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है; और उनके नाम लार्ड अर्बिन ने जो पत्र भेजा है और जो पहले ही प्रकाशित हो चुका है, उसमें भी उन्होंने यह कह दिया है कि ये लोग (सर सप्रू और श्री जयकर) स्वयं अपनी ओर से यह प्रयत्न कर रहे हैं और उनके कार्यों या बातों से लार्ड अर्बिन या उनकी सरकार किसी प्रकार संबंध नहीं सकते। परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि ये लोग काम्रेस और ब्रिटिश-सरकार के बीच समझौते का मार्ग प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सकें।

हम लोग बिना गांधीजी और दूसरे सहयोगियों से परामर्श किये हुए लार्ड रोकरने की निश्चित यत्न बतलाने में असमर्थ हैं, इसलिए हम लोग उन सूचनाओं पर कोई विचार नहीं करते जो सर तेजबहादुर सप्रू और श्री जयकर ने उपस्थित की हैं अथवा जिनका उल्लेख गांधीजी के २३ जुलाई वाले उस सूचना-पत्र में है, जो हम लोगों को दिखलाया गया है। गांधीजी ने जो दूसरी और तीसरी विचारणीय बातें बतलाई हैं, उनसे हम लोग साधारणतः सहमत हैं, परन्तु इन बातों के सम्बन्ध में और विशेषतः उनकी बतलाई हुई पहली विचारणीय बात के सम्बन्ध में हम लोग पहले उनसे तथा और लोगों से बातचीत कर लेना चाहते हैं और तब, उसके उपरान्त, अपनी सूचनायें उपस्थित करना चाहते हैं। हम यह भी सूचित कर देना चाहते हैं कि हम लोगों का यह सूचनापत्र गुप्त माना और रखा जाय, और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखलाया जाय, जिन्हें गांधीजी का २३-७-३० वाला सूचनापत्र दिखलाया जाय।

गांधीजी के नाम व० जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ २८-७-३० का पत्र

सेन्ट्रल जेल में, प्रयाग।

प्रिय बापूजी,

बहुत दिनों के बाद आपको फिर पत्र लिखने में मुझ प्रवृत्तता हो रही है, फिर चाहे यह पत्र एक जेल से दूसरे जेल को ही क्यों न लिखा जाता हो। मैं तो एक विलुप्त पत्र लिखना चाहता था, परन्तु मुझे भय है कि मैं ऐसा न कर सकूंगा। इसलिए इस पत्र में मैं केवल विचारणीय प्रिय वार्ता अपनी सम्मति प्रकट करूंगा। हाँ, सप्रू और श्री जयकर बल यहाँ आये थे और मित्रों से तथा मुझसे बहुत देर तक उनकी बातें होती रहीं। आज वे लोग फिर यहाँ आ रहे हैं। उन लोगों ने हमारे सामने सब मुख्य-मुख्य बातें रख दी हैं और आरम्भ सूचनापत्र तथा निट्टरी भी हम लोगों को दिखलाई हैं; इसलिए हमने समझा कि हम दोनों आपस में इन विषय पर विचार कर सकेंगे। और बिना दुबारा होनेवाली बातचीत की प्रतीक्षा किये ही इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय कर सकते हैं। हाँ, बंद दूल्हा वार होनेवाली भेट और बातचीत में कोई बात निकली तो हम अपनी परने की निश्चय की हुई सम्मति में परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं।

इस समय हम जिन परिस्थान पर पहुँचे हैं उसका उल्लेख हमने उन सूचनापत्र में कर दिया है, जो हम डॉ० सप्रू और श्री जयकर को दे रहे हैं। वह कुछ अस्पष्ट तो है, परन्तु हम आशा करते हैं कि उससे आपको इस बात का कुछ-कुछ पता लग जाएगा कि हमारे मन में किन प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ मैं यह भी बतलाना चाहता हूँ कि गिट्टी और मैं दोनों इन विषय में पूर्ण रूप से सहमत हैं कि इस विषय में हम लोगों का क्या रूप होना चाहिए। मैं यह बतलाना हूँ कि

विधान-सम्बन्धी जो पहली विनाशनीय बात आपने अपने सूत्रभाग में रखी है वह मुझे अपने पत्र में नहीं कर सकी है, और न यह पिताजी के मन में ही बैठती है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि हम लोगों की जो स्थिति है, अथवा हम लोग जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अथवा आजकल की जो वास्तविक दशा है, उसके अनुकूल यह पहली विनाशनीय बात कैसे घटती या बैठती है। इस विषय में पिताजी और मैं दोनों ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि यदि मुझे मंगित करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी यह स्थिति खो बैठें, जिस स्थिति पर हम आज तक पहुँच चुके हैं, तो हम उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न होंगे। इसलिए यह बात बहुत अधिक आवश्यक है कि अन्तिम निश्चय करने से पहले सब बातों पर ध्य-ध्य विचार हो जाना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि मुझे अभी तक यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि दूसरा दल (सरकार) कुछ विशेष अग्रसर हुआ; और इसलिए मुझे इस बात का बहुत अधिक भय है कि मैं कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जिससे अन्त में हमें भोला माना पड़े।

मैं अपने भाव नरम रूप के प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मुझे तो झार्ड-भगड़े ही में आनन्द आता है। उससे मैं यह अनुभव करता हूँ कि मुझमें प्राण हैं। इतर चार हीनों में भारत में जो घटनाएँ हुई हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उनके कारण भारतीय पुष्टी और स्वयं और यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी मुझे अभूतपूर्व अभिमान हो गया है। परन्तु मैं यह समझता हूँ कि अधिकांश लोग सड़ना-भिड़ना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते हैं। इसलिए मैं अपने-आपको दबाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता हूँ और सब बातों को शान्तिपूर्ण-रूप से देखना चाहता हूँ। आपने अपने जादू-भरे शर्श से जो एक नवीन भारत की सृष्टि कर दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे सकता हूँ! मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। परन्तु 1-काल को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जीवन सार्थक हो गया है और हमारा नीरम अस्तित्व कसित होकर सरस बन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहाँ नीनी-जेल में बैठकर मैंने हेसा-रूपी अस्त्र की आश्चर्यजनक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है, और मैं उसका ना अधिक अनुयायी तथा भक्त हो गया हूँ जितना पहले कभी नहीं था। अहिंसा के सिद्धान्त को मैंने जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समझता हूँ कि आप उससे असन्तुष्ट नहीं होंगे। यद्यपि बीच-बीच में लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने आश्चर्यजनक रूप से अहिंसा व्रत का पालन किया है और अक्षय ही मेरी आशा से कहीं अधिक दृढ़तापूर्वक वे उस व्रत के पथी रहे हैं।

मैं देखता हूँ कि आपकी पहले की बतलाई हुई २२ शर्तों का मैं अभी तक विरोधी ही बतला रहा हूँ। यह बात नहीं है कि उनमें से किसी शर्त को मैं ठीक नहीं समझता; वास्तव में वे सब महत्त्व की हैं। परन्तु फिर भी मैं यह नहीं समझता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान ले सकती हैं। हाँ, बात में मैं अक्षय ही आपसे सहमत हूँ कि जिन अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त ही उन सबके अनु-काम करने की शक्ति न प्राप्त हो, उस अधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं रखना है। पिताजी को इन्जेक्शन लगाया गया है। वह बहुत दुर्बल हो गये हैं। कल शाम को (सर और भी ज्वर से) बहुत अधिक देर तक बातें करते रहने के कारण वह बहुत शिथिल हो गये हैं।

आप कृपया कर मेरे लिए चिन्तित न हों। यह तकलीफ तो जल्दी ही बीत जाने वाली है। मैं शशा करता हूँ कि मैं दो-तीन दिन में इससे मुक्त हो जाऊँगा।

पुनः—

इसने सर तेजबहादुर सप्पू और भी जयकर के साथ फिर बातचीत की। उनकी इच्छा के अनुसार हमने अपने सूचना-पत्र से कुछ बातें निकाल दी हैं; परन्तु उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्थिति तो बिलकुल साफ है और उसके सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। इसके आशा है कि आप इसे पसन्द करेंगे।

इसके अनुसार अकेले भी जयकर ने ३१ जुलाई और १ तथा २ अगस्त को गांधीजी से मिलकर बातें कीं। उस समय गांधीजी ने उन्हें यह सूचना-पत्र लिखाया—

(१) गांधीजी को विधान-सम्बन्धी ऐसी कोई योजना मान्य न होगी जिसमें इस आशय की कोई धारा न हो, कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहेगा तब ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जायगा; और जिसमें एक ऐसी दूसरी धारा न होगी, जिसमें भारत को इस बात का अधिकार और शक्ति न प्राप्त होगी कि वह ग्यारह शर्तों की सन्तोषजनक रूप से पूरा कर सके।

(२) वाइसराय को गांधीजी के इस निश्चय की इसलिए सूचना मिल जानी चाहिए कि आगे चलकर जब गांधीजी गोलमेज परिषद् में यह बात कहें, तब वाइसराय को यह कहने का अवसर न मिले कि हमें पहले से इस बात की कोई सूचना ही नहीं मिली थी। वाइसराय को इस बात की भी सूचना दे दी जानी चाहिए कि गांधीजी गोलमेज-परिषद् में इस बात के लिए भी आप्रमद करेंगे कि एक ऐसी धारा भी रखी जाय जिससे भारत को इस का अधिकार प्राप्त हो कि अन्ततः अग्नेजों की जो विशिष्ट प्राप्य रकमें हैं, अथवा उन्हें जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, उनकी एक स्वतन्त्र पचास के द्वारा जांच कराई जा सके।

इसके बाद १४ और १५ अगस्त को पूना के मरवडा-जेल में फिर एक बार सब लोगों ने मिलकर बातचीत की, जिसमें एक ओर तो हम लोग थे और दूसरी ओर गांधीजी, प० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू, भी वल्लभभाई पटेल, भी जयरामदास दीलतराम और भीमवी नायडू थे। उस अवसर पर हम लोगों में जो बातचीत हुई, उसके परिणाम-स्वरूप कांग्रेस के नेताओं ने हम लोगों को एक पत्र लिखकर दिया और इस बात की भी इजाजत दे दी कि वह पत्र वाइसराय को दिखा दिया जाय। वह पत्र इस प्रकार है :—

यत्वंदा सेप्टल जेल

१५-८-३०

मिय मित्रगण,

आप लोगों ने ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समझौता करने का जो भार अपने ऊपर लिया है, उसके लिए हम लोग आपके बहुत अधिक कृतज्ञ हैं। आपके वाइसराय के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो बहुत अधिक बातें हुई हैं, तथा हम लोगों में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम हम परिणाम पर पहुंचे हैं कि अभी ऐसे समझौते का समय नहीं आया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्ण हो। पिछले पांच महीनों में देश में जो अद्भुत जाग्रत हुई है और भिन्न भिन्न सिद्धान्त तथा मत रखनेवाले लोगों में से छोटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो बहुत अधिक कष्ट सहन किया है, उसे देखते हुए हम लोग यह अनुभव करते हैं कि न तो वह कष्ट-सहन पर्याप्त ही हुआ है और न वह इतना बड़ा ही हुआ

मान-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात आपने अपने सूचनापत्र में रखी है वह मुझे अपने पत्र नहीं कर सकी है, और न वह पिताजी के मन में ही बैठी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती हम लोगों की जो स्थिति है, अथवा हम लोग जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अथवा आजकल की जो अवस्था दशा है, उसके अनुकूल वह पहला विचारणीय बात कैसे घटती या बैठती है। इन विचारों के अलावा पिताजी और मैं दोनों ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि यदि युद्ध स्वयंसेवकों के सम्बन्ध में ऐसी योजना की जायगी जिससे हम लोग अपनी वह स्थिति खो बैठें, जिस स्थिति पर हम आज पहुँच चुके हैं, तो हम उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न होंगे। इसलिए यह बात बहुत अधिक आवश्यक है कि अन्तिम निश्चय करने से पहले सब बातों पर पूरा-पूरा विचार हो जाना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूँ कि मुझे अभी तक यह नहीं दिलाई पड़ रहा है कि दूत (सरकार) कुछ विशेष अभ्यन्त हुआ; और इसलिए मुझे इस बात का बहुत अधिक भय है कि कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जिससे अन्त में हमें घोखा खाना पड़े।

मैं अपने भाव नरम रूप में प्रकट कर रहा हूँ। मैं अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मुझे तो गर्द-भंगड़े ही में आनन्द आता है। उससे मैं यह अनुभव करता हूँ कि मुझे प्राण हैं। इधर चारों ओर में भारत में जो घटनाएँ हुई हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उनके कारण भारतीय पुरुषों की स्त्रियों और यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी मुझे अभूतपूर्व अभिमान हो गया है। परन्तु मैं यह समझता हूँ कि अधिकांश लोग लज्जा-भिडना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते हैं। इसलिए मैं अपने-आपको दबाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता हूँ और सब बातों को शान्तिपूर्वक रखना चाहता हूँ। आपने अपने जादू-भरे शब्दों से जो एक नवीन भाव की सृष्टि कर दी है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे सकता हूँ! मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। परन्तु बालकों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जीवन सार्थक हो गया है और हमारा नीरम अस्तित्व अस्तित्व होकर मरस बन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहाँ नैनी-जेल में बैठकर मैं सा-रूपी अन्न की आश्चर्यजनक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है, और मैं उत्तरा में अधिक अनुयायी तथा भक्त हो गया हूँ जितना पहले कभी नहीं था। अहिंसा के सिद्धान्त को मैंने जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समझता हूँ कि आप उससे अग्रगण्य नहीं होंगे। यहाँ बंगाल में लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश में आश्चर्यजनक रूप में अहिंसा का प्रचार किया है और अवर्य ही मेरी आशा से कहीं अधिक दृढ़तापूर्वक वे उस मत के पक्षी हैं।

मैं देखता हूँ कि आपकी पहले की बतलाई हुई २१ शर्तों का मैं अभी तक विरोधी ही बन रहा हूँ। यह बात नहीं है कि उनमें से किसी शर्त को मैं ठीक नहीं समझता; वास्तव में वे सब महत्त्व की हैं। परन्तु फिर भी मैं यह नहीं समझता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान ले सकती हैं। अतः मैं मैं अवर्य ही आपसे सहमत हूँ कि जिस अधिकार से राष्ट्र को मुक्त ही उन शर्तों को अवर्य करने की शक्ति न प्राप्त हो, उस अधिकार से हम लोगों को कोई सरोधार नहीं मिलेगा। गिवाजी को इन्जेक्शन लगाया गया है। यह बहुत दुर्बल हो गये हैं। कल शाम को (कौशिक और श्री जगन्नाथ) बहुत अधिक देर तक बातें करते रहने के कारण यह बहुत अधिक थक गये हैं।

आप हृदय पर मेरे लिए चिन्तित न हो। यह तटस्थता तो अन्तरी ही बात माने वाली है।
 हाँ करता हूँ कि मैं दो-तीन दिन में इसमें मुक्त हो जाऊँगा।

गया है; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन अवश्य हो गया है कि जिससे हमें लोगों को प्रस्तावित परिषद् में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष प्रकार के बन्दन में पड़े हुए हैं, तो भी जहांतक हमारे अन्दर शक्ति है वहां तक हम इस काम में प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपने मित्रतापूर्ण प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार है—

हम यह समझते हैं कि वाइसरॉय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परिषद् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि गठ बर्ष शहौर में जो राष्ट्रीय माग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसरॉय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, और आवश्यकता हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में बिना विचार किये इस लोग अधिकार-पूर्ण से कोई बात कह सकें। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिः इस लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोषजनक न होगा जबतक (१) (क) पूरे और राष्ट्र शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे तब ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाय। (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रक्षक शक्ति (सेना आदि) पर तथा समस्त आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ बावों का भी समावेश होजाय जो गांधीजी ने वाइसरॉय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारत-वासियों को इस बात का अधिकार प्राप्त होजाय कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचायत बँटाकर इस बात का निर्णय करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रिश्तायें आदि प्राप्त हैं, जिसमें भारत का सार्वजनिक श्रेण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का घर मत होगा कि वे न्याय-पूर्ण नहीं हैं अथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैं, ये सब अधिकार, रिश्तायें और श्रेण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं।

एतन्ना—अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के विषय लेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई बावें ब्रिटिश-सरकार को ठीक जंचे और वह इस सम्बन्ध में सन्तोष-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश करेंगे कि सत्याग्रह-आन्दोलन या सविनय-अवज्ञा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, अर्थात् केवल आशा-भंग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय। परन्तु विलायती कपड़े और शराब, धाँसी आदि की दुकानों पर तबतक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जबतक सरकार स्वयं कानून बन्द कर शराब, धाँसी आदि और विलायती कपड़े की विक्री बन्द न कर देगी। तब लोग अपने को में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दह-सम्बन्धी धारणें काम में नहीं लाई करनी। नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर धावा नहीं किया जायगा।

(३) (क) क्योंकि सत्याग्रह-आन्दोलन रोक दिया जायगा, स्वयं ही उसके साथ वे नरक-पत्थरी कैदी और राजनैतिक कैदी, जो सजा पा चुके हैं परन्तु जो हिंसा के अन्वेषी नहीं हैं या हिंसे से लोगों को हिंसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वारा छोड़ दिने कहेंगे।

(४) नमक-कानून, प्रेस-कानून, लगान-कानून तथा इसी प्रकार के और कानूनों के अन्वेषण को

कदाचित् यदा यह बतलाने की कोर्द घागरवच्छा न होगी कि हम आपके अथवा बहुमत के हम मत से सहमत नहीं हैं कि सायामह-आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है, अथवा वह आन्दोलन कुगमय में लड़ा किया गया है अथवा अत्रिष है। अंमैजों का इतिहास ऐनी-पैरी रक्त पूर्ण कान्तिपों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनकी प्रशंसा के राग गाने हुए अमेज लोग कभी नहीं पकते; और उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिवा दी है। इसलिए जो कान्ति विचार की दृष्टि में बिलकुल शांतिपूर्ण है और जो कार्य-रूप में भी बहुत अधिक मान में और अद्भुत हा में शान्तिपूर्ण हो है, उसकी निन्दा करना वाहमणय अथवा किमो और ममभरार अमेज को सोभा नहीं देता।

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी आदमी वर्तमान सन्यामह-आन्दोलन की निन्दा करते हैं, उनके साथ भगड़ा करने की हमारी कोर्द इच्छा नहीं है। हम लोगों का तो यही मत है कि सर्वसाधारण जिस आश्चर्य-जनक रूप से इस आन्दोलन में सम्मिलित हुए हैं, (वही इस बात का सफेद प्रमाण है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहाँ कहने की बात यही है कि हम लोग भी प्रवृत्तापूर्वक आपके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो तो यह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय। अपने देश के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों तक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पड़े, लाठिया मानी पड़ें और इनसे भी बढ़-बढ़कर दुर्दशायें भोगनी पड़ें, हम लोगों के लिए कभी आनन्ददायक नहीं हो सकता। इसलिए जब हम आपको और आपके द्वारा वाहमणय को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मानपूर्ण शान्ति और ममभौते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको ढूँढ़कर उनका अवलम्बन करने के लिए हम अपनी ओर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो आशा है कि आप हम लोगों की इस बात पर विश्वास करेंगे।

परन्तु फिर भी हम यह मानते हैं कि अभी तक हमें चित्तित्त पर ऐसी शान्ति का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता। हमें अभी तक इस बात का कोई लक्षण नहीं दिखाई पकता- कि अमेज सरकारी जगत् का अब यह विचार हो गया है कि स्वयं भारतवर्ष के स्त्री-पुरुष ही इस बात का निर्वहण कर सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अच्छा काम या मार्ग कौन-सा है? सरकारी कर्मचारियों ने अपने शुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत सी घोषणायें प्रायः अच्छे उद्देश्य में की गई हैं, उनपर हम विश्वास नहीं करते। इधर मुद्दतो से अमेज इस प्राचीन देश के निर्वासितों की घन सभरति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अमेजों में इतनी शक्ति और योग्यता ही नहीं रह गई है कि वे यह बात देख सकें कि उनके इस अपहरण के कारण हमारे देश का कितना अधिक नैतिक, आर्थिक और राजनैतिक हास हुआ है। वे अपने-आपको यह देगने के लिए उद्यत ही नहीं कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे बड़ा एक काम यही है कि वे जो हमारा पीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसपर से वे उतर जायें, और प्रायः सौ वर्षों तक भारत पर राज्य करते रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगों का नाश और हास करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे बाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; और अब तक उन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किये हैं, उनका इस रूप में प्रायश्चित्त कर डालें।

परन्तु हम यह बात जानते हैं कि आपके तथा हमारे देश के कुछ और बिक लोगों के विचार हमारे इन विचारों से भिन्न हैं। आप यह विश्वास करते हैं कि शासकों के भावों में परिवर्तन हो

था है; और अधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन आवश्यक हो गया है कि जिससे हम लोगों को प्रस्तावित परिषद् में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इन समय एक विशेष प्रकार के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहाँतक हमारे अन्दर शक्ति है वहाँ तक हम इस काम में स्वतन्त्रतापूर्वक आप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके सम्भवापूर्वक प्रयत्न में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सहायता दे सकते हैं, वह इस प्रकार है—

हम यह समझते हैं कि वाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परिषद् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी अनिश्चित है कि मत वर्गों के बीच में जो राष्ट्रीय मार्ग प्रस्तुत की गई थी, उसका ध्यान रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, और न हमारी स्थिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, और आवश्यकता हो तो महासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में बिना विचार किये किसी भी लोग अधिकार-पूर्ण से कोई बात कह सकें। परन्तु हम इतना आवश्यक कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तबतक सन्तोषजनक न होगा जबतक (१) (क) और (ख) शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहे सब ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाय। (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-सरकार स्थापित हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो। उसे देश की रक्षक शक्ति (सिना आदि) पर तथा समस्त आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ बातों का समावेश होजाय जो गांधीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थी। (ग) उससे भारत-वर्ष को इस बात का अधिकार प्राप्त होजाय कि यदि आवश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पंचा-यत पैठाकर इस बात का निर्णय करा सके कि अंग्रेजों को जो विशेष पावने और रियायतें आदि प्राप्त हैं, उनमें भारत का सार्वजनिक श्रेण भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का मत होगा कि वे न्याय-पूर्ण नहीं हैं अथवा भारत की जनता के लिए हितकर नहीं हैं, वे सब अधिकार, रियायतें और श्रेण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं।

सूचना—अधिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के हस्तान्तरण लेने-देने आदि की आवश्यकता होगी, उसका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई बातें ब्रिटिश-सरकार को ठीक जंचे और वह इस सम्बन्ध में विशेष-जनक घोषणा कर दे तो हम कांग्रेस की कार्य-समिति से इस बात की विचारणा करेंगे कि व्यापक-प्रान्दोलन या सविनय-अवज्ञा का प्रान्दोलन बन्द कर दिया जाय, अर्थात् केवल आशा-भंग करने के लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भंग न किया जाय। परन्तु विलायती करों और शराब, धूम्रपान आदि की दुकानों पर तबतक स्थान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, जबतक सरकार स्वयं कानून बदल कर, शराब आदि और विलायती करों की किसी बन्द न कर देगी। सब लोग अपने-अपने में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कानून की दृष्ट-सम्बन्धी धारणों काम में नहीं लार्ग होगी। नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर जांच नहीं किया जाएगा।

(३) (क) ब्लोरी सत्याग्रह-प्रान्दोलन रोक दिया जाएगा, ब्लोरी उसके साथ के सब धारणों को रोक दिया जाएगा, ब्लोरी के अन्तर्गत नहीं है जो ब्लोरी के अन्तर्गत है।

सम्पत्तियाँ जस्त की गई हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायगी। (ग) दंडित सत्याग्रहियों से जो जुमाने वसूल किये गये हैं या जो जमानते ली गई हैं, उन सबका रकम लौटा दी जायगी। (घ) वे सब राज-कर्मचारी, जिनमें गाँवों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है अथवा जो आन्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फिर से सरकारी नौकरी करना चाहें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायेंगे।

सूचना—ऊपर जो उप-धारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार असहयोग-काल के दंडित लोगों के लिए भी होगा।

(४) वाइसराय ने अबतक जितने आर्डिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद्द कर दिये जायेंगे।

(च) प्रस्तावित परिपद में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जायेंगे और उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पहले ऊपर बतलाई हुई धारात्मक बातों का सन्तोष-जनक निराधार हो जायगा।

भवदीय—

मो० क० गांधी

मोतीलाल नेहरू

बल्लभभाई पटेल

जयरामदास दीक्षताम

सैयद महमूद

जवाहरलाल नेहरू

कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थों का पत्र

हम लोगों ने १६ अगस्त को विन्टर-रोड (मलाबार-हिल, बम्बई) से इस आशय का पत्र कांग्रेस-नेताओं को भेजा—

प्रिय मित्रगण,

जिन अनेक अवसरों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर बातें की हैं, उन अवसरों पर आप लोगों ने हमारी बातों को जिस मुजता और धैर्य के साथ सुना है, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस बात का दुःख है कि हमने बहुत अधिक समय तक बातों के आपको कष्ट दिया है; और विशेषतः इस बात का हमें और भी अधिक दुःख है कि मोतीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना तक आने का कष्ट उठाना पड़ा है जबकि उनका स्वास्थ्य तना खराब है। हम नियमित-रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करते हैं जो आप लोगों ने हमें दिया था और जिसमें आप लोगों ने वे शर्तें लिखी हैं, जिनके अनुसार आप कांग्रेस से इस बात की अपेक्षा करने के लिए तैयार हैं कि यह सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दे और गोलमेक-परिपद में सम्मिलित हो।

जैसा कि आप लोगों को हम सूचित कर चुके हैं, हमने यह मध्यस्थता का काम इन आशयों के अपने ऊपर लिया था—(१) २० जून १९३० को बम्बई में कांग्रेस के तत्कालीन कार्यरत-समिति में मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब के साथ बातचीत करके उन्हें जो शर्तें बतलाई थीं, कि उनके आचार पर; और विशेषतः (२) २५ जून १९३० को बम्बई में मोतीलाल नेहरू ने मि० स्लोकोम्ब को आने के समय में लिखकर जो शर्तें दी थीं और जिनके सम्बन्ध में उन्होंने (३) स्लोकोम्ब ने) यह प्रश्न किया था कि इनके आचार पर हम लोग निरी और गैर-आवृत्तारी और परस्पर के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं। मि० स्लोकोम्ब ने वे शर्तें लेना हम लोगों के लिए ठीक समझते हैं कि हम लोगों ने वाइसराय से लिखकर यह प्रार्थना की थी कि हम लोगों को वाइसराय की शर्तें कि हम गांधीजी और पंडित मोतीलाल तथा बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से बातचीत करने दें।

चीत करें और यह समझ लें कि किस प्रकार समझौता होना सम्भव है। ऊपर जिस दूसरे पत्र का हमने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिपि आपने हमसे ले ली है। अब हम यह देखते हैं कि १४ ता० को आप लोगों ने जो पत्र हमें दिया है, उसमें ऐसी शर्तें दी हैं जो हम लोगों की पारस्परिक स्वीकृति और निश्चय के अनुसार वाइसराय के पास विचारार्थ भेजी जानी चाहिए; और तब हम लोगों को उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की बातचीत के सम्बन्ध के जितने मुख्य-पत्र और लेख आदि हैं, और जिनमें आप लोगों का वह पत्र भी सम्मिलित है जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जाय। आपकी यह इच्छा हमारे प्लान में है और ब्योंही वाइसराय महोदय आपके पत्र पर विचार कर चुकेंगे त्योंही हम सारा पत्र-सम्बन्ध प्रकाशित कर देंगे।

यह पत्र समाप्त करने से पहले हम यह कहने की आशा भागते हैं कि, जैसा कि हमने आप से कहा था, हमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि ब्योंही सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा त्योंही परिस्थिति बहुत-कुछ सुधर जायगी। आदिवासीक राजनैतिक केंद्री छोड़ दिये जायेंगे, उन आदिने-सों को छोड़ कर जिनका सम्बन्ध चटगांव और लाहौर-पड़मन के मुकदमों से है, बाकी सब आदिने-सब रद्द कर दिये जायेंगे, और गोलमेज-परिषद् में किसी एक राजनैतिक दल के जितने प्रतिनिधि होंगे, उनकी अपेक्षा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होगी। यहां कदाचित् हमें फिर से यह कहने की आवश्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी सम्मति में पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्कोलोम्ब वाली भेंट में जो इष्टिकोण प्रकट किया था और पण्डित मोतीलाल जी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्ब ने जो वक्तव्य हम लोगों के पास भेजा था, उसमें और उस पत्र में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है जो वाइसराय महोदय ने हम लोगों के नाम भेजा है।

भारतीय—

मनुम्वराय जयकर
नेत्रवहादुर सभू

वाइसराय का पत्र

इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र लेकर २१ अगस्त की भी जयकर अकेले टिमला गये और वहां उन्होंने वाइसराय से बातें कीं। २५ ता० की सर तेजबहादुर सभू भी जाकर उनके साथ सम्मिलित हो गये। उस समय २५ और २७ अगस्त के बीच में हम लोगों ने कई बार वाइसराय और उनकी कीर्तिल के कुछ सदस्यों के साथ मिल कर बातें कीं। उनके परिकाम-संरूप वाइसराय ने हम लोगों को यह पत्र लिख कर कांग्रेस के नेताओं को प्रयोग और पूरा में दिखलाने के लिए दिया :—

वाइसराय-मदन, टिमला।
२८ अगस्त, १९३०

पिब सर तेजबहादुर,

कांग्रेस के जो नेता इस समय जेल में हैं, उनके साथ भी जयकर और आपने मिलकर बातें कीं, उनके परिकाम की जो सूचना आपने मुझे दी है, उनके लिए मैं आपकी कब्र-रट रट हूँ। मज ही उन लोगों ने मिलकर १५ तारीख को आप लोगों को जो पत्र भेजा था उसे आप लोगों ने उनको जो उत्तर भेजा था, उसकी जो प्रतिलिपि आपने मुझे भेजी है, उनके लिए मैं भी आपकी

घन्यवाद देता है। मैं आपको और श्री जयकर को बतला देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सर्व जनिक हित और भारत में फिर से शान्ति स्थापित करनेकी दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है, उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। यहाँ मैं आपको उन परिस्थितियों का भी स्मरण करा देना चाहता हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था।

आपने १६ जुलाई वाले पत्र में मैंने आपको यह विश्वास दिलाया था कि मेरी तथा मेरी सरकार की यह हार्दिक इच्छा है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान् सम्राट् की सरकार की भी यही इच्छा है, कि जहाँ तक हो सके हम लोग इस बात का प्रयत्न करें कि भारतवासी जितनी अधिक मात्रा में अपने देश का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकें उतनी अधिक मात्रा में ले लें। हाँ, वे विषय अभी उनके हाथ में नहीं दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वे अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते। जितनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद् इस बात का विचार करेगी कि वे सब विषय कौन-कौन-से हैं और उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौनसी की जा सकती है।

असेम्बली में ६ जुलाईवाले अपने भाषण में मैंने दो बातें भी स्पष्ट कर दी थीं। एक तो यह कि जो लोग परिषद् में जायेंगे, वे बिलकुल स्वतन्त्र रूप से विधान-सम्बन्धी सब विषयों पर, उनका ऊँच नीच देखते हुए, विचार कर सकेंगे, और दूसरी यह कि परिषद् जो-कुछ निर्णय कर सकेगी उसीके आधार पर श्रीमान् सम्राट् की सरकार अपने प्रस्ताव तैयार करके पार्लैमेंट के सामने उपस्थित करेगी।

मैं समझता हूँ और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि आप भी यह मानते होंगे कि आप लोगों ने स्वैच्छा से अपने ऊपर जो काम लिया है, उसमें उस पत्र से कोई सहायता नहीं मिली है जो आप लोगों को कांग्रेस के नेताओं से मिला है। वह पत्र जिस दग से लिखा गया है और उसमें जो-जो बातें हैं, उन दोनों को देखते हुए, और साथ ही साथ उसमें इस बात से जो साफ इन्कार किया गया है कि कांग्रेस की नीति से आर्थिक क्षेत्र में भी तथा और-और क्षेत्रों में भी देश को भारी हानि पहुँची है, उसका ध्यान रखते हुए, मैं नहीं समझता कि उसमें जो सूचनायें उपलब्ध की गई हैं उनपर व्योरेवार विचार करने से कोई लाभ हो सकता है; और मैं शक-रूप से कह देना चाहता हूँ कि उन प्रस्तावों के आधार पर कोई वातचीत करना असम्भव है। मैं आशा करता हूँ कि यदि आप कांग्रेस के नेताओं से फिर मिलेंगे, तो यह बात शक-रूप से उन्हें बतला देंगे।

१६ अगस्त को आपने उन लोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अंतिम अंश के सम्बन्ध में भी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। जब मैंने और आप लोगों ने इस विषय पर विचार किया था, तब मैंने कहा था कि जब मध्य-प्रदेश आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा, तब वर्तमान परिस्थिति के कारण जो आदिनेम्स बनाने गये हैं (उन आदिनेम्सों को छोड़कर जो साहौर और चटगाँव के पड़ोस वाले मुजरमों के लिए बनाने गये हैं), उनही कोरे आचर्यवता न रह जायगी और मैं उन्हें बन्द कर दूँगा। पर मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि मैं इस बात का कोई बचन नहीं दे सकता कि जब मध्य-प्रदेश आन्दोलन बन्द कर दिया जायगा तब प्रांतीय सरकारों के लिए यह संभव होगा कि वे उन सब लोगों को छोड़ दें जो इस आन्दोलन के सम्बन्ध में हिंस्र की छोड़कर और आराधनों में उल्लेख करने लगे हैं। पर हाँ, मैं इस बात का प्रयत्न करूँगा कि इस सम्बन्ध में इन्हीं का अमल किया जाय, और अर्थात्-से अधिक मैं करी बचन दे सकता हूँ कि मैं प्रांतीय-सरकारों से बहुत ही बड़े-बड़े अतिरिक्त के माग-व्यय में उनमें आराम और परिश्रम आदि का विचार करते हुए अतिरिक्त विचार करें।

एक बात यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द हो जायगा और कांग्रेस नेता परिषद् में सम्मिलित होना चाहेंगे, तब उनके कितने प्रतिनिधि उसमें लिये जायेंगे। मुझे राय है कि आपने इस सम्बन्ध में कहा था कि कांग्रेस यह नहीं चाहती कि हमारी ही पूर्ण प्रचान्ता बहुमत रहे; और मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान् सम्राट् की सरकार से यह सिफारिश जै में कोई कठिनाई न होगी कि परिषद् में कांग्रेस के यथेष्ट प्रतिनिधि रहें। मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, तो वह अपने नेताओं की एक ऐसी सूची में पास भेज सकती है जिन्हें वह अपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो, और उस सूची में से मैं उसके प्रतिनिधि चुन लूंगा।

यह उचित जान पड़ता है कि यह सारा पत्र-व्यवहार शीघ्र ही सर्व-साधारण में प्रकाशित कर दिया जाय, जिसमें सब लोगों को यह मालूम हो जाय कि किन परिस्थितियों में आप लोगों को अपने प्रश्न में विकलता हुई है, और जिन परिणामों की आप लोग आशा करते थे, वे क्यों नहीं प्राप्त हुए। इसलिए मैं आपको तथा श्री जयकर को स्पष्ट बतला देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरी तथा मेरी सरकार की क्या स्थिति है (अर्थात् हम लोग अधिक-से-अधिक क्या कर सकते हैं)।

भवदीय—
जॉर्ज

वाइसरॉय की बातचीत

सम्पर्कों ने उसे किस रूप में उपस्थित किया

कांग्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विषयों का उल्लेख था, उनके सम्बन्ध में वाइसरॉय के साथ हम लोगों की जो बातें हुईं थीं, उनके बारे में वाइसरॉय ने हमें यह इजाजत दे दी थी कि हम वे बातें भी कांग्रेस के नेताओं को बतला दें। हम शिमला से २८ अगस्त को चले और ३० तथा ३१ अगस्त को प्रयाग के मैनी-जेल में पं० मीठीलाल नेहरू, पं० जगदलाल नेहरू और डॉ० मरमूद से मिले। हमने उन्हें वाइसरॉय का उक्त पत्र दिखलाया और हम लोगों में जो बातचीत हुई थी उसका परिणाम भी उनके सामने उपस्थित किया। उन लोगों के १५ अगस्त वाले पत्र में जिन कई विचारणीय बातों का उल्लेख था और जिनका उल्लेख वाइसरॉय के २८ अगस्त वाले पत्र में नहीं था, उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने उनसे यह कहा कि वाइसरॉय के साथ हमारी जो बातें हुईं हैं उन्हें देखने हुए हमारा यह विराक्त है कि इन बातों पर समझौता हो सकता है—

(क) शासन-विधान के सम्बन्ध में बड़ी स्थिति रहेगी जिसका उल्लेख उस पत्र में है जो वाइसरॉय ने २८ अगस्त को हम लोगों को भेजा था। इस सम्बन्ध की बातों का उल्लेख उसके दूसरे दौरेपत्र में है, जहाँ इस विषय की चार मुख्य बातें बरी गई हैं।

(ख) एक प्रश्न यह भी है कि मोलमेज-परिषद् में गांधीजी का प्रश्न उठा लकने का नहीं कि भारत जब चाहे तब साम्राज्य में अलग हो सके। इस सम्बन्ध में वाइसरॉय का यह बयान है कि परिषद् सब बातों में बिलकुल स्वतंत्र होगी, और बड़ी बात उन्होंने उन पत्र में लिखी थी जो हम लकने को भेजा था। हमें स्पष्ट बरी प्रत्येक बर्तक को निरव करने विचारण में उतारना बर लकने है। पानु वाइसरॉय का यह विचार है कि इन प्रश्नों पर गांधीजी का यह प्रश्न उठाया बरु ही सम्बन्धी का काम होगा। पानु यह गांधीजी का विचार स्पष्ट-भाषण के सम्बन्धे उतारना बरु, तो वाइसरॉय का यह बयान है कि लकने हम प्रश्नों विचारण में सम्बन्धे के लिए उतरा नहीं है। यह उतरे पर

को भी एक छोटी सी पार्टी का कड़े से।

(क) विवेक के सम्बन्ध में उनका यह मत है कि यदि समाज के किसी वर्ग को का-
र का उभरे सोही को हम विना कारण, अन्ध-धर कारण का बल देने का विचार करना, तो हम
को इस बात का सम्झना करना होगा कि वह सम्भवतः पहले या इसके विरुद्ध काटते हैं-
का लोको। इसके विरुद्ध का सम्झना ही कारण, हर विद्वान्-सम्बन्धी विवेक का उ-
-कार।

(ख) कि कर्मचारी से सम्बन्ध सम्बन्ध के सम्बन्ध विवेक है। का जो कर्मचारी
का विवेक है, उन्हें विवेक में विवेक करने के सम्बन्ध में उनका यह मत है कि वह विवेक
का सम्बन्ध सम्बन्धी की दृष्टि में सम्बन्ध सम्बन्ध है। तो भी यदि उनके सम्बन्ध में ही
ही सम्बन्ध है तो सम्बन्धी न विवेक का विवेक ही होगा जो सम्बन्ध सम्बन्धी ही
ही सम्बन्धी से वह सम्बन्धी की का सम्बन्धी है कि वे उन लोगों को विवेक में उनके सम्बन्ध पर विवेक
देती विवेकी सम्बन्धी में सम्बन्ध सम्बन्धी पर सम्बन्ध होगा सम्बन्धी लोगों से विवेक करके विवेकी
ही सम्बन्धी ही है।

(ग) वे सम्बन्धी के सम्बन्ध को सम्बन्धी सम्बन्ध कर विवेक ही है, उन्हें लोच देने की
विवेकी न ही है।

(घ) सम्बन्ध सम्बन्ध के सम्बन्ध में जो सम्बन्धी ही है या जो सम्बन्धी सम्बन्धी सम्बन्धी है, उन्हें
ही के सम्बन्ध में सम्बन्धी सम्बन्धी विवेक करने की सम्बन्धी सम्बन्धी है। ऐसे सम्बन्धी के सम्बन्धी को
सम्बन्धी सम्बन्धी सम्बन्धी है, सम्बन्धी सम्बन्धी है, वे ही सम्बन्धी सम्बन्धी के सम्बन्ध में सम्बन्धी सम्बन्धी है। सम्बन्धी सम्बन्धी
के सम्बन्ध में ही सम्बन्धी सम्बन्धी है। यह सम्बन्धी में सम्बन्धी सम्बन्धी सम्बन्धी सम्बन्धी है कि सम्बन्धी-

सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रखेंगी; और जहा तक हो सकेगा, कुर्माने लौटाने का प्रयत्न करेंगी।

(क) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकट कर ही चुके हैं जो उन्होंने २८ जुलाई को हमें भेजा था।

गांधीजी के नाम नेहरूओं का आखिरी सूचना-पत्र

पं० मोतीलाल नेहरू, प० जवाहरलाल नेहरू और डा० महमूद को पहली दोनों मुलाकातों में हमने यह स्पष्ट बतला दिया था कि यद्यपि समय बहुत कम है, तो भी ऊपर बतलाये हुये ढंग से आगे समझौते की और बातचीत हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आचार पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक सूचनापत्र लिखकर दिया, जो इस प्रकार है —

श्री श्री सेक्टर क्लक

३१-८-३०

“कल और आज फिर भीयुत जयकर तथा डॉ० सप्रू के साथ हम लोगों की मेट हुई और बहुत देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है जो लॉर्ड अर्बिन ने उन्हें २३ अगस्त को दिया था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि लॉर्ड अर्बिन उन शर्तों पर समझौते की बात करना असम्भव समझते हैं जो शर्तें हम सब लोगों ने अपने १५ अगस्तवाले उस पत्र में लिखी थीं जो सर तेजबहादुर सप्रू और भीयुत जयकर के नाम लिखा था; और ऐसी स्थिति में लॉर्ड अर्बिन का यह कहना ठीक है कि सर सप्रू और भीयुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम सब लोगों ने यह पत्र सब बातों का बहुत अच्छी तरह विचार करके लिखा था, और हम अपनी ब्याक्तिगत स्थिति को देखते हुए जहाँ तक दब सकते थे, वहाँ तक दबे थे। उस पत्र में हमने यह बतला दिया था कि जब तक कई परम आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की जायेंगी और उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार सन्तोषजनक घोषणा न कर देगी, तब तक कोई निश्चय मान्य नहीं होगा। यदि ऐसी घोषणा कर दी जाती तो हम कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश कर सकते थे कि उस दशा में सत्याग्रह-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार उसके साथ ही वे कई काम करे जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन प्राथमिक बातों का सन्तोषजनक निर्व्याज हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकता था कि लन्दनवाली प्रस्तावित परिष्कृत कौन-कौन से लोग सम्मिलित होंगे और उसमें कांग्रेसके कितने और कैसे प्रतिनिधि होंगे। अपने पत्रमें लॉर्ड अर्बिन यहाँ तक कहते हैं कि इन प्रस्तावों के आचार पर समझौते की बातचीत करना ही असम्भव है। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों में न तो समझौता होने की कोई गुंजाहट है और न हो सकती है।

वाइसराय ने अपने पत्र में जो बातें लिखी हैं और जिस ढंग से लिखी हैं, उसे छोड़कर यदि देखा जाय तो भी इधर हाल में भारत में ब्रिटिश-सरकार ने जो कुछ कार्य किये हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि सरकार शान्ति स्थापित करना नहीं चाहती। क्योंकि इस बात की सूचना प्रकाशित की गई कि दिल्ली में कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक होगी, स्वदेशी मूल्य सरकार ने उन्हे गैर-कानूनी घोषित कर दिया और उसके उपरान्त उसके अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इस बट्टा का फल सही रूप से हो सकता है कि वह शान्ति नहीं चाहती। इन बातों और दूसरी गिरफ्तारियों के लिए, हमारा मत है कि हमें सरकार की नीति का पूर्ण विरोध करना चाहिए।

करते हैं। परन्तु हम लोग यह बतला देना उचित और न्यायपूर्ण समझते हैं कि एक और तो स्थापित करने की इच्छा रखना और दूसरी और स्वयं उस संस्था पर आक्रमण करना जो शान्ति कर सक्ती है और जिसके साथ सरकार बातचीत करना चाहती है, इन दोनों बातों का ठीक मेल बैठता। प्रायः सारे भारत में कार्य-समिति गैर कानूनी टहरा दी गई है और उसके अधिवेशन रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका आवश्यक रूप से यही अर्थ होता है कि चाहे कुछ क्यों न हो, यह राष्ट्रीय युद्ध बराबर जारी रहना चाहिये और सब शान्ति की कोई सम्भावना न आयगी; क्योंकि जो लोग भारतवासियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वे सारे भारत में श्रमजीवियों में भर और फैल जायेंगे।

लॉर्ड अर्थिन ने जो पत्र भेजा है और ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ काम किया है, उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि डा० सप्रू और श्रीयुत जयकर का यह प्रयत्न व्यर्थ है। वास्तव में जो हमें दिया गया है और जो कैफियतें हमें दे दी गई हैं, उनसे तो कुछ बातों में हम लोग उस दि से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले महसूस की गई थी। हमारी स्थिति या बातों और लॉर्ड अ की स्थिति या बातों में जो बहुत बड़ा अन्तर है, उसे देखते हुए कदाचित् व्योरे की बातों पर वि करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती; तो भी हम लोग आपको इस पत्र की कुछ विशेष बतला देना चाहते हैं। पत्र के आरम्भ में प्रायः यही बातें कही गई हैं जो असेम्बली वाले भाष्य कही गई थीं, अथवा जो १६ जुलाई वाले उस पत्र में कही गई थीं जो वाइसरॉय ने श्रीयुत जय और डा० सप्रू के नाम भेजा था। जैसा कि हम सब लोगों ने अपने सम्मिलित पत्र में बतलाया। यह वास्तविक इतनी अधिक अभिभूत है कि हम लोग उसका ठीक-ठीक मूल्य निश्चित ही नहीं सकते। उसका सब कुछ मतलब निकाला जा सकता है और कुछ भी मतलब नहीं निकाला सकता। अपने सम्मिलित पत्र में हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस समय यह बात मानी जा चाहिये कि भारत तुरन्त ही कम-से-कम यह अवश्य चाहता है कि यहाँ एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र-प्रणाली स्थापित हो जो यहाँ के निवासियों के सामने उत्तरदायी हो और उस सरकार को देश की सेना और आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। उस दशा में इसके लिए किसी तरह की देर करने अथवा कुछ विशेष अधिकारों को सरकार द्वारा अपने हाथ में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है, अंग्रेज-सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में अधिकार आने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होगी; और उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने बतला दिया था कि उनका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों-द्वारा होगा।

इसके सिवा एक बात यह भी थी कि भारत को यह अधिकार होगा कि वह जब चाहे वह ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जायगा; और दूसरी बात यह थी कि उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि आर्थिक विषयों में अंग्रेज अपना जो हक या पावना बतलाते हैं और उन्हें जो-कुछ विधि अधिकार प्राप्त हैं, उनकी जांच एक स्वतंत्र पंचायत के द्वारा होगी। इन दोनों बातों के सम्बन्ध में हमसे केवल यही कहा जाता है कि परिषद् विलकुल स्वतन्त्र होगी और यहाँ सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न उठा सकते हैं। यह तो विलकुल यही बात है, जो पहले के वक्तव्य में कही जा चुकी थी। इसमें वाइसरॉय ने कोई नई बात नहीं कही है। इसके सिवा हम लोगों से यह भी कहा गया है कि यदि इस बात की सम्भावना होगी कि पहला प्रश्न (भारत का ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग होने के सम्बन्ध में) उठाया जायगा, तो लॉर्ड अर्थिन यह कहेंगे कि वे इन प्रश्न को खुले प्रश्न के रूप में मानने और उसपर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सम्बन्ध में वे जो कुछ कर सकते हैं,

वह यही है कि वे भारत-मंत्री को यह सूचित कर देंगे कि हम लोगों का परिपक्व में यह प्रश्न उपरिष्ठ करने का विचार है। ऊपर बतलाये हुए दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम लोगों से यह कहा गया है कि लार्ड अर्बिन केवल यही मान सकते हैं कि कुछ विशिष्ट आर्थिक लेन-देनों की ही जाच कराई जा सकती है; यदि हरेक लेन-देन के सम्बन्ध में अलग-अलग जाच की जाय, तो उनके क्षेत्र का विस्तार, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अंग्रेजों के सभी इकों और प्राप्तिय रकमोंके सम्बन्ध में होगा, जिसमें वह प्रष्टया भी होगा जो भारतका "सार्धजनिक ऋण" कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं और हमारी समझ में इन बातोंके सम्बन्ध में पहले ही समझौता हो जाना बहुत आवश्यक है।

लार्ड अर्बिन ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह बहुत ही परिमिश और असन्तोषजनक है। वह तो यह भी वचन नहीं दे सकते कि अहिंसात्मक सत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध के जितने कैदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जायेंगे। वह जो कुछ करना चाहते हैं, वह यही है कि वह ये सब बातें प्रान्तीय सरकारों के हाथों में छोड़ देंगे। इस विषय में हम प्रान्तीय सरकारों या स्थानिक कर्मचारियों की उदारता और सहानुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लार्ड अर्बिन के पत्र में अहिंसात्मक कैदियों के सम्बन्ध में इसके सिवा और कोई उल्लेख ही नहीं है। देशके बहुत से काम करनेवाले तथा और दूसरे ऐसे आदिमी हैं जो सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ होने से पहले ही राजनैतिक अपराधों के लिए जेल भेजे गये थे। हम लोग इस सम्बन्ध में मेरठ के मुकदमेवाले कैदियों का भी जिक्र कर देना चाहते हैं, जो बड़े वर्ग से अभी तक हवालत में पड़े सड़ रहे हैं और जिनके मुकदमे का अभी तक फैसला ही नहीं हुआ है। पहले हम सब लोगों ने मिलकर जो पत्र लिखा था, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थी कि ये सब लोग भी छोड़ दिये जाने चाहियें।

बंगाल और लाहौर के मुकदमों के सम्बन्ध में जो आर्डिनेन्स हैं, उन्हें लार्ड अर्बिन अलग और अपवाद-स्वरूप रखना चाहते हैं। परन्तु हम लोग इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। जो हिंसा के अपराध में जेल भेजे गये हैं, उन्हें जो हम लोग नहीं छुड़ाना चाहते, उसका कारण यह नहीं है कि हम उनका जेल से छुटाना पसन्द नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारा आन्दोलन पूर्णरूप से अहिंसात्मक है और हम उनका प्रश्न उठाकर गड़बड़ी नहीं पैदा करना चाहते। परन्तु उनके सम्बन्ध में हम लोग कम-से-कम यही कर सकते हैं कि इस बात के लिए जोर लगावें कि हमारे इन देश-भाइयों के मुकदमों की सुनवाई साधारण रूप से हो, किसी आर्डिनेन्स के द्वारा बनाये हुए ऐसे असाधारण न्यायालय में न हो जिनमें अपराधी को अपील करने का भी अधिकार न रह जाय और साधारण कैदियों को जो सुभीते होते हैं, वे सुभीते भी उसे न हों। जिन्हें सरकार मुकदमे की सुनवाई करवाती है, उनमें भी अनेक परम आश्चर्यजनक घटनायें हुई हैं। यदातक कि खुली अदालत में अभियुक्तों पर पारार्थिक आक्रमण हुए हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि ऐसे मुकदमे साधारण रूप से सुने जाय। जहातक हम जानते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के विरोध में कुछ अभियुक्तों ने दीर्घ काल तक अनशन किया है और इस समय वे मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। हम समझते हैं कि बंगाल-आर्डिनेन्स के स्थान पर अब बंगाल-कौन्सिल का एक कानून बन गया है। इस आर्डिनेन्स को तथा इसके आधार पर बनेवाले किसी कानून को हम लोग बहुत अपमानजनक समझते हैं; और इस बात से उसमें कोई उलमता नहीं आ जाती कि बंगाल की वर्तमान कौन्सिल सरीसरी एक अ-प्रातिनिधिक संस्था ने उसे बनाया है।

विलापकी कपड़े और शराब आदि की दूकानों की रिजेंटिंग के सम्बन्ध में हम लोगों से यह कहा गया है कि रिजेंटिंग-सम्बन्धी आर्डिनेन्स को तो लार्ड अर्बिन वापस लेने के लिए तैयार हैं, पर

वह यह कहते हैं कि यदि वह आवश्यक समझेंगे तो पिकेटिंग को रोकने के लिए और कुछ कार्रवाई करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार मानों वह हमें यह सूचित करते हैं वह जब आवश्यक समझेंगे, तब फिर आर्डिनेन्स जारी कर सकेंगे अथवा इसी प्रकार की और कार्रवाई कर सकेंगे।

नमक-कानून तथा कुछ और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख हम लोगों ने सम्मिलित पत्र में किया था, जो उत्तर मिला है, वह भी बिल्कुल असन्तोषजनक है। सब लोग यह हैं कि नमक के सम्बन्ध में आप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं; इसलिए इस सम्बन्ध में हम लोग कुछ प्रतिपत्ति करने की आवश्यकता नहीं समझते। यहाँ हम केवल यही कहना चाहते हैं कि इन सब बातों के सम्बन्ध में हम लोगों का पहले जो कुछ कथन था, उसमें कुछ परिवर्तन करने की हम लोग कोई आवश्यकता नहीं समझते।

इस प्रकार हम लोगों ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये थे, उनसे लॉर्ड आर्चिब शर्मा नहीं हो रहे हैं; और न उन छोटे प्रस्तावों को ही यह मानते हैं, जिनका हम लोगों ने अपने सम्मिलित पत्र उल्लेख किया था। उनके और हम लोगों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अन्तर है और याहवा में तो या सिद्धान्त का अन्तर है। हम लोग आशा करते हैं कि आप यह सूचना-पत्र भीमती सरोजिनी नयाप सरदार बल्लभभाई पटेल और भीयत जयरामदास दीलतरामको दिलला देंगे और उन लोगों से परामर्श करके भीयत जयराम और सर तेजबहादुर सप्पू को अपना उत्तर दे देंगे।

हम लोग यह भी समझते हैं कि इस पत्र-व्यवहार का प्रकाशन अब अधिक समय तक न रोक्ना चाहिए और अब जनता को अन्यकार में रखना ठीक नहीं है। इसके प्रकाशन के प्रयत्न से सिवा हम लोग सर तेजबहादुर सप्पू और भीयत जयराम से यह भी अनुरोध करते हैं कि इन सम्बन्ध में जितना पत्र-व्यवहार हुआ है और दूसरे जो कागज-पत्रादि हैं, वे सब कपिल के त्यागान्न-समाप्त होशरी स्वस्तीकृतजमा साहब के पास भेज दें। हम लोग यह समझते हैं कि इस समय जो कार्य-समिति काम कर रही है, उसे दुरन्त सूचना दिये बिना हम लोगों को कोई काम नहीं करना चाहिए।

मोतीबाबू

सैबर महमूद

जवाहरलाल

नेताओं का सम्मिलित उत्तर

इसके अनुसार १, ४ और ५ सितम्बर को हम लोगों ने पूना के दरवाहा-खेत में महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ मीट की, उन्हें उक्त पत्र दिया और शर्मा प्ररनी पर उनके साथ मिलकर विचार और वाद-विवाद किया। इन बातचीत के अन्त में उन लोगों ने हमें जो पत्र लिखा, वह यहाँ दिया गया है—

पत्रिका दैनिक केवल

४-२-१०

निम्न लिखित—

मैंने २८-१०-१० को आप लोगों की जो पत्र लिखा था, उसे हम लोगों ने पत्र दूरक पर है। उन पत्र की बातों के सम्बन्ध में जवाहरलाल ने आप लोगों की जो बातें कही हैं, उन्हें जो जवाब दूँ वह उस पत्र के सम्बन्ध में लिखित कर दिया है। हम लोगों ने अपने पत्र में जो बातें लिखी हैं, उनमें जवाहरलाल ने लिखा है, ४-२-१० महमूद और

पं० जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं और जो उन लोगों ने आपके द्वारा भेजी हैं। उक्त पत्र तथा बातचीत पर उस सूचना-पत्र में उनकी विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित है। इन पत्रों पर हम लोगों ने बराबर दो रातों तक विचार किया है और इन कागजों के सम्बन्ध में जितनी विचारणीय बातें हैं उन सबपर आपके साथ पूरा और स्वतन्त्र विचार भी हो चुका है। और जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था, हम निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के बीच हमें मेल की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। हमारा इस समय बाहरी सत्ता के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिए कांग्रेस की ओर से हम लोग अधिक-से-अधिक जो-कुछ कह सकते हैं, वह यही है।

मैनी सेन्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने सूचना-पत्र में जो सम्मति भेजी है, उससे हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं, परन्तु हमारे उन मित्रों की इच्छा है कि इधर दो महीनों से आप लोग देश-हित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ ध्यय करके और बहुत-सी कठिनाइयाँ उठा कर शांति स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह बतला दें कि हम लोगों की स्थिति और वक्तव्य क्या है। इसलिए जहां तक सत्ते में हो सकता है, हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि शांति स्थापित होने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइयाँ हैं।

वाइसराय का १६-७-३० वाला जो पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि उसमें उन शर्तों को पूरा करने का विचार किया गया है जो पण्डित मोतीलाल ने गत २० जून को मि० स्लोकोम्ब को बतलाई थीं और २५ जून को अपनी स्वीकृति से उन्होंने मि० स्लोकोम्ब को अपना जो वक्तव्य दिया था, उसमें जो शर्तें कहीं गई थीं। परन्तु वाइसराय के, १६ जुलाई वाले पत्र की भाषा में हमें कोई ऐसी बात नहीं दिखलाई पड़ती जिससे यह समझ जाय कि पं० मोतीलालजी के उक्त वार्तालाप या वक्तव्य में बतलाई हुई शर्तें पूरी होती हैं। उक्त वार्तालाप और वक्तव्य में जो मूल्य और काम के अर्थ हैं, वे इस प्रकार हैं—

वार्तालाप में—“यदि यह निश्चय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-परिषद् में किन-किन बातों पर विचार किया जायगा और हम लोगों से यह आशा की जायगी कि हम लोग खन्दन में जाकर बहम करके लोगों को इस विषय का सन्तोष करायेंगे कि हमें औपनिवेशिक स्वराज्य चाहिए, तो मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। परन्तु यदि यह बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों तथा अंग्रेजों के साथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारदर्शिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन बातों को बचाने की आवश्यकता होगी, उन्हें छोड़कर बाकी और बाह्य में परिषद् के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायगा कि स्वतन्त्र भारत का विधान किस प्रकार बनाया जाय, तो कम-से-कम मैं कांग्रेस से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह परिषद् में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकृत करले। हम लोग अपने घर के घायल मालिक बनना चाहते हैं; परन्तु हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जितने समय में अंग्रेजों के हाथ से निकालकर एक उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ में भारत का शासन-अधिकार आयेगा, उतने समय तक के लिए कुछ शांति शर्तें हो जाय। इन शर्तों पर अंग्रेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उन्हीं प्रकार मिल सकते हैं, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बातचीत करता है।”

वक्तव्य में—“सरकार निजी रूप से इस बात का बचन देने के लिए तैयार हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के साथ पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए भारत में जैसी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा और

अधिकार हस्तान्तरित होने तक के समय के लिए जो शर्तें तय हो जायेंगी, और जिनका निर्णय गोलमेज-परिषद् में हो जायगा, उन बातों को छोड़कर भारत की पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली की माँग का वह समर्थन करेगी।

इस सम्बन्ध में वाइसराय के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, वह इस प्रकार है—

“मेरी और मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, और मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान् सैदाह की सरकार की भी यही कामना है कि जहाँ तक हो, हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। भारतवासी किन-किन विषयों में अभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए, इसपर परिषद् में विचार होगा। परन्तु मेरा कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रखा जाय तो सम्झौता करना असम्भव होगा।”

हम लोग समझते हैं कि इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अन्तर है। प० मोतीलालजी को भारत को एक ऐसे स्वतन्त्र रूप में देखना चाहते हैं जिसमें प्रस्तावित गोलमेज-परिषद् के विचारों के परिणाम-स्वरूप उसकी स्थिति वर्तमान स्थिति से विलकुल बदल जाय (नर एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जाय), पर वाइसराय अपने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, हमारी सरकार की और ब्रिटिश साम्राज्य की यह हार्दिक कामना है कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी और बातों में वे अपने देश के और कामों का जितना अधिक प्रबन्ध स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय। दूसरे शब्दों में वाइसराय के पत्र में केवल यही आशा दिलाई जाती है कि हमें उसी दंग के कुछ और मुद्दा मिल जायेंगे जिस दंग के मुद्दों का आरम्भ लेन्सटाउन-मुद्दों से हुआ था। हम लोग यह समझते हैं कि इसका अर्थ है जो यह श्राय लगाया है, यही ठीक है; इसलिए अपने १५-८-२० वाले पत्र में, जिनमें प० मोतीलाल नेहरू, डॉ० वेंकट महामुद और प० जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किये हैं, हम लोगों ने अपना कथन नरकात्मक रक्ता था और कहा था कि हमारा सम्झौते में कोई सन्देह नहीं है। अब आप लोग वाइसराय का जो पत्र लाये हैं, उसमें भी यही वही पत्र काली काट दुराचार है; और इसे दुःखपूर्वक कहना पड़ता है कि हमारे पत्र का अन्वय इसके उनके सम्बन्ध में यह अभ्य किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं है; और हम लोगों ने उसमें जो प्रस्ताव किये थे, उनके आधार पर बातचीत चलाना असम्भव है। आप लोगों ने यह कहकर इस विषय पर और भी प्रकाश डाल दिया है कि यदि भारतीयों भारत-सरकार के मामलों में निर्णय करने से हम सरकार को कोई प्रश्न उत्पन्न करेंगे (सर्वांगी भारत का चाहे ठीक वा-प्रमाण में प्रयत्न हो सकता है), तो वाइसराय यही कहेंगे कि यह प्रश्न-विकासार्थ उठाने नहीं सकता। इसके विपरीत हम लोग यह समझते हैं कि भारत में चाहे जिस प्रकार की स्वतन्त्र शासन-प्रणाली स्थापित हो, परन्तु वह सब दशा में ही प्राप्त करने के लिए हमें एक सम्बन्ध में किसी बहाने-मुद्दों को आधार-बहाना ही नहीं होने चाहिए। भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली का पूर्ण-स्वायत्त अर्थ में प्रकाश ही हो। कोई-किसी-प्रकार की शर्तें होने की हो, तो उनका आधार-मुद्द-बहाना ही होना चाहिए। यदि हम इस बात का अर्थ-प्रकार जान लें तो यह स्पष्ट है कि वह सब चाहे ठीक-प्रमाण की विधि-प्रणाली का अर्थ

हो सकता है। यदि भारत को साम्राज्य का अंग बनाकर न रचना हो, बल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह का एक बराबरी का और स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संगति तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समझे, और उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार होना चाहिए कि यह उसमें मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे। इसके सिवा और किसी देश में यह बात नहीं हो सकती। आप लोग देखेंगे कि जिस वार्तालाप का हम लोगों ने अभी उल्लेख किया है, उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है। इसलिए जब तक ब्रिटिश-सरकार या ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना अतन्भव है या ऐसी स्थिति नहीं चल सकती, तब तक हम लोगों की सम्मति में कांग्रेस को स्वतन्त्रता का युद्ध बराबर जारी रखना चाहिए।

नमक-कर के सम्बन्ध में हम लोगों का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव था, उसके विषय में वाइसराय का जो रुख है, उससे सरकार के मनोभावों का एक बहुत ही दुःखद स्वरूप प्रकट होता है। हम लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती है कि शिमला की ऊँचाई पर से भारत के शासक यह समझने में असमर्थ हैं कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिन लाखों-करोड़ों आदिमियों के परिभ्रम से सरकार का इतनी ऊँचाई पर जाकर रहना सम्भव होता है, उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ क्या हैं। नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीब आदिमियों के लिए आयु और जल को छोड़कर बाकी और चीजों में बढकर महत्व की है। उस नमक पर सरकार ने अपना जो एकाधिकार कर रक्खा है, उसके विरुद्ध मत पात्र महीनों में निदोष आदिमियों ने अपना जो स्तन बहाया है, उससे यदि सरकार की समझ में यह बात नहीं आई कि इसमें उसकी कितनी प्रतीति है, तो फिर वाइसराय की बतलाई हुई भारतीय नेताओं की कोई परिपक्व कुञ्जु मी नहीं कर सकती। वाइसराय ने यह भी कहा है कि जो लोग यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा विधान भी बतलाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आय बढ़ जाय जितनी उसे नमक से होती है। यह कह कर उन्होंने मानों हानि पहुँचाने के उपरान्त ऊपर से देश का अपमान भी किया है। उनके इस रुख से यही सूचित होता है कि यदि सरकार का यश चलेगा, तो वह भारत में अनन्त काल तक अपनी वह परम गव्य साध्य शासन-प्रणाली प्रचलित रखेगी जिससे भारत अब तक बराबर कुचला जाता रहा है। हम लोग यह भी बतला देना चाहते हैं कि केवल यही ही सरकार नहीं, बल्कि अमल संसार की सरकारें जनता-द्वारा उन कानूनों के भंग किये जाने को खुले-आम उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं, जिन कानूनों को जनता अच्छा नहीं समझती परन्तु जो कानून हेर-पेर के कारण अपना और कारणों से दुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते।

इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महत्व की बातें हैं जिनके सम्बन्ध में हमने जनता के विचार और मार्गों उपरिष्ठ की थी, पर उनके सम्बन्ध में भी वाइसराय कुछ भी अपसर नहीं हुए हैं। परन्तु यद्यपि हम उन बातों पर विचार नहीं करना चाहते। हम लोग आशा करते हैं कि हमने ऐसी महत्वपूर्ण विषयों पर बतला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय ब्रिटिश-सरकार और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा अन्तर है, जो जल्दी दूर नहीं किया जा सकता। तो भी शान्ति के उद्योग में हम समय जो निरालता होती हुई दिखाई देती है, उसके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इस समय स्वतन्त्रता के लिए विद्वट युद्ध में लगी हुई है। इसमें राष्ट्र ने जो अरथ ग्रहण किया है, हमारे शासक उसके अभ्यन्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें उस अरथ का भाव और महत्व समझने में बिलम्ब होगा। इधर कई महीनों में भारतवासियों ने जो विपत्तियाँ सही हैं, उनसे यदि शासकों के मन का

काम्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

ही बदला है, वो इससे हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। किसी ने उचित स्वरूप इस देश में स्थापित किये हों अथवा जो अधिकार प्राप्त किये हों, उनमें से एक को हानि नहीं पहुंचाना चाहती। कांग्रेस के साथ उसका कोई झगडा नहीं है। परन्तु देश-जाति का जो अस्वभाव प्रमुख है, उसका वह अपने पूर्ण नैतिक बल से विरोध करती है अपना अस्वभाव प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी। हम लोगों का अस्वभाविक रहना निश्चित है, इसलिए यह भी निश्चित ही है कि राष्ट्र की कामनायें भी शीघ्र ही यद्यपि अधिकारी लोग अत्याग्रह-आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत ही कटु और प्रायः अयोग्यता का व्यवहार करते हैं, वो भी हमारा यही कथन है।

अन्त में हम लोग फिर एक बार आप लोगों को उस कष्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप स्थापित करने के लिए उठाया है, परन्तु हम यह सूचित कर देना चाहते हैं कि अभी के समय नहीं आया है जब कि समझौते की बातचीत और आगे चल सके। काम्रेस-संगठन अधिकारी और कार्यकर्ता इस समय जेलों में बन्द हैं, इसलिए स्पष्टतः हम लोग नहीं। हम लोग दूसरों से सुनी हुई बातों के आधार पर ही सब माँगें उपस्थित करते रहे हैं कि न्याय बतलाते रहे हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोष या गूटियाँ हों। इसलिए हमें जेलन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावतः हम लोगों में से किसी के साथ नहीं रहेगी। उस दशा में, और जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए उतरी होगी, उन्हें हम लोगों के पास तक पहुंचाने में कोई कठिनाई न होगी।

मो० क० गांधी, सरोजिनी नायडू, बल्लभभाई पटेल, जयरामदास दीक्षितराम। समझौते के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य बातें और पत्र आदि हैं, वे सब सर्व-साधारण के लिए प्रकाशित करके ही हम लोग इसका अन्त करते हैं, और मध्यस्थों के जो कर्तव्य होंगे पूर्ण-रूप से पालन करते हुए हम लोग इस यत्न के सम्बन्ध में स्वयं अपना कोई मत नहीं रखेंगे, और न ऊपर दी हुई बातों अथवा पत्रों आदि पर अपनी ओर से कोई टीका-टिप्पणी देंगे, इतना हम अवश्य बतला देना चाहते हैं कि ऊपर दिये हुए पत्रों आदि को प्रकाशित सम्बन्ध में हम लोगों ने वादसपाय और कांग्रेस के नेताओं की स्वीकृति ले ली है।

.६

साम्प्रदायिक 'निर्णय'

साम्प्रदायिक निर्णय का सम्राट् की सरकार ने जो ऐलान किया था वह, अशुद्ध रूप में, नीचे प्रकाशित है :-

सम्राट्-सरकार की ओर से, गोलमेज परिषद् के दूसरे अधिवेशन के अन्त में, १ दिसम्बर १९३१ को घोषणा की थी, और जिसकी तारीख उसके बाद ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में प्रेषित की थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारतवर्ष में रहनेवाली विविध जाति-धर्म-प्रयोगों पर किसी ऐसे समझौते पर न पहुंच सकी जो सब दलों को मान्य हो, जिसे कि हमें पूर्ण-रूप से अस्वीकार्य नहीं है, वो सम्राट्-सरकार का यह हृदय-निश्चय है कि इस सन्दर्भ से भारतवर्ष में प्रयत्न नहीं करनी चाहिए और इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं एक आरम्भ करके उसे लागू करेगी।

२. गत १६ मार्च को, यह स्पष्टता मिलने पर कि किसी सम्झौते पर पहुंचने में विविध जातियां लगातार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विधान बनने की योजना आगे नहीं बढ़ सकती, सम्राट-सरकार ने कहा था कि इस सम्बन्ध में उठनेवाली कठिनाइयों और विवादास्पद बातों पर वह फिर से सावधानी के साथ विचार करेगी। अब उसे इस बात का यकीन हो गया है कि जबतक नये शासन-विधान के अन्तर्गत अल्प-संख्यक जातियों की रियलि-सम्बन्धी समस्याओं के कम-से-कम कुछ परस्परों का निर्णय न हो जायगा तबतक विधान बनाने की दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती।

३. इसलिए सम्राट-सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय शासन-विधान-सम्बन्धी प्रस्तावों में, जोकि मयासमय पार्लियमेंट के सामने पेश किये जायेंगे, वह ऐसी धारारें रखेगी, जिससे नीचे लिखी योजना पर अमल हो सके। इस योजना का कार्य-क्षेत्र जान-बूझकर प्रांतीय कौंसिलों में ब्रिटिश-भारत की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व तक ही सीमित रक्ता गया है, केन्द्रीय धारा-सभा में प्रतिनिधित्व का विचार किलहाल नीचे दिये हुए २० वें पैराग्राफ में उल्लिखित कारणों से नहीं किया गया है। लेकिन योजना के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय इस बात को महसूस न कर सकना नहीं है, कि विधान बनाने में ऐसी अनेक अन्य समस्याओं का भी निर्णय करना होगा जिनका अल्प-संख्यक जातियों के हक में बड़ा महत्व है, बल्कि इस आशा से यह निश्चय किया गया है कि प्रतिनिधित्व के तरीके और अनुपात के मूल प्रश्न पर जब एकबार घोषणा कर दी गई तो फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक प्रश्नों पर, कि जिनके बारे में अभी आवश्यक विचार नहीं किया जा सका है, सम्भवतः जातियां स्वयं ही कोई मार्ग ढूँढ़ निकालेंगी।

४. सम्राट सरकार चाहती है कि इस बात को विलकुल स्पष्ट-रूप से समझ लिया जाय कि इस निर्णय में रद्दोबदल करने के लिए जो भी कोई बातचीत होगी उसमें वह भाग नहीं लेगी और न इसमें संशोधन कराने के ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार करने की ही वह तैयार होगी, जो इससे सम्बन्धित सभी दलों-द्वारा समर्थित न हो। लेकिन सम्भाव्य से अगर कोई सर्व-सम्मत सम्झौता हो जाय, तो वह उसके लिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहती। इसलिए, नया भारत-शासन-विधान कानून बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सन्तोष हो जाय कि इससे सम्बन्धित जातियां किसी दूसरी व्यावहारिक योजना पर, किसी एक या अधिक प्रांतों या समस्त ब्रिटिश भारत के लिए, परस्पर एक-मत हैं, तो वह पार्लियमेंट से इस बात की सिफारिश करने की तैयार रहेगी कि प्रस्तुत योजना की जगह उस योजना को रख दिया जाय।

५. गवर्नर वाले प्रांतों की कौंसिलों या सोशर हाउस में, बशर्ते कि वहां अगर चेम्बर हो, सदस्यों के स्थान नीचे २४वें पैराग्राफ में बतलाये हुए दिशा के अनुसार रहेंगे।

६. मुसलमान, यूरोपियन और सिक्ख सदस्यों का चुनाव प्रत्येक साम्प्रदायिक निर्वाचनों के द्वारा होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें सास-सास सूतों में 'पिट्ठा हुआ' होने के कारण निर्वाचन-क्षेत्र से बाहर रक्ता जाय) समान प्रांत में अलग रखने की व्यवस्था की जायगी।

प्रत्येक निर्वाचन

इस बात की स्पष्ट विधान में गुंजाइश रखी जायगी कि जिससे दस वर्ष बाद निर्वाचन व्यवस्था का (और ऐसी ही दूसरी व्यवस्थाओं का, जो नीचे दी हुई हैं) इससे सम्बन्धित जातियों की स्वीकृति से, जिसे जानने के लिए उपयुक्त तरीके सोचे जायेंगे, पुनरावलोकन कर लिया जायगा।

७. वे सब व्यवस्थाएँ प्रस्तावित, जो किसी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई (पैराग्राफ १० देखिए)

एंग्लो-इण्डियन (पैगमाक ११ देखिए) का प्रयोग निर्वाचन-क्षेत्र के माध्यम नहीं है, घाम निर्वाचन क्षेत्र में मत दे लेंगे।

८. बावर् में कुछ चुने हुए बहुसंख्यक मतदाता के घाम निर्वाचन-क्षेत्रों में उम्मीद मतदाता के लिए प्राप्ति रहे।

दलित-जातियों

९. 'दलित-जातियों' में मत देने का अधिकार होगा, वे घाम निर्वाचन-क्षेत्र में मत देंगे। इन बात को मद्देनजर रखते हुए कि अर्द्धे इन उपाय में इन जातियों के लिए किसी कौशल में घामना काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त करना विनयास बहुत समय तक सम्भव नहीं है, उनके लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहेंगे, जैसा कि २४वें पैगमाक में बताया है। इन जगहों का चुनाव विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा, जिनमें दलित-जातियों के लोग मत देने जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे जगह निर्वाचन-क्षेत्र में मत देनेवाला कोई भी व्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, किसी घाम निर्वाचन-क्षेत्र में भी मत दे लेंगे। ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र उन जगह-जगह हलाकों में बनने की मंजूर है जहाँ दलित-जातियों की काफी घामना है; और मद्रास अहाते के अलावा और वही ऐसा न होना चाहिए कि प्रान्त का साथ हलाका उन्हींमें फिर जाय।

बंगाल में, ऐसा मालूम पड़ता है कि, कुछ घाम निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश मतदाता दलितजातियों के व्यक्ति होंगे। इसलिए, जबतक इस बारे में और अधिक पूछ-ताछ न हो जाय, तबतक, इस प्रान्त में दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जानेवाले सदस्यों की संख्या अभी उचित नहीं की गई है। सरकार चाहती यह है; कि बंगाल-कींसिल में दलित-जातियों के कम-से-कम १० सदस्य हो पड़ें ही जायें।

जो लोग (अगर उन्हें मत देने का अधिकार है) दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों में मत दे सकेंगे उनका इतक प्रान्त में क्या व्यवस्था की जायगी, यह अभी अन्तिम रूप से तब नहीं प्रा है। सामान्यतः इसका आधार वे साधारण सिद्धान्त होंगे, जिनका कि मन्त्रालय-समिति की रिपोर्ट में प्रतिपादन किया गया है। मगर उत्तर-भारत के कुछ प्रान्तों में, जहाँ अल्पसंख्यक की घाम गौरी को लागू करना सम्भवतः कुछ बातों में वहाँ कि विशेष परिस्थिति के अनुपयुक्त होगा, इस तथ्य में थोड़ा रद्दीबदल करना आवश्यक होगा।

साम्राट-सरकार का खयाल है कि दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों की आवश्यकता सीमित समय के लिए ही होगी। इसलिए विधान में यह ऐसी बात रखना चाहती है कि बीस वर्ष के अतिरिक्त में, अगर उल्लेख पहले ही छठे पैगमाक में उल्लिखित निर्वाचन का संशोधन करने के अधिकार के द्वारा यह रद्द न हो गया होगा तो, ये नहीं रहेंगे।

भारतीय ईसाई

१०. भारतीय ईसाइयों के लिए रखी जानेवाली जगहों का चुनाव पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा होगा। यह करीब-करीब निश्चित-सा मालूम पड़ता है कि किसी प्रान्त के पूरे क्षेत्रों में भारतीय ईसाइयों के निर्वाचन-क्षेत्र बनाना अव्यावहारिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी या दो चुने हुए इलाकों में ही भारतीय ईसाइयों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्र रखे जायेंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों के भारतीय ईसाई मतदाता घाम निर्वाचन क्षेत्रों में मत नहीं देंगे; लेकिन इन इलाकों के मतदाता भारतीय ईसाई मतदाता घाम निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे। बिहार और उड़ीसा

में व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां भागवीय ईसाइयों का काफी बड़ा भाग आदिम जातियों के अन्दर शुभार होता है।

एंग्लो-इंडियन

११. एंग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। फिलहाल, अगर कोई व्यावहारिक कठिनाइया उत्पन्न हों तो उनकी तहकीकात करने की गुंजाइश रखते हुए, यह सोचा गया है कि एंग्लो-इण्डियन-निर्वाचन-क्षेत्र हरेक प्रान्त के सारे इलाके के लिए होंगे, जिनमें मत गणना डाक से भेजी जानेवाली पर्चियों के द्वारा होगी; लेकिन इस बारे में अभी कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है।

१२. पिल्लुड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रखे गये हैं उनकी पूर्ति का उपाय अभी विचाराधीन है, और ऐसे सदस्यों की जो संख्या रखी गई है उसे अभी, जब तक कि ऐसे इलाकों के बारे में की जानेवाली वैधानिक व्यवस्था का कोई अन्तिम निश्चय न हो जाय, आरजो सम-भना चाहिए।

स्त्रियां

१३. संसद् की सरकार इस बात से बहुत महत्व देती है कि नई कौंसिलों में स्त्री-सदस्यार्थ भी रहें, चाहे उनकी संख्या थोड़ी ही हो। उसका खयाल है कि प्रारम्भ में, यह ध्येय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि कुछ स्थान खास तौर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित न कर दिये जायें। साथ ही उसका यह भी खयाल है कि स्त्री-सदस्यार्थें किसी एक ही जाति की नहीं होनी चाहिए और सो भी बिना, किसी अनुपात के। इसलिए खास तौर पर स्त्रियों के लिए रखी जानेवाली हरेक 'सीट' का चुनाव एक ही जाति के मत-दाताओं तक मर्यादित करने के सिवा, जिसमें कि नीचे २४ वें पैराग्राफ में स्पष्ट किया हुआ अपवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति ढूढ़ निकालने में वह असमर्थ रही है, जिससे कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उस श्रेय योजना के अनुरूप हो कि जिसे प्रहय करना आवश्यक समझा गया है। अतएव, इनके अनुसार, जैसा कि नीचे २४ वें पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है, विभिन्न जातियों में स्त्रियों की विशेष जगहों को खास तौर पर विभाजित कर दिया गया है। इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में किस खास दग से निर्वाचन होगा, यह अभी विचाराधीन है।

विशेष वर्ग

१४. 'मजदूरों' के लिए रखी गई सीटों का चुनाव 'साम्प्रदायिक' निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा। निर्वाचन-व्यवस्था का अभी निश्चय करना है; लेकिन बहुत सम्भव है कि अधिकार प्राप्ति में, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिश की है, मजदूर-निर्वाचन-क्षेत्र कुछ तो मजदूर-सभ होंगे और कुछ विशेष निर्वाचन-क्षेत्र।

१५. उद्योग-व्यवसाय, खानों और खेतियों के सदस्यों का चुनाव व्यवसाय-संघ (वेम्बर ऑफ कामर्स) और दूसरे विविध-संघों के द्वारा होगा। इन स्थानों की निर्वाचन-व्यवस्था की तपसील के लिए अभी और ध्यान-चीन होना आवश्यक है।

१६. जमींदारों के लिए रखे गये विशेष स्थानों का चुनाव जमींदारों के विशेष निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा होगा।

१७. विश्व-विद्यालय के लिए रखे गये स्थानों का चुनाव किस तरह किया जाय, यह अभी विचाराधीन है।

१८. प्राचीन कर्मियों में प्रतिनिधित्व के इन प्रश्नों का निर्णय करने में सम्राट-सरकार को काफी तटस्थता ही जान्य पड़ा है, इतने पर भी निर्वाचन क्षेत्रों की नई इद्दबन्दी को अभी बर्की ही नहीं माना है। सरकार का हवाला है, कि किसी कर्मि हो सके कि दुष्टान में इत दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिया जाय।

कुछ अगर लो, सरकारी की ओ संस्था इन समय रक्षणी गई है सम्भवतः उसमें दोहा फर्क कर देते में, निर्वाचन-क्षेत्रों की नई इद्दबन्दी सुझावित और पर ठीक हो जायगी। अतएव सम्राट-सरकार इस प्रयोजन के लिए मांगूनी हेर फेर करने का अधिकार करने लिए संज्ञित रहती है, बरवें कि ठेक हेर फेर से विभिन्न जातियों के अनुगत में कोई अचली अन्तर न पड़े। लेकिन बंगाल और पंजाब के मामले में ऐसा कोई हेर-फेर नहीं किया जायगा।

द्वितीय चेम्बर

१९. विधान-सम्बन्धी विचार-विनिमय में अभी तक तुलनात्मक रूप में, प्रांतों में द्वितीय चेम्बर रखने के प्रश्न पर कम ध्यान दिया गया है; अतः इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या इस बात का निर्णय करने से पहले कि किन किन प्रांतों में द्वितीय चेम्बर रखने का विचार, और विचार होने की आवश्यकता है।

सम्राट-सरकार का विचार है कि प्रांतों में द्वितीय चेम्बर का निर्माण इस तरह होना चाहिए जिससे छोटी कौंसिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, भिन्न-भिन्न जातियों के बीच रहने गये अनुगत में कोई त्रास फर्क न पड़े।

२०. केन्द्रीय पाठसभा (बड़ी कौंसिल) के आकार और निर्माण के प्रश्न में फिलहाल सम्राट-सरकार नहीं पकना चाहती, क्योंकि इसमें अन्य प्रश्नों के साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न भी उपस्थित होता है, जिस पर अभी और विचार होना है। उसके सम्बन्ध में विचार करते समय सामान्य जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर बह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी।

सिन्ध का पृथक्करण

२१. सम्राट-सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है, कि सिन्ध एक पृथक् प्रांत बना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-स्वर्ग निकलने लायक सन्तोष-जनक उपाय निकल आयें। क्योंकि संघीय-राजत्व की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में उठनेवाली आर्थिक समस्याओं पर अभी और विचार होना है, सम्राट-सरकार ने यह ठीक समझा है कि बम्बई-प्रान्त और सिंध की पृथक्-कौंसिलों की संस्थाओं को दी ही जाय पर उसके साथ ही मौजूदा बम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (अर्थात्, सिन्ध-सहित बम्बई-प्रान्त की) कौंसिल की संस्थाओं भी दे दी जाय।

२२. बिहार-उड़ीसा के जो अङ्क दिये गये हैं वे मौजूदा प्रान्त के लिहाज से हैं; क्योंकि उड़ीसा को पृथक् प्रांत बनाने के बारे में अभी भी तहकीकात हो रही है।

२३. नीचे दिये हुए २४ वें पैराग्राफ में बरार-सहित मध्यप्रान्त की कौंसिल के सदस्यों की जो संस्थाओं की हैं उससे यह न समझना चाहिए कि बरार की भावी वैधानिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

२४. विभिन्न प्रांतों की कौंसिलों (सिर्फ छोटी कौंसिलों) में सदस्यों की संस्थाओं नीचे लिखे

१. महाराष्ट्र

ग्राम (६ स्त्रियाँ)	...	१३४
दलित-जातिवाले	...	१८
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि	...	१
मुसलमान (१ स्त्री)	...	२६
भारतीय ईसाई (१ स्त्री)	...	६
एंग्लो-इण्डियन	...	२
यूरोपियन	...	३
उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहर	...	६
जमींदार	..	१
विश्व-विद्यालय	...	१
मजदूर	...	६

कुल ... २१०

२. घम्बई
(सिन्ध-सहित)

ग्राम (५ स्त्रियाँ)	...	६७
दलित जातिवाले	...	१०
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि	...	१
मुसलमान (१ स्त्री)	...	६३
भारतीय ईसाई	...	३
एंग्लो-इण्डियन	...	२
यूरोपियन	..	४
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	८
जमींदार	...	३
विश्व-विद्यालय	...	१
मजदूर	...	८

कुल २००

३. बंगाल

ग्राम (२ स्त्रियाँ)	...	८०
दलित-जातिवाले	...	७
मुसलमान (२ स्त्रियाँ)	...	११६
भारतीय ईसाई	...	२
एंग्लो-इण्डियन (१ स्त्री)	...	४
यूरोपियन	...	११
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	१६
जमींदार	...	५

विश्व-विद्यालय	...	२
मजदूर	...	८

कुल २५०

४. संयुक्तप्रान्त

ग्राम (४ स्त्रियाँ)	...	१३२
दलित-जातिवाले	...	१२
मुसलमान (२ स्त्रियाँ)	...	६६
भारतीय ईसाई	...	२
एंग्लो-इण्डियन	...	१
यूरोपियन	...	२
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	३
जमींदार	...	६
विश्व-विद्यालय	..	१
मजदूर	...	३

कुल २२८

५. पंजाब

ग्राम (१ स्त्री)	...	४३
सिक्ख (१ स्त्री)	...	३२
मुसलमान (२ स्त्रियाँ)	...	८६
भारतीय ईसाई	...	२
एंग्लो-इण्डियन	...	१
यूरोपियन	...	१
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	१
जमींदार	...	५
विश्व विद्यालय	...	१
मजदूर	...	३

कुल १७५

६. बिहार-वेङ्गीसा

ग्राम (३ स्त्रियाँ)	...	६६
दलित-जातिवाले	...	७
पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि	...	८
मुसलमान (१ स्त्री)	...	४२
भारतीय ईसाई	...	२
एंग्लो-इण्डियन	...	१

बर्मीस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

यूरोपियन	...	२		
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	४	आम	...
जमींदार	...	५	दिल्ले	...
विश्व-विद्यालय	...	१	मुसलमान	...
मजदूर	...	४	जमींदार	...

१. परिष्कार मीमा प्रान्त

कुल ... १७५

कुल ... ५०

७. मध्यप्रान्त (बाग-सहित)

सिन्ध-निष्ठ बर्मीस और सिन्ध के

आम (१ स्थिति)	...	७७
दलित-जातिवाले	...	१०
दिल्ले के हुए इलाकों का प्रतिनिधि	...	१
मुसलमान	...	१४
पेंसो-इण्डियन	...	१
यूरोपियन	...	१
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	२
जमींदार	...	१
विश्व विद्यालय	...	१
मजदूर	...	२
कुल	...	११२

इस प्रान्त के लिए भी सदस्यों का संस्था-

विभाग दिया गया है, जो इस प्रकार है—

१०. बर्मीस (सिन्ध निकल जाने पर)	
आम (५ स्थिति)	... १०६
दलित-जातिवाले	... १०
दिल्ले के हुए इलाकों का प्रतिनिधि	... १
मुसलमान (१ स्त्री)	... १०
भारतीय ईसाई	... १
पेंसो-इण्डियन	... २
यूरोपियन	... १
उद्योग-व्यवसाय आदि	... ७
जमींदार	... २
विश्व-विद्यालय	... १
मजदूर	... ७

८. आसाम

आम (१ स्त्री)	...	४४
दलित-जातिवाले	...	४
दिल्ले के हुए इलाकों के प्रतिनिधि	...	६
मुसलमान	...	२४
भारतीय ईसाई	...	१
यूरोपियन	...	१
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	११
मजदूर	...	४
कुल	...	१०८

कुल

... १७५

११. सिन्ध

आम (१ स्त्री)	...	१६
मुसलमान (१ स्त्री)	...	१४
यूरोपियन	...	२
उद्योग-व्यवसाय आदि	...	२
जमींदार	...	२
मजदूर	...	१

कुल

... १०८

कुल

... ६०

विशेष निर्वाचन-क्षेत्र

उद्योग-व्यवसाय, खान और खेतिहरों के प्रतिनिधियों का चुनाव जिन संस्थाओं के द्वारा होगा वे कुछ प्रान्तों में मुख्यतः यूरोपियनों की होंगी और कुछ प्रान्तों में मुख्यतः हिन्दुस्तानियों की; लेकिन उनकी रचना विधान-द्वारा नियन्त्रित नहीं की जायगी। अतएव निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि हर एक प्रान्त में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन होंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्भावना है कि आसाम में उनकी संख्या में लगभग इस प्रकार होगी :—

मद्रास—४ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी ।

बम्बई—(सिन्ध-सहित)—५ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।

बंगाल—१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी ।

सयुकप्रान्त—२ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।

पंजाब—१ हिन्दुस्तानी ।

बिहार उड़ीसा—२ यूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी ।

मध्यप्रान्त—(बरार-सहित)—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।

आसाम—८ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।

बम्बई—(सिन्ध को अलग करके)—४ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी ।

सिन्ध—१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी ।

बम्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहे या नहीं, ग्राम सीटों में से ७ मण्डों के लिए सुरक्षित रहेंगी ।

बंगाल में दलित-जाति के सदस्यों की संख्या का अभी निश्चय नहीं हुआ, पर वह १० से अधिक नहीं होगी । ग्राम निर्वाचन-क्षेत्र से जुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दलित-जातिवालों के लिए जो संख्या निश्चित हो वह भी शामिल है ।

पंजाब में जमींदार-सदस्यों में एक 'जमींदार' रहेगा । चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त-निर्वाचन द्वारा विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से होगा । निर्वाचनों का विभाजन इस प्रकार रक्खा जायगा जिससे जुने जानेवाले सदस्यों में समतलः १ हिन्दू, १ सिक्ख और दो मुसलमान होंगे ।

आसाम के ग्राम निर्वाचन क्षेत्र से जुने जानेवाले सदस्यों में एक स्त्री के जुने जाने का जो विधान रक्खा गया है उसकी पूर्ति शिलांग के एक असाम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र से की जायगी ।

प्रधान-मन्त्री का स्पष्टीकरण

नवीन भारतीय शासन-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे में सप्ताह-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मसविदा अब हिन्दुस्तान में पहुंच गया है और दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है ।

उसके प्रकाशित होने पर, प्रधान-मन्त्री ने निम्न लिखित बक्तव्य निकाला है :—

'न केवल प्रधान मन्त्री के रूप में, बल्कि भारत के एक ऐसे मित्र की दृष्टियत से जिसने पिछले दो साल से अल्प संख्यक जातियों के प्रश्न में दिलचस्पी ली है, मुझे लगता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार आज जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है उसे समझने के लिए एक-दो शब्द मुझे भी जोड़ने चाहिएं ।

भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद मामलों में हस्ताक्षेप करने का हमने कभी इरादा नहीं किया । गोलमेज-परिषद् के दोनों अधिवेशनों में हमने इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था, जब कि हमने इस बात की बहुत कोशिश की कि हिन्दुस्तानी लोग खुद ही इस मामले को तय कर लें । क्योंकि शुरू से ही हम यह महसूस करते आये हैं कि हम जो भी निश्चय करें वह कैसा ही क्यों न हो, सम्भवतः इरेक जाति अपनी महत्वपूर्ण मार्गों के आधार पर उसकी टीका टिप्पणी करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि अन्त में जाकर भारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगी और सब जातियाँ देखेंगी कि नये शासन-विधान को अमल में लाने में, जो कि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश-शां-समूह में एक नया पद देने वाला है, सहयोग करना ही उनका फर्ज है ।

कॉम्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

आपसी राजीनामे से निर्णय में मंशोधन हो सकता है

हमारा कर्तव्य स्पष्ट था। चूंकि विभिन्न जातियों के आपस में किसी बात पर सहमत न हो के कारण किसी भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी बाधा उत्पन्न हो रही थी कि दूर होना प्रायः असंभव था, अतः सरकार के लिए यह लाजिमी हो गया कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करे। अतएव, भारतीय प्रतिनिधियों की लगातार प्रार्थनाओं के जवाब में सरकार की ओर लमेज-परिपद में मैंने जो वादे किये थे उनके अनुसार, और उस वक्तव्य के अनुसार जो मैंने 1-पार्लियामेंट में दिया था और जिसपर उसने अपनी सहमति दर्शाई थी, सरकार आज प्रान्तीय-जनों के प्रतिनिधित्व की एक योजना प्रकाशित कर रही है। यह योजना यथासंभव पार्लियामेंट में ही जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियां अपने-आप इससे अच्छी और किसी योजना सहमत न हो जायं।

शासन-सुधारों का प्रस्तावित बिल कानून बने उससे पहले किसी भी समय, यदि विभिन्न जातियों में आपने-आप किसी निर्णय पर पहुंच सकें, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन पुराने अनुभवों पर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में अब और बातचीत चलाना ही, इसलिए वह उसमें शामिल नहीं हो सकती। फिर भी अगर किसी प्रान्त या प्रान्तों अपना दिशा-भारत के लिए कोई ऐसी योजना तैयार हो जो सामान्यतः उससे सम्बन्धित सब दलों की संतोष प्रद-और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के लिए तैयार रहेगी।

पृथक् निर्वाचन का मामला

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वास्तविक परिस्थितियों पर ध्यान रखना आवश्यक है कि वह किया गया है। गत अनेक वर्षों से अल्पसंख्यक जातियां पृथक् निर्वाचन प्राप्त एक खास तरह के मतदाताओं का अपने तर्क-प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में बंट जाना, अधिकारों का बड़ा भारी संरक्षण समझती आ रही है। पिछले दिनों हुई वैधानिक प्रगति की प्रवृत्ति में पृथक् निर्वाचन को स्थान मिला है। सरकार चाहे जितना समुक्त-निर्वाचन की एक-ही प्रथा को अधिक पसन्द करती हो, जिन संरक्षकों को अल्प संख्यक जातियां अभी भी त्वपूर्ण समझती हैं उन्हें खत्म करना उसे सम्भव नहीं जान पड़ा। भूतकाल में ऐसा किशोर था, इसकी छानबीन में पढ़ना व्यर्थ है। मैं तो किसी कदर भविष्य का ही विचार कर रहा हूँ कि यह धाढ़ा है कि बड़ी-छोटी सब जातियां मेल-जोल और शान्ति के साथ समुक्त-रूप करें, ताकि संरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत न पड़े। मगर जब तक ऐसा न हो सरकार को तो बन्द-स्थिति का ध्यान रखकर प्रतिनिधित्व का यह आधार-रूप कायम रहेगा।

दलित-जातियों की स्थिति

इस निर्णय की दो विशेषताएँ हैं, जिनका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक है। इनमें से सम्बन्ध तो दलित जातियों से है और दूसरी का विषयों के प्रतिनिधित्व से। सरकार ऐसी योजना का समर्थन नहीं कर सकती, जिसमें इनमें से किसी एक की भी अतिनायता का स्वभाव

दलित-जातियों के मामले में हमारा उद्देश्य यह रहा है कि प्रान्तों में जहाँ उनकी संख्या अधिक है वहाँ-वहाँ में उनकी पसन्द के प्रतिनिधि बाने की व्यवस्था हो, लेकिन उनके साथ अन्य

निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अलगपन स्थायी हो जायगा। अतएव, दलित-वर्गों के मतदाता आम हिन्दू-निर्वाचन-क्षेत्रों में ही अपने मत देंगे और ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव हुआ सदस्य इस वर्ग के प्रति जो उत्तरदायित्व है उससे प्रभावित होगा; लेकिन अगले २० साल तक कुछ ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहाँ कि खास तौर पर ऐसे दलित मतदाता होंगे, विशेष निर्वाचन-मण्डलों द्वारा होगा। इस प्रकार दलित-वर्गों के कुछ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बात से होता है कि उनकी मांगों के प्रभाव-कारक रूप से प्रकट किये जाने और उनकी वास्तविक स्थिति में सुधार होने का अवसर प्रदान करने के लिए इसकी व्याप्ति जरूरत है।

स्त्रियों के अधिकार

स्त्री-मतदाताओं के बारे में, हाल के वर्षों में यह अच्छी तरह जाना जा चुका है कि उत्पत्ति की एक कुंजी भारत के महिला-आन्दोलन के ही हाथ में है। यह करना अत्युक्ति नहीं है कि जबतक भारत की स्त्रियाँ शिक्षित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग न लें तब तक भारत उस स्थिति को नहीं पहुँच सकता जो वह संसार में प्राप्त करना चाहता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को साम्प्रदायिक-दंग देने में बहुत बड़ी आपत्तियाँ हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए सदस्य-स्थान सुरक्षित रखना है और विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की संख्या का उपयुक्त विभाजन करना है तो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मूल में यह योजना पेश करता हूँ, जो भारत की मौजूदा परिस्थिति में परस्पर-विरोधी दावों के बीच समतोलता बनाये रखने का एक उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ प्रयत्न है। उन्हें चाहिए कि वे इसे ग्रहण कर लें, हालांकि सहसा किसी भी जाति को यह सन्तोष नहीं होगा कि भारत की वैधानिक प्रगति की अगली किरत में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी अम्ली योजना है जिससे उसकी सब मांगों की पूर्ति हो जाती हो। योजना की छान-बीन करते समय उन्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि ऐसी कोई योजना पेश करने के लिए, कि जिन पर सबको सन्तोष हो जाय, बार-बार जोर दिये जाने पर भी वे स्वयं अछल रहे हैं।

साम्प्रदायिक सहयोग, उत्पत्ति की शक्ति

अन्त में, मैं यह कहूँगा कि यह ऐसा मामला है जिसका पैठला खुद हिन्दुस्तानी ही कर सकते हैं। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आशा कर सकती है वह यही है कि उसके निश्चय से वह क्वाक्वट दूर हो जायगी जो विधान-सम्बन्धी प्रगति में बाधक हो रही है, और हिन्दुस्तानी उन अनेक प्रश्नों को हल करने में

जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में अभी

निर्वाचन की विधियों को लागू लागू देने हैं, जिससे वह वस्तु तक जाय कि प्रत्येक निर्वाचन सभा के निर्वाचकों की ओर से जो मतों का भी उभरे जायार का निर्वाचन प्रत्येक

आशा है कि निर्वाचन के विधानों को लागू होने तक भी निर्वाचकों को निर्वाचन प्रत्येक जाति के कुछ सदस्यों को सम्बन्धित निर्वाचन का ही नहीं है।

साधारण निर्वाचन के विधानों को लागू किया गया है, जिसमें निर्वाचकों के द्वारा निर्वाचकों की तुलनात्मक-रूप में किसी दूर सम्बन्ध में और कुछ भी हो सकती है।

लेकिन ऐसे निर्वाचनों के द्वारा विभिन्न जातियों की सम्बन्ध-संख्या न भी बढ़े ले ही निर्वाचन में ही नहीं और सम्बन्ध-सम्बन्धी में मार्गी नहीं संख्याओं पर एक तुलनात्मक बनाई जायेगा न होगा।

प्रान्त	कोटिल के सदस्यों की संख्या	हिन्दू			मुसलमान	ईसाई	प्राचीन	यूरोपियन
		सर्वपं	दलित	कुल				
आसाम	अ० स०	१००	१८	१३	५१	३५	३	१०
	सा० नि०	१०८	४४	४	४८	३४	१	७
बंगाल	अ० स०	२००	१८	३५	७३	१०२	२	२०
	सा० नि०	२५०	७०	१०	८०	११६	२	११
बिहार-उड़ीसा	अ० स०	१००	५१	१४	६५	२५	१	५
	सा० नि०	१७५	६६	७	१०६	४२	२	२
बम्बई	अ० स०	२००	८८	२८	११६	६६	२	१३
	सा० नि०	२००	८७	१०	९७	६३	३	५
मद्रास	अ० स०	२००	१०२	४०	१४२	३०	१४	८
	सा० नि०	२१५	१३४	१८	१५२	२६	६	३
पंजाब	अ० स०	१००	१४	१०	२४	५१	२५	१०
	सा० नि०	१७५	०	०	४३	८६	२	१
संयुक्तप्रान्त	अ० स०	१००	४४	२०	६४	३०	१	३
	सा० नि०	२२८	१३२	१२	१४४	६६	२	२
मध्यप्रान्त	अ० स०	१००	५८	२०	७८	१५	१	२
	सा० नि०	११२	७७	१०	८७	१४	१	१

गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैकेट

१

पत्र-व्यवहार का आधार

गोलमेत परिषद् की अल्पसंख्यक-समिति की अन्तिम बैठक में (१३-११-३१) गांधी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा :-
 "अन्य अल्प-संख्यक-समितियों को तो मैं समझ सकता हूँ किन्तु आर्यों की ओर

पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे अधिक निर्दय घाव है। इनका अर्थ यह हुआ कि अस्पृश्यता का कलंक सदैव के लिए कायम रहे।

“भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मैं अछूतों के वास्तविक हित को न वेचूंगा। मैं स्वयं अछूतों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। यहाँ मैं केवल काम्रेम की आर से ही नहीं बोलता, प्रत्युत स्वयं अपनी आर से भी बोलता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब अछूतों का मत लिया जाय तो मुझे उनके मत मिलेंगे और मेरा नम्बर सबके ऊपर होगा। और मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अछूतों से कहूँगा कि अस्पृश्यता दूर करने का उपाय पृथक्-निर्वाचक-मण्डल अथवा कौंसिलों में विशेष रक्षित स्थान नहीं है।

“हम समिति को और समस्त सत्तार को यह जान लेना चाहिए कि आज हिन्दू-समाज में सुधारकों का ऐसा समूह मौजूद है जो अस्पृश्यता के इस कलंक को, जो उनका नहीं प्रत्युत कट्टर एवं स्टीवादी हिन्दुओं का कलंक है, धोने के लिए प्रतिशब्द है। हम नहीं चाहते कि हमारे रजिस्ट्रों में और हमारी महुँसशुमारी में अछूत नाम की जुदा जाति लिखी जाय। सिक्ल सदैव के लिए सिक्ल, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और अम्रेज सदा के लिए अम्रेज रह सकते हैं, किन्तु क्या अछूत भी, सदैव के लिए अछूत रहेंगे? अस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी अपेक्षा मैं यह अधिक अच्छा समझूँगा कि हिन्दू-धर्म हूब जाय।

“इसलिए डॉ० अम्बेडकर के अछूतों को ऊँचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहूँगा, कि उन्होंने जो कुछ किया है वह अत्यन्त मूल अथवा भ्रम के बरा में होकर किया है, और कदाचित् उन्हें जो कदम अनुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-शक्ति पर परदा पड़ गया है। मुझे यह कहना पड़ता है, इसका मुझे दुःख है; किन्तु यदि मैं यह न कहूँ तो अछूतों के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्राणों के समान है, मैं सच्चा न होऊँगा। सारे सत्तार के राज्य के बदले भी मैं उनके अधिकारों को न छोड़ूँगा। मैं अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि डॉ० अम्बेडकर जब सारे भारत के अछूतों के नाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है, इससे हिन्दू-धर्म में जो विभाग हो जायगे वह मैं जरा भी सन्तोष के साथ देख नहीं सकता।

“अछूत यदि मुसलमान अथवा ईसाई हो जाय तो मुझे उसकी कुछ परवा नहीं, मैं वह सह लूँगा, किन्तु प्रत्येक गाँव में यदि हिन्दुओं के दो भाग होजाय, तो हिन्दू-समाज की जो दशा होगी, वह मुझसे सही न जा सकेगी। जो लोग अछूतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, और हिन्दू-समाज आज किध प्रकार बना हुआ है यह नहीं जानते। इसलिए मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहूँगा कि इस बात का विरोध करने वाला यदि मैं अकेला होऊँ तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विरोध करूँगा।”

२

पत्र-व्यवहार

१. गांधीजी ने ११ मार्च १९३२ को परवडा-जेज से निम्न-लिखित पत्र सर सेमुएल होर के पास भेजा :—

प्रिय सर सेमुएल होर,

आपको कदाचित् स्मरण होगा कि मोलमेन्न-परिषद् में अल्प-संख्यकों का दावा उल्लिखित होने पर मैंने अपने भाषण के अन्त में कहा था कि मैं दलित-जातियों को पृथक्-निर्वाचन का अधिकार

आयका बिलकुल निराधार होगी और ब्रिटिश-सरकार दलित-वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था करने का बिलकुल विचार नहीं कर रही है ।

शायद मेरे लिए उस दुसरे विषय का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुझे व्याकुल कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अनशन करने के लिए बाध्य कर सकता है । वह है दमन का प्रकार । मैं नहीं कह सकता कि कब मुझे ऐसा धक्का लगे जो इस त्याग के लिए मुझे बाध्य कर दे । दमन कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है । देश में सरकारी आतंक फैल रहा है । अंग्रेज और भारतीय अधिकारी पारार्थिक बनाये जा रहे हैं । छोटे-बड़े भारतीय अधिकारियों का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि जनता के प्रति विश्वासपात और अपने ही भाइयों के साथ अमानुष व्यवहार को प्रशसनीय कहकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है । देशवासियों मयभीत किये जा रहे हैं । भाषण स्वातन्त्र्य नष्ट कर दिया गया है । अमन-कानून के नाम पर गुणबाराही चल रही है । सार्वजनिक सेवा के लिए घर से निकली हुई महिलाओं की आबरू जाने का भय है ।

मेरी राय में, यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कांग्रेस स्वतंत्रता के जित भाव का समर्थन कर रही है वह कुचल डाला जाय । साधारण कानून की सविनय-अवज्ञा करनेवालों को दण्ड देकर ही दमन का अन्त नहीं हो रहा है । अनिर्वाचित शासन के नये हुकमों को, जिनका मुख्य उद्देश लोनों को नीचा दिखाना है, तोड़ने के लिए यह दमन लोगों को उत्तेजित और बाध्य कर रहा है ।

इन कार्यों में मुझे तो लोकतंत्र का भाव बिलकुल नहीं दिखाई दे रहा । सच तो यह है कि हाल में मैंने इंग्लैण्ड में जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम हो गई कि आपका लोकतंत्र निर्णयकारी और दिखाऊ है । अधिक-से अधिक महत्व की बातों में व्यक्तियों और समूहों में पार्लियामेंट की राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्णयों का समर्थन ऐसे सदस्यों ने किया है जो शायद ही जानते हों कि हम क्या कर रहे हैं । मिस देश के सम्बन्ध में यही हुआ, १९१४ के युद्ध के सम्बन्ध में यही हुआ, और भारत के सम्बन्ध में यही हो रहा है । लोकतन्त्र नामक पद्धति में एक आदमी को इतना बड़ा और अनिर्वाचित अधिकार हो कि ३० करोड़ से भी अधिक लोगों के एक प्राचीन राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चाहे जैसी आज्ञा दे, तथा उस आज्ञा को काम में लाने के लिए विनाश के सबसे भयंकर यंत्र को मैदान में ले आवे, इस कल्पना के ही विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह करती है । मुझे तो यह लोकतन्त्र का अभाव मालूम होता है ।

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराब हो चुका है, और खराब किये बिना नहीं रह सकता । मैं इस प्रवाह को कैसे रोक सकता हूँ ! सविनय-अवज्ञा को मैं इसके लिए रोक नहीं सकता । मेरा उत्तर धर्म के जैसा विश्वास है । मैं अपने-आपको स्वभावतः लोकतन्त्रवादी समझता हूँ । मेरे लोकतन्त्र में, बल-प्रयोग-द्वारा अपनी इच्छा को औरों पर लादना सम्भव नहीं है । अतः जहाँ-जहाँ बल-प्रयोग आवश्यक या उचित समझा जाता है वैसे अवसरों पर उपयोग करने के लिए ही सविनय-अवज्ञा की कल्पना की गई है । यह कष्ट उठाने की क्रिया है, और यदि आवश्यक हो तो सविनय-अवज्ञा करने वाले को मृत्यु तक अनशन करना चाहिए । वह समय मेरे लिए अभी नहीं आया है । मेरी अन्तरात्मा मुझे इसके लिए साठ शब्दों में आदेश नहीं दे रही है । पर बाहर की घटनाओं से मेरा हृदय भी काँप रहा है । अतः जब मैं आपको यह लिख रहा हूँ कि दलित-जातियों के सम्बन्ध में मेरा अनशन करना सम्भव है तब यदि साथ ही यह भी न बता दूँ कि इसके विना अनशन की एक और सम्भावना है, तो मैं आपसे सच्चा व्यवहार न करूँगा ।

रहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र व्यवहार हो रहा है उसे मैंने अपनी ओर से बहुत ही गुप्त रखा है। अवश्य ही सरदार वल्लभभाई पटेल और भी महादेव देसाई, जो अभी हमारे साथ रहने को भेजे गये हैं, इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं। पर आप इस पत्र का चाहे-जैसा उपयोग अवश्य ही करेंगे।

हृदय से आपका—
मो० क० गांधी

२. सर सेम्पुअल होर ने २३ अप्रैल १९३२ को गांधी जी को निम्न उत्तर भेजा :—

इंडिया आफिस, ब्याइट हॉल,
२३ अप्रैल, १९३२

प्रिय गांधी जी,

आपकी ११ मार्च की चिट्ठी के उत्तर में मैं यह लिख रहा हूँ, और मैं पहले ही कह देता हूँ कि दलित-भेदियों के लिए धृक्-निर्वाचन के प्रश्न पर आपके मावावेग को मैं पूरी तरह समझता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न के केवल गुणावगुणों पर जो भी निर्णय आनरबल हो उसे हम करना चाहते हैं। आप जानते ही हैं कि लॉर्ड लोथियन की कमिटी ने अपना बीत समाप्त नहीं किया है और यह जिस किसी निरवय पर पहुँचेगी उसे प्राप्त होने में कुछ हफ्ते अवश्य लग जावेंगे। अब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी तब उसकी सिफारिशों पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना होगा, और हम तबतक कोई निर्णय न करेंगे जबतक हम कमिटी के विचारों के साथ उन विचारों पर जो गौर न कर लेंगे जिन्हें आपने और आपके समान विचार रखनेवालों ने पहले और के साथ प्रकट किये हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारे ध्यान में होने तो आप भी ठीक वैसा ही कार्य करने जैसा हम करना चाहते हैं। कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने तक यह देना, फिर उसका पूरी तरह विचार कीजिए और किसी अन्तिम निरवय पर पहुँचने के पहले उन सभी पर ध्यान दीजिए, जिन्हें दोनों पक्षों ने हम विचारमग्न प्रश्न पर प्रकट किये हैं। इससे अधिक मैं नहीं कह सकता। मैं अभी समझता कि आप मुझसे अधिक कुछ कहने की धारा रखने होंगे।

आदिने-नों के सम्बन्ध में मैं यही कहने दुहा करता हूँ जो मैं सर्वप्रथम और अन्तिम रूप से कह चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि व्यवस्था-साधार की नींव पर ही जाने पूर्वक वह आवश्यक होते देना हन्ने जारी करना आवश्यक था। मुझे यह भी विश्वास है कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों अपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही हैं और हम सब की समझ-बूझ पर यह भी है कि उनका देश और बचने की व्यवस्था में उद्वेग न दिख जाय। आदिने-नों का ही अपने व्यवहारी और आदि के सम्बन्धों की रक्षा करने तथा वास्तव और व्यवस्था के सम्बन्धों को बचाने के लिए अपने सम्बन्धों में समझौता उपायों से काम लेने की हम क्षमता है उनमें कोई संशय नहीं है।

आपका
सेम्पुअल होर

१. सर सेम्पुअल होर ने २३ अप्रैल १९३२ को सर वल्लभभाई पटेल को निम्न पत्र भेजा—

प्रिय सर,
आपकी चिट्ठी के उत्तर में मैंने यह लिखा है कि मैंने आपकी चिट्ठी को बहुत ही गुप्त रखा है। अब मैं यह भी लिखना चाहता हूँ कि मैंने आपकी चिट्ठी को बहुत ही गुप्त रखा है। अब मैं यह भी लिखना चाहता हूँ कि मैंने आपकी चिट्ठी को बहुत ही गुप्त रखा है।

मैंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार का निश्चय पढ़ा है और पढ़कर उदासीन-भाव से अलग रख दिया है। मैंने सर सेम्पुअल को जो चिट्ठी लिखी और सेंट जेम्स पैलेस में १३ नवम्बर १९३१ को गोलमेज परिषद् की अल्पसंख्यक-समिति में जो घोषणा की थी उसके अनुसार आपके निर्णय का विरोध मैं अपने प्रायों की बाजी लगाकर करूंगा। ऐसा करने का उपाय यही है कि मैं प्राय स्वयंसेवकों तक लगातार अनशन करने की घोषणा कर दूँ और नमक और सोडा के साथ या उसके बिना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करूँ। यह अनशन तभी समाप्त होगा जब इस मत के रहते ब्रिटिश सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजनिक मत के दबाव से अपने निश्चय पर फिर विचार करे और साम्प्रदायिक-निर्वाचन की अपनी योजना, दलित वर्गों के सम्बन्ध में, वापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से हो और सबका समान-मताधिकार रहे, फिर यह कितना ही व्यापक क्यों न हो जाय।

यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशन साधारण अनस्था में अगले २० सितम्बर के दोपहर से आरम्भ होगा।

मैंने यहां के अधिकारियों से कह दिया है कि इस चिट्ठी का मजमून आपके पास तार से भेज दिया जाय, जिसमें आपको सोचने के लिए काफी समय मिले। पर किसी भी अवस्था में, मैं आपको इतना काफी समय दे रहा हूँ कि धीरे-से-धीरे मार्ग से जाने पर भी यह चिट्ठी आपको समय पर मिल जाय।

मेरी यह भी इच्छा है कि मेरी यह चिट्ठी और सर सेम्पुअल होर की लिखी हुई चिट्ठी शीघ्र-से-शीघ्र प्रकाशित की जाय। मैंने अपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ जेल के नियमों का पालन किया है और अपनी इच्छा या इन दो चिट्ठियों का मजमून सरदार बल्लभभाई पटेल और महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ और किसी को नहीं बताया है। पर यदि आप इसे सम्भव बना दें तो मैं चाहता हूँ कि मेरी चिट्ठियों का प्रभाव जनता पर पड़े। इन्हींलिए इन्हें शीघ्र प्रकाशित करने का मैं अनुरोध करता हूँ।

खेद है कि मुझे यह निश्चय करना पड़ा। पर मैं अपने को धार्मिक दृष्टि समझता हूँ और इस नाते मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं रह गया है। सर सेम्पुअल होर को मैंने जो चिट्ठी लिखी उसमें मैं कह चुका हूँ कि परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिश-सरकार मुझे छोड़ देने का निश्चय भले ही करे, पर मेरा अनशन बराबर जारी ही रहेगा। क्योंकि अब मैं अन्य किसी उपाय से इस निर्णय का विरोध करने की धारा नहीं कर सकता। और सम्मानयुक्त उपाय को छोड़ किसी दूसरे उपाय से अपनी रिहाई कर लेने की मेरी विलकुल इच्छा नहीं है।

सम्भव है, मेरा निर्णय दूषित हो और मेरा यह विचार विलकुल गलत हो कि दलित-वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन रहना उनके या हिन्दुत्व के लिए हानिकारक है। यदि ऐसा हो तो अपने जीवन-विद्वान्त के अन्य वर्गों के सम्बन्ध में मेरे नहीं रहने की सम्भावना नहीं। उन दृष्टा में अनशन करके मर जाना मेरी भूल के लिए प्रापञ्चित होगा और उन अवस्थाओं-वस्तुओं के विर से एक बॉम्ब दूर हो जायगा जो मेरी सम्भारणी पर बालकी जैसा विस्फोट करने में है। पर यदि मेरा निर्णय ठीक हो, और मुझे ल-देह नहीं कि यह ठीक है, तो इस निश्चय से मेरे जीवन का कार्यक्रम उचित-रूप से पूर्ण होगा, जिसके लिए मैंने २५ साल से भी अधिक समय से बच दिया है और जिसमें कष्ट-सफलता मिली है।

आपका विश्वकर्मा मित्र—

डॉ० क० गांधी

सहित संयुक्त-निर्वाचन की व्यवस्था में दलित-वर्ग के लिए अपने ऐसे सदस्य कौंसिलों में भेजना समाप्त होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनिधि हैं और उनके सामने जिम्मेदार हों, चाहे मताधिकार की जितनी भी व्यवस्थाएँ इस समय समभव हैं उनमें से कोई भी क्यों न की जाय। कारण यह कि इस व्यवस्था में उनके प्रायः सभी सदस्य उच्च जातियों के हिन्दुओं द्वारा ही चुने जायेंगे।

हमारी योजना में अर्जुनों को संधरण निर्वाचन-क्षेत्रों में मताधिकार देते हुए उनके लिए योंसे से अलग हलके बना दिये गये हैं। मुसलमान आदि अल्पसंख्यकों के लिए की गई साम्प्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था से यह बड़ा और प्रभाव में सर्वथा भिन्न है। एक मुसलमान साधारण हलके में वोट न दे सकता है और न अल्पसंख्यक हो सकता है। मुसलमानों को जिस स्थान में जितनी जगहें दी गई हैं उससे वे एक भी अल्पसंख्यक नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकतर प्रांतों में उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक जगहें दी गई हैं। पर दलित-वर्ग को खाम हलकों के द्वारा जो जगहें दी गई हैं वे बहुत अल्प हैं और उनकी जन-संख्या के अनुपात के विचार से नहीं नियत की गई हैं। इस व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वे कौंसिलों में अपने कुछ ऐसे प्रतिनिधि अवश्य भेज सकें जो केवल उन्हीं के चुने हों। हर जगह उनके इन विशेष स्थानों का संख्या उनको आशादी के अनुपात से बहुत कम है।

मैं समझता हूँ कि आप जो अनशन के द्वारा माण-न्याय का विचार कर रहे हैं, उतना उरुरा न तो यह है कि दलित वर्ग दूसरे हिन्दुओं के साथ संयुक्त-निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हों, क्योंकि यह अधिकार तो उन्हें मिल ही चुका है, और न यही है कि हिन्दुओं का एकता बना रहे, क्योंकि हमका भी उपाय किया जा चुका है, किन्तु केवल यह है कि अल्पसंख्यक लोग, जिनके लिए आज भी प्रायः उपाय उपाय होने का बात सभी स्वीकार करते हैं, अपने धोके-से भी प्रतिनिधि ऐसे न भेज सकें, जो उनके अपने चुने हुए हों और जो उनके भाग्य को न्यायक-कौंसिलों में उनके प्रतिनिधि की हैमियत से बोल सकें।

सरकारी योजना के इन अति न्याय-युक्त तथा बहुत सोच-विचार कर किये हुए प्रस्तावों की देखते हुए मेरे लिए आपके निश्चय का कोई समुचित कारण देना मजबूत सर्वथा असंभव हो गया है और मैं केवल यही सोच सकता हूँ कि वस्तुस्थिति की समझने में भ्रम हो जाने का कारण आपने ऐसा निश्चय किया है।

जब आराम में समझौता न कर सकते पर भारतीयों ने आराम तोर से आराम की तरफ नहीं उसने अपने इच्छा के विरुद्ध अल्पसंख्यक के प्रश्न पर अपना फैसला मुनान्त रीति कर दिया। यह वह उसे मुना चुकी है और अब जो शर्तें उसमें रक्ता गई हैं उनके सिवा और दिना तार यह बदला नहीं जा सकता। अतः मुझे श्रेय के साथ आपसे यही कहना पड़ रहा है कि सरकार का निश्चय कायम है और केवल निःसम्भ्रम सभ्यताओं का आराम का समझौता ही उन निर्वाचन व्यवस्था के करने स्वीकार किया जा सकता है कि जिसे सरकार न परन्तु-विषयों द्वारा का समझौता करने की मन्ना नीयत से तर्जनीय किया है।

आपका अनुप्रेष है कि यह पत्र-व्यवहार सब आपके उन पत्र के जो २५ मार्च को आने पर सेमुच्चय तोर को लिखा था, प्रकाशित कर दिया जाय। यदि मुझे यह उचित नहीं जान पड़ता नकार-द होने के कारण आपका आराम के समझौते के निश्चय के कारणों को अपने विचार रहे, इसलिए यदि आपने इस अनुप्रेष को दुर्लभता का मैं उसे परंपर-रचना कर हूँ।

भी मैं एकबार और आपसे साम्ह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सरकारी निर्णय की तफसील पर विचार करें और अपनी अन्तरात्मा से गंभीर भाव से प्रश्न करें, कि-आपने जो करने का विचार किया है क्या वह सचमुच उचित है ?

आपका—

जे० रैमजे मैकडानल्ड

५. गांधीजी ने परबदा सेन्ट्रल जेल से ६ सितम्बर १९३२ को प्रधानमंत्री को निम्न पत्र भेजा—

प्रिय मित्र,

आज तार द्वारा भेजे गये और प्राप्त हुये आपके स्पष्ट और पूर्ण उत्तर के लिए मैं-आपको धन्यवाद देता हूँ। तथापि मुझे खेद है कि आपने मेरे निश्चय का ऐसा अर्थ किया जिसका मुझे कभी ध्यान ही न हुआ था। मैं उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा करता हूँ जिसके स्वार्थों की हत्या करने के लिए, आप कहते हैं, मैं अनशन करके मर जाना चाहता हूँ। मुझे आशा थी कि इस आखिरी उपाय के कारण का कोई ऐसा स्वार्थपूर्ण अर्थ न करेगा। दलीलें दिये बिना मैं फिर कहता हूँ कि मेरे लिए यह विषय शुद्ध धार्मिक विषय है। केवल यही बात कि 'दलित' वर्गों को द्विविध मत मिले हैं, उन्हें या सामान्यतः हिन्दू-समाज को विच्छिन्न होने से नहीं रोकती। 'दलित' वर्गों के लिए पृथक्-निर्वाचन की स्थापना मात्र मैं मुझे उस विषय के इंजेक्शन की गन्ध मिलती है जिसे हिन्दुत्व नहीं हो सकता है और 'दलित' वर्गों को कुछ लाभ नहीं मिल सकता। कृपाकर मुझे यह कहने दीजिये कि आप कितनी ही सहानुभूति क्यों न रखते हों, आप ऐसे विषय में ठीक-ठीक निश्चय पर नहीं पहुँच सकते जो हिन्दू और अलूत दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है।

मैं 'दलित' वर्गों के आवश्यकता से भी अधिक प्रतिनिधित्व का विरोध न करूँगा। मैं इन्हीं बातों के विरुद्ध हूँ कि वे कानून बनाकर हिन्दू-समाज से पृथक् कर दिये जायें (फिर यह कार्ययत्न कितना ही सीमित क्यों न हो) जब तक वे इस समाज के अन्दर रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आपका निश्चय बना रहा और शासन-विधान काम में आ जाय तो आप हिन्दू सुधारकों के, जिन्होंने अपने-आपको जीवन की हर दिशा में अपने दलित भाइयों का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिया है, कार्य की आश्चर्यजनक उन्नति को रोक देंगे।

इसलिए मुझे खेदपूर्वक अपने पूर्व-निश्चय पर कायम रहने को लाचार होना पड़ता है।

आपकी चिन्ता से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके निर्णय के अन्य अर्थों से मैंने 'दलित' वर्गों के प्रश्न को अलग कर उस पर साह ठौर से जो विचार किया है उसका यह अर्थ नहीं होता कि मैं आपके निर्णय के अन्य अर्थों से सहमत हूँ। मेरी राय में अन्य कई प्रस्ताव बहुत ही आपत्तिजनक हैं। पर मैं उन्हें ऐसा नहीं समझता जो मुझे इतना आत्म-बलिदान करने की प्रेरणा करें जितना मेरी अन्तरात्मा ने 'दलित' वर्गों के सम्बन्ध में करने की मुझे प्रेरणा की है।

आपका विश्वसनीय मित्र—

मो० क० गांधी

६. गांधीजी ने १५ सितम्बर को अनशन के निश्चय के सम्बन्ध में जर्जर-मरकाट को पत्र भेजा जो दृश्य भेजा था और जो २१ सितम्बर को प्रकाशित किया गया था, वह इस प्रकार है—
 मुझे अनशन का निश्चय हरिश्चर के नाम पर, और जैसा कि मैं नगरा के साथ विश्वास करता हूँ, उसके आदेश पर किया गया है। मित्रों का आग्रह है कि मैं उसे कुछ दिनों के लिए टाल दूँ, जिससे जनता को अपना संगठन कर लेने का समय मिल जाय। मुझे खेद है कि यह पत्र है

कि अथ उसके दिन को कौन कहे, घण्टे को बदलना भी मेरे बस की बात नहीं है। प्रधान-मन्त्री के पत्र में जो बातें लिख चुका हूँ उनके अतिरिक्त और किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता।

मेरा भावी अन्नशन उन लोगों के विरुद्ध है जो मुझ में विश्वास रखते हैं, चाहे वे भारतीय हों या यूरोपियन, और उनके वास्ते है जो मुझ में विश्वास नहीं रखते। इसलिए वह अंग्रेज अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन अंग्रेज स्त्री-पुरुषों के विरुद्ध है जो अधिकारी-वर्ग के विरुद्ध उपदेशों को अन्नमुना करके भी मुझ में विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्याय संगत मानते हैं। वह मेरे उन देशवासियों के भी विरुद्ध नहीं है जो मुझ में विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई, किन्तु वह उन अग्रणी देशवासियों के विरुद्ध है—चाहे वे किसी भी दल और विचार के क्यों न हों—जिनका विश्वास है कि मेरा पक्ष न्याय का पक्ष है। सर्वोपरि, हिन्दू-समाज की अन्तरात्मा को सच्चा धर्म पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश्य है।

केवल भावोद्दीपन मेरे संकल्पित उपवास का उद्देश्य न होगा। मैं अपना सारा वजन—जो-कुछ भी वह है—न्याय, शुद्ध न्याय के पक्ष पर धर देना चाहता हूँ। अतः मेरी प्राण-रक्षा के लिए अशुचि उतावली और परेशानी न होनी चाहिए। इस वचन में मेरा अटल विश्वास है कि उसकी (भगवान् की) मरजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसे इस देह से कुछ काम लेना होगा तो वह इसे बचावेगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी इसे बचा नहीं सकता। मनुष्य की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन तक वह बिना अन्न के जी सकता है।

पृथक् निर्वाचन मेरे निश्चय के लिए एक निमित्त-मात्र था। वर्णाश्रमी हिन्दू-नेताओं और दलित-नेताओं के काम-चलाऊ समझौते से काम न चलेगा। समझौता न्यायोचित तभी हो सकता है जब वह वास्तविक हो। यदि हिन्दू जनता का अन्तःकरण अस्पृश्यता को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने को कभी तैयार नहीं हुआ है तो मेरा बलिदान कर देने में तनिक भी आगा-पीछा न करना चाहिए।

जो लोग संयुक्त-निर्वाचन के विरोधी हैं उन पर तनिक भी दबाव न डालना चाहिए। उनके तब विरोध को मैं सहज ही समझ सकता हूँ। मेरा अविश्वास करने का उन्हें पूरा अधिकार है। क्या मैं उसी हिन्दू-वर्ग का नहीं हूँ, जो भ्रमवश उच्च वर्ग अथवा सर्वार्थ-वर्ग कहा जाता है, जिसने अछूत कहे जानेवालों को पीछकर रख दिया है—और आश्चर्य तो यह है कि इतना सब हो जाने पर भी समाज के अन्दर बना हुआ है।

पर उनके विरोध को सकारण मानते हुए भी मैं मानता हूँ कि वे भूल कर रहे हैं। वे दलित-जातियों को हिन्दू-समाज से काटकर सर्वथा अलग कर ले सकते हैं और उनका पृथक वर्ग बना सकते हैं। यद्यपि यह हिन्दू-धर्म के लिए एक चिरस्थायी जीवित कलंक-रूप होगा, पर मुझे इसकी परवा न होगी, बशर्ते कि इससे अछूतों का सच्चा हित होता हो। पर मैंने अछूतों की सभी भेदियों का बहुत निकट से परिचय प्राप्त किया है और इस जानकारी के कारण मुझे निश्चय हो गया है कि उनका जीवन सर्वार्थ हिन्दुओं के, जिनके बीच वे रहते और जिनमें उनका जीवन अवलम्बित है, जीवन से इस प्रकार मिला-जुला है कि उन्हें अलग करना असम्भव है। दोनों वर्ग एक ही कुटुम्ब के अंग हैं। अछूत यदि हिन्दुओं के साथ विद्रोह करने और हिन्दू धर्म को सदा के लिए नमस्कार कर देने को तैयार हो जायें तो मुझे इसपर आश्चर्य न करना चाहिए। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, वे ऐसा न करेंगे। हिन्दू-धर्म में कोई ऐसी अनिर्वचनीय सूत्र वस्तु है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें उससे अलग नहीं होने देती। और इस कारण मेरे-जैसे अंग्रेजों के लिए, जिसे उनका वास्तविक

अनुभव है, यह अनिवार्य हो जाता है कि वह अपने प्राण देकर भी अशुद्धों के प्रस्तावित पृथक्करण का विरोध करे।

इस प्रतिकार का फलितार्थ क्या गम्भीर है। जिस समझौते से दलित-वर्ग को हिन्दू-समाज के घेरे के अन्दर पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं मिलती वह कदापि इस योग्य न होगा कि प्रस्तावित पृथक्करण के बदले स्वीकार किया जा सके। अपने ऊपर लिये हुए कर्तव्य के सम्बन्ध में तनिक भी चालाकी या मुठारई से काम लिया गया तो इसका नतीजा केवल यही होगा कि मेरा प्राण-त्याग कुछ दिनों के लिए टल-भर जायगा, और इसके बाद उन लोगों के विषय में भी यही बात होगी जो इस विषय में मेरे ही जैसा विचार रखते हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेताओं को इस बात पर विचार करना होगा कि यदि सामाजिक, नागरिक और राजनैतिक क्षेत्रों में दलितवर्ग पर आज-के-से अत्याचार होते ही रहे तो क्या ये मेरे जैसे एक सुधारक का नहीं, बल्कि सुधारकों की एक वर्द्धमान सेना के विर-अनशन-रूपी सत्याग्रह का सामना करने को तैयार होंगे? मेरा विश्वास है कि आज भाव में ऐसे सुधारक काफी संख्या में मौजूद हैं, जो दलित-जातियों के उद्धार और उसके द्वारा हिन्दू-धर्म को उसके युग-युगान्तर के एक अन्धविश्वास से मुक्त करने के प्रयत्न में अपने प्राणों को तुच्छ समझें। मेरे साथ काम करने वाले सुधारक भाइयों को भी इस उपवास का अर्थ मली-भाँति समझ लेना चाहिए।

यदि यह भ्रान्ति है, तो मुझे अथर्व चुपचाप उसका प्रायश्चिन करने देना चाहिए; और ईश्वरीय प्रेरणा है, तो यह हिन्दू धर्म की छाती पर से एक भारी चट्टान को हटा देगा। ईश्वर करे, मेरी यशस्वी हिन्दू धर्म के अन्तःकरण को शुद्ध करदे और उनके हृदयों को दलित भी कर सके जिनकी प्रवृत्ति तत्काल मुझे कष्ट पहुँचाने की हो रही है।

मेरे उपवास के मुख्य हेतु के विषय में कुछ भ्रम मालूम होता हो, इसलिए मैं फिर यह बताना चाहता हूँ कि उसका उद्देश दलितवर्ग के लिए पृथक्-निर्वाचन की व्यवस्था का—चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो—विरोध करना है। क्योंकि वह वापस ले लिया गया कि मेरा अनशन समाप्त हो जायगा। स्थान-संरक्षण के सम्बन्ध में इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, इस विषय में भी मेरे निश्चित विचार हैं। पर एक कैदी की हैसियत से मैं अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अपने-आपको अधिकारी नहीं समझता। तथापि संयुक्त-निर्वाचन के आधार पर सर्वोच्च हिन्दुओं और दलितवर्ग के जिम्मेदार नेताओं के बीच कोई समझौता हो, और यह सब प्रकार के हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी सार्वजनिक सभाओं में स्वीकृत हो जाय, तो मैं उसे मान लूँगा।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। यदि दलितवर्ग के प्रश्न का सन्तोषजनक निराकरण हो जाय, तो इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रश्न के अन्य भागों के सम्बन्ध में सरकार ने जो निश्चय किया है उसे मानने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं स्वयं उसके और भी अनेक अंशों का विरोधी हूँ, जिनके कारण मेरी समझ में कोई भी-स्वतंत्र पर्व लोकतन्त्र शासन-प्रणाली के अनुसार कार्य करना प्रायः असम्भव है। इस प्रश्न का निर्याय सन्तोष-जनक रूप से हो जाने का यह मतलब भी न निकालना चाहिए कि जो शासन-विधान तैयार होगा, उसे मान लेना ही मेरे लिए लाजिमी हो। ये ऐसे राजनैतिक सवाल हैं जिनपर विचार करना और जिनके सम्बन्ध में अपना निर्याय देना भारतीय कांग्रेस का ही काम है। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार-क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हैं। फिर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में तो मैं अपनी निजी राय भी प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इस समय सरकार का कैदी हूँ।

मेरे अनशन का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट संकुचित क्षेत्र से ही है। दलितवर्गों का प्रश्न प्रधानतया एक धार्मिक प्रश्न है, और उसके साथ मैं अपने को विशेषरूप से सम्बन्ध समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा हूँ। मैं उसे अपने लिए एक ऐसी पवित्र धरोहर समझता हूँ, जिसकी जिम्मेदारी को मैं छोड़ नहीं सकता।

प्रकाश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रथा है। मैंने ईसाई-धर्म तथा इस्लाम में भी इसका उल्लेख देखा है। हिन्दु-धर्म में तो आत्म-शुद्धि एवं तपस्या के उद्देश से किये गये उपवास के उदाहरण भरे पड़े हैं। किन्तु यह एक विशेष एव उच्च उद्देश के साथ-साथ धर्म समझकर ही किया जाना चाहिए। फिर मैंने तो अपने लिए यथाशक्ति इसे वैज्ञानिक रूप दे डाला है। अतः इस विषय का विशेषज्ञ होने के ज्ञाते मैं अपने मित्रों और सहानुभूति प्रदर्शित करनेवालों को सूचित कर देना चाहता हूँ कि आप लोग बिना सोचे-समझे अथवा सहानुभूति की दृष्टिक व्याकुलता में पड़कर मेरा अनुकरण न करें। जो लोग ऐसा करने के लिए इच्छुक हों, उन्हें कठिन परिश्रम और अछूतों की निःस्वार्थ सेवा-द्वारा अपनेको उसके योग्य बना लेना चाहिए, तब यदि उनके उपवास का समय आ गया होगा तो उनके हृदय में भी स्वतंत्र रूप से उसका प्रकाश पड़ जायगा।

अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यह उपवास मैं पवित्र-स-पवित्र उद्देशों से प्रेरित होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर नहीं। मेरे लिए तो यह अहिंसा का ही एक रूप और उसकी अन्तिम मुहर है। अतः यह स्पष्ट है कि लोग उन लोगों के प्रति बाद-विवाद में किसी तरह का द्वेष-भाव या हिंसा प्रदर्शित करेंगे, जिन्हें वे मेरे प्रतिकूल या मैं जिस उद्देश की सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ उसके विरुद्ध समझते हों, तो इस कार्य-द्वारा वे मेरी मृत्यु का आह्वान और भी शीघ्रतापूर्वक करेंगे। उद्देशों की नहीं तो कम-से-कम इस उद्देश की सिद्धि के लिए तो यह परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का व्यवहार किया जाय और उनके भावों के प्रति आदर दिखाया जाय।

मो० क० गांधी

३

पत्र-प्रतिनिधियों से बातचीत

२० सितम्बर १९३२ को पत्र-प्रतिनिधियों को गांधीजी से जेल में मिलने की अनुमति मिली। गांधीजी से उनकी हुई बातचीत का जो विवरण २१ सितम्बर के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ, वह नीचे दिया जाता है :—

आज नौ महीने में सबसे पहले सायंकाल ५। बजे यरवडा-जेल में पत्रकार लोग गांधीजी से मिल सके। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जीवन में जितनी मुलाकातें करने का मुझे सौभाग्य मिला है उनमें यही एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें बहुत ही गम्भीर विचारपूर्वक बातचीत बनी आसानी के साथ हुई। ऐसा कोई भी पत्रकार न था जो आश्चर्यजनक प्रश्न करने के ५ घंटे बाद गांधीजी से मिला हो, और उनसे सारी स्थिति पर बातचीत कर लेने के बाद उनसे अत्यन्त प्रभावित न हुआ हो।

जब गांधीजी से यह सवाल किया गया, कि क्या आपको इस प्रकार के भले प्रकार समाप्त होने की आशा है? तो गांधीजी ने कहा, "मैं बड़ा प्रबल आशावादी हूँ। यदि परमात्मा ने मुझे त्यागा नहीं है तो आशा करता हूँ कि यह अनशन आश्चर्यजनक न होगा।"

गांधीजी ने कहा कि मेरे पास कई लोगों के तार आये हैं, जिनके द्वारा उन्होंने कहा है कि मेरे साथ सहानुभूति करने के लिए उन्होंने भी अनशन करने का निश्चय किया है। मैं उन हरेक से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरी सहानुभूति में अनशन करने से बचें। मैंने यह अनशन ईश्वर की प्रेरणा पर किया है। इसलिए जबतक किसी व्यक्ति की अनशन प्रेरणा की निश्चित ईश्वरीय प्रेरणा न हो जबतक उसे अनशन न करना चाहिए। अतः मैंने यह अनशन प्रेरणा से अपनी सहमति प्रकट करने के लिए यदि एक दिन अनशन किया जाय तो नहीं, लेकिन इससे अधिक नहीं। इस प्रकार का अनशन केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि एक अधिकार है, जो उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने आत्म-नियंत्रण के द्वारा अपने-आपको तैयार कर लिया हो।”

इसके पश्चात् मुलाकात में अस्तूरियों के, जिन्हें गांधीजी हरिजन के नाम से पुकारते हैं, निधित्व का प्रश्न आया। उन्होंने सबसे पहले इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया, कि सरकार को जो वक्तव्य उन्होंने भेजा था वह अभी तक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ? वह पांच दिनों से ही दिया जा चुका था। यदि आज फिर उस वक्तव्य को वह तैयार करते तो सम्भवतः नई वक्तव्य प्रकाशण वह कुछ भिन्न होता। इसीलिए मुलाकात के अन्तमें गांधीजी ने कहा कि वह वक्तव्य का मात्र है, आधार-भूत नहीं।

गांधीजी ने कहा—“मेरी सब बातें प्रकट हो गई हैं। जहाँतक इस मामले का सम्बन्ध है, मैंने सीखने के अन्दर से मैं कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन चूंकि अब मेरे ऊपर से प्रतिबन्ध हट गये हैं, मैंने सबसे पहले पत्र-प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। मेरा अनशन केवल पृथक्-निर्वाचन विरुद्ध है, कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित करने के विरुद्ध नहीं। यह कहना कि हरिजनों के लिए कानून द्वारा स्थान सुरक्षित रखने के मेरे कष्ट विरोध से मेरे पक्ष को हानि पहुंचती है, केवल शंकास्पद बात है। कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित करने का मैं कसूरतः विरोधी था—अब भी विरोधी हूँ, पर कानून द्वारा स्थान सुरक्षित रखने की योजना मेरी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए मेरे सामने कभी रखी नहीं गई, इसलिए इस विषय पर मेरे कुछ निश्चय करने का प्रश्न ही न था। कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित रखने के प्रश्न पर जब मैंने अपने मत पर और विचार किया, तब अक्षर ही मैंने उसका जोर शब्दों में विरोध किया। मेरा मसल मत है कि स्थान सुरक्षित रखने से हरिजनों का हित होने की अपेक्षा उनकी इस अर्थ में हानि होगी कि इससे उनका राष्ट्रीय-विकास बन्द हो जायगा। कानून-द्वारा स्थान सुरक्षित करना एक प्रकार का सहारा है और जो आदमी किसी सहारे पर निर्भर करता है वह अपने-आपको उठने ही इतना तक कमजोर बना लेता है।

“यदि लोग मेरी हंसी न उड़ायें तो मैं नम्रतापूर्वक अपना दावा पेश करूंगा, जो मैं हमेशा करता रहा हूँ। वह दावा यह है कि मैं जन्मतः अश्वर्य हूँ, पर स्वच्छन्दता से अश्वर्य हूँ और मैंने अपने दंगल-अश्वर्यों का—उनकी ऊंची जातियों का ही नहीं, क्योंकि मैं कह देना चाहता हूँ कि यह उनके लिए शर्म की बात मने ही हो पर अश्वर्यों में भी छोटी-बड़ी जातियाँ और भेदभाव हैं—प्रतिनिधि बनने के लिए गुण प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मेरी महत्वाकांक्षा यह रही है कि जहाँतक संभव हो मैं अश्वर्यों की सबसे नीच श्रेणीका—जैसे वह भेदी, जिसपर नजर पकनेसे या जिसके पास पहुंचने से ही अश्वर्यता होजाती है—प्रतिनिधि बनूँ और अपने-आपको उनके साथ मिला दूँ। जहाँ वहाँ मैं जाता हूँ, मेरे मन में उनका विचार हमेशा बना रहता है, क्योंकि यह विषय का प्याला मैं मरपेट पी चुका हूँ। मैंने उन्हें मलावार में देखा, कुड़ से उड़ीसा में भेंट हुई, और मुझे विश्वास है कि उनकी उन्नति स्थान-संरक्षण

से न होगी, उन्हीं उन्हीं के बीच रहकर हिन्दू सुधारकों के कटिन परिश्रम से होगी। मैं समझता हूँ कि इस प्रयत्नकरण से सुधार की सब आशाएँ भर जातीं, इसीलिए मेरी सम्पूर्ण आत्मा ने इसके विरुद्ध बलवा किया।

मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ - पृथक्-निर्वाचन उठा लेने से मेरी प्रतिष्ठा का शब्दशः पालन तो हो जायगा, पर उसके माथ की रक्षा कदापि न होगी, और स्वेच्छा से बने हुए एक अस्पृश्य के नाते मैं किसी तरह किये गये समझौते से सन्तुष्ट न हो जाऊँगा। मैं अस्पृश्यता का जन्मूल से नारा चाहता हूँ, इसीके लिए मैं जीवित हूँ और इसीके लिए मरने में मुझे आनन्द होगा। इसलिए मैं 'बच्चा समझौता' चाहता हूँ, जिसकी जीवन-दायिनी शक्ति सुदूर भविष्य में नहीं, आज दिखाई देगी और इसलिए इस समझौते पर अस्पृश्यों के भारत व्यापी प्रदर्शन की मुहर लगनी चाहिए, जिसमें वे दिखाऊँ अन्वय वरके एक-दूसरे से न मिलें; पर स्वच्छे बन्धु-भाव से आलिगन करें। अपने पिछले ५० साल के जीवन के इस स्वप्न को सत्य-सृष्टि में देखने के लिए ही मैंने अग्नि द्वार में प्रवेश किया है। ब्रिटिश सरकार का निश्चय तो निमित्त मात्र था, एक निश्चित निदान पर पहुँचा देनेवाला लक्षण। और क्योंकि मेरा दावा है कि इन मामलों में मेरा निदान एक कुशल वैद्य की भाँति अचूक होता है, मैंने रोग के लक्षण को पहचान लिया। इसलिए पृथक्-निर्वाचन उठा लेना मेरे लिए मेरे कार्य का आरम्भ मात्र होगा, और मैं उन सब नेताओं को सावधान कर देता हूँ जो एकत्र हुए हैं कि जल्दी में आकर निश्चय न करें।

मुझे अपने प्राणों की कोई परवा नहीं। इस महान कार्य के लिए ऐसे सैकड़ों आदमियों के प्राणत्याग से, मेरी राय में, उस पाराविष्टता का एक सुख्य प्रायश्चित्त होगा जो हिन्दुओं ने अपने ही धर्म के निरीह स्त्री-पुरुषों पर की है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे कठोर न्याय-पथ से एक हँच भी अलग न हों। मैं अपने अनशन को न्याय की तराजू पर तब तक तौलना चाहता हूँ, जब तक वर्णाश्रमी हिन्दु जाग नहीं पकते। लेकिन यदि मुझमें अग्र्य स्नेह के रखने के कारण वे जिस प्रकार हो सके जैसे जैसा-तैसा निगटारा करलें, इस हेतु कि पृथक्-निर्वाचन रद्द हो जाय, और फिर बेलबल होकर सो जायें तो वे एक बड़ी भारी भूल करेंगे और मेरा जीवन दुःखी बना देंगे। क्योंकि पृथक्-निर्वाचन के रद्द होजाने पर यद्यपि मैं अपना अनशन तोड़ दूँगा; तथापि यदि समझौता वास्तविक नहीं हुआ, जिनके लिए मैं घोर परिश्रम कर रहा हूँ, तो मेरा जीना मेरे लिए जिन्दा मौत के समान होगा। ऐसा करने का तो परिणाम केवल यही होगा कि जैसे ही मैं अपना अनशन बन्द करूँ वैसे ही मुझे दूसरे अनशन की सूचना दे देनी होगी, जिससे कि इस मत की मूल भावना की पूर्ण तरह रक्षा हो सके।

“सम्भव है कि ऊपर से देखनेवालों को यह बच्चों का-सा खिलवाड़ दिखाई दे, लेकिन मुझे यह ऐसा नहीं दिखाई देता। यदि इस अभिराप को दूर करने के लिए मैं इससे भी कुछ अधिक दे सकता तो अवश्य उसे समर्पित करूँगा। लेकिन अपने जीवन के सिवा मेरे पास और है ही क्या !

“मेरा विश्वास है कि यदि अस्पृश्यता का वास्तव में जन्म-मूल से नारा हो गया तो इससे हिन्दू-धर्म का एक बड़ा भारी कलंक ही नहीं मिट जायगा बल्कि हमका अरर सारी दुनिया तक पहुँचेगा। अस्पृश्यता के विरुद्ध मेरा संग्राम वास्तव में मानव-जाति की अशुद्धता के विरुद्ध संग्राम है। इसलिए जब मैंने सर सेम्युअल होर को पत्र लिखा तो वह इस बात में पूरी आस्था रखकर लिखा कि यदि मैंने, जहाँ तक मनुष्य के लिए सम्भव है, शुद्ध और सर्वथा ईश्वर व शोध-रहित हृदय से इस बात को उठाया है तो मानव-परिवार के उच्चतम गुण अवश्य मेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि मेरे अनशन का आचार सबसे पहले तो अपने कार्य पर मेरी भद्रा है और फिर

हिन्दू समाज, मानव-प्रवृत्ति एवं सरकारी-कार्यों में मेरी धारणा है।" आगे गांधीजी ने कहा:—

“मैं समझता हूँ कि चरित्ररचना पर ध्यान देकर मैं प्रश्न की तरफ तक पहुँच गया हूँ और इसलिए इस प्रश्न का सामूहिक महत्व है—सामूहिक शासन प्रणाली के अर्थ में यह स्वराज्य से भी बहुत अधिक महत्व का है। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसी शासन-प्रणाली भारी बोझ-स्वरूप होगी, यदि उसको नैतिक आधार न मिलेगा, जो करोड़ों दिलों के हृदय में इस आशा के रूप में उतराने हुआ है कि उनके लिए से यह भारी बोझ उठाया जा रहा है। और चूँकि अंग्रेज अफसर चित्र के इस समीप अंश को देख नहीं सकते, वे अपने अज्ञान और आत्म-संतोष के कारण ऐसे प्रश्नों का पैगला करने का साहस करते हैं किन्तु सम्बन्ध करोड़ों लोगों के जीवन-मरण से है। यदि मेरा मतलब यहाँभरी हिन्दुओं और ब्राह्मणों, दलन करनेवालों और दलितों—दोनों से है। नौकरशाही को भी उसके इस प्रगाढ़ अज्ञान से जाग्रत करने के लिए—आशा है कि इन शब्दों से किसी को दुःख देने का अपराधी मैं न होऊँगा—मेरी अन्तर्दत्ता ने मुझे प्राणपण से विरोध करने के लिए साक्षात् किया।”

गांधीजी ने कहा कि इमर्जेन्सी कमिटी के शिष्ट मण्डल को, जो मुझसे कल मिला था, मैंने निरिचत सूचनाओं की हैं। मैं समझता हूँ कि आज बम्बई के पत्रों को वे सूचनायें मिल गई होंगी।

एक सम्भावित चित्र का जिक्र करते हुए गांधीजी ने अपने अन्तर्दृष्टि-संस्कार के बारे में विनोद में कुछ कहा। इस पर मैंने पूछा कि कल जब भी देवदास आये थे तो क्या आपने अन्तर्दृष्टि-संस्कार के बारे में कोई हिदायतों की थी, यदि दुर्भाग्य से इसकी नौबत ही आ जाय! इधर गांधीजी ने तुरन्त यह जवाब दिया, “मैंने अपने पुत्र को बम्बई के सम्मेलन में अपनी ओर से यह कहने के लिए कह दिया है कि वह अपने पिता के पुत्र की हैसियत से इस बात के लिए तैयार है कि उसके पिता का जीवन चला जाय, लेकिन वह अल्दवाजी में दलित-वर्ग को कोई हानि पहुँचते देखना नहीं चाहता।”

“इस अनशन में आप कितने दिनों तक टहर सकेंगे?” यह प्रश्न किया जाने पर गांधीजी ने कहा, “मैं जीने के लिए उतना ही उरमुक्त हूँ जितना कि कोई हो सकता है। जीवन-शक्ति को बनाये रखने का पानी में बड़ा भारी गुण्य है। जब कभी मुझे पानी की आवश्यकता मालूम होती रहेगी मैं पानी पीता रहूँगा। आप इस बात से निरिचत रहें कि अपनी शक्ति बनाये रखने की बेहद कोशिश करूँगा, जिससे कि हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि क्रिस्टेनवासियों की अन्तर्दत्ता भी जाग्रत हो और इस पीड़ा का अंश हो जाय। मुझे विश्वास है कि मेरी पुकार उस परमपिता के सिंहासन तक अवश्य पहुँचेगी।”

४

पूना का सम्मौता

कौंसिलों में दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके हित से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ दूसरे मामलों में दलित-वर्ग और शीघ्र हिन्दू समाज के नेताओं के बीच नीचे लिखी शर्तों पर पूना का सम्मौता हुआ:—

१. भारतीय कौंसिलों में साधारण जगह में से नीचे लिखे अनुसार जगहें दलित-वर्गों के लिए उपचित रहेंगी—

पंजाब	८	बिहार-उड़ीषा	१८
मध्यप्रान्त	२०	आसाम	७
बंगाल	१०	सुकुप्रान्त	२०
कुल			१४८

प्रधान-मन्त्री के निर्चय में प्रांतीय कौंसिलों के लिए निर्धारित सदस्य-संख्याओं के आधार पर ये संख्यामें रक्ती गई हैं।

२. इन स्थानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे अनुसार होगी—

निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण निर्वाचन-सूची में दलित वर्ग के जितने निर्वाचन रहेंगे उनका एक निर्वाचक-समूह होगा, जो दलित-वर्ग के सुरक्षित प्रत्येक स्थान के लिए दलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा। समूह के प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही दलित-वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाव के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्वाचन-द्वारा दलित-वर्ग का प्रतिनिधि चुना जायगा।

३. केन्द्रीय धारा-सभा में भी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व संयुक्त-निर्वाचन के सिद्धांत पर स्थित होगा। यहाँ भी इस वर्ग को सुरक्षित स्थान मिलेंगे और निर्वाचन-प्रणाली वैसी ही होगी जैसी प्रांतीय कौंसिलों के लिए।

४. केन्द्रीय धारा-सभा में ब्रिटिश-भारत के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशत स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे।

५. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व कथित निर्वाचन प्रणाली दस वर्ष बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त (६) के अनुसार आपस के समझौते से इसके पहले ही न उठ गई हो।

६. प्रान्तीय और केन्द्रीय कौंसिलों में सुरक्षित स्थानों-द्वारा दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रथा तब तक जारी रहेगी जबतक हम समझौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के आपस के समझौते से और कोई दूसरा निर्चय न हो।

७. दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के मताधिकार की योग्यता लोपियन-कमिटी की सिफारिश के अनुसार होगी।

८. किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने के लिए कोई केवल इसी कारण अयोग्य न समझा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध में दलित-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, बशर्ते कि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता दलित-वर्ग के सदस्य में हो।

९. प्रत्येक प्रांत को शिक्षा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता में से विशेष धन दलित-वर्ग के सदस्यों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए अलग कर दिया जायगा।

(इस्ताद्वार)

मदनमोहन मालवीय
भीनिवासन्

दापट्टर धन्वेडकर
तेजबहादुर सप्रू

च० राजगोपालाचार्य
एम० भार० सयकर

तत्काल जो कार्य किया गया वह या मलवे को हटाना, मरे हुएों की लाशों की अन्वेषण करना और लोगों के खाने, कपड़े, स्थायी निवास, पानी व दवा-दारू की व्यवस्था करना। किसानों के लिए ईसल परेने के कोल्हडुआँ की भी फौरन व्यवस्था की गई, जिससे कि उनकी गन्ने की फसल का उपयोग हो जाय, क्योंकि भूकम्प के कारण शककर के कारखाने तुरन्त चलने के काबिल नहीं रहे थे और यह व्यवस्था न की जाती तो ईसल बरबाद हो जाती। इस तात्कालिक कार्य में कमिटी ने ७ हजार मन से ज्यादा नाज, २,००,००० इ०की रकम भोजन के लिए, २८,००० कम्बल व बहुत-सा कपड़ा बाँटा, २ हजार से ज्यादा कुआँ को साफ किया, ३३६ नल के कुए बनाये, और लोगों के रहने के लिए ७२,००० से ज्यादा आभय-स्थान या भोंपड़ियाँ बनाईं अथवा उनके बनाने में सहायता पहुँचाई। इन कामों में १ लाख ६० हजार से अधिक रकम खर्च हुआ, और जो माल बाँटा गया वह अलग।

पुनर्निर्माण का कार्य मार्च के आखिर में शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की ओर ध्यान दिया गया। कमिटी ने कोई ७,००० नये कुए खुदवाये और ७०० के करीब तालाबों को फिर से खुदाई की। इस बात का निश्चय कमिटी ने शुक्रात में ही कर लिया था कि भिदा-वृत्ति को प्रोत्साहन न दिया जाय, बल्कि यह कोशिश हो कि खाना पानेवाले, उसके बदले में, थोड़ा-बहुत काम करें। अतएव बहुत-से व्यक्तियों को भूकम्प से नष्ट हुई गाव की सबकों की मरम्मत करने, जलाशयों की फिर से खुदाई करने और उनके किनारे ठीक करने के काम में लगाया गया। और बेकारों को काम देने के रूप में, कमिटी ने एक लाख के करीब रकमा खर्च किया। जिन लोगों को इस तरह सहायता मिली उनकी सख्या अबेले चम्पारन में ही, जिसपर भूकम्प का ऐसा असर सबसे ज्यादा हुआ था, लाखों पर पहुँच गई थी।

जिन जगहों पर भूकम्प ने बहुत तबाही की थी, और जिन बड़े-बड़े इलाकों में भूकम्प से बहुत नुकसान नहीं हुआ था, उनमें भी जुलाई और अगस्त में भीषण बाढ़ें आईं। इन्होंने भी कुछ कम-ज्यादा वैसी ही बरबादी की, जैसी कि भूकम्प से हुई थी; बल्कि वहीं-कहीं तो इसका असर उनसे भी बदतर ही हुआ। पीड़ितों की रक्षा और सहायता का जो काम कमिटी कर रही थी वह अक्टूबर से बाद तक चलता रहा, और चूंकि सारी फसल व धान दूर-दूर तक बाढ़ में नष्ट हो गये थे, मवेशियों को सहायता पहुँचाने का काम खास तौरसे जरूरी हो गया। बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए कमिटी ने लगभग १५० नावों की व्यवस्था की, जिनमें से १०० उपयोग के लिए सरकार के जिम्मे कर दी गई थी।

१६१४-१५ की सर्दियों में और उसके बाद कमिटी ने मकान बनाने के लिए विलुप्त रूप से सहायता देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब ८ लाख रकमा लोगों में बाँटा गया। साथ ही उसने लगभग ३ लाख रकमा भोंपड़ियों और अर्ध स्थायी मकानों पर खर्च किया, जिनमें गरीब लोगों को छोटे-छोटे भोंपड़े या मकान बनाने के लिए दी जानेवाली छोटी छोटी रकमें शामिल हैं। पानी की व्यवस्था पर ५ लाख ३५ हजार से ज्यादा खर्च हुआ। बाढ़-पीड़ितों के सहायताार्थ ११ लाखसे ज्यादा खर्च हुआ। मवेशियों के सहायताार्थ ७५ हजार से ज्यादा हुआ, जिसमें लगभग ४६ हजार की बड़ रकम भी शामिल है जो टान-टाटाओं ने इसी काम के लिए प्रदान की थी। करीब ३८ हजार दवा-दारू और डाक्टरों की सहायता में खर्च हुआ। ३६ हजार के बीज भी बँटि गये। सहायता का एक तरीका और अस्तिपार किया गया। वर यह कि नाज और मकान बनाने के सामान को सस्ती दूधानें खोल दी गई, जहाँ पीड़ितों को खाने-पीने और मकान बनाने का सामान कम कीमत पर या शायद-

भाग पर मिलता था। इससे नीचे मंथनी होने का जो गिलसिखा शुरू हुआ था वह दब गया।

अब जो काम हो रहा है वह गुजरातपुर जिमे में, नये स्थानों पर, अनेक गाँवों का नीचे से बनाया जाना है। याइसराय-कमिटी और बिहार-सेन्ट्रल-रिलीफ-कमिटी के परब की सहायता से, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ छात्राध्यक्षीय स्वयंसेवा-सेवा के प्रधान डा० विपरी वेरसोल की देख-रेख में यह काम हो रहा है।

एक समस्या ऐसी थी जो एक समय सबसे मुश्किल और खतरनाक प्रतीत हो रही थी, किन्तु श्रीभाष्यराय प्रकृति ने उसे बहुत-बुद्ध दल कर दिया है। दरारों से निकलकर जो रेत सब बगई देल गई थी और पत्थर के लिए बहुत हानिकारक समझी जा रही थी, वह वैठी विनाशक साबित नहीं हुई है। जहाँ-जहाँ ऐसा हुआ था उसमें से अधिकारा जगह पत्थर उत्पन्न हो गई है। कमिटी का काम भी अब समाप्ति पर आ गया है, और खास-खास कामों के लिए रक्ते हुए बराने को छोड़कर, उसका धोप भी प्रायः समाप्त हो चला है, जिसका हिसाब-किताब और रिपोर्ट इसके तीसरे महीने बराबर प्रकाशित होते रहें हैं।

१२

१९३५ की भारत और ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि

ब्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर रन्समैन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र ने सन्धनमें जिस संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी लिखा है कि जिस समय भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण दिया जाने का प्रश्न जाच के लिए टैरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस समय भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगों को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कड़ी हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी।

भारत-सरकार यह भी आंगीकार करती है कि यदि संरक्षण-काल के बीच में ही रक्षित उद्योगों सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायेंगे तो ब्रिटिश-सरकार को मार्गना पर या अरन्धी ही और भारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए सिद्धांतों की दृष्टि से मौजूद कर नीक है या नहीं, और इस जाच में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा।

मूल सन्धि-पत्र

नई दिल्ली, १० जनवरी

ओटावा के व्यापारिक संधि-पत्र की पुष्टि के रूप में ब्रिटिश-सरकार की ओर से सर वाल्टर रन्समैन ने और भारत-सरकार की ओर से सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र ने जिस संधि-पत्र पर कल सन्धन में हस्ताक्षर किये हैं वह इस प्रकार है:—

ब्रिटिश सरकार और भारत-सरकार इस पत्र-द्वारा स्वीकार करती हैं कि ओटावा की व्यापारिक-संधि के दौरान में ब्रिटिश-सरकार और भारत सरकार की ओर से नीचे लिखी शर्तें उक्त संधि की पुष्टि के रूप में समझी जायगी—

१—ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार मानती हैं कि जहाँ भारत की आर्थिक बहादुरी के लिए किसी भी विदेश से आनेवाले माल के प्रति भारतीय उद्योग को संरक्षण मिलना आवश्यक हो

सकता है, वहाँ भारतीय, ब्रिटिश या अन्य देशों के उद्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि भारतीय उद्योग को ब्रिटिश आयात की अपेक्षा अन्य देशों के आयात से अधिक मरझण की जरूरत हो।

२—ब्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-सरकार की आय के लिहाज से आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करों की मात्रा स्थिर करते समय आय का समुचित खयाल रखना ही चाहिए।

३—(१) भारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगों को दिया जायगा जो टैरिफ-बोर्ड की समुचित जांच के बाद भारत-सरकार की राय में संरक्षण के पात्र सिद्ध हों। परन्तु यह संरक्षण असेम्बली के १६ फरवरी १९२३ के प्रस्ताव में वर्णित विवेकपूर्ण संरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा। यह वचन १९३३ के संरक्षण-कानून-द्वारा संरक्षित उद्योगों पर लागू न होगा।

(२) भारत-सरकार यह भी वचन देती है की संरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, अधिक न होगी। कि आयात माल के मुकाबले में भारतीय माल ठीक-ठीक भावों पर बिक सके। और यह भी कि यथासंभव इस कलम की शर्तों का खयाल रखकर ब्रिटिश माल पर अन्य विदेशों के माल की अपेक्षा कम कर लगाया जायगा।

(३) इस धारा की पिछली उपधाराओं के अनुसार ब्रिटिश माल पर और अन्य विदेशी माल पर लगानेवाले कर की मात्रा में जो अन्तर रक्खा जायगा वह इस प्रकार नहीं बदला जायगा कि ब्रिटिश माल को हानि पहुँचे।

(४) इस धारा में दिये गये वचनों से भारत-सरकार के इस अधिकार में बाधा नहीं आयगी कि यदि आभदनी के खयाल से जरूरत महसूस हुई तो वह आवश्यक संरक्षण-कर से भी अधिक आयात-कर और लगा दे।

४—जब भारतीय उद्योग को काफी संरक्षण देने के प्रश्न की टैरिफ बोर्ड जांच करेगा, तो भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कहने और अन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी। भारत-सरकार यह वचन देती है कि यदि संरक्षण काल के बीच में ही संरक्षित उद्योगों-सम्बन्धी शर्तों में आमूल परिवर्तन किये जायें तो ब्रिटिश-सरकार की प्रार्थना पर या अपनी ओर ही से भारत-सरकार यह जांच करवेगी कि तीसरी धारा में दिये हुए सिद्धान्तों की दृष्टि से मौजूदा कर टांक है या नहीं, और यह कि इस जांचमें ब्रिटेन के संबंधित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार किया जायगा।

५—जिस माल की आयात पर विवेकपूर्ण संरक्षण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के लिए उपयोगी कच्ची या अध-पक्की सामग्री का भारतीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से समस्त व्यावसायिक दृष्टियों के सहयोग से जो उपाय किये जायें उनका लिहाज ब्रिटिश सरकार रखेगी, विशेषतः वह भारत-सरकार का ध्यान उन उपायों की ओर दिलाती है जो ब्रिटेन ने औद्योगिक सन्धि की ८ वीं धारा के अनुसार भारतीय बर्द की खपत बढ़ाने के लिए किये हैं। ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि वैज्ञानिक अनुसन्धान, व्यावसायिक जांच, बाजार के सहयोग और औद्योगिक प्रचार आदि सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से भारतीय बर्द की खपत बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा।

६—ब्रिटिश-सरकार वचन देती है कि पिछली घास के सिद्धान्तों के अनुसार भारत के गले हुए लोहे के साथ कर-मुक्त प्रवेश की रिआयत तब तक जारी रहेगी जब तक १९३४ के लोह-संरक्षण कानून के अनुसार भारत में आनेवाले लोहे और इस्पात पर लगानेवाला कर ब्रिटेन के एक में कम हो भवश्यक नहीं कर दिया जाय। परन्तु इसका १९३४ के लोहे और इस्पात-कर-सम्बन्धी कानून की सही धारा-द्वारा संशोधित १९६४ के भारतीय टैरिफ कानून की उपधारा ३ (४) और ३ (५) पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

७—ब्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती हैं कि इस संधि के विषय में ब्रिटिश और भारतीय उद्योगों के अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि मिल-जुलकर जब कभी और जो भी निर्यात, समझौते या वरण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा।

मोदी-सीस-सन्धि

ओटावा की व्यापारिक संधि की पुष्टिके बाद इंग्लैण्ड के व्यापार-संघ के अध्यक्ष सर वाल्टर समैन और लन्दन-स्थित भारतीय हार्ड-कमिश्नर सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ वह प्रकाशित किया जाता है।

सर वाल्टर रून्सिमैन का पहला पत्र यह था:—

“मुझे ब्रिटिश-सरकार की ओर से यह वचन देने का अधिकार मिला है कि यदि किसी उपनिवेशों और रक्षित देशों को विदेशों के मुकाबले में ब्रिटेन के सूत और सूती कपड़े की खपत यहाँ बढ़ाने के अधिक या विशेष उपाय करने पड़ें तो उस समय ब्रिटिश-सरकार उपनिवेशों रक्षित देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेगी जो रिआयत वे ब्रिटेन के रूई के माल के लिए ही रिआयत वैसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय। यह वचन उस समय तक लागू जबतक लंकाशायर और यम्बर्ई के मिल-मालिकों की २८ अक्टूबर १९३३ की संधि कायम अथवा जबतक दोनों देशों के सूती कपड़े के उद्योगों के बीच में कोई और संधि बनकर रहेगी।”

सर वाल्टर रून्सिमैन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र ने लिखा:—

“आपका आज की तारीख का प्रथम पत्र मिला। मुझे भारत-सरकार की ओर से यह वचन अधिकार मिला है कि क्योंकि दूसरा सरचार्ज (अतिरिक्त कर) व्यापक हो जाय तब ही ब्रिटिश रिआयत-कर कटकर २० फीसदी या सफेद कपड़े पर ३०)। बंधक कर दिया जायगा। अलबत्ता, अक्टूबर १९३३ की लंकाशायर और यम्बर्ई के मिल-मालिकों की संधि की शर्तों पूरी हो जाने के लिए रिआयत काल के लिए ब्रिटिश-माल पर कर लगाने में उत्साहीन गति और पिछले का लिहाज रक्खा जायगा और मजदूर न सही, परन्तु मिन पीसों पर दूसरा सरचार्ज (अति-) लागू होता है उनमें से अधिकार पर विचार किया जायगा।”

सर भूपेन्द्रनाथ मिश्र के पत्र की पटुच स्वीकारते हुए सर वाल्टर रून्सिमैन ने लिखा:—

“आपके आज की तारीख के दूसरे पत्र १० २ की पटुच स्वीकार करता हूँ।”

